Punjab Vidhan Sabha

Debates

1st November, 1954

VOL. III—NO. 1

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, 1st November, 1954.

CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1955

rice : Re 0-11-0

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, 1st November 1954.

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at* 2.00 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker* (*Sardar Gurdial Singh Dhillon*) *in the Chair.*

OATH OF OFFICE.

Sardar Gurcharan Singh recently elected from Mehna Constituency took the Oath.

Reference to late Sarve Shri Rafi Ahmed Kidwai and Nidhan Singh.

मुख्य मंत्री (श्री भीम सेन सच्चर) : स्पीकर साहिब ! बड़े दर्द भरे दिल से मुझे आज यहां अपने एक महान नेता और दोस्त की याद ताज़ा करनी है। थोड़े ही दिन हुए जब श्री रफी अहमद किदवाई साहिब हम को दाग़े मुफारिकत दे गए। उन की मौत अचानक होने से एक ऐसा सदमा हुआ जिस का असर मुल्क के हर गोशे में महसूस हुआ श्री रफी अहमद किदवाई मामूली हस्तियों में से नहीं थे। वह एक ऐसी महान हस्ती थे जो किसी मुल्क को कभी कभी मिला करती है। किसी भी तरफ से उन की जिंदगी पर नजर डालें उन की महानता चकमती दिखाई देती है। छोटी ही उमर में जब कि अभी दुनिया में इनसान की उमंगें ज़ोरों पर होती हैं उन्होंने अपनी ज़िन्दगी देश के अर्पण कर दी और महान नेता पण्डित मोती लाल नेहरू के चर्णों में बैठे कर देश की सेवा शुरु की। इस के बाद हर दिन किदवाई साहिब अपने आप को पहले से बड़ा बनाते गए। आज उन की बड़ाई किसी ज़िकर की मुहताज नहीं। किसी भी पहलू से देखें। बतौर एक मुहिब्बेवतन के, बतौर देश सेवक के, बतौर organisor के, बतौर administrator के और सब से बढ़ कर बतौर दोस्त के उन के मुकाबिले के बहुत कम आदमी मिलेंगे। उन की हिम्मत और जुरअत उन का अपना ही हिस्सा थी। वह रस्मी बातों में नहीं उलझते थे। जो कुछ करना होता बग़ैर रुकावट और हिचकिचाहट के उसे पूरा करते जाते थे। कुदरत ने उन को ऐसा बनाया था कि जिस चीज़ पर हाथ रखते और जो काम भी हाथ में लेते उसे कामयाब बना देते थे। मेरे उन के साथ ज़ाती ताल्लुकात बड़े गैहरे थे और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं उन के नज़दीक था। इसी तरह हज़ारों लाखों आदमी रफ़ी साहिब की जुदाई को ज़ाती तौर पर महसूस करते हैं। जब भी कोई आदमी किसी तकलीफ में होता तो उसे विश्वास होता था कि रफी साहिब के पास जा कर उस की मुश्किल हल हो जाएगी। वह दोस्तों का सहारा, गरीबों की पनाह और मुल्क के रोशन दमाग सियासत दान थे। उन की मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से किया जा सकता है कि मुल्क ने उन की मौत पर किस किस्म के जज़बात का इज़हार किया है और लोगों को इस का कितना रंज और ग़म है। मुल्क को इस वक्त उन की जितनी ज़रूरत थी वह सब को मालूम है। उन की यह ग़ैरहाज़री ऐसा सदमा है जो आसानी से बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

[मुख्य मंत्री]

में इस मौके पर एतराफ़ करना चाहता हूं उस मुहब्बत का जो वे पंजाब से रखते थे और उस इमदाद का जो वे पंजाब को देते थे। हम हर वक्त अपने आप को महफ़ूज़ समझते थे और जब ही किसी मामले में हमें जरूरत पड़ती थी हम रफ़ी साहिब की सहायता पर भरोसा कर सकते थे। पंजाब प्रदेश को उन की मौत से नाकाबले बर्दाश्त नुकसान हुआ है। हम तमाम को रंज है उन की मौत का। परन्तु इन मामलों में इनसान सिवाए अपनी बेचारगी के और कुछ महसूस नहीं कर सकता। परमात्मा करे कि उन की आत्मा को शान्ति हो। स्पीकर साहिब! आप से दरखास्त है कि आप इस हाऊस के जज़्बात को जो ग़म रंज और शोक के हैं मिहरबानी फ़रमा कर उन के लवाहिकीन तक पहुंचाने की तकलीफ गवारा फरमाएं।

इस के साथ, स्पीकर साहिब, हमारे एक साथी यहां पर काम करने वाले साथी जो थोड़ा अरसा हुआ हमारे दरम्यान थे आज वे हमारे दरम्यान नजर नही आते। सरदार निधान सिंह जी कुछ अरसा के लिये बीमार रहे और यह ख्याल न था कि वे अचानक इस तरह से हमारे दरम्यान में से उठ जायेंगे। मैं समझता हूं कि उन की मौत opposition को हर वक्त महिसूस होगी क्योंकि उन को जो देश प्रेम था और जो काम करने की लग्न उन को थी उस के मुतअल्लिक दो रायें नहीं हो सकतीं। मैंने, स्पीकर साहिब, आप से दरखास्त करनी है कि आप कृपा करके हमारे अफ़सोस के जज़्बात को उन के लवाहिकीन तक पहुचायें और कहें कि हम सब उन के ग़म में शरीक हैं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਗਰਾਂਓ): ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ! ਜਨਾਬ ਰਫੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਖਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਰੰਜ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਫੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਵਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ recent ਕਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮੀਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਦਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਤੇ ਉਨਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਦੂਜੀ reference Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਰੂਸ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ associate ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ।

अध्यक्ष महोदय : मैं महसूस करता हूं कि Leader of the House और Leader of the Opposition के बाद उन ख्यालात के साथ जिन की अज़हार किया गया है मैं अपने आप को शामिल करूं।

जैसा कि आपने सुना, श्री रफी आहमद किदवाई पिछले दिनों चल बसे। यह खबर उन के रिश्तेदारों और दोस्तों के लिय सदमे का मूजिब होनी ही थी। लेकिन इन की ज़ात सारे देश से वाबस्तता थी। वे न सिर्फ हिन्द सरकार के एक सरकरदा और काबिल रुकन थे बल्कि सारी कौम का एक असासा थे। इन की मौत क बाद हम लोग शायद ही कोई एसा दुःख का मौका देखें जैसा हमने इस सदम से देखा है व एक महान नेता थे। उन्होंने कांग्रस को तामीर करने में हिस्सा लिया। उन्होंने हिंदुस्तान की जंगे आजादी में सिर्फ एक बहादुर सिपाही की तरह ही हिस्सा नहीं लिया बल्कि वे अपने नेताओं के शाना-ब-शाना लड़ते रहे और किसी से पीछे नहीं रहे उन की जिन्दगी एक बड़ी जिद्दो जिहद की जिन्दगी थी। जब वे Uttar Pradash में वज़ीर थे तो उन की कार्यवाइयों को देख कर ही उन को बतौर वज़ीर ले लिया गया। उन्होंने जिस महिकमा या portfolio को हाथ में लिया उन में न सिर्फ कामयाबी ही हासल की बल्कि जनता की तरफ से खिराजे तेहसीन भी पाया। जब वे वज़ीरे खुराक बने तो 40 करोड 70 लाख टन अनाज बाहिर से आता था और उस पर 16 करोड़ के करीब खर्च आता था। लेकिन पिछले साल सिर्फ 30 टन की कमी रह गई थी। इस साल हिंदुस्तान खुराक में surplus है यह सब उन के तद्बुर का नतीजा था। वे एक बहुत बड़े मुनतज़िम और सियासतदान थे और जनता के leader थे। उन का नाम बच्चा बच्चा तक जानता है। जहां वे इतने बड़े महान नेता थे वहां उन के दिल म इनसानी हमदर्दी बहुत थी। एक मुहिबे वतन होते हुए वे गरीब से गरीब और और छोटे से छोटे आदमी की सुनते थे। आज इनका जुदा होना हमारे लिये एक भारी सदमा है और हिंद सरकार के लिये तो एक इतना बड़ा खिला पैदा हो गया जिस का पूरा करना मुश्किल है। जिन ख्यालात का अज़हार Leader of the House और Leader of the Opposition ने किया है मैं उन के साथ अपने आप को शामिल करता हूं।

इस के साथ हमारे मुअ्रज़िज़ मैम्बर बाबा निधान सिंह जो इस जहान से रुखसत हो गये हैं। उन का इस जगह मौजूद होना और इस House में मश्वरे देना किसी से भूला नहीं उन्होंने अपनी तमाम जिन्दगी देश की ख़िदमत में गुज़ार दी। उन्होंने बाहिर जाकर देश की आज़ादी का प्रचार किया। इस का सिला उन्हें जेल की कैद की शकल में मिला। मैं जहां Leader of the Opposition के साथ मुअ्रज़िज़ मैम्बर के जुदा होने पर अफ़सोस करता हूं मैं वहां उन ख्यालात के साथ अपने आप को शामिल करता हूं जो Leader of the House ने प्रकट किये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम मैम्बरान की हमदर्दी उन के खानदान से है। अब मैं कहूंगा कि दो मिनट उठ कर इस अफसोस का इज़हार किया जाये।

All the members then stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

STATE GOVERNMENT SERVANTS ON DEPUTATION TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

***3589. Shri Mansa Ram Kuthiala :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of Government Servants drawing a salary of Rs. 500 per mensem or above whose services were placed at the disposal of the Government of India during the period from 15th August, 1947 to 31st March, 1952 and from 1st April, 1952 to 31st March, 1954, respectively together with the posts held by them before their deputation ;

(b) the names of Government Servants drawing a salary of Rs. 500 per mensem or above whose services were replaced by the Government of India at the disposal of the State Government during the periods referred to in part (a) above respectively together with the posts held by them and the salary drawn before going on deputation and on reverting in each case ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD.

***3606. Shri Rala Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there are any categories of posts or departments which are exempted from the purview of the Subordinate Services Selection Board; if so, the list of such posts or departments be laid on the Table together with the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : A **statement** containing the information asked for is given below.

List of post(s) excluded from the purview of the Subordinate Services Selection Board—

Serial No.	Designation of the post(s)	Reason for exclusion	REMARKS
1	2	3	4
1	All Vacancies under the Chief Engineer, and Secretary to Government, Punjab, P. W. D. Electricity Branch,	The Subordinate Services Selection Board had not started functioning properly. It was felt that in the absence of recruitment to clerical and technical posts, the work in the Branch had come to a standstill, and if this state of affairs was allowed to continue the Branch would be out of schedule so far as the completion of work was concerned	The Chief Engineer and Secretary to Government, Punjab P.W.D. Electricity Branch was permitted to fill vacancies in his Department temporarily for a period of six months without a reference to the Board or pending recruitment to these vacancies through the Board whichever was earlier.
2	Posts mentioned at Annexure I, in the P.W.D., Electricity Branch.	The staff was required immediately in connection with the construction of the Nangal Hydel Project and other major extensions and augmentation of the Uhl River Hydro-Electric Scheme and Thermo Electric Schemes. The Subordinate Services Selection Board was not in a position to give the required staff immediately	Excluded for a period of six months only with effect from 28th June, 1954.
3	Posts created in connection with the Bhakra-Nangal Project.	The Board had not started functioning properly and it was not possible for them to cater to urgent requirements of Bhakra-Nangal Project.	Excluded for a period of one year only with effect from 16th January 1954.
4	Posts mentioned in Annexure II in the Institutions of the Education Department at Chandigarh.	The enrolment in the Junior Basic Schools had exceeded all calculations and there was an emergent need for the appointment of the staff in the educational institutions at Chandigarh. Director of Public Instruction was, therefore, permitted to appoint the necessary staff without reference to the Subordinate Services Selection Board.	Excluded up to 31st January, 1954 only.
5	(i) Appointments to the posts of Senior Auditors on their passing the S.A.S. Examination held in accordance with the prescribed rules on the subject.	Under rule 7 of the Punjab Local Fund Audit Services Rules the appointments are made from among the candidates who pass the S.A.S. Examination and as such are well qualified to hold these posts. A reference to the Board was for their suitability was not, therefore, considered necessary.	

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No.	Designation of the post(s)	Reason for exclusion	REMARKS
1	2	3	4
5—contd	(ii) Appointments to the posts of Junior Auditors involving selection from among persons who have completed six years service and have passed the first part of S.A.S. Examination prescribed by the Auditor General of India or such equivalent departmental examination as may be prescribed by Government.	The appointments are made from among the candidates who pass the first part of S.A.S. Examination prescribed by the Auditor General of India or such equivalent Examination as may be prescribed by Government. As such they are well qualified for the posts and a reference to the Board for their suitability was not considered necessary.	
6	Posts in Annexure III in the Transport Department.	The holders of these posts are frequently awarded punishments on charges of misconduct, negligence of duties etc. resulting in suspension and termination of services. Their substitutes have to be appointed immediately to avoid dislocation of services and consequently loss of revenue to Government. It is not possible for the Subordinate Services Selection Board to recommend suitable candidates for (these technical posts for) immediate appointment. *Ad hoc* departmental Boards consisting of officers from the Headquarters and from Government Transport Services through whom recruitment will be made can meet without loss of time for the purpose of selection of suitable candidates.	
7	Posts of Junior and and Senior House Surgeons, Physicians, and Casualty Medical Officers in the Health Department	The tenure of these posts is six months only. The posts carry very meagre pay but are to be filled by Medical Graduates. If recruitment to these posts is made through the Subordinate Services Selection Board the work of the hospitals is bound to suffer by delay in recruitment which is likely to take place through the Board.	

Serial No.	Designation of the post s	Reason for exclusion	REMARKS
1	2	3	4
8	Overseers and Draftsmen under the Chief Engineer and Secretary to Government, Punjab, P.W.D., Irrigation Branch	The P.W.D. Irrigation Branch, were in urgent need of these posts which were required for a fixed period only. It was felt that the Board being new would take time to select suitable persons	Excluded up to 31st August, 1954.
9	Radio Operators in the Police Department	The Police Department had advertised the posts, and interviewed and selected the candidates prior to the constitution of the Board and only the formality of issuing the orders of appointment remained to be observed. The posts were required urgently to man posts at the Indo-Tibetan border	Excluded only in respect of vacancies that had occurred up to 15th October, 1953
10	Posts of S.A.S. Accountants and Upper Division Clerks in the office of the Chief Accounts Officer, Bhakra-Nangal Project.	The posts of S.A.S. Accountants and Upper Division Clerks are technical posts. The S.A.S. Accountants are selected as a result of a competitive test and the Upper Division Clerks are otherwise qualified and experienced in Accounts work. In view of the dearth of qualified and experienced Accounts personnel it was decided to exclude these posts from the purview of the Board.	Excluded only when the vacancies are filled by deputation from the offices of the Accountant-General, Punjab or the Controller of Defence Accounts.
11	Work-charged appointments in the Punjab Public Works Department and Capital Project Administration.	The work-charged staff is to be employed generally on time-scales of pay fixed by Government and the powers of granting any higher initial pay to the experienced and well-qualified hands are vested in the Chief Engineers . Moreover, the staff required for works is generally of a technical nature and the engineers incharge of works are decidedly in a better position to judge the suitability of candidates for any particular work and to keep the staff in position for such duration as is absolutely essential. Moreover, the recruitment made through the Board would also take considerable time and would cause delay and thus would not be in the interest of good workmanship and speedy execution of works and would also affect adversely the execution of big works.	

[Chief Parliamentary Secretary]

ANNEXURE I

Serial No.	Name of post	Number of posts lying vacant
	(Clerical)	
1	Junior Clerks including Meter Clerks and Cashiers ..	52
	(Technical)	
1	Line Superintendent, Grade I ..	6
2	Line Superintendent, Grade II ..	65
3	Technical Assistants ..	3
4	Head Mistries ..	4
5	Sub-Station Operator, Grade I ..	4
6	Sub-Station Operator, Grade II ..	47
7	Civil Overseer ..	12
8	Cable Jointer ..	11
9	Turbine Operator-cum-Switch Board Operator ..	1
10	Electrical and Mechanical Overseers ..	5
11	Meter Inspector ..	2
12	Load Convassors ..	5
13	Laboratory Assistants ..	2
	(Drawing Staff)	
1	Divisional Head Draftsman ..	2

ANNEXURE II

1. *Junior Model School—*

   One post of Senior Mistress in the grade of Rs. 70—5—150.

2. *Government High School (Boys)—*

   Two posts of Senior Masters in the grade of Rs. 90—5—150.

   Four posts of Junior Masters in the grade of Rs. 50—3—80/4—100.

3. *Government High School (Girls)—*

   One post of Senior Mistress in the grade of Rs. 70—5—150.

   One post of Junior Mistress in the grade of Rs. 50—3—80/4—100.

4. *Government Basic Primary School Nagla—*

   One post of Headmistress in the grade of Rs. 50—3—80/4—100.

5. *Government College—*

   One post of Librarian in the grade of Rs. 80—5—110/5—150.

ANNEXURE III

Serial No.	Designation of the post Operational staff	Scale of Pay.
1	Drivers ..	Rs. 80—4—120 plus usual Dearness Allowance
2	Station Wagon Drivers ..	Rs. 50—3—80 Ditto
3	Staff Car Drivers ..	Rs. 50—3—80 Ditto
	Technical Staff	
1	Mechanics ..	Rs. 75—5—150 plus usual Dearness Allowance
2	Instrument Mechanics ..	Rs. 75—5—150 Ditto
3	Machinists ..	Ditto Ditto
4	Borers ..	Ditto Ditto
5	Fitters ..	Rs. 60—4—80 plus 33 1/3 per cent temporary increase
6	Blacksmiths ..	Ditto Ditto
7	Welders ..	Ditto Ditto
8	Tyremen ..	Ditto Ditto
9	Tinsmiths ..	Ditto Ditto
10	Turners ..	Ditto Ditto
11	Carpenters ..	Ditto Ditto
12	Upholsterers ..	Ditto Ditto
13	Electricians ..	Ditto Ditto
14	Painters ..	Ditto Ditto
15	Radiator Repairers ..	Ditto Ditto
16	Bettery Attendants ..	Ditto Ditto
17	Vulcanizers ..	Ditto Ditto
18	Tyre and Tube Repairers ..	Ditto Ditto
19	Blacksmiths and Tinsmiths ..	Ditto Ditto

श्री देव राज सेठी : क्या प्रधान मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि क्या कोई सरकारी मैम्बर Subordinate Services Selection Board के साथ associate किया गया है ?

मुख्य मंत्री : जिस वक्त recruitment होती है उस वक्त जैसा कि Public Service Commission के मैम्बरों के साथ महकमे का representative मौजूद होता है उसी तरह Services Selection Board में भी महकमे का अफसर मौजूद होता है ।

ADVISERS IN THE SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD.

*3607. **Shri Rala Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any non-officials have been appointed as advisers to the Subordinate Services Selection Board; if so, the names of such advisers together with the departments for which they have been appointed ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : No non-officials have been appointed as advisers to the Subordinate Services Selection Board.

DEPARTMENTAL TESTS.

*3646. **Shri Teg Ram, M.L.A. :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the departments in which the Government has made it compulsory for Government Officers to pass departmental tests together with the categories of Officers for whom such test have been prescribed;

(b) the total number of Government Servants who appeared in the departmental tests in the various departments during the current year and the number of those who qualified therein ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The necessary information is being collected and will be supplied as soon as possible.

RAISING OF MEMORIALS AT CHANDIGARH .

*3757. **Shri Ram Kishan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to raise memorials at Chandigarh in the memory of known and unknown soldiers of the Country who laid their lives for the freedom of their Motherland ; if so, the details of the proposal together with the action, if any, taken by the Government in this connection ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Yes.

The Government have since decided that the memorial should consist of a suitable statue or some decorative work of that nature. The details of which are under consideration at present.

श्री राम किशन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि कब तक यह मामला under considration रहेगा और इस का फैसला होने की कब तक उम्मीद की जा सकती है ?

प्रधान मंत्री : मैं अर्ज करूंगा कि इस सिलसिले में जो Offices हैं उन से हम ने दरियाफ्त करना है और उन की राय लेनी है । हमारी तरफ से कोई देर होने की वजह नहीं । इस सिलसिले में स्कीम तैय्यार होने और उस के approve होने में कुदरती तौर पर कुछ वक्त लगेगा ।

श्री राम किशन : इस स्कीम को तैयार करने के लिये सरकार क्या steps ले रही है ?

मुख्य मंत्री : ऐसे memorials बनाने के लिये हम ने artists से दरखास्तें invite करनी हैं । इस के बाद जब दरखास्तें आयेंगी तो उन में से artists चुने जायेंगे ।

श्री राम किशन : क्या सरकार ने अभी तक इस सिलसले में कोई कदम उठाया है ।

Mr. Speaker : This question has already been answered.

श्री देवराज सेठी : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि इन memorials पर कितना रुपया खर्च किया जायेगा ?

मुख्य मंत्री : पांच लाख रुपये के लगभग इस काम के लिये खर्च हो जायेंगे । अगर इस तखमीने में थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो जाये तो गवर्नमैंट को कोई एतराज़ नहीं होगा ।

श्री बाबू दयाल : क्या सरकार ने कोई list तैयार कर ली है कि किन किन लोगों के memorials तैयार किये जायेंगे और वह किस पार्टी के होंगे ?

मुख्य मंत्री : मैं माननीय मैम्बर को बता दूं कि हमने किसी पार्टी के memorials तैय्यार नहीं करने न ही कोई पुरानी या नई पार्टी का सवाल है । बल्कि हमने उन तमाम लोगों के memorials बनाने हैं जिन के नाम का हमें अभी तक पता नहीं और जो ज़िन्दा भी नहीं हैं । उन की कुर्बानियों को श्रद्धा की निगाह से देखते हुए चाहे वह मर्द हों या औरतें जिन्होंने अपनी जवानी बरबाद करके देश की सेवा की उनके memorials बनाये जाने हैं बग़ैर किसी तमीज़ के कि वह किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ।

श्री बाबू दयाल : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जिन लोगों के memorials खड़े करने हैं उन के नामों की list गवर्नमैंट ने तैयार कर ली है ?

TRAVELLING ALLOWANCE DRAWN BY MEMBERS OF SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD.

***4001. Sardar Gopal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of Travelling Allowance drawn by each member of the Subordinate Services Selection Board, Punjab, since their appointment till the end of September, 1954 ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The required information is given below :—

Serial No.	*Name of Member*		*Amount of Travelling Allowance drawn since appointment till the end of September,* 1954		
			Rs		
1	Rao Bhim Singh, *Chairman*	..	3,593	15	0
2	Dr. Atma Singh, *Member*	..	2,785	2	0
3	Shri Ishar Das Pawar, *Member*	..	1,948	13	0

SCHEDULED CASTE EMPLOYEES IN DEPUTY COMMISSIONERS' OFFICES.

***4002. Sardar Gopal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of Scheduled Caste Employees in the Deputy Commissioners' Offices in each district of the State at present ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The required information is being collected and will be supplied to the member when ready.

POLICE ENCOUNTERS

***3608. Shri Rala Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of outlaws and dacoits killed in encounters with the police in the State since April, 1954, together with the number of police officers and constables injured or killed ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :—

(i) Outlaws	..	8
(ii) Dacoits	..	10
(iii) Police Officers and Constables	..	1 Head Constable (injured)

EXPENDITURE ON BORDER POLICE.

***3679. Sardar Partap Singh** (Ratta Khera) **:** Will the Chief Minister be pleased to state whether any conference, between the representatives of the Central and the Punjab Governments, was held in the year 1954 to consider the question of apportioning between the two Governments, the annual expenditure incurred by the Punjab Government on the maintenance of Border Police ; if so, the result thereof ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary)**:** A meeting between these representatives took place to consider the requirements of Armed Police at the Border but the matter is still under the consideration of the Government of India.

सरदार प्रताप सिंह (रत्ता खेड़ा) : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि पिछले सालों में इस किस्म की कोई कानफ्रेंस Central Government या Punjab State Government की हुई थी ?

मुख्य मंत्री : अगर माननीय मैम्बर इस बारे में अलहदा नौटिस दें तो यह इत्तलाह उन्हें दी जायेगी ।

PUNITIVE POLICE POSTS IN ROHTAK DISTRICT.

***3680. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of punitive police posts quartered in District Rohtak since 17th April, 1952 and the names of places where they were quartered together with the reasons therefor in each case ;

(b) the number of villages covered by posts referred to in part (a) above and the total amount of tax realised from each ;

(c) the general basis and the method in the assessment of punitive police tax ;

(d) the cases in which the tax was remitted and the reasons therefor ?

Shri Prabodh Cnandra (Chief Parliamentary Secretary) :—

(a) A statement marked 'A' is given below.

(b) A statement marked " B " is given below.

(c) The cost of punitive police posts is apportioned among the inhabitants, who are liable to pay the same, according to District Magistrate's judgment of their respective means. In these cases, the land holders are assessed in proportion to the land revenue paid by them and non-landholders according to their respective incomes. Exemptions are granted by the District Magistrates and Government in deserving cases.

(d) The tax was not remitted in the case of any one of these Punitive Police Posts

STATEMENT "A"

Total number of punitive police posts quartered in District Rohtak since 17th April, 1952	Name of places where quartered.	Period of location.	Reasons for location.
5	(1) Mobile Police Post with headquarters at Gohana and Rohtak For 62 villages ..	16th September, 1951 to 15th March, 1953.	The area comprising 62/18 villages of the Rohtak district was found to be in a disturbed state and the conduct of the inhabitants of the said area demanded an increase in the number of police.
	For 18 villages ..	16th March, 1953 to 15th June, 1954.	
	(2) (a) Khanpur Kalan for villages Khanpur Kalan, Inayat, Gamri, Kasandi and Kasanda.	1st January, 1951 to 30th June, 1952.	The area comprising villages Khanpur Kalan, Inayat, Gamri, Kasandi and Kasanda were found to be in a disturbed state and the conduct of the inhabitants of the said area demanded an increase in the number of the police.
	(b) for village Khanpur alone.	1st July, 1952 to 31st December, 1952.	
	(3) Kharkhoda for villaage Kharkhoda and Rohna.	1st January, 1952 to 31st December, 1952.	The area comprising villages Kharkhoda and Rohn was found to be in a disturbed state and the conduct of the inhabitants of the said area demanded an increase in the number of the police.
	(4) Asaudha for villages Asaudha and Ladrawan.	1st July, 1951 to 30 th June, 1952.	The area comprising villages Asaudha and Ladrawan was found to be in a disturbed state and the conduct of the inhabitants of the said area demanded an increase in the number of the police.

[Ch'ef Parliamentry Secretary]

Total number of punitive police posts quartered in District Rohtak since 17th April 1952.	Name of place where quartered.	Period of location.	Reasons for location.
	(5) Bidhana for villages Bidhana, Kakroi, Jharoti, Jharot, Bhatgaon, Tahar Khurd, Kheri Dahiya, Tihar Kalan, Roha, Kanwali, Sehri, Bidhlan and Khanda.	1st June, 1954 to 31st May, 1955.	The area comprising villages Bidhana, Kakroi, Jharoti, Jharot, Bhatgaon, Tahar Khurd, Kheri Dahiye, Tihar Kalan, Rohat, Kanwal, Sehri, Bidhlan and Khanda was found to be in a disturbed state and the conduct of the inhabitants of the said area demanded an increase in the number of the police.

STATEMENT "B"

List showing village-wise recovery of Punitive Police Tax so far made since 17th April 1952.

Name of Police Post.	Villages concerned.	Amount realised. Rs A P.
Mobile Police Post on 62/18 villages	1. Kanwali ..	610 0 0
	2. Kami ..	814 0 0
	3. Bohla ..	677 0 0
	4. Nena Tatarpur ..	644 0 0
	5. Rolad Latifpur ..	657 0 0
	6. Pinana ..	1,337 0 0
	7. Jharoti ..	441 0 0
	8. Jharot ..	481 0 0
	9. Bhatgaon ..	3,478 0 0
	10. Guhna ..	3,632 0 0
	11. Sunarikalan ..	1,870 0 0
	12. Dhamar ..	2,516 0 0
	13. Bahuakbarpur ..	4,948 0 0
	14. Totoli ..	3,314 0 0
	15. Jindran ..	604 0 0

STATEMENT "B"—CONTD

Name of Police Post.	Villages concerned.		Amount realised.		
			Rs	A.	P.
Mobile Police post on 62/18 villages—*contd*	16. Karontha	..	2,579	0	0
	17. Khidwali	..	6,567	0	0
	18. Makrauli Khurd	..	1,054	0	0
	19. Sanghi	..	5,247	5	0
	20. Paharawar	..	1,258	0	0
	21. Jassia	..	5,998	0	0
	22. Kiloi	..	9,325	0	0
	23. Dobh	..	1,508	0	0
	24. Chamarian	..	2,059	0	0
	25. Makrauli Kalan	..	4,310	0	0
	26. Bohar	..	6,367	0	0
	27. Bhalaut	..	5,107	0	0
	28. Baliana	..	4,192	0	0
	29. Kahrawar	..	4,919	0	0
	30. Dataur	..	2,355	0	0
	31. Kahnaur	..	4,694	11	9
	32. Kailanga	..	5,215	0	0
	33. Sudana	..	2,717	0	0
	34. Gharwal	..	4,009	6	0
	35. Chhapra	..	1,188	0	0
	36. Ahulana	..	3,338	2	6
	37. Baroda	..	7,275	0	0
	38. Gangana	..	5,892	7	6
	39. Jagsi	..	9,119	4	0
	40. Ahmadpur Majra	..	985	7	3
	41. Thaska	..	843	0	0
	42. Barota	..	3,302	0	0
	43. Joli	..	6,516	0	0
	44. Kheri Dhamkan	..	2,507	3	9
	45. Bidhal	..	2,033	0	0
	46. Katwal	..	3,068	0	0

[Chief Parliamentary Secretary]

Name of Police Post.	Village concerned.	Amount realised. Rs	A	P
Mobile Police post on 62/18 villages—*contd.*	47. Jasrana ..	2,218	1	0
	48. Bali Brahminan ..	2,047	0	0
	49. Bhainswal Kalan ..	5,725	0	0
	50. Rukhi ..	2,007	7	6
	51. Ghilaur Kalan ..	2,520	13	0
	52. Chhachhrana ..	3,435	8	3
	53. Chiri ..	5,200	13	3
	54. Indargarh ..	630	0	0
	55. Charaunthi ..	2,704	0	0
	56. Nandal ..	1,131	6	0
	57. Gorawar ..	3,394	0	0
	58. Lakhan Majra ..	3,234	0	0
	59. Bahlba ..	8,814	6	6
	60. Nidana ..	7,598	8	0
	61. Kharak Jatan ..	1,255	0	0
	62. Farmana ..	7,347	10	0
Khanpur Kalan ..	63. Khanpur Kalan .	8,329	0	3
	64. Inayat ..	1,178	0	0
	65. Kasanda ..	888	12	0
	66. Kasandi ..	1,636	0	0
	67. Gamri ..	2,175	0	0
Kharkhoda ..	68. Kharkhoda ..	3,551	2	0
	69. Rohna ..	5,008	0	0
Asaudha ..	70. Asaudha Todran ..	6,281	8	3
	71. Asaudha Siwan ..	2,905	8	3
	72. Ladrawan ..	3,882	15	6
Bidhana ..	73. Bidhana ..	..		
	74. Kakroi ..	..		
	75. Jharoti ..	..		
	76. Jharot ..	..		
	77. Bhatgaon ..	..		
	78. Tahar Khurd ..	..		
	79. Kheri Dahiya ..	..		
	80. Tihar Kalan ..	..		
	81. Rohat ..	..		
	82. Kanwali ..	..		
	83. Sehri ..	..		
	84. Bidhlan ..	..		
	85. Khanda ..	..		
	Total ..	2,46,671	7	6

पंडित श्री राम शर्मा : जवाब में केवल यही कहा गया है कि disturbed state of affairs के कारण चौकियां बिठाई गईं मगर यह नहीं बताया गया कि वहां पर किस किसम के जरायम किये गये थे जिन की वजह से ताज़ीरी चौकियां बिठाई गईं। क्या मुख्य मंत्री साहिब यह इत्तलाह दे सकते हैं ?

मुख्य मंत्री : Punitive Police Posts बिठाई ही तब जाती हैं जब यह देखा जाता है कि किसी जगह का वायुमंडल normal नहीं रहा या दूसरे शब्दों में जब जरायम normal हद से बढ़ जाते हैं। अगर मेम्बर साहिब details की जरूरत महसूस करते हैं तो वे भी दी जा सकती हैं। इस सिलसिले में मैं हाऊस को यह सूचना भी देना चाहता हूं कि Punitive Police लगाने का सारा तरीका सरकार के विचाराधीन है। हम इस सवाल पर भी विचार करना चाहते हैं कि punitive tax को उड़ा ही क्यों न दिया जाए क्योंकि हम महसूस करते हैं कि प्रायः यह टैक्स गांवों में रहने वाले गरीब लोगों पर नाकाबले बरदाश्त बोझ साबित होता है मगर फिर भी वे इस के खिलाफ़ ज़बान नहीं खोलते। हम चाहते हैं कि यदि इसे बिल्कुल उड़ाया नहीं जा सकता तो बहुत कम cases में इसे लगाया जाए और जहां तक संभव हो इस का असर उन्हीं लोगों पर पड़े जो वास्तव में इस के लगाए जाने के लिये ज़िम्मेदार हैं।

श्री बाबू दयाल : क्या इस मामले के जो कि सरकार के विचाराधीन है सम्बन्ध में किसी गांव के लोगों ने सरकार को कोई representation भेजी है ?

अध्यक्ष महोदय : इस supplementary का असली सवाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं।

PERSONS CHALLANED UNDER SECTION 302, INDIAN PENAL CODE.

*3690. **Sardar Partap Singh** (Ratta Khera): Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of persons awarded death sentence and thereafter executed in the State during the year from 1948 to 1953, respectively;

(b) the number of persons challaned by the Police under Section 302, Indian Penal Code and the number of those convicted during the period mentioned in part (a) above?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The information in respect of this question is being collected and will be supplied to the Member shortly.

POLICE EXCESSES AGAINST WORKERS AND PEASANTS OF VILLAGE RIPANA AND TAPA KHERA IN DISTRICT FEROZEPORE.

*3846. **Sardar Darshan Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state whether he has recently received any representation from an enquiry committee of Dihati Mazdoor Sabha regarding the police excesses against Agricultural Workers and Peasants of villages Ripana and Tapa Khera in District Ferozepore; if so, the action, if any, takenby the Government thereon?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (i) Yes.

(ii) The allegations made in the representation were enquired into by Gazetted Police Officers and were found to be false.

ENQUIRY AGAINST POLICE OFFICERS.

***3864. Professor Mota Singh Anandpuri** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government has issued any instructions to the District Authorities to institute judicial enquiries into the cases of police officers against whom charges of a serious nature are made;

(b) whether any representations have recently been received by the Deputy Commissioner, Jullundur, as Chairman of the Public Relations Committee, asking for a judicial enquiry to be instituted into the allegations made against police officers of police station Adampur, with particular reference to the murder cases in village Koopur, Mandar, and Nangal Salala of the said police station; if so, the action, if any, taken by the Government thereon?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) A copy of Rule 16.38 of the Punjab Police Rules, 1934, on the subject is appended.

(b) The required information is being collected and will be supplied to the member when ready.

Police Rule 16.38. (1) Immediate information shall be given to the District Magistrate of any complaint received by the Superintendent of Police, which indicates the commission by a police officer of a criminal offence in connection with his official relation with the public. The District Magistrate will decide whether the investigation of the complaint shall be conducted by a police officer, or made over to a selected magistrate having 1st class powers.

Criminal offences by Police officers and strictures by courts—procedure regarding.

(2) When investigation of such a complaint establishes a *prima facie* case a judicial prosecution shall normally follow; the matter shall be disposed of departmentally only if the District Magistrate so orders for reasons to be recorded. When it is decided to proceed departmentally the procedure prescribed in rule 16.24 shall be followed. An officer found guilty on a charge of the nature referred to in this rule shall ordinarily be dismissed.

(3) Ordinarily a magistrate before whom a complaint against a police officer is laid, proceeds at once with judicial enquiry. He is, however, required to report details of the case to the District Magistrate, who will forward a copy of this report to the Superintendent of Police. The District Magistrate himself will similarly send a report to the Superintendent of Police in cases of which he himself takes cognizance.

(4) The Local Government has prescribed the following supplementary procedure to be adopted in the case of complaints against police officers in those districts where abuses of the law with the object of victimising such officers or hampering investigation is rife. The District Magistrate will order that all petitions against police officers shall be presented to him personally. If he considers that these petitions are of a frivolous or factious nature, it is within his discretion to take no action on them. When he considers an enquiry to be necessary he will use his discretion whether to send the papers to the Superintendent of Police or to a magistrate for judicial enquiry.

In the case of formal criminal complaints, the District Magistrate will arrange for all cases to be transferred from other courts to his own.

(5) Orders have been issued by the Hon'ble Judges of the High Court making it obligatory on all civil and criminal courts, whenever they make strictures on the personal character or professional conduct of a police officer, to send a copy of the judgment to the executive authorities. In the case of the High Court itself the copies will be forwarded to the Local Government. In the case of all other courts (including Courts of Sessions). the copies will be sent by the judges and magistrates concerned to the District Magistrate.

(6) In cases in which strictures are passed on the conduct of the police by a Sessions Court or by a magistrate's court and no specific recommendation is made by the Court making such strictutres that an enquiry should be made, the District Magistrate will decide whether an investigation into the matter is necessary, and if so, whether it shall be conducted by a police officer or by a selected Magistrate having 1st class powers. If he decides that an investigation shall be made, the procedure subsequent to such investigation shall be that laid down in sub-rule (2) above. In cases in which the court passing strictures on the conduct of the police suggests that an enquiry should be made, the District Magistrate will comply with such request in accordance with the procedure prescribed in paragraphs (1) and (2) above.

When strictures on the conduct of the Police are made by the High Court and communicated to the Local Government direct in accordance with paragraph (5) above, the instructions of Government as to the action to be taken by the local authorities will be communicated to them through the ordinary channels. In cases in which the High Court suggests that an enquiry should be made the local Government will give orders accordingly.

(7) Rules 24.14 and 24.15 provide for reports of all serious charges against the police being communicated to the Local Government by a special report. In cases where such serious charges arise from strictures passed by criminal courts, the Superintendent of Police and the District Magistrate should communicate, either in the report itself or in a covering letter, the procedure which they propose to adopt and any information or notes in connection with the case which they consider should be brought to the notice of Government. Rule 24·15 provides the opportunity for Deputy Inspector-General and Commissioners similarly to communicate their comments to the local Government.

पंडित श्री राम शर्मा : इस का फैसला सरकार अन्दाज़न कब तक कर लेगी ?

मुख्य मंत्री : इस सवाल को examine किया जा रहा है। अगले सैशन से पहले ही में इस सिलसिले में कोई न कोई announcement करूंगा।

Professor Mota Singh Anandpuri : The literature supplied to the House regarding Police Manual Rule No. 16·48 Concerns this question of mine. May I ask the Chief Parliamentary Secretary to elucidate whether police. enquiry......

अध्यक्ष महोदय : आप ने कोई कानूनी राये लेनी है ?

Professor Mota Singh Anandpuri : इसी में लिखा है "In case of formal criminal complaints, the District Magistrate shall arrange for all cases to be transferred from courts of his own". What I want to know is this. What is meant by the words "formal Criminal Complaints". What is the significance of these words ?

अध्यक्ष महोदय : आप का सवाल साफ नहीं है।

Professor Mota Singh Anandpuri : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या District Magistrate को कहा गया है कि इन पुलिस अफसरों के खिलाफ judicial enquiry कराए ? अगर पोलिस अफसरों को ही उन के खिलाफ enquiry करने पर लगाया गया तो इनसाफ क्या होगा ?

चीफ़ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी : The District Magistrate will decide whether the investigation of the complaints shall be conducted by a police officer or made over to a selected Magistrate having first class powers. यह तो जवाब के पहले भाग में बताया जा चुका है।

ARMS LICENSES IN ROHTAK DISTRICT.

*3930. **Chaudhri Shri Chand**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the persons along with their full particulars whose arms licencs were cancelled in Rohtak District during the years 1953 and 1954, respectively together with the reasons therefor in each case;

(b) the number and names of persons to whom arm licences have been given in the said District during the period mentioned in part (a) above?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) (a) and (b) Government regret their inability to supply the information as the time and labour involved in its collection are, in their view, not commensurate with any possible public gain. However, any specific case needing Government's attention may be brought to its notice, when it will be duly looked into.

PANCHES AND SARPANCHES IN THE STATE.

*3678. **Sardar Partap Singh** (Ratta Khera): Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Panches and Sarpanches suspended, reinstated and dismissed separately in the State up to 1st August 1954;

(b) the number of vacancies of the Panches referred to in part (a) above filled by nomination and election, respectively?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The information is being collected and will be supplied to the member concerned when ready.

SUSPENSION OR REMOVAL OF PANCHES AND SARPANCHS.

*3929. **Chaudhri Sri Chand**: Will the Chief Minister be pleased to state the number of Panches and Sarpanches, suspended or removed in each District of the State during the current year together with the reasons therefor in each case?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The information is being collected and will be communicated to the member concerned when ready.

REVERSION OF EMPLOYEES FROM CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT TO THEIR PARENT OFFICES.

*3373. **Sardar Chanan Singh Dhut**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of employees of the Civil Supplies Department who having been on deputation from other departments have so far rejoined their parent offices together with the number of those who have rejoined the Civil Secretariat during the year 1953-54;

(b) the total number of employees at present on deputation in the Civil Secretariat along with the names of their parent offices;

(c) whether it is a fact that a number of employees on deputation in the Civil Secretariat were retrenched and not sent back to their parent offices, when the staff from the Civil Supplies Department was absorbed; if so, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary):
(a) First part 115
Second part 16.

(b) Twenty; particulars are given below.

(c) No.

List of officials who are on deputation to the Punjab Civil Secretariat from other departments.

Serial No.	Name	Designation	Parent office
1	Shri D. R. Talwar ..	Assistant	Public Relations Department.
2	Shri Mangal Singh ..	Do	Industries Department.
3	Shri Sardar Singh ..	Do	Electrical Inspector to Government, Punjab.
4	Shri Mohan Lal Tangri ..	Do	Public Health Department.
5	Shri Pritam Singh ..	Do	Director of Agriculture.
6	Shri Gurmukh Singh	Do	Irrigation Secretariat.
7	Shri Shanti Sarup Chadha ..	Do	Inspector-General of Police.
8	Shri Kuldip Chand ..	Do	Ditto
9	Shri Amar Nath Sikka ..	Do	Veterinary Department.
10	Shri Amar Nath Mohan ..	Do	Welfare Officer, Punjab.
11	Shri Jaswant Singh ..	Do	Punjab High Court.
12	Shri Kundan Singh	Do	Elections Department.
13	Shri Kartar Singh Vohra ..	Do	Health Department.
14	Shri Gurbachan Singh Kahlon	Senior Clerk	Forest Department.
15	Shri Didar Singh Gyani ..	Ditto	Irrigation Secretariat.
16	Ram Singh Bajwa ..	Ditto	Agriculture Department.
17	Shri Jagmohan Lal ..	Ditto	Forest Department.
18	Shri J. N. Kalia ..	Steno-typist	Ditto
19	Shri Hari Mittar ..	Stenographer	Agriculture Department.
20	Shri Davinder Singh ..	Librarian	Education Department.

EXPORT AND IMPORT OF FOODGRAINS BY THE GOVERNMENT.

*3787. **Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total quantity of wheat and other grains exported by the Government during the years 1949, 1950, 1951 and 1952 together with the rates at which exported;

(b) the total quantity of wheat and other grains imported by the Government together with the rate at which imported and the prices at which these were sold to the people during the period mentioned in part (a) above?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) and (b) A statement giving the requisite information is given below:—

(a) Name of food-grains exported	Year	Quantity (tons)	Rate at which exported	(Rate per maund) Rs A P
Wheat ..	1949	13,931	1st January 1949 to 3rd April 1949 ..	14 12 0
			4th April 1949 to 30th September 1949	15 6 0
			1st October 1949 to 30th November 1949	15 6 0
			1st December 1949 to 30th April 1950	15 4 0
	1950 ..	135,867	1st May 1950 to 30th September 1950	14 13 0
			1st October 1950 to 31st March 1951	14 15 0
	1951 ..	517	1st April 1951 to 31st May 1951 ..	14 15 6
			1st June 1951 to 30th June 1951 ..	15 0 0
			1st July 1951 to 31st January 1952 ..	14 12 0
	1952 ..	46,074	1st February 1952 to 15th April 1952	15 3 0
			16th April 1952 to 24th August 1952..	14 12 0
			25th August 1952 to 24th November 1952	14 12 0
			25th November 1952 to 11th March 1953	15 0 0
Gram ..	1949 ..	149,365	1st January 1949 to 7th August 1949	9 2 0
			8th August 1949 to 30th November 1949	9 7 0
			1st December 1949 to 31st December 1949 ..	10 4 0

(a) Name of food grains exported	Year	Quantity tons)	Rate at which exported	(Rate per maund)		
				Rs	A	P
Gram—*concld.*	1950 ..	21,621	1st January 1950 to 19th April 1950 ..	10	10	0
			20th April 1950 to 19th June 1950 ..	10	11	6
			20th June 1950 to 14th July 1950 ..	11	3	6
			15th July 1950 to 7th September 1950	11	0	0
			8th September 1950 to 31st March 1951	12	4	0
	1951-52	..	..	..		
Barley ..	1949 ..	7,295	1st January 1949 to 21st May 1949 ..	9	2	0
			22nd May 1949 to 30th November 1949	10	9	0
			1st December 1949 to 30th April 1950	10	7	0
	1950 ..	10,821	1st May 1950 to 21st July 1950 ..	9	14	0
			22nd July 1950 to 31st March 1951 ..	10	2	0
	1951 ..	330	1st April 1951 to 30th April 1951 ..	10	2	6
			1st May 1951 to 7th July 1952 ..	9	15	6
	1952 ..	4,340	8th July 1952 to 14th August 1952 ..	11	0	0
			15th August 1952 to 31st March 1953	10	14	0
Rice ..	1949 ..	4,050	(Superior) 1st January 1949 to 10th April 1949	35	0	0
			(Medium) Ditto	20	0	0
			(Basmati) and (Sela) 11th April 1949 to 14th December 1949	28	9	0
			(Parmal) Ditto ..	25	15	0
			Mongra Ditto ..	21	5	0
			Medium Ditto ..	19	0	0
			Kani and tota Ditto ..	14	6	0
			Basmati 15th December 1949 to 14th July 1950	28	7	0
			Parmal Ditto ..	25	13	0
			Mongra Ditto ..	21	3	0
			Medium Ditto ..	18	14	0
			Kani and tota Ditto ..	14	4	0

[Chief Parliamentary Secretary]

(a) Name of food-grains exported	Year	Quantity (tons)	Rate at which exported		(Rate per maund)		
					Rs	A	P
Rice—*concld*	1950 ..	52,859	Basmati	15th July 1950 to 31st March 1951	26	3	0
			Parmal	Ditto ..	24	3	0
			Mongra	Ditto ..	19	2	0
			Medium	Ditto ..	17	3	0
			Kani and tota	Ditto ..	12	13	0
	1951	46,027	Basmati	1st April 1951 to 20th October 1952	26	3	6
			Parmal	Ditto ..	24	3	0
			Mongra	Ditto ..	19	2	6
			Medium	Ditto ..	17	3	6
	1952 ..	41,790	Kani and tota	Ditto ..	12	13	6
			Basmati	21st October 1952 to 31st March 1953	24	0	0
			Parmal	Ditto ..	22	5	0
			Mongra	Ditto ..	17	8	0
			Medium	Ditto ..	18	7	0
			Kani and tota	Ditto ..	11	0	0
Maize ..	1949 ..	74	1st January 1949 to 24th November 1949		9	11	0
			25th November 1949 to 19th April 1950		9	9	0
	1950 ..	269	20th April 1950 to 31st March 1951 ..		9	10	6
	1951 ..	..	..		..		
	1952 ..	87	1st April 1951 to 31st March 1953 ..		12	0	0
Jowar ..	1949 ..	..	..		..		
	1950 ..	1,626	25th November 1949 to 19th April 1950		9	5	0
			20th April 1950 to 31st March 1951 ..		9	1	6
	1951 ..	..	..		..		
	1952 ..	..	..		..		
Bajra ..	1949 ..	5,563	1st January 1949 to 24th November 1949		9	13	6
			25th November 1949 to 19th April 1950		9	7	0
	1950 ..	..	..		..		
	1951 ..	..	..		..		
	1952 ..	..	..		..		

Name of foodgrains imported	Year	Quantity (tons)	Rate at which imported. Rates per maund	Issue rate rationed and non-rationed areas within the State
Wheat ..	1949 ..	70,528	1st January 1949 to 31st December 1949 Rs. 15-0-0	1st January 1949 to 4th April 1949, Rs. 14-12-0
				10th April 1949 to 31st July 1949, Rs. 15-1-6
				1st August 1949 to 30th July 1949, Rs. 15-4-6
				1st October 1949 to 30th November 1949, Rs. 15-5-6
				1st December 1949 to 31st December 1949, Rs. 15-1-6
Wheat ..	1951 ..	50,836 (Received against loan of 78,500 tons)	1st January 1951 to 8th July 1951 Rs. 16-6-0	1st January 1951 to 31st March 1951, Rs. 15-1-6
			9th July 1951 to 29th February 1952. Rs. 18-6-0	1st April 1951 to 30th April 1951, Rs. 15-2-0
				1st May 1951 to 30th June 1951, Rs. 14-15-6
				1st July 1951 to 31st January 1952, Rs. 14-11-6
	1952 ..	40,500	1st March 1952 to 28th February 1953 Rs. 18-8-0	1st February 1952 to 15th April 1952, Rs. 15-2-6
				16th April 1952 to 24th August 1952, Rs. 14-11-6
				25th August 1952 to 24th November 1952, Rs. 14-11-0
				25th November 1952 to 11th March 1953, Rs. 14-15-0

EJECTMENT OF SCHEDULED CASTE TENANTS.

***2436. Sardar Khem Singh**: Will the Minister for Development be pleased to state the number of tenants belonging to Scheduled Castes who were ejected from lands under their cultivation from 17th April 1952 till now together with the reasons for their ejectment?

Sardar Partap Singh Kairon : (1) One hundred and ninety seven during the period 17th April 1952 to 31st March, 1954.

(2) The main reasons were:—

(i) Non-payment of rent by tenants.

(ii) Desire of the landlords to oust the tenants in pursuance of the provisions in Sections 41 and 45 (5) and (6) of the Punjab Tenancy Act, 1887, and also because the landlords wanted to do self cultiation.

TRANSFERS OF LAND AFTER THE ENFORCEMENT OF THE PUNJAB SECURITY OF LAND TENURES ACT, 1953.

***2628. Shri Wadhawa Ram**: Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total area of land district-wise transferred by the landlords in the State by *bona fide* sale, mortgages or by acceleration of succession after the enforcement of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953;

(b) the total number of landlords district-wise who have made such transfers?

Sardar Partap Singh Kairon:

—	Total area of land transferred by the landlords in the State by *bona fide* sales, mortgages or by acceleration of succession after the enforcement of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953.	Total number of landlords who have made such transfer
	(a)	(b)
	Acres	
1. Hissar ..	51,234	3,138
2. Rohtak ..	2,824	571
3. Gurgaon ..	..	..
4. Karnal ..	17,083	1,084
5. Ambala ..	2,229	460
6. Simla ..	..	..
7. Kangra ..	1,562	876
8. Hoshiarpur ..	1,440	47
9. Jullundur ..	1,069	1,220
10. Ludhiana ..	1,869	63
11. Ferozepore ..	56,878	7,398
12. Amritsar ..	5,767	166
13. Gurdaspur ..	1,200	55
Total ..	143,185	15,078

PAYMFNT OF ARREARS OF RENT.

***2629. Shri Wadhawa Ram**: Will the Minister for Development be pleased to state:—

(a) the total number of cases, district-wise, in the State in connection with the payment of arrears of rent instituted by the landlords during the years 1952 and 1953;

(b) the total amount, district-wise, claimed by the landlords as arrears of rent during the years 1952 and 1953, respectively;

(c) the total number of tenants evicted, district-wise, for failing to pay arrears of rent during the years 1952 and 1953;

(d) the number of cases referred to in part (a) above decided, district-wise, in favour of the landlords and tenants, respectively, during the years 1952 and 1953?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

PAYMENT OF RENT TO THE LANDLORDS.

***2630. Shri Wadhawa Ram**: Will the Minister for Development be pleased to state whether he is aware of the fact that before the enforcement of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, the custom of giving or taking receipt for the payment of rent to the landlords was not prevalent in the State ; if so, the basis on which cases in conection with the payment of arrears of rent were settled?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) In some cases the receipts were given or obtained while in other cases these were not given or taken.

(b) Those cases in which the receipts were not given or taken were settled on the basis of the documentary or oral and other circumstantial evidence led by the parties under the Indian Evidence Act, 1872.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को किसी खास केस के बारे में पूछना चाहिये ।

पंडित श्री राम शर्मा : जब बज़ीर साहिब को इस बात का इल्म है कि पहले Tenants को रसीदें देने का रिवाज़ नहीं था तो क्या उन्हों ने अदालतों को इस बारे में हिदायतें जारी की हैं कि ऐसे मुकद्दमों में Tenants का ख्याल रखा जाए ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

CORRECTION OF GIRDAWARIS IN TEHSIL PATHANKOT.

***2808. Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether any Tehsildar was deputed in Pathankot Tehsil for the correction of Girdawaris during the year 1953; if so, the number of cases disposed of by him and the number of cases still pending;

(b) the number of cases in which decision was given in favour of landlords and tenants separately?

(a) Sardar Partap Singh Kiaron: (a) Yes.

Number of cases disposed of	Number of pending cases
77	..

(b)

Number of cases disposed of in favour of landlords	Number of cases disposed of in favour of tenants
59	18

EJECTMENT OF TENANTS IN VILLAGE MAUJGARH, DISCTRICT FFROZEPORE.

***3647. Shri Teg Ram**, Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of tenants ejected from Village Maujgarh, Police Station Khuyan Sarwar, Tehsil Fazilka, District Ferozepore, as on the 15th June 1954, together with the reasons therefor in each case;

(b) the total area of land in the State possessed by each one of those landlords whose tenants were ejected in the said village and the area of land reserved by them for self-cultivation?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) First part. None.

Second part . Does not arise.

(b) Does not arise.

SLATE STONE QUARRIES IN KANGRA DISTRICT.

***3681. Pandit Shri Ram Sharama**: Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the land-owners in Tehsil Kangra are agitating against the contractor firms of slate stone quarries;

(b) whether the land-owners have represented their case to the Government; if so, to what result;

(c) the names of such firms at present operating in Kangra District?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and it will be supplied to the Member when ready.

HORSE ALLOWANCE TO SUBORDINATE REVENUE OFFICIALS

***3682. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) Whether the Government have satisfied that the horse allowance granted to Subordinate Revenue Officials is properly deserved by them and that the horses are actually kept by those who get the said allowance;

(b) whether any complaint with regard to the fact mentioned in part (a) above was received by the Government; if so, the number of complaints together with the result of the enquiries, if any, made in this connection?

Sardar Partap Singh Kairon: Information is being collected and it will be supplied to the Member when ready.

TRANSFER OF VILLAGES OF TEHSIL TARN TARAN TO SUB-TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR.

***3695. Shri Mani Ram**: Will the Minister for Development be please to state—

(a) whether any villages of Tarn Taran Tehsil were transferred to Sub-Tehsil Patti in District Amritsar, during the period from 1st December 1948 to 1st March 1954; if so, their number together with their total population and the reasons therefor;

(b) whether the inhabitants of the villages referred to in part (a) above were consulted before the said transfer; if so, the procedure adopted by the Government in the matter for this purpose;

[Shri Mani Ram]

(c) whether any instructions were issued by the State Government during the period from 1st January 1954 to 31st July 1954 to the Amritsar District authorities to find out the views of the villagers referred to in part (a) above for retransferring them to their original Tehsil of Tarn Taran; if so, when;

(d) (i) the procedure, if any, adopted by the District authorities concerned to find out the views of the villagers concerned; (ii) the total number of persons who voted for and against their retransfer;

(e) whether any report has recently been received by the Government from the District authorities about this matter; if so, the details thereof together with the action, if any, taken by the Government in the matter?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

APPOINTMENT OF HARIJAN LAMBARDARS.

*3923. **Sardar Khem Singh**: Will the Minister for Development be pleased to state whether any decision has recently been arrived at by the Government to appoint Harijan Lambardars in the State; if so, the details thereof?

Sardar Partap Singh Kairon (i) First part. Yes.

(ii) Second part. Notwithstanding any requirements as to property or any hereditary considerations; where the population of Harijans or members of the Scheduled Castes as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published is 100 or more in an estate, there shall be appointed one additional headman belonging to the Scheduled Caste subject to the following conditions:—

(1) He shall be liable to removal if seriously embarassed by debt and for all other reasons except for reasons given in rules 16 (i) (b), (c) and (d) and 16(ii) (b) of these rules;

(2) He shall perform all duties prescribed in rule 20 of these Rules except those relating to the collection of Government dues and land revenue;

(3) He shall not be entitled to any remuneration in the form of pachotra, etc.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਣ ਸਿੰਘ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ? ਇਲਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਪਹਿਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ Election ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ Postpone ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ undue influence ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

श्रीमती सीता देवी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का इरादा किसी स्त्री को भी लम्बरदार बनाने का है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ!

श्रीमती सीता देवी : क्या वजीर साहिब कृपा करके बतायेंगे कि जिला जालंधर की एक तहसील से बहिन हरनाम कौर ने लम्बरदारी के लिये apply किया था और उन को मिली भी थी उस के केस का क्या फैसला किया है।

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਤੇ ਹੋਣਗੇ

श्री बाबू दयाल : क्या वज़ीर साहिब के इल्म में है कि जिला गुड़गांवां में नई मिसलें बन रही हैं।?

अध्यक्षमहोदय : यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

DAMAGE TO CROPS BY HAILSTORMS IN THE STATE.

***3438. Sardar Darshan Singh**: Will the Minister for Development be pleased to state whether he is aware of the fact that the crops were damaged in the State by hailstorm during the month of February, 1954; if so, the steps, if any, taken by the Government to give relief to those, who have suffered losses due to the said hailstorm?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and it will be supplied to Member as soon as possible.

DAMAGE TO CROPS BY LOCUSTS IN THE STATE.

***3901. Sardar Ajmer Singh**: Will the Minister for Development be pleased to state:—

(a) the total amount of loss caused to the crops in the State by the locusts recently;

[Sardar Ajmer Singh]

(b) The steps, if any, taken by the Government to make good the said loss of the Agriculturists concerned?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and it will be supplied to the Member when ready.

Sardar Ajmer Singh: Will the Government give compensation or grant to those Agriculturists whose crops have been damaged by the locusts?

Mr. Speaker. When the hon. Minister has not given a reply to the main question, how can the hon. Member put a supplementary question. The hon. Minister has said that the information is being collected and will be supplied to the hon. Member when ready.

DAMAGE TO PROPERTY AND CROPS BY FLOOD AND RAINS IN DISTRICT AMRITSAR.

***3907. Shrimati Dr. Parkash Kaur:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the extent of damage done to the property and crops separately by the recent floods in the River Ravi and Nala Saki in the area under the Police Station of Ramdas, District Amritsar;

(b) the extent of damage done to the property and crops by the recent rains in the area under the Ramdas and Majitha Police Stations, District Amritsar;

(c) the details of relief, if any, given or proposed to be given by the Government to the people who have suffered in the area mentioned in parts (a) and (b) above?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and it will be supplied to the Member as soon as possible.

DAMAGE TO CROPS DUE TO HAILSTORM IN DISTRICT AMRITSAR.

***3908. Shrimati Dr. Parkash Kaur :** Will the Minister for Development be pleased to state whether it has come to his notice that crops in the areas under the Ramdas and Majitha Police Stations of Amritsar District were heavily damaged by hailstorms during the first week of October 1954; if so, the extent of damage and the relief, if any, proposed to be given to the people who have thus suffered?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and it will be supplied to the Member as soon as possible.

COMPLAINTS AGAINST CONSOLIDATION WORK IN VILLAGE NAGOKE, DISTRICT AMRITSAR.

***3439. Sardar Darshan Singh:** Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government has received any application, dated the 28th July 1953, complaining against some irregularities in connection with the consolidation work in Village Nagoke, Police Station Vairowal, District Amritsar; if so, the details thereof and the action, if any, taken by Government in the matter?

Sardar Partap Singh Kairon: Unless the exact name of the applicant is given, it is not possible to trace out the application, dated the 28th July 1953, referred to. However, officers of the Consolidation Department visited Village Nagoke, heard all the appeals, objections and miscellaneous applications and decided them on merits. Government are generally satisfied with the consolidation of holdings work done there, but recently a few applications have come alleging certain things, enquiry is going to be made in these.

CONSOLIDATION WORK IN DISTRICT JULLUNDUR.

*3789. **Sardar Harkishan Singh Surjit**: Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of villages in District Jullundur where consolidation was completed and enforced and later rejected by the Government;

(b) the date on which the consolidation work started in Village Cheema Kalan, Police Station Nurmahal, District Jullundur, the date when it was completed and consolidated holdings given over to the land-owners concerned;

(c) whether it is a fact that the consolidation already in force in the village referred to in part (b) above has been cancelled; if so, the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) 6 villages.

(b) Consolidation work was started in Village Cheema Kalan on the 29th May 1951, and was completed on the 26th June 1953. The consolidated holdings were given to the land-owners concerned on the 26th June 1953.

(c) Yes. The consolidation proceedings had been vitiated by unlawful considerations.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ consolidation ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ irregularity ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ serious irregularity ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਗਲਤੀ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ]

ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ duly compensate ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਨੇ ਕੋਈ ਬੇ-ਕਾਨੂਨੀ ਜਾਂ irregularity ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ action ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ (ਤਾੜੀਆਂ)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ consolidation ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ complaints ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ, ਫਲਾਨੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਫਲਾਨੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰ ਜ਼ਰੂਰ action ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ [ਤਾੜੀਆਂ] ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ complaints ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ; ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ action ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ deputation ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸ enquiry ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ deputation ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੋ action ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ action ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੁਰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

पंडित श्री राम शर्मा : वह बताया गया है कि किसी irregularity के सामने आने पर गवर्नमैंण्ट कबज़ा देने के बाद भी regularise कर सकती है। क्या में जान सकता हूं कि किस बिना पर सरकार ऐसा action ले सकती है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਲਗ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾਂ process ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁਕਣਾ ਜਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि कितने गांव में कब्ज़ा बदला गया है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੈਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦਾ ਧੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ consolidation ਟੁਟ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

श्री राम किशन : क्या डिवैल्पमैंट मनिसटर साहिब बताएंगे कि चीमा गांव से जो बहुत भारी तादाद में अपना विरोध प्रकट करने के लिए इन्हें deputation मिले उन्होंने यह भी कहा था कि वहां पर कम्यूनिसटों ने उन पर भारी धक्का किया है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਤਾੜੀਆਂ)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: On a point of information Sir. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ information collect ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ questions answer ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ postponed ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Postponed.

मुख्य मंत्री : जनाब स्पीकर साहिब, मैं आप की इजाज़त से इस मामला पर एक दो अलफ़ाज़ अर्ज़ करना चाहता हूं। मैं बजाते खुद कई बार यह महसूस करता हूं कि हमें कई बार सवालात के जवाब में यह अर्ज़ करना पड़ता है कि इत्तलाह इकट्ठी की जा रही है और जब इकट्ठी हो जायेगी तो आप के पास पहुंचा दी जाएगी। दर असल बात यह होती है कि कई बार सवालात का नोटिस ही हमारे पास थोड़ी देर पहले आता है। इस में इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि हम इतने short notice पर जवाब तैयार कर सकें। आखिर जवाब के लिये information कई जगह से collect करनी पड़ती है। उन्हें मुख्तलिफ़ departments के पास भेजना पड़ता है और कई बार information जिलों से मंगवानी होती है। सवाल का नोटिस ही कई बार पांच या छः दिन पहले मिलता है।

अध्यक्ष महोदय: 15 दिन पहले।

मुख्य मंत्री : 15 दिन पहले असैम्बली सैक्रेटेरियेट में आता है यह ठीक है। फिर वहां पर उन्हें examine किया जाता है। कई बार सवाल ही ऐसे होते हैं जो गालिबन स्पीकर साहिब को खुद देखने और ठीक करने पड़ते हैं। इस तरह हरेक मैम्बर साहिब का सवाल पहले वहां जाता है और examine होता है। इस तरह एक दफ़तर से दूसरे दफ़तर तक जाते कुछ वक्त लग जाता है और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया उस के मुतअल्लिका information इकट्ठी करने पर वक्त लगाना लाज़मी है। लिहाज़ा हमें कई बार इस के लिये और ज़्यादा वक्त मांगने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी मैं हाऊस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस तरह का जवाब देने का यह मतलब नहीं कि अब इस का जवाब आप को मिलेगा ही नहीं। जब यह इत्तलाह इकट्ठी हो जाएगी तो आप के पास भेज दी जाएगी।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a point of of information, Sir. ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ session ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਚਾਰ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : On a point of Order Sir, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਲਉ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Secretariat ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह दरियाफत करना चाहता हूं कि क्या वह starred questions जिन का यहां जवाब नहीं दिया जाता बाद में unstarred बन जाते हैं।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੀ ਹਾਂ।

श्री देव राज सेठी : उन का जवाब बराए रास्त नहीं दिया जाता।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ : On a point of information, Sir. ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕ starred question unstarred treat ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ? ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰੂਲ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ !

अध्यक्ष महोदय : यह तबदीली Rules of Procedure and Conduct of Business in the Assembly के Rule No. 37 के मुताबिक की जाती है। माननीय मैंबर खुद उस रूल को पढ़ लें।

RESERVATION OF LAND FOR RELIGIOUS BUILDINGS.

***3924. Sardar Khem Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state whether any decision for the reservation of land for religious purposes, during the Consolidation Operations, has been made by the Government; if so, the details thereof?

Sardar Partap Singh Kairon: Yes. Instructions have been issued to all the Deputy Commissioners in the Punjab (except Simla) for the reservation of land for Gurdwaras, Temples and other prayer buildings including the Churches. Reservation of land for this purpose is an optional item and it is only to be done where the villagers feel the necessity for doing so. Area to be reserved for this purpose will be according to the local needs of the people.

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛੇ ਕੇਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਾਂ instructions ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਾਤਿਹਤ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਛੁੜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ instructions ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ scheduled castes ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸਾਈ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ churches ਲਈ consolidation ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾਂ ਛਡੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਗੇ ਹੀ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਛੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁੜਾ ਲੈਣਾਂ ਸਾਡੀ Constitution ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ public purposes ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੀਤੀ ਜਾਵੇ !

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ public purposes ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁੜਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਲਈ ਲੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ Constitution ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕੂਲ ਹੈ ਕਿ public purposes ਲਈ ਬਿਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੀਤੀ ਜਾਵੇ।

GRANTS OF TACCAVI LOANS FOR BULLOCKS IN TEHSIL GURGAON.

*3631. **Shri Babu Dayal**: Will the Minister for Development be pleased to state if any representation from the residents of Village Khandsa, Tehsil Gurgaon, making allegations against Taccavi Clerks regarding grant of taccavi for bullocks has been received by him; if so, the action, if any, taken thereon?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) Does not arise.

श्री बाबू दयाल : क्या मैं मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूं कि यह जो सवाल के दूसरे भाग के जवाब में उन्होंने बताया है कि हां तो उस पर क्या action लिया गया है।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਹਾਂ' ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਨਾਂ' ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ।

PURCHASE OF SPRINGS BY THE FISHERIES DEPARTMENT

*3894. **Shri Mam Chand** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether springs were recently purchased by the Fisheries Department from Messrs Jaggi Brothers, Ambala Cantt;

(b) the price per spring paid by the Department and the market price thereof at the time of the purchase ;

(c) whether any enquiry was conducted against any officers/officials in connection with the purchase mentioned in part (a) above; if so, the result thereof ?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes.

(b) Price charged by the firm in the bill was Rs 30 per spring balance whereas the market value thereof at the time of purchase was Rs. 4-2-0 to Rs. 5-12-0 each.

(c) Yes. Action against the persons at fault is under consideration.

COMMUNITY PROJECT AND NATIONAL EXTENSION SCHEME AREAS IN THE STATE

*3620. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Development be pleased to state whether there is any distinction between the status of a Community Project Area and a National Extension Scheme Area in the State *vis-a-vis* the amount of money sanctioned and the development work proposed to be done under each; if so, the basis on which the respective schemes are allotted to different areas?

Sardar Partap Singh Kairon: *Part I.* Yes. Under the revised pattern laid down by the Community Projects Administration a total expenditure of Rs. 15 lacs has been approved for each Community Project Block and Rs. 7·5 lacs for each N.E.S. Blocks. Each C.P. Block or National Extension Service Block comprises of 100 villages covering a population of about 66,000 people.

The following development works are undertaken in each of the National Extension Service and Community Project Schemes:—

National Extension Service.	*Community Project*
Local works including roads, culverts, public health, sanitation and drainage etc.	Agriculture and related matters, Irrigation, Communication, Education, Health, Supplementary Employment, Housing Training and Social Welfare.,
Social Education.	
Grant-in-Aid for Schools, Hospital and Local Institutions.	

Part II. The Development Blocks both under the National Extension-Service and Community Project Scheme are allotted with reference to backwardness of the area, consolidation of holdings and possibilities of immediate Development. The final decision is taken by the Cabinet on the basis of recommendations received from local officers. No new Community Project Blocks will be taken up. Only some of National Extension Service Blocks which showed good progress will be recommended for conversion into Community Project Blocks to Community Project Administration, Government of India.

CEMENT BELONGING TO BHAKRA DAM STORES TAKEN INTO CUSTODY BY THE POLICE

***3604. Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that two cement loaded trucks alleged to have been smuggled from Bhakra Dam Stores at Tohana or Hissar were taken into custody by the Police in May-June 1954; if so, the particulars thereof and the action, if any, taken by the Government in the matter;

(b) whether any enquiries were held about the total leakage of cement bags from Tohana Stores; if so, with what result;

(c) whether any special measures have been adopted by the Government for total prevention of such frequent leakages?

Chaudhri Lahri Singh: (a) Two trucks loaded with 110 bags of cement each were to carry cement from the stores of II Bhakra Main Line Circle to the west of the Tohana Railway Station to the stores of Tail Sub-Division of the III Division of 1st Bhakra Main Line Circle two miles to the east of Tohana Railway Station in the compound of the Tohana Rest House. Instead of depositing the cement in the proper godown the two drivers Sarvshri Sardara Singh and Ram Singh arranged by Shri Krishan Kumar Store-keeper of his own accord, against the instructions of the Overseer, took the trucks on a different route viz. Tohana-Narwana-Jind where they were caught by the Superintendent of Police, Sangrur, between Narwana and Jind at midnight between 25th May 1954 and 26th May 1954. The Superintendent of Police registered a case with the Station House Officer, Tohana. The case is still in the court.

(b) No other report of leakage of cement from stores at Tohana has been received; as such the question of making enquiries does not arise.

(c) Construction work being over the charge of stores at Tohana has now been given to an Overseer and the Storekeeper suspected of complicity in this case has been suspended. Instructions have also been issued to all the Superintending Engineers to adopt special measures for total prevention of such leakages.

श्री मनी राम : क्या मिनिसटर साहिब फरमायेंगे कि हिसार के जिले में जो सीमेंन्ट की ब्लैक का केस हुआ था उस केस के मुतअल्लिक यह कहा गया कि यह भूल जाना चाहिए कि यह ब्लैक हुई है ।)

Mr. Speaker : Disallowed.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ enquiry ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਸ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ enquiry ਭੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ?

मंत्री : जी हां enquiry कर रहे हैं। हम ने एक D.S.P., Executive Engineer और दूसरे अफसरों को इस काम पर लगाया है जो बाकायदा तौर पर तहकीकात करेंगे और पूरी enquiry होगी। महज़ departmental enquiry नहीं, यह बोर्ड independently और सच्ची enquiry करेगा।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ enquiry ਜਿਥੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਥੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इस केस में किसी ठेकेदार पर भी शुबा है ?

मंत्री : बात यह है कि किसी ठेकेदार का हाथ होना ज़रूरी नहीं। हां, अगर पुलिस को ज़रूरत हुई तो वह ज़रूर ठेकेदार के खिलाफ भी enquiry करेंगे।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਕ Executive Engineer ਨੂੰ ਭੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਕ undesirable ਗਲ ਨਹੀਂ ?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, आप की इजाज़त से, वज़ीर साहिब ने जिस बोर्ड का ज़िक्र किया है, मैं उस के मुतअल्लिक कुछ कहना चाहता हूं ताकि उस बारे में हाऊस को कोई गलती न लगे। हमने Superintending Engineer को मिला कर तीन मैम्बरों का एक बोर्ड बनाया है। Irrigation and Power Minister साहिब ने महसूस किया कि जो corruption है, इस का खात्मा करना चाहिये। चुनांचि इस सिलसिले में पुलिस को मदद देने के लिए एक बात की गई कि Executive engineer को उस बोर्ड का मैम्बर बना दिया गया है। अब यह enquiry महकमाना कार्यवाही न रह कर पुलिस के हाथों में चली जाएगी। Emphasis इसी बात पर है कि enquiry तो पुलिस करेगी और executive Engineer उन की मदद करेगा। Superintending Engineer वगैरा तो महकमाना कार्यवाही कर सकते हैं, बस इतनी ही उन की ताकत है, मगर जब केस उन के हाथ से निकल कर पुलिस के हाथ में आ जाए तो हर तरह से independent तौर पर enquiry होगी।

श्री रंजीत सिंह कैप्टन : क्या Irrigation Minister साहिब फरमायेंगे कि enquiry जो अब पुलिस के ज़रिये करवाने का यत्न वे कर रहे हैं, यह जुर्म की execution के मौके पर क्यों नहीं कारवाई गई ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

मंत्री : उस वक्त डा. गोपी चंद और कैप्टन रणजीत सिंह इन बातों के incharge थे। यह enquiry तो मौजूदा हकूमत ने करवाई है।

श्री देव राज आनन्द : क्या Storekeeper कृष्ण कुमार ने गवर्नमेंट के पास कोई इस किसम का representation दिया था कि वह सीमेंट के मामला से ताल्लुक रखने वाले दूसरे अफसरों की कली खोलना चाहता है ?

Mr. Speaker : Disallowed.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਨਿਰਵਾਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ enquiry board ਤੋਂ executive engineers ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

मुख्य मंत्री : इसी वजह से पहले मैंने चन्द लफज़ों में इस मामले के बारे बताने की कोशिश की थी ताकि किसी मैम्बर साहिब को कोई गलती न लगे। मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि जब तक यह enquiry Executive Engineer या Superintending Engineer के हाथों में रहती है तब तक तो यह महकमाना कार्यवाही रहती है मगर एक बार य उन के हाथों से निकल कर पुलिस के हाथों में गई कि महकमे का हर तरह का control खत्म हुआ और फिर Criminal Procedure Code के मुताबिक कार्यवाई होती है।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ discredit ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ procedure ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : Disallowed.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ suspend ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ enquiry ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

मुख्य मंत्री : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बारे में मैम्बर साहिबान की पूरी तसल्ली होनी चाहिये। अगर enquiry के नतीजा के तौर पर कोई आदमी कानून की ग्रिफ्त में आ गया तो ठीक है **मगर** बगैर enquiry के कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिये।

श्री देव राज सेठी : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या चार महीने से इस enquiry के न हो सकने के कोई खास कारण हैं ?

मंत्री : हम ने सारी powers Board को दे दी हैं। अब इस enquiry का फैसला court के decision पर depend करता है।

ANSWERS TO STARRED QUSTIONS
under rule 37

BREACHES IN ABOHAR BRANCH OF SIRHIND CANAL

***3648. Shri Teg Ram**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total number of breaches that occurred in the Abohar Branch of the Sirhind Canal during July, 1954, together with the names of places where the breaches occurred;

(b) the time taken by the authorities concerned to make regular supplies of water available after carrying out repairs to the said breaches;

(c) the causes of the occurrence of the said breaches in each case;

(d) the action, if any, taken by the canal authorities against persons responsible for causing the breaches together with the names of such persons?

Chaudhri Lahri Singh: (a) Only one breach occurred in the Abohar Branch of the Sirhind Canal during July, 1954 at R.D. 537,500 Right.

(b) Water-supplies were run in the canal after closing the breach within 58 hours.

(e) The breach occurred on account of sudden excess supply from above.

(d) According to the joint enquiry of the three Executive Engineers, Signaller Rania in the Ferozepore Division has been found responsible for unsatisfactory regulation at Rania on account of which excess passed down below. Signaller Rania does not stay at night at the regulation site for fear as a murder of a Signaller took place there in 1952. A police post was stationed there and the panic was removed. In spite of the vicinity having been declared by the Police free from lawlessness, the Signaller has not shifted to the regulation site.

Necessary action for this offence is being taken by the Executive Engineer, Ferozepore Division, after obtaining the explanation of the Signaller.

IRRIGATION WORK IN KANGRA DISTRICT.

***3652. Shri Kanhaya Lal Butail**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the names of new irrigation works constructed by Government in the Kangra, Palampur and Hamirpur Tehsils of Kangra District, since 1947, together with the amount spent on each of them;

(b) the additional cultivated area being irrigated by the new works;

(c) the names of places in the Kangra District where irrigation by Dam and Lift System has proved possible ?

Chaudhri Lahri Singh (a) No new irrigation works were constructed by Government in these tehsils. However, extension and improvements (Repairs) to the existing kuhls were carried out and the required information in respect of these is enclosed.

(b) Does not arise. The irrigation from these Kuhls is not booked or assessed by Irrigation Branch.

(c) Lift irrigation scheme for Nadaun Valley in Hamirpur Tehsil is under preparation. Three other lift irrigation schemes in Dehra Tehsil of Kangra District are also under consideration.

Statement showing works done since 1947 in Kangra District, Tehsil Palampur, Kangra and Hamirpur Tehsils.

Serial No.	Tehsil	Name of work New area benefited	Expenditure incurred		
			1951-52	1952-53	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Kangra ..	Ganjran Di Kuhl near Dharmsala ..	4,075	92	4,167
2	Do ..	Charan Di Kuhl near Nagrota	7,563	477	8,040
3	Do ..	Guddul Kuhls near Nagrota	4,294	..	4,294
4	Do ..	Danul Kuhl near Nagrota ..		Not available	
5	Do ..	Darul Kuhl of Village Phariar	10,433	1,330	11,763
6	Do ..	Repairing Kuhl of Village Matrar	9,503	1,014	10,517
					38,781
7	Palampur ..	Patnul Kuhl taking off from Neogal Khad	18,340	703	19,043
8	Do ..	Panditul and Di Kuhl ..	25,546	93	25,639
9	Do	Hatley Kuhl near Palampur	11,842	776	12,618
10	Do ..	Repairing Fatehchand Kuhl	4,007	957	4,964
11	Do ..	Sprul and Kathul Kuhl near Paror	4,541	..	4,541
12	Do ..	Repairing Kandral Kuhl ..	18,228	4,252	22,480
13	Do ..	Repairing Rai Di Kuhl ..	7,152	3,880	11,032
14	Do ..	Repairing Ghagrul Kuhl ..	1,548	2,912	4,460
			Total	..	1,04,777

No work has been done in Harmirpur Tehsil. Only one lift irrigation scheme (Nadaun Scheme) for this Tehsil is under proposal, for which necessary estimates are under preparation.

GAUGE READERS OF MAJITHA DIVISION, AMRITSAR

*3697. **Shri Mani Ram**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the gauge readers of Majitha Division in the Upper Bari Doab Canal Circle, Amritsar were entitled to any cycle or other coveyance allowance during the period from 1st April, 1950 to 31st July, 1952; if so, at what rate;

(b) whether the allowance referred to in part (a) above was paid to them up to 31st July, 1954; if so, on what dates, if not, the reasons for the delay in making the said payment?

Chaudhri Lahri Singh: (a) The Gauge Readers of Majitha Division were not paid any cycle allowance for the period 1st April 1950 to 29th February, 1952 as their duties did not warrant payment of such allowances.

(b) From March 1952 onward to-date two Gauge Readers of this Division, viz., Ranewali and Kathunangal are being paid cycle allowance regularly at Rs. 4-8-0 per mensem.

EXPENDITURE ON IRRIGATION NUH CIRCLE

*3706. **Maulvi Abdul Ghani Dar**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state the total expenditure incurred on irrigation in Nuh Circle during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September)?

Chaudhri Lahri Singh: Total expenditure incurred on irrigation works in Nuh Circle during the year 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September 1954) is Rs. 27,935, Rs. 69,133 and Rs. 12,265, respectively.

IMPOSITION OF TAX ON THE LAND-OWNERS OF VILLAGES MINHALA JAI SINGH AND THIH CHAHAL, DISTRICT AMRITSAR

*3727. **Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether any part of the cost of canalizing Kasur Nallah under Section 57 of the Northern India Canal and Drainage Act VIII of 1873 has been imposed on the land-owners of Village Minhala Jai Singh and Thih Chahal, Tehsil Patti, District Amritsar ; if so, the total amount imposed on each of these villages ?

Chaudhri Lahri Singh : No part of the cost of canalizing Kasur Nallah under Section 57 of the Northern India Canal and Drainage Act VIII of 1873 has been levied on the land-owners of Minhala Jai Singh and Thih Chahal, Tahsil Patti, District Amritsar, as yet. However, some recovery from the owners of land of these villages shall have to be made in regard to their small area which is on the right side of Kasur Branch Lower. This area is being worked out and the exact cost recoverable will be known thereafter. This area lies in the catchment of the Kasur Nallah, and rain run off from it will be drained off in Kasur Nallah.

DIVERSION OF RIVER SUTLEJ AT BHAKRA

***3788. Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the diversion of river Sutlej through the tunnels at Bhakra has been postponed ; if so, the reasons therefor ;

(b) The extent of delay and expense that the postponement referred to in part (a) above will cause in the completion of the said project ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes, from during January, 1954 to winter of 1954-55 due to the following reasons :—

(i) pumping in the river bed will be avoided for one year ;

(ii) the period during which there is risk of the coffer dams being overtopped will be reduced from 3 to 2 years ;

(iii) postponement of diversion will enable concentration on the stripping of the canyon walls ;

(iv) this postponement will enable full advantage being taken of the hydraulic slucing during the next 10 to 12 months. Steep abutments are ideal for efficient slucing and a sum of 10 to 12 lacs of rupees is expected to be saved by this method ;

(v) it will be possible to carry a substantial portion of the excavation at Lower levels and postponement will also facilitate excavation in the river bed.

(b) The postponement neither involves any additional expenditure nor causes any delay in the completion of the project.

LAND ACQUIRED FOR THE CONSTRUCTION OF CANAL IN JULLUNDUR TEHSIL

***3866. Professor Mota Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the area of land acquired for the construction of canal distributaries and minors in Jullundur Tehsil together with the field numbers ;

(b) the amount of compensation paid for the land and for the crops and the rates at which it was paid ;

(c) whether all the land-owners whose lands were acquired have been paid the compensation ; if not, the names of those who have so far not been paid any compensation ?

Chaudhri Lahri Singh : The answer to this Starred Assembly Question is not yet ready. The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

OUTLET OF VILLAGE GAMRI, DISTRICT ROHTAK

*3893. **Shri Mam Chand** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether an outlet of Village Gamri in Tehsil Gohana, District Rohtak has recently been split up and its commanded area divided; if so, the total commanded area on the said outlet before its splitting up as well as afterwards separately ;

(b) the reasons, if any, for splitting up the said outlet.

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes, the outlet of Village Gamri, Teh sil Gohana, District Rohtak was split up in April, 1954.

The total commanded area of the outlet was 706 acres before splitting. Now 304 acres have been transferred to the outlet about one mile below on Israna distributary.

(b) To improve irrigation as an area of 304 acres was not receiving irrigation being on the tail of the chak.

CANAL OUTLETS IN ROHTAK, DELHI AND HARIANA DIVISIONS

*3931. **Chaudhri Sri Chand** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the number of applications received by him for new Canal outlets in Rohtak, Delhi and Hariana Divisions separately during the years 1952, 1953 and 1954 together with the number sanctioned ;

(b) the area likely to be irrigated by each outlet referred to in part (a) above ;

(c) the total number of applications rejected in this connection during the period mentioned in part (a) above together with the reasons thereof in each case ?

Chaudhri Lahri Singh : The answer to this Assembly Question is not yet ready. The information is being collected and it will be supplied to the Member as soon as possible.

TUBE-WELLS IN DISTRICT LUDHIANA

*3900. **Sardar Ajmer Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the number of tube-wells originally proposed to be sunk in District Ludhiana under the T. C. A. Scheme together with the number sunk so far ;

(b) whether the number of tube-wells originally proposed to be sunk has been reduced ; if so, to what extent and the reasons therefor ;

(c) whether any tube-wells have started functioning; if not, the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Originally it was proposed to instal 140 tube-wells in Samrala area of Ludhiana District.

Ninety-six tube-wells have been drilled and developed so far in this area.

(b) Yes, the number of tube-wells has been reduced from 140 to 96 due to unsuitable geological conditions of the area.

(c) No. Electricity is not available in that area. These are to be energised by P.W.D., Electricity Branch who are constructing transmitting lines for these tube-wells.

AUDITORS FOR CO-OPERATIVE DEPARTMENTS IN THE STATE

***3895. Shri Mam Chand** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the names of the Auditors appointed to audit the accounts of Co-operative Institutions in the State ;

(b) the names of the auditors previously entrusted with the work mentioned in part (a) above ;

(c) the criterion adopted for making such appointments ?

Chaudhri Lahri Singh : The information is being collected and it will be supplied to the member concerned when ready.

CANCELLATION OF ALLOTMENT OF EVACUEE IMMOVABLE PROPERTY

***3603. Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the Government has issued any instructions to the District Rent Officers in the State to cancel the allotment of evacuee immovable property of such local persons (non-displaced) who possess other property ; if so, when ; and a copy of the said instructions be laid on the Table ;

(b) the action, if any, taken by the District Rent Officers in this connection in the various districts of the State.

Sardar Ujjal Singh : (a) Yes. Instructions to terminate the tenancies of evacuee immovable property of such local persons who possess their own property in the same town were issued,—*vide* letter No. 9/Cir/1831-43/Allot/Genl, dated 30th January 1954 (copy enclosed).

(b) Action taken by the District Rent Officers in this connection in the various districts of the State is enclosed.

ORDERS PASSED BY THE DIRECTOR, REHABILITATION DEPARTMENT-CUM-ADDITIONAL CUSTODIAN IN REVISION CASES BEFORE 22ND JULY 1952

*3696. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any instructions were issued by the State Government on or about 31st March 1954 under sections 26 and 27 of the Administration of Evacuee Property Act in pursuance of the orders of the Director, Rehabilitation Department-cum-Additional Custodian in revision cases passed before 22nd July 1952 ; if so, a copy thereof be laid on the Table ;

(b) whether any representations from certain allottees of Village Varnala, District Amritsar and other localities were received either by the Commissioner, Relief and Rehabilitation-cum-Custodian at Chandigarh or the Under-Secretary, Rehabilitation, Civil Secretariat, Jullundur between the period from 6th May 1954 to 8th May 1954 regarding compliance with the orders passed in their cases by the Director, Rehabilitation before 22nd July 1952; if so, their list together with full addresses and the action, if any, taken by the Government up to now in each case ?

Sardar Ujjal Singh : (a) Yes. A copy of the instructions issued by the State Government is given below.

(b) Yes. A representation was received from Shri Chanan Singh, Dogar Singh, sons of Bahal Singh of Village Varnala, Tehsil Patti, District Amritsar. The case is under consideration and necessary orders will issue shortly.

No. 123/L.R.C., dated 31st March 1954.

PUNJAB GOVERNMENT

DEPARTMENT OF REHABILITATION, JULLUNDUR

To

All the Deputy Commissioners in the State.

Subject. Amendment of sub-rule (6) of rule 14 of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1950.

Sir,

I am directed to refer to the correspondence resting with this Department letter No. 12192-204/S(Reh.), dated the 28th October 1953, on the subject cited above.

2. A copy of sub-rule (6) of rule 14 of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1950, amended up-to-date, is enclosed. It would be observed that as a result of the second proviso to the sub-rule, the orders passed by the Custodian, the Additional Custodian and the Authorized Deputy Custodian under section 26 and those passed by the Custodian- General, India, under section 27 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950, will have to be excluded from the operation of this sub-rule. These orders should now be implemented immediately. They, however, relate only to those cases where the lower authority passed orders on or before the 22nd July 1952, and against which a revision petition was filed with the competent authority within the prescribed time. In so far as these orders are concerned, the direction of the Government of India ; contained in their letter No. 14(105) Cus/48, dated the 14th May 1953, circulated to you with this Department letter No. 6663-75/S(Reh.), dated the 20th May 1953, should be deemed to have been withdrawn. This will also apply to the orders passed by the High Court or the Supreme Court.

3. It would be further observed that except in the circumstances specifically mentioned in the sub-rule, the Custodian officers are not competent to pass any order of cancellation of the rural evacuee property on the original side on or after the 22nd July 1952. They are also not competent to pass any order of cancellation under section 26 on a revision petition filed against an order of lower authority passed on or after the 22nd July 1952. This should please be noted for future guidance and strict compliance.

4. Sub-rule (6) however, provides for cancellation of quasi-permanent allotments made at any stage 'in accordance with any general or special order of the Central Government'.

5. This letter supersedes the instructions contained in the first paragraph of this Department letter No. 1826/L.R.C., dated the 18th December 1953, so far as it relates to 'implementation' of orders passed before the 22nd July 1952.

Please acknowledge receipt of this letter.

M. S. RANDHAWA,

Secretary to Government, Punjab,
Rehabilitation Department.

No. 124/L.R.C., dated the 31st March 1954.

COPIES forwarded for information to:—

(1) The Secretary to Government of India, Ministry of Rehabilitation, New Delhi, with reference to Shri Nakul Sen's D. O. No. 42(2)(9)/53-P., dated the 12th February 1954.

(2) The Commissioner, Ambala and Jullundur Divisions at Jullundur.

(3) The Under-Secretary to Government, Punjab, Rehabilitation Department, Camp Office, Chandigarh.

M. S. RANDHAWA,

Secretary to Government, Punjab,
Rehabilitation Department.

No. 125/L.R.C., dated 31st March 1954

A COPY is forwarded to the Director, Rehabilitation (R.), Pepsu, Patiala.

M. S. RANDHAWA,

Secretary to Government, Punjab,
Rehabilitation Department.

INSTRUCTIONS REGARDING ALLOTMENT OF LAND AT HEADQUARTERS

***3728. Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any instructions were issued by the Government during the year 1954 regarding the allotment of land at District Headquarters ;

(b) whether any allotments of the kind referred to in part (a) above have been made by the authorities at the Civil Secretariat, Jullundur; if so, the total number thereof ?

Sardar Ujjal Singh : (a) No. Instructions were issued that allotment work be suspended at District Headquarters from 30th April 1954 and surplus parcha claims sent to Civil Secretariat, Jullundur.

(b) No. The allotment work is scheduled to commence from 1st November 1954.

REMISSION IN LOANS DUE FROM DISPLACED PERSONS

*3729. **Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any amount of loans due from the urban displaced persons has been remitted by the Government ; if so, to what extent ;

(b) the total amount of the loan referred to above remitted up to 31st August 1954 together with the reasons for this general remission ;

(c) whether any Taccavi Loans due from the rural displaced persons have also been remitted ; if so, the total amount so remitted up to 31st August 1954 ;

(d) if the answer to part (c) above be in the negative, the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh : (a) Yes. Non-claimant dispalced persons who were granted Small Urban Loans up to Rs. 300 only have been allowed remission by the State Government at the instance of the Government of India.

(b) Loans to the extent of Rs 1,09,524-9-0 (Rs 1,01,179-3-6 as Principal and Rs. 8,345-5-6 as interest) have been remitted up to 31st August 1954.

(c) and (d) No. The matter is under the consideration of the Government of India.

DHARIWAL WOOLLEN MILLS

*3204. **Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Minister for Finance be pleased to state the total amount of profits earned by the Dhariwal Woollen Mills, Dhariwal, District Gurdaspur and the amount repatriated out of the State during the years 1950, 1951, 1952 and 1953, respectively ?

Sardar Ujjal Singh : There are no Dhariwal Woollen Mills, Dhariwal, in this State. The Member is presumably referring to "The New Egerton Woollen Mills, Dhariwal". This is not a separate entity but is a Branch of the British India Corporation, Limited, Kanpur. It has always been the policy of the Directors of this Corporation not to divulge to anybody the Branch Accounts as it was felt that by doing so it might affect their business dealings adversely. Following are net profits as shown by the audited Balance Sheet :—

		Rs	A.	P.
1950	..	46,39,008	6	8
1951	..	28,82,804	14	1
1952	..	28,49,400	4	2
1953	..	30,26,313	3	3

PUNJAB UNIVERSITY SYNDICATE

***3558. Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Minister for Education be pleased to state whether it is a fact that the Sub-Committee of the Punjab University Syndicate consisting of the Hon'ble Chief Justice and Vice-Chancellor of the Punjab University has recommended certain changes in the University Act ; if so, the details of the recommendations thus made and the action, if any, taken by the Government in the matter ?

Shri Jagat Narain : The required information is being obtained from the Punjab University, Solan and will be supplied to the member when ready.

TERMINATION OF SERVICES OF SHRI HAR PARKASH, COMMERCIAL TEACHER, GOVERNMENT HIGH SCHOOL, BAHADURGARH

***3623. Sardar Rajinder Singh Giani** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the services of Shri Har Parkash Ahluwalia, Commercial Teacher, Government High School, Bahadurgarh, District Rohtak were terminated under orders of the Divisional Inspector of Schools, Ambala Division, in August, 1953 ;

(b) whether any representation against the orders referred to in part (a) above was received ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Shri Jagat Narain : (a) The services of Shri Har Parkash, Officiating Clerical and Commercial Master, Government High School, Bahadurgarh, were terminated by the Director of Public Instruction, Punjab, with effect from the 6th of August 1953 afternoon, after he had been given the required notice of one month.

(b) Yes. Representations were received, but these were rejected.

APPOINTMENT OF SHRI SALAMAT RAI, A DISMISSED GOVERNMENT SERVANT

***3632. Shri Khushi Ram Gupta** : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) whether it is a fact that one Shri Salamat Rai, a dismissed Government servant was employed as Gasman in the Government College (now University College), Hoshiarpur;

(b) whether any complaint against his appointment was received; if so, the action taken thereon ?

Shri Jagat Narain : The information is being collected and will be supplied to the member when ready.

NATIONALISED TEXT-BOOKS

***3634. Shri Babu Dayal** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the nationalised text-books have been printed at the close of the academic year ;

[Shri Babu Dayal]

(b) whether he is also aware of the fact that the nationalised text-books are sold in the market at two times or three times their price due to their scarcity resulting from late printing ;

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the action, if any, Government proposes to take in the matter?

Shri Jagat Narain : (a) This is incorrect. Text-books with the exception of these for class VIII were ready for sale at the beginning of the current academic year. All books for class VIII have since been printed and are available in the market.

(b) No complaints to this effect have been received this year.

(c) Does not arise.

NEW SCHOOLS IN THE STATE

***3705. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of schools opened in each district of the State during the years 1952-53,1953-54 and 1954-55 (up to 1st September) together with the total yearly expenditure incurred thereon ;

(b) the total number of schools opened in Nuh Circle during the period mentioned in part (a) above and the total expenditure incurred thereon ?

Shri Jagat Narain : The information is being collected and will be supplied to the member, when ready.

SUPERANNUATED TEACHERS IN THE RECOGNISED SCHOOLS IN THE STATE

***3865. Professor Mota Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of superannuated teachers in recognised schools in the State, who were asked to retire during the year 1953-54, together with their respective ages ;

(b) the number and names of teachers referred to above (i) who have applied for extension and were duly recommended by their managing and medical authorities (ii) have not done so, but are still in service (iii) were rejected and (iv) were given extension together with reasons therefor ;

(c) whether there are any schools which have failed to abide by the conditions laid down in the Rules regarding superannuation ; if so, the action, if any, taken against them ?

Shri Jagat Narain : The information is being collected and will be supplied to the member, when ready.

DEATH OF ABNINDER SINGH, SON OF S. DALIP SINGH IN THE CIVIL HOSPITAL AMBALA

*3605. **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any enquiries were made by the Government into the causes of death of Abninder Singh, seven years old, son of S. Dalip Singh of Government High School, Shahabad, in the operation room of the Civil Hospital, Ambala City ; if so, result thereof ;

(b) the action, if any, taken as a result of the enquiries referred to in part (a) above ?

Shri Jagat Narain : (a) Yes. Government set up a special committee of inquiry consisting of Dr. Tulsi Das, Professor and a well-known specialist in diseases of Eye, Ear, Nose, throat, etc., and Dr. S. K. Bakshi, Assistant Professor of Anaesthesia, Medical College, Amritsar. They held an inquiry into the matter at the spot and heard all the parties concerned. They reported that neither the Civil Surgeon, Ambala, nor any member of his surgical team was guilty of negligence or administration of wrong anaesthesia to the patient, Abninder Singh ; that the treatment given to the patient was correct and justified under the circumstances of the case and that the death of the child was due to sudden heart failure which was most probably reflexogenic in nature, although all possible efforts were made to save life.

(b) Government carefully considered the above findings of the Inquiry Committee and agreed with them.

WATER-SUPPLY, ETC., IN THE URBAN AND RURAL AREAS OF THE STATE

*3758. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government has recently received any communication from the Union Government with regard to the water-supply and drainage works in the Urabn areas and water-supply and latrines in the rural areas of the State; if so, the details of the communication, together with the plan ; if any, prepared by the Government to implement it in the State ?

Shri Jagat Narain : Yes. Government have received communications from the Government of India with regard to National Water-supply and Sanitation Schemes. These are still under the consideration of Government.

MYSTRY DISEASE IN THE STATE

*3759. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Government has recently received any information about the existence of the "Mystry disease" among children in the State ; if so, the number of deaths that have so far taken place in the State as a result thereof ;

(b) the measures, if any, adopted by the Government to control this disease ?

Shri Jagat Narain : (a) Yes. The disease is known as Virus Encephalitis and 20 cases, of which 13 were fatal, have occurred so far in the Punjab State. No case of death has been reported after 1st October 1954.

(b) As soon as the information regarding the so-called "mysterious disease" was received, the same was circulated among all the District and Subordinate Medical Officers of this State. Wherever cases had occurred, immediate insecticidal action had been taken and in the case of Karnal where number of cases had occurred a special grant-in-aid had been given to the Municipal Committee, Karnal to take necessary precautions.

HOSPITALS, DISPENSARIES, ETC., IN THE STATE

*3892. **Sardar Bachan Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the total number of Hospitals, Dispensaries, maternity and child welfare centres existing in the State during the years 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 and 1954, respectively ;

(b) the total number of doctors, nurses, trained dais and health visitors registered in the State during the years mentioned in part (a) above together with the number amongst them of those employed in Government service ;

(c) the number of doctors, nurses, health visitors and dais, trained during each of the years referred to in part (a) above ?

Shri Jagat Narain : The required information is being collected and will be supplied to the member, when ready.

PASSENGER SHEDS AT BUS STANDS

*3633. **Shri Babu Dayal** : Will the Minister for Education be pleased to state whether he is aware of the fact that Transport Companies in the State have not constructed passenger-sheds at all the scheduled Bus stands ; if so, the action, if any, taken by the Government in this respect ?

Shri Jagat Narain : In view of the impending nationalisation of passenger transport and the formation of Corporation, the private operators are reluctant to invest any amount for the construction of passenger sheds.

GRANT OF ROUTE PERMITS TO MEMBERS OF SCHEDULED CASTE

*4003. **Sardar Gopal Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government has fixed any proportion in issuing route permits for the members of the Scheduled Castes in the State; if so, what ?

Shri Jagat Narain : Nineteen per cent of the total number of permits to be granted on new and katcha routes have been reserved for Scheduled Castes.

METALLED ROADS IN THE STATE

*3704. **Shri Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total number of metalled roads laid in the State during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September) together with the total mileage in each case and the expenditure incurred thereon ;

(b) the total number of roads laid in District Gurgaon during the period mentioned in part (a) above ;

(c) the total mileage of roads laid in Nuh Circle during the years mentioned in part (a) above and the total expenditure incurred thereon ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) The total number of roads metalled in the State is given below and a total expenditure of Rs. 128·26 lakhs was incurred thereon :—

Year		*No. of roads*	*Mileage*
1952-53	..	12	78·5
1953-54	..	10	31·0
1954-55	..	18	56·0

(b) The total number of roads taken up for metalling in Gurgaon District during 1952-53 and 1953-54 was nil and that in 1954-55 is 2.

(c) There is no Circle known as Nuh. However, the total No. of mileage laid in 1954-55 in Gurgaon District is 13.38 miles and expenditure incurred thereon is Rs. 1,96,622.

REPRESENTATION AGAINST CERTAIN MEMBERS OF THE MUNICIPAL COMMITTEE, HOSHIARPUR

***3533. Shri Mansa Ram Kuthiala** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the Government has recently received any representation from certain citizens of Hoshiarpur, to the effect that some members of the Municipal Committee, Hoshiarpur have committed some irregularities rendering them liable for removal from the membership of the said Committee ;

(b) whether any inquiry has been conducted by the Inspector, Local Bodies, Jullundur on the representation mentioned in part (a) above and whether any report in this regard has been submitted by him to the Government; if so, with what result ;

(c) a copy of the representation along with the report of the Inspector, thereon, may be laid on the Table ;

(d) whether any explanation was asked for from the member of the Committee referred to in part (a) above ; and the action, if any, taken in the matter ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Yes, against three members.

(b) Yes. No action was considered to be necessary against any of the said members by Government.

[Minister for Public Works]

(c) A copy of the representation is given below. It is not in public interest to disclose the contents of the report of the Inspector, Local Bodies.

(d) Yes. An explanation was called for from Shri Basant Lal, member, and after examining the same, papers have been filed under Government orders.

To

The Secretary to Government, Punjab,
Health and Local Government Departments,
Chandigarh.

Sir,

We the undersigned seek your leave to bring to your notice the following most glaring irregularities, mal-practices and wilful misuse of their position by a Junta of three Municipal Commissioners of Hoshiarpur Municipal Committee, namely Shri Salig Ram Prashar, Shri Basant Lal and S. Dilbagh Singh. We do hope that action required under Law will be taken in their cases.

Shri Salig Ram Prashar. A case of wilful *mis-appropriation.*

Shri Salig Ram Prashar was a member of the last Municipal Committee and has again been elected as Member of the Municipal Committee, Hoshiarpur. He brough out a Newspaper named "Patendra" and asked the Municipal Committee to subscribe for the same. The Committee in 1950 paid him, Rs 12 as annual subscription. The paper was so to say his personal propaganda bulletin, often it was hand-written and that also in contravention of the Press Act ; but the gravest thing about it is that the required copies of the paper were not supplied that year nor even in the following years, i.e., 1951, 1952 and 1953. In the meeting of the Municipal Committee held on the 5th January 1954 when pointed out by members Shri Salig Ram undertook to refund the amount but wanted the office to work out the amount outstanding and it was calculated to be Rs 6-6-0. Taking this case as a precedent another local paper "Naya Sansar" which was quite a short-lived enterprise also got Rs 32 from the Municipal Committee and on its ceasing publication some amount also stands against it. They have not refunded the amount so far. Thus whereas Shri Parashar has although avoided the refund he has set a most undemocratic precedent and hence requires to be dealt with suitably. As a matter of fact under the Election Rules he could not be allowed to stand in the elections as a member as he had municipal liabilities standing against him. His election to the Municipal Commit tee a such is also against the rules. Hence, it is void and such a person should be removed froms the membership of the committee forthwith.

Shri Basant Lal. Illegal encroachment on public land and construction of a building against Municipal Bye-laws. Also supplying cloth to the Municipal Committee and making *out profit from the Municipal Purchases.*

M/s Basant Lal-Narain Das, proprietor Himachal Cloth House, Chowk Pir Phulahi applied to the Municipal Committee for permission to construct a store in the second storey of their shop. They presented a plan for the same to the committee, but the actual construction is altogether beyond the plan and against permission as the sanction was given only for a store. But the construction is that of a residential quarter for which different bye-laws are laid down and thus the construction is against the Municipal bye-laws This he has done only because he happens to be a Municipal Commissioner and nobody can check him, whereas poor people are sacked only for a technical draw-back. In addition to the above he has constructed a huge "Thara" in front of his shop encroaching upon municipal land. There is an extra construction of a balcony sunshades and a pucca Thara which have not been shown in the plans while applying for permission. We are confident that the municipal committee will not take any action against him as even up to this date no formal report has been made about this by the office. The member can always be seen in office manoeuvering to conceal such like things. He threatens the office and makes them to purchase all their requirements from his shop. Very inferior stuff of warm cloth for uniforms of municipal employees has been supplied to the municipal committee at a very exorbitant rates. To add to all this he had not given his cash memo but gave a receipt in the name of one Pokhar Das, his real cousin, who in fact does not run any shop at Hoshiarpur. When the payment for the cloth had to be made the office wanted to establish his identity and then again he attested him and got the payment. In fact he

himself has signed as Pokhar Das This member, who wields influence with the office has played very clear tricks with the committee which might have brought heavy loss to the Municipal Fund A private searching enquiry if made shall bring to light a good many other things as we know this Pokhar Das never tendered for any supply and we have seen municipal employees making payments to him at his shop.

S. Dilbagh Singh. Holds an office of profit under *the Government.*

S. Dilbagh Singh Advocate, a Municipal Commissioner has been working as a Public Prosecutor at Hoshiarpur. He gets fixed monthly salary from the Government and as such he holds on office of profit under the Government. Under Election Rules he should not be allowed to carry on as a Municipal Commissioner. As a-matter of fact so long as he is a Municipal Commissioner he cannot be expected to be honest to his job. Even in a similar case one Shri Mukand Lal Sapra a member of Hoshiarpur District Board who was then a Public Prosecutor at Hoshiarpur was served with a notice by the Legal Remembrancer either to resign his membership or to relinquish his post and in the mean-while he was no longer Public Prosecutor therefore the question of his removal from the membership of the District Board was dropped.

Under the circumstances, S. Dilbagh Singh should not be allowed to be a member of the municipal committee.

In the end we feel sure that necessary steps will be taken into these matters by the Government.

Yours faithfully,

(i) JAGDISH CHANDER LAMBARDAR,
Hoshiarpur

(ii) MOTI RAM KUTHIALA,
Gita Nagar Hoshiarpur.

SUPERSESSION OF MUNICIPAL COMMITTEES

***3775. Shri Dharam Vir Vasisht** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the number and names of the Municipal Committees of all classes superseded by the Government up to 31st August, 1954, together with the dates of their supersession in each case ;

(b) the dates by which elections to these Municipalities are expected to be completed ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Six—

(1) Ludhiana	..	June, 1950.
(2) Jullundur	..	February, 1952.
(3) Khanna	..	April, 1952.
(4) Rohtak	..	July, 1952.
(5) Ballabgarh	..	January, 1953.
(6) Hodal	..	November, 1951.

(b) No formal time table has yet been framed, but every effort is being made to complete elections to superseded municipalities as soon as possible, after the delimitation of the wards has been finalized.

WATER-SUPPLY SCHEME FOR RUPAR TOWN

***3915. Sardar Rajinder Singh Gyani** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any Waterworks Scheme for Rupar Town is under the contemplation of the Municipal Committee, Rupar at present ;

(b) whether the Sanitary Board has promised to make a contribution to the said Municipality for this scheme ; if so, the amount thereof ;

(c) whether the Sanitary Board has paid any instalment of the contribution mentioned in part (b) above ; if so, the amount thereof ; and the date when the balance is likely to be paid ;

(d) whether the technical sanction was granted by the Government to the Rupar Municipality for the scheme mentioned in part (a) above; if so, when ;

(e) whether the Union Government has decided to contribute towards the Waterworks Schemes of the Local Bodies in the State ; if so, the percentage thereof;

(f) whether the Central Government has directed the State Government to contribute towards such schemes ; if so, to what extent and the time by which the Government intends to contribute its share to the Municipal Committee, Rupar ;

(g) the time by which the work in connection with the water-supply scheme at Rupar is likely to be completed ?

Shri Jagat Narain : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

HOLDING OF ELECTIONS TO DISTRICT BOARDS IN THE STATE

***3774. Shri Dharam Vir Vasisht** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the Government have decided to hold fresh elections to the District Boards in the State ; if so, the time by which these elections are expected to take place ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Government have constituted a Committee to review the set up of District Boards in all its aspects and to recommend a pattern of rural local government above the village level adapted to the needs of a welfare State, which we are endeavouring to establish in India and integrate it with Gram Panchayats, so that all the units of rural local government function effectively, efficiently and in harmony with each other. The question of holding elections to District Boards will be considered after Government have taken decisions on the recommendations of this Committee.

PROFESSION TAX

***3890. Sardar Bachan Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any changes have recently been made in the levy of Professional Tax in the State ; if so, the total annual increase in the said tax expected as a result thereof ;

(b) the total number of persons covered under the levy of the said tax before and after the change along with the number of Harijans amongst them ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) The State Government have recently revised the Model Profession Tax Schedule which would be adopted by the District Boards with effect from 1st April, 1955. No increase in the income of District Boards from the revised schedule is anticipated as with the increase in the rate of tax, the minimum taxable limit has been raised from Rs 300 to Rs. 400 per annum.

(b) As the revised Schedule will come into force with effect from 1st April, 1955, it is not possible to supply the required information at this stage.

PROFESSION TAX

***3891. Sardar Bachan Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total amount of arrears of the Professional Tax in the State district-wise during the years 1952, 1953 and 1954, respectively and the action, if any, taken by the Government to realise the same ;

(b) the number of persons; if any, prosecuted and punished for non-payment of Professional Tax during the period mentioned in part (a) above ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The required information is being collected and will be supplied to the member concerned when ready.

ACQUISITION OF LAND FOR CONSTRUCTION OF CAPITAL AT CHANDIGARH

***3618. Shri Ram Chandra Comrade**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total number of villages, along with the total area of land so far acquired by the Government for the construction of the Capital at Chandigarh;

(b) the total population ousted as a result of the said acquisition and the total amount of compensation paid to them together with the steps taken by the Government to rehabilitate the said oustees?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: (a) 8,525.51 acres of land have been requisitioned out of which 8,486.67 acres have so far been acquired in 25 (15 whole and 10 part) villages for the construction of New Capital at Chandigarh.

(b) The number of families ousted was 2,250 comprising total population of about 11,250. The total compensation paid to them amounted to Rs. 70,05,250, including the value of land given to them.

[Minister for Public Works]

The following steps have been taken by Government to rehabilitate the Capital oustees:—

(i) Land has been acquired in Rupar and Kharar Tehsils of Ambala District and allotted to the Capital oustees according to their own choice, in lieu of the land taken from them. An option was given to them to accept land for land or cash compensation.

(ii) Cash compensation for houses was given to oustees. Where houses in the villages of resettlement were made available to them the price thereof was adjusted against the cash compensation. In addition, the oustees were allowed to remove malba of their old houses free of cost for constructing their new houses.

(iii) The oustees who possessed houses of their own and could not be given houses in the villages of resettlement were given Abadi sites close to their newly allotted lands, for building their houses.

SALE OF PLOTS AT CHANDIGARH CAPITAL

***3619. Shri Ram Chandra Comrade**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total number of plots sold by the Government for (i) residential (ii) commercial and (iii) industrial purposes to the public at Chandigarh Capital up-to-date;

(b) the total number of buildings built by the owners of these plots up-to-date?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: (a) 6,920 residential plots 193 commerical and 68 industrial plots, as also 36 Government built shops at Chandigarh Capital have so far been sold to public.

(b) 22 residential houses, 142 commercial buildings (including 36 Government built shops sold to public) and 3 industrial Buildings have been constructed. In addition, 32 residential houses are under construction.

AUCTION OF FERRY BRIDGE AT DERA GOPIPUR, DISTRICT KANGRA

***3587. Shri Mansa Ram Kuthiala**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the amount for which the ferry on the river Beas at Dera Gopipur (District Kangra) was auctioned for the periods (i) 1st May, 1953 to 30th April, 1954 and (ii) 1st May, 1954 to 30th April, 1955;

(b) the schedule of rates fixed which the Contractor is competent to charge for persons, animals and different types of transport crossing the river over the bridge and/or by means of boats during the periods mentioned in part (a) above;

(c) whether there is any proposal under consideration for a reduction in the different rates referred to in part (b) above;

(d) whether any facilities or amenities have been provided by the Government or the contractor, which have been covered by the rates mentioned above?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: (a) The ferry on the river Beas at Dera Gopipur was auctioned in the year 1st May, 1953 to 30th April, 1954 for Rs. 19,400 and in the year 1st May, 1954 to 30th April, 1955 for Rs. 30,200.

(b) The Schedule of rates fixed for each year is given in the enclosed statement and the contractor is competent to charge these rates only.

(c) No, because the rates in the current year were increased so as to bring them at par with the rates that were being charged at other ferries run by the District Board on the same river.

(d) The schedule of rates is meant for crossing the river by ferry for which full facilities are provided by Government.

Schedule of Toll for Ferries in Kangra District in charge of the P.W.D., B. and R.

Serial No.	Description.	*Rates in force up to 31st March*, 1954.		*Rates in force from 1st April*, 1954.	
		Un-laden.	Laden.	Un-laden.	Laden.
		Rs. A. P.	Rs A. P.	Rs. A. P.	Rs. A. P.
1	Persons whether in a vehicle or on any animal or not other than children less than three years of age who are exempt ..	0 0 9	0 0 9	0 1 6	0 1 6
2	Buffalow, bull or bullock ..	0 1 6	0 3 0	0 3 0	0 6 0
3	Camel ..	0 6 0	0 12 0	0 12 0	1 8 0
4	Donkey ..	0 1 0	0 1 6	0 2 0	0 3 0
5	Horse or mule ..	0 1 6	0 3 0	0 3 0	0 6 0
6	Elephant ..	2 8 0	3 0 0	5 0 0	6 0 0
7	Sheep, Goat, Pig ..	0 0 6	0 0 6	0 1 0	0 1 0
8	Motor lorry ..	5 0 0	6 0 0	10 0 0	12 0 0
9	Car ..	4 0 0	5 0 0	8 0 0	10 0 0
10	Motor Cycle ..	0 8 0	1 0 0	1 0 0	2 0 0
11	Motor cycle with side car ..	1 0 0	2 0 0	2 0 0	4 0 0
12	Bicycle, tricycle or a treadle car..	0 1 0	0 2 0	0 2 0	0 4 0
13	Other Vehicles with two wheels including animals drawing the vehicles ..	2 0 0	3 0 0	4 0 0	6 0 0
14	Other Vehicles with four wheels	4 0 0	5 0 0	8 0 0	10 0 0

[Minister for Public Works]

Serial No.	Description.	Rate in force up to 31 March, 1954.		Rates in force from 1st April, 1954.	
		Un-laden.	Laden.	Un-laden.	Laden
15	Planquine, Dolly or Tejen ..	Free	0 8 0	Free	1 0 0
16	Corpses except corpses of children less than three years ..	0 1 0	..	0 2 0	..
17	Carcasses of Animals ..	Double the rates prescribed for living animals			
18	Goods when not carried as head loads or on an animal in vehicle	0 1 3 per md.	..	0 2 6 per md.	..
19	Bear ..	0 8 0	0 8 0	1 0 0	1 0 0
20	Monkey ..	0 1 0	0 1 0	0 2 0	0 2 0
21	Dog ..	0 1 0	0 1 0	0 2 0	0 2 0
22	Lion with cage ..	2 0 0	2 0 0	4 0 0	4 0 0
23	Leapord ..	1 8 0	1 8 0	3 0 0	3 0 0
24	Birds of all kinds with cage ..	0 0 6	0 0 6	0 1 0	0 1 0

ROYALTY PAID FOR THE REMOVAL OF STONES, ETC., FROM KHADS IN KANGRA DISTRICT

*3654. **Shri Kanhaya Lal Butail**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the stones, sand and bajri lying at present on the beds of various Khads and Nallahs in Kangra District are the property of the zamindars through whose village boundaries such khads etc., flow;

(b) the rate of royalty that is paid by the Government Contractor, Public Works Department and the Forest Department to the owners referred to in part (a) above for the removal of stones, etc., for Government purposes, together with the dates when these rates were fixed;

(c) whether there is any proposal under consideration of Government to enhance the rates mentioned in part (b) above;

(d) the amount of royalty paid to the Zamindars of Kangra, Palampur, Nurpur, Dehra and Hamirpur Tehsils during each of the years from 1949 to 1953 by (i) the P.W.D., (ii) the Forest Department and (iii) the District Board Engineering Department separately?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

OPIUM CONTRACTORS IN THE STATE

*3899. **Sardar Ajmer Singh**: Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of opium supplied by the Government for sale to the opium contractors in the State during each of the last four years;

(b) the total amount of money realised from the said contractors during each of the years mentioned in part (a) above;

(c) whether there are any arrears to be realised from the said contractors; if so, how much?

Chaudhri Sundar Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as received.

EMPLOYEE'S STATE INSURANCE SCHEME

*3590. **Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of workers covered at present by the Employee's State Insurance Scheme in the State;

(b) whether it is a fact that the families of employees insured under the said scheme have not yet been included in it; if so, the reasons therefor;

(c) the number of Panel Doctors so far appointed by the Government at Chheharta, Amritsar, under the said Scheme;

(d) whether the Government is aware of the demand for an increase in the number of Panel Doctors there, if so, the action if any, taken by the Government in the matter?

Chaudhri Sundar Singh: (a) About 32,000.

(b) Yes. The Act provides for medical care of insured persons only. The question of extending the medical benefits to the families of the insured persons is, however, under consideration of the Corporation and the State Government.

(c) Seven.

(d) Prior to 1st September, 1954, the total number of Panel Doctors at Chheharta was 4 but it has since been raised to 7.

INDUSTRIAL HOUSING SCHEME

*3591. **Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of houses/quarters built by the Government under the Industrial Housing Scheme in Islamabad, Amritsar;

(b) the date when the said houses/quarters were completed;

(c) the number of applications so far received from the workers for the allotment of such houses/quarters;

(d) whether the said houses/quarters have been allotted; if not, the reasons therefor;

(e) the estimated daily loss in rent being incurred for non-allotment of the said houses/quarters;

(f) the monthly rent for one-roomed tenements;

(g) whether the monthly rent is inclusive of Electric and water charges;

(h) whether there is any proposal under the consideration of Government for the construction of such houses/quarters at Chheharta, Amritsar; if so, the number proposed to be constructed and by what time?

Chaudhri Sundar Singh: (a) Two hundred

(b) Group No. I .. 9th November, 1953.
Group No. II and III .. 5th November, 1953

(c) Three hundred and seventy-two

(d) All have been allotted.

(e) Does not arise;

(f) Rs. 10.

(g) No. It is exclusive of Electric and Water Charges.

(h) Two hundred houses are proposed to be constructed at Chheharta and 100 at Amritsar. As sanction of the Government of India for the construction of these houses is still awaited it is not possible to state as to when these houses would be ready.

COMPLAINTS REGARDING DISMISSAL OF WORKERS OF T.I.T. AND PUNJAB CLOTH, MILLS, LTD., BHIWANI

*3991. **Shri Ram Kumar Bidhat**: Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of complaints of alleged wrongful dismissal of workers by T.I.T. and Punjab Cloth Mills, Ltd., Bhiwani, received by the Labour Commissioner or Labour Officer, Ambala during the months of July, August, September and October, 1954 separately;

(b) the total number of cases referred to in part (a) above in which the Labour Commissioner or the Labour Officer, Ambala took any

action; and the time taken by him in disposing of these cases referred to in part (a) above;

(c) the number of cases in which conciliation efforts failed and the number of cases which were referred to the Industrial Tribunal during the period referred to in part (a) above?

Chaudhri Sundar Singh: It is regretted that the answer to the question is not ready. The information is being collected and will be supplied as soon as it is ready.

LABOUR INSPECTOR, BHIWANI

***3992. Shri Ram Kumar Bidhat**: Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the date since when the post of Labour Inspector, Bhiwani is lying vacant and the probable date by which it is likely to be filled by Government;

(b) the arrangements, if any, that are in existence pending the vacancy referred to in part (a) above for attending to the complaints of the Industrial Workers of Bhiwani?

Chaudhri Sundar Singh: It is regretted that answer to the question is not ready. The information is being collected and will be supplied when ready.

AWARDS GIVEN BY INDUSTRIAL TRIBUNAL IN THE STATE

***3993. Shri Ram Kumar Bidhat**: Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of awards given by the Industrial Tribunal, Punjab, in industrial disputes during the months from May to October, 1954;

(b) the number of cases in which the awards of the said Tribunal were implemented by the employers during the period mentioned in part (a) above?

Chaudhri Sunder Singh: It is regretted that the answer to the question is not ready. The information is being collected and will be supplied as soon as it is ready.

Unstarred Questions and Answers

GRANT OF MEDICAL LEAVE TO REVENUE PATWARIS OF CIRCLE GUJJARPURA, DISTRICT AMRITSAR

619. Shri Mani Ram: Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) (i) whether any Revenue Patwaris of Circle Gujjarpura and other Revenue Patwar Circles in Tehsil Tarn Taran, District Amritsar were granted leave on medical grounds between 1st September, 1953 and 31st April, 1954 ; if so, their list;

[Shri Mani Ram]

(ii) the period of medical leave granted to each one of them;

(iii) the date on which each one of them resumed his duty after the expiry of medical leave;

(b) (i) whether during the period of leave any of the persons referred to in part (a) (i) above was entitled to get his salary; if so, the rates thereof;

(ii) whether they were paid their dues regularly during the period of leave together with the amount paid to each one of them and the dates of payment in each case; if not, the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) (i) Yes. The following revenue patwaris were granted leave on medical grounds—

1. Shri Hari Singh, Gujjarpura.
2. Shri Bishen Singh, Jathaul.
3. Shri Jaswant Singh, Lelhian.
4. Shri Inder Singh Kot Dharm Chand, Khurd.
5. Shri Sadhu Singh, Munda.
6. Shri Sant Singh, Nagoke.
7. Shri Churanji Lal, Usman.
8. Shri Nirwail Singh, Dhun.
9. Shri Hardip Singh, Deo.

(a) (ii)

1.	Shri Hari Singh	.. Medical leave refused from 29th September, 1953 to 4th April, 1954 (the date of resuming duty).
2.	Shri Bishan Singh	.. 6th September, 1953 to 6th December, 1953 leave on medical grounds granted.
3.	Shri Jaswant Singh	.. granted leave from 15th January, 1954 to 31st March, 1954
4.	Shri Inder Singh	.. granted leave from 20th October, 1953 to 22nd November, 1953.
5.	Shri Sadhu Singh	.. Leave from 18th March, 1954 to 26th June, 1954 refused.

6. Shri Sant Singh .. granted leave from 4th November, 1953 to 14th December, 1953.

7. Shri Churanji Lal .. granted leave from 10th December, 1953 to 12th February, 1954.

8. Shri Nirwail Singh .. granted leave from 1st September, 1953 to 30th September, 1953.

9. Shri Hardip Singh .. granted leave from 1st September, 1953 to 15th September 1953.

(a) (iii) 1. Shri Hari Singh resumed duty on 5th April, 1954.

2. Shri Bishen Singh resumed duty on 7th December, 1953.
3. Shri Jaswant Singh resumed duty on 1st June, 1954
4. Shri Inder Singh resumed duty on 23rd November, 1953.
5. Shri Sadhu Singh resumed duty on 27th June, 1954.
6. Shri Sant Singh resumed duty on 15th December, 1953.
7. Shri Churanji Lal resumed duty on 13th February, 1954.
8. Shri Nirwail Singh resumed duty on 1st October, 1953.
9. Shri Hardip Singh resumed duty on 16th September, 1953.

(b) (i) All except Shri Hari Singh, No. 1 and Shri Sadhu Singh at No. 5 in a (i). The rate of leave salary for No.2 was at Rs. 52-8-0 per mensem plus Rs. 40 per mensem as dearness allowance. For No. 7 it was at Rs 42-8-0 per mensem plus Rs. 30 per mensem as Dearness allowance. For others except No.1 and No.5 at Rs. 37-8-0 per mensem plus Rs. 30 per mensem as Dearness Allowance.

(ii) Yes except in cases where the leave was sanctioned late due to non-availability of service books or non-receipt of second medical opinion from the Civil Surgeon in doubtful cases. They were paid the following amounts on the dates noted against each:—

Serial No.	Name	Amount paid	Date of payment	Reasons for late payment or non-payment.
1	Shri Hari Singh ..	Nil	Nil	His unauthorised absence from 29th September, 1953 to 4th April, 1954 treated as extraordinary leave without pay. He applied for leave on false pretext of illness in order to get rid of consolidation of holdings operations. He himself appeared before the Settlement Officer (Consolidation of Holdings), Amritsar on 9th November, 1953 seeking his transfer to another circle when he was hale and hearty.

[Minister for Development]

Serial No.	Name.	Amount Paid.	Date of Payment.	Reasons for late Payment or non-Payment.
				Failing in his motive, he sent application for a further leave from home and evaded service of orders of resumption of duty till 4th April, 1954
2	Shri Bishan Singh	286 11 0	1st week of December, 1953 and January, 1954.	Regularly paid.
3	Shri Jaswant Singh	165 2 0	12th August, 1954.	The leave was sanctioned after obtaining second medical opinion from the Civil Surgeon on 11th May, 1954. Thereafter his absence period without leave from 1st April, 1954 to 31st May, 1954 remained under consideration, for which payment is being made shortly.
4	Shri Inder Singh ..	75 10 0	1st week of November and December, 1953.	Paid regularly.
5	Question does not arise			
6	Shri Sant Singh ..	91 4 0	18th February, 1954.	His leave case was decided in February, 1954 on the availability of service book.
7	Shri Churanji Lal	155 0 0	13th July, 1954.	His case could not be decided earlier for want of second medical opinion.
8	Shri Nirwal Singh..	67 8 0	18th December, 1953	For want of his service book the case could not be decided earlier.
9	Shri Hardip Singh	33 12 0	18th December, 1953.	Ditto.

POSTING OF REVENUE PATWARIS IN THE REVENUE PATWAR CIRCLE KHAWASPURA, DISTRICT AMRITSAR

620. Shri Mani Ram: Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether any revenue Patwaris were posted during the year 1952 in the Revenue Patwar Circle, Khawaspura, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar; if so, their list together with the period of posting in each case;

(b) the amount of salary and other allowances to which each one of them was entitled during the period of his posting;

(c) whether the arrears of pay and other allowances to which each one of them was entitled for the period referred to in part (a) above were paid to them up to 31st July, 1954, if not, the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes. Shri Hari Singh Patwari was posted during the year 1952 (1st January, 1952 to 31st December, 1952) in the Revenue Patwar Circle, Khawaspura, District Amritsar.

(b) He was entitled to salary and other allowances amounting to Rs. 761-7-0 during the period of his posting.

(c) Shri Hari Singh was paid Rs. 700-8-0 against, a claim of Rs. 761-7-0. He remained to be paid Rs 60-15-0 up to 31st July, 1954 on account of his arrears of pay and allowances for the period from 1st October, 1952 to, 31st October, 1952 during which he remained under suspension on account of his arrest in a criminal case. His arrears pay bill for the period in question has been sent to the Accountant-General, Punjab, for pre-audit. The amount will be paid to him as soon as the bill is pre-audited. It could not be done earlier because the service book of the official since partition was incomplete and his pay was revised with effect from 1st August, 1949, yet remained to be fixed by the Accountant-General, Punjab.

JULLUNDUR MODEL TOWN CANAL MINOR

621. Shri Mani Ram: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the alignment of Jullundur Model Town Canal Minor has been finally approved by the Government; if so, when;

(b) whether the Canal Minor referred to in part (a) above is to pass through the lands of Village Sabowal, Tehsil Jullundur; if so, the list of the Khasra numbers through which it is to pass ;

(c) the area of Village Sabowal which has so far been acquired or is proposed to be acquired from each allottee for the construction of the Canal Minor referred to in part (a) above;

(d) the nature of compensation sanctioned by the Government together with the mode of payment to the allottees of the area to be acquired?

Chaudhri Lahri Singh: The answer to this unstarred Assembly Question is not yet ready. The information is being collected and it will be supplied to the Member as soon as possible.

EMPLOYEES OF THE OMNIBUS SERVICE

622. Shri Mani Ram: Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the decision, if any, taken by the Government after consultation with the Central Public Works Department in the matter referred to in Starred Assembly Question No. 1442 published in the Assembly Debates, dated 21st March, 1950 ;

[Shri Mani Ram]

(b) a copy of the amendments, if any, made in the rules be laid on the Table;

(c) the details of concessions, if any, granted by the Government to the Work-charged Establishment as a result of the amendments mentioned in part (b) above?

Chaudhri Sunder Singh: (a) It has not yet been found possible to bring the employees working on Omnibus and other Transport Companies and work-charged establishment of the Public Works Department, under the coverage of the Punjab Trade Employees Act, 1940, and the Factories Act, 1948, except that the work-charged establishment employed in a Workshop run by the Public Works Department coming under the definition of a factory as defined in section 2(m) of the Factories, Act, 1948, is governed by the provisions of the Factories Act. The workers in these establishments are afforded all the facilities admissible to them under the provisions of this enactment. Government is, however, contemplating amendments to section 2-A of the Punjab Trade Employees Act, 1940, with a view to regulate the working conditions of the Transport employees under the provisions of this Act.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

REFUND OF COURT-FEES

626. Shri Mani Ram : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any procedure has been laid down by the Government to refund the court fee affixed on the applications made to the Officer-Incharge, copying branch, in the office of the Registrar, Land Claims Department of Rehabilitation, Civil Secretariat, Jullundur; if not, the reasons therefor;

(b) whether the amount of court fee affixed on the applications as the cost of the copies asked for is refundable when the copies are not made available under the rules?

Sardar Ujjal Singh: (a) No. Advance for supplying the copies is not recovered in court-fee stamps. In the Land Claims Organization, the advance is recovered in cash and when a copy is not supplied the amount is refunded to the applicant.

(b) As explained in part (a) above, no court-fee is affixed on the applications as the cost of the copies.

RULES UNDER THE CANAL AND DRAINAGE ACT

629. Shri Mani Ram: Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether any rules under Section 57 of the Northern India Canal and Drainage Act have been framed by the Government for the assessment and objections by the assessees of the tax referred to in the said Act; if so, a copy thereof be laid on the Table?

Chaudhri Lahri Singh: Rules under Sections 57, 59 and 60 of the Northern Indian Canal and Drainage Act, VIII of 1873, as amended by the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Act, 1953, have been framed by the Government for the assessment and recovery of drainage charges from the beneficiaries. A copy of these Rules is given below.

The objections as to the ownership of lands chargeable in respect of drainage charges will be invited and disposed of as per Rule 5.

The objections to amount of drainage charges shown in the Demand Statement, will be invited under Rule 14.

PUNJAB GAZETTE, PART I, GOVERNMENT OF THE PUNJAB STATE (I)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT, IRRIGATION BRANCH

NOTIFICATION

Dated, Simla the 2nd August, 1954.

No. **1120/CA/1446/53**. Rules issued under Sections 57, 59 and 60 of the Northern India Canal and Drainage Act, VIII of 1873, as amended by the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Act, 1953.

In exercise of the powers conferred by Section 75 of the Northern India Canal and Drainage Act, VIII of 1873, the Governor of the Punjab is pleased to make the following Rules.

1. *Mode of publication of drainage works scheme.* A scheme for drainage works, under Section 57 of the Act, shall be published in the Official Gazette together with an estimate of its cost and a statement of the proportion of such cost which the Government proposes to defray, and a schedule of the lands which it is proposed to make chargeable in respect of the scheme; and translations thereof in Hindi, Gurmukhi or Urdu shall be posted—

   (i) at the office of the Deputy Commissioner and Divisional Canal Officer;

   (ii) at conspicuous places in the locality affected by the scheme, such as Tehsils and Thanas, etc;

and shall also be published by beat of drum or in any other customary manner.

2. *Cost of the drainage works scheme.* The term "Cost" in Section 57 of the Act, shall be deemed to mean the total charges of construction of the drainage works scheme and shall include the cost of land, if any, acquired for the drainage works, departmental charges, and such interest charges as may be ordered by the Government in accordance with its financial rules.

3. *Calculation of drinage rate.* The portion of the cost to be recovered from the owners of lands benefited by the scheme, shall be worked out on the basis of the area served by the scheme in the following manner—

   (i) Total cost of the Scheme .. A

   (ii) Amount recoverable from the owners (Total cost of the Scheme less the portion that Government proposes to defray) .. B

   (iii) Total area that will be served by the Scheme .. C

   (iv) Rate per acre of the area served by the Scheme .. B/C = D

4. *Option of land-owner for mode of payment.* On publication of the Drainage Works Scheme, the Divisional Canal Officer shall publish in the villages affected thereby that the owners of lands chargeable in respect of the Scheme should intimate to him, through an application, in writing, within 15 days of the date of such publication, their opinion with regard to the manner of payment.

[Minister for Irrigation]

If no intimation regarding manner of payment or an objection under Rule 5 *infra* is received by the Divisional Canal Officer from any land-owner within the period prescribed, it shall be presumed that he proposed to contribute in cash.

5. *Diposal of objections as to the ownership of lands chargeable in respect of drainage charges.* Any aggrieved land-owner may present a petition, in writing, to the Divisional Canal Officer within 15 days of the date of the publication referred to in Rule 4, stating his objections. The Divisional Canal Officer shall after giving him an opportunity to support his objection and after such verification as may be necessary, either confirm, vary or cancel the assessment against him.

6. *Conditions for surrender of land in lieu of drainage charges.* Surrender of land by any land-owner in lieu of full or part payment of drainge charges shall be acceptable only if the area to be surrendered is free from all encumberances.

Where land is given by the owners, due credit for the cost of such lands will be given to the recoveries of drainage charges to be effected from the land-owners.

7. *Evaluation of land offered for surrender in lieu of drainage charges.* The value of the land surrendered in lieu of Drainage Charges will be based on the price paid in private transactions as given in sales mutations during the preceding 5 years.

The decision of the Divisional Canal Officer shall be subject to confirmation by the Superintending Canal Officer.

8. *Apportionment of dues among joint ownerships.* If any land on which charges are levied, is owned by more than one person, the Divisional Canal Officer, on receipt of an application from any one of the owners will distribute the charges amongst all owners according to their shares in the said lands as per Revenue Record.

9. *Conditions for offer of labour in lieu of drainage charges.* The offer of labour made by any land- owner in lieu of full or part payment of the charges shall be accepted if the labour is to be performed only by able bodied adult males between the age of 18 and 55 years

10. *The rate of labour offered by a land-owner.* The rate of labour, offered by a landowner in lieu of payment of drainage charges, will be the rate for the time being paid by Government in the neighbourhood for similar works, or as fixed by the Collector.

11. *Distribution of demand slips.* As soon as the demand statement in respect of drainage charges for any village are completed, the copies of demand slips meant for assessees will be sent to a Canal Patwari or a Civil Patwari through the Collector. The Patwari will deliver these to Lambardar concerned within 5 days of their receipt by him. The Lambardar will distribute them among assessees or failing them to their recognised agents or an adult male member of the family of an assessee within 5 days of receipt of these demand slips from Patwari. The acknowledgement of assessees for demand slips shall be submitted by Lambardars to Divisional Canal Officer under a registered post through Canal Zilladar concerned within 10 days of their receipt from Canal Patwari.

12. *Submission of Demand Statement to Tehsils.* One copy of the Demand Statement for each village shall be sent to the Tehsil concerned through the Collector for recovery. The Divisional Canal Officer may lay down if recovery is to be made in one or more instalments.

13. *Procedure of recoveries.* Any amount due from an assessee under a notice of Demand for Drainage charges shall on demand be payable to the Lambardar concerned. The procedure for recovery will be the same as followed in the case of recovery of land revenue and water rates.

14. *Objections by land-owners to amount shown in the demand statement and their disposal.* Any owner may present his objections against the amounts shown in the demand statement to the Divisional Canal Officer concerned, within 15 days of the date of receipt of the demand slip by him, or his agent, or any adult male member of his family.

S.L. MALHOTRA,
Secretary to Government, Punjab,
Public Works Department Irrigation Branch,
Simla.

REPRESENTATION FROM THE LAND-OWNERS OF VILLAGES KHALRA, RAJOKI AND DALL, DISTRICT AMRITSAR.

630. **Shri Mani Ram**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether any representation by the Sarpanches of the Gram Panchayat, and 100 other land-owners of Village Khalra, Tehsil Patti, District Amritsar regarding the levy of tax under Section 57 of the Northern India Canal and Drainage Act was received by him on 17th July, 1954 (under registered post);

(b) whether any representation by Sardar Sher Singh, Sarpanch and 100 other land-owners of Village Rajoki, Tehsil Patti, District Amritsar was received by him on 27th July, 1954 protesting against levy of the tax under section 57 of the Act referred to in part (a) above in connection with the cost of canalising the Kasur Nallah;

(c) whether any representation by Sardar Jawahar Singh and 60 others of Village Dall, Tehsil Patti, District Amritsar protesting against the levy of the tax under section 57 of the Act referred to part (a) above was received by him on 21st July, 1954;

(d) (i) if the replies to parts (a), (b) and (c) above be in the affirmative the grounds put forward in each case noted above for exemption from the levy of the said tax;

(ii) whether any enquiry as to the correctness of the grounds referred to in part (d) (i) above was made by the Government ; if so, with what results?

Chaudhri Lahri Singh: (a) No.

(b) and (c). Yes.

(d) (i) the grounds put forward are—

(a) that their villages are at the distance of 3 and 9 miles of Kasur Nallah.

(b) that their area is separated from Kasur Nallah by Baserke distributary.

(d) (ii) According to the rules framed under Sections 57, 59 and 60 of Northern India Canal and Drainage Act of 1873 as subsequently amended, the Divisional Canal Officer is the competent authority to deal with such matters to whom the objections have been forwarded for needful.

CANALISING OF KASUR NALLAH

631. **Shri Mani Ram**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state the conditions prescribed for an area to be included in the catchment area list referred to in Government notification published under section 57 of the Northern Indian Canal and Drainage Act in connection with the canalizing of the Kasur Nallah which passes through certain areas of Gurdaspur and Amritsar Districts?

Chaudhri Lahri Singh: The prescribed criterion for an area to be included in the catchment area of a drain is that the said area is drained off by the Kasur Nallah according to the line of the land.

OFFICERS IN DIFFERENT CATEGORIES OF SERVICE IN AMBALA DIVISION

633. **Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state the total number of officers of the following categories serving in the State and the number amongst them of non-refugees residents of Ambala Division separately:—

(i) I.C.S. and I.A.S; (ii) I.P.S; (iii) other all-India services; (iv) S.P.s and D.S.P.s; (v) other higher Provincial services (vi) Secretaries. to the Government; (vii) Additional Deputy, Under and Assistant Secretaries; (viii) Heads of Departments; (ix) Deputy Commissioners; (x) other Heads of District Administration; (xi) Tehsildars and (xii) Superintendents in different Offices?

Shri Bhim Sen Sachar: The time and labour involved in the collection of the information will not be commensurate with the result and the object to be achieved.

WATERLOGGED AREA ON BOTANA BRANCH CANAL, ROHTAK DIVISION

634. **Shri Samar Singh**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the details of the scheme for the drainage of water from the waterlogged area from Anta-ke-Kothi to Rana Kheri on both sides of the Botana Branch Canal, Rohtak Division;

(b) whether it is proposed to adopt the drain or the tube-well scheme;

(c) the date by which this scheme is likely to operate?

Chaudhri Lahri Singh: (a) No detailed scheme for the drainage of water from the waterlogged area from Anta-ke-Kothi to Rana Kheri on both sides of Botana Branch has so far been taken up.

(b) This area is included in exploratory Tube-wells for anti-waterlogging and work will be taken up in due course.

(c) No date as yet can be given.

DEVELOPMENT SCHEMES IN THE AREA OF PANIPAT

637. **Shri Samar Singh**: Will the Minister for Development be pleased to state the nature of development schemes proposed to be undertaken by the Government in that area of Panipat, which has been taken over under the community projects together with the amount of money proposed to be spent on each one of them and the total expenditure likely to be incurred thereon?

Sardar Partap Singh Kairon: The Schemes to be undertaken in the Panipat National Extension Service Block area are still to be formulated with the approval of the Block Advisory Committee which is still to be formed. That being so, the question of indicating the amount of money to be spent on each Scheme does not arise. However, an overall expenditure of Rs. 7.5 lacs (including Rs 4 lacs as loan) is to be incurred on this Block during three years of its continuance.

Mr. Speaker: The Question hour began at 2.20 p.m. and now it is 3.20 p.m. So the Question Hour is over and we proceed with the next item on the Order Paper.

ADJOURNMENT MOTIONS

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ adjournment motion ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ adjournment motion ਨੂੰ move ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker: The Adjournment Motion given notice of by Sardar Ajmer Singh, Thakore Balwant Singh, Pandit Shri Ram Sharma and Shri Babu Dyal relates to murders of certain persons alleged to be considered menace to law and order in Rohtak District. The matter is obviosuly *sub-judice* and involves a complaint against the actions of the police which in my opinion is a matter relating to the administration of ordinary law. The motion is also vague. Neither dates nor places of murders have been mentioned. There is nothing in the notice which might be of urgent public importance; therefore, this motion is ruled out of order.

Pandit Shri Ram Sharma: On a Point of order, Sir. मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मामला *sub-judice* नहीं है। इसलिये इस बिना पर Adjournment motion को. . . . . .

Mr. Speaker: No comments on my ruling please. Even if the case is not *subjudice*, other grounds are enough to rule it out of order.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ urgent public importance ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ opposition ਦੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰ walk out ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ adjournment motion ਨੂੰ rule out ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

(At this stage all the members of theo pposition staged a walk-out.)

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास दो Adjournment motions बाद में आई हैं। यह time limit के अन्दर नहीं इसलिये I disallow them.

---

1. Sardar Ajmer Singh, M.L.A.
2. Thakore Balwant Singh, M.L.A.
3. Pandit Sri Ram Sharma, M.L.A.
4. Shri Babu Dayal, M.L.A.

} To ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the criminal action of the Punjab Police in resorting to murders of certain persons considered to be menace to law and order as evidenced by the murders of Deepa, Dhara, Kheri and Anand in Rohtak District who have been falsely shown to be killed in encounter with the Police and also some such other cases in other districts.

RULING BY THE SPEAKER

QUESTIONING THE VALIDITY OF—

Mr. Speaker: Honourable Members, before we commence any further business I have to discharge my responsibility to you by bringing to your notice a matter in which one Member of this House addressed communications to Speakers of other Legislatures questioning the validity of the rulings of this Chair in regard to Adjournment Motions. It is only by doing so that I can vindicate the honour and authority of this House. You have to take great care to maintain and even to enhance the Speaker's prestige. If his prestige and authority have been jeopardised *your* prestige and authority have suffered.

Honourable Members, by electing me to this office you have been pleased to entrust me with responsibilities in particular those of maintaining the multitude of your powers and privileges. Reflections on the actions of the Speaker are breaches of your privileges, the protection and preservation of which are the fundamentals of parliamentary democracy which, in this country, we have all chosen to follow. Were it not so, the common endeavour in which we all are close partners would be frittered away, and the object of Article 194 of our Constitution which defines our privileges would be completely frustrated.

It is axiomatic that none of us can, in the enjoyment of his individual privileges, offend against the individual privileges of others or the privileges of the Speaker, or the privileges of the House except at the sacrifice of accepted

---

Members	Motion
1. Sardar Charan Singh, M.L.A. 2. Shri Wadhawa Ram, M.L.A. 3. Sardar Bachan Singh, M.L.A.	To ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the damage to crops done by floods, locusts, heavy rains, hailstorms and waterlogging throughout the State and specially in Amritsar, Hoshiarpur and Jullundur Districts and Fazilka, Muktsar, Ferozepore Tehsils in Ferozepore District and failure of the Government in not helping the people concerned.
1. Sardar Darshan Singh, M.L.A. 2. Shri Wadhawa Ram, M.L.A. 3. Sardar Chanan Singh Dhut, M.L.A. 4. Sardar Bachan Singh, M.L.A.	To ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the strike of the workers of Mehra Textile Mills, Amritsar, for the last two months and the failure of the State Government in solving the problem properly.

canons of Parliamentary practice and procedure. The dignity and prestige of the Legislature and of its Presiding Officer as its representative must not be violated, for of all organs of the State, the Legislature is entitled to the highest pre-eminence.

We are able to discharge the responsibilities entrusted to us by regulating our debate and deliberations in accordance with procedure as contained in our Rules and practice which is governed by precedents. The interpretation of procedure and precedents is the prerogative of the Presiding Officer; in our case, the Speaker and the rulings that he gives, constitute precedents by which subsequent Speakers, Members and Officers are guided. I might add here that these rulings are not open to challenge by any one, for if it were otherwise the whole process of debate would degenerate into either uncertainty or confusion.

With this elucidation of parliamentary law and conventions I have to peform the distressing duty of placing before you the matter of the communication addressed by an Honourable Member of this House, namely; Pt. Shri Ram Sharma, on the subject of adjournment motions, to the Speakers of the Lok Sabha and of Legislative Assemblies in other States in which among other things he had said—.

> " It would be interesting to find that not a single adjournment motion has been held in order by the Speaker of the Punjab Legislative Assembly since the present Assembly came into being.
>
> Whether any of the following motions can ordinarily be considered in order "

and he had appended a list of about a dozen notices of adjournment motions which he had given to me during two days of the May session of this year and which, you will find from the proceedings of the Assembly, had been disallowed by me on various grounds.

I cannot reconcile myself to a possible suggestion that so experienced a Member as Pandit Shri Ram Sharma is, would not have a clear idea of the law on the subject of adjournment motions. He should be aware of the potency of this constitutional weapon, and, on account of the consequences that might ensue from it, of the restrictions on the moving of such motions.

As is well known the subject matter of such a motion must be definite, must be urgent, must be of public, as distinct from individual importance must relate to a recent happening, must involve more than the ordinary administration of law, must not be anticipatory and so on. It is not obligatory on the Speaker to read out the notice of the motions, if he holds that it is not admissible he may even refuse the motions without assigning any reasons. Nevertheless, as a matter of courtesy I had been giving, at first a gist of each motion, later the whole motion itself and the reasons for which I held the motions inadmissible. That should have been the end of the matter.

The honourable Member, however, unconstitutionally resorted to communications to other Speakers and by the wording of his letter not only challenged the decisions of the Speaker but also brought my late predecessor Dr. Satyapal as well as myself into contempt by implying accusations against us of partiality in the discharge of our duties. Such conduct on the part

[Mr. Speaker]
of a Member has, in large numbers of cases arising in the House of Commons, been held as amounting to a breach of privilege. Such cases date back to 1772 but I shall confine myself to recent cases only, such as, Mr. Wedgwood and Mr. Ginnel, C.J. (1911) 34, 36 ; H.C. Deb. (1911) 21, CC. 1435, 1553; Mr. Pointer H.C. Deb. (1911), 29- C. 34; and the Daily Worker C.J (1937-38) 213.

Honourable Members, you are aware that our privileges, till they are defined by law, are the same as those of the British House of Commons and these cases, therefore, lay down the law in this connection in unmistakable terms.

The honourable Member could have discussed the action of the Speaker, if he had so desired, on a substantive motion moved in the House and not by a communication addressed to others.

Honourable Members, your prestige, your powers, your rights and your privileges have been challenged by an affront offered to your Speaker. This affront, I view, not merely with a great deal of disapproval but also with grave concern, specially because an experienced parliamentarian and old Member of this House has been responsible for it. His act of subjecting the Speaker's decisions to the scrutiny of an outside authority tentamounts to disrespect to the House and a challenge to our democratic institutions. Our democracy is yet in its infancy and any attempts to retard its growth have to be viewed with alarm and suitably checked. I, therefore, hold that the Member has committed contempt of the House by his effort to hamper and harass the Chair in the performance of its functions impartially and constitutionally. I am not, however, referring this matter to any committee for, I have the inherent right to take action in matters of this nature without any previous order of the House. Accordingly, I administer a strong warning to him.

ANNOUNCEMENTS.

Condolence Resolution

अध्यक्ष महोदय : आप को मालूम है कि पिछले दिनों श्रीनगर में Speakers' conference हुई थी। उस में मेरे predecessor डा. सत्य पाल जी की मृत्यु पर एक resolution पास किया गया था और conference के प्रधान जी ने मुझे उस resolution को हाऊस में पढ़ कर सुनाने के लिये कहा था। वह resolution यह है :—

"I am directed to inform you that the Conference of the Presiding Officers which met in Srinagar on the 14th June, 1954, adopted the following resolutions:—

"This conference mourns the loss of Dr. Satyapal and Shri H. Siddaiya, Speakers of the Punjab and Mysore Legislative Assemblies respectively and places on record its deep appreciation of the contributions that they made to the cause of parliamentary democracy".

The Presiding Officers stood for a while in silence as a mark of respect to the memory of the deceased.

I am also to request that the resolution of the Conference may be brought to the notice of your House".

Mr. Speaker: I have received the following application from Shri Jagat Ram Bhardwaj, M.L.A.:—

"It will pain you to know that even after 40 days' treatment at the Tata Hospital there is no appreciable improvement in my health. The condition is still serious. I will not therefore be able to attend the Session of Punjab Legislative Assembly beginning on the 1st November, 1954.

I, therefore, request that you will kindly grant me leave of absence for the duration of the Session".

Question is—

That permission asked for be granted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: I have received another application from Shri Harnam Singh Sethi, M.L.A.:

"I regret very much to inform you that owing to serious illness in the family, I am quite unable to move to attend the Session on 1st Novembr, 1954. I shall, however, try to reach as soon as there is some improvement and my absence from here would not matter.

Hoping you will be pleased to take my helplessness in view in the matter".

Question is—

That permission asked for be granted for the duration of the Autumn Session.

The motion was carried.

PANEL OF CHAIRMEN

Mr. Speaker: Under Rule 11(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I have nominated the following four Members as Members of the Panel of Chairmen:—

(1) Professor Sher Singh.

(2) Gyani Rajinder Singh.

(3) Shri Mool Chand Jain.

(4) Principal Iqbal Singh.

COMMITTEE ON PETITIONS

Mr. Speaker: Under Rule 177 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I have nominated the following Members as Members of the Committee on Petitions:—

(1) Chaudhri Sarup Singh, Deputy Speaker, Chairman.

(2) Professor Sher Singh.

(3) Shri Chuni Lal.

(4) Shri Lajpat Rai.

(5) Master Partap Singh.

PAPERS LAID ON THE TABLE.

Mr. Speaker: Now the Secretary will make an announcement.

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table a statement showing the Bills which were passed by the Punjab State Legislature during its Summer Session of 1954 and assented to by the Governor.

I also beg to lay on the Table of the House, a copy of the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill which has been returned by the Punjab Legislative Council with amendments. This Bills was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 21st May, 1954 and transmitted to the Council for its concurrence.

Minister for Development (Sardar Partap Singh Kairon): Sir, I beg to lay on the Table—

> Ordinance Nos 3—9 of 1954, promulgated since the propogation of the last Session of the Assembly, as required by clause 2(a) of Article 213 of the Constitution.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to lay on the Table of the House—

> the First Annual Report and Accounts of the Punjab Financial Corporation for the year ending 31st March, 1954.

PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY ESTIMATES (FIRST INSTALMENT), 1954-55.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (1st instalment), 1954-55.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE ON ESTIMATES.

Sardar Hari Singh: Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (1st instalment), 1954-55.

PRESENTATION OF EXCESS DEMANDS.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to present the Excess Demands.

THE PUNJAB MERGED STATES (LAWS) AMENDMENT BILL, 1954.

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar): Sir, I beg to introduce the Punjab Merged States (Laws) (Amendment) Bill.

Chief Minister: Sir, I beg to move—

> That the Punjab Merged States (Laws) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब ! House को याद होगा कि यह जो लुहारू, दुजाना और पटौदी की States थीं वह बाद में रोहतक, गुड़गांव और हिसार के ज़िलों में शामिल हो गईं। जब शामिल हुईं तो जो क्वानीन इन ज़िलों में जारी थे उन को इन पर लागू कर दिया गया। 1950 में मुखतलिफ़ मरहलों से गुज़रते हुए एक Act बन गया जिस

के ज़रिये जो क्वानीन पंजाब के और Centre के पंजाब में लागू थे वे इन पर लागू कर दिये गये। चंद एक Acts ऐसे हैं जो कि लागू होने चाहियें थे और जो उस वक्त लागू न किये गये थे। जब यह मामला फिर देखने में आया तो उस वक्त यह महसूस किया गया कि बाज़ ऐसे और Acts हैं जो इन पर लागू होने चाहियें। तो उन क्वानीन को लागू करने के लिये यह बिल आप की खिदमत में पेश किया जा रहा है। जो क्वानीन लागू होने हैं वे दो Schedules में ज़ाहिर होते हैं और इनका ज़िक्र इस बिल में किया गया है चूंकि इस बिल की तह में कोई मुतनाज़ा चीज़ नहीं। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूं कि House इस बिल को कबूल करे।

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the Punjab Merged States (Laws) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

> That the Punjab Merged States (Laws) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker: Question is—

> That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker: Question is—

> That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is—

> That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is—

> That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister: Sir, I beg to move—

That the Punjab Merged States (Laws) (Amendment) Bill, 1954 be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Merged States (Laws) (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Merged States (Laws) (Amendment) Bill, 1954 be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB CO-OPERTIVE SOCIEITES BILL, 1954.

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh): Sir, I beg to present the Report of the Joint Select Committee on the Punjab Co-operative Societies Bill.

Minister for Irrigation: Sir, I beg to move—

That the Punjab Co-operative Societies Bill as reported on by the Joint Select Committee be taken into consideration.

साहिबे सदर ! Co-operative Societies Act 1912 में पास किया गया था। इन 42 साल के अन्दर मुल्क में और co-operative societies के work में बहुत बड़ी तबदीलियां आईं। नतीजा यह हुआ कि इस Act की provisions बजाए मदद के मुश्किलें पैदा करने लगीं। आज़ादी आने के बाद खासकर जब से Five-Year Plan जारी हुआ है co-operative work पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। इस plan के मुताबिक करोड़ों रुपया खांड की मिलों और दूसरी Factories पर खर्च होना है और Co-operative Societies की मारफ़त होना है। इन बातों के कारण भारत के अन्दर जितने सूबे हैं उन्होंने अपने Acts को तबदील कर दिया है। यह हमारा सूबा है जहां अब तक कोई amendment न आई थी। अब हम amendment ही नहीं बल्कि नये हालात के मुताबिक एक नया Act ला रहे हैं।

श्रीमान् जी ! अब पहले की निसबत हालात बहुत बदल गये हैं। पहले Societies का इतना बड़ा सरमाया न होता था और बहुत थोड़ी रकम के लिये कोई आदमी share-holder हो सकता था। अब तो Societies का पचास पचास लाख, करोड़ करोड़ रुपया सरमाया होता है। अब गवर्नमेंट को भी share-holder होना पड़ता है क्योंकि Reserve Bank इतने तक मदद नहीं देता जब तक गवर्नमेंट हिस्से न ले। प्रोविंशल बैंक के बारे यही बात हुई। उन्हें Reserve Bank मदद देने से कासिर था इस लिये कि सरकार के हिस्से कम थे। Reserve Bank ने कहा कि गवर्नमेंट हिस्से खरीदे तो इमदाद दी जा सकती है। इस लिये इन हालात में सरकार ने 16 लाख के हिस्से खरीदे हैं। Reserve Bank गवर्नमेंट के share-holder बनने पर इसलिये जोर देता है कि सरकार के share-holder होने से सरकार का effective control हो सकता है और Bank और सरकार का रुपया महफूज़ रह सकता है।

इसी तरह liquidation और winding up के बारे Provisions में बहुत तबदीलियां कर दी गई हैं। यह तमाम का तमाम बिल बहुत ग़ौरोखोज के बाद पेश किया गया है। Select Committee में इस पर बहुत बहस हो चुकी है और अब इस पर लम्बी चौड़ी बहस की ज़रूरत नहीं। यह बिल तो पंजाब के ग़रीब आदमियों के फायदे के लिये है और इस को पास होना चाहिये। हां कोई खास clause शक वाली हो तो उस पर ग़ौर किया जा सकता है।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Co-operative Socities Bill as reported on by the Joint Select Committee be taken into consideration.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Co-operative Societies Bill as reported on by the Joint Select Committee be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSES (2) AND (3) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (2) and (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker: Question is—

The Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh): Sir, I beg to move—

In lines 13-14 *for* " ten thousand rupees " *substitute* " twenty five thousand rupees."

इस सिलसिले में मैं हाऊस को इस बिल की धारा 6 पढ़ कर सुनाता हूं—

" Where the liability of the members of a registered society is limited by shares, no members other than a registered society, shall hold more than such portion of the share capital of the society subject to a maximum of one-fifth, as may be prescribed or have or claim any interest in the shares of the society exceeding ten thousand rupees, whichever is less "

स्पीकर साहिब ! मैं कहूंगा कि जहां करोड़ों रुपयों की Sugar Mills के बारे में कोआपरेटिव सोसाइटियां बनाई गई हैं वहां इस धारा में यह प्रबन्ध किया गया है कि कोई मैंबर Capital का 1/5th से ज्यादा या दस हज़ार रुपये से ज्यादा के हिस्से नहीं ख़रीद सकता । मैं तजवीज़ करता हूं कि दस हज़ार रुपये के शब्दों की बजाये 25 हजार के शब्द इस धारा में शामिल कर दिये जायें ।

Mr. Speaker : Motion moved—

In lines 13-14, *for* " ten thousand rupees " *substitute* " twenty-five thousand rupees "

प्रोफैसर शेर सिंह (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय ! जो संशोधन आप के सामने तजवीज़ किया गया है अगर उस को हम गौर से पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि जो हमारा Co-operative Act है और जो उस की spirit है उस सहकारिता की भावना का यह संशोधन विरोध करता है । कई आदमी जो सहकारी समितियां बना कर काम करते हैं उन की भावना यह होती है कि एक आदमी ज्यादा मुनाफा न ले सके और बड़े बड़े आदमी उस सुसाइटी के हिस्सेदार न बन सकें और छोटे तबके के थोड़े 2 धन वाले आदमी मिल कर काम कर सकें । इस किसम की भावना इस वक्त इस बिल में है । अगर माननीय मंत्री की तजवीज़ के मुताबिक 25 हज़ार रुपये के हिस्से ख़रीदने की इजाजत दे दी जाय तो Joint Stock Companies और Co-operative Societies में कोई फर्क नहीं रह जाता, सिवाए इस के कि चन्द सरमायादार Income-tax से बच जाएं और अपनी बहुत सारी हिफाजतें कर के Joint Stock Companies की तरह ज्यादा मुनाफा कमा सकें ।

स्पीकर साहिब ! आप को मालूम है कि सैंट्रल पार्लियामेंट में Estate Duty Bill पास हुआ जिस के मुताबिक उस आदमी पर जिस के पास पांच हजार से ज्यादा shares हों, यह कानून लागू हो जाता है। को-आपरेटिव सोसाइटी के हिस्सेदार बन कर बड़े २ साहूकारों के लिये इन टैक्सों से बचने के लिये एक रास्ता निकल आता है। Co-operative movement का यह मतलब है कि सरमायादारी को खत्म किया जाये और गरीब लोगों को प्रोत्साहन दिया जाये कि वह इकट्ठे मिल कर व्यापार चला सकें ताकि चन्द आदमियों की जेब में मुनाफा न जाये बल्कि वह मुनाफा सब आदमियों के बीच में तकसीम हो जाये। Co-operative Societies बनाने का केवल यही मकसद है कि सब मिल कर काम करें और रोजगार सब को मिले। जो Co-operative movement की यह भावना है वह इस पेश किये गए संशोधन से खत्म हो जाती है। इस लिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आप के द्वारा गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इस संशोधन को मनजूर कर के जो सहयोग समिति की movement है उसे खत्म न करें बल्कि इस movement को चलाएं।

राओ गजराज सिंह (गुड़गावां) : स्पीकर साहिब ! मिनिस्टर साहिब ने दो तीन बातों का जिक्र किया है। इस सिलसिले में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बहुत सी Co-operative societies इस गर्ज से बनाई जाती हैं कि वह Income-tax से बच जायें जैसा कि मेरे माननीय मित्र प्रोफैस्सर शेर सिंह ने फरमाया है। मैं चौधरी साहिब को यकीन दिलाना चाहता हूं कि कई Co-operative Societies इस किसम की हैं जिन को लोग जानते हैं कि वह बराए नाम हैं। वह ऐसी सोसाइटियों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सारे ऐक्ट को पढ़ा है ? उस में इस किसम का कोई check नहीं है। मैं यह co-operative spirit पैदा करने के लिये गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि जिस co-operative ढंग से इस स्टेट में development का काम किया जाता है वह बेशक बहुत सराहना योग्य है लेकिन इस के साथ साथ मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि गलत तरीके को रोकना भी कांग्रेस का उद्देश्य है। बिल में इस किसम के प्रबन्ध की जरूरत है कि illusary share-holders की प्राईवेट कम्पनियां अपने आप को Co-operative Societies जाहिर कर के फायदा न उठायें। इस लिये मैं माननीय मंत्री से दरखास्त करूंगा कि वह इस मामले पर संजीदगी से गौर फरमायें और वह ऐसी बिद्दतों को, जो Co-operative Societies में देखने में आती हैं, दूर करने का प्रबन्ध करें।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! Co-operative Societies के सम्बन्ध में जो 1912 का कानून चला आ रहा है उस में जो अब तरमीम पेश की गई है वह काबिले तारीफ है। अब तक वही पुराना दस्तूर चला आ रहा है। अब जब कि सारी दुनिया Socialisation की तरफ जा रही है तो Co-operative ढंग से काम करने का ही एक तरीका है जो लोगों को अपील करता है। यहां तक कि Co-operative system को रूस में भी अपनाया जा रहा है। इस लिये जहां तक कि Co-operative ढंग का सवाल है मैं इस बात पर सहमत हूं लेकिन मैं चौधरी साहिब की इस तरमीम से इत्तफाक नहीं रखता कि सोसाइटी के हिस्सों की हद 10 हजार रुपये की बजाए 25 हजार रुपये तक

[प्रोफेसर मोता सिंह आनन्दपुरी]
कर दी जाये । मैं चौधरी साहिब के ख्यालात को अच्छी तरह से जानता हूं बल्कि पिछले हफ्ते इस मामले में मेरा उन से तबादला ख्यलात भी हुआ । उन्हों ने बहुत अच्छी बातें बताईं अगर उन पर अमल किया जाता तो बहुत अच्छा होता । सवाल सिर्फ यह नहीं कि सूबे में Co-operative ढंग से काम किया जाये बल्कि हमें लोगों में Co-operative spirit पैदा करने की जरूरत है । हम चाहते हैं कि लोग इकट्ठे हो कर Co-operative Societies बनाएं और गरीब से गरीब आदमी को भी सोसाइटी का Director बनाया जाये ।

Co-operative Societies बनाने का ख्याल बहुत अच्छा है । यह भी बहुत अच्छी बात है कि Director बनने के लिये किसी खास रकम के shares खरीदने की जरूरत नहीं है । वजीर साहिब इसी spirit से काम लेते हुए इस क्लाज़ में रखी गई रकम को दस हजार ही रहने दें । इस को 25 हजार करने से सरमायादार तबके को तरग़ीब मिलेगी, Societies में बड़े २ आदमी आ जायेंगे । मैं तो यह कहूंगा कि अगर हमें Co-operative system को चलाना है तो गरीब से गरीब आदमी को इन societies में शामिल होने के लिये सहूलतें देनी चाहियें—उन के लिये भी कोई attraction होनी चाहिये । गरीबों के पास तो दस हजार रुपया भी नहीं होता । अगर इस तरमीम को मनजूर कर लिया गया तो share capital में ज्यादा हिस्सा अमीर आदमियों का होगा । इसलिये मैं चौधरी साहिब से दरखास्त करता हूं कि वह इस तरमीम को withdraw कर लें ।

श्री रिज़क राम (राय) : श्रीमान् जी ! उस क्लाज़ में जिस के साथ इस तरमीम का ताल्लुक है दो बातें आती हैं—पहली यह कि एक आदमी share capital का one-fifth तक या दस हजार रुपये तक (जो भी कम हो) हिस्सा ले सकता है । अब इस तरमीम द्वारा इस हिस्से को पच्चीस हजार रुपये तक बढ़ाने की तजवीज की गई है । मैं समझता हूं कि उस दौड़-धूप को देखते हुए जो देश में industrialization के सिलसिले में हो रही है हद का 25 हजार तक बढ़ाया जाना कोई नाजायज़ बात नहीं है । मैं तो इस शुब्हा को समझने से कासिर हूं कि इस के बढ़ाने से सरमायादारों के लिये attraction होगी ।

यह कहना बिलकुल गलत है कि Companies Act के तहत बनी हुई societies और इन Co-operative Societies में कोई फर्क नहीं होगा । पहली किस्म की societies में राए का हक हिस्सों पर निर्भर होता है । यदि दस shares वाले की एक vote होती है तो 100 shares वाले की दस वोटें । Co-operative Societies Act के तहत जो राए दस रुपये के हिस्सेदार की होती है वही 100 रुपये के share-holder की होती है, वही 25 हजार रुपये के हिस्सेदार की । मैं नहीं समझ सकता कि कोई आदमी यह जानते हुए कि दस रुपये के हिस्सेदार का management, control, profit, आदि के सम्बन्ध में फैसलों में उतना ही हाथ होना है जितना कि 25 हजार वाले का, अपने रुपये की ज्यादा रकम में गैर-महफूज़ करने पर राज़ी होगा । यह बात किसी के लिये attraction पैदा नहीं कर सकती ।

एक तजरुबा हमारे सामने है। रोहतक में एक sugar mill कायम की जानी है जिस के लिये एक करोड़ रुपये के सरमाये की ज़रूरत है। इस का share capital इकट्ठा करने के लिये कम से कम 100 रुपये के और ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपये के हिस्से नियत किये गये हैं लेकिन देखने में आया है कि बहुत थोड़े आदमी 15,000 रुपये का हिस्सा खरीदने के लिये तैयार हैं। इस की वजह यह है कि राए का हक हिस्से की मालियत के साथ नहीं बढ़ता। यदि हम चाहते हैं कि nationalization तेज रफतार से हो और डाकखाने तक co-operative lines पर चलाए जायें तो ज़रूरी है कि उन के लिये जिन के पास रुपया है गुंजायश रखी जाए और उन्हें रुपया लगाने का मौका दिया जाए। इस तरह छोटे co-operators को भी मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री देव राज सठी (रोहतक शहर) : श्रीमान् जी ! सरमायादारों के Co-operative Societies पर छा जाने के बारे में जो खदशात ज़ाहिर किये गए हैं वे ठीक नहीं हैं। 25 हजार तो uppermost limit है। ज़रूरी नहीं कि सारे share-holders 25 हज़ार रुपया लगाने वाले ही हों। मुनाफा पर भी 6 per cent या 8 per cent की limit लगाई गई। यह चीजें बिल के बुनियादी असूलों में शामिल हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि Co-operative Common wealth बनाने का ध्येय हम ने अपने सामने रखा हुआ है। Co-operative system में छोटे बड़े हर व्यक्ति को शामिल होना चाहिये। इसे छोटे आदमियों तक महदूद नहीं रखा जा सकता।

आज कल प्रान्त में दो sugar factories लगाने की तैयारियां हो रही हैं जिन के लिये करोड़ों रुपये के सरमाये की ज़रूरत है। यदि जितना रुपया सरमायादारों से लिया जा सकता है ले लिया जाए और Director बनने के लिये गरीब अमीर सब के लिये एक समान qualification रख दी जाये ताकि 100 रुपये के share-holders भी director बन सकें और 25 हजार रुपये के भी बड़े हिस्सेदारों के मुनाफे पर भी limit लगा दी जाए और सब को vote का हक भी एक जैसा दे दिया जाए, तो इस से co-operative system को प्रोत्साहन नहीं हो सकता। कोई आदमी भी अपना रुपया लगाने से पहले पचास बार सोचेगा। इन शब्दों के साथ मैं तरमीम का समर्थन करता हूं।

श्री दौलत राम (कैथल) : अध्यक्ष महोदय! आज दुनिया के अन्दर co-operative movement बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है—न केवल सनअती मैदान में बल्कि कृषि क्षेत्र में भी। हमारे देश के अन्दर भी co-operative movement के सिद्धांतों का अपनाया जाना आवश्यक है। तभी हम आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकेंगे।

यह तरमीम जो पेश की गई है खतरे से खाली नहीं है। असली मसला यह नहीं कि 100 रुपये के हिस्सेदार का vote का हक दस हजार या बीस हजार रुपये के हिस्सेदारों के बराबर होगा या नहीं। अगर हम सही मानों में society को ऊंचा ले जाना चाहते हैं तो हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहियें जिन में इक्तसादी इनसाफ कायम हो सके और सरमायादारी की तनज़ीम और जज़बा कमज़ोर हो जाएं। यह जो हमारी दौलत है, अगर यह

[श्री दौलत राम]
इस देश के अदना तरीं आदमी के काम नहीं आती, तो यह किसी काम नहीं आती। मुझे इस बात का खदशा नहीं है कि सरमायादार को वोट का हक ज्यादा होगा। खतरा तो इस बात का है कि सरमायादार societies में ज्यादा शामिल होंगे और ज्यादा मालियत के shares खरीद लेंगे और उन को ज्यादा रुपया कमाने का मौका मिलेगा। मैं तो यह कहूंगा कि हद्द को बढ़ा कर 25 हजार करने की बजाए दस हजार से भी बहुत नीचे रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी co-operative societies में शामिल हो सकें। अगर हम चाहते हैं कि प्रांत में सनअती तरक्की तेजी के साथ हो और इस से बहुत सारे आदमी लाभ उठा सकें तो share की मालियत की हद को दस हजार रुपये से भी कम रखा जाए। यह बहुत जरूरी बात ह।

स्पीकर साहिब! पंजाब के मौजूदा सूरते हालात को मद्देनजर रखते हुए एक और खास बात आप के जरिए इस इवान के मैम्बरों तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे सिंचाई मंत्री साहिब बड़े तमतराक से अखबारों के हर सफे पर यह बयान देते रहते हैं कि उनका इरादा पंजाब राज्य के कोने कोने में बिजली पहुंचाने का है। जब उन की यह इच्छा है कि उस बिजली से हर आदमी लाभ उठाए तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि उन्हों ने इस क्लाज के मातहत इतना बड़ा सरमाया लगाने की Provision क्यों रखी है? क्या मैं उन से पूछ सकता हूं कि इस Provision के होते हुए दरिद्र और मामूली सरमाये का आदमी किस तरह फैजयाब हो सकता है? जो गांव के मामूली आदमी हैं वे कैसे जरई और सनअती मैदान में तरक्की कर सकेंगे? गरीब लोग बिजली की ताकत से किस तरह फायदा उठा सकेंगे? अगर मंत्री महोदय चाहते हैं कि सूबा में छोटी २ और बड़ी २ सब प्रकार की दस्तकारियां बखूबी तरक्की करें तो उन को चाहिये कि वे थोड़ा थोड़ा सरमाया लगाने की Provision रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की तादाद इस मदद से फायदा उठा सके। और अपनी हालत को सुधारने के काबिल हो सके। अगर मंत्री महोदय इस असूल को अपना लें तो हमारा सूबा जरूर तरक्की करेगा और आम इनसान भी तरक्की करेगा। इस के जरिये बेरोजगारी का मसला भी आसानी से हल हो जायेगा। स्पीकर साहिब! इन हालात में मैं तो यह कहूंगा कि यह रकम 10 हजार से भी कम होनी चाहिये।

राय रघुबीर सिंह (सिराज): स्पीकर साहिब! अगर क्लाज छः की amendment को गौर से पढ़ा जाये तो मालूम होगा कि इस का मतलब यह है कि 25 हजार रुपया Registered society को देना पड़ेगा किसी एक व्यक्ति को नहीं देना पड़ेगा। इस में लिखा है कि "Where the liability of the members of a registered society is limited by shares, no member other than a Registered society, shall hold more than such portion of the share capital of the society subject to a maximum of one-fifth."
यह share शख्सी तौर पर नहीं बल्कि Registered Society की शकल में लेना होगा।

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : स्पीकर साहिब! जब हमारे सिंचाई मंत्री साहिब ने बिल पेश करते वक्त चंद अलफ़ाज़ कहे मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ने समझा कि वे बहुत भोले हैं। मेरा विचार था कि वाकई उन का इरादा हाऊस का वक्त खराब करने का नहीं है और कानून को भी सुधारना चाहते हैं। लेकिन जब बिल्ली थैले से बाहर आई तो मालूम हुआ कि दरअसल बात यह नहीं थी। जनाबे वाला! मैं आप के जरिए अपनी सरकार को यह कहना चाहता हूं कि वे हमें भी इतना भोला न समझें और ना ही आप इतने भोले बनें। कहते हैं कि 10 हज़ार रुपये की जगह पर 25 हज़ार कर दिया है ताकि लोगों को ज्यादा तादाद में फायदा पहुंचे। हकीकत यह है कि अब वह ज़माना नहीं रहा जब कि एक ही आदमी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का सरमाया लगा देता था। अब तो जब तक सरकार मदद न दे तब तक इतना रुपया कोई भी लगाने के लिये तैयार न होगा और इस से आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा। स्पीकर साहिब! मैं तो कहता हूं कि नया पंजाब बने और यहां के बहुत से लोग इस कानून से फायदा उठा सकें लेकिन मंत्री साहिब ने मुट्ठी भर लोगों को इजाजत दे दी है कि वे 25 हज़ार रुपये के share खरीद लें और फिर समझते हैं कि हातम ताई की कब्र पर लात मार दी है। इस कानून से एक आदमी किस तरह फायदा उठा सकता है यह मुझे समझ नहीं आती। मैं प्रोफैसर शेर सिंह के जज़्बे से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। दर असल इस बिल का मकसद यह था कि हमारा सूबा ऊपर उठे। और co-operative basis पर आम लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। लोग Co-operative Societies में शामिल हों और जो मदद सरकार देना चाहती है उस का फायदा सब लोग उठा सकें। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारे सिंचाई मंत्री यह कैसे ख्याल करते हैं कि 10 हज़ार रुपये की जगह पर 25 हज़ार रुपये का share कर देने से सब लोगों को फायदा पहुंच सकता है? मैं कमेटी के मैम्बर साहिबान को तो कुछ नहीं कहना चाहता कि उन को यह कैसे ठीक लगा। लेकिन चौधरी साहिब को ज़रूर कहूंगा कि वे भोले न बनें। इस से आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। अब देश आज़ाद है। हमारा सूबा तरक्की करेगा और कर रहा है। ऐसी सूरत में खरगोश का सवाल नहीं है बल्कि रास्ते का सवाल है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार ग़लत रास्ता न इख्तियार करे।

स्पीकर साहिब! अन्त में मैं फिर अर्ज़ करूंगा कि मैं प्रोफैसर शेर सिंह के जज़्बे की कदर करता हूं और अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि वह आम गरीब जनाता के सरमाये को मुट्ठी भर सरमायादारों के कब्जे में न देने की कोशिश करें और इस लिये इस Amendment को वापिस ले लेवे।

श्री चान्द राम अहलावत (झज्जर) : प्रधान जी! मैं इस संशोधन की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे संविधान में भी Co-operative Common Wealth के सिद्धांत को उच्चतम स्थान दिया गया है। यहां तक कि Planning Commission में भी राज्य सरकारों को यह राय दी गई है कि भविष्य में जो भी तरीके कमाई के हों उन सब में सहकारिता के तरीके को अपनाया जाये। सहकारिता में सब से बड़ा और प्रशंसनीय सिद्धांत यह है कि "all for one and one for all" मेरा बिचार है कि यदि यह तरमीम हमारे मंत्री महोदय मान लेंते हैं कि शेयर (share) का रुपया 10 हज़ार की जगह पर 25 हज़ार कर दिया जाए तो सहकारिता का बुनियादी सिद्धांत खत्म हो जाता है। आज संसार में सरमायादारी

[श्री चान्द राम अहलावत]
को खत्म करने के लिये हर स्थान पर चर्चा हो रही है। और जिस प्रकार Land lord मुज़ारों को समाप्त करने का रास्ता ढूंढ रहा है ताकि अपनी ज़मीनों को बचा सके, इसी प्रकार सरमायादार भी अपने बाचाव के तरीके ढूंढ रहा है। स्पीकर साहिब ! मेरा विचार है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी को बड़े बड़े कारखाने स्थापित करने के ज़रिये नहीं रोका जा सकता। उस के दूर करने का केवल एक ही तरीका है और वह यह है कि देश में Cottage industries (कुटीर उद्योग धंधे) कायम किये जाएं। अगर वज़ीर साहिब चाहते हैं कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को रोज़गार दिया जाये तो यह जरूरी हो जाता है कि इतना ज्यादा सरमाया लगाने की Provision न रखी जाए जिस से कि लाज़मी तौर पर heavy मैशीनरी लगानी पड़े। अगर ज्यादा सरमाया लगाया जायेगा तो लाज़मी तौर पर heavy machinary लगानी पड़ेगी और इस के फलस्वरूप ज्यादा से ज्यादा आदमियों को बेरोज़गार करना पड़ेगा। और थोड़े आदमियों को रोज़गार मिलेगा। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि इस amendment को वापस लेना चाहिये।

स्पीकर साहिब ! इस से अगली बात में यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सब पेशे जाति के आधार पर (caste basis) पर ही चलते हैं। और जो लोग जाति के आधार पर छोटे छोटे घरेलू उद्योग धंधों को अपनाये हुए हैं उन को समाज की नज़रों से घृणा की दृष्टि से देखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को amendment से दूर नहीं चला जाना चाहिये उस का ख्याल रखना चाहिये।

(The hon. Member should not go wide of the mark. He should confine himself to the amendment.)

श्री चान्द राम अहलावत : जनाब ! मेरी अर्ज़ यह है कि देहातों और शहरों में जो ग़रीब लोग छोटे छोटे उद्योग धंधों को अपनाए हुए हैं वे समाज की नज़रों में गिरे हुए हैं। विशेष कर देहातों में ऐसे लोगों में बेरोज़गारी ज्यादा है। वे लोग अपना पेट अच्छी तरह नहीं पाल सकते। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम ने यह असूल मान लिया कि इन societies में सरमायादार लोग शामिल हों तो लाज़मी तौर पर जो कुछ थोड़ा बहुत ग़रीब लोगों के हाथ में रह गया है वह भी छिन जायेगा और उन में बेरोज़गारी ज्यादा हो जायगी। अतः मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमें उसी असूल को मानना चाहिये जिस में कि सब आदमी हर एक के लिये काम करें अर्थात् all for each and each for all तभी हम बेरोज़गारी को दूर कर सकेंगे।

अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत से लोगों को Collectively employment दे सकेंगे। आज जब हम गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं, आज जब हम administration को decentralise कर रहे हैं और जब यह सच्चाई है कि industries को encourage करने के लिये शोर मचा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हरिजनों और

दूसरे छोटे पेशे वाले लोगों के हितों को सामने रखते हुए हमारे मनिस्टर साहिब को यह संशोधन हरगिज़ नहीं मानना चाहिये। खास तौर से इस लिये इसे ज़रूर वापिस ले लेना चाहिये कि जितने मेंबर आज हाऊस में इस विषय पर तकरीरें करने के लिये खड़े हुए हैं उन में से ज्यादातर इस के खिलाफ़ ही बोले हैं।

श्री मूल चन्द जैन (संभालका) : साहिबे सदर ! इस क्लाज़ की जो तरमीम पेश हुई है उस पर तकरीर करते हुए जिन साहिबान ने इस की मुखालिफ़त की है, मुझे ऐसा मालूम होता है कि वह इस तरमीम की स्पिरिट को अच्छी तरह से समझ नहीं सके।

मौलवी अब्दुल गनी डार : शायद आप ही नहीं समझ सके।

श्री मूल चन्द जैन : हां, यह भी हो सकता है पर अगर वाकई, जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा है, मैं नहीं समझ पाया तो जो कुछ मैं अर्ज़ करने लगा हूं उस से साफ़ जाहिर हो जायेगा कि मैं ठीक कहता हूं या वह।

मौलवी अब्दुल गनी डार : हो सकता है कि फिर भी आप ठीक तौर से इसे न समझ सके हों।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। आप खामोश रहने की तकलीफ करें तो वह समझ सकेंगे। क्योंकि आप बहुत बोलते हैं शायद इसी लिये आप समझने में कासिर हैं।

श्री मूल चन्द जैन : साहिबे सदर ! अगर इस क्लाज़ को ग़ौर से पढ़ा जाए तो इस से दो तीन बातों का मनशा खास तौर पर ज़ाहिर होता है। सब से पहली बात तो यह है कि किसी भी मकसद के लिये अगर Co-operative Society बनाई जाए तो देखना यह होता है कि उस में कितने share-capital की जरूरत है। अब फर्ज़ कीजिये कि किसी सोसाइटी को establish करने के लिये एक लाख रुपये की ज़रूरत है। अब इस बिल में है क्या? यह कि इस बिल में यह पाबन्दी लगा दी गई है कि किसी एक मैम्बर को कुल share-capital के पांचवें हिस्से से ज्यादा share खरीदने का इख्तियार नहीं। इस का मतलब यह है कि 1/5 हिस्से के मुताबिक इस एक लाख से 20,CCO रुपये के हिस्से ही खरीद सकता है। इस से ज्यादा नहीं खरीद सकता। लेकिन उधर maximum limit है 10,000 रुपये तक। जैसा कि Original Bill में provide किया गया है। यानी या तो 1/5th of the Share Capital ले या 10,000 रुपये। लेकिन शर्त यह है कि whichever is less. इस तरह जहां 1/5th के हिसाब से एक लाख वाली सोसायइटी में 20,000 के share ले सकता था, वहां इस पाबन्दी की वजह से 10,000 रुपये से ज्यादा के हिस्से नहीं खरीद सकता। लेकिन अब यह तजवीज़ 10,000 की बजाये 25,000 तक की गई है। लेकिन साथ ही यह पाबन्दी भी लगाई गई है कि 1/5th के हिसाब से अगर कम share बनता है तो वही खरीदना पड़ेगा, 25,000 रुपये का नहीं। इस लिहाज से मैं समझता हूं कि इस को oppose करना बिल्कुल बेमानी है।

[श्री मूल चन्द जैन]

दूसरी बात यह है कि यह ज़रूरी नहीं कि 1/5th से कम के हिस्से हो ही नहीं सकते । उस से कम के भी हो सकते हैं । मेरे दोस्त पूछेंगे कैसे ? इस बिल में साफ provide किया गया है "as may be prescribed" अगर कोई Co-operative Society यह फैसला करती है कि इस के share capital का 1/10th से ज्यादा नहीं खरीद किया जा सकता तो उस हालत में 25 हजार रुपये वाली या 1/5th of the share-capital वाली पाबन्दी खुद-बखुद बेमानी हो जाती है । लेकिन इस के उलट अगर किसी सोसाइटी को जो heavy industry establish करना चाहती हो, ज्यादा रुपये की ज़रूरत हो—मसलन दो लाख रुपये के सरमाया की ज़रूरत हो तो उसे Cottage Industry की terms पर थोड़े ही चालाया जा सकता है । Cottage Industry के लिये तो दो हजार, चार हज़ार या छः हज़ार रुपया काफ़ी हो सकता है । इन हालात में ऐसी बड़ी Industry के लिए सरमाया इकट्ठा करने के लिये बड़े २ amounts के shares का होना ज़रूरी हो जाता है। आखिर ऐसी heavy industry के लिये 50 या 100 या 1,000 रुपये के share से काम चल सकता है क्या ? हरगिज़ नहीं । हां, जहां तक Cottage industries या Small-Scale Industries के लिये Co-operative societies बनाने का सवाल होगा वहां तो यह 25 हज़ार वाली तरमीम लागू नहीं होगी । इस लिये मैं समझता हूं कि देहातों और Cottage Industries का हवाला दे कर जिन भाइयों ने मुखालिफत की है, वह बेमानी है ।

यह कहा जा सकता है कि बहर-हाल इस तरमीम का कहीं न कहीं तो असर पड़ेगा । यह कैसे हो सकता है कि इस का कोई असर ही न हो । ठीक है, मैं मानता हूं । तो इसका असर किन हालात में होगा, यह समझने की बात है ।

स्पीकर साहिब ! मैं इन दोस्तों को बताना चाहता हूं कि इस का असर उन सोसाइटियों पर पड़ेगा जिन का सरमाया 125 हज़ार से ज्यादा होगा । अगर Share Capital 125 हज़ार से ज्यादा नहीं होगा तो 1/5th के मुताबिक 25 हज़ार के सरमाये से ज्याद के हिस्सेदार नहीं बन सकेंगे । फिर एक और पाबन्दी है जिसे शायद मेरे दोस्त नज़र-अन्दाज कर गए हैं । वह यह है कि किसी भी सूरत में 25 हज़ार से ज्यादा के shares नहीं खरीदे जा सकेंगे । गोया इस तरमीम के ज़रिये सिर्फ 10 हज़ार की बजाये यह limit 25 हज़ार तक बढ़ाई गई है । इसलिये हम जब Co-operative movement को encourage करना चाहते हैं; बड़ी बड़ी industries को अपने सूबे में establish करवाना चाहते हैं तो इस तरमीम को मान लेने से हमें अपने object को हासिल करने में मदद मिलेगी ।

इस के इलावा एक और बात है । अगर छोटे 2 हिस्सेदार मिल कर इतना सरमाया इकट्ठा कर सकते हों कि मिसाल के तौर पर, एक चालीस लाख के Capital की investment हो सके तो इस के "as may be prescribed" में साफ़ है कि अगर सोसाइटी चाहे तो वह इस limit को कम भी कर सकती है । जब सोसाइटी अपने by-laws में यह फैसला कर लेगी कि principal investment का 1/5th से ज्यादा हिस्सेदार नहीं बन सकता तो साफ है कि 25 हजार वाली limit को rigidly impose नहीं किया जा सकता ।

इन चीजों से यह साफ़ जाहिर होता है कि 25 हजार की limit एक maximum limit है जहां तक एक आदमी, अगर वह चाहे तो, shares में invest कर सकता है। यह नहीं कि अगर वह 20 लाख रुपया का सरमाया लगाना चाहे तो लगा सकेगा। इस के इलावा यह भी मुमकिन है कि अगर आप 50 लाख या एक करोड़ 50 लाख या एक करोड़ रुपये के Capital की कोई Industry start करना चाहें तो छोटे छोटे हिस्सेदारों के न मिलने की वजह से आप उसे start ही न कर सकें। ऐसी हालत में तो बस यही होगा कि वह एक paper scheme ही रह जायेगी। जब इतना सरमाया ही इकट्ठा न हो सकेगा तो काम कैसे शुरु होगा ? इस लिये हम तस्वीर के दूसरे रुख को नजर अन्दाज नहीं कर सकते जहां ऐन मुमकिन है कि 10 हजार की बजाए 25 हजार का सरमाया लगाने वाली आसामियां आ सकती हों और आप का वह काम शुरु हो सकता हो।

इस लिए में समझता हूं कि practical इनसान की हैसियत से वजीर साहिब की तरफ से जो तरमीम पेश की गई है वह बहुत sound गई है और हमें अपने मकसद में फायदामन्द साबत हो सकती है। आज अगर हम चाहते हैं कि Cottage Industries को आगे बढ़ाएं और नए नए कारखाने अपने सूबे में खोलें तो पुराने ढंग को बदलना ही होगा और progressive lines पर हमें Co-operative societies को organise करना होगा। मैं समझता हूं कि इस ओर एक बहुत अहम कदम है। वरना heavy industries को कायम करने में एक बहुत भारी दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता। इस के लिये सरमाया आ ही न सकता। यह तो सरमाए को खेंचने का एक तरीका है। इस लिये इन इलफ़ाज के साथ में इस संशोधन की ताईद करता हूं और हाऊस से गुजारिश करता हूं कि इसे जरूर पास करना चाहिये।

श्री निरंजन दास धीमन (फिलौर) : स्पीकर साहिब यह जो amendment चौधरी साहिब की तरफ़ से पेश की गई है में इस की हिमायत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि मेरे जितने दोस्तों ने इस की मुखालिफ़त की है वह जजबात की रौ में बह कर की है और सिर्फ़ "सरमायादारी" के एक लफ़ज को सामने रख कर की है। इस बारे में मेरे फ़ाजिल दोस्त श्री मूल चन्द जैन ने काफ़ी रौशनी डाली है। इस लिये में उसी aspect को नहीं दोहराता। मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूं कि किसी काम को चलाने के लिये सिर्फ सरमाये की ही जरूरत नहीं होती और न ही सिर्फ यह देखना होता कि इस enterprise में कितने हिस्सेदार हैं—कितने आदमी हैं। उस के लिये सब से पहली जरूरत होती है तजरुबाकार लोगों की। इस लिये मैं यह समझता हूं कि जब हम ने अपना यह मकसद बनाया हुआ है कि देहातों में Cottage Industries को co-operative lines पर चलाना है तो उस हालत में जब ऐसी industries के लिये लाखों रुपए के share-capital की जरूरत हो तो मैं यह महसूस करता हूं कि इस amendment का रखना निहायत लाजमी हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम एक करोड़ रुपये की लागत वाली कोई industry कायम करना चाहते हैं। उस के लिये अगर हम यह सोचें कि सौ-सौ रुपये के shares बना दें तो मैं यकीन के साथ

[श्री निरंजन दास धीमन]
कह सकता हूं कि यह सरमाया इकट्ठा नहीं हो सकेगा और हम उस planned industry को कायम नहीं कर सकेंगे। इस लिये ऐसी हालत में उन लोगों की ज़रूरत होती है जो ज्यादा सरमाया invest कर सकें। यही वजह है कि १०,००० की बजाए अब इस limit को बढ़ा कर २५,००० कर दिया गया है। इन हालात में मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ज़रूरी amendment है। यह amendment हमारे मकसद को पूरा करने वाली है। लिहाज़ा मैं इस की पुरज़ोर इलफ़ाज़ में ताईद करता हूं।

श्री केशो दास (पठान कोट) : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो amendment पेश की गई है यह बहुत ज़रूरी amendment है, क्यों? हम देखते हैं कि आज जो co-operative societies हमारे यहां कायम हैं उन में इतना सरमाया नहीं कि वह बड़ी २ योजनाओं को अपने हाथ में ले सकें। जैसे labour societies को ही आप ले लें। इन में तो किसी सरमायादार का हाथ नहीं है। इन की हालत यह है कि अगर वे गवर्नमेंट से किसी बड़े project या काम का ठेका लेना चाहें तो वह नहीं ले सकतीं क्योंकि उन के पास इतना सरमाया नहीं। यही वजह है कि १०,००० वाली limit को बढ़ाकर २५,००० कर दिया गया है, ताकि जिन के पास सरमाया है उसे इकट्ठा कर के मुल्क के मुफ़ाद के कामों पर लगाया जा सके, लेकिन, जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले दोस्तों ने बताया, अगर सौ-सौ रुपये वाले या दो दो सौ रुपये वाले shares को इकट्ठा करके किसी industry—heavy industry को शुरु करने का ख्याल हो तो यह यकीनी बात है कि वह पूरा नहीं हो सकेगा। आज हमारे देश में बेकारी बहुत ज्यादा है। बेकारी को दूर करने का एक यह भी तरीका है कि heavy industries को कायम किया जाए। और यह तभी मुमकिन हो सकता है जब सरमाया लगाने वाली बड़ी २ आसामियां भी आगे आएं। फिर २५,००० रुपये वाली शर्त कोई बहुत बड़ी शर्त भी नहीं। मैं तो समझता हूं कि इसे भी बढ़ा कर ५०,००० कर देना चाहिये। इस लिये मैं यह दरखास्त करूंगा कि इस limit को ज़रूर २५,००० तक कर देना चाहिये यह हमारे सूबे के हित की बात है। क्योंकि अगर यह limit २५,००० तक की गई तो इस लालच से भी वे लोग जिन के पास सरमाया मौजूद है, आगे आ सकेंगे।

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह) : साहिबे सदर! मैं इस क्लाज़ पर ज्यादा इस लिये नहीं बोला था और मेरी ख़ाहिश यह थी कि इस क्लाज़ को जल्दी से पास कर दिया जावे क्योंकि मैंने सोचा था कि इस सारे बिल को मैम्बर साहिबान ने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। लेकिन अब मैं यह समझता हूं कि कुछ मैम्बर साहिबान ने इसे गलत समझा है। मैं इस क्लाज़ पर इतना ही कह कर बैठ गया था कि यदि एक फ़ैक्ट्री पर एक करोड़ रुपया लगाया जाना है तो पहले इस बिल के अनुसार एक आदमी दस हजार से ज्यादा share नहीं खरीद सकता था अब इस amendment के अनुसार कुल सरमाया के one-fifth के मुकाबले में २५ हजार रुपये तक के share ले सकेगा। लेकिन मेरे भाईयों ने इस

clause को गलत समझ लिया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है हर सोसायटी को Government ने बनाना है या उसे गवर्नमेंट ही बनाती है। यह गलत है कि यह co-operative societies गवर्नमेंट ही बनायेगी। co-operative societies........

श्री चान्द राम अहलावत : मैं यह कहता हूं कि गवर्नमेंट बनाए क्यों न ?

सिंचाई मंत्री : मेरे दोस्त तो समझते हैं कि यह societies केवल गवर्नमेंट ही बनाएगी और इसी लिये यह २५ हज़ार के सरमाए के लिये provision किया जा रहा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट भी बनाएगी और जैसा कि इस बिल में provide किया गया है, दस आदमी भी मिल कर एक co-operative society बना सकते हैं और काम चला सकते हैं। इस में कोई रुकावट नहीं कि वे दस आदमी Capitalists हैं या कि non-capitalists वे अमीर हों या गरीब हों या वे मिल कर एक society बना सकेंगे। फिर हर co-operative society के अपने अपने by-laws होते हैं जो कि उस के मैम्बर खुद बनाते हैं। जब किसी सोसाइटी को promotors जारी करने लगते हैं तो यह उन के लिए है कि उन दस आदमियों में चाहे वह आठ ग़रीब मैम्बर रख लें चाहे ग़रीब आदमी मैम्बर बना लें। उन के सामने उस सोसाइटी के by-law आ जायेंगे। यह ज़रूरी नहीं है कि कोई मैम्बर २५ हज़ार के ही share ले। यह २५ हज़ार का provision तो इस लिये किया जा रहा है कि अगर किसी co-operative society को अपने काम के लिये ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत पड़े तो उस के लिए एक मैम्बर २५ हज़ार रुपये के share ले सकें और वह सोसाइटी उस सरमाए से अपना काम अच्छी तरह चला सके। चूंकि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जापान की तरह co-operative basis पर बड़ी बड़ी industries को भी चलाया जाए इस लिये यदि यह limit ज़्यादा न की जाए तो बड़ी industries का co-operative basis पर चलाना संभव न होगा। हम चाहते हैं कि चाहे कितने ही करोड़ रुपये से कोई सोसाइटी काम करना चाहें तो उस के ऐसा करने में यह रुकावट न बन खड़ी हो। मेरे जाट बरादरी के एक दोस्त ने कहा है कि इस से तो यह मालदार लोगों की सोसाइटियां हो जायेंगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। अभी हम रोहतक के अन्दर co-operative basis पर एक sugar factory लगा रहे हैं। उस के मैम्बर सौ सौ रुपये वाले हो सकते हैं तो पन्द्रह पन्द्रह हज़ार वाले भी हो सकते हैं। हम यह नहीं चाहते कि यह छोटी limit रख कर जितना रुपया उस फैक्ट्री के लिये चाहिए वह सोसाइटी के मैम्बरों से पूरा न होने पर हमें Punjab National Bank के पास अंगूठे लगाने पड़े और interest देना पड़े। बाकी हर सोसाइटी ने तो अपने by-laws से govern होना है। अगर किसी सोसाइटी को ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है तो वह ज़्यादा सरमाए वालों को मैम्बर बना लेगी और यदि कम सरमाए की ज़रूरत हो तो अपने बाई लाज़ उस के मुताबिक बना लेगी। और यदि कल को कोई emergency arise होती है तो २५ हज़ार तक के हिस्से अपने मैम्बरों को दे सकेगी। मैं इन

[सिंचाई मंत्री]
मैम्बर साहिबान से अरज़ कर देना चाहता हूं कि यह जो उन के मन में खदशा है यह बिल्कुल गलत है। इस में कोई रुकावट न होगी चाहे कोई मैम्बर एक रुपया का या एक अठन्नी का हिस्सा रखता हो। यह २५ हज़ार रुपये का provision तो इस लिये रखा जा रहा है कि कभी कोई ऐसे हालात हों जब कि सोसाइटी को ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत पड़ जाए तो वह ऐसा कर सके। मैं यह ग़लत ख्याल को दूर करना चाहता हूं जो इस बारे में फैला हुआ है। अभी मैं रोहतक गया और जालन्धर गया था तो वहां मैं ने देखा कि बहुत से लोगों के दिलों में यह ख्याल पाया जाता है कि जिस का ज़्यादा सरमाया होगा वह ज़्यादा मुनाफा खा जायेगा। इस बारे में मैं अरज़ करता हूं, एक सोसाइटी को ले लीजिये जिस के ५० मैम्बर हों, और उन में से ३५ ऐसे हैं जो सौ सौ रुपये के हिस्से वाले हैं और १५ ऐसे हैं जो एक एक हज़ार के हिस्से वाले हैं तो मैं पूछता हूं कि majority किन हिस्सेदारों की होगी जबकि इस बिल के मुताबिक हर हिस्सेदार का एक हिस्सा होगा चाहे वह एक हज़ार रुपये का हिस्सेदार हो, चाहे एक सौ का। इस बिल में वह खुल नहीं दी गई जो Joint Companies Act के अन्दर private companies को दी जाती है। इस के मुताबिक तो हर हिस्सेदार एक जैसा होगा चाहे वह एक सौ रुपये का हिस्सा रखता हो चाहे एक हज़ार का। चाहे वह बहुत बड़ा आदमी हो और चाहे एक गरीब आदमी हो। मैं अरज़ करता हूं कि मैं अमीरों की अपेक्षा ज्यादा गरीबों के हित को देखने वला हूं। मेरे भाई श्री चान्द राम को यह बात दिल से निकाल देनी चाहिये कि हरिजनों के हित की बात वह ही सोच सकते हैं क्योंकि वह हरिजन हैं। ज़बानी बातों से उन का भला नहीं हो सकता।

आप को शायद मालूम होगा कि हम dry powder की स्कीम पर विचार कर रहे हैं जिस के लिय तीन करोड़ रुपए का सरमाया चाहिए। तो वह Co-operative Basis पर कैसे चलाई जा सकेगी यदि यह provision बिल में न रखा जाए तो। एक एक या दो दो सौ के हिस्सों से तो इतनी बड़ी रकम इकट्ठी नहीं हो सकने की। इस लिय ऐसे फजूल एतराज़ करने का क्या फायदा।

(Interruptions by Maulvi Abdul Ghani.)

सिंचाई मंत्री : Sir, he should be asked not to interrupt me.

अध्यक्ष महोदय : (Addressing to Maulvi Abdul Ghani) आप इस में खाह मुखाह दखल दतें हैं। आप आराम से सुनें। यह आप के लिय अच्छा नहीं है।

सिंचाई मंत्री : तो मैं कह रहा था कि हम तीन करोड़ रुपए की स्कीम बना रह हैं। उस में हर हिस्सेदार को चाहे वह २५ हज़ार का होगा चाहे एक सौ का केवल एक ही राए देने का इख्तियार होगा।

श्री चान्द राम अहलावत : On a point of Order Sir. माननीय मिनिस्टर उस Joint Select Committee के Chairman थे जिस ने इस बिल पर ग़ौर किया था तो उस समय तो इन्हों ने यह amendment लाई नहीं थी। क्या वह अब इसे ला सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ! हाऊस में कोई amendment किसी वक्त आ सकती है ।

सिंचाई मंत्री : मैं माननीय मैम्बर को बता देना चाहता हूं कि उस वक्त यह मसला Joint Select Committee के सामने नहीं आया था दूसरा इस में कोई बार (bar) नहीं है कि यदि कोई मैम्बर Select Committee की report से differ करता है तो वह ऐसा न कर सके । यह तो फायदे की बात है । यह कोई ज़िद की बात नहीं है । अब रोहतक की Sugar मिल के एक करोड़ २८ लाख रुपये के हिस्से लोग खरीद रहे हैं । उन में अमीर भी हैं और गरीब भी हैं । सब को एक जैसा राय देने का हक होगा ।

अगर दस आदमी, जो बड़े रईस हों, मिल कर एक Co-operative Society कायम करना चाहें तो क्या हम इसी बिना पर उन की गर्दन दबा दें ?

श्री चान्द राम अहलावत : On a point of order, Sir. मैं पूछना चाहता हूं कि आया एक ऐसा मैम्बर जो बिल की Select Committee का Chairman हो, वह उस से बाहर बिल में कोई तरमीम ला सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : हाऊस में कोई भी तरमीम आ सकती है ।

(Any amendment can be moved in the House)

मंत्री : यह जो एक करोड़ २८ लाख रुपये से हम Societies बना रहे हैं यह किसी अमीर आदमी के लिये नहीं बना रहे हैं । इस में अमीर, ग़रीब का सवाल नहीं है । जो कोई भी ऐसी सोसाइटी बनाना चाहे बना सकता है । यह बात समझ में नहीं आती कि चूंकि कोई आदमी अमीर है और वह अपने पैसे को किसी सोसाइटी के ज़रिये किसी काम में लगाना चाहता है, तो हम उसे ऐसा करने से रोक दें और कहें कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते यह हक गरीबों को ही हासिल है । और फिर जब सभी रुपया लगा सकते हैं तो किसी खास आदमी पर कोई रुकावट क्यों लगाई जाए जैसा कि मैं कह चुका हूं कोई १० आदमी, they may be rich persons, they may be poor persons, ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं । अगर हमने अपने country को prosperous देखना है तो यह सब के लिए इजाजत होनी चाहिए कि वह ऐसी सोसाइटियां जब चाहें कायम कर सकें । यही Government of India का भी फैसला है । अगर कोई सरमायादार अपना सरमाया किसी कारखाने में लगाना चाहता है तो हमें उसे यह नहीं कहना चाहिए कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यहां तो २५,००० का हिस्सा नहीं है और यह सोसाईटियां तो सिर्फ छोटे आदमियों के लिये ही हैं । Central Government ने भी कहा है कि हम सिर्फ उन को ही मदद देंगे जो लोग ऐसी सोसाइटियां बनायेंगे । हम बहुत सी चीजें जर्मनी, जापान वगैरा बाहर के मुल्कों से मंगाते हैं । अगर यह चीजें यहां पर ही बननी शुरू हो जायं तो क्या अय इच्छा न होगा तो क्या यह २५,००० रुपये का शेयर सरमायेदारी कहलाएगा ? अब म ज्यादा वक्त न लेता हुआ अदब से इतना कह कर बैठता हूं कि ऐसी सोसाइटियों में पैसा लगाने की सभी को इजाज़त होनी चाहिये खाह वह अमीर हो या ग़रीब । हां, अलबत्ता किसी को कोई Compulsion नहीं होनी चाहिये । अब जैसे जालन्धर और रोहतक में

[सिंचाई मंत्री]
Sugar Factories खुल रही हैं तो क्या हम कह दें कि १०० रुपये से ज्यादा हिस्से का रूल नहीं है। फर्ज कीजिये कि कहीं पर हिस्से नहीं बिकते हैं तो हम किसी जमींदार से कह कर उसे २५,००० का शेयर खरीद देते हैं तो इस में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये कोई अमीर हो गरीब हो या Capitalist हो किसी पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये अगर कहीं कुछ शहरी इकट्ठे हो कर कोई काम चालू करना चाहें तो हम इन हिस्सों की शर्त लगा कर उन्हें क्यों रोकें। आखिर में मैं अदब से इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें किसी पर कोई रोक नहीं लगानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : पेशतर इस के कि मैं कोई amendment पढ़ूं, मैं उस point of order के मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूं जो श्री चांद राम जी ने raise किया है। यह मेरे लिये भी एक किस्म का मुइमा बन गया है। हमारे पास Rules में ऐसी कोई बात नहीं कि कोई Joint Select Committee का मैम्बर कोई amendments न ला सके और हम उसे रोक दें और फिर अगर Minister Incharge खुद यह amendments न भी पेश करे वह किसी और मैम्बर से move करवा सकता है। सो बात तो वहीं रहेगी। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि Minister Incharge से मशवरा कर के इस सवाल का हल तलाश करेंगे।

श्री चान्द राम अहलावत : तब तक के लिये इस amendment को defer कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप के ख्याल के मुताबिक बात हो गई है लेकिन Rules में amendment लाने पर कोई रुकावट नहीं है।

Mr. Speaker : Before I put the amendment to the vote of the House, I would like to tell the hon. Member, Shri Chand Ram Ahlawat in connection with the point of order raised by him, that there is nothing in the Rules of Procedure to prevent a member of the Joint Select Committee from moving amendments to the clauses of the Bill on the floor of the House. It comes to the same thing if the Minister-in-charge does not move the amendments himself but gets them moved by some Member. I, however, assure the House that I will endeavour to find out a solution of this question in consultation with the Minister-in-charge.

Shri Chand Ram Ahlawat : Then I request that this amendment may be deferred till this point is settled.

Mr. Speaker : The hon. Member has achieved his object, but the Rules do not provide any bar to the moving of an amendment.

अध्यक्ष महोदय : वजीर साहिब, एक नोट, जो भाई जोध सिंह जी का है, काफी अहम है, क्या आप इस के मुताबिक Change कर लेंगे।

सिंचाई मंत्री : हां, बाद में कर लेंगे।

Mr. Speaker: Question is—

In lines 13-14, for "ten thousand rupees" *substitute* "twenty-five thousand rupees".

The motion was carried.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, I think the Ayes have it. This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

Mr. Speaker: Question is—

That clause 6, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 7—37

Mr. Speaker: I have received no notice of amendment to clauses 7—37. If, however, any member wishes to speak on any of these clauses, he can do so.

(No member rose to speak.)

Mr. Speaker: Since no one wishes to speak, I will put these Clauses together to the vote. This will also save the time of the House.

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 7—37 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 38

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh): Sir, I beg to move—

For lines 1—6 substitute—

"*Contribution to charitable purposes.* Any registered Society may, with the sanction of the Registrar, after mkiang provision for a reserved fund".

साहबे सदर ! इस amendment के बारे में मैं साफ अर्ज़ करना चाहता हूं कि आम पब्लिक में Co-operative Societies के खिलाफ यह शिकायत है कि वे अपना मुनाफा Reserve Fund में शामिल कर देते हैं जहां कि private companies वाले और Joint Stock Companies वाले जो profit होता है वे सारे का सारा अपने हिस्सेदारों को दे देते हैं। Old Bill में यही प्रबन्ध था कि मुनाफा Reserve Fund में जाए।

[Minister for Irrigation]

अब मान लो कि किसी कारखाने या फैक्टरी में ५० लाख रुपये का मुनाफा होता है या २० लाख रुपये का होता है तो क्या यह सारा मुनाफा Reserve Fund में चला जाए इस से लोग Co-operative Societies में शामिल नहीं होते । दूसरी तरफ अब भी Joint Stock Companies खुलती है और लोग इस में शामिल होते हैं यह इस लिये कि वहां पर कोई इस तरह की रुकावट नहीं । इस लिये यह तरमीम पेश की गई है कि कोई registered society Registrar की मन्जूरी लेकर Reserve Fund में contribution करने के बाद बाकी के मुनाफे में से 1/10 तक charitable purpose या किसी और public benefit के काम के लिये दे सकती है । Joint Select Committee की सिफारश यह थी कि किसी एक साल में कुल मुनाफे का 1/10 Reserve Fund में carry किया जाए । मैं समझता हूं कि 1/10 की provision भी ज्यादा है । अगर किसी society को ५० लाख, २० लाख या १० लाख का मुनाफा हो और उस का 1/10 Reserve Fund में चला जाये तो मेंबर साहिबान बुड़बुड़ाते हैं । इस लिये यह amendment पेश की गई है ।

तो जैसा कि मैं कह चुका हूं, अगर मुनाफा बजाए मेम्बरान में तकसीम करने के Reserve Fund में पड़ा रहे तो पब्लिक इस में शामिल नहीं होती । मेंबरान एतराज करते हैं कि जहां मुनाफा Co-operative Society के मेंबरान को नहीं जाता हालांकि Private Companies में सारे का सारा मुनाफा हिस्सेदारों को जाता है । स्पीकर साहिब ! मैं Labour Co-operative की मिसाल पेश करता हूं । उन को दस हजार का मुनाफा हुआ । जब हमने कहा कि इस का 1/10 वे हमें दे दें तो वे बुड़बुड़ाने लगे कि हमें तो इस से ज्यादा ठेकेदार से मिल सकता है हम ऐसी societies में क्यों शामिल हों । हमें इस बात का ख्याल आया कि जब बड़ी २ फरमें मुनाफा देती हैं तो हमें भी ऐसा ही provision करना चाहिए । इस लिये यह provision किया गया कि Registrar को request करके मुनाफा तकसीम किया जा सकता है । आप को पता ही है कि Societies की तरफ से और Labour Co-operative Societies की तरफ से representation आती है । इस लिये मैं दरखास्त करता हूं कि इस amendment की कोई मुखालिफत न करे ।

Mr. Speaker: Motion moved—

For lines 1-6 , substitute—

"*Contribution to charitable purposes.* Any registered society may, with the sanction of the Registrar, after making provision for a reserved fund".

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब, चौधरी साहिब ने जो amendment पेश की है यह हिंदुस्तान की culture और civilization के खिलाफ है और social law के उलट है। आगे तो यह होता था कि Society पहले charitable और endowment के लिए funds निकाले। यही provision Government of India Act १८९० में है जिस से साफ जाहिर है कि charity के लिये पहले रकम रखी जाए। और फिर यह सब Fund, मैं कहूंगा General Public Welfare Fund ही तो है और इस तरह की maximum limit पहले ही इस बिल की क्लाज ६ में दर्ज है। इस लिये मैं समझता हूं कि 1/10 का या दसवन्द का तरीका ठीक है पहले charity के कामों के लिये रकम को इस फंड से निकाल कर के Reserve Fund में रखी जाए।

श्री रिजक राम (राय) : साहबे सदर! जहां तक इस तरमीम का तअल्लुक है जो मिनिस्टर साहिब ने पेश की है और इस को पेश करते समय तकरीर फरमाई है मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस से सारी बात साफ नहीं हुई। मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि इस तरमीम का यह मनशा है कि कोई Registered Society, Registrar की मनजूरी लेकर Reserve Fund में contribution करने के बाद बाकी के मुनाफे में से १/१० तक charitable purpose के लिये दे सकती है। इस से साफ जाहर है कि Society के लिये लाजमी तौर पर Reserve Fund की शर्त है और ऐसी शर्त के न होने से Society के मेम्बरान में यह हौसला नहीं होता कि वे Society को चलाएं। लेकिन जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है अगर उस से यह मुराद है कि Reserve Fund थोड़ा है या ज़्यादा है और इस को कम कर दिया जाए तो इस के और भी तरीके हैं। अगर Reserve Fund को ज़्यादा करना है तो Registrar मजबूर कर के इस फंड को कायम करा सकता है और अगर कम करना है तो भी Registrar १/१० की जगह १/२० हिस्सा मुकर्रर कर सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरमीम के पेश करने से यह मुराद है कि Reserve Fund में १/१० की contribution लाज़मी नहीं लेकिन क्लाज ३७ में इस बारे में wordings यह हैं:—

> "The funds of registered society may be divided by way of bonus or dividend or otherwise..........provided that after at least one-tenth of the net profits in any year have been carried to a Reserve Fund."

इस से साफ जाहिर है कि Reserve Fund के लिये यह शर्त लाजमी तौर पर रखी गई है कि Reserve Fund में कम से कम १/१० ज़रूर रखा जाए। इस लिये इस बात की वज़ाहत ज़रूरी है।

क्लाज़ ३८ की amendment redundant हो जाती है क्योंकि Reserve Fund की limit clause ३७ में कायम हो चुकी है। और इस तरमीम का पहिलू खतरनाक हो सकता है और फिर पहले एक क्लाज़ को पास कर के उस में transgression नहीं की जा सकती। इस तरमीम से किसी तरह भी फायदा नहीं हो सकता।

श्री दौलत राम (कैथल) : श्रीमान् स्पीकर साहिब, मैं जो amendment चौधरी साहब ने पेश की है उस की ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि Reserve Fund का जो रुपया जमा होता है वह सही माहनों में इस्तेमाल नहीं किया जाता इस को गलत तौर पर खर्च किया जाता है........

मगरबी ममालिक में जिन को तरक्कीयाफता कहा जाता है, वहां पर इन तरीकों से ही रुपया खर्च किया जाता है......

सिंचाई मंत्री : स्पीकर साहिब, यह provision हम पहले ही क्लाज ३७ में पास कर चुके हैं इस लिये मैं अपनी amendment को वापस लेता हूं। या तो हम क्लाज ३७ को भी amend करते, पर अब वह क्लाज पास कर दी गई है इस लिये क्लाज ३८ पर इस amendment की जरूरत नहीं इस लिये मैं इस amendment को वापस लिये जाने की इजाजत हाऊस से चाहता हूं।

Mr. Speaker: Has hon. Minister the leave of the House to withdraw the amendment ?

The amendment was, by leave, withdrawn.

(At this stage Professor Sher Singh rose to speak).

Mr. Speaker: The hon. Member has not moved any amendment to this clause.

Professor Sher Singh (Jhajjar) : No, Sir, but I suggest that the words "not being a religious purpose" occurring in lines 13-14 of Clause 38 should be deleted.

अध्यक्ष महोदय, मैं वजीर साहिब को संशोधन वापस लेने पर मुबारकबाद देता हूं मगर संयुक्त समिति ने जो तरमीम की है उस पर मुझे एतराज है। कमेटी ने जो संशोधन किया है उस से मालूम होता है कि उन को धर्म का शब्द फ़िरकादाराना का अर्थ समझ में नहीं आया वे इस से मतलब को निकालते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि बेशक हमारी Secular State है लेकिन secular का मतलब irreligious नहीं है। इस का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से किसी खास सम्प्रदाय का प्रचार न हो और न ही किसी सम्प्रदाय की मुखालिफत की जाए। लेकिन धर्म जिसे हम कहते हैं उस से सम्प्रदाय विशेष का सम्बन्ध नहीं है। मानव समाज के नैतिक उत्थान का कार्य जो धार्मिक भावना से किया जाये और जिस में किसी सम्प्रदाय विशेष का विरोध या समर्थन न हो उस काम में सहायता सरकार की ओर से करना भी secularism के खिलाफ नहीं। बाज लोगों के दिल में यह गलत ख्याल बैठ गया है कि इस प्रकार के धार्मिक कामों पर पाबन्दी लगा कर ही Secular State बन सकती है। मैं अर्ज करता हूं कि इस प्रकार के charitable कामों पर रुपया खर्च हो सकना चाहिये।

मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि लोगों को यह भ्रम हो गया है कि धर्म का नाम लेना भी विधान के खिलाफ है। यह भ्रम बिलकुल ग़लत है। धर्म के बाज मोटे मोटे मौलिक सिद्धांत होते हैं और उन को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। न ही वह विधान के खिलाफ

हो सकते हैं । आप जानते हैं कि नैतिक उत्थान के लिये बड़े बड़े महात्माओं-संतों-ऋषियों और पैग़म्बरों की किताबों पर खर्च करना कितना ज़रूरी है । यह खर्च अगर सरकार खुद करे तो भी ठीक है लेकिन Sccieties पर यह खर्च न करने की पाबन्दी लगाना ग़लत बात है । मैं तो यह कहता हूं कि इस प्रकार के धार्मिक कृत्य जो मानव की पक्षपात-रहित भलाई के लिये किये जाते हैं उन के बारे में पाबन्दी लगाना विधान के भी खिलाफ है । अगर कोई काम धार्मिक भावना से किया जा रहा है और Society उस की इमदाद करना चाहती है तो यह ठीक बात है । नैतिक उत्थान के लिये charitable काम ज़रूरी होते हैं । महात्माओं की बहुत सी गाथाएं हैं । उन के सिलसिले में खर्च करने के मुतअल्लिक पाबन्दी लगाना मेरे ख्याल में ग़लत ही नहीं बल्कि हमारे मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप है । मैं अर्ज़ करता हूं कि हमारा विधान बहुत शानदार है और जो तरीका आप इख्तियार कर रहे हैं और जिसे आप बज़ाहिर विधान के हक में समझते हैं वह असल में विधान के खिलाफ है । यह तो बुनियादी हकूक पर छापा है । इस लिये मैं चाहता हूं कि यह "not being a religious purpose" के अलफ़ाज़ उड़ा दिये जाएं और मंत्री महोदय से दरख़ास्त करता हूं कि यह नुक्स दूर कर दें ।

सिंचाई मंत्री : आप यह तो बता दें कि religious और public purpose में क्या फर्क है ।

प्रोफैसर शेर सिंह : मैं तो यह कहता हूं कि आप बेशक यह न कहें कि इन कामों पर ज़रूर खर्च किया जाए । मगर इन पर खर्च न करने की बंदिश क्यों लगाते हैं ? अन्तर बहुत नहीं है परन्तु पाबन्दी लगा कर आप सेवा के क्षेत्र सीमित कर देते हैं ।

श्री मूलचन्द जैन (संभालका) : स्पीकर साहिब ! जो suggestion मेरे दोस्त प्रोफैसर शेर सिंह ने दिया है मैं उस की मुखालिफत के लिये खड़ा हुआ हूं । उन्होंने कहा है कि not being a religious purpose के लफ़्ज़ों को उड़ा दिया जाए । मैं समझता हूं कि जो तरमीम Select Committee ने तजवीज़ की है और इस clause के बारे में वज़ीर साहिब ने जो.......

अध्यक्ष महोदय : वह तरमीम तो पहले ही वापस ली जा चुकी है ।

श्री मूल चन्द जैन : तो फिर मुझे असल तरमीम के हक में बोलने की इजाज़त दी जाए जो Committee की तरफ से की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

श्री मूल चन्द जैन: मैं कहता हूं कि इस तरमीम से Committee ने Co-operative सोसाइटियों की भारी खिदमत अन्जाम दी है। अगर हम religious purpose के लिये पैसा देने लगें तो आप सोचिये Society में सिख, जैनी, हिंदू सब आ सकते हैं । फिर इस का नतीजा क्या होगा । अगर Committee की यह तरमीम न रखी जाए और religious purposes के लिये पैसा देने की इजाज़त दे दी जाये तो मेम्बरों का आपस में झगड़ा हो जायेगा । कोई कहेगा गुरद्वारे के लिये दो । कुछ मंदिर के लिये मांगेंगे, कुछ मेंबर कहेंगे कि हमारी मसजिद को दो । पस Committee ने यह तरमीम करके एक बड़ी खिदमत की है और यह clause इसी सूरत में पास होनी चाहिये ।

श्री देव राज सेठी (रोहतक शहर) : श्रीमान् जी, मेरी अर्ज़ यह है कि श्री मूल चन्द जी ने जो खतरे ज़ाहिर किये हैं उन की कोई वजह नजर नहीं आती। मेरे विचार में यदि not being a religious purpose के शब्दों को हटा दिया जाये तो यह clause permissive हो जायगी। मेरे मित्र ने कहा है कि Co-operative Societies में हर मज़हब के आदमी होते हैं। कोई आर्य समाजी होगा कोई सिक्ख और कोई जैनी। उन के विचारानुसार वे आपस में लड़ते ही रहेंगे। मेरा ख्याल है कि उन का यह विचार बिलकुल ठीक नहीं। पहले जितनी भी Co-operative Societies in this State and in other States हैं उन के experience से हम भली प्रकार कह सकते हैं कि कभी कोई खतरा नज़र नहीं आया। आखिर Joint Stock Companies और Co-operative Societies में हर मज़हब के share-holders होते हैं। हां कहीं कहीं खतरा हो सकता है। लेकिन अगर भिन्न भिन्न मजहबों के share-holders होंगे तो सबों के लिये रुपया दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि religious purpose के लिये रुपया देने से किसी को रोकना न केवल Constitution के बल्कि बुन्यादी असूलों के विरुद्ध है। शायद इस बिना पर यह provision invalid हो जाये। किसी को out of the way जाकर इस काम से रोकना और clause को enabling न बनाना ठीक नहीं। Religious purposes नेक भी तो होते हैं। कई religious संस्थाएं धार्मिक और शिक्षा के काम करती हैं तो इस में क्या बुराई है। मैं मंत्री साहिब से प्रार्थना करता हूं कि इस clause में वह खुद संशोधन पेश कर दें या Speaker साहिब अपने वसीह अधिकारों का जो emergencies में इस्तेमाल किये जाते हैं, इस्तेमाल करते हुए इस समय इस संशोधन के लाने की इजाज़त दे दें।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : मेरे ख्याल में अगर इस clause से not being a religious purpose के शब्द delete कर दिये जायें तो यह clause बहुत खूबसूरत बन जायेगी। Fundamental Rights की तशरीह पूरी तरह Constitution में कर दी गई है। इस के अनुसार किसी तरह भी किसी religion के खिलाफ कुछ न किया जाना चाहिये और न किसी की religious susceptibilities को ठेस लगानी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह provision अगर इस में तरमीम न कर दी जाये तो *ultra vires* of the Constitution हो जायेगी।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ (ਨੂਹ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਵੱਜੁਹ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੁਹ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। Religion ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ Religion ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ideologies ਹਨ। ਕੋਈ socialist ਹੈ, ਕੋਈ communist ਹੈ

ਤੇ ਕੋਈ Gandhi-ite। Religion ਨੂੰ ਖਾਹ ਮੁਖਾਹ point out ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਬਨਾਉਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ religion ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ religion ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ religion ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਹ ਮੁਖਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕੂ ਨਹੀਂ ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਸੀਹ ਇਖਤਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ।

प्रोफैसर शेर सिंह : On a point of order, Sir. Is not the mention here in this clause of the words, 'not being a religious purpose' usurpation of the fundamental rights of citizens guaranteed to him under the Constitution ? I want your ruling on that. Is this provision not *ultra vires* of the Constitution.

अध्यक्ष महोदय : इस में point of order पैदा ही नहीं होता। आपकी amendment के लिये इस समय इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस समय तो amendment तब लाई जा सकती है जब कोई खास ज़रूरी बात बिल में लानी हो या जब कोई बात बिल के objects में रह जाये। अगर आप यह कहते हैं कि यह provision spirit of the Constitution के खिलाफ है इस के लिये other remedies हैं।

This point of order does not arise. The amendment of the hon. Member cannot be admitted at this stage. It is admissible only if something is to be incorporated in the Bill, which is essential and has been left out but has been mentioned in the statement of objects and reasons of the Bill. If the hon. Member thinks that this goes counter to the spirit of the Constitution, then there are other remedies for it.

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह) : साहबे सदर, मेरे ख्याल में 'not being a religious purpose' के शब्दों पर बहस करते हुए Constitution का हवाला देना ठीक नहीं। ऐसा मालूम होता है कि मेरे मित्रों ने Constitution पढ़ी तक नहीं। यदि वे कोई खास बात Constitution में से cite करके Government को

[सिंचाई मंत्री]
satisfy कर दें तो Government इस provision को वापिस ले लेगी। Government को इस बात की कोई ज़िद नहीं । लेकिन मेरे मित्रों ने कहा है कि religion ने क्या झगड़े पैदा किये हैं । मैं कहता हूं कि क्या पाकिस्तान religious झगड़ों के कारण नहीं बना। अगर यह झगड़े ऐसे ही रहने दिये जायें तो मुल्क के और टुकड़े होने का डर है ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या Religion के कारण पाकिस्तान बना ?

सिंचाई मंत्री : Religion के basis पर बना ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : On a point of order, Sir. क्या House में इस बात पर बहस चल सकती है कि religion अच्छा है या बुरा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मसला यह हो तो ऐसे हो सकता है ।

सिंचाई मंत्री : मैं religion के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा । मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मस्जिद के सामने बाजा न बजाने को ही religion नहीं कहते । जिस को मेरे मित्र religion समझते हैं इस से बहुत झगड़े पैदा होते हैं । पाकिस्तान इन्हीं झगड़ों के कारण बना था। हमारे पंजाब में कितनी ही Co-operative Societies होंगी और सब हिंदु सिक्ख मुसलमान उन के मैम्बर होंगे। अगर एक मज़हब के लोग किसी society में majority में हों और अपने मज़हब के लिये रुपया देने का फैसला कर लें तो दूसरे बुरा मनायेंगे । यही वजह है कि हमने बिल में public benefit का लफ़ज दे दिया है। मैं अपने मित्रों से अर्ज करता हूं कि वह बिल में Charitable Endowments की definition को पढ़ें। जब हमने इस clause में "any purpose of general public benefit" के शब्द रख दिये हैं तो क्या religion public benefit से इलैहदा है । सिर्फ मसजिद के सामने बाजा न बजाना ही मज़हब नहीं। हमने charitable endowment की definition बहुत wide कर दी है । हम चाहते हैं कि हर मज़हब के लोग हमारी societies में शामिल हों और सूबे को economically ठीक बनायें । हम यह नहीं चाहते कि कोई कहे कि गुरद्वारे बनें और कोई कहे कि गीता भवन बनें और इस तरह से जूत-बाज़ारी जारी रहे। अगर registered सुसायटियां religious purposes के लिये रुपया देने लग जायें तो एक संस्था कहेगी कि आर्या समाज के लिये रुपया चाहिये, दूसरी कहेगी कि Gita Hall बनाने के लिये रुपया चाहिये तो क्या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस तरह का तमाशा देखती रहे । ऐसा रुपया public benefit के कामों पर खर्च किया जाना ज़रूरी है जैसा कि गांव में सड़कें बनाना और जोहड़ों को दूर करना जो बिमारी फैलाने का कारण बनते हैं । इन हालात को ख्याल में रखते हुए general public benefit के शब्दों की व्याख्या कर दी गई है ताकि कोई संस्था यह न कहे कि सनातन धर्म कालेज के लिये रुपया दीजिए या खालसा कालेज के लिये रुपया चाहिये । हमें असल में ऐसी छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये । मैं तो कहूंगा कि religion के मायने narrow-mindedness है । (*Interruptions*)

मौलवी अब्दुल गनी डार : On a point of information, Sir। क्या religion के मायने तंग-दिली के होते हैं ?

Mr. Speaker : He is at liberty to take any meaning. मैं माननीय मैम्बरों से कहूंगा कि जब कोई मैम्बर बोल रहा हो तो बीच में मदाखलत न किया करें इस से हाऊस में बदमज़गी पैदा हो जाती है ।

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 38 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 39

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

In part (a) of sub-clause (2), for the words " he shall...... and vouchers ", *substitute* " he shall at all times have, for purposes of examination, free access to the books, accounts ".

इन शब्दों से अगर Registrar को free excess दी जाय तो इस की wrong interpretation की जा सकती है । इसलिये मैं समझता हूं कि Registrar को for purposes of examination अख्तियारात दिये जाने चाहियें ।

Mr. Speaker: Motion moved—

In part (a) of sub-clause (2), for the words " he shall...... and vouchers ", *substitute* " he shall at all times have, for purposes of examination, free access to the books, accounts ".

Mr. Speaker: Question is—

In part (a) of sub-clause (2), for the words " he shall...... and vouchers ", *substitute* " he shall at all times have, for purposes of examination, free access to the books, accounts ".

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 39, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 40—42

Mr. Speaker: No notice of any amendment to Clauses 40—42 has been received. If any member wishes to speak on any of these clauses, he can do so.

(No member rose to speak).

Then I will put these Clauses to the vote of the House together as before.

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 40—42 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 43

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh): Sir, I beg to move—

In sub-clause (1), lines 2—5, for the words "In societies........direct or indirect" *substitute* "In societies in which Government have a major financial interest".

In sub-clause (1), line 17, for the words "two years" *substitute* "six months".

In sub-clause (1), line 23, for the words "three years" *substitute* "one year".

यह बिल की धारा जो suspension of the committee से सम्बन्ध रखती है इस के मुतअल्लिक में कहूंगा कि आजकल गवर्नमेंट और Reserve Bank का काफी से ज्यादा रुपया societies के shares में लगा होता है। वहां managing committee mismanage कर सकती है और काम में खराबी पैदा हो सकती है। मैंने बिल में यह प्रबन्ध किया है कि Registrar ऐसी कमेटी को तोड़ कर सुसायटी का काम दो साल के लिये कुछ आदमियों को सौंप सकता है। Registrar इस मियाद को दो साल की बजाये तीन साल तक बढ़ा सकता है। इस के इलावा Reserve Bank चूंकि बहुत wide term है इस से Registrar का हाथ लम्बा हो जायेगा। इस लिये मैं समझता हूं कि यह सब के interest में है कि Reserve Bank के शब्द हटा दिये जायें। अगर किसी बड़ी सुसायटी में गवर्नमेंट के 15 या 20 लाख रुपये के shares हों उस हालत में Registrar को दो साल के लम्बे अर्से के लिये अख्तियारात देना ठीक नहीं। यह मियाद छः महीने होनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा एक साल से नहीं बढ़नी चाहिये। Registrar का इतने लम्बे अर्से तक management में दखल देना ठीक नहीं। इन इलफ़ाज़ के साथ में कहूंगा कि यह तरमीम मुनासिब और जरूरी है।

Mr. Speaker: Motions moved—

In sub-clause (1), lines 2—5, for the words "In societies......direct or indirect" *substitute* "In society in which Government have a major financial interest".

In sub-clause (1), line 17, for the words "two years" *substitute* "six months".

In sub-clause (1), line 23, for the words "three years" *substitute* "one year".

प्रोफ़ेसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! चौधरी साहिब ने जो तरमीम पेश की है उस का मकसद पहली क्लाज़ से बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि लम्बे अरसे के लिये Registrar को अख्तियारात दिये जायें। अगर तीन साल के लिये Registrar के हाथ में काम रहा तो इस बिल की spirit जाया हो जायेगी और वह autocratic तरीके से काम करेगा। मैं समझता हूं कि इतने अख्तियारात भी Registrar के सुपुर्द नहीं किये जाने चाहियें कि वह कमेटी को dissolve कर सके और उस का इन्तज़ाम अपनी मर्ज़ी के आदमियों के हवाले कर दे। छः महीने के लिये भी Registrar को अख्तियारात देना autocracy की मदद करना है और democracy को खत्म करना है। मैं कहूंगा कि Registrar के अख्तियारात को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिये और इस मामले में Registrar की final authority नहीं होनी चाहिये।

Mr. Speaker: Question is—

In sub-clause (1), lines 2—5, for the words "In societies....... direct or indirect", *substitute* "In society in which Government have a major financial interest".

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

In sub-clause (1), line 17, for the words "two years" *substitute* "six months".

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

In sub-clause (1), line 23, for the words "three years" *substitute* "one year.'

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 43, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 44—63

Mr. Speaker: Again I find that no notices of amendments to Clauses 44—63 have been given. Does any member wish to speak on any of these Clauses ?

(No member rose to speak).

Since no one wishes to speak on these Clauses, I shall put them to the vote of the House together.

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 44—63 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Sub-clause (1)

Mr. Speaker: Question is—

That sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh): Sir, I beg to move—

> That the Punjab Co-operative Societies Bill as reported on by the Joint Select Committee and amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the Punjab Co-operative Societies Bill as reported on by the Joint Select Committee and amended be passed.

श्री मूल चन्द जैन (संभालका) : साहिबे सदर, इस बिल के तकरीबन पास हो जाने पर मैं वज़ीर साहब को मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि इस बिल के introduce होने पर कुछ मैम्बर साहिबान ने कहा था, Co-operative Societies के ज़रिए हम जनता की, खास तौर पर गरीब लोगों की, बहुत सेवा कर सकते हैं। हमारे संविधान में भी देश को Co-operative Commonwealth बनाने का ध्येय सामने रखा गया है।

मैं एक बात की ओर वज़ीर साहब का ध्यान दिलाने के बाद बैठ जाता हूं। मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं कि Co-operative Societies को चलाने के लिये जो अहिलकार मुकर्रर किये गये हैं, उन में बहुत से ऐसे हैं जो उस spirit में काम नहीं कर रहे जिस spirit में Co-operative Societies Act बनाया गया था या जिस में उस पर अमल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वे सेवा के भाव में काम नहीं कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता मगर यह एक हकीकत है जिस से कोई इनकार नहीं कर सकता। उन में से बहुत की ज़हनियत वही पुरानी है। गरीब लोगों के साथ उन्हें कोई हमदर्दी नहीं। हमारे वज़ीर साहिब चाहते हैं कि चाहे यह Leather Co-operative Societies की तनज़ीम हो, चाहे और छोटे दस्तकारों की Co-operative Societies बनाई जाएं, उन्हें माली सहायता दी जाये। ऐसे ऐहकाम जब नीचे अफसरों तक पहुंचते हैं तो इन को ऐसा मालूम होता है गोया गरीब लोगों को इमदाद देना, उन की तनज़ीम करना या उन्हें ऊंचा उठाने की कोशिश करना कोई बुरी बात है। अब पुराने ऐक्ट को बदल कर नया ऐक्ट बनाया जा रहा है, तो यह भी आवश्यक है कि अहिलकारों की ज़हनियत को भी बदला जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि आया उन में काम करने की लियाकत भी है या नहीं, वे लोगों की सेवा करने के योग्य भी हैं या नहीं।

प्रोफैसर शेर सिंह (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय ! यह ठीक है कि इस विधेयक को पास कर के हम लोगों में सहकारिता भावना को जागृत करना चाहते हैं ताकि छोटे छोटे आदमी मिल कर बड़े २ काम कर सकें। इस विधेयक के उच्चय उद्देश्य को सामने रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। परन्तु साथ ही एक ज़रूरी चीज़ उन के नोटिस में लाना चाहता हूं। देखा गया है कि आम तौर पर Co-operative Societies ठीक ढंग पर काम नहीं कर रही हैं और बहुत सी fail हो गई हैं। Controls के ज़माने में तो उन्हें कुछ सामान आदि मिल जाने से कुछ आमदनी हो जाती थी और कुछ आदमियों को वेतन और इधर उधर आने जाने का मौका मिल जाता था। Controls lift हो जाने के बाद तो वे societies भी खत्म हो रही हैं जो पहले चल रही थीं।

जब तक सहयोग की भावना लोगों के हृदयों में समा नहीं जाती, मेरे ख्याल में Co-operative Societies तब तक सफल नहीं हो सकतीं। Joint family भी एक तरह की Co-operative Society होती थी, blood relations मिल कर काम करते थे। Joint Family System भी अब टूट रहा है। इधर उधर से आदमी जोड़ कर societies बनाई जा रही हैं, ईमानदारी घट रही है, इस लिये societies सफल नहीं होतीं। एक आदमी आगे बढ़ता है और पांच, दस आदमियों को पचास २, सौ २ रुपये के shares दे कर अपनी कमाई का साधन बना लेता है। बाकी हिस्सेदार कोई दिलचस्पी नहीं लेते। जिस spirit में societies बननी चाहियें वह मौजूद नहीं। मैं समझता हूं कि यह तहरीक बड़े २ लोगों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये बल्कि छोटे से छोटे आदमी तक पहुंचनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय की सेवा में निवेदन करता हूं कि Co-operative Movement केवल इस विधेयक के पास होने से सफल नहीं हो सकती। इस के कामयाब करने के लिये उस spirit में जो इस के पीछे काम कर रही है एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है।

अध्यक्ष महोदय! मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जितनी छूट लोगों को देती जाएगी लोग कमाने के ढंग निकालते जायेंगे। लोग देखते हैं कि सरकार सहायता दे रही है। वे १०,१५ आदमी मिल कर कमाई करने के लिये रास्ता निकाल लेते हैं और Society बना लेते हैं जिन को कोई और सहारा नहीं मिलता वे सहकारी समिति ही बना लेते हैं। उन लोगों को सरकारी मदद लेने का बहाना तो मिल जाता है लेकिन उन के अन्दर भावना वही चलती रहती है अर्थात् उचित अथवा अनुचित रीति से पैसा कमाना। वे लोग Joint Stock Companies की भांति महकमे के अफसरों से audit करवा लेते हैं चाहे उन के काम में कितनी ही त्रुटियां हों वे सहकारी समिति के अफसरों के ज़रिए उन को ठीक करवा लेते हैं। स्पीकर साहिब! मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यदि इस विभाग के अफसरों का इतना ही काम रह जाना है कि इन्होंने Joint Stock Companies के auditors की भांति जा कर सहकारी समितियों की गलतियों को ठीक करवाना है तो लोगों में नई भावना का संचार नहीं हो सकता। इस का अर्थ तो यही होगा कि Joint Stock Companies का नाम बदल दिया गया है परन्तु आत्मा वही है। केवल रूप मात्र बदला गया है। उस हालत में इस motion से हमारी सहानुभूति नहीं हो सकती। मेरा सुझाव यह है कि जब कोई Co-operative Society बनती है तो मंत्री महोदय को इस बात की जांच करवानी चाहिये कि कितने आदमी हैं, कौन कौन मैम्बर बन रहा है और उन लोगों का वास्तव में मकसद क्या है। कितने कुन्बे के लोग हैं और वे किस २ ढंग के हैं। उन में co-operative spirit मौजूद है कि नहीं ? Society की constitution को और membership को देखकर registration के समय सख्ती से काम लिया जाना चाहिये। वरना लोग Joint Stock Companies बनाते चले जायेंगे और अपने मुनाफे की सूरत निकालते चले जायेंगे। नाम भी बदल कर अच्छा बन जायगा लेकिन भावना वही रहेगी, spirit वही रहेगी और यदि सरकार लोगों के अन्दर नई भावना का संचार करना चाहती है तो महकमे को सख्त होना पड़ेगा और इस बात की जांच करनी पड़ेगी कि कौन सी समिति किस भावना को लेकर आगे आ रही है ? और यदि महकमे

[प्रोफैसर शेर सिंह]

वालों का यही काम रह जाता है कि सब-इन्सपैक्टर बनाते हैं और सब-इन्सपैक्टरों ने यह सोचना है कि भाड़ में जाये Co-operative Society, सफल हो या असफल हो हम ने तो पैसे लेने हैं। यदि केवल इतना ही मकसद रह जाता है महकमे वालों का तो Society तो बन जायेगी लेकिन अभीष्ट अभिप्राय पूरा नहीं होगा। इस लिये आवश्यकता तो यह है कि लोगों में नई भावना का संचार किया जाए और Societies की spirit को बदला जाए न कि नाम को वरना वही बात रहेगी जैसे कि कहा जाता है कि लाखों गढ़े खाद के लिये बना दिये गये हैं। सूची में तो बात आ जाती है परन्तु वास्तविकता कुछ और होती है। इसी प्रकार समितियां तो आठ या दस हजार बन जायेंगी परन्तु असली मायनों में न होंगी न काम कर रही होंगी, उन को सफलता नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि समितियां चाहे 50 ही बनें लेकिन वे सही अर्थों में कामयाब हों, इस बात का ध्यान सरकार और महकमे वालों को होना चाहिये। यदि लोगों की भावना को न बदला गया तो यह movement आगे नहीं बढ़ सकेगी। जैसा कि मैं कह चुका हूं नाम तो बदल जायेगा लेकिन इन समितियों की आत्मा Joint Stock Companies वाली ही रहेगी। स्पीकर साहिब! इन शब्दों के साथ मैं पुन: वज़ीर साहिब की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि Societies की registration के समय सख्ती से काम लें और लोगों में वास्तविक भावना को जाग्रित करने का प्रयत्न करें।

श्री रला राम (मुकेरियां) : अध्यक्ष महोदय! मैं मंत्री महोदय को इस बिल के लिये जो कि वे लाये हैं और जो अभी २ पास होने वाला है, बधाई देता हूं। आधुनिक युग सहकारिता अर्थात् Co-operation का युग है। पुराने ढांचे का जो कानून इस समय तक चल रहा था वह बजाए सहायक होने के रुकावट साबित हो रहा था और हमारी मौजूदा आवश्यकताओं को meet नहीं करता था। इस लिये मंत्री महोदय ने हमारी ज़रूरतों को देखते हुए यह निहायत अच्छा और प्रशंसनीय कदम उठाया है जिस के लिये मैं उन को पुन: बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय! इस सम्बन्ध में मैं आप के द्वारा एक बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं। यह युग सहयोग और सहकारिता का है। हम सारे देश में उद्योग धंधों, कृषि को और कुटीर उद्योग को आगे ले जाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यह सब कुछ Co-operative Department के ज़रिए जिस रीति से हो सकता है और किसी अन्य ज़रिये से ऐसी अच्छी रीति से नहीं हो सकता। परन्तु मुझे यह देख कर शोक होता है कि इस विभाग के कर्मचारियों के अन्दर वह Missionary spirit अर्थात् प्रचारक की भावना नहीं है जो कि मैं समझता हूं कि आज से 20 या 25 वर्ष पहले किसी अंश में देखने में आती थी। उस भावना में अब शिथिलता आ गई है। गांवों में जो लोग कुटीर उद्योगों का काम करना चाहते हैं हम उन को Co-operative Societies बनाने के लिये तैयार करते हैं परन्तु उस में हमें सफलता नहीं मिलती। इस सिलसिले में एक उदाहरण आप के द्वारा मैं मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं। इस बजट में कुछ रुपया बांस की टोकरियों की Industry में लगे हुए लोगों के लिये रखा गया है। मैं ने यह प्रयत्न किया कि अपने हलके में जो लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं उन भाइयों की एक Co-operative Society बना दी जाये और इस उद्देश्य के लिये मैं ने चाहा कि Co-operative Societies Department की ओर

से ऐसी व्यवस्था की जाये जिस के द्वारा उन को यह सूचना मिले कि यदि उन लोगों ने इस काम को उन्नत करने के लिये सरकार से सहायता लेनी है तो उन को सहकारी समितियां बनानी होंगी। परन्तु मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि इस प्रयत्न से सम्बन्धित विभाग की ओर से ऐसी सहायता या सहयोग नहीं मिल सका जो कि मिलना चाहिये था। नतीजा यह हुआ कि हम उस इलाके में अभी तक Co-operative Societies बनाने में सफल नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय ! मैं आप के द्वारा यह बात मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस ऐक्ट की हमें अत्यन्त आवश्यकता थी और यह विधेयक ला कर उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है परन्तु इस में हमें उस समय तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि इस विभाग के कर्मचारी यह न समझ लें कि यह काम Official काम नहीं है बल्कि उन्होंने इसे कामयाब बनाने के लिये Missionary के तौर पर काम करना है। और जब इस विभाग के कर्मचारी इस कानून के अधीन गांवों में Missionary spirit से काम करना आरम्भ कर देंगे तो हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी चाहे वह क्षेत्र Cottage Industry अर्थात् कुटीर उद्योग का हो चाहे कोई अन्य हो। हमारी सरकार ने Labour Co-operative Societies बना कर लोगों की बेहतरी के लिये एक बड़ा कदम उठाया है इस के फलस्वरूप सड़कें बहुत तेज़ी से बननी शुरु हो गई हैं। परन्तु इस विभाग के कर्मचारी अभी तक Labour Co-operative Societies के महत्व को नहीं समझ सके। और मैं ने देखा है कि नतीजे के तौर पर जो रुपया सरकार दे रही है और जो विकास योजनाओं पर खर्च हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग़रीब लोगों को लाभ पहुंच सके हमें उस में उतनी सफलता नहीं हो रही जितनी कि होनी चाहिये थी। इस लिये, अध्यक्ष महोदय, अगर हमें इस कानून को कामयाब बनाना है तो मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन को इस Spirit में तबदीली लाने का प्रयत्न करना चाहिये जिस Spirit से कि अभी तक उन के कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन की भावना को बदलना चाहिये। इस विभाग के कर्मचारियों को केवल Official ढंग से काम नहीं करना चाहिये। इस को सफल बनाने के लिये हमें उन के अन्दर Missionery spirit को दाखिल करना होगा। एक थोड़ी सी भ्रान्ति है जो अभी तक गांव के अन्दर जारी है। यही कारण है कि वे लोग Co-operative ढंग से काम करने के आन्दोलन का उतना लाभ नहीं उठा रहे जितना कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में वे उठा सकते हैं। आखिर इस आन्दोलन को चलाने का उद्देश्य क्या था ? यही कि ज़रायत पेशा लोग और कृषक भी इस में उसी Zeal से काम करें। इस लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब ज़माना और उस की स्पिरिट बदल चुकी है। अब तो, मैं समझता हूं कि यह तमीज़—ज़मींदार और ग़ैर ज़मींदार की—बिल्कुल हट जानी चाहिये। अभी तक कई लोग एसे हैं जिन्हें ग़ैर ज़रायत पेशा कहा जाता है मगर उन के पास कई कई खेत मौजूद हैं।

बहुत कुछ न कहता हुआ अब थोड़े शब्दों में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे अर्थों में जनता को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आप को अपने विभाग के कर्मचारियों को समझाना होगा कि वे अब गांव में जाकर पुरानी lines पर work करना छोड़ें। युग के संदेश को सुनें, उस की स्पिरिट को समझें और Missionary Zeal से काम करें। वह ज़माना गया जब कि किसानों और ग़ैर ज़मींदारों में भेद डाल कर स्वार्थी लोग अपना

[श्री रला राम]
मनोरथ सिद्ध किया करते थे। हमें आज उस पुरानी रीति को बदलना है—उन पुरानी lines को मिटाना है। तभी हम लोक-हितकारी राज स्थापित कर सकते हैं; तभी हम कह सकते हैं कि हमने एक Welfare State की नींव डाली है।

अध्यक्ष महोदय! आप के द्वारा में यह बातें अपने माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता था और अन्त में मैं उन्हें इस ऐक्ट के लिये जो वे आज इस सभा में लाए हैं, फिर बधाई देता हूं।

श्री राम किशन (जालन्धर शहर–उत्तर पश्चिम): स्पीकर साहिब ! मैं यह समझता हूं कि यह जो ऐक्ट आज हम पास कर रहे हैं यह बिल्कुल वक्त की पुकार है और मौजूदा हालात के पेशे-नज़र भी यह ऐक्ट पास होना ही चाहिये था। आज कौन नहीं जानता कि दुनिया के काफ़ी बड़े और छोटे मुल्कों ने कोआप्रेशन के सिद्धांतों पर बहुत भारी तरक्की की है। स्कैंडेनेवियन मुमालक में से अकेले डैनमार्क का नाम लेना ही काफ़ी होगा। हालांकि डैनमार्क का मुल्क हमारे पंजाब के कांगड़ा ज़िला के ही बराबर होगा। लेकिन फिर भी उसने दुनिया में अपना नाम बनाया हुआ है। वहां पर Co-operatives के ज़रिये ही Rural Universities और Peoples Colleges कायम हैं। इस के इलावा आप पैलस्टीन की तरफ देखिये। वहां पर Refugees का एक पुराना मसला था। लेकिन उस का हल करने के लिये Mutual Co-operation और Co-operative Societies ने एक ज़बरदस्त पार्ट अदा किया है। सन् 1940 के अन्दर जब चीन में Civil War हुई थी तो कौन नहीं जानता है कि उस के बाद वहां की सारी की सारी democracy Co-operative lines पर चलाई जा रही है। इन सारे कामों के पीछे वही स्पिरिट काम कर रही है जिस को सामने रखते हुए आज यह बिल पास किया जा रहा है। उन मुमालिक ने जिस spirit और Missionary Zeal से अपने मुल्कों को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया है तो कोई वजह नहीं कि क्यों नहीं हम उन्हीं असूलों को अपना कर अपने देश को development या welfare state बना सकते। आज जब हर तरफ़ से यह कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमों को बना रहे हैं, हम इस बात को हरग़िज़ नज़रअन्दाज़ नहीं कर सकते कि ऐसी large scale plans को पाया-ए-तकमील तक पहुंचाने के लिये कोआपरेटिव movement एक अहम और ज़बरदस्त पार्ट अदा कर सकती है।

यह एक अमर वाक्या है कि देश के दूसरे हिस्सों की निस्बत हमारे पंजाब के सूबे में Co-operative movement बहुत पहले से चल रही थी लकिन अफ़सोस से कहना पड़ता है इस movement को आगे बढ़ाने के लिये जिस missionary spirit से काम किया जाना चाहिये था, वह हम नहीं कर पाये हैं। आज हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं उन के ज़रिये आइन्दा दो-चार सालों में हमारे देश में सनअतें Cottage और Small-scale Industries बहुत ज़बरदस्त तरक्की करने जा रही हैं।

स्पीकर साहिब ! जैसा कि हमारे मनिस्टर साहिब को मालूम है पिछले दिनों जो experts हमारे यहां आए थे उन्होंने भी इस बात की तरफ तवज्जोह दिलाई थी कि जहां तक Small-scale Industries और Cottage Industries को फ़रोग देने का सवाल है उन में Co-operative Societies एक अहम पार्ट अदा कर सकती हैं। इस लिये मैं

विश्वास रखता हूं कि जिन हालात में और वक्त की जिस पुकार को मद्दे नजर रखते हुए हमने आज के दिन यह बिल पास करना है उन में उस spirit को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो कि इस Co-operative Movement में छिपी हुई है । अगर हमारे इस डीपार्टमेंट के कर्मचारी उसी स्पिरिट को सामने रख कर काम करेंगे तो यकीनन छोटी छोटी दस्तकारियों के फलने फूलने से हमारे देश को लाभ होगा ।

जैसा कि चौधरी साहिब ने बताया है, मुल्क में जितनी भी दस्तकारियां हैं—छोटी या बड़ी—सब को Co-operative Societies के जरिए ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। Small-scale Industries ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मिलें यानी sugar mill हो या textiles की, भी इसी lines पर establish करना चाहते हैं। और इस तरह करके मुल्क में classless society कायम करना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है । कौन इस से इनकार कर सकता है । लेकिन इस के लिये बहुत बड़ा काम हमारे सामने है । हमें वह माहौल पैदा करना है जो कि ऐसी movement को कामयाब बनाने के लिये जरूरी है, यानी to work in a missionary zeal । मुझे पूरा यकीन है जिस स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ एक क्लाजिज़ बनाई हैं उसी के मुताबिक पंजाब राज्य के future development के लिये काम किया जायेगा । मैं आशा करता हूं कि सिर्फ़ गांव मे ही नहीं बल्कि कस्बों और शहरों में भी हमारे कर्मचारी खाह वह छोटे हों या बड़े—इसी zeal से काम करेंगे ताकि उन की मिसालों को सामने रख कर लोगों मे co-operative का जज़बा पैदा हो । अगर हम इस स्पिरिट से काम शुरु करेंगे तो कोई वजह नहीं कि क्यों हमारी मेहनत सफल न हो । इसलिये में आशा करता हूं कि आप इन चीजों को सामने रखते हुए मुनासब instructions जारी करेंगे । इन इलफ़ाज़ के साथ में अपनी जगह पर बैठता हूं ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਰਮਦਾਸ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ ਜਿਹੜਾ Co-operative Societies ਦਾ ਬਿਲ ਅਜ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ੨ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ co-operative societies ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਨ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ।

[ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਅਜੇ ਤਿਕਨ ਤਾਂ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਮਹਿਕਮਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜ ਤਿਕਨ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫਾਲਤੂ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ mission ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ co-operative ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ neglected ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਲੈਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਰ ਸਹੀ ਮੈਹਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦੱਦ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਖੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਕ welfare state ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ importance ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ serious ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੇਕ ਸਪਿਰਿਟ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪੁਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੈਲ-ਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ਼ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅਰ ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ industrial production ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ ! ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ production ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਾਰੀ ਅਰ ਸਰਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, welfare centre ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। Production ਵਧੇਗੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹੋ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।

ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਯਾ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ practical shape ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ intention ਹੈ। ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਅਤੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਕਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਗ ਕੁਝ ਖੁਦ ਸਰਮਾਇਆ ਪਾਉਣ ਅਰ ਕੁਝ ਸੂਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਦੱਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ, ਇਕ ਦੋ suggestions ਦੇਣਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ suggestions ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ repeat ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ production ਵਧਾ ਸਕਣ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧ ਮਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਬਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਣ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ Labour Societies ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਮਾਨਯੋਗ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ orders ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੇਕਨ practical shape ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭਰਾ ਅਫਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧ membership ਵਿਖਾ ਕੇ Bogus Labour Societies ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ Labour Societies ਦੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕਿ 25 ਰੁਪੈ ਪਰ ਮੈਂਬਰ-ਸ਼ਿਪ, ਯਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵਰਹ

[ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ encourage ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਢਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ Labour Societies ਨੂੰ discourage ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਨ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛਡਣ ਅਰ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਜਾਣ ਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਹੀ ਘਿਉ ਵਿਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ discourage ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ Labour Societies ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ State ਹੋਰ ਵੀ ਅਗੇ ਵਧੇ ਫੁਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ Co-operative Societies ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Co-operative Societies ਜੋ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਰ ਇਹ suggest ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਲਗ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਤਿੰਨ ਹੋਣ, ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇਕ Accounts ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲਜ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖਾਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ ਅਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਮਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ ਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਨ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਲਗਾਕੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ

ਮਦੱਦ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ So ciety ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ study ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਵੀ suggest ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ rules ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰ ਇਹ ਰੂਲ ਵਿਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ rules ਜੋ ਬਿਲ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਨ ਵਿਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ intention ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ accept ਕਰਕੇ provide ਨਾ ਕਰਨ।

ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ refugee ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ West Punjab ਵਿਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਧਵਾ ਸਨ ਅਰ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਕੁਝ ladies ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ permanent ਸਾਧਨ ਬਣਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ co-operative societies ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ sound ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਕਾਰ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇ-ਘਰ, ਬੇਦਰ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ

[ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਥੋਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਕੇ Co-operative Society ਬਣਾਕੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਚਲਾਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ discourage ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪੈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

सिंचाई मन्त्री : मेरी बहन किस सन् की बात कर रहीं हैं।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ interrupt ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ refugee ladies ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ sureties ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਵਜਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾਂ ਚੰਗਾ public ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ practical ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ।

श्री देव राज सेठी (रोहतक शहर) : अध्यक्ष महोदय ! आज Co-operative Societies के उस बिल को हम एक नए बिल के रूप में पेश करके एक नई शक्ल दे रहे हैं जिस की पंजाब में 35 या 40 साल की पिछली हिस्टरी है। इस महकमे की अपनी रवायात हैं और अपने कवायद है और उस की अपनी Establishment है। एक तरफ तो यह महत्व, आकांक्षा और ख्वाहिश और नेकनियती पंजाब की वज़ारत की है और हमारे मैम्बरान और सारे पंजाबियों की भी यही इच्छा है। हर कोई चाहता है कि हमारा सूबा

तरक्की करे और दूसरी तरफ इस महकमे की पिछली हिस्ट्री है । इस के पुराने ढांचे को देख कर दिल में खदशा पैदा हो जाता है कि यह जो बढ़िया खाहिश जो हमारी है यह इस महकमें के द्वारा पूरी हो भी सकेगी कि नहीं । क्योंकि इस का वही पुराना ढांचा होगा ; उस का वही bureaucratic काम करने का ढंग होगा जो पिछले 40 सालों में रहा है । लेकिन जो हमारे पंजाब की spontaneous growth है उसको देख कर हम कह सकते हैं कि हमारा पंजाब देश की दूसरी States को हमेशा lead करता रहा है । लेकिन यदि हम इस महकमे की पिछली history को देखें तो हमारी आंखे खुलेंगी कि किस ढंग से यह महकमा काम करता है । अध्यक्ष महोदय ! हमें इस की बुराइयों और खामियों को पहचानना चाहिये । हमें पिछले मामलों से सबक सीखना चाहिये और इस महकमे की working को सुधारना चाहिये । आज हम देखते हैं कि इस महकमे का कोई भी भाग ऐसा नहीं जिस में दोष नहीं हैं । उस में वही पुराने रवायात और कवायद बदस्तूर जारी हैं जो पहले थे । हमें उन को दूर करना होगा ।

जापान एक सनअती देश है । लेकिन एक सनअती देश होते हुए भी वहां सनअतों के सिखाने और चलाने का सारा काम Co-operative Societies द्वारा ही होता है । उन सनअतों को वहां raw material भी इन्हीं के द्वारा supply किया जाता है और उनका तैयार किया माल भी वह ही बेचती हैं । वह देश मशीनों के parts co-operative basis पर बनाने में बड़ा कामयाब रहा है और आज वह बड़े बड़े Industrialist देशों को challenge बन रहा है । तो इस सब तरक्की की बुनियाद ही co-operative system पर है । तो हमें भी ऐसा करने के लिये इस महकमे में सुधार करना होगा । इस के बिना इस बिल की खूबसूरती कैसे पूरी तरह ज़ाहिर हो सकती है । यह तो उसी तरह हो सकती है जैसे कि एक गाड़ी के दो पहिये होते हैं और जब तक वह दोनों ठीक प्रकार एक तेज़ी के साथ मिल कर नहीं चलते वह गाड़ी नहीं चल सकती । इसी तरह इस विभाग को इस बिल की भावनाओं के साथ चलना होगा । बिना उस के हम अपने मन के मकसद को पूरा नहीं कर सकते । हमारा यह जो ऊंचा आदर्श है इस को पूरा करने के लिये एक Special Committee बनानी चाहिये जो यह देखे कि इस महकमे की जो पुरानी रवायात हैं या जितने rules हैं उन का कहां तक बदलना ज़रूरी है । यह देखने में आया है कि अक्सर जो केस चलता है, खाह वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, उस की मौत Secretariat में जाकर होती है । केस सीधे चला गया तो कम से कम 3 महीने और अगर कहीं Finance Department से हो कर गया तो 6 महीने लग जाते हैं । इस ढंग से कौन सा business है जो चल सकता है ? Raw material भी बेकार है । इस सारे गोरख धंधे से किसी तरह नजात मिलनी चाहिए । यह Bureaucratic System एक लानत है जिस का सुधार किया जाना चाहिये । जितना पुराना staff है उन से एक बड़ा भारी खतरा है । उन में से 90 प्रतिशत के अन्दर कोई उत्साह नहीं, उन के दिलो दिमाग पर पुरानी रवायात बुरी तरह से छाई हुए हैं । अगर हमने इस खतरे से नजात पानी है या पंजाब को जल्दी उन्नति की ओर ले जाना है तो हमें इस पुराने अमले को जड़ों तक झंझोड़ना होगा नए कवायद बनाने होंगे, वरना हमारे नए स्वप्नों को खतरा है और हमें मायूसी का मुंह देखना

[श्री देव राज सेठी]
पड़ेगा। अगर हम Services का सुधार कर सके तो हम जरूर कामयाब होंगे, अपने प्यारे नेता जवाहर लाल नेहरू का ख्वाब पूरा कर सकेंगे और इस उन्नत Republic के अन्दर उसी तरह से lead कर सकेंगे जैसा कि पहले पंजाब किया करता था।

श्रीमती सीता देवी (जालन्धर शहर, दक्षिण पूर्व) : स्पीकर साहिब, इस बिल के लिये मिनिस्टर साहिब को बहुत बधाईयां दी जा चुकी हैं और मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जिन्होंने नेकनियती से इस अच्छे बिल पर मिनिस्टर साहिब को बधाई दी है। परन्तु मुझे एक बड़ा खदशा है। जैसा कि किसी के दिल में खुशी के मौके पर कोई डर हो यही हालात मेरी है। इस में कोई शक नहीं कि इस बिल का मनशा बड़ा अच्छा है और हमारी केबिनट और चीफ़ मिनिस्टर साहिब का दिल साफ है, इरादे नेक हैं और वह नक्शा बदलना चाहते हैं, बेकारी को हटाना चाहते हैं। यह सब कुछ होते हुए भी यह नेक इरादे पूरे होते दिखाई नहीं देते इस का क्या कारण है? Co-operative Societies कोई हमारे लिये नई चीजें नहीं, हर जगह यह कायम हैं। मगर जब हम इन की हालत पर नजर डालते हैं तो क्या नज़र आता है? चौधरी साहिब ने Labour की Co-operative Societies बनाईं। खुशकिसमती कहिये या बदकिसमती, मैं भी उस के Advisory Board की member थी। मेरे साथी जो जालन्धर के हैं अच्छी तरह जानते हैं कि इन सोसाइटियों की आज क्या हालत है। इन सोसाइटियों को सिवाए थोड़े से earth work के और कुछ काम नहीं मिला। सारे का सारा काम ठेकेदारों को दिया गया। मैं इस बात की तरफ नहीं जाती कि इन को यह काम देने के क्या कारण थे। मगर आज जो मुल्क की हालत है, वह मैं आप के सामने रखना चाहती हूं। इस हालत का एक ही इलाज है कि co-operative basis पर Cottage Industry चलाई जाए। वह गरीब लोग जिन के पास थोड़ा २ सरमाया है वह आज अपनी भूख Co-operative Societies के ज़रिये ही मिटा सकते हैं। लेकिन उस के साथ एक बड़ा भारी सवाल और खड़ा हो जाता है। Cottage Industries बन गईं, माल तैयार हुआ मगर उस माल की कीमत ज्यादा होती है, मार्किट से ग्राहक उठाता नहीं। इस के हल के लिये एक suggestion तो यह है कि जो चीजें इन सोसाइटियों द्वारा तैयार की गई हों उन को preference देने के order कर दिये जायें चाहे 30 प्रतिशत खर्च ज़्यादा ही करना पड़े। कई देशों ने ऐसे rules बनाए हुए हैं। आप को अपनी Cottage Industries के तैयार किये माल और handloom के माल को बाहर भेजना होगा। इस तरह से जिस बेकारी को आप दूर करना चाहते हैं कर सकेंगे। सब से बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आप सरमायादारी की लानत को दूर कर सकेंगे। आज अगर जालन्धर या रोहतक में sugar factories खुलती हैं तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे आशा है कि यह enthusiasm कामयाब होगी। जब factories co-operative basis पर चलेंगी तो सरमायादारी की लानत दूर होगी और बेकारी के problem को हल करेंगी बशर्ते कि दो तीन बातें जो मैंने और मेरे साथियों ने कही हैं उनको ध्यान में रखा गया।

एक और बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी गवर्नमेंट को Co-operative Department को झंझोड़ना होगा। लोग कहते हैं कि हमें business के लिये रुपया दिलवाईए। मैं उन से कहती हूं कि आप एक Co-operative Society बना लीजिये तो वह कानों पर हाथ रखते

हैं और कहते हैं "न बाबा, न, हम ऐसा नहीं कर सकते"। Department की शर्तें ही कुछ ऐसी हैं कि उन को पूरा करना आसान नहीं। उन पर तो हम काम ही नहीं कर सकते। इस लिये इन शर्तों को नर्म करना होगा। यह ठीक है कि security लेना बहुत ज़रूरी है मगर तो भी कुछ तो नर्मी करनी ही होगी वरना लोग इस से फायदा नहीं उठा सकेंगे।

श्री चान्द राम अहलावत (झज्जर) : प्रधान जी, मैं चौधरी साहिब को इस बिल को हाऊस में लाने के लिये मुबारिकबाद देता हूं। वह काफ़ी दिनों से इस बात की कोशिश में थे कि इस बिल को Government of India के ऐक्ट के अनुसार और देश की मौजूदा democratic set-up के अनुरूप बनाया जाए। इस के लिये उन्होंने बड़ी कोशिश की है। एक Joint Select Committee बनाई जिस की report के आधार पर आज यह बिल House के सामने पेश है। हमें यह देखने की ज़रूरत है कि आज हिंदोस्तान किधर जा रहा है। हमारे संविधान की भूमिका में यह कहा है कि Republic हम बना चुके हैं और अब हमें Co-operative Republic बनाना है। संविधान के Directive Principles मे लिखा है कि community के जो means of production हैं उनका देश में इस्तेमाल इस तरीके से होगा कि सामाजिक न्याय सब को सुलभ हो सके।

इस लिए जहां भी Co-operative Societies की बातें होती हैं इस बात का ख्याल रखा जाता है कि middle man को बीच से निकालकर exploitation को खत्म किया जाए। हरेक सूबा में जहां भी ऐसी सुसाइटियां बनाई गई हैं इस बात का ख्याल रखा गया है। यहां हमारे सूबा में भी middle man को हटाने की कोशिश की गई है।

हमारे सूबे के Co-operative Societies के महकमे में कोशिश की गई है कि एक sugar mill लगा कर यह मिसाल कायम की जाए कि large-scale Industries कहां तक co-operative basis पर कायम की जा सकती हैं। यह भी साबत कर दिया है कि सरकार इस सिद्धांत को किस तरह चलाती है। चौधरी सहिब ने जो बातें कहीं हैं कि voluntary basis पर काम होगा यह ठीक नहीं। Government को Co-operative Societies को promote करने में active हिस्सा लेना पड़ेगा क्योंकि गरीब आदमी को Co-operative Societies से तब ही फायदा हो सकता है।

हमने मजदूर को जगाना है। समाज का गिरा हुआ हिस्सा सरकार से यह उम्मीद करता है कि समाज में उस को न्याय मिले।

मुझे सिर्फ इस बात पर इखतलाफ है कि Co-operative Societies की movement को voluntary रखा जाए और मजदूर और गरीब को लाभ हो।

जहां तक नहर के महकमे का सम्बन्ध है, श्रीमती सीता देवी ने इस के Labour Co-operative Societies का ज़िक्र किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सुसाइटियां कभी भी सफल न होतीं अगर इन पर सरकार का हाथ और डण्डा न होता। सरकार का हाथ ही इन को सफल बना सकता है।

[श्री चांद राम अहलावत]

सरकार को चाहिए कि Cottage Industries को ज्यादा से ज्यादा सहायता दे। Cottage Industry मर रही है। इस को जिन्दा रखने की कोशिश की जाए। जहां तक भट्ठा Industry का सम्बन्ध है इस में पथेरे हैं, brick-makers हैं, उन्हें Co-operatives का कोई फायदा नहीं क्योंकि कोयला co-operative basis पर नहीं दिया जाता। आज कल कोयला मुकर्रर की हुई agencies को ही दिया जाता है। इन agencies के लिए कोयले का quota मुकर्रर है। इस से उन individuals की आमदनी बढ़ती है जिन के vested interests हैं। और जिन के पास means नहीं वह पथेरे ही हैं। सरकार को चाहिए कि वह कोयले की बांट Co-operative Societies बना कर करे, इससे middle man और individuals का मुनाफा मज़दूर और पथेरे को मिलेगा। हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिन के पास means नहीं और जिन के सिर पर कर्ज़े की भारी रकम है। हमें उन के कर्ज़े कम करने के लिए Co-operative Societies बना देनी चाहिए।

फिर, श्रीमान स्पीकर साहिब, Cottage Industries में कर्ज़ा काफी बढ़ रहा है। आमदनी के ज़राए कम हो रहे हैं। हमें उन के कर्ज़े कम करने हैं। हमें उन के ज़राए आमदनी ज्यादा करने हैं। भूमि-हीन लोगों को co-operative basis पर ज़मीनें देनी हैं और ज़राए आमदनी बढ़ाने का यही एक हल है कि Co-operative Societies कायम की जाए।

आखिर में मैं फिर मिनिस्टर साहिब को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने यह बिल सभा में 1912 के ऐक्ट की जगह लेने के लिये और गरीब मज़दूर की आमदनी बढ़ाने के लिये पेश किया है।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! मुझे इस से पहले इस बिल पर बोलने का मौका नहीं मिला। इस में शक नहीं कि हमारे मिनिस्टर साहिब ने इस बिल को पेश कर के एक अच्छा कदम उठाया है और हमें चाहिये कि इसे सफल बनाने में हम co-operate करें (प्रशंसा) लेकिन इन Co-operative Societies के working का जो तरीका इख्तियार किया गया है वह Constitution के उलट है। जर्मनी में भी इन्हीं लाईनों पर तहरीक चलाई गई थी पर आखिर में वह Fascism की शक्ल इख्तयार कर गई। इस बिल की क्लाज़ें 39, 40, 44 और 62 भी इस किस्म की हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल की यह क्लाज़ें खतरनाक हैं और इनका आखरी नतीजा Fascism होगा।

सरकार ने इन तरमीमों में Co-operative Societies से सब ताकत छीन कर Registrar को दे दी है। सरकार ने Registrar एक ऐसी agency बना दी है कि वह जब चाहे Society की constitution को amend कर सकता है। इस को cancel, wind up और liquidate कर सकता है इतने वसीह इख्तियार दे दिये गये हैं कि लोगों को कभी भी Co-operative Societies पर इतमाद नहीं हो सकता। उन की गरदन पर हर वक्त Registrar की तलवार ही लटकती रहेगी। लेबर और इस में शामिल होने वालों को हर वक्त यह डर रहेगा कि Registrar rules amend कर सकता है। इस लिये मैं फिर यह कहूंगा कि मिनिस्टर साहिब इस बिल की क्लाज़ों 39, 40, 44 और 62 पर गौर करें वरना उनका यह नेक काम फेल हो जायेगा।

मैं यह मानता हूं कि उन का यह कदम अच्छा है। मैंने प्राईवेट तौर पर भी उन के साथ तबादला ख्यालात किया है। वह नेक ख्याल थे। लेकिन जहां पर Co-operative Societies की जो constitution बनाई गई है उस में Legal Remembrancer की instance पर Registrar को वसीह इख्तियार दे दिये गये हैं। इस से पता चलता है कि चौधरी साहिब ने अपने ख्याल बदल लिये हैं।

Labour Co-operative Societies का मकसद तो यह था कि unemployment को दूर किया जाए लेकिन इन का working ridiculous बना दिया गया है। कोई भी जो एक रुपया चन्दा दे इस का मेंम्बर बन सकता है लेकिन सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं की और उसे वहां मिट्टी उठाने पर लगा दिया गया। असल में इन Co-operatives को equality के असूल पर चलाया जाना चाहिए। इस के working से यह देखना चाहिए कि employed और employer का भेद न रहे ताकि लोग तवक्को कर सकें कि Co-operative Societies सही spirit में चलेंगी और मुल्क फायदा उठा सकेगा।

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Co-operative Societies Bill as reported on by the Joint Select Commmittee and amended be passed.

The motion was carried.

(*The Assembly then adjourned till 2 p.m. on Tuesday, the 2nd November* 1954)

1447 PVS—284—19-4-55—CP & S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

2nd November, 1954

Vol. III—No. 2

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 2nd November, 1954

CHANDIGARH :

Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab

1956

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, 2nd November, 1954

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital at* 2 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

TRAVELLING ALLOWANCE DRAWN BY COMMISSIONER, JULLUNDUR DIVISION

***4004. Sardar Gopal Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the names of the places visited by the Commissioner, Jullundur Division, and the total amount of Travelling Allowance drawn by him during the months of June, July, August and September, 1954?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The required information is given below:—

Name of month.		Places visited.	Amount of travelling allowance drawn.		
			Rs		
June, 1954	..	Amritsar, Gurdaspur, Aliwal, Chandigarh, Simla	99	0	0
July, 1954	..	Ludhiana, Karnal, Delhi, Hoshiarpur ..	117	8	0
August, 1954	..	Chandigarh, Abohar, Hoshiarpur, Lahore, Aur	135	0	0
September, 1954	..	Delhi, Ambala, Ferozepore, Yol, Dharamsala, Palampur, Barot, Kangra, Dehra-Gopipur, Amritsar, Pathankot.	337	10	0

TRAVELLING ALLOWANCE DRAWN BY RESIDENT MAGISTRATES, DISTRICT LUDHIANA

***4005. Sardar Gopal Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of travelling allowance drawn by each Resident Magistrate of Ludhiana district during the months of June, July, August and September, 1954?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): There is no Resident Magistrate in Ludhiana District.

GOVERNMENT EMPLOYEES IN THE STATE

***3932. Shri Sri Chand** : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of Government employees in the State:—

(a) drawing less than Rs 50 per mensem,

(b) between Rs 51 and Rs 100 per mensem,

(c) between Rs 101 and Rs 500 per mensem,

(d) between Rs 251 and Rs 500 per mensem,

(e) between Rs 501 and Rs 1,000 per mensem,

(f) between Rs 1,000 and Rs 2,000 per mensem, and

(g) getting more than Rs 2,000 per mensem?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): Government regret their inability to supply the information as the time and labour involved in its collection, in their view, are not commensurate with any possible public gain.

TOURS BY MINISTERS

***3933. Shri Sri Chand** : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the total number of days for which each of the Ministers was on tour during the months of April, 1954, to October, 1954 together with the number of miles travelled by each one of them;

(b) the cost incurred by the Government on petrol for the said tours together with the amount of daily allowance drawn by each one of them?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The necessary information is being collected and will be supplied as soon as possible.

RELIEF TO POLITICAL SUFFERERS OF TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR

***3699. Shri Mani Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether any relief (financial assistance) was granted to the political sufferers of Tehsil Patti, District Amritsar after the 1st April 1953; if so, their list together with their full addresses;

(b) the period for which this relief was sanctioned;

(c) the total amount sanctioned for each of the persons referred to in part (a) above;

(d) whether any Part of the amount sanctioned has been paid to the persons referred to in part (a) above; if so, the total amount paid to each one of them upto 31st July, 1954 ; if not, the details of arrears and the reasons for non-payment in each case?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary)—

(a)
(b)
(c) Yes. A statement containing the requisite information is given below—
(d)

Statement showing the names and addresses of political sufferers of Tehsil Patti, District Amritsar, who have been granted financial assistance after 1st April, 1953.

Serial No.	Name and address of political sufferer.	Period for which the relief was sanctioned.	Total amount sanctioned.	Amount paid up to 3oth June, 1954.
1	2	3	4	5
			Rs	Rs
1	Sathi Daulat Ram, son of Pandit Shankar Dass, House No. 5/87, Patti, district Amritsar.	1st April, 1953 to 31st March, 1955	720	450
2	Shri Sucha Singh son of Sardar Waryam Singh, village and Post Office Marhana, tehsil Patti district Amritsar.	Ditto	720	450
3	Shri Kartar Singh son of Sardar Mohan Singh, village and Post Office Marhana, tehsil Patti, district Amritsar.	Ditto	720	450
4	Shri Salig Ram son of Shri Anant Ram House No. 85, Ward No. 5, tehsil Patti, district Amritsar.	Ditto	720	450
5	Shri Balli Singh, son of Shri Ganda Singh, Village Saida, post office Patti, district Amritsar.	Ditto	720	450
6	Shri Bahadur Singh, son of Sardar Lachhman Singh, village and post office Marhana, tehsil Patti, district Amritsar.	Ditto	360	225
7	Shri Kesar Singh, son of Sardar Nihal Singh, village Noorpur, post office Sheikh, tehsil Patti, district Amritsar.	Ditto	360	225
8	Shri Piara Singh, son of Sardar Bisa Singh, village and post office, Marhana, tehsil Patti, district Amritsar.	Ditto	360	225

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No.	Name and address of political sufferer.	Period for which the relief was sanctioned.	Total amount sanctioned	Amount paid up to 30th June, 1954.
1	2	3	4	5
9	Shri Kedar Singh, son of Sardar Bhagwan Singh, village and post office, Marhana, tehsil Patti, district Amritsar.	1st April, 1953 to 31st March, 1955.	720	450
10	Shri Jagat Singh, son of Baba Ishar Singh, village and post office Marhana, tehsil Patti, district Amritsar.	Ditto	360	225
11	Shri Baghal Singh, son of Sardar Ball Singh, village Boor Chand, post office Patti, district Amritsar.	Ditto	720	450
12	Shrimati Durga Devi, widow of late Shri Haveli Ram, Chowk Kazian, Ward No. 5, tehsil Patti, district Amritsar.	1st September, 1953 to 1st March, 1955.	570	300
13	Shri Haveli Ram, son of Shri Sita Ram, Chowk Kazian, Ward No. 5, tehsil Patti, district Amritsar.	1st April, 1953 to 31st August, 1953.	250	250
14	Shri Sarmukh Singh, son of S. Bishan Singh, village Marhana tehsil Patti, district Amritsar	1st April, 1953 to 1st March, 1955.	720	450
15	Shrimati Kartar Kaur, widow of Pt. Harnam Singh son of Pt. Kanshi Ram of Sheikhupura district, House No. 458, Ward No. III, C/o Bawa Harbans Singh, Patti, district Amritsar.	1st April, 1954 to 31st March, 1955	1,200	750

RELIEF TO POLITICAL SUFFERERS OF AMRITSAR DISTRICT

***3700. Shri Mani Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) (i) whether any applications from political sufferers of Amritsar District for relief from the National Workers relief fund were rejected by the Government up to 31st July, 1954; if so, their list with their full addresses together with the reasons for rejection in each case (ii) the nature of sacrifices, if any, made for the struggle for freedom by each one of them as stated by him;

(b) whether any inquiries were made about the existing incomes of persons referred to in part (a) above; if so, through what agency and the findings thereof?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) (i) Yes. A list is given below. As regards the reasons for rejection none of them was considered eligible according to the criterion adopted for the consideration of the applications.

(ii) The information is not readily available and the time and labour involved in collecting it will not be commensurate with any possible benefit to be derived from it.

(b) No. Does not arise.

List showing the names and addresses of political sufferers of Amritsar District whose applications for relief from the National Workers Relief Fund were rejected.

Serial No.	Name and address of political sufferer.
1	Shri Durga Parkash Bhushan, son of Pt. Sant Ram, Rashtarya Aushadhalya, Darshni Bazar, Jandiala Guru, district Amritsar.
2	Shri Mohinder Lal Bedi, son of Bawa Gopal Singh, care of District Congress Committee Amritsar.
3	Shri Hazara Singh, son of Sardar Allaha Singh, President, Abadi Makbulpura, near Octroi Post, Amritsar.
4	Shri Mal Singh Bhalla, son of Bawa Ram Narain Singh, House No 184/1, Jaikhana Street, Inside Ram Bagh Gate, Amritsar.
5	Shri Chuni Lal Malhotra, son of Shri Das Raj, 771, Katra Chanian, Amritsar.
6	Shri Muni Lal Bhalla, son of Bawa Hakam Singh, care of Amritsar Sports House, Hall Bazar, Amritsar.
7	Shri Surat Singh, son of Shri Fateh Singh, village and post office Fatehwal, tehsil Ajnala, district Amritsar.
8	Shri Amar Nath, son of Pt. Hari Ram, village and post office Shahura, tehsil Ajnala, district Amritsar.
9	Shri Hira Lal, son of Shri Nihal Chand, Mohalla Rajan, Ward No 5, Patti, district Amritsar.
10	Shri Bihari Lal, son of L. Ram Chand, Inside Bhagtanwala Gate, Gali No 1, House No. 152/9, Amritsar.
11	Shri Mohan Singh, son of S. Atma Singh, village and post office Fatehabad, tehsil Taran Taran, district Amritsar.
12	Shri Bachittar Singh, son of S. Narinder Singh, village and post office Raja-sansi, district Amritsar.
13	Shri Pritam Singh, son of S. Lakha Singh, village and post office Marhana, tehsil Patti, district Amritsar.
14	Shri Uttam Singh, son of S. Hakim Singh, Patti Phalan, village and post office Khadur Sahib, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
15	Shri Surjan Singh son of S. Bhagat Singh, village and post-office Khadur Sahib Patti Hasoke, tehsil Taran Tarn , district Amritsar.
16	Shri Bishan Singh son of S. Ala Singh, village and post office Brahampur, tehsil Tarn Taran, District Amritsar.

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No.	Name and address cf political sufferer.
17	Shri Hazara Singh son of S. Hira Singh, village Patti Bhagian, post office Khadur Sahib, tehsil Tarn Taran, district Amritsar.
18	Shri Sunder Singh son of S. Narain Singh, village and post office Sarali, via Beas, district Amritsar.
19	Shri Sajjan Singh Margindpuri son of S. Banda Singh, village and post office Margindpura, tehsil Patti, district Amritsar.
20	Shri Teja Singh, son of S. Santa Singh, village Dubli, post office Patti, District Amritsar.
21	Shri Kartar Chand Sharma son of Pt. Ganga Ram, Gali Aroria, Katra Karam Singh, Amritsar.
22	Shri Pritam Singh son of S. Gurdit Singh, village and post office Rajasansi District Amritsar.
23	Shri Dalpat Singh Sandhwalia son of S. Narinder Singh, Village Rajasansi, District Amritsar.
24	Shri Surjit Singh son of S. Bahadur Singh, Village and Post Office Khadur Sahib District Amritsar.
25	Vaidraj Hari Ram Sharma of Lahore, 2544/1, Katra Mahan Singh, Amritsar.
26	Shrimati Janki Devi c/o Pt. Durga Dass Vaid, Qilla Bhangian, Amritsar.
27	Shri Nand Lal, Honorary Secretary Society for Prevention of Cruelty to Animals, Tarn Taran, District Amritsar.
28	Shri Buta Singh son of S. Mansa Singh Jat, Village Khadur Sahib, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar.
29	Shri Harbans Singh son of S. Amar Singh, Patti Masandan, Village Khadur Sahib Tehsil Tarn Taran, District Amritsar.
30	Shri Udham Singh son of S. Amar Singh, Patti Masandan, Village Khadur Sahib, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar.
31	Shri Jagdish Chander Shastri, 4 Sarvanpura, Amritsar.
32	Shri Manak Chand, Retired Civil Nazir, 341/11, Duggalan Street, Amritsar.
33	Shri Jaishi Ram, Bazar Bakrawana, Kucha Partap Singh, House No 2057/2, Amritsar.

ADULT CIVILIAN TRAINING SCHOOL

***3622. Shri Ram Chandra Comrade**: Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether any meeting of the representatives of the Punjab, Pepsu and Himachal Pradesh Governments was held on the 23rd April, 1954 at Ambala to consider the suggestions of the Government of India to revise the programme in respect of Adult Civilian Training School;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, a gist of the suggestions of the Government of India in this respect and the recommendations, if any, made by the said conference to the Government of India be laid on the Table?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) No.

(b) Does not arise.

PROMULGATION OF SECTION 144 IN THE STATE

***3709. Shri Abdul Ghani Dar**: Will the Chief Minister be pleased to state the names of the districts in the State where Section 144 Criminal Procedure Code was promulgated during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (1st September) together with the period for which it remained in force?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

ASSISTANT SUB-INSPECTORS OF POLICE

***3553. Sardar Sarup Singh**: Will the Chief Minister be pleased to State:—

(a) whether any limit has been fixed by the Government for keeping the Assistant Sub-Inspectors of Police on the officiating list; if so, what; if not, the reasons therefor;

(b) the sanctioned strength of the Assistant Sub-Ins pectors of Police for the year 1954-55;

(c) the sanctioned strength of the permanent Assistant Sub-Inspectors of Police for the year 1954-55;

(d) (i) the number of officiating Assistant Sub-Inspectors of police for the year 1954-55;

(ii) the number of Assistant Sub-Inspectors of Police referred to in part (d) (i) above who have been officiating for more than 7,6,5,4,3 and 2 years respectively?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) No maximum or minimum officiating period has been prescribed by the State Government for Assistant Sub-Inspectors. Promotions to officiating rank of an Assistant Sub-Inspector are made out of the confirmed Head Constables on promotion list 'D' as and when vacancies occur, due to leave, sickness, deputation or otherwise, of senior officers. The incumbent continues to officate as long as the vacancy lasts depending on the work and worth of the officiating officer.

Since substantive promotions can only be made against substantive va cancies, it is not possible to fix any period of officiation. An officiating offi cer would continue to do so until his turn comes for a substantive vacancy or unless he is reverted due to unsatisfactory work.

(b) 824.

(c) 692 Assistant Sub-Inspectors.

[Chief Parliamentary Secretry]

(d) (i) 503.

(ii) over 7 years	..	19
over 6 years	..	42
over 5 years	..	47
over 4 years	..	93
over 3 years	..	115
over 2 years	..	118

With regard to (c) and (d) it may be explained that a very large number of Assistant Sub-Inspectors are officiating in higher ranks in temporary vacancies, on deputation and the like. Their places have been filled up by promotion of Head Constables as Officiating Assistant Sub-Inspectors.

RECRUITMENT OF ASSISTANT SUB-INSPECTORS OF POLICE

***3554. Sardar Sarup Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether any applications for the recruitment of Assistant Sub-Inspectors of Police were invited by the Subordinate Services Selection Board, Punjab during the year 1954 ; if so, when;

(b) (i) whether any applications were received by the said board; if so, their list together with the full addresses of the applicants;

(ii) the academic qualifications of each one of them;

(iii) the marks obtained by each one of them in the F.A. final examination and B.A. final ;

(c) (i) whether all the applicants referred to in part (b) (i) above were called for interview ; if not, the reasons therefor ;

(ii) the list of the persons who were called for interview ;

(d) the list of the persons finally selected by the said Board ;

(e) the list of persons whose applications were rejected by the said Board and the reasons for rejection in each case ?

Shri Prabodh Chandra. (Chief Parliamentary Secretary) (a) yes, in the middle of February, 1954.

(b) (i) *first part.* 1,404 applications were received by the Board in response to the advertisement.

(ii) Second part, and (ii) and (iii) It will take considerable time to collect and tabulate this information and the time and labour involved will not be commensurate with the results to be achieved.

(c) (i) No. Those candidates who had not passed the Intermediate examination in the first or second division or had no distinction in sports or a National Cadet Corps Certificate were not called for interview.The Board had to recruit the best available candidates and it was advisable to eliminate those who had not passed the Intermediate Examination in the first or second division or had no distinction in sports or a National Cadet Corps Certificate

List of candidates recommended by the Board for appointment as Assistant Sub-Inspectors of Police.

1. Shri Satish Kumar Midha, care of Shri A. S. Midha, I.P.S., Principal Police Training School, Phillaur.
2. Shri Kailash Nath Raina, son of Shri Moti Ram Raina, village and post office Haripur, district Kangra.
3. Shri Sat Narain Johar, son of Ch. Asa Ram, village and post office Landheri, district Hissar.
4. Shri Davinder Singh Chaudhry, care of Jem. Amir Singh, village and post office Kiloi, district Rohtak.
5. Shri Rameshwar Datt Tola, Lower Division Clerk, Eastern Electrical Circle Canal, P.W.D., Talkotora Barracks, New Delhi-2.
6. Shri Chhotu Ram Yadhava, Clerk B. S. High School, Rewari, district Gurgaon.
7. Shri Harsaran Singh, 553/4-A, Gate Baghwali, Near Sarai Guru Ram Dass, Amritsar.
8. Shri Lakha Singh Mann, son of Shri Harnam Singh Mann, village and post office Pheruman, district Amritsar.
9. Shri Bakshish Singh Cheema, village Salaura, post office Behrampur Zimidan, Tehsil Rupar, District Ambala.
10. Shri Harjit Singh Barmota (Scheduled Caste) care of National Loheti Hotel, Bazar No. 7, Ferozepore Cantt.
11. Shri Bishan Chand (Scheduled Caste), village Saipur (Near Baba Sodal), post office, Jullundur City.
12. Shri Gajinder Singh, 22-Inder Road, Dehra Dun.
13. Shri Mohinder Singh Sidhu, care of Shri Girdhari Lal Marwaha, Book Seller, Samrala, district Ludhiana.
14. Shri Santokh Singh Dhandhari, son of Shri Balwant Singh, village Dehra, tehsil Muktsar, district Ferozepore.
15. Shri Krishan Lal C. Muradia, care of Ch. Des Raj, Sub-Inspector Police, 158, Block No. 8 Nawan Mohalla, Ludhiana.
16. Shri Sawarn Singh Sohata, 4th year student, D.A.V. College, Room No. 17, Hoshiarpur.
17. Shri Roop Chand Shenmar (Scheduled Caste) care of Shri K. C. Shenmar Deputy Superintendent, Camp Jail, Yol.
18. Shri Som Nath Hindi, Khusropur, Jullundur Cantt.

CASES OF SUICIDE IN THE STATE

***3694. Sardar Partap Singh** (Ratta Khera): Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases of suicide ;

(b) the total number of cases of attempted suicide in the state during the year 1953?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) 512 (b) 137.

ABDUCTION OF HARIJAN GIRLS IN DISTRICT JULLUNDUR

3847. Sardar Darshan Singh : Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) the number of cases of abduction of Harijan girls registered in the district of Jullundur during the year 1953-54;

(b) the number of cases in which the abducted girls were recovered and handed over to their parents or husbands ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :--

(a) 1953	7
1954 up to 1st October, 1954	4
Total	11
(b)	11

(The hon. Member will be pleased to know that all the abducted women were recovered and handed over to their lawful guardians.

PROVIDING EDUCATIONAL FACILITIES TO PRISONERS

3596. Shri Mansa Ram Kuthiala : Will the Chief Minister be pleased t o state:—

(a) whether the Government has provided any facilities to the prisoners in the State for their studies and taking University examinations; if so, the details thereof ;

(b) whether it is a fact that the prisoners convincted for life or for a period of over 20 years are not granted such facilities ; if so, the reasons therefor ;

(c) whether the Government has received any representation from any prisoner that long term prisoners should also be allowed facilities such as those referred to in part (a) above for studies and examinations; if so, the action, if any taken by the Government in the matter ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) Government are committed to a policy of encouraging convicted prisoners to pursue higher studies in jails. Consistent with the needs of safe custody and administrative requirements, the following broad principles have been laid down in this connection:—

(i) Prisoners not convicted of heinous offences (which will be defined shortly) and whose conduct in jails has been satisfactory can be allowed parole to go to an examination centre for any examination of any University or Institution for which they may have studied ; subject to the condition that the examination should be a well recognised one.

(ii) In the case of prisoners convicted of heinous offences or those whose conduct in jails has not been satisfactory, permission will be granted to appear in the examination of a University or Institution; provided authorities concerned agree to make the jail, in which such examinees are lodged, an examination centre. For this purpose it is proposed that all prisoners intending to take the same examnation should be concentrated in one jail and appropriate authorities should then be approached for arranging the examination.

(b) No. The decisions enumerated above do not debar any class of prisoners from appearing in any University examinations.

(c) Government received representations from four life-convicts for permission to sit for higher examination of the Punjab University. Their cases were taken up with the University authorities, but the latter refused permission to these prisoners to appear for their examinations on the ground that the prisoners in question did not possess 'good moral character' in terms of Regulation II (a) of the Punjab University Calendar. In accordance with the policy outlined in the reply to portion (a) of the question, Government have approached the Punjab University authorities to amend their rules in such a way as to make it possible for all prisoners who are permitted by them to take examinations, to do so. The reply of the University authorities is awaited.

श्री बदलू राम : क्या चीफ़ पार्लियामेण्टरी सैक्रेटरी साहिब बतायेंगे कि क्या गवर्नमेंट इस बात पर विचार कर रही है कि युनिवर्सिटी के नियमों में amendment की जाए ताकि कैदियों को इस सम्बन्ध में सुविधाएं मिल सकें ?

चीफ पार्लियामेण्टरी सैक्रेटरी : इस के मुतग्रल्लिक जवाब दिया गया है कि University को approach किया गया है कि वह ज़रूरी amendments कर दे ।

"BETTER" CLASS PRISONERS

*3597. **Shri Mansa Ram Kuthiala :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of prisoners in Punjab jails convicted for periods of over fourteen years and placed in "Better" class at present ;

(b) the number of prisoners serving terms of fourteen years or over who are (i) graduates (ii) under graduates (iii) post graduates and (iv) matriculates who have been given 'Better, class due to their income prior to their conviction ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) 30.

(b) First part:— .. 2

Second part:— .. 3

Third part:— .. Nil

Fourth part .. 6

CHANDIGARH COMPANSATARY ALLOWANCE

*3919. **Shri Dev Raj Sethi— :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the difference in price level of various necessities of life at Chandigarh as compared to other principal towns in the State at present ;

(b) whether any compensatory allowance has been granted to Government employees stationed at Chandigarh ; if so, the details thereof and the date from which granted ;

[Shri Dev Raj Sethi]

(c) the steps, if any, taken by the Government to check the rise in prices at Chandigarh?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) A statement giving the required information roughly is given below.

(b) Compensatory Allowance has been granted to all gazetted and non-gazetted Government servants, including those paid from contingencies, stationed at Chandigarh, drawing pay up to Rs 300, per mensem, and less, at the rate of 12½ per cent of their pay for a period of one year with effect from 1st August, 1954, and thereafter for another year from 1st August 1955 at the reduced rate of 6½ per cent per mensem, of their basic pay and thereafter it would cease.

(c) The following steps have been taken by Government to check the rise of prices at Chandigarh—

(i) a Government dairy farm has been established ;

(ii) Government shops for the purchase of meat, vegetables and poultry have been opened ;

(iii) four shops for open fair price depots at nominal rent of Rs 30 per mensem were opened which were later on sold at reasonable prices;

(iv) many shop sites were created, which were sold and a number of shops have been built up which are run by private people thus creating competition;

(v) an Annapurana has been opened.

Comparative statement of rates of various articles of daily use in different towns of Punjab vis-a-vis Chandigarh in the middle of July, 1954.

Name of the Article	Ambala	Karnal	Ludhiana	Jullundur	Amritsar	Simla	Chandigarh
	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.
1. Milk (Per seer) ..	0 8 0	0 7 0	0 9 0	0 8 0	0 7 0 (at 9 annas for 20 Chhtks)	0 12 0	0 11 0
2. Bread (one pound) ..	0 6 0	0 7 0	0 8 0	0 8 0	0 6 0	0 7 0 to 0 8 0	0 8 0
3. Eggs (per dozen) ..	1 2 0	1 0 0	1 2 0	1 4 0	1 6 0	1 12 0	1 8 0 to 1 11 0
4. Tomatoes (per seer) ..	0 12 0	0 8 0	0 12 0	0 12 0	0 10 0 to 0 12 0	0 8 0	1 0 0
5. Baingan (per seer) ..	0 8 0	0 5 0	0 8 0	0 8 0	0 6 0	0 8 0	0 12 0
6. Bhindi (per seer)	0 8 0	0 8 0	0 8 0	0 8 0	0 6 0	0 8 0	0 10 0
7. Ghiya (per seer) ..	0 4 0	0 2 0	0 2 6	0 4 0	0 2 6	0 10 0	0 6 0
8. Halva Kaddu (per seer) ..	0 1 6	0 0 6	0 1 6	0 2 0	0 2 0	0 4 0	0 3 0
9. Onions (per seer) ..	0 2 0	0 1 3	0 2 0	0 2 0	0 2 0	0 2 0	0 2 6
10. Potatoes (per seer)	0 6 6	0 5 0	0 7 0	0 7 0	0 7 0	0 4 0	0 8 0
11 Palak (per seer) ..	0 4 0	0 4 0	0 1 6	0 2 0	0 2 0	0 6 0	0 6 0
12. Lemons (per seer) ..	0·12 0	0 12 0	0 13 0	0 12 0	0 12 0	0 12 0	1 4 0

Name of the Article	Ambala	Karnal	Ludhiana	Jullundur	Amritsar	Simla	Chandigarh
	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.
13. Bhain (per seer)	0 12 0	0 8 0	0 10 0	0 8 0	0 10 0	0 12 0	1 4 0
14. Mangoes (per seer)	0 13 0	0 14 0	1 4 0	0 14 0	1 0 0	1 8 0	1 4 0
15. Jamans (per seer)	0 4 0	0 6 0	0 8 0	0 8 0	0 8 0	0 6 0	0 4 0
16. Plums (per seer)	1 4 0	1 4 0	1 4 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 8 0
17. Bananas (per dozen)	0 9 0	0 9 0	0 12 0	0 12 0	0 10 0	1 0 0	0 14 0
18. Wheat (per maund)	11 0 0 to 12 0 0	11 0 0 to 12 0 0	11 0 0 to 12 0 0	11 12 0 to 12 4 0	11 0 0 to 12 4 0	13 0 0 to 13 4 0	13 0 0 to 14 0 0
19. Rice (per seer)	0 11 0	0 12 0	1 0 0	0 14 0	0 14 0	0 15 0	1 2 0
20. Ghee (per seer)	5 0 0	4 12 0	5 2 0	4 12 0	5 0 0	4 12 0	5 4 0
21. Meat (per seer)	1 8 0	1 6 0	1 8 0	1 12 0	1 12 0	2 0 0	1 12 0
22. Curd (per seer)	0 12 0	0 12 0	0 12 0	0 10 0	0 12 0	1 0 0	1 0 0
23. Firewood (per maund)	2 4 0	1 8 0	2 8 0	2 8 0	2 8 0	2 8 0	2 8 0
24. Urd (Salam) (per seer)	0 7 0	0 7 0	0 6 6	0 7 0	0 5 6	0 8 0	0 9 0
25. Urd (Dal) (per seer)	0 8 0	0 8 0	0 8 0	0 9 0	0 10 0	0 10 0	0 10 0
26. Moong (Dal) (per seer)	0 7 0	0 7 0	0 5 0	0 6 0	0 5 6	0 8 0	0 9 0
27. Gram (Dal) (per seer)	0 5 0	0 5 0	0 5 0	0 5 0	0 4 6	0 6 0	0 6 6
28. Gram (Kabli) (per seer)	0 6 0	0 5 6	0 6 6	0 6 0	0 6 0	0 7 0	0 8 0

Item							
29. Besan (per seer) .	0 5 6	0 5 6	0 5 6	0 5 6	0 6 0	0 6 0	0 7 0
30. Kali Mirch (per seer) .	4 8 0	5 0 0	5 0 0	5 0 0	4 6 0	5 0 0	6 0 0
31. Chillies (per seer) ..	2 8 0	2 0 0	2 12 0	2 8 0	2 7 0	3 3 0	3 0 0
32. Spices (per seer) ..	4 0 0	4 0 0	3 0 0	4 0 0	4 0 0	4 0 0	6 0 0
33. Almonds (per seer)	2 2 0	2 0 0	2 0 0	1 12 0	1 14 0	2 8 0	2 12 0
34. Sugar (per seer) ..	0 13 6	0 13 6	0 13 9	0 13 6	0 13 3	0 15 0	0 14 0
35. Sarson Oil (per seer) ..	1 8 0	1 7 0	1 8 0	1 8 0	1 5 0	1 10 0	1 10 0
36. Washing Soap (per seer) ..	0 14 0	0 14 6	0 14 0	0 14 0	0 13 0	1 2 0	1 4 0
37. Hair Cutting ..	0 6 0	0 6 0	0 6 0	0 6 0	0 8 0	0 8 0	0 8 0
38. Dry Cleaning— Pant .	0 12 0	0 12 0	1 0 0	0 12 0	1 0 0	0 8 0	1 0 0
39. Suit ..	2 4 0	2 4 0	2 8 0	2 4 0	2 8 0	1 8 0 to 1 12 0	2 8 0
40. Dhobi per cloth ..	0 2 0	0 2 0	0 2 0	0 2 0	0 2 0	0 2 0	0 2 0
Tailoring Charges							
41. Pant (Cotton) ..	2 8 0	2 0 0	2 8 0	2 8 0	3 0 0	2 8 0	3 8 0
42. Coat (Cotton) .	4 0 0	3 0 0	4 0 0	4 0 0	5 0 0	..	6 0 0
43. Shirt ..	1 0 0	0 12 0	1 4 0	1 0 0	1 4 0	1 8 0	1 8 0
44. Pajama .	0 6 0	0 6 0	0 8 0	0 6 0	0 8 0	0 8 0	0 8 0
44-A. Bush Shirt .	3 0 0	2 8 0	3 0 0	3 0 0	3 0 0	2 8 0	4 0 0
45. Baan ..	0 11 0	0 12 0	0 12 0	0 12 0	0 12 0	1 4 0	1 0 0

Name of Article	Ambala	Karnal	Ludhiana	Jullundur	Amritsar	Simla	Chandigarh
	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.	Rs As. Ps.
46. Mosquito nets ..	10 0 0	10 0 0	9 8 0	9 8 0	9 0 0	..	12 0 0
47. Milling Charges Wheat (per maund) ..	0 5 0	0 5 0	0 5 0	0 5 0	0 5 0	..	0 8 0
48. Cleaning Charges (per maund) ..	0 2 0	0 2 0	0 3 0	0 2 0	0 2 0	..	0 4 0
49. Ice per maund	2 8 0	2 8 0	1 8 0 to 2 8 0	1 8 0 to 2 8 0	1 8 0 to 2 8 0		7 8 0
Water Charges							
50. Consumption charges * (per one thousand gallons)	0 8 0	..	0 12 0		0 12 0 (subject to maximum of Rs 2)	2 0 0 for excess water only	1 0 0
51. Meter rent (per month) ..	1 0 0	..	0 12 0	..	0 12 0	1 0 0	1 0 0

53. Prices of cloth, furniture (crockery, utensils, glass ware, footware, stationery, hosiery goods, easily range twenty-five per cent to thirty per cent higher than those prevailing in other towns in the plains of the Punjab and are even higher than at Simla barring a few standard items of cloth like voils, long cloth, drills, etc., the rates of which are universally the same in almost all the places.

*The average water consumption charges at Chandigarh are Rs 7 to 10 per mensem as against Rs 3 to 5 per mensem paid in Simla.

श्री देव राज सेठी : Statement में बताया गया है कि average water consumption charges at Chandigarh are between 7 to 10 rupees per month as against Rs 3 to 5 per month at Simla. मैं यह पूछना चाहता हूं कि शिमला में भी सरकारी rate है और यह भी सरकारी rate है तो यहां double charges होने का क्या कारण है और क्या सरकार ने charges को कम करने के बारे में कुछ विचार किया है ?

चीफ़ पार्लीयामैण्टरी सैक्रेटरी : Water Charges जो होते हैं वह expenses की ratio के मुताबिक होते हैं । यहां पीने का पानी ट्यूबवैलज़ द्वारा दिया जाता है जिन के expenses ज़्यादा हैं । इस लिए गवर्नमेंट को मजबूरी तौर पर ज़्यादा charges लेने पड़ते हैं ।

श्री देव राज सेठी : इस बात के पेशे नज़र कि चण्डीगढ़ में अम्बाला, करनाल वगैरा के मुकाबले में कपड़े, फरनीचर, crockery की कीमत 25-30 per cent ज़्यादा है क्या गवर्नमेंट ने उन चीज़ों के लिए जो perishable नहीं हैं कोई co-operative store खोलने की तजवीज़ पर गौर किया है; अगर किया है तो उस का क्या नतीजा निकला है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मैम्बर से कहूंगा कि वह यह सूचना प्राप्त करने केलिए एक अलहदा question दें ।

श्री देव राज सेठी : इस सवाल के भाग (ग) में यह पूछा गया है—The steps, if any, taken by the Government to check the rise in prices at Chandigarh ? I want to know whether Government is considering the question of adopting any measures to check the rise in prices; if so, with what result ?

चीफ़ पार्लीयामैण्टरी सैक्रेटरी : यह मामला गवर्नमेंट के विचाराधीन है ।

श्री देव राज सेठी : गवर्नमेण्ट की Poultry Farm में यहां अंडों का rate 1-12-0 फी दर्जन है और अम्बाला में Re 1 फी दर्जन । इस से ज़ाहिर है कि निरखों में बहुत फर्क है । गवर्नमेंट को चाहिए कि Poultry Farm की management को बेहतर बनाने की तजवीज़ पर गौर करे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर action का सुझाव पेश कर रहे हैं । यह सवाल नहीं है ।

POSITION OF STOCK PRICES OF CONSUMABLE ARTICLES

***3779. Shri Dharam Vir Vasisht :** Will the Chief Minister be pleased to state the position of stock prices and consumption estimates in respect of wheat, rice, dry fodder, salt, cement, coal and sugar during the first half year of 1954-55 in the State ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The necessary information is being collected and will be supplied as soon as possible.

SARDAR CHARANJIT SINGH, HONORARY PUBLIC RELATIONS OFFICER CONSOLIDATION

*3934. **Chaudhri Sri Chand :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the number of villages visited by the Honorary Public Relations Officer, Consolidation, since his appointment as such ;

(b) the number of villages where the Scheme was revoked as a result of the report of said officer ?

Sardar Partap Singh Kairon : The information is being collected and it will be supplied to the member, when ready.

OCCUPANCY TENANTS IN THE STATE

***2631. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) the number of Occupancy Tenants districtwise in the State who have paid compensation to the landlords under the Punjab Occupancy Tenants Act, 1952 ;

(b) the number of those who have been allowed by the Collectors to pay compensation in instalments in each of the districts ;

(c) the total amount of compensation thus determined and the amount already paid under the said Act ;

(d) the total number of landlords who applied for determination of the amount of compensation payable by the occupancy tenants under the said Act ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement is given below :—

	(a)	(b)	(c)						(d)
			(i)			(ii)			
	Rs	Rs	Rs	A	P	Rs	A	P	
1. Hissar ..	251	1,38,097	Not available			5,236	0	0	8230
2. Rohtak ..	175	1,735	60,168	0	0	5,951	0	0	5264
3. Gurgoan ..	32	317	28,340	3	9	Not available			10013
4. Karnal ..	..	..	558	10	4	..			6
5. Ambala ..	163	134	11,623	0	0	Not available			2800
6. Kangra ..	..	12	5,586	3	7	..			10865
7. Hoshiarpur ..	..	..	..			..			X 26023
8. Jullundur ..	9	59	18,198	10	3	1,480	4	0	*1695
9 Ludhiana ..	..	..	..			..			%964
10. Ferozepore ..	..	125	89,162	11	10	..			at 8409
11. Amritsar ..	582	1,265	1,72,496	0	0	46,384	0	0	£3603
12. Gurdaspur ..	16	..	3,465	9	6	Not available			3400
Total ..	1,228	1,41,744	3,89,599	1	3	59,051	4	0	81272

X denotes number of applications. Number of landlords cannot be determined at this stage.

% denotes number of cases pending.

* compensation of 871 cases has not yet been determined.

at denotes number of applications received.

£ only 1,265 cases have been decided as yet and the rest are pending.

Shri Wadhawa Ram: Question No. 2632.

Minister for Irrigation: The answer is not ready.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. क्या postponement का मतलब यह है कि जवाब घर पर पहुंच जाएगा या जवाब हाऊस (House) में ही दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : हाऊस में ही दिया जायेगा ।

PROBLEM OF THE WATERLOGGING IN THE PUNJAB

*3918. **Shri Dev Raj Sethi**: Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) the area of agricultural land in the State rendered unfit for cultivation on account of waterlogging or defective drainage in the years 1948 and 1954 (up to date) separately ;

(b) the area with water tables up to 5 feet in the years 1949 and 1953 respectively ;

(c) the area with water tables ranging from 5 feet to 10 feet in the years 1949 and 1953 separately ;

(d) whether it is a fact that the experts have discovered a subterranean ridge extending from Fazilka to Rohtak which they consider as being responsible for the water logging problem; if so, the step taken or proposed to be taken by the Government to solve the problem of waterlogging in the State ?

Chaudhri Lahri Singh:

(a)	1948	..	81,485 acres.
	1954	..	418,513 acres.
(b)	1949	..	92,979 acres.
	1953	..	199,475 acres.
(c)	1949	..	1,404,929 acres.
	1953	..	1,817,444 acres.

(d) Yes. It is reported that there is a sub-alluvial ridge known as Delhi-Fazilka-Shahpur ridge. The Director Central Water and Power Commission Research Station, Poona, is being requested to take up survey of this ridge so as to locate it properly if it is actually existing. A Waterlogging Board has been set up by the State to examine ways and means of tackling the problem of waterlogging. Investigation of the sub-alluvial ridge referred to above, is one of the issues being tackled by this Board. A programme for construction of drainages is also in hand but the same is handicapped for want of funds.

ACQUISITION OF LAND IN THE STATE

***2819. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) the total area of the land acquired by the Government during the years 1951, 1952 and 1953, district-wise in the State ;

(b) the total amount of compensation paid to the landowners in the above years and the amount, if any, yet to be paid by the Government ;

(c) whether it is a fact that compensation for the land acquired by the Government has not been paid to the landowners according to the Schedule ; if so, the steps taken by the Government to make the payment according to the Schedule ?

Sardar Partap Singh Kairon : The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

SECOND FIVE-YEAR PLAN

***3762. Shri Ram Kishan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has recently received any instructions from the Union Government with regard to the preparation of the Second Five-Year Plan ; if so, the details of the instructions together with the action, if any, so far taken by the Government in this connection ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(i) Yes. A copy of the Planning Commission, Government of India letter No. FYII/CDI/1/54, dated the 28th April, 1954, together with copies of Punjab Government Memo No. 1165-PG-54/3057, dated the 29th May, 1954 and No. 1526-PG/54/3660, dated 23rd June 1954 containing instructions issued by the State Government in the matter is given below.

Immediate

From

N. N. KASHYAP, ESQUIRE, I.C.S.
Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

To

(1) The State Commissioner, Jullundur and Ambala Divisions.

(2) All Deputy Commissioners in the Punjab.

(3) All Project Executive Officers—Under Community Projects Scheme in the Punjab.

(4) All Assistant Project Officers, holding independent charges under the Community Projects Scheme in the Punjab.

(5) All Chairmen of the District Boards in the Punjab.

(6) All Presidents of the Municipal Committees, Notified Areas Committees and Small Town Committees in the Punjab.

Memorandum No. 1165-Pg-54/3057.

Dated Chandigarh, the 29th May, 1954.

Subject—The Second Five-Year Plan—preparation of District and Village Plans.

A copy of letter No. FYII/CDI/1/54, dated the 28th April, 1954, from the Secretary, Planning Commission, Government of India on the subject noted above is sent herewith. It will be seen that considerable study and work is involved in order to assess local resources and local needs, so as to evolve proper Village and District Plans. All urban areas are also expected to frame and chalk out the Plans of their own in the same context of resources and needs.

2. In order to prepare some model plan it has further been decided to initiate work first of all in Gurgaon and Karnal Districts of Ambala Division and Jullundur and Hoshiarpur Districts of Jullundur Division. It is essential that everybody concerned, in these districts particularly and in other districts generally, should familiarise himself with the contents of the letter from the Planning Commission as soon as possible. Preliminary discussions and arrangements for securing co-operation of the people should also be completed before the actual work commences.

(Sd.) . .

UNDER SECRETARY, PLANNING,
for Secretary to Government, Punjab, Planning.

No. 1165-Pg-54/3057-A, dated Chandigarh, the 29th May, 1954.

A COPY, with a copy of the enclosure, is forwarded to All Heads of Departments concerned with the Five-Year Plan, for information and necessary action. It will be realised that considerable guidance at the district level is needed. It is, therefore, requested that they should indicate the general frame work for district Plans so far as their Departments are concerned, within fifteen days of the receipt of this letter so that the same is communicated to the Deputy Commissioners.

(Sd.) . .

UNDER-SECRETARY, PLANNING,
for Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

A COPY, with a copy of the enclosure, is forwarded to all Administrative Secretaries to Government, Punjab, for information. It is requested that the urgency of the matter may kindly be impressed on various Heads of Departments under their control.

(Sd.) . .

Under-Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

To

All Administrative Secretaries to Government, Punjab.

U. O. No. 1165-Pg-54, dated Chandigarh the 29th May, 1954.

No. FYII/CDI/1/54
Planning Commission,
New Delhi.

April 28, 1954.

FROM

SHRI Y.N. SUKTHANKAR, I.C.S.,
Secretary, Planning Commission.

To

All State Governments,
(Development Commissioner,
Punjab, Chandigarh)

Subject—The Second Five-Year Plan—preparation of District and Village Plans.

SIR,

As work has to commence soon on the second five-year plan, the Planning Commission has been giving preliminary consideration to questions connected with this subject.

2. The object of this letter is to convey suggestions on an important aspect of the second five-year plan, viz., the manner in which, within the district, the work of planning may be organised and plans prepared for individual villages and groups of villages such as tehsils, talukas, National Extension development blocks, etc. It is essential that local initiative in formulating plans and local effort and resources in carrying them out should be stimulated to the maximum extent possible. This will help to relate the plans closely to local needs and conditions and also to secure public co-operation and voluntary effort and contribution.

[Chief Parliamentary Secretary]

3. Plans for districts and villages have naturally to be fitted within the frame work of State plans which have, in turn, to take cognizance of plans which have to be prepared from the point of view of the country as a whole, such as, for instance, for multi-purpose projects, national highways, major industries, etc. Similarly, certain types of development have to be planned for on a State or regional basis, e.g., irrigation and power schemes of medium size, the State road system, road transport services and initial surveys for drawing up minor irrigation programmes. The district is, however, the pivot of the whole structure of planning, for, at this point plans from different sectors—those prepared at the State level and those prepared for smaller units—have to be brought together.

4. In asking districts to prepare local and village plans departments at the State level should indicate the general frame work for district plans. Thus, at the district level, there should be information and guidance about the programmes contemplated by the State Government, for instance, in respect of irrigation and power schemes, road system, land reclamation programmes, industrial schemes, programmes for education, health, etc. Within the district, guidance should be available for the plans of villages or groups of villages with reference to their special conditions and local bodies should also be actively associated with planning, so that each of them has a plan of its own which is an integral part of the district plan.

5. It is recommended that with a view to gaining experience, as a first stage, plans may be worked out for three or four selected districts, say, one in each distinct region. The experience gained can then be reviewed and further work organised, so that at the village level as well as for districts or parts of districts, planning becomes a live process closely linked with local needs and resources and evoking local participation and interest and contribution in money and labour.

6. It is hoped that by the end of the second planning period the entire country will be provided with the National Extension Service. In working out the details of the district plan, including its phasing, this aim should be kept in view. In National Extension areas, with their village level and other workers and Panchayats and co-operatives, intensive village planning and development can be undertaken to a greater extent than in other areas. The coverage of the National Extension Service will increase from year to year. It is, therefore, suggested that even in areas which are not included within its scope, the attempt should be to organise planning along the same lines as in Extension areas. The aim should be to ensure that (i) every family has a plan of improvement for which it works, including agricultural production and subsidiary occupations, (ii) every family is made eligible to become a member of at least one Co-operative Society, (iii) every family devotes a portion of its time and resources for the benefit of the community. In most villages there exist either panchayats or ad hoc village bodies which can express local opinion and help to organise local co-operation.

7. Village planning will be primarily concerned with agricultural production and activities ancillary thereto including co-operation. Planning should, therefore, aim in the first place at determining for each village or group of villages what steps can be taken over the period of the second plan to increase agricultural production and the volume of rural employment. Specific items to be considered are :—

(1) Use and production of improved seeds,

(2) Use of manures and fertilizers,

(3) Consolidation of holdings,

(4) Village irrigation works,

(5) Reclamation of waste land,

(6) Contour bunding and soil conservation,

(7) Introduction of new crops (including vegetables and fruit growing), and improved implements and methods of cultivation,

(8) Improved cattle, including dairying,

(9) Development of subsidiary occupations, e.g., poultry, bee-keeping, piggeries, etc.,

(10) Planting of trees,

(11) Khadi,

(12) Village industries especially for supplying the needs of the rural market,

(13) Formation of multi-purpose co-operatives and strengthening of existing co-operative societies,

(14) Improvement of village communications and other local works' programmes.

Throughout the human aspect should be emphasised that every family is assisted in its efforts to improve its conditions.

8. In respect of schemes of agricultural improvement, which it is proposed to include in the village plans, it would be necessary to specify (1) the contributions which the villagers themselves could make in the way of money, labour or supplies, and (2) the help which would be required of Government in the matter of technical advice, supplies and finance. Some estimates should also be made for the increase in production of the main crops and in employment as a result of the plans which are adopted.

9. In the field of agricultural production and local works, village planning is likely to be more definite than in other fields such as health, education, etc. It is necessary that these needs should also receive due attention as part of the programme of social services which the State envisages for the plan period. In regard to these, local contributions should be obtained on a reasonable basis.

10. District plans will reflect local resources and requirements and guidance in village planning will be possible if, from the beginning, each district is divided into a few convenient "planning areas". These could be based on whatever considerations are appropriate in the particular circumstances *e.g.*, tehsil or taluka boundaries or coverage of the National Extension Service, or physical factors like hill or forest area or social factors such as the tribal character of the population or the economic impact on the rural area of a growing town or of new industries or communications or irrigation and power development. The special problems of each "planning area" should be carefully assessed and should be taken into account in preparing village programmes.

11. In the second five-year plan, as suggested earlier, each town should have a plan of its own, which has a defined part in the district plan. Each municipal authority should, therefore, be asked to work out plans for developing local services, augmenting its own resources and integrating the programme of urban development with other activities under the State plan.

12. In most States, there already exist development committees at district level with which leading non-officials and the principal social service agencies are associated. Where necessary such bodies should be strengthened with a view to the preparation of the Second Five-Year Plan and the achievement of the targets of the First Five-Year Plan. A considerable amount of responsibility for shifting local proposals and studying local problems and resources will naturally fall on such committees. It would be desirable for this reason to associate rural local bodies (like district and taluka boards) more fully with these development committees than is done at present. In turn, district and taluka development committees and similar bodies for smaller "planning areas" in the district should establish close co-operation with village panchayats and other agencies which may undertake village planning.

13. These are a few suggestions which State Governments may consider in asking district officers and district development committees to prepare district and village plans. The Planning Commission will be grateful if State Governments will initiate early action in this direction and will keep the Commission and the Advisors or Programme Administration advised of the steps taken by them. The Commission will also be glad if State Governments will communicate to it experience gained in formulating village and district plans which might be useful to other States.

Yours faithfully,

TARLOK SINGH,

for Secretary, Planning Commission.

[Chief Parliamentary Secretary]

Immediate

ANNEXURE I

FROM

SHRI N. N. KASHYAP, I.C.S.,
Secretary to Government, Punjab,
Finance and Planning Departments.

To

(1) The Commissioners, Ambala and Jullundur Divisions.

(2) All Deputy Commissioners in the Punjab.

(3) All Project Executive Officers under Community Projects Scheme in the Punjab.

(4) All Assistant Project Officers, holding independent charges under the Community Projects Scheme in the Punjab.

(5) All Block Development Officers in the Punjab under the National Extensioning Services Schemes.

(6) All Chairmen of the District Boards in the Punjab.

(7) All President s of the Municipal Committees, Notified Areas Committees and Small Town Committees in the Punjab.

Memorandum No. 1526-Pg-54/3660.

Dated Chandigarh, the 23rd June, 1954.

Subject.—The Second Five-Year Plan—Preparation of District and Village Plans.

YOU were requested to take preliminary action in the matter of preparation of the Second Five-Year Plan, —*vide* the Planning Department Memo. No. 1165-Pg-54/3057, dated the 22nd May, 1954. Replies have been received from some quarters, particularly some Municipal Committees, indicating inability to prepare any schemes due to paucity of financial resources. In some other cases certain hurriedly formulated schemes have been forwarded without indicating the advantages that will accrue therefrom and, further, without giving any idea of the resources from which such schemes are to be financed. From all this, it would appear that the details as contained in the Planning Commissions letter, a copy of which was forwarded with this Department's memorandum under reference. have not been properly appreciated.

2. It may be re-emphasised that 'Planning' is primarily a mode of work whereby attempt is made to make maximum use of available resources in the context of a framework of priorities and objectives. To achieve this, it is necessary to make an exact survey simultaneously of needs and resources available locally. While assistance from the State and Central Government may be expected, it may be fairly assumed that a major portion of such assistance will be devoted to departmental projects running through more than one local area. In other words preparation of local schemes for the Second Five-Year Plan postulates also a strict scrutiny of local resources and a plan for their increase as far as possible.

3. It is suggested that while there should be a full survey of needs and necessities and an estimate of cost of various schemes without reference to the local ability to finance them entirely, there should also be a full survey of resources. After the schemes are formulated a local body or a voluntary group of people or the executive of a private association, in consultation with local officers, should fix priorities of the schemes so formulated. They should also indicate how far the resources will be available and how far they could be increased either by further local taxes or by voluntary contribution of people through labour, cash contributions or land gifts etc. The State Government will then decide on further steps to be taken to meet the balance of requirement in each case.

4. It may further be emphasised that the task envisaged at this stage is of a preliminary nature and that as various schemes from various sources are received along with assessment of resources these will be thoroughly scrutinised by the Planning Department and discussed with the representatives of the people and with the local officials. The

final local plan for inclusion in the State Second Five-Year Plan, will then emerge after such discussions and scrutiny. The need for immediate action by all concerned cannot be overstressed.

M. D. AHOOJA,

UNDER-SECRETARY, PLANNING,
for Secretary to Government, Punjab,
Finance and Planning Departments.

No. 1526-Pg-54/3661, dated Chandigarh, the 23rd June, 1954.

COPY forwarded to all Heads of Departments concerned with the Five-Year Plan, for information, in continuation of this Department endorsement No.1165-Pg-54/3057-A, dated the 22nd May, 1954. It is noted with regret that they have not so far indicated the general framework for district plans so far as their Departments are concerned, in the context of the Planning Commission's letter on the subject. This should now be done without further delay so that the task of preliminary formulation of district plans is completed as soon as possible.

M. D. AHOOJA,

UNDER-SECRETARY, PLANNING,
for Secretary to Government, Punjab,
Finance and Planning Departments.

A COPY is forwarded to all Administrative Secretaries to Government, Punjab, for information, in continuation of this Department U. O. No. 1165-Pg-54, dated the 22nd May, 1954. They are again requested to impress the various Heads of Departments under their control with the urgency of the matter.

M. D. AHOOJA,

UNDER-SECRETARY, PLANNING,
for Secretary to Government, Punjab,
Finance and Planning Departments.

To

All Administrative Secretaries to Government, Punjab.

U. O. No. 1526-Pg-54, dated Chandigarh, the 23rd June, 1954.

श्री राम किशन : क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बतायेंगे कि उन instructions के बाद जो मई 1954 में Planning Commission ने जारी की थीं, Divisions की ओर से कोई plan बन कर सरकार के पास आई है ?

चीफ़ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : अगर मेम्बर साहिब नोटिस दें, तो इस सवाल का जवाब उन तक पहुंचा दिया जाएगा ।

श्री राम किशन : क्या इन instructions के मातहत हर division के अन्दर कुछ ज़िले select किये गए हैं जहां इस सिलसिला में कोई action लिया गया हो ?

Mr. Speaker : This is almost a separate question; it has no connection with the original question. If he is prepared to answer, I don't mind.

चीफ़ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : Particular areas के बारे में इतलाह इकट्ठी नहीं की गई । मैम्बर साहिब कहेंगे तो पता कर के मुहय्या कर दी जाएगी ।

श्री राम किशन : क्या उन हिदायात के जवाब में जो पंजाब सरकार ने इस सिलसिले में जारी की थीं किसी Head of the Department की report सरकार के पास पहुंची है ? ४

चीफ़ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : गवर्नमेंट को विश्वास है कि जो instructions जारी की जाती हैं, उन पर अमल होता है । अगर मेम्बर साहिब कहें तो यह इत्तलाह इकट्ठी कर के उन्हें दी जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सवाल के लिए fresh notice दें यह information आप ने specifically नहीं मांगी है ।

श्री राम किशन : Planning Commission की हिदायत के मुताबिक पंजाब सरकार ने Heads of Departments और District Authorities को local area का survey कराने के सिलसिले में और information इकट्ठी करने के लिये जो instructions भेजी थीं, क्या उन के जवाब में किसी local area के बारे में कोई रिपोर्ट मौसूल हुई है ? ९

Chief Parliamentary Secretary: The survey has been taken in hand. As regards information about the receipt of any report, notice may be given.

श्री राम किशन : क्या local initiative को बढ़ाने और इस्तेमाल करने के बारे में इन instructions में District Authorities पर काफी ज़ोर दिया गया है ? १०

श्री राम किशन : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जो instructions Heads of the Departments को और District Authorities को भेजी गई हैं उन में local initiative पैदा करने के लिये ज़ोर दिया गया है ?

मुख्य मंत्री : Second Five-Year Plan को मुरत्तब करने का तरीका यह है । एक कमेटी बनाई गई है । जिला के सारे Legislators चाहे वे केन्द्र के हों चाहे वे राज्य सरकार के हों इस कमेटी के मेम्बर हैं । पंचायतों के पंच भी इस में रखे गए हैं । यह कमेटी फिर आगे अपने आप को sub-committees में बांट लेगी । मुखतलिफ इलाकों के नुमाइंदे उन इलाकों के बारे में सब चीज़ों की जांच कर के अपनी रिपोर्ट कमेटी के सामने रखेंगे । कमेटी उन तथ्यों पर फैसला कर के अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजेगी ।

श्री राम किशन : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटियां राज्य के अन्दर सब जिलों में बन गई हैं या कोई ऐसा जिला भी बाकी रहता है जहां अभी तक नहीं बनीं ।

मुख्य मन्त्री : जी हां, सब जगह बन गई हैं ।

श्री राम किशन : क्या इसी सिलसिले में कोई development committee state level पर बनाई गई है या बनाने का विचार है ?

मुख्य मंत्री : जी हां । बनाई गई है ।

श्री राम किशन : उस की क्या तफसील होगी ?

मुख्य मंत्री : State level पर Development Committee जो होगी वह Cabinet पर मुश्तमिल होगी और मुख्य मंत्री उस का चेयरमैन होगा। और जब इस सिलसिले में meetings वगैरा होती हैं तो officers को उस में associate किया जाता है।

श्री राम किशन : क्या उस बैठक में किसी non-official member को officers के इलावा associate किया जाता है या नहीं ?

मुख्य मन्त्री : अभी तक तो ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। सारी बात यूं है कि सब plans आदि नीचे से आते हैं। जिस खूबी से स्थानीय व्यक्ति अपने इलाके की हालत को समझ सकते हैं उस खूबी से दूसरे आदमी नहीं समझ सकते। यदि माननीय सदस्य state level पर सारा representation लेने का प्रयत्न करेंगे तो इतनी बड़ी कमेटी का काम unwieldy हो जाएगा और काम अच्छी तरह से नहीं चल सकेगा। हम ने यह देखना है कि जो स्कीमें नीचे से आती जाती हैं उन को priority से लिया जा रहा है और कोई वजह नहीं मालूम होती कि State Planning Committee उन स्कीमों की priority की respect न करे। दूसरी बात रुपए की रह जाती है। अभी तक हमें मालूम नहीं कि कुल कितना रुपया हमारे पास होगा। अभी तक state aid determine नहीं हुई है। इस लिये अभी तक कमेटी को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई है और अगर काम के दौरान में यह महसूस हुआ कि किसी और तरफ से भी representation की ज़रूरत है तो वैसा कर दिया जाएगा।

श्री राम किशन : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह Government of India ने Planning Commission के साथ बड़े पैमाने पर एक Advisory Committee बनाई हुई है यह advisable नहीं है कि इस कमेटी के साथ भी एक Advisory Committee कायम की जाए ?

मुख्य मन्त्री : अभी तक ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई। आप suggest करते हैं तो इस suggestion पर गौर होगा।

श्री राम किशन : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जो सिफारिशें नीचे से District Committees करेंगी उन को Cabinet सारी की सारी मन्ज़ूर कर लेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को supplementary questions करने के लिये तो allow कर सकता हूं लेकिन उन्हें suggestion देने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि Union Government की तरफ से Second Five-Year Plan के बारे में जो instructions आईं और उन पर जो action गवर्नमेंट ने लिया उस का क्या नतीजा निकला है ? मेरा मतलब यह है कि District Development Committees और जो दूसरी कमेटियां बनाई गई हैं उन्होंने कुछ काम किया है ?

मुख्य मन्त्री : जहां तक मुझे इल्म है District Committees की तरफ से अभी plans नहीं आए ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस के लिये सरकार ने कोई action लिया है और अगर लिया है तो उस का क्या नतीजा निकला है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का पहले जवाब दिया जा चुका है ।

श्री राम किशन : उन हिदायतों में यह दर्ज था कि हर ज़िला के अन्दर convenient planning areas बनाए जाएंगे । तो क्या इस सिलसिले में कोई instructions district authorities को भेजी गई हैं ?

मुख्य मन्त्री : उन हिदायतों के मुताबिक सब districts को instructions जारी की गई थीं । आप लोग कृपा कर के वहां से फैसला कर के जल्दी ही रिपोर्ट भिजवाएं ताकि उन पर कुछ अमल किया जा सके ।

श्री राम किशन : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम को मुकम्मल कर के Government of India को भेजने की कोई तारीख मुकर्रर हुई है कि नहीं ?

मुख्य मन्त्री : यह फैसला पहले से कैसे हो सकता है ।

FIRST FIVE-YEAR PLAN

***3869. Professor Mota Singh Anandpuri** : Will the Minister for Development be pleased to state the extent of improvement in industrial production and other economic spheres during the year 1953-54 under the First Five-Year Plan ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Information asked for is being collected from various departments and will be supplied to the member as soon as it is ready.

DEVELOPMENT OF BET AREA OF DISTRICT LUDHIANA

***3904. Sardar Ajmer Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the Government has taken any steps to develop the bet area of district Ludhiana; if so, what;

(b) whether the Block Extension Development Scheme has been extended to any place within the area referred to in part (a) above; if so, where ?

Chaudhri Lahri Singh : The information is being collected and it will be supplied to the Member as soon as possible.

स्पीकर साहिब ! यह सवाल हमारे पास 21 तारीख को आया था और चूंकि पटवारियों से details इकट्ठी करवानी थीं इस लिऐ इस का जवाब अभी तक तैयार नहीं हो सका ।

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब ! क्या यह माकूल वजह है कि 21 तारीख को सवाल आया था इस लिए जवाब तैयार नहीं हो सका । क्या इस का यह मतलब लिया जाए कि आप के दफतर में बहुत देर लगती है ?

अध्यक्ष महोदय : हमारे दफतर में कोई देर नहीं लगती । यह तो उन की courtesy है कि उन्होंने इतना जवाब दे दिया है वरना केवल यही कह देते कि जवाब तैयार नहीं तो आप क्या कर लेते ? (*Laughter*).

TUBE-WELLS IN THE STATE

***3707. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Development be pleased to state —

(b) the total number of tube-wells sunk in each district of the State during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September) together with the total expenditure incurred thereon;

(b) the total number of tube-wells sunk in Nuh area during each of the years mentioned in part (a) above and the total expenditure incurred thereon?

Chaudhri Lahri Singh : The information is being collected and will be supplied to the member, when ready.

श्री सिरी चन्द : ऐसा मालूम होता है कि डिवैलपमेंट मिनिस्टर चौधरी साहिब (सिंचाई मंत्री जो कि विकास मंत्री के लिए सवालों के जवाब दे रहे थे) को कह गए हैं कि मेरे किसी सवाल का जवाब न देना । बस टाल देना कि जवाब तैयार नहीं है...........

अध्यक्ष महोदय : मैं आनरेबल मेम्बर से दरखास्त करूंगा कि वह बहुत ज़्यादा बातें न बनाएं । हां, अगर वह कोई बात पूछना चाहते हैं तो किसी point पर बात करें । ऐसे ही remarks कसने उन्हें शोभा नहीं देते ।

DAMAGE TO KHARIF CROPS

***3636. Shri Babu Dayal Sharma :** Will the Minister for Development be pleased to state whether he is aware of the fact that due to the invasion of the locusts and the paucity of rain Kharif crop has been damaged in the State; if so, the measures, if any, taken to procure fodder for cattle?

Chaudhri Lahri Singh : The answer to this Assembly Question is not yet ready. The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

TRACTORS

*3693. **Sardar Partap Singh** (Ratta Khera) : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of tractors private as well as owned by the Co-operative Societies in the State during the years 1948 and 1953, respectively ;

(b) the total number of tractors and pumping sets, separately, for which loans had been advanced by the Government during each year from 1948 to 1953 ;

(c) the total amount of loan given by the Government for the purchase of tractors and pumping sets referred to in part (b) above ?

Chaudhri Lahri Singh : The information is being collected and will be supplied to the member, when ready.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि जब हर एक सवाल के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाता है फिर भी यह क्यों कहा जाता है कि जवाब तैयार नहीं और यह कि जब जवाब तैयार होगा मैम्बर साहिब को भेज दिया जाएगा ?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, आप की इजाजत से अर्ज़ करता हूं कि जो ख्याल मेरे फाज़िल दोस्त ने ज़ाहिर किया है, वह एक बहुत मुनासिब ख्याल है। हमारी कोशिश यही रही है कि जवाब में ऐसे इलफ़ाज़ न कहे जाएं कि जवाब तैयार नहीं। मगर मैं आप को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं खुद इस मामले को देखूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इतने सारे सवालों का जवाब तैयार नहीं हो सका। मैं खुद इस मामले में जाऊंगा और जो पता चलेगा उस की इत्तलाह आप के पास भेज दूंगा।

श्री सिरी चन्द : लेकिन जहां तक Development Minister साहिब के आज के सवालों का ताल्लुक है क्या यह सच नहीं है कि सरदार साहिब यह फरमा गए हैं कि मेरे सवालों का जवाब इन्हीं इलफ़ाज़ में दिया जाए और ....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ! क्या यह कोई Point of Order है या Point of Information ? यह तो मैं समझता हूं कि Point of Dil Lagi (दिललगी) है जिस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैंने पहले भी माननीय मेम्बर को इस तरह की interruptions करने से रोका था। जब चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस चीज़ के लिये अपना explanation दे दिया है तो ऐसे सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं रहता। Next question please.

UNAUTHORISED REALIZATION OF MONEY AT GANNAUR MANDI IN SONEPAT

*3898. **Shri Mam Chand** : Will the Minister for Development be pleased to state whether a complaint was received by the District Authorities Rohtak, to the effect that a Panch at Gannaur Mandi in Sonepat Sub-Division, district Rohtak, along with two police constables realised one rupee per shop for exempting the shopkeepers concerned from killing locusts under the orders of the authorities if so, the action, if any, taken thereon ?

Chaudhri Lahri Singh : The information is being collected and it will be supplied to the member when ready.

TREES CUT FROM KANGRA FORESTS

*3657. **Shri Kanhaya Lal Butail** : Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) the number of trees cut from the demarcated and undemarcated forests of Kangra District during each of the years from 1949 to 1953 for purposes of (i) sale, (ii) grant to Burtandars, and (iii) Government's own use together with the price of such trees under each category;

(b) the amount due for payment to the Burtandars as their share of the sale-proceeds of trees under the provisions of the last Forest Settlement for each of the years mentioned in part (a) above together with the amount actually paid to them during each year ?

Chaudhri Lahri Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

REPRESENTATIONS AGAINST LABOUR CONTRACTORS OF BIST DOAB CANAL

*3849. **Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether any representations from the workers against the contractors of labour working on the Bist Doab Canal in district Hoshiarpur regarding irregularity in the payment of their wages have recently been received by the Government; if so, the action, if any, taken by the Government thereon ?

Chaudhri Lahri Singh : No such representation has been received.

GAUGE READERS OF JANDIALA DIVISION, AMRITSAR

*3698. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether any Gauge Readers of Jandiala Division in the Upper Bari Doab Canal Circle, Amritsar, were allowed leave on medical grounds between the period from 1st March, 1954, to 30th June, 1954; if so, their list and the total period of leave granted in each case;

(b) whether the persons referred to in part (a) above were paid their dues every month regularly during the period of leave; if so, the dates of payment in each case; if not, the reasons therefor ;

(c) whether any of them resumed their duties on the expiry of the leave referred to in part (a) above; if so, their list ?

Chaudhri Lahri Singh: (a) None of the Gauge Readers attached to the Jandiala Division has been allowed leave on medical grounds during the period 1st March, 1954 to 30th June, 1954.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

EXPLORATORY BORES IN THE DRY AND WATERLOGGED AREAS

***3683. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) whether work has been started on the proposed exploratory bores in the dry and waterlogged areas in the State; if so, the names of the places where the work has been started together with the progress made so far in this connection;

(b) whether any sum has been provided for the purpose set out in part (a) above in this year's budget or is proposed to be provided in the Supplementary Estimates ; if so, what ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) No work has as yet been started on the proposed exploratory bores by Government of India, as they have to go according to a programme, in which Punjab will be taken up in turn. Efforts are being made to get the work in Punjab expedited.

(b) The work will at present be done by Government of India at their own cost. The cost of successful bores only will be debited to Punjab State when funds will be arranged to meet the debit.

यह एक ग्रहम सवाल है ग्रौर चूंकि कई बार कई मेम्बर साहिबान ने इस के मुतग्रल्लिक information पूछी है, इस लिये में वाज़या तौर पर इस सिलसिले में ग्रर्ज़ कर देना चाहता हूं । Exploratory bores दर ग्रसल Government of India के initiative पर किए गए हैं । इस के लिए cost वग़ैरा का हिसाब बनाना भी central गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है । इस सारे प्रोग्राम को उन्होंने दो phases में तक्सीम किया । पहले Southern India की बारी है ग्रौर बाद में हमारी बारी सन् 1956 में ग्राती है । पंजाब को 46 exploratory bores करने हैं इसी सिलसिले में मैं centre में कई ग्रफसरों ग्रौर मुतग्रल्लिका ग्रसहाब से मिला । स्वर्गीय जनाब रफ़ी ग्रहमद किदवई जी से भी मुलाकात की थी । इस के ग्रलावा पार्लीयामेंट के मेम्बरों से मिल कर भी कहा कि हमें यह boring जल्दी करने की इजाज़त मिल जाए लेकिन ग्रभी तक हमारी इस बात को माना नहीं गया । हमने तो यह भी ग्रर्ज़ किया था कि 46 की बजाए 50, 60 या 100 तक की इजाज़त हो जाए तो ग्रौर भी ग्रच्छा है । लेकिन गवर्नमेंट ग्राफ़ इंडिया ग्रभी तक 1956 से पहले यह कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हुई ।

इस के बाद जहां तक खर्च का ताल्लुक है, जितने exploratory bores कामयाब होंगे उन की cost गवर्नमेंट ग्राफ़ इंडिया हमारे हिसाब से ले लेगी ग्रौर जो कामयाब नहीं होंगे उन का खर्च वह खुद बर्दाश्त करेगी ।

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जब ग्रभी स्कीम को शुरू ही नहीं किया तो यह प्रापेगंडा क्यों किया गया कि पंजाब में इतने ट्यूब वैल दिए गए हैं वग़ैरा वग़ैरा ?

मंत्री : प्रापेगंडा तो ग्रब भी किया जा रहा है ।

श्री बाबु दयाल : क्या गुड़गांव में जाकर इरीगेशन मिनिस्टर साहिब ने यह एलान नहीं किया था कि एक महीना तक यह काम शुरू कर दिया जाएगा ?

मंत्री : यह बिल्कुल गलत है । मैंने किसी महीने वगैरा का नाम नहीं लिया था ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ (boring) ਸੰਨ 1956 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏਗੀ । ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ?

मंत्री : इस में पैसे लगाने की बात है । हमारे पास finances की कमी है ।

श्री धर्मवीर वसिष्ठ : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इस बात के पेशे नज़र ही कि exploratory tube-well bores कामयाब नहीं हुए—तीन चार हो गए तो और बात है..........

मंत्री : कामयाब नहीं, अभी लगाए ही नहीं गए ।

श्री धर्म वीर वसिष्ठ : इसी लिए ज़्यादा से ज़्यादा bores गुड़गांव ज़िला को दिया गये हैं ?

मंत्री : गुड़गांव को 18 दे रखे हैं ।

श्री राम सरूप : गांव के अन्दर प्राईवेट तौर पर जो ज़मींदार tube-wells लगाना चाहेंगे, क्या उन्हें बिजली दी जाएगी ?

मंत्री : जी हां । जितने मर्ज़ी tube-wells लगाएं । उन्हें जितनी वे चाहेंगे उतनी बिजली दी जायेगी । हमारे पास अब बहुत ज्यादा electricity है । और......

Mr. Speaker : How does this question arise out of the main question ? Next question please.

PUNJAB BEOPAR MANDAL

*3790. **Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Minister for Labour be pleased to state whether the Punjab Beopar Mandal has submitted any memorandum regarding their demands ; if so, the action, if any, taken by the Government thereon?

Chaudhri Sundar Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ; ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ information collect ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਣ ਲਗ ਪਏ ਹੋ !

ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ information collect ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ memorandum ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ-ਮੰਨ ਲਉ।

WEIGHTS AND MEASURES ESTABLISHMENT

*3838. **Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the total number of Manual Assistants employed in the Offices of the Inspectors of Weights and Measures in the State and their grades of pay ;

(b) the total number of Manual Assistants, who have passed the Matriculation and Intermediate Examinations separately ?

Sardar Ujjal Singh : (a) 22

Rs 32½—1—47½ per mensem.

(b) Information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

HANDLOOM AND POWERLOOM TEXTILE FACTORIES

*3909. **Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the number of handloom and powerloom textile factories in Ludhiana, Amritsar and Jullundur, respectively, that were registered under the Factories Act during the years 1952, 1953 and 1954;

(b) the number of such factories that were running during the periods June-July, 1952, June-July, 1953 and June-July, 1954, respectively;

(c) the number of workers employed in each of the said factories during the periods mentioned in part (b) above ?

Chaudhri Sundar Singh ; The information is being collected and is not ready. It will be supplied to the Member in due course.

IRON FOUNDRIES IN LUDHIANA, JULLUNDUR, AMRITSAR AND BATALA

*3910. **Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the number of iron Foundries and Workshops in Ludhiana, Jullundur, Amritsar and Batala that were registered under the Factories Act during the years 1952, 1953 and 1954, respectively;

(b) the number of such Foundries and Workshops that were running during the period June-July, 1952, June-July, 1953 and June-July, 1954, respectively;

(c) the number of workers employed in each of the said factories during the periods mentioned in part (b) above?

Chaudhri Sundar Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

AUCTION OF CULTURABLE AREA AT VILLAGE MARGINDPURA, DISTRICT AMRITSAR

*3463. **Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) (i) whether any mortgaged culturable evacuee area at village Margindpura, tehsil Patti, district Amritsar, was leased out through public auction during the year 1953; if so, when;

(ii) the list of the highest bidders and the area leased out to each one of them;

(iii) the total amount payable by each one of them;

(b) whether any money in advance was received from any of the persons referred to in part (a) (ii) above as 1/4 of the total amount; if so, the amount so deposited by each one of them;

(c) (i) the date when the final approval was accorded by the Deputy Commissioner, Amritsar, in each of the cases referred to in part (a) (ii) above ;

(ii) whether it took more than 3 months to accord the final approval; if so, the reasons therefor and the persons responsible for it;

(iii) the date when the persons referred to in part (a) (i) above were asked to take possession of the land under reference;

(d) (i) whether the persons concerned were put into possession of the area leased out; if so, their list and the date of possession in each case;

(ii) whether from any of the persons including Sardar Fauja Singh referred to in part (d) (i) above a representation was received by the Deputy Commissioner, Amritsar, which was personally handed over to him by Sardar Sajjan Singh Margindpuri, on 31st March, 1954, to refund the money deposited; if so, their list;

(iii) the reasons stated in the application for the refund of the money deposited;

(e) (i) whether any enquiry was ordered on this application by the said Deputy Commissioner; if so, when ;

(ii) the extent to which the reasons stated in the application were found correct;

(iii) the decision arrived at in the matter by the District Authorities;

(iv) the action, if any, taken or proposed to be taken against the persons who remained in possession of the leased out area without authority;

(f) (i) whether the arrears due from persons other than those referred to in part (d) (ii) above have been realised in full; if not, the reasons therefor;

(ii) the steps taken by the Government to realise the arrears due and the results thereof ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

COMPENSATION FOR THE LANDS REQUISITIONED BY GOVERNMENT

***3635. Shri Babu Dayal :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether he is aware of the fact that compensation to the landowners for the lands requisitioned by the Government for mud-huts and for the Scheme of 8-marla quarters for refugees at Gurgaon Cantt. has not been paid so far by the Government ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh : Yes, it is a fact that compensation to the landowners for the lands requisitioned by the Government for mud-huts and for the scheme of 8-marla quarters for displaced persons at Gurgaon, has not been paid so far. The reason is that the owners of land have not accepted the price per acre fixed by the District Magistrate, Gurgaon, and their case is pending for adjudication before the Senior Sub-Judge, Gurgaon, who has been appointed as an arbitrator.

श्री बाबू दयाल : क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि उन ज़मीनों की मालगुज़ारी landowners ही दे रहे हैं या गवर्नमेंट दे रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब उन ज़मीनों का दाखिल खारज गवर्नमेंट के नाम पर है और अभी तक landowners को मुआवज़ा नहीं दिया गया तो इस का यह मतलब नहीं कि उन की मालगुज़ारी भी वही देते रहें ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

UNALLOTTED LAND AT ABOHAR

***3649. Shri Teg Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total area of land still lying unallotted out of the total area of land available at Abohar, district Ferozepur;

(b) the persons to whom and the rates at which the said area of land has been leased out this year;

(c) the total number of refugees and local tenants amongst them to whom this unallotted land has been leased out;

(d) whether he is aware of the fact that the land referred to in part (a) above has been leased out to those Zamindars as well who have got sufficient area of land of their own; if so, the area of land leased out to each one of them;

(e) the names of the officers responsible for leasing out this land and the date thereof in each case;

(f) the names of the bidders for the said lease; the amount of each bid and the bids accepted for the lease/ leases ?

Sardar Ujjal Singh : (a) 43 bighas and 12 biswas of land is lying unallotted at village Abohar.

(b) The land has been leased out for one year to one Wattoo Ram, son of Gehna, Kamboh, of Dhani Latkan, Mauza Abohar, for Rs 140. Doona, son of Sagna, and Chanan, son of Misri, are also partners with him.

(c) All the above-mentioned three persons are displaced and ejected tenants.

(d) Land has not been leased out to zamindars who own sufficient lands of their own, but has been leased out to ejected tenants.

(e) The land was leased out by Shri Bachittar Singh, Naib-Tehsildar, Abohar, on 19th April, 1954.

(f) The names of the bidders, the amount of each bid and the amount accepted for the lease is as under:—

Serial No.	*Name of the bidder*	*Amount of bid*
		Rs
1.	Government bid ..	100
2.	Dona Ram, son of Shagna Ram, Kamboh of Abohar	105
3.	Hans Ram, son of Channan Ram, Kamboh of Abohar	120
4.	Ram Gopal, son of Isher Dass, Kamboh of Abohar	130
5.	Wattu Ram, son of Gehna Ram, Kamboh of Abohar	132
6.	Paira Ram, son of Shaman Ram, Kamboh of Abohar	133
7.	Wattu Ram of Serial No. 5 above ..	135
8.	Pallu Ram, son of Sohna Ram, Kamboh of Abohar	137
9.	Wattu Ram of Serial No. 5 above ..	140

The last bid of Rs 140 given by Wattu Ram was accepted.

श्री देव राज सेठी : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि यह ज़मीन lease पर क्यों दी गई है जब कि अभी बहुत सारे unsatisfied claims बाकी मौजूद हैं ? यह ज़मीन पहले उन को दी जानी चाहिये थी ।

मंत्री : जब तक यह ज़मीनें किसी को allot नहीं की जातीं तब तक तो उन्हें पट्टे पर दे दिया जाता है ।

श्री देव राज सेठी : यही सवाल तो मैं ने मिनिस्टर साहिब से पूछा है कि जब बहुत से unsatisfied claims मौजूद हैं तो यह ज़मीनें lease पर क्यों दी गई हैं ? चाहिए तो यह था कि उन claims को पहले satisfy किया जाता ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਹਾਲਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਉਤੇ ਦੇਈ ਰਖੀਦਾ ਹੈ।

RESTORATION OF IMMOVABLE PROPERTY TO MUSLIMS

***3708. Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of Muslims in each district of the State who applied to the Government for the restoration to them of their lands and houses during the period from 1947-48 to 1954-55 (1st September) together with the total number of such applicants whose property has since been released and possession restored;

(b) the total number of applications referred to in part (a) above which are still under consideration of the Government ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

ALLOTMENT OF HOUSES TO HARIJAN REFUGEES

***3848. Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of houses allotted by Government to Harijan Refugees in the State, district-wise, and the aid, if any, given to them for the repair or construction of their houses;

(b) the number of Harijans who are still without houses in the State ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

LOANS TO DISPLACED AGRICULTURISTS

***3868. Professor Mota Singh Anandpuri** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the amount allocated by the Union Government for the purpose of giving loans to the displaced agriculturists settled in the State;

(b) the amount so far utilised out of the allocation referred to in part (a) above;

(c) the manner in which the balance is proposed to be utilized ?

Sardar Ujjal Singh : (a) The Government of India allocated Rs 3,85,00,000 to the State Government for grant of taccavi loans to the displaced persons in the rural area.

(b) Whole of this amount has since been disbursed.

(c) Does not arise

AUDITORS FOR THE PUNJAB FINANCIAL CORPORATION

*3896. **Shri Mam Chand :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the names of auditors entrusted with the auditing of the accounts of the Punjab Financial Corporation at present;

(b) the criterion adopted for selecting the auditors referred to in part (a) above ?

Sardar Ujjal Singh : (a) (i) Messrs Soni Chatrath and Co.

(ii) Messrs Walker Chandiok and Co.

(b) Auditors must be duly qualified to act as auditors of companies under sub-section (1) of section 144 of the Indian Companies Act, 1913. Their appointment is made in the manner as provided for in section 37 of the State Financial Corporation Act, 1951.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूं कि जिन फर्मों को auditors का काम सौंपा गया है, क्या वे सारे औसाफ रखती हैं जोकि auditors के लिये Companies Act के नीचे होने चाहिएं। और क्या बाकी सारे candidates भी यही औसाफ़ रखते थे ?

मंत्री : ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਸਾਫ਼ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ Companies Act ਥਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

पंडित श्री राम शर्मा : जब सारे candidates वह औसाफ़ रखते थे तो गवर्नमेण्ट ने उन में कौन सी खास बात देखी है कि इन दो फर्मों को चुन लिया है और वह खास बात दूसरे candidates में नहीं पाई जाती थी ?

मंत्री : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या यह ठीक है कि इन दो फर्मों का तजरुबा बाकी सब candidates से ज़्यादा था ?

मंत्री : ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ Companies Act ਦੀ ਦਫਾ 37 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ State Corporation ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ Voters ਹਨ ਭਾਵੇਂ Scheduled Banks ਅਤੇ Insurance Companies ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ State Government ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जिस फर्म को गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है उस का तजरुबा बाकी सब फर्मों से ज़्यादा था ?

मंत्री : ਜੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ firm fit ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ।

श्री बाबू दयाल : क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट किसी फर्म के तजरुबे का पता किस तरह लगाती है ? क्या उस के पास इस काम के लिए कोई थर्मामीटर होता है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ ; ਇਹ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

STARRED QUESTIONS ANSWERED UNDER RULE 37.

SINGLE TEACHER AND DOUBLE TEACHER SCHOOLS IN MUKERIAN

***3609. Shri Rala Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state the number of double-teacher and single-teacher schools started in Sub-tehsil Mukerian, District Hoshiarpur, since April, 1953 ?

Shri Jagat Narain : Double teacher schools .. 3
Single teacher schools .. 13

SINGLE-TEACHER SCHOOLS IN KANGRA DISTRICT

***3656. Shri Kanhaya Lal Butail :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of single-teacher schools started in the Kangra District during the years 1952-53 and 1954;

(b) the number of such schools separately having on their rolls students exceeding 30, 50 and 60 respectively;

(c) the average number of students considered sufficient for being taught by one teacher;

(d) the steps, if any, taken by the Government for proper teaching of children in schools where their number exceeds the average number mentioned in part (c) above ?

Shri Jagat Narain : A statement giving the required information is given below :—

Statement

(a) *Year*	*No. of schools started*
1952	..
1953	..
1954	165

(b) *No. on rolls*	*No. of schools*
Exceeding 30	120
Exceeding 50	25
Exceeding 60	20

(c) 40

(d) 20 additional teachers were given during 1953-54 and 25 additional teachers were given during 1954-55.

PARTICIPATION OF DISTRICT BOARD TEACHERS IN ELECTION CAMPAIGN

*3778. **Shri Dharam Vir Vasisht :** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government has completed the enquiry against two District Board Teachers in district Gurgaon for their alleged participation in election campaign as asked for in Starred Assembly Question No. 3185 asked during the Budget Session, 1954; if so, the result of the enquiry ?

Shri Jagat Narain : Yes, the enquiry officer has not been able to obtain clear evidence to the effect that the teachers participated in the election campaign. However, they have been transferred to other places.

BASIC EDUCATION

*3867. **Professor Mota Singh Anandpuri :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total amount so far placed by the Union Government at the disposal of the State Government as grant (i) for basic education (ii) for starting one teacher schools;

(b) whether the amount received from the Union Government has been augmented by the State Government;

(c) the number of new schools started under the new scheme for boys and girls separately together with the names of places where such schools have been started;

(d) the number and names of one-teacher schools raised to two or more teachers schools;

(e) the criteria on which the action has been taken for the accomplishment of the objective mentioned in part (d) above ?

Shri Jagat Narain : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

REPRESENTATIONS FROM TRAINED GRADUATE TEACHERS OF HISSAR DISTRICT

*3995. **Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Education be pleased to state whether he has recently received any representation from the trained graduate teachers of the District Board Schools of Hissar District in connection with filling up the posts of Headmasters in the said District Board Schools; if so, the action, if any, taken by him thereon ?

Shri Jagat Narain : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

OVERLOADING OF GOVERNMENT BUSES

*3610. **Shri Rala Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of buses in the State found overloaded;

(b) the total number of drivers challaned and convicted;

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, whether the overloading is permissible in the case of Government buses ?

Shri Jagat Narain : (a) 62 in the year 1953-54.

[Minister for Education]

(b) Under rule 4·43(vii) of the Punjab Motor Vehicle Rules, 1940, conductors and not drivers are challaned for overloading. During the year 1953-54, 62 conductors were challaned, of whom 9 were convicted.

(c) Overloading is not permissible in Government buses.

GOVERNMENT BUSES AND ACCIDENTS

***3611. Shri Rala Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of accidents in which Government buses were involved in the State during the year 1953-54 ;

(b) the precautionary measures, if any, taken by the Transport Department to avert such accidents in future ?

Shri Jagat Narain : (a) 36.

(b) The following precautionary measures have been taken :—

(1) Speed limit of buses is restricted to 30 miles per hour and speed traps are laid to enforce the same.

(2) Brakes and other important components are tested before sending the buses on the road.

(3) Drivers sign a certificate before taking the vehicles on routes that they are free from mechanical defects.

(4) Duty hours of drivers are strictly regulated so that there is no risk of accident due to fatigue.

(5) The drivers are given instructions in 'Rules of the Road' and 'Safe Driving.'

Statement showing monthly Income and Expenditure in respect to the nationalized routes

I. AMRITSAR-JULLUNDUR ROUTE

Month	Receipts Rs As. Ps.	Expenditure Rs As. Ps.
1950-51		
April ..	9,427 0 0	9,519 10 6
May ..	3,199 13 0	3,377 1 9
June ..	9 6 0	..
July ..	..	..
August ..	66,897 10 0	60,665 5 6
September ..	1,11,252 14 0	98,976 6 3
October ..	1,48,695 0 0	1,47,157 3 3
November ..	1,52,977 13 0	76,754 7 9

Month		Receipts			Expenditure		
		Rs	As	Ps	Rs	As	Ps
1950-51—*contd*							
December	..	1,49,566	15	0	1,32,501	4	9
January	..	1,55,045	2	0	1,49,220	1	3
February	..	1,51,054	7	0	1,40,009	0	0
March	..	1,63,921	14	0	1,49,212	15	3
1951-52							
April	..	1,94,879	2	0	1,65,472	10	6
May	..	1,83,030	1	0	1,68,115	2	3
June	..	1,97,518	3	0	1,78,718	10	6
July	..	1,68,446	8	0	87,947	11	0
August	..	1,90,681	4	0	1,67,632	9	3
September	..	1,72,484	2	0	1,66,629	5	0
October	..	1,90,248	11	0	1,81,321	2	0
November	..	1,72,055	14	0	1,66,863	6	9
December	..	1,77,183	11	0	1,63,101	6	0
January	..	1,83,720	2	0	1,83,108	6	0
February	..	1,75,835	10	0	1,57,926	15	3
March	..	1,83,090	12	0	1,67,853	2	6
1952-53							
April	..	1,68,792	6	0	1,54,942	7	9
May	..	1,72,964	1	0	1,62,934	13	9
June	..	1,73,329	7	0	1,58,370	6	6
July	..	1,70,789	14	6	1,61,887	8	9
August	..	1,55,779	12	0	1,47,795	9	3
September	..	1,40,354	9	0	1,41,594	2	9
October	..	1,47,631	4	0	1,46,989	6	0
November	..	1,27,401	0	9	1,30,501	2	3
December	..	1,32,370	10	6	1,33,639	8	6
January	..	1,24,771	3	3	1,20,319	11	9
February	..	1,18,416	5	0	1,13,445	15	9
March	..	1,38,057	12	3	1,25,725	12	0

[Minister for Education]

Month		Receipts			Expenditure		
		Rs	AS	PS	Rs	AS	PS
1953-54							
April	..	1,28,510	11	0	1,18,189	9	3
May	..	1,22,438	2	0	1,12,976	10	6
June	..	1,37,557	11	9	1,19,460	1	6
July	..	1,23,640	2	6	1,14,568	6	3
August	..	1,11,407	13	3	1,03,979	5	0
September	..	1,08,867	9	3	1,00,470	4	9
October	..	1,17,238	2	6	93,463	14	0
November	..	1,23,844	7	6	92,841	0	0
December	..	1,17,194	4	3	92,628	14	0
January	..	1,11,365	9	9	88,532	0	0
February	..	99,879	14	6	85,227	14	6
March	..	1,20,880	4	6	88,670	15	0
1954-55							
April	..	1,20,268	5	9	80,266	3	3
May	..	1,13,931	6	3	81,718	3	0
June	..	1,26,184	13	6	84,752	4	0
July	..	1,16,969	12	9	82,189	0	0
August	..	1,06,290	11	9	79,765	5	0
II. AMBALA-KARNAL ROUTE							
1950-51							
September	..	14,030	3	0	10,626	3	0
October	..	20,082	8	3	14,468	0	0
November	..	20,036	3	3	13,941	6	0
December	..	23,321	3	0	15,892	6	0
January	..	25,961	0	0	17,558	1	0
February	..	25,286	2	0	15,415	5	0
March	..	28,083	6	0	18,569	13	0
1951-52							
April	..	27,784	9	0	21,200	15	6
May	..	34,004	13	0	26,897	6	9
June	..	32,199	10	0	26,119	9	9
July	..	30,684	5	0	26,963	3	0

Month	Receipts			Expenditure		
	Rs	AS	PS	Rs	AS	PS
1951-52—*concld*						
August ..	28,412	1	0	25,594	6	9
September ..	29,240	9	0	25,952	10	3
October ..	30,768	1	6	26,954	8	3
November ..	28,714	1	0	25,256	2	6
December ..	28,462	14	0	22,242	3	3
January ..	29,084	10	0	22,043	3	3
February ..	34,723	10	0	24,551	9	0
March ..	29,591	10	0	22,084	9	6
1952-53						
April ..	29,458	1	6	24,448	6	9
May ..	34,874	9	0	27,439	7	6
June ..	32,672	10	0	26,862	6	0
July ..	34,199	2	0	29,599	11	6
August ..	30,365	14	0	27,209	2	0
September ..	27,150	1	0	25,220	1	6
October ..	27,424	8	0	24,876	1	0
November ..	27,427	2	6	24,774	10	9
December ..	30,178	2	9	27,281	15	3
January ..	30,646	13	0	27,276	11	0
February ..	29,908	11	0	24,808	0	9
March ..	32,905	0	6	27,219	9	6
1953-54						
April ..	30,757	2	9	28,803	8	6
May ..	32,893	0	6	30,736	6	9
June ..	33,667	1	6	30,055	6	6
July ..	30,396	8	9	29,149	10	9
August ..	28,106	13	6	26,715	0	0
September ..	26,572	11	6	25,652	1	9
October ..	25,945	13	6	23,832	1	6
November ..	25,657	3	9	23,514	7	0
December ..	26,187	11	3	23,035	2	6
January ..	25,061	14	0	22,211	1	6
February ..	24,583	9	0	20,902	8	0
March ..	29,389	10	3	24,909	5	0
1954-55						
April ..	26,314	0	3	22,465	7	0

[Minister for Education]

Month	Receipts	Expenditure
1954-55—*concld*	Rs As Ps	Rs As Ps
May ..	30,492 5 6	24,647 9 6
June ..	41,592 14 0	31,625 9 0
July ..	32,147 6 0	25,779 0 9
August ..	25,704 11 6	22,795 0 3

NATIONALISATION OF TRANSPORT IN THE STATE

***3684. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Education be pleased to state the steps so far taken by the Government in connection with Nationalising transport in the State after the expiry of the term of three years licences previously granted to all the Transport Companies ?

Shri Jagat Narain : After prolonged deliberations, the Punjab Road Transport Corporation has been set up under the Road Transport Corporations Act, 1950. Further details are being worked out.

ACCIDENTS IN CHANDIGARH CAPITAL PROJECT

***3559. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total number of accidents which took place during the years 1953 and 1954 in Chandigarh Capital Project in the course of construction work, along with the number of workers who sustained injuries and who died, respectively ;

(b) the amount of compensation, if any, paid to the said workers and their dependents by the Government during the years mentioned in part (a) above ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Twenty-six accidents occurred in the course of Construction work in Chandigarh Capital during the years 1953 and 1954. Forty-nine workers sustained injuries of whom five died.

(b) No Compensation was paid by Government to any of these workers or their dependents, as they met with accidents on the works of the Contractors, and according to the terms and conditions of their contract agreements, compensation was payable by the Contractors concerned.

MOTOR TRAFFIC ON THE THAKARDWARA-ALAMPUR DISTRICT BOARD KACHA ROAD

***3655. Shri Kanhaya Lal Butail :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the date from which motor traffic has been started on the Thakurdwara-Alampur District Board Kacha Road ;

(b) whether the road mentioned in part (a) above is still a fair weather road only ;

(c) the amount of road tax collected by the District Board from this road each year since the said road was opened ;

(d) whether the District Board, Kangra, made a representation to the Government for the grant of funds for constructing a bridge over Nagni Khad to make this road motorable throughout the year ; if so, the action, if any, taken by the Government thereon ;

(e) whether there is any proposal under the consideration of the Government to provide funds for the construction of a bridge mentioned in part (d) above ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The required information is being collected and will be supplied to the member when ready.

PERSONS BELONGING TO BACKWARD CLASSES IN THE SERVICE OF DISTRICT BOARD OFFICES

***4108. Shri Khushi Ram Gupta :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the total number of employees belonging to Backward Classes employed at present in the District Boards Offices of Hoshiarpur, Kangra and Gurdaspur ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The information is being collected and will be communicated to the member when ready.

CONSTRUCTION OF ABOHAR-BIKANER ROAD

***3651. Shri Teg Ram :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total amount of money likely to be spent by the Government on the construction of the Abohar-Bikaner Road and the total amount spent up to the 31st March, 1954 ;

(b) the amount provided for the construction of the said road in the Budget for the current year together with the amount so for spent out of it ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) The total amount likely to be spent by Government on the construction of the road in the Punjab State is about Rs 12.00 lakhs and the total amount spent up to 31st March, 1954, is Rs 2,858.

(b) The budget grant is Rs 4 lakhs. No amount has so far been spent out of it as sanction from the Government of India to the work being financed from Central Road Fund has been received only recently.

CONNECTION OF MORINDA ROAD WITH KHARAR-RUPAR ROAD

***3839. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Morinda Road is being connected with the Kharar-Rupar Road from the bridge over the Khanpur Nadi in district Ambala; if so, the length of the road proposed to be constructed;

[Sardar Chanan Singh Dhut]

(b) whether it is a fact that the path surveyed previously for the construction of the said road has been cancelled and the new path surveyed ; if so, the length of the new path and the reasons for the said change ;

(c) whether it is also a fact that the path surveyed previously passed through certain garden colonies ; if so, the number of such garden colonies and the names of their owners ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Yes. The length of the road proposed to be constructed is about one mile.

(b) The alignment previously surveyed for the construction of the link has not been cancelled. However, alternative alignments are under investigation. The length of the new alignment of the link including the portion of the existing old road will be about 2 miles .

(c) Yes. Only one garden colony is involved and the names of its owners are:—

(i) Shri Shamsher Singh.

(ii) Shri Mohinder Singh.

(iii) Captain Sunder Singh.

(iv) Shri Piara Singh.

(v) Shri Gaja Singh.

(vi) Shri Sarwan Singh.

(vii) Shri Jagat Singh.

(viii) Shri Hazura Singh.

(ix) Shrimati Bachni.

CONSTRUCTION OF MORINDA-SAMRALA PUCCA ROAD

***3902. Sardar Ajmer Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the date when the construction of the Morinda-Samrala Pucca Road was planned together with the date when the construction was actually started;

(b) whether the said road has been completed ; if not, the reasons for delay ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) The construction of Samrala-Morinda Road was originally planned in 1947 in the Joint Punjab. After partition this work was included in the Budget for the year 1952-53 and construction was started on 14th July, 1952.

(b) The road has been completed with the exception of some minor items which are in hand and are likely to be completed this year.

REPRESENTATION FOR THE CONSTRUCTION OF BRIDGES ON RIVERS IN TEHSIL NURPUR, DISTRICT KANGRA.

*3621. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether he has recently received any representation from the Public of Nurpur Tehsil, district Kangra, for the construciton of bridges on the rivers in the said tehsil ; if so, the names of the rivers and the places where bridges have been asked to be constructed ;

(b) the action, if any, taken by the Government on these representations ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Yes, but the bridges have been demanded mostly on Khads, etc. as below:—

(i) Bridge over Donadi near Kotla on Kotla Tarlokpur Road.

(ii) Bridge over Gareli Khud near Kandi on Bodh Jawali Road.

(iii) Bridge over Buhl Khad near Silo-da-Than on Bodh Jawali Road.

(iv) Bridges over Jubbar and Harar Khads at places where these khads cross the Nurpur Badoni Road.

(v) Bridges over Debar and Gaj Khads at places where these Khads cross the Bodh Jawali Road near Jawali and Padal.

(b) The roads on which bridges are required are under the charge of the District Board, Kangra, and that authority is expected to provide the requisite bridges. All demands for grants received from the District Board have been considered very sympathetically and even this year it is proposed to allot a sum of Rs 1.50 lakhs to this district. Other urgent demands will be kept in view when the 2nd 5 year Plan of development in the State is prepared.

LABOUR INSPECTORS

*3592. **Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of Labour Inspectors working at present in Amritsar District ;

(b) the total number of complaints received by them during the period from 1st January, 1954 to 30th April, 1954 ;

(c) whether any proposal to increase the number of Labour Inspectors in the said District is under the consideration of Government ?

Chaudhri Sundar Singh : (a) 3.

(b) 521.

(c) No.

TEXTILES MILLS AT AMRITSAR

*3593. **Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of Textile Mills at Amritsar and Chheharta which have closed down since 24th October, 1953, together with their names ;

(b) the total number of workers working in each of the Mills referred to in part (a) above before their closing down and the total number who have been thrown out of employment ;

(c) whether all the workers referred in part (b) above before being thrown out of work were paid all their dues in accordance with the Industrial Disputes (Amendment) Act, 1951 ; if not, the extent to which they were paid ;

(d) whether it is a fact that complaints have been received by the department regarding non-payment or part-payment of their dues to the workers by the Punjab Woollen and Silk Mills, Chheharta, Shri Mahabir Woollen Silk Mills, Chheharta, Dyalbagh Spinning Mills, Putligarh (Amritsar) and Hira Woollen and Silk Mills, Amritsar ;

(e) whether complaints of the nature referred to in part (d) above have been received against any other Mills ; if so, their names ;

(f) if the answer to part (c) is in the negative and to parts (d) and (e) in the affirmative, the action which Government proposes to take in the matter ?

Chaudhri Sundar Singh : It is regretted that answer to the question is not ready. The information is being collected and will be supplied when ready.

INDUSTRIAL DISPUTES

*3594. **Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the number of industrial disputes which have so far been referred for adjudication to the Second Industrial Tribunal, Punjab, from Amritsar District ;

(b) the number of disputes under consideration of Government for reference to the said Tribunal together with details thereof ?

Chaudhri Sundar Singh : (a) 20.

(b) One. The workers and management of the Capital Rubber Works, Chheharta, could not arrive at a decision regarding workers' demand for bonus for the years 1952-53 , 1953-54 and hence it is to be referred to the Tribunal for adjudication.

REPRESENTATION FROM THE TRADE EMPLOYEES UNION, AMRITSAR.

***3691. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Labour be pleased to state whether any representation regarding the demands of the employees of the Private concerns was recently submitted to him on behalf of the Trade Employees Union (Registered), Amritsar; if so, the details thereof and the action, if any, taken by the Government thereon ?

Chaudhri Sundar Singh : It is regretted that the answer to the question is not ready. The information is being collected and will be supplied when ready.

ARBITRATION CASE OF THE WORKERS OF THE O.C.M. INDIA (LTD), CHHEHARTA.

***3897. Shri Mam Chand :** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) whether the Government has recently withdrawn the arbitration case of the workers of the O.C.M. India, Ltd., Chheharta (Amritsar), from the Second Industrial Tribunal ; if so, the reasons therefor;

(b) whether the Union concerned made any representation to this effect ; if so, with what results ?

Chaudhri Sundar Singh : The answer to the question is not ready. The information is being collected and will be supplied when ready.

COMPLAINT BY THE REGISTERED UNION OF TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF TEXTILES, BHIWANI.

***3994. Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Labour be pleased to state whether any complaints of wrongful dismissal of clerks for their taking part in the trade union activities has recently been received by the Labour Officer, Ambala, from the newly registered union of the staff of the Technological Institute of Textiles, Bhiwani ; if so, the action, if any, taken by him in the matter ?

Chaudhri Sundar Singh : It is regretted that the answer to the question is not ready. The information is being collected and will be supplied when ready.

EMPLOYMENT EXCHANGES IN THE STATE

***3760. Shri Ram Kishan :** Will the Minister for Labour be pleased to state whether the Government has recently received any communication from the Union Government with regard to the working of employment exchanges in the State ; if so, the details thereof together with the action, if any, taken by the Government in this connection ?

Chaudhri Sundar Singh : A copy of the report of Shivarao Committee which was appointed by the Government of India to consider the future of Employment Exchanges and the Scheme for training of Adult Civilians in the country, was received from that Government with an indication that the report

[Minister for Labour]
was under their consideration. Since the Government of India was expected to take considerable time in arriving at a decision on the recommendations of the Committee and thereafter the proposal was to be considered by the Punjab Government it has been decided by the State Government to continue its contribution towards this Organisation, on the existing terms, during the years 1954-55 and 1955-56.

PROHIBITION IN THE STATE

***3761. Shri Ram Kishan :** Will the Minister for Labour be pleased to state whether the Government has recently received any communication from the Planning Commission with regard to prohibition in the State ; if so, the details thereof together with the action, if any, taken by the Government in this connection ?

Chaudhri Sundar Singh : *First Part.* Yes.

II and III Parts. A statement is given below, —

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF THE COMMUNICATION FROM THE PLANNING COMMISSION WITH REGARD TO PROHIBITION AND THE ACTION TAKEN THEREON BY THIS GOVERNMENT.

Copy of letter No. PC(VI)SS/CO/54, dated the 13th June, 1954, from the Secretary, Planning Commission, New Delhi, to Chief Secretaries of all State Governments.

Subject:—Prohibition.

I am directed to refer to Planning Commission letter No. PC(VI)SS/20/51, dated December 1, 1951, on the Subject of prohibition (copy enclosed). As State Governments are no doubt aware, fresh attention has recently been directed to the working of prohibition as a national programme in accordance with Article 47 of the Constitution. In answer to Planning Commission's letter mentioned above State Governments were good enough two years ago to furnish a considerable amount of information regarding the programme which they were pursuing and the problems met with in its execution. The services of a special officer are being obtained by the Planning Commission with a view to studying the subject carefully in all its aspects and it is probable that at a later stage a committee will also be appointed. With a view to assisting the Planning Commission in its evaluation of the experience gained, it is requested that under the various heads listed in the Annexure to Planning Commission letter of December 1, 1951, State Governments may kindly give information bearing on the working of prohibition during the years 1952-53 and 1953-54. Any changes in rules and regulations which may have taken place, any further enquiries which may have been made and any tentative views reached by State Govrnments on future policies may be set out in detail. It will be appreciated if an answer to this letter is furnished by the middle of July, 1954.

The Planning Commission would appreciate any suggestions or observations of State Governments based on their experience of the working of prohibition on the resolution passed by the Working Committee of the Indian National Congress on April 5, 1954, a copy of which is enclosed with this letter.

Copy of letter No. PC(VI)SS/EO/51, dated the 1st December, 1951, from the Secretary, Planning Commission, New Delhi, to All State Governments.

Subject :—Prohibition.

In the Draft Outline of the First Five-Year Plan, which the Planning Commission presented in July, 1951, the question of prohibition was not directly discussed. In estimating resources for development, the Commission took cognizance of the financial results of measures in pursuance of the policy of prohibition which had been taken by some of the

State Governments. On the question of extension of prohibition, the Commission's tentative view was that as assessment of the results achieved and the experience gained might at this stage be useful. The object of this letter is to request the assistance of the State Governments in obtaining the necessary factual and other information.

Article 47 of the Constitution lays down as a directive principle of State Policy that :—

> "The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition, of the consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

The subject of prohibition undoubtedly raises several questions in the field of administration, public opinion, non-official co-operation, community interests and recreation, as well as finance. While the Bombay and the Madras Governments have implemented the policy of prohibition to the farthest extent possible, a number of other States have also taken substantial steps in this direction. Some States have carried out investigations into the working of prohibition, while certain others may be contemplating such investigations.

State Governments are requested to be good enough to assist the Planning Commission with a statement of facts pertaining to prohibition and to furnish their considered views regarding the results achieved and the lines on which future action should be developed. The necessary information may conveniently be given in the form of short notes under heads listed in the Annexure to this letter. Pending despatch of this information, it is requested that copies of administrative reports and reports of any investigations which may have been carried out may kindly be sent for study in the Planning Commission.

ANNEXURE

List of Heads

I. Excise policy prior to prohibition. (i) procedure for sale and licensing.

(ii) extent of consumption in urban and rural areas (quantities, values etc).

(iii) financial aspects.

II. Measures taken in furtherance of prohibition. (i) Stages and programme for implementation of prohibition ;

(ii) period over which prohibition policy implemented.

(iii) area to which applied ;

(iv) range of products covered ;

(v) exceptions and exemptions ;

(vi) extent and nature of propaganda and educational work done by official and non-official organisations ;

(vii) extent to which alternative interests, recreation, amusements and substitutes have been developed in urban and rural communities and sections of population such as Harijans and mill workers, etc. ;

(viii) further stages in programme at present contemplated.

III. Administration and enforcement of prohibition.
(i) machinery ;
(ii) additional expenditure ;

(iii) breaches of law ;

(iv) prices of illicit liquor etc. in different areas ;

(v) extent of local cooperation ;

(vi) evaluation—statistical and qualitative.

[Minister for Labour]

IV. Results of prohibition. (i) Consumption of different classes of intoxicating drinks and drugs (quantities, values, etc) ;

(ii) social and economic consequences ;

(iii) effect on public resources.

V. Inquiries. (i) Factual or other investigations into the working of prohibition which may have been carried out by the State Government or by recognised institutions;

(ii) whether any further inquiry is contemplated and on what lines.

VI. Conclusions drawn by the State Government in respect of the working of prohibition and regarding future policy and action.

VII. Any other aspects.

THE RESOLUTION ON PROHIBITION

(*Passed by the Working Committee of the Indian National Congress on April* 5, 1954).

The following is the text of the resolution on *prohibition.*

The Constitution has laid down a Directive Principle that the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption, except for medicinal purposes, of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. The Congress Working Committee, having reviewed generally the progress of Prohibition in different States, considers that it is imperative in the national interest to take steps for more effective implementation of this directive.

The Working Committee takes note of the fact that though certain States have taken substantial measures to carry out the policy of Prohibition, in several other States adequate progress has not been made and various difficulties have been encountered. In carrying out a scheme of social reform, which is of such a far-reaching significance for the community as a whole and, specially for the poorer sections of the population, both in urban and rural arcas, financial aspects by themselves should not influence the course of policy and action.

The Committee feels that the stage is reached when experience gained and the difficulties met with in recent years should be studied carefully and objectively with a view to evolving national programme for the fulfilment, with the widest possible public support and as speedily as may be feasible, of the directive of the Constitution. To this end the Committee suggested that the Planning Commission may make recommendations to the State Governments after collecting data and arranging for a full study of the subject in all its aspects by a committee appointed for the purpose.

The Hindustan Times. Tuesday April 6, 1954

NOTE ON PROHIBITION

PUNJAB (INDIA)

I. Excise Policy prior to Prohibition. (i) The established excise policy of the Punjab Government for the areas of the State not yet subject to prohibition is to derive the maximum revenue from the minimum consumption of intoxicants and to derive a major portion of the excise revenue by 'direct' taxation, *i. e.*, by levying duty on the quantities of intoxicants sold vis-a-vis the vend fee paid by licensed vendors thereon, which is termed "indirect" taxation. Prior to the introduction of prohibition in respect of liquor, with effect from the *2nd October*, 1948, in one of the 13 districts in the State, viz., Rohtak, the licensed sale of country liquor was regulated under retail licenses granted by public auction for each financial year, viz. from the *1st April to the 31st March.* The number of these licenses was fixed by the State Government, and this number could not be changed except with their approval. Licenses for retail vend of foreign liquor were granted on payment of fees assessed on the basis of the previous year's sales and as in the case of country liquor, the number of licenses for retail vend of foreign liquor was fixed.

(ii) and (iii). The following table will show the approximate annual consumption of licuor in urban and rural areas of the State and the income derived therefrom by the State Government in the form of license fee, duty etc:—

Serial No.	Kind of Liquor	Consumption in L. P. Gallons			Income
		Urban	Rural	Total	
					Rs
1	Country liquor ..	1,33,354	77,828	2,11,182	90,94,802
2	Imported foreign liquor ..	10,083	..	10,083	9,94,765
3	Indian-made foreign liquor ..	20,010	..	20,010	
	Total ..			2,41,275	1,00,89,567

Approximately 4,073 L.P. gallons of country liquor, 31 gallons of imported foreign liquor and 834 gallons of Indian-made foreign liquor used to be consumed in the Rohtak District per annum, and the annual income derived used to be in the neighbourhood of Rs 2,73,000. With the introduction of prohibition in the Rohtak district this amount has been lost to the State Government.

II. Measures taken in furtherance of prohibition. (i) to (iii). Prohibition in respect of liquor was introduced in one of the 13 districts in the State viz., Rohtak on the 2nd October, 1948, as an experimental measure in the hope of extending it to other districts in the State in the course of time. It has, therefore, however, not been possible to do so, as the Punjab Government have been constantly faced with numerous difficult problems arising out of the Partition, which have constituted a continuous drain on the lean finances of the truncated State. At the same time, prohibition was not being introduced in the adjoining areas, from where smuggling of cheaper liquor was easy. Any extension, therefore, would have simply meant loss of revenue, without achieving any of the desired objectives.

While the total prohibition of the use of all intoxicants in the State, which is the cherished goal of the Punjab Government still awaits realization, they have taken numerous indirect steps all over the State to further this cause, *e. g.*, closure of all excise shops on Independence Day (15th August) and Mahatma Gandhi's Birthday (2nd October), prohibition of sale of liquor to students and persons below 25 years of age, prohibition of grant of excise licenses to women and men below 25 years of age, curtailment of licensed hours for sale of foreign liquor at hotels, restaurants, bars, etc., for consumption 'on' the premises, " prohibition of consumption of liquor except in licensed premises in most of the important towns, abolition of licenses for retail vend of foreign liquor at theatres, cinemas, clubs etc., for consumption 'on' the premises, prohibition of grant of new licenses for retail vend of foreign liquor at hotels, restaurants, etc., prohibition of the location of liquor shops near public places and places of worship etc.

(iv) and (v). As mentioned above, prohibition in the Rohtak District is confined to liquor other than commercial spirits and the following important exceptions and exemptions have been made from the prohibition regulations:—

(1) Army personnel serving in the Rohtak District.

(2) Foreign tourists, who are in possession of letters of introduction from the Tourist Traffic Advisory Committee up to 12 reputed quart bottles of foreign liquor.

[Minister for Labour]

(3) Brandy issued on the authority of permits granted by the Excise and Taxation Officer, Rohtak, up to 2 ounces per household for medicinal purposes and up to 4 ounces for special reasons to be recorded in writing by the officer issuing the permit.

(4) Liquor, up to the limit of private possession, carried by bona fide railway passengers and travellers by road passing through the Rohtak District for destinations outside that district.

(vi) to (viii). Extensive propaganda explaining the evils of drinking has been conducted through the Public Relations Department, Village Panchayats, Village Vigilance Committees and other religious and social bodies by means of lectures and pictorial posters showing the evil effects of liquor etc. Steps are being taken to provide alternative interests, recreations etc. to the addicts in the form of Farmer's Clubs, games etc. No further steps to popularise prohibition are at present contemplated.

III. *Administration and enforcement of prohibition.* (i) A Special Excise Staff consistings of 4 Excise Sub-Inspectors and 4 excise peons in addition to the normal strength of the Excise and Police staffs in the Rohtak District has been appointed for the effective of prohibition in respect of liquor in the district. Besides, a District Vigilance Committee enforcement Consisting of public-spirited influential persons, with the Deputy Commissioner, Rohtak, as its Chairman and the Excise and Taxation Officer, Rohtak, as its Secretary, has been formed. The Committee meets once a month to devise ways and means for enlistment of public co-operation in the achievement of the noble object. Tehsil and Village Vigilance Committees subordinate to the District Vigilance Committee have also been set up to render active assistance to the Excise and Police Staffs in the suppression of prohibition crime.

(ii) A sum of Rs 9,700 is spent annually on enforcement of prohibition in the Rohtak District besides the loss of excise revenue amounting to Rs 2,73,000 per annum.

(iii) In all 190 cases of breaches of prohibition regulations in the Rohtak District were detected during the financial years 1952-53 and 1953-54 as under:—

		1952-53	*1953-54*	*Total*
(1) Illicit distillation	..	10	9	19
(2) Smuggling of liquor	..	42	19	61
(3) Illicit possession of liquor	..	46	64	110
Total	..	98	92	190

(iv) The price of illicit liquor in the Rohtak District ranges between Rs 7 and Rs 10 per reputed quart bottle.

(v) The officials as well as the local inhabitants have generally co-operated with the State Government whole-heartedly in the enforcement of prohibition in respect of liquor in the Rohtak District.

(vi) The enforcement of prohibition in respect of liquor in the Rohtak District has cost the State Government about Rs 2,82,700 per annum, as under:—

		Rs
(1) Loss of excise revenue	..	2,73,000
(2) Expenditure on additional excise staff etc.	..	9,700
Total	...	2,82,700

IV. Results of Prohibition. (i) No reliable estimate of the unlicensed sale and consumption of liquor in the prohibited area, viz. the Rohtak district during the financial years 1952-53 and 1953-54 can be given.

(ii) The social and economic conditions of the addicts have improved and general crime is on the decline.

(iii) As a result of enforcement of prohibition in respect of liquor in the Rohtak District, the general standard of living of the local inhabitants has been improved and they are in a better position to contribute for charitable and beneficent purposes for the general good of the community.

V. Enquiries. (i) and (ii). No detailed and factual investigation into the working of prohibition in respect of liquor in the Rohtak District have been carried out so far either by the State Government, as far as is known, by recognised institutions. nor is such an inquiry contemplated for the present.

VI. Conclusions drawn by the State Government in respect of the working of Prohibition and regarding future policy and action.—The experiment of prohibition in respect of liquor in the Rohtak District has not yielded the desired results, as the district is surrounded by 'wet' areas and the addicts manage to get their thirst for liquor quenched by visiting licensed shops in these areas. It, however, has had a salutary effect on the younger generation who generally refrain from taking liquor. The State Government are already incurring a loss of about Rs 2,82,700 per annum on account of prohibition in respect of liquor in the Rohtak district and it is felt that the benefit therefrom is not commensurate with the loss sustained. It may not be possible for the State Government to extend prohibition to any other district in the State in the near future due to their lean financial position and due to the fact that little is being done in this regard in the adjoining States of PEPSU, Himachal Pradesh, Delhi and Rajasthan. Unless the addicts are unable to secure liquor from other places, prohibition in any area cannot succeed in the real sense of the term. PEPSU, whose territories are inter-twined with those of Punjab, derives, about 40 per cent of its revenues from excise and can, thus, ill-afford to introduce prohibition. As, however, the State (Punjab) Government are wedded to the policy of prohibition of the use of all intoxicants in the State, as laid down as a directive principle in Article 47 of the Constitution of India, the experiment in the Rohtak district is not proposed to be withdrawn.

VIII. Any other aspects. (i) It is intended to organise a State-wide campaign against the evil of drink in general and illicit distillation in particular and the Minister-in-charge would utilise for this purpose extensively the non-official agencies available in the State.

(ii) Prohibition cannot succeed, unless an effective all India control on spirituous preparations can be devised. They are the single largest factor, which would defeat any experiment of prohibition. The Government of Bombay are also realizing the magnitude of this evil and have already suggested legislation on an All-India basis.

(iii) If prohibition is to succeed, illicit distillation and smuggling must be put down with a very heavy hand and measures devised accordingly.

(iv) The Punjab Government are contemplating to prescribe that the names of liquor purchasers should be recorded by licensed vendors on the lines of the recommendation of the Andhra Committee on Prohibition.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

COMPLAINT MADE BY THE MEMBERS OF GRAM PANCHAYAT, BOOH, DISTRICT AMRITSAR.

597. Sardar Sarup Singh : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether any complaint signed by S. Saman Singh, S. Jodh Singh, S. Didar Singh, members of the Gram Panchayat, Booh, tehsil Patti, district Amritsar, and many other respectable villagers forwarded by a political worker of Patti, under his office No. 464, dated 26th December, 1953, to the Executive Engineer, Jandiala Division Canals, Amritsar, in which serious allegations were made against a certain canal officer was received by him; if so, the date of its receipt in his office ;

[Sardar Sarup Singh]

(b) whether any enquiry was ordered in the matter ; if so, the result thereof ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes, on 28th December, 1953.

(b) Yes. The allegations were found baseless and the applicants were informed accordingly on 23rd March, 1954.

IMPLEMENTATION OF THE ORDERS OF DIRECTOR, REHABILITATION RURAL, JULLUNDUR.

598. Sardar Sarup Singh : Will the Minister for Finance be pleased to state the steps, if any, taken by the authorities concerned to implement the orders passed by the Director, Rehabilitation Rural, Jullundur in the cases referred to in unstarred Assembly Question No. 464 printed in the list for 28th September, 1953 up to now according to the Government instructions contained in letter No. 123 LRC, dated 31st March, 1953; if not, the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh : Orders in the cases of Shri Sahib Singh, etc., were passed by the Director, Rehabilitation Rural in general review on the original side and not as a revisional authority. These orders have remained unimplemented so far. In view of the instructions of Government of India orders passed before 22nd July, 1952 cannot be implemented at this stage. Instructions contained in letter No. 123/LRC, dated 31st March, 1953, provide that orders passed in revision should be implemented. As such, the cases referred to above are not covered by these instructions.

RULING BY THE SPEAKER

अध्यक्ष महोदय : मुझ से उन सवालों के बारे में पूछा है जो यहां बिना जवाब दिए रह जाते हैं कि उन का क्या बनता है। इस बारे में मैं Rule 37 पढ़ कर सुनाता हूं जो इस तरह है :—

(It has been put to me as to what becomes of the starred questions which are left unanswered orally at termination of the Question Hour. In this connection I read out to the House Rule 37 of the Rules of Procedure.)

"If any question placed on the list of questions for oral answer is not called for answer within the time available for answering questions on that day. The Minister to whom the question is addressed shall forthwith lay upon the Table of the House a written reply to the question and no oral reply shall be required to such question and no supplementary questions shall be asked in respect thereof.

श्री बाबू दयाल : यह जो आपने ruling दिया है सवालों के बारे में, क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं वह दोबारा किये जा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे सवाल postponed समझे जाते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह rule कब से चला आ रहा है ? क्या यह बहुत देर से चला आ रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे predecessor के वक्त से चला आ रहा है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या उस से भी पहले से तो नहीं चला आ रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में आप मुझे मेरे कमरे में मिल लें।

ADJOURNMENT MOTION

Mr. Speaker: I have received a notice of an Adjournment Motion from Sardar Achhar Singh Chhina, and Sardar Darshan Singh—

asking for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely , the situation arising out of the decision of 8 Trade Unions of Amritsar on the 1st November, 1954, to observe General Strike in all Textile Mills in support of the lock out workers of Mehra Mills, Amritsar.

यदि Labour Minister साहिब इस adjournment motion के बारे में कुछ कहना चाहें तो कह लें ।

श्रम मंत्री (चौधरी सुन्दर सिंह) : प्रधान जी, आप की विसातत से मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि यह adjournment motion, important नहीं है । इस में लिखा है कि 8 Trade Unions ने हड़ताल की है । मगर यह ठीक नहीं है । मैंने पता किया है कि वहां कोई हड़ताल हुई ही नहीं । अब इरादा 13 तारीख को हड़ताल करने का बताया जाता है । बाकी सिर्फ एक Trade Union ने नोटिस दिया था जिस का नाम महरा टैक्सटाईल मिलज़ यूनियन है । इस के लीडर का नाम सत्यपाल डांगे है । इस यूनियन के सिवा और कोई भी इस बात में शामिल नहीं..........

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछता हूं कि क्या यह fact है कि कोई हड़ताल हुई ?

श्रम मंत्री : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : (सरदार दर्शन सिंह से) आप का source of information क्या है ?

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਆਪ ਉਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप के पास कोई authentic proof है ?

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, 300 ਆਦਮੀ ਵੇਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

अध्यक्ष महोदय : (Labour Minister से) क्या हड़ताल 2 महीने से चल रही है ?

श्रम मंत्री : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : एक ऐसे वाकिया को जो अभी कई दिन के बाद होना है मान लिया जाए तो ठीक नहीं होगा । जहां तक हड़ताल के नोटिस का ताल्लुक है वह सिर्फ एक ही Trade Union ने दिया है । Minister साहिब की अपनी information के मुताबिक यह एक आपसी dispute है । तो ऐसी सूरत में जिस चीज़ का कोई authentic सबूत न हो, उस बारे क्या किया जा सकता है ? हड़तालें होती रहती हैं मगर जिस चीज़ का कोई सबूत ही न हो उस को हाथ में लेने को मैं तैयार नहीं । इस लिए इस adjournment motion को मैं disallow करता हूं ।

[अध्यक्ष महोदय]

(It is not proper to admit an adjournment motion based on an incident, which is yet to happen. So far as the notice for strike is concerned, it has been given only by one Trade Union and the information received by the Labour Minister indicates that it is a sort of domestic dispute between the Mill owners and the Trade Unions. Then there is no authentic proof to substantiate the existence of the strike. Hence it cannot be made the subject of discussion on the floor of the House. I. therefore, disallow the adjournment motion.)

RESOLUTION REGARDING RATIFICATION BY THE ASSEMBLY OF THE AMENDMENT OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA PROPOSED TO BE MADE BY THE CONSTITUTION (THIRD AMENDMENT) BILL.

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar): Sir, I beg to move—

That this House ratifies the amendment of the Seventh Schedule to the Constitution of India, proposed to be made by the Constitution (Third Amendment) Bill, 1954, as passed by the two Houses of Parliament.

स्पीकर साहिब, Parliament के दोनों Houses ने Constitution of India के 7th Schedule की list 3 की entry 33 को amend किया है। Constitution के मुताबिक इस की amendment तब तक नहीं हो सकती जब तक कि 'A' और 'B' class की सारी States की Legislatures इस amendment की ½ majority से तसदीक न कर दें। Article 368 यूं है—

"The amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one half of the States specified in Parts A and B of the First Schedule by resolutions to that effect ...."

स्पीकर साहिब, यह जो item 33 है जो कि Schedule 7th की list 3 की Concurrent List में दी हुई है उस में इलफाज़ यह थे:—

"Trade and Commerce in, and the production, supply and distribution of, the products of industries where the control of such industries by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

जैसा कि आप को मालूम है List 3—Concurrent list है उस में जो items दर्ज हैं उन के बारे में Centre भी कानून बना सकता है और States भी कानून बना सकती है। अब उन्हों ने जो amendment की है वह यह है कि item 33 की जगह यह इलफाज़ रखे जाएं:—

"33. Trade and Commerce in, and the production, supply and distribution of:

(a) the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products;

(b) foodstuffs, including edible oilseeds and oils;

(c) cattle fodder, including oil-cakes and other concentrates;

(d) raw cotton, whether ginned or unginned and cotton seeds ar

(e) raw jute."

स्पीकर साहिब ! इस amendment के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी प्रदेश के अन्दर जो भी commerce और industry हो उस की production, supply और distribution पर स्टेट को अख्तियार है कि वह कानून बना ले। Parliament सिर्फ उस सिलसिले में कानून बना सकती है जिस का जिक्र item 33 में है और जो Centre के control में हों। दफा 369 के मुताबिक Constitution बननी थी इस लिए इस के मुताबिक 5 साल तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती थी। ऐसी चीजों पर भी कानून बनाने का अधिकार सेंटर को था जिनका सम्बन्ध industry से नहीं था जैसा कि cotton है। यह इख्तियार emergency हालात के पेशे नजर लिए गए थे और इन इख्तियारात से emergency के वक्त चीजों की supply और distribution पर control किया जा सका। अब 5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद सेंटर को concurrent items पर कानून बनाने का इख्तियार खत्म हो जाता है। अब यह समझा गया है कि सेंटर के पास अगर इन items पर कानून बनाने के इख्तियार नहीं तो emergency के वक्त वह कानून बना कर किसी चीज की distribution और supply पर कंट्रोल नहीं कर सकती इस लिये यह इख्तियार सेंटर सदा के लिये लेना चाहता है ताकि पार्लियामेंट को अगर जरूरत पड़े तो वह उन मामलों पर भी legislate कर सके जो मामले States के इख्तियार में है।

मिसाल के तौर पर food situation है। अब तो अनाज की हालत satisfactory है पर जब हालात ऐसे न थे तो control की जरूरत थी और centre को कंट्रोल लगाने की जरूरत पड़ी। इस तरह इस amendment की रू से किसी चीज की स्पलाई को सेंटर regulate कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तजवीज से सारा हाऊस इतफाक करेगा कि किसी emergency के वक्त या किसी आपत्ति के समय Central Government के पास इख्तियार होने चाहिये।

Mr. Speaker : Motion moved :—

That this House ratifies the amendment of the Seventh Schedule to the Constitution of India, proposed to be made by the Constitution (Third Amendment) Bill, 1954, as passed by the two Houses of Parliament.

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੋ amendment ਇਸ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Central Government ਨੂੰ State subjects ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Central Government ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ tendency ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ emergency ਉਠ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਣ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Central Government ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ emergency ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ emergencies ਤਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ State ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ powers ਹੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਚਾਰਾ ਲਵੋ ਜੋ ਅਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਣ ਦਾ ਹਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਜੋ Central Government ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫੀਮ ਆਦਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ amendment ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਅਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੋ ਜੋ Backward Area ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ Backward Area ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕਪਾਹ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜੇਕਰ backward areas ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਤਾਂ industry ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ Government ਨੂੰ Municipality ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਪਾਸ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸਾਨੂੰ ਸਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਅਜ ਇਕ ਇਖਤਿਆਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਲ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ emergency ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਗੇ ਅਤੇ ਅਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Backward ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।

ਮੈਂ ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਖ਼ਤਿਆਰ emergency ਵੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ exist ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਨਾਜ ਘਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੋਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

श्री राम किशन (जालन्धर शहर उत्तर पश्चिम) : स्पीकर साहिब, मैं उस प्रस्ताव की ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं जो Chief Minister साहिब ने हाऊस के सामने पेश किया है। छीना साहिब ने इस प्रस्ताव की मुखालिफ़त की है मगर मैं उन की दलीलों को ठीक नहीं समझता। यह बड़ा ही साफ़ मामला है। 25 जनवरी, 1955 तक Centre को यह इख्तियारात हासिल हैं और उस तारीख को वे खत्म हो जायेंगे। छीना साहिब ने फरमाया है कि सूबे के इख्तियारात छीने जा रहे हैं और उन्हें Centre अपने हाथ में ले रहा है। मगर यहां तो छीनने का सवाल ही नहीं है। 5 साल पहले से यह इख्तियारात Centre के पास हैं जब यह इख्तियारात लिये गये थे तो उस वक्त State Governments की राय पूछी गई थी और सब ने इस बात के हक में राय दी थी। मेरे पास extracts हैं जिन की बिना पर कह सकता हूं कि राजस्थान, हैदराबाद मैसूर ट्रावनकोर-कोचीन और West Bengal ने इस बात की मन्जूरी दे दी थी। बाकी सरकारों ने जो जवाब दिये उन से भी मालूम होता है कि किसी ने इस बात पर एतराज़ नहीं किया था।

इस वक्त जो हालात और वाकियात हम दुनिया में देख रहे हैं उन के पेशेनज़र हमें चाहिये कि Centre को ज्यादा से ज्यादा मज़बूत बनाएं। मैं कहता हूं वह दिन भारत के लिये बहुत ही बुरा होगा जब Centre कमज़ोर हो जाएगा। Centre की मज़बूती हमारे लिये कितनी मुफीद हो सकती है इस का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि cotton का control जब से Centre के हाथ में गया है हमारी textiles की पैदावार 150 फी सदी बढ़ गई है। Food की problem आप जानते हैं कितनी खराब हो गई थी मगर अब पहले जैसी नहीं रही। मैं अर्ज़ करता हूं कि मुल्क में किसी वक्त भी कोई emergency की हालत पैदा हो सकती है। Flood आ सकते हैं। इसी तरह खुश्क साली, जंग गर्ज़े कि बहुत कुछ आ सकता है। इन हालात का मुकाबिला करने के लिये Centre के पास इख्तियार होना चाहिये ताकि वह फौरन ज़रूरी कार्यवाही कर सके।

फिर, स्पीकर साहिब, हम इस वक्त Industrial development पर जोर दे रहे हैं। इस मकसद की कामयाबी के लिये Centre को raw material के बारे में इख्तियारात हासिल होने चाहियें ताकि वह मुल्क को जल्द से जल्द industrialize कर सके। जैसा कि मैं ने कहा कई किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं। कौन जानता है कि किस वक्त कोई फस्ल फेल हो जाए। अभी चार पांच महीने हुए कि एक तरफ़ तो flood आ रहे थे और दूसरी तरफ बाज़ इलाकों में monsoon फेल हो गई थी। ऐसे मौकों पर हालात को संभालने के लिये control ज़रूरी होता है। और यह Centre के पास होना चाहिये ताकि फौरन ज़रूरी कार्यवाही हो सके। इन हालात में Food stuffs और दीगर बातों के पेशेनज़र Centre को मज़बूत होना चाहिये। स्पीकर साहिब, किसी वक्त भी emergency आ सकती है। फिर क्या उसी वक्त legislature और लोक सभा को बुलाया जाएगा ? यह बात गलत होगी। मैं अर्ज़ करता हूं कि किसी नुक्ता

[श्री राम किशन]

निगाह से भी देखा जाए, steel, food stuff वगैरा सब मामलों में Centre के इख्तियारात फायदामन्द साबत होंगे। Steel के बारे में हमारी हालत बहुत बेहतर हो गई है। Cotton के लिये हम कभी मिस्र और कभी पाकिस्तान की तरफ देखा करते थे मगर अब हमारी हालत बहुत बेहतर हो गई है।

एक और बात यह है कि हम textiles की industry को बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही handloom industry को भी protect करना चाहते हैं। इस लिये अगर भारत सरकार के पास ये इख्तियारात न हों तो इन दो में टकराव पैदा हो सकता है जो बहुत नुकसानदेह साबत होगा।

फिर जनाब ! हम लोगों की जिन्दगी और मुल्क की हिफ़ाजत के साथ नहीं खेल सकते। दो साल बाद General Elections आने वाले हैं। फ़र्ज़ करो कि उन में कोई पार्टी ताकत पकड़ जाती है जो constitutional तरीकों में believe नहीं करती तो ऐसी पार्टी तबाही ला सकती है। बस किसी नुक्ता नजर से भी देखा जाए—चीफ़ मनिस्टर साहिब का Resolution जरूर मंजूर होना चाहिये। Centre ने कभी भी इन powers को misuse नहीं किया और आगे को भी नहीं करेगी। पस मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ (ਆਦਮਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Leader of the House ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਉਚਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ Centre ਨੂੰ ਪੁਚਾ ਦੇਣ। ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ centralisation ਕਾਇਮ ਹੈ Centre ਤੇ provinces ਦਾ equilibrium ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਲ ਯਾਦ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ link ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ Centre ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ textile ਦਾ Centre ਅਹਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬੰਬਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਥੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ Long Staple Cotton ਯਾਨੀ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਸ਼ ਬੰਬਈ ਤੇ ਅਹਮਦਾਬਾਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣੀ produce ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦ Oil Seeds, Oil, Cotton Seeds ਅਤੇ Cotton ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ factories ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ factories ਵਿਚ ਸਾਡੇ raw material ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ surplus, ਵਾਧੂ raw material ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ Centre ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ

ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ cripple ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ centre ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ convention ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ Gateway of India ਹੈ । ਇਥੇ poverty ਅਤੇ unemployment ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ industrialisation ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਿਸੱਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ motion ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਬਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ rationalization ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਪਾਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲਗੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ labour ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ centre ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ motion ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ । ਅਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ interests ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿਦੁੰਸਤਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਨਾ ।

ਤੀਜੀ ਗਲ centralization ਹੈ । ਇਹ point ਮੈਂ ਕਲ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਰ ਅਜ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ centralization try ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ fail ਹੋਈ ਹੈ । Soviet Union ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ decentralization ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ । Decentralization ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ link ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ Provincial Autonomy ਦੇ ਮਾਨ੍ਹੇ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਜੇ raw material ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ motion ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ protest ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ House ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ । ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ interests ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ।

Sardar Sarup Singh (Amritsar City, East) : Sir, I rise to oppose the motion moved by the Leader of the House and which is under discussion at present. My objection is three-fold.

First of all, I would like to deal with the argument advanced by my hon. Friend, Comrade Ram Kishan. I feel that if it is pursued to its logical end, it would amount to this : "The State Assemblies and State Ministries should be scrapped and the reins of Administration of the States should be handed over to the Centre."

I think, Sir, there is a tinge of censure against the State Governments in the motion now before the House. If any one makes a suggestion that this Government has lacked in extending co-operation to the Centre or has not strained every nerve to help the Centre or the country in any emergency, I think, the Leader of the House will resent it. In other words, this State

[Sardar Sarup Singh]
has always been extending its co-operation to the Centre in every sphere at all times. If in spite of this fact, there is a feeling that legal and statutory changes are necessary to ensure full co-operation between the Centre and this State, I take it as very slighting.

Democracy, Sir, ultimately means decentralisation. The Leader of the House and the people generally in this country are committed to it. One of the cardinal principles of democracy, as I have said earlier, is decentralisation of powers. Anything which goes against this tendency or against the promises given to the people should not be welcomed by any person who has fully understood its implications. Therefore, Sir, this move, which obviously goes against the process of decentralisation of powers is not acceptable to this part of the House.

The third objection that I have to raise is this. The laws of a country should be more or less of a permanent character and if they have that character then alone they can ensure an era of stability. The people living in that country will know that if they abide by those laws, they will not be in jeopardy. But if the laws of the country change from time to time and become fragile, there will be instability, uncertainty, chaos and confusion. This situation will not in any way be conducive to a healthy growth of the body-politic of that country.

Sir, I, therefore, oppose the motion on these three grounds.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Five-Year Plan ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਫਰਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Centre ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ motion ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । Centre ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Defence, Currency ਤੇ Communications ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ । ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ Centre ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਅਲਕ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ Provincial Governments ਨਾਲ ਤੁਅਲਕ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਦੁੰਸਤਾਨ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ uneven ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ । ਬੰਬਈ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਥੇ ਕਿਸੇ industry ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ raw material ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੂਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ motion Provincial Government ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ [censure motion ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ Centre ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ Centre ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ stand ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਨ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਹਮੀਰਾ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ East Punjab ਵਿਚ ਸੀ ਬੇਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਕ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਖ਼ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ mill ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ । ਇਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ industry ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਬਈ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਇਥੇ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਪੜਾ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ industry ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਕਚਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਥੇ industry ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । Industry ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਜਟ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ industry ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਣਗੇ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ economy ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ Federal Government ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ Federal States ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ centre ਕੋਲ ਹਨ । Russian Government ਵਿਚ full autonomy ਹੈ । ਇਹ full autonomy ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਭਾਵੇਂ Provincial Government ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ units ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ development ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ autonomy ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ autonomy ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मांननीय मैम्बर से कहूंगा कि resolution पर बोलें। इस समय Constitution पर बहस नहीं हो रही ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ raw material ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਖਤਿਆਰ

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

State Government ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मैम्बर constitutional principle पर लैक्चर न दें। Constitutional principle is not under discussion.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਏਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤਕ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ।

प्रोफैस्सर शेर सिंह (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय ! जो प्रस्ताव हमारे सामने इस हाऊस के नेता ने रखा है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सवाल यह है कि जो आम जरूरत की चीजें हैं जिनके साथ इनसान के रोज़ रोज़ के जीवन का सम्बन्ध है अर्थात् खुराक का सवाल, कपड़े पहनने का सवाल, इत्यादि, इन ज़रूरी चीज़ों पर सैंटर की हकूमत अगर ज़रूरी समझे तो control कर सकती है या नहीं इन चीज़ों पर नियंत्रण कर सकती है या नहीं। सवाल तो असल में यह है कि सूबे के हक छीनने की तो बात ही नहीं। सवाल यह है कि ऐसे इलाकों की कैसे मदद की जाये जहां ज़िन्दगी की ज़रूरियात कम हो जायें और हालात ग़ैर मामूली हो जायें। क्या Centre की हकूमत उन चीज़ों पर नियंत्रण लगा सकती है या नहीं ? इस सवाल पर ऐसे दृष्टिकोण से विचार करें तो दो मत इस मामले में नहीं हो सकते कि किसी प्रदेश की भलाई के लिये जिस में किसी चीज़ की किसी वजह से कमी पैदा हो जाये तो उस का नियंत्रण केन्द्र अपने हाथ में ले ले। इस बात से बिल्कुल कोई अंदेशा नहीं कि हमारे प्रांत के लोगों को कोई नुकसान पहुंचे।

रहा सवाल इस बात का कि जहां कच्चा माल पैदा होता है उस प्रान्त में उद्योगीकरण, industrialization पूरी तरह से हो सकती है या नहीं। जो दलील विरोधी दल के भाईयों ने पेश की है उन्होंने एक ही मोटी बात बार बार दुहराई है कि जो प्रांत कच्चा माल पैदा करेंगे अगर उस के ऊपर सैंटर को इख्तियार हो गया तो आगे बढ़े हुए सूबे उसे हड़प करते रहेंगे। बड़े बड़े कारखाने वहां लगते रहेंगे जो दस्तकारी के मामले में बढ़े बढ़े

हैं। अगर मेरे दोस्तों ने Centre की नीति का ग़ौर से मुतालया किया होता तो वह समझ जाते कि केंद्र तो इस बात पर committed है कि जो इलाके backward हैं उन्हें आगे लाया जाये। वहां बढ़ चढ़ कर विकास के कार्य develop किये जायें। सैंटर की यह पालिसी है जिस का उन्होंने ऐलान किया है कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं, industry के मामले में या किसी और मामले में उन्हें develop किया जाये। सैंटर की यह हरगिज़ मनशा नहीं हो सकती कि आगे बढ़े हुए प्रान्त आगे बढ़ते जायें और पिछड़े हुए प्रान्त पीछे रहते जायें। यह Central Government की पालिसी के बिल्कुल खिलाफ बात है। मेरे भाईयों ने Central Government की पालिसी को समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उलटी दलील पेश की है कि अगर Centre को यह इख्तियार दे दिये गये तो हम कभी भी उन सूबों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे जो आगे बढ़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां हम ने industrialisation करना है उस के लिये सैंटर से मदद मिलनी चाहिये। हमें आगे बढ़ने के लिये केंद्र से सुरक्षित रहना चाहिये। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की यह नीति है कि backward इलाकों को पनपना चाहिये और जहां बेरोज़गारी है वहां यह बेरोज़गारी दूर की जाये। इस लिये यह ज़रूरी है कि हम यह अधिकार इस प्रस्ताव द्वारा उन्हें दें। जो डर मेरे भाईयों ने दिखाया है कि आगे बढ़े हुए प्रान्त पिछड़े हुए प्रान्तों को न पनपने देंगें, यही सब से बड़ी दलील है कि पिछड़े प्रान्तों के संरक्षण के लिये ये अधिकार केंद्र को देने चाहिये। विरोधी दल के सदस्यों ने एक बात और कही है वह यह है कि ऐसा करने से सरकार provincial autonomy पर छापा मार रही है। उन का यह एतराज़ यहां ठीक नहीं बैठता। इस सिलसिले में हम ने देखना है कि Centre के हाथ में नियंत्रण देने से जो plan सारे देश के लिये बननी है पहिले बन चुकी है और हम चला रहे हैं। देश की तसवीर को अगर हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक २ प्रान्त का अलग अलग विकास करके वह नहीं बन सकेगी बल्कि सारे देश के और विशेष रूप से पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास से वह सुन्दर तस्वीर बन सकती है। इस लिये मैं समझता हूं कि अगर हम सैंटर के हाथ में नियंत्रण के इख्तियारात दें तो इस से पिछड़े हुए प्रदेशों को बहुत लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपने लीडर आफ दी हाऊस की ओर से पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उद्योग धंधों में पिछड़े हुए प्रान्त की भलाई के लिये हाऊस सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को पास करेगा।

At this stage the Chief Minister (rose to speak.)

(आवाज़ें : अभी तो हमने इस पर बोलना था।)

मुख्य मन्त्री (श्री भीम सैन सच्चर) : स्पीकर साहिब, Opposition की नुक्ताचीनी के वज़न का अन्दाज़ा तो इसी बात से किया जा सकता है कि तकरीबन एक घंटा एक साधारण से Resolution पर बोलने के बावजूद भी सामने बैठे भाई कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। इस एक घंटे में ज़्यादातर तकरीरें उन्होंने ही की हैं मगर अभी तक उन की तसल्ली नहीं हुई।

कुछ दोस्तों ने इस बिना पर इस की मुख़ालफत की है कि Centre को और अधिकार दे कर मज़बूत नहीं होने देना चाहिये।

[मुख्य मन्त्री]

(ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ।) स्पीकर साहिब, जो लोग मुल्क में अबतरी देखना चाहते हैं, वे भला इस बात को कैसे पसन्द कर सकते हैं कि इस देश के अन्दर Centre मज़बूत हो । यह कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा सवाल आप के सामने खड़ा किया जा रहा है। इतने सालों से Centre और States जिस तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उस से साबित होता है कि States उस पूरी आज़ादी के साथ काम कर रही हैं जो उन्हें Constitution ने दे रखी है। Constitution में जिस तरमीम के किये जाने की तजवीज़ की जा रही है, उस के ज़रीये Centre का मकसद States की आज़ादी पर छापा मारना नहीं है । हमारे दोस्तों ने Seventh Schedule में दी गई List III को यदि पढ़ा होता तो उन्हें यह गलत फहमी न होती। पहले ही कम से कम 47 ऐसी items हैं जिन पर legislation के बारे में Centre को States के साथ बराबर का हक है। हमारे दोस्तों ने यह बहस की है कि Centre पंजाब के कच्चे माल को ले लेना चाहता है ताकि यह पंजाब के काम न आ सके या यह कि पंजाब को इस माल की सही कीमत न मिले, या इस की कीमत इस तरह मुकर्रर की जाए कि दूसरे प्रान्तों को फायदा हो और पंजाब को पूरा फायदा न हो। इस दृष्टिकोण से इस प्रस्ताव पर बहस की गई है।

सब से पहले मैं अपने माननीय दोस्तों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि सारा देश पंजाब ही नहीं है इस में और भी प्रदेश हैं। अब jute की मिसाल ही लीजिये । अगर jute की production, export और distribution पर control का अधिकार Central Government के पास ही हो तो क्या यह अच्छी और ठीक चीज़ नहीं है? पहले हमारी स्टेट में cotton की 75,000 गांठें होती थीं, पिछले साल 3,25,000 गांठें हुईं, इस साल 4 लाख गांठों के होने की उम्मीद है। यह हमारे लिये गौरव की बात है । इस में कोई शक नहीं कि हमारा सर काश्तकार भाइयों के सामने जो जान मारते हैं, मेहनत करते हैं झुक जाता है। अगर हम इस नज़रिये को सामने रखें जैसा कि हमारे साथी चाहते हैं कि Centre और States का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिये ।

Sardar Ajmer Singh : who says that ?

मुख्य मन्त्री : श्रीमान जी, अगर Centre के सामने सारे मुल्क की तसवीर न हो तो वह यह कैसे देख सकता है कि किस हिस्से में खूराक या कपड़े की क्या हालत है या किस हिस्से में कौन सी industries चलाई जा सकती हैं। यह मामले ऐसे हैं कि इन से सारे देश की तसवीर को सामने रखना पड़ता है। अगर यह बात न होती तो हम भाकड़ा प्रोजैक्ट पर जो देश की सब से बड़ी achievement है अपना सर कैसे गौरव से ऊंचा कर सकते थे । Centre और States में co-ordination तभी हो सकती है जब कि mutual goodwill हो ।

स्पीकर साहिब ! जो मेरे दोस्त यह बात कहते हैं कि देश में planned economy नहीं चाहिये उन का अपना कहना ही उन की सारी बहस को रद्द कर देता है। केंद्रीय सरकार के पास पहले ही बहुत सारे इख्तियारात हैं । उदाहरण के तौर पर ट्रेड (trade), कौमर्स (commerce), सपलाई (supply) और डिस्ट्रिब्यूशन (distribution) के सब के सब इख्तियारात उन के पास ही हैं । अगर मेरे दोस्त मेरे जवाब को समझने की कोशिश करते तो वे यह बात न कहते कि देश के अन्दर planned economy न हो। इस के आगे price control है। Price contro के बारे में legislation का इख्तियार पहले ही Centre के पास है। यदि price control का इख्तियार Centre अपने पास रखता है तो आप बताएं कि बाकी कौन सी चीज़ रह जाती है ? अब आप कपास को लें—पंजाब प्रदेश बड़ी मिकदार में रूई पैदा करता है। आप कहेंगे कि यह कपास पंजाब से बाहर न जाये। वास्तव में आप का मतलब यह है कि यहां पर बड़े २ कारखाने लगाये जायें और उस रूई को उपयोग में लाया जाए। बिल्कुल मुनासिब बात है मैं इस को मानता हूं। सरकार भी इस बात को मानती है कि पंजाब की सब जरूरतों को यहां से ही पूरा किया जाए और होनी भी चाहियें। सरकार अपनी पूरी कोशिश इस रुख में कर रही है। आप कहेंगे कि साहिब Centre ने हमीरा की sugar mill वहां से क्यों उठवा दी वह तो Centre के इख्तियार में थी। इस से आप लोग यह नतीजा निकालते हैं कि Centre हमारे हक में नहीं है। तो साहिब मैं पूछता हूं कि यदि यह बात है तो Centre ने हमारे लिये 2 sugar mills की क्यों मन्जूरी दे दी है ? यह भी तो उन के हाथ की बात है। स्पीकर साहिब ! इस लिये मैं उन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्हें सारे सिलसिले को उलटने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। और बहुत सी चीजें होती हैं जिन के ज़रिए गवर्नमेंट पर कटाक्ष किया जा सकता है। लेकिन ऐसी बातें उन को नहीं करनी चाहियें जिन के कारण लोग उन की हंसी उड़ाएं।

स्पीकर साहिब, आज कल रोशनी के युग में जब कि पंजाब के अन्दर चार लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी मुझे समझ नहीं आती कि कहां से सदियों पुराने लोग आए हैं जो कि चीज़ों को इतनी तंगनज़री से देखते हैं.....

मौलवी अब्दुल गनी डार : यथा राजा तथा प्रजा ।

मुख्य मंत्री : मेरे दोस्त ने कहा है कि यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज कितने आदमी राजा जवाहरलाल के कदमों पर चलते हैं। जरा उन के कदमों पर चल कर तो देखें। राजा की तरफ से तो कोई कमी नहीं है लेकिन स्पीकर साहिब ! कई काली कमलियां ही ऐसी होती हैं जिन पर कोई रंग ही नहीं चढ़ता। (*Laughter*) मैं ने बहुत वक्त हाऊस का ले लिया है। लेकिन जब कोई वजनदार बहस न हो तो जवाब देने में वक्त ज़्यादा ही लग जाता है। मेरे मित्र सरदार सरूप सिंह ने कहा है कि Constitution के साथ इतनी liberty से पेश आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यह बहुत मुकद्दस चीज है और इस लिये इस को बड़ी झिजक के साथ हाथ में लेना चाहिये। वे पढ़े लिखे आदमी

[मुख्य मंत्री]
हैं, वकील हैं और मशहूर आदमी हैं। मैं उन्हें बता दूं कि Art. 368 में क्या लिखा है। यह यूं है—

"An amendment of the Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two thirds of the Members of that House present and voting, it shall be presented to the President for his assent, and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill :

Provided that if such amendment seeks to make any change in—

(a) article 54, article 55, article 73, article 162 or article 241, or

(b) Chapter IV of Part V, Chapter V of Part VI, or Chapter I of Part XI, or

(c) any of the Lists in the Seventh Schedule, or

(d) the representation of States in Parliament, or

(e) the provisions of this article.

The amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States specified in parts A and B of the First Schedule by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent."

लेकिन बाज़ औकात यह होता है कि Criminal Procedure Code और Indian Penal Code के अलावा दूसरी किताबें देखने का वक्त नहीं मिलता तो मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि—आप इन अलफ़ाज़ को भूल न जाइये।

The amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States specified in parts A and B of the First Schedule by resolution to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent.

स्पीकर साहिब! अगर इस safeguard की मौजूदगी में Constitution को नहीं बदला जा सकता तो मैं उन से मुआफी चाहता हूं। बाज़ दोस्तों का यह ख्याल होगा कि Constitution तो बना दी गई थी और उस में vested interests के लिये गुंजायश चली आ रही थी मगर अब ये लोग Constitution को बदल रहे हैं। इस लिये उन को कुछ घबराहट सी महसूस हुई है तो उन्होंने यह आवाज़ बुलन्द की है कि Constitution को न बदला जाए। तो यह कोई argument नहीं है। Article 33 है और 37 है उसमें यह तरमीम Parliament के दोनों हाऊसेज़ में आ चुकी है और उन्होंने Bill को पास कर दिया है। हो सकता है कि जो आवाम के नुमाइंदे वहां हों वे पहले शायद न समझते हों। कई लोग उन की बात को न सुनते हों। लेकिन उन के नुमाइंदों ने वहां पर बैठ कर इस बिल को पास किया है.......

Sardar Ajmer Singh : On a point of order, Sir. The Chief Minister has cast reflections on the members of the Houses of the Parliament by asking that there were some members who were not considered to be the representatives of the people.

मुख्य मंत्री : मुश्राफ कीजिए मैं ने यह नहीं कहा। मेरा मतलब यह था कि बाज़े सदस्य अपने लोगों की बात को नहीं सुनते। लेकिन जो उन की बात को नहीं सुनते वह तो हो सकता है कि वे लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं। मगर दूसरे लोगों के मुतअल्लिक नहीं कहा जा सकता। इस तरमीम से हमारे सूबे के हकूक पर छापा नहीं है और न ही इस से हमारी industry या agriculture की तरक्की की राह में कोई रुकावट है। बल्कि यह सूबे की तरक्की के लिये एक कदम आगे है। यह अच्छा हुआ कि हमें तबादलाए ख्यालात का काफी मौका मिल गया है इस हाऊस के अन्दर, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस resolution को जल्दी ही पास किया जायेगा।

Professor Mota Singh Anandpuri : On a point of personal explanation Sir. The Leader of the House has, in the course of his speech, said that some of the Members belonging to the Opposition Party have opposed the motion with the object of creating disharmony between the Centre and the States He has further said that they want to see that the Centre is weakened so that forces of disruption and chaos may have the upper hand in the country.

I want to assure the Leader of the House that we are as anxious as he is to strengthen the hands of the Centre. But I would like to make it clear that we do not want to strengthen the Centre at the cost of a State which is industrially in a state of infancy.

Chief Minister : I am grateful for the assurance given by the hon. Member opposite that he is not amongst those who want to see that the forces of disruption and chaos should have the upper hand in our country.

Mr. Speaker : Question is—

That this House ratifies the amendment of the Seventh Schedule to the Constitution of India, proposed to be made by the Constitution(Third Amendment) Bill, 1954 as passed by the two Houses of Parliament.

The Assembly then divided :

AYES .. 63

NOES .. 21

The motion was declared carried.

Ayes

Name

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan.
2. Abhai Singh, Shri.
3. Badlu Ram, Shri.
4. Benarsi Dass Gupta, Shri.
5. Bhim Sen Sachar, Shri.
6. Bishna Ram, Shri.
7. Chand Ram Ahlawat, Shri.
8. Chandan Lal Jaura, Shri.
9. Chuni Lal, Shri.
10. Darbara Singh, Sardar.

[Mr. Speaker]

Ayes

Name

11. Daulat Ram, Shri
12. Daulat Ram Sharma, Shri.
13. Dev Datta Puri, Shri.
14. Dev Raj Anand, Shri.
15. Dev Raj Sethi, Shri.
16. Dharam Vir Vasisht, Shri.
17. Gajraj Singh, Rao.
18. Guran Das Hans, Bhagat.
19. Gurbachan Singh Bajwa, Sardar.
20. Gurbanta Singh, Sardar.
21. Gurdial Singh, Sardar.
22. Gurmej Singh, Sardar.
23. Hari Ram, Shri.
24. Jagdish Chander, Shri.
25. Jagdish Chandra, Dewan.
26. Kartar Singh, Sardar.
27. Kasturi Lal Goel, Shri.
28. Khem Singh, Sardar.
29. Lahri Singh, Chaudhri.
30. Lal Chand Prarthi, Shri.
31. Mam Raj, Shri.
32. Mehar Singh, Shri.
33. Mehar Singh, Thakur.
34. Mohan Singh Jathedar, Sardar.
35. Mool Chand Jain, Shri.
36. Nand Lal, Shri.
37. Nanhu Ram, Shri.
38. Naranjan Dass Dhiman, Shri.
39. Parkash Kaur, Shrimati Doctor.
40. Partap Singh, Bakhshi.
41. Partap Singh Rai, Sardar.
42. Partap Singh, Sardar (Ratta Khera).
43. Phaggu Ram, Shri.
44. Prabodh Chandra, Shri.
45. Rala Ram, Shri.
46. Ram Dayal Vaid, Shri.
47. Ram Kishan, Shri.
48. Ram Parkash, Shri.
49. Ram Sarup, Shri.
50. Rattan Amol Singh, Captain.
51. Sadhu Ram, Shri.
52. Samar Singh, Shri.
53. Sant Ram, Shri.
54. Sarup Singh, Shri.
55. Shanno Devi, Shrimati.
56. Sher Singh, Professor.
57. Shib Singh, Sardar.
58. Sita Devi, Shrimati.
59. Som Dutt Bahri, Shri.

60. Sunder Singh, Chaudhri.
61. Teg Ram, Shri.
62. Uttam Singh, Sardar
63. Waryam Singh, Sardar.

Noes

Name

1. Achhar Singh Chhina, Sardar.
2. Ajmer Singh, Sardar.
3. Babu Dayal, Shri.
4. Bachan Singh, Sardar.
5. Baloo Ram, Shri.
6. Chanan Singh Dhut, Sardar.
7. Darshan Singh, Sardar.
8. Gopal Singh, Sardar.
9.. Iqbal Singh, Principal.
10. Kedar Nath Saigal, Shri .
11. Mam Chand , Shri.
12. Mani Ram, Shri.
13. Maru Singh Malik, Shri.
14. Mota Singh, Anandpuri, Professor.
15. Partap Singh, Master.
16. Sarup Singh, Sardar.
17. Shamsher Singh, Sardar.
18. Shri Ram Sharma, Pandit.
19. Sri Chand, Shri.
20. Wadhawa Ram, Shri.
21. Wazir Singh, Sardar.

मौलवी अब्दुल गनी डार : On a point of order, Sir. यह जो bulletin कल शाया किया गया है उस की तहित में दर्ज किया गया है कि Opposition वाक आऊट कर गई थी। लेकिन मेरी गुज़ारिश यह है कि हम ने तो walk out नहीं किया था। हम तो लेट आए थे। इस लिए यह bulletin गलत शाया किया गया है।

श्री स्पीकर : इस के मुतअल्लिक माननीय मैम्बर मुझ से बाद में बात कर सकते हैं वैसे तो यह चीज़ Assembly के record पर नहीं आनी। यह bulletin तो केवल मैम्बर साहिबान की convenience के लिये जारी किया जाता है।

THE PUNJAB TOWN IMPROVEMENT (AMENDMENT) BILL, 1954

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : Sir, I introduce the Punjab Town Improvement (Amendment) Bill.

Minister for Public Works : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Town Improvement (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

[Minister for Public Works]

ਪੰਜਾਬ Municipal Act ਦੀ ਦਫਾ 195 ਦੇ ਮਾਤਿਹਤ Municipal Committees ਨੂੰ ਇਹ ਹਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ Municipal Committee ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Municipal Committee ਉਸ building ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਾ 195 ਅਲਫ਼ ਦੇ ਹੇਠ Municipal Committees ਨੂੰ ਇਹ ਹਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ building ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ building ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਉਸ building ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਕੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਨਵਾਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। Punjab Town Improvement Act, 1922 ਦੀ ਦਫਾ 49 (1) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ Town Improvement Act ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ Municipal Act ਦੀ ਦਫਾ 195 ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ Improvement Trust ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨੋਟਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ building ਗਿਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਫ਼ਾ 195 ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਦਫ਼ਾ 195-A ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ building ਬਗ਼ੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਨਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ Improvement Trust ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਨੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ building ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ building ਬਨਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ waste ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ Amending Bill ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦਫਾ 195-A ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Town Improvement (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Town Improvement (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa): Sir, I beg to move—

That the Punjab Town Improvement (Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Town Improvement (Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Town Improvement (Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

AMENDMENTS MADE BY THE PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL IN THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (SECOND AMENDMENT) BILL, 1954

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move :

That the ammendments made by the Punjab Legislative Council in the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill, which was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 21st May, 1954 be taken into consideration.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the amendments made by the Punjab Legislative Council in the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill, which was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 21st May, 1954, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Question is—

That the amendments made by the Punjab Legislative Council in the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill, which was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 21st May, 1954, be taken into consideration.

The motion was carried.

Chief Minister : Sir, I beg to move :

That the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill, 1954 as originally passed by the Assembly be passed again.

मैं जो कुछ कहने लगा हूं वह Opposition के लिये नहीं बल्कि अखबार वालों के लिये है। यह कहा जा सकता है कि Punjab Legislative Council ने जो amendments करके भेजी हैं, उन को असैम्बली ने बड़े ही summary तरीके से reject कर दिया। ऐसी बात, मैं समझता हूं, गलत फहमी पैदा कर सकती है। इस लिए मैं चन्द इलफाज़ अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं क्यों आप से इस बिल को पास करने की सिफारिश कर रहा हूं। पहली amendment जो कौंसिल ने की है, यह है:—

That for the word and figure "sub-section (4)" the word and figure "subsection (3)" be substituted.

कौनसिल ने कहा है कि यह subsection 4 नहीं 3 होना चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि Council को यह राय कायम करने में गल्ती लगी है। Punjab Gram Panchayat Act, 1952 में इस clause का नम्बर 3 था मगर उस के बाद यह एक्ट अप्रैल, 1954 में amend हो गया था और इसी clause का नम्बर 4 हो गया। यह amendment इस वक्त Council के नोटिस में नहीं आई और इस लिये उन्हें गल्ती हो गई। दूसरी amendment उन्होंने यह की:—

That in the proposed proviso, line 7, between the words "of" and "panches" the words " panch or" be inserted.

हमने panches का word रखा उन्होंने कहा अगर एक panch nominate करें तो ठीक न होगा। ऐसा मालूम होता है कि यह सिर्फ वकील भाई......

श्री सिरी चन्द : वकील नहीं कोई और होगा।

मुख्य मंत्री : दरअसल ऐसे मौकों पर singular, plural के लिए और plural singular के लिये इस्तेमाल में आ जाता है।

मैं ने यह वज़ाहत इस लिये की है कि कहीं यह न समझा जाए कि Council की राय को असैम्बली ने बिना सोचे समझे रद्द कर दिया।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill, 1954, as originally passed by the Assembly, be passed again.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill, 1954, as originally passed by the Assembly be passed again.

The motion was carried.

THE EAST PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1954 (AS REPORTED ON BY THE SELECT COMMITTEE)

Minister for Labour (Chaudhri Sundar Singh) : Sir, I present the Report of the Select Committee on the **East Punjab General Sales Tax** (Amendment) Bill, 1954.

Minister for Labour : Sir, I beg to move—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill as reported on by the Select Committee be taken into consideration.

प्रधान जी, मैं आप की विसातत से वाजह करना चाहता हूं कि General Sales Tax Act में amendment की ज़रूरत क्यों पड़ी ताकि इस amendment पर बोलने वाले मेंबर साहिबान को तकरीर करते समय सहूलत रहे। East Punjab General Sales Tax Act, 1948 को 1952 में पहली बार amend किया गया और इस amendment की बदौलत सरकार को 50 लाख रुपये की आमदनी हुई। अब जो amendment लाई जा रही है यह कोई नई enactment नहीं है यह तो Sales Tax में evasion को रोकने के लिये provision किया जा रहा है।

इस amendment को पेश करने में सिर्फ गवर्नमेंट की ही खाहिश न थी बल्कि ईमानदार व्यापारियों की भी खाहिश थी। ईमानदार व्यापारियों की यह शिकायत थी कि बेईमान व्यापारी ट्रकों पर माल मंगवाते हैं और किसी को Sales Tax अदा नहीं करते न ही उस माल का कोई हिसाब किताब रखते हैं। जिस से कुदरती तौर पर वह अपना माल ईमानदार व्यापारियों से सस्ता बेचते हैं और ईमानदार व्यापारियों को इस से नुकसान पहुंचता है। अगर बेईमान लोगों को ऐसा करने से न रोका जाए तो ईमानदार लोग भी ऐसा करने पर मजबूर हो जायेंगे या व्यापार को छोड़ देंगे।

प्रधान जी, दूसरी बात यह है कि हम ने अपने प्रान्त में अगले चन्द सालों में रफाए आम की स्कीमें जारी करनी हैं जैसा कि सड़कें बनाना, स्कूल बनवाने और हस्पताल खोलने वगैरा अब ऐसी स्कीमों के लिये रुपये की ज़रूरत होगी। इस लिये हम कोशिश करते हैं कि Tax में evasion को रोका जाए ताकि सूबा की आमदन बढ़े। ऐसी amendment लाने में व्यापारियों की शिकायत को खास तौर पर मद्देनज़र रखा गया है।

इस amendment के ज़रिए यह इजाज़त मांगी गई है कि Excise Department वाले ट्रक को रोक सकें और पता कर सकें कि वह क्या माल लाए हैं और कहां ले जाना है। Tax के evasion को रोकने के लिए Check Posts या Barriers बनाए जायेंगे। और वहां पर Excise Inspectors या Excise Sub-Inspectors देख सकेंगे कि माल कहां से लाया गया है। यह स्कीम बनाई गई है कि जो माल दिल्ली से आए उस माल की invoice की तीन कापियां बनाई जाएं जिन में consignee, consignor और माल की तफसील दर्ज हो। इस invoice की एक कापी Check Barrier पर

[श्रम मंत्री]

दी जाएगी । दूसरी उस जगह जहां पर माल उतरेगा और तीसरी invoice की copy मालिक को दी जाएगी। इस तरह से Sales Tax की evasion को check किया जा सकता है ।

फिर एक और बात है कि चुंगी वालों को हक है कि वह माल देख सकें मगर Excise Department को यह हक नहीं कि वह माल को हाथ भी लगा सकें। इस लिये इस amendment से यह इख्तियार भी लेना है ताकि Excise वाले माल देख सकें ।

प्रधान जी, एक और बात है जो मैं सभा को बताना चाहता हूं । वह यह कि अफ़ीम के इस्तेमाल को दर्जा बदर्जा रोकने के लिये Central Government ने 1949 में हिदायतें जारी की थीं । उन हिदायतों के मुताबिक काम शुरु कर दिया गया था। इस से सूबे में एक करोड़ रुपये का नुकसान होना था। हम इस स्कीम को धीरे धीरे अमल में ला रहे हैं। 10 प्रतिशत कर के हर साल इस को खत्म कर रहे हैं । अब 70 लाख रह गया है। इस की खपत को भी April, 1958 में खतम कर दिया जाएगा। हमने इस एक करोड़ रूपये के खसारे को भी पूरा करना है । यह एक reasonable source of income है । कोई नया टैक्स नहीं इस लिए मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा बिल है और इस की मुखालफत नहीं होनी चाहिये ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, as reported on by the Select Committee be taken into consideration.

श्री श्री चन्द (बहादुरगढ़): साहिबे सदर ! इस बिल के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि किसी महकमे को बढ़ाना आसान है और अगर कोई महकमा शुरु हो जाए तो उस को खत्म करना मुश्किल हो जाता है ।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

इस तरह जब असेम्बली बनी तब से ही हम देखते चले आए हैं कि हरेक मिनिस्टर कोशिश करता है कि कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिस से उस के अपने 10,20 या 50 आदमी काम पर लगाए जा सकें । यहां भी हरेक मिनिस्टर साहिब का यही तरीका है। हमारे Labour Minister साहिब इस काम में पीछे रह गए थे। इस लिये उन्होंने यह बिल पेश कर दिया । इस बिल की रू से अपने आदमी रखे जायेंगे और वह किसी आते जाते ठेले को रोक कर उस की तलाशी लेंगे। इस से corruption बहुत बढ़ जाएगी।

अगर किसी को check करना हो तो यह अपने आदमी उन चुंगियों पर खड़े कर सकते हैं। नए Barrier बनाने की जरूरत नहीं। यह कोई बहादुरी नहीं कि ट्रक वालों को दिल्ली और बहादुरगढ़ के जंगल में खड़ा कर लिया जाये और साथ पुलिस भी खड़ी कर ली जाए। इस से तो साफ ज़ाहिर है कि Excise वाले चुंगी पर लोगों के सामने

रिश्वत नहीं ले सकते तो जंगल में ट्रक रोक कर अंधेरे में उन से रिश्वत आसानी से ले सकते हैं। (हंसी)। मैं सरकार से पूछता हूं कि सरकार के लिये कौन सी मुसीबत आ गई है कि वह ट्रक वालों को चुंगी पर न देख सके? सरकार आसानी से चुंगियों पर ट्रक की देख भाल कर सकती है।

इस बिल के लाने में यही ख्याल रखा गया है कि मिनिस्टर साहिब के पास कोई अर्ज़ी लेकर आए तो उन्होंने कहा कि आप को जगह दे दी जाएगी। और मिनिस्टर साहिब ने यह भी कह दिया कि जगह भी ऐसी देंगे जहां रिश्वत लेने की भी खुली छुट्टी हो जाए।

साहबे सदर, एक बात और यह है कि जब असेम्बली बैठती है तो कानून पेश हो जाते हैं। कानून पास हो गया हो तो amendments लाई जाती हैं। जिस तेजी से हम कानून पेश करते हैं उसी रफतार से कानून पर अमल करने वालों को भी समझ नहीं आएगी। हमें चाहिए कि इस काम में कम से कम रुकावट डालें। अगर आपने पुलिस वालों पर या और किसी पर मेहरबानी करनी है तो Excise का आदमी चुंगी पर खड़ा कर दिया जाए। और वहां पर ट्रक वालों को चैक किया जा सकता है।

आखिर में मैं अर्ज़ करता हूं कि यह amendment बेफायदा है। इस से रिशवत को एक और रास्ता मिल जाएगा। इस की कोई जरूरत नहीं और इस के पेश करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत): डिप्टी स्पीकर साहिब, हमारे Labour Minister साहिब ने एक मसवदा कानून पेश किया है और बताया है कि चूंकि लोग Sales Tax नहीं देते और नाजाइज़ तरीकों से गवर्नमेंट को लूट रहे हैं इस लिये सरकार इस बात का इंतज़ाम करना चाहती है कि वे इस tax के बारे में गवर्नमेंट को न लूट सकें। यह बिल इसी मकसद के लिये पेश किया गया और एक Select Committee के सुपुर्द हुआ। उस Committee ने एक दो meetings के बाद फैसला किया कि इस पर लम्बा ग़ौर करने की ज़रूरत है इस लिये मज़ीद मोहलत मांगी जाए। वह मोहलत मिल गई और फिर लम्बा ग़ौर करने के बाद फैसला किया गया कि जिस तरह म्यूनिसिपल कमेटी चुंगी वगैरा की चोरी के बारे में इन्तज़ाम करती है उसी तरह गवर्नमेंट Sales Tax की चोरी का इन्तज़ाम करे। अगर्चे Check posts बनाए जाएंगे, barriers लगाए जायेंगे, इन्सपैक्टरज़ मुकर्रर किए जाएंगे। माल लाने वालों से कहा जाएगा कि तीन तीन कागज़ लाओ, किस का माल है किस को देना है, कहां से लाए, कहां बेचोगे, वगैरा वगैरा। यह कहते हैं कि इस से बहुत भारी फायदा होगा और उस से हम बहुत अच्छे २ काम करेंगे (हंसी)। डिप्टी स्पीकर साहिब! आप को मालूम है कि टैक्स के मामले में तो ऊपर की सरकार भी तौबा कर चुकी है। करोड़ों का हेर फेर हो गया। बहुत हाथ पैर मारे गए, मगर कुछ न बन सका। हमारी सरकार कहती है कि जो काम Centre नहीं कर सका वह हम कर लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि कितने मुलाज़म रखेंगे, कितने barriers बनाएंगे और किस तरह कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे तो डर है कि यह भी कहीं रोहतक की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के Profession a

[पंडित श्री राम शर्मा]

Tax का मामला न बन जाए कि जितनी आमदनी रो पीट कर हुई करीबन उतना ही खर्च हो गया। चीख-पुकार अलग रही (हंसी) मेरी अर्ज़ है कि वह लोग आप के भी उस्ताद हैं आप तीन कागज़ मांगते हैं, वे छः ले आयेंगे और आप देखते रह जायेंगे (फिर हंसी)।

फिर जनाब यह barriers और चौकियां शहर के पास या चुंगीखानों के करीब तो न होंगी कि बना बनाया मकान है उस में जो लोग पहले बैठे हैं उन के साथ एक आदमी और बिठा देंगे या उन लोगों को ही 10 या 20 रुपया अलाउंस दे देंगे कि अपने काम के साथ साथ हमारे काम की भी देखभाल कर लिया करो। पस गालिबन यह barrier जंगलों में बनाये जायेंगे। वहां दो चार इन्सपैक्टर होंगे साथ ही शायद पुलिस भी रखनी पड़ेगी (हंसी)।

जनाब, वज़ीर साहिब शायद न जानते हों, मगर लोग जानते हैं कि पुलिस और चुंगी वालों के उन लोगों के साथ पैसे बन्धे हुए होते हैं और इस तरह सारा माल इधर-उधर होता रहता है। आप को यह भी मालूम है कि रात को ट्रक वगैरा चलते हैं, पुलिस मुकर्रर है, ढोल ढाल रास्ते में रखे जाते हैं मगर कोई बताए कि उन से कितना फायदा हुआ। जब वहां कुछ न हो सका तो इस काम के लिए शायद उन के पास खास आदमी कहीं से आ जायेंगे। मेरी अर्ज़ है कि इन के चलाए हुए प्राजैकटों में भाखड़ा डैम वगैरा में बेतहाशा लूट मची हुई है। वज़ीरों ने वहां enquiry board बठाए, बहुत दौड़-धूप की मगर कुछ न बना। पस, वह सब तो लूट-धसूट को ठीक न कर सके अब इन वज़ीर साहिब की बारी है। यह barriers बनायेंगे बहुत से लोगों को नौकर रखेंगे और इस तरह लाखों रुपया बचा कर development करेंगे (हंसी)। मुझे इन की नीयत पर शक नहीं मगर इन की अकल पर ज़रूर शक है। गवर्नमेंट कई किस्म के इख्तियारात लेती है कि डाके रोकेंगे, जराइम कम कर देंगे, मगर होता यह है कि एक आदमी की रोक के लिये दूसरा, दूसरे के लिये तीसरा और फिर चौथा मुकर्रर किया जाता है और चारों से मिल कर खा जाते हैं।

एक बात और अर्ज़ करता हूं। बेशक लोगों ने Sales Tax की चोरी करने पर कमर बांधी हुई है और मैं यह भी मान लेता हूं कि नए इन्तजाम करके यह लाखों रुपया बचा लेंगे। मगर क्या इस की कोई रिपोर्ट हमारे पास आएगी? क्या हमें यह भी बताया जाएगा कि इस की कारगुज़ारी क्या है?

श्रम मंत्री : हमने 50 लाख रुपया इकट्ठा किया है।

पंडित श्री राम शर्मा : आमदनी का तीन चौथाई खर्च कर के तो आप 50 करोड़ भी जमा कर सकते हैं। आपने पहले जो कारहाए नुमायां किए, आप जो जो measures लाए उन का क्या नतीजा हुआ?

अब सीधी सी बात यह है कि ये तो कहते हैं कि हम barriers बना कर tax की चोरी रोकेंगे। मगर मैं कहता हूं कि यह चोरी न कभी रुकी है और न कभी रुकेगी। इन के पास comfortable majority है। इस लिए यह बिल तो पास हो जाएगा बल्कि यह हर मुहल्ले और हर घर में barrier लगाना भी पास कर सकते हैं। (हंसी)। मगर मैं जानता हूं कि इस का नतीजा कुछ न होगा। पस, हम दिल से इस बिल के हामी नहीं। मगर यह पास हो जाएगा।

श्री बनारसी दास गुप्ता (थानेसर) : स्पीकर साहिब, मैं इस बिल के हक में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि इस से व्यापारियों की 3/4 बेईमानी तो खत्म हो जाएगी । बात यह है कि जब हम व्यापारियों से बात चीत करते हैं तो वे कहते हैं कि ईमानदार व्यापारी तो ग्राहकों से Sales Tax मांगते हैं मगर ग्राहक कहता है कि मुझे दूसरी जगह से Sales Tax के बगैर ही माल मिलता है । आप जानते हैं कि 2 पैसे फी रुपया बड़ी बात है । अगर किसी को दो पैसे फी रुपया कम पर माल मिले तो वह वहां से खरीदना पसन्द करेगा । आजकल घी के Sales Tax में जियादातर चोरी होती है । जब कोई व्यापारी दिल्ली जाकर वहां से घी लाता है और बगैर Sales Tax के बेचता है तो उस की बिकरी ज़्यादा होती है और ईमानदार व्यापारी का माल नहीं बिकता । बिके भी कैसे जब लोगों को 5 1/4 रुपये की जगह 5 रुपया फी सेर घी मिले । इन हालात में मैं महसूस करता हूं कि इस बेईमानी को रोकना बहुत ज़रूरी है ।

पंडित श्री राम शर्मा जी और चौधरी सिरी चन्द जी ने एतराज़ किया है कि barriers की क्या ज़रूरत है । चुंगी वालों को ही कुछ allowance दे कर यह काम क्यों नहीं करवा दिया जाता । मैं अपने मित्रों से अर्ज़ करना चाहता हूं कि Select Committee में इस बात पर गौर हुआ था लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं समझी गई । Barriers हर जगह पर नहीं बनते हैं । यह तो सिर्फ दो तीन जगह बनेंगे । जहां दूसरी जगहों से माल हमारे सूबे में दाखल होता है । एक दिल्ली के नज़दीक । एक गुड़गांवां में और एक शायद बहादुरगढ़ में । मेरे विचार में इन पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आयेगा और इस खर्च से हमारी आमदनी खत्म नहीं हो जायेगी ।

श्रीमान् जी, यह ख्याल किया जा सकता था कि इस बिल के पास होने से लोगों को harassment होगी । लेकिन harassment वाली बात हमने पहले ही उड़ा दी है । बिल के अन्दर जो हरेक package को खोलने वाली बात थी हटा दी गई है । Barriers और check posts पर माल को मामूली तौर पर देखा जायेगा । अगर ज़रूरत हुई तो destination पर अच्छी तरह से देखना होगा । मैं महसूस करता हूं कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो बहुत हद तक बेईमानी खत्म हो जाती है । इस के साथ व्यापारी भी cautious और खबरदार हो जायेंगे और उन की चोरियां कम हो जायेंगी । जो भी हो मेरा विचार है कि barriers पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत न पड़ेगी । एक बात यह है कि माल जो दिल्ली से ट्रकों पर आता है वह सारे का सारा एक शहर का नहीं होता । कुछ एक शहर का होता है तो कुछ दूसरे शहरों का । इस लिये जो कमेटियों के barriers बने हुए हैं वहां पर ठीक देख भाल नहीं हो सकती । ठीक देख भाल तब हो सकती है जब माल एक ही जगह का हो ।

श्रीमान् जी मुझे विश्वास है कि इस बिल के पास होने से बेईमान व्यापारी ज़द में आयेंगे और वह सूबे के किसी हिस्से में बगैर sales tax के माल न भेजेंगे । जब ऐसा होगा तो हमारी आमदनी बढ़ेगी । मैं इस बिल को support करता हूं और हाउस से अपील करता हूं कि इस बिल को जलद अज़ जल्द पास किया जाये ।

श्री गोपी चंद (पुंडरी) : श्रीमान् जी, East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill पर Opposition की तरफ से मेरे दो फाज़िल दोस्तों ने तकरीरें की हैं। इन में से एक फ़ाज़िल दोस्त Civil Supplies के वज़ीर रह चुके हैं। जब यह मामला Central Government की तरफ से पेश हुआ कि Civil Supplies के अन्दर जो control और rationing है इस को ख़त्म किया जाये तो पंजाब गवर्नमेंट के Civil Supplies के वज़ीर के सिवाए दूसरी States के वज़ीरों ने इसे मान लिया था। लेकिन इन्होंने बहुत मुखालफ़त की थी। आज उन्होंने बड़े जोशोखरोश के साथ, बड़े अच्छे ढंग से इस बात को रखा है कि मौजूदा Congress Government जो कानून बनाती है या बना रही है वे महज़ इस किसम के होते हैं जिन से corruption बढ़ती है घटती नहीं। जब East Punjab में यह टैक्स लागू हुआ तो व्यापारियों में corruption पैदा हो गई। जो कुछ श्री बनारसी दास जी ने कहा है बिल्कुल ठीक है। हमारे हां कैथल की मशहूर मंडी है। वहां जो लोग दो दो सौ रुपया दुकानों का किराया देते हैं कुछ नहीं कमाते लेकिन उन के मुकाबले में वे लोग जो पटड़ियों पर बैठते हैं या godowns गली मुहल्ले में ले कर कारोबार करते हैं और वहां ही बैठ लेते हैं ज्यादा कामयाब रहते हैं। वे Inspector वगैरा से मिल कर corruption करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि यह amendment जो आई है बहुत देर के बाद आई है। इसे पहले लाया जाना चाहिये था (श्री किदार नाथ सहगल आप इसे पहले ले आते) मैं अपने फाजिल दोस्त को बता दूं कि amendment तब लाई जाती है जब कानून में किसी किसम की कमी महसूस की जाती है। मेरे विचार में इस amendment के लागू होने से बहुत फायदा होगा। यह कहना ठीक नहीं कि इस से पुलिस का राज हो जायेगा या corruption ज्यादा बढ़ जायेगी। मुझे समझ नहीं आती कि यह कैसे होगा। यह सब काम राहदारी के तरीके पर किया जाना है। जब हम octroi posts पर जाते हैं और किसी शहर के पास से हम दूसरे शहर में जाते हैं तब राहदारी बनवा ली जाती है और शहर से बाहर निकलने पर राहदारी का परवाना दे दिया जाता है। और वहां कोई corruption नहीं होती तो इस बिल से कैसे हो जायेगी? यह बिल तो व्यापारियों के अन्दर बेईमानी को रोकने के लिये और व्यापारियों में ईमानदारी लाने के लिये पेश किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस amendment की support करता हूं और Minister-in-Charge को मुबारकबाद पेश करता हूं।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of personal explanation, Sir, अभी जो मुअज़िज़ मैम्बर तकरीर कर रहे थे उन्होंने irrelevant तौर पर मेरा ज़िक्र किया है और कहा है कि जब मैं वज़ीर था तो मेरा control के मुतअल्लिक जो रवैय्या था वह हिन्दुस्तान के बाकी वज़ीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं उन्हें बता दूं कि जो गवर्नमेंट की पालिसी थी उस के मुताबिक काम होता रहा। मैं कैबिनट की बातें इस एवान में नहीं दोहरा सकता लेकिन यह कहूंगा कि अगर control के मामले में मेरा कहीं इख्तलाफ था तो मेरा view वही होता था जिन की company में मैं था जिस में पंडित जवाहर लाल नेहरू को भी शामिल किया जा सकता है।

श्री गोपी चंद : मैं इस का जवाब देना चाहता हूं ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. क्या मेरे इस personal explanation के बाद कोई statement दिया जा सकता है ? अगर ऐसे statement देने की इजाजत दे दी जाये तो यह amending affair हो जायेगा ।

Mr. Deputy Speaker : No discussion can be allowed on this point.

श्री गोपी चंद : On a point of order, Sir. मैं हाऊस को बताना चाहता हूं कि मैं ने जो भी पंडित जी के बारे में कहा है उस से मेरा मकसद उन पर कोई ज़ाती attack करने का नहीं था ।

श्री मनी राम (फतेहाबाद) : माननीय स्पीकर साहिब ! यह जो Labour Minister ने हमारे सामने बिल पेश किया है उस पर Opposition की तरफ से और Treasury Branches की तरफ से मेरे साथियों ने अपने विचार सभा के सामने रखे हैं । जहां तक corruption रोकने का सवाल है मैं समझता हूं कि इस एवान के हर मेम्बर का फ़र्ज़ है कि corruption रोकने के हर कानून को पास करने में अपना सहयोग दे । मैं गवर्नमेंट को बता देना चाहता हूं कि corruption बगैर कोई effective measures लिये नहीं रोकी जा सकती सिर्फ Sales Tax के अन्दर ही चोरी नहीं होती । सब को मालूम है कि Sales Tax में चोरी Inspectors से मिल कर होती है । मैं अपने साथी से जिन्होंने अभी तकरीर की पूछता हूं कि क्या guarantee है कि Inspectors जो इस महकमे में काम कर रहे हैं वह दुकानदारों के साथ मिल कर Sales Tax की चोरी नहीं करेंगे ? मैं अपने तजरुबे की बिना पर कह सकता हूं कि इस regime में जो नया महकमा खोला जाता है वह इस लिये नहीं खोला जाता कि उस महकमे की ज़रूरत होती है बल्कि वह महकमा महज़ इस नियत से खोला जाता है कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को नौकरियां दी जायें। इस तरीके से corruption सरकारी महकमों में ज़्यादा बढ़ती है । मैं गवर्नमेंट से पूछता हूं कि क्या पुलिस का सारा स्टाफ नाकाबिल है जो Sales Tax की चोरी को नहीं रोक सकता ? माननीय मिनिस्टर साहिब को पता है बल्कि सारी गवर्नमेंट को पता है कि Sales tax में चोरी होती है । Civil Supplies का महकमा बना था तो उस में भी रिश्वत का बाज़ार गर्म था ।

Mr. Deputy Speaker : I may tell the hon. Member that the subject of corruption is not under discussion. He may now resume his seat.

श्री निरंजन दास धीमान (फिलौर) : स्पीकर साहिब ! यह जो General Sales Tax (Amendment) Bill हाऊस में पेश किया गया है इस की बड़ी मुद्दत से पंजाब के व्यापारी और खास तौर पर ईमानदार व्यापारी मांग कर रहे थे । मुझे अच्छी तरह से पता है कि वह लोग जो कम्पनियों के agents हैं और बड़ी बड़ी फर्मों के मालिक हैं जो अपना बाकायदा हिसाब किताब रखते हैं वह किस तरह नुकसान उठाते रहे हैं । उस का कारण यह था कि इस ऐक्ट में खामी थी और जो माल बाहिर की States से

[श्री नरिंजन दास धीमान]
आता था उसे किसी न किसी ढंग से छिपाया जा सकता था। यह amendment लाने का यह मतलब है कि किसी तरह से ऐसा माल जो बाहिर से आता है और इस State में आ कर बिकता है उसे छिपाया न जा सके और उस का Sales tax गवर्नमेंट को वसूल हो सके। गवर्नमेंट का मकसद इस बिल के लाने में सिर्फ यही नहीं कि Sales Tax वसूल करना है बल्कि यह भी है कि जो ईमानदार व्यापारी हैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे और जो व्यापार में बुरी हरकतें की जा रही हैं उन्हें खत्म किया जाये। इस amendment से यह लाभ होगा कि barriers कायम किये जायेंगे और जो माल बाहिर से आयेगा उस की बिल्टी जब माल चलेगा तो काटी जायेगी और उस के तीन परत माल के बीचक के साथ लगे होंगे। इस में से एक परत इस barrier पर लिया जायेगा और एक परत truck के ड्राईवर को मिलेगा और तीसरा परत उस जगह चला जायेगा जिस जगह वह माल भेजा जाता है। अब तक यह होता रहा है कि माल की बिल्टी फगवाड़ा की करनी है तो माल Khanna रह जाता है और अगर बिल्टी अमृतसर की करनी है तो माल कपूरथला में चला जाता है। इस का पहले कोई प्रबन्ध नहीं था कि हम जान सकें कि जो माल अमृतसर जाना था वह कहां गया। इस amendment के बाद हम बखूबी जान सकेंगे कि जो माल proper destination पर नहीं पहुंचता वह कहां गया है। उस स्टेशन के व्यापारी से जहां माल जाना है दरियाफत किया जा सकता है कि माल पहुंचा है या नहीं। मैं समझता हूं कि इस amendment के पास हो जाने से जो पहल ऐक्ट में खामी थी वह अब दूर हो जायेगी। वह ईमानदार व्यापारियों का सारा तबका जिन के साथ मेरा ताल्लुक है वह इस amendment से बहुत खुश हैं। इस amendment से income tax भी गवर्नमेंट को वसूल हो जायेगा। जहां तक corruption का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इस amendment के आ जाने से कोई ऐसी बात नहीं हुई जिस से corruption बढ़ने का इमकान हो। कोई खास अख्तियारात इन्सपैक्टरों या barriers के स्टाफ को नहीं दिये गये सिर्फ इतनी बात है कि उन्होंने माल को check करना है और check करने के बाद उन्होंने आगे जाने देना है। उन्हें उस माल को रोकने का कोई इख्तियार नहीं है जिस से corruption की कोई संभावना हो सके। माल को उतारने या छांटी करने की स्टाफ को इजाज़त दी जाती तो corruption का इमकान हो सकता था। मैं समझता हूं कि यह महज़ opposition करने के ख्याल से कहा गया है कि corruption बढ़ेगी। यह amendment व्यापारियों और गवर्नमेंट दोनों के लिये लाभदायक है। इसलिये मैं इस के लिये Labour Minister को बधाई देता हूं।

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : डिप्टी स्पीकर साहिब ! जहां तक कि इस तरमीम के लाने का सवाल है मैं भी दीवान साहिब के साथ शामिल हो कर मिनिस्टर साहिब को बधाई देता हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिस ढंग से हमारे चीफ़ मिनिस्टर दिन रात मारे मारे फिरते हैं और दिन में 17 घंटे काम करते हैं और महीने में 20 दिन बाहिर दौरा करते हैं और सरकारी अफ़सर कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं तो फिर आये दिन यह शिकायत क्यों पैदा होती है कि Sales Tax में leakage होती है। मैं समझता हूं कि इस leakage

को रोकने के लिये ऐसे कोशिश की जाती है जैसे अगर दरिया में हड़ आ जाये तो उसे एक बच्चा अपनी हथेली से रोकने की कोशिश करे। तो आप, स्पीकर साहिब, खुद ख्याल फरमायें कि यह leakage कैसे रुक सकती है। व्यापारियों का नाम लिया जाता है कि इस amendment से व्यापारी तबका बहुत खुश होगा। मुल्क के सारे व्यापारी मुझे इस वक्त सारे मुल्क से कोई वास्ता नहीं बल्कि हमारे सूबे के व्यापारी हमेशा सरकार से यही मांग करते आये हैं कि वह Sales Tax इस ढंग से वसूल करे जिससे न सरकार को परेशानी हो और न उन्हें हो। Income Tax के महकमे को करोड़ों रुपये वसूल होते हैं, Revenue के महकमे को करोड़ों रुपये वसूल होते हैं। हमारे काबिल Finance Minister जिन पर मुझे ही नहीं बल्कि सारे पंजाब को फखर है। (वित्त मंत्री : शुक्रिया) उन्हों ने Goods Carriers पर टैक्स लगा दिया हलांकि वह कहते रहे कि एक दफ़ा उन के licence पर ही यह टैक्स उन से वसूल कर लिया जाये।

मेरी समझ में यह बात नहीं थी कि जब चारों तरफ से leakage की शिकायत की जा रही है तो क्यों नहीं व्यापारियों की इस छोटी सी मांग को मान लिया जाता कि हर व्यापारी से टैक्स वसूल करने की बजाए उन से समूचे तौर पर उतना ही रुपया ले लिया जाए जैसा कि goods Carriers से लिया जा रहा है। इस तरह न कोई झगड़ा रहेगा न शिकायत। न होगा बांस न बजेगी बंसरी।

Barriers लगाने की सलाह तो ऐसी ही मालूम होती है जैसी बिल्ली को पकड़ने के लिये चूहों ने की थी। चूहों ने बड़ी तफसील के साथ स्कीम बनाई थी मगर जब एक सियाने चूहे ने उन से पूछा कि बिल्ली की मियाओं को कौन पकड़ेगा तो कोई चूहा इस क जवाब न दे सका। इसी सिलसिले में मुझे एक और आदमी की मिसाल याद आ गई है। एक बड़े corrupt आदमी से तंग आकर राजा ने जो हमारे Labour Minister की तरह बड़े सियाने थे उसे समुद्र की लहरें गिनने पर लगा दिया ताकि वह corruption न कर सके मगर वह भी बड़ा बेईमान था। जब उस ने देखा कि एक ताजिर का जहाज आ रहा है तो उस ने शोर मचाना शुरु कर दिया 'ठहर जाओ, मैं लहरें गिन रहा हूं। गिनती में फर्क आ जाएगा।' उस ताजिर बेचारे ने हाथ भी जोड़े और रिश्वत दी, तब कहीं उसके जहाज को गुज़रने दिया गया। (हंसी)।

तो जनाब मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्यों ऐसे फाजिल Finance Minister साहिब की मौजूदगी में Cabinet Sales Tax की collection के मामले में बाकी प्रान्तों को lead नहीं देती, क्यों barriers की शक्ल में महकमे के बढ़ाने का ख्याल कर रही है? Barriers पर अगर किसी ने गलत नाम लिखवा दिया, कोई जाली पर्चा कर गया, तो फिर किसी ज्योतिषी से पूछते फिरेंगे किसी के माथे पर तो यह लिखा नहीं कि वह बेईमान है। मैं अपने फाज़िल Finance Minister साहिब से दरखास्त करता हूं कि finances का ख्याल रखते हुए, व्यापारियों के साथ उसी तरह का फैसला कर लें जैसा Goods Carriers के

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

साथ किया गया है। इस से प्रान्त का भी भला होगा और व्यापारियों की इज्जत भी रह जाएगी क्योंकि ठीक कहा गया है कि व्यापार नाम ही है साख का। अगर व्यापारियों की साख ही न रहे, तो व्यापार कैसे चल सकता है। अगर बेईमानी को रोकना है, leakage को रोकना है, तो सरकार कोई ऐसा तरीका सोचे जिससे व्यापारियों को भी कोई दिक्कत न हो और आमदनी भी बढ़ जाए।

श्री बाबू दयाल (सोहना) : श्रीमान अध्यक्ष महोदय ! मैं Sales Tax (Amendment) Bill की मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा ख्याल है कि इसे पास करने से चोरी नहीं रुकेगी। जहां तक मैं समझता हूं इस के पास होने के बाद चोरी की मिकदार और बढ़ेगी। एक देहाती कहावत है कि जब किसी आदमी का ऊंट चोरी चला गया, तो वह इसे घड़े में ढूंढने लगा। देखना तो यह चाहिए कि चोरी क्यों होती है। इस की वजह यह है कि management करने वाले अफसरान ईमानदार और नेकनियत नहीं हैं। अफसरान तब ही ईमानदार हो सकते हैं जब पहले वज़ीर-साहिबान अपनी ईमानदारी और नेकनियती का सबूत दें। उनके ईमानदार हो जाने का असर अफसरान और Public पर अवश्य ही पड़ेगा। मैं तो हर जलसे में यह बात कहता हूं कि leadership का initiative वज़ीर साहिबान पर होता है। अगर वे ईमानदार हों तो कोई अफसर चोरी नहीं कर सकता।

चोरी क्या है ? हमारे ज़िले में इस की कई मिसालें देखने में आई हैं। हमारे ज़िले का एक Gazetted Officer देहली में रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। यह बिल तो चोरी को बढ़ाने के लिये ही पास कराया जा रहा है। जैसा कि कुछ दोस्तों ने कहा है यह अपने रिश्तेदारों को नौकरियां provide करने के लिये लाया गया है। इस से दूसरे महकमों को भी तरगीब मिलेगी। जंगल में barriers लगाए जायेंगे ताकि दिल खोल कर रिश्वत ली जा सके और लेने वालों के खिलाफ कोई गवाह भी न मिल सके। Sales Tax की चोरियां, Income-tax की चोरियां, Civil Supplies के महकमे की चोरियां, भाकड़ा के scandals......

Mr. Deputy Speaker : Order, order.

श्री बाबू दयाल : जनाब, मैं Sales Tax की चोरियों का हवाला दे रहा हूं। मैं यह कहने लगा था कि अगर हमारी सरकार अफसरों को ईमानदार बना दे , तो चोरियां रुक सकती हैं। मुझे अपने ज़िले की कुछ ऐसी मिसालों का पता है जिन में पुलिस....

Mr. Deputy Speaker : Order, please. Confine yourself to the Sales Tax Bill.

श्री बाबू दयाल : अगर अफसर ईमानदार हों तो चोरियां रुक सकती हैं। मैं Sales Tax की चोरी पर बहस कर रहा हूं। अगर अफ़सर ईमानदार नहीं तो चोरियां कभी नहीं रुक सकतीं।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। Sales Tax ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ collecting agency ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ 6 ਪਾਈ ਫੀ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਸਿਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ (Sales Tax) ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ sales tax ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਿਕਰੀ ਪੁਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਪੁਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ income tax ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਜਾਰਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਤਜਾਰਤ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ sales tax ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਹ rate ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰ ਅਸਾਂ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਰਮ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲੋਗ ਮਾਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਕੇ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ 30-40 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੱਕਾਂ ਦੇ

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਟ੍ਰੱਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੌਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਫੁਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫੁਲਾਣੀ ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ (trace) ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਹ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰਖਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ Subordinate Services Selection Board ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਜਗਾਹ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਭਰੇਗਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਤਾਕਿ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ਼ਾਇਬ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ । ਬਾਕੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ । ਜਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖੋਗੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਗਲ ਅਖੀਰ ਤਕ ਲੈ ਜਾਉ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰੱਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ inspection ਕਰ ਸਕਣ । ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਲਖ ਰੁਪੈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਠ, ਦਸ ਲਖ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ check posts ਕਿਧਰੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਥੇ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕਿਓਂ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ।

ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਉਥੇ ਬਣਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਮਸਲਨ ਪਿਪਲੀ ਇਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । Municipal Committee ਦੀਆਂ

Octroi Posts ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਦਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟ ਆਵੇ ਅਤੇ Sales Tax ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ Professional Tax ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿਠੀ ਆਈ ਹੈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੇਵਲ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ evasion ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਜਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ।

श्रम मंत्री (चौधरी सुन्दर सिंह) : जिन भाइयों ने एतराज़ किया है, स्पीकर साहिब, आपकी विसातत से उनका जवाब उन को देना चाहता हूं। बहुत से points के जवाब तो मेरे माननीय मित्र फाइनैंस मिनिस्टर ने दे दिए हैं फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो points रह गए हैं उन का जवाब दे दूं।

सब से पहले चौधरी सिरी चन्द जी ने यह कहा है कि यह अपने रिश्तेदारों को provide करने के लिए आए साल कोई न कोई ऐक्ट या बिल ले आते हैं। सर्व श्री मनी राम बागड़ी और बाबू दयाल जी ने भी अपनी तकरीरें करते हुए इस बात की और इशारा किया था। मैं बड़ा हैरान होता हूं उन की इस किस्म की बातें सुन कर और सोचता हूं कि मेरे यह भाई क्यों इस तरह सोचते हैं जब कि इन्हें यह मालूम है कि हम सारे के सारे मिनिस्टर appointments के मामला में कोई दखल नहीं दे सकते। आपकी इसी शिकायत को दूर करने के लिए ही तो हम ने छोटी तनखाहों वाले officials की recruitments के लिए भी एक बोर्ड बनाया था। 50 रुपए से ऊपर तमाम नौकरियों के लिए भरती Subordinate Services Selection Board करता है और जितनी भी gazetted आसामियां हैं उन के लिए भरती Public Service Commission करता है। इस लिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन का ऐसा ख्याल करना फजूल है जो पुरानी विचार-धारा पर मबनी है।

[श्रम मंत्री]

इस के बाद माननीय पंडित श्री रमा जी शर्मा ने यह फरमाया कि इस का हशर भी कहीं वही न हो जो कि रोहतक म्यूनिसिपल कमेटी में Professional Tax से इकट्ठी की हुई रकम का होता है। मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि उन के इन remarks में कोई justification होती अगर वह एक item को न ले कर सारे के सारे महकमे पर अपने ख्यालात का इज़हार करते। जितनी आमदनी होती है उसी के हिसाब से किसी department में staff पर 10 फ़ीसदी तक खर्च कर सकते हैं। बल्कि हमारे इस डिपार्टमेंट में तो वह 10 फीसदी भी नहीं। वह कोई 6 या 7 फीसदी निकलता है। उन की इत्तलाह के लिए मैं यह भी कह दूं कि हम खुद इस से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते। इस लिए इस measure से भी आमदनी ही होगी, नुकसान नहीं।

इस के अलावा श्रीयुत पंडित श्री राम जी ने यह भी फरमाया है कि यह जो भी कानून लाते हैं उस से कभी फायदा नहीं होता। यह बात गलत है, हां हो सकती है कि जो तजवीज़ पंडित जी लाएं उस से कोई फायदा न हो पर गवर्नमेंट की तरफ से जो तजवीजें लाई जाती हैं वह लोगों के फायदे और आम भलाई को ही सामने रखते हुए लाई जाती हैं। जैसा कि मेरे फाज़िल दोस्त फाइनैंस मिन्सिटर साहिब ने बताया इस से आठ या दस लाख का फायदा होगा, मेरा ख्याल है कि कम से कम 15,00,000 रुपए की आमदनी अकेले इस ऐक्ट की बिना पर होगी बल्कि इस से भी ज्यादा। सन् 1952 में हम ने entry और search के जो इख्तियारात लिए थे उस से गवर्नमेंट को 30 नहीं बल्कि 50 लाख रुपए का फायदा हुआ था। अब अन्दाज़ा है check-posts के लगाने से कोई 15 लाख रुपए का और फायदा होगा और जो माल चोरी छिपे बिना टैक्स के आता जाता है उस पर नज़र रखी जाएगी। इस लिए पंडित जी को यह खदशा नहीं होना चाहिए। आखिर यह भी तो हम बड़ी सोच विचार के बाद ही लाये हैं।

इस के बाद उन्होंने फरमाया कि जो मौजूदा चौकियां हैं वहां पर अपना एक आदमी बैठा देना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चौकियों को inspect करने के कोई इख्तियारात नहीं। यह इख्तियारात लेने के लिए ही तो हम यह बिल लाये हैं। मौजूदा कानून के मुताबिक तो चुंगी वालों ने यह देखना होता है कि बिना octroi दिए तो नहीं जा रहा। वह उस को रोक नहीं सकते। यह तो सिर्फ Sales Tax वालों को ही इख्तियार होगा कि उन को रोक सकें और देखें कि tax की evasion के लिये तो नहीं कुछ किया जा रहा। लेकिन अब भी जो इख्तियारात लिये जा रहे हैं उन के मुताबिक सिर्फ़ packings को देख ही सकते हैं—उन को खोल कर नहीं देख सकते।

इस के इलावा यह कहा गया है कि यह check-posts जंगलों में खड़ी कर देंगे ताकि जो आदमी वहां लगाए जाएं वे आसानी से रिश्वत खा सकें। यह तो एक बहुत खोखली सी दलील है। हम तो यह देखेंगे कि कहां कहां वे strategic points हैं जहां से

ट्रकों और माल के निकलने की उम्मीद हो सकती है। यह नहीं है कि सिर्फ पंजाब से बाहर जाने वाले माल पर ही नज़र रखनी है। बाहर से पंजाब में आने वाले माल को भी देखना है। Evasion of the tax तो दोनों हालतों में होती है।

मानयोग मौलवी अब्दुल गनी जी ने फरमाया है कि व्यापारी लोग इस legislation के हक में नहीं हैं। मैं उन की इतलाह के लिए बता देना चाहता हूं कि हम ने जितने भी व्यापारियों को consult किया है और जो ईमानदार हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है कि check-posts लगाए जाएं क्योंकि evasion होने से उन के अपने व्यापर में मन्दा आ जाता है। बेईमान लोग सस्ते भावों पर भी बेच कर फायदे में रहते हैं लेकिन tax देने वाले ईमानदार होने पर भी नुकसान उठाते हैं। इस तरह से बेईमान व्यापारियों का इन पर बुरा असर पड़ता है।

इन इलफ़ाज़ के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह बिल अच्छी तरह से सलाह मशवरा कर के लाया गया है। इस से व्यापारी तबके और गवर्नमेंट दोनों को फायदा होगा। मैं हैरान होता हूं कि जब कोई ऐक्ट बनाते हैं तो ये भाई ऐतराज़ करते हैं और जब evasion को रोकने की कोशिश करते हैं तो भी यह भाई नुक्ता चीनी करते हैं। आखिर गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। इस लिए मैं गुज़ारिश करता हूं कि इस बिल को जो सरकार के खज़ाने में पैसा लाएगा और व्यापारियों की तकलीफों को भी दूर करेगा, ज़रूर पास कर देना चाहिए।

Mr. Deputy Speaker : Question is :

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill as reported on by the Select Committee be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Deputy Speaker : Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Deputy Speaker : Question is :

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Deputy Speaker : Question is :

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Deputy Speaker : Question is :

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Labour (Chaudhri Sundar Singh): Sir, I beg to move—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill as reported on by the Select Committee be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved :

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill as reported on by the Select Committee be passed.

श्री चन्दन लाल जौड़ा (अमृतसर शहर, उत्तर) : माननीय स्पीकर साहिब ! मैं आपके द्वारा माननीय श्रम मंत्री को बधाई देना चाहता हूं जो यह Sales Tax Amendment Bill लाए हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस बिल को हर ईमानदार व्यापारी welcome करेगा। एक चीज़ मैं उन के नोटिस में लाना चाहता हूं जिस के बारे में Opposition के कुछ माननीय मैम्बरों ने हाऊस का ध्यान भी दिलाया है और मैं समझता हूं कि उन की इस दलील में कुछ वज़न भी है कि Sales Tax staff में ज़्यादा corruption पाई जाती है। उस के रोकने में हमारी सरकार को कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। इस बारे में मैं मिनिस्टर साहिब को अमृतसर की एक मिसाल देता हूं। हमारे अमृतसर में कटड़ा अहलोवालिया की कपड़े की मारकिट के साथ एक और मारकिट सुन्दर मारकिट के नाम से बन गई है और उस में जितना व्यापार रोज़ाना होता है वह बगैर Sales Tax के होता है। और यह District Head Quarters होने की वजह से और कपड़े की थोक मारकिट होने की वजह से यहां हज़ारों रुपए उस मारकिट के दुकानदार Sales Tax की शकल में रोज़ाना बचाते हैं। यह मैं नहीं कह सकता कि उस रुपए में से कितना रुपए Sales Tax Department के स्टाफ को जाता है और कितना उन दुकानदारों के पास रहता है। इस का असर कटड़ा आहलोवालिया के व्यापारियों पर बुरा पड़ रहा है। वह इस से बहुत तंग हो गए हैं। पहिले भी Partition की वजह से उन का business काफी हद तक dwindle हो चुका है। और इस के साथ ही इस leakage से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है।

इस evasion को ज़रूर रोकना चाहिए । यह जो बिल हम अब पास कर रहे हैं यह तो उस माल से concern रखता है जो दूसरे प्रान्तों से यहां आता है लेकिन जिस चीज़ का ज़िक्र मैं कर रहा हूं वह local leakage of the Tax से ताल्लुक रखता है । इस के रोकने से एक तो गवर्नमेंट की आमदनी में इज़ाफा होगा दूसरा कटड़ा आहलोवालिया के व्यापारियों पर एहसान होगा ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब, मैं इस बिल के हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं चाहता हूं कि मेरे साथी भी जो हर उस बिल की मुखालफ़त करते हैं जो सरकारी बैंचों से पेश होता है ऐसा न किया करें और जो ठीक चीज़ हो उसे मान लिया करें। इसी तरह मेरे सामने बैठे साथी भी इधर की कोई चीज़ मानने को तैयार नहीं होते यह भी उन का गलत ख्याल बना हुआ है । यह मेरी दयान्तदारी की राय है कि यह बिल बहुत Constructive Bill है और मेरा दिल Labour Minister साहिब की दलीलों को सुन कर और भी पुख़ता हो गया है । इस से public को फायदा होगा और State की भी बेहतरी होगी । इस किसम के बिलों को ज़रूर पास कर देना चाहिए । लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जो पुलिस के अफसर Check barriers पर लगाए जाएं वे बड़े ईमानदार हों । इस बात का खास ख्याल रखा जाए क्योंकि पुलिस वाले अपनी ईमानदारी झट खो बैठते हैं पुलिस की मैशीनरी बड़ी बदनाम हो चुकी है । इस लिए जो Checking Officer हों वे बड़े honest हों । यदि यह कर दिया गया तो यह बिल सूबे के लिए बड़ा बेहतर बिल साबत होगा ।

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : जनाब स्पीकर साहिब ! मैं ने इस बिल पर discussion के दौरान में यह जो कहा था कि हमारी सरकार असल में जो बीमारी होती है उस के इलाज के लिए amendment लाते वक्त उस बीमारी को ध्यान में नहीं रखती । जवाब देते वक्त भी हमारे लेबर मिनिस्टर साहिब ने इस बात को नज़रअन्दाज कर दिया है और इधर उधर की बातों को कह कर जवाब देते रहे हैं । मैं ने कहा था कि जब सरकार ने Trucks वगैरा या Public Carriers पर tax के सिलसिले में उन की बढ़ती हुई demand को रोकने के लिए और tax की evasion को रोकने के लिये lump sum tax लगाना मन्ज़ूर कर लिया था तो वह उसी तरह व्यापारियों से भी lump sum tax वसूल करना क्यों मन्ज़ूर नहीं कर लेती ! जो उन की मांग है और सरकार ऐसा करने पर तैयार नहीं । मैंने तो यह कहा था लेकिन लेबर मिनिस्टर साहिब ने यह कहा है कि मौलवी साहिब को tax की evasion को रोकने का जो कदम सरकार उठा रही ठीक नहीं लगा । मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा था । मैंने तो यह कहा था कि इस से बईमानी नहीं रुकेगीं बल्कि इससे **और** भी बेईमानी के बढ़नें का खदशा हो सकता है । Checking barriers पर जो staff लगाया जाएगा वह corrupt हो जाएगा । इस के साथ बईमान व्यापारी tax से बचने के लिए लारियों पर माल नहीं मंगायेंगे और वह गाड़ियों के ज़रिय छोटे स्टेशनो पर उतरवा लेंगे और इस तरह से tax देने से बच जायेंगे क्यों कि गवर्नमेंट के पास तो इतना भारी

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

स्टाफ है नहीं जो हर जगह पर checking कर लेगा वह तो checking barriers पर ही लगा हुआ होगा। मैं तो गवर्नमेंट से यह दरखास्त करना चाहता हूं कि वह व्यापारियों से भी उसी तरह sales tax वसूल करना मान ले जैसे कि वह Land Revenue वसूल कर रही है। Land Revenue ही तो वह जमीन को देख कर मुकर्रर कर लेती है, इसी तरह वह हर दुकानदार की बिकरी देख कर उस पर sales tax मुकर्रर कर दे। इस तरह से एक तो tax की evasion रुक जायेगी दूसरे व्यापारियों की मांग पूरी हो जायेगी। मैं लेबर मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करता हूं कि जिस तरह पंजाब ने खेती बाड़ी में पैदावार बढ़ा कर तरक्की की है इसी तरह वह पंजाब के व्यापारियों को व्यापार में तरक्की करने दें। वह देश की उसी तरह रहनुमाई करे जैसे कि देश में से खाने की चीजों पर से control को हटाने में श्री राज गोपालाचार्य ने की है। हमारी planning Commission ने देश की planning, control को सामने रख कर की थी और उस ने जरूरी समझा था कि control अभी जारी रहने चाहिए। इस बात के बावजूद मरहूम श्री Rafi Ahmed Kidwai ने सारे मुल्क की Planning के बावजूद देश को कन्ट्रोलों से आज़ाद करा दिया। हालांके हमारे लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी control के हक में थे। यह उन की ही हिम्मत थी और श्री राजगोपाल चार्य ने उन की रहनुमाई की थी। इस का नतीजा यह हुआ है कि आज हमारा देश खुशहाल हो रहा है अनाज के मामले में वह आत्मनिर्भर बन गया है। इस लिए मैं लेबर मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करता हूं कि वह यह तरीका अपना लें और इस से वह गवर्नमेंट का मालिया भी बढ़ा लें और साथ ही व्यापारियों की साख भी बनी रहने दें। बेईमान व्यापारियों के खिलाफ पहले जो इकदाम सरकार ने किये थे मैं ने उन के लिए उसे बधाई दी थी। जहां उन की नीति अच्छी है वहां साथ ही साथ यह तरीका अपना कर tax की leakage को रोका जाए ताकि यह बिल्कुल खत्म हो जाए।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका) : साहिबे सदर ! यह जो तरमीमी बिल अब पेश हुआ है यानी General Sales Tax (Amendment) Bill इस के पास होने से यह कहना गलत न होगा कि सूबा की सरकार को करोड़ों रुपए की बचत होगी। इस से पहले बिकरी Tax का काफी evasion हो रहा था और उस evasion को रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। इस के बारे में जो भी एतराज मेरे दोस्त मौलवी अब्दुल गनी ने किए हैं—वैसे तो उन्होंने एतराज़ तो कोई नहीं किया उन्होंने जो तजवीज़ पेश की है कि इस बिल की बजाए व्यापारियों से यह tax lump sum में लिया जाए।

अगर व्यापारियों पर lump sum tax लगा दिया जाता तो यह ज्यादा अच्छा न होता। कहा जाता है कि इस से check post का काम खत्म हो जाता जिस से कि corruption का डर है। लेकिन जब बिक्री टैक्स अफसरान को यह इख्तियार दिया जाए कि वह जितना चाहें टैक्स लगा दें तो corruption कैसे बन्द हो जाती।

उल्टे इस से तो corruption आम हो जाती; इस का समुद्र ही खुल जाता। व्यापारियों की महकमा को return भेजनी होती है और अगर कोई न भेजे तो अफसर को इख्तियार है कि वह अपनी best judgement के मुताबिक टैक्स लगा दे। इस तरह अफसर को अपनी best judgement के मुताबिक टैक्स लगाने के इस अख्तियार में corruption की काफी गुन्जायश है। आप District Boards की तरफ से लगाए professional tax को ही लीजिए। हालांकि यहां taxable limit 200 रुपया ही है तो भी corruption है, तो अगर अफसरों को बिक्री टैक्स में भी ऐसा मौका मिल जाए तो corruption का हिसाब ही नहीं रहेगा इस लिए यह lump sum की तजवीज़ corruption को कम नहीं करती फिर यह काबिले अमल भी नहीं और इस पर बहस से कोई फायदा नहीं। अलबत्ता जो बिल आज House के सामने पेश है, और पास होगा, बहुत अच्छा है। बाकी कुछ ऐसे निकम्मे व्यापारी भी होंगे जो इस से भी बचने की तरकीबें निकाल लेंगे। हो सकता है कि वे ट्रकों की बजाए रेलों की तरफ रजूह करें मगर बड़ी बात तो टैक्स evasion को बन्द करने की है। अगर थोड़ी बहुत trade रेल की तरफ झुक जाए तो भी कोई बात नहीं, माल ट्रकों से आता रहेगा। इस लिए इस बिल के पेश करने पर मैं मिनिस्टर साहिब को बधाई देता हूं।

Mr. Deputy Speaker : Question is :

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill as reported on by the Select Committee be passed.

The motion was carried.

The Assembly then adjourned till 2 p.m. on Wednesday, the 3rd November, 1954.

1446 PVS—284—17-8-56—CPand S., Punjab, Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

3rd November 1954

VOL. III—No. 3

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, 3rd November, 1954

CHANDIGARH

Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab,

1954

Rs. 3/14/-

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, 3rd November, 1954.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 p.m. of the clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

ANTI-CORRUPTION COMMITTEE IN THE STATE.

***3664. Shri Teg Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Anti-Corruption Committee which was set up in the State is still functioning ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the names of the Districts which were visited by the said Committee during the period from 1st January 1954 to 15th August 1954 together with the total number of cases that were brought before it ;

(c) the total number of cases in which enquiries were held by the said Committee during the period mentioned in part (b) above ;

(d) the total number of cases where in punishments were awarded to Government Officials in accordance with the recommendations of the said Committee ;

(e) the total expenditure incurred on the said Committee during the period mentioned in part (b) above together with the manner in which it was incurred?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Yes.

(b) Part I—The Anti-Corruption Committee do not undertake touring in connection with the eradication of corruption.

Part II—The reference is presumably to cases brought before the Anti-Corruption Committee while on tour. The question does not arise.

(c) The Anti-Corruption Committee itself makes no enquiries.

(d) The Anti-Corruption Committee does not make recommendations in regard to the punishment to be awarded to the officials whose conduct forms the subject of an enquiry as it is for the department concerned to take a de cision in the matter as a result of a departmental enquiry. The Committee however, ensures that investigation into complaints against officers takes place, satisfactorily and that where necessary, due punishment is meted out to the officers concerned.

[Chief Parliamentary Secretary]

(c) A sum of Rs 8,791-13-0. This amount represents expenditure incurred by way of pay and allowances and travelling allowance to the staff attached to the Anti-Corruption Committee and the contingent expenditure relating thereto.

GRANT OF PENSION TO POLITICAL SUFFERERS.

***3692. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the names and addresses of the Political Sufferers and Workers district-wise in the State along with a brief history of their services and sacrifices in the struggle for Independence or for the cause of the Country who have been granted pension by the Government ;

(b) the criterion and the conditions which entitled them to get the pension ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) A list showing the names and addresses of political sufferers who have been granted financial assistance is given below. It is regretted that the information asked for in the latter part of the question is not readily available and the time and labour involved in collecting it will not be commensurate with any possible benefit to be derived from it.

(b) The principal criterion for determining eligibility for the grant of pensions was the nature of sufferings undergone by the political sufferers concerned. In the case of deceased political sufferers, their widows, minor sons and even grown-up sons who were unable to earn their livelihood were made eligible for relief. The pensions were sanctioned by the State National Workers' (Relief and Rehabilitation) Board.

Statement showing the names and addresses of political sufferers who have been granted financial assistance.

Serial No.	*Names and addresses of the Political sufferers who have applied for relief.*
	KANGRA DISTRICT
1.	Shri Om Parkash, son of L. Nagain Chand, resident of Chah Chowdharian, Nurpur.
2.	Mahasha Lachhman Dass, son of Th. Chaudhry Ram, Rajput, Village and Post Office Galere, Tehsil Hamirpur, District Kangra.
3.	Shri Jai Lal Nangal, son of Shri MohanLal Nangal, Village and Post Office Palampur (District Kangra).
4.	Shri Atam Ram, son of Shri Kanhaya Lal, Village and Post Office Parcur, Tehsil Palampur, District Kangra.
5.	Shri Ladhu Ram, son of Shri Raman, Village Dudhambha, Post Office Charri, Tehsil and District Kangra via Dharamsala.
6.	Shri Sahib Singh, son of Shri Kaharak Chand, Village Tikar, Post Office Pahra, Tehsil Palampur, District Kangra.
7.	Pt. Sudhama Ram, son of Pt. Jhanna Mall, Village and Post Office Hamirpur, Tehsil Hamirpur, District Kangra.
8.	Shrimati Champa Wati Devi, widow of Late Jamadar Dal Bahadur Thapa, President, The Punjab Gorkha Association, Dharamsala.

Serial No.	Names and addresses of the Political sufferers who have applied for relief.

KANGRA DISTRICT—CONTD

9. Krishna Ram, alias Bhaunka, son of Pt. Kharku Ram, Village Khangatta Tappa Pahloo, Post Office Jhiralri, Tahsil Hamirpur, District Kangra.
10. Shri Ram Lal Sangar, son of Shri Munshi Ram, Village Bachhun, Bhati Bihar Kothi, Chehni, Tehsil Seraj , District Kangra.
11. Shri Radha Krishan, son of Shri Kirpa Ram, Village and Post Office and Tehsil Hamirpur, District Kangra.
12. Shrimati Prabhi , mother of Shri Amar Nath (w/o Gokal Ram), Village Jahu Post Office Mundkhar, Tahsil Hamirpur, District Kangra.
13. Shri Ishar Dass , son of Shri Sri Pat, Village Daulatpur, Post Office, Tahsil and District Kangra.
14. Shri Hari Chand, son of Pt. Mohan Lal, Village Tibbi Tappa, Kathora, Post Office Kothara, Tahsil Hamirpur, District Kangra.
15. Shri Ram Singh, son of S. Khazan Singh, Sujanpur Tira, Tahsil Hamirpur District Kangra.
16. Shrimati Saraswati Devi, alias Sarla, widow of late Havildar Durga Mal, son of Nathu Chand Gorkha, Siam Nagar, Dharamsala.
17. Shri Faqir Chand, son of Pt. Madho Ram, Akhara Bazar, Kulu, District Kangra.
18. Shri Sunder Lal, Village Phaglot, Tahsil Hamirpur, District Kangra.
19. Shrimati Kamla Devi, Naraini, care of District C.C., Hamirpur.
20. Shri Amin Chand, son of Pt. Chandni Ram, Village Pabloh, Post Office Bharari, District Kangra.
21. Shri Kesar Mal, care of Seth Panna Lal, Pleader, Kulu, District Kangra.
22. Shri Nagar Dass Patil of Kangra District at present, care of Shri Chatar Lal-Hira Lal, Parmar, Palampur, District Banas, Kantha (Bombay).
23. Shri Pritam Singh, care of District Congress Committee, Kangra.
24. Shri Bashi Ram, son of L. Muni Ram, 7, Palampur, City, District Kangra.
25. Shri Narain , son of Shri Tara Chand, Village Garh Janula, Post Office Tikkar, Tehsil Palampur, District Kangra.

HOSHIARPUR DISTRICT

1. Shri Shankar Das, son of Pt. Bhola Nath, Ghantiwala, Gauran Gate, Hoshiarpur.
2. Shri Hazara Singh, son of S. Hira Singh, Village Katha, Post Office Sham Chaurasi, District Hoshiarpur.
3. Shri Jagdish Rai, son of Shri Nand Lal, Kandhala Jatta, Post Office Kandhala Jattan, via Sham Chaurasi.
4. Shri Zulfi Ram, son of Shri Behari Lal, Village Karot Bagro, Post Office Amb Via, Gagret, District Hoshiarpur.
5. Shri Bansi Lal, son of Pt. Gori Shankar, Village Thana, Post Office Jhaj, Tehsil Una, District Hoshiarpur.
6. Shri Kirpa Singh, son of S. Jawahar Singh, Village Mirpur , Post Office Nurpur Bedi, Tehsil Una, District Hoshiarpur.
7. Shri Suraj Ram, Batsayan, son of Pt. Gharkan Ram, Viilage and Post Office Bhadsali, Tehsil Una, District Hoshiarpur.
8. Shri Girdhari Lal, son of Pt. Bhagat Ram, Rajanwali Gali, Mukerian.
9. Shrimati Bhagwan Kaur, widow of late Shri Gokal Singh alias Ranjit Singh, son of S. Ram Singh Saini, Village Simbli, via Garhshankar, District Hoshiarpur.

[Chief Parliamentary Secretary.]

Serial No.	*Name and addresses of the political sufferers who have applied for relief*
	HOSHIARPUR DISTRICT—CONTD
10.	Shri Hakam Singh alias Tara Singh, son of Bana Singh, Village Simbli, Post Office Garhshankar, District Hoshiarpur.
11.	S. Gurbachan Singh, son of S. Dalip Singh, Village Sadhara, Post Office Sahiba, Tahsil Garh Shankar, District Hoshiarpur.
12.	Shrimati Kirpa, w/o Late S. Surjan Singh, Village Hyat Pur Rurki, Post Office Dhamai, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
13.	Shri Puran Singh, Khandpuri, son of S. Munsha Singh, 12 Sutri Road, Hoshiarpur.
14.	Shri Hazara Singh, son of Shri Devi Ditta, Village Roorkee Khan, Post Office Garhshankar, District Hoshiarpur.
15.	Shri Pritam Singh, son of Dalip Singh, Village and Post Office Dhamian Kalan, Tahsil and District Hoshiarpur.
16.	Shri Kishan Singh, son of S. Taba Singh, Village and Post Office Sandrah via Sham Chaurasi, District Hoshiarpur.
17.	Shri Piara Singh, son of Puran Singh, Village and Post Office Dhamian Kalan, Tahsil and District Hoshiarpur.
18.	Shri Dalip Singh, son of S. Hardit Singh, Village Sadhara, Post Office Sahib, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
19.	Shri Amar Singh, son of S. Sewa Singh, Village Badhuowal, Post Office Sham Chaurasi, District Hoshiarpur.
20.	Shri Biraj Singh, son of Shri Nathu Ram, Chak Dekoala, District Hoshiarpur.
21.	Shri Kashmiri Lal, son of P. Achhru Ram, House No. 3303, Kamalpur, Mohalla Mahajana, near Post Office Hoshiarpur.
22.	Captain Ganga Ram, son of Shri Samoru Ram, Village Chak Haji Pur, Post Office and Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
23.	Shri Harnam Singh, son of S. Hira Singh, Village Bahowal, Post Office Mahilpur, District Hoshiarpur.
24.	Shrimati Rattan Kaur, w/o S. Amar Singh, Village and Post Office Basi Kalan. District Hoshiarpur.
25.	Shrimati Shanti, M/o late Amar Singh, Village Rajowala, Post Office Sham Chaurasi, District Hoshiarpur.
26.	Shri Diwan Chand, son of L. Ram Chand, House No. B-III-S. 52, Phagwara Road, Hoshiarpur.
27.	Shri Ram Nath, son of Shri Badra Ram, Village Sanchra, Post Office Una, District Hoshiarpur, care of District Congress Committee, Hoshiarpur.
28.	Shri Vidya Rattan, son of Pt. Hari Dass, care of M/s Lakhmi Chand Hira-Lal, 39, Akali Market, Amritsar.
29.	Shri Hans Raj, son of Ganesha Ram, Village Akrowat, Post Office Amb, District Hoshiarpur.
30.	Shri Mehar Chand Mistri, Kotwali Bazar, Hoshiarpur.
31.	Shri Walaiti Ram, Near Friends Theatre, Jullundur Road, Hoshiarpur.
32.	Jathedar Hoshnak Singh, son of S. Dalip Singh Village Langeri, Police Station Mahilpur, District Hoshiarpur.
33.	Shri Gian Chand Sharma, General Secretary, Congress Panchayat, Basi Balo, Police Station Hariana, District Hoshiarpur.

Serial No. — *Names and addresses of the political sufferers who have applied for Relief*

HOSHIARPUR DISTRICT—CONCLD

34. Shrimati Maya Vanti, mother of late Hari Dev (Darasal) Post Office Mukerian, District Hoshiarpur.

35. Shri Ajit Singh, son of Udham Singh, Village and Post Office Dihana, District Hoshiarpur.

36. Shrimati Inder Kaur, w/o S. Karam Singh, Babar, c/o Bibi Resham Kaur, Village Bhunon, District Hoshiarpur.

37. Shri Wattan Singh Giani, Post Office Box No. 597, Nairobi (Kanya Colony).

38. Shri Ganda Singh, son of S. Narain Singh, Village Sarhala Kalan, District Hoshiarpur.

39. Shri Hari Ram Sharma, President, Congress Panchayat, Mangher, Tehsil and District Hoshiarpur.

40. Shrimati Dalip Kaur, widow of S. Hazara Singh, Village and Post Office Jangaliana, via Bariankalan, Tehsil Garhshankar, District Hoshiarpur.

41. Shri Lachman Dass, Congress Worker, Una, District Hoshiarpur.

42. Shri Brahma Nand Santoshi, Congress Worker, Balachaur, District Hoshiarpur.

43. Shri Harjap Singh, Ex-M.L.A., of Hoshiarpur at present Village Aithal, Post Office Laksar, District Saharanpur (U.P.).

44. Shri Harnam Singh Tundilat, son of S. Gurdit Singh, Village Kotla Nandh Singh, Police Station Hariana, District Hoshiarpur.

JULLUNDUR DISTRICT

1. Shrimati Budh Wanti, w/o Sh. Anant Ram, c/o Pushpa Gujral, Brandreth Road, Jullundur, Mohalla Kalian.

2. Shri Girdhari Lal Sharma, son of Pt. Dharat Ram, Nakodar, District Jullundur.

3. Shri Ujjagar Singh, son of Shri Hazara Singh, Village and Post Office Bilgarh, District Jullundur.

4. Shri Dina Nath-Vaid Parkash, son of L. Goori Shankar, Rasta Mohalla, E.N. 279, Jullundur City.

5. Shri Jagan Nath Dhan, son of Anant Ram, Village and Post Office Banga, District Jullundur.

6. Shri Pritam Dass Broker, son of Sh. Ram Ditta Mal, Congress Worker, Railway Road, Nawanshahr Doaba (Jullundur).

7. Shri Harnam Singh, son of S. Sarmukh Singh, Village Mangat, Post Office Pharala, Tehsil Nawanshahr, District Jullundur.

8. Shri Harnam Singh, son of S. Hari Singh, Village Chandpore, Post Office Patara, Thana Sadar, Jullundur.

9. Shri Dharam Singh, son of Mansha Singh, Babbar, Village Johal, Post Office Bolana, Tehsil and District Jullundur.

10. Shrimati Dalip Kaur, w/o Dr. Uttam Singh Qaomi, House No. E. B. 79, Mohalla Sydana, Jullundur City.

11. Shrimati Partapi, mother of Martyr Bishen Singh, Village Mangat, Post Office Phurala, District Jullundur.

12. Shri Kali Saran Kalia, son of Pt. Dhirat Ram, Ex-Congress President, Nawanshahr Doaba.

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No. *Names and addresses of the Political sufferers who have applied for relief.*

JULLUNDUR DISTRICT—CONTD

13. Shri Bhala Ram, son of Pt. Mangal Ram, Village and Post Office Dinrigan, Post Office Adampur Doaba, District Jullundur.

14. Shri Nand Lal, son of Shri Munshi Ram, Secretary, Thanan Congress Committee, Banga (Jullundur).

15. Shri Chaman Lal Jai, son of Shri Amru Ram, Mohalla Bhallian, Nakodar, District Jullundur.

16. Shrimati Malan, w/o B. Karam Chand, formerly President, Congress Committee, Village and Post Office Apra, District Jullundur.

17. Shri Randhir Singh, son of S. Chandu Lal Rahan, District Jullundur.

18. Shrimati Champa Devi, w/o Late Shri Jagan Nath, Mohalla Tungahan, Banga, District Jullundur.

19. Shri Thaman Singh, son of S. Attar Singh, Village Khera Faujco Singh, Post Office Mahalpur, Police Station Shahkot, District Jullundur.

20. Shri Hari Singh, son of S. Sher Singh, Village and Post Office Sondh Makshudpur, Tehsil Nawanshahr, District Jullundur.

21. Shri Bhagwan Singh Jat, son of Nihal Singh, Village and Post Office Raipur Daba, via Nawanshahr, District Jullundur.

22. Shri Amrik Singh, son of S. Sunder Singh, c/o Bharat Laundry Works, Bazar Sheikhan, Jullundur City.

23. Shri Amrik Singh, son of S. Wasava Singh, House No. 123/NH, Mohalla Nila, Mahal, Jullundur City.

24. Shri Gurmukh Singh, son of Shri Ganesha Singh, Shop No. 503, Balmike Gate, Jullundur City.

25. Shri Arjan Singh, son of L. S. Labh Singh, Village and Post Office Daravli Kalan, District Jullundur.

26. Pt. Gian Chand, son of Pt. Ram Lall, c/o P. S. P., Punjab Branch, Panj Peer, Jullundur.

27. Shrimati Maya Devi, w/o Late L. Ganesh Dass, c/o Shri Chet Ram Mahajan, B.A., Summer Litton, Jakhu, Simla-2.

28. Shri Mangal Singh, son of Shri Nihal Singh, Bajuha Kalan, Post Office Jandiala, Tehsil and Police Station Nakodar, District Jullundur.

29. Shri Chuni Lal Thapar, son of Shri Ganesha Ram Thapar, Ward No. 3, Mohalla Bhandera, Phillaur.

30. Giani Inder Singh, son of Shri Daya Ram, House No. 31, Mohalla Gazi Gulla, Jullundur City.

31. Shri Bihari Lal, son of Shri Lal Chand, Janji Ghar, Adda Hoshiarpur, Jullundur City.

32. Shri Panna Lal, son of L. Gobind Ram, House No. E. A. 236, Mohalla Qazian, Jullundur City.

33. Shrimati Har Kaur, w/o S. Gurmukh Singh, c/o S. Kartar Singh, Subedar, Quarter No. 15, Dogra Centre, Jullundur Cantonment.

34. Shri Jamna Dass Aggarwal, son of L. Ishar Dass Aggarwal, Post Office Banga, District Jullundur.

35. Shri Jhuhar Singh, son of S. Hira Singh, Village and Post Office Nussin, Tehs and District Jullundur.

Serial No.	Names and addresses of the Political sufferers who have applied for relief.
	JULLUNDUR DISTRICT—CONTD.
36.	Shrimati Dhanti, w/o Late S. Banta Singh, Village Sanghwal, Post Office Alawal Pur, Police Station Kartarpur (Jullundur)
37.	Shri Vijay Singh, son of Nizam Din, Convener, Tahsil B. S. S. Banga (Jullundur).
38.	Shri Chhajja Singh, son of Sh. Mehan Singh, Jat of Village Masanian, Post Office Manko, Tehsil Jullundur.
39.	Giani Gian Singh, President, Congress Committee, Bathora (Jullundur).
40.	Shrimati Soshila Devi, w/o Shri Madan Lal, c/o Dr. Sain Dass Bhandari, Kartarpur.
41.	Shri Santa Singh, son of S. Chetu, Caste Addharmi, Village Anghwal, Post Office Alawalpur (Jullundur).
42.	Shri Paras Ram Uppal, Congress Worker, Nur Mahal (Jullundur).
43.	Shri Bhiwani Dass, c/o Chopra Printing Press, Jullundur City.
44.	Shri Durga Dutt Bhandari, Congress Worker, Mohalla Lawan, near Mitha Bazar, Jullundur.
45.	Shri Banwari Lal, House No. W. L. 261, Basti Guzan, Jullundur City.
46.	Shri Jagan Nath, son of L. Girdhari Lal, Village Banga, Tehsil Phillaur (Jullundur).
47.	Shri Som Dev, House No. 355, A. P. O. Garha, Jullundur City.
48.	Shri Rattan Singh, son of S. Mangal Singh, Village Mundiali, Police Station Banga, Tehsil Nawanshahr, Jullundur
49.	Shri Dewan Chand alias Master Chandu Lal of Arjan Pharmacy, Jullundur City care of Secretary Punjab P. C. C., Jullundur City.
50.	Shri Waryam Singh, son of S. Jaimal Singh, Village and Post Office Rahon, via Nawanshahr, District Jullundur.
51.	Shri Beant Singh, son of S. Gopal Singh, Village Sahlon, Police Station Rahon, via Nawanshahr, District Jullundur.
52.	Shrimati Maya Devi, w/o Late Shri Ram Lal, Congress Worker, care of the Secretary, Punjab P. C. C., Jullundur.
53.	Ch. Taru Mal, son of Sh. Tulsi Ram C. & P. O. Shahkot, District Jullundur.
54.	Shri Jaram Singh, Village and Post Office Rurka Kalan, District Jullundur.
55.	Shri Banwari Lal Sharma, Village and Post Office Apra, Police Station Phillaur, (Jullundur)
56.	Shri Kishan Singh, son of S. Ram Singh, Village Katrana, Police Station and Tehsil Phillaur, District Jullundur.
57.	Shrimati Jawala Kaur, w/o S. Ram Singh, Village Khera Majra, Jullundur Sadar.
58.	Shri Hazara Singh, Village Mundair, District Jullundur.
59.	Shri Sundar Singh, son of S. Lakhmir Singh, Village and Post Office Tara Garh, District Amritsar.
60.	Shri Sant Lal, son of Shri Khan Chand, House No. E. E. 103, Panjpeer, Jullundur City.

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No. — *Names and addresses of the Political sufferers who have applied for relief.*

JULLUNDUR DISTRICT—CONCLD

61. Sain Ujagar Singh, son of S. Basant Singh, Village and Post Office Mehimpur, via Banga, District Jullundur.

62. Shri Kirpa Ram Laghar, 62, Model Town, Jullundur City.

63. Shrimati Kaushalia Devi, widow of L. Benarsi Dass, M.A., House No. 502, Saraj Ganj, Jullundur City.

64. Pt. Rulia Ram, Mohalla Mehndruan, Jullundur City.

65. Shri Nanak Chand of District Lyallpur, House No. 41, W. B. Ali Mohalla, Jullundur.

66. Shri Chamba Ram, Mahat pur, Tehsil Nakodar, District Jullundur.

67. Shri Amar Singh, son of Shri Lachman Dass, care of District Congress Committee, Jullundur.

68. Shri Jawahar Singh, son of S. Jiwan Singh, Adda Kapurthala, House No. 110, Jullundur.

69. Shrimati Ram Piari, w/o Shri Shanti Sarup, B. A. of Sialkot, House No 502, Mohalla Sarajganj, Jullundur.

70. Shrimati Maya Devi, widow of Shri Nathu Ram of Lyallpur, care of Shri Badri Dass, Commission Agent, Mohalla Bikrampura, House No. 120 N. D., Jullundur City.

71. Shrimati Gur Devi, widow of Dr. Dina Nath of Lyallpur care of Dr. Gurdial Bahl, Bara Bazar, Basti Sheikh, Jullundur.

72. Swami Jai Ram, son of Swami Narsingh Dass, Village and Post Office Salawalpur, District Jullundur.

73. Shrimati Guran Devi, widow of Shri Sawan Mall, Village and Post Office Guna Chaur, via Banga, District Jullundur.

74. Shrimati Durga Devi, House No. 170, Basti Guzan, Jullundur City.

75. Shri Sham Singh Sham, Adda Larian, Nakodar, District Jullundur.

76. Panda Tulsi Ram, care of Punjab Pradesh Congress Committee, Jullundur City.

77. Shri Dev Raj Sharda, Pacca Bagh, Jullundur City.

78. Shrimati Basanti Devi, w/o Shri Des Raj Chopra, Nawanshahr Doaba, District Jullundur.

LUDHIANA DISTRICT

1. Shri Mohnga Ram Comrade, son of L. Jethu Ram, care of Bharat Baisnu Hotel, Chowk Clock Tower, Ludhiana.

2. Shri Kishan Singh Mann, son of Shri Attar Singh, Village and Post Office Jhorran, Tehsil Jagraon, District Ludhiana.

3. Shri Harbhajan Singh Gyani, son of S. Fateh Singh, Manager, Punjab Gyani Press, Bhadur House, Ludhiana.

4. Swami Ram Lal, son of Pandit Khushi Ram, Mohalla Misran, Ludhiana.

5. Shri Devi Chand Arora, son of L. Himat Rai Arora, Post Office Raikot, District Ludhiana.

Serial No.	Names and addresses of the political sufferers who have applied for relief

LUDHIANA DISTRICT—CONTD

6. Shri Hari Ram Sharma, son of Pandit Chet Ram, Post Office Raikot, District Ludhiana
7. Shri Ghulam Mohd. Diwana, son of Sh. Ghulam Ghaus, Congress Worker Khanna, Railway Road, Ludhiana.
8. Shri Pharaya Ram, son of Bhawani Dass, House No. 647, Gali Barkat Ali, Mohalla Sayadan, Ludhiana.
9. Shri Arjan Singh, son of W. Wadhawa Singh, Village and Post Office Chak Kalan, District Ludhiana.
10. S. Mal Singh, son of S. Sundar Singh, Village Lakhan, Tehsil Jagraon, District Ludhiana.
11. Shri Labhu Ram, son of Shri Kirpa Ram, care of Messrs Amritsaria Mal-Kapur Chand, Ghas Mandi, Ludhiana.
12. Shri Santokh Singh, son of Shri Bishan Singh, Village and Post Office Kamalpur (Ludhiana).
13. Shri Dan Singh, son of S. Natha Singh, Village Achharwal, Post Office Phero Rain, Via Raikot, District Ludhiana.
14. Shri Kapur Chand, son of Pt. Kanshi Ram, care of Vaid Basant Puri, Mandi Kot Kapura (PEPSU).
15. Comrade Amar Nath Lyallpuri, son of Shri Bhag Mal, Field Ganj, House No. 658/3, Ludhiana.
16. Shri Hem Raj, son of Shri Deva Ram, street No. 2, Engine Shed, New Abadi, Ludhiana.
17. Shrimati Bhagwanti, widow of S. Rishi Ram, care of Mohan Lal Loomba, Mohalla Loombian, Jagraon, District Ludhiana.
18. Shri Narinian Singh, son of S. Jalia Singh, Village and Post Office Chak Kalan, District Ludhiana.
19. Shri Arjan Dass, son of Shri Murli Dhar, care of Parkash Chand Thapar, Coal Depot Holder, Civil Lines, Ludhiana.
20. Shri Milkhi Ram, son of Shri Chitu, Village and Post Office Ramgarh Sardaran, District Ludhiana.
21. Shri Kahan Singh, son of Bhai Sarup Singh, Village Hassanpur, Post Office Dakha, District Ludhiana.
22. Shri Lachhman Dass, son of S. Attar Singh, Mohalla Misran, Dresi Road, Ludhiana.
23. Shrimati Bholi, w/o Late Shri Hari Dutt, care of Shri Mehr Chand, Village Jawadi, Tehsil and District Ludhiana.
24. Shri Sher Singh, son of S. Kahan Singh, Village and Post Office Kamal Pura, Tehsil Jagraon, District Ludhiana.
25. Shri Karam Singh, son of S. Sundar Singh, Village Kotla Ajmer, Post Office Bhari via Khanna, District Ludhiana.
26. Shri Roshan Lal, son of Pandit Faqir Chand Vaid, care of Shri Girdhari Lal, Halwai, Purana Bazar, Ludhiana.
27. Shri Sarkar Lal, son of Pandit Bir Chand, care of Jain Pump Co., Muzaffarnagar (U. P.)
28. Shri Babu Ram, Secretary, Congress Workers Central Committee, Village and Post Office Malaudh, District Ludhiana.

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No. *Names and addresses of the political sufferers who have applied for relief*

LUDHIANA DISTRICT—CONTD.

29. Shri Badan Singh, son of S. Ram Ditta Singh, Village and Post Office Chungrana, Tehsil and District Ludhiana.

30. Shri Dewa Singh, son of S. Sahib Singh, Village and Post Office Nandpur, District Ludhiana.

31. Shri Jagat Singh, son of S. Sawan Singh, Village and Post Office Ithiana, Police Station Raikot, District Ludhiana.

32. Shri Surjan Singh, son of Mahan Singh, Village and Post Office Gujarawal, District Ludhiana.

33. Shri Lal Singh, son of S. Udhey Singh, Village and Post Office Narangwal, District Ludhiana.

34. Shri Sunder Dass Bhandari, House No. 658, Block No. 10, Civil Hospital Road, Ludhiana.

35. Shrimati Shyam Devi, widow of Swami Shiv Shankloo Ji, August Ashram, Jagraon, District Ludhiana.

36. Shrimati Vidya Vanti, widow of late Dr. Nand Lal, Congressi, House No, 903, Block No. 1, Chowani Mohalla, Ludhiana.

37. Shrimati Dalip Kaur, widow of S. Gurnam Singh, Village Jasowal, Tehsil and District Ludhiana.

38. Shrimati Dhan Kaur, Sister of Shri Kartar Singh, Saraba of Ludhiana.

39. Shri Waryam Singh Maskin, House No. 125, Block No. XI-B, Shahpur Road, Ludhiana.

40. Shri Bansi Lal, son of Pt. Daulat Ram, N. F. 1402, Purana Bazar, Kucha Master Sham Lal, Ludhiana.

41. Shri Munshi Ram Soni, son of L. Baru Ram, B-3/761, Mohalla Saydan, Ludhiana.

42. Shri Kidar Nath, son of Shri Shiv Nath, House No. 1361, G. T. Road, Near Power House Ludhiana.

43. Shri Hira Lal, son of L. Jai Dayal Mal, Village and Post Office Ghunghrana, Tehsil and District Ludhiana.

44. Shri Rur Singh Kari, son of Sh. Sada Singh, Village Binjala, via Jagraon, District Ludhiana.

45. Shrimati Chint Kaur, widow of S. Ishar Singh, Village and Post Office Deharu, District Ludhiana.

46. Shri Asa Ram Bhagi, Samrala, District Ludhiana.

47. Shri Mangal Singh, son of S. Narain Singh, care of Sant Nidhan Singh, Alam, Ludhiana.

48. Shri Lal Chand, House No. 359, Block No. 5, Banjaman Road, Ludhiana

49. Shrimati Sant Kaur, widow of S. Bhagat Singh, Village and Post Office Dehlan, Tehsil Jagraon, District Ludhiana.

50. The widow of late Dr. Lehna Singh Sethi, Ludhiana.

Serial No. *Names and addresses of the political sufferers who have applied for relief.*

FEROZEPUR DISTRICT

1. Shri Lall Singh, son of Atma Singh, Village and Post Office Buttar, Tehsil Moga, District Ferozepur.

2. Shri Telu Ram, son of Shri Munshi Ram, care of Mohan Lal-Lajpat Rai, Civil Hospital, Muktsar.

3. Shri Ram Saran Dass, son of Shri Sardari Lal, care of Kanshi Ram, Shop-keeper, Basti Deharian, Ferozepur City.

4. S. Dalip Singh, son of S. Hamir Singh, Punjabi Teacher, Khalsa High School, Mansa (PEPSU).

5. Shri Sant Ram Sharma, son of Pt. Ragho Ram, House No. 6/237, Gali Masjid Wali, Moga, District Ferozepur.

6. Shri Pritam Singh, son of S. Mangal Singh, Village Bundala Noo, Post Office Zira (Ferozepur).

7. S. Santa Singh, son of S. Khushal Singh, Village Guddar Dhandi, Post Office Mamdot, District Ferozepour.

8. S. Bhagat Singh, son of S. Khushal Singh, Village Guddar Dhandi, Post Office Mamdot, District Ferozepur.

9. Mahasha Shiv Chand, son of Shri Gugan Ram, Aria Basti, Moga (Feroze-pur).

10. Shri Khushal Chand Babar, care of M/s Gian Chand-Ram Chand, Commission Agents, Ban Bazar, Fazilka.

11. Shri Diwan Chand Monga, son of Shri Kishan Chand Arora, Barafwala Chowk, Delhi Gate, Ferozepur City.

12. Shri Kapur Chand, Mohalla Sodhianwala, Ferozepur City.

13. Sardar Hakim Singh Dhillon, son of Sardar Ram Singh, Village and Post Office Buttar, Tehsil Moga, District Ferozepur.

14. Shri Bishan Singh Gill, son of S. Sadda Singh Gill, Village and Post Office Chuhar Chak, Tehsil Moga, District Ferozepur.

15. Shri Bhag Singh, son of S. Ishar Singh, (deceased) Village and Post Office Dhudika, Patti Kauluki, Tehsil Moga, District Ferozepur.

16. Shri Durga Dass, son of Pt. Harblas, Zira, District Ferozepur.

17. Shri Baldev Singh Sandhu, Village and Post Office Manawan, District Feroze-pore.

18. Shri Sucha Singh 'Malai', student of Guru Nanak Dev High School, Village Janer, District Ferozepur.

19. Shri Isar Singh, son of Hukam Singh of Ban Wala Annu, Tehsil Fazilka, District Ferozepore.

20. Shri Waryam Singh, Village and Post Office Ban Wala Annu, Tehsil Fazilka, District Ferozepore.

21. Mrs. Amrit Rai, widow -daughter-in-law of Late L. Lajpat Rai.

22. Master Mehar Chand, care of Shri Milkhi Ram, General Secretary, Town Cong-ress Committee, Moga, District Ferozepore.

23. Shri (Mahasha) Karam Chand, President, Congress Committee, Moga.

Chief Parliamentary Secretary]

Serial No. *Names and addresses of the political sufferers who have applied for relief.*

AMRITSAR DISTRICT

1. Com. Surjan Singh, son of L. Siri Ram, Guru Ram Dass Nagar, Gali No. 2, outside Sultanwind Gate, Amritsar.
2. Shri Joginder Singh, son of Shri Jawala Singh, Village and Post Office Bhular, via Khas, District Amritasar.
3. Shrimati Dharam Kaur, w/o Dr. Jai Ram Singh, care of Duni Chand-Surjan Singh, Bazar Talhi Sahib, Amritsar.
4. Shrimati Karam Devi, daughter of Mahasha Shankar Nath, care of R. S. Chopra, Gujar Mal Road, Amritsar.
5. Shri Vir Singh 'Vir', son of S. Gurmakh Singh, Katra Dal Singh, House No. 2048/9, Amritsar.
6. Sathi Daulat Ram, son of Pt. Shankar Dass, House No. 58/7, Patti, District Amritsar.
7. Shri Sohan Lal, son of Shri Lachhman Dass, Darwaza Nathowana, Jandiala Guru, District Amritsar.
8. Shri Madan Lal, son of Shri Lachhman Dass, Darwaza Nathowana, Jandiala Guru, District Amritsar.
9. Shri Lahori Ram, son of Shri Chint Ram, care of Shri Mehar Chand, Cap Merchaht, Swank Mandi, Near Gali Gammaran, Amritsar
10. Shri Sucha Singh, son of S. Waryam Singh, Village and Post Office Marhana' Tehsil Patti, District Amritsar.
11. Shri Bishan Dass, son of Pt. Ishar Dass, Village Sirhali Khurd, Post Office Sakhira, District Amritsar.
12. Shrimati Kartar Kaur, daughter of S. Labh Singh, 1802/5, Haveli Attar Singh, Katra Ramgarhian, Chowk Mana Singh, Amritsar.
13. Shri Tulsi Dass Nirwal, son of Shri Man Phul, House No. 2282/12, Katra Sher Singh, Hall Gate, Nai Gali, Amritsar.
14. Shri Durga Dass Vaid, son of Shri Radha Kishan, 1517/8, Qilla Bhargian, Amritsar.
15. Shri Balkishan alias B. K., son of Late Shri Banshi Ram, Bazar Anant Ram, Sattiwala near Chauk Pasian, House No. 681/11, Amritsar.
16. Shri Daljit Singh, son of S. Maya Singh Buraj Gyanian, Bazar Mai Sewan, Amritsar.
17. Shri Teja Singh, son of S. Ram Singh, Village Ghukowali, Post Office Sansra Tehsil Ajnala, District Amritsar.
18. Shri Bishan Singh, son of S. Deva Singh, Village and Post Office Marhana, District Amritsar.
19. Jathedar Khem Singh, son of S. Surain Singh, Village and Post Office Sohal Tehsil Tarn Taran, District Amritsar.
20. Droga Gurcharan Singh, alias Dharti Dhakal, son of S. Sohan Singh, House No. 1736/5, Chowk Prag Dass, Amritsar.
21. Shri Kartar Singh, son of S. Mohan Singh, Village and Post Office Marhana, Tehsil Patti, District Amritsar.
22. Shri Fateh Singh, son of S. Mula Singh, Village and Post Office Fatehwala Tehsil Ajnala, District Amritsar.

Serial No. *Names and addresses of the political sufferers who have applied for relief.*

AMRITSAR DISTRICT—CONTD

23. Shri Narinder Singh, son of Jathedar Teja Singh, Village Bhuchar Khurd, Post Office Jhabbal, District Amritsar.

24. Shri Salig Ram, son of Shri Anant Ram, House No. 85, Ward No. 5, Town Patti, District Amritsar.

25. Shri Balli Singh, son of Shri Ganda Singh, Village Saida, Post Office Patti, District Amritsar.

26. Shri Balwant Singh, Pardeshi, son of Late Shri Narain Singh, care of Baba Gurdit Singh of Kamagatamaru Fame, House No. 3355, Katra Dal Singh, Amritsar.

27. Shri Jawala Singh, son of S. Budh Singh, No. 2. Majitha Road, Amritsar.

28. Shrimati Atma Devi, daughter of S. Budh Singh, Chowk Manna Singh, Gali Baba Bhoriwala, Gali No. 2, Panchayat No. 11, Amritsar.

29. Shrimati Rup Rani, daughter of Shri Ganshayam Dass, Katra Ahluwalia, Kucha Terkhiana, Amritsar.

30. Shri Munshi Ram, son of Shri Ram Narain, Chhatri Rajput, Old House No. 193/4, New No. 910/17, Katra Mehar Singh, Amritasr,.

31. Shri Ruldu Ram, son of L. Ram Kishan, Kucha Virowalian, Dhab Vasti Ram, Amritsar.

32. Shri Gajjan Singh, son of Shri Kala Singh, Village Thathgarh, Post Office Sahngna, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar.

33. Shri Gurmakh Singh, alias Ram Mohd. Singh, son S. Ram Singh, Painter, Akali Market, Amritsar.

34. Shri Charanjit Lal, son of Shri Ichhru Mal, House No. 2, Bara Makan, Islamabad, Amritsar.

35. Shri Labh Singh Kohli, son of S. Hari Singh, 90/18, Malviya Nagar, New Delhi.

36. Shri Bulha Ram, son of Shri Tabhu Ram, Gali No. 7, House No. 220, Nawan Kote, Amritsar.

37. Master Mota Singh, son of S. Khera Singh, Village Tola Nangal, Post Office Raja Sansi, District Amritsar.

38. Shri Bahadur Singh, son of S. Lachhman Singh, Village and Post Office Marhana, Tehsil Patti, District Amritsar.

39. Shri Kesar Singh, son of S. Nihal Singh, Village Noor pur, Post Office Shekh, Tehsil Patti, District Amritsar.

40. Shri Dharam Singh, son of late Baba Chhatar Singh, House No. 2095/3, Kucha Kalwan, Katra Jallianwala, Amritsar.

41. Shri Piara Singh, son of S. Bisa Singh, Village and Post Office Marhana, Tehsi Patti, District Amritsar.

42. Shri Inder Singh, son of S. Bhagwan Singh, Village and Post Office Marhana, Tehsil Patti, District Amritsar.

43. Shri Gurmakh Singh, son of S. Uttam Singh, Village and Post Office Nagoke, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar.

44. Shri Labh Chand, son of S. Jiwan Singh, House No. 200, Hussanpura, Amritsar.

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No. *Names and addresses of the political sufferers who have applied for relief.*

AMRITSAR DISTRICT—CONTD.

45. Shri Jagat Singh, son of Baba Ishar Singh, Village and Post Office Marhana, Tehsil Patti, District Amritsar.

46. Shri Harbans Singh Baghi, son of S. Mool Singh, T. B. Sanitorium, Amritsar.

47. Shri Rattan Singh, son of S. Ram Singh, Painter, House No. 3263/XV-18, Kot Ghania Lal, outside Sultanwind Gate, Amritsar.

48. Shri Bhan Singh, son of S. Lal Singh, Village and Post Office Khador Sahib, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar.

49. Shri Sohan Singh, son of S. Jowand Singh, Patti Basi Zaildaran, Village and Post Office Khaddor Sahib, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar.

50. Shri Chanan Singh, son of S. Attar Singh, Village and Post Office Khadur Sahib, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar.

51. Shri Mota Singh, son of S. Gopal Singh, Village and Post Office Jagdev Kalan, Tehsil Ajnala, District Amritsar.

52. Shri Gyan Chand Sahni, son of L. Ladhu Mal, No. 29/9, Moti Mohalla, Katra Sufaid, Amritsar.

53. S. Bighal Singh, son of S. Ball Singh, Village Boor Chand, Post Office Patti, District Amritsar.

54. Shri Kaka Ram Mahajan, son of Shri Gobind Ram, House No. 246/9, Lane No. 3, Nai Abadi, Gate Bhagtanwala, Amritsar.

55. Shri Surjan Singh, son of S. Ram Singh, care of S. Gurmukh Singh alias Ram Mohd. Singh, Painter, Akali Market, Amritsar.

56. Shri Raghbir Singh, son of S. Ram Singh, care of S. Gurmukh Singh alias Ram Mohd. Singh Painter, Akali Maket, Amritsar.

57. Shrimati Kishan Kaur, w/o Late S. Ram Singh, care of S. Gurmukh Singh alias Ram Mohd. Singh, Painter, Akali Market, Amritsar.

58. Shrimati Durga Devi, w/o L. Haveli Ram, Chowk Kazian, Ward No. 5, Patti, District Amritsar.

59. Giani Har Kishan Singh, House No. 3067/1, Gali Dogran, Inside Man Singh Gate, Amritsar.

60. Shri Bhagwan Dass, Gali Twari, Ward No. 11, Inside Lohgarh, Amritsar City.

61. Jathedar Surat Singh, Village Lakhuwal, Post Office Ajnala, District Amritsar.

62. Shri Sohan Singh, Congress Worker, Village Kundwali, Post Office Chetan Pura, Tehsil Ajnala, District Amritsar.

63. Shri Sarmakh Singh, son of S. Bishan Singh, Village Marhana, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar.

64. Shri Mangal Singh, son of S. Santa Singh, Village Khadur Sahib, Police Station Verowal, District Amritsar.

65. Shri Naurang Singh, son of S. Santa Singh, Village Khadur Sahib, Police Station Verowal, District Amritsar.

66. Shri Ajit Singh Bhusa, son of S. Sadhu Singh, c/o S. Bachan Singh, Chief Gurdwara Inspector, Shiromani G. P. C., Amritsar.

67. Shri Karam Chand Barry, Katra Safaid, Amritsar.

Serial No. *Names and addresses of the political sufferers who have applied for relief.*

AMRITSAR DISTRICT—CONCLD

68. Jathedar Amar Singh, House No. 8/13, Gali No. 5, Tehsilpura, Amritsar.

69. Shri Hara Mal, son of S. Milkha Singh, Caste Arora, care of M/s Krishan Lal-Karam Chand, Chowk Nimak Mandi, Amritsar.

70. S. Surain Singh Shahid, Village and Post Office Baba Bakala, District Amritsar.

71. Shri Gurbakhsh Singh Taur, care of Jathedar Mohan Singh, M.L.A., Village and Post Office Nagoke, District Amritsar.

72. Shrimati Vidya Vati, widow of late Chaudhri Diwan Chand Datta, care of Bakhshi Mulkh Raj Chhibar, B.A., LL.B., Adovocate, Alcka, Simla.

73. Shri Daljit Singh alias Thakar Singh, son of Shib Dial Singh, Village Wallha, District Amritsar.

74. Shri Uttam Singh, son of Baghal Singh, Carpenter, Village and Post Office Bhullar, via Khasa, District Amritsar.

75. Shri Avtar Singh Sidha Jat, Village Chhidan, Post Office Gharinda via Khasa Distillery, District Amritsar.

76. Shri Ladha Singh, son of S. Punjab Singh, caste Ramgarhia Sikh, Manager, Gurdwara Prabandhak Committee, Chheharta, Tehsil and District Amritsar.

77. Shri Des Raj, son of Shri Ralla Ram, Member, District Congress Commit tee (Urban) Shop No. 613/13, Shrifpura, Amritsar.

78. Shri Gani Lal, B. A., B. T. of Jandiala Guru, District Amritsar.

79. Shri Sohan Singh Sewak, care of District Congress Committee, Amritsar.

80. Mai Malan, w/o late S. Labh Singh, Village Jagdev Kallan, Tehsil Ajnala, District Amritsar.

81. Shri Mathra Dass, son of L. Thakur Dass, Laurance Road, Amritsar.

82. Shri Rattan Chand Jain, President, Congress Committee, Jandiala Guru, Amritsar.

83. Shri Bishan Dass, Chonda Devi, District Amritsar.

84. Com. Ram Labhaya Pasruri, House No. 6/13, Gali No. 2, Hussain Pura, Amritsar.

85. Shri Sohan Singh Pardesh, son of S. Wasan Singh, care of Shri Guru Ram Niwas, Room No. 79, Amritsar.

86. Shrimati Tara Rani, w/o L. Amolak Ram Sethi of Rawalpindi, House No 410/10, Dhab Khatikan, Amritsar.

87. Shrimati Kartar Kaur, widow of Pt. Harnam Singh, son of Pt. Kanshi Ram of District Sheikhupura, House No. 458, Ward No. III, care of Bawa Harbans Singh, Patti, District Amritsar.

88. Shrimati Sorasti Devi, w/o L. Wazir Chand of Gujranwala, care of Dr. Manohar Lal Tara, near Gole Masjid, Sharifpura, Amritsar.

89. S. Mangal Singh of Lahore, Nirankar, Manjanwala, House No. 663, Gali Rani Bazar, Sharifpura, Amritsar.

90 S. Lal Singh of Sialkot, son of L. Bhagat Ram, Shop No. 211, Sharifpura near Gole Masjid, Amritsar.

91. Baba Karam Chand Sawhney, Bikram Gali, Katra Moti Ram, Amritsar.

92. Shrimati Harnam Kaur, w/o S. Bishan Singh, Village and Post Office Mehra, District Amritsar.

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No. *Names and addresses of the political sufferers who have applied for relief.*

GURDASPUR DISTRICT.

1. Shri Angar Singh, son of Shri Chatar Singh, House No. 712, Sujanpur, Tehsil Pathankot, District Gurdaspur.
2. Shrimati Janak Dulari, w/o L. Gopal Dass, care of Shrimati Tripta Kumari Mera, C-3/470, Lodhi Colony, New Delhi.
3. Shri Munshi Ram, son of Shri Bhaga Shah, Vice-President, Small Town Committee, Sujanpur.
4. Shrimati Dhan Devi, w/o Kanwar Kishan Raina, son of Kaka Ram, 96, Abdul Karim Building, Dhariwal, District Gurdaspur.
5. Shrimati Waryam Kaur, w/o S. Harnam Singh (daughter of S. Kishan Singh), Village Nanon Nangal, Post Office Sahiwal, Police Station Dina Nagar, District Gurdaspur.
6. Shrimati Widya Wanti, w/o L. Behari Shah, House No. BIV-148-244, Achali Gate, Batala.
7. Shri Khushi Ram, son of Shri Rala Ram, Village Old Tara Garh, Post Office Tara Garh, Pathankot, District Gurdaspur.
8. Shri Mashtri Lal, son of Shri Radha Ram, Khatrama Mohalla, Pathankot, present Address Kotwali Bazar, Dharamsala.
9. Shri Mansa Ram Sharma, son of Pt. Raghunandan, near Municipal Committee's Office, Pathankot.
10. Shri Sundar Singh, care of Crown Book Depot Emporium, Dalhousie.
11. Shrimati Sharda Devi, daughter of late Shri Durga Mal, care of General Secretary, Thana C. C., Dunera-Bakloh.
12. Shri Kishan Gopal, son of Shri Karam Chand, Mohalla Bairdian, Batala, District Gurdaspur.
13. Shri Teja Singh, son of Pahu Singh, President, Thana Congress Committee, Dinanagar, District Gurdaspur.
14. Shri Dwarka Dass, son of Pt. Name Nath, care of Subash Soda Water Factory, Nehru Gate, Batala.
15. Shri Dwarka Dass, son of Pt. Name Nath, care of Subash Soda Water Factory, Batala.
16. Hakim Chuni Lal, son of Pt. Ghania Lal, care of President, District Congress Committee, Gurdaspur.
17. Shrimati Surasvati, widow of Bawa Gurdas Singh, care of District Congress Committee, Gurdaspur.
18. Shri Ishar Dass Kohli of Zaferwal, Pathankot.
19. Shri Jahangir Chand Gulati, son of L. Sawan Mal of Gujranwala, Town Hall, Batala, District Gurdaspur.
20. Shri Amar Nath Dutt, Refugee, care of Town Congress Committee, Pathankot.
21. Shri Labhu Ram, House No. R. B. 260 Mohalla Waderian, Pathankot, District Gurdaspur.
22. Shri Munshi Ram Nathawan, Pathankot.
23. Shri Mela Ram Tair, Batala.
24. Sharimati Phool Kumari, widow of Shri G. L. Shaug, Batala, District Gurdaspur.

Serial No. *Names and addresses of the political sufferers who have applied for Relief.*

HISSAR DISTRICT.

1. Shrimati Kesran Devi, w/o L. Sohan Lal, Village and Post Office Mandi Dabwali District Hissar.

2. Shri Anant Ram Wahshi, son of Gurənditta Mal, Raj Guru Market, Hissar.

3. Shri Fateh Singh, son of Shri Jawan Singh, Village and Post Office Chang, Tehsil Bhiwani, District Hissar.

4. Shri Kishan Lal, son of Shri Ganga Ram Mahajan, House No. G-99, Mallian Mohalla, Hissar.

5. Shri Duli Chand 'Nariya' son of Shri Jagan Nath, Halu Bazar, Bhaganpur Katra Bhagat Singh, Bhiwani.

6. Shri Arjan, son of Shri Ram Rattan, Mohalla Gujran, near Rania Gate, Sirsa (District Hissar).

7. Shri Ganga Ram Arya, son of L. Mathura Dass, Halu Bazar, Bhiwani.

8. Shri Ram Sarup, son of Shri Kali Dass, Hanuman Gate, near Lal Masjid, House No. B. P. 225, Bhiwani, District Hissar.

9. Shri Radha Kishna Verma, son of Shri Ram Chander Ji, Subash Gali, Lahore, Bazar, Bhiwani (Hissar).

10. Shri Jug Lal, son of Shri Jeo Ram, Village Dewas, Post Office Jhumpa, Tehsil Bhiwani, District Hissar.

11. Shri Suraj Bhan, Tailor, son of Shri Dhani Ram, Swaraj Katli, Bhiwani (District Hissar).

12. Shri Ramdhan Dass, son of Shri Harnam Dass, Chang Village, Bhiwani Tehsil, District Hissar.

13. Shri Bhur Singh, son of Shri Shimbha Singh, Village Gujrani, Post Office Bhiwani (Hissar).

14. Shri Amin Lal Verma, son of Ch. Adram, Village and Post Office Burak, Tehsil and District Hissar.

15. Shri Ulmiram, son of Sheolal, care of Budhram-Ram Chander, Chatora Paras, Asia, Haloo Bazar, Bhiwani (Hissar).

16. Shri Richhpal, son of Ch. Hira Lal Dhanak (Harijan) Hanuman Gate, Balu Bazar, Bhiwani.

17. Shri Rachhpal Singh, son of Ch. Sanwat Singh, Village Badha Barahmane, Post Office Harit, Tehsil and District Hissar.

18. Shri Richhpal Singh, Harijan, son of Shri Ganga Sahai, near Patit Pawan Vidalaya, Halu Bazar, Hanuman Gate, Bhiwani.

19. Shrimati Parmeshwari Devi, w/o deceased Jamadar Akhi Ram, son of Jowahar Singh, Jat (daughter of Shri Har Nand) Village and Post Office Mitathal, Tehsil Bhiwani, District Hissar.

20. Shri Paras Ram, son of Pt. Ganga Dhar, Village Amin Pur Bhaini, Tehsil Hansi, District Hissar.

21. Shri Datta Ram, son of L. Parma Nand, care of Ch. Kanahya Lal-Bishan Lal, Narwana Mandi (PEPSU).

22. Shri Hukmi Singh, son of Shri Salig Ram, Village Dhani Sherzamanpur, Post Office Loharu, District Hissar.

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No. *Names and addresses of the political sufferers who have applied for Relief.*

HISSAR DISTRICT—CONCLD

23. Shrimati Bakhtawari , widow of Kumba Ram, Village Teja Khera, Sirsa, District Hissar.
24. Shri Kheta Ram, son of Pt. Salig Ram, Village Chotala, District Hissar.
25. Dr. Ranbir Singh Godara, B. D. Bazar, Khazanchian, Hissar.
26. Swami Hira Nand Bedharak, Hissar.
27. Shri Chandar Bhan, son of Shri Fateh Chand, care of Mangal Dass, Tailor Master, Hanuman Ghati, Bhiwani, District Hissar.
28. Shri Chandu Lal, son of Ch. Mugli Ram, Halu Bazar, Hanuman Gate, Near Patit Pawan Vidalaya, Bhiwani.
29. Shri Mangla Ram Harijan, son of Shri Gilia Ram, Halu Bazar, Dhani Charkhan, Bhiwani.
30. Shrimati Parbati, w/o Late Shri Ram Chander Saini, Mohalla Sainyan, Hissar.
31. Shri Mani Ram, son of Shri Dalpat Singh, Village Amritpur, Bhaini, District Hissar.
32. Shri Sawan Ram, son of Shri Hem Raj Bajaj, care of Dr. N. D. Khurana, Lohar Bazar, Bhiwani.
33. Shrimati Krishna Devi, care of Master Krishan Kumar, Jai Hind High School, Nirvana (PEPSU).
34. Pt. Patt Ram Sharma, son of Shri Krishan, care of District Congress Committe, Hissar.

ROHTAK DISTRICT

1. Shri Manga Ram, son of Shri Mam Chand, Village and Post Office Halalpur, Tehsil Sonepat, District Rohtak.
2. Shri Harphul, son of Shri Ramjas, Village and Post Office Rohat, Tehsil Sonepat, District Rohtak.
3. Shri Prabhu Dayal, son of Daya Ram, village Thana Khurd, Post Office Thana Kalm, Tehsil Sonepat, District Rohtak.
4. Shri Jodha Ram, son of Ch. Bihari Lal, Vice-President, Municipal Committee, Jhajjar, District Rohtak.
5. Shri Balmokand Sharma, son of Pt. Nathu Ram Sharma, Village Bupania, District Rohtak.
6. Shri Rami Lal, son of Shri Mania, Village and Post Office Butana, Tehsil Gohana, District Rohtak.
7. Shri Mehr Singh, son of Ch. Sheoji Ram, Village and Post Office Madina (Rohtak).
8. Shri Giani Ram, son of Shri Gopal Singh, Village and Post Office Juan, Tehsil, Sonepat, District Rohtak.
9. Shrimati Chhanno Devi, d/o Sh. Mouji Ram, Village Thana Khurd, Sonepat (Rohtak).
10. Shri Kishan Lal Azad, son of Shri Ramji Lal, Sonepat Mandi, Rohtak Road District Rohtak.
11. Shri Dharam Vir , son of Shri Ram Parshad, Village and Post Office Halalpur, Tehsil Sonepat, District Rohtak.
12. Shri Bhiku Ram, son of Shri Braham Datt, Village and Post Office Rathdana, Tehsil Sonepat, District Rohtak.
13. Shri Sultan Singh, son of Shri Dharam Singh, Village and Post Office Morthal, Tehsil Sonepat , District Rohtak.

Serial No. — *Names and addresses of the political sufferers who have applied for Relief*

ROHTAK DISTRICT—CONCLD

14. Shri Bhakhtawar Singh, son of S. Hira Singh, Village Mahalana, Tehsil Sonepat, District Rohtak.
15. Shri Hukam Chand, son of Shri Harde, Village and Post Office Halalpur, Tehsil Sonepat, District Rohtak.
16. Shri Mehar Singh, son of Shri Khabi, care of Sewa Ashram, Rohtak.
17. Shri Ram Sarup, son of Shri Kapur Chand, Village and Post Office Chulkana, Tehsil Sonepat (Rohtak).
18. Shri Ram Chand, son of L. Mahanga Ram, House No. 121, Mohalla Kalan, Ward No. 2, Sonepat.
19. Shri Shanti Lal, son of L. Ram Ditta Mal, House No. 285, Mohalla Pirji near, Partap Talkies, Rohtak.
20. Shri Jug Lal, son of Ch. Neki Ram, Village and Post Office Bahu Akbarpur, District Rohtak.
21. Shri Lal Chand, Jat, son of Ch. Shib Lal, Village and Post Office Asmaila, Police Station Sampla, Tehsil and District Rohtak.
22. Shri Ude Lal, son of Shri Mahesh Das, House No. 468, B. I. Rohtak.
23. Shri Ram Singh, son of Shri Siri Ram Luddan, Tehsil Jhajjar, District Rohtak.
24. Shri Habibullah Khan, son of Sh. Ghulam Rasul Khan, Kath Mandi, Congress Bhawan, Rohtak.
25. S. Rattan Singh, son of Shri Mukhli Ram, Village and Post Office Katwal, Tehsil Gohana, District Rohtak.
26. Shrimati Anar Devi, widow of Shri Ganga Ram Sharma, son of Pt. Rattan Lal Sharma, Village and Post Office Kosli, Tehsil Jhajjar, District Rohtak.
27. Shrimati Bharte Devi, w/o Shri Bhiku Ram, Harijan, Village and Post Office Silana, Tehsil and District Rohtak.
28. Shri Chhottu Ram, Village Ferozepore Bangar, Post office Halalpur, District Rohtak.
29. Shri Daulat Ram Gupta, Laxmi Niwas, Rohtak.
30. Shrimati Chhan Kaur, care of Pt. Ram Dhan, M. L. C. Sonepat.
31. Shrimati Kasturi Bai, widow of Ram Pat, Congress Worker, Kath Mandi, Ram Nagar, Rohtak.
32. Shri Bhiwani Dass alias Patel Baba of District Jhang, Congress Worker, Gohana District Rohtak.
33. Shri Om Parkash, son of Shri Bhagwan Sarup, President, Town Congress Committee, Jhajjar, District Rohtak
34. Bhagat Sukhdev Singh, son of L. Mahboob Singh, Mohalla Sarai, Rohtak.
35. Shri Chaman Lal Sikka, son of L. Kanshi Ram, House No. BVI-228, Rohtak.
36. Shri Verinder Kumar, son of Shri Ram Chander Shingal, Sonepat, District Rohtak.

GURGAON DISTRICT

1. Shri Dip Chand Satyagrahi, son of Pt. Ram Chand, Near Civil Hospital, Palwal.
2. Shri Harish Chandra, son of Shri Lal Singh Ji, Village Dighol, Post Office Bamni Khera, Tehsil Palwal, District Gurgaon.
3. Shri Karam Singh, Jat, son of Shri Mehtab Singh, care of Pt. Sri Ram Contractor, Badri Niwas, Gurgaon Cantonment.
4. Dr. Ram Lal Marwah, son of L. Narinjan Dass, Village and Post Office Moonch, District Gurgaon.

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No.	Names and addresses of the political sufferers who have applied for relief
	GURGAON DISTRICT—CONCLD
5.	Shri Ram Narain, son of Pt. Lalji Mal, Village and Post Office Nanu Kalan, Via Pataudi, District Gurgaon.
6.	Shri Har Kishan, son of Shri Udmi Ram, Post Office Sherpur (Sub-Tahsil Pataudi).
7.	Shri Suraj Bhan, son of Shri Kallu Mal, Post Office Jailey Mandi (Pataudi).
8.	Shri Ammi Lal, son of S. Man Singh, Village Dadawas, Post Office Pataudi, District Gurgaon.
9.	Shri Bala Singh, son of S. Balwant Singh, Rajput, Village Bhaur Kalan, Tehsil Gurgaon.
10.	Shrimati Chandri, w/o late Pt. Mool Chand, Village Hodal, District Gurgaon.
11.	Shri Shiv Datt, care of Shri Jagdish Chandra Tyagi, Swami Wara, Rewari (District Gurgaon).
12.	Shri Trikha Ram, son of Kani Ram, Jat, Village Janoli, Tehsil Palwal, District Gurgaon.
13.	Shrimati Krishna Devi, widow of Shri Jassa Ram of Gurgaon District.
	KARNAL DISTRICT
1.	Goswami Mohan Das, son of Goswami Rali Ram, H.B. 111/451, Committee Bazar, Post Office Shahabad, District Karnal.
2.	Shri Ganesh Datt, son of L. Ram Chand, care of City Congress Committee, Panipat.
3.	Shri Lalji Ram Tandon, son of Shri Chhaju Ram Tandon, Holi Chati, Karnal.
4.	Shri Sohan Lal, son of L. Chander Mal, House No. 306, Block No. 6, Panipat.
5.	Shri Abhe Ram, son of Manni Ram, Village and Post Office Gagsina, Tahsil and District Karnal.
6.	Shri Ram Lal, son of Shri Mool Chand, Caste Railan, House No. 419/V, Mohalla Pathana Wala, Sewan Tate, Post Office Kaithal, District Karnal.
7.	Shri Nand Lal, son of Shri Swaya Ram, care of Mangal Singh, Tailor Master near Gurdwara Manji Sahib.
8.	Shri Labh Singh, son of S. Jawala Singh, House No. 333, Ward No. 5, Mohalla Pathana, Shahabad Markanda, District Karnal.
9.	Shrimati Gian Wati, w/o Shri Om Parkash Gupta, care of Shri Moti Ram Garg, News Agent Anaj Mandi, Shahabad (Karnal).
10.	Shri Tek Chand Sardana, son of Mehta Champat Rai, House No. R.F. 498, inside Jundla Gate, Mohalla Chah Kumharan Wala, Karnal.
11.	Shri Hans Raj, son of Shri Munshi Ram, Mohalla Para Akalian, Kaithal (Karnal)
12.	Shri Daryai Lal, son of Shri Chan Ram, care of Vaid Yoginder Nath, Lajpat Rai Road, Panipat.
13.	Shri Gian Singh, son of S. Teja Singh, Basti Alipur, Chungi No. 6, Amritsar Road Ferozepore.
14.	Shri Panna Lal, son of Kali Ram, Mohalla Qanugoan, Kaithal, District Karnal.
15.	Shri Madho Ram Azad, son of Shri Hojja Ram, Shop No. 17, Nai Mandi, Karnal.
16.	Shri Jyoti Parshad alias 'Darde Wattan', son of L. Nayandar Mal, care of Congress Committee, Panipat.
17.	Shri Lodanda Lal, son of Gordhan Lal, Mahabir Temple, Mera Ghati, Karnal.
18.	Shri Raghbir Singh, son of Shri Bhikhu Mal, Ex-General Secretary, Congress Committee, Kaithal, Mohalla Botan, Kaithal.

Serial No. *Names and addresses of the political sufferers who have applied for Relief*

KARNAL DISTRICT—CONCLD

19. Shri Anokh Singh, son of Shri Wasakha Singh, Village and Post Office Dachaur (Karnal).
20. Shri Parma Nand, son of L. Kewal Ram, Vlillage and Post Office Thol, District Karnal.
21. Shri Ram Gopal, son of Shri Ghisu Ram, Tewarian street, Kaithal (Karnal).
22. S. Amar Singh, son of S. Nihna Singh, Village and Post Office Dachaur, (Karnal).
23. Shri Bhoj Raj Kumar, son of L. Lok Nath, 75, Mughlan Mohalla, Karnal.
24. Shri Bholar, son of Shri Man Singh, Village and Post Office Gagsina, District Karnal.
25. Shri Ram Sarup, son of Shri Mai Parsan, Village and Post Office Pai, Tehsil Kaithal
26. Shri Mauji Ram Kalyan, Harijan, Congress Worker, Village and Post Office Mandli, Tehsil Panipat.
27. Shri Daya Ram, son of Shri Rai Singh, Caste Jat, Village Gagsina, District Karnal.
28. Shri Gurbakhsh Singh, son of Shri Nidhan Singh, House No. A/819, Sadar Bazar, Karnal.
29. Shri Narinjan Singh, son of S. Rulia Singh, Village and Post Office Chak Kalan, District Karnal.
30. Shri Ganesh Dass, son of Shri Tahia Ram, Caste Khatri, care of Hakim Chando Ram Bhatia, Inside Jundla Gate, Lal Kuan, Karnal City.
31. Shri Hotu Ram, son of Pt.Thakar Dass, care of District Congress Committee, Panipat, District Karnal.
32. Shri Chaudhri Ram, son of L. Mori Ram, Village Pundri, Tehsil Kaithal (Karnal).
33. Shrimati Thakar Devi, w/o L. Vasudeva, care of Dr. Tirath Ram, House No. 412, Ward No. 7, Panipat.
34. Hakim Arjan Das, Shop No. 39, Ward No. 9, Partap Bazar, Panipat.
35. Bahadur Singh, son of Sukh Singh, Jat, Sikh, Village Pacca Khera, Post Office Padha (Karnal).
36. Shri Ram Sarup, son of Shri Udhmi Ram, Vaish Aggarwal, Village Gagsina, District Karnal.
37. Shri Harbans Lal, son of Net Ram, Gaur Brahmin, Village Gagsina, now at Rasina, Post Office Pundri, Tehsil Kaithal (Karnal).
38. Shri Hukam Chand, son of Shri Kania Lal, House No. B. 1104, Mohalla Tak Hajri, outside Balu Gate, Karnal.
39. Shri Basher Ram Guhala, Karan Gali, Karnal.
40. Shri Amar Nath, Martial-Law Prisoner, 140/R. D. Chauk Nia Bazar, inside Kalandar Gate, Karnal.
41. Shrimati Suhag Rani, wife of Shri Harar Chand, House No. 364, Ward No. 8, Panipat, District Karnal.
42. Shri Permeshri, son of Shri Ishar Dass, Gaushala, Panipat, District Karnal.
43. Shri Kaka Ram, President, Congress Committee, Kaithal.
44. Shri Ram Dass of Sant Nagar of Lahore, Congress Worker, House No. 210 E. Kalander Gate, Ram Gali, New Bazar, Karnal.
45. Shri Phagu Ram, Ex-Vice President, Congress Committee, Kaithal, District Karnal.
46. Shri Chandu Lal-Vaid Raj son of S. Partap Singh, Ex-Vice President, Congress Committee, Kaithal.
47. Shri Devi Dyal Ragher, son of Shri Puran Chand, G. T. Road, Karnal.

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No.	*Names and addresses of the political sufferers who have applied for Relief.*
	AMBALA DISTRICT.
1.	Shrimati Bala Bai, w/o Dr. Hans Ram, Anaj Mandi, Ambala Cantonment.
2.	Shri Paras Ram, son of Shri Madho Ram, Village and Post Office Mauli Badwan Tehsil Kharar, District Ambala.
3.	Shri Radha Kishan, son of Shri Salig Ram, Village and Post Office Mauli Badwan Tehsil Kharar, District Ambala.
4.	Shri Kishori Lal, son of L. M.angal Sain, Village Machaunda, Post Office Kuldip Nagar, Ambala.
5.	Shri Babu Ram Bhardwaj, son of Shri Narain Dutt, Bhardwaj Bhawan, care of Village and Post Office Kharar, District Ambala.
6.	Shrimati Soma Wati, daughter of Shri Des Raj, care of Shri Sita Ram, Secretary, Congress Panchayat, Barrack No. 107, Room No. 1699-1700, Baldev Nagar Camp, Ambala.
7.	Shri Ram Singh, son Shri Natha Singh, Ramdasia, Village and Post Offiice Sohana, Tehsil Kharar, District Ambala
8.	Shri Anant Ram, son of Shri Bayya Ram, Village and Post Office Sialba Majra Tehsil Kharar, District Ambala.
9.	Shri Raghbir Chand, son of Shri Shankar Das, Village Shahzadpur, Tehsil Naraingarh, District Ambala.
10.	Shrimati Vidya Devi, w/o Late Girdhari Lal Jhamb, House No. 7215, Ward No. 4, Mohalla Sogianwala, Ambala City.
11.	Shri Kharaiti Lal, son of Shri Jamna Dass, Village and Post Office Mullan, pur Gharibdas, Tehsil Kharar, District Ambala.
12.	Shri Chandi Ram, son of Shri Ram Chand, House No. 589, Near Dhobi Diggi, Ambala Cantonment.
13.	Mahasha Jagan Nath Vir, son of L. Labhoo Ram, Morinda, District Ambala.
14.	Shri Nathi Ram, son of L. Salakh Chand, No. 6219/1, Ihata Chothiwala, S.B. Ambala Cantonment.
15.	Shri Sewa Ram, Malhotra, son of Sri Kirpa Ram, Congress Worker, Kotwali Bazar, Ambala City.
16.	Shri Sadhu Ram, son of Pt. Udho Ram, Village and Post Office Babial, District Ambala.
17.	Shri Tirlok Singh, son of S. Bhagwan Singh, Village Chaonajra, Post Office Manauli, Tehsil Kharar, District Ambala.
18.	Shri Karam Chand, son of L. Sahibditta Mal, Patel Sewa Samiti, Near Jagadhri Gate, Ambala City.
19.	Shri Harnam Singh (Caveshar) son of Shri Shibu Ram Saini, Ghanaul (Post Office) Tehsil Rupar, District Ambala.
20.	Shri Bhola Nath Malhotra, son of L. Ram Dhan Malhotra, House No. 27, Mohalla Sheikhan, Rupar, District Ambala.
21.	Shri Ramji Dass Chandan, son of Pt. Mela Ram Chandan, Secretary, Congress Panchayat District Ambala.

Serial No. — *Names and addresses of the political sufferers who have applied for Relief.*

AMBALA DISTRICT—CONTD

22. Shri Tulsi Ram, son of Shri Kaka Ram, Post Office Sohana, District Ambala.

23. Shri Surat Singh, son of S. Rulia Singh, Village Bande Mahal Khurd, Post Office Jhallian Kalan, Tehsil Rupar, District Ambala.

24. Shri Kartar Singh, son of S. Bhagwan Singh, Village Dharam Garh, Post Office Manauli, District Ambala.

25. Shrimati Maya Devi, w/o Shri Jagat Ram, 2547, Bengali Mohalla, Ambala Cantonment.

26. S. Waryam Singh, son of Shri Lekh Raj, Congress Worker, G. T. Road, Kuldip Nagar, Ambala Cantonment.

27. Shri Kesho Ram and two others children of late Shri Kewal Ram, Khatri, son of Ch. Motam Das Khatri, care of Shri Sadhu Ram, Gosain, Accountant, P. R. S. A., Ltd., Treasury Road, Ambala City.

28. Raghbir Dyal, son of Shri Kalu Ram, Quarter No. 3/502, Viney Nagar, New Delhi.

29. Shri Ram Parkash, son of L. Jiva Ram, Village Mullanpur, Gharibdass, Tehsil Kharar, District Ambala.

30. Shri Sita Ram, son of L. Kirpa Ram, Secretary, Congress Panchayat, Baldev Nagar Camp, Barrack No. 107, Room No. 1699-1700, Ambala.

31. Shri Kartar Chand, alias Kartar Singh, son of S. Amar Singh, Village and Post Office Chamkaur Sahib, District Ambala.

32. Shri Mangoo Ram, son of Shri Mahabir Parshad, Shop No. 43, Top-Khana Bazar, Ambala Cantonment.

33. Shrimati Tej Kaur, w/o Late S. Uttam Singh, son of S. Daya Singh, Village and Post Office Mauli Baidwan, Tehsil Kharar, District Ambala.

34. Shri Mehtab Singh, Congress Worker, Village and Post Office Do Kheri, District Ambala.

35. Shri Sukhdev, son of Late Jairam Dass, Mohalla Majrai , Khrarar, District Ambala.

36. Shri Sohan Singh, son of Shri Uttam Singh, Post Office Mauli Baidwan, Tehsil Kharar, District Ambala.

37. Shri Surjan Singh, son of Shri Suba Singh, Post Office Mauli Baidan, District Ambala.

38. Shri Kanshi Ram Arya, son of L. Asa Ram, 77/3, Cooly Bazar, Kanpur.

39. Shri Raja Ram Bhardwaj, son of Shri Kundan Lal, Village and Post Office Kharar, District Ambala.

40. Shri Lakhmir Singh, son of Late Giani Ralla Singh, care of Shri Raja Singh, Booksellers, Village and Post Office Kurali, District Ambala.

41. Shri Jiwan Singh Dehlon, Dehlon Poultary Farm, Mubarakpur, District Ambala.

42. Shri Baru Singh, son of Harnam Singh, Congress Member, Village and Post Office Sohana, Tehsil Kharar, District Ambala.

43. Shri Atma Ram, son of Chandu Lal, Kalan Majri, Ambala City.

44. Shri Lahori Ram of Mullanpur, Mullanpur, District Ambala.

45. Pt. Arya Nand Sharma, General Secretary, District Congrss Committee, Ambala.

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No.	*Names and addresses of the political sufferers who have applied for Relief.*

AMBALA DISTRICT—CONCLD.

46. Shri Babu Singh, B.A. (Nat) Publicity Reading Road, Kurali, District Ambala.

47. Shrimati Daropti Devi, widow of Pt Bishan Dass of Rawalpindi, Village Sauntly, Post Office Shazadpur, Tehsil Narain Garh, District Ambala.

48. Shri Kapur Singh Bedi, Vice-President, City Congress Committee, Ambala City, House No. 4308, Mohalla Khatar Wala, Pipli Bazar, Ward No. 2, Ambala City.

49. Shri Sant Ram Vakil, care of Shri Jawahar Lal, Advocate, Ambala City.

SIMLA DISTRICT

1. Shrimati Krishna Wati, w/o Late Shri Baldev Singh, care of Mehta Prithvi Chand, Clerk, G. P. O., Simla.

2. Shrimati Sartaj Kaur, w/o Shri Bhagat Singh Jamke, 105/1-Krishan Nagar, Simla,.

3. Swami Hira Nand, Ex-Editor, Jag Jiwan, Simla.

DELHI

1. Shri Ram Lal Kalia, son of Pt. Dhani Ram Kalia, care of Pt. Gian Chand, Power House, Panipat, District Karnal.

2. Shrimati Vidya Vatti, widow of late Malik Chuni Lal Anand, 39-B, Vijay Nagar, Civil Lines, Delhi.

3. Shri Wasawa Singh, son of S. Piara Singh, House No, 2456-XII, Behind, M. B. Middle School, Near Roshan Ara Bagh, Sabzimandi, Delhi.

4. Shri Amar Singh Akali, son of S. Gurmukh Singh, House No. 546, Gali No. 12, Hukim Pura, Subzi Mandi, Delhi.

5. Shrimati Yashoda Devi Bahl, daughter of R. P. Thakar Datt, Quarter No. 11, Block No. 58, Rajinder Nagar, New Delhi.

6. Shrimati Parmila Devi, widow of late Dr. Banarsi Dass, Quater No. 56, Block No. 25, West Patel Nagar, Delhi.

7. Shrimati Mohan Devi, widow of late Bhagat Kashmiri Lal, care of Shri Ralya Ram Dhawan, House No. 176, Gali Mata Wali, Chetta Lal Mian, Darya Ganj, Delhi.

8. Shrimati Satya Wati, widow of late L.Boota Ram, 91-Double Storey Quarters, Dev Nagar, Delhi.

9. Shri Surmukh Singh, son of S. Surjan Singh, Granthi Surmukh Singh, East Patel Nagar, Gurdwara Singh Sabha, New Delhi.

10. Shri Chuni Lal, son of Shri Salig Ram, care of Dr. S. D. Kundra, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi.

11. Shri Mela Ram, son of Shri Khushal Chand, care of Pindi Cloth House, Chhe Tooti, Pahar Ganj, New Delhi.

12. Shri Chuni Lal Manchanda, care of 33 Rajinder Market, Tees Hazari, Delhi.

13. Shri Amar Nath Talwar, son of L. Daulat Ram, No. 770 , Lajpat Rai Market, Delhi.

14. Shri Haveli Ram, House No. 4532, Aryapura, Roshanara Road, Sabzi Mandi, Delhi-6.

15. Shri Mela Ram, Chowk Nabi Karim, Mohalla Sikkligran, House No. 6158, Delhi.

Serial No. — *Names and addresses of the political sufferers who have applied for Relief*

DELHI—CONCLD

16. Shri Arjan Singh, son of S. Bhag Singh, 94-C, Reids Lines, Kingsway Camp, Delhi-9.
17. Shri Suraj Bhan Goswami, House No. 3892, Shah Buraj, Mori Gate, Delhi.
18. Shri Bhawani Das, son of L. Boda Mal, care of L. Parma Nand Grover, Shop No. 28, Chowk Jhanda Kalan, Motia Khan, Delhi.
19. Giani Attar Singh, son of Ch. Man Singh, House No. 813, Gandhi Nagar, Delhi-Shahdara.
20. Shri Jagan Nath, Political Sufferer, care of S. Darshan Singh, Frame Maker, Chandni Chowk, Delhi.
21. Shri Panna Lal Aggarwal, son of L. Banwari Lal 4/60, West Patel Nagar, New Delhi.
22. Shri Lahore Lal, son of Shri Jai Ram, 128, Lajpat Rai Market, Delhi.
23. Shri Bhola Nath Koorichh, Kohli Building, Rohtak Road, Delhi-5.
24. Shri Sardari Lal, care of Dewan Chand, Shopkeeper, Sabzi Mandi, Post Office Building, Shop No. 95, Delhi.
25. Shri Hari Ram, care of Khosla General and Provision Stores, Timparpur, Delhi-8.
26. Shrimati Maya Devi, mother of Sukhdev Raj, care of Shri Shanti Sarup, 7/34, Darya Ganj, Delhi.
27. Shri Anant Ram, Anand Bhawan, Karol Bagh, Delhi.
28. Kaviraj Dr. Man Singh Bedi alias Sat Nam, care of Shibsada Medical Hall (Regd.) Raghbarpura, Gandhinagar, Delhi.
29. K. Hira Singh, care of J. S. Kalra and Co., 10-B, Manohar Bazar, Calcutta-14
30. Shrimati Shanta Sharma, Congress Worker, Vijay Nagar, Delhi-8.
31. Shri Gurbakhsh Rai, son of L. Jai Gopal, care of M/s Adarsh Vastu, 20-Nizam-ud-Din, West Market, New Delhi.
32. Shri Hari Ram, son of Shri Sukh Nandan, Katra Ilahi Bakhsh, House No. 3762' Sarai Phus, Sabzi Mandi, Delhi.
33. Shri Hussain Bux, son of Shri Hadayat Ullah, care of Mr. Mushtaq Ahmad, M.L.A., Jama Masjid, Delhi.

OUTSIDE PUNJAB

1. Shri Buta Singh, son of S. Shagar Singh, Sewa Nagar (Parwa) Post Office Moli, Tehsil Phagwara, District Kapurthala.
2. Shri Sarwan Singh, son of S. Partap Singh, Village Bhateri, Post Office Nandpur, Kalaur (Pepsu).
3. Shri Gurbax Singh Malhotra, care of S. Dewan Singh, Haseran, District Frukhabad.
4. Shri Gopal Singh, son of Th. Bir Singh, Village Sancon, Post Office Saranhan, District Sirmoor.
5. Gyani Bahadur Singh, son of S. Jawala Singh, Village and Post Office Lasara, District Jullundur.
6. Shri Sanjhi Ram, son of Pt. Wadhawa Mal, Village Nangla Sarodhi, Post Office Alwar (Rajastan).
7. Shri Satya pal Kapur, General Secretary, City Congress Commirttee, Makhokpura, Bhatinda.
8. Shri Jamna Dass Chakkarwarti, Gugarpura, District Sangroor (Pepsu).
9. Sl Lakha Singh, Village and Post Office Sahni, Tehsil Phagwara, District Kapurthala.

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No.	*Names and addresses of the political sufferers who have applied for Relief*

OUTSIDE PUNJAB—CONTD

10. Shri Udai Singh Rawat, Kanpur, No. 9-A, Rawat Lane, Dehra Dun (U.P.).
11. S. Lal Singh, House No. W. F. 9/274, Mohalla Topkhana, Post Office Kapurthala (Pepsu)'.
12. Shri Diwan Chand Babar Halwai, Shop No. 22, Sabzi Mandi, Rurki (U.P.).
13. Shri Mulk Raj Chopra, care of Punjab National New Agency, Haldwani, District Nanital (U.P.).
14. Shrimati Parkashwati Bagga, 48, New Bairana, Allahabad-3 (U.P.).
15. Shrimati Budh Wanti, widow of late S. Mehar Singh, care of Sh. Jagdish Singh Maini, 184, Khurbara Mohalla, Dehra Dun.
16. S. Sant Singh Bhatanagar, House No. 2/67, Mohalla Dhobian, Bassi Pathana, District Fatehgarh Sahib (Pepsu).
17. S. Jagjit Singh, care of Union Transport Co. Jammu Road, Agra (U.P.).
18. Shri Munshi Ram Sewak, Village Kotli, Post Office Rajgarh, District Sirmoor.
19. Khalifa Fazal Din, care of Haidari Dawakhana, Mohammad Ali Road, Bombay-3
20. Mahasha Kundan Lal Gupta, Member, Pepsu Congress Pradesh Committee and President, Tehsil Congress Committee, Budhlada (Pepsu).
21. Giani Kharak Singh, son of S. Chanda Singh, Chappar, Post Office Saifadan, District Sangrur (Pepsu).
22. Vaid Bohla Nath, Bazar Faiz Ganj, Muradabad (U.P.).
23. Thaker Gopal Singh, son of Th. Bir Singh, Village Sanoon, Post Office Sarhan District Sirmur.
24. Sodhi Punch Dass, 20-D. C. M. Bungalow, Rohtak Road, Delhi.
25. Shrimati Jagdish Kumari, widow of Shri Inder Pal, care of Shri Dina Nath Sharma, Lakhshmi Insurance Company, 2-Battery Lane, Rajpur Road, Delhi
26. Shri Lal Chand Falak, care of Comman Chandra, Shahidpur, New Delhi.
27. Shrimati Shakuntla Rani, widow of Dr. Guran Ditta Mal, House No. 2869 Pahar Ganj, Multani Dhanda, Delhi.
28. Shri Mansa Ram Chopra, of Lyallpur, care of Punjab National Bank Ltd., Udaipur (Rajastan).
29. Shrimati Lajja Vanti Kapla, widow of L. Harkishan Lal, M. A., care of K. N. Mohindru, 125, Jugyana, Jhansi City (U.P.).
30. Shri Gian Sagar of Jhang, Mangal Sen Building, Bud Bazar, Muradabad, (U.P.).
31. Shri Ladha Ram, son of L. Sain Ditta Mall, House No. B. 6/266, Deriba Pan, Aligarh (U. P.).
32. Shri Teja Singh Chuharkana, son of S. Partap Singh, care of Shri B. M. Sharma, Typist, Usaf Shah Road, Bassi Pathanan (Pepsu).
33. Shri Ram Saran Dass Talwar, Kapurthala.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं माननीय मुख्य मंत्री से दरियाफ्त कर सकता हूं कि political sufferers को किन वजूहात की बिना पर माली इमदाद दी गई है ? गवर्नमेंट ने जवाब में बताया है कि इस तमाम information को इकट्ठा करना बहुत

मुश्किल है इस लिये मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट के पास कोई record है कि किन Services या कुर्बानियों की बिना पर pensions दी गई हैं ?

मुख्य मंत्री : मेरे ख्याल में मेरे फाज़िल दोस्त को ज़रूर इल्म होगा क्योंकि वह इस कमेटी के खुद मैम्बर थे जिस ने यह सारा सिलसिला शुरु किया था कि क्या क्या वजूहात होनी चाहियें जिन की बिना पर मदद दी जाये। मैं आप की इत्तलाह के लिये और हाऊस की इत्तलाह के लिये अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि National workers की Services की बिना पर कतह नज़र इस बात के कि उन का किस political party से ताअल्लुक है। यह देखा जाता है कि आज़ादी की मुखतलिफ तहरीकों में उन्होंने क्या क्या तकलीफें उठाईं। आम तौर पर यह मियार रखा गया है कि वह किसी न किसी तहरीक में कैद हुए हों। चूंकि रुपया ज्यादा नहीं है इस लिये बअमरे मजबूरी उन्हें मामूली सी रक्म इमदाद के तौर पर दी गई है। अगर हमारे पास funds ज्यादा हुए तो हमारी खाहिश है कि इमदाद की रक्म ज्यादा होनी चाहिये।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने कोई कम से कम शरायत रखी हैं जिन के आधार पर यह मदद उन्हें मिल सकेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब पहले दिया जा चुका है।

पंडित श्री राम शर्मा : माननीय मुख्य मंत्री ने अपने जवाब में बताया था कि जिन political workers ने आज़ादी की जदोजिहद में मुल्क की खिदमत की उस का ख्याल करते हुए माली इमदाद दी गई है। मैं दरियाफत करना चाहता हूं कि ऐसी खिदमत की जांच किस मियार से की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में यह तफ़सील की बात है।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई minimum condition prescribe की गई है जिस की बिना पर यह माली मदद दी जाती है ?

मुख्य मंत्री : मेरे फाज़िल दोस्त को इल्म ही है कि किसी political movement में कैद होना लाज़मी बात है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री यकीन के साथ यह कह सकते हैं कि ऐसे आदमी को माली मदद दी गई है जो political तौर पर कैद न हुआ हो ?

मुख्य मंत्री : जिन political workers को मदद दी गई है वह दो categories में आते हैं एक वह जिन्होंने खुद suffer किया है और जिन्दा हैं दूसरे वह जिन की मौत हो गई है और उन की बेवाएं और बच्चे हैं। जिन्होंने किसी तहरीक में हिस्सा लिया है उन के लिये कैद का होना लाज़मी बात है।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि दोनों बातों के इलावा जो आदमी न खुद कैद हुआ हो और न उस ने किसी रिश्तेदार की वजह से suffer किया हो और कोई खिदमत न की हो तो क्या उन्हें भी कोई मदद दी जायेगी ?

मुख्य मंत्री : मैं अपने फाज़िल दोस्त को याद दिला दूं कि जो दरखास्तें आईं वह कमेटी के सुपुर्द कर दी गई थीं जिस के पहले मेंबर थे सरदार प्रताप सिंह, श्री जगतनारायण, पंडित श्री राम

[मुख्य मंत्री]
शर्मा और अब उस के मैम्बर हैं सरदार प्रताप सिंह, श्री जगत नारायण, श्री प्रबोध चंद्र, चौधरी लहरी सिंह । इन लोगों के claims की वह कमेटी जांच पड़ताल करती है और ग़ौर करने के बाद सिफारिश कर देती है। वह सिफारिश करीब करीब फैसला ही होता है। अगर कोई खास case है जो माननीय मेंबर के नोटिस में हो तो वह मुझे बतायें मैं बड़े शौक से उस के मुतअल्लिक दरियाफ़त करूंगा और बतला सकूंगा। मेरा आम impression यह है कि किसी आदमी को इस पैनशन के अहल नहीं समझा जाता जो कम से कम किसी तहरीक में एक बार कैद न हुआ हो।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਿਹੜੀਆਂ recommendations ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੁਲਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ?

मुख्य मंत्री : Leader of the Opposition और माननीय मैम्बर जैसे आदमियों की तसदीक काफी समझी जाती है। इस मामले में political creeds और party affiliations का ख्याल नहीं रखा जाता। कुछ ऐसे भाई हैं जिन का अब हमारे साथ इख़तलाफ हो गया है। इन की भी बाकायदा जो मदद हो सकती है की जाती है।

श्री रणजीत सिंह कैप्टन : क्या political sufferers को pension देने के लिये भी जेल जाने की qualification मुकर्रर है ? (*Laughter*)

खान अब्दुल गफ़ार खां : क्या किसी ऐसे शख्स के कुन्बे को कोई इमदाद दी गई है जिस ने खिदमत की थीं मगर जो अब जिन्दा नहीं है ?

सिंचाई मंत्री : इस के लिये नोटिस चाहिए।

श्रीमती सीता देवी : क्या political sufferers को aid देते वक्त उन के वर्तमान माली हालत और आमदनी का ख्याल रखा जाता है या कि केवल इस बात का कि वे कितनी बार जेल गए थे ?

मुख्य मंत्री : मुखतलिफ चीज़ें देखी जाती हैं मसलन age, sufferings, sacrifices etc.....'who has gone to Jails more than once' इसमें खान साहब के सवाल का जवाब भी आ जाएगा।

"(i) Age and sufferings were to be taken into account ; age means old age and sufferings mean "sacrifices", i.e., who had undergone jail more than once or in 1941-42 movement ;

(ii) in the case of those political sufferers who had died, the applications of dependants were to be considered. Dependants mean widows and minor sons and even grown up sons who were unable to earn their livelihood.

(iii) those poliftical sufferers who suffered on account of participation in the National Movement and are unemployed ;

(iv) the applications of the relatives of the political sufferers were to be ignored;

(v) applications of those persons were not to be considered who opposed 1942 movement ;

(vi) in the case of refugee political sufferers sentence of one year was to be taken into account ;

(vii) the cases of lady workers who had undergone sentence once were to be considered."

श्रीमती सीता देवी : supplementary question, Sir. मेरे पहले सवाल का जवाब clear नहीं हुआ। लुधियाना में दो ऐसे political sufferers को aid दी गई है जिन की दुकानें चलती हैं।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ forms ਮੌਸੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ District Congress Committee ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ?

मुख्य मंत्री : पहले तो हलफिया बयान दिया जाता है और फिर मेरे फाज़िल दोस्त जैसा कोई आदमी उस की तसदीक करता है।

श्री मूल चन्द जैन : क्या उन सब को pensions दी गई हैं जिन्हें मुस्तिहक समझा गया है ?

मुख्य मंत्री : कोई ऐसी दरख़्वास्त नहीं है जिस के देने वाले को मुस्तिहक समझा गया हो मगर पैसा की कमी के कारण उसे रद्द कर दिया गया हो।

मौलवी अब्दुल गनी डार : किसी को पैनशन कम दी गई है, किसी को ज्यादा देने का क्या मियार रखा गया है।

मुख्य मंत्री : पहली बात तो यह देखी गई कि अर्ज़ी देने वाला भाई अकेला है या उस के dependants भी हैं। दूसरी बात यह है कि शुरु में pensions देते वक्त आम तौर पर पचास २ रुपये की pensions दी गई थीं। जब दर्खास्तें ज्यादा हो गईं तो यह सोचा गया कि जितना रुपया उस का फायदा ज्यादा से ज़्यादा भाइयों को पहुंचना चाहिए, इस लिये रकम को कम कर दिया गया मगर मैं हाऊस को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी यह जबरदस्त ख़ाहिश है कि इसे बढ़ा सकें।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : एक genuine case भेज कर test कर लीजिये। अपनी सिफ़ारश कर के भेजिये और फिर देखिये क्या बनता है ?

श्री नन्द लाल : वह क्या कारण हैं जिन की वजह से पांच बार सज़ा-याफ्ता को pensions नहीं मिलीं ?

मुख्य मंत्री : कोई specific case बतलाइए।

पंडित श्रीराम शर्मा : हलफिया बयान की तसदीक Communist Party के मेंबरों से कराई जाती है या किसी और पार्टी या पुलिस के महकमे के ज़रिये ?

मुख्य मंत्री : हमारी निगाह में United Front, Communist Party, Akali Party और Ram Rajya Parishad में कोई फर्क नहीं है। इस मामला में पुलिस की दरियाफ्त की कोई ज़रूरत नहीं होती। Public men like you........

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕਿਹੜੀਆਂ political Parties ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ pensions ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Chief Parliamentary Secretary: I can read out the names of Akali Workers who took part in the Akali Movement and who have been given pensions.

Their names are :—

(1) Shri Bishan Singh, son of Sardar Deva Singh, Village and Post Office Marhana, District Amritsar.

(2) Jathedar Khem Singh, son of Sardar Surain Singh, Village and Post Office Sohal, Tehsil Taran Tarn, District Amritsar.

Some Hon. Members : But they have joined the Congress Party.

Chief Parliamentary Secretary. There is a large number of persons who do not belong to the Congress Party and who have been given pensions. Only those persons have not been given pensions who opposed the 1942 movement.

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹੀ, ਅਜੇ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ?

Mr. Speaker : No please.

पंडित श्री राम शर्मा : मुख्य मंत्री महोदय ने कई पार्टियों के नाम गिनवा दिये हैं। क्या कृपा कर के वे बतायेंगे कि माली सहायता पाने वालों में उन की अपनी पार्टी के आदमियों की क्या proportion है और दूसरी पार्टियों के आदमियों की क्या proportion है ? और अगर उन को इस सूचना का ज्ञान नहीं है तो वे कैसे कह सकते हैं कि उन के लिये सब पार्टियां बराबर हैं ?

मुख्य मंत्री : मेरे दोस्त को मुश्किल इस लिये मालूम हो रही है क्योंकि वे खुद कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और उन की political life है। दूसरे बहुत थोड़े लोग थे जो कि किसी worthwhile पार्टी के मैम्बर थे। उन की proportion तो बहुत थोड़ी होगी। शिकायत तो उन लोगों को हो सकती है जो लड़ते रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियां की हैं, लेकिन जो लोग पहले तो घर बैठें रहे हैं और अब आकर लोगों के नेता बन गए हैं उन को क्या शिकायत हो सकती है ?

पंडित श्री राम शर्मा : मुख्य मंत्री साहिब Personal attack किये बगैर नहीं रह सकते क्या यह अमर वाकिया नहीं है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि देश की आज़ादी की जद्दोजिहद के खिलाफ थे लेकिन आज वज़ीर बने बैठे हैं ?

Mr. Speaker : No aspersions please. (*Interruptions*) Order please, Order.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਆਪ ਲੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੈਦ ਕਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ! *(Interruption)*

Mr. Speaker : I call Sardar Ajmer Singh to order. यह ठीक नहीं मालूम देता ।

Sardar Ajmer Singh : I am sorry, Sir.

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब पहले चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह बात शुरु की थी ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि जो लोग अकेले थे उन को थोड़ी माली सहायता दी गई है और जिन लोगों पर dependants हैं उन को ज्यादा माली सहायता दी गई है । क्या मेहरबानी कर के वे बतायेंगे कि अकेले आदमी को कितनी सहायता कम से कम दी गई है और जिन लोगों पर 10 dependants थे उन को कितनी कम से कम माली सहायता दी गई है ?

Mr. Speaker : It is a question of details. Disallowed. Next question please.

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब हमें पता तो लगना चाहिये कि कितना रुपया खर्च हो रहा है ।

Mr. Speaker : मैं ने अगला सवाल बोल दिया है । क्या आपने सुना नहीं ?

RELIEF TO POLITICAL SUFFERERS OF VILLAGE FATTEWAL, DISTRICT AMRITSAR.

***3701. Shri Mani Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether any relief to the political sufferers of village Fattewal, Tehsil Ajnala, District Amritsar has been granted by the Government from the National Workers Relief Fund up to 31st July, 1954, if so, the list of the persons together with the nature of relief, if any, sanctioned in each case ;

(b) the nature of the sacrifices made by each of the persons referred to in part (a) above as stated by him during the struggle for freedom ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Shri Fateh Singh, son of Mula Singh, who applied for relief, has been granted Rs. 15 per mensem.

(b) Arrested in Fattewal case. Imprisonment for 11 months. Refused to become Government witness and his house was looted.

DISTRICT ADMINISTRATION REORGANIZATION COMMITTEE.

***3768. Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to lay on the table a detailed up-to-date statement regarding the steps if any, taken by the Government to implement the recommendations of District Administration Reorganization Committee ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The information is being collected and it will be supplied to the member as soon as possible.

श्री राम किशन : चीफ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी साहिब ने फरमाया है कि अभी तक सूचना तैयार नहीं हो सकी, क्या वे बता सकते हैं कि कब तक यह information इकट्ठी होगी ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : बहुत जल्दी ।

श्री राम किशन : जल्दी से क्या मुराद है ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : जितनी तैयार है वह अगले जवाब में दे दी जायेगी ।

DECENTRALIZATION PLAN

***3782. Shri Dharam Vir Vasisht** : Will the Chief Minister be pleased to indicate briefly the Decentralization plan drawn up for a re-organised set up in seven districts of the State and the steps taken by the Government for implementing these decisions in the stipulated period ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The necessary information is contained in note given below—

DECENTRALIZATION PLAN

(i) Each district should be wholly divided into sub-divisions in due course. A tehsil should normally be the basis for the formation of a sub-division, but taking into account other factors like area, population, means of communication etc., more tehsils than one may also be included in a sub-division, if considered practicable. As a first step, the Gurdaspur district will be wholly divided into three sub-divisions based on its three tehsils of Gurdaspur, Pathankot and Batala. Following other areas in the districts named against them should be formed into sub-divisions in the first instance :—

District	*Sub-divisions*
Gurgaon	1. Nuh and Ferozepore Jhirka tehsil with headquarters at either of these places.
	2. Rewari tehsil.
Rohtak	3. Jhajjar Tehsil.
Hissar	4. Bhiwani tehsil.
Karnal	5. Panipat tehsil.
Jullundur	6. Nawanshahr tehsil.
Hoshiarpur	7. Una tehsil.
Amritsar	8. Patti tehsil.
Ferozepur	9. Muktsar
Kangra	10. Hamirpur tehsil.
Ambala	11. Nurpur tehsil.
	12. Jagadhri tehsil.

(ii) The tehsils will continue to have Tehsildars and Naib-Tehsildars as at present but their offices would be more intimately connected with that of the Sub-divisional Officer, as mentioned later.

(iii) The Additional District Magistrate, the Revenue Assistant, the Sub-divisional Officer and the General Assistant would be competent to correspond direct with Government and other departments on routine matters.

(iv) In the sub-division the Sub-divisional Officer will be in complete charge of development work, subject to control, supervision and guidance of the Deputy Commissioner.

(v) The Sub-divisional Officer will be officer-in-charge of local bodies in the sub-division and he will be invested with powers and delegated authority exercised by Deputy Commissioner.

(vi) Motor taxation work will be transferred to sub-divisions as proposed in the Report.

(vii) Arms licences work, as far as renewal of arms licences is concerned, will be transferred to the sub-divisions.

(viii) Passport work will be transferred from headquarters to sub-divisional Offices.

(ix) The powers of the Deputy Commissioner, in respect of Panchayats, should be transferred to the Sub-divisional Officer in sub-divisions.

(x) The Sub-divisional Officer should step into the shoes of the Deputy Commissioner in relation to market committees.

(xi) The Tehsildar in a sub-division would be definitely subordinate to the Sub-Divisional Officer. As far as possible, their offices will be situated in the same building. The Sub-Divisional Officer will exercise powers over the staff of the Tehsildar on the analogy of powers exercised by the Revenue Assistant at present, with the addition of such powers as may be entrusted to him by the Deputy Commissioner. The normal channel of correspondence between the Tehsildar and the Deputy Commissioner will be Sub-divisional Officer.

(xii) There would be no decentralisation of land records. It would, therefore, be unnecessary to reorganise the office of the Sadar Kanugo.

(xiii) There would be decentralization of judicial Revenue Records and records relating to revenue judicial cases. There would also be decentralisation of the records of second and third class criminal cases. The decentralisation of the Copying Agency to sub-divisions, would take place on the basis of these decisions.

(xiv) The Patwari-Moharrir will continue to work at district headquarters.

(xv) The work relating to preparation of pay and Travelling Allowance Bills of Patwaris and Kanungos in a sub-division should be transferred to the sub-division.

(xvi) The Sub-divisional Officer will carry out inspections.......

(xvii) Sub-divisional Boards and Advisory Committees will be established.

(xviii) The Sub-divisional Officer will have overall authority to call for advice and assistance from all departmental officers and officials working in the sub-division.

2. Steps taken to implement the decisions, an Officer on Special Duty was appointed to work out the details involved in implementing the various decisions. A Standing Committee on reorganisation was set up at the Headquarters with Financial Commissioner, Punjab, Revenue Department and Chief Secretary to Government, Punjab as Chairman and Convenor, respectively and Development Commissioner, Finance Secretary to Government, Punjab and the Commissioners, Ambala and Jullundur Divisions as members, for taking quick decisions on the points arising from the implementation of the decisions which relates to more than one Department.

The Officer on Special Duty prepared District Reports which have been considered by the Standing Committee. At the following places where the Standing Committee considered that all arrangements were complete or had been completed, new sub-divisions have been opened—

1. Rewari.
2. Jhajjar.
3. Bhiwani.
4. Panipat.
5. Nawanshahr.
6. Nurpur.
7. Jagadhri.
8. Batala.
9. Gurdaspur.

The question of shifting the headquarters of the Dalhousie Sub-Division from Dalhousie to Pathankot is also under consideration. The posts of Sub-Divisional Officers and Project Executive Officers have been amalgamated at Batala, Nawanshahr and Jagadhri.

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : मेरे पास जो जवाब है उस में लिखा हुआ है कि District Magistrates, Revenue Assistants और Sub-Divisional Officers गवर्नमैण्ट से सीधे खत्तोकिताबत करेंगे। तो क्या मुख्य मंत्री साहिब बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमैण्ट भी सीधी ही Sub-Divisional Officers से खतोकिताबात करेगी ?

मुख्य मंत्री : वास्तव में बात यह है कि अगर कोई केस Sub-Divisional Officer, Deputy Commissioner को भेजे और वह Commissioner को भेजे फिर Commissioner गवर्नमैण्ट को भेजे, तो उस में वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है। अब नये सिलसिले के अधीन बहुत सारा

[मुख्य मंत्री]
समय बच जायेगा। इसी बारे में मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि Secretariat में हम ने यह तरीका इख्तियार किया है कि अगर हमारे पास कोई दरखास्त या शिकायत आती है तो बजाए इस के कि हम Administrative Secretary को मार्क (mark) करें और वह Commissioner को और फिर Commissioner, Deputy Commissioner को भेजे, हमने यह किया है कि जिन केसों में कोई Policy involve नहीं होती हम बराहेरास्त जिलों में भेज देते हैं और वहां पर action ले लिया जाता है। और जो noting वगैरा होनी होती है वह बाद में करवा ली जाती है।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : जनाब मैं ने यह मालूम किया था कि क्या सरकार भी बराह रास्त Sub-Divisional Officers के साथ correspondence करेगी ?

Mr. Speaker : यह उसी सवाल का जवाब है।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : इस में यह बताया गया है कि Land Record में decentralisation नहीं होगी। क्या मुख्य मंत्री साहिब बतायेंगे कि इस की क्या वजूहात हैं ?

मुख्य मंत्री : इस सारी व्यवस्था का मतलब यह है कि लोगों को कम से कम फासला तै करना पड़े और उस के नतीजे के तौर पर खर्च भी कम हो। जो अफसर लोग हैं वे भी वहां पर आसानी से इकट्ठे हो सकें। अगर हम Revenue Record को अलग कर देते तो मुश्किल पेश आती क्योंकि इस की कापियां courts में भी जानी होती हैं और original record को भी देखने की ज़रूरत होती है। इन administrative difficulties की वजह से हम ने कोई तबदीली नहीं की।

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : इस नोट में यह भी लिखा हुआ है कि Sub-Divisional Board कायम किये जायेंगे। क्या यह बोर्ड District Board के तरीके पर हीं होंगे ?

मुख्य मंत्री : इस बोर्ड में Sub-Division के अफसरान होंगे, तहसीलों के Registrar होंगे। और इन के इलावा ऐसे Non-official members भी होंगे जिन को कि गवर्नमैण्ट मुकर्रर करेगी। वह population के point of view से होगा। हम चाहते हैं कि official और non-official point of view दोनों आएं। केवल काम को अच्छी प्रकार से समाप्त करने के लिये हम ने यह बोर्ड बनाया है।

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि Sub-Divisional Boards और Advisory Committees में क्या फ़र्क है ?

मुख्य मंत्री : मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि जो Boards होंगे उस को उस Sub-Division के अफ़सर constitute करेंगे। और जो Advisory Committee होगी वह इस Board के members, legislators और non-official representatives पर मुश्तमिल होगी।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या वजह है कि जब गुरदासपुर को सब से पहले नम्बर पर रखा था, वहां उसे अभी तक neglect क्यों किया गया है ?

मुख्य मंत्री : Neglect करने का सवाल नहीं। हम तो यह एक experiment करना चाहते हैं। वहां पर बटाला में पहले ही Community Project Officer था यह charge उसी के सुपुर्द कर दिया गया और नया आदमी रखने की ज़रूरत महसूस न हुई।

श्री राम किशन : क्या चीफ़ मनिस्टर साहिब बतायेंगे कि यह decentralisation की पालिसी पंजाब में कब लागू होगी ?

मुख्य मंत्री : यह तो शुरु हो गई ।

श्री राम किशन : कब से ।

मुख्य मंत्री : जब से काम शुरु हुआ है ।

APPOINTMENT OF SUB-REGISTRARS

***4007. Sardar Gopal Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government is at present intending to appoint any Sub-Registrars in the State ; if so, the nature of qualifications required for such appointments ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes.

(b) The candidates should possess the following qualifications:—

(i) He should be under 60 years of age ;

(ii) He should ordinarily be a resident of the neighbourhood of the place at which he is appointed ;

(iii) He should be of good character and integrity and should come of a good family ;

(iv) Persons who did valuable work as Indian Commissioned Officers in the Army and who have rendered conspicuous service in National Movement for freedom would be given special consideration, and

(v) He should be able to read and write the vernacular freely and in case of appointments in big towns a candidate should possess a fair knowledge of English.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਉਹ candidate ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ political party ਨੂੰ belong ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ disqualify ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

मंत्री : जी नहीं ।

श्री देव राज सेठी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन Sub-Registrars को लगाने की फिर क्यों ज़रूरत महसूस हुई ?

मंत्री : काम ज्यादा था। इस के इलावा उन को रखने से फायदा भी तो है। काम इतना बढ़ गया था कि इसे काबू में नहीं रखा जा सकता था । इस लिये उन की service और experience को utilize किया जा रहा है।

श्री मनी राम : मंत्री महोदय ने बताया है कि एक Sub-Registrar को और qualification possess करने के इलावा "good family" का होना जरूरी है क्या वह बता सकेंगे कि "good family" से उन की क्या मुराद है ?

वित्त मंत्री : अच्छे खान्दान का आदमी ।

अध्यक्ष महोदय : वाकई मंत्री जी को यह बताना ही चाहिए कि "good family" से उन का क्या मनशा है ।

(The hon. Minister should elucidate the term "good family")

सिंचाई मंत्री : यही कि चोरी न करता हो, डाके न मारता हो, बदचलन न हो, चुगलखोर न हो और पब्लिक की सेवा करता हो वग़ैरा वग़ैरा ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ (personal qualifications) ਹੋਇਆਂ । ਆਖਿਰ good family ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ?

श्रीमती शन्नो देवी : चुटकियां न बजाता हो..........(*laughter*) ।

मंत्री : और जिसम का भारी न हो.........(*laughter*) ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ......

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि किन वजूहात की बिना पर पहले इन रजिस्ट्रारों को हटाया गया और अब कौन सी नई बातें पैदा हो गई हैं जिन की वजह से इन की फिर ज़रूरत पड़ी है ?

मंत्री : आप को मालूम ही है कि क्यों हटाये गये थे ।

पंडित श्री राम शर्मा : मुझे मालूम है या नहीं मगर आप खुद बतलाइए कि क्यों ऐसा किया गया है ?

मंत्री : इस लिये हटाए गए थे कि पहले जो Registrars थे वे ब्रिटिश (British) सरकार के वक्त के मुकर्रर किए हुए थे ।

पंडित श्री राम शर्मा : जाहिर है कि वे इस लिये हटाए गए थे कि वे अंग्रेजी सरकार के वफादार थे क्या इस का यह मतलब नहीं कि अब ऐसे लोग ही रखे जायेंगे जो कि मौजूदा सरकार के वफ़ादार होंगे ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री रंजीत सिंह कैप्टेन Qualifications का ज़िक्र करते हुए मिनिस्टर साहिब ने Indian Commissioned Officer का भी हवाला दिया था क्या मैं जान सकता हूं कि I.C.O. से क्या मतलब है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप को पता ही है ।

श्री रंजीत सिंह कैप्टेन : मैं जानता हूं लेकिन इस की वज़ाहत चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जब जानते हैं तो.........

श्री रंजीत सिंह कैप्टेन : स्पीकर साहिब दर असल मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले तो वाइसराए कमिशंड अफसर (Viceroy Commissioned Officers) हुआ करते थे Indian Commissioned अफ़सर नहीं । तो क्या अब जो Indian Commissioned Officers हैं जो कि Viceroy's Commissioned Officers की जगह रखे गये हैं, उन्हें इस से debar तो नहीं किया जाएगा ?

मंत्री : मेरा मतलब Army Commission से है ।.........(*interruption*)

अध्यक्ष महोदय : Order, Order.

श्री रंजीत सिंह कैप्टेन: फिर भी मैं इस चीज़ की वज़ाहत चाहता हूं । ये Commissioned Officer भी दो किस्म के होते हैं । एक तो वे होते हैं जो higher ranks के हों यानी Captains, Majors वगैरा । और दूसरे.....

अध्यक्ष महोदय: जब आप को पता है तो फिर क्यों यह सवाल पूछे जा रहे हैं ?

श्री रंजीत सिंह कैप्टेन : फिर भी सवाल के इस जवाब से गलत फहमी भी पैदा हो सकती है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या "सरदार", जमादार कहलाने वाले आदमी इस से disqualify तो नहीं किये जायेंगे ?

मंत्री : "सरदार" की जगह तो अब "श्री" हो गया है । सरदार तो कोई लफ़ज़ नहीं रहा। Indian Commissioned Officer से मेरा मतलब Military Officers से है ।

श्री रंजीत सिंह कैप्टेन: क्या जमादार, सूबेदार वगैरा........

Mr. Speaker : The question put by the hon-Member does not arise.

श्री रंजीत सिंह कैप्टेन : क्या रसालदार, जमादार eligible हैं या.......

Mr. Speaker : The hon. Member is repeating the same question over and over again.

भगत गुरांदास हंस : क्या हरिजनों में से भी कोई Sub-Registrars लिये जायेंगे ?

मंत्री: सभी जगहों पर हरिजनों के लिये जगहें मखसूस हैं तो यहां क्यों नहीं लिये जायेंगे । जब आयेंगे तो ज़रूर उन की तकर्रियों पर भी गौर किया जायेगा ।

खान अब्दुल गफ़ार खान: जनाब मैं आप की विसातत से वज़ीर साहिब से पूछना चाहता हूं कि क्या एक से ज़्यादा शादियां करने वाले के लिये कोई रुकावट तो नहीं (*Laughter*)!

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा कर के बैठ जाइये । अपनी बुज़ुरगी का भी ख्याल रखिये ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖਨ ਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ appointments ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ misuse ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

मंत्री : आप किसी किसम का कोई अन्देशा न रखें । बिलकुल इनसाफ होगा ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ supplementary question ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਰਦਾਰ" ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਹੁਣ "ਸ਼੍ਰੀ" ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ justify ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਿਕਨ ਫੋਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਜੇ ਤਿਕਨ 'ਸਰਦਾਰ' ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਓਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਦਸ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਪਰ stick ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰ strongly protest ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।

मुख्य मंत्री: स्पीकर साहिब ! यहां में आप की इजाजत से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस हाल में कुछ हो या न हो उस के मुतअल्लिक कोई गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिये। जो चीज official तौर पर lay down की गई है वही चीज ठीक है और उस चीज का कोई और मतलब नहीं निकालना चाहिए।

SEPARATION OF JUDICIARY FROM THE EXECUTIVE

*4110. **Sardar Khem Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the details of work so far done by the Government in connection with the separation of Judiciary from the Executive ;

(b) the details of any further steps that Government proposes to take in this behalf ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): A note containing the required information is given below—

(a) The proposal in regard to the separation of the Judiciary from the Executive as a preliminary step by executive orders in the districts of Gurgaon, Ambala, Jullundur, Hoshiarpur, Kangra and Simla was referred to the Punjab High Court, for the concurrence of the Chief Justice and the Judges to the Judicial Magistrates being placed under the District and Sessions Judges for the purpose of recording their remarks in their personal files. It was intimated by the Registrar, High Court that the Judges had no objection to the proposal but a Committee of 3 Judges had been constituted for considering the matter and a further communication would be made to Government. The final comments of the High Court are awaited. Meanwhile the question of the strength of Judicial Magistrates in each district concerned together with their location and allocation of duties between different officers in the districts where the Judiciary is to be separated from the Executive as recommended by the Commissioner was examined by the Standing Committee in the Secretariat consisting of Financial Commissioner, Revenue, Chief Secretary, Development Commissioner, Commissioners of Divisions and Finance Secretary. The recommendations of the Standing Committee in this behalf have also been considered by the Council of Ministers and approved subject to certain modifications. Out of the 6 districts where it was originally proposed to separate the Judiciary from the Executive it was subsequently decided not to adopt this measure in the Kangra District for the present.

(b) The selection of Judicial Magistrates and their posting is under way. The scheme will be implemented as soon as all arrangements have been completed.

PANCHAYATS, SARPANCHES AND PANCHES IN THE STATE.

***3912. Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Panchayats Sarpanches and Panches, separately, suspended or dismissed district-wise since the holding, of elections to the Panchayats in the State, alongwith the reasons therefor in each case ;

(b) the total number of Panchayats, Sarpanches and Panches nominated by the Government during the said period along with the reasons for nomination in each case ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretery): The information is being collected and will be communicated to the member concerned when ready.

THANA PANCHAYAT UNIONS

***4077. Sardar Bachan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of Thana Panchayat Unions so far constituted in the State together with the number of Panchayats included in each of the tsaid Unions ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : No Thana Panchayat Union has so far been established. The matter is under consideration.

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਨਗੇ ਕਿ ਕਦ ਤਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੀ ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : यह जल्दी से जल्दी कर दिया जायेगा ।

FREEZING OF STOCK OF WHEAT AND BARLEY AT AMBALA IN 1949

***3432. Shri Wadhawa Ram** :Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that stock worth Rs 2, 22,000, of wheat and barley belonging to the Rationing Department, Ambala was frozen as unfit for human consumption in the last week of July, 1949 ;

(b) whether it is a fact that wheat out of that stock referred to in part (a) above after being ground into flour was sold through Ration Depots outside Ambala ; if so, the reasons therefor together with the action, if any, taken by the Government against the Officers responsible for the damage to the stock and sale of the damaged stock to public ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :(a) Yes. The value of the stocks rendered unfit for human consumption amounts to Rs. 1, 99, 345-15-3 and not Rs 2, 22,000.

(b) No. The stock of wheat out of (a) above was sold to the Bharat Starch and Chemical Ltd., Jagadhri. Investigation revealed that the loss was facilitated due to the negligence and dereliction of duty on the part of S. Bikram Singh, Ex-District Food Controller, Ambala. It was decided

[Chief Parliamentary Secretary]
to effect a token recovery of Rs. 1,000 from him on this account. S. Bikram Singh having failed to discharge this liability Government have filed a civil suit against him.

RETRENCHED STAFF OF THE PUNJAB CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT

***3665. Shri Teg Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the commodities which were under the control in the State as on 1st January, 1953 ; together with the names of those commodities which were under control on 15th August, 1954 ;

(b) the total number of officials who were working in the Civil Supplies Department on 1st January, 1953 and also the total number of officials who were working there on 15th January, 1954 ;

(c) whether the Government has provided any alternative employment to all those officials who have been retrenched from the Punjab Civil Supplies Department if not, the toltal number of officials so retrenched ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a), (b) and (c). A statement is given below—

(a)

Names of commodities which were under Control in the State on the 1st January, 1953	*Names of commodities which were under Control in the State on the 15th August, 1954.*
1. Cement	1. Cement.
2. Salt.	2. Salt.
3. Cotton cloth.	3. Cotton Cloth.
4. Cotton yarn.	4. Cotton yarn.
5. Cotton.	5. Cotton.
6. Cotton seed	6. Cotton seed.
7. Oil Seeds	7. Oil Seeds.
8. Iron and Steel.	8. Iron and Steel.
9. Firewood.	9. Firewood.
10. Coal/Coke.	10. Coal/Coke.
11. Bricks.	11. Bricks.
12. Wheat, 13. Barley, 14. Rice — Price and movement control under the Monopoly Procurement Schemes.	
15. Bajra, 16. Jowar, 17. Maize — only price control.	
18. Gram. Its movement was under control only in Hissar and Rohtak Districts.	

(b) The total number of officials working in the Civil Supplies Department on the 1st January, 1953 and the 15th January, 1954 was 2,807 and 1,319, respectively.

(c) No. Orders were issued by Government to all Heads of Departments etc., in the State as far back as the 5th June, 1953 to reserve 50 per cent vacancies existing on that date or occurring thereafter in each department up to the 31st May, 1955, for absorption of temporary employees of the Civil Supplies Department who had at least 4 years continuous service to their credit in the Department and had been retrenched after the 31st March, 1952, or might be retrenched thereafter only due to lack of work. The said 50 per cent reservation was to be made after making necessary provision for existing reservations in favour of Harijans and other backward classes etc., and was not to apply to vacancies in the

P.C.S. (Executive Branch) or vacancies required to be filled by promotions. It was, however, to apply also to Gazetted posts that might be filled by the Public Service Commission, through mere selection after inviting applications and not through competitive examinations.

The total number of officials retrenched during the period from the 17th August, 1953 (i. e. after the control on wheat rationing had been removed) to the 30th September, 1954, is 1,446. As many as 363 officials have already been absorbed in other Government Departments in this State.

श्री तेग राम : यह जो सवाल का जवाब मुझे भेजा गया है इस में यह लिखा है कि Civil Supplies Department से 1953 में 2,860 मुलाज़मों को नौकरी से निकाला गया था और उन में से केवल अब तक 363 को सरकार के दूसरे विभागों में फिर रखा गया है तो क्या माननीय वज़ीर साहिब बतायेंगे कि बाकी के जो मुलाज़म नौकरी से हटाए गए हैं उन को भी फिर से नौकरी दिलाने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य मंत्री : इस का उत्तर तो सवाल के जवाब में दिया जा चुका है ।

PERMITS FOR THE SUPPLY OF CEMENT

***3662. Shri Babu Dayal** : Will the Chief Minister be pleased to state whether he is aware of the hardship caused to people by the Tehsildars issuing permits for the Supply of Cement in their respective tehsils only once a week; if so, the action, if any, Government proposes to take in the matter ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The necessary information is being collected and will be supplied to the member concerned shortly.

PRICES OF VARIOUS FOODGRAINS AND COMMERCIAL CROPS IN THE STATE

***4078. Sardar Bachan Sngh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the average price in the State of various foodgrains such as rice, wheat, maize, jowar, bajra, etc., and of commercial crops such as cotton, oil seeds, sugarcane, etc., monthwise during the year 1952, 1953 and 1954, respectively ;

(b) the steps, if any, taken by the Government to stabilise the prices of the said commodities ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The necessary information is being collected and will be supplied as soon as possible.

SCALE OF PAY IN THE POLICE DEPARTMENT.

***3555. Sardar Sarup Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the scales of pay of the Assistant Sub-Inspectors and Head Constables of Police in the State ;

(b) whether the annual increment of the Head Constables of Police is more than that of their immediate senior officers i. e. Assistant Sub-Inspectors of Police ; if so, the differences per annum between the two and the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Rs. 80—2—90/2—100 and Rs 55—3—85, respectively.

[Chief Parliamentary Secretary]

(b) Yes. The annual increment in Head Constables scale is higher by 1-0-0.

Pay scales of different ranks and annual increments, are fixed on considerations relating to each rank. The scale of pay and increments for Head-Constables was revised in 1949, when the increment was raised from 1 to 3.

There was no revision of the Assistant Sub-Inspectors' scale. This matter is now under consideration.

SECTION 144 IN THE STATE

*3663. **Shri Teg Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the Districts in the State where and the period for which Section 144 remained in force between the 1st of January, 1954 and the 15th of August, 1954 ;

(b) the names of the Districts where Section 144 is still in force and the period for which it will remain in force there ;

(c) the names of the towns and villages in Fazilka Tehsil where Section 144 is in force at present together with the period for which it would remain in force ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) to (c) separate statements giving the necessary information are given below.

Statement showing the names of the districts in the state where and the period for which section 144 Cr. P. C. remained in force between the 1st January, 1954 and 15th August, 1954—

	District.	*Period (from 1st January, 1954 to 15th August, 1954)*
1.	**Hissar** ..	16th Feburary, 1954 to 25th June, 1954 (Lifted from Sirsa Sub-Division from 10th April, 1954 to 9th May, 1954, on account of election from Fazilka—Sirsa Parliament Constituency).
	Municipal limits of Bhiwani, Hansi, Sirsa and Dabwali	1st January, 1954 to 19th July, 1954 and 1st August, 1954 to 30th September, 1954.
	Fatehabad Town Committee ..	1st August, 1954 to 30th September, 1954.
2.	ROHTAK (entire district) ..	12th Feburay, 1954 to 11th August, 1954.
	Limits of Municipal Committees Rohtak, Bahadurgarh, Jhajjar, Beri and Sonepat and Small Town Committees Mehm and Gohana ..	12th August, 1954 to 24th August, 1954.
3.	GURGAON (entire district) ..	14th April, 1954 to 13th June, 1954.
	Rewari Town and Manager Rewari Electrict Supply and General Industries Ltd. ..	14th June, 1954 to 5th July, 1954.
4.	KARNAL—	
	Karnal, Shahabad, Kaithal, Panipat and Thanesar ..	10th April, 1954 to 9th June, 1954.
5.	AMBALA—	
	Tehsils Naraingarh and Jagadhri, Tehsil Ambala	6th March, 1954 to 5th July, 1954, 8th March, 1954 to 7th July, 1954
	Within a radius of 200 yards of the Punjab Legislative Chamber, Chandigarh ..	9th March, 1954 to 8th May, 1954.
	Tehsils Rupar and Kharar ..	10th April, 1954 to 9th June, 1954.

	District	Period (*from 1st January*, 1954 *to* 15*th August*, 1954)
	Police Stations Sadhaura and Kharar and Tehsil Naraingarh ..	7th July, 1954 to 24th August, 1954.
	(i) Municipal Committees Ambala City, Kalka, Rupar and Jagadhri	1st January, 1954 to 15th August, 1954
	(ii) Notified area Committee Jamnanagar	Ditto.
	(iii) Town Committees Kharar, Sadhaura and Morinda ..	Ditto.
	(iv) Chandigarh Capital ..	Ditto.
	(v) Revenue Estate, Kurali ..	Ditto.
	(vi) Baldev Nagar Camp, Ambala ..	Ditto.
	(vii) Ambala Cantt ..	Ditto.
6.	SIMLA ..	12th April, 1954 to 11th June, 1954.
	Simla ..	14th June, 1954 to 13th August, 1954.
7.	KANGRA	
	Village Kosri, Police Station Barsar ..	12th January, 1954 to 11th March, 1954
	Entire district ..	10th April, 1954 to 9th June, 1954.
	Municipal area, Dharamsala ..	20th June, 1954 to 19th August, 1954.
8.	HOSHIARPUR	
	Entire district ..	11th April, 1954 to 24th June, 1954.
	Revenue estates of Nangal ..	11th January, 1954 to 10th April, 1954.
	Hambewal, and Dobeta (Police Station Anandpur) ..	27th June, 1954 to 11th August, 1954.
	Hoshiarpur City ..	10th March, 1954 to 10th April, 1954 and 27th June, 1954 to 15th August, 1954.
9.	JULLUNDUR	
	Entire district ..	9th April, 1954 to 8th May, 1954.
	Municipal limits of :—	
	(i) Jullundur ..	2nd January, 1954 to 8th April, 1954 9th May, 1954 to 1st July, 1954 and 5th July, 1954 to 4th September, 1954.
	(ii) Phillaur ..	9th May, 1954 to 19th June, 1954 and 9th July, 1954 to 8th August, 1954.
	(iii) Banga ..	9th May, 1954 to 30th June, 1954 and 9th July, 1954 to 8th August, 1954.
	Revenue Estate of Goraya. ..	9th May, 1954 to 2nd July, 1954 and 9th July, 1954 to 8th August, 1954.
	Small Town Committee limits of Kartarpur, Alawalpur, Nawanshahr Rahon, Nakodar and Nur Mahal ..	9th May, 1954 to 30th June, 1954.
10.	LUDHIANA	
	Municipal limits of Ludhiana, Khanna, Jagraon and Samrala ..	1st January, 1954 to 15th August, 1954.
11.	FEROZEPORE	
	Area of Police Station Jalalabad ..	1st January, 1954 to 6th January, 1954.
	Limits of Ferozepore district ..	1st March, 1954 to 6th April, 1954 and 8th April, 1954 to 15th June, 1954.
	Tehsils of Muktsar, Fazilka and Sub-Tehsil Abohar ..	17th June, 1954 to 16th July, 1954.
	Moga Municipality, Ferozepore City .. Municipality, Cantt Board area, .. Ferozepore, Muktsar Municipality .. Abohar Municipal limits, Revenue Estate Malaut in Tehsil Fazilka .. Revenue Estate Sheikhu	1st January, 1954 to 15th August, 1954.
12.	AMRITSAR	
	Amritsar Municipal area ..	19th Jauary, 1954 to 18th March, 1954 and 11th July, 1954.
	Chheharta Municipal area ..	1st January, 1954 to 7th January, 1954 19th January, 1954 to 18th March, 1954 and 8th April, 1954 to 7th May, 1954.

[Chief Parliamentary Secretary]

District		Period (from 1st January, 1954 to 15th August, 1954)
Tarn Taran	..	1st January, 1954 to 15th January, 1954 and 19th Janaury, 1954 to 18th March, 1954.
Patti	..	5th January, 1954 to 4th March, 1954, 13th March, 1954 to 12th May, 1954, 15th May, 1954 to 14th July, 1954.
Khem Karan	..	11th June, 1954 to 10th August, 1954.
Jandiala	..	8th May, 1954 to 7th July, 1954.
13. GURDASPUR.		
Entire district	..	1st January, 1954 to 26th February, 1954 9th April, 1954 to 8th June, 1954 and 18th June, 1954 to 7th July, 1954.
Area of Police Stations Pathankot, Narot Jaimal Singh and Sri Hargobindpur	..	18th June, 1954 to 17th August, 1954.
Municipal limits of Gurdaspur, Batala and Pathankot	..	1st January, 1954 to 2nd February, 1954 and 22nd February, 1954 to 21st April, 1954.
Qadian and Dhariwal	..	1st May, 1954 to 30th June, 1954 and 7th July, 1954 to 6th September, 1954.

(b) *Statement showing the names of the districts where Section 144 Cr.P.C. is still in force and the period for which it will remain in force there—*

District		Period up to
1. KARNAL		
Municipal area, Shahabad	..	18th September, 1954 to 17th November, 1954.
2. AMBAL		
Municipal Committees, Ambala City Kalka, Rupar and Jagadhri. Notified area Committee, Jamnanagar Town Committees, Kharar, Sadhaura and Morinda; Chandigarh Capital; Revenue Estate Kurali and Baldev Nagar Camp, Ambala	..	1st August, 1954 to 22nd October 1954.
Ambala Cantt	..	1st August, 1954 to 12th November, 1954.
3. HOSHIARPUR		
Hoshiarpur city	..	10th March, 1954 to 9th November, 1954
4. LUDHIANA		
Municipal limits of Ludhiana, Khanna, Jagraon and Samrala	..	1st January, 1954 till further orders.
5. FEROZEPORE		
Moga Municipality, Ferozepore City Municipality, Cantt Board Area Ferozepore, Muktsar Municipality Abohar Municipality ; Revenue Estates Malout and Sheikhu.	..	1st January, 1954 to 31st December, 1954.
6. AMRITSAR		
Chheharta Municipal area Amritsar and Tarn Taran	..	18th March, 1954 to 31st January, 1955.
Patti	..	15th July, 1954 to 31st January, 1955.
Khem Karan	..	11th August, 1954 to 31st January, 1955.
Jandiala	..	8th July, 1954 to 31st January, 1955.

7. GURDASPUR
Within limits of Gurdaspur, Batala,
Pathankot, Qadian and Dhariwal towns .. 7th September, 1954 to 7th January, 1955.

(c) *Statement showing the names of the towns and villages in Fazilka Tehsil, where Section 144 Cr. P. C. is in focre at present, together with the period for which it would ramain in force.*

FEROZEPORE DISTRICT

(i) Abohar Municipal limits ..	5th June, 1953 to 31st December, 1954.
(ii) Revenue Estate of Malout ..	
(iii) Revenue Estate of Shiekhu ..	22nd June, 1953 to 31st December, 1954.

PROMOTIONS OF SUPERINTENDENTS AND SENIOR SUPERINTENDENTS OF POLICE.

***3710. Maulvi Abdul Ghani Dar:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of persons who were promoted as Superintendents of Police and Senior Superintendents of Police in the State during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September);

(b) whether the promotions referred to in part (a) above were made on the basis of seniority ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) *First Part.* Four officers were promoted as Superintendents of Police in 1952, four in 1953 and 5 in 1954 (up to 1st September, 1954) ;

Second Part. None. The Superintendents of Police posted to the Amritsar and Ferozepore districts are designated as Senior Superintendents of Police to differentiate between them and the other Superintendents of Police posted there as Additional Superintendents of Police.

(b) In the case of officers promotions were made on the basis of merit-cum-seniority and in the case of State Service Police Officers, on the advice of the Union Public Service Commission who take into consideration seniority as well as merit.

LATHI-CHARGE IN THE STATE

***3711. Maulvi Abdul Ghani Dar:** Will the Chief Minister be pleased to state the names of districts in the State where 'Lathi-Charge' was resorted to by the police during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September) together with reasons for the same?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary):
First Part. Kangra (1953), Hoshiarpur (1954) ;

Second Part. In the first case, a mob of 3,000/4,000 refugees of Yol Camp, Kangra district, became violent and started pelting stones on police party which had arrested a refugee at Yol on 5th March, 1953. A lathi-charge had to be made in order to disperse tihs violent crowd.

[Chief Parliamentary Secretary]

In the second case, the Police made a mild lathi-charge on 12th January, 1954 under the orders of Resident Magistrate, Una, District Hoshiarpur at Nangal on an unlawful procession which flouted the orders of the District Magistrate, Hoshiarpur, under section 144 Cr. P. C., refused to disperse when called upon to do so, and stoned the police, injuring 7 foot constables.

CASES OF MURDERS IN THE STATE

***3712. Maulvi Abdul Ghani Dar:** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of cases of murders committed in the State during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September) together with the total number of accused arrested in this connection and awarded punishments?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary). The information is as under :—

Period.	Number of cases of murder committed.	Number of accused arrested.	Number of accused awarded punishment.
1952-53 ..	539	1,224	370
1953-54	468	1,123	415
1954-55 .. (up to 1st September 1954)	241	463	48

PUNITIVE POLICE POSTS IN DISTRICT FEROZEPUR

***3851. Sardar Darshan Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of punitive police posts still existing in the District of Ferozepur along with the amount of punitive fines collected per annum ;

(b) the number of punitive police posts referred to in part (a) above which have been established due to breaches of canal banks;

(c) whether the Agricultural workers and unemployed are also called upon to pay the punitive fines?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) A statement is given below—

(b) 4 out of these 5 posts were located on the basis of crime, including canal cuts, and the conduct of the inhabitants of the villages concerned, which demanded an increase in the number of the Police.

(c) Yes. Claims for exemption are carefully gone into by District Magistrates.

Number of punitive Police Posts still existing in Ferozepore District	Names of the Posts		Amount of Punitive Police tax collected up till 30th September, 1954
			Rs.
5	1. Mallan ..	1951-52 ..	2,737
		1952-53 ..	64,444
		1953-54 ..	16,866
		1954-55 .. (up to 30th September, 1954)	400
	2. Tarkhanwala ..	1951-52 ..	4,435
		1952-53 ..	..
		1953-54 ..	9,057
		1954-55 .. (up to 30th September, 1954)	4,446
	3. Fatehpur Manhian	..	..
	4. Tungwali ..	1954-55 .. (up to 30th September, 1954)	22,234
	5. Khunan ..	..	..

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਨਵਾਲਾ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਚੌਕੀ ਕਦ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : इस सूचना के लिए नोटिस दें।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੌਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : आप इतलाह दे रहे हैं।

PERSONS CHALLANED UNDER SECTION 109 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

*3928. **Sardar Bachan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of persons challaned in the State under Section 109 of the Criminal Procedure Code each year since 1952 to date together with the number of Harijans amongst them ;

(b) the number of those referred to in part (a) above bound down and sent to jails respectively during each of the years mentioned in part (a) above ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

RECRUITMENT OF DARBANS FOR JUDICIAL LOCK-UP AT PATTI, DISTRICT AMRITSAR

***3730. Sardar Sarup Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether any Darbans (Turnkeys) of the Judicial lock-up at Patti, District Amritsar, were recruited and posted there during the year 1952 or 1953 ; if so, their list together with the date of posting and removal in each case ;

(b) the total amount paid to each one of the said Darbans as pay and allowances for the period of his posting at the said place ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) No turnkey was appointed for Judicial lock-up at Patti during the year 1952. Only one Turnkey, namely Shri Om Parkash, was appointed for six months from 28th April, 1953 to 27th October, 1953. His services were terminated, as the term of the post was not extended ;

(b) The total amount of pay and dearness allowance paid to Shri Om Parkash is shown below :—

	Rs		
Pay	241	13	0
Dearness Allowance	179	2	0
Total	420	15	0

EJECTMENT OF TENANTS IN TEHSIL DASUYA

***3613. Shri Rala Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) the total number of tenants ejected in Dasuya Tehsil, District Hoshiarpur during the year 1954 ;

(b) the number of such tenants who have not so far been able to get any land for tilling purposes ;

(c) the action Government propose to take for rehabilitating them ?

Chaudhri Lahri Singh : The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

PACHOTRA TO LAMBARDARS.

***3659. Shri Kanhaya Lal Butail :** Will the Minister for Development be pleased to state whether any Pachotra is paid to the Lambardars by the Government for the collection of local rate and other dues from the Zamindars ; if none, the reasons therefor ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : At present Lambardars are being paid collection charges for the realization of Land Revenue, Abiana and Profession Tax (if their services are also utilized for this purpose). As regards payment of such charges for the collection of Local Rate and other dues, the matter is being looked into.

श्री मनी राम : यह मुआवजा क्या है।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪੰਚੋਤਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਆਪ ਜੋ ਪੰਚੋਤ੍ਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਆਬਿਆਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਭੀ ਪਤਾ ਹੈ।

EJECTMENT OF TENANTS IN THE STATE.

***3685. Shri Babu Dayal :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total area of land cultivated by the tenants as well as by the owners during the years 1949-50, 1950-51, 1951-52, 1952-53 and 1953-54, district-wise in the State separately ;

(b) the total area of land sold by the owners during the period mentioned in part (a) above ;

(c) the number of tenants ejected by their landlords as well as the number of those restored to their lands during the period mentioned in part (a) above ?

Chaudhri Lahri Singh : The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

श्री बाबू दयाल शर्मा : यह सूचना कब तक मुझे मिल जायेगी ?

मंत्री : हमने यह सूचना telegraphically मंगाई है।

SCHEME FOR GRANT OF LAND TO POLITICAL SUFFERERS

***3702. Shri Mani Ram** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether any scheme for the grant of land to political sufferers has recently been approved by the Government; if so, the details thereof;

(b) whether any limit for owning land by displaced and non-displaced political sufferers in the State has been fixed by the Government; if so, the details thereof;

[Shri Mani Ram]

(c) (i) whether any persons belonging to Amritsar, Ludhiana, Lahore and Sheikhupura Districts have been granted lands under the said scheme; if so, their list together with their full addresses

(ii) the area of land granted to each;

(iii) the area of land owned by or allotted to each one of them prior to this grant;

(d) the nature of sacrifices made by each one of them?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes. Land measuring 7,000 acres in Live Stock Farm, Hissar has been reserved for allotment to political sufferers. The salient conditions for grant of such land are as under:—

(i) the period of imprisonment of a political sufferer should be at least five-years if convicted once or;

(ii) the period of imprisonment of the political sufferer should be at least two years if convicted twice or;

(iii) should have been confined to prison at least three times ;

(b) a person already holding 8 acres of land is not entitled to the grant of land as political sufferer ;

(c) (i) to (iii) No land has been granted so far ;

(d) In view of (c) above, the question does not arise.

श्री देव राज सेठी : इस जमीन का कब्जा कब तक मिल जाएगा ?

मुख्य मंत्री : list बन रही है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Chief Minister साहिब बतायेंगे कि क्या सारी दरखास्तें मन्जूर हो चुकी हैं ? कुल कितनी दरखास्तें मिली हैं ?

मुख्य मंत्री : दरखास्तें तो बहुत मिलीं हैं। इन पर एक कमेटी ने गोर किया है जिस में दूसरे मैम्बर साहिबान के इलावा श्री केदार नाथ सहगल भी हैं । उस ने यह फैसला किया है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या सब दरखास्तें मन्जूर कर ली हैं ?

मुख्य मंत्री : जी नहीं, ज़मीन थोड़ी है ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਧਵਾ ਰਾਮ : ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री: 7,000 एकड़ ।

ANSWERS TO STARRED QUESTION UNDER RULE 37

WASTE LANDS IN THE STATE.

***3850. Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the district-wise figures of Government waste lands cultivable as well as uncultivable waste land in the state at present;

(b) whether the uncultivable waste land can be brought under cultivation after necessary reclamation work;

(c) the district-wise figures of waste lands belonging to landlords having holdings above 100 acres;

(d) the area of waste land of landlords referred to in part (a) above which has been taken over by the Government under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949;

(e) the area of land referred to in part (d) above which has been reclaimed and leased out to landless people together with the rates at which it has been leased out?

Sardar Partap Singh Kairon. The facts and figures are to be collected from the patwaris and then consolidated. It will take sufficiently long time to answer this question.

JAGIRS

***3872. Sardar Achhar Singh Chhina:** Will the Ministr for Development be pleased to state the total amount paid by the Government as Jagirs district-wise during the years 1952, 1953, and 1954 respectively in the State?

Sardar Partap Singh Kairon: The answer to this Assembly Question is not yet ready. The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

GRANT OF TACCAVI LOANS IN THE STATE

***2822. Shri Wadhawa Ram:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total amount of Taccavi Loans given by the Government in the State during the year 1950, 1951, 1952 and 1953, respectively;

(b) the total amount of loan given for tractors and tube-wells during the years mentioned in part (a) above;

(c) the number of landowners who received loans for tractors and tube-wells and who own (i) above 100 acres of land (ii) between 50 and 100 acres (iii) between 50 and 20 acres (iv) less than 20 acres, respectively?

Sardar Partap Singh Kairon. The information is being collected and will be supplied to the Member.

SECOND FIVE-YEAR PLAN

***3780. Shri Dharam Vir Vasisht:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the member of districts in the State for which sample estimates for the Second Five-Year Plan have been prepared;

(b) whether an over-all estimates for the State in respect of the Plan referred to in part (a) above has been prepared;

(c) the nature of provision made for cottage industries and for tackling unemployment in the State?

Shri Bhim Sen Sachar: (a) Sample estimates have not been prepared for any district as yet, though the districts of Jullundur, Hoshiarpur, Karnal and Gurgaon have been selected for the purpose.

(b) Not yet.

(c) No provision has yet been decided upon, for any purpose including that of cottage industries.

FIRST FIVE-YEAR PLAN

***3781. Shri Dharam Vir Vasisht:** Will the Minister for Development be pleased to state whether the availability of dairy products, food grains sugar and salt per head in the State at present has increased since the beginning of the First Five-Year Plan; if so, to what extent?

Shri Bhim Sen Sachar: The information is being collected and it will be supplied to the member when ready.

STAFF OF DIFFERENT SCHEMES UNDER THE FIVE-YEAR PLAN

***3913. Sardar Harkishen Singh Surjeet:** Will the Minister for development be pleased to state the strength of staff employed so far by the Government district-wise on the different Schemes under the Five-Year Plan in the State along with the number of educated, skilled and unskilled personnel amongst them separately?

Shri Bhim Sen Sachar. The information is being collected and it will be supplied to the Member when ready.

FATEH CHAND OR MIANWALI KUHL IN PALAMPUR TEHSIL

***3660. Shri Kanhya Lal Butail:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Kuhl Fateh Chand or Mianwali in the Palampur Tehsil was damaged by the floods in the year 1944; if so, whether it was repaired by the Irrigation Department and the date when the repairs were completed together with the amount spent in this connection;

(b) whether the management of the Kuhl referred to in part (a) above has been entrusted to a Registered Co-operative Society; if so, since when;

(c) whether he is aware of the fact that the said Kuhl was again damaged by the floods in 1953;

(d) if the answer to part (c) be in the affirmative, whether there is any proposal under consideration of the Government to adopt permanent measure to control the frequent damage to this Kuhl by the floods?

Chaudhri Lahri Singh: (a) Irrigation Branch has no record of damage done to Fateh Chand Kuhl in 1944. The work of Kuhls was undertaken by Irrigation Branch in the end of 1949 only. As this Kuhl was found in damaged condition it was repaired and the cost of the repairs has been Rs 13,270 in 1951-52 and Rs 3,190 in 1952-53.

(b) The work of the repairs to all zamindara Kuhls was transferred to Deputy Commissioner, Kangra working with Registrar, Co-operative Societies in July, 1953 and Rs 60,000 were transferred for their repairs. Responsibility of repairs in respect of Fateh Chand Kuhl was transferred in July, 1953. Irrigation Branch has no information if the management of this Kuhl was entrusted to Co-operative Society by the Deputy Commissioner.

(c) This Kuhl along with many other private Kuhls was damaged by the 1953 floods.

(d) *Vide* decision of the committee on increase food production dated 21st July, 1953, the control of all private Kuhls was transferred to the Registrar, Co-operative Societies. Irrigation Branch has no information about the repairs, etc. to Kuhls affected through the Co-operative Department. Government cannot undertake the management of Kuhls from which there are no Revenue Receipts.

EXTENSIONS ON CANALS IRRIGATING KARNAL AND GURGAON DISTRICTS

***3876. Pandit Shri Ram Sharma:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the nature of the extensions made on the canals irrigations Karnal and Gurgaon Districts along with the total cost incurred and the commanded area in each case since 17th July, 1952;

(b) the extent to which the volume of water increased in each canal;

(c) whether the increase in water was due to diversion from other canals, tube-wells or rains?

Chaudhri Lahri Singh: (a) Following extensions were made in Karnal district since 17th April, 1952:—

Name of extension.	*Amount spent.* Rs.
(i) Karnal minor of Boli Distributary	.. 38,812
C.C.A.	.. 1,595 acres
Discharge	.. 5.2 cusecs
(ii) Smalka Disty:	.. 48,177
C.C.A.	.. 1,272 acres
discharge	.. 6.1 cusecs

(iii) 24 tube-wells with total discharge capacity of 36 cusecs were constructed on Panipat-Munak Scheme at a cost of Rs. 7,85,944/- to irrigate the C.C.A. of 8,772 acres.

(iv) 8 tube-wells with a discharge of 12 cusecs were constructed on Abdullapur-Radaur scheme at a cost of Rs 2,54,248 (excluding water courses) to irrigate the C.C.A. of 6,222 acres.

(b) The discharge of main Branch, Western Jumna Canal as per remodelling in hand, is being increased from 5,140 cusecs to 7,600 cusecs.

(c) The discharge is due to release of supplies from Sirsa Branch anp construction of tube-wells in Tube-well Division.

No extension made on canal irrigation in Gurgaon District except con. struction of small bunds for storage of rain water.

LEVYING OF TAX UNDER SECTION 57 OF THE DRAINAGE CANAL ACT

***3703. Shri Mani Ram:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) (i) whether the cost on the drainage works done in the State prior to 15th August, 1947 were defrayed by the land owners under Section 57 of the Northern India Canal and Drainage Act; if so, in what districts together with the dates on which this was done;

(ii) whether any cost was borne by the Government; if so; how much?

Chaudhri Lahri Singh: (a) (i) No.

(ii) The entire cost was borne by Government. The figures of expenditure are, however, not availabe as these relate to prepartition period.

OPENING CEREMONIES OF CANALS, ETC., IN THE STATE

***3935. Shri Sri Chand:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) the number of opening ceremonies of canals and distributaries etc., performed in the State by the Central as well as State Ministers since April, 1954;

(b) the total cost incurred by the Government on each of the said ceremonies.

Chaudhri Lahri Singh. (a) Three.

(i) Opening ceremony of the Bist Doab Canal for testing on 21st May, 1954 at Rupar Head Works performed by Shri Bhimsen Sachar, Chief Minister, Punjab,

(ii) Opening ceremony of Saraswati Feeder and Thanesar Distributary on 26th June, 1954 at Jyotisar performed by Shri C.P.N. Singh, Governor, Punjab, and Shri K.N. Katju, Union Home Minister.

(iii) Opening ceremony of Bhakra Canal system at Nangal on 8th July, 1954, performed by Shri Jawahar Lal Nehru, Prime Minister.

(b) (i) Rs. 7,078

(ii) Rs. 800 (approximately)

(iii) Rs. 1,81,520.

LEVY OF BETTERMENT CHARGES IN THE STATE

***3936. Chaudhri Sri Chand:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the total amount of betterment charges that are expected to be realised in the State?

Chaudhri Lahri Singh: So far it has been decided to levy betterment fee on the following irrigation schemes, under sections 2 (d) and 3 of the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates Act, 1952. The amounts of betterment fee to be realised on each scheme, are shown thereagainst:—

			Rs
1.	Bhakra-Nangal Project	..	73,01,44,793
2.	Sirhind Feeder	..	6,44,06,385
3.	Harike Project	..	78,67,500
4.	Minor Irrigation Schemes—		
	(a) Jagadhri Tube-wells Scheme and Remodelling Western Jumna Canal		6,24,43,000
	(b) Sukha Har Kuhls Scheme	..	2,25,000
	(c) Baij Nath Kuhl Scheme	..	2,82,000
	(d) Sidharthar Kuhl Scheme	..	22,50,000
	Total	..	86,76,18,678

As regards other schemes, viz., Minor Irrigation Schemes and Tube-wells Schemes, necessary data is being collected to ascertain whether Betterment fee is leviable thereon under Sections 2(d) and 3 of the Betterment Act ; and if so, how much.

LEVY OF BETTERMENT CHARGES IN THE STATE

***3937. Shri Sri Chand**: Will the Minister for Irrigation be pleased tc state—

(a) the total amount of cost incurred by the Government on the construction of new minors and distributaries and cost incurred on each minor ;

(b) the share of the cost referred to above which is proposed to be paid by the beneficiaries in each case;

(c) the price of the land acquired for each canal;

(d) whatever the price of the land has been paid to the owners?

Chaudhri Lahri Singh: The answer to this Starred Assembly Question is not yet ready. The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

ELECTRIC CONNECTIONS FOR IRRIGATION PURPOSES

***3906. Sardar Ajmer Singh**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the number of electric connections for irrigation purposes given to agriculturists district-wise in the State during the years 1952, 1953 and 1954 respectively ;

[Sardar Ajmer Singh]

(b) whether any of the connections referred to in part (a) above are night connections only; if so, the time by which such connections are expected to be made twenty-four hours connections?

Chaudhri Lahri Singh: (a)

ELECTRIC CONNECTIONS GIVEN FOR IRRIGATION PURPOSES

District		Up to July, 1952	Total up to March, 1953	Total up to March, 1954	Total up to September, 1954
1. Gurdaspur	..	63	107	166	234
2. Kangra	..	..	..	..	..
3. Amritsar	..	82	166	327	504
4. Ferozepour	..	109	156	209	241
5. Ludhiana	..	54	85	115	137
6. Jullundur	..	228	314	501	620
7. Gurgaon	..	55	15	16	32
8. Karnal	..	47	79	210	302
9. Rohtak	..	..	..	..	..
10. Ambala	..	22	30	84	97
11. Hoshiarpur	..	..	..	..	..
12. Hissar	..	..	..	..	..
13. Simla	..	..	..	..	..

(b) Night connections exist at Ludhiana in Uhl River Supply Area and at Panipat, Jagadhri and Karnal in the Thermo Supply Area. In Ludhiana area twenty-four hours supply will be restored after the conversion of 33 k.V. Substation to 132 k.V in February, 1955 and in Panipat, Jagadhri and Karnal on the advent of power from Nangal in December,1954.

ACQUISITION OF LAND OF DHUL KOT VILLAGE, AMBALA DISTRICT

*3840. **Sardar Chanan Singh Dhut**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the area of land of village Dhulkot included in the Baldev Nagar Camp, Ambala City during the year 1947 along with the rate and the total amount of compensation paid therefor;

(b) the total area of land of village Dhulkot acquired by the Government for the construction of the Central Jail, Ambala and the rate and the total amount of compensation paid therefor;

(c) the reasons for the difference, if any, in the rates mentioned in parts (a) and (b) above?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

AUCTION OF AN EVACUEE HOUSE IN VILLAGE CHITI, DISTRICT JULLUNDUR

*3841. **Sardar Chanan Singh Dhut**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that as a result of auction of 26th August, 1953 one Shri Dalip Singh bought an Evacuee House, in Village Chiti, Tehsil and District Jullundur and duly deposited the money with the Government Treasury;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether possession of the said house has been given to the purchaser; if not, the reasons therefor?

Sardar Ujjal Singh. The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

SATISFACTION OF CLAIMS

*3870. **Professor Mota Singh Anandpuri:** Will the Minister for Finance be pleased to state:—

(a) the number of unsatisfied claimants of evacuee property as well as the extent of their claims;

(b) whether it is a fact that the quasi-permanent allotment is going to be made permanent before June, 1955;

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative the manner in which the claimants are proposed to be satisfied for the cuts imposed on their claims at the time of quasi-allotment?

Sardar Ujjal Singh: (a) Number of the unsatisfied claimants is approximately 10,000 and the area required for them is 53,000 standard acres approximately.

(b) Yes.

(c) there is no scheme under the consideration of the Government to restore the cut imposed at the time of quasi-permanent allotment on the claimants.

UNSATISFIED CLAIMANTS IN THE STATE

*3871. **Professor Mota Singh Anandpuri:** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the number and names of unsatisfied claimants in the State tehsil-wise and district-wise together with the area in acreage claimed by each one of them;

(b) the area of cultivable land available for purposes of allotment to such claimants;

(c) the approximate time by which the process of allotment of land to unsatisfied claimants is expected to be completed?

Sardar Ujjal Singh: (a) The time and labour involved in collecting the required data will not be commensurate with the possible benefit to be obtained.

(b) Reply as at (a) above.

(c) Allotment to displaced persons from West Punjab is expected to be completed by the end of this year. But allotment to displaced persons of Punjabi extraction from Bahawalpur, Sind and N.W.F.P. and to non-Punjabis settled in Punjab will take some time as their complete records have not yet been received from Pakistan. Efforts are being made to secure the relevant record as early as possible.

REPRESENTATION FROM KASHYAP RAJPUT OF TEHSIL MUKERIAN, DISTRICT HOSHIARPUR

*3957. **Shri Mam Chand:** Will the Minister for Finance be pleased to state whether the Kashyap Rajput (Bharbunjas) refugee tenants from Tehsil Mukerian, District Hoshiarpur, represented their grievances to the Chief Minister on 22nd February, 1954; if so, the nature of their grievances and the action , if any, taken by the Government in the matter?

Sardar Ujjal Singh: The General Secretary of the Kashyap Rajput Sabha, Halka Mukerian waited upon the Chief Minister on the 18th February, 1954, and complained that he had not till then heard anything in response to their Sabha's representation made to the Government of India. The Sabha had represented to the Government of India that lands held on mortgage by the evacuee Muslims or the local landlords, after being separated under the provisions of the Evacuee Interests (Separation) Act, 1951, be sold to them on payment of the price in easy instalments. This request was not

accepted as under the direction of the Government of India, Ministry of Rehabilitation, the lands redeemed as a result of the operations of the Evacuee Interests (Separation) Act, 1951, are to be utilised for allotment on quasi-permanent basis to Punjabi and Non-Punjabi claimants whose claims have not yet been satisfied.

ESTABLISHMENT OF INDUSTRIES IN THE STATE

***3763. Shri Ram Kishan:** Will the Minister for Finance be pleased to state whether the Government has recently received any instructions from the Planning Commission with regard to the establishment of industries giving priority to small scale industries in the State; if so, the details thereof together with the steps, if any, taken by the Government in this connection?

Sardar Ujjal Singh: No such instructions have been received from the Planning Commission. The Commissiom have, however, called for information about small scale and Cottage Industries from all States, including Punjab, for preparing a complete picture of the present position of these industries. This information will be supplied to the Commission on its receipt from the Director of Industries. The matter is also to be placed before the Planning Committees constituted by the Punjab Government for chalking out programmes of Small Scale and Cottage Industries for inclusion in the Second Five-Year Plan.

HANDLOOM WEAVERS IN THE STATE

***3852. Sardar Darshan Singh:** Will the Minister for Finance be please to state—

(a) total number of Handloom Weavers in the State together with the quantity of cloth produced by them during the years 1947-48 and 1953-54 respectively;

(b) if there has been a decline, the reasons therefor, and the measures Government proposes to take to protect and develop the Handloom Industry?

Sardar Ujjal Singh: Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

GRANT OF INDUSTRIAL LOAN TO SCHEDULED CASTE FIRMS

***4008. Sardar Gopal Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state the names of persons or firms belonging to the Scheduled Castes to whom Industrial Loans have been granted by the Government together with the total amount of loan so granted in each case in the districts of Amritsar, Jullundur, Ludhiana and Hoshiarpur during the last two years?

Sardar Ujjal Singh : The information in respect of this question is being collected and will be supplied to Member shortly.

APPOINTMENT OF PROFESSORS AND LECTURERS

*3556. **Sardar Sarup Singh**: Will the Minister for Education be pleased to State—

(a) whether any professors or lecturers were appointed in any of the Government Colleges in the State during the years 1952 and 1953 respectively; if so, (i) their list and the date of their posting together with their parentage; (ii) their full home addresses; (iii) their academic qualifications ; (iv) the total marks and division obtained by each one of them in the final Degree Examination of the University; (v) the starting pay of each one of them; (vi) the present pay of each one of them ;

(b) whether their appointments have been approved by the Public Service Commission; if so, when;

(c) whether any one of them has been posted without the approval of the Public Service Commission; if so, their list and the reasons therefor in each case?

Shri Jagat Narain: The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

SUPPLEMENTARY READERS IN HINDI.

*3612. **Shri Rala Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the number of supplementary readers in Hindi prescribed for the V, VI and VII classes of Secondary Schools in the State ;

(b) whether this number was fixed on the advice of some committee of Educational Experts?

Shri Jagat Narain : (a) The number of supplementary readers in Hindi for V, VI and VII classes of Secondary Schools in the State has been two, three and nil respectively.

(b) Yes.

DISTRICT-WISE PERCENTAGE OF LITERATES.

*3658. **Shri Kanhaya Lal Butail** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the districtwise number of trained male and female teachers in the schools in the year 1953 who were permanent residents of the district in which they were employed ;

(b) the district-wise number of untrained male and female teachers employed in the schools during the year 1953 ;

(c) the steps Government proposes to take to make available sufficient numbers of trained teachers in districts in which this number is below the requirements ?

Shri Jagat Narain : The information is being collected and will be supplied to the member, when ready.

FEE CONCESSIONS TO STUDENTS IN PAHLANA HIGH SCHOOL, DISTRICT KANGRA.

***3853. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether he has received any protest from the Kolis of Tehsil Palampur, District Kangra against the demand of the Headmaster of the High School, Pahlana for certificates from pupils about their being Harijans for purposes of fee concessions ;

(b) whether it is a fact that the said Kolis belong to the backward tribes and not Scheduled Castes ;

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the action, if any, Government proposes to take in the matter ?

Shri Jagat Narain : (a) No.

(b) Kolis are treated as Scheduled Castes.

(c) Does not arise.

SACHAR FORMULA IN SCHOOLS AND COLLEGES.

***3905. Sardar Ajmer Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state whether Punjabi is being taught in the Government and Government-aided schools in the State in pursuance of the Sachar Formula in regard to languages ; if not, the names of the schools where it is not being taught together with the action, if any, taken or proposed to be taken against such institutions ?

Shri Jagat Narain : The information is being collected and will be supplied later.

SCHOLARSHIPS FOR HARIJAN STUDENTS.

***4109. Sardar Khem Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the amount of funds provided by the Government in the Budget Estimates for the current year for scholarships to Harijan Students receiving education in recognised schools ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of the Government to increase the amount of the scholarships mentioned in part (a) above ;

(c) the amount of expenditure so far incurred by the Government on the said scholarships during the current year ;

(d) whether there is also any proposal under the consideration of the Government to start the payment of scholarships to Harijan students from the 5th class ; if so, the time by which it is likely to be implemented ?

Shri Jagat Narain : (a) The ceiling figure for the Harijan Welfare Scheme has not been fixed yet.

(b) Yes.

(c) Rs. 2,61,094.

(d) No.

MEDICAL FEES CHARGED FROM THE PATIENTS IN VICTORIA JUBILEE HOSPITAL, AMRITSAR.

***3599. Shri Mansa Ram Kuthiala :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any amount is being charged by way of rent, operation theatre fee, medical attendance fee, examination fee, etc. from patients occupying rooms in the family wards and Special Wards of the Victoria Jubilee Hospital, Amritsar; if so, the rates thereof and the total amount of money so charged during the period from Ist April, 1953 to 31st May, 1954 under various heads ;

(b) the way in which the above money was disbursed between the various doctors employed in the said hospital and the Government ?

Shri Jagat Narain : The required information is being collected and will be supplied to the member, when ready.

MEDICAL CONCESSIONS TO THE STUDENTS IN THE MEDICAL COLLEGE, AMRITSAR

***3600. Shri Mansa Ram Kuthiala :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any medical fee is charged from the students of Medical College, Amritsar, for X-Ray and other examinations in case of their illness ;

(b) whether medicines are supplied to these students by the Government or they have to bear all these expenses themselves ?

Shri Jagat Narain : (a) Yes.

(b) Students when treated in the general wards are supplied medicines free of charge just like other general ward patients. Students whose parents are Government servants and are in receipt of pay above Rs. 150 per mensem are treated in the paying wards according to the income of their parents as "Government servants and as such family" are entitled to free treatment.

RESERVATION OF ROOMS IN VICTORIA JUBILEE HOSPITAL, AMRITSAR.

***3601. Shri Mansa Ram Kuthiala :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the names of the doctors working in the V.J. Hospital, Amritsar, at present together with the number of rooms reserved for each of them for their patients in the special and family wards of the said hospital ;

(b) whether it is a fact that a room lying vacant but reserved in the name of a particular doctor is not allowed to be occupied by a patient of another doctor ; if so, the reasons therefor ?

Shri Jagat Narain : (a) A statement is given below.

(b) No.

List of doctors at present working in the V.J. Hospital, Amritsar and to whom rooms have been allotted in the private and family wards.

Serial Number	Name	Number of beds allotted.
1	Dr. K.L. Wig, Professor of Medicine ..	5
2	,, Gurbuksh Singh, Professor of Clinical Medicine ..	5
3	,, Santokh Singh Anand, Professor of Surgery ..	5
4	,, Y. Sachdeva, Professor of Clinical Surgery ..	5
5	,, Tulsi Das, Professor of Ophthalmology ..	5
6	,, Sant Ram Dhall, Professor of Midwifery etc. ..	5
7	,, K.S. Grewal, Orthopaedic Surgeon ..	3
8	,, K.C. Kandhari, Skin and V.D. Specialist ..	1
9	,, R.P. Malhotra, Assistant Professor of Medicine ..	1
10	,, P.N. Chhuttani, Assistant Professor of Clinical Medicine ..	1
11	,, R.C. Khanna, Assistant Professor of Surgery ..	1
12	,, R.L. Manchanda, Assistant Professor of Clinical Surgery ..	1
13	,, T.R. Aggarwal, Assistant Professor of Midwifery ..	1
14	,, G.C. Gulati, Assistant Professor of Ophthalmology ..	1
15	,, G.M. Taneja, Assistant Professor of E.N.T. ..	1

HEALTH CENTRES IN RURAL AREAS OF THE STATE

*3764. **Shri Ram Kishan :** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government has recently received any scheme from the Union Government for opening health centres to cater to the needs of the people residing in remote rural areas of the State ; if so, the steps, if any, so far taken by the Government in this connection ?

Shri Jagat Narain: Yes ; the matter is under consideration of Government.

PERCENTAGE OF HARIJANS IN THE OMNIBUS SERVICES.

*4111. **Sardar Khem Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

[Sardar Khem Singh]

(a) the number of Harijans employed against the total strength of the staff and the percentage thereof, cadrewise, in the Omni Bus Services at Amritsar, Jullundur and Ambala separately,

(b) whether the representation of Harijans in the cadres referred to in part (a) above is below the percentage fixed by the Government; if so, the steps, if any, proposed to be taken in the matter?

Shri Jagat Narain : The required information is being collected and will be supplied to the Hon'ble member as soon as possible.

MUNICIPAL COMMITTEE, KAITHAL.

***3375. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total amount of money collected by the Municipal Committee, Kaithal during the years 1952 and 1953 from :—

(i) the Municipal area;

(ii) the new basties ;

(b) the total amount spent by the said Committee on drainage, education and public helth, etc, in the new basties during the period mentioned in part (a) above ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The information is being collected and it will be supplied to the member when ready.

ASSISTANT DRIVER, MUNICIPAL COMMITTEE, BHIWANI.

***3956. Shri Mam Chand :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any resolution passed by the Municipal Committee, Bhiwani cancelling the appointment of Assistant Driver in the Municipal Committee was returned by the Deputy Commissioner, Hissar for its reconsideration if so, the result therefor and the action, if any, taken by the Deputy Commissioner in the matter ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : *First Part.* No. The Deputy Commissioner had asked for certain information.

Second Part. Does not arise.

MOTOR TAXIS, TONGAS, RICKSHAWS ETC.

***4009. Sardar Gopal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the total number of Motor Taxis, Motor Rickshaws, Tongas and Rickshaws at present registered in the cities of Amritsar, Jullundur, Ludhiana, Hoshiarpur, Gurdaspur and Ferozepur respectively?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The information is being collected and it will be supplied to the Member when ready.

ALLOTMENT OF PLOTS AT CHANDIGARH CAPITAL.

*3614. **Shri Rala Ram,** : Will the Minister for Public Works be pleased to state the number of applications for allotment of plots at Chandigarh Capital that are still pending, together with the percentage of those pending for the last six months or more?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Seventy-four applications for allotment of residential plots are in hand at present and all of these are pending for more than six months.

INDUSTRIAL TRIBUNAL PUNJAB.

*3595. **Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) whether the First Industrial Tribunal Punjab is functioning at present; if not, since when, and the reasons therefor;

(b) whether it is a fact that the Government proposes to abolish the First Industrial Tribunal;

(c) whether it is also a fact that the Government proposes to refer the Industrial dispute which was referred to the First Industrial Tribunal, Punjab through references 2 and 3 of 1952 Second Industrial Tribunal;

(d) if the answer to parts (b) and (c) above be in the affirmative the reasons therefor?

Chaudhri Sundar Singh : (a) Yes.

(b) Not for the present.

(c) Yes.

(d) In order to implement the decisions taken in the joint meeting of the representatives of the employers and employees of the textile industry, held under the Chairmanship of the Chief Minister, Punjab, at Amritsar, on the 12th July, 1954.

LABOURERS IN RURAL AREAS.

*3661. **Shri Babu Dyal** : Will the Minister for Labour be pleased to state, whether there are any proposals under the consideration of Government—

(i) to build residential houses for labourers in rural area;

(ii) to allot them land for purposes of building new huts of their own;

(iii) to fix hours of work for Labourers in rural areas?

Chaudhri Sundar Singh : (i) No. The Subsidised Industrial Housing Scheme extends to Industrial areas only ;

(ii) No.

(iii) This has been done for the agricultural labour coming under the purview of the Minimum Wages Act, 1948.

LABOUR THROWN OUT OF EMPLOYMENT.

***3860. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Labour be pleased to state the number of labourers thrown out of work as a result of the closing down of Textile Factories, Iron Foundaries, Workshops and other factories in the State during the years 1952, 1953 and 1954 together with the steps, if any, taken by the Government to give relief to the said labourers ?

Chaudhri Sundar Singh : Information is not ready and is being collected. It will be supplied to the member in due course.

EMPLOYMENT EXCHANGES IN THE STATE.

***3911. Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the number of persons registered by the Employment Exchanges in the State during the years 1952, 1953 and 1954 respectively ;

(b) the number of those who got employment through the Employment Exchanges during the periods mentioned in part (a) above ;

(c) the number of persons amongst those registered with the Employment Exchanges who are Matrics, F.A.s, B.A.s or have post-graduate degrees or technical qualifications respectively ?

Chaudhri Sundar Singh : The information is not ready and is being collected. It will be supplied to the Member in due course.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

DAMAGE BY NADDI PASSING ALONG THE VILLAGE SIALBA, DISTRICT AMBALA.

640. Sardar Rajinder Singh Gyani : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the Naddi passing along village Sialba in Tehsil Kharar, District Ambala has swept away a portion of the said village ;

(b) whether the Government has recently received any representation for the construction of a Bund to save above-mentioned village from the onslaughts of this Naddi ; if so, the action, if any, Government has taken or intends to take thereon.

Chaudhri Lahri Singh : (a) and (b). A representation has very recently been received through Local-Self Government Minister from the Harijans of village Majri, Post Office Sialba, District Ambala that a cho is damaging the houses and abadi of Harijans. Necessary steps are being taken to get the estimate from the Superintending Engineer concerned after inspection when Government will be approached for allotment of necessary Funds.

COMMUNICATION BETWEEN RUPAR AND PURKHALI THROUGH BHADAL

641. Sardar Rajinder Singh Gyani : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether he is aware of the fact that there are no means of communication between Rupar and Purkhali through Bhadal ; if so, whether the Government has any plan to connect this area with Rupar by road ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The Government is aware that these are only katcha village routes in the area. Due, however, to the paucity of funds there is no plan yet to build any pucca road in the area.

RUPAR AND BEHRAMPUR BELA BET.

642. Sardar Rajinder Singh Gyani : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the Government received any representation from the people inhabiting the Bet Area that a road be constructed between Rupar and Behrampur Bela Bet ; if so, the action, if any, proposed to be taken in the matter ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Yes. No action to implement the request can be taken owing to paucity of funds.

ADJOURNMENT MOTION.

अध्यक्ष महोदय : मेरा हर रोज़ का यह मामूल हो गया है कि Question Hour के बाद कुछ कहूं । अब मेरे सामने एक Adjournment Motion पंडित श्री राम शर्मा और श्री बाबू दयाल की तरफ से पेश की गई है । इस में यह कहा गया है कि एक matter है जो urgent public importance का है । namely, the growing distress of the residents of Sirsa in Hissar District at the attitude of the Punjab Government in not transferring the Deputy Superintendent of Police Bahal Singh to other place, pending the enquiry against him about his vulgar and unlawful behaviour.

अब मेम्बर साहिबान खुद ही जान सकते हैं कि Administration में कई अफसरों को लगाया जाता है। उन में से कुछ popular हो जाते हैं और कुछ unpopular होते हैं। गवर्नमेंट इन अफ़सरों को कई वजूहात की बिना पर रखती है। पुलिस के D.S.P. Administrative Lawyers होते हैं इस लिये इन की हर बात को behaviour की बिना पर unlawful नहीं कहा जा सकता। behaviour कोई बैरोमीटर नहीं कि जिस से किसी अफ़सर को Judge किया जा सके। जो मामला Adjournment motion में दर्ज किया गया है इस के मुतअल्लिक वहां के लोगों को अधिकार है कि वह मुतअल्लिका वज़ीर साहिब से मिलें, Inspector-General of Police से मिलें और ऐसी बात के सबूत पेश करें। यह एक इन्तज़ामिया मामला है। इस को Adjournment motion की सी अहमियत नहीं दी जा सकती। इस लिये मैं इस Adjournment Motion को allow नहीं करता।

The hon. Members are already aware that officers are appointed to run the administration. Out of them some win popularity while others become unpopular with the people. Again such appointments are made for

[Mr. Speaker]
different purposes. For instance officers of Police, having the rank of Deputy Superintendent of Police, are appointed to work as administrative lawyers and anything said by them cannot be considered as unlawful on grounds of behaviour because behaviour is not a barometer by which an officer is to be judged. So far as the matter referred to in the Adjournment Motion is concerned it is open to the person affected to approach the Minister concerned. They can see the Inspector-General of Police and substantiate the allegation made by them. Since this is a matter of ordinary administration, it cannot be made a subject of discussion on an Adjournment Motion. I, therefore, disallow this Adjournment Motion.

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब ! क्या मुझे इस पर बोलने की इजाजत है ताकि मैं बता सकूं कि इस की public importance और अहमियत क्या है ?

अध्यक्ष महोदय: नहीं ।

इस के बाद दूसरी Adjournment भी पंडित श्री राम शर्मा और श्री बाबू दयाल की तरफ से है, namely, the injustice involved in the appointment of the present Director of Public Instruction as now revealed by the decision of the Public Service Commission on the Petition of Dr. Joshi.

इस Adjournment Motion में कोई urgent public importance का मामला नहीं। दो अफसरों का आपस में झगड़ा है और वह झगड़ा उन की Seniority के मुतअल्लिक है। उनका केस Public Service Commission को गया होगा और Commission ने उनकी seniority के बारे में फैसला किया होगा। तो मैं नहीं समझता कि यह ordinary administration के सिवाए कोई urgent public importance का मामला हो। सरकारी दफतरों में कई अफसरों की seniority के सवाल होते हैं और उनके फैसले किए जाते हैं। क्या मैं इस Adjournment Motion के नोटिस देने वाले मेंम्बर साहिबान से पूछ सकता हूं कि वह बताएं कि इस में public importance का कौन सा matter है।

(This Admournment motion does not relate to any matter of urgent public importance. This relates to a dispute between two officers on the fixation of their seniority. The case must have been referred to the Public Service Commission and its decision obtained. I consider it an ordinary administrative matter and not of any urgent public importance. In Government offices, very often such cases of disputes regarding seniority arise and are decided according to Rules. May I ask the hon. Member to explain how this is a matter of public importance ?)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब यह मामला public importance का इस लिये है कि जब हम तालीम के बारे में question करते हैं तो बताया जाता है कि हर एक promotion के बारे में Public Service Commission को पूछा जाता है। वज़ीर साहिबान भी कहते हैं कि सब केस Public Service Commission की मारफत किये जाते हैं मगर अब एक खास केस का पता लगा है जिस में Public Service

Commission को नहीं पूछा गया और जब केस Public Service Commission को refer किया गया तो यह पता चला कि दरअसल जिस आदमी को Director of Public Instruction लगाया गया था वह Senior न था । हमारी गुजारिश तो यह है कि वजीर साहिबान Public Service Commission की भी परवाह नहीं करते ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस सिलसिले में मुतअल्लिका वजीर साहिब से मिले थे ?

पंडित श्री राम शर्मा : मेरा सिर्फ यही काम नहीं कि मैं वजीरों से मिलता फिरूं ।

अध्यक्ष महोदय — फिर यह काम भी नहीं होना चाहिए कि हर एक ordinary मामले को Adjournment motion की बिना पर सभा में लाया जाए । I disallow the Adjournment Motion

(Then it behoves the Hon. Members also not to bring such ordinary matters in the form of Adjournment Motions before the House. I disallow the adjournment motion

Pandit Shri Ram Sharma : Thank you, Sir.

RULES COMMITTEE

अध्यक्ष महोदय : आप मेंबर साहिबान की तरफ से यह मुतालबा किया गया था और मैं ने खुद भी महसूस किया था कि Rules of Business and Conduct में तबदीलियां होनी चाहियें । और ऐसी बात करनी चाहिये जिस से हाऊस का वक्त भी बच सके और तबदीलियां भी की जा सकें । इस के बारे में मुझे बाज चिट्ठियां भी मिली हैं जिन में तबदीलियां suggest की गई हैं । मैं ने Rule 172-A की रू से एक रूलज़ कमेटी (Rules Committee) nominate की है, और मुझे खुशी है कि इस के बारे में सरदार हरकिशन सिंह जैसे और कई बाकी के मेंबर साहिबान ने जो मुतालिबा किया था उसको Leader of the House ने बखुशी कबूल किया है ।

Under Rule 172-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, published in the Punjab Government Gazette notification No. LA-54,23 dated the 1st October, 1954, I nominate the following members to serve on the Rules Committee—

1. S. Gurdial Singh Dhillon,—*Chairman*,
2. Sardar Gurbachan Singh Bajwa,
3. Chaudhri Lahri Singh,
4. Serdar Gopal Singh Khalsa,
5. Shri D.D. Puri,
6. Jathedar Mohan Singh,
7. Sardar Harkishan Singh Surjit,
8. Comrade Ram Kishen.

मैं शायद इस Rules Committee की तमाम meetings न attend कर सकूं इस लिये मैं अपनी गैर मौजूदगी में सरदार गुरबचन सिंह बाजवा को इस का Chairman मुकर्रर करता हूं ।

REFERENCE TO A PRESS REPORT REGARDING SERJEANT-AT-ARMS

मौलवी अब्दुल गनी डार : स्पीकर साहिब ! मैं एक दरखास्त करना चाहता हूं वह यह है कि एक उर्दू रोजनामा में खबर शाया हुई है कि स्पीकर साहिब ने एक Serjeant-at-arms रखा है क्योंकि मेम्बर साहिबान स्पीकर साहिब का हुकम नहीं मानते और शोर मचाते हैं और यह

[मौलवी अबदुल गनी डार]
उन मेम्बरान के मुकाबला के लिये रखा गया है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आया इसे कुशती के लिये रखा गया है। अगर मेंबरान से कुशती ही करानी है तो मैं कुशती के लिये तैयार हूं। (हंसी)।

अध्यक्ष महोदय : आप की कुशती तो सभा से बाहिर ही देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेंबर साहिबान कोई ऐसी situation पैदा नहीं करेंगे कि Serjeant-at-arms की जरूरत पड़े। आप सब जानते हैं कि लोक सभा में Marshal है बाकी legislatures में भी ऐसा ही है। स्पीकरज़ और Presidents की कानफ्रेंस में भी इस बात का जिक्र आया था mace और दूसरी बातों का भी जिक्र आया था। मैं ने यह ख्याल किया कि बजाए इस के कि एक whole-time Chief Watch and Ward Officer रखूं सैशन के दिनों के लिये काम करने के लिये एक Serjeant-at-arms रख लूं इस लिए एक part-time Serjeant-at-Arms रखा गया है। (We will witness hon. Members' wrestling bout outside the House.) (*Laughter*)

But I hope that the Members would avoid creating any awkward situation which may call for the services of a Sergeant-at-Arms. Honourable Members must be aware that there is a Marshal in the Lok Sabha also. I may inform the House that the matters relating to Marshal and Mace etc. were discussed at the Speakers' Conference along with other topics. In the light of that I decided that instead of having a whole-time Chief Watch and Ward Officer, I should appoint a part-time Sergeant-at-Arms on a temporary basis for the durations of the Sessions. That is why a Sergeant-at-Arms has been appointed here.)

सरदार सरूप सिंह : स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि Sergeant-at-Arms की जगह आप के right-hand की तरफ होनी चाहिये so that he may keep in check the unruly element which is predominent in the ruling party on the other side of the House. (*Laughter*)

DERNGATORY WORDS USED BY A NEWSPAPER IN RESPECT OF MEMHER OF THE ASSEMBLY

अध्यक्ष महोदय : आज मेरे नोटिस में एक अखबार का एक article लाया गया है। इस House के एक मेंबर साहिब मुझ से मिले और बताया कि अखबार "प्रताप" में "पंजाब असेम्बली के अरकान" के जेरे उन्वान कुछ लिखा गया है। यह अखबार यहां आज पहुंच गया है मगर इस पर तारीख 4-11-54 दर्ज है। इस में मेंबरों के first class T.A. मांगने का जिक्र करते हुए लिखा है:—

"लेकिन पंजाब असेम्बली के यह मेंबर जिन में से बाज़ की दो कौड़ी की भी हैसियत नहीं first class का किराया वसूल करने में शर्म महसूस नहीं करते।"

मैं इस बारे में rules consult करूंगा और यह मामला Press Gallery Committee के सामने भी पेश किया जाएगा। मैं Committee से बात चीत करूंगा और जो कुछ वे कहेंगे वह आप के सामने पेश कर दिया जाएगा।

(Today an article appearing in a newspaper has been brought to my notice. A member of this House saw me in my Chamber and told me that the " Daily Pratap " had published an article under the caption " Members of the Punjab Assembly." That newspaper though dated 4th November, 1954, has reached us here today. While referring to the drawal of first class Travelling Allowance by the Members, the paper adds that—

> "The Members of the Punjab Assembly, some of whom even do no possess any status in life, do not feel ashamed in drawing firs class travelling allowance."

would consult the rules having a bearing on the subject and also have the matter brought before the Press Gallery Committee. I would also discuss the matter with that Committee and apprise the House of what I hear from them.

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब क्या आप पहले अखबार की तहरीर का भी नोटिस लेंगे जिस में Serjeant-at-arms का जिक्र है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

(Yes please.)

THE PUNJAB COTTON GINNING AND PRESSING FACTORIES BILL, 1953.

MESSAGE OF THE GOVERNOR.

Mr. Speaker : I have received the following message of the Governor of Punjab returning the Punjab Cotton Ginning and Pressing Factories Bill 1953—

> "Whereas the Punjab Cotton Ginning and Pressing Factories Bill, 1953, as passed by both Houses of the State Legislature was reserved for the consideration of the President under Article 254 (2) of the Constitution :
>
> And whereas the Bill in question has now been returned by the President under the proviso to Article 201 of the Constitution with the direction that the Bill be returned to the Houses of the State Legislature with a message requesting that the Houses will reconsider it.
>
> Now, therefore, I, C.P.N. Singh, Governor of Punjab, accordingly return the Bill to the Houses of the State Legislature with the said message."

DIRECTIVE BY THE PRESIDENT OF INDIA.

Mr. Speaker : Now I read out the Directive No. 17/143/53-Judicial, dated the 26th July, 1954, from the President of India, to the Governor of the Punjab—

> I, Rajendra Prasad, having considered the Punjab Cotton Ginning and Pressing Factories Bill, 1953, which was reserved for my consideration under the provisions of Article 200 of the Constitution of India, do hereby direct in pursuance of the proviso to Article 201 of the Constitution that the Bill be returned to the Houses of the State Legislature with a message requesting that the Houses will reconsider it.

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Cotton Ginning and Pressing Factories Bill, passed by the Assembly on the 12th October, 1953, and by the Council on the 13th October 1953, be reconsidered in the light of the observations contained in the Directive dated the 26th July, 1954, from the President conveyed by the Governor in his message dated the 25th August, 1954.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Cotton Ginning and Pressing Factories Bill, passed by the Assembly on the 12th October, 1953, and by the Council on the 13th October, 1953, be reconsidered in the light of the observations contained in the Directive dated the 26th July, 1954, from the President conveyed by the Governor in his message dated the 25th August, 1954.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Cotton Ginning and Pressing Factories Bill, passed by the Assembly on the 12th October, 1953, and by the Council on the 13th October 1953, be reconsidered in the light of the observations contained in the Directive dated the 26th July, 1954, from the President conveyed by the Governor in his message dated the 25th August, 1954.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1.

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 2—14

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 15

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

For the existing Clause, substitute—

"Except when a closure is in accordance with any other law for the time being in force, the State Government shall have the power to prevent the closure of a Cotton Ginning and Pressing Factory, if in their opinion such closure is the result of a monopoly or pooling for the purposes of depressing the price of cotton, and any such closure shall render the owner of such factory on conviction, liable to be punished with a fine which may extend to one thousand rupees for each day of such closure."

साहिबे सदर ! इस amendment के सिलसिले में मैं यह वाजिह करना चाहता हूं कि clause 15 पर क्या एतराज है और किन reasons की बिना पर इस बिल को reconsider करने के लिये कहा गया है। वे reasons यह हैं:—

'Clause 15 of the Punjab Cotton Ginning and Pressing Factories Bill provides for the previous sanction of the State Government to close down the factories. The provisions of this clause come in conflict with the fundamental rights granted under sub-clause (g) of clause I of Article 19 of the Constitution. The validity of this clause is likely to be challanged in the court of law.

मतलब यह है कि जो restrictions भी impose करनी हों वह खास सूरतों और खास मौकों के लिये की जाएं। आम तौर पर general restrictions लगा देना ठीक नहीं है।

अब असल मुआमिले को लीजिये। साहिबे सदर, बात यह है कि factories वाले कपास का season आने पर आपस में मिल जाते हैं और एक दो फैक्टरियां बन्द कर देते हैं जिस से बेचने वाले growers की मारकेट महदूद हो जाती है और वे अपनी पैदावार को सस्ती बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह किसान भाइयों को बहुत नुकसान रहता है और उन को इस किस्म की साजिशों से बचाने के लिये ऐसी provision जरूरी है। मैं ने यह तरमीम इसी मकसद के लिये पेश की है। इस में कोई झगड़े की बात नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि सब मेंबर इसे मनज़ूर कर लेंगे।

Mr. Speaker : Motion moved—

For the existing clause, substitute—

> "Except when a closure is in accordance with any other law for the time being in-force, the State Government shall have the power to prevent the closure of a Cotton Ginning and Pressing Factory, if in their opinion such closure is the result of a monopoly or pooling for the purposes of depressing the price of cotton, and any such closure shall render the owner of such factory on conviction, liable to be punished with a fine which may extend to one thousand rupees for each day of such closure."

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ): ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਪਹਿਲੀ clause 15 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ clause ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ object ਤਾਂ ਬੜਾ laudable ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ growers ਅਰਥਾਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕਿਸ ਭਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਉਹ ਗਡਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨ ਕਿਧਰੇ store ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਤੇਂ ਅਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ monoply ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਘਸਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਲੁਟਦੇ ਨੇ । ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ clause ਉਤੇ ਠੀਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ Centre ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ Centre ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ Centre ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Provincial autonomy ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ clause ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ purpose serve ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੁਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਡਾ fraud ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ । ਜੇ ਇਕ factory ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ monoply ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਲਖਾਂ ਰੁਪੈ growers ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵਡੀ cheating ਤੇ ਲੁਟ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ closure ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ factory owner ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ factory ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਟ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨ ਡਰੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਚਮੁਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ imprisonment ਦੀ provision ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ amendment ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਗੇ। ਮੇਰੀ amendment ਹੈ :—

That at the end of the clause the following be added :—

"or in default of payment of fine for the first day, six months' rigorous imprisonment and Rs 1,000 fine for each further day."

ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ provision ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ imprisonment ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੀਂ clause ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ--

"The State Government shall have the Power to prevent the closure of a cotton ginning and pressing factory,........"

ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ machinery ਚਲੇਗੀ। ਕੀ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਨਗੇ? ਆਖਿਰ machinery ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ season ਹੀ ਬਿਤਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ purpose ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ amendment ਦੋਬਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ the State Government will have Power ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। I say what Power is there with the Government ? Is it already with the Government or it is yet to be acquired ? In case the Government wants to acquire power should it not state the specific power it wants and the way in which it is to be used ?

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ clause ਬੜੀ hurry ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ Act ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ influential ਹਨ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਥੇ growers ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚ ਮੁਚ growers ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗਲ clear ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ what powers have you got and what powers you want to obtain. ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

Mr. Speaker : I admit this amendment and allow discussion on it.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ amendment ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ purpose serve ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ amendment ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That at the end of the clause the following be added—

"or in default of payment of fine for the first day, six months' rigorous imprisonment and Rs 1,000 fine for each further day".

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। Text books ਨੂੰ nationalise ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਬਖ਼ਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मैम्बर अपनी बहस इस amendment पर महदूद रखें

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ growers ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦੇ ਪੇਸ਼-ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਚਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਚਾਰ ਤੇ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਖ਼ਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ growers ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਾਨਾ-ਫੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਚੋਹਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ amendment ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਲਾਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਲਾਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ closure of factories ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ punish ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ power to prevent the closure ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਮੁਬਹਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਝਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ.......

> After the word "factory" in line 5, add " by requisitioning such factory and giving it on lease forthwith."

ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ sense ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

Mr. Speaker : I admit this amendment.

Motion moved—

> After the word "factory" in line 5, add, "by requisitioning such factory and giving it on lease forthwith"

सिंचाई मंत्री : (चौधरी लहरी सिंह) : स्पीकर साहिब ! पहली amendment में यह था "Shall have the power to prevent" । इस के मुतअल्लक अन्देशा यह हुआ कि इस से मतलब हल नहीं होगा इस लिये अब यह amendment पेश की जाती है—

I beg to move—

> "In the proposed amendment, line, 5, between "factory" and "if" insert "in the manner prescribed"

[सिंचाई मंत्री]

अब ginning का season आ रहा है इस amendment को postpone करने से कोई फायदा नहीं। यह कहना कि "in the manner prescribed" में वह जुर्माना नहीं देंगे में अपने दोस्तों से कहूंगा कि वह ऐसी बातों में न पड़ें। जहां हम इतनी सख्त powers ले रहे हैं तो हम 10 या 15 रोज इन्तज़ार करेंगे और फिर जल्दी से जल्दी action भी ले सकते हैं। फिर यह कहा गया है कि किसी फैक्टरी के मालिक की 4 लाख की फैक्टरी यहां काम कर रही है अगर वह एक लाख रुपया ले कर सूबे से बाहिर चला जाता है तो जो जुर्माना उसे होता है वह हम कैसे realise कर सकेंगे। मैं उन्हें बता दूं कि मैं ऐसी बातें anticipate नहीं करता। जो factory owner जुर्माना अदा नहीं करता तो उस के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जायेगी और यह जुर्माना उस की property से वसूल किया जायेगा। हम लोगों को कैद की सजा से डराना नहीं चाहते। एक हज़ार रुपये per day का जुर्माना कोई मामूली सजा नहीं इस लिये मैं माननीय मेंबरों से कहूंगा कि वह इस बिल में कैद का provision insert करने का ख्याल छोड़ दें और माननीय मित्र सरदार अजमेर सिंह से उम्मीद करता हूं कि वह अपनी amendment को वापस ले लें। गवर्नमेंट का मकसद growers की मदद करना है।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਵਾਕਫੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

Mr Speaker : The hon-Member should rise on a point of order.

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : On a point of information, Sir, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਕਰਨ ਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ season ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ।

Mr. Speaker : "In the manner prescribed"

Motion moved—

In the proposed amendment, line 5, between "factory" and "if" insert "in the manner prescribed".

श्री श्री चन्द : (बहादुरगढ़) : स्पीकर साहिब, सरदार साहिब ने जो तरमीम पेश की है उस के मुतअल्लिक मेरे लायक दोस्त मंत्री साहिब ने कहा है कि उन की गवर्नमेंट लोगो को कैद से भी नहीं डराना चाहती। हकीकत यह है कि हमारी सरकार महाजनों पर बड़ी मेहरबान है। वह समझती है कि दिहात वालों के जिसम और शहर वालों के जिसम में फर्क होता है। Security of Land Tenures Act के मातहत मालिक एक दिन, एक घंटे के लिये भी पानी न दे, तो उसे cognisable offence समझा जाता है, जुर्माने के इलावा कैद की सजा दी जाती है। अगर factory वाला दिहात के लोगों को लूट ले और सरकार को इस बात का पता चल जाए, तो उसे एक हजार जुर्माने की सजा दी जाती है।

'In the manner prescribed etc.' का मतलब तो केवल फैक्ट्री वालों को थोड़ा सा डराना है ताकि वे किसी न किसी बहाने वजीर साहिब को थैलियां भेंट करें। (Cheers from the opposition Benches)

अध्यक्ष महोदय : इस बात को कहने से आप का कोई मतलब हल होता है ?

श्री सिरी चन्द : जनाब, यह बात हम आप को अगले सैशन में बतायेंगे कि factory वालों से मनिस्टर साहब किसी न किसी शक्ल में इतने रुपये ले कर आए हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह रिश्वत लेते हैं।

जनाब! इन का कोई ऐसा Act आज तक पास नहीं हुआ जो amend होने के लिये न आया हो। अभी आज ही सवालों के घंटे में बताया गया था कि एक आदमी ने सरकार का दो लाख रुपये का नुकसान किया मगर उसे केवल एक हजार रुपये हमारी इस Liberal Government ने जुर्माना किया। उस ने वह भी अदा न किया और भाग गया। (हंसी) यह जो prescribe करने वाली बात है इस का कुछ भी नतीजा नहीं निकलेगा। अगर यह चीज रखनी है तो ऐक्ट में रखी जाए मगर ऐसा करने के लिये वह तैयार नहीं। अगर इस बिल पर मजीद विचार बन्द कर दिया जाये ताकि हमारे वजीर साहिबान रात को अपने अफसरों के साथ सलाह कर सकें, तो कोई मुसीबत नहीं आ जायेगी। मगर ये तो factory owners को फोका डरावा देना चाहते हैं। L. R. साहिब मौजूद हैं। वह शायद चाहते हैं कि एक comma भी न बदला जाए। मेरे ख्याल में बिल पर कल विचार कर लिया जाए।

राम्रो गजराज सिंह (गुड़गांव) : स्पीकर साहिब, जहां तक इस तरमीमी बिल का ताल्लुक है, यह एक बड़ी साफ सी चीज है। Opposition के बेशतर मेंबर भी मुतफिक हैं कि कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस का इलाज requisitioning suggest किया है। मगर यह नहीं बताया कि किस ऐक्ट के मातहत ऐसा किया जाए। वे भूल गए कि requisitioning order होने में कितना वक्त लगता है। अगर ऐसा करने लगें तो बहुत सारा वक्त specified authority की तरफ से order होता २ ही बीत जाए।

'In the manner prescribed' के लफ्ज रखने से कई फायदे हो सकते हैं, कई सहूलियात देखी जा सकती हैं, आया District Magistrate ने action लेना है या Ilaqa Magistrate ने किस तरीका से action लेना है, बड़ी जगह पर किस तरीका से और छोटी जगह पर कैसे, यह सब बातें तभी देखी जा सकती हैं यदि यही शब्द रखे जायें।

जिद तो opposition वाले भाई कर रहे हैं—कि चूंकि मिनिस्टर साहिब ने इसे move किया है, इस लिये यह चीज गलत है। Requisitioning इस कानून को nullify कर देगी। यह लफ्ज रखने से हर जरूरी कार्यवाई जो किसी जगह उचित समझी जाएगी, की जा सकेगी। अगर नियत अच्छी न होती और growers का फायदा मतलूब न होता तो इस बिल को season शुरु होने से पहले क्यों लाया जाता। अगर ऐक्ट में (in the prescribed manner) के शब्द होंगे तो दो तीन तरीकों में से जो तरीका मुनासब समझा जाएगा बरता जाएगा।

[राओ गजराज सिंह]

It may, however, be considered that on repitition of a similar offence, he should be liable to be sent to jail. यह तरमीम आ जाती तो अच्छा था।

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਏਗਾ। Black market ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ black marketer ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'thank you' ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਆਇਆ ਸੀ। (ਹਾਸਾ) ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਕਹਣ ਲਗਾ, 40,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜੋ ਸਨ; ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ black-market ਕਰੀਏ। ਕੈਦ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟ ਸਕਦੇ (ਹਾਸਾ)।

अध्यक्ष महोदय : आप को black-marketers के साथ कैसे वास्ता पड़ गया।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਪੜਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਓਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਦ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Students ਪੁਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ parents ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪੁਰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ consumers ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ growers ਉਤੇ ਪਏਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ amendment ਨੂੰ ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ Ministry ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ expose ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। The cat is out of the picture ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

अध्यक्ष महोदय : यह आप तरमीम पर बोल रहे हैं।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਨਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ warrant ਕਢਿਆ ਜਾਏ ਗਾ? ਪਰ ਇਹ power, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

Mr. Speaker : Put some concrete proposal before the House but try to be brief.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ Amendment Act ਦੇ purpose ਨੂੰ facilitate ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ main ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ Amendment ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਬੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਤਰਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ factories ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ (*Laughter*)। If they want to administer the law equally to all, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂਨ ਬਣਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਮਾਨੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਏ ਇਕ ਅੱਧੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ "in the manner prescribed" ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ procedure ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ Rules ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ Substantial ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ "in the manner prescribed" ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ that will have to be specified। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]
ਕੋਲ ਕਾਨੂਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (*interruptions* from the Treasury Benches) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ "in the manner Prescribed" legally ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ clean hands ਨਾਲ ਅਸੰਮਲੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਹ action ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਿਹਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Rulers ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (*interruptions*)

Mr. Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ appeal ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ amendment ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ amendment ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ requisition ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ amendment ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ difficulty ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। short notice ਦੇ ਕੇ acquire ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ possession ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਤਨੇ ਬੜੇ purpose ਲਈ requisition ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ amendments ਮਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ । ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਛੀਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੇ/ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕੀਮਤ ਨਾਂ ਦੇਵੇ । ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ gin ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਘਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ । ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਦਾਮ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

Shri Sri Chand : Sir, he is speaking on the Bill. I therefore request that we may also be allowed to discuss the whole Bill.

अध्यक्ष महोदय : वे ठीक बोल रहे हैं ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : Clause 15 as original ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ/ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਲ (pool) ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ/ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ/ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ factory ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ pool ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ 30, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ। ਇਸ amendment ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੋਲੋ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕਾਰਖਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦ ਰਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਪਾਸ ਵੇਲਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ season ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 1½ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪੈ ਵਸੂਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤੇ 1½ ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ stock ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਫਾ 18 ਵਿਚ Rule making Powers ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ prescribe ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਿਉਪਾਰੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਟਨ (Cotton) ਦੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ (season) ਵਿਚ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ

ਦਾ ਵਿਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਭਜ ਜਾਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। Default ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ amendment ਵਿਚ suggest ਕੀਤੀ ਹੈ, specifically ਕਿਉਂ provide ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ business ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ growers ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ requisition ਅਤੇ lease ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਤਰਮੀਮ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ "in the prescribed manner" ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਨਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਪੁਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ spirit ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਖਿਰ requisition ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ requisition ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ trade ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨ ਕਹਿੰਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ............

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ rule making powers ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ provide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਏ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : Why not imprisonment?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਥੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹਨ ਉਥੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੀ ਮੁਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਜਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪੈ ਮਨ ਕਪਾਹ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜ਼ਮੇਰ ਸਿੰਘ: In default ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ provide ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ disuade ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ factory ਲਗਾਈਏ। ਇਕ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਪਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ industrial development ਵਲ direct ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ginning factories ਹਨ ਉਥੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਮੁਲ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਈਏ ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰੁਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪੁਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਨੀਪਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਜਗਾਧਰੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ $1\frac{1}{2}$ ਰੁਪਿਆ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇ cotton mill ਉਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ $1\frac{1}{2}$ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ workable ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ provide ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ growth ਅਤੇ development ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ interests ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ pool ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖਤ ਹੈ।

श्री सोम दत्त (शिमला) : माननीय स्पीकर साहिब, यह तजवीज़ की गई है कि जुर्माने की जगह पर सज़ाए कैद को भी provide किया जाए। मालूम तो इस amendment से यह होता है कि जो Factory owners और इस बिल की opposition करने वाले हैं, उन का कोई खास ulterior motive है ताकि वे कपास की कीमत को pool कर सकें। ऐसा मालूम होता है गोया वे ये चाहते हैं कि सारे सूबे में इस का एक ही रेट हो और

[श्री सोम दत्त]

अगर उन्हें अभी अपनी मर्ज़ी से अपनी फैक्ट्री बन्द कर देने से convict किया भी जाए तो थोड़ी सी कैद के बाद वह बाहर आ जाएं और इस तरह से जुर्माने की रकम अदा करने से बच जायें। अगर यह amendment मान ली जाए तो जाहिर है कि अगर एक आदमी जो कि Factory owner है वह जुर्माना अदा न करने की सूरत में कैद हो जाता है तो क्या होगा? वह जेल में चला जाएगा। जेल में चले जाने से उस की फैक्टरियां बन्द हो जायेंगी। अगर फैक्टरी बन्द हो गई तो कपास को कौन खरीदेगा? नतीजा साफ़ जाहिर है कि बेचारे जमींदारों को कपास बेचने में बहुत नुक्सान होगा क्योंकि उन्हें अपना माल किसी दूर जगह पर ले जाने के लिये कुदरतन ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। दरअसल मनशा तो इस बिल लाने का यही है कि factory owners पर किसी न किसी तरीका से यह दबाव डाला जाए कि वह किसी भी आम हालात में काम बन्द न करें ताकि कपास को खरीदते रहें। लेकिन अगर इन की इस amendment को मान लिया जाए तो फैक्टरी के लिये यह जरूरी नहीं रहता कि वह हर वक्त चालू रहे। इस लिये जो तरमीम आपोज़ीशन के भाईयों की तरफ़ से पेश की गई है, इस के लिये कोई advisability नहीं। लिहाज़ा मैं इसे oppose करता हूं।

बाकी रहा सवाल यह कि इस ऐक्ट को दोबारा क्यों इस हाऊस में लाने की ज़रूरत पड़ी? यह यूनियन के प्रेज़ीडेंट साहिब बहादुर के पास assent के लिये गया। लेकिन उन्होंने इसे वापस इस असैम्बली को दोबारा ग़ौर करने के लिये भेज दिया। उस को इस लिये नामंजूर किया क्योंकि क्लाज़ 15 में जो provision किया जा रहा था वह trade करने या इसे जारी रखने के fundamental right के बरअकस था। अब हमें देखना यह है कि आया जो तरमीम अब पेश की गई है वह उन के मुताबिक है या against. अगर मौजूदा तरमीम भी उस को infringe करती हो तो मैं समझता हूं कि जनाब प्रैज़ीडैंट बहादुर यूनियन इस तरमीम को भी कहीं वापस न भेज दें। यह ठीक है कि जो कुछ अब ऊपर से recommend हो कर आया है, वही हम इस बिल में ला रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जो कुछ ऊपर से भेजा गया था उस में भी अब तरमीम की जा रही है। यह कहा गया है कि हम Factory owners को request करेंगे कि वह बन्द न करें और इस के लिये rules बनाए जायेंगे। मैं समझता हूं कि request तो ठीक है लेकिन अगर आप यह करें कि इस के लिये रूल बनायेंगे और prescribe करेंगे फिर उस हालत में हमें सोचना पड़ेगा कि किस हद तक जाइज़ है—हमारा ऐसा करना। Request तो की जा सकती है लेकिन किसी एक आदमी को अपनी तजारत बन्द न करने पर या शुरु करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर भी यह action किस हद तक जाइज़ है इस के लिये हमारे फाइनेंस मनिस्टर साहिब को legal opinion ज़रूर लेनी चाहिए।

श्री दौलत राम (कैथल): जनाब स्पीकर साहिब! सज़ा देने का एक ऐसा मामला है जिस में यह कहा जा सकता है कि दोनों फ़रीकैन में इतफ़ाक है। दोनों यह चाहते हैं कि कारखानेदारों को, जो इनसानी इखलाक से गिर जाते हैं, जरूर सज़ा होनी चाहिए। लेकिन इख्तिलाफ़ बस इतनी बात पर है कि आया जुर्माना करने से ही वह काम पूरा हो सकता है या उस के बदले जेल की सज़ा दी जाए या दोनों।

सभी जानते हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से सरमायादार और कारखानेदार इनसानी फ़ितरत और इखलाकी खसूसीयत से इतने गिर चुके हैं कि बस उन में सिर्फ़ एक ही बात नुमायां है और वह यह है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इस लिये मैं समझता हूं कि अगर एक दिन के लिये एक हज़ार और दो दिन के लिये दो हजार रुपया जुर्माना होता रहे तो वह सरमायादार जो अपने इनसानी इखलाक को बालाएताक रख कर लाखों लोगों को लूटता है, बहुत जल्द अपने असली होश में आ जाएगा। सरमायादार का सिर्फ एक ही मकसद है और वह है सरमाये में इज़ाफ़ा करना। सरमाया को दगाबाज़ी से, फरेब से, धोखे से जमा करना एक लानत है, बुराई है। इस बिल के जरिये उस पर कुलहाड़ी चलेगी जो उस की मौजूदा फितरत पर जबरकारी का असर करेगी।

दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं यह है कि जो गवर्नमेंट चाहे वह इस सूबा की हो या मुल्क की, मौका के मुताबिक अमल नहीं करती तो वह अपने मकासद को पूरा करने से रह जाती है। आज हम सूबा में देखते है कि सरमायादार और गरीब में बड़ा फर्क है और इस फर्क को कम करना आज बड़ा जरूरी है। जो जुरमाने इस amendment के मुताबिक होंगे वह एक कसीर रकम हो जाया करेगी। एक तो यह सरमायादार और गरीब के फर्क को कम करने में काफी मदद देगी दूसरा यह सूबे में development के काम पर खर्च की जाएगी जिस से सूबा के लोगों को लाभ पहुंचेगा।

तीसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं यह है कि हमें जमाने की रफ़तार को समझने की कोशिश करनी चाहिये और उस के साथ चलना चाहिए। आज यह ख्याल जोर पकड़ रहा है कि किसी इनसान की फितरत को बदलने के लिये यह ज़रूरी नहीं कि उस को कैद किया जाए। बल्कि यह बेहतर है कि उस को कैद से मुबर्रा कर दिया जाये। मेरा यह ख्याल है कि जो कैद का तरीका है यह इनसान के इखलाक को ऊंचा नहीं कर सकता। आज दूसरे मुल्कों में इनसान के इखलाक को सुधारने के लिये कई तजवीज़ें बनाई जा रही हैं और कैद के तरीके को छोड़ा जा रहा है। यदि हम ने भी जेलखानों में reforms लानी हैं तो हमें उन्हें reformatories में बदलना चाहिये। हमें सरमायेदार को कैद नहीं करना चाहिये। मेरी इस दलील में काफ़ी वज़न है। मैं समझता हूं कि सरमायेदारों में इसलाह लाने के लिये कैद की बजाए दूसरे तरीके बेहतर हैं। स्पीकर साहिब! मैं इन इलफ़ाज़ के साथ मिनिस्टर साहिब की amendment की ताईद करता हूं।

मौलवी अब्दुलगनी डार (नूह): स्पीकर साहिब! Finance Minister साहिब की दलीलों को सुन कर मुझे इन्तहाई हैरत हुई है और उन को सुन कर मुझे शक हो गया है कि उन के ख्याल में यह बात नहीं आई है हालांकि वह हमें कहते हैं कि हम इस मामले की एहमियत को नहीं समझे। शायद यह वह नहीं समझ सके कि राष्ट्रपति जी ने यह बिल उन के पास वापस क्यों भेजा है। हकीकत यह है, प्रधान् जी, कि हमारी सरकार को खुशी ही इस में होती है कि कभी कभी आप की इजाजत से यहां amendment लाए जो यह जाहर कर दे कि यह हर बात बड़ी जल्दी से करती है ताकि उस पर सोचने का मौका ही न मिले। मैं पूछता हूं कि क्या यह सरकार के इल्म में नहीं कि जब कल हमारे Labour Minister Sahib, Check Barriers के हक में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि व्यापारी लोग बड़े बेईमान और 420 हैं और इस लिये सरकार यह इख्तियार चाहती

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

है कि वह इन को बेइमानी करने से रोकने के लिये barrier बना सके। लेकिन अब जब Opposition वालों ने कहा है कि यह जो कारखाने वाले होते हैं और यह पूल कर लेते हैं और किसानों को लूटते हैं और यह बड़े समझदार होते हैं तो क्या यह हकीकत नहीं है। यह लोग तो आम तौर पर ऐसे करते हैं कि अपने कारखाने किसी ठेकेदार को दे देते हैं। अब यह किसी ऐसे ठेकेदार को मामूली रकम के लिये ठेके पर दे देंगे जिस के पास कुछ न हो और Bank balance भी एक धेला न हो और वह वक्त आने पर यदि अपना कारखाना बन्द भी करे दें और उस पर जुर्माना भी लग जाये तो उस से सरकार यह जुर्माना वसूल भी न कर सके। यह इस तरीका से अपने पूल (Pool) को कामयाब बनायेंगे। फिर यह जानते हैं कि उन्हें जुरमाने भी क्या किसी आखरी अदालत ने थोड़े ही करने हैं। हमारे मिनिस्टर साहिब जैसे ईमानदार हैं यह वैसा ही दूसरों को भी समझ लेते हैं और यह चाहते हैं कि यह बिल कारखानादारों के interests को damage न करे। मैं इन से पूछता हूं कि क्या वह इस तरह से रुक जायेंगे। यह तो उन को शरीफ इनसान समझ रहे हैं जैसे कि इन की नजरों में Check barriers पर काम करने वाले शरीफ़ होंगे। अगर यह कर दिया जाए कि कारखाना बन्द करने वाले को 6 महीने की सजा दी जायेगी तो वह सौ बार सोचेगा कि वह कारखाना बन्द करे या न करे। लेकिन वह चन्द रुपये के जुर्माने के डर से उसे बन्द करने से कभी भी नहीं रुकेगा और बिना सोचे बन्द कर देगा। जब हम इन्हें कैद की सजा रखने के लिये कह रहे हैं तो यह कहते हैं कि हम industries को प्रान्त में चलने नहीं देना चाहते। मैं यह नहीं कहता कि यह कैद की सज़ा एक complete चीज़ है। स्पीकर साहिब! इस दुनिया में सिवाए सतगुरू के कोई चीज़ complete नहीं है। मैं यह दावा नहीं करता कि यह चीज़ complete है, साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि जुर्माने की सजा की amendment भी complete नहीं है। मैं इन से दरखास्त करता हूं कि यह कोई complete चीज़ लाएं जिस से यह किसानों को लूटने से रुक जायें। हम यह मानते हैं कि हमारे irrigation मिनिस्टर साहिब ने जब से यह ओहदा सम्भाला है तब से हमारे प्रान्त में कपास बड़ी ज्यादा होने लगी है। पानी का भी बहुत अच्छा इन्तज़ाम हो गया है जैसा कि वह खुद कहा करते हैं। इसी तरह यह भी बेहतर होगा स्पीकर साहिब, अगर यह कारखानेदार किसी से ज्यादती न कर सकें। लेकिन इस हाऊस की शान, स्पीकर साहिब आप के ओहदे की शान और इन मिनिस्टर साहिबान की शान जो बड़ी काबलियत से यहां बिल लाते हैं खत्म हो जाएगी अगर इन कारखानेदारों को गरीब किसानों की कमाई को लूटते रहने के लिये इजाज़त दिये रखी। इस लिये मैं इन से दरखास्त करता हूं कि यह फिर इस पर गौर करें और गौर कर के कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें जिस से लूट रुक जाए। लेकिन मुझे यह अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्हों ने एक अजीब तरीका इख्तियार कर रखा है। जो तरीका पहले दिन से जिस दिन इस हाऊस में Co-operative Societies का बिल पेश हुआ था इन्होंने अपना रखा है वह ऐसे शानदार हाऊस को और ऐसी शानदार सरकार को अपनाना नहीं चाहिये। उन्हें चाहिए कि वह अपने साथियों को मौका दें चाहे वे opposition के हों चाहे इन के साथी ही हों। उन की बात भी मान लिया करें। यह माननीय मेम्बरान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। (विघ्न)।

अध्यक्ष महोदय : Order, Order, मौलवी साहिब आप गिला करते हैं जब आप को बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती और जब बोलने की इजाजत दी जाती है तो आप ऐसी बातें करने लगते हैं। क्या यह बातें उस amendment के साथ कोई भी ताल्लुक रखती हैं जो इस वक्त हाऊस के सामने पेश हैं ?

मौलवी अब्दुल गनी डार : नहीं जनाब, मैं तो यह कह रहा था कि वह हमारी कोई.....

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ने उन्हें गिला देना है तो किसी और जगह दें।

मौल्वी अब्दुल गनी डार : स्पीकर साहिब, मैं तो इन्हें यह कहता हूं कि यह amendment वापस ले लें और ऐसी कोई amendment न लाएं जिस से सूबा को नुक्सान हो।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਵੀ ਹਲਕਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਨ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ factory owners ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ control ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਜੋ ਇਹ Factory Owners ਹਨ.........

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मैम्बर तरमीम पर बोल रहे हैं। अगर वह तरमीम पर बोलना चाहते हैं तो वह बोल सकते हैं वरना नहीं।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ amendment ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ "As shall be laid down in the rules" ਇਹ ਅਸੂਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । Rules ਵਿਚ ਤਾਂ procedure lay down ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ provision ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਸਜ਼ਾ ਦਾ provision ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ amendment ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਜ਼ 'in the manner prescribed' ਦੇ ਸ਼ਬਦ add ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब, इस measure की अहमीयत को समझते हुए मैं कहूंगा कि यह Psychology of Criminology से ताल्लुक रखता है। इस में इन्होंने एक हज़ार रुपये के जुरमाने की सज़ा रखी है। जब उन से कहा गया कि imprisonment की सज़ा भी शामिल कीजिये तो इन्होंने कहा कि 'in the manner prescribed' रखा हुआ है। यह तो बचाव के लिये रखा गया है और judiciary के हाथों को कमज़ोर करने के लिये है। इनसानी फितरत तो यह है। एक गरीब को दो रुपये का जुर्माना चुभता है मगर अमीर दो रुपये की परवाह नहीं करता। वह एक हज़ार की भी

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]

परवा नहीं करता। इस लिये Criminal Law को देखना है। judiciary एक हजार रुपया तक जुर्माना ही कर सकती है। अगर crime को दूर करना है तो proper तरीके से करें। कुछ न कुछ punishment तो चाहिये ही। मगर यह तो बड़े २ सरमायेदारों को बचाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस measure को effective बनाया जाये ताकि मुल्क को इस कानून का फायदा हो। लेकिन आज तो इसे सरमायेदारों के फायदा के लिये बनाया जा रहा है। इस लिये मैं नौकरी साहिब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि serious सोच विचार कर के इसे effective बनाइए।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ (ਡੇਹਲੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ House ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Government ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤਬਕੇ monopoly ਅਤੇ pool ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ produce ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ pressure ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹਾ pool ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

(Chaudhri Lahri Singh and S. Ujjal Singh were seen talking with each other)

Mr. Speaker : I would request the Ministers not to talk with each other.

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ Government party ਅਤੇ opposition ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ monopoly ਜਾਂ pool ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਟਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਮਗਰ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ Minister ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ Opposition ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਹੈ; ਸਜ਼ਾ ਇਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੋ ਘਟ ਇਤਨਾ ਡਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲ pressure ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਜ਼ਹਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੈਦ ਤੋਂ। ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਦਸਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ black market ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Defence of India Rules ਦੇ under action ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ control ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ offence ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਮਗਰ ਪਿਛੋਂ

ਇਸ offence ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੈਦ ਰਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ non-bailable offence ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ pressure ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ pool ਕਰਨ ਅਤੇ monopoly ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ......

अध्यक्ष महोदय : आप repetition न करें।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ repetition ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ........

अध्यक्ष महोदय : जी हां आप का मन्शा नहीं था मगर आप कर रहे हैं।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : Government ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ Opposition ਨੂੰ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ pressure ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੇ ਤਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ season ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ pool ਕਰਕੇ monopoly ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ daily ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ income ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਰਖ ਲਉ ਪਰ indefault ਹੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਉਹ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ।

(श्री मनी राम बोलने के लिये खड़े हुए)

अध्यक्ष महोदय : कोई नई बात बताएं, repetition न करें।

श्री मनी राम (फतेह आबाद) : माननीय स्पीकर साहिब, Treasury Benches की तरफ से कहा गया कि यह बिल कारखानेदारों को किसानों की कमाई को हड़प जाने से रोकने के लिये है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है यह बड़ी अच्छी बात है और सरकार मुबारिकबाद के काबिल है लेकिन अमल इस से कोसों दूर है। कारखानेदार कैद ही से डरता है मगर Treasury Benches की बातों से ऐसा मालूम होता है कि जहां कारखानेदार कैद से डरता है यह आप कारखानेदारों से डरते हैं। कहते हैं कि हम सूबे का सुधार कैद से नहीं करना चाहते बल्कि अमल की अच्छाई से सुधारना चाहते हैं।

[श्री मनी राम]

यह ख्याल ठीक है लेकिन अगर यह ख्याल किसी ऐसे आदमी की जबान से सुना जाता जो सरमायेदारों का हितैषी होता तो अच्छा रहता। हम कैद के हामी नहीं। हम तो अमल और अच्छाई के जोरों पर सुधार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे पंजाब के गरीबों की कमाई को लुटेरों के हाथों से बचाया जाए। और इस कमाई को तभी बचाया जा सकता है जब लोगों के इखलाक को ऊंचा किया जाए। इखलाक को ऊंचा करने के लिये कानून सख्त होना चाहिये और कैद की सजा का provision जरूर होना चाहिए मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस किस्म की मामूली सी सजा की तजवीज़ अंग्रेज राज के जमाने में पेश की जाती तो सही होती। क्योंकि वह सरकार धनी लोगों के सहारे चलती थी। लेकिन यहां की सरकार—कांग्रेस सरकार है। गरीबों की सरकार है। यह सरकार किसानों की वोटों से बनी है। इस लिये इस को सरमाएदारों की हिमायत नहीं करनी चाहिए और कैद के बारे में amendment लाने का ख्याल.............

Mr. Speaker : Order please.

आप को यहां पर lecture करने की इजाजत नहीं आप क्लाज़ की amendment पर बोलें या बैठ जाएं।

(श्री मनी राम ने अध्यक्ष महोदय के हुक्म का पालन किया और सीट पर बैठ गये। परन्तु इस के फौरन बाद श्री बालू राम के साथ हाऊस से बाहर चले गये)।

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह) : साहिबे सदर! ऐसी बातें कही गई हैं कि treasury benches पर बैठने वालों को गरीबों से और किसानों से हमदर्दी नहीं है। यह बिलकुल गलत है। जहां तक इस सूबे की Industry का ताल्लुक है कितनी Ginning और Pressing Factories हैं जो बनती हैं और जिन की सरकार मदद नहीं करती। हम तो हर तरह से Industry को तरक्की देने और गरीब की मदद करने के लिये काम कर रहे हैं। मेरी तो गुज़ारिश है कि इस पर नुक्ताचीनी करने वाले मेंबर साहिबान जरा दिमाग़ से काम लें तो इस की सही हालत का पता चले। अभी कुछ देर हुई पार्लियामेंट ने पास किया था कि States को powers दी जाती हैं कि अगर किसी फैक्टरी के बन्द करने से नुकसान होता हो या उस फैक्टरी में mismanagement हो तो State सरकार इस को requisition कर सकती है। और ऐसा करने से किसी grower या किसान को नुकसान नहीं होता। फिर मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मेंबर साहिबान ने बिना देखे यह रट लगा दी कि हम growers के हमदर्द नहीं हैं। अगर वे अखबारों को देखें तो उन्हें पता चले कि सैंटर ने यह इख्तियार दे दिये हैं कि जहां फैक्टरी में mis-management हो तो स्टेट सरकार उस फैक्टरी को take over कर सकती है। Take over करने से growers को नुकसान नहीं होता और गरीब को भी नुक्सान नहीं होता क्योंकि फैक्टरी चलती रहती है।

स्पीकर साहिब, मैं समझता हूं कि मेंबर साहिबान इस ख्याल से तकरीरें कर रहे हैं कि उन की पब्लिक में appreciation हो लेकिन इस तरह से गलत ब्यानी करके appreciation हासल नहीं की जा सकती। इस बिल को हम असैम्बली के पिछले सैशन में पास कर चुके हैं। हम इसे एक्ट बना चुके हैं। इस में वही एक हज़ार रुपया जुरमाना की शर्त भी है, वही बातें हैं।

अब जो amendment पेश की गई हैं इस में कोई नई चीज़ नहीं सिवाए "in the manner prescribed" के। बावजूद इतने provision होने के फिर क्यों मेंबर साहिबान इस पर इतराज़ करते हैं। फिर यह कहा गया है कि कैद की सजा रखी जाए। मैं समझता हूं एक हजार रुपये जुरमाने की सजा भी बहुत ज्यादा है। कौन ऐसा फैक्टरी वाला है जो इतना भारी जुर्माना हर रोज के लिये अदा कर सके और कौन ऐसा फैक्टरी वाला है जो कारखाना बन्द कर दे? यह जुरमाने की शर्त इसी लिये है कि growers और गरीबों को नुकसान न हो।

फिर, स्पीकर साहिब, यह कहा गया है कि हम गरीबों की और growers की मदद नहीं करते या हमें गरीबों से हमदर्दी नहीं। अगर हमें गरीबों से हमदर्दी न होती तो हम हर गांव में बिजली और पानी की supply की स्कीम चालू न करते। हम हर जगह पानी ला रहे हैं, बिजली ला रहे हैं, canals ला रहे हैं तो क्या वह गरीबों से हमदर्दी नहीं? इस लिये, स्पीकर साहिब, गुज़ारिश है कि amendment को जो मैंने पेश की है, पास कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं चौधरी साहिब की amendment put करता हूं फिर amendment की amendments को put करूंगा।

Mr. Speaker : Question is—

For the existing clause, substitute—

"Except when a closure is in accordance with any other law for the time being in force, the State Government shall have the power to prevent the closure of a Cotton Ginning and Pressing Factory, if in their opinion such closure is the result of a monopoly or pooling for the purposes of depressing the price of cotton, and any such closure shall render the owner of such factory on conviction, liable to be punished with a fine which may extend to one thousand rupees for each day of such closure."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

In the amendment, line 5—
Between "factory" and "if" insert "in the manner prescribed".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

At the end of the clause, the following be added—
"or in default of payment of fine for the first day, six months' rigorous imprisonment and Rs 1,000 fine per each further day."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

After the word "factory", in line 5, add—
"by requisitioning such factory and giving it on lease forthwith."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 15, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 16—23

Mr. Speaker : I have not received any amendments to clauses 16—23. If however any member wishes to speak on any of them, he can do so; otherwise I will put these Clauses to the vote of the House together.

[Mr. Speaker]

Question is—

That Clause 16 to 23 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1.

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The moion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I move—

That the Punjab Cotton Ginning and Pressing Factories Bill, 1953, as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Cotton Ginning and Pressing Factories Bill, 1953, as amended be passed.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੜੇ ਪਕਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੰਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਹਾਈ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂੰ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "which may extend to 1000 rupees."।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,000 ਤਕ ਜੋ ਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ ਹੀ ਦਸ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਦ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੀਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ੨ ਆਨੇ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ

ਰਖਿਆ । Factory ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ੨ ਆਨੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ factory ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਮਾਯਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸ ਜਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੜਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੋਟੀ ਮੁੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਦਸੋ । ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਯਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਅਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਪਾਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੁਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਘਟੇਗੀ । Opposition ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ........

अध्यक्ष महोदय : यह मौका बिल के principle पर बहस करने का नहीं है । आप amendment के बारे में बात करें ।

ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ amendment ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ 1,000 ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਨਾਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਅਤੇ amendment ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ support ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री श्री चन्द : (बहादुरगढ़) : साहिबे सदर, यहां अगर कोई बात शहर और देहात के ख्याल से कही जाए तो फौरन कह दिया जाता है कि इन की तो आदत है कि हर मुआमिले में शहर और देहात की तफरीक जरूर करते हैं। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि इस House में कोई बिल ऐसा नहीं लाया जाता बल्कि कोई बात ऐसी नहीं होती जिस में अमली तौर पर शहरों और देहातों में फर्क न रखा गया हो। और शहरों में भी अमीरों का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। यहां आज हमारे Finance Minister साहिब ने फरमाया है कि 1,000 रुपया जुरमाना बहुत है। दूसरे वजीर साहिब ने भी यही कहा और उन के बाद मेरे दोस्त सरदार उत्तम सिंह ने भी यही बात दोहरा दी है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि देहातियों के लिये मामूली जराइम की सजा भी कैद रखी जाती है। आप देखते हैं कि देहात के मुतअल्लक कोई भी कानून बने, कोई बिल आया उस में कैद की सजा जरूर होती है खाह वह जुर्म कितना ही छोटा और मामूली क्यों न हो। लेकिन यहां जैसा कि एक दोस्त ने फरमाया है बस का टिकट न लेने पर भी 1,000 रुपया जुरमाना है और इस बिल में कारखाने वालों के लिये भी वही सजा तजवीज की गई है। कहा गया है कि ज्यादा सजा रखी तो लोग कारखाने न खोलेंगे मगर बस का टिकट न लेने जैसे मामूली जुर्म के लिये 1,000 रुपया जुरमाना की सजा रखते वक्त यह न सोचा गया कि लोग बसों में सवार न होंगे।

इसी तरह घी और दूध में मिलावट की भी यही 1,000 रुपया जुरमाना की सजा रखी गई है। घी में जरा सी मिलावट पाई जाए या कोई दस बीस सेर दूध में सेर दो सेर पानी डाल दे तो उसे भी 1,000 रुपया जुरमाना हो सकता है। लेकिन यहां कारखानादार साजिश कर के देहातियों को कई कई महीने लूटते रहें तो यह कहते हैं कि इन के लिये 1,000 रुपया जुरमाना से ज्यादा सजा रखी गई तो यह पंजाब में सरमाया न लगायेंगे और बम्बई में जा कर कारखाने खोल लेंगे। मैं कहता हूं कि सरमायादार वहीं रुपया लगाता है जहां मुनाफा हो। अगर फाइदा की सूरत हो तो वह जरूर रुपया लगाएगा और अगर फाइदे की सूरत न हो तो आप जा कर उस के आगे माथा भी टेकते रहें वह एक कौड़ी न लगाएगा।

साहिबे सदर, मैंने अपने Finance Minister साहिब को House में कभी गुस्से में आते नहीं देखा मगर आज सरमायादारों के जुरमाने का जिकर आया तो सख्त जोश में आ गये। चौधरी लेहरी सिंह जी हमारी तरमीम मानने वाले थे मगर उन्होंने कान में कुछ कहा और मुआमिला खत्म हो गया। (*Laughter*)

फिर हमारे मास्टर साहिब ने जो मेरे बड़े दोस्त हैं खूब तरीके से सरमायेदारों की मदद की है। उन्होंने कहा है कि सरमायेदार बहुत बुरा है। लोगों को तंग करता है और इसे सजा होनी चाहिये लेकिन वे कहते हैं कि इसे कैद की सजा न दो। अगर इसे कैद की सजा दी गई तो यह पंजाब छोड़ कर भाग जायेगा। नामालूम मेरे दोस्त इस बात का बन्दोबस्त क्यों नहीं करते कि किसानों को मंडियों में न लूटा जाये। मैं अपने मित्रों से दरखास्त करता हूं कि अब भी मौका है तरमीम को वापिस ले लें। लोगों से क्यों मखौल करवाते हैं। President साहिब कहेंगे कि खूब तरमीम की। 1,000 तक जुरमाना कर दिया। हां, not less then one thousand rupees का जुरमाना होता तो भी बात थी। Up to one thousand rupees का जुरमाना क्या जुरमाना है।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਲ ਅਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੋਵੇਗਾ ਦੋ ਚਾਰ ਰੁਪੈ ਹੀ ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 500 ਰੁਪੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਾਂ both ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਮੈਂ ਕੈਦ ਸੀ ਇਕ black-marketer ਵੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ । ਉਹ 500 ਰੁਪ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਖੀ ਜਾਏ । ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਖਲਾਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦਾ ਡਰ ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ black-market ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਭੁਖਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਦਾ ਰਹੇਗਾ ।

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਸਰਦਾਰ ਉਜੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, Finance Minister, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਰੁਪੈ ਘਾਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ।

Mr. Speaker: No reflections, please.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ Opposition ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ Minister ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗੇ ਅਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ--

ਜਟ ਮੀਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਲਾ ਗਾਲਦਾ।

ਪਰ factory-owners ਲਈ ਜਦ ਕੈਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ offence ਨੂੰ cognizable offence ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। Cognizable offence ਤਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਏ ਜੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸਤਗਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੇਰਾ-ਫ਼ੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੀਦਾ ਦਾਨਿਸਤਾ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆਕੇ growers ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਲਈ factory ਬਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪੈ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਘਟ ਹੋਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ influence ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ

ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪੈ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੂਬ ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਹ ਅਪਣੀ factory ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ factory ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ judgment debtor ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕੀ justification ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਦੀ ਜਾਏਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ alternative provision ਕੈਦ ਦਾ provide ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ judgment debtor ਉਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਲੰਮੀ civil litigation ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗੀ "ਹੁਣ ਤੇ ਦੇ ਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ"। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ preventive measure ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ growers ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤੇ afford ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ action ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]
ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ growers ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

सिचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह) : साहिबे सदर ! मेरे दोस्त ने मिसाल दी है कि जाट ही जाट को मार सकता है और जाट ही जाट की बुराही कर सकता है। मैं उन्हें बता दूं कि हमारे Development Minister ने जाटों के फायदे के लिये उन की टुकड़ा टुकड़ा ज़मीन को Consolidate कर के काश्त के काबिल बना दिया है। और पंजाब का नकशः बदल दिया है। मगर फिर भी मेरे दोस्त कहते हैं कि जाट जाट की बुराई कर सकता है। मैं उन से कहूंगा कि वह हिसार और जालन्धर के ज़मींदारों से जा कर पूछें कि पंजाब गवर्नमेंट ज़मींदारों के मुफाद के लिये काम कर रही है या सरमायेदारों के लिये। (*Cheers*) इस के इलावा मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि देहात को electrify करने के लिये सरकार तीन करोड़ रुपया खर्च कर रही है।

Sardar Ajmer Singh : Sir, is it in order to say all these things ? At present the question is whether sentence of imprisonment should be provided in the Bill or not.

Mr Speaker : I admit that the Minister is rather irrelevant. I would ask him to confine his speech to the clause under discussion.

सिचाई मंत्री : साहिबे सदर, मेरे दोस्त कह रहे थे कि जाट जाट को मारता है तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मेरे दोस्त देहातों में ज़मींदारों से जा कर पूछें कि पंजाब गवर्नमेंट उन के सुधार के लिये क्या कुछ कर रही है। सिर्फ ऐसी बात कह देना बड़ा आसान काम है। मेहना इलाके के अन्दर हम ने साबित कर दिया है कि गवर्नमेंट ज़मींदारों के लिये बहुत काम कर रही है। (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Order, please.

श्री श्री चन्द : On a point of order, Sir. बावजूद आप की Ruling के वज़ीर साहिब फिर यही बात दोहरा रहे हैं।

सिचाई मंत्री : इस से पहले कई हकूमतें आईं जिन्होंने ज़मींदारों के मुफाद का नारा बुलन्द किया मगर उन्होंने इस मामले की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान न दिया कि किस तरह ज़मींदारों और Cotton growers को लूटा जा रहा है। हमारे Development Minister सरदार प्रताप सिंह ने इस बारे में सारे हिंदुस्तान में पास किये गये कानूनों का मुतालिया करके यह बिल पेश किया है जिस की हर एक क्लाज़ में growers की मदद की जा रही है। फिर भी मेरे दोस्त कहते हैं कि क्या किया जा रहा है। इस बिल में कपास के

admixture और watering की prohibition जैसे जरूरी प्रबन्ध किये गये हैं और उन के लिये मुनासिब सज़ा भी prescribe की गई है। हर provision में सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं लेकिन फिर भी मेरे दोस्त कहते हैं कि कैद की सज़ा का provision होना चाहिये। अगर कोई डाका की वारदात करे तो फिर उसे कैद की सज़ा दी जाती है। इन सब provisions से ज़मींदारों को बहुत फायदा होगा और मैं openly कहता हूं कि अब १० फैक्टरियां Co-operative basis पर काम कर रही हैं तो अगले सैशन से पहले २५/३० ginning factories Co-operative basis पर चल जायेंगी। विरोधी दलों के मैम्बरों की तकरीरों से आम जनता और इस मुअज़्ज़िज़ एवान के मेम्बर mislead नहीं हो सकते। जो Co-operative basis पर हम step ले रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की हिमायत करने के लिये हैं। दरअसल अगर capitalists की भी मदद हो तो यह कोई बुरी बात नहीं। आप देखें कि आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है। फैक्टरियों के न होने से मुल्क में नाखुशगवार हालात पैदा हो गये हैं। इस लिये मैं हाऊस के मैम्बरों से दरखास्त करूंगा कि व इस बिल को पास करने की हिमायत करें।

(At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair.)

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Cotton Ginning and Pressing Factories Bill, 1953, as amended, be passed.

The motion was carried.

THE COURT FEES (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1954.

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I introduce the Court Fees (Punjab Amendment) Bill, 1954.

Minister for Irrigation : Sir I beg to move—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill, 1954, be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, अर्ज़ यह है कि इस ऐक्ट में (जिस की तरमीम की जा रही है), Banking Companies Act, 1949, के मातेहत दायर की गई अर्जियों पर Court fees लगाने की कोई provision नही। High Court ने कहा है कि ऐसी provision इस ऐक्ट में होनी चाहिए। यह कोई radical amendment नहीं है। दरअसल यह Court Fees Act में एक addition हो रही है। इस में कोई नई चीज़ नहीं है।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill, 1954, be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill, 1954, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE I

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigaiton (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill, 1954 be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill, 1954 be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill, 1954 be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB DISTRICT BOARD (TTEMPORARY CONSTITUTION BILL, 1954.

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : Sir, I introduce the Punjab Distri ct Boards (Temporary Constitution) Bill, 1954.

Minister for Public Works : Sir , I beg to move—

That the Punjab D'strict Boards (Temporary Constitution) Bill be taken into consideration at once.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Punjab District Boards Act ਦੇ ਮਾਤੈਹਤ ਬਣੇ ਹੋਏ board ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ Constitution ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, Boards ਦੀ composition ਤੇ constitution ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, Constitution ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ vote ਦਾ ਹਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, Extension Blocks ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ constitution ਵਿਚ ordinance ਦਵਾਰਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। Ordinance ਦੇ lapse ਹੋਣ ਤੀਕ District Boards ਦੀ permanent constitution ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਣ, ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨਗੇ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

> That the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill, 1954 be taken into consideration at once.

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : डिप्टी स्पीकर साहिब, यह छोटा सा बिल जो वजीर साहिब ने पेश किया है, बजाहिर तो यह छोटा है लेकिन इस के नतीजे और असरात बड़े खतरनाक हो सकते हैं।

Mr. Deputy Speaker : Let amendments to the 'motion for consideration be moved first.

Shri Siri Chand (Bahadurgarh) : Sir, I beg to move—

> That the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill, be referred to a Select Committee consisting of—
>
> 1. Sardar Gurbachan Singh Bajwa, Minister for Public Works.
> 2. Sardar Uttam Singh, M.L.A.
> 3. Rao Gajraj Singh, M.L.A.
> 4. Professor Sher Singh, M.L.A.
> 5. Shri Dev Raj Sethi, M.L.A.
> 6. Shri Sri Chand, M.L.A.
> 7. Sardar Shamsher Singh, M.L.A.
> 8. Sardar Wazir Singh, M.L.A.
> 9. Sardar Achhar Singh Chhina, M.L.A.
> 10. Sardar Darbara Singh, M.L.A.
> 11. Principal Harbhajan Singh, M.L.A.
>
> with a direction to make the report by the 28th of February, 1955.

साहिबे सदर, वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि यह एक छोटा सा बिल है और इसे पास कर दिया जाए। एक वजह यह बताई गई है कि जो मेंबर partition से पहले चुने गए थे, पुराने हो गए थे, उन का representative character नहीं रहा था, लोगों को उन में खास विश्वास नहीं रहा था। दूसरी वजह यह दी गई है कि हम चूंकि elections नहीं करवा सके, इस लिये Ordinance जारी करके अपने आदमियों को लगा लिया और अब बिल ले आए हैं ताकि उन को हटाया न जा सके। यह वजूहात इतनी लचर और बोदी हैं कि कोई इन्हें संजीदगी के साथ पेश ही नहीं कर सकता। यह आदमी जिन को elect हुए 15 साल हो गए थे, ये तो representatives नहीं रहे। क्या वे जिन्हें डिप्टी कमिश्नर आदि नामज़द करेंगे, वे लोगों के representatives होंगे। क्या Deputy Commissioner जो Board का Chairman होगा, वह लोगों का नुमाइंदा होगा ?

[श्री श्री चन्द]

अब दूसरी वजह की बाबत सुनिए । पुराने Elected members इस लिए हटाए जा रहे हैं क्योंकि सरकार नये elections नहीं करवा सकी। यह inefficiency नहीं तो और क्या है ? इस की सज़ा लोगों को क्यों दी जाए। Elected members इस लिये हटाए जायें क्योंकि गवर्नमैंन्ट elections नहीं करवा सकी । क्या अच्छी दलील दी गई है !

गुरद्वारा कमेटी की elections तो हो सकती हैं, मगर District Boards की नहीं, क्यों ?

स्पीकर साहिब ! सात साल के अरसे के बाद गवर्नमैंन्ट को यह बात सूझी है कि ये मैम्बर तो Partition के वक्त के हैं जब कि लोगों के विचार कुछ और थे इस लिये इन को अलग कर देना चाहिए । सन् 1947 से अब तक यह बात हमारी गवर्नमैंन्ट को नहीं सूझी और न ही वह Election करवा सकी है। मैं इस हाऊस के मैम्बरों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष की तरक्की महज़ चन्द शहरों की तरक्की से नहीं हो सकती । इस देश में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं । जब तक सरकार उन के Representatives को पीछे डाले रखेगी उस वक्त तक यह देश तरक्की नहीं कर सकेगा । आज से 70 वर्ष पहले यह चीज़ अंग्रेज़ों ने दी थी । कांग्रेस उस के विरुद्ध 30 वर्ष तक प्रचार करती रही कि nominations अच्छी नहीं होतीं, अफसर नालायक होते हैं, वगैरा वगरा । लेकिन वही चीज़ अब खुद करने लगे हैं । क्या इस का यह मतलब लिया जाए कि nominations अच्छी हैं और यह कि अब हमारे अफसर भी बहुत लायक बन गये हैं । मैं कहता हूं कि ये न सिर्फ लोगों के हकूक पर छापा है बल्कि unconstitutional भी है । लेकिन चूंकि बहुत सारे मैम्बर साहबान उधर बैठे हैं उन की majority है इस लिये वे जो कुछ चाहते हैं पास करवा लेते हैं । परन्तु उन को मैं यह बता देना चाहता हूं कि elected Members के बगैर Upper House की election नहीं हो सकती । मेरे लायक दोस्त समझते होंगे कि Constitution की क्या परवाह है, जब Elections होंगे District Boards के मैम्बर न होंगे तो Municipal Committees के मैम्बरों के ज़रिये हो जायेंगे । लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि यह बात Constitution में लिखी हुई है । इस बात को वे ignore नहीं कर सकते । हमारी असैम्बली को यह इख्तियार नहीं है कि District Boards को तोड़ देवे । जिस प्रकार उन की शकल बदली जा रही है उस का भी उसे इख्तियार नहीं है । यह सब हमारे विधान के विरुद्ध है। विधान में यह लिखा हुआ है कि Upper House का जो elections होगा वह Local Bodies के मैम्बरों की राए से होगा । मेरे लायक दोस्त चाहते हैं कि एक Deputy Commissioner और चंद मैम्बरों को बिठा कर District Boards constitute कर लेंगे । यह विधान में नहीं लिखा हुआ है । उन का विचार है कि मौजूदा मैम्बर उन को रास नहीं आयेंगे । इस लिये वे चन्द अफसरों और Municipal Committee के मैम्बरों के ज़रिए Upper House की election करवाना चाहते हैं । आज तक हमारी सरकार यह फैसला नहीं कर सकी कि हमारी पार्टी के आदमी पंचायतों के मैम्बरों के ज़रिये ज्यादा आ सकते हैं या direct Election के ज़रिए ज्यादा आ सकते हैं । इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के मैम्बरों का फैसला भी नहीं कर सकी । यह सारा फैसला एक हफता में हो सकता है लेकिन मेरे दोस्त अभी तक विचार ही कर रह

हैं। मालूम होता है कि उन को अभी दूसरे Elections से ही फुरसत नहीं मिली है, जैसा कि अभी अभी एक वज़ीर साहिब ने मोगा के बारे में ज़िक्र किया है। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आज तक Municipalities के ऐक्ट को इस के साथ क्यों जोड़ा है, वे इसे क्यों नहीं खत्म करते ? जब भी कोई टैक्स लगाते हैं तो 80 फी सदी दिहाती लोगों पर ही लगाते हैं। ये समझते हैं कि सारे हिंदुस्तान की तरक्की चन्द शहरों की तरक्की से ही हो जायेगी। इस लिये दिहातों को ज्यादा से ज्यादा पीछे डालो। उन की ज़मीनें छीनी जाती हैं, उन पर नये नये टैक्स लगा जाते हैं, लेकिन शहर वालों को आज तक किसी ने touch नहीं किय (*Interruption*)

Mr. Deputy Speaker : Please confine yourself to the amendment.

श्री श्री चन्द : जनाब ! मेरा कहने का मतलब यह है कि वे समझते हैं कि दिहाती लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं चाहे जो मर्ज़ी हो करो, कौन पूछने वाला है। मैं दावे से कहता हूं कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बारे में यह amendment पास करके देख लें यह ऊपर से मन्जूर हो कर नहीं आएगा क्योंकि यह विधान के विरुद्ध है और उन को ऐसा करने का इख्तियार नहीं है। District Boards में दिहातों के चन्द आदमी नौकर थे ये लोग उन को निकाल कर शहर के लोग रखना चाहते हैं। यह इन की नीयत है कि पहले शहर के लोगों को नौकरी दिलवा लो, बाद में Elections करवाए जायेंगे। आराम से 2, 4 Elections Upper House के निकल जायेंगे, बाद में दूसरी असैम्बली आ जायेगी, वह खुद देख लेगी। यह उन का मुद्दा है। मैं उन से पूछता हूं कि क्या उन्होंने इस के बारे में public opinion पूछी है कि कितने दिहाती आदमी इस के हक में हैं? फिर कहते हैं कि हम तो democracy के मुताबिक चलते हैं, जमूहूरियत पर अमल करते हैं। अगर 10 फी सदी दिहाती आदमी भी इस के हक में हों तो बेशक कर दें और अगर सौ फी सदी लोग इस के खिलाफ हों तो न करें और न ही करना चाहिये। इस लिये, डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरी गुजारिश है कि इस को Select Committee के सपुर्द कर दिया जाए और जो नाम मैंने दिये हैं उन मैम्बरों को कमेटी में रख लिया जाये।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill, be referred to a Select Committee consisting of—

1. Sardar Gurbachan Singh Bajwa, Minister for Public Works.
2. Sardar Uttam Singh, M.L.A.
3. Rao Gajraj Singh, M.L.A.
4. Professor Sher Singh, M.L.A.
5. Shri Dev Raj Sethi, M.L.A.
6. Shri Sri Chand, M.L.A.
7. Sardar Shamsher Singh, M.L.A.
8. Sardar Wazir Singh, M.L.A.
9. Sardar Achhar Singh Chhina, M.L.A.
10. Sardar Darbara Singh, M.L.A.
11. Principal Harbhajan Singh, M.L.A.

with a direction to make the report by the 28th of February, 1955.

Sardar Ajmer Singh (Samrala) : Sir, I beg to move—

That the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 28th of February, 1955.

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ motion ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ public opinion ਵਾਸਤੇ circulate ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਫਰਵਰੀ 1955 ਤਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛੇ ਰਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, Local Self Government ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ । Local Bodies ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ State level ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਲੜ ਕੇ Centre ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ।

ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ "ਸੜਕ-ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸ"ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ "ਸੜਕ-ਮਦਰਸਾ ਟੈਕਸ" ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਦਰਸੇ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20, 25 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਵ੍ਹੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ exception ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ administration ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ power ਨੂੰ decentralise ਕੀਤਾ

ਜਾਵੇ ਅਤੇ central ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ rights ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ powers ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ੨ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਖਿਰ decentralization ਦੀ policy ਦਾ underlying object ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ principle ਦੇ ਅਗੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ representative bodies ਹਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਥੇ officialdom ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ majority ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ fundamental principle ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੌ ਹੈ। ਅਜ ਦੇ political ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੱਵਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ--ਕੁਝ ਇਕ ਖਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ undemocratic step ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਚ franchise ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਗਹ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਤਨੀ swollen-headed ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

obligations ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ franchise ਦਾ ਹੱਕ Constitution ਵਿਚ provided ਹੈ ਅਤੇ ਚੂੰਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ local bodies ਨੂੰ ਆਪਣੇ vote exercise ਕਰਕੇ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ is not within its competence to abolish them in this form. ਇਹ ਸਰਾਸਰ Constitution ਦੀ violation ਹੈ । ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗਲਾ ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ autocracy ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ democracy ? ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ...... ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ? (ਅੱਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਾਲੀਆਂ) । ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ । (ਅੱਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਾਲਿਆਂ) । ਆਖਿਰ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਪਾਟ ਜਾਣਗੇ । ਅਜੇ ਤਿਕਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੁਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ right of vote ਯਾਨੀ franchise ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ liabilities ਹੀ liabilities ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । responsibilities ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ

ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ political ਚਾਲ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਦੋ ਧੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ separate ਰਖਕੇ ਉਸ ਪੁਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੋ । ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ ਤੁਸੀਂ district boards ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਨਚਦਾ ਰਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ administration ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ autocratic ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀ । ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖ ਲੋ । ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ-ਮਾਣਸ ਦੀ ਜੁਰੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੁਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਦਰਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ declared policy ਯਾਨੀ de-centralisation ਦੀ policy ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ Constitution ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ franchise ਦੇ right ਦੀ encroachment ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ undemocratic ਅਤੇ unconstitutional ਕਦਮ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਇਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ renew ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ public ਦੀ opinion invite ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 28th of February, 1955.

पंडित श्री राम शर्मा : (सोनीपत) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब ! मैं इस दूसरी तहरीक की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो मेरे काबल दोस्त सरदार अजमेर सिंह ने पेश की है। मैं समझता हूं कि यह एक मज़ीद सबूत है इस बात का कि हमारी मौजूदा गवर्नमैण्ट कैसी अच्छी जमहूरी लाइन्ज़ पर चल रही है। मैं नहीं समझ सका कि आखिर क्या वजूहात हैं हमारी गवर्नमैण्ट के इन lines पर चलने के ? मैं हैरान हूं कि क्या वजह है कि जो लोग हमेशा से ग़ैर मुल्कियों से इस असूल और मकसद के लिये जदोजहद करते रहे कि नीचे से ऊपर तक नुमाइन्दा गवर्नमेंट होनी चाहिए, पावर (power) के अपने हाथों में आ जाने पर खुद अपने असूलों और नारों के खिलाफ़ काम कर रहे हैं ? मुमकिन है कि अब इस गवर्नमेंट में कुछ ऐसा element शामिल हो गया हो जो शुरू से आज़ादी का दुश्मन रहा। आज़ादी और जमहूरीयत ही दो चीजें हैं जिन की नींव पर हिंदुस्तान खड़ा हुआ। लेकिन आज हम इस हाऊस में क्या देखते हैं ? गवर्नमैण्ट सभी इख्तियारात को जनता से छीन कर अपने कब्जा में करना चाहती है।

कांग्रेस का जन्म होने से भी पहले—दो, तीन साल पहले हमारे मुल्क में राज्य करने वाली उस वक्त की विदेशी हकूमत ने इस देश के असली अवाम को जो देहातों में रहते हैं, Self-Government के कुछ इख्तियारात दिये थे। उन्हों ने उन्हें इस बात का इख्तियार दिया था कि फौज, खज़ाने और दीगर बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ कर बाकी के मामलात का इन्तज़ाम अपने नुमाइन्दों द्वारा कर लिया करें। सन् 1883 में लार्ड रिप्पन ने हिंदुस्तान को और उस में दूसरे सूबे के साथ पंजाब को यह इख्तियार दिये। उस ने कहा कि, "ऐ देहातों में रहने वाले लोगो ! चूंकि असली मालक और हाकम तो हम हैं, इस लिये हकूमत की सारी बागडोर तो हम तुम्हारे हाथों में दे नहीं सकते मगर Administration की Training देने के लिये, तरबीयत देने के लिये तुम्हें यह इख्तियार देते हैं कि तुम देहातों का इन्तज़ाम खुद करो— सड़कें बनाओ, मदरसे बनाओ, अस्पताल खोलो और बेशक ऐसे काम अपने areas में शुरू करो जो आम मुफाद के हों। इस काम के लिये रुपया तुम लोकल रेट्स से इकट्ठा करो।

लेकिन, स्पीकर साहिब, आज जब हिंदुस्तान आजाद हो चुका तो पंजाब गवर्नमेंट को शायद यह महसूस होने लगा है कि यह तो गलत बात हुई है। यह इख्तियारात तो गांव वालों को नहीं दिये जाने चाहियें। क्यों District Boards इस तरह से चलते रहें जैसा कि पहले चलते हुए आ रहे थे ? इस लिये एक आर्डीनेंस जारी किया जाये कि जिस से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खत्म हों। क्यों ऐसा हो ? मैं यह समझता हूं कि अगर किसी Board या कमेटी ने कोई जुर्म किया हो, कोई बड़ा भारी कसूर किया हो, कोई बेईमानी की हो या कोई बुराई करे तो उस को सजा दो, लेकिन यकायक सभी District Boards को तोड़ा जाए, किस बिना पर ? फिर उन्होंने कोई गबन किया हो, कोई बदइन्तज़ामी की हो, कोई बहुत बुरा काम किया हो तो आप उस की enquiry करें, उस को record पर लायें।

और वह इस लिये क्योंकि पिछले दो decades से यानी 20 साल हो गए हैं जब से District Boards के Elections ही नहीं हुए तो मैं पूछता हूं, स्पीकर साहिब, यह Elections किस ने कराने थे। क्या किसी गैर-मुल्की ताकत ने आकर कराने थे या गांव के लोगों ने खुद ही करा लेने थे और गवर्नमेंट को आकर इत्तलाह देनी थी कि हमने

Elections करवा लिये हैं। क्या यह ताकत लोगों के हाथ में दी हुई थी और उन्हों ने Elections नहीं करवाए। यह Elections तो इसी गवर्नमेंट ने ही कराने थे तो फिर वजह क्या है क्यों पिछले २० साल के अन्दर District Boards के Elections नहीं कराए गये। आखिर इन पिछले २० साल में ७ साल से तो इन की ही गवर्नमेंट चली आ रही हैं तो इन्होंने भी यह Elections क्यों नहीं कराए! अब यह कहा जा रहा है कि for various reasons elections नहीं कराए गए। तो मैं पूछता हूं कि वह various reasons कौन से थे? क्या यह various reasons भी हम ने बतलाने हैं? क्या वज़ीर साहिब बहस का जवाब देते समय इन various reasons में से दो तीन reasons बतायेंगे कि जिन की वजह से यह Elections इन पिछले सात सालों में नहीं कराए गये।

लोक कार्य मंत्री : माननीय मैम्बर को तो उन का इल्म है। वह भी तो इसी महकमे के वज़ीर रहे हैं। उन्हों ने क्यों Elections नहीं करवा लिये थे?

पंडित श्री राम शर्मा : अगर मेरी बात मानी गई होती और मेरे कहने के मुताबिक काम हुआ होता तो यह Elections कभी के हो गए होते। स्पीकर साहिब, District Boards को तोड़ कर एक तो इन्हों ने गांवों के आदमियों को बिल्कुल फ़ारग़ कर दिया है जो इस काम को मुद्दतों से संभाले हुए थे। दूसरा इन को चाहिये था कि उन लोगों को इन के तोड़ने से पहले Elections न करा सकने के वजूहात तो बताते कि ऐसी मजबूरियों की वजह से वह District Boards के Elections नहीं करा सके। वह मजबूरी के हालात कैसे हो सकते हैं जिन की वजह से Elections न कराए जा सकते हों। इस बारे में मैं अर्ज़ करता हूं। फर्ज करो देश में War छिड़ गई है या कोई और संकट आ गया है जिन की वजह से कहा जा सकता है कि Elections कराने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे हालात में तो यह गवर्नमैण्ट तो क्या किसी भी गवर्नमैण्ट के लिये Elections कराने नामुमकिन हो जाते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि कौन सी ऐसी वजूहात यहां थीं जिन की बिना पर Elections नहीं कराए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर साहिब यह वजूहात बता कर हमारी मदद करेंगे। (विघ्न)

अगर आप लोग सबर से काम लें तो आप को सब समझ आ जायेगा। (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker : Order, Order.

पंडित श्री राम शर्मा : तो मैं कह रहा था कि यह जो बिल हाऊस के सामने अब पेश है गवर्नमेंट को चाहिए था इस को लाने से पहले यह उन लोगों से पूछ लेती, उन की राए इस पर ले लेती जिन के इतने पुराने अधिकार इस के द्वारा छीन रही है। यह इख्तियारात उन को एक लम्बे अरसा से मिले हुए थे। मैं तो समझता हूं कि गवर्नमेंट उन लोगों के साथ जुल्म कर रही है। यह पंजाब की सवा करोड़ आबादी के 85 फी सदी के साथ जुल्म किया जा रहा है। इस बिल के जरिये से गांवों के लोगों को उस ताकत से कता ताअल्लुक किया जा रहा है जो उन के पास पौणी सदी से चले आ रही थी। यह District Boards जो उस वक्त से चले आ रहे थे उन्हें भंग किया जा रहा है। लोग चाहेंगे कि उन्हें बतलाया जाये कि यह जो District Boards इतनी देर से चले आ रहे थे उन को तोड़ने के लिये गवर्नमेंट यह बिल क्यों पास कर रही है। मैं समझता हूं कि यह जमहूरियत पर बड़ा भारी हमला किया गया है और दूसरी बात जो मैं पूछता हूं वह यह है कि ऐसा करने के लिये reasons क्या हैं। क्या उन में

[पंडित श्री राम शर्मा]

इन्तज़ामिया खराबियां आ गई थीं या और बुराइयों की वजह से उन्हें तोड़ा जा रहा है। या सिर्फ Political reasons की वजह से ऐसा किया जा रहा है। अगर यह Political reasons की बिना पर किया जा रहा है तो गवर्नमैण्ट को साफ कहना चाहिए। अगर यह Political reasons की बिना पर कर रही है तो इसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। तब तो यह जो चाहेगी करेगी जैसा के हिटलर और मसलौनी किया करते थे। जो वे चाहते थ करते थे। लेकिन यहां तो विधान और जमहूरीयत के नाम की दुहाई दी जाती है और बढ़िया बढ़िया औसाफ जमहूरियत के बताये जाते हैं पर किया क्या जा रहा है? मेरे ख्याल में यह dictatorship से कुछ कम नहीं हो रहा। तो वाकियात क्या हैं.......

(इस पर डिप्टी स्पीकर साहिब ने घंटी बजाई)

डिप्टी स्पीकर साहिब, क्या मैं जान सकता हूं कि घंटी बजाने का मतलब क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने घंटी इस लिये बजाई है कि आप अपनी स्पीच को wind up करें क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है और बोलने वालों की तादाद ज्यादा है।

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे rules इस बात की इजाज़त देते हैं कि जब तक मैं अपनी स्पीच में irrelevant बातें नहीं करता और repetition नहीं करता तब तक मैं अपनी स्पीच जारी रख सकता हूं। आप time limit नहीं रख सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : Time limit तो नहीं रखी जा रही। मैं तो चाहता हूं कि आप अपनी speech जल्दी खत्म करें ताकि दूसरों को भी बोलने का मौका मिल सके। वक्त बहुत थोड़ा है।

पंडित श्री राम शर्मा : अगर आप मुझे अपनी स्पीच बन्द करने पर मजबूर करना चाहते हैं तो आप इस मामले पर अपनी रूलिंग दें। मुझे आप की रूलिंग चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : Does the Hon. Member want to challenge the orders of the Chair?

पंडित श्री राम शर्मा: मैं बड़े अदब के साथ गुज़ारिश करता हूं कि चाहे rules मुझे बोलने की इजाज़त देते हैं तो भी अगर आप का यह हुकम है कि मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाता हूं But I want your ruling on this point.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप को मजबूर करके बिठाना नहीं चाहता और न ही मैंने कोई time limit मुकरर की हुई है। मैंने तो आप से कहा है कि आप अपनी स्पीच जल्दी खत्म करने की कोशिश करें ताकि दूसरे मैम्बर साहिबान को भी बोलने का मौका मिल सके। मेरा तो आप को यह मश्वरा था।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूं कि अगर यह आप की ruling है तो बेशक मैं बैठ जाता हूं और अगर आप का मश्वरा है तो मैं बोल सकता हूं।

तो मैं यह कह रहा था कि अगर तो लोगों की असूली तौर पर गलतियों और इन्तज़ामिया बुराइयों की वजह से उन के यह rights छीने जा रहे होते तो और बात होती। लेकिन यह गलतियां और बुराइयां सारे पंजाब के District Boards ने एक दम थोड़ी ही कर ली थीं। यह तो साफ ज़ाहिर है कि इस के पीछे political वज़ूहात हैं जिन की वजह से यह अपनी ताकत को तरीके से इस्तमाल करना चाहते हैं। यह जो चाहें वह कहें लेकिन मैं तो कहूंगा कि यह constitutional murder है यह आयनी तौर पर लोगों के उन अख्तियारों का कत्ल है जिन के लिये हमारी Constitution में safeguard रखे हुए हैं। मैं यह कहूंगा कि यह Constitution की spirit के खिलाफ है कि District Boards को इस तरह से बर्खास्त किया जाए। मेरे ख्याल में तो दुनियां के अन्दर भी ऐसी बड़ी कम मिसालें मिलेंगी। यह सब कुछ किस तरीके से किया जा रहा है। पहले तो यह District Boards चल ही रहे थे। देश के Partition के बाद जब से न के हाथों में ताकत आई तो जो सीटें मुस्लमानों के चले जाने से खाली हुई थीं उन्हें इन्हों ने इRefugees के नाम पर ऐसे लोगों से पुर किया जो लोगों के नुमाइन्दे नहीं कहे जा सकते थे। फिर और कई मरते गये या चले गए तो उन की सीटें भी इन्होंने अपने आदमियों को nominate करके भर ली थीं। यह सब कुछ इस हद तक किया गया कि उन Local Bodies की खासीयत ही बदल गई। लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट को सबर नहीं आया। इन्होंने जब देखा कि एक दो District Boards पंजाब में ऐसे रह गए हैं जो गवर्नमेंट के राग से स्वर नहीं अलाप रहे तो उन से political बदला लेने के लिये यह कानून लाया जा रहा है। स्पीकर साहिब, यह एक ऐसी मिसाल है जिस का सानी दुनिया में नहीं मिलने का और इस से मौजूदा सरकार ने उन आइन्दा आने वाली गवर्नमेंटस के लिये एक रास्ता खोल दिया है कि जो लोग उन की मर्ज़ी के न होंगे या उन की हां में हां न मिलाते होंगे तो वह उन्हें यकतरफ़ा कार्यवाही कर के हटा देंगी;।

जैसा कि पिछली War के अन्दर Churchill ने यह तरीका बनाया कि जो भी War में हारा उसे फांसी होगी। इस लिये मैं कहता हूं कि चाहे यह बात constitutional है चाहे किसी Law के मुताबिक है मगर उन्हें भी इस बात के लिये तैयार रहना चाहिये कि जब गवर्नमैण्ट इन के हाथ में न रहे तो इन्हें भी Local Bodies से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाये। चूंकि ऐसी बातें Democracy के खिलाफ हैं इस लिये उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें District Boards पर हर तरह से काबू पाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। मुझे अपनी life का तजरबा है, मैम्बरी का और वज़ारत का भी और उस की बिना पर मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई गवर्नमैण्ट अपनी political opposition को इस तरह ज़ेर करना चाहती है तो वह अपना और अपने मुल्क का नुकसान कर बैठती है और सरकार की इस बेसमझी का खम्याजा सब को भुगतना पड़ता है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि देहातियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि सोनीपत और हिसार की या और कई जगह की Municipalities की Elections कब हुई? और जहां एक दो जगह पर हुईं वह भी मुझे मालूम है कि कैसे

[पंडित श्री राम शर्मा]

हुई। इन के आदमी दौड़ते हैं कि कुछ इस तरह से हलके बनाए जाएं, इस तरह से ward तलाश करें कि इन के अपने आदमी कामयाब हों। मैं देखता हूं कि जिस भी Municipality को बर्खास्त किया जाता है वह इस वजह से नहीं कि वह बेईमानी करती है या उस का इन्तज़ाम नाकस है बल्कि उसे suspend करने की political considerations होती हैं। कोई अच्छी गवर्नमेंट कमेटियों को इस तरह suspend नहीं करती और अगर suspend किया भी जाए तो लोगों को इस की वजह बताई जाए। कुछ कमेटियां ऐसी हैं जिन की Elections न जाने कब हुई थीं।

Mr. Deputy Speaker: The Hon. Member is not relevant. He should know that Municipal Committees are not under discussion.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं ने तो मिसाल दी थी कि देहाती लोगों के साथ जिस में कि आप भी शामिल हैं, ज्यादती हुई है। वैसे तो वज़ीर साहिब भी इन्हीं में शामिल हैं मगर वज़ीर साहिब के बस की बात नहीं। यह ज्यादती अगर शहरी लोगों के साथ होती तो भी नाकाबिले बरदाश्त होती। मैं तो इस ज्यादती का ज़िक्र कर रहा हूं, कमेटियों पर बहस नहीं करना चाहता।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं। गांव की पंचायत Elections हो गई। इन्हों ने गांव वालों से कहा कि यह लीजिये अपना राज संभालिये। यह आप के दरवाजे पर हाज़िर है। कितना बढ़िया राज है। राज तो 1883 में ही दे दिया गया था जब Local rate या Government की aid के लिये देहातियों के पैसे छीने गये थे। और फिर यह राज तभी तक है जब तक कि पंचायत की पार्टी Government को suit करती है। वरना इसे भी suspend कर दिया जाएगा। अगर ऐसे suspend किए गए पंचों को एक line में खड़ा कर दिया जाए तो शायद यह जालन्धर तक पहुंच जाए। और फिर इन पंचों को rights कैसे दिए हैं। थानेदार आता है तो हुक्म पहुंचता है कि थानेदार साहिब ने बुला भेजा है हाज़िर होईये। यह पंचों और देहातियों के साथ बदसलूकी नहीं तो और क्या है। मैं खुद देहाती नहीं हूं, एक छोटे से कसबे में पैदा हुआ हूं मगर ऐसी हरकतें किस तरह बरदाश्त की जा सकती हैं।

फिर कहा गया है कि चूंकि अब पुराने हालात नहीं रहे इस लिये अब इन्तज़ाम Deputy Commissioner, A. D. M., District Inspector of Schools और तहसीलदार वगैरा की मदद से चला रहे हैं। यानी जो लोगों के नुमांयदे हैं वह पुराने हो गए हैं और अब यह अफसर इन्तज़ाम करेंगे। इन का यह logic बिल्कुल लचर और बेमानी है। इस का मतलब सिवाए लोगों के ज़ेर करने के, उन में दहशत फैलाने के और कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट कम से कम यह करे कि इस बिल को circulate करे लोगों की राए हासिल करने के लिये कि देहाती इस बारे में क्या कहते हैं। अगर उन की मर्ज़ी हो तो यह या कोई और interim arrangement किया जाए। मैं वज़ारत से पूछता हूं कि आप Elections कब करायेंगे। मुझे यकीन है कि Elections नहीं होंगी और इसी तरह से अगली जैनरल Elections के पास ले जायेंगे। मैं जानता हूं कि यह इस बात को decide ही नहीं कर सके कि Elections पंचायतों के ज़रिये कराई जायें या न। सोचते हैं कि इन्हें फायदा किस तरह होगा। मुझे इस बात का इल्म है कि यह बिल्कुल आज़ाद

काम है। यह एक तजवीज़ थी कि हरेक पंचायत दो मैम्बरों को चुने। और फिर जो यह interim arrangement है यह ऐसा नहीं जैसा कि आम तौर पर दूसरे मुल्कों में है। मैं तो कहता हूं कि यह एक political crisis है और जो तरीके यहां पर constitutional बताये जाते हैं वह और कहीं नहीं। इन्हें सब कुछ जायज़ है। पूर्वी पंजाब में क्या नहीं हुआ, Travancore Cochin में क्या नहीं हुआ, पिछली वज़ारतों ने क्या कुछ नहीं किया है, खिज़र हयात वज़ारत ने क्या नहीं किया है? सब कुछ किया है। लेकिन जब masses ऐसी वज़ारतों से कट जाते हैं, उन के पीछे से हट जाते हैं तो ऐसी वजारतें कायम नहीं रहतीं। लोगों के feelings को रोका नहीं जा सकता। अगर हमारी गवर्नमैण्ट दूर नहीं देख सकती तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ही देख ले और समझे कि ऐसा कोई तरीका उन के काम नहीं आया। जिन लोगों को घेर कर 6, 6 साल से जेलों में बन्द कर रखा था उन्हीं को अब कहना पड़ा है कि आईये काम चलाईए। आप किस ख्याल में बैठे हैं? इस लिये मैं गवर्नमैण्ट को मशवरा देता हूं कि लोगों की राए जाने बगैर ऐसा खतरनाक बिल पास न करें।

मुख्य मंत्री (श्री भीम सैन सच्चर) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस वक्त इस बहस में हिस्सा लेता और फिर पंडित श्री राम शर्मा जी ने जो दिल लुभाने वाली तकरीर की है, उस के बाद तकरीर करना घाटे में रहने वाला मामला होता है। मगर मैंने तकरीर के लिये तकरीर तो करनी नहीं, मैं तो सिर्फ एक दो ऐसी बातें हाऊस के सामने रखना चाहता हूं जिन से कि debate में मदद मिल सके—

डिप्टी स्पीकर साहिब! यह एक खुली बात है कि District Boards के elections हुए कई साल गुज़र चुके हैं। इस बात को मेरे फाज़िल दोस्त भी मानते हैं कि elections हुए मुदत हो गई है। गवर्नमेंट को मुखतलिफ अतराफ से कहा गया है कि इतने पुराने जो elections हो गए हैं इन को इसी तरह पुराने ढंग पें रहने देना सही नहीं। यह एक मुनासिब इतराज़ है और मैं मानता हूं कि जो नुमायंदे चुने गये थे वे कई साल पहिले चुने गये थे और अब वह नुमाइन्दे बदल देने चाहियें। डिप्टी स्पीकर साहिब! आप कहेंगे कि अगर आप मानते हैं कि elections पुराने हो चुके हैं District Boards के मौजूदा मेंबर लोगों की सही नुमाइन्दगी नहीं करते तो आसानी से elections के लिये orders दे देने चाहिए थे ताकि District Boards में नए नुमाईन्दे आ जाते। मैं इस बात को तसलीम करता हूं और मेरी इस बात से हाऊस के दोनों एतराफ को इतफाक होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की नुमाइन्दगी बोसीदा हो गई है और District Boards के मेंबर लोगों के सही नुमाइन्दे नहीं रहे। उस सूरत में सवाल यह था कि आया General Elections करवा दिए जाएं या नहीं। elections के लिये order देने से पहिले कई बातों का ख्याल रखना ज़रूरी था।

मुझे पूरा एतराफ है कि मेरे फाज़ल दोस्त पंडित श्री राम शर्मा के मुकाबिला में मैं उन जैसी समझ का मालिक नहीं। वह political चालों को खूब समझते हैं। मैंने तो उन से ऐसी चालें सीखनी हैं क्योंकि वह इन चालों में कमाल रखते हैं। मैं तो उन का शागिरद हूं। मैं ने यह भी उन से सीखना है कि elections को किस वक्त कराना चाहिए।

[मुख्य मंत्री]
सीधी सादी बात यह थी कि किस तरह गांवों के निजाम को नुमाइन्दा बनाया जाए। इस सिलसिले में हमने एक तजवीज पेश की थी और पंचायत राज को दिहाती लोगों के हाथों में दे दिया। इस में मेरे फाज़िल दोस्त पंडित श्री राम शर्मा का काफी हाथ था। इन्होंने इस तजवीज को कामयाब बनाने में बहुत मदद दी। मैं इन को इस काम पर मुबारिकबाद पेश करता हूं। इन के वक्त में ही कानून पास किये गये और खुले तौर पर गावों के अन्दर चुनाव किये गये। हमने यहां तक ही बस नहीं की कि गांवों के लोगों को राज दे आए हैं या नहीं दे आए हैं। बल्कि हम तो इस कोशिश में हैं कि गांवों के लोगों को अपने इन्तजाम खुद करने के लिये ज्यादा से ज्यादा इख्तियार देना चाहते हैं।

मैं तो एक सरल सी बात को आप के सामने रखता हूं कि गवर्नमेंट की पालेसी वाजह तौर पर यही है कि गांव वाले अपने कामों को खुद करें। जहां तक उन के हवाले ज्यादा से ज्यादा ताकत की जा सकती हो, की जाए। मुझे इस बात के कहने में हिचक्चाहट नहीं क्योंकि मैं एक ज़िम्मेवार जगह से खड़ा हो कर कह रहा हूं कि हम तो यह चाहते हैं कि कोई ऐसी तजवीज पेश की जाए जिस से गांव की तमाम आमदन और इस के सारे revenue को गांव वालों की मर्ज़ी पर छोड़ सकें और वे खुद जिस तरह मुनासिब ख्याल करें इसे खर्च करें (तालियां)। इस का मुद्दा यह है कि गांव वाले ज्यादा से ज्यादा ताकत अपने हाथों में ले सकें। इस बात को डिप्टी स्पीकर साहिब, आप भी मानेंगे कि सरकार यह चाहती है कि गांव वालों की सारी ज़रूरियात गांव में मुहिया नहीं होतीं और आप सब को पता है कि गांव वालों का आधार किन पर है।

डिप्टी स्पीकर साहिब आप को पता है कि National Extension Blocks बनाए गए हैं। फिर इन में Development Blocks बनाए गए हैं और इन Development Blocks के सामने क्या चीज़ है? वह चीज़ यह है कि 100 के करीब गांवों को या 80 या 90 गांवों को इकट्ठा करके हम एक organisation बना देते हैं। फिर यह देखना है कि उस Development Block ने क्या करना है यही कि गांव वाले अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकें। यह सब गांव के लोगों के फायदे के लिये है (*Interruptions*)।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि यह एक मामूली सी argument थी। इस को भी हो सकता है कुछ मेंबर साहिबान न समझ पाये हों। यह तो एक साधारण बात है कि District Boards के सिलसिले में मुनासिब क्या है। मेरे फाज़िल दोस्त हो सकता है यह कहें कि इस को पेश करने के लिये क्या मुसीबत आ गई थी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि Development Block में एक organisation है जिस में गांव वालों को शामिल करके उन को ताकत देनी है। अब यह देखना है कि यह organisation किस तरह काम करे और इस के पास कौन कौन से काम हों और Development Block के पास कौन कौन से काम हों। Development Blocks के पास पहले क्या काम हैं। Development Blocks में तहसीलें हैं। हर तहसील में 3 units हैं। अब यह देखना है कि इन units का तहसील से क्या ताल्लुक है। फिर तहसील और unit में क्या निसबत हो और इन का आपस में क्या ताल्लुक हो। बुनियादी चीज़ यह है कि सरकार यह चाहती है कि इस सारे काम का जो भी initiative है वह सीधे तौर पर गांव के अन्दर रहे ताकि गांव वाले अपनी भलाई के लिये Development Blocks की स्कीमों पर काम कर सकें। जहां 100 गांव

वाले मिल जायें वहां पर एक ब्लाक बना दिया जाता है। असल में Development Blocks इसी लिये बनाए गए हैं कि गांव वालों को अपनी मदद आप करने के लिये ताकत दी जाए।

फिर तहसीलों का सवाल है। फिर यह सवाल है कि तहसीलों में कितने units हों rural units को नुमाईन्दगी कितनी और कैसे दी जाए और urban units को कितनी, फिर दोनों को मिलाकर कितनी दी जाये। गांव वालों को ताकत ज्यादा देने के लिये ही पंचायत राज कायम किया गया है। पर organisation को चलाने के लिये कई सवाल हमारे सामने हैं। जैसे कि मध्य भारत की जनपद कमेटी का सवाल है। कई किस्म के सवाल हैं। जैसे कि गांव वालों के पास क्या ताकत हो? गांव वालों को ऐसी ताकत दी जायं जिस से ज्यादा से ज्यादा फायदा गांव वालों को मिल सके।

मगर मैं इस बात को कबूल करता हूं कि हमारा कसूर है कि हम अभी तक यह कतई फैसला नहीं कर सके कि ताकत Development Blocks के आधार पर दी जाये या तहसीलों के आधार पर।

श्री केदार नाथ सहगल : On a point of Order, Sir. मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या Chief Minister साहिब relevant हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : He is relevant. वह इस लिये relevant हैं क्योंकि वह बता रहे हैं कि elections किस तरीके से कराए जायेंगे।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ ਫਿਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ relevant ਕਿਸ ਗਲ ਵਿਚ ਹਨ।

उपाध्यक्ष महोदय : He is relevant.

मुख्य मंत्री : वह फैसला क्या है? यही कि पंचायत के बाद कौन सी unit बनाई जाए। इस वक्त District Board एक unit है। अगर इस को तोड़ना है तो इस के functions कहां फैंकें। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि यह functions सरकार अपने हाथ में न लेगी (Hear, hear)। मगर सब कुछ पंचायतों को भी नहीं दिया जा सकता। इस लिये सवाल पैदा होता है कि तहसील की कोई unit बनाई जाए या कुछ और किया जाए। यह फैस्ला करने में कुछ देर तो लगेगी मगर मेरा ख्याल है कि हम Budget Session तक इसको finalise कर लेंगे कि District Board को रहने दें या कोई और unit मुकर्रर करें। वह Lord Ripon वाला सिलसिला आसान था। उन्होंने जिले को काबू में रखना था इस लिये उस को unit बना लिया। चुनांचि District Board कायम हुआ। मेंबरों ने अपने गांवों और गलियों तक में कुछ न कुछ बनवा लिया, साहिब से हाथ मिलाया और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मगर हम सब initiative गांव वालों को देना चाहते हैं। आप खुद भी महसूस करते होंगे कि इस वक्त पंचायत या गांव और District Board एक दूसरे से किस कदर दूर हैं। पस अगर यही हाल रहा तो पंचायतें कैसे Develop हो सकती हैं? हम पंचायतों को इसी हाल में नहीं छोड़ सकते। मैं तो चाहता हूं कि वे live units हों और units का सिलसिला जुड़ा हुआ हो।

[मुख्य मंत्री]

अब आप कह सकते हैं कि जहां दस पन्दरह बीस साल इन्तजार किया एक साल और कर लेते। मगर अर्ज यह है कि 21 साल का इन्तजार 20 साल के इंतजार से यकीनन ज्यादा बुरा है इस लिये बुराई को जिस कदर भी कम किया जा सके वही अच्छा है (हंसी)। इस सिलसिले में ऐसी बातें करना ठीक नहीं कि कहर आ गया फांसी लग जायेगी वगैरा। फांसी तो जिस को लगनी है लग ही जायेगी और आप भी देख ही लेंगे कि किस को लगती है। लेकिन ज़रा सोचिये कि अगर हम अब पुराने basis पर elections करा देते और फिर 6 महीने के बाद कुछ और फैसला कर देते तो क्या सिर्फ 6 महीने के लिये लोगों को इस सारे झगड़े में डालना मुनासिब था? सियासी बुनियाद की बातें करना भी मुनासिब नहीं है। यह elections तो होने ही हैं। बस unit बनने की देर है और मैं उमीद करता हूं कि हम Budget Session से पहले फैसला कर लेंगे।

पंडित श्री राम शर्मा : और election कब होंगे?

मुख्य मंत्री : मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि unit की form का फैसला होते ही नई election के basis वगैरा के बारे में immediate orders दे दिये जायेंगे (तालियां)। मैं आप को पहले ही एक advance information दे देता हूं ताकि आप तैयारी कर लें।

A voice : और आप भी ।

मुख्य मंत्री : हमारी तैय्यारी तो आप की मेहरबानी का नतीजा है। उस के बारे में आप ने हमारी पहले ही काफी मदद की है।

पंडित श्री राम शर्मा : और ग़नी साहिब ने भी खूब कंढा दिया ॥

मुख्य मंत्री : वह कंढा भी और किस्म का था। खैर अगर आप Public की राये को हमारी तजवीजों के हक में नहीं समझते तो मैं आप को Challenge करता हूं कि इस issue पर बेशक Public की राय ले लें। मेरी आवाज़ अगर Press तक जा सके तो मैं उन से कहूंगा कि अपने Columns इस बारे में इजहार राय के लिये सब लोगों के लिये खुले छोड़ दें। मैं फिर अर्ज़ करता हूं कि District Boards के बारे में जो तबदीलियां की जा रही हैं और जो शकल बदली है वह सब इसी लिये किया गया है कि राये आमा के आगे सर झुका कर पुराने बोसीदा निज़ाम को बदल दिया जाये। पस हम इस सारे मामले को examine करा रहे हैं और जैसा कि मैं ने अर्ज़ किया Budget Session तक फैसला कर सकेंगे। यह सीधी सी बात है लेकिन अगर मेरे दोस्त किसी और वजह से debate को जारी रखना चाहते हों तो उन की मर्जी।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ (ਡਿਹਲੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦੀ speech ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ District Boards ਤੋੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਾਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ

ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਹ ਐਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ franchise ਅਰਥਾਤ vote ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1885 ਵਿਚ District Boards ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਤੁਕ ਕਦੇ ਕੋਈ District Board supersede ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ Municipal Committees supersede ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ District Boards ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ L. R. ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿ District Board ਕਿਵੇਂ supersede ਕੀਤੇ ਜਾਣ। L. R. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਦਸਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ Act ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ District Boards ਦੇ ਕਮ ਬਾਰੇ Local Bodies ਦੇ Inspector ਦੀ report ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਸਦੀ report District Boards ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ supersede ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Democracy ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕੀਤਾ ਤੇ Constitution ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ power ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਈ District Boards ਦੇ non-officials ਵੀ chairmen ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਠੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ non-Official Chairman ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਦਿਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨੰਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਉਣ ਹੋਵੇ ਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ District Boards ਉੜਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ elections ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੈ

[ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ]

ਅਸਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ constituencies ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ resolutions ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ elections ਕਰਵਾਓ। ਪਰ elections ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ Challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ referendum ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਜੇ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨ ਹੋਣ ਤਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ elected ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ representative capacity ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ representatives ਕੌਣ ਹਨ। ਹੁਣ representatives ਹਨ Deputy Commissioner, ਅਫਸਰ ਮਾਲ, District Inspector, Health Officer ਵਗੈਰਾ, ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ District Board Hall ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਿਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿਨ ਵਜੇ ਤਕ Deputy Commissioner ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ District Board ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, District Board ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ Rest-house ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ District Board ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਉਤੇ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦਾ Social worker ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। Deputy Commissioner ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। Rest-house ਵਿਚ 25 ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ flush ਦੀਆਂ ਟਟੀਆਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾ ਘਰ ਜਾਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ elections ਤਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ blocks ਬਣਨੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਨ ਗੀਆਂ ਤਾਂ indirect elections ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨ ਬਣਿਆ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Thana Union ਤੇ Tehsil Unions ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਫੇਰ ਵੀ ਨ ਬਣਿਆ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ District Boards ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ local bodies ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, District Boards ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਸ House ਵਿਚ ਜਦ ਮਈ ਵਾਲਾ Session ਜਾਰੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। Session ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ Ordinance ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਇਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ Budget Session ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ elections ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ elections ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ elections ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਰੁਪੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਬਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, tanks ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

(The Assembly then adjourned till 2 p.m. on Thursday, the 4th Novembe 1954.)

1470 PVS—284—15-11-55—CP and S. Punjab, Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha

Debates

4th November, 1954

VOL. III—NO. 4

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, 4th November, 1954

CHANDIGARH :

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab

1956

Price : Re

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, 4th November, 1954

The Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

TYPISTS

*3433. **Shri Wadhawa Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government has framed any rules as to the maximum number of pages which a typist employed in the Government service may be required to type in a day; if so, the number so fixed

(b) whether the Government is aware of the fact that overtime work is taken from the typists without paying them any extra remuneration; if so, the reasons therefor?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) No rules have been framed on the subject but, generally, a typist is required to type not less than 25 pages, consisting of at least 300 words each in a day;

(b) Generally no overtime work is taken from the typists and like other Government servants they have to finish their work daily. In the Punjab Civil Secretariat, however, sometimes lengthy, urgent and immediate work which cannot brook delay and cannot be finished by the typists within office hours is got done outside office hours on payment of suitable honorarium to the officials concerned.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ overtime ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : 'मुनासिब' का यह मतलब है कि अगर उन की रोज़ाना तन्खवाह 4 रुपये बनती है, तो overtime allowance 25 सफे type करने पर 4 रुपये दिया जाता है ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਕੋਈ rule ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ overtime allowance ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : 25 सफ़े फालतू type करने पर एक दिन की average तन्खाह उन्हें दे दी जाती है। ज्यादा सफ़े हों तो allowance उसी हिसाब से बढ़ जाता है ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ?

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी: ऐसी कोई शिकायत नहीं आई ।

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ : ਇਹ overtime allowance ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : जिन जिन ने overtime काम किया था ।

REPRESENTATION FROM THE HARIJANS OF VILLAGE BILASPUR KALAN, DISTRICT GURGAON

*3686. **Shri Babu Dayal**: Will the Development Minister be pleased to state whether he has recently received any representation from the Harijans of village Bilaspur Kalan, tehsil and district Gurgaon, stating that their houses had been flooded by a nala during the year 1952-53 and asking for relief ; if so, the action if any, taken by the Government thereon ?

Chaudhri Lahri Singh : No representation was received recently from the Harijans of village Bilaspur Kalan. No relief was given to them during the year 1952-53 as no funds were available at that time.

श्री बाबू दयाल : क्या मंत्री जी के पास यह इत्तलाह आई है कि ऐसी representation ज़िला के Deputy Commissioner के पास पहुंची है ?

सिंचाई मंत्री : हमारे पास ऐसी कोई representation नहीं आई ।

श्री बाबू दयाल : क्या Deputy Commissioner साहिब गवर्नमेंट में शामिल नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो आप को भी पता होनी चाहिए । (Surely, the hon. Member knows this himself.)

TRAVELLING ALLOWANCE TO MINISTERS

*3714. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total mileage covered by each of the Ministers' Cars during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September) together with the total expenditure in each case on mobil-oil and petrol;

(b) the total amount paid to each of the Ministers for Travelling and Daily Allowance during the period mentioned in part (a) above;

(c) the total number of days on which each of the Ministers stayed in the Capital during the above-mentioned period ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): A statement containing the requisite information is given below:—

PART (a)

Total mileage covered by each of the Ministers' cars during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to the 1st September, 1954) with the total expenditure on mobil-oil and petrol in each case.

1952-53				1953-54				1954-55 (*up to 1st September, 1954*)			
Car No.	Mileage covered	Cost of mobil-oil	Cost of petrol	Car No.	Mileage covered	Cost of mobil-oil	Cost of petrol	Car No.	Mileage covered	Cost of mobil-oil	Cost of petrol
		Rs A. P.	Rs A. P.			Rs A. P.	RS. A. P.			Rs A. P.	Rs A. P.
PN-1 ..	18,485	164 12 0	3,273 5 3	PN-1	26,244	228 7 3	4,506 8 3	PN-1	10,623	133 10 3	1,711 15 3
PNS-433 ..	27,561	167 10 9	5,208 13 6	PNS-433	33,278	118 4 9	2,805 6 9	PNS-433	15,976	229 2 9	2,948 1 9
PN-2 ..	29,157	107 14 6	5,133 3 0	N-2	36,776	253 7 9	6,393 7 9	PN-2	12,762	116 14 9	2,036 8 3
PN-3 ..	21,289	155 2 3	4,223 8 3	PN-3	28,043	3 15 9 7	5,085 12 6	PN-3	15,837	183 10 6	2,406 8 0
PN-4 ..	21,917	64 1 3	3,872 6 6	PN-4	26,374	73 8 0	4,743 14 0	PN-4	9,692	32 0 0	2,126 15 6
PN-5 ..	27,324	189 13 0	4,735 13 3	PN-5	33,949	205 0 3	4,841 6 3	PN-5	20,321	146 13 9	2,869 12 9
PN-6 .	21,053	178 13 0	4,003 3 0	PN-6	33,337	252 7 0	5,945 10 6	PN-6	15,155	89 15 0	2,498 0 0
PN-7 ..	16,194	113 15 3	3,007 2 0	PN-7	28,334	139 10 6	4,833 10 9	PN-7	11,676	91 0 3	1,870 14 3

Chief Parliamentary Secretary]

Minister		Part (b) Total amount of T.A. and D.A. paid to each Minister during the period			Part (c) Total number of days on which each Minister stayed in the Capital during the period
		Rs.	A.	P.	
Chief Minister	..	5,675	10	0	537
Development Minister	..	8,805	3	0	275
Irrigation and Power Minister	..	6,365	4	0	432
Finance Minister	..	6,704	11	6	511
Education Minister	..	9,734	4	0	293
Public Works Minister	..	6,186	1	0	413
Labour Minister	..	6,329	4	0	404

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी साहिब बतायेंगे कि Car No. PN-4 पर जिस की mileage 57,983 बताई गई है mobil-oil पर खर्च सिर्फ़ 169 रुपये क्यों आया है जब कि दूसरी कारों पर mobil-oil पर बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है ?

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : किसी कार में नुक्स पड़ जाने की वजह से mobil-oil पर ज़्यादा खर्च आता है। यह खर्च mileage पर depend नहीं करता। It depends upon the condition of the car.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या इस कार के सिवा बाकी की सब कारों में कोई न कोई नुक्स है जिस की वजह से mobil-oil पर ज़्यादा खर्च आता है ?

Mr. Speaker: He has already replied that it depends upon the condition of the car.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिबान Chief Minister साहिब की मरजी और इजाज़त से दौरा करते हैं ?

Mr. Speaker: It has no connection with the original question.

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਇਕ ਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ ?

Mr. Speaker: This has already been replied to.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : Development Minister साहिब 592 दिन दौरे पर रहे और उन्होंने 8,805 रुपए T. A. लिया। Education Minister साहिब...

Mr. Speaker: Not allowed.

APPOINTMENT OF HIGH POWERED ANTI-CORRUPTION COMMITTEE

***3770. Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to appoint a high powered Anti-Corruption Committee in the State; of so, the details thereof?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : There is a proposal to set up a separate department for Anti-Corruption. The details are being worked out.

श्री राम किशन : क्या इस Anti–Corruption Committee के बनने के बाद वह committee खत्म कर दी जायेगी जो पहले corruption को हटाने का काम कर रही है ?

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : The details are being worked out. जब आखिरी फैसला हो जायेगा, तो उस वक्त इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री राम किशन : इस नई committee के बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : यह एक high powered Committee होगी और corruption के cases में मुनासिब छान बीन करेगी । गवर्नमैण्ट ने इस की ज़रूरत महसूस की है ।

श्री राम किशन : क्या इस के बनने के बाद वह पहली committee function करती रहेगी ?

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : जो कमेटी function कर रही है, उस का नाम तो भ्रष्टाचार नाशक कमेटी है ।

श्री राम किशन : क्या चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी साहिब बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा भ्रष्टाचार नाशक कमेटी में कौन कौन सी कमियां थीं जिन को दूर करने के लिए उन को नई high-powered Anti-Corruption Committee बनाने की ज़रूरत महसूस हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : इस के लिये आप को अलहदा सवाल पूछना चाहिये ।
(The hon. Member should give a separate notice for this question.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं दरयाफ्त कर सकता हूं कि नई high powered Anti-Corruption Committee कौन कौन सी ज़्यादा importance की बातें कर सकेगी ? पहली में कौन सी कमियां हैं ?

Mr. Speaker : It is a separate question and not a supplementary to this question. A separate notice should be given for it.

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब यह सवाल उन के जवाब में से पैदा होता है ।

Mr. Speaker : I am sorry. It does not arise out of the main question.

श्री राम किशन : क्या चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी साहिब बताने की कृपा करेंगे कि नई कमेटी में official members होंगे या कि non-official ?

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : अभी इस सिलसिले में details work out की जा रही हैं । कोई फैसला नहीं हुआ कि कौन कौन से मैम्बर होंगे ।

श्री राम किशन : क्या मैं दरयाफत कर सकता हूं कि पेश्तर इस के कि details work out की जाएं गवर्नमैण्ट ने कोई circular इस के बारे district authorities को भेजा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छा करते यदि आप अलहदा सवाल पूछ लेते। मैं separate सवाल admit कर लिया करूंगा। इतनी देर में और सवाल पूछे जा सकते हैं।

(It would be better if the hon. Member asks a separate question to elicit this information. He may rest assured that all such questions would be admitted. But during this period many other questions can be asked.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि बाज़ ऐसे supplementary questions होते हैं जो कि सब के सब पहले ही नहीं पूछे जा सकते। वे वज़ीर साहिबान के जवाबों में से पैदा होते हैं। इस लिये हमें इन को पूछने की इजाज़त होनी चाहिये।

Mr. Speaker: Shri Ram Kishan.

श्री राम किशन : मैं जानना चाहता हूं कि details work out करने से पहले कोई circular district authorities को भेजा गया है ?

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : मैं ने अर्ज़ की है कि अभी details work out नहीं की गईं। जब कोई फैसला होगा तो उन को नोटिस दे दिया जायेगा।

श्री राम किशन : उन के कहने के मुताबिक अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, क्या वे जानते हैं कि मुख्य मंत्री साहिब ने इस के बारे में Press को एक स्टेटमैंट दी है ?

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : उन्हों ने सिर्फ यह बयान दिया है कि एक high powered Anti-Corruption Committee बनाई जायेगी जिस की extensive powers होंगी। Details के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री राम किशन : इस कमेटी की functions के बारे में कोई स्टेटमैण्ट दी है या नहीं ?

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : यह कहा है कि इस को बड़ी powers होंगी और यह बड़े २ अफसरों के खिलाफ तहकीकात करेगी।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या बताने की कृपा की जायेगी कि पहली कमेटी जिस के Chief Minister साहिब Chairman हैं High Powered कमेटी नहीं है ?

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : अगर आप नोटिस दे देवें तो आप को फर्क बताया जा सकता है।

श्रीमती सीता देवी : क्या चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी साहिब बतायेंगे कि इस नई कमेटी को यह power होगी कि किसी मामले की enquiry करके at the spot फैसला दे सके या कि पहली कमेटी की तरह ही होगा ?

Mr. Speaker : It does not arise please.

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ enquiry ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ enquiry ਕਰ ਸਕੇਗੀ ? (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Order please.

प्रोफैसर शेर सिंह : नई high powered Anti-Corruption Committee का क्या scope होगा ? उस में सरकारी अफसर ही शामिल किये जायेंगे या कि गैर सरकारी सदस्य भी ?

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : इस कमेटी को final shape अभी तक नहीं दी गई । इस लिये कुछ नहीं कहा जा सकता ।

Mr. Speaker : This question has already been asked. Please sit down.

श्री राम किशन : क्या यह कमेटी सिर्फ सरकारी अफसरों के विरुद्ध ही enquiry करेगी या कि गैर सरकारी साहिबान के खिलाफ भी ?

Chief Parliamentary Secretary : Details are being worked out.

EXPENDITURE ON THE BUNGALOWS OF MINISTERS

***3715. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Chief Minister be** pleased to state the total expenditure incurred on each of the Ministers' bungalows and their personal staff during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to the 1st September)?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The necessary information is being collected and will be supplied as soon as possible.

ENQUIRY AGAINST P.C.S. AND I.A.S. OFFICERS

***3732. Sardar Sarup Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any enquiries were ordered by the Government against any P.C.S. or I.A.S. officers between (i) 1st. June, 1948, and 19th June, 1951, (ii) between 20th June, 1951, and 12th April, 1952, and (iii) between 13th April, 1952, and 31st July, 1954; if so, their lists for each of these periods respectively,

(b) the name and rank of the officer appointed to conduct the enquiries referred to in part (a) above;

(c) the names of the officers who were suspended and who continued to hold their posts after the start of the enquiries against them respectively?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

PROSECUTION OF CHAUDHRI LABH SINGH, MEMBER, DISTRICT BOARD, KARNAL

***3836. Shri Mani Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the enquiry referred to in their reply to part (c) of Starred Assembly Question No. 3187 put during the Budget Session of 1951 has been completed; if so, with what result?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The enquiry in question has been completed. It was found that an officer and a clerk were at fault, and suitable disciplinary action has been taken against both.

TRAVELLING ALLOWANCE CHARGED BY MINISTERS

***4011. Sardar Gopal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of the places visited together with the amount of Travelling Allowance charged by him as well as all the other Ministers during the month of September, 1954?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): A statement containing the required information is given below :—

Minister	Part (a)	Part (b)
	Names of places visited by him during September, 1954	Amount of T.A. charged
		Rs. A. P.
Chief Minister ..	Simla, Delhi, Jullundur, Madhopur, Amritsar and Ludhiana.	209 10 0
	On Private Account	
	Moga, Khote, Patto Hirasingh, Nihalsinghwala, Badni Kalan, Buttar, Daudhar, Raoke Kalan, Lopoke, Rania Takhanwadh, Dala, Kokri Kalan and Chuharchak.	
Development Minister	Jullundur, Rupar, Pehowa, Karnal, Amritsar, Batala, Ambala, Moga, Mukandpur, Nawanshahr, Ludhiana, Chappar, Payal, Bija, Ghalibkalan and Sidhwan Khurd.	165 0 0
Irrigation and Power Minister	Tohana, Sonepat, Delhi, Narwana, Simla, Madhopur, Amritsar, Bahadurgarh, Sisana, Madina, Gohana, Sampla, Jullundur, Nurmahal and Moga.	304 10 0
Finance Minister ..	Jullundur, Ludhiana, Rupar, Narwana, Tohana, Gohwal, Khuyan, Sirsa, Fatehbad, Bhugan, Badopal, Simla and Moga.	390 0 0
Education Minister ..	Delhi, Ambala, Morinda, Mani-Majra, Nilokheri, Karnal, Jullundur, Moga, Amritsar, Adampur and Sharifgarh.	210 0 0
Public Works Minister	Amritsar, Jullundur, Dhanana, Simla, Moga, Rohtak, Sirsa and Pathankot.	240 0 0
Labour Minister ..	Jullundur, Hoshiarpur, Delhi, Ambala, Madhopur, Gurdaspur, Muktsar, Abohar, Gidderbaha and Amritsar.	255 0 0
	On private account	
	Moga.	

PANCHAYAT ELECTION AT VILLAGE HARPAL, DISTRICT AMRITSAR

***3873. Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date when the election of Panchayat at Village Harpal, District Amritsar, was held;

(b) whether the Sarpanch of the Panchayat of the said village has been elected; if not, the reasons therefor?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The required information is being collected and will be communicated to the member concerned when ready.

AREA OF WASTE LAND AND FORESTS TRANSFERRED TO PANCHAYATS

***3920. Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Chief Minister be pleased to state the total area of waste land of forests transferred by the Government to the Panchayats for management and their maintenance together with the total income so far derived by the Panchayats therefrom?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The required information is being collected and will be supplied to the member concerned when ready.

PANCHAYAT ELECTIONS IN DISTRICT AMRITSAR

***3731. Sardar Sarup Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any revision petitions against the elections of Village Panchayats in Amritsar District were filed with the competent authorities during the year 1953; if so, their total number together with the number of petitions rejected and accepted respectively up to 31st July, 1954;

(b) the names of the Gram Panchayats in Amritsar District the elections of which were declared invalid and the date of passing orders to this effect in each case;

(c) (i) whether new elections to the Panchayats referred to in part (b) above were held up to 15th September, 1954; if not, the reasons therefor;

(ii) the steps, if any, Government proposes to take for the early elections to these Panchayats?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The informatio is being collected and will be communicated to the member when ready.

GRAM PANCHAYATS IN THE STATE

***3666. Shri Teg Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Panchayats operating in the State at present together with the total number of cases which were decided by the Panchayats during the period from 1st January, 1954 to 15th August, 1954;

(b) the total number of appeals filed in the higher courts against the decisions of the said Panchayats;

(c) the total number af appeals filed against the elections of the Gram Panchayats which were rejected and the total number of appeals which were accepted?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The information is being collected and will be communicated to the member when ready.

GAZETTED/NON-GAZETTED STAFF BELONGING TO THE SCHEDULED CASTES IN THE POLICE DEPARTMENT

***4070. Sardar Gopal Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of Gazetted as well as non-Gazetted staff belonging to the Scheduled Castes employed in the Police Department at present?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary):

On 1st September 1954 :—Gazetted Officers .. 1

Non-Gazetted Officers .. 1,043

BAN ON PUBLIC MEETINGS ETC. IN THE STATE

***3837. Shri Mani Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any public meetings or processions were banned under section 144, Criminal Procedure Code, or the East Punjab Public Safety Act, 1949, in the State between the period from 1st April, 1952 to 30th September, 1954; if so, the list of such localities;

(b) the period for which the law referred to in part (a) above was enforced in each locality together with the reasons therefor?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

PUBLIC DEMONSTRATION AT SIRSA, DISTRICT HISSAR

***3916. Shri Mani Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any demonstration was held by the public on 3rd September, 1954, at Sirsa, district Hissar;

(b) whether the demonstrators were lathi-charged by the local police; if so, the total number of the persons injured as a result thereof;

(c) (i) whether there was any ban on the processions at Sirsa on 3rd September, 1954; if so, the date when this ban was imposed and for what period ;

(ii) the provision of law under which the said ban was imposed;

(d) (i) whether the demonstrators were asked to explain their grievances by any responsible Government Officer on the spot before the lathi-charging; if so, by whom;

(ii) the circumstances under which the said lathi-charge was resorted to?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

STOCKS OF WHEAT, GRAM, RICE AND BARLEY IN GOVERNMENT GODOWNS

***3713. Maulvi Abdul Ghani Dar:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total stock of wheat, gram, rice and barley stored in Government godowns in the State during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September) together with the total cost of each commodity and the sale price realised from its sale;

(b) the total stock of each commodity at present;

(c) the extent to which shortage, if any, has occurred?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The necessary information is being collected and will be supplied as soon as possible.

अध्यक्ष महोदय : फिर वही जवाब । (Again the same stereotyped reply).

सिंचाई मंत्री : मगर जवाब तो पढ़ कर सुना दिया है। इस को इकट्ठा करने के लिये भी महीनों लग जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आप को पंद्रह दिन का नोटिस दिया गया था ।

(You were given a fifteen days' notice).

मंत्री : जनाब यह 21 तारीख को आया था। फिर इस में information भी तो देखिये कितनी लम्बी चौड़ी मांगी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि figures इकट्ठी करना कोई मुश्किल नहीं। यह ठीक है कि इस में कुछ देर तो स्वाभाविक लग जाती है लेकिन इतने महीने किसी भी हालत में नहीं लगने चाहियें।

(I think it is not difficult to collect the figures within this period. It is true that normally it takes some time to collect the information but it should not, at any rate, take so many months.)

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : जनाब ! मेरे पास दस सवालों की फाईलें पड़ी हैं। हरेक फाईल अगर आप देखें तो आप को मालूम होगा कि कितनी जल्दी information मंगवाने की कोशिश की जाती है। कहीं से wireless के जरिए, कहीं से telephone करके और कहीं से खास आदमी भेज कर। इस लिये मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि deliberately यह हरगिज़ कोई कोशिश नहीं करते कि जवाब न दिया जाये।

(पंडित श्री राम शर्मा कुछ बोलने के लिये खड़े हुए)........

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सीता देवी : On a point of information Sir. क्या मैं जान सकती हूं कि जो हिदायत आप जारी करते हैं आया वह मिनिस्टरों पर भी उतनी सख्ती से लागू होती हैं कि जितनी असैम्बली के आम मैम्बरों पर ?

अध्यक्ष महोदय : आखिर दोनों के privileges में फ़र्क तो है ही।

(After all, there is some difference between the privileges enjoyed by both of them).

श्रीमती सीता देवी : पिछले सैशन में आप ने यह हुक्म दिया था कि मिनिस्टरों को चाहिये कि सवालों के पूरे पूरे जवाब तैयार करने के लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें--एकाध सवाल रह जाये तो कोई बात नहीं। इस पर मिनिस्ट्री की तरफ से यह यकीन दिलाया गया था कि आगे से ऐसा ही होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर रोज़ 80 प्रतिशत से ज्यादा सवालों को postpone किया जा रहा है।..........

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

श्रीमती सीता देवी : यह तो बिल्कुल एक मज़ाक बना रखा है.....

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन की मर्ज़ी है।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: स्पीकर साहिब ! आप के इख्तियारात बहुत वसीह हैं। आप रूलज़ में तबदीली कर सकते हैं।

श्रीमती सीता देवी : क्या यह इन की मर्ज़ी पर है कि जिस सवाल का मर्ज़ी हो जवाब दें, न मर्ज़ी हो न जवाब दें ?

सिंचाई मंत्री : दर असल मर्ज़ी का कोई ताल्लुक नहीं। कई सवाल ऐसे होते हैं जिन की information नीचे से यानी गांव से, ज़िलों के headquarters से, divisions से और कई दूसरे दफतरों से आनी होती है। जब वह information यहां हमारे दफ्तर में पहुंच जाती है तो हम एक मिनट की भी देरी नहीं करते इसे आप तक पहुंचाने में। यह मिनिस्टरों का कोई interest नहीं कि information को withhold कर लें। यह ख्याल बिल्कुल ग़लत है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वजह है कि देश भर की असैम्बलियों में सिर्फ पंजाब की असैम्बली ही ऐसी है जहां पर मिनिस्टरों की तरफ से ज़्यादातर सवालों के जवाब में कहा जाता है कि information is being collected and it will be supplied to the hon. Member when ready ?

मंत्री : उस की वजह यह है कि मैम्बर सवाल ही ऐसे करते हैं, फिर हम क्या करें ?

Mr. Speaker : I cannot allow such a reflection being made here.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ information ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ......

Mr. Speaker: The Chief Minister assured the House the other day that he would look into the matter.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ admit ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस का जवाब न ही दिया जाये तो अच्छा है।

(I think it is better not to reply this question).

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ interest ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस सवाल को यहां बहस का मौज़ू नहीं बनाया जाना चाहिये। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि मैं इस मामले में मिनिस्टरों से बातचीत करूंगा और हाऊस को इस बारे में enlighten करूंगा।

(I feel that this question should not be made a subject of discussion here. I assure you that I shall discuss the matter with the Ministers and will enlighten the House with the decision thereafter).

DIGGING OF DRAIN NEAR FEROZEPORE CITY

***3434. Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that drain starting near Ferozepore City and passing through Mamdot and Jalalabad in district Ferozepore was dug in the months of May and June, 1953, by the voluntary labour of the people;

(b) whether he is further aware of the fact that the Deputy Commissioner, Ferozepore, promised that in case the people gave voluntary labour, they would be exempted from making any monetary contributions;

(c) whether it is a fact that the Government is now making collections along with the Land Revenue from the land-owners of the villages in the ilaqa for the said drain at the rate of Rs. 5 per ordinary acre; if so, the reasons therefor and the total amount to be so collected?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and will be supplied to the member when ready.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ratio ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

मंत्री : 53 per cent के हिसाब से लोगों से पैसे लिये जा रहे हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या लोगों ने अपना share रजामंदी से दिया है या कि सरकार ने उन से कानूनी तौर पर वसूल किया है ?

मंत्री : बहुतों ने voluntarily दिया है और बाकी के आदमियों से कानूनी तौर पर यानी land revenue के हिसाब से वसूल किया जाएगा । इस के लिये amendment की जा रही है ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

मंत्री : जी हाँ । हिसाब लगा कर उन को मजदूरी दे दी गई है ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ?

मंत्री : आप इस सवाल का नोटिस दे दें तो आप को जवाब दे दिया जाएगा ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ?

Mr. Speaker : Order, Order.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ.... *Interruptions* ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ?

मंत्री : उसका इतना फायदा हुआ है कि अगर वह न बनता तो इलाके की सारी फसल खराब हो जाती ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

Mr. Speaker : This is giving information. ਸਵਾਲ ਪੁਛੋ । (Please ask a question).

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਲਾ ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਕੀ ਇਹ ਸਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वजीर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नाला खोदा गया था वह किस मकसद के लिए खोदा गया था ?

मंत्री: ताकि उस पानी को जो खेतों में जमा हो जाया करता था, drain out किया जा सके ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਇਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬਨਿਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਲਾ ਨ ਖੋਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Order, order. Next question please.

ALLOTMENT OF LAND TO EJECTED TENANTS

*3667. **Shri Teg Ram** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of ejectment notices issued in the State and in Fazilka Tehsil separately during the month of November, 1953;

(b) the total number of applications filed in the State and in Fazilka Tehsil separately in connection with the ejectment notices mentioned in part (a) above together with the total number of such applications separately accepted or rejected by the courts;

(c) whether all those tenants, whose applications have since been rejected by the court have been ejected from the land;

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative whether the tenants so ejected have been allotted any land somewhere else?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

GIRDAWARIS OF LAND

*3668. **Shri Teg Ram** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that in the beginning of the year 1953 the tenants of village Govind Garh, police station Abohar, district Ferozepore, had applied for the rectification of the Girdawaries in respect of the land cultivated by them; if so, the total number of such tenants together with the dates when they submitted their applications;

(b) the name of the Officer, if any, appointed to make inquiries in respect of the correctness of these Girdawaries together with the dates on which inquiries were held;

(c) the date on which the aforesaid Officer gave his decision regarding the wrong entries and the incorrectness of these Girdawaries;

(d) whether the possession of the lands in respect of which Girdawaries have been rectified has been restored to the rightful cultivators; if not, the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का जवाब भी तैयार नहीं है । क्यों ? Better say "patent reply".

(The answer to this question is also not ready. Why ? Better say, "patent reply.")

सिंचाई मंत्री : स्पीकर साहिब ! आप की इत्तलाह के लिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह questions ही इतने लम्बे 2 हैं कि इन में मांगी गई information तो दो तीन महीनों तक भी तैयार नहीं हो सकती।

श्री तेग राम : इस की सूचना तो केवल एक ही गांव से इकट्ठी होनी है। फिर इतनी देरी क्यों लगेगी ? यह जो जवाब मिनिस्टर साहिब ने दिया है क्या यह वाजब है ?

अध्यक्ष महोदय : हर एक सवाल के मुतअल्लिक information इकट्ठा करने के लिये काफ़ी नोटिस दिया जाता है। इस चीज़ की खुली छुट्टी है कि मिनिस्टर साहिब यह कह दें कि जवाब तैयार नहीं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह कहना कि दो तीन महीने लगेंगे, इस information को इकट्ठा करने के लिये, वाजब नहीं।

(Sufficient notice is given to collect information in respect of each and every question. The Minister is at liberty to say that the reply is not yet ready. But it may not be correct to say that it will take two or three months to collect the informat on).

पंडित श्री राम शर्मा On a point of information, Sir. मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सवाल postpone हो जाते हैं वे कायदे के मुताबिक unstarred हो जाते हैं और फिर उन का जवाब on the floor of the House नहीं दिया जाता। क्या यह वज़ीरों के लिये एक temptation नहीं है कि हर एक सवाल के बारे में यही जवाब देते जाएं कि साहिब यह information तैयार नहीं ?

सिंचाई मंत्री : Temptation नहीं बल्कि यह तो एक privilege है।

WASTE LAND IN THE STATE

***3854. Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total area of waste land in the State at present along with the area owned by the Government and the private owners, respectively, district-wise;

(b) the total area of cultivable waste land owned by the Government and private owners, respectively, district-wise;

(c) the total area of waste land owned by the Government and private owners, respectively, which can be reclaimed, district-wise?

Chaudhri Lahri Singh: A statement is given below—

Figures of Government waste land and answer to part (c) are being collected from local officers and will be supplied to the member later on.

(a) District-wise figures of waste land privately owned are as below:—

		Acres
Hissar	..	31,204
Ferozepore	..	40,028
Karnal	..	50,081
Hoshiarpur	..	252
Ambala	..	661

[Minister for Irrigation]

		Acres
Kangra	..	8,765
Gurdaspur	..	19,919
Amritsar	..	42,840
Rohtak	..	30,028
Gurgaon	..	12,744
Jullundur	..	12,789
Ludhiana	..	23,000

(b) Total area of cultivable waste land owned by the private persons district-wise is as below:—

		Acres
Ferozepore	..	86,705
Gurgaon	..	16,799
Ambala	..	50,768
Gurdaspur	..	14,965
Hissar	..	36,584
Kangra	..	16,266
Karnal	..	390,525
Ludhiana	..	32,682
Hoshiarpur	..	124,765
Amritsar	..	64,075
Jullundur	..	14,051
Rohtak	..	40,193

LEASE OF GOVERNMENT WASTE LAND

***3855. Sardar Darshan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total area of Government waste land leased out for cultivation during the years 1950, 1951, 1952, 1953 and 1954, respectively, along with the terms of lease in each case;

(b) the area of Government waste land leased out for cultivation to (*i*) Harijan agricultural labourers; (*ii*) tenants; and (*iii*) others;

(c) whether he is aware of the fact that Harijan agricultural labourers who were leased out the said land during the years 1952 and 1953 were ejected therefrom after one year; if so, the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh: The answer to this question is not yet ready. The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

LAND CULTIVATED UNDER THE EAST PUNJAB UTILIZATION OF LANDS ACT, 1949

*3856. **Sardar Darshan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state the total area of land brought under cultivation in the State under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949, during the years 1952, 1953 and 1954 together with the amount of expenditure incurred by the Government thereon, district-wise?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and will be supplied to the member when ready.

TENANTS

*3861. **Sardar Chanan Singh Dhut:** Will the Minister for Development be pleased to state the total number of tenants who are expected to benefit from the promulgation of the recent ordinance which amended the Punjab Security of Land Tenures Act of 1953?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

RESTORATION OF TENANCIES OF EJECTED TENANTS

*3862. **Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of tenants in the State ejected since August, 1947, who applied for the restoration of their tenancies under the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953;

(b) the number of tenants referred to in part (a) above whose applications have been accepted for the restoration of their tenancies together with the number of those who have so far been actually restored thereto, separately?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

CORRECTION OF GIRDAWARIS

*3863. **Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the number of applications received by the District Authorities and Special Officers appointed in some tehsils of the State for the correction of Girdawaries during the years 1953 and 1954, district-wise;

(b) the number of cases in which Girdawaries have been corrected along with the number corrected in favour of tenants;

(c) the number of officials or others responsible for making wrong entries who were awarded punishment during the period mentioned in part (a) above?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

SHAMILAT LAND

*3938. **Shri Sri Chand :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the area of shamilat land transferred to the Panchayats in each district of the State as a result of the enactment of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953;

(b) the area of such shamilat land which was already under cultivation as a result of private partition by the shareholders?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

EJECTMENT OF TENANTS OF VILLAGE SHAFIWALI DHANI, DISTRICT FEROZEPUR

***4101. Sardar Bachan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government has received a representation from Sarvshri Chawa Ram, Piara Ram, Malawa Ram, Bamu Ram, tenants of village Shafiwali Dhani, tehsil Abohar, district Ferozepur, against their eviction by the landlords; if so, the action, if any, taken by the Government thereon?

Chaudhri Lahri Singh: *First* part—yes.

Second part—They were rightly evicted under the law. They can now apply for restoration if they are entitled under the provisions of Prevention of Ejectment Ordinance, 1954.

ALLOTMENT OF LAND TO EJECTED TENANTS

***4138. Shri Kasturi Lal Goel :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of ejected tenants in the State who have so far been allotted any land by the Government;

(b) the area of land which the Government still proposes to allot to the ejected tenants;

(c) the number of ejected tenants referred to in part (a) above who have been allotted land in Karnal District along with the names of the villages in Karnal District where more land is proposed to be allotted to such tenants?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and will be supplied to the member, when ready.

HARIJAN LAMBARDARS

***4139. Shri Kasturi Lal Goel :** Will the Minister for Development be pleased to state the total number of Harijan Lambardars so far appointed by the Government in the State together with their number in Karnal District?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

REPRESENTATION AGAINST ASSISTANT CONSOLIDATION OFFICER

***3842. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state whether he has received any representation from the inhabitants of village Rajiana, police station Bagapurana, district Ferozepore, complaining against the behaviour of Assistant Consolidation Officer towards the members of the Panchayat and the people of the said village; if so, the action, if any, taken by the Government thereon?

Chauhdri Lahri Singh : Yes ; on enquiry the allegations were found to be baseless. The representations were, therefore, filed.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ inquiry ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

मंत्री : यह inquiry उन लोगों से की गई थी जिन्हों ने complaint की थी ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब उस अफ़सर का नाम बतलायेंगे जिस ने यह inquiry की थी ?

मंत्री : माननीय मैम्बर नोटिस दे दें तो इस का जवाब दे दिया जायेगा ।

RESERVATION OF LAND FOR HARIJANS IN VILLAGE KANG, DISTRICT HOSHIARPUR

*3943. **Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Minister for Development be pleased to state whether any land has been reserved during consolidation operations in village Kang, tehsil and district Hoshiarpur, for houses and other common purposes of the Harijans there; if not, the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh : The information is being collected and will be supplied to the member, when ready.

RE-CONSOLIDATION OF VILLAGE SANDHUAN, DISTRICT AMBALA

*3961. **Shri Mam Chand** : Will the Minister for Development be pleased to state whether it is a fact that in the first week of March, 1954, he passed orders for the re-consolidation of village Sandhuan in the Rupar Sub-Division, district Ambala; if so, the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh : As the consolidation proceedings had been vitiated by unlawful consideration in village Sandhuan, orders for doing the repartition afresh were issued in the month of March, 1954.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं वज़ीर साहिब से दरियाफत करना चाहता हूं कि वह कितनी एक रिशवत और बददियानती उस case में की गई थी जो उस गांव की consolidation को तोड़ना पड़ा था ? क्या वज़ीर साहिब उस की details बताने की कृपा करेंगे ?

मंत्री : इस सवाल का जवाब देने के लिए नोटिस चाहिए क्योंकि यह दूसरे मंत्री के साथ सम्बंध रखता है।

LOCUST INVASION IN THE STATE

*4079. **Sardar Bachan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total area of land in the State affected by locusts during the year 1954 and the extent of damage caused thereby;

(b) the details of relief, if any, given by the Government to the persons who suffered from the effects of the locust invasion referred to in part (a) above;

(c) the steps, if any, taken by the Government to prevent the recurrence of locust invasion in the State ?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and that will be supplied to the member, when ready.

ALLOTMENT OF GRAZING LAND TO LANDLORDS IN VILLAGE PANDORI KHATRIAN, DISTRICT FEROZEPORE

*4100. **Sardar Bachan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government has received a representation, dated 29th September, 1954, against the allotment of a tract of grazing land in village Pandori Khatrian, tehsil Zira, district Ferozepore, to some landlords during the consolidation operations; if so, the action, if any, taken thereon?

Chaudhri Lahri Singh: The information is being collected and it will be supplied to the member, when ready.

CONSOLIDATION IN KAITHAL TEHSIL

*4140. **Shri Kasturi Lal Goel** : Will the Minister for Development be pleased to state the approximate date by which Government proposes to start consolidation of holdings in tehsil Kaithal, district Karnal?

Chaudhri Lahri Singh : According to the approved programme of the "Increased Food Production " Committee held in June, 1952, the consolidation work is to be started in Kaithal Tehsil, district Karnal, in August, 1955.

LOCAL DEVELOPMENT OF KANGRA AND GURGAON DISTRICTS

***3795. Shri Dharam Vir Vasisht:** Will the Chief Minister be pleased to state the reasons, if any, for reducing the grant allocated in the Budget for 1954-55 for the local development of Kangra and Gurgaon Districts?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): There has been no reduction but an enhancement in the grants sanctioned for both these districts as would be observed from the statement given below:—

Name of Tahsil	Amount allocated in the Budget	Revised allocation	Amount actually spent
	Kangra District		
	Rs	Rs	
Kangra	Nil	70,000	No expenditure has been incurred as the schemes were sanctioned recently
Nurpur	Nil	35,000	
Palampur	1,00,000	35,000	
Hamirpur	1,00,000	1,50,000	For works which were approved but could not be executed during the year 1953-54
Dehra Gopipur	Nil	1,47,000	
Total	2,00,000	4,37,000	
	Gurgaon District		
Gurgaon	Nil	35,000	
Firozepur-Jhirka	Nil	70,000	
Nuh	Nil	70,000	
Palwal	1,00,000	70,000	
Total	1,00,000	2,45,000	

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या चीफ़ पार्लियामैन्टरी सैक्रटरी बतायेंगे कि क्या यह ठीक नहीं है कि Finance Minister साहिब की इस साल की बजट स्पीच में और Budget के Explanatory नोट में यह दिया हुआ है कि गुड़गांवां और कांगड़ा के जिलों के लिये Budget में allocate की गई रकम के इलावा पांच लाख रुपया और allot किया जायेगा ?

चीफ़ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी : माननीय मैम्बर अगर मेरे जवाब को गौर से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ज़िला गुड़गांवां के लिये बजट में एक लाख रुपया की allotment हुई हुई थी लेकिन वहां जो grant दी गई है वह है Rs 2,45,000 । इसी तरह कांगड़ा के लिये Rs 2,00,000 की allocated grant की बजाये Rs. 4,37,000 दिये गये हैं । तो कुल मिला कर तकरीबन चार लाख रुपये की रकम ज्यादा दी गई है ।

TUBE-WELL SCHEMES IN THE SECOND FIVE-YEAR PLAN

***3796. Shri Dharam Vir Vasisht :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any list of areas, district-wise, selected in the State for inclusion in the Second Five-Year Plan regarding tube-well schemes was sent to the Government of India; if so, the details thereof;

(b) whether the list referred to in part (a) above was subsequently amended ; if so, in what manner and the reasons therefor?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) Yes. A tube-well scheme for the Second Five-Year Plan was sent to the Government of India on 15th June, 1954. The details are—

		Cost (*Rs.*)
(*i*) *Productive*—		
Hoshiarpur	..	1,60,000
Ludhiana	..	43,000
Ambala	..	1,08,000
Karnal	..	1,71,000
Rohtak	..	5,500
Gurgaon	..	82,000
(*ii*) *Exploratory*—		
Hoshiarpur	..	2,20,000
Ambala	..	1,80,000
Rohtak	..	1,40,000
Gurgaon	..	6,00,000
Hissar	..	4,40,000

(b) No amendment has been made so far.

SURVEY OF BARSATI CANAL IN GURGAON DISTRICT

***3687. Shri Babu Dayal Sharma :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether any survey party has been appointed by the Government to survey the Barsati Canal in Gurgaon District; if so, the name of the person in charge of the party and his headquarters;

(b) the date of his appointment and the extent of survey work done so far?

Chaudhri Lahri Singh: (a) Yes, a Sub-Division has been opened and Shri Sham Lal Gupta, Sub-Divisional Officer, is in charge of it whose Headquarters are at Gurgaon.

(b) The Sub-Division was opened in middle of March, 1954. The following works have been carried out :—

(i) Alignment of Main Canal has been marked at site and single levelling of the same completed. The double levelling of the same is in progress and will be finished by the end of October, 1954.

(ii) Hydraulic data of Agra Canal has been observed up to mile 15.

(iii) The Project estimate has been nearly completed.

श्री बाबू दयाल शर्मा : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि यह नहर कितनी लम्बी होगी और किन २ गांवों से गुज़रेगी ?

मंत्री : इस के लिये नोटिस दें ।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ?

मंत्री : आप के कद बराबर ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह सर्वे कब तक मुकम्मल होगी और खर्च का estimate क्या है ?

मंत्री : लगभग दो करोड़ रुपया ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : सर्वे कब complete होगा ?

मंत्री : अक्तूबर, 1954 तक; यानी मुकम्मल हो चुका है ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ: अगर सर्वे हो चुका तो यह बताया जाये कि यह नहर Upper Agra के साथ २ कहां तक जाती है ?

मंत्री : इस वक़्त detail तो मेरे पास नहीं है ।

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने कहा है कि survey खत्म हो चुकी, provide किया गया रुपया भी उन्हों ने बता दिया है । पूछा गया है कि यह किन २ गांवों से गुज़रेगी तो यह भी बता दिया जाये ?

मंत्री : मेरे पास detail नहीं है ।

श्री बाबू दयाल शर्मा : वज़ीर साहिब ने कहा है कि 'efforts are being made. यह कौन सी efforts हैं ?

मंत्री : हम ने इस सिलसिले में काफी efforts की हैं । हम किदवाई साहिब से मिले और उन को सारे हालात बताए । उन को समझाया कि गुड़गांव को पानी का एक कतर भी नहीं दिया गया है । लोग पीने के पानी को भी तड़पते हैं । पब्लिक के अन्दर बड़ी agitation फैल रही है । उन्हों ने हमारी बातों का नोटिस लिया और कुछ इलाकों का दौरा भी किया । हम Engineers से भी मिले । हमारे से वादा किया गया कि इस की रिपोर्ट recommendation के साथ Planning Commission को भेज रहे हैं कि पंजाब का केस exceptional समझा जाए ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब ने किसी जिन्दा वज़ीर से भी जिक्र किया

मंत्री : उन्हें मरे हुए अभी दस दिन भी नहीं हुए और फिर उन की जगह पर किस से बात की जाए ?

श्री धर्म वीर वासिष्ठ: क्या वज़ीर साहिब कृपया बतायेंगे कि उस वादे का result क्या है ? क्या यह पता चला कि report Planning Commission को भेजी गई ?

मंत्री : मगर किदवाई साहिब के बाद अभी पता किस से करूं ?

श्री बाबू दयाल शर्मा : क्या यह बात ठीक है कि boring की मशीनें ही अभी नहीं पहुंचीं तो यह होगी कैसे ?

Mr Speaker. Does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : आप की जो बात चीत किदवाई साहिब से हुई क्या वह record में आई ?

मंत्री : इस बारे में statement लिखवा कर Press में दे दी थी ।

Chief Parliamentary Secretary : On a point of order, Sir, क्या कोई मैम्बर किसी Minister पर insinuation by implication कर सकता है? उन्होंने अपने दोनों supplementaries में Minister पर insinuation की है। पहले में पूछा कि क्या किसी जिन्दा Minister से भी बातचीत की गई; दूसरे supplementary में पूछा कि क्या वह बातचीत record भी की गई है। इस तरह इन्होंने indirectly Minister की integrity पर शक किया है।

Mr. Speaker. This is a far fetched plea.

ERECTION OF NEW BRIDGES ON BIST DOAB CANAL

*3769. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the Government has recently received any recommendations from the district authorities, Jullundur, regarding the erection of new bridges on Bist Doab Canal; if so, the action, if any, taken by the Government thereon?

Chaudhri Lahri Singh: Recommendations for erection of new bridges on Bist Doab Canal System were received from the Deputy Commissioner Jullundur. A memorandum was sent to the Bhakra Control Board for approval.

Bhakra Control Board have, however, not approved the proposal.

The matter is under further consideration of the Government.

श्री राम किशन : क्या Irrigation Minister साहिब फरमायेंगे कि जैसा कि उन्होंने बताया है कि बिस्त दुआब कैनाल पर पुल बनाये जाने की ज़रूरत है और एक memorandum चीफ मिनिस्टर साहिब को भी भेजा गया है, तो इस memorandum पर क्या कारवाई की गई है?

मंत्री : अभी तक यह memorandum Cabinet meeting में पेश नहीं हो सका क्योंकि Cabinet की meeting नहीं हुई, इसलिये यह अभी तक pending पड़ा है।

श्री राम किशन : क्या वजीर साहिब फरमायेंगे कि जालन्धर में कैनाल की ceremony हुई थी तो वहां पर सरकार के Chief Engineer ने एलान किया था कि पुल हर जगह बनाये जायेंगे, क्या यह ऐलान ठीक न था?

मंत्री : इलान का मुझे ठीक पता नहीं। लेकिन मैं हाउस को assurance दिला सकता हूं कि पुल जल्दी बनाए जायेंगे।

DAMAGE BY FLOOD IN RIVER RAVI

*3771. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the Government has recently received any information regarding erosion in villages on the Indo-Pakistan border on account of floods in river Ravi;

(b) whether any border village of our State has since been washed away and its territory gone over to Pakistan owing to said flood;

(c) if the reply of parts (a) and (b) above be in the affirmative, a detailed statement of loss as a result thereof be laid on the Table;

(d) the steps, if any, taken or being taken by the Government to protect the residents of border villages from the havoc of floods?

Chaudhri Lahri Singh: (a) The erosion of the village lands along river Ravi has been taking place but no village has been eroded this year.

(b) No village has been washed away. The cutting of Indian territory by the river during the year has not been very serious due to protective measures already taken.

[Minister for Irrigation]

(c) Does not arise.

(d) The river protective works in the form of bunds and spurs are being constructed to protect against erosion of territory on the Indian side and to protect the flooding of villages by the river.

श्री राम किशन : क्या Irrigation Minister साहिब फरमायेंगे कि क्या यह ठीक है कि flood से कोई village wash away नहीं हुआ ? क्या उन्हें कई जगह से representations आई हैं जिन में गांवों के wash away हो जाने का जिक्र हो और लोगों ने यह जिक्र किया हो कि गांवों की ज़मीन wash away हो कर पाकिस्तान में चली गई है ?

मंत्री : Representations तो आए हैं लेकिन उन में कोई ऐसा representation नहीं कि गांव wash away हो गए हों ।

श्री राम किशन : क्या कोई ज़मीन पाकिस्तान में चली गई है ?

मंत्री : I cannot say anything off hand.

श्री राम किशन : क्या यह ठीक नहीं कि इस सूबे की जो ज़मीन wash away हो कर पाकिस्तान में चली गई है उस के मुतअल्लिक Union Government ने पाकिस्तान सरकार से खतोकिताबत की है ?

अध्यक्ष महोदय : इस खतोकिताबत के बारे में तो Union Government ही बता सकती है । (It is the Union Government which can give the necessary information regarding this correspondence.)

मंत्री : इस के बारे में मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां पानी से इलाके का नुकसान हो या और कोई इस तरह का मामला हो तो हम दोनों सरकारें मिल कर किसी नतीजे पर पहुंच जाती हैं और आपसी disputes को तय करती हैं । दोनों सरकारें अगर agree करें तो फैसला कर लिया जाता है । अगर आप नोटिस दें तो बता सकूंगा कि जो ज़मीन wash away हो कर Pakistan में चली गई है उस के बारे में talk हुई है या नहीं ।

श्री राम किशन : क्या Irrigation Minister साहिब फरमायेंगे कि क्या इस ज़मीन के बारे में, जो wash away हो कर पाकिस्तान में चली गई है, Union Government को inform किया गया है ?

मंत्री : पता नहीं ।

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि इन वाकयात को Shri Rafi Ahmed Kidwai के नोटिस में लाया गया था ?

Minister : This is a vague question.

EXPLORATORY BORES

***3794. Shri Dharam Vir Vasisht :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) the up-to-date progress made in respect of the exploratory bores known as trial bores at 46 sites selected recently by the State Government in collaboration with the Geologist Survey of India Party ;

(b) whether as a result of the data available as stated in part (a) above any decision for the allotment of tube-wells has been taken ; if so, what ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) The work of exploratory tube-wells is to be done by Government of India and has not been started in Punjab so far.

(b) The question does not arise in view of (a).

NEW OUTLETS IN DISTRICT ROHTAK

***3877. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the number and names of outlets newly opened, widened or narrowed on each minor in Rohtak District since 17th April, 1952, together with the details of shifting or splitting up of these outlets during this period?

Chaudhri Lahri Singh : The answer to this question is not yet ready. The information is being collected and that it will be supplied to the member as soon as possible.

ZILLADARS

***3939. Shri Sri Chand :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the total number of Zilladars during the years 1952, 1953 and 1954 together with their home addresses and qualifications ?

Chaudhri Lahri Singh : The number of Zilladars in 1952 and 1953 was 154 and 202, respectively and during 1954 is 204.

As regards their home addresses and educational qualifications the information is being collected and will be supplied as soon as available.

HOLDING OF PUBLIC MEETINGS IN ROHTAK DISTRICT

***3878. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total expenses borne by the Co-operative Department in holding public meetings addressed by him from 21st to 24th September, 1954, in Rohtak District ;

(b) the main purpose of the meetings referred to in part (a) above ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Nil.

(b) Public interest connected with the local Co-operative Sugar Mill.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या यह अमरे वाक्या नहीं है कि Co-operative Department की तरफ से meeting की गई कि हिस्से बेचे जायें ? तो क्या इस पर कोई खर्च आया था ?

मंत्री : प्राईवेट तौर पर खर्च आया हो तो मैं कह नहीं सकता । गवर्नमैण्ट के खज़ाने से कोई खर्च नहीं किया गया ।

पंडित श्री राम शर्मा : जब मीटिंगें बुलाई जाती हैं और अफसर उन को attend करते हैं तो क्या सरकारी खज़ाने का कुछ खर्च नहीं होता ?

मंत्री : खर्च होता है लेकिन इन मीटिंगों पर अफसरों के T. A. के खर्च के सिवाए single penny भी खर्च नहीं किया गया । और अफसरों का T. A. तो routine का खर्च है ।

पंडित श्री राम शर्मा : मीटिंग के लिये जो शामियाने और दूसरी चीज़ों पर खर्च हुआ वह किस ने दिया ?

मंत्री : इस किसम का सब खर्च Co-operative Societies का हुआ ।

श्री श्री चन्द : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह जो मीटिंगें की गई इन में कितने shares बेचे गए ?

मंत्री : मुझे पता नहीं ।

ANSWERS TO STARRED QUESTIONS UNDER RULE 37.

NATIONAL PLAN LOAN

***3914. Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Chief Minister be be pleased to state —

(a) the total amount of National Plan Loan collected so far district-wise in the State ;

(b) the amount out of the said Loan collected from institutions, such as Banks, Insurance Companies, District Boards and Municipalities, etc., separately;

(c) the total amount subscribed by the individuals towards the said loan along with the amount subscribed by them after taking loans from the Banks ?

Shri Bhim Sen Sachar : The information is being collected and will be supplied to the member when ready.

VISITING OF DAILY PRESSES BY THE INSPECTORS

***3879. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Labour be pleased to state whether any complaints to the effect that the Inspectors employed under the Trade Employees Act do not inspect the presses of the daily newspapers regularly, have been received by the Government; if so, the action, if any, taken thereon ?

Chaudhri Sundar Singh : Yes. The complainant S. Preetam Singh, General Secretary, Punjab State Working Journalists Association, Jullundur City was informed that due to the exemption having been granted to the Milap, Hindi Milap, Hind Samachar and Partap dailies of Jullundur from the provisions of sections 6 and 7 of the Punjab Trade Employees Act, 1940, for a period of one year with effect from 16th July, 1954, the local shop inspectorate is not required to check the presses of these daily newspapers for the observance of the provisions of these sections of the Act. They are, however, required to check the presses for the observance of provisions of other sections of the Act and the Labour Commissioner, Punjab, has since been directed to issue strict instructions to them in this respect.

CONSTRUCTION OF MEDICAL COLLEGE HOSTEL AT AMRITSAR

***3602. Shri Mansa Ram Kuthiala :** Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) whether any new hostel is being constructed for the students of the Medical College, Amritsar;

(b) whether any date has been fixed for its completion ; if so, what ;

(c) whether any criterion for the allotment of cubicals and dormitories to the students of the said college has been fixed by Government ?

Shri Jagat Narain : (a) and (b) Yes. It was completed on the 15th July, 1954.

(c) Yes. Seats are allotted in order of seniority which is determined by the year of study and by the marks gained at the last University or Faculty Examination. In the case of Second Year students, marks obtained at the Class Examinations in the I Year Class will be taken into consideration.

REPRESENTATION FROM THE STUDENTS OF CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE, LUDHIANA

***3959. Shri Mam Chand :** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Non-Christian students of the Christian Medical College, Ludhiana, have represented to the Government against the refusal of the Principal to grant them a holiday on the Holi Festival ; if so, the action, if any, taken in the matter?

Shri Jagat Narain : No. The Holi Festival is not one of the three Hindu festivals chosen by the Hindu students of the College for observance as holidays during the year 1954.

GRANTS TO SCHOOLS IN HOSHIARPUR DISTRICT

***3615. Shri Rala Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there are any schools in Hoshiarpur District which have not been paid grants to cover the tuition fees of the Harijan Students of their schools for the years 1951-52 and 1953-54; if so, the names of those schools together with the reason for non-payment of their grants?

Shri Jagat Narain : There is no pending claim in regard to payment of grants to cover the tuition fees of Harijan students of any school in Hoshiarpur District for the year 1951-52. However, claims of many schools in Hoshiarpur District pertaining to the year 1953-54 have been pending for some time for want of funds. Payment of these claims is being made now.

REPRESENTATION FROM THE STUDENTS OF D.C. JAIN COLLEGE, FEROZEPORE

***3960. Shri Mam Chand :** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government had received any representation from the students of the D.C. Jain College, Ferozepore, against the college management; if so, the details thereof?

Shri Jagat Narain : Yes; Government has received a representation from the students of D.C. Jain College, Ferozepore, against the college management. A copy of this is given below—

To

The Honourable Education Minister,
Chandigarh.

Sir,

We the aggrieved students of the D. C. Jain College, Ferozepore, lay before you the following few facts for kind and sympathetic consideration at your generous hands.

1. The staff is always appointed on temporary basis. Their services are procured in the month of November and terminated in the month of February or at the most in the month of March. Only a few hands are left for deciding the fate of the poor students for three months, i. e., April, May and June. After the vacation when we make representation after representation and the result has been that a third class or a raw hand is forced upon us. Change in the professors has become law with the management of this college. Not to speak of the professors even the principal is counted in the same category, since the year 1950 four principals have held the reins of this college. The present principal Mr. Gomti Parshad retired P.E.S. (I) joined this college in the last week of September and the circumstances created by the management of the college forced him to resign at this stage.

A further commentary on the so-called educationist management is that seven professors were turned out without assigning any reason for their removal. The result is that only a few professors are left and the entire younger generation who are to become the pillars of the nation are left to rot. The first class students are converted into 3rd class students. It is all due to the lack of proper education.

2. Your honour knows that the management of this college represented to you for the enhancement of this grant but Sir, here is a glaring example how the students' money is misused by the Trust. Rs. 9,000 are being charged by the Trust as rent towards the building but the building belongs to Trust and this amount is charged to show the budget as deficit.

3. It is learnt that N.C.C., is being withdrawn due to reasons best known to the management.

4. The B. Sc. students are conducting their practicals in Chemistry on spirit lamps and no gas plant has been provided by the college. Certain material is purchased by the college near the University Examinations just to throw mud into the eyes of the Examiners of the practicals.

[Minister for Education]

5. Sir, not to speak of literal education even the physical education side has also been ignored by the college. College sports meet is the only item which encourages the students in physical side. This year our worthy management refused to contribute a single penny and it were we who collected the whole amount and had the functions.

6. Under the above circumstances we pray that the grievances of the students must be redressed and their future may not be spoiled when they are making full payments of fees.

7. The Hostel rent is exorbitantly high and in spite of this no provisions have been made for sanitation, etc. The outlook gives a shabby picture of the rooms and it appears as if whitewashing according to our authorities is not an essential part of life.

8. You are fully aware of the condition of the college, but Sir, our management who is expert in bluffing the authorities by giving false allurement may not bluff you even. We pray that Government should take steps to remove the difficulties in the way of educational system at this BORDER town (Ferozepore).

We once again hope that our humble request will bring forth fruits.

Yours faithfully,
(Sd) Students of College.

PRIMARY SCHOOLS IN AMRITSAR DISTRICT

***4112. Sardar Khem Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of primary schools opened in the Amritsar District during the current year;

(b) the items of furniture proposed to be provided in the schools referred to in part (a) above and the cost thereof?

Shri Jagat Narain : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

PERCENTAGE OF HARIJANS IN THE EDUCATION DEPARTMENT IN DISTRICT AMRITSAR

***4113. Sardar Khem Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of Harijans employed in the Education Department in district Amritsar against the total strength together with their percentage;

(b) whether the strength of the Harijans mentioned in part (a) above is below the percentage fixed by the Government; if so, the reason therefor?

Shri Jagat Narain: The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

EXECUTIVE OFFICERS, MUNICIPAL COMMITTEE, PATTI, DISTRICT AMRITSAR

***3733. Sardar Sarup Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the names of the Executive Officers of Municipal Committee, Patti, District Amritsar, who were appointed between 20th June, 1949 and 20th June, 1954; together with the date of appointment in each case;

(b) the terms of agreement between each of these Officers and the Municipal Committee regarding the duration of their service ;

(c) whether any of the persons referred to in part (a) above resigned his post; if so, when?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Shri Har Gopal, appointed on 20th June, 1949.

(b) The appointment was made for a period of five years.

(c) Shri Har Gopal resigned on 9th May, 1954.

SUPERSESSION OF JULLUNDUR MUNICIPAL COMMITTEE

***4142. Shrimati Sita Devi :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the date on which the last elections to the Jullundur Municipal Committee were held;

(b) the date from which the Jullundur Municipal Committee stands superseded and the date by which the next elections to the said Municipality are expected to be held?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The required information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

ELECTIONS TO THE MUNICIPAL COMMITTEE, JULLUNDUR

***4143. Shrimati Sita Devi :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any representation for holding elections to the Municipal Committee, Jullundur, has been received by the Government; if so the action, if any, taken or proposed to be taken thereon?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : *Part (i)*—No.

Part (ii)—Does not arise.

WATER-SUPPLY SCHEME FOR THE JULLUNDUR MUNICIPALITY

***4144. Shrimati Sita Devi ::** Will the Minister for Public Works be pleased to state the date by which the water works is expected to start functioning in Jullundur?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : No specific date can be given. It is however, expected that major part of skeleton Water-supply, Jullundur, will be completed in one year's time.

PROFESSIONAL TAX FROM HARIJANS

***3944. Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total amount of Professional Tax realised district-wise from Harijans in the State during the year 1953-54;

(b) whether any professions have been exempted from the levy of the said tax; if so, which;

(c) the number of warrants of attachment for the realisation of arrears of Professional Tax issued district-wise against the Harijans during 1953-54?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The required information is being collected and will be supplied to the Member concerned when ready.

DISMISSAL OF THE EMPLOYEES OF SUSPENDED DISTRICT BOARD, LUDHIANA

***4010. Sardar Gopal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the names of the employees of the District Board together with their designation who have been dismissed from service since the suspension of the District Board of Ludhiana? ..

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The information is being collected and will be communicated to the Member concerned when ready.

CONNECTING VILLAGES BY METALLED ROADS WITH CITIES

***4114. Sardar Khem Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether it is a fact that villagers desirous of getting their villages connected by metalled roads with cities are required to pay a certain percentage of the expenditure incurrable by the Government on the construction of such roads; if so, what?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : It is not a fact that the State Government charges any percentage from any villagers regarding roads taken up by Government in Provincial Schemes. However, the Government does help the local people to the extent of 2/3rd of expenditure when the people and the local body are prepared to take up any katcha road, the villagers paying their contribution in the shape of land and labour. In the case of pucca roads not taken in the provincial plan, if the local body or the local people are prepared to contribute to the extent of one-half, the Government will be prepared to help to the extent of the other half.

AWARDS GIVEN BY THE INDUSTRIAL TRIBUNALS

***3874. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of awards given by the First and Second Industrial Tribunals in the disputes between the Textile Mill-owners and workers in Amritsar;

(b) the total number of awards which have been implemented by the mill-owners;

(c) the action, if any, taken by the Government to enforce the Awards which have not been implemented by the mill-owners ?

Chaudhri Sundar Singh : Information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

EXCISE SUB-INSPECTORS

***3940. Shri Sri Chand :** Will the Minister for Labour be pleased to state the total number of Excise Sub-Inspectors during the years 1952,1953 and 1954 together with their home addresses and qualifications?

Chaudhri Sundar Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as received.

UNSTARRED QUESTION AND ANSWER

CANALISING OF KASUR NALLAH

645. Sardar Sarup Singh: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) (i) whether any areas of villages Gillpan, Narli, Khalra, Kalsian Khurd, Dall, Dode, Margindpura, Thih Naushera and Kalsian Kalan, Tehsil Patti, District Amritsar have been included in the list of the catchment area approved by the Government in connection with the canalising of the Kasur Nallah under Section 57 of the Northern India Canal and Drainage Act; if so, the total area of each of these villages which has been included in the said list;

(ii) the conditions laid down for an area to be included in catchment belt referred to above;

(b) whether any costs are to be recovered from the owners of the areas referred to in part (a) above; if so, the total amount so recoverable from each village;

(c) (i) whether any part of the areas referred to in part (a) above of village Narli, Gilpan, Khalra, Dode, Kalsian Khurd, and Dall are situated on the right side of the Main Branch, Upper Bari Doab Canal; if so, the total of such area in each of these villages;

(ii) the manner in which the areas referred to in part (c) (i) above are affected by the floods in the Kasur Nallah and whether they fulfil any of the prescribed conditions referred to in part(a) (ii) above, if not, the reasons for imposing the levy of the tax in these areas;

(d) (i) whether any part of the areas of villages Margindpura, Thih Naushera, and Kalsian Kalan, Tehsil Patti, are situated on the left side of Khem Karan Distributary; if so, the total of such area in each villages;

(ii) whether the areas referred to in part (d) (i) above fulfil any of the prescribed conditions referred to in part (a) (ii) above, if not, the reasons for imposing the levy of tax on these areas ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) (i) Yes, except Margindpura. Total area of each village, respectively, is 559, 3244, 1542, 825, 3788, 733, 456 and 4,500 acres

(ii) The area that can be drained off by the Kasur Nallah is only included in the catchment belt.

(b) Yes, as given below:—

		Rs.
Gilpan	..	2,795
Narli	..	16,220
Khalra	..	7,710
Kalsian Khurd	..	4,125
Dall	..	18,940
Dode	..	3,665
Thih Naushera	..	2,280
Kalsian Kalan	..	22,500

(c) and (d) Figures are under collection and will be supplied later.

ADJOURNMENT MOTION

अध्यक्ष महोदय : यह एक adjournment motion मेरे पास आई है लेकिन इसे admit नहीं किया जा सकता क्योंकि यह in time नहीं पहुंची । मगर मैं मेम्बर साहिब को यकीन दिलाता हूं कि इस का जो object है वह चीफ मिनिस्टर साहिब तक पहुंचा दिया जायेगा ।

[I have received notice of an *adjournment motion but it cannot be admitted because the notice was not received in time. However, I assure the hon. Member that the contents of the motion will be conveyed to the Chief Minister.]

पंडित श्री राम शर्मा : मगर वह object क्या है ?

POINT OF PRIVILEGE

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਮੈਂ ਇਕ breach of privilege ਵਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। House ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ Serjeant-at-Arms ਲਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ C.I.D. ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : यह कब की बात है ?

(when did this happen.)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आपने कल ही बता दिया होता । अब आज क्या हो सकता है ?

(Then the hon. Members ought to have brought it to my notice yesterday. What can I do about it now ?)

आवाजें : आज भी यही हाल है ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, मैं अभी दरियाफ्त करता हूं ।

[Very well, then I shall arrange to find out the correct position just now.]

*1. Sardar Achhar Singh, M.L.A., 2. Sardar Darshan Singh, M.L.A., } to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the arrest of 17 persons on 3rd November, 1954, in Chandigarh when they were setting up the stage for a Dewan on Gurpurab.

अध्यक्ष महोदय : आपने यह एतराज़ किया था कि C.I.D. के आदमी lobbies में मौजूद रहते हैं। मैंने अपने सैक्रेटरी साहिब को खास तौर से इस बात को दरियाफ़्त करने के लिये भेजा। आप की इत्तलाह के लिये अर्ज़ कर दूं कि वहां पर कोई ऐसा आदमी नहीं पाया गया।

(Hon. Members, an objection was raised regarding the presence of the C. I. D. personnel in the lobbies. I directed my Secretary to find out the facts. Now I may inform the House that no such persons have been found there.)

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਭਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

अध्यक्ष महोदय : आप को चाहिये था कि ज्यों ही आप को इस चीज़ की रिपोर्ट मिली आप मुझे आगाह कर देते। फिर भी आप की इत्तलाह के लिये मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि किसी ग़ैर individual को lobbies में आने की इजाज़त नहीं। प्रैस वालों को, बाहर की legislatures के आदमियों और आप के guests को lobbies में दाखिल होने की एक खास इजाज़त दी गई थी। इन के इलावा अगर कोई आदमी आए तो आप को चाहिये कि आप मेरे नोटिस में लायें।

(I should have been informed the moment you got a report of t. However, for your information, 1 want to make it clear that no outsider is allowed to enter the lobbies. However, special perm ission way given to the press, persons coming from the other legisla tures and your guests to enter the lobbies. If anybody, excepting these people, happens to enter the lobbies, this may be brought to my notice).

पंडित श्री राम शर्मा : यह ठीक है कि अब नहीं मिले होंगे। लेकिन मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि कल C.I.D. के आदमी lobbies के अन्दर घूम रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपने उस वक्त बताया होता तो मैं फौरन action ले लेता।

(Had you informed me, then I would have taken immediate action).

पंडित श्री राम शर्मा : तीन चार एम. एल. एज़. इस हाऊस के जब कह रहे हैं तो आप की मर्ज़ी है कि उस इत्तलाह को मानें या न मानें।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं। लेकिन अगर आप उस वक्त बताते तो मैं कोई action ले सकता था।

(You are right. But I could take action in case you had informed me of that.)

पंडित श्री राम शर्मा: हमें पता ही बाद में लगा था।

मुख्य मंत्री : वह C.I.D. ही कैसी जो पहचानी जाए ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਬੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗ਼ੈਰ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ।

Mr. Speaker; It is for the Deputy Speaker to decide whether or not anybody should be allowed to sit in or use his room.

THE EAST PUNJAB UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

Shri Ram Kishen (Jullundur City, North West): Sir, I beg to move for leave to introduce the East Punjab University (Amendment) Bill.

मुख्य मंत्री (श्री भीम सेन सच्चर) : स्पीकर साहिब, इस बिल के मुतअल्लिक अर्ज़ है कि मेरे पास यह official communication आया है जिस में यह ख्याल ज़ाहिर किया गया है कि University Act में कुछ amendments की जायें । मुझे यह चीज़ रात को मिली और मैंने इसे देखा है । मगर मेरा ख्याल है कि इस तरह piecemeal तरामीम की बजाए एक ही मरतबा अच्छी तरह सोच समझ कर ज़रूरी amendments कर ली जायें मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस वक्त हम वह amendments लायेंगे तो आप की तरमीमों को भी सामने रखा जायेगा। मेरी दरखास्त है कि माननीय मैम्बर अभी इस बिल की introduction मुलतवी कर दें ।

श्री राम किशन : स्पीकर साहिब, Chief Minister साहिब ने जो कुछ फरमाया है वह तो ठीक है मगर मैं बताना चाहता हूं कि University की Senate ने 27 जुलाई 1952 को resolution पास किया था । उस को 2½ साल हो गये हैं मगर सरकार अब तक कोई amendment नहीं लाई। इस मेरी amendment का असर 45 कालिजों पर पड़ेगा । आप देखते हैं कि कई जगह strike और झगड़े हो रहे हैं........

अध्यक्ष महोदय : आप तकरीर तो वक्त आने पर अपनी मोशन पर करें । पहले तो यह बतायें कि क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं या leave के लिये पेश करना चाहते हैं ।

[The hon. Member can make a speech at the proper time i. e., while moving his motion. But he should first let me know whether he wants to withdraw his request for leave or shall I put it to the vote of the House?]

श्री राम किशन: मैं इसे वापस लेता हूं जनाब !

THE PUNJAB PROHIBITION OF BEGGARY BILL

Shri Rala Ram (Mukerian) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Prohibition of Beggary Bill.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to introduce the Bill ?

The leave was granted.

Shri Rala Ram : Sir, I introduce the Punjab Prohibition of Beggary Bill.

RESOLUTION RE-DISTRIBUTION OF ALL GOVERNMENT CULTURABLE WASTE LAND IN THE STATE AMONG HARIJAN AGRICULTURAL LABOURERS AND LANDLESS PEASANTS *GRATIS*

Sardar Chanan Singh Dhut (Tanda): Sir, I beg to move—

This Assembly recommends to the Government to distribute all Government cutlurable waste land in the State among Harijan agricultural labourers and landless peasants *gratis*.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ resolution ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਤੇ ਅਛੂਤ ਵਗ਼ੈਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਛੂਤ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਛੂਤ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ । ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੀਂ ਜਾ ਅਛੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਫ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ Government of India ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਲਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 20 ਲਖ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 507 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰਚ 639 ਰੁਪਏ ਹੈ । ਇਸ ਆਦਾਦੋਸ਼ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 132 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਦੁਧ ਜਾਂ ਘਿਉ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ । Government of India ਦੇ ਆਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 91 ਫੀ ਸਦੀ ਹਰੀਜਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ । 87 ਫੀ ਸਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ । ਸੀਰੀ ਉਸ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁਕਾਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ

ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 341 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ । ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ 20 ounce ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮਿਲੇ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤਕ ਆਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤ ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ waste land ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ Evacuee Property ਹੈ । ਸਾਡੇ ਇਕ Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ private ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ $8\frac{1}{2}$ ਲਖ ਏਕੜ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ Land Acquisition Act ਦੇ ਹੇਠਾਂ acquire ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ? ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ notice ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ acquire ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ Constitution ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪੰਜੋਤ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ । ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਬਸ ਮਿਠੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਲੌਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਤਸਾਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਥੇ ਕੋਈ refugee ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ । ਹੁਣ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਚਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ । ਵੱਡੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਜਦ ਦਿਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ waste land ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ peoples government ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : आप को इस रैज़ोल्यूशन पर तकरीर करने के लिये आध घंटे का समय दिया गया है ।

पंडित श्री राम शर्मा : रैज़ोल्यूशन पर बोलने के लिये कोई time limit मकर्रर नही की जाती । आप ज़्यादा वक्त भी दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो कोई एतराज़ नहीं । (I have no objection)

ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ lease ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਗੋਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈਂ lease ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਹ ਜਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਲਈ lease ਤੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਤਸਾਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ exploit ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ exploit ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ Land Acquisition Act ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ 8,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਿਨਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ Landless Peasants ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਤਸਾਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ

ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਭੂਮੀ-ਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਅਸਲੀ ਹਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਜੁਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ Cottage Industry ਦੀ Scheme ਦੇ ਮਾਤਹਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਤਸਾਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹਿਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Cottage Industries ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ੨ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ development ਲਈ sanction ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾ-ਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰੀਜਨ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ-ਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ waste land ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਤਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ ਕਲ ਉਹ ਇਕ ਇਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ Consolidation ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : Motion moved—

> This Assembly recommends to the Government to distribute all Government culturable waste land in the State among Harijan agricultural labourers and landless peasants *gratis*.

श्री श्री चन्द (बहादुरगढ) : साहिबे सदर, हमारे लायक दोस्त जो Treasury Benches पर बैठे हुए हैं वह आज से नहीं बल्कि 30 साल से जब भी अलैकशनें नजदीक आती हैं बड़े जोरों के साथ हरिजनों के सामने इकरार करते हैं कि जिस रोज़ हमारी गवर्नमैण्ट होगी हम उन को ज़मीन देंगे। हरिजनों ने जब भी दरियाफत करने की कोशिश की कि ज़मीन कहां से दोगे तो उन्होंने कहा कि इस गांव में इस देहात में सिर्फ ज़मींदारों का हक नहीं है हम कोशिश करेंगे कि

[श्री श्री चन्द]

इन ज़मीनों में से या और कोई ज़मीन देंगे । आज से नहीं बल्कि 30 साल से मतवातर यही propaganda होता रहा है और इस का नतीजा यह हुआ है कि आज पंजाब के देहात में दो मुख्तलिफ पार्टियां कायम कर दी गई हैं—एक हरिजन और एक ज़मींदार । हरिजनों को यह ख्याल बार बार दिलाया जा रहा है कि दर असल में ज़मीन ज़मींदार नहीं देना चाहते । यह ज़मीन गवर्नमैण्ट दे सकती है, कांग्रेस वाले दे सकते हैं लेकिन ज़मींदार ज़मीन नहीं देना चाहते । हम ने उन को बार बार कहा कि जो फालतू ज़मीन है वह आप को दी जा सकती है यह जो प्रचार किया जा रहा है कि ज़मींदार ज़मीन नहीं देना चाहते वह बिल्कुल गलत है लेकिन उन्हें यह यकीन नहीं आता । अब थोड़े अरसे से जब कोशिश की गई समझाया गया कि बात यह है कि अगर गवर्नमैण्ट देना चाहे तो उस के पास ज़मीन है । मैं अर्ज़ करता हूं कि फिर प्रचार हुआ कि जाने दो ! ज़मीन जाटों के पास है, अहीरों के पास है—ज़मीन को जाने दो ! हम तुम्हें मन्दिरों में दाखिल कर देंगे ! फिर यह बड़े तमतराक से कहते हैं कि हम ने हरिजनों को मन्दिरों में दाखिल कर दिया है, मूर्तियों पर चढ़ाया गया पानी पिलाया है, हम उन्हें कूओं पर जाने देते हैं । यही नहीं लम्बरदार बना दिया है मगर पंजोतरा नहीं दिया । उन्हें ज़मींदार करार देंगे मगर ज़मीन नहीं देंगे । इस तरह का प्रचार election के दिनों में हमेशा किया जाता है ।

साहिबे सदर, मैं तहेदिल से इस Resolution की ताईद करता हूं । कांग्रेसी भाई जानते हैं कि जिस रोज़ हरिजनों की यह मांग पूरी हो गई उन्हें ज़मींदारों से लड़ाने का उन के पास कोई बहाना नहीं रहेगा और फिर 14 फीसदी शहरी यहां बैठ कर हकूमत नहीं कर सकेंगे । गवर्नमैण्ट नहीं चाहती कि किसी तरीके से हरिजनों को ऊपर उठाया जाये, सिर्फ वायदे करना ही जानती है पर यह वायदे कब तक चलेंगे । आखिर हरिजनों को पता लग जायेगा कि यह भाई झूठ बोलते हैं मगर ब्राह्मणों का स्वर्ग का बहाना तो लाखों सालों से चल रहा है । किसी ने आजतक वापिस आ कर नहीं बताया कि स्वर्ग है भी सही या नहीं, अगर है तो वहां क्या मिलता है । लोगों के दिलों से स्वर्ग का ख्याल अभी तक नहीं निकला । ज़मीन तो सामने पड़ी है, हम कहते हैं कि इसे हरिजनों को दिलवायेंगे । हमारे दोस्त तो वायदे करने ही जानते हैं । पूछते हैं इस तरफ का खेत लोगे या उस तरफ का, यह ज़मीन लोगे या वह । मगर जो ज़मीन सरकार के पास पड़ी है किसी काम में नहीं लाई जा रही, जिस से कोई आमदनी नहीं हो रही, वह हरिजनों को देने के लिये तैयार नहीं होंगे । बहाना यह किया जायेगा और हरिजन मैम्बरों से कहलवाया जायेगा कि चूंकि यह Resolution कम्यूनिस्टों की तरफ से आया है, इस लिये मनज़ूर नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें विश्वास दिलाया जायेगा कि गवर्नमैण्ट की तरफ से ऐसा प्रस्ताव लाया जायेगा, party discipline के बहाने हरिजन मैम्बरों को इस के हक में बोलने से रोका जायेगा और वे भी कहेंगे कि हरिजनों को ज़मीन नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि यह Communists का resolution है । मुनासिब और नेक बात को मानने में झिजक नहीं होनी चाहिये खाह उस के कहने वाला कैसा आदमी ही क्यों न हो । बेशक इस पर कांग्रेस वाले अपना नाम लिख लें मगर वे तो चाहते हैं कि गरीब ज़मींदार की ज़मीन छीन कर हरिजनों को दी जाये ताकि दो भूके आपस में लड़ें । एक दूसरे की लंगोटी को छीनने की कोशिश करें जो उस के पास नहीं है और दूसरा पहले की टोपी । (हंसी) ज़मींदार कौनसा अमीर है जो

उस की ज़मीन छीन ली जानी चाहिये । अमीर तो उधर बैठे हैं, जिन के मकानों के पास किसी को फटकने नहीं दिया जाता । यह बात नहीं कि हरिजनों को ज़मीन दे देने में कोई हर्ज है मगर वे सोचते हैं कि फिर हरिजनों और जमींदारों को आपस में लड़ाया कैसे जायेगा । हरिजनों के साथ रोज़ इकरार किये जाते हैं मगर कोई भी पूरा नहीं किया जाता ।

मैं हरिजन साथी मेम्बरों से कहता हूं "यह आप के लिये बहुत अच्छा मौका है । इस के हक में राये दो, फिर देखते हैं आप को ज़मीन मिलती है या नहीं।" (Cheers from the Opposition Benches) अगर अब वे न बोले, तो ज़मीन उन्हें कभी नहीं मिल सकेगी । जो आप के असली विचार हैं ज़ाहर करो, जो चाहते हो मांगो पंजाब का जमींदार अपने पड़ोसी के साथ किसी किसम का तफर्का नहीं चाहता, वह यह नहीं चाहता कि उस का पड़ोसी गरीब और कंगाल रहे, वह हरिजनों को ऊंचाई पर जाते देखना चाहता है । अगर उन्होंने यह सोचा कि यह resolution कम्युनिस्टों की तरफ से आया है, इस लिये खराब है तो वे एक अच्छा मौका खो बैठेंगे ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब, यह एक ऐसा resolution है जिस पर मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी के किसी मैंबर को एतराज़ नहीं हो सकता । मैं उन के motives को जानता हूं कि वे इस तरह के कामों के लिये हमेशा कोशिश करते रहे हैं । गांधी जी ने तो यहां तक कहा था कि जब स्वराज मिलेगा तो हिंदुस्तान के तख्त पर एक हरिजन बैठेगा । कांग्रेस ने बड़ी खलूस दिली के साथ हरिजन सुधार की तहरीक को चलाया था । मैं कांग्रेस में रहा हूं और अब भी उस की ideology में यकीन रखता हूं और मानता हूं कि वह मुल्क को आगे ले जायेगी (cheers from Treasury Benches) अगर कांग्रेस अपनी ideology पर तेज़ी से काम करे तो बहुत शोहरत हासिल करे । कांग्रेसी भाइयों को यह ख्याल न करना चाहिये कि यह resolution कम्युनिस्टों की तरफ से आया है । अगर उन्हों ने इसे मान लिया तो नाम उन का ही होगा, अगर यह पास न हो सका तो इस का discredit उन को ज़रूर मिलेगा । इस पर अमल किये जाने से देश की आबादी के एक भाग को जो पसती की हालत में है ऊपर उठने और ज़िन्दगी की असली खुशी देखने का मौका मिलेगा और अगर वे अपने खाबों की ताबीर न देख सके, तो वह वक्त दूर नहीं जब कि इस देश में एक खतरनाक revolution होगा । कांग्रेस ने ही इस काम को शुरू किया था और उसे ही इसे पूरा करना चाहिये । इस को महज़ इसी लिये रद्द नहीं करना चाहिये क्योंकि यह, Opposition की तरफ से पेश हुआ है । इस पर बड़ी संजीदगी balance of mind, बगैर prejudice या bias के विचार होना चाहिये । इस पर public मुफाद के नुक्तानज़र से विचार होना चाहिये । अगर culturable waste land जो ऐसे ही पड़ी है ज़ेरे काश्त आ जाए तो इस से गवर्नमैण्ट को भी फायदा होगा, revenue बढ़ेगा और landless लोग भी रोटी कमा सकेंगे ।

स्पीकर साहिब ! इस वास्ते मैं अर्ज़ करता हूं कि उन को यह विचार नहीं करना चाहिये कि चूंकि यह resolution Opposition पार्टी की तरफ से आया है इस लिये इसे रद्द कर देना चाहिये । अगर्चे हम Opposition में बैठे हैं फिर भी हम देश की बेहतरी और पब्लिक

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]

के मुफाद के लिये यहां बैठे हैं । हर एक मामले में हम बगैर bias और बगैर किसी prejudice के सोच समझ कर राए देते हैं । देश की बेहतरी के लिये हमारा इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है । और इस सिलसिले में मैं उन पर पूरा यकीन भी कर सकता हूं । स्पीकर साहिब, पंजाब प्रदेश में जो culturable waste land पड़ी हुई है अगर वह सारी ज़ेरे काश्त आ जाये तो उस से सरकार को भी कितना फायदा हो सकता है, कितना revenue बढ़ेगा ? देश की धन सम्पत्ति बढ़ेगी । लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा । इस समय सब से ज़रूरी और सर्व प्रथम चीज़ यह है कि अब चूंकि स्वराज्य मिल चुका है हमें दिहाती लोगों की सामाजिक ज़िन्दगी की हालत को देखना चाहिये । वे लोग कैसी बुरी तरह पीसे जा चुके हैं ? हरिजन और landless लोगों को जमींदारों के सामने झुकना पड़ता है । उन के दिलों में inferiority complex अभी तक वैसे ही मौजूद है । उन के पास न तो ज़मीनों का possession है और न ही मकानों की मलकियत है । स्वराज्य मिल चुका है लेकिन वे लोग अभी तक बेघर और बेदर हैं क्या यह बात सरकार के लिये काबले विचार नहीं है ? यह गौर तलब बात है कि ऐसे देश में जहां की 90 per cent आबादी की गुज़र काश्तकारी पर है इतनी बड़ी गिनती में लोग बगैर ज़मीन के हैं । इन बेचारों को जिन की गिनती करीबन 10 लाख है कहीं 6 मास के बाद थोड़ा बहुत काम करने से कुछ गल्ला मिलता है । फिर देने वाला भी तो खुद गरीब है । हमारे सूबे में peasant proprietor है वह खुद भी गुज़ारा करता है और उन लोगों को भी देता है । अगर यह figure ठीक है कि यहां पर 8½ लाख एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है तो मैं कहूंगा कि उस में काश्त करने से देश खुशहाल हो जायेगा । ज़मीन पड़ी पड़ी खराब हो चुकी है । उस में रेत भर चुकी है water logging हो चुका है । Budget Session में Leader of the House ने यकीन दलाया था कि गवर्नमैण्ट इस ओर ध्यान देगी. Finance Minister ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था कि ज़मीन इन लोगों में बांट दी जायेगी । Development Minister साहिब ने बार बार कई सवालों के जवाब देते हुए कहा कि culturable waste land उन लोगों की हालत को सुधारने के लिये उन में तकसीम कर दी जायेगी । मुझे यह भी पता है कि इस तरफ कदम उठाया भी गया है लेकिन इतना नहीं जितना कि चाहिये । इस में बहस की ज़रूरत नहीं । मुझे तो कोई ऐसा सदस्य नज़र नहीं आता जिस को इस resolution से इख्तलाफ़ हो, न Opposition में और न ही Treasury Benches में । यह गरीब लोग अभी तक अपने आप को out-cast समझते हैं और untouchable समझते हैं । उन की इस ज़हनीयत को बदलने के लिये गवर्नमैण्ट यत्न कर चुकी है और अब भी कर रही है । लेकिन अभी बहुत कुछ और करना है । जब तक उन की माली हालत नहीं सुधरेगी तब तक उन की आम हालत नहीं सुधर सकती । तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता । जब तक इन लोगों की ज़हनियत नहीं बदलती । उन के गंदे कपड़े टूटी फूटी झौंपड़ियां जैसी अंग्रेज़ों के वक्त में थीं वैसी ही अब भी हैं । उन में नुमायां तबदीली की ज़रूरत है । थोड़े से वज़ीफे दे कर उन के बच्चों की हालत नहीं सुधर सकती । उन की हालत को बहुत ऊंचा करने की आवश्यकता है । मुझे तो उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन सरकार उन के लिये Model Town जैसे घर खुद बनाएगी । जब तक वे लोग socially और economically ऊंचे नहीं हो सके तब तक उन की political mentality ऊंची

नहीं हो सकती । उन के vote पार्टियां खरीद लेती हैं । वे लोग पैसे की किल्लत के कारण vote बेच देते हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ : ਗਲਤ ਹੈ ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मैं मजमूई तौर पर बात कर रहा हूं । आप अपने तबके की बात न करें ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ?

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मैं देने वाला नहीं हूं लेकिन मुझे पता है ।

Mr. Speaker : Order please.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : आप इन बातों को मत लीजिये, मैं हकीकत बता रहा हूं । और अगर आप सबूत लेना चाहें तो मैं दे सकता हूं । और मैं challenge करता हूं कि दे सकता हूं ।

Mr. Speaker : There is no necessity of giving a proof of it.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी अगर हकीकत को हकीकत समझ कर चलेंगे तो काम चलेगा बुराई हर जगह पर नहीं होती । Generalise करते वक्त यह नहीं कहा जाता कि बुराई कहां पर है और कहां पर नहीं । List में अकेले हरिजनों का ही जिक्र नहीं है बल्कि दूसरी landless classes का भी जिक्र है । जिन की इक्तसादी हालत खराब हो, वे इखलाकी तौर पर भी ऊंचे नहीं हो सकते । खराब economic conditions इखलाक को खराब कर देती हैं । यह सच्चाई है इस को कबूल कर लेना चाहिये । मुझे उम्मीद है कि Leader of the House मेरे साथ मुतफिक होंगे और Finance Minister साहिब भी अपने views को आज ही elaborate करेंगे कि इस resolution के बारे में उन्होंने आज तक क्या किया है और आगे क्या करने का उन का इरादा है । स्पीकर साहिब इन अलफाज़ के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं ।

ਮਾਸਟਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਰੋਪੜ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਬਾਦੀ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ । ਅਜ ਕਲ ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਮਸਲਨ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੁਪਿਆ co-operative basis ਉਪਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਹਾਲਤ ਪੁਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ । ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ

[ਮਾਸਟਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ]

ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਿਹੜੇ ਵਾਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਾਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ Resolution ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ landless ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਦੱਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ Resolution ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਸਹੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਜੇ ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਇਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ prestige ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ credit ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਹਾਂ।

ਆਖਿਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਕ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 70,000 ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ 70,000 ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ? ਉਹ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30,000 ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 30,000 ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਥੇ ਗਏ ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ।

ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਖੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 55,000 ਹੱਥ-ਖੱਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 4,500 ਜਾਂ 5,000 ਹੱਥ-ਖੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਰ-ਬਦਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉ ਤਾਂ ਦਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ? ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ? ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ waste land ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, unemployment ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ waste land ਨੂੰ landless ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ facts and figures ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਹ unemployment ਬਾਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਖੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ।

[I would like to draw the attention of the hon. Member to the fact that this resolution relates to the distribution of waste land and not to unemployment. It clearly indicates that the waste land available in the State be distributed amongst the landless Harijans. The facts and figures given by you relate to the unemployment. I, however, expect you to confine yourself to the resolution. Otherwise there will be no end to your speech. After all, others also have to speak.]

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਸਮਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ facts and figures ਦੇਣੇ ਪਏ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹੀ ਮਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਫੋਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : How does the Development Minister come in the picture? No such aspersions please.

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੰਡਿਤ

ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾ ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਿਓਤਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ? ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੈਰ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨਿਓਤਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਈਂ, ਪੰਡਿਤ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਖਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ?

(Is it an example or a story ?)

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਉਸ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੌਹ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਖੀਰ। ਤਾਂ ਇਕ ਕੋਰਾ ਘੜਾ ਲੈਕੇ ਰਾਤੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲਪਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਚੌਕੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਖੀਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਦਿਤੀ। ਤੇ ਪੁਛਣ ਲਗਾ, ਕਿਉਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, 'ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ 'ਭਾਈ ! ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੇ ਸਦਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਾਣ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।"

ਸੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉ। ਜੇ ਇਹ ਮਤਾ ਅਜ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕ ਮਤਾ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ waste lands ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਓਹ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ?

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਫੇਰ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾਲੋ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ record ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें हाऊस के Table पर lay करने की कोई ज़रूरत नहीं।

(These documents need not be laid on the Table of the House.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं आप की ruling इस बात पर चाहता हूं कि अगर कोई मैम्बर अपनी तकरीर में किसी document को पढ़े तो क्या वह Assembly का record नहीं बन जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर को पता होना चाहिये कि जो भी document यहां पर पढ़ा जायेगा तो उसे on the Table lay करना पड़ेगा और उसे छपाना भी पड़ेगा। क्या आप यह चाहते हैं कि इस के छपाने पर गवर्नमैण्ट का इतना ज्यादा रुपया ज़ाया क्या जाये ? जब यह मान लिया जाये की उन लोगों की बंजर ज़मीनों के बारे में जो demand हैं उस के साथ माननीय मेम्बर की पूरी हमदर्दी है तो फिर इन दरखास्तों को यहां पढ़ने की क्या ज़रूरत है।

(The hon. Member should know that each document which is quoted here will have to be laid on the Table of the House and ultimately got to be printed in the debate. It becomes unnecessary to read out such applications on the floor of the House, when it is taken for granted that the hon. Member speaking has full sympathy with the demand made by the applicants about the waste lands.)

पंडित श्री राम शर्मा : इस के छपाने की क्या जरूरत है ? पढ़ने दिया जाए बेशक छपाया न जाए।

Mr. Speaker : Any document which is read out here becomes part of the debate. Therefore it must be printed.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ : On a point of order, Sir. ਆਪ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਉ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਉ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਉ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा माननीय मैम्बर एक दरखास्त पढ़ लें और चन्द एक नाम दे दें।

(Well, the hon. Member can read out one of the applications along with the names of some of the signatories.)

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਪਧਾਨ ਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਇਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਦਾ ਹਾਂ।

ਸੂਬਾ ਦਿਹਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ..

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह समझ लिया है कि यह दरखास्त सरदार दर्शन सिंह ऐम. एल. ए. के नाम पर है और उन को दी गई है। इस लिए यह irrelevant है।

[I quite follow that this application is addressed to Sardar Darshan Singh, M.L.A. Therefore it is irrelevant.]

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि कोई भी document जो किसी मैम्बर के नाम पर ऐसा हो या तहरीक के नाम पर ऐसा हो तो क्या वह इस काबल हो जाता है कि Assembly की proceedings में न लाया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : जब यह fact मान लिया गया है तो इसे पढ़ने की कैसे इजाज़त दी जा सकती है ?

(When the object underlying the document has been admitted, then how can it be allowed to be read out in the House ?)

पंडित श्री राम शर्मा : जो भी चीज कोई मैम्बर......

Mr. Speaker : I do not allow it to be read out here.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a point of order, Sir. ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ......

Mr. Speaker : The hon. Member has in the course of his speech said that 16 thousand labourers have signed these applications. This statement of the hon. Member has not been challenged by anybody. It can, therefore, be treated as correct. In view of this fact, I do not think that there is any necessity of placing these applications on the Table of the House.

राओ गजराज सिंह : On a point of order, Sir. यह जरूरी नहीं कि जिस किताब का reference दिया गया हो वह सारे की सारी किताब ही छपाई जाए किसी printed matter का वही portion House की property हो जाता है जो portion पढ़ा गया हो। मेरे दोस्त के पास अगर दो हजार दरखास्तें हैं तो....

Mr. Speaker . It is not a point of Order.

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਫੇਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲ ਨ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

Shri Dev Raj Anand : Sir, I move :

That the question be now put.

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब क्या मैं इस सिलसिले में दरखास्त कर सकता हूं ? मेरी आप से दरखास्त यह है कि यह majority party के इख्तियार में नहीं होना चाहिये कि जिस वक्त वह चाहे "the question be now put" की motion move कर दें। यह तो स्पीकर साहिब, आप ने देखना है कि हाऊस का कौन सा हिस्सा नहीं बोल पाया। वह हिस्सा ऐसे चुप बैठा है जैसे के किसी की ज़बान ही न हो। आप यह देखिये कि इस motion के move होने से पहले इस पर काफी बहस हो जानी चाहिये।

Mr. Speaker : This Resolution was discussed at great length on the floor of the House during the last Budget Session. Today also, several Members who have participated in the discussion on this Resolution, have expressed their views. Anyway, I shall allow a few more Members to speak.

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : प्रधान जी, मैं इस तहरीक के mover को मुबारकबाद देता हूं। यह मसला आज सिर्फ हमारे सूबे का ही नहीं बल्कि सारे हिंदोस्तान का भी है। पंडित नेहरू आज सारी दुनिया को अमन का पैगाम दे रहे हैं। जितने बड़े २ लोग हैं, यह सब तसलीम करते हैं कि अमन दुनिया में तभी कायम रह सकता है और तरक्की तभी हो सकती है अगर हर किसान को ज़मीन मिले। हमारे मुख्य मंत्री बड़े ही रोशन दिमाग और समझदार आदमी हैं, इस लिये उन की सरकार यकीनन इस मसले को खूब समझती है। इस लिये पंजाब जितनी तरक्की कर रहा है इस से भी दस गुना करेगा। बहरहाल सरदार चनन सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसे खुश आमदेद कहता हूं और इसे मान लेना चाहिये। आखिर हरिजन भी तो हमारे ही भाई हैं जो हमारी तरह प्रान्त के पूरे हकदार हैं। उन को ज़मीन से महरूम क्यों रखा जाये। अगर सरकार के पास waste land है जो यह समझती है कि काम में लाई जा सकती है तो उन लोगों को दे दी जाये जिन के पास ज़मीन नहीं है। यह भाई दुखी हैं और इन के दुखों का इलाज किया जाना चाहिये और यह ज़मीन यकीनन उन के काम आ सकती है। इस लिये मैं यकीन करता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव का इस्तकबाल करेगी। दूसरे इलफ़ाज़ में मैं कह दूं कि यह तो आप तसलीम करते ही हैं कि इन की हालत खराब है और इस हालत को

बेहतर बनाना है। साथ ही देश के नेता महात्मा गांधी के lieutenants का यह धर्म हो जाता है कि इस काम में पूरा सहयोग दें। आचार्य विनोबा भावे भूदान तहरीक चला रहे हैं और अगर हमारे मुख्य मंत्री और उन के साथी इस में सहयोग दे रहे हैं। लोग अपनी मर्ज़ी से ज़मीनें दे रहे हैं मगर फिर भी वह ज़मीन काफी नहीं हैं। इस के लिये तो Chief Minister साहिब अभी हां कह दें तो उन की हां से लाखों उजड़े हुए लोगों का भला होने वाला है। मुझे यकीन है कि मुख्य मंत्री इन बातों को खूब समझते हैं और अगर खूब नहीं समझते तो मुझे डर है कि वह सारे वादे जो इन्हों ने कर रखे हैं सच्चे साबित नहीं होंगे। और फिर एक खतरा भी है। जिस तरह गाड़ी तभी अच्छी तरह से चल सकती है अगर उस के दोनों पहिये बराबर ताकतवर हों वरना कमज़ोर पहिया सारी गाड़ी को ही ले डूबता है। हरिजन भाई हमारे देश की गाड़ी का एक पहिया हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस शानदार सरकार के बनाने में हरीजनों का शानदार हिस्सा है।

पंडित श्री राम शर्मा : शानदार सरकार !

मौलवी अब्दुल गनी डार : हां शानदार इस लिये कहता हूं क्योंकि इस ने सूबे की इतनी तरक्की की है। एक deficit सूबा surplus हो गया है और हम अब अनाज बाहर भेजने लगे हैं। और इसे शानदार में इस लिये भी कहता हूं कि इस में शानदार बुराईयां भी हैं। इन की खूबियां और बुराईयां दोनों शानदार हैं। मुझे डर है कि अगर इस प्रस्ताव को टालने की कोशिश की गई तो फिर तो वही बात हो जायेगी। कहते हैं कि दो साथी थे उन में से एक ने कहा कि कहीं हमारा आपस में झगड़ा न हो जाये आओ इस लिये एक समझौता कर लें। एक गाए खरीदें आगे का हिस्सा तुम्हारा पिछला हिस्सा मेरा। इसी तरह खिलाने के लिये तो हरीजन वोटों से Ministry बनाते और कायम रखते हैं—मगर कोई फायदा होना हो तो उन्हें टाला जाता है कि पिछला हिस्सा—फायदे का—तुम्हारा नहीं है। प्रधान जी आप शानदार हैं, यह हाऊस भी शानदार है।

अध्यक्ष महोदय : आज तो शानदार के कुछ खास माने नज़र आ रहे हैं।

(To-day the hon. Member is seeing something special in the meaning of the word 'grand')

मौलवी अब्दुल गनी डार . जी हां, यहां पर शानदार प्रधान, शानदार मुख्य मंत्री, शानदार सरकार और शानदार ही प्रस्ताव है। मैं खुश हूं कि ऐसी अच्छी बात आप की निगरानी, और रहनुमाई में हो। अगर मुख्य मंत्री यह सोचते हों कि यह तो Opposition की तरफ से आया है, इसे कैसे मान लिया जाये, तो मैं अर्ज़ करूंगा कि आप ही ऐसा प्रस्ताव ले आयें। इस से सारे मुल्क को फायदा होगा। मुझे पता है कि यह इस के जवाब में क्या कहने वाले हैं......

अध्यक्ष महोदय : आप को क्या पता है कि यह क्या कहने वाले हैं ?

[How do you know what he is going to say ?]

मौलवी अब्दुल गनी डार : मुझे पता चलना ही चाहिये। मैं तो इन की खूबियां मानता हूं और बुराईयां भी कहता हूं। इन के काम शानदार हैं मगर हरिजनों को यह मुद्दतों से टालते और उन का दिल बहलाते रहे हैं। अगर उन्हें ज़मीनें मिल जायें तो वह मकानात बना सकें अपने जानवरों वगैरा को रखने का इन्तज़ाम कर सकें और उन बेचारों का भी गुज़ारा चले।

[मौलवी अब्दुल ग़नी डार]

सभी जानते हैं कि इन बेचारों ने हमें कितना सहयोग दिया महात्मा गांधी के पीछे चल कर और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी पूरी सिदक दिली से इन की मदद करेंगे।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, मैं हाऊस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और न ही यह मामला ऐसा है कि इस पर किसी तवील बहस की ज़रूरत हो।

आप यह जानते हैं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू कहते हैं कि एशिया का मामला ज़मीन का मामला है और अगर यह अच्छी तरह हल हो जाये तो दुनिया अच्छी तरह से बसी रह सकती है और अगर ऐसा न हुआ तो झगड़े भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि पंजाब में 25,30 लाख हरिजन भाई हैं और अगर गवर्नमैण्ट के पास पड़ी ज़मीन इन्हें मिल जाये तो इन का गुज़ारा हो सकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में दो बड़ी बातें हैं।

एक तो यह कि उन की बेकारी दूर हो और उन की भूख का इलाज हो। दूसरा यह कि उन्हें ज़मीन मिलने से उन का दर्जा सोसाइटी और अपने लोगों में बन जाये। यह एक ऐसी जमात है जो कभी ज़मीन की मालिक नहीं रही और हमेशा खेती पर गुज़ारा करती आई है। हमने इन्हें बड़े ज़ोर से यकीन दिलाया हुआ है कि अपना राज होते ही इन को हर तरह की तरक्की के मौके मुयस्सर होंगे। कारोबार बढ़ेगा और दर्जा ऊंचा होगा। इस लिये किसी तरह से भी चाहे बड़े २ ज़मींदारों से उन की ज़मीनों का कुछ हिस्सा छीन कर या किसी और तरीके से इन्हें ज़मीन मिलनी चाहिये। गवर्नमैण्ट के पास ज़मीन है, अगर्चे बहुत ज्यादा नहीं तो भी काफी है और यह waste land ऐसी है कि अगर इस पर मेहनत की जाए तो अनाज पैदा किया जा सकता है। इस लिये अगर यह हरिजनों को मिल जाये तो इस से बड़ा फायदा हो सकता है। और फिर यह बात कांग्रेस प्रोग्राम और उस propaganda के मुताबिक होगी जो गवर्नमैंट और अक्सर वज़ीर साहिबान करते रहते हैं। वे कहते हैं कि हम हरिजनों के बड़े हामी हैं और उन की मदद करना चाहते हैं। मगर यह हाऊस के अन्दर तकरीरें करने से, न इस side से और न उस side से ही, हो सकती है। यह तो ज्यादा से ज्यादा हाऊस के बाहिर होगी....

हमारे एक वज़ीर साहिब हैं जिन्होंने हाल ही में एक गांव में तकरीर की कि हम मोरी का पानी जब देंगे जब किसी हरिजन की सिफारिश हो। हो सकता है कि ऐसी बात सुनने से हरिजनों को खुशी हुई हो और उन्होंने सोचा हो कि अब हमारी ताकत बढ़ रही है और हमें ऊंचा किया जा रहा है लेकिन मैं कहूंगा कि इस तरह तकरीरों से काम नहीं चलता। यहां कहने की बात नहीं, करने की बात है। और यह रैजोल्यूशन तो एक छोटी सी तहरीक है। इस में यह है कि जो culturable waste land गवर्नमेंट के पास पड़ी है उसे सरकार काम में ला सकती है। इस को काम में लाने के लिये सरकार को चाहिये कि वह इसे हरिजनों में तकसीम कर दें। गरीब हरिजनों को जो यह काम करना चाहें उन्हें मामूली सी कीमत पर या lease पर दे दिया जाए। इस से सूबे से बेकारी और भूख कम हो जायेगी।

फिर अगर यह कहें कि क्योंकि यह resolution Opposition की तरफ से पेश किया गया है और बाहर इन की political मुख़ालिफत होती है कि क्यों Opposition की बात मान ली, तो यह तो गवर्नमैण्ट का वहम है। अगर ऐसा ही करना है तो एक resolution कांग्रेस पार्टी के तमाम मेंबर साहिबान दे सकते हैं और पास करवा सकते हैं। हर कोई तजवीज

पेश कर सकता है इस को पास करना न करना तो सरकार के इख्तियार में है। क्या हर बात जो सरकार के सामने Opposition की तरफ से पेश की जाती है, मान ली जाती है? मुझे अफसोस है कि इस मसला पर किसी भी वज़ीर साहिब ने कुछ नहीं कहा। कहें भी क्यों? इस का जवाब तो हमारे मुख्य मंत्री साहिब ही दे सकते हैं। वह खड़े हो कर इलान कर सकते हैं कि हम इस काम को फलां तारीख तक कर सकते हैं। अगर वह कोई time limit मुकर्रर कर दें तब तो हम मानते हैं नहीं तो vague जवाबों से काम नहीं चलेगा कि हम गौर कर रहे हैं और जल्दी ही इस के बारे में कोई फैसला करेंगे। ऐसे जवाबों से साफ ज़ाहिर है कि गवर्नमैण्ट की ख़ाहिश नहीं। मुख्य मंत्री साहिब तो जानते ही हैं, और इस के बारे में यह फरमा सकते हैं कि भई आदमी तो तुम निकम्मे हो लेकिन बात काम की कही है और हम इस काम को फुलां तारीख तक कर देंगे।

आज जो गवर्नमेंट हम देखते हैं वह हरिजनों की वोटों पर कायम है और उन्हें पता होना चाहिये कि इस resolution को पास करके वह हरिजनों पर मेहरबानी नहीं कर रही। इस सरकार का वजूद ही इन हरिजनों की वोटों पर है। मैं इन को बता दूं कि अगर गवर्नमेंण्ट इसी तरह टाल मटोल करती रही तो इन की गवर्नमैण्ट का वही हाल होगा जो जनूब में हुआ। अगर हरिजनों ने शमाल में वज़ारत बना दी है तो जनूब में धक्का भी दे दिया है। हरिजन माना कि पढ़े लिखे कम हैं गरीब हैं और वह आप की लच्छेदार तकरीरों में फंस सकते हैं लेकिन हमेशा के लिये नहीं। वह बेदार हो रहे हैं और अगर गवर्नमैण्ट ने वक्त के मुताबिक अमल न किया तो हरिजन गवर्नमैण्ट के खिलाफ हो जाएंगे। इस लिये मेरी दरखास्त है कि इस रैजोल्यूशन को पास कर दिया जाए।

श्रीमती सीता देवी (जालन्धर, दक्षिण पूर्वी): माननीय स्पीकर साहिब! मेरा यह विचार था कि माननीय लीडर साहिब ही स्पीच करें और facts and figures के साथ सभा को बताएं कि इस रैज़ोल्यूशन की आवश्यकता नहीं। परन्तु सरदार दर्शन सिंह की स्पीच ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया है (interruptions) मुझे सरदार दर्शन सिंह साहिब की स्पीच सुन कर एक कहानी याद आ गई है। (interruptions from the Opposition) मुझे आप interrupt न करें। मैं इन interruptions से डरने वाली नहीं और जब तक पूरी बात न कह लूंगी मैं बैठने वाली नहीं (हंसी)।

मुझे पंचतन्त्र की एक कहानी याद आ गई है। बिल्कुल छोटी सी कहानी है। एक तालाब में एक बगला और मछलियें रहा करती थीं। एक दिन बगला उदास हो गया तो मच्छलियों ने पूछा मामू जी, आप उदास क्यों हैं? बगले ने जवाब दिया कि अकाल पड़ने वाला है और तालाब सूखने वाला है इस लिये मैं उदास हूं कि आप का क्या बनेगा? इतना सुन कर सारे तालाब की मछलियां बगले के गिरद जमा हो गईं और कहने लगीं मामूजी हमें बचाओ। बगले ने कहा कि मैं ने आप के लिये एक और तालाब तलाश किया है। तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हें बारी बारी कन्धे पर उठा कर ले जाऊंगा। बगले ने मछलियों को एक एक कर के ले जाना शुरू किया और एक सूखे तालाब में ले जा कर खाना शुरू किया। मछलियों ने सोचा कि जो मछलियां गई हैं उन का कोई संदेशा नहीं आता। वह सब मामू के पेट में चली गई हैं। इस तरह मैं हैरान हूं कि सरदार दर्शन सिंह ने किस लहजे में कांग्रेस सरकार के ऊपर इस किस्म की बातें कही हैं।

[श्रीमती सीता देवी]
क्या उन्हें हरिजनों के साथ सच्ची हमदर्दी है ? सब जानते हैं कि हरिजनों के साथ इन की कितनी हमदर्दी है । हरिजनों की हमदर्दी का दावा करने वाले भाइयों ने जिस में नीली पगड़ी वाले एक खास पार्टी के मैम्बर भी शामिल हैं, पिछली मरदम शुमारी में हरिजनों का खाना पीना और जीना मुश्किल बना दिया था और इस काम के लिये हज़ारों रुपये खर्च किये थे । मैं यह कहना चाहती.. ..

मौलवी अब्दुल गनी डार : On a point of order, Sir. क्या इस हाऊस में किसी पार्टी पर या उस की पगड़ी पर बहस की जा सकती है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस तरह बहन जी ने एक खास पार्टी पर बहस की है यह तरीका ठीक नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने खुद ही जवाब भी दे दिया है । (You have given the reply yourself.)

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : Point of order Sir, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਤੇ attack ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਲਫਜ਼ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

श्री श्री चन्द : On a point of order, Sir, इस असैम्बली के एक इजलास में इस से पहले भी एक मरतबा ऐसा झगड़ा हो चुका है टोपी और साफे का । आज फिर दूसरी बार यह झगड़ा उठाया गया है । मैं पूछता हूं कि क्या गांधी टोपी और नीली पगड़ी को बहस में लाया जा सकता है ? 'नीली पगड़ी' लफ़्ज़ को वापस लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आपने अगर नीली पगड़ी कहा है तो आप इसे वापिस लें ।

[The Lady Member should withdraw the word "Nilee Pagri" if she has said so.]

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ representative ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੀਲੀ ਕਾਲੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਜ ਇਹਨਾਂ ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਦੇਵੇਗਾ ।

श्रीमती सीता देवी : मैं यह शब्द वापिस लेती हूं ।

बाकी मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि Opposition के कुछ भाइयों ने हरिजनों के जज़्बात को उभारने की कोशिश की है । मेरे पास समय नहीं है इस लिये मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि Congress सरकार ने जो कुछ हरिजनों के लिये किया है वह किसी से पोशीदा

नहीं। अब जो ordinance निकला है उस से जिन लोगों को फायदा होगा उन में हरिजन भी शामिल हैं। यह सरकार सब की दशा अच्छी करना चाहती है बस यह जो resolution लाया गया है वह सिर्फ credit लेने के लिये है। इस लिये इसे पास नहीं करना चाहिये।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਗਰਾਉਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪਾਸ ਕਿਸੇ provision ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ defend ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਛੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ Opposition ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਕਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜੋਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲ ਦੇ ਸਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ welcome ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ Opposition ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ source ਕੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ honestly ਅਤੇ sincerely ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ sincerity ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਰੀਜਨ ਅਸਾਡੀ naticn ਦਾ hardy part ਹਨ । ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ waste land ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ honesty ਤੇ sincerity ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਚੀਆਂ ਕਰ ਦਸੋ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਆਪਣੀ ਤਹਰੀਕ ਚਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ welcome ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਵੇਰ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री रिज़क राम (राय) : स्पीकर साहिब, resolution का मतलब यह है कि देहात के पिछड़े हुए लोगों, खासकर हरिजनों की आर्थिक हालत खराब है इस लिये इन को ज़मीन दे दी जाये। सरकारी ज़मीन इन लोगों को देने के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन आज

[श्री रिज़क राम]

जिन लोगों ने यह resolution पेश किया है मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि जब से election के बाद कांग्रेस सरकार ने हकूमत की बागडोर अपने हाथ में ली है उस वक्त से इस की पालिसी यही है कि सरकारी ज़मीन हरिजनों और landless लोगों को दी जाए।

यह कोई ऐसी बात नहीं जो सरकार के दिल में न थी। मेरे ख्याल में Opposition के हरेक साथी को मालूम है कि सरकार शुरू से ही इस बात के बारे काफी जोर के साथ programme बना कर चल रही है और हर ज़िला में जहां भी सरकारी ज़मीन है दे देने का हुक्म जारी कर चुकी है ।

पंडित श्री राम शर्मा : हुक्म भी जारी हो चुका है।

श्री रिज़क राम : मैं जानता हूं पंडित जी को इस बारे में कोई शुबा नहीं। वे जानबूझ कर दड़ मारे बैठे हैं। वे सोये हुए नहीं; जागते हैं। इस लिये उन को जगाने की कोशिश फजूल है। क्या उन्हें मालूम नहीं कि सांघी गांव में जो सरकारी ज़मीन पड़ी थी वह हरिजनों को पट्टे पर दे दी गई है ? इस बात के बारे सरकार पहले ही फैसला कर चुकी है और policy के तौर पर हरिजनों को जमीन दी जा रही है। मेरे मित्र यह resolution लाकर और दूसरी बातों से हरिजनों के हमदर्द बनना चाहते हैं। वे जानते हैं कि जहां तक सरकारी या दूसरी ज़मीन का भी ताल्लुक है बहुत सा रकबा हरिजनों के बसाने और उन की काश्त के लिये ही नहीं बल्कि दूसरे आदमियों के लिये भी दिया जा चुका है और दिया जा रहा है। क्या मेरे Opposition के भाइयों को मालूम नहीं कि तहसील रोहतक और दूसरी जगहों में जहां इस्तेमाल अराज़ी हो रहा है हज़ारों बीघा ज़मीन हरिजनों को बसाने के लिये दे दी गई है। दो हज़ार बीघे ज़मीन तहसील रोहतक में बग़ैर किसी मुआवज़े के और पांच हज़ार बीघे जमीन एक और जगह पर हरिजनों के बसाने के लिये दे दी गई है। मेरे कुछ मित्र जो अकाली पार्टी में हैं और कुछ दूसरे भाई जो हरिजनों के मददगार बने हुए हैं ज़मींदारा गवर्नमैण्ट के दिनों में तो ऐसी बातें न करते थे। अब वह बहुत बातें बनाते हैं। हमारी सरकार ने तो अब शामलात की हज़ारों एकड़ ज़मीन में जहां हरिजन कदम तक न रख सकते थे ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दी हैं। उन को बसाने के लिये, उन के मवेशियों के चराने के लिये और उन की काश्त के लिये ज़मीनें दे दी हैं। पंचायतों को भी कह दिया गया है कि वे अपनी ज़मीने हरिजनों को काश्त के लिये दें। हमारी सरकार एक programme के मुताबिक चल रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इस resolution का मुद्दा ही क्या है। मेरे मित्र तो उस सियाने आदमी की तरह कर रहे हैं जिस को किसी मुकद्दमे के फैसले का पता होता है और अदालत के एक दर्वाजे से जा कर दूसरे से निकल आता है और बाहिर आकर कह देता है कि उस ने जज से सिफारिश कर दी है। इस तरह वे credit ले लेता है। मैं दोबारा कहता हूं कि जो कुछ करना है सरकार पहले ही कर रही है और इसे किसी के कहने की या इशारे की भी जरूरत नहीं।

श्री बालूराम (फतेहाबाद) : श्रीमान जी, कहा गया है कि हरिजनों को बहुत कुछ दे दिया गया है। मैं भी House को बताना चाहता हूं कि हरिजनों को क्या कुछ मिला है। सात साल के अरसा से हिन्दुस्तान आज़ाद है। इन सात सालों में जो कुछ हरिजनों को मिला है

इस House के मैम्बरों और सब दूसरे लोगों को मालूम है। श्रीमती सीता देवी जी ने कहा है कि अब हरिजनों को कूओं पर चढ़ने की और मन्दिरों में जाने की इजाज़त हो गई है। मैं पूछता हूं कि क्या हरिजनों के कूओं पर चढ़ने से और मन्दिरों में जाने से उन की रोटी का मसला हल हो जायेगा ? मैं तो कहूंगा कि जब तक उन्हें रोटी नही मिलती उन का कुछ भी नहीं हुआ।

श्रीमान जी, मेरे विचार में हरिजनों को ज़मीन देने के दो फायदे हैं। पहला तो यह कि वे बंजर ज़मीन को काबलेकाश्त बना देंगे और देश के लिये अनाज पैदा करेंगे। दूसरा फायदा यह है कि हरिजनों का मसला हल हो जायेगा और सरकार को उन्हें हर रोज़ रियायतें न देनी पड़ेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस resolution की ताईद करता हूं।

श्री मनी राम (फतेहाबाद) : तोबा करूंगा बाद में पूरे खलूस से।
पहले गुनाह पूछलूं परवरदिगार से।

माननीय स्पीकर साहिब ! मैं इस resolution की ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं जो पिछड़े हुए बगैर ज़मीन के किसानों अर्थात् हरिजनों में waste land के बांटने के बारे में है। मेरे कांग्रेसी दोस्तों ने कहा है कि यह काम तो सरकार पहले से ही कर रही है। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा ही है तो उन्हें नाराज़ न होना चाहिये बल्कि खुश होना चाहिये कि अब Opposition भी उन का साथ दे रही है।

स्पीकर साहिब ! फिर कहा गया है कि सरकार ने हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया है। उन्हें पट्टे पर ज़मीनें दे दी हैं। उन्हें मन्दिरों में और कूओं पर जाने की इजाज़त दे दी गई है, वगैरा वगैरा। लेकिन बात यह है कि अगर यह बातें की गई हैं तो हरिजनों पर कोई एहसान नहीं किया गया। किसी भिखारी को खैरात नहीं दी गई। अगर कोई resolution पास किया जाता है या कोई कानून बनाया जाता है जिस से हरिजनों को कोई फायदा पहुंचता है तो वह उन को खैरात नहीं समझी जानी चाहिये। जो उन का हक होता है वही उन को दिया जाता है। हमारे प्रान्त के अन्दर ज़्यादातर ज़रीयामुआश खेती है। तो मैं कहता हूं कि क्या जो हरिजन यहां रहते हैं उन का पैदाइशी हक नहीं कि उन को खेती बाड़ी के लिये ज़मीन मिले ? उन को ज़मीन मिलने से सिर्फ उन्हीं का फायदा नहीं होगा। हमारे प्रान्त की economy तरक्की करेगी और प्रान्त आगे जायेगा। हमें यह कभी न भूलना चाहिये कि हमारा प्रान्त ज़रायती प्रान्त है और इस पर जनसंख्या का बहुत बोझ है। अगर ज़मीन का ठीक इस्तेमाल न हुआ तो हाहाकार मच जायेगा।

मैं समझता हूं कि पंजाब के लोगों का मसला सिर्फ किसानों से हल नहीं हो सकेगा। यहां पर सनअत इतनी तरक्की पर नहीं कि बेकार लोगों को रोजगार मिल सके। बेकारी अब पहले की निसबत ज़्यादा फैली हुई है। किसानों को उन की ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है और अगर इन्हें सरकार ज़मीनें न देगी तो यह कहां जायेंगे ? मैं आप को एक मिसाल देता हूं कि रिवाड़ी के गांव में कांग्रेसी M.L.C. के हरिजन मुज़ारे को एक जाट ने मार पीट कर निकाल दिया। इन बेचारों को गांव में भेड़ बकरी चराने की भी इजाज़त नहीं और उन्हें कहा जाता है

[श्री मनी राम]

कि तुम्हारा ज़मीन पर हक नहीं। मेरे एक साथी ने कहा है कि अलैकशनों के दिनों में हरिजनों की वोटें खरीदी जाती हैं। सिर्फ वोटें ही नहीं बल्कि यह कहते हुए मेरा सिर शर्म के मारे झुक जाता है कि उन की लड़कियां चांदी के चन्द टुकड़ों के लिये बेच दी जाती हैं।

भगत गुरां दास : On a point of order, Sir. मेरे दोस्त ने फरमाया है कि हरिजनों की लड़कियां चांदी के टुकड़ों पर बेच दी जाती हैं यह बिल्कुल गलत बात है। उन को यह अलफाज़ वापस लेने चाहियें।

Mr. Speaker ; The hon. Member should withdraw these words.

श्री चांद राम अहलावत : जो अलफाज़ माननीय मैम्बर ने कहे हैं व उन्हें वापस लने चाहियें। हरिजनों की बाबत यह कहा जाये तो यह हमारी बेइज़्ज़ती है।

श्री मनी राम : मैं यह अलफाज़ वापस लेता हूं। मैं ने कहा था हमारी लड़कियां—गरीबों की लड़कियां चांदी के टुकड़ों पर बिकती हैं। इस लिये मैं, प्रधान जी, आप की मार्फत गरीब लोगों के नुमाइंदों से अपील करता हूं कि वह उन दुःखी हरिजनों और भूमि-हीन किसानों की तरफ अपनी तवज्जो दें जिन की आंखें इन की तरफ लगी हुई हैं और वह बड़ी बेताबी से देख रहे हैं कि उन के नुमायंदे 7 लाख एकड़ culturable waste land की तकसीम के बारे में क्या फैसला देते हैं। उन को चाहिये कि वह उन की सही नुमाइंदगी करते हुए उन के हक में फैसला दें और अपने फर्ज़ को पूरा करें जिस के लिये उन्होंने उन को यहां भेजा है। उन्हें चाहिए कि इस रेज़ोल्यूशन के बुनियादी असूल को सामने रखते हुए इसे politics का सवाल न बनायें और इस की पुरज़ोर हिमायत करें कत:नज़र इस बात के कि इस का credit किस पार्टी को जाता है।

Mr. Speaker: The hon. member should not indulge in repetition.

श्री मनी राम : प्रधान जी ! पंजाब के हरिजनों की जो बुरी हालत है मैं ने उस का नकशा आप के सामने रखा है और गवर्नमैण्ट की हरिजनों से हमदर्दी का सबूत इस बात से मिल जायेगा कि वह इस रेज़ोल्यूशन पर आज क्या फैसला करती है।

श्री चांद राम अहलावत (झज्जर) : स्पीकर साहिब ! आपोज़ीशन की तरफ से इस रैज़ोल्यूशन पर काफी तकरीरें हुई हैं और हरिजनों की हमदर्दी में बड़े आंसू बहाये गये हैं। यह प्रस्ताव इस सैशन में ही पेश नहीं हुआ है बल्कि पिछले सैशन में भी यह प्रस्ताव हाऊस के सामने पेश हुआ था। उस वक्त भी सरकारी बैंचों की तरफ से और सरकार की तरफ से एलान किया गया था कि जो भी सरकार की ज़मीन है वह लाज़मी तौर पर बगैर झिझक के हरिजनों को दी जायेगी। यही नहीं बल्कि जब वह प्रस्ताव पेश हुआ था उस से पहले भी सरकार ने कई ज़िलों में सरकारी ज़मीनें हरिजनों में तकसीम कर दी थीं। इस से साफ जाहिर होता है कि न तो इस मामला में गवर्नमैण्ट को याद दिलाने की ज़रूरत है और न ही कोई political exploitation करने की ज़रूरत है। ऐसा करना कांग्रेस सरकार की नीति है और खास तौर पर मेरे दोस्त पंडित श्री राम शर्मा और चौधरी श्री चन्द जी को जो मेरे ज़िले के हैं पता है कि किस तरह सरकार ने जिला रोहतक में खास तौर पर तहसील झज्जर में तमाम की तमाम ज़मीनें हरिजनों को दे दीं (*Cheers from the Treasury Benches*)। मेरे

दोस्त ने यह रैज़ोल्यूशन पेश किया है कि यह ज़मीनें Harijan agricultural labourers और landless peasants को दी जायें । इस रैज़ोल्यूशन में भारी defect है । मैं समझता हूं कि जिन्होंने यह रैजोल्यूशन पेश किया है उन की नीयत नहीं कि हरिजनों की मदद की जाये । अगर उन की ऐसी नियत होती तो साफ तौर पर यह रैज़ोल्यूशन लाते कि जितनी सरकार के पास ज़मीन है वह हरिजनों के अलावा किसी को न दी जाये । यह चाहते हैं कि हरिजनों का नाम लिया जाये और ज़मीन दी जाये । landless peasants को और उन caste Hindus को इस बहाने से फायदा पहुंचाया जावे । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि रोहतक ज़िले में छः हज़ार एकड़ ज़मीन जिस को मैं तकसीम करने वाला था सब हरिजनों को दी गई और मैं अपने दोस्तों खास तौर पर चौधरी श्री चन्द, पंडित श्री राम शर्मा और कम्यूनिस्ट दोस्तों को दावत देता हूं कि वह उस इलाके में जा कर देखें कि उन्होंने उस ज़मीन पर किस तरह मेहनत की है और थोड़े दिनों में खुशी से उस का फल खायेंगे । इस हकीकत से उन्हें आंखें नहीं मीचनीं चाहिये । मेरे माननीय मित्र पंडित श्री राम शर्मा जिस वक्त वज़ारत में थे तो जब मैं हरिजनों के छोटे छोटे मामले प्रोफैशनल टैक्स ताज़ीरी, आदि के सम्बन्ध में उन्हें मिलता था तो वह कहते थे कि हरिजन गरीब नहीं उन पर से टैक्स नहीं हटेगा और अब वज़ारत खत्म होने के बाद उन के गम में आंसू बहा रहे हैं । मगर इन के वज़ारत से हटने के बाद इसी कांग्रेस सरकार ने हरिजनों को उसे टैक्स से निजात दिलाई । इसी हकूमत ने गरीब लोगों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पंजे से आज़ाद करवाया । जो उन पर 17 साल से तसल्लत जमाये बैठे थे । मैं अपने हरिजन भाईयों से कहूंगा कि वह इन बातों में न आयें क्योंकि वह इन्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं । हमारे स्वर्गीय नेता महात्मा गांधी की आत्मा इस बात पर कितनी खुश होती होगी कि आज इस हाऊस का कोई तबका भी इस बात के खिलाफ नहीं है कि हरिजनों को ऊपर उठाया जाये । इस मुल्क में स्वर्ण हिंदूओं के दिलों में यही हरिजन प्रेम पैदा करना चाहते थे । हरिजनों का सुधार करने में दो रायें नहीं हो सकती लेकिन इस में कोई शक नहीं कि ज़मीनें देने से ही हरिजनों का उद्धार हो सकता है । मैं Opposition के मैम्बरों को मुबारकबाद देता हूं और खास तौर पर चौधरी श्री चन्द को कि उन के दिमाग में आखिर यह ख्याल आया है कि हरिजनों का सुधार किया जाये और उन्होंने उन की कदर पहचान कर अपनी ज़बान से उन के लिये हमदर्दी के अलफ़ाज़ निकालने शुरु किये हैं । यह एक अच्छी निशानी है । यह उन को मताधिकार दिये जाने के कारण से है ।

हम अभी नहीं भूले कि शामिलात की तकसीम किस तरीके से कराई गई थी, कैसे झगड़े कराये गये थे । जालंधर के ज़िले में हमारी सात बहिनों को जिन का एक सवाल के जवाब में ब्योरा दिया गया, को किन लोगों ने अगवा करवाया यह भी हम जानते हैं । यह भूमिदार लोग ही हैं । भूमिदान का ज़िक्र यहां किया गया है मैं इस Opposition के किस मैम्बर ने जमीन दी है ? उस में भी कांग्रेसी वर्करों और एम. एल. ए. साहबान ने ही ज़मीन दी है । जब कि विरोधी दलों में बड़े २ लैण्ड लार्ड ज़मीनें दबाये बैठे हैं वह भाई हरिजनों को waste land ही क्यों दिलवाना चाहते हैं, मुल्क की और अपनी best land, जरखेज़ ज़मीन, भी उन को क्यों न दी जाए ताकि उन का सही उद्धार हो । हरिजन जानते हैं कौन सी पार्टी उन का उद्धार कर

[श्री चांद राम अहलावत]

सकती है। हरिजन कांग्रेसी मैम्बरों के अन्दर इतनी ताकत तो जरूर है कि वह अपनी पार्टी की राये को mould कर सकें। भारत सरकार और Planning Commission ने वाज़ेह हिदायतें जारी की हुई हैं कि तमाम की तमाम waste land जल्द से जल्द हरिजनों को दी जायें—नीलामी के ज़रिये नहीं बल्कि पांच दस साल के leases पर यहां तक कि उन को मालिक भी उन ज़मीनों का बनाया जावे। General elections से पहले तहसील रोहतक में हरिजनों को बसाने के लिये बहुत थोड़ी जमीन बसने के वास्ते दी गई थी मगर इस गवर्नमैण्ट के बनने के बाद सोनीपत और रोहतक की तहसीलों में पांच विसवे फी कुन्बा के हिसाब से ज़मीन दी गई है।

स्पीकर साहिब, मैं आप के ज़रिए यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस resolution में एक बड़ी भारी कमी है। इस में यह भी लिखा है कि हरिजनों के साथ और landless peasants को भी ज़मीन दी जाये। Agricultural Enquiry Commission की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रान्त में 18 लाख agricultural labourers हैं और mover साहब ने कहा है कि 10 लाख हरिजन खेत मज़दूर हैं। कुल सरकारी ज़मीन सात, आठ लाख एकड़ है। अगर यह केवल हरिजनों में ही बांटी जाये तो उन का भी गुज़ारा नहीं चल सकेगा। मगर हमारे दोस्त कहते हैं कि इस में से 8 लाख दूसरे agricultural labourers को भी मिले। मैं अपने पूरे ज़ोर से कहता हूं कि तमाम ज़मीन हरिजनों को दी जाये और किसी को न दी जाये। ठीक है कि और लोग भी economically गरीब हैं लेकिन सामाजिक तौर पर जो सलूक हरिजनों से होता है किसी और तब्के के लोगों के साथ नहीं होता। उन की economic दशा अच्छी करने से ही उन की सामाजिक दशा को अच्छा किया जा सकता है। उन का सामाजिक और economic मसला ज़मीन देने से ही हल हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब किसी भाई के दिलो-दिमाग में संदेह नहीं रहेगा कि हमारी सरकार हरिजनों के लिये कोई काम नहीं कर रही। इस सिलसिले में किसी के लिये हमें कोई इशारा या direction देने की ज़रूरत नहीं। हमें लोगों ने चुना है, हमें कांग्रेस में और अपनी ताकत पर पूर्ण विश्वास है और लाज़मी तौर पर हम कांग्रेस सरकार की support करते रहेंगे। (*Cheers from Government Benches*).

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of personal explanation, Sir. मैम्बर साहिब ने जो अभी बैठे हैं कहा है कि मैंने हरिजनों पर टैक्स बढ़ाए थे। क्योंकि मैं हरिजनों को अमीर समझता था। यह सरासर गलत और बेबुनियाद है। मैं ने अपने वक्त में एक ज़िला के अन्दर Professional Tax की levy को suspend कर दिया था और यह मैम्बर मुझे इस सिलसिला में कभी नहीं मिले।

श्री चान्द राम अहलावत : मेरे पास इन की लिखी हुई चिट्ठियां मौजूद हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir.

श्री चांद राम अहलावत : On a point of personal explanation, Sir.

पंडित श्री राम शर्मा : Sir, my point of order should have precedence. क्या personal explanation के बाद कोई discussion हो सकती है अगर ऐसा हो तो, क्या यह सिलसिला unending हो जायेगा, और चलता ही चलेगा ?

श्री चांद राम अहलावत : हमने इन्हें दरखास्त दी मगर इन्होंने टैक्स वैसे का वैसा रहने दिया, मुआफ नहीं किया ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : Please resume your seat.

Shri Sri Chand : On a point of personal explanation, Sir. श्री चांद राम ने कहा है कि अपोजीशन वालों में से किसी ने भूदान में ज़मीन नहीं दी । मैं ने अपनी ज़मीन का 1/6 हिस्सा भूदान यज्ञ में दिया है । गवर्नमैण्ट ने रोहतक में जो ज़मीन दी है मुफ्त नहीं दी जैसा कि हम चाहते हैं बल्कि lease पर दी है, लगान पर दी है । उस के बांटने वालों में अगर श्री चांद राम भी थे तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं ।

Mr. Speaker : That will do.

श्री गोपी चन्द (पुण्डरी) : स्पीकर साहिब, आज opposition की तरफ से हरिजनों के साथ बहुत हमदर्दी का इज़हार किया गया है । काश, उन के दिलों के अन्दर भी हरिजनों के लिये उतनी हमदर्दी होती जितनी उन्होंने इस Resolution पर बोलते हुए ज़ाहिर की है । जब से मौजूदा कांग्रेस वजारत ने हकूमत का कलमदान संभाला है, वह इसी पालिसी पर चलती रही है कि नीचे के आदमियों को ऊपर ले जाया जाये और ऊपर वालों को नीचे लाया जाये ।

इस नीति के अनुसार जितनी अहम तब्दीलियां पंजाब स्टेट के अन्दर हुई हैं, वे सब लोगों के सामने हैं । हरिजनों को लम्बरदारियां दी गई हैं, पंचायतों में उन्हें पंच बनाया गया है, हरिजनों को मकान बनाने के लिये सहूलतें दी हैं, consolidation स्कीम के मातेहत गांव की ज़मीन का एक हिस्सा उन के रहने के लिये मखसूस किया गया है ।

स्पीकर साहिब, कांग्रेस सरकार ने गांवों में पड़ी हुई शामलात ज़मीन में ज़मींदार और ग़ैर ज़मींदार सब लोगों को समान अधिकार दे दिये हैं । हरिजनों और दूसरे सब लोगों की शामलात ज़मीन में बराबर की मलकियत होगी उस का भी वही हक होगा जो कि एक जमींदार का होता था । मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि Unionist Government ने खास खास आदमियों के लिये खास खास हकूक सुरक्षित रखे हुए थे । उदाहरणार्थ, उन्होंने वोट देने का अधिकार खास खास आदमियों को दे रखा था और अब उसी गवर्नमैण्ट के आदमी यह Resolution इस हाऊस में ला कर दलित लोगों के साथ हमदर्दी ज़ाहिर करना चाहते हैं उन के लिये यह शोभा नहीं देता । मैं जानता हूं कि किस किस प्रकार के ज़ुल्म उन लोगों ने पिछले चुनावों में गरीबों पर देहातों में ढाये थे । जो सख्तियां उन पसमांदा लोगों पर की गई थीं वे भुलाई नहीं जा सकतीं । इस के खिलाफ कांग्रेस सरकार इस नीति पर अमल कर रही है जिस से कि ज़मींदार और गैर ज़मींदार का भेदभाव न रहे, Agriculturist और Non-agriculturist का भेदभाव मिट जाये । जो इमतियाज उस सरकार ने services में agriculturist और Non-agriculturist में रखा हुआ था उस को यह सरकार मिटा रही है । लेकिन वे लोग आज यह छोटा सा Resolution लाकर पिछड़े हुए लोगों से सहानुभूति दिखाना चाहते हैं यह बहुत अफसोस का मुकाम है । आज अभी अभी भाई चांद राम ने बड़ी वज़ाहित से यह कहा है कि रोहतक ज़िला और प्रांत के दूसरे हिस्सों में इस सम्बन्ध में नुमायां तबदीलियां

[श्री गोपी चन्द]
वाकिया हुई हैं। हरिजनों को ज़मीनें दी गई हैं। इन को पहले भी यकीन दिलाया गया है कि हरिजनों और दूसरे landless लोगों को ज़मीनें ज़रूर दी जायेंगी। जब सरकार यह कदम पहले ही उठा चुकी है और उठा भी रही है और पिछले अधिवेशन में इस का यकीन भी दिलाया गया है तो मुझे समझ नहीं आती कि इस Resolution के लाने में उन की क्या अक्लमंदी है? मेरे opposition वाले भाइयों ने इस Resolution को ला कर कौन सा अकलमंदी का काम किया है जब कि सरकार पहले ही इस दिशा में कदम उठा रही है। स्पीकर साहिब! मैं ज़्यादा न कहता हुआ opposition वाले भाइयों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मौजूदा पंजाब गवर्नमैण्ट की पालिसी pro-poor है pro-rich नहीं है।

श्री माम चन्द (गोहाना): स्पीकर साहिब! मैं इस Resolution की ताईद करता हूं और आप से अर्ज़ करनी चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वे फालतू पड़ी हुई जमीनें हरिजनों को दे दे। मेरे भाई श्री चांद राम ने फरमाया है कि रोहतक के ज़िला में हरिजन और अहीर भाइयों को ज़मीनें दी गई हैं। मैं challenge करता हूं कि वे मुझे किसी एक गांव का नाम बता दें जहां गवर्नमैण्ट की तरफ से इन लोगों को ज़मीनें दी गई हैं। हकीकत यह है कि इन लोगों ने सब ज़मीनें पट्टे पर ली हैं और इस तरीके से कोई आदमी भी ज़मीन ले सकता है। उन के बाद श्री रिज़क राम ने कहा है कि हर एक हरिजन को पांच पांच बिस्वे ज़मीन रहने के लिये और मकान बनाने के लिये दे दी गई है। तो उस के बारे में मैं यह अर्ज़ करूंगा कि वह ज़मीन गवर्नमैण्ट की तरफ से नहीं बल्कि ज़मींदारों की ओर से दी गई है। और हर ऐसा हरिजन जो कि गांव वालों की खुशामद करता है, ले सकता है। जिस ने उन के सामने हाथ पैर जोड़ लिये उसे तो मिल गई ज़मीन, दूसरे को नहीं मिली। गवर्नमैण्ट को चाहिये कि उन लोगों को जमीनें दे कर उन के लिये रोज़गार की व्यवस्था करे। ताकि वे बेचारे भी अपने बाल-बच्चों का पेट पाल सकें। हरिजन गरीबों के पास रहने के लिये जगह भी नहीं है। सर्दी का मौसम है वे बेचारे मुसीबत के मारे ज़मीन में गढ़े खोद कर और आग सुलगा २ कर रात काटते हैं। उन की हालत काबले रहम है। इस लिये मैं आप के ज़रिये दोबारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस Resolution को मन्ज़ूर कर के हरिजनों को जमीनें दे देनी चाहिएं।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ Resolution ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ Budget Session ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ Resolution ਉਪਰ ਇਸਦੇ merits ਉਤੇ discussion ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾ ਨਾਂਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। Budget Session ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ Resolution ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ landless ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ favouritism ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ

ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ landless ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ Resolution ਦੇ merits ਉਪਰ discussion ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 'ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ" ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਮਾਮਾ ਬਗਲਾ ਤੇ ਮਛਲੀ ਵਿਚਾਰੀ"। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਵਿਚਾਰੇ ਮਛਲੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਬਗਲਾ ਉਸ ਤਰਫ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (*Laughter*) ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਉ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟੀ ਦਿਓ— ਵਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਿਆ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, 5, 6 ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ elections ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗ ਹੀ ਜਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ elections ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਲਗੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਵਾਰੀ Labour Minister ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ Opposition ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ Resolution ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ Resolution ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦੀ Democracy ਹੈ ? ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਉਠਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚੂੰਕਿ ਇਹ Resolution Communists ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੈਸੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਲ੍ਹਾ constitution ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਦੇ ਹੋਣ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮਤਾ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਇਕ ਮੈਂਬਰ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਗ ਪਏ ਹੋ ?

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ਲ ਖੁਆਉਗੇ ? ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ promise ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਬਹਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (*interruptions*) order, order. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ......

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ? (In which speech please ?)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, "ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੈਂਡ ਦਿਆਂਗੇ।" ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਲਪੋੜ ਸੰਖ ਦੀ ਨਿਆਂਈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਪੰਜ ! ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ । ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ, ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਵੀਹ ਲੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ, ਤੀਹ ਤੋਂ ਚਾਲੀਹ ਅਤੇ ਵਧਦਿਆਂ ਵਧਦਿਆਂ ਉਹ ਵਧਿਆ ਈ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ waste land ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ best land ਦੇਵਾਂਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ । Waste land ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲੀ ਕਦੋਂ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ resolution ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ sponsor ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ credit ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ resolution ਲਿਆਵਾਂਗੇ । ਪਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਏਤਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ landless ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ announcements ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦਮ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਜੇ ਸਚਮੁਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ।

ਕੁਝ ਦਿਉ ਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ—ਲਫਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ੍ਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ resolution ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ? ਪੁਛਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੱਟੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ । ਪਟੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਪੁਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ—ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਟੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Status ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ? Status ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ resolution ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਂਦੇ ਹਾਂ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ! ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਸੁਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ । (*Interruptions*). ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ resolution ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ eye wash ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਾਂ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉ । ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੱਛਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹਾਂ ਪਕੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਾਂ ਬਗਲਾ ਵੀ ਚੁਪ ਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ।

ਇਕ ਮੈਂਬਰ : ਮਾਮਾ ਬਗਲਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । (ਹਾਸਾ)

ਸ਼੍ਰਮ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਜੋ reference ਦਿਤੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ੍ਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪੁਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ : अब तो तबीयत आ गई है ?

ਸ਼੍ਰਮ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ (*Laughter*) ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਟ

[ਸ਼ੱਰਮ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ face ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਜਇਆ ਜਾਵੇ ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ resolution ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ good will ਨਾਲ move ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ mover ਦੀ intention ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। (*cheers from opposition*) ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹਰੀਜਨ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮਯੂਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ resolution ਲਿਆਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਪਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ resolution ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਯੂਨਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸਚਮੁਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ; ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । (*hear, hear*) ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ waste land ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਨੀ ਕੁ waste land ਹੈ ।

श्री श्री चन्द : कितनी है ?

ਸ਼ੱਰਮ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ । (*Interruptions*)

श्री श्री चन्द : जब आप को पता है तो बता दीजिए ! बताते क्यों नहीं ?

ਸ਼ੱਰਮ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ (*Laughter*)....ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ facts ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ । ਬਾਕੀ ਜਿਥੋਂ ਤਕ government waste land ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ....(*Interruptions*) ਖੈਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ waste ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ 30,000 ਏਕੜ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ 23,00,000

ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,00,000 ਟੱਬਰ agriculture ਉਪਰ depend ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ waste land ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ cealing ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ motto ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਦਮੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋ— ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ! ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। (*Interruptions*) ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁੱਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ....।

श्री श्री चन्द : मैं ने हरिजनों के खिलाफ कब कुछ कहा ?

ਸ਼੍ਰਮ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਕ-ਹਰੀਜਨ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਬਣਾਦਾ ਹੈ, ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਕੁ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਨਾ ਕੁ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ Unionist ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ education ਲਈ 23 ਲਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਚੇ ਭਾਵੇਂ 3rd division ਵਿਚ ਵੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

[ਸ਼੍ਰੱਮ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਓਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਇਬ ਤਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ posts ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਕਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਹਰੀਜਨ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਗਏ ਹਨ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਓਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ; ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਲਈ 36 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ disparity ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਖ ਵਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ step by step ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ । ਹੁਣ ਹਰੀਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ exploit ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

श्री माम राज (भिवानी) : श्रीमान् प्रधान जी ! मैं दो अढ़ाई साल से जब से हमारी गवर्नमैण्ट ने पंचायतें बनाई हैं देख रहा हूं कि जहां २ पंचायतों में ज़िमींदार हैं जो कांग्रेसी नहीं हैं वहां हमारे हरिजनों को पंचायतों की तरफ से नोटिस दिये जा रहे हैं कि वह गांव में वह जगह खाली कर दें जहां वह अपने पशु वगैरा रखते हैं । साथ कहा जा रहा है कि जो वह जगह खाली नहीं करेंगे उन्हें जुर्माने किए जायेंगे । भिवानी से दस बारह मील की दूरी पर भामड़ा नाम का एक गांव है जहां हरिजनों को वह वह जगह खाली करने के लिये notice दिये गये हैं जो उन के पास पचास पचास, साठ साठ साल से चली आ रही थीं । भिवानी में एक ऐसा गांव है जहां चौधरी श्री चन्द के ताल्लुक रखने वाले ज़िमींदार रहते हैं हरिजनों को वहां से निकाला जा रहा है । प्रधान जी मैं आप के द्वारा इन ज़िमींदार भाइयों को कहना चाहता हूं कि अगर वे हरिजनों के सचमुच हमदर्द हैं तो यह अपनी तीस तीस एकड़ ज़मीन में से कुछ हरिजनों को दे दें । यह तो केवल इन्हें भड़काने के लिये ही ऐसे Resolutions लाते हैं ।

इन के दिलों में हरिजनों के लिये ज़रा भी हमदर्दी नहीं। जिन लोगों के साथ इन के ताल्लुकात हैं वह हमारी हरिजन बहनों को जंगल से लकड़ियां तक नहीं चुनने देते। वह चमारों और धानकों को कुओं से पानी नहीं भरने देते। यह उन ज़मींदारों का हाल है जिन के ताल्लुक वाले चौधरी साहिब यहां Resolution लाए हैं। कांग्रेसी ज़िमींदार तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री भीम सैन सच्चर) : स्पीकर साहिब ! मैं बड़े ग़ौर से तमाम तकरीरों को सुनता रहा हूं, और हमें यह भी हिदायत थी कि इस मौके पर Opposition के मैम्बर साहिबान को बोलने दिया जाये। ताकि वह यह न कहें कि उन्हें अपने ख्यालात दुनिया तक पहुंचाने का मौका नहीं दिया गया। स्पीकर साहिब, resolution पर बहस House की राए जानने का एक तरीका है और यह गवर्नमैण्ट पर किसी काम के लिये दबाव डालने के लिये पेश किया जाता है। यह एक साधारण कायदे की बात है।

Resolution का ताल्लुक गवर्नमैण्ट culturable waste land को हरिजन और दूसरे landless tenants में तकसीम करने से है। अब आप उन अदादोशुमार को देखें जो सारी स्टेट में गवर्नमैण्ट waste land से ताल्लुक रखती है। गुरदासपुर ज़िले को छोड़ कर, जिस बारे मुझे इत्तलाह नहीं मिल सकी, ऐसी ज़मीन का कुल रकबा 47,225 एकड़ है। इस में 13,423 एकड़ गवर्नमैण्ट के ज़ेरे काश्त है यानी यह ज़मीन ऐसी नहीं जिसे आप गवर्नमैण्ट waste land कह सकें। सो वह ज़मीन जिस का ताल्लुक इस resolution से है, 33,822 एकड़ है जिस में से 6,901 एकड़ हुशियारपुर ज़िले में ऐसी है जो not fit for cultivation है। अब अगर इस ज़मीन के मुकाबिले वे figures रख दूं जो अभी गुरदासपुर से नहीं मिली हैं तो गवर्नमैण्ट के पास waste land करीबन 30,000 एकड़ रह जाती है। हरिजनों की आबादी कोई 23 लाख है। इस में landless peasants की उस बड़ी तादाद को शामिल कर लें और फिर देखें कि इस resolution से क्या हासिल है। House की position, dignity और authority का सही और मुनासिब इस्तेमाल किया जाना चाहिये। चूंकि House का वक्त बड़ा कीमती होता है हमें ऐसी चीज़ों पर बहस करनी चाहिये और ऐसी चीज़ों की सिफारिश करनी चाहिये जिस से कोई नुमायां फायदा हासिल हो तो इस ज़मीन में से अगर आप 10 एकड़ ज़मीन फी family तो कितनी families आबाद हो जायेंगी। तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि यह मामला जो आपने खड़ा किया (**Mulvi Abdul Ghani Dar** : Something is better than nothing) मगर "Something is better than nothing" हर जगह नहीं लग जाता। आप इस resolution को इस लिये पास करना चाहते हैं कि गवर्नमैण्ट को चेतावनी दी जाये। अब यह खूब ज़ाहिर है कि गवर्नमैण्ट खुद उन सब चीज़ों को करना चाहती है जो आप साहिबान ने अपनी तकरीरों में कही हैं या कहने की कोशिश की है। तो ऐसी सूरत में आप गवर्नमैण्ट से कैसे तवक्कु करते हैं कि वह एक ऐसे resolution को अपनी support दे दे जिस की ज़रूरत ही नहीं थी। यह resolution इस मसले का हल नहीं है। Government ने तो पहले ही यह lay down कर दिया है कि ऐसी ज़मीन

[मुख्य मंत्री]
अपने हरिजन भाईयों को दी जाये जब कि कोई मौका होता है हम ज़मीन को इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरे भाई श्री चांद राम ने मुझे एक नोट दिया है जिस में दर्ज है कि 12,000 एकड़ फलां जगह और इतनी फलां जगह ज़मीन दी गई है।

फिर हमारे पास कोई 82,889 एकड़ evacuee waste land है इस में से गवर्नमैण्ट ने 53,829 एकड़ ज़मीन उसी तरीके से बांटी है जिस तरीके से आप चाहते हैं बाकी जो evacuee waste land है उस के बारे भी हमने यही फैसला किया हुआ है आप तो हमारी पालिसी को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। मैं ने पंडित श्री राम शर्मा जी की तकरीर सुनी और मैं उन्हें मुबारिक देता हूं कि वह इस सारी चीज़ को समझते हैं। इसीलिये उन्हीं ने कहा कि यह ज़मीन lease होनी चाहिये।

आज हम यह कहते हैं कि जमीन lease पर दी हुई है 10-15 साल की lease पर है और फिर आप कहेंगे कि आखिर यह लीज़ क्या है। तो स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज कल सारी तजवीज़ को सामने रखना पड़ता है। मेरे भाइयों ने सब बातों का जिक्र किया होता तो यह कुछ न होता और कोई बहस न की जाती।

अब आप यह चाहते हैं कि गरीब को ज़मीन मिले और वह भी gratis मिले तो फिर gratis क्या है? gratis का मतलब है कि मालकी हो जाये नतीजा यह हो कि वह ज़मीन को काश्त कर सके और ownership का feeling उनको आ जाये। यह तो ठीक आपने फरमाया। अब जरा ownership के feeling को गांव के अन्दर भी देखिये। मेरे भाई उन बिचारों को जगह तक नहीं देते। मैं अर्ज़ कर रहा था कि चलो गवर्नमेंट बुरी ही सही हम बुरे ही सही। मेरे फाज़ल दोस्त तो अच्छे हैं। क्या आपने भी कभी सोचा कि उन बेचारों के पास जमीन नहीं है उन को ज़मीन दे दें। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन बेचारों की बेटियों और बहनों को कौन तंग कर रहा है? आप की तो उन से पूरी हमदर्दी है लेकिन आप उन्हें अपने खेतों से घास तक नहीं उखाड़ने देते। उन से ऐसा सलूक कौन कर रहा है?

(**मौलवी अब्दुल ग़नी डार**: Majority party) काश कि majority पार्टी में वह लोग होते जिन के पास ज़मीनें होती। जो ज़मीनों पर कब्ज़ा कर के बैठे होते। इस पार्टी में तो ऐसे लोग हैं जिन के पास ज़मीनें नहीं हैं। मेरे पास जमीन नहीं है। इन बेचारों के पास क्या है (एक आवाज: कारखाने और industry) इन के पास तो कुछ भी नहीं है।

(**मौलवी अब्दुल गनी डार**: आप हकीकत को ignore कर रहे हैं।)

मैं इस ईवान में खड़े हो कर अपने उन दोस्तों को जो हरिजनों की मुहब्बत का दम भरते हैं कहता हूं। मुझे यहां पर आंजहानी सर सिकन्दर की बात याद आ गई कि फलाने से बढ़ कर फलाना तो क्या होता है "खैर" मैं सारी बात कहना नहीं चाहता क्योंकि शायद मेरे भाई इसे सुनना पसन्द न करें। तो मैं कह रहा था कि अगर Opposition वाले नेक नीति से चाहते हैं कि हरिजनों का भला हो तो आएं हमारे साथ मिल कर काम करें। स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर देना चाहिता हूं कि जो मेरे पास जमीन है वह मैं ले आता हूं और जो बाकी की जमीन आप के पास है वह आप ले आईये तो हम एक pool बना ले जिस मे हरिजनों को ज़मीन दी जाये। अगर आप ज़मीन दे सकें तो मैं ज़मीन देने के लिये तैयार हूं।

(Opposition की तरफ से आवाजें : हम तैयार हैं ज़मीनें देने को)
अब हमारे दोस्त श्री श्री चन्द जी क्यों बोलेंगे। अब सरदार सरूप सिंह जी क्यों बोलेंगे।
जनाब स्पीकर साहिब मैं अर्ज कर रहा था......

(**मौलवी अब्दुल ग़नी डार** : "मिठा मिठा हड़प ते कौड़ा कौड़ा थू")

आप खाहमखाह ऐसी बातें करते हैं। मैं यह कह रहा था कि अगर मेरे भाई श्री वधावा राम और सरदार अच्छर सिंह छीना यह कहें कि हम ज़मीनें देने के लिये तैयार हैं तो बात समझ में आ जाती है इस तरह अगर मैं कहूं तो भी वही बात के "नंगी नहाए क्या और नचोड़े क्या"।

दूसरी बात यह है कि उन का जो यह ख्याल है कि हम ज़मीनें देने के लिये तैयार हैं यह तरीका है जो एक खान का था जो एक सराफ की दुकान पर गया और उस के रुपये के ढेर में अपना एक रुपया डाल दिया और बाद में कहने लगा कि अब इस ढेर में मेरा भी आधा हिस्सा है और बराबर का है।

तो स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे भाई जो 5 एकड़ या 2 एकड़ जमीन देते हैं इन की निगाह भी उस पटान की तरह होगी और इन का यह ख्याल होगा कि आखिर ज़मीन सब हमारे पास ही आनी है।

स्पीकर साहिब, मैं संजीदगी से अर्ज़ कर रहा था कि इस मसले का हल करना हमारा सब का फर्ज है। हम इस बात पर सोच कर दायमी हल निकालना चाहिये। मैं तो हर तरह का credit देने के लिये तैयार हूं और चाहता हूं कि किसी तरह हरिजनों के लिये पंजाब के अन्दर ज़मीन दी जा सके (तालियां) मैं यहां पर थोड़ी ज़मीन वालों से बात नहीं कर रहा न ही अपने आप से कर रहा हूं मैं तो ज़्यादा ज़मीन के मालिकों से बात कर रहा हूं।

ख़ैर हमने यह देखना है कि इस का हल क्या है ? इस का तीसरा तरीका Utilization of Land Act है। इस के मातहत जो ज़मीन आती है उस को lease पर देने का सवाल है। यह सब जानते हैं कि Opposition के मेरे दोस्त जब यह सुनते हैं कि कोई गरीब हरिजन या बेज़मीन वाला जिस के पास गुज़ारा नहीं है और जो lease पर लेने के लिये बोली देता है तो सब बड़े बड़े ज़मीन के मालक ज़मीन छोड़ कर भाग जाते हैं, और वह lease की कीमत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं जानता के सुफैद परों वाला कौन है और ऐसे मौके पर उन गरीब मछलियों को निगलने वाला कौन है। मेरी तो दर्खास्त है कि आप मुझे इन हथकंडों से माफ करें।

स्पीकर साहिब, यह एक हकीकत है कि इस गवर्नमैण्ट की declared policy है कि जो भी ज़मीन पड़ी है वह हरिजन काश्तकार की होनी चाहिए। इस लिये इस सिलसिले में मेरे दोस्त चौधरी श्री चन्द ने जो दलीलें दी हैं और जो कुछ कहा है ठीक नहीं। चाहे चौधरी जी से मेरे political इख्तिलाफ कितने ही क्यों न हों मैं उन की कदर करता हूं। वह अपनी दलीलें बड़े शुस्ता तरीके से पेश करते हैं और अपने ख्यालों का इज़हार करते हैं। लेकिन मैं यह कह दूं कि उन को शायद यह पता नहीं कि यह रुख किस तरफ चल रहा है। मेरे फाज़ल दोस्त ने इशारा किया है कि industries और फैक्टरियों को pool किया जाये तो फिर मैं पूछता हूं Death Duty Bill का क्या मतलब है ? Estate Duty Bill

[मुख्य मंत्री]
भी हैं फिर क्लाज़ 31 की Amedment हैं। मैं तो यह कहूंगा कि चौधरी जी का जवाब तो वह पालिसी है जो सैण्टर पर कांग्रेस गवर्नमैण्ट अपना रही है। अगर इस के बाद भी कोई एक किस्म की जायेदाद और दूसरी किस्म की जायदाद में तफरीक करता है तो मैं क्या कहूं ?

श्री श्री चन्द : हम अपनी ज़मीनों का पूल करने के लिये तैयार हैं अगर आप सूबे की दौलत और State Insurance और industry का पूल कर दें तो।

मुख्य मंत्री : मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि जहां तक पालिसी का ताल्लुक है Centre की और हमारी एक ही policy है। चूंकि दोनों ही कांग्रेस Governments हैं। फिर मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आप यह समझते हैं कि पहले की तरह एक बात कह कर हरिजनों को गुमराह कर सकते हैं या चंद हज़ार एकड़ ज़मीन दे कर इन को खुश किया जा सकता है तो......

"ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जनूं।"

हरिजन आज आप से रोटी का टुकड़ा नहीं चाहता, वह अपना हक मांगता है। (तालियां)।

आप पूछते हैं कि कितने हरिजनों को Gazetted Officer बनाया गया। मेरा जवाब यह है कि पिछले कागज़ देख लो और फिर जो कुछ हम ने किया है उस से मुकाबला कर लो। मैं अपने भाई चौधरी श्री चंद जी से कहता हूं कि जब आप लोगों की Government थी तो उस ने हरिजनों के लिये एक प्रोग्राम बनाया था जिस में एक रकम इतनी रखी थी कि 8 साल में हरिजनों पर खर्च सिर्फ डेढ़ लाख रुपया सालाना बनता था। मगर मेरी Government ने 22 लाख रुपया रखा है। (तालियां) फिर यही नहीं बल्कि हमारा फैसला है कि हरिजनों की रकम पर कोई कैद न लगाई जाए। वह तो जितनी ज़्यादा हो सके उतना ही अच्छा होगा मेरे दोस्त को न जाने किन २ लोगों के साथ एक ही कश्ती में बैठना पड़ता है लेकिन अगर वह चाहें तो किसी मामले पर मुनसिफाना निगाह भी डाल लेते हैं। मैं उन से अर्ज़ करता हूं कि आप यह बात भूल जायें कि आप कांग्रेसी नहीं हैं लेकिन सब तरफ गौर से देख कर इनसाफ करें तो आप को मालूम होगा कि हरिजन दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं।

स्पीकर साहिब, आज अगर हरिजन दबे हुए और पिसे हुए हैं तो इस की वजह यह है कि वह उन लोगों के हमसाए हैं जिन को अंग्रेज़ी imperialism ने खास इख्तियारात और बेपनाह ताकत दे रखी थी। मेरे दोस्त common lands को तो वक्त से पहले तक्सीम करा के हरिजनों से छीन लेना चाहते हैं मगर ज़बानी हमदर्दी बहुत करते हैं। इन को असल में हमेशा यह ख्याल रहता है कि यह हमारे पांव दबाने वाले और हमारे सामने गिड़गिड़ाने वाले अब हमारे बराबर हो जायेंगे। इस लिये बदले हुए हालात के बावजूद अपनी ताकत के लिये हाथ पांव मारते रहते हैं क्योंकि मिसल मशहूर है कि रस्सी जल जाती है मगर बल नहीं निकलता।

(**श्री श्री चन्द** : तो गोया आप बल निकाल रहे हैं।)

मुख्य मंत्री : मैं तो यह वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स पुरानी रवायात के मुताबिक हरिजनों को अपने रहम पर रखना चाहता है तो यह नामुमकिन है (तालियां)। स्पीकर साहिब, अगर हरिजनों को किसी गांव में तकलीफ ही हो तो उस का बायस क्या होता

हैं ? वही हमसाये जिन की 'हमसाया मां पियो जाया' कहा जाता था मगर अब कलियुग मां भी डायन बन गई है और वह हमसाए ही इन लोगों को दहशतज़दह कर रहे हैं ।

पुलिस में हरिजनों की भर्ती के बारे में भी कुछ कहा गया है । मैं अर्ज़ करता हूं कि इस बारे में मेरे आर्डर यह हैं कि पुलिस में 40% तक हरिजन भर्ती कर लिये जायें (तालियां) मैं जानता हूं कि उन लोगों को दूध नहीं मिलता और खुराक भी अच्छी नहीं खा सकते जिस का नतीजा यह है कि वह मोटे ताज़े नहीं हो सकते और न उन का कद बढ़ सकता है । इस लिये मैं ने उन के बारे में एक इंच छाती और एक इंच कद कम मंजूर कर लेने का भी order दे दिया है । (तालियां) ।

अब मैं इस resolution के मुतअल्लिक अपने दोस्तों से यह भी कह देना चाहता हूं कि दस्तरखान से एक आध हड्डी फैंक कर एहसान दिखाने की policy छोड़ दें । वह हमें ताने देते हैं मगर मैं कहता हूं कि जो लोग हरिजनों को कुछ दे नहीं सकते मगर दिल से उन को उभारना चाहते हैं वह उन लोगों से बेहतर हैं जो हरिजनों की भलाई की ताक्त तो रखते हैं मगर अपने मतलब के लिये उन को नीचे दबाए रखते हैं । स्पीकर साहिब, जब सरकार कोई अच्छा काम करना चाहती हो और यह दोस्त सरकार की मदद न करना चाहते हों तो इसी किस्म का एक resolution पहले ही पेश करके कुछ बढ़ २ के बातें कर लेते हैं ताकि लोगों को इन की हमदर्दी का यकीन आ जाये । मगर मुझ को ऐसी बातों की ज़रूरत नहीं । सब जानते हैं कि मेरी पार्टी का हर शख्स हरिजनों की मदद करना चाहता है और इन से हमदर्दी रखता है । मैं प्रोफैसर मोता सिंह जी का ममनून हूं कि उन्होंने खुले लफजों में यह बात कही कि इस resolution में वही कुछ मांगा गया है जो कांग्रेस और आप लोग यानी यह हकूमत पहले ही कर रही है । मैं चाहता हूं कि प्रोफैसर साहिब इन भाइयों को भी हिदायत कर दें कि जब पहले ही काम हो रहा है तो वह इस किसम के resolution लाकर House का वक्त ज़ाया न किया करें ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. क्या एक मैम्बर किसी दूसरे मैम्बर को यह कह सकता है कि उस ने House का time ज़ाया किया है ?

मुख्य मंत्री : मेरे विचार में तो ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री साहिब ठीक कहते हैं । माननीय सदस्य ने खुद यह लफज़ कई बार इस्तेमाल किये हैं ।

(The Chief Minister is right. The hon. Member has himself used these words a number of times.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं आप की इस बारे रूलिंग चाहता हूं कि Chief Minister साहिब का कहना कि इस resolution के पेश करने वाले ने House का time ज़ाया किया है ठीक है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । (He is right.)

मुख्य मंत्री : Subject to the Ruling of the Speaker मैं अपनी जगह कहने पर तैयार हूं कि मेरा मतलब House की मजमूई तौर पर सुबकी करना न था ।

[मुख्य मंत्री]
अगर मेरे बारे Opposition का कोई मैंबर ऐसा कहे तो मुझे एतराज़ न होगा। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना था कि अगर कोई भाई ऐसे resolution का notice दे कर यहां उस पर बहस करवाता है तो वह House का time ज़ाया करता है।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : आप भी तो House का time ज़ाया कर रहे हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir क्या यह healthy convention न होगी अगर ऐसे लफज़ House में इस्तेमाल न किये जायें ?

मुख्य मंत्री : अगर मेरे दोस्तों को इतराज़ है तो मैं ऐसा नहीं कहता।

स्पीकर साहिब ! जब कोई आदमी किसी ज़िम्मेवार जगह पर होता है उस वक्त पता चलता है कि वह आदमी कैसा है। आज मेरे सामने कई दोस्त ऐसे बैठे हैं जो अठारह अठारह साल District Boards में आवाज़ रखते रहे हैं लेकिन उन के credit में इतना नहीं कि उन्होंने एक भी हरिजन चपरासी के तौर पर रखा हो। आज वे आकर यहां आंसू बहाते हैं और कहते हैं।

"काठ की हंडिया कब तक चल सकती है।"

सरदार चन्नन सिंह धूत : On a point of order, Sir. क्या Chief Minister साहिब resolution पर बोल रहे हैं ? क्या यह House का वक्त ज़ाया नहीं कर रहे ?

अध्यक्ष महोदय : अब दोनों तरफ से एक ही बात हो गई।

(Now both sides are sailing in the same boat).

मुख्य मंत्री : क्योंकि मैं इस resolution का कोई मतलब न समझता था इस लिये मैं ने तो कह दिया था कि ऐसा resolution लाने का क्या फायदा। मेरे मित्रों ने कहा है कि कुल तीन हज़ार हरिजनों के खानदान हैं। इन को दस दस एकड़ जमीन दे दी जाये तो काम बन जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम हरिजनों को दस दस एकड़ ज़मीन देकर सबुकदोश नहीं हो सकते। हमें सोना नहीं हमें जागना है। हमने ऐसे काम करने हैं जिन से हरिजनों को substantial gain हो। वह काम क्या है। वह काम वह है जो पंजाब गवर्नमैण्ट अपने तरीके से कह रही है। पंजाब गवर्नमैण्ट सब कुछ कर रही है उन की तालीम के लिये, उन की industries के लिये, उन की technical education के लिये, उन की social चीजों के लिये और उन की गांवों में मदद दे कर economy ठीक करने के लिये ताकि वे पूरी तरह rehabilitate हों और उन का समाजी तौर पर status बढ़े। हम तीन हज़ार हरिजन खानदानों को दस दस एकड़ ज़मीन दे कर अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकते। इन वजूहात के लिये मैं अफ़सोस से कहता हूं कि मैं अपने साथियों को एक मामूली सी चीज़ के लिये ममनून नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि जो कुछ मैंने कहा है उस के मद्देनज़र मुअज़िज़ mover साहिब इस resolution की ज़रूरत न समझते हुए इसे withdraw कर लेंगे।

ਸਰਦਾਰ ਵੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : (ਟਾਂਡਾ) । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਲੀ resolution ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਖ ਕੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਅਧਾ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨ ਪਈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ । 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵੇਗੀ । ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ । District Board ਦਾ tax ਤਿੰਨਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਤ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹਨ । ਮੇਰੇ resolution ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੋ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ evacuee property ਇਨੀ ਹੈ ਅਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਦੇ ਦਿਉ । ਅਸੀਂ ਕੋਈ credit ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਸਾਨੂੰ credit ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਪਰ ਦੇਣ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ । ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਹਿਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ elections ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਗੀ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ elections ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ।

पंडित श्री राम शर्मा . On a point of order, Sir. मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि चूंकि यह एक बड़ा अहम रैज़ोल्यूशन है इस लिये इस पर बाकायदा voting होनी बहुत ज़रूरी है । इस से पता चल जायगा कि किस मैम्बर ने इस प्रस्ताव के हक में वोट दिया है और किस ने इस के खिलाफ । अगर ऐसा न हुआ तो बहुत से मैम्बर बाद में ऐसे होंगे जो कह सकेंगे कि हम तो प्रस्ताव के हक में थे ।

Mr. Speaker : I think the hon. Members should rise in their places. (Voices from the Opposition Benches: If division is not allowed, we will stage a walk-out.)

Mr. **Speaker** : Order, please. (Voices : We are saying this simply because there is no other alternative.)

पंडित श्री राम शर्मा : हम unanimously कहते हैं कि मामला इतना अहम है कि इस पर division होनी चाहिये ।

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir. Can any hon. Member challenge the ruling of the Chair ?

Mr. Speaker : As the time at our disposal is very short I think the members should rise in their places.

Pandit Shri Ram Sharma : Sir, if you don't accept our suggestion then we will walk-out.

Mr. Speaker : On such a small matter you are staging a walk-out.

(On this, the members of the Opposition led by Pandit Shri Ram Sharma staged a walk-out.)

Mr. Speaker : Question is—

> This Assembly recommends to the Government to distribute all Government culturable waste land in the State among Harijan agricultural labourers and landless peasants gratis.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, "I think the Noes have it." This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

FRAMING RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS FOR THE PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY.

Shri Babu Dayal (Sohna) : Sir, I beg to move—

> This House resolves that the Rules of Procedure and Conduct of Business for the Punjab Legislative Assembly be framed afresh by the House

Rao Gajraj Singh : On a point of order, Sir. This Resolution cannot be discussed in view of the fact that a Rules Committee has already been appointed by the hon. Speaker under Rule 172-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly.

The main function of this Committee is to consider matters of Procedure and Conduct of Business in the House and to recommend to the Speaker any amendments or additions to these rules that may be deemed necessary.

Mr. Speaker : But I cannot stop him from moving his Resolution.

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir. The hon. Speaker has appointed a Committee for this purpose and therefore this resolution cannot be discussed.

मुख्य मंत्री : On a point of order, Sir. मुझे अफसोस है कि मैं उस रोज़ आप की खिदमत में हाज़िर न हो सका। मैं इस बारे में माननीय मैम्बरों की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि resolution एक ऐसी motion होनी चाहिये जो general public interest की हो। जहां तक rules बनाने का मामला है वह हाऊस से ताअल्लुक रखता है और यह ऐसा मामला नहीं जो public interest का हो।

स्पीकर साहिब ! दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आप ने एक कमेटी मुकर्रर कर दी है और यह मामला उस कमेटी के सुपुर्द हो जायेगा । उस कमेटी के रैज़ोल्यूशन सुपुर्द करने के बाद भी मैं यह समझ नहीं सका कि यह मामला general public interest का कैसे रहता है । । इन हालात में मैं समझता हूं कि यह रैज़ोल्यूशन infructuous हो जाता है ।

श्री बाबू दयाल : जनाब वाला, मेरी अर्ज़ है कि यह rules जो बने हुए हैं वह बहुत पुराने हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस सिलसिले में कमेटी बनाई गई है, इस लिये अगर आप इस resolution को वापस ले लें तो अच्छा है ।

(A Committee has been constituted for this purpose. It would, therefore, be better if he withdraws his resolution)

(The Assembly then adjourned till 9-30 a. m. on Friday the 5th November, 1954)

1471 PVS—284—12-9-56—CP and S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha

Debates

5th November 1954

Vol III—No. 5

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

P.T.O.

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1955

Price: Rs -/8/-

PUNJAB VIDHAN SABHA.

Friday, 5th November, 1954.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 9.30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

UNEMPLOYMENT.

***2515. Sardar Gurbachan Singh Atwal**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the proposal, if any, so far sent by the State Government to the Central Government for solving the unemployment problem of this State ;

(b) the investigation report regarding the unemployment of male and female workers in the State in respect of—

(i) the total number of unemployed educated persons;

(ii) the number of unemployed technicians;

(iii) the number of unemployed skilled workers;

(iv) the number of unemployed semi-skilled workers;

(v) the number of unemployed unskilled workers;

(c) whether it is a fact that the State Government since August, 1952, has formed several committees, etc., if so, the proposals, if any, which these committees have submitted to the Government for solving the problems of unemployment in the State ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) A request was recently sent to the Research Programme Committee of the Planning Commission for sanctioning enquiries, through their own organization, of the following subjects with respect to Punjab :—

(1) Extent and nature of unemployment among the educated young men.

(2) Savings amongst zamindars and how these are invested.

(3) Trends in Punjab Industries.

The request of the State Government is under consideration of the Research Programme Committee.

[Chief Parliamentary Secretary]

(b) No investigation regarding unemployment of male and female wor kers in the State has been undertaken so far and, therefore, parts (b) (*i*), (*ii*), (*iii*) (iv) and (v) of the question do not arise.

(c) No. The question of proposals submitted by any such committees, therefore, does not arise.

श्री राम किशन : चीफ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी साहिब ने फरमाया है कि इस सिलसिले में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से Planning Commission को proposals भेजी गई हैं। क्या वे कृपा करके बतायेंगे कि उन में से कोई proposal approve हो कर भी आई है ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : मैं ने जवाब दे दिया है आप ने सुना नहीं। वहां से जबाब का इन्तजार किया जा रहा है। अभी तक कोई जवाब नही आया।

श्री राम किशन : यह proposals कब भेजी गई थीं ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : आप इस का नोटिस दे देवें तो जवाब दे दिया जाएगा।

श्री राम किशन : क्या उन्हें मालूम है कि ऐसी ही एक proposal नवम्बर 1953 में National Development Councils में भी पेश की गई थी......

Mr. Speaker: It is not a supplementary question. The hon. Member is giving information instead of seeking it.

श्री देव राज सेठी : क्या चीफ़ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी कृपा करके बतायेंगे कि educated unemployment की समस्या के पेशेनज़र अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं मंगवाई गई ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : गवर्नमेंट को इस बात का पूरा ख्याल है और यह समस्या केंद्रीय सरकार ने experts की कमेटी के सपुर्द की हुई है, जो इस पर विचार विमर्श कर रही है।

श्री राम किशन : क्या उन्हें मालूम है कि Union Government की तरफ से पिछले साल unemployment के बारे में एक questionnaire जारी किया गया था ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : यदि इस का नोटिस दिया जाए तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री राम किशन : क्या सरकार ने अपनी State के अन्दर ऐसा कदम उठाया है कि जिस से इस सिलसिले में जरूरी data इकट्ठा किया जाए ?

चीफ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी : केंद्रीय सरकार के experts की Research Committee को केस refer किया गया है।

श्री राम किशन : मैं पूछ रहा हूं जहां तक हमारी State का ताल्लुक है कोई ऐसी कमेटी या proposal बनाई गई है ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : Experts की रिपोर्ट आने पर स्टेट गवर्नमेंट जो कदम मुनासिब समझेगी वह उठाए जायेंगे।

श्री राम किशन : वह सब कुछ तो Experts' Committee की तरफ से होगा। मैं जानना चाहता हूं कि State Government की तरफ से क्या काम किया जाना है ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : Experts की कमेटी जो information मांगेगी वह सब मुहैया की जाएगी ।

श्री राम किशन : उस information को इकट्ठा करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : उन को जैसी information की ज़रूरत होगी वैसे ही steps उठाये जायेंगे ।

श्री राम किशन : जो Questionnaire पिछले साल आया था क्या उसमें data के मुतअल्लिक कोई indication नहीं थी ?

चीफ पार्लीयामेण्टरी सैक्रेटरी : अगर आप नोटिस दे दें तो सारी मालूमात मुहैया कर दी जाएंगी ।

EXPENDITURE ON MOBIL OIL AND PETRCL INCURRED LOCALLY ON MINISTERS' CARS

***3717. Maulvi Abdul Ghani Dar**: Will the Chief Minister be pleased to state the total expenditure incurred locally on mobil oil and petrol in each of the Minister's cars during the year 1954-55 (up to 1st September)?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : A statement containing the required information is given below:—

Information required by starred Assembly question No. 3717

Ministers' cars		Total expenditure incurred locally on account of mobil oil and petrol consumed in each of them during the year 1954-55 (up to 1st September 1954)
		Rs
No.P.N-1	..	345 0 0
No.P.N-2	..	313 2 0
No.P.N-3	.	685 10 0
No.P.N-4	..	277 1 0
No.P.N-5	..	490 10 0
No.P.N-6	..	727 7 0
No.P.N-7	..	462 0 0
No.P.N.S-433	..	329 5 0

मौल्वी अब्दुल गनी डार : मुझे जो statement दी गई है उस में लिखा है कि एक car में पैट्रोल का खर्च रु० 727/7/ आया है जब कि दूसरी पर 277 रुपये आया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इतने बड़े फर्क की क्या वजह है ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : एक कार दौरे पर रही होगी और दूसरी लोकल कामों के लिये इस्तेमाल की गई होगी ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : आठ महीनों में पैट्रोल पर इतना खर्च आया है । क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन से local काम थे जिन के लिये कारों का इस्तेमाल किया जाता रहा है ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : वह काम वही हो सकते हैं जिन के लिये मोटरें इस्तेमाल की जाती हैं । लेकिन वह सब जायज़ कामों के लिये ही इस्तेमाल की जाती हैं नाजायज़ कामों के लिये नहीं इस्तेमाल की जातीं ।

AWARD TO POLITICAL SUFFERERS IN THE STATE

*3718. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of political sufferers in the State who have been awarded pensions or lands or both by the Government during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September) together with the total amount of pension paid annualy and the value of land in each case;

(b) whether the State Government is proposing to grant any loans or subsidies to persons referred to in part (a) above for the reclamation of the said lands?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) A reply to a similar question No. 3692 (starred) asked by Pandit Shri Ram Sharma, regarding grant of pension to political sufferers has already been given. Regarding land no final decision has been taken.

(b) Does not arise.

Note. The reply to Starred Question No. 3692 appears in the Debate, Vol III, No 3 dated 3rd November 1954

BHARASHTACHAR NASHAK COMMITTEE.

*3880. **Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of corruption cases reported so far by the Bharashtachar Nashak Committee and the nature of action taken by the Government on each one of them;

(b) the toal expenses so far incurred by the Government on this committee together with the amount of allowances and Travelling Allowance paid separately;

(c) whether the Committee mentioned in part (a) above is empowered to see the official records and call for the officials to give evidence before it?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The requsite information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

TOUR BY MINISTERS

*4089. **Shri Dharam Vir Vasisht** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the places visited by each Minister district-wise together with the purpose of each such visit during the period 1st January, 1954 up to date;

(b) the period for which each of the Ministers stayed at the Head-quarters in urban areas and in rural areas during the visits referred to in part (a) above;

(c) the total mileage covered by each Minister during his tours referred to above on metalled and non-metalled roads, respectively?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The necessary information is being collected and will be supplied in due course.

COMMISSION ON REORGANIZATION OF STATE.

***4090. Shri Dharam Vir Vasisht**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government constituted any committee for submitting a report to the Commission on Reorganisation of States appointed by the Government of India; if so, the names of the members thereof;

(b) the nature of recommendations, if any, made by the Government to the Commission referred to in part (a) above;

(c) whether the decisions arrived at by the said committee were unanimous; if not, the nature of the notes of dissent ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) Presumably the member refers to the Punjab State Reorganisation Advisory Committee whose names are indicated in the statement given below—

(b) and (c) It is not in public interest to disclose the information in this respect.

Non-official—

1. S. Kapoor Singh, Chairman, Legislative Council (*Chairman*)
2. S. Gurdial Singh Dhillon, Deputy Speaker (now Speaker), Legislative Assembly
3. Shri Thakar Das Bhargava, M.P.
4. Giani Gurmukh Singh Musafir, M.P.
5. Chaudhri Ranbir Singh, M.P.
6. Shri Ralla Ram, M.L.A.
7. Jathedar Mohan Singh, M.L.A.
8. Shri A.C. Bali, M.L.C.
9. Shri Dev Raj Sethi, M.L.A.
10. Chaudhri Rizaq Ram, M.L.A.
11. Shri Chand Ram, M.L.A.
12. Shri Prithvi Singh Azad.

Official—

1. Chief Secretary to Government, Punjab.
2. Commissioner, Jullundur and Ambala Divisions.
3. Finance Secretary to Government, Punjab (*Secretary*.)

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बताने की कृपा करें गे कि इस कमेटी की constitution के समय सरकार ने इस बात का लिहाज़ रखा है कि इस में सब पार्टियों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए ?

चीफ पर्लीमेंटरी सैक्रेटरी : कोशिश की गई है कि सब ऐसी पार्टियों के नुमाइंदों को जो reasonable point of view रखते हैं, इस कमेटी में शामिल कर लिया जाए ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या मैं जान सकता हूं कि अकेले ज़िला रोहतक के मैम्बरों का ही reasonable point of view रह गया है वह चार इस कमेटी में क्यों रख लिये गए हैं ।

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : अगर माननीय सदस्य लिस्ट देखेंगे तो उन को मालूम होगा कि जो मैम्बर उस कमेटी में रखे गए हैं उन की importance statewise है। रोहतक या गुड़गांवां के ज़िले के विचार से नहीं बल्कि स्टेट के लाभ के पेशेनज़र उन आदमियों को रखा गया है ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : हरियाना प्रान्त को अकेला रोहतक ज़िला तो represent नहीं करता फिर क्या कारण है कि अकेले रोहतक ज़िला के चार आदमी रखे गए हैं दूसरे इलाके का कोई आदमी नहीं रखा गया है ? उन की तकलीफों को कैसे दूर किया जाएगा ?

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : यह बात पहले चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी हाऊस में बताई है कि गवर्नमेण्ट अपनी पालिसी के मुताबिक कमेटियां बना देती है । अगर दूसरे individuals को या दूसरी संस्थाओं को कोई तकलीफ हो तो वे बड़ी खुशी से memorandum दे सकती हैं । उस पर ग़ौर किया जाएगा ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या चीफ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी साहिब को इल्म है कि उत्तर प्रदेश और कई और स्टेटों में विधान सभाओं.........

Mr. Speaker: The hon. Member is himself giving information. He is not asking supplementary questions.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ reasonable point of view ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ reasonable ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?

Mr. Speaker: Reasonable means reasonable.

चीफ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : कम से कम श्री वधावा राम जी का reasonable point of view नहीं है । (*interruptions*)

REPRESENTATION OF MAZHABI SIKHS AND BALMIKIS IN SERVICES.

***4117. Sardar Khem Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the present population of the Mazhabi Sikhs (Scheduled Castes) and Balmikis in the State;

(b) the total number of posts (Gazetted and non-Gazetted) in different departments under the Government so far held by Mazhabi Sikhs and Balmikis, respectively;

(c) whether the representation of Mazhabi Sikhs and Balmkis in services is below their percentage of the population; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to give them adequate representation?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The required information is being collected and will be supplied to the member when ready

POLICE ENCOUNTERS WITH DACOITS ETC. IN THE PUNJAB.

***3734. Sardar Sarup Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of police encounters with the dacoits, bad characters or absconders in the State during each year between (i) 15th August 1942 and 14th August 1947 and (ii) 15th August 1947 and 14th August 1954 together with the number of those who were either shot dead or injured during each of these years;

(b) the total number of policemen and their supporters shot dead and injured respectively during the period mentioned in part (a) above?

Shri Prabodh Chandra (Chief Paliamentary Secretary): The information is as under :—

Period	Total number of police encounters with dacoits, bad characters or absconders	Number of dacoits, bad-characters etc. who were shot dead or injured during the encounters	*number of policemen and their supporters*	
			Shot dead during the encounters	Injured during the encounters
15th August 1942 to 14th August 1943 ..	27	33	4	5
15th August 1943 to 14th August 1944 ..	12	13	..	4
15th August 1944 to 14th August 1945 ..	12	7	1	4
15th August 1945 to 14th August 1946 ..	15	13	2	5
15th August 1946 to 14th August 1947 ..	24	16	3	12
Total ..	90	82	10	30

[Chief Parliamentary Secretary]

Period	Total number of police encounters with dacoits, bad characters or absconders	Number dacoits of bad-characters etc. who were shot dead or injured during the encounters	number of policemen and their supporters	
			Shot dead during the encounters	Injured during the encounters
15th August 1947 to 14th August 1948 ..	21	29	8	8
15th August 1948 to 14th August 1949 ..	29	21	3	7
15th August 1949 to 14th August 1950 ..	25	37	..	14
15th August 1950 to 14th August 1951 ..	30	31	2	2
15th August 1951 to 14th August 1952 ..	36	37	..	3
15th August 1952 to 14th August 1953 ..	40	38	1	3
15th August 1953 to 14th August 1954 ..	50	49	..	15
Total ..	231	242	14	52
Grand Total ..	321	324	24	28

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਗਸਤ 1954 ਤਕ figure ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਦਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ dacoits ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ bad characters ਇਨ੍ਹਾਂ encounters ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾ categories ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ figures ਕੀ ਹਨ ?

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : जवाब में तो इकठी ही बताई गई है। अगर अलग अलग पूछते तो उसी के मुताबिक तैयार किया जाता।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕਰਕੇ shoot ਕਰ ਦਿਤਾ ?

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : गवर्नमेंट को इस बात का कोई इल्म नहीं।

ਸਰਦਾਰ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਪੁਤ : ਇਹ ਜਿਹੜਾ number ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ encounter ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਥਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।

चीफ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी : ऐसी कोई चीज नहीं हुई ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमेंट को इस बात का पता है....

एक माननीय मेंम्बर : ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਪਤਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : No such remarks please. The hon. Member should withdraw this word.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ; ਮੈਂ ਤਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਖੈਰ I would not tolerate any such remarks in future.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि रोहतक में जो latest encounter पुलिस के साथ हुआ उस की क्या details हैं ।

Mr. Speaker : This question does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमेंट यह बता सकेगी कि रोहतक में जो latest encounter हुआ वह कब हुआ ।

Mr. Speaker : It does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब, यह सवाल इस में पैदा होता है ।

Mr. Speaker : It does not arise out of the main question. It is a separate question. District-wise information can be supplied if you give notice of a fresh question.

पंडित श्री राम शर्मा : मगर यह कैसे हो सकता है कि इनको उस बात का इल्म ही न हो ! इन के पास सभी कागज़ात मौजूद हैं ! उन को देखकर बता सकते हैं कि कोई encounter हुआ है या नहीं ।

Mr. Speaker : मैं इस की इजाजत नहीं दे सकता । यह सवाल पहले सवाल से पैदा ही नहीं होता ।

(I cannot allow this. This question does not arise out of the main question.)

पंडित श्री राम शर्मा : अगर आप सुने तो मैं गुजारिश करता हूं....

अध्यक्ष महोदय : मगर मैं यह सवाल पूछने की इजाजत ही नही देता ।

(But I disallow this question.)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਇਹ ਸਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ੧੧ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । ਅਸਮਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ........

अध्यक्ष महोदय : पंडित श्री राम शर्मा ने यह सवाल किया था कि रोहतक में कोई ऐसा encounter हुआ ? मैं ने पहले भी कहा है कि इस में district-wise information नहीं मांगी गई थी । अगर आप सवाल में district-wise information मांगते तो मुनासिब जवाब दिया जा सकता था ।

(Pandit Shri Ram Sharma asked a question whether any encounter took place in the Rohtak District. I have already held that district wise information had not been asked for in this question. Had district-wise information been asked, he would have got the reply.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ encounter ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ।

अध्यक्ष महोदय : इस में किसी individual case के बारे में नहीं पूछा गया ।

(The question does not seek any information regarding an individual case.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर्चि इस के कहने के मुताबिक यह पुलिस के encounter में मारे गए लेकिन क्या किसी के रिश्तेदार या किसी और आदमी ने गवर्नमेंट को यह represent किया कि वे encounter में नहीं बल्कि घर से पकड़ कर बाहर किसी जगह गोली से मार दिया गया !

चीफ़ पार्लिमेंटरी सैक्रेटरी : इस के लिए fresh notice दें । इतलाह इकठी कर के आप को बता दिया जाएगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह गुजारिश करता हूं, स्पीकर साहिब, कि जवाब में यह बताया गया है कि कितने २ अरसे में कितने आदमी मारे गए और कितने injure हुए । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो मारे गए उन में से किसी के संबन्धियों ने क्या गवर्नमेंट के पास कोई representation किया कि वह मारे जाने वाला आदमी पुलिस के encounter में नहीं बल्कि घर से पकड़ कर बाहिर लेजा कर पुलिस के जरिये गोली से उड़ा दिया गया था ?

चीफ पार्लिमेंटरी सैक्रेटरी : जवाब में साफ बताया गया है वे decoits police के साथ encounter में मारे गये । फिर पंडित जी का यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

पंडित श्री राम शर्मा : गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया है कि ये सारे के सारे dacoits encounter में मारे गए। क्या यह सच नहीं कि इन में से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें घरों से पकड़ कर बाद में गोली से उड़ाया गया ?

मुख्य मंत्री : मैं अर्ज करता हूं कि सवाल में पूछा गया है कि कितने dacoits या bad characters encounters में मारे गए और कितने injured हुए। इस के इलावां पुलिस वालों का भी नम्बर पूछा गया कि कितने मारे गए या जखमी हुए। इस का जवाब दे दिया गया है। अगर मेरे फ़ाजल दोस्त किसी और तफसील को जानना चाहते थे तो इस के लिए अलग सवाल भेजने की तकलीफ़ करते। उस हालत में हम भी जवाब तैयार करने की कोशिश करते।

मौलवी अबदुल गनी डार : क्या चीफ मनिस्टर साहिब बताएंगे कि आया यह गर्वनमेंट की पालिसी में शामिल है कि जो भी डाकू या bad character हो उसे गोली से उडा दिया जाए!

मुख्य मंत्री : यह गवर्नमेंट की confirmed पालिसी है और यह हिदायत हैं कि जिस तरह भी हो सके डाकुओं को पकड़ा जाये। लेकिन अगर वह persuit में मुकाबिला पर आ जाएं तो उस से मुकाबिला भी किया जाए और उनहें पकडने के लिए बेशक अपनी जान पर भी खेला जाए—कई आदमी जान पर खेले भी हैं—मगर उनको पकडा जरूर जाए। इस लिए अगर इस मुकाबिला में डाकू भी मारे जाएं तो किया क्या जा सकता है! जब कोई दूसरा ज़रिया ही न बन पाए तो फिर क्या करें?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ encounter ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ?

(How does this question arise?)

पंडित श्रीराम शर्मा : जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि अगर मुकाबिला करते हुए कोई डाकू मारा जाए तो मारा जाए, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गर्वनमेंट की यह हिदायात हैं कि जिन का पुलिस के पास रिकार्ड हो उन को उन के घरों से पकड़ कर शूट भी कर दिया जाए और मशहूर यह किया जाए कि वह encounter में मारा गया था?

मुख्य मंत्री : सवाल तो यह पैदा नहीं होता मगर चूंकि मेरे फ़ाजल दोस्त पंडित जी ने कहा है, इसलिए उस को contradict करने के लिए और गर्वनमेंट की तरफ़ से सफाई पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने इस तरह कहा है गोया गर्वनमेंट की यह पालिसी हो कि डाकुओं को जान से मार दिया जाए। ऐसी बात नहीं। मैं यह बताना चाहता हूं कि encounter वह है जो एक regular encounter हो दोनों पार्टियां आमने सामने मुकाबले पर हों। जब मुकाबिला होता है तो किस लिए होता है?

पंडित श्री राम शर्मा : मारने के लिए।

मुख्य मंत्री : नहीं । मुकाबिला इस लिए होता है कि उस को पकड़ा जाए । लेकिन डाकू पकड़ने वाले पर हमला करता है और जब वह armed होता है हथियारों से तो कुदरती तौर पर पुलिस को भी जवाब देना पड़ता है । फिर भी उस का यानी पुलिस का मकसद यह नहीं होता कि जरूर उसे मारा जाए । Encounter तो दर असल जैसा कि मैं ने पहले कहा, उस को पकड़ने के लिए होता है । उस में अगर कोई मारा जाता है तो intentionally या हिदायात के मुताबिक थोड़े ही मारा जाता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमैंट की तरफ से यह हिदायत नहीं कि encounter में मरने की बजाए अगर वह पकड़ा जाता है तो उसे बाद में मार दिया जाए ?

Mr. Speaker: It does not arise.

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਨ ਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

मुख्य मंत्री : यह बात तो understood ही है, यह क्या सवाल हुआ ।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ?

Mr. Speaker: It does not arise out of the main question.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो figures इन्हों ने encounter की दी है क्या उन में वह encounter भी दरज है जिस में दुनी चन्द नाम के एक आदमी को पुलिस ने मार दिया था और जिस case में यह कहा गया है कि पुलिस ने उस को और उस के साथियों को घर से बुला कर मार दिया था और इस सिलसिले में नीचे से लेकर राष्ट्रपति तक को शिकायतें की गई थीं ? क्या उस केस के मुतअल्लिक कोई representation चीफ़ मिनिस्टर साहिब के पास भी आई है ?

Mr. Speaker: The hon. Member should give a separate notice for this question.

REPRESENTATION FROM DHARA SINGH AND TEJA SINGH OF DISTRICT FEROZEPUR.

***3845. Shri Wadhawa Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state whether he has received any representation, dated 4th May 1954, from Dhara Singh and Teja Singh of village Dharamkot, District Ferozepore alleging that one Fata, son of Gos was beaten to death by the police; if so, the action, if any, taken by the Government thereon?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): *First part*: Yes.

Second part: After preliminary enquiries' case F.I.R. No. 99 was registered at Police Station Zira on 5th June 1954 under section 304/201, I.P.C., A.S.I. Joginder Singh of the C.I.A. Staff, Zira, was arrested and is at present standing his trial in the Court of A.D.M., Ferozepore.

COMPLAINT BY DHANAK HARIJAN OF VILLAGE BARSI, DISTRICT HISSAR.

***3881. Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether any case of alleged murder by the Police was brought to his notice on his last visit to Hansi by the Dhanak Harijans of Village Barsi, District Hissar; if so, the nature of complaint brought to his notice and the orders, if any, given by him on the spot;

(b) the result of the medical examination of the dead-body and the action, if any, taken by the Government in the matter?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) *1st part*. Yes;

2nd part. Mst. Sukhma, widow of Mange Ram Dhanak, complained that her husband had died on account of torture by the Hansi Police. The Deputy Commissioner and the Superintendent of Police were directed to get an autopsy performed to determine the cause of death of Mange Ram and to make enquiries into the matter immediately;

(b) *1st part*. The Civil Surgeon who perfomed the post-mortem examination of the dead body of Mange Ram was of the opinion that the death was by heart failure due to fever. No mark of injury was found on the dead body.

2nd part. During the pendency of the enquiries by the Deputy Superintendent of Police, Headquarters, who was deputed for this prupose, the relatives of the deceased demanded a judicial enquiry which was accordingly ordered by the Deputy Commissioner. The finding of the Resident Magistrate, Hansi is awaited.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूं कि चूंकि यह मामला उन का खुद अपनी मौजूदगी से ताल्लुक रखता है कि जब वह हांसी में गए थे तो कैसे हालात में उन के पास यह शिकायत लाई गई थी और कहा गया था कि वह उन की मदद करें। क्या वह इस सारे मामले पर यहां रोशनी डालेंगे ?

मुख्य मंत्री : मैं हिसार की तरफ़ जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पर चन्द आदमी खड़े थे कोई होंगे चालीस या पचास के करीब। उन के साथ एक औरत भी थी। उस औरत ने शिकायत की कि उस के खाविन्द को पुलिस ने मारा है और उस की वजह से वह मर गया है। चुनांचि ज्यों ही मैं वहां पहुंचा तो मैं ने फौरन ही यह हिदायत Superintendent of Police को और Deputy Commissioner को जो वहां पर मौजूद थे कर दी कि इस के मुतअल्लिक फौरन तहकीकात की जाए और इस की लाश का reliable agency से

[मुख्य मंत्री]

medical examination कराने के लिये भी arrange किया जाए और अगर कहीं बाहर के डाक्टर से medical examination की ज़रूरत पड़े तो वह भी कराया जाए। चुनांचि मेरी हिदायत के मुताबिक फ़ौरी action लिया गया इस बात के कहने की ज़रूरत नहीं कि क्योंकि मैं वहां मौके पर था तो मामूल से भी ज्यादा एहतियात होनी थी। मुझे पूरी तसल्ली है कि उन अफसरों ने उसी spirit से सारे काम को handle किया है। ऐसी सूरत में इस से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। Deputy Commissioner ने Judicial enquiry भी शुरु कर दी है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या कहा आप ने ?

मुख्य मंत्री : Magisterial enquiry हो रही है। अगर मेरे फ़ाजल दोस्त के पास और किसी किस्म की शहादत हो और अगर वह Magisterial enquiry में शरीक होकर मददगार होंगे तो मैं उन का मशकूर हूंगा।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या उन के पास medical examination के सिलसिले में, या Magisterial enquiry के सिलसिले में या किसी और बात के सिलसिले में उस के बाद कोई शिकायत आई है कि नहीं ?

मुख्य मंत्री : न ही मुझे कोई ख्याल है और न ही कोई इस मिसल में कोई ऐसी चीज़ है। मेरे ख्याल में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। अगर मेरे दोस्त को कुछ पता हो तो वह बता सकते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह ठीक नहीं है कि पंजाब पुलिस के खिलाफ यह जो आम शिकायत आती है कि उस की custody में चाहे वह lawful तरीके से हो या unlawful तरीके से हो जब कोई आदमी मर जाता है तो ऐसे cases के 95 % cases में यही कहा जाता है कि वह दिल की तकलीफ से या तिल्ली की तकलीफ से मर गया है ?

Mr. Speaker: It does not arise out of the main question.

श्री मूल चन्द जैन : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जब उन के पास यह शिकायत आई थी तो उस आदमी की मौत हुए कितनी देर हो चुकी थी ?

मुख्य मंत्री : उस से थोड़ी देर पहले उस की मौत हुई थी और मैं ने यह हुकम उसी वक्त कर दिया था कि उस की लाश को preserve कर लिया जाए ताकि वह post-mortem से पहले dispose of न कर दी जाए। उस वक्त मेरे साथ Irrigation and Power Minister भी थे।

श्री मूल चन्द जैन : क्या उस लाश का medical examination उसी ज़िला के डाक्टर ने किया था या किसी दूसरे ज़िले के डाक्टर ने किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल कैसे पैदा होता है ?

(How does it arise?)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या चीफ़ मिनिस्टर के पास medical examination के बारे में कोई शिकायत आई थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उन के पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी । (He has already stated that he has not received any complaint.)

मुख्य मंत्री : इस बारे में मैंने हिदायत के तौर पर कह दिया था । फिर मैंने जानना चाहा तो डिप्टी कमिश्नर ने मुझे बताया है कि Civil Surgeon एक निहायत ही reliable और independent किस्म का आदमी है । अपनी integrity के लिए मशहूर है ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या हिसार के Civil Surgeon के इलावा किसी और जिला के Civil Surgeon से भी post-mortem कराया गया ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब तो दिया जा चुका है । (Its reply has already been given.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या उस Civil Surgeon के खिलाफ कोई शिकायत आई है, जिसने कि post-mortem किया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब तो दे दिया है कि कोई शिकायत नहीं आई । (He has already replied that no such complaint has been received by him.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या उन के जवाब पर कोई supplementary arise नहीं हो सकता ?

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई ऐसी बात हो तो पूछिए । (If it arises, the hon. Member can ask.)

REPRESENTATION REGARDING TRANSFER OF DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, SIRSA.

*3917. **Shri Mani Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state whether any representations were made to the Sub-Divisional Officer, Sirsa and the Deputy Commissioner, Hissar, between 3rd September 1954 and 10th September 1954 for transferring the Deputy Superintendent of Police during the magisterial enquiry into the lathi charge incident at Sirsa on 3rd September 1954; if so, the decision, if any, arrived at in the matter?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): A demand for the permanent transfer of the D.S.P. and not for temporary transfer for the duration of the magisterial enquiry was made, but the Deputy Commissioner did not consider this reasonable or necessary. There is no decision, so far, about transferring the D.S.P.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ judicial enquiry ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ enquiry ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛੋਂ ?

मुख्य मंत्री : फैसला तो बाद में ही किया जाता है, मगर जब तबदीली ही कोई नहीं हुई तो फैसला क्या करें ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਦ Judicial enquiry ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ?

मुख्य मंत्री : मेरे दोस्त को वाकियात का ही नहीं पता । सीधी सी बात यह है कि सरसा में एक खास तरह का सिलसिला चलाया गया है और यह demand की जाती है कि वहां के D. S. P. को transfer किया जाए मगर वह demand मानी नहीं गई है क्योंकि यह demand ठीक नहीं हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या आप के पास लिखे हुए representation या कोई ज़बानी ऐसी शिकायत पहुंची है जिस की बिना पर उस की तबदीली की दरख्वास्त की गई हो ?

मुख्य मंत्री : वह शिकायतें ऐसे quarters से आई हैं जो किसी न किसी तरीके से, in season and out of season पुलिस को दबाना चाहते हैं । इन के मुकाबले में गवर्नमैण्ट की यह पोज़ीशन है कि वह उस अफसर के खिलाफ कार्यवाही करती है जो किसी तरह की भी ज्यादती करे । मगर जो लोग गवर्नमैण्ट को over awe कर के दबाना चाहते हैं, गवर्नमैण्ट उन से दबेगी नहीं ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : अगर कोई M.L.A. I.G. के खिलाफ शिकायत करे और लिख कर मदद करने की पूरी जिम्मेदारी ले तो क्या सरकार ऐसी शिकायत की enquiry करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप राए दे रहे हैं । (The hon. Member is giving his opinion)

मौलवी अब्दुल गनी डार : मुख्य मंत्री ने कहा कि in season, out season, police को दबाने की कोशिश की जाती है और अपनी पालिसी बताई, क्या हम इस पर supplementary नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : किसी खास instance के बारे supplementary कीजिये । (Please ask a supplementary on a particular instance)

पंडित श्री राम शर्मा : मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि Government over awe नहीं होगी । हम जब शिकायत करते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं । मगर इस सिलसिले में क्या यह सही नहीं कि उन की अपनी पार्टी के ही काफी M.L.A.s ने भी शिकायत की है ?

मुख्य मंत्री : पंडित श्री राम जी का फरमाना बजा है । इस मुअज़िज़ एवान के कुछ मैम्बर साहिबान ने भी यही कुछ कहा है D.S.P. के खिलाफ । मगर वाकिया के मुतअल्लिक दो versions हैं । एक को कुछ लोग support करते हैं और दूसरे को दूसरे लोग । मगर बदकिस्मती से दूसरे version से कुछ ऐसा प्रतीत पड़ता है कि इस में consideration का scope है । कुछ बातें सही नहीं लगतीं ।

श्री मनी राम : जब ३ तारीख से १० तारीख के दरमियान वहां पर हड़ताल के दौरान Hon. सरदार उज्जल सिंह वहां गए तो उन्होंने शहरियों के deputation से वादा किया कि शहरियों की इस बात की कदर की जाएगी और D.S.P. की transfer की जाएगी । क्या उन्होंने यह बात Chief Minister साहिब से की ?

चीफ़ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी : वफद जब D.C. से मिला तो उस ने कहा कि D.S.P को नहीं बदला जाएगा। फिर यह मामला Commissioner तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि enquiry किए बिना तबादला नामुनासिब है। enquiry हो रही है, उस की report के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। किसी भी जिम्मेदार अफसर ने इन से कोई ऐसा वादा नहीं किया।

श्री मनी राम : D.C. ने deputation से यह नहीं कहा था कि D.S.P. को बदला जाएगा। उन्होंने यह कहा कि ऐसा करना उस के इख्तयार की बात नहीं, वैसे वह जनता की बात को ठीक समझते हैं।

मुख्य मंत्री : मेरे फाजल दोस्त ने जो सवाल किया है इस का और कई इस किस्म के सवालों के जवाब देने में गवर्नमेंट को दिक्कत होती है क्योंकि उन की magisterial enquiry हो रही होती है। मुझे इस केस में रंज से कहना पड़ता है कि इस मुअज़िज़ एवान के मेंबर साहिबान इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं जो न इस हाऊस की शान के शायां होती है और न ही उन की अपनी शान के शायां। और मैंने देखा है कि पब्लिक प्लेटफार्मों पर बहुत सी गन्दी phraseology इस्तेमाल होती और पब्लिक के अन्दर कई बातें फैलाने की कोशिश की जाती है। कई ऐसी बातें होती हैं जिन को सही तरीका से सुलझाया जा सकता है लेकिन issue को different तरीके से खड़ा किया जाता है। फिर गन्दी phraseology के इस्तेमाल करने से issue तो एक तरफ रह जाता है और तहज़ीब और बदतहज़ीबी का सवाल खड़ा हो जाता है। हम कई बार यकीन दिला चुके हैं कि गवर्नमेंट कोई फैसला इन तकरीरों की बिना पर नहीं करती। जब भी सही शहादत दस्तयाब होती है तो उसका ईमानदारी से फैसला किया जा सकता है और किया जाता है।

श्री बाबू दयाल : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि उन की पार्टी के मेंम्बर दूसरी पार्टी के मेंबरान से क्यों इम्तिआज़ करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस supplementary का सवाल के साथ क्या ताल्लुक है ? (How is this supplementary connected with the original question.)

पंडित श्री राम शर्मा : इस सवाल को confuse करने की कोशिश की गई है क्या यह अमरेवाकिया नहीं है कि सिरसा के D.S.P. के खिलाफ जिन लोगों ने शिकायतें की हैं उन्हें मां बहन की गालियां दी गईं ?

मुख्य मंत्री : जहां तक इस सारे मामले का ताल्लुक है उस की magisterial और judicial enquiry हो रही है। और मेरा ख्याल नहीं कि मेरे फाजल दोस्त मुझ से सारी information लेने की तवक्को करें और चाहें कि मैं राए का इज़हार करूं।

PROSECUTING SUB-INSPECTORS AND ASSISTANT SUB-INSPECTORS OF POLICE.

***3971. Shri Sri Chand**: Will the Chief Minister be pleased to state the total number of Prosecuting Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors of Police during the years 1952, 1953 and 1954 together with their home addresses and qualifications?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): *Part I*—

		Sub-Inspectors	Assistant Sub-Inspectors
1st January 1952	..	98	912
1st January 1953	..	108	905
1st January 1954	..	111	847

Part II. The collection of information will involve an amount of time and labour which will be incommensurate with the results. If the Honourable Member wants to have this information about some specific officers it can be collected and supplied.

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने सवाल में पूछा था कि Prosecuting S.I. और A.S.I. की qualification और home addresses क्या हैं। उस की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं। वह लिस्ट अगर हाऊस में पढ़ कर सुनाई जाए तो बहुत time लग जाएगा और इसी सवाल के जवाब को पढ़ने में शायद दो दिन लग जायें अगर आप ज़ोर देंगे तो इस सवाल का जवाब हाऊस में पढ़ कर सुनाने के लिये मैं allow तो कर दूंगा क्योंकि जब सवाल admit कर लिया गया तो under the rules it cannot be disallowed लेकिन इस के पढ़ने में सभा का बहुत समय लग जाएगा। जब आप चाहें इस लिसट को देख सकते हैं।

[You had asked about the home addresses and qualifications of the Prosecuting Sub-Inspectors in your question. The list containing that information is with me, and you can refer to it. It would take a lot of time if that list is read out to the House and perhaps it may take two days to read out the whole reply to this question. If you insist on its being read in the House, then I will have to allow it because if I have admitted the question then under the Rules the reading out of the reply cannot be disallowed. But all the same this would consume a good deal of time of the House, which can otherwise be utilised for other questions. You can see this list any time you like)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब home addresses पूछने का मतलब यह था कि पता लग सके कि कहां कहां के लोगों को इस सरविस में नुमांइंदगी दी गई है।

श्री श्री चन्द : साहिबे सदर। मेरा सवाल पूछने से यह मतलब था कि यह पता लगे कि Ambala Division के कितने आदमी इस सरविस में लगे हुए हैं? मुझे पता है कि इस ज़िले के Sub-Inspectors और A.S.I. कुल गिनती के एक प्रतिशत भी नहीं लिये गए मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस सवाल का जवाब दीदादानिस्ता नहीं दे रही ताकि supplementaries न किए जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : आप supplementaries पूछ सकते हैं। (The hon. Member can put supplementaries on it.)

THANA-WISE STRENGTH OF POLICE

***4146. Shrimati Sita Devi**: Will the Chief Minister be pleased to state the Thana-wise strength of the police immediately before the partition of the State and the present Thana-wise strength of the police?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

REGISTRATION OF CASES UNDER SECTIONS 216 AND 412, INDIAN PENAL CODE IN ROHTAK DISTRICT

***4170. Shri Maru Singh Malik**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases registered and challaned under sections 216, 412, I.P.C., respecitvely in the District of Rohtak during each of the months from December 1953 to March 1954, together with the total number of persons convicted, acquitted or discharged separately;

(b) the total value of the property taken possession of by the Police as stolen property in the cases referred to in part (a) above;

(c) whether any property referred to in part (b) above was declared to be stolen property and ordered to be confiscated by the courts;

(d) whether any property referred to in part (b) above was restored to persons from whom it was recovered; if so, the nature thereof?

Shri Probodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the Member shortly.

SUSPENSION AND DISMISSAL OF PANCHES

***3773. Shri Ram Kishan**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of panches suspended or dismissed in each district up to date since the Panchayat elections in the State together with the reasons for their suspension or dismissal in each case;

(b) whether any village panchayats have been suspended or dissolved since the Panchayat elections ; if so, their details and the reasons therefor in each case?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The information is being collected and will be communicated to the member when ready.

श्री राम किशन : क्या मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी से पूछ सकता हूं कि यह इतला कब तक मिल सकेगी ?

चीफ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी : जल्दी ।

श्री राम किशन : जल्दी से मुराद ?

चीफ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी : जल्दी से मुराद है जल्दी ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई जवाब नहीं । आप बतायें कि यह कब तक तैयार हो जाएगी ।

[This is no reply. You should say as to when the information will be ready.]

चीफ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : स्पीकर साहिब, यह information अगले सैशन के पहिले पहिले तैयार हो जाएगी और supply कर दी जाएगी।

श्री मूल चन्द जैन : यह information तो Director of Panchayats से इकट्ठी करनी थी।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी ने कहा है कि answer ready नहीं और information बाद में दी जाएगी। पर rules यह require करते हैं कि starred question का answer Floor of the House पर दिया जाए। अगर जवाब न दिया जाए तो इस के मायने यह हुए कि वह unstarred question बन जाता है। तो मैं जनाब का ruling चाहता हूं कि क्या rules के मातहत किसी को इख्तियार है कि starred question को जिस का जवाब Floor पर न दिया जा सके उसे unstarred बना दें?

अध्यक्ष महोदय : इस पर ruling की जरूरत नहीं। Rules permit करते हैं कि जिन सवालों का जवाब Floor पर न दिया जा सके उन के जवाब मैम्बरों को भेजे जायें।

(I think no ruling is necessary on this point of order. Rules permit that the replies to those starred questions which could not be replied on the floor of the house be sent to hon. Members.

Chief Parliamentary Secretary: With your permission, Sir, I want to make one submission.

I did not say that the information would be *sent* to the hon. Member. I said that it would be *supplied* to him before the commencement of the next Session.

पंडित श्री राम शर्मा : यह एक important मामला है। इस पर जनाब की ruling जरूर दी जानी चाहिए क्योंकि जब एक सवाल starred question के तौर पर admit हो जाता है तो rules यह नहीं permit करते कि गवर्नमेंट उसे unstarred question कर दे। गवर्नमेंट तो आसानी से यह जवाब दे देती है कि इस सवाल का answer ready नहीं और तैयार होने पर मैम्बर को supply कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इस के बारे में किसी ruling की जरूरत नहीं। Rules of Procedure में पहले ही rule 37 मौजूद है। (No. ruling is necessary on this point of order. It is already covered under Rule 37 of rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly which reads as—

> "If any question placed on the list of questions for oral answer on any day is not called for answer within the time available for answering questions on that day...."

बात यह है कि जो सवाल वक्त की कमी की वजह से call न किये जाएं और उन का जवाब House के Floor पर न दिया जा सके उन के जवाब मेज़ पर रख दिये जाते हैं और वह सवाल unstarred हो जाते हैं। यह बात बिलकुल साफ है और कई दफा यह बात हो चुकी है......

[The thing is that the replies to the starred questions, which for want of time are not called and replied to on the floor of the House are placed on the table of the House, and thus they become unstarred questions. This is a very clear rule and has been stated here so many times.]

पंडित श्री राम शर्मा : मगर जनाब, आप यह सवाल तो call कर चुके हैं और हकूमत की तरफ से यह जबाव दिया गया है कि अभी इस का जवाब तैयार नहीं है। मेरी गुज़ारिश यह है कि यह unstarred नहीं हो जाना चाहिये और जब इस का जवाब दिया जाए तो इस के मुतल्लिक supplementary सवाल पूछने की इजाज़त होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस के बारे में तो rule बिल्कुल साफ है और rules के मुताबिक मैम्बर साहिबान को जो हक हासिल हो वह उन को हासिल रहेगा मगर आप आराम से पूरी बात तो सुन लिया करें।

[The rule on this point is quite clear and whatever rights hon. Members have under the rules, shall continue to be enjoyed by them. But the hon. Member should try to exercise a little patience.]

Pt. Shri Ram Sharma : Thank you, sir.

श्री राम किशन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह information देने के लिए Director of Panchayats को कब कहा गया था?

चीफ़ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी : ज्यूंही सवाल Secretariat में पहुंचता है उस के बारे में कार्यवाही शुरु कर दी जाती है।

श्री राम किशन : जो circular efficiency के बारे में भेजा गया है क्या वह सवालों पर भी लागू होता है?

चीफ़ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी : मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि सवालात के पहुंचते ही उन के बारे में ज़रूरी कार्यवाही शुरु कर दी जाती है और जल्दी से जल्दी information हासिल करने के लिये telegrams और wireless तक से काम लेते हैं।

श्री राम किशन : क्या Director किसी पंच को suspend या dismiss करने से पहले कोई notice भी देता है?

चीफ़ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी : इस सवाल का नोटिस दें तो जवाब दिया जा सकता है।

COLLECTION OF LAND REVENUE BY PANCHAYATS

***3921. Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Chief Minister be pleased to state the total number of Panchayats in the State which have entered into contracts with the Government for the collection of land revenue and other taxes together with the income so far derived by the Panchayats therefrom?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): None.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇਕ deputation ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, M.L.A. ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ land revenue ਦਾ 1/10 ਮਿਲਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਗੀਰ ਸੀ ?

अध्यक्ष महोदय : इस का सम्बन्ध क्या है ?

[How is it relevant ?]

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਜਦੋਂ ਇਕ M.L.A. Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ......

अध्यक्ष महोदय : मगर आप सवाल को तो पढ़ें । वहां तो आप पूछते हैं। "The total number of Panchayats in the State which have entered into contracts with the Government for the collection of land revenue and other taxes." फिर यह सवाल कैसे पैदा हो गया ?

(But will the hon. Member please refer to the original questions? He has asked only the total number of Panchayats in the State which have entered into contracts with the Government for the collection of land revenue and other taxes. Then how does this supplementary arise?

INCOME AND EXPENDITURE OF GRAM PANCHAYATS

***3922. Sardar Achhar Singh Chhina:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Gram Panchayats in the State at present;

(b) the total amount with the said Panchayats as "Gram Fund" at present;

(c) the total income of the said Panchayats since their coming into being along with the amount so far collected by them by way of taxes, including taxes in the form of labour and the amounts granted to them by the Government;

(d) the total expenditure incurred by the said Panchayats since their coming into being on Education, Medical and Public Health and Roads, etc?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The required information is being collected and will be supplied to the member when ready.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਹੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ deputation ਨੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ land revenue ਦਾ 1/10 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ land revenue ਇਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ?

अध्यक्ष महोदय : यह असल सवाल के किस हिस्से से ताल्लुक रखता है ?

(May I know out of which part of the original question does it arise ?)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ income ਤੇ expenditure ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : यह information हासिल करने के लिए आप को अलग सवाल का नोटिस देना चाहिये ।

(The hon. Member should seek this information through a separate question.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪਰ ਮੈਂ supplementary ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

अध्यक्ष महोदय : मगर शर्त यह है कि वह असल सवाल के जवाब से पैदा होता हो।

(Provided it arises from the reply given in respect of the original question.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪਰ ਇਹ arise ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : आप ने पूछा है कि पंचायतों को कितनी Grant ....

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से सवाल का जवाब दे रहे हैं ? उन्होंने तो 3922 के बारे में सवाल किया है ।

(Which question is the Chief Parliamentary Secretary replying to ? The hon. Member has put a supplementary question in respect of starred question No. 3922.)

चीफ़ पार्लीमैण्टरी सैक्रेटरी : उसके बारे में कहा जा चुका है कि information collect की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां । अब supplementary सवाल तो असल सवाल के जवाब से ही पैदा हो सकता है । जब जवाब ही नहीं दिया गया तो आप खुद समझदार हैं ज़रा सोचिये कि फिर supplementary कैसे arise हो सकता है ।

(A supplementary question can arise only from the reply given to the original question. Since no reply has been given to the original question, an intelligent gentleman like the hon. Member can very well realise that no supplementary question can arise.)

श्री बाबू दयाल : On a point of order, Sir. मैं आप का ruling चाहता हूं कि जब किसी सवाल का गलत जवाब दिया जाए तो हमें क्या करना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : आप भी खूब सवाल करते हैं । जब कोई जवाब ही नहीं दिया गया तो गलत जवाब कहां से आ गया ?

(What a question to ask! How can you say that a wrong reply has been given when in fact no reply has been given at all ?)

श्री बाबू दयाल : जनाब, यह तो point of ruling था । (*Laughter*)

ANSWERS TO STARRED QUESTIONS UNDER RULE 37

SANITATION GRANTS TO PANCHAYATS

***3972. Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total amount so far given by the Government to the Panchayats as sanitation grants, district-wise in the State together with the funds collected by the Panchayats themselves to supplement the grants;

(b) the names of the Panchayats in Amritsar District that have received such grants together with the amount in each case;

(c) whether it is a fact that the grants referred to in part (a) above are now being recovered by the Government from the Panchayats; if so, the reasons therefor ?

Shri Bhim Sen Sachar: The information is being collected and will be communicated to the member concerned when ready.

GRAM PANCHAYATS AND ADALATI PANCHAYATS

***4054. Sardar Harkishan Singh Surjit**: Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of Gram Panchayats which have been given enhanced powers together with the number of Adalati Panchayats so far constituted in the State;

(b) the total number of Criminal, Civil and Revenue cases so far heard and decided by the said Panchayats separately together with the amount of court fees thereon collected;

(c) the total number of cases remanded by the district magistrates or district judges for retrial by the Panchayats and the number of cases in which the orders passed by the Panchayats were reversed, separately.

Shri Bhim Sen Sachar: The information is being collected and will be communicated to the member concerned when ready.

VACANCIES IN GRAM PANCHAYAT, KAROR, DISTRICT ROHTAK

***4171. Shri Maru Singh Malik:** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the date on which the report of the death of Shri Dulichand and Shri Hari Singh, Members, Gram Panchayat, Karor, District Rohtak, was received in the office of the District Panchayat Officer, Rohtak;

(b) whether any action has been taken for the election or nomination in the vacancies caused by the death of the said two Panches; if so, what; if not, the reasons therefor?

Shri Bhim Sen Sachar: The information is being collected and will be communicated to the member when ready.

EJECTMENT OF TENANTS IN FAZILKA TEHSIL

***3669. Shri Teg Ram:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of tenants who have been ejected by their landlords in Tehsil Fazilka, District Ferozepur, during the period from 1st of May, 1954 to 15th of June, 1954;

(b) the total number of Zamindars who own more than 30 acres of land and who ejected their tenants referred to in part (a) above?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

RESTORATION OF LAND TO EJECTED TENANTS

***3670. Shri Teg Ram:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of applications for the restoration of possession of land presented by the tenants who were ejected after the year 1947;

(b) the total number of such tenants whose applications were accepted and possession of their land restored;

(c) the total number of such cases which are still pending;

(d) the total number of tenants whose applications have been rejected together with the reasons therefor in each case?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

APPOINTMENT OF GIRDAWAR KANUNGOS IN DISTRICT FEROZEPUR

***3844. Shri Wadhawa Ram:** Will the Minister for Development be pleased to state the total number of persons appointed as Girdawar Kanungos during the year 1953 in District Ferozepore together with the number of Harijans amongst them?

Sardar Partap Singh Kairon: No direct appointment of any Girdawar Kanungo was made during the year 1953 in Ferozepur District. However, 15 permanent Mahl Patwaris were promoted as Kanungos in officiating arrangements and there was no Harijan amongst them.

RECLAMATION OF WASTE LAND

***3857. Sardar Darshan Singh:** Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) the total area of waste land, whether owned by Government or private owners, reclaimed by Government during the years 1952, 1953 and 1954, respectively;

(b) the total area referred to above owned by private owners which was given (i) to Harijans and tenants, and (ii) back to the owners respectively?

Sardar Partap Singh Kairon:

(a) 1952. Information is not available at present. It will be supplied to the member.

1953. 35 acres (Agricultural year).

1954. Nil (Agricultural year).

(b) Information is not available at present. It will be supplied to the member.

LAND-OWNERS

***3888. Sardar Chanan Singh Dhut:** Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) the number of persons in the State at present owning land measuring (i) one acre or less; (ii) between one and 2 acres; (iii) between 2 and 5 acres: (iv) between 5 and 10 acres; (v) between 10 & 20 acres; (vi) between 20 and 30 acres; (vii) between 30 and 50 acres; (viii) between 50 and 100 acres; and (ix) above 100 acres;

(b) the total area of land under the above categories of land-owners referred to in part (a) above;

(c) the total amount of land revenue and *abiana*, respectively, paid by said land-owners?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

ALIENATIONS OF LAND IN THE STATE

***3941. Shri Sri Chand:** Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) the number of alienations of land made in favour of Scheduled Caste Members after the repeal of the Punjab Alienation of Land Act in the State;

(b) the total area of land in acres covered by such alienations?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

THE PUNJAB UTILIZATION OF WASTE LANDS ACT, 1952

***4250. Shri Mool Chand Jain**: Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the Government has framed any Rules and issued any instructions for carrying out the purposes of the Punjab Utilisation of Waste Lands Act, 1952; if so, a copy of the rules and instructions be laid on the Table;

(b) if no such rules have been framed the authority under which the collectors are demanding securities under the said Act;

(c) whether the collectors of any districts have taken possession of any waste land under the said Act; if so, the total area thereof, district-wise;

(d) whether the collector of any district leased out lands taken possession of under the said Act; if so, the total area leased out, district-wise;

(e) the total amount of security money deposited by (a) land-owners, and (b) lessees under the said Act in each district;

(f) whether any security money had been forfeited by the Government, if so, the amount thereof in each district and the rules under which the security has been forfeited;

(g) the total area of culturable waste lands in each district of the State at present;

(h) the total area of culturable waste lands in each village of Karnal District at present?

Sardar Partap Singh Kairon: The requisite information except in respect of part 'g' which is as under, is being collected and will be supplied to the member:—

(g)—

	District		*Area in acres*
1.	Gurgaon	..	16,799
2.	Amritsar	..	64,075
3.	Ferozepore	..	86,705
4.	Hissar	..	36,384
5.	Karnal	..	390,525

	District		Area in acres
6.	Hoshiarpur	..	124,765
7.	Gurdaspur	..	14,965
8.	Kangra	..	16,266
9.	Jullundur	..	14,051
10.	Ambala	..	50,760
11.	Ludhiana	..	32,682
12.	Rohtak	..	40,193

SHAMILATS-DEH

*4251. **Shri Mool Chand Jain**: Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) the total area of land in acres comprising the "Shamilats-Deh" of all the villages in each district of the State as on (i) 15th August, 1947, and (ii) 9th January, 1954;

(b) the area of land in acres, village-wise, in Karnal District comprising the Shamilats-Deh as on (i) 15th August, 1947, and (ii) 9th January, 1954?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) A statement is given below.

(b) The time and trouble involved in collecting the information is not commensurate with any possible benefit to be obtained.

STATEMENT

District.		Total area of Shamilat-Deh in acres of all villages on 15th August, 1947.	Total area cf Shamilat-De in acres of all villages on 9th January, 1954.
		Acres	Acres
Hissar	..	269,318	220,67
Rohtak	..	148,002	1,481,059
Gurgaon	..	204,420	204,104
Karnal	..	583,191	556,679
Ambala	..	207,783	198,358
Simla	..	10	10
Kangra	..	710,628	748,568
Hoshiarpur	..	249,525	237,211
Jullundur	..	354,081	339,649
Ludhiana	..	44,145	42,702
Ferozepore	..	59,033	56,422
Amritsar	..	65,878	62,788
Gurdaspur	..	119,300	110,934

NOMINATION OF SUB-REGISTRARS IN THE STATE

***4012. Shri Mani Ram**: Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government intends to nominate Honorary Sub-Registrars in the State; if so, at which places and on what conditions?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

FAILURE OF KHARIF CROPS IN GURGAON DISTRICT

***3785. Shri Babu Dayal**: Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) whether there has been failure of Kharif Crops in Gurgaon District;

(b) whether any area is affected by famine due to such failure?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) and (b) Yes. The distress caused by the drought and want of rain has almost disappeared on account of heavy rains on the 30th September and the 1st October, 1954.

DISPOSAL OF MANURE BELONGING TO HARIJANS IN VILLAGE BIBI CHAHARAM, DISTRICT JULLUNDUR

***3945. Sardar Harkishan Singh Surjit**: Will the Minister for Development be pleased to state whether he is aware of the fact that in Village Bibi Chaharam, Thana Shahkot, District Jullundur, the right of Harijans to dispose of their manure is being disputed by some proprietors, as a result of which their manure has been lying unused for the last 7 years; if so, the action, if any, taken by the Government in the matter?

Sardar Partap Singh Kairon: The requisite information is being collected and will be supplied to the member.

REPRESENTATION FROM OCCUPANCY TENANTS OF VILLAGE RANIA, DISTRICT FEROZEPORE

***4102. Sardar Bachan Singh**: Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government has received a representation, dated 28th March, 1954, from the former occupancy tenants of Village Rania, Tehsil Moga, District Ferozepore, regarding the dispute of 300 Ghamaons of land in the said village during consolidation; if so, the action, if any, taken in the matter?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is being collected and will be supplied to the member.

ALLOTMENT OF WASTE LAND TO HARIJANS

***4116. Sardar Khem Singh**: Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government has under consideration any proposal to allot the waste land to the Harijans in the State; if not, the steps Government proposes to take to cultivate the waste land in the State?

Sardar Partap Singh Kairon: Yes. The Government have reserved the following area of waste land for Harijans in the State —

(i) 10,000 acres in Ludhiana Tehsil;

(ii) 10,000 acres in the Livestock Farm, Hissar, for Harijan ejected tenants of Gurdaspur District.

PUMPING SETS

***3786. Shri Babu Dayal**: Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether any complaints have been received by Government that the pumping sets at Ludhiana purchased by the Agriculture Department for supplying to cultivators on Taccavi are unserviceable; if so, the action, if any, taken thereon;

(b) the total number of pumping sets purchased together with the price paid therefor;

(c) the total number of pumping sets sold together with the price realised thereon?

Sardar Partap Singh Kairon: The requisite information is being collected and will be supplied to the member when ready.

PROGRESS MADE IN COMMUNITY PROJECT AREAS

***3792. Shri Ram Kishan**: Will the Minister for Development be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to print and publish any report containing information with regard to the progress so far made in each of the community project areas in the State in respect of the following:—

(i) the improvement made in connection with the agricultural production, breed of milch and draught animals, health and sanitation and road communications;

(ii) the facilities provided for education, social education and community recreation;

(iii) the establishment of small scale and cottage industries; and

(iv) the details of people's contribution in the shape of cash, land and labour?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes.

(b) A handbook on Community Development work is under preparation

---

SCHEDULED CASTE GAZETTED OFFICERS IN THE AGRICULTURE AND VETERINARY DEPARTMENTS

***4072. Sardar Gopal Singh**: Will the Minister for Development be pleased to state the total number of Gazetted Officers belonging to the Scheduled Castes employed in the Agriculture as well as in the Veterinary Departments respectively, at present?

Sardar Partap Singh Kairon: Nil.

DALHOUSIE SUB-DIVISION

***3689. Shri Babu Dayal:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) the work undertaken by the Dalhousie Sub-Division (Project Sub-Division B) and the extent of the work completed by it up to date;

(b) the total strength of staff at present working in the said Sub-Division?

Chaudhri Lahri Singh: (a) Dalhousie Sub-Division (Project Sub-Division B) was entrusted with the investigation of Marhu Tunnel Scheme for diverting the water of River Chenab into Ravi. The preliminary investigation of this Tunnel has been completed.

(b) In view of the award by the World Bank in the case of Canal Water Dispute with Pakistan, further work on Marhu Tunnel at this stage is not justified. Work has, therefore, been suspended and the Sub-Division diverted to the preparation of Gurgaon Canal Project.

DIGGING OF DRAIN THROUGH MAMDOT AND JALALABAD

***3843. Shri Wadhawa Ram**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a drain starting from near the Ferozepur City and passing through ilaqas of Mamdot and Jalalabad was dug in May-June, 1953;

(b) whether it is a fact that the residents of the said ilaqas contributed their labour towards the digging of the said drain;

(c) whether it is also a fact that the people concerned are being charged Rs 5 per acre to meet the expenditure incurred on the digging of the said drain; if so, the reasons thereof, and the total expenditure incurred in this connection?

Chaudhri Lahri Singh: (a) Yes.

(b) Yes. The residents of certain ilaqas contributed voluntary labour for doing dry earthwork in scattered reaches of the Jalalabad Drain.

(c) Yes. This is being done in order to recover from the beneficiaries 56·25 per cent of the total cost of Rs 21.5 lacs incurred on this work. The contribution by voluntary labour was comparatively too low and will be accounted for in recoveries from beneficiaries.

CONSTRUCTION OF BHAKRA CANALS

***3964. Shri Mam Chand:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the names of the contractors, who are supplying Surkhi and Chuna for the construction of Bhakra Canals on the Tohana side and since when;

(b) whether the Government has received any complaints about coarse material being supplied by the said contractor in place of approved sample; if so, the action, if any, taken by Government in the matter?

Chaudhri Lahri Singh: (a) A statement showing names of contractors, who supplied Surkhi and Kankar Lime for construction of Bhakra Canals is given below:—

(b) No.

Statement showing contractors who supplied Surkhi and Kankar Lime.

Name of contractor.	Material. supplied	Period.	Site.
	Bhakra Main Line		
1. M/s Brij Bhushan Raj Kumar ..	Kankar Lime	April, 1952 to 30thApril, 1954	Karamgarh Quarry.
2. Ditto ..	Surkhi	October, 1952 to April, 1954	Kiln R.D.5522, 511, 496 and 487/R
3. Gosain Chander Bhan Karam Chand	Ditto	Ditto	R.D. 536 and 487/R
	Bhakra Main Branch		
4. Chaudhri Lakhi Ram and Sons	Surkhi	March, 1953	R.D. 15,000
5. Shri Rishi Parkash Om Parkash	Do	December, 1953	R.D. 38,000
6. Shri Ved Parkash ..	Do	Ditto	R.D. 39,000
7. Sarvshri Ram Narian Ruli Ram	Do	January, 1953	R.D. 68,000
8. Chaudhri Lakhi Ram and Sons	Do	March, 1953	R.D. 77,000
9. Ditto	Do	Ditto	R.D. 90,000

DIGGING WORK ON DRAIN NO. 8 IN HARYANA DIVISION

***4169. Shri Maru Singh Malik:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there was any difference in the rate at which payments were made to individual contractors for carrying out digging works on drain No. 8 in Haryana Division and the Labour Construction Societies; if so, the reason therefor and the total losses, if any, paid to the said Societies;

(b) whether it is a fact that a contract for the whole of the digging work on the above drain was given to the Societies mentioned in part (a) above in the first instance; if so, the reasons, if any, why the said Societies did not complete the work ?

Chaudhri Lahri Singh: The answer to this Assembly Question is not yet ready. The information is being collected and will be supplied to the member as soon as it is ready.

REPRESENTATION FROM LABOUR CO-OPERATIVE SOCIETY CHANDIGARH

***3962. Shri Mam Chand:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the Chandigarh Labour Co-operative Society has represented recently to the Government that the Sub-Inspector and Assistant Registrar of the said society are hindering the payment of wages to the labourers; if so, the action, if any, taken in the matter?

Chaudhri Lahri Singh: (a) No.

(b) Question of payment of wages to labourers concerns the Public Works Department.

AUDITORS IN THE CO-OPERATIVE DEPARTMENT

***3963. Shri Mam Chand:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the names of old firms of auditors that have recently been excluded from the list of authorised auditors to audit the accounts of the Co-operative Societies and whether Messrs P.S. Sodhbans is one of them;

(b) the basis on which the lists are prepared?

Chaudhri Lahri Singh: (a) (1) M/s Basant Ram and Sons, Chartered Accountants.

(2) M/s Sodhbans and Co., Chartered Accountants.

(b) Generally Chartered Accountants of reputed firms who accept the rates of audit fee fixed by the Co-operative Department are brought on the approved list of auditors.

HARIJAN CO-OPERATIVE LABOUR SOCIETIES

***4115. Sardar Khem Singh**: Will the Minister for Irrigation be pleased to State—

(a) the total number of Harijan Co-operative Labour Societies formed in the State;

(b) the details of works or contracts in respect of irrigation so far given to the Societies mentioned in part (a) above?

Chaudhri Lahri Singh: (a) Co-operative Societies are not formed on caste basis. However, out of 230 Labour and Constructions Societies in the State, 21 are entirely manned by Harijans.

(b) Details of works allotted to these Societies are not available. However, works valuing over Rs 80 lacs have so far been executed.

EXPENDITURE ON TELEPHONIC CALLS

***3716. Maulvi Abdul Ghani Dar**: Will the Minister for Labour be pleased to state the total expenditure incurred by the Government on telephonic calls made from Chandigarh to Simla and vice versa since Chandigarh became the Capital of the State?

Chaudhri Sundar Singh: Rs. 15,819-11-0

SINGLE-TEACHER SCHOOLS IN THE STATE

***3625. Shri Rala Ram**: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of single-teacher schools existing in the State at present;

(b) whether it is intended to convert them into two-teachers schools within the next two years?

Shri Jagat Narain: The information asked for is being collected and will be supplied to the member when ready.

PRIMARY SCHOOLS IN THE STATE

***3626. Shri Rala Ram**: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of five-year primary schools as against four-year primary schools of the old type in each district of the State at present;

(b) the date, if any, fixed by the Government by which all the four-year primary schools are expected to be converted into five-year institutions?

Shri Jagat Narain: (a) The statement giving the required information is given below.

(b) No date has been fixed for the purpose. Efforts are, however, being made to add V Class to all the existing 4-year primary schools within a period of next ten years.

STATEMENT.

District.	Total number of 5-year Primary Schools.	Total number of 4-year Primary Schools of old type.
Ambala ..	80	342
Gurgaon ..	24	481
Hissar ..	363	326
Rohtak ..	24	409
Karnal ..	269	232
Kangra ..	52	340
Hoshiarpur ..	69	450
Jullundur ..	50	367
Ludhiana ..	64	340
Ferozepore ..	366	709
Amritsar ..	272	361
Gurdaspur ..	203	242
Total ..	1,836	4,608

YOUTH AND SOCIAL CAMPS IN THE STATE

***3886. Sardar Chanan Singh Dhut:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of students and teachers who attended the various Youth Camps, Social Camps, etc., in the State during the summer vacations in 1954;

(b) the total expenditure incurred by the Government on the Camps referred to in part (a) above;

(c) the steps, if any, taken by the Government to continue the literacy and other work started in the villages by the camps mentioned in part (a) above after they were withdrawn?

Shri Jagat Narain: The information is being collected and will be supplied to the member when ready.

TEACHERS

***3887. Sardar Chanan Singh Dhut:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of teachers so far employed by the Government under the scheme to relieve educated unemployed along with the number of those who are Matriculates, F.A. and B.A., respectively;

(b) the pay and allowances of the teachers so employed under the said scheme?

Shri Jagat Narain: The information is being collected and will be supplied to the member when ready.

MIDDLE AND HIGH SCHOOLS IN THE STATE

***4055. Sardar Harkishan Singh Surjit:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of Middle and High Schools in the State during the years 1948, 1951, 1952, 1953 and at present along with the number of those run by the Government, the local bodies and private bodies separately;

(b) the total number of students studying in colleges and schools (Middle and High) during the period mentioned in part (a) above?

Shri Jagat Narain: The information is being collected and will be supplied to the member when ready.

SCHEDULED CASTE GAZETTED OFFICERS IN THE EDUCATION DEPARTMENT

***4071. Sardar Gopal Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of Scheduled Caste Gazetted Officers working in the Education Department at present?

Shri Jagat Narain: No Scheduled Caste Gazetted Officer is working in the Education Department at present.

DISTRICT BOARD TEACHERS

***4073. Sardar Gopal Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of teachers together with the number of those belonging to the Scheduled Castes employed at present by the District Boards of Ludhiana, Jullundur, Amritsar, Hoshiarpur, Gurdaspur and Ferozepore, respectively?

Shri Jagat Narain: The information is being collected and will be supplied to the member when ready.

PROVINCIALISATION OF DISTRICT BOARD DISPENSARIES IN HISSAR DISTRICT

***3882. Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the date when the District Board Dispensaries in the Hissar District were provincialised.

(b) the scales of pay, gratuity, pension and other privileges of the medical officers of the dispensaries referred to in part (a) above;

(c) the date when repairs to those dispensaries were carried out;

(d) whether any complaints have been received by the Government to the effect that necessary forms and out-door patients chits are not available in those dispensaries; if so, the action, if any, taken by the Government in the matter?

Shri Jagat Narain: The required information is being collected and will be supplied to the member when ready.

DOCTORS AT DHARAMSALA AND HAMIRPUR CIVIL HOSPITALS

***4161. Shri Daulat Ram Sharma**: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of doctors including the lady doctors posted to the Dharamsala and Hamirpur Civil Hospitals respectively at present;

(b) the number of in-door and out-door patients respectively in the Dharamsala and the Harmirpur Civil Hospitals during each of the months from April, 1954 to October, 1954 separately;

(c) the total annual grant of the said Civil Hospitals separately for the purchase of medicines;

(d) whether he is aware of the fact that some of the medicines which are commonly required in hospitals are not available at the Government medicine store; if so, the reasons therefor?

Shri Jagat Narain: The information is being collected and will be supplied to the member when ready.

ASSISTANT SURGEONS, CLASS II, IN CIVIL DISPENSARIES AND RURAL DISPENSARIES

***4249. Shri Mool Chand Jain**: Will the Minister for Education be pleased to state the number of Civil Dispensaries in the State in which Assistant Surgeons, Class II, are working and the number of Rural Dispensaries which are without doctors?

Shri Jagat Narain : The required information is being collected and will be supplied to the member when ready.

ROAD TRANSPORT NATIONALISATION

***3772. Shri Ram Kishan**: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any negotiations have taken place between the private transport operators and the Government regarding road transport nationalisation in the State; if so, the results thereof and the matter as it stands today;

(b) whether any transport corporation has been formed by the State Government; if so, a detailed statement about its functions, aims and working, etc., be laid on the Table?

Shri Jagat Narain: (a) Negotiations have taken place between private transport operators and the Punjab Government regarding the nationalization of passenger road transport in the State from time to time, but no agreement has been reached so far.

(b) A Transport Corporation has been formed for the whole of the State and three officials have been appointed as members thereof. It will be the function of the Corporation to run road transport services throughout the State, and it will work in accordance with the provisions of the Road Transport Corporation Act, 1950. Details regarding the functions and constitution of the Corporation are being worked out and cannot therefore be supplied at this stage.

TRANSPORT CORPORATION

***4145. Shrimati Sita Devi**: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Transport Corporation is being established in the State ;

(b) whether the Central Government have given any grant to the State Government towards the establishment of the said Corporation; if so, the amount thereof;

(c) whether the Indian Railway is also taking some shares in the said Corporation;

(d) the date by which the said Corporation is likely to start functioning?

Shri Jagat Narain: A Corporation with three official representatives of the State only was notified by the State Government. The whole matter, however, is under further consideration in consultation with the Government of India and the Planning Commission.

ABSORPTION OF STAFF OF PRIVATE TRANSPORT COMPANIES IN THE TRANSPORT CORPORATION

***4147. Shrimati Sita Devi**: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to absorb those employees of the private transport companies in the Transport Corporation who are likely to lose their employments as a result of nationalisation of transport?

Shri Jagat Narain: Yes. The operational staff of private transport companies which will be put out of business as a result of Government's Nationalisation programme will be absorbed as far as possible in the Transport Corporation.

RULES REGARDING PROFESSIONAL TAX

***3858. Sardar Darshan Singh**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the changes, if any, recently made in the rules governing the levy of Professional Tax in the State;

(b) the approximate increase in the total amount of funds expected as a result of change referred to in part (a) above?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The attention of the member is invited to the reply already given to Starred Assembly Question No. 3890 a copy of which is given below:—

*3890. Sardar Bachan Singh: Will the Minister for Public Works be pleased to state:—

(a) whether any changes have recently been made in the levy of Professional Tax in the State; if so, the total annual increase in the said tax expected as a result thereof;

(b) the total number of persons covered under the levy of the said tax before and after the change along with the number of Harijans amongst them ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa:—

(a) The State Government have recently revised the Model Profession Tax Schedule which would be adopted by the District Boards with effect from 1st April, 1955. No increase in the income of District Boards from the revised schedule is anticipated as with the increase in the rate of tax, the minimum taxable limit has been raised from Rs 300 to Rs 400 per annum.

(b) As the revised Schedule will come into force with effect from 1st April 1955, it is not possible to supply the required information at this stage.

LEVY OF PROFESSIONAL TAX

***3859. Sardar Darshan Singh**: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the Government exempted any class of persons or professions from the levy of Professional Tax; if so, which and the reasons therefor?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: The following professions or classes of persons have been exempted by Government from the Profession Tax levied by District Boards in the State for the reasons mentioned against each:—

(i) *Agriculturists.* All persons mainly dependant on agriculture for livelihood stand exempted from Profession Tax as they are already liable to local rate levied by the District Boards in the State.

(ii) *Co-operative Societies.* In order to encourage the co-operative movement in the State, this tax is not levied on Registered Co-operative Societies for the last several years.

(iii) *Weavers.* So far as their income from cloth woven out of hand-spun yarn is concerned, this has been done to encourage the Khadi and handloom industry.

(iv) *Widows.* Widows, irrespective of their income are at present exempt from the levy of Profession Tax, but as this exemption has not been considered justifiable, it has been deleted from the revised Model Profession Tax Schedule which will be adopted by all the District Boards from 1st April, 1955.

(v) All persons with an annual income below Rs 400.

CONVERSION OF PANIPAT-ASANDH ROAD INTO PUCCA ROAD

***4141. Shri Kasturi Lal Goel**: Will the Minister of Public Works be pleased to state—

(a) the date by which Government proposes to start work for converting the Panipat-Asandh Road into a pucca one;

(b) whether Government also proposes to convert Karnal-Asandh Road into a pucca one; if so, when; if not, the reasons therefor?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: (a) The work on the Panipat-Assandh Road has been started.

(b) Yes, work will be started as soon as financial sanction of the Government of India is received.

CONSTRUCTION OF SECRETARIAT BUILDING AT CHANDIGARH CAPITAL

***2513. Sardar Gurbachan Singh Atwal**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the Government has received any tenders for the construction of the Secretariat Building at Chandigarh Capital; if so, the detail thereof;

(b) the true copies of the tenders submitted by M/s. Hindustan Construction Company and the Simplex Co., Ltd., be laid on the Table ;

(c) the reasons for which this job was not given to the lowest tenderer?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: (a) Yes, in all seven tenders were received. The details of each are mentioned below:—

(i) Messrs Hindustan Construction Co., Ltd., at the rate of 11 per cent above, with time limit of 24 months, with some conditions.

(ii) Messrs Brittania Building and Iron Co., Ltd., at the rate of 22½ per cent above, time limit 27 months.

(iii) Hind Construction, Ltd., at the rate of 27·5 per cent above with no time limit.

(iv) Messrs Uttam Singh Duggal and Co., Ltd., at the rate of 32/11/0 per cent above, with time limit of 24 months.

(v) Northern Construction Co. at the rate of Rs 32/8/- above, time limit 36 months.

(vi) Messrs Tirath Ram Ahuja, Ltd., at the rate of 18 per cent above, with time limit of 36 months, with alternative quotations and conditions.

(vii) Simplex Concrete Piles on item rate basis, with time limit of 24 months with alternative quotations and conditions.

(b) It is not in public interest to place copies of tenders on the Table of the House.

(c) The contract was placed with the lowest tenderer.

POWERS OF THE CHIEF ENGINEER, CAPITAL PROJECT, FOR ACCEPTING TENDERS

***2514. Sardar Gurbachan Singh Atwal**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the powers that have been given by the Government to the Chief Engineer, Capital Project, for accepting tenders ;

(b) whether any Board or Committee has been formed for the settlement of contracts of large amounts as is done by the Railway and C.P.W.D. ;

(c) whether the building of the Engineering College, Chandigarh, has been constructed according to the Architect's design; if not, the details of the changes made therein;

(d) the estimated cost of the Engineering College together with its actual cost;

(e) whether there are any claims of the Executing Agencies of the Engineering College and its hostel in executing the same for the purpose of holding Assembly Session; if so, the total amount of the said claims?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: (a) The Chief Engineer, Capital exercises the powers of the Chief Engineer (B and R) i.e. full powers.

(b) No.

(c) Yes, except for temporary changes for holding Assembly sessions viz—

(i) Closing of outside verandah of Assembly Hall into lobbies;

(ii) Partition wall in the basement of Auditorium for offices.

(d) The estimated cost is Rs 40 lakhs. The actual cost cannot be given as the accounts of the work are yet to be closed.

(e) The cost of temporary changes made for holding the Assembly Session is Rs 6,400.

CHANGING THE NAME OF THE CLOTH MILLS BY THE MILL-OWNERS

***4192. Sardar Bachan Singh**: Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the number of cloth mills that changed their names and restarted their work under new names during 1953-54;

(b) whether the Government is aware of the fact that by the change of names referred to above the mill-owners concerned have deprived the workers of their facilities;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative the action taken or proposed to be taken by the Government in this regard?

Chaudhri Sunda· Singh: Information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

WORKERS OF SHRI GOPAL PAPER MILLS, JUMNA NAGAR

***4193. Sardar Bachan Singh**: Will the Minister for Labour be pleased to state whether it has come to his notice that the workers of the Shri Gopal Paper Mills, Jumna Nagar, took out a procession against the 15 per cent cut imposed on their wages in the 1st week of August, 1954; if so, the action Government propose to take in the matter?

Chaudhri Sundar Singh: Information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh): Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Rules made under t!.c Motor Vehicles Act, 1939, as required by Section 133(3) of the said Act.

Minister for Irrigation: Sir, I beg to lay on the Table of the House—

> The amendment made in the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Rules, 1954, as required by subsection (3) of Section 22 of the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1953.

Shri Mool Chand Jain: On a point or order, Sir. We have not been supplied with the documents laid on the Table of the House.

Mr. Speaker: These will be made available to the members now that their copies have been placed on the Table.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Shri Rizaq Ram (Rai): Sir, I beg to present the Third Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation Accounts of the Punjab Government, for the year 1950-51 and Audit Report, 1952.

SITTING OF THE ASSEMBLY

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh): Sir, I beg to move—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2.00 p.m. on Thursday the 11th November, 1954.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2.00 p.m. on Thursday, the 11th November, 1954.

Mr. Speaker: Question is—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2.00 p.m. on Thursday, the 11th November, 1954.

The motion was carried.

TRANSACTION OF GOVERNMENT BUSINESS ON THURSDAY, THE 11TH NOVEMBER, 1954.

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh): Sir, I beg to move—

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 11th November, 1954.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 11th November, 1954.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲ ਇਕ non-official day ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ session ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਏ । ਕਲ ਦਾ non-official day ਜਿਹੜਾ opposition ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ Chief Minister

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਨਕ ਭਉਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ resolution ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ session ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ elections ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ opposition ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਇਹ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ । ਮੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ session ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ elections ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਗਲ ਹੈ ? ਇਹੋ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਿਨ session ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਏ ਤੇ opposition ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਹੋਰ non-official day ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ । ਜੇ session ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ emergency ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ non-official day ਲੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੇਜਾਰੇਟੀ (majority) ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਵਾਜਿਬ ਗਲ ਏ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ elections ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ।

पंडित श्री राम शर्मा : (सोनीपत) स्पीकर साहिब ! मैं कहना चाहता हूं कि जब इस इजलास का agenda मेरे पास पहुंचा तो मेरे ताअज्जुब और खुशी की कोई इन्तहा न रही। मैंने समझा कि हमारी गवर्नमेंट और वज़ारत का रंग बदला हुआ है। इस agenda में Rules of Procedure के मुताबिक 8 नवम्बर और 11 नवम्बर दोनों दिन non-official काम के लिये रखे हुए थे । मगर आज बहुत ही हैरानी हुई। दुनिया में जहां जहां भी democracy कायम है और खास तौर पर हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में कोई मिसाल नहीं मिलती जहां non-official days को जो गैर-सरकारी काम के लिये रखे जाते हैं इतनी बड़ी तादाद में सरकारी काम के लिये इस्तेमाल किया जाता हो। Rules of Procedure में साफ़ तौर पर लिखा है कि हर हफते में एक दिन यानी वीरवार गैर सरकारी काम के लिये इस्तेमाल होगा। अगर यह होता कि 20 या 40 दिनों के बाद जब कोई वजीर साहिब उठ कर यह कह देंगे कि फलां हफते का वीरवार गैर सरकारी काम के लिये बरता जायेगा तो और बात होती। लेकिन मालूम ऐसे होता है कि काम इसी spirit से किया जा रहा है। Rules of Procedure में साफ लिखा है कि हर वीरवार non-official day होगा। लेकिन कौन सा Session है और कौन सा हफता है जब वज़ीर साहिबान उठ कर यह नहीं कह देते कि non-official day को सरकारी काम के लिये इस्तेमाल किया जायेगा। जाहिर है कि जब एक बड़ी majority का वज़ीर उठ कर motion move कर देता है तो वह पास तो हो ही जाएगी। लेकिन मैं कह दूं कि यह काम सिर्फ वोटों से नहीं होते। conventions, decency और constitutional etiquette भी कोई चीजें हैं। British Parliament में जहां पौने पांच सौ मैम्बर हैं। Conservative जब Labour के मुकाबले बहुत majority में थे तो वे अपनी majorty के बल बोते पर non-official कार्यवाही को पाओं के नीचे कुचल न देते थे। एक तरफ राये ज्यादा हो और दूसरी तरफ कम तो यह आसानी से किया जा सकता है। लेकिन यह काम conventions पर चलते हैं। यह बहुत अफसोस

से कहना पड़ता है कि हर Session बल्कि हर हफ्ते में Chief Minister साहिब या कोई और Minister साहिब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि non-official day को official काम के लिये बरता जाये । हम जानते हैं और देखते आये हैं कि motion के लाने का गवर्नमैन्ट का यही तरज़े अमल रहेगा । फिर भी चीफ़ मिनिस्टर साहिब हमारे साथ मज़ाक करने के लिये पहले एजंडे में non-official day छपवा देते हैं । मुझे इस दफा एजंडा देख कर ताज्जुब हुआ कि 4 और 11 नवम्बर दोनों non-official days होंगे और ख्याल कर रहा था कि पता नहीं कैसे गवर्नमेंट अपनी Convention को तोड़ रही है । लेकिन आज वह बिल्ला थैले में से निकल आया और उन्होंने खड़े हो कर कह दिया कि 11 तारीख़ के रोज़ Official business transact किया जाये । मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सूबे में serious crisis आने वाला है या कौन सी आफत आ रही है जिस के पेशे नज़र वह सैशन की मियाद बढ़ा नहीं सकते ? अब हमें पांच छुट्टियां दी गई हैं जो अदालतों और स्कूलों में भी नहीं होतीं । दरअसल इस की तह में यह बात है कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब को कुछ मैम्बरों को खुश करना मकसूद होता है तो वह उन्हें कह देते हैं कि कुछ मैम्बर साहिबान के दस्त खत करवा कर एक दरखास्त ले आओ तो वह सैशन को कुछ दिन के लिये मुलतवी कर देते हैं । अब सोमवार और मंगलवार को गुरद्वारों की अलैकशनें होनी हैं लेकिन मैं कहूंगा कि गुरद्वारा की अलैकशनों का इस हाऊस से क्या ताल्लुक है । वज़ीरों का इस तरह से गैर हाज़िर होना किसी Legislature के शान के शायां नहीं है । अगर 11 तारीख को non-official business transact किया जाये तो कौन सा तूफान इस प्रान्त में आ जाने का अंदेशा हो जाता है ? इस के अलावा उस रोज़ official business रख कर हमें यह हुक्म दिया जायेगा कि आधी रात तक बैठ कर यह सब बिल पास करके जाओ । मैं समझता हूं कि ऐसी कार्रवाईयों के करने से Demccracy को एक farce बनाया जा रहा है और House की dignity को ज़रब पहुंचाई जा रही है । इस तरह से हम अपने आप को दूसरे मुल्कों की नज़रों में laughing stock बना रहे हैं । यह असैम्बली नहीं मैम्बरों का मकतब बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी majority के बल बोते पर Democracy की spirit को kill कर रही है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कल non-official day था और मैम्बरों को उस resolution पर बोलने का मौका मिला । उस के बाद Chief Minister साहिब खड़े हुए—उन की आंखें, भवें और चेहरा सब बदला हुआ था और उन्होंने कह दिया कि यह तो वक्त ज़ाया कर दिया ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कल के remarks जो चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहे थे याद आ गये हैं जब कि उन्होंने कहा कि हाऊस का वक्त ज़ाया हो गया है । मैं माननीय मैम्बरों को बताना चाहता हूं कि कोई माननीय मैम्बर दूसरे को यह नहीं कह सकता कि उस ने हाऊस का वक्त ज़ाया किया है ।

[अध्यक्ष महोदय]
[I am now reminded of yesterday's remarks made by the hon. Chief Minister when he said that the time of the House had been wasted. I may tell the hon. Members that no member of this House can say to another hon. Member that he has been responsible for wasting the time of the House. (*Cheers from the Opposition Benches*).

पंडित श्री राम शर्मा : मैं आप की इस ruling का मशकूर हूं । मैं ने कभी किसी मैम्बर के मुतअल्लिक या किसी पार्टी के मुतअल्लिक यह कभी नहीं कहा कि उस ने हाऊस का वक्त जाया किया है । जनाब वाला में गुज़ारिश कर रहा था कि पिछला non-official day मुकर्रर कर के चीफ़ मिनिस्टर साहिब को पेचोताब खाना पड़ा और उस दिन हमारा बोलना उन्हें बहुत नागवार गुज़रा । दर असल वह चाहते हैं कि जो बिल सरकार की तरफ से इस हाऊस में पेश किये जायें चाहे वह गलत हों या ठीक हम उन्हें पास करने की स्वीकृति अपने हाथ उठा कर दे दें । फिर वह कहेंगे कि वक्त का इस्तेमाल बेहतर हुआ है । मैं नहीं समझ सका कि अगर सूबे के मुफाद की बात हाऊस के सामने लाई जाये और उस पर बहस की जाये तो हाऊस का वक्त कैसे ज़ाया हो जाता है । मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के दिमाग़ में यह चीज़ कार फरमा है कि गैर-सरकारी काम के लिये एक दिन मखसूस कर के वह दिन ज़ाया हो गया तो दूसरा दिन क्यों ज़ाया होने दिया जाये । आज इस तहरीक की मुखालिफत करने की एक भारी वजह और भी है कि जिस के कारण गवर्नमेंट ने 11 तारीख का non-official day सरकारी काम के लिये मुकर्रर कर दिया है । वह यह कि हाऊस के Rules of Procedure and Conduct of Business को नये सिरे से तैयार करने का रैज़ोल्यूशन जिस पर कल अच्छी तरह से ग़ौर न हो सका दोबारा पेश न हो जाये । बेहतर तो यह था कि गवर्नमेंट इस रैज़ोल्यूशन को खुशामदेद कहती लेकिन वह नहीं चाहती कि हाऊस को यह रैज़ोल्यूशन discuss करने का मौका मिले । मुझे Unionist वज़ारत के दिन याद हैं जब हाऊस में सवाल पूछने, adjournment motion के नोटिस देने और resolutions पर तकरीरें करने में हमें आज से दस गुणा ज़्यादा इख्तियारात हासिल थे । Pro-British Ministry में हमें ज़्यादा privileges हासिल थे लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब जब कि हमारी अपनी हकूमत है तो हमें हाऊस में न सवाल पूछने, न adjournment motions के नोटिस देने, न privileges motion, न तकरीर करने के इख्तियारात हासिल हैं । स्पीकर साहिब ! इस में आप का कोई कसूर नहीं जैसे आप हालात देखते हैं वैसे अमल करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शुक्र है कि आप ने मुझे मुस्तसना करार दिया है । (Thank God you have exonerated me at least.)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर कभी ग़लती नहीं करते लेकिन गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है कि स्पीकर को परेशान होना पड़ता है । स्पीकर साहिब ! मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को एक non-official day ज़रूर देना चाहिये ताकि rules of business को नये सिरे से बनाने के resolution पर विचार किया जा सके । इस के बाद अगला बृहस्पतिवार आने का कोई इमकान नहीं । फिर बजट सैशन तक और मौका मिल जायेगा ।।

इस लिये मैं अपील करता हूं कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब को चाहिये कि वह इस तहरीक को वापिस ले लें और 11 नवम्बर को rules बनाने के resolution को discuss करने का मौका दें। जितनी limitations के अन्दर पंजाब की असैम्बली rules वग़ैरा की वजह से work कर रही है उस की मिसाल हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : मालूम होता है कि आप का तकरीर खत्म करने के लिये दिल नहीं चाहता। कल वाली बात खत्म हो गई। अब आप इस motion को oppose कर रहे हैं इसलिये अपनी बहस इसी motion पर महदूद रखें और repetition न करें।

(It appears as if the hon. Member has no desire to finish his speech. Since that particular affair of yesterday has ended, he should confine himself to the motion under discussion, which he is opposing. He should also avoid repetition.)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब ! मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट को यह तहरीक वापस ले लेनी चाहिये क्योंकि इस को वापस न लेने से वह ज़रूरी resolution जिस की तरफ मैंने इशारा किया है रह जायेगा। आखिर में मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जो ख्यालात पंडित श्री राम शर्मा ने ज़ाहिर किये हैं उन से मैं थोड़ा बहुत इत्तफाक करता हूं। Opposition ने भी असैम्बली का सैशन होने से पहले मुझ से इस बारे में ज़िक्र किया था और मैं ने उन्हें यकीन दिलाया था कि कोशिश की जायेगी कि non-official day fix किया जाये। (*At this stage Shri Prabodh Chandra rose to speak. Cries of order order, from the Opposition Benches*) अगर चीफ़ मिनिस्टर चाहें तो यह दिन लेकर कोई और दिन non-official business के लिये मुकर्रर कर देंगे। हम अभी उस resolution के merits में नहीं गये जो Rules बनाने से सम्बन्ध रखता है। इस लिये किसी को इस के मुतअल्लिक एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं ने इस के बारे में Leader of the House से बात की थी। उन्हें ऐसे rules बनाये जाने में कोई एतराज़ नहीं है। असैम्बली के rules तैयार करने के लिये एक कमेटी बना दी गई है और Opposition की तरफ से एक लीडर ओफ Opposition को और दूसरे सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत को उस कमेटी में लिया गया है। वह इस में अपनी तजवीज़ें रखेंगे और उन पर गौर करने के बाद कमेटी rules बनायेगी। Leader of the House ने मुझे यकीन दिलाया है कि अगर वह rules जल्दी तैयार हो जायें तो उन्हें adopt भी कर लिया जायेगा।

(I am somewhat in agreement with the views expressed by Pandit Shri Ram Sharma. Before the Commencement of the Assembly Session certan-Members of the opposition had a talk with me on this subject and I assured them that an effort would be made to have a non-official day fixed.)

(*At this stage Shri Prabodh Chandra rose to Speak—Cries of Order, Order from the Opposition Benches*).

If the Chief Minister wishes he can fix some other day as a non-official day in place of this particular day taken by him. So far as that resolution relating to Rules etc. is concerned, we have not gone into its merits. I had a talk with the Leader of the House in this connection and he had no objection to such rules

[अध्यक्ष महोदय]
being framed. But as you are aware a Rules Committee has been appointed to go into the matter and two members from the opposition namely, the Leader of the Opposition and Sardar Harkishan Singh Surjit have been taken to serve on it. They would put forward their proposals and the Rules Committee would give its careful thought to them, while framing the rules.

[However, the Leader of the House has assured me that if the rules are framed at an early date, these will be adopted also without any delay.]

श्री बाबू दयाल : मेरे resolution के मुतग्रल्लिक ग्राप का क्या हुक्म है ?

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप इस resolution को खाह मखाह क्यों बहस में ले ग्राये हैं ?

(Why have you unnecessarily brought that resolution into the discussion on this motion.)

श्री बाबू दयाल : On a point of information, Sir. मैंने तो वह resolution पेश कर दिया था। ग्राप के bulletin में भी यह लिखा हुग्रा है।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रापने इसे सिर्फ पढ़ा था। (You had only read it.)

चीफ़ पार्लीमैंण्टरी सैक्रेटरी (श्री प्रबोध चंद्र) : स्पीकर साहिब, इस motion के बारे में जो बातें मेरे दोस्त ने कही हैं, उन्हें सच्चाई ग्रौर ग्रसलियत के साथ दूर का भी वास्ता नहीं। यह छुट्टियां क्यों की गई हैं........

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, क्या इस वक्त छुट्टियों का मामला under discussion है ?

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप ग्रगर कोई गैरमुतग्रल्लिका बात कहें, तो वह explanation दे सकते हैं।

(If the hon. Member says anything irrelevant then he too can give an explanation.)

चीफ़ पार्लीमैंण्टरी सैक्रेटरी : मैं यह ग्रर्ज करने लगा था कि ग्रगर सोमवार को भी sitting रखी जाती, तो Opposition की तरफ से कहा जाता कि यह सिर्फ T. A. बनाने के लिये किया जा रहा है क्योंकि उस के बाद दो छुट्टियां हैं। सोमवार के बाद ग्राने वाली दो छुट्टियों के पेशे नज़र यही मुनासिब समझा गया कि ग्राज के बाद वीरवार को sitting रखी जाए ताकि State Exchequer उस 15 हजार रुपये के बोझ से बच जाए जो उसे सोमवार को sitting करने की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह सोमवार की छुट्टी Opposition के मेंबर साहिबान की रज़ामन्दी से की गई है। दूसरी बात जो मैं वाज़िह कर देना चाहता हूं यह है कि सरकार की किसी non-official day को utilize करने की बिल्कुल कोई नियत नहीं है। गवर्नमैण्ट के पास दो दिन का काम है। हम इस इलजाम से बचना चाहते थे कि एक दिन के काम के लिए सैशन को ग्रगले सोमवार यानी 15 नवम्बर तक ले जाया जाए ग्रौर ग्रगले हफ्ते शनिवार ग्रौर एतवार को छुट्टी की जाए। काम को ग्रगले शनिवार से पहले ही खत्म करने के लिये ग्रौर पैसा बचाने के लिये वीरवार को official काम के लिए ले लेने की motion पेश की गई है।

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁਟੀ ਨ ਕਰੋ !

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : अगर हाऊस ने मान लिया तो अगला शनिवार non-official काम के लिये रखा जायेगा । इस बात का फैसला हाऊस की मरज़ी से होगा । अगर पिछली discussions के रिकार्ड (record) को देखा जाए तो पता चलेगा कि Opposition वालों को उन की numerical strength से ज्यादा वक्त दिया जाता रहा है ।

श्री श्री चन्द : जनाब, यह कौन हैं हमें वक्त देने वाले ?

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : चौधरी साहिब के बारे में मैंने कहा था कि यह पुराने ज़माने की यादगार हैं । We have been very lenient to these people.

श्री श्री चन्द : यादगार तो आप है, छोकरों वाली बातें करने वाले । हम जानते हैं आप क्या करते रहे हैं । सारा हाऊस जानता है ।

(Cheers from the Opposition benches)

चीफ़ पार्लीमेंण्टरी सैक्रेटरी : छोकरा ही बूढ़े का बाप होता है । आप भी कभी छोकरे थे । आप की उम्र का लिहाज़ किया जाता है । Sir, he is talking something indecent and irrelevant. I think it is nonsense.

श्री श्री चन्द : मैंने कोई indecent बात नहीं कही । उन्होंने कहा मैं यादगार हूं, मैंने कहा था आप यादगार हैं, सब जानते हैं जैसे आप हैं, *(Laughter)*
Chief Parliamentary Secretary. I would like to know, Sir.....

श्री श्री चन्द : अगर आप नाराज़ हो गए हैं तो मैं अपने लफज़ वापस लेता हूं ।

चीफ़ पार्लीमेण्टरी सैक्रेटरी : गवर्नमेंट की Opposition को उस के हक से महरूम करने की कोई नियत नहीं है । अगर हाऊस की मरज़ी होगी तो शनिवार को non-official day रख दिया जाएगा । हम हाऊस की मरजी के खिलाफ नहीं जायेंगे ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ motion ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਦਸਤ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਫੇਰ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।

मौलवी अब्दुल गनी दार : (नूह) : जिस तरह जनाब ने फरमाया है, अगर इस दिन की बजाए non-official काम के लिये कोई और दिन दे दिया जाए, तो हमें इस motion पर कोई एतराज़ न होगा । हमें वीरवार की बजाए शुक्रवार या शनिवार दे दिया जाये तो हम आप के बहुत शुक्रगुज़ार होंगे ।

Mr. Speaker : It depends upon the wishes of the House.

Mr. Speaker: Question is—

That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 11th November, 1954.

The Assembly then divided:—

Ayes	..	45
Noes	..	15

The motion was declared carried.

AYES 45

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan.
2. Abhai Singh, Shri.
3. Baloo Ram, Shri.
4. Balwant Rai Tayal, Shri.
5. Bishana Ram, Shri.
6. Chand Ram Ahlawat, Shri
7. Chandi Ram Verma, Shri.
8. Chuni Lal, Shri.
9. Darbara Singh, Sardar.
10. Daulat Ram, Shri.
11. Daulat Ram, Sharma, Shri.
12. Dev Raj Anand, Shri.
13. Dharam Vir Vasisht, Shri.
14. Gajraj Singh, Rao.
15. Gopi Chand, Shri.
16. Gurdatt Singh, Shri.
17. Hari Singh, Sardar.
18. Jagat Narain, Shri.
19. Jagdish Chander, Shri.
20. Jagdish Chandra, Dewan.
21. Khushi Ram Gupta, Shri.
22. Lahri Singh, Chaudhri.
23. Mam Raj, Shri.
24. Mehar Singh, Shri.
25. Mohd Yasin Khan, Chaudhri
26. Nand Lal, Shri.
27. Nanhu Ram, Shri.
28. Parkash Kaur, Shrimati.
29. Partap Singh Rai, Sardar.
30. Phaggu Ram, Shri.
31. Prabodh Chandra, Shri.
32. Raghuvir Singh, Rai.
33. Rala Ram, Shri.
34. Ram Dayal Vaid, Shri.
35. Ram Kishen, Shri.
36. Ram Kumar Bidhat, Shri.
37. Ram Sarup, Shri.
38. Rattan Amol Singh, Captain.
39. Rizaq Ram, Shri.
40. Samar Singh, Shri.
41. Sarup Singh, Shri.

42. Sher Singh, Professor.
43. Sita Devi, Shrimati.
44. Sundar Singh, Chaudhri.
45. Uttam Singh, Sardar.

NOES 15.

1. Abdul Ghani Dar, Maulvi.
2. Achhar Singh Chhina, Sardar.
3. Babu Dayal, Shri.
4. Bachan Singh, Sardar.
5. Balu, Shri.
6. Chanan Singh Dhut, Sardar.
7. Darshan Singh, Sardar.
8. Mani Ram, Shri.
9. Maru Singh Malik, Shri.
10. Mota Singh Anandpuri, Professor.
11. Partap Singh, Master.
12. Sarup Singh, Sardar.
13. Shri Ram Sharma, Pandit.
14. Sri Chand, Shri.
15. Wadhawa Ram, Shri.

TIME TABLE FOR THE 11TH AND 12TH NOVEMBER, 1954.

Mr. Speaker: I have decided in consultation with the Leader of the House and the Opposition Party that the following time table be observed for transacting business of the Assembly on the 11th and 12th November, 1954. As the Leader of the Opposition Sardar Gopal Singh Khalsa, is not here, I have consulted his coleague, Principal Iqbal Singh.

11th November, 1954.

1. Appropriation Bill for Supplementary Estimates. 2.00 p.m. to 3.30 p.m.
2. Discussion and voting of Excess Demands. 3.30 p.m. to 4.30 p.m.
3. Legislative business 4.30 p.m. to 6.30 p.m.

12th November, 1954.

1. Appropriation Bill for Excess Demands. 2.00 p.m. to 3.00 p.m.
2. Legislative business. 3 p.m. onwards.

I hope the hon. Members approve of it.

Hon. Members: Yes, please.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS.

Mr. Speaker : If any honourable Member wishes to speak on the Estimate of the Expenditure charged on the revenue of the State, he may do so. (No Member rose to speak).

Mr. Speaker: Now the House will proceed with the voting of Demand for Supplementary grants.

DEMAND No. 1
STATE EXCISE DUTIES

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 3,62,850 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 8-State Excise Duties.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 3,62,850 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 8—State Excise Duties.

Sardar Sarup Singh (Amritsar City, East): Sir, I beg to move—

That the demand be reduced by Rs 100.

अध्यक्ष महोदय : इस से पहले कि आप बहस शुरु करें, मैं आप को बता देना चाहता हूं कि अगर्चि मैंने आप को बोलने की इजाज़त दे दी है, फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी तकरीर इस cut-motion के subject matter तक ही महदूद रखेंगे। इस demand पर budget की general discussion के वक्त काफी कुछ कहा जा चुका है। इस के इलावा यह फैसला भी किया जा चुका है कि Supplementary Estimates पर बोलते वक्त general discussion नहीं की जायेगी। जहां तक इस खास demand का ताल्लुक है, इस पर आप ने cut-motion दी है। मैंने इसी शर्त पर इसे admit किया है कि आप इस तक ही अपनी तकरीर महदूद रखेंगे। इस लिये तमाम दुनिया की बातें इस में न लाई जाएं तो बहुत अच्छा होगा ।

(Before you proceed with the discussion, I may tell you that although I have permitted you to speak, yet I expect you to confine your speech to the subject matter of this particular cut-motion. Much had been said in respect of this demand at the time of general discussion on the Budget. Besides, it had been decided not to allow general discussion while discussing the Supplementary Estimates. So far as this particular Demand, on which you have given notice of a cut motion, is covered, I have admitted it but expect you to strictly confine yourself to the motion. It would be better if you avoid bringing in extraneous and irrelevant matter in the discussion)

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਇਹ ruling ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰਖੋ ਮੈਂ irrelevancy ਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖਾਂਗਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ cut-motion ਦਵਾਰਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਉਤੇ red tapism ਅਤੇ corruption ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਤਿਕਨ ਮੇਰਾ red tapism ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀ ਪਰੋੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ "mixing of Depots" ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ working ਇਤਨੀ defective ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਇਤਨੀ delay ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 9,05,450 ਰੁਪੈ surrender ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਇਕ ਮਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ red tapism ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ corruption ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ corruption ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਉ ਹੈ । ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ amendment ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the demand be reduced by Rs. 100

ਲੇਬਰ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ corruption ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਨ 1952 ਵਿਚ ਅਸੀਂ Sales Tax Act ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ Amendment ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ entry and inspection ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਲਿੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ allurement ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇਂ ਹੋ ਸਕੇ corruption ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ । ਅਜ ਕਲ ਹੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ check-posts ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ । ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਹੋ ਸਕੇ evasion ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ evasion ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਨੇ ਮਿਲ ਕੇ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ—ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ । ਦਰਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਾਡਾ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ evasion ਹੀ ਨ ਹੋਣ ਦਈਏ । ਜਦ evasion ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ High Powered Committee ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ ਉਸਨੂੰ refer ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

Sardar Sarup Singh : On a point of order, Sir. Is the hon Ministe relevant ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਦੇ subject matter ਤੇ ਬੋਲਨ ।

(I would ask the hon. Minister to confine his speech to the subject matter on this particular Demand only).

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕੀ ਏ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਡੀਮਾਂਡ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ।

[ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ]

(Even then he should confine himself to this Demand)

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ।

Mr. Speaker : No such remarks please.

ਲੇਬਰ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਿਕਣ ਇਸ ਡੀਪਾਰਟਮੇਂਟ ਵਿਚ corruption ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ....

ਲੇਬਰ ਮੰਤ੍ਰੀ : Corruption ਨੂੰ ।

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 3,62,850 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 8—State Excise Duties.

The motion was carried.

DEMAND No. 2.

OTHER TAXES AND DUTIES

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 2,770 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 13—Other Taxes and Duties.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 2,770 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 13—Other Taxes and Duties.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 2,770 be granted to the Govenror to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 13—Other Taxes and Duties.

The motion was carried.

DEMAND NO. 3.

OTHER REVENUE EXPENDITURE FINANCED FROM ORDINARY REVENUES

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh):,Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 17,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 17,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues.

Shri Ram Kishan (Jullundur North-West): Sir, I beg to move—

That the demand be reduced by Re 1.

स्पीकर साहिब, जो demand इस वक्त हमारे सामने है इस के ज़रिये 17 लाख रुपया की रकम रावी नदी पर बांध बनाने के लिये मन्ज़ूर करने को कहा गया है। इसी काम के लिये पिछले साल भी 2,98,000 की रकम रखी गई थी। लेकिन मुझे इस बात का अफ़सोस है कि यह सवाल इतना अहम है जिस का ताल्लुक केवल पंजाब के साथ ही नहीं है बल्कि यह सारे भारत के साथ ताल्लुक रखता है। पिछले साल जब इस के लिये रकम हमने मन्ज़ूर की थी तो यह कहा गया था कि सारे का सारा बांध इस से बन कर तैयार हो जाएगा। लेकिन पिछले साल बड़े जबर्दस्त flood आए थे और इस साल भी बड़े ज़बरदस्त flood आए हैं जिन के नतीजे के तौर पर बीस गांव पाकिस्तान में जा मिले हैं और तीन सौ और गांवों को खतरा पैदा हो गया है और हमारी सरकार आहिस्ता २ काम कर रही है। स्पीकर साहिब, मैं आप की विसातत से पंजाब सरकार को बताना चाहता हूं कि जब सारे देश भर में बड़े भीषण flood आए थे तो हमारी भारत सरकार के कहने पर कुछ दूसरे सूबों की सरकारों ने Flood Control Board बना लिये थे लेकिन हमारी पंजाब सरकार इस मामले में बिल्कुल ग़ाफ़ल रही है। भारत सरकार ने भी एक High Powered Flood Control Board बनाया है और वह पूरी तरह केस बना कर इन floods के against लड़ना चाहता है। हमारी पंजाब सरकार को भी ऐसा बोर्ड बना कर इन का मुकाबला करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि एक साल गुज़र चुका है हमारी गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में बहुत कम काम किया है। मैं इस सिलसिले में गवर्नमेंट से दरखास्त करना चाहता हूं कि चार पांच मास हुए हैं हमारी भारत सरकार ने एक High Powered Commission चीन को भेजा था। जिस में Chief Engineer खोसला भी थे। उस कमिशन ने आकर बताया है कि चीन ने machinery का काम आदमियों से ले कर बहुत जल्दी floods को रोकने का काम कर लिया है। तो मेरी दरखास्त यह है कि इस सिलसिले में पंजाब सरकार को भी इस चीज़ पर अमल करना चाहिए। यह गाफ़ल रहने की चीज़ नहीं है क्योंकि इस से तहसील समराला और दूसरे इलाके के लोगों की property का ताल्लुक है, उन की life का ताल्लुक है और उन की फसलों और cattle का ताल्लुक है। हमारी सरकार को इस सिलसिले में red tapism से नहीं चलना चाहिए बल्कि उस सारे के सारे इलाके के लोगों को call upon करना चाहिए और उन्हें इस काम में लगाना चाहिए जैसा कि चीन में हो रहा है। उस तमाम इलाके के लोगों को थोड़ी थोड़ी wages देकर इस बांध के बनाने के लिए लगा देना चाहिए तभी यह बहुत जल्दी बन सकेगा। उस High Powered Commission ने जो चीन से होकर आया है बताया है कि वहां 12 लाख आदमियों

[श्री राम किशन]

ने मिल कर 80 दिन में एक सौ मील लम्बी नहर खोद डाली है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश में भी इस सिलसिले में इसी तरीके को अपनाया नहीं जाएगा तब तक हर साल गांव के गांव तबाह होते रहेंगे। कई गांव पाकिस्तान में चले गए हैं। हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने पंजाब (पाकिस्तान) सरकार से कई बार कहा था कि आओ हमारे Engineers से मिल कर आप के engineers इन floods को रोकने के लिये सोचें और floods को रोकने का इन्तज़ाम करें क्योंकि यह दोनों तरफ़ हर साल नुक्सान पहुंचाते हैं। पर उस का जवाब पाकिस्तान की तरफ से यह मिला कि उन्होंने River Ravi पर एक ऐसी रोक बना ली जिस की वजह से हमारे पंजाब के एक एक करके कई गांव पाकिस्तान के इलाके में चले जाने लगे हैं। उस टक्कर के सिलसिले में हमें भी कोई aggressive कदम नहीं उठाने चाहिए। लेकिन मैं दरखास्त करता हूं के हमारी सरकार को भी चीन की तरह labour को organise करना चाहिए ताकि इस 17 लाख रुपया की रकम से, 31 मार्च 1955 से पहले पहले बांध तैयार हो जाये ताकि समराला और गुरदासपुर जिला के अन्दर धर्मपुर और बुलड़वाल को, जहां जब भी floods आते हैं नुक्सान पहुंचते हैं, बचा लिया जावे। वहां पिछले साल भी floods आये थे। और इस बार भी आये हैं। स्पीकर साहिब मैं आप की विसात से cabinet की तवज्जुह इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि वह इस मसले को war level पर tackle करें और ऐसा इन्तज़ाम करे ताकि एक एक गांव बल्कि एक एक चप्पा ज़मीन जो पाकिस्तान के इलाके में चली गयी हुई है वह सारे की सारी वापस भारत में मिल जाए। मैं आशा करता हूं कि पंजाब सरकार इस सवाल पर जल्दी ध्यान दे कर इसे हल कर लेगी।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the demand be reduced by Re 1.

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਥੇਂ ਕਿ ਇਹ ਧੁੱਸੀ ਟੁਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲੜਵਾਲ ਅਤੇ ਘੋਨੇਵਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, less-protected ਹੀ ਛਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜਾਂ ਕਾਰਣ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੇਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਨਾਜ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਾਂ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗੀਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਨਵਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧੁੱਸੀ ਨੇ ਬੜਾ ਫੇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ demand ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਲੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬੀ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ flood ਆਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬੁਲਫ਼ਵਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ villages ਦੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਨਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 17 ਲਖ ਦੀ demand ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੁਪੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Government of India ਨੂੰ ਵੀ approach ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਵੇ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਰਾਮਦਾਸ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਚਾਰੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਲ ਭੀ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਜਦ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੇ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਗਏ ਹਨ । ਉਪਰੋਂ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਭੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਬੇਘਰ ਤੇ ਬੇਦਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਭੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ Central Government ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ floods ਵਲ ਉਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣਗੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ । ਖੈਰ, ਉਹ ਗਲ ਹੀ ਅੱਡ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਭੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਣ । ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਓਹ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚਘਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਜਦ ਬੰਧ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ level ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ rise ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਡੁਬ ਜਾਣਗੇ । 6 ਫੁਟ ਉਚਾ ਬੰਧ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਬਾਰੇ unexpected rains ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਢ ਸਕੇ ।

[ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੰਧ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਢੱਲਰਵਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਡੇਢ ਮੀਲ ਜਗ੍ਹਾ ਛਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛਡਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਧ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ area ਵਿਚ ੩੦, ੪੦ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਹਾਰੇ ਛਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? flood ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਝੀਲ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਝੀਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਗੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਗੇ? ਆਪ ਅੱਗੇ request ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ੮ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ suffer ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ area ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ report ਜਲਦੀ submit ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ report ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ report ਵੀ ਘਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੀ report ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦ ਕਿਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, Flood Control Board ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿਸਾ ਹੈ ' ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ........(ਘੰਟੀ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ time ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਲੋ ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌਣੇ ਇਕ ਵਜੇ ਗਿਲੋਟੀਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।

(The lady Member can take as much time as she likes, but I may, inform the House that guillotine will be applied at 1 O'Clock).

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਾਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਫੇਰ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ

Central Government ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ grants ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ facilities ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ facilities ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ border ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਵਸਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ military ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ demoralise ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Mr. Speaker : Before we proceed further, I would like to know whether we should fix a time limit for speeches ?

Sardar Ajmer Singh : The time at our disposal may be dividded equally between the Opposition and Government benches.

Mr. Speaker : Should I fix ten minutes for a speech ?

Sardar Ajmer Singh : Yes, Sir.

ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ demand House ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੈ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ flood ਨੇ affect ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ concerned ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਰਕਮ ਰਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੧੫੦ ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੰਧ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੜ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੇਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ P.W.D. ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ effect ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ੧੨ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Sardar Sarup Singh: On a point of Order, Sir. Is the speaker speaking on the demand under discussion at present?

Mr. Speaker: The Speaker is not speaking on the demand. (*Laughter*)

Sardar Ajmer Singh: A Member who speaks in the House can also be called as speaker.

Sardar Sarup Singh: What I mean to say is this. Is the hon. Member speaking on the demand under discussion at present?

ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਲਈ ੧੭ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਖਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ motion ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਗਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵਾਕਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ, ਬੀਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨਾਲ ਦੋ ਵੇਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਦੌਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ Irrigation Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ request ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਇਕ Irrigation High Power Committee ਬਣਾ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ expert ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਰਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੜੇ expert ਅਤੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ survey ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਲਰਵਾਲ ਤਕ ਬੰਦ ਲਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ੨੨ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਲਰਵਾਲ ਲਈ ਇਕ ਵਖਰੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਡੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਰਵਾਲ ਦਾ spur ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਹੜ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੰਧ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੜ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੋ ਬੰਧ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ local ਲੇਬਰ ਘਟ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ Superintending Engineer ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੰਦ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਧ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬੰਧ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁਟਾ।

ਮੈਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਰਵਾਲ ਦੇ ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰ experts ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ Government of India ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ੨੨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ੧੧ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਹੈ। ੧੧ ਲਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਡੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਮੁਕੱਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ experts ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਉਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ੭੫ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕਾਵੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸ਼ਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਗੀਆਂ ?

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह) : साहिबे सदर! यह एक मामूली मामला नहीं। जहां तक गुरदासपुर और अमृतसर का ताल्लुक है इस की भारी अहमियत है। मैं इस के बारे में बीबी प्रकाश कौर को बधाई देता हूं कि जब से मिनिस्टरी बनी हुई है उन्होंने बार बार दरिया रावी के किनारे के इलाके की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है। १९५२ से वह कहती चली आ रही है कि इस तरफ जलद कार्यवाही करनी चाहिये। मैं खुश हूं और चाहता हूं कि मैंबर साहिबान इसी तरह pointedly हमारे नोटिस में चीज़ें लायें और कोई वजह नहीं कि गवर्नमैंट काम न करे। मैं इस काम की details में नहीं जाना चाहता। क्योंकि गवर्नमैंट की तरफ से हाऊस

[चौधरी लहरी सिंह]
को assure किया गया था इस लिये फौरन ही इस सवाल को examine किया गया। एक High Power Committee बनाई गई जिस में इस स्कीम को discuss किया गया। हमने सोचा कि रावी के किनारे पर के गांवों को बचाने की भारी स्कीमों को अच्छी तरह से मुकम्मल किया जाए। हमने इस काम के लिये best engineers लगाए। इन में हमारे Bhakra के Chief Engineer Khungar Sahib भी थे। उन की proposal 18-19 मील का बांध बनाने की है। यही हमारा protecting बांध है डेहरा बाबा नानक से बल्लरवाल तक। इस पर २२ लाख रुपये खर्च करने की तजवीज़ हुई।

मैं अपने वज़ीर ख़ज़ाना, सरदार उज्जल सिंह जी को मुबारिकबाद देता हूं कि जहां वह और बातों में कंजूसी से काम लेते हैं इस बारे में उन्होंने बहुत फराख़ दिली दिखाई है। मैं फिर आप को यकीन दिलाता हूं कि इस काम के लिये हम Centre से भी दरख़ास्त करेंगे और खुद भी जितनी ज़रूरत होगी रुपया देंगे। बहन जी को मालूम है कि मैं और सरदार प्रताप सिंह कैरों उन के साथ उस इलाके में गये थे। यह बात सब को मालूम है कि पाकिस्तान ने उस वक्त क्या तरीका इख्तियार किया हुआ था। पस हम डेहरा बाबा नानक और बल्लरवाल तक तो मुकाबिला कर सकते थे मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान था। वह और ही तरीके से तैयारी कर चुका था और हम पाकिस्तान वालों को न समझा सकते थे क्योंकि उन का attitude बहुत hostile था।

यह ठीक है कि बाज़ देहात वालों ने एतराज़ किया था कि गवर्नमैंट जो measures ले रही है उन से हमारे गांव तबाह हो जायेंगे। हमने engineers से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि हम दो गांवों के लिए spurs तो बना सकते हैं मगर कामयाबी की ज्यादा उम्मीद नहीं। हमने बल्लरवाल spur बनाया और वह कामयाब रहा। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि हमें इस चीज़ का पूरा ख्याल है और जो 18 या 19 मील बाकी रह गया है वह भी ज़रूर बनायेंगे। आप के Chief Engineers और दूसरे अफ़सर इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और जो कुछ भी मुमकिन है किया जायेगा।

फिर यह ठीक है कि मैं उस जगह नहीं गया मगर काम पर मेरे जाने या न जाने का इतना असर नहीं पड़ता। यह तो रुपये की मौजूदगी का सवाल है। मेरा महकमा तो काम करने वालों का है रुपया देना कैरों साहिब और सरदार उज्जल सिंह का काम है। फिर भी मैं बता देता हूं कि हम सिर्फ यह 22 लाख ही नहीं बल्कि और रुपया भी देंगे।

अब मैं एक बात अपने Opposition के साथियों से कहना चाहता हूं। बेशक M.L.A. साहिबान का हक़ है कि हमें criticise करें मगर उन को याद रखना चाहिये कि Centre पर हमारा ज़ोर नहीं वहां हमारे सूबे की ज़रूरतों के बारे में काफी प्रापेगेंडा नहीं होता। वहां पंडित जी और सरदार स्वर्णसिंह मौजूद हैं। वे हमारे साथ हमदर्दी रखते हैं मगर वहां तक हमारी आवाज़ इतने ज़ोर से नहीं जाती जिस तरह दूसरे सूबों की जाती है। हम बहन जी, श्री राम किशन और छीना साहिब से उम्मीद रखते हैं कि वे भी उस दरवाज़े को खटखटाएं।

एक सदस्य : आप खुद क्यों नहीं खटखटाते ? क्या यह आप का काम नहीं ?

सिंचाई मंत्री : हम तो लगातार खटखटाते रहते हैं और जितना रुपया हम वहां से ला ये हैं उस का आप को ख़ाब में भी अंदाजा नहीं हो सकता। ख़ैर मैं अर्ज़ कर रहा था कि यह आप लोगों की कमज़ोरी है कि वहां न तो कोई pamphlet भेजते हैं न प्रापेगंडा करते हैं।

एक एतराज़ यह भी किया गया है कि हमने Board नहीं बनाया। उस के बारे में अर्ज़ है कि हमने तो 1952 में ही Board बना दिया था और अब Centre की instructions के मुताबिक एक नया Board बना दिया गया है जिस के Chairman हमारे Chief Minister साहिब हैं। मतलब यह कि हमारी तरफ से इस बारे में कोई कमी नहीं हुई और सब कुछ बना दिया गया है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि पानीपत के पास जो छोटे 2 देहात थे उन्होंने voluntary effort में दिन रात एक कर दिया लेकिन इस इलाके में पब्लिक की तरफ से काफी response नहीं मिला।

आखिर में अर्ज़ है कि वह तो जल्दी का काम था मगर अब हमारे पास काफी वक्त है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप भी हमारी मदद करें। लोगों में उत्साह होना चाहिये फिर कोई वजह नहीं कि जो कुछ पानीपत वाले कर सकते हैं वह अमृतसर और गुरदासपुर के लोग न कर सकें। हमने कपूर साहिब को और उन के साथ काफी और best staff लगा रखा है। मैं खुद और स्टाफ के सब मेम्बर voluntary effort हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप को शिकायत का मौका नहीं देंगे।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਰਮਦਾਸ) : ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ response ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ personal explanation ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर personal explanation क्या हो सकती है ?

(What Personal explanation can be given on this point ?)

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ Central Government ਦੇ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਸ ਅਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ move ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ disciplinary action ਨਹੀਂ ਲੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

सिंचाई मंत्री : ऐसे कामों के बारे में कोई disciplinary action नहीं लिया जाएगा।

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 18 -Other Revenue Expenditure Financed from Ordinary Revenues.

The motion was carried.

DEMAND NO. 4

CHARGES ON IRRIGATION ESTABLISHMENTS

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,09,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of Charges on Irrigation Establishments.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,09,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of Charges on Irrigation Establishments.

Sardar Chanan Singh Dhut (Tanda): Sir, I beg to move—

That item of Rs. 83,000 on account of creation of Project Division No.2 in Project Circle be reduced by Re 1.

Mr. Speaker: The hon. Member has stated in the notice of his cut-motion that he wishes to raise a discussion on the preparation of Second Five-Year Plan. Since such a discussion is not permissible under the rules, his cut-motion is ruled out of order.

Sardar Ajmer Singh (Samrala) : Sir, I beg to move—

That the demand be reduced by Re 1.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ Irrigation Minister ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ M.L.A.s ਪੁਰ ਸੁਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ machinery ਤੇ ਕੋਈ control ਨਹੀਂ । ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । Irrigation ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ expansion ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ । ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ construction ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ demand ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ Public ਦੇ views ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜਿਨਾ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਚੋਖੀ corruption ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਗਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ Engineers ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੁਝ percentage ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ

ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ notice ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ gain ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ there is a monetary gain to both sides। ਇਹ police ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ corruption ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : The debate should relate to the first Part of the motion only.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ machinery ਬਹੁਤ loose ਸੀ।

Mr. Speaker : That has already been discussed during the General discussion of the Budget.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ Minister-in-charge ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ vigilant ਹੋਣ। ਇਉਂ ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਵਾਨਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ watch ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ engineers ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ competant ਅਤੇ efficient ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Minister for Irrigation : This is general discussion. The hon. Member should be relevant. The rules are very strict and rigid on this point.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕੋਈ details ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। My general discussion is connected with the basic things underlying the expenditure.

Mr. Speaker : But it should be connected with the expenditure mentioned in the demand.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਨੀ ਹੈ ਕਿ basic ਤੇ general ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ engineers ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ encourage ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ corruption ਦਾ cause ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ general discussion ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਪਣੀ speech ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker: I may point out to the hon. Members that a general discussion has already taken place on the floor of the House during the Budget Session. The speeches, therefore, should be confined to the items of expenditure which are provided for in the demand under discussion at present.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the demand be reduced by Re 1.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ । ਮੈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ T.C.A. Schemes ਦਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁੱਕ ਨਹੀਂ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ignore ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿੰਨੇ Tube-wells ਲਗਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ Establishment ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ Estimates Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਯੂਬ ਵੈਲਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਕਿਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ Dams ਤੇ Diversion ਕਿਥੇ ਬਣਨਗੇ । ਇਹ Demand ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ explanation ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ convince ਕਰਵਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਪੇ ਨਾਲ ਅਮਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । Vague ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾਹਿਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ । ਜੇ Tube-wells ਹਾਲੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ Establishment ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਖਣੀ ਹੈ । ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਅਮਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ Establishment ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ tube-wells ਹੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ explain ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੁਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ demand ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

Rao Gajraj Singh (Gurgaon) : Sir, I beg to move—

That the demand be reduced by Rs 100.

जनाब आली ! पांच साला एलान के सम्बन्ध में जो रुपया रखा गया है वह Second Division के लिये खर्च किया जायेगा । इस लिये मैं इस की पालिसी के सम्बन्ध में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं ।

Mr. Speaker : This is general discussion of the demand.

Rao Gajraj Singh: No Sir, I only want to discuss the policy underlying the "Establishment".

Mr. Speaker : But I cannot allow general discussion on this demand. The hon. Member appears to be doing so in spite of his cut-motion.

Rao Gajraj Singh : I assure you, Sir, that I will not go beyond the scope of the motion.

[राओ गजराज सिंह]

जनाबे वाला अर्ज़ ! यह है कि यह बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट इतना अमला Development के काम के लिये मन्ज़ूर कर रही है । पालिसी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूंगा कि backward area जिस को आज तक Irrigation Department से कोई फायदा नहीं पहुंचा वह जिला गुड़गांवा है । इस अमले को गुड़गांवा ज़िला में भी इस्तेमाल किया जाये । यह सारा इलाका बहुत खराब हालत में है इस लिये इस को नहर के पानी की और tube-wells की बहुत ज़रूरत है । कई दफ़ा इस ज़िले में खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचता है और गवर्नमेंट को लाखों रुपया famine-stricken लोगों की इमदाद के लिये खर्च करना पड़ता है । इस लिये सरकार को टयूबवैलज़ का काम सब से पहले गुड़गांवा ज़िला में शुरु कराना चाहिये क्योंकि यह सब ज़िलों के मुकाबला में undeveloped है और ऐसा करने से सारी State को लाभ पहुंचेगा । मैं मरहूम किदवाई साहिब का बहुत मश्कूर हूं जिन्होंने अपनी मौत से चन्द दिन पहले Gurgaon Project के लिये सैंट्रल गवर्नमैण्ट से दो करोड़ रुपया मन्ज़ूर करवा कर हमारे ज़िले को एक gift पेश किया । मैं समझता हूं कि अगर यह अमला जो इस demand के तहत मन्ज़ूर किया जा रहा है inadequate साबत हो तो गवर्नमेंट को चाहिये कि Special Supplementary Estimates तैयार करवा कर इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करे । अब तक गवर्नमेंट ने टयूबवैल लगाने का प्रबन्ध Sutlej से उस पार किया है । मैं समझता हूं कि वह भी हमारी ही development है, लेकिन जब तक हमारे ज़िले की development की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तब तक उस का नुकसान सारे पंजाब को होगा । (*Interruptions*).

Mr. Speaker : No interruptions, please.

राओ गजराज सिंह : स्पीकर साहिब! सूबे के विकास की स्कीमें सब से पहले उन इलाकों में शुरु की जानी चाहियें जो under-developed हैं और अगर यह अमला जो इस demand के मातहत मन्ज़ूर किया जा रहा है ज़्यादा है तो उस को हमारे ज़िले में transfer कर दिया जाये ताकि वह उस ज़िले के development का काम सरअंजाम दे सकें । अगर इस काम के लिये और रुपये की ज़रूरत है तो जैसा कि मैं कह चुका हूं उस के लिये estimates तैयार करवायें जायें ताकि वह सालाना बजट में शामिल किये जा सकें और बजट सैशन के बाद हमारे इलाके के लोग कह सकें कि अब सरकार हमारे ज़िले की development की तरफ कदम उठा रही है । आखिर में मैं मिनिस्टर साहिब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कई बार हमारे ज़िले को ऊपर उठाने की कोशिश की है और मैं मरहूम किदवाई साहिब का भी बहुत मश्कूर हूं कि उन्होंने हमारे लिये वह काम किया जो 1935-36 से मारज़े इल्तवा में पड़ा हुआ था ।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the demand be reduced by Rs 100.

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह): स्पीकर साहिब ! सरदार चनणसिंह धूत ने कहा है कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि यह महकमा क्या काम करता है और क्या नहीं । इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करता हूं कि जब तक किसी स्कीम के estimates तैयार न हों उसे, बजट में शामिल

[सिंचाई मंत्री]
कर के उस के लिये रुपया मनजूर नहीं करवाया जा सकता। आयंदा हम हर स्कीम के बारे में मेंबर साहिबान को from time to time इत्तला भेजते रहेंगे। अखबारों में तो पहले ही ऐसी इत्तलाह निकलवाई जाती है।

Second Five-Year Plan 1957 से शुरू होनी है। गवर्नमैण्ट आफ इंडिया ने हमें schemes तैयार करके भेजने के लिये लिखा था। चुनांचि हमने यह schemes तैयार की हैं—

Madhopur Project, Western Jamuna Project, Sirhind Feeder Project, Shahnahar Project, Ravi River Training Project, Bias Dam Project, River Jamuna Dam Project, Sirsa Branch Link Project, Check Dam on Ghaggar, Training of Chos in Hoshiarpur District, Soil Survey in the Punjab and Tube-wells Scheme.

यह सब schemes Second Five-Year Plan में शामिल की गई है। इन सारी स्कीमों को बनाने का काम हमारे staff ने किया है। इस काम को हमने तमाम सूबों से पहले खत्म किया और Government of India ने हमारे staff की तारीफ की है। हमने जल्द से जल्द इजाजत ले कर वह staff लगाया था। Government of India ने माना है कि यह गवर्नमेंट development के काम में बहुत interest ले रही है और वक्त से पहले Projects के estimates बनवा कर भेज देती है। Chief Minister साहिब ने declare कर दिया है कि मेम्बर साहिबान और public को आगाह करने के लिये कि कौन सी स्कीमें बन रही हैं और उन के क्या estimates हैं, Advisory Committee बनाई जायेगी।

फिर जनाब tube-wells की स्कीम पर एतराज़ किया गया है। कुल 492 tube-wells लगाए जाने हैं जिन में से 450, 1955 तक लगने हैं। अभी survey होना है, फिर स्कीम तैयार करके अगले बजट में रखी जायेगी। कई दरियाओं पर Dams भी बनने हैं। वे स्कीमें भी अगले Budgets में आती रहेंगी।

Second Five Year-Plan के मातहत रुपया 1957 से मिलना शुरु होगा। अगर गुड़गांव को पानी देने की स्कीम के लिये खास कोशिश न की जाती तो वहां के लोगों को 1957 तक इन्तज़ार करनी पड़ती मगर हमने उन की मुश्किलात के पेशे नज़र किसी न किसी तरह से रुपया निकाल कर इस scheme के लिये provide किया ताकि इसे इसी साल take up किया जा सके। इस का survey वगैरा हो चुका है। कल एक सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि सब से पहले गुड़गांव की स्कीम को हाथ में लिया जा रहा है। शुकरिया है किदवाई साहिब मरहूम का जिन्होंने गुड़गांव scheme के लिए Second Five-Year Plan के शुरु होने से पहले रुपया मन्जूर करा देने की हमें assurance दी थी। मेम्बर साहिबान चाहते हैं कि अगले elections से पहले यह स्कीम पूरी हो जाए वे तसल्ली रखें इस popular Goverment को भी भूके किसानों का ख्याल है।

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Re.1.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,09,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of Charges on Irrigation Establishments

The motion was carried.

DEMAND NO. 5

GENERAL ADMINISTRATION

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,61,970 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 25—General Administration.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,61,970 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 25—General Administration.

Sardar Achhar Singh Chhina (Ajnala): Sir, I beg to move—

That the item of Rs. 19,530 on account of Reorganisation of the Welfare Department to deal with the welfare of Scheduled Castes, erstwhile Criminal Tribes and other backward classes, be reduced by Re. 1.

That the item of Rs. 19,000 on account of M—other Charges—M 3-By-election to (ii) State Legislative Assembly, be reduced by Rs. 10.

Mr. Speaker: Before the hon. Member begins to speak on this demand I want to say a few things for his information.

He has stated in the notice of his second cut motion that he wishes to discuss official interference in the by-elections to the Punjab Legislative Assembly.

He can speak only on such items of expenditure which have been provided for in the demand under discussion. I shall not allow any discussion which is not relevant to those items.

Sardar Achhar Singh Chhina: Sir, I want to say something about the Mehna by-election.

Mr. Speaker: The hon. Member is at liberty to say that the expenditure incurred or provided for was unnecessary or undesirable.

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ Mehna By election ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ interference ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker: That can form the subject matter of an election petition There is a separate law for that.

If any person has been able to get himself elected by contravening the rules or by adopting unfair methods, the validity of his election can be challeng ed by filing an election petition with the Election Commission.

There is only one item of expenditure relating to " by-elections to State Legislative Assembly " which has been provided for in this demand and that is this: " Transport and other Miscellaneous items Rs. 19,000 (Non-recurring)". The hon. Member will be perfectly within his rights, if he says that the expenditure on this item ought to have been less or more than that provided for under it or that the expenditure was superfluous or that it has not been incurred properly.

In a nutshell, what I want the hon. Member to observe is this. He must confine his speech to the items of expenditure provided for in this demand.

Sardar Achhar Singh Chhina: Sir, I want to bring to the notice of the House that official transport has been used for the candidate belonging to the Congress Party.

I want to know from the Government as to why the official transport has been misused?

Mr. Speaker: Of course, the hon. Member can raise that point. He can discuss it.

Sardar Ajmer Singh: On a point of Order, Sir. We will certainly bow to your ruling. But with due respect, I want to bring it to your notice that the ruling that you have now given is contrary to the practice which was followed during the Speakership of the late Dr. Satyapal.

Mr. Speaker: Well, I cannot follow that. The rules are quite clear on this point.

Sardar Ajmer Singh: Sir, at least I have not been able to understand as to what the hon. Members will be able to speak if the scope of discussion is restricted....

Mr. Speaker: You are a very wise lawyer........

Sardar Ajmer Singh: Sir, allow me to complete my explanation. Thereafter, you can say whatever you like.

Now let us take up Demand No.5. what can we say on this Demand? We can say that the amount provided for in this Demand is excessive or should not have been spent like this or that. Before we approve the expenditure, we would like to know further details of the items included in it. After all, " General Administration " is a very wide term.

Then, there is one item relating to by-elections to the Assembly included in this Demand. If the official transport has been misused or officers have misbehaved or acted in an objectionable manner, we have got every right to, bring it to the notice of the House.

Mr. Speaker: Here, the hon. Member is on the right path. He is at liberty to point out irregularities of this type. What I have said is that the hon. Member must confine himself to the items of expenditure included in the demand under discussion.

Sardar Ajmer Singh: Sir, I would request you to kindly give us a little discretion. We will try our best to confine ourselves to the demand under discussion.

Mr. Speaker: As I have already said, I cannot go against the rules. I cannot alllow hon. Members to have a general discussion. They must confine themselves to the items in the demands under discussion.

Sardar Ajmer Sihgh: Then, Sir, this may not amount to "throttling" the discussion.

Mr. Speaker : I do not like the word "throttling". After all, I have to guide the deliberations in accordance with the rules. I cannot go out of the way.

Sardar Ajmer Singh: Sir, I withdraw the word "throttling". But I would say that it may not amount to curtailing the discussion.

Mr. Speaker: I am sorry to say that I cannot make any relaxation in the rules. They have to be followed.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ objection ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ by-elections ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ interference ਹੋਈ ਹੈ।

Mr. Speaker: You can bring a substantive motion before the House.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ transport ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਤੇ Transport ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ Transport ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ By-election ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। Public Relations Department ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਾਰੀਆਂ ਨਠੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਲਾਰੀ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਗਈ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਕੇ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ By-election ਵੇਖੇ ਹਨ, ਲੇਕਨ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਥੇ Official machinery ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : On a point of order, Sir. ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ Transport ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ Transport Election ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ propaganda ਵਾਸਤੇ Transport ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ Government property ਦਾ misuse ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਜਿਹੜਾ transport ਉਤੇ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ misuse ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਉਥੇ ਰਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ interfere ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ? ਭਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ (*Interruptions*)

Mr. Speaker. Order, please order.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ negligence ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ by-elections ਵਿਚ Deputy Commissioner ਅਤੇ Superintendent of Police ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਨਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ voters ਨੂੰ ਲਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ rules ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ Deputy Commissioner ਅਤੇ S.S.P. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ਉਸ ਲਾਰੀ ਵਿਚ voters ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ rules ਨੂੰ ਸਰੀਹਨ break ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ......

Mr. Speaker: Was it an official lorry?

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਹੁਣ By-election annul ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Democracy work ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Democracy ਦੇ custodian ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ behaviour ਹੈ ? ਅਸਾਂ Deputy Commissioner ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਕੇ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ objection note ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Mr. Speaker: Are you aware that this subject can form part of the Election Petition?

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : No petition is allowed. ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ interference ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ allowances ਲੇਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ discussion ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਖਰਚ ਇਤਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ purpose ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ (*Interruptions*).

Mr. Speaker: I won't allow any superfluous debate.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ; ; ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀ ਸਾਰੀ ਗਲ Cabinet ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ?

Mr. Speaker: As a rule you must confine your remarks to the demand under discussion.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ; ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ interferences by-elections ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਆਦਿ ਉਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ discuss ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

Mr. Speaker: Are you discussing the merits of this System.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲਾਰੀ voters ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ official party ਦੇ ਵਲ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸਨੂੰ democracy ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਏਧਰ ਦਿਵਾਈ। ਲਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ M.L.A. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ executive authority ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਛਾ ਹੈ ਵੋਟਰਜ਼ ਮੋਟਰ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ (*Laughter*)।

ਵਿਦਿਆ ਮੰਤ੍ਰੀ ; ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। (*Interruptions*).

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿਘ ਛੀਨਾ ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਕ highest authority ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ law break ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਛਾ ਹੈ ਜੋ law break ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ......

ਵਿਦਿਆ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਸਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ petition ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ law ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਬ੍ਰੇਕ (break) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ M.L.A.s, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ Opposition ਦਾ leader ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ administration ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ action ਲੋ ਜਾਂ ਨਾਂ ਲੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਈਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੇਕਨ by-election ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ democracy ਦੇ custodian ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਥੇ ਗਏ। Irrigation ਦੇ Superintendents ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੋਘੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਕਾਂ ਉਪਰ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਭਾਈ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਘੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਲਵਾ ਲਓ ਜਿਥੇ ੨ ਮੋਘਾ ਲਗਵਾਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਂਦੀਆਂ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ election petition ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(You can file an election petition for that. I would not allow such a reference here).

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੁਆਂਗਾ....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ under ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਵੀ ਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ express ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ under ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਜੋ ਚਾਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਡੀਮਡ ਤੇ general debate ਨਹੀਂ allow ਕਰ ਸਕਦਾ।

(But I cannot allow a general debate on this demand.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲੀਸੀ declare ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸੱਚੇ ਲਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਉ । ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤਿਨ ਮਿਨਟ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗਿਲੋਟੀਨ apply ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

Please resume your seat now. In case the Minister for Finance i to speak he can do so for two or three minutes. Thereafter, guillotin will be applied.

Mr. Speaker: Motions moved—

That the item of Rs 19,530 on account of Reorganisation of the Welfare Department to deal with the welfare of Scheduled Castes, erstwhile Criminal Tribes and other backward classes, be reduced by Re. 1.

That the item of Rs 19,000 on account of M—Other Charges—M-3-By-election to (ii) State Legislative Assembly, be reduced by Rs 10.

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿਨਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਉ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਲੋਟੀਨ ਵਿਚ ਬੋਲ ਲੈਣਗੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ ; ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਲੋਟੀਨ ਕਿਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

(Do not you know what is meant by guillotine ? No speech can be delivered after the guillotine has been applied)

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ) : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਕੇ ਵਿਚ ਹਾਰ ਕੇ (*Interruption*) ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਸ਼ਤ (*Continued interruptions*) ਦਲੇਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ...... (*Interruptions*)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Order, order. I would not tolerate this sort of interruption. Please let the Finance Minister have his say.

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ sportsman spirit ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਲਟੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਪਰ ਕਿਸਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । (*again interruptions*) order order ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ election petition ਰਾਹੀਂ Returning fficer ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ । (*Interruption*).

Mr. Speaker : Order, order.

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ । ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ Presiding Officer ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ । ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਪਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਅਸੀ constitutional ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਹ ਤਾਂ democracy ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਰ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਨ ?

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ......

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਚੁਭਦੀ ਸੀ ।

Mr. Speaker : Order, order. No such reflection please. I have already made it clear that I will not tolerate any such remarks.

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਡੀ ਗਲ ਵਿਚ (ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ) ਕਿਨੀਂ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕੀ ਘਟ ਵਧਾਈ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Order, order. Now I apply the guillotine.

Mr. Speaker: Question is—

That the item of Rs. 19,530 on account of Reorganisation of the Welfare Department to deal with the welfare of Scheduled Castes, erstwhile Criminal Tribes and other backward classes, be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the item of Rs. 19,000 on account of M—Other Charges—M 3—By-election to (ii) State Legislative Assembly, be reduced by Rs. 10.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,61,970 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1955, in respect of 25—General Administration.

The motion was carried.

JAILS AND CONVICT SETTLEMENTS

Mr. Speaker: Question is—

That Supplementary sum not exceeding Rs. 7,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1955, in respect of 28—Jails and Convict Settlements.

The motion was carried.

POLICE

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,87,320 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1955 in respect of 29—Police.

The motion was carried.

EDUCATION

Mr. Speaker: Question is—

That a supplemtnary sum not exceeding Rs. 22,30,930 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1955 in respect of 37—Education.

The motion was carried.

AGRICULTURE

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,63,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 40—Agriculture.

The motion was carried.

CO-OPERATION

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,85,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1955, in respect of 42—Co-operation.

The motion was carried.

INDUSTRIES

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,35,940 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 43—Industries..

The motion was carried.

RECEIPTS FOR MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, ETC.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,61,790 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1955, in respect of (i) XLA-Receipt from Multipurpose River Schemes—Working Expenses, (ii) XLI—Electricity Schemes-Working Expenses.

The motion was carried.

MISCELLANEOUS

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,75,390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1955 in respect of 57—Miscellaneous.

The motion was carried.

COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,75,390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 63-B—Community Development Projects.

The motion was carried.

CAPITAL OUTLAY ON ELECTRICITY SCHEMES OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNTS

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,22,000 be granted to the Governor to defray the chrges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 81-A—Capital Outlay on Electricity Schemes Outside the Revenue Account.

The motion was carried.

CIVIL WORKS

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1955, in respect of 50—Civil Works.

The motion was carried.

CAPITAL ACCOUNTS OF CIVIL WORKS, ETC.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1955, in respect of 81—Capital Accounts of Civil Works Outside the Revenue Accounts.

The motion was caried.

(*The Assembly then adjourned till* 2 *p. m. on* **Thursday** *the* **11*th* *November*** 1954)

1519 PVS—284—16-7-55—CP & S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

11*th November,* 1954.

VOLUME III—NO. 6.

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, 11th November, 1954

CHANDIGARH:

Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab
1955

Price : Re. 0-7-0

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, 11th November, 1954

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at 2 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the chair.*

QUESTION HOUR

Mr. Speaker: The Question Hour is dispensed with today.

श्री तेग राम : प्रधान् जी ! पर आज की लिस्ट पर तो तीन दिनों के सवाल हैं जिन का जवाब दिया जाना है ।

सिंचाई मंत्री : उस के जवाब आप को मिल जायेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On point of infcrmation, Sir. ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ unstarred ਤੇ ਨ ਹ ਜਾਣਗੇ ?

अध्यक्ष महोदय : आज का Time table मैं ने House के सामने ५ तारीख को रख दिया था और House ने assent दे दी थी ।

(I placed before the House the Time Table for today on the 5th November and the House gave its assent to it)

ASSURANCES COMMITTEE

अध्यक्ष महोदय : जैसे कि हाऊस के मैम्बरान की तरफ के मुतालिबा किया गया था कि चूंकि गवर्नमैण्ट जो assurances देती है उन पर हमेशा अमल नहीं होता । इस लिये एक खास कमेटी बनानीं चाहिये, मुझे खुशी है कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया है और......

(As you are aware the hon Members of this House had made a demand that since the assurances held out by the Government were not always translated into action, a special committee should therefore be constituted for this purpose. It is a matter of gratification that the Chief Minister has accepted this proposal and therefore under Rule 172-D(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I have nominated the following Members as Members of the Committee on Government Assurances :—

1. Shri Mool Chand Jain.
2. Dewan Jagdish Chandra.
3. Dr. Parkash Kaur.
4. Shri Chand Ram Ahlawat.

[अध्यक्ष महोदय]

5. Sardar Darbara Singh.

6. Rao Abhai Singh.

7. Shri Gopi Chand.

8. Sardar Shamsher Singh.

9. Sardar Chanan Singh Dhut.

I have appointed Shri Mool Chand Jain to be the Chairman of this Committee.

BILLS RECEIVED FROM COUNCIL

Secretary: In pursuance of Rule 2 (ii) of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1952, I have to inform the House that the Punjab Merged States (Laws) (Amendment) Bill, 1954, passed by the Punjab Legislative Assembly on the 1st November, 1954, and transmitted to the Punjab Legislative Council on the same day, has been agreed to by the said Council, without any amendment, on the 8th November, 1954.

I also lay on the Table of the House a copy of the Punjab Co-operative Societies Bill, 1954, which has been returned by the Punjab Legislative Council with amendments. This Bill was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 1st November, 1954, and transmitted to the Punjab Legislative Council for its concurrence.

THE PUNJAB APPROPRIATION (No. 3) BILL, 1954

Minister for Irrigartion (Chaudhri Lahri Singh): Sir, I introduce the Punjab Appropriation (No.3) Bill, 1954.

Minister for Irrigation: Sir, I beg to move—

> That the Punjab Appropriation (No. 3) Bill, 1954 be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the Punjab Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

As announced by me on the 5th November, 1954, the hon. Members will have 1½ hours time , i.e., from 2 p.m. to 3-30 p.m., for the discussion of the Punjab Appropriation (No. 3) Bill. Out of this time, 10 minutes would be required for putting all questions which are necessary to dispose of the Bill to the vote of the House. Therefore, at 3-20 p.m. the guillotine will be applied.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੱਦ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ Tractor Cultivation ਦੀ item ਵਿਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ tractors ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ Tractor ਫੇਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ repair ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਕਤਸਾਦੀਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ Tractor Factory ਨਹੀਂ ਅਤੇ heavy industries establish ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ agriculture ਵਿਚ tractor ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਮਯੂਨਿਸਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਨੁਕਤਾ-ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ।

सिंचाई मंत्री : उस वक्त तो आप exist ही नहीं करते थे।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ loss ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ loss ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ tractors ਲਈ ਕੋਈ spare parts ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ repair shops ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਉਨਵਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ tractors cultivation ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ situation ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ enquiry committee ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਨਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ (petrol) ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਬਦ-ਉਨਵਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖੁਲੀ ਛੁਟੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ tractors ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ study ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸਤ ਲਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਘਾਟਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ physical labour ਬਹੁਤ ਹੈ, unemployment ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਲੂਮ ਕਰੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ।

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਰੁਪੈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਸਾਂ requistion ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਈਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਮਿਹਨਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ Transport ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ misuse ਹੋਇਆ। ਉਸ

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ rule ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ........

Chief Parliamentary Secretary : On a point of order, Sir. There is still time left for filing an election petition.

Mr. Speaker : The other day I told him that he should better file an election petition.

Chief Parliamentary Secretary: Has the hon. Member got the privilege of being obstinate.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਜਦ ਇਹ ਖਰਚ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰਚ ਦੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਦਉਨਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਬਦਉਨਵਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ—ਤਾਂ ਇਹ tribunals ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

अध्यक्ष महोदय : तो आप का ख्याल है की यह tribunals justice administer नहीं करतीं ।

(Does the hon. Member think that these tribunals do not administer justice)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ petition ਹੀ ਕਿਸੇ court ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ sub-judice ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह मतलब नहीं । जिस चीज़ पर मैंने एतराज़ किया है वह हैं आप के वे लफ्ज़ जो आप ने कहा कि इन tribunals से हमें इन्साफ़ की कोई उम्मीद नहीं । आप ने यह कहा कि जब गवर्नमैंट ही इन्साफ़ नही करती तो यह tribunals कैसे करेंगे ? मैं समझता हूं कि यह judiciary पर एक serious reflection है ।

(I do not mean that. I object to your remarks that you do not expect justice from these tribunals. You said that when the Government did not administer justice then how could these tribunals do so ? I feel that this is a serious reflection on the Judiciary.)

ਮਾਸਟਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ : ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬੀਉਨਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ......

Mr. Speaker : Order, order. Please resume your seat.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ tribunal ਤੇ ਕੋਈ reflection ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ......

Mr. Speaker : I would not allow the hon. Member to cast any reflection on the Judiciary.

Sardar Achhar Singh Chhina : But, Sir, this is no reflection....

Mr. Speaker: The hon. Member has said that he does not expect any justice from the tribunals. He has thus cast a reflection on the judicial authorities. Will he please withdraw these remarks.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ general ਜਿਹੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ reflection ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ withdraw ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਉਨਵਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ,tribunals ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(You said that when the Government itself indulges in (ਬੇਉਨਵਾਨੀਆਂ) (irregularities) then how can these tribunals be expected for administering justice)·

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ; ਮੈਂ ਤਾਂ tribunal ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ Headquarters ਉਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਘੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर नहरें discuss कर रहे हैं या elections discuss कर रहे हैं। He should try to be relevant.

Is the hon. Member discussing canals or the elections ? He should try to be relevant.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ Transport ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਘੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਘੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਉ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਮੋਘੇ ਹੁਣ ਸੁਕ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

Mr. Speaker : Are you relevant please ?

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਉਨਵਾਨੀਆਂ ਉਥੇ election ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ demand ਨਾਲ relate ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ executive authorities ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ election ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੇਰ executive authority ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨ ਕਰਨ।

अध्यक्ष महोदय : क्या Executive Authorities का सवाल ज़ेरे गौर है या Transport का।

(Are you discussing the Executive Authorities or the Transport).

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ transport ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

Mr. Speaker : Was any Minister's car used for this purpose?

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ elections ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ transport ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁੜਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ elections ਵਿਚ ਨ ਵਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर को इस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो वह कह रहे हैं। क्या वह कोई मिसाल पेश कर सकते हैं।

(Mr. Speaker: The allegation which the hon. Member is levelling against the Government are vague and ambiguous. He should quote the cases in which irregularities of this type have taken place.)

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਇਹ General ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਰੁਖ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ elections ਵਿਚ interfere ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੇਰ repeat ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸਾਂ Communists ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨ ਦੇਵੋ।

Mr. Speaker: But what connection has this point got with the Bill under discussion?

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਹੁਣ ਮੈਂ Tube-wells ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ demand ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ Tube-wells ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ General Terms ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ Tube-wells ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫ਼ਾਜ਼ਲਕਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, Demand No. 5 ਦੀ item 6 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ 13,370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ staff ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਮੁਹਾਜਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ staff ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ allowance ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਪਕੜ ਕੇ ਚੜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟ ਕੁਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿਨਡਰ ਚੁਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਸਾਣ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਆਦਮੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਖਲੋਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਇਕ ਸਲਾਈ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿਚ ਪਾਣ ਨਾਲ ਅਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁਕ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਕਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ........

अध्यक्ष महोदय ; अगर माननीय मैम्बर यही भाव parliamentary language में अदा करें तो क्या ही अच्छा हो । खीसे कट लेने या धोखा देना कोई parliamentary चीज़ नहीं है । (It would be better, if the hon. member expresses himself in a Parliamentary language. Pick-pocketing and cheating are unparliamentary expressions.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ ਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ Demand No. 7 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ। ਇਸ ਮੱਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ 2,87,320/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ abducted ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਰਖੇ ਗਏ staff ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਿੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ Government ਵੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ staff ਰਖੇ ਜਾਂ ਨ ਰਖੇ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਧਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ Central ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਰਖੇ । ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ Border Police ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ Demand ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

श्री राम किशन (जालन्धर, उत्तर पश्चिम) : स्पीकर साहिब ! यह जो appropriation Bill द्वारा रु. 91,45,010 की रक्म हम पंजाब सरकार को दे रहे हैं इस सिलसिले में मैं चन्द एक चीजों की तरफ अपनी वज़ारत की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं ।

पहली बात यह है कि जब यहां supplementary demands का Appropriation Bill पास हो जाता है तो बाज़ औकात हम देखते हैं कि मुख्तलिफ departments में जिन के लिये इस सिलसिले में रक्में वसूल होती हैं जब पांच या सात दिन माली साल के गुज़र जाने में रह जाते हैं तो इन रक्मों को खरच किया जाता है । इस तरह से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं और फिर इन पर audit objections होते हैं । इस लिये मैं Finance Minister साहिब से अर्ज़ करूंगा कि वह तमाम departments को हदायात जारी करें कि वह जल्दी से जल्दी supplementary demands से मिली रक्मों को खरच करें ताकि तमाम रुपए का ठीक इस्तेमाल हो सके और जल्दी में गलतियां न हो जायें ।

दूसरी बात जिस की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं Police की demand है । श्री वधावा राम जी ने कहा कि यह खर्च Government of India को करना चाहिये इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह इस को पढ़ें तो उन को पता चलेगा कि यह सारे का सारा खर्च Government of India ही कर रही है । जितनी भी तन्खा या allowance है इन सब का खर्च भारत सरकार बर्दाश्त कर रही है । फिर मैं Minister साहिबान का ध्यान Recovery of Abducted Persons Department की तरफ दिलाना चाहता हूं । यह बात माननी पड़ेगी कि इस Department ने पिछले 6, 7, सालों में बड़ा अच्छा काम किया है । हमारी यह खाहिश है कि जो भी हमारे मुसलमान भाई बहन जो इधर रह गये हों और पाकिस्तान जाना चाहें उन को पाकिस्तान जाने दिया जाए । मगर एक बात इस सिलसिले में यह हो रही है कि कई केस चार २ पांच २ सालों से पड़े हैं, उन की तरफ कोई खास तवज्जुह नहीं दी जाती । लोगों को कभी जम्मू कभी लाहौर वगैरा दौड़ना पड़ता है और काफी तकलीफ उठानी पड़ती है । स्पीकर साहिब मैं आप की विसातत से Government से यह अर्ज़ करूंगा कि वह इस सिलसिले में Government of India को move करें ताकि लोगों को खाहमुखाह तकलीफ न हो ।

फिर, श्रीमान् जी, इसी सिलसिले में मैं Ministry से कहना चाहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वहां इस मामले में जान बूझ कर ढील की जा रही है । Details कई सालों से उन्हें मुहय्या की जा चुकी हैं मगर फिर भी काम बहुत ही slowly हो रहा है । इस सिलसिले में मिसालों की कमी नहीं मगर मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूं । आज से कम से कम सात साल पहले हमारे Education Minister साहिब की भतीजी फूल कुमारी का अगवा हुआ । West Pakistan authorities की तवज्जुह कई बार इस तरफ दिलाई गई, सारी बातें मुहय्या की गईं, मगर वहां कोई तवज्जुह नहीं देता । इसी तरह और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो वहां के M.L.A.s, Police वालों या Military वालों के पास हैं । इस बात की तरफ Government of India की तवज्जुह दिलाई जाए कि उधर इस लिहाज़ से बड़ी slow progress है और इन लड़कियों को इधर लाने के लिये जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए ।

स्पीकर साहिब, कोई 4 महीने हुए 'Hindustan Times' और 'Tribune, में खबर निकली थी कि 400 हरीजन परिवार West Pakistan से हिंदुस्तान आना चाहते हैं, मगर 4, 5 महीने से लाहौर में हमारे कैम्प में पड़े हैं, उन्हें इधर आने की इजाज़त नहीं दी जाती ।

अध्यक्ष महोदय : You are not relevant.

श्री राम किशन : Demand का ताल्लुक abductions वगैरा से है ।

Government of India have decided to continue further the organisation set up for recovery of persons abducted on partition.

Mr. Speaker: Those Harijans have not been abducted. They are living in Pakistan and want to migrate to India. The item, which the hon. Member has just now referred to, relates to the abducted women.

Shri Ram Kishen: Sir, it relates to " abducted persons " and not " abducted women ". Persons mean men as well as women.

Mr. Speaker: But it is a Central subject.

Shri Ram Kishen: Sir, I want to draw the attention of the Government to this fact. I want to say that they should take immediate steps to bring those Harijans from Pakistan to India.

यह 400 families लाहौर में पड़ी हुई हैं, इन्हें इधर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही और उन पर कई किसम की पाबन्दियां लगाई जा रही हैं । हमें Government of India का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहिये ताकि वह ज़ोरदार तरीके से काम करे और हमारे दुखी भाई बहने उधर से इधर आ सकें ।

स्पीकर साहिब, अब मैं Employment Exchanges की demand की तरफ तवज्जुह दिलाना चाहता हूं । पहले यह policy बनाई गई थी कि पंजाब म Employment Exchanges नहीं रखनी चाहियें । मगर अब Government of India की तरफ से कुछ reports आने तक यह रखी जा रही हैं । Government of India ने एक B. Shiva Rao Committee इस सिलसिले में बनाई थी । उस ने एक report पेश की है— इस के अन्दर काफी मसाला है, कोई 250 recommendations हैं और इन से काफी States को फायदा पहुंच चुका है । इस लिये मैं Finance Minister साहिब से कहना चाहता हूं कि वह भी देखें कि इन recommendations से हमारे Province को कितना फायदा पहुंच सकता है । एक recommendation की तरफ तो मैं तवज्जुह दिलाता हूं । वह है कि उन लड़कों के लिये जो Matric, F.A. या B.A. वगैरा पास करें उन के लिये Information Bureau खोले जायें । जब लड़के स्कूलों, कालजों से निकलते हैं तो उन्हें यह पता नहीं होता कि कोई Technical College कहां है, Agricultural College कहां है, या वह किस लाईन में जा सकते हैं । इस के लिये हमें हर District में एक Information Bureau खोलना चाहिये । जब लड़का स्कूल या कालजे से निकले तो उसे पता हो जाए कि उस के लिये अब

[श्री राम किशन]

हिंदोस्तान में कौन २ से मैदान खुले हैं, कहां २ Medical या Agricultural Colleges वगैरा हैं, जहां वे अपनी मेहनत आज़माई कर सकें। इस से बहुत फायदा होगा। इस से unemployment को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। इस लिये इस तजवीज़ को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाना चाहिये।

फिर मैं Handloom Industry के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी सरकार इस industry की तरक्की के लिये बड़ी कोशिश कर रही है, इस सिलसिले में मैं Finance Minister साहिब का ध्यान Handloom कपड़े की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज कल यह कपड़ा Depots के ज़रिए फरोखत किया जाता है लेकिन सभी को मालूम है कि इस कपड़े की खपत कितनी है, हालांकि कई तरीकों से इस की फरोखत को फ़रोग देने की कोशिश की जाती है जैसे कि अभी २ handloom हफ़्ता मनाया गया। मगर इस सारी कोशिश और propaganda का असर ज़ाहिर है कि इस में उतनी कामयाबी नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिये थी। इस सिलसिले में Estimates Committee ने एक सिफ़ारिश की है कि इस कपड़े को Commission basis पर बेचा जाये ताकि जल्द से जल्द इस की खपत हो। इस लिये सरकार को चाहिये कि एक हुक्म द्वारा हर सरकारी दफतर में चाहे पुलिस का हो, P. A. P. का हो, या कोई और हो, यह कर दे कि खादी इस्तेमाल हो अगर वह नहीं हो सकता तो कम से कम handloom कपड़ा तो ज़रूर ही इस्तेमाल हो।

फिर Government of India ने एक Textile Enquiry Committee बनाई थी। उस की report States के पास भेजी गई है। उस में यह भी एक बात दर्ज है कि आने वाले 5, 6 सालों में, इस रफ़्तार से हमारी आबादी बढ़ती है, कि इस आबादी के लिये 16 million yards कपड़े की ज़रूरत अन्दरूनी खपत के लिये होगी। इस के लिये Handloom का कपड़ा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पंजाब में हिंदोस्तान के सूबों में सब से ज़्यादा कपड़े की खपत होती है। यह सारी ज़रूरत Handloom से पूरी होनी चाहिये और Mill-made cloth सारे का सारा बाहर भेजा जाना चाहिये। जब Government of India के पास सिफ़ारिश की जाए तो हमें मद्रास की तरह सिफ़ारिश करनी चाहिये कि पंजाब hand-loom का कपड़ा बाहर भेज सकता है। इस के लिये towels खेस या कम्बल, चाहे वह कुल्लू में या जालन्धर में बनाए जा रहे हों या कहीं भी तैयार किये जा रहे हों वे सरकारी protection में लिये जाने चाहियें। पंजाब के अन्दर सारे देश के अन्दर लाखों आदमियों के रोज़गार का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब एक Textile Enquiry Committee बनाई गई है ताकि वह handloom industry को modernize करे। modernize करने से ख्याल है कि money saving हो जाएगी। जहां पहले एक handloom पर पांच आदमी काम करते हैं वहां कम आदमी लगा कर उतना ही काम किया जा सकेगा। अगर ऐसा ही किया गया तो मुझे डर है कि सारी

handloom industry को modernise करते करते कहीं weavers ही बेकार न हो जाये । इस लिये मैं आशा करता हूं कि Finance Minister साहिब इस बात की तरफ तवज्जो देंगे ।

दूसरी अर्ज़ मैं यह करना चाहता हूं कि Education को demand में 10 लाख रुपये की रकम Local Bodies के टीचरों को arrears देने के लिये रखी गई है । इस सिलसिले में अभी तक District Boards ने अपने फर्ज़ को पूरा नहीं किया और न ही arrears अदा किए हैं । इसी सिलसिले में Teachers Boards ने agitation की है । इस लिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अपनी पहली फुर्सत में मिनिस्टर साहिब इस तरफ ध्यान दें और देखें कि जिन जिन जगहों पर Teachers की मांग को पूरा नहीं किया गया और सरकारी हुक्म पर अमल नहीं किया गया जल्द से जल्द अमल किया जाये और teachers को arrears अदा किये जायें ।

फिर एक बात Community Projects के सिलसिले में जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि Government of India ने एक Report शाया की है । जिस में यह बताया गया था कि पंजाब को जो funds इस सिलसिले में allocate किए गए थे उन का 38 प्रतिशत हमने अभी तक खर्च किया है, अगर हमने इस रकम को खर्च न किया तो यह Demand lapse हो जाएगी। इस लिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो रुपया Community Projects के सिलसिले में Government of India से मिल रहा है उसे lapse न होने दिया जाए । और इस रकम को Community के लिये जल्द से जल्द खर्च करने की कोशिश करनी चाहिये ।

आखिर में मैं Appropriation Bill को पेश करने पर Finance Minister साहिब को बधाई देता हूं ।

प्रिंसीपल रला राम (मुकेरियां) : अध्यक्ष महोदय ! मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान दो ज़रूरी बातों की ओर दिलाना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि Education के सम्बन्ध में demand नं. 8 में आठ लाख 15 हज़ार के करीब रकम Harijan Welfare Scheme के अधीन हरिजन Students को फीस की और stipends का बकाया अदा करने के लिये, रक्खी गई है । मैं अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा Education Minister साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि कई मामलों में Educational Institutions को दिक्कत पेश आती है । कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन को अभी तक बकाया नहीं दिये गये । मुझे ऐसी Institutions का जाती इल्म है जो तीन २ साल से Education Department को लिख रहे हैं के हरिजन विद्यार्थियों को उन की dues का बकाया रुपया अदा नहीं किया गया । इस तरह हरिजनों को काफी दिक्कत हो रही है । उन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि उन्हें Arears of fees की अदायगी होगी भी कि नहीं । Privately-managed institutions में delayed payment के कारण विद्यार्थियों को कष्ट सहन करना पड़ता है ।

[श्री रला राम]

अध्यक्ष महोदय ! मैं Education Minister साहिब का ध्यान Backward Classes को educational facilities देने की ओर दिलाना चाहता हूं । यह तो सरकार ने मान लिया है कि इन्हें educational facilities दी जानी चाहिएं परन्तु अभी तक education का महकमा यह फैसला नहीं कर सका कि हरिजन विद्यार्थियों को stipend मिलेगा या उन की fees remission होगी । इस से विद्यार्थियों को दिक्कत-पेश आती है । वे बिचारे हफते में तीन बार मेरे पास पूछने आते हैं । मैं उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे सकता यही कह देता हूं कि सरकार गौर कर रही है ।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहताहूं कि stipends और fees के arrears की रकम बहुत ज्यादा है और मैं यह समझता हूं कि 8 लाख 15 हजार की जिस रकम को provide किया गया है यह arrears को meet करने के लिये काफी नहीं । और सरकार किसी तरह भी इन arrears को meet नहीं कर सकती । फिर एक और बात है कि Government Institutions तो ऐसी कठिनाईयों को सहन कर सकती है उन के पास funds भी होते हैं और Government adjustments भी कर लेती है परन्तु Privately-managed institutions के resources ज्यादा नहीं होते और वह इस तरह adjustment नहीं कर सकती । अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं Education Minister साहिब को बताना चाहता हूं कि यह हमारी देरीना शिकायत है । वह इस की तरफ ध्यान दें । विद्यार्थियों को पढ़ाई के समय में पता ही नहीं चलता कि fees में remission होगी या नहीं होगी जिस से वह पढ़ाई दिल लगा कर नहीं कर सकते । जिस तबका से इस concession का सम्बन्ध है वह सब जानते हैं, कि गरीब तब्बका है और उन के पास इतना रुपया नहीं कि अपने पढ़ाई के खर्चों को पूरा कर सकें । इसलिये इस बात का जल्द फैसला किया जाना चाहिये । इस से institutions पर और विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

दूसरी बात जो मैं Education Minister और Finance Minister के ध्यान में लाना चाहता हूं वह है National Cadet Corps की जिस के लिये demand नं. 13 में प्रबन्ध किया गया है । जहां तक इस मांग का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि नौजवानों के अन्दर जजबात हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें Military Training दें । इस के लिये Supplementary Demand में 1 लाख 63 हजार के करीब रुपया रखा गया है । यह रकम इस लिये रखी गई है कि 1 लाख 88 हजार के करीब रुपया जो National Cadet Corps की expansion के लिये Government of India ने release किया हुआ है वह नाकाफी है ।

मुझे कालिजों का पता है कि companies की कितनी ज़रूरत है । जहां पहले 1,500 विद्यार्थी थे वहां अब 5,000 हैं । National Cadet Corps की मांग बढ़ रही है । जहां एक कालेज में 150 या 200 विद्यार्थी apply

करते हैं वहां केवल 55 लेने होते हैं। बाकी विद्यार्थी मायूस होते हैं। National Cadet Corps का शौक इस लिये भी बढ़ रहा है कि जो विद्यार्थी इस में शामिल होते हैं उन्हें किसी परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं रहती। उन्हें तो केवल interview के आधार पर ही commission मिल जाती हैं। इस लिये जिन विद्यार्थियों को N. C. C. में जगह नहीं मिलती उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और वह निराश हो जाते हैं। इस लिये जो रुपया National Cadet Corps की expansion के लिये रखा गया है वह नाकाफी है। मुझे पता है कि १० कालेज हैं जो कितने अर्से से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक company दी जाए परन्तु हर बार इस request को turn down कर दिया जाता है। इस का कारण भी यही बताया जाता है कि फ़ंडज़ funds नहीं हैं।

फिर, अध्यक्ष महोदय, यदि यह माना जाता है कि Military Training बड़ी गौरवपूर्ण है और सरकार को इस का उचित रीति से पास है तो कोई कारण नहीं कि Government इस को expansion के लिये अधिक रुपया न दे। रुपया अधिक न होने के कारण नवयुवकों को Military Training से वंचित रहना पड़ता है। ऐसी शिक्षा को प्राप्त न करने पर नवयुवकों को निराशा होती है। मुझे यह देख कर अफसोस होता है कि ऐसी ज़रूरी चीज की ओर कदम नहीं उठाये गये और N. C. C. की expansion के लिये काफी funds नहीं रखे गये। Military Training को बढ़ाना विशेष महत्व की बात है इस लिये इस की expansion के लिये अधिक रुपया रखा जाए, यह भी नवयुवकों की मांग है और इसी में ही देश और जाति का कल्याण है।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनी पत) : स्पीकर साहिब, हमारी गवर्नमेंट करीबन एक करोड़ रुपया ज़िमनी मुतालिबात के तौर पर मांग रही है। इस बारे में यही कहा जाता रहा है और अब भी यही कहा गया है कि Budget बनाते वक्त इस खर्च का ठीक अंदाजा नहीं हो सका और अब पता चला है कि यह इख़राजात ज़रूरी हैं, चुनांचि इन में से कुछ खर्च कर दिये गये हैं और कुछ किये जायेंगे इस लिये आप से मनज़ूरी मांगते हैं।

स्पीकर साहिब, इस 91 लाख रुपये में कई महकमे और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। उन सब पर तफ़सील से कुछ कहना मुमकिन नहीं और मेरे ख्याल में इस की ज़रूरत भी नहीं है। इस लिये मैं सिर्फ चंद चीजों के मुतअल्लिक कुछ अर्ज़ करूंगा। पहली चीज़ तो यह है कि General Administration के मातहत 19.000 रुपये का मुतालबा by-election के सिलसिले में किया गया है। इस के बारे में सरकारी बयान पढ़ कर पता चलता है कि हमारी सरकार को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि by-elections भी हो जाया करते हैं। और उन पर कुछ खर्च भी हुआ करता है। (हंसी) चुनांचि वह कहते हैं कि Budget में इस मद में कोई provision नहीं की गई थी इस लिये जिन कम्पनियों की मोटरें requisition की गई थीं उन के बिल चुकाने और दूसरे मुतफ़र्रक इखराजात के लिये 19.000 रुपया मांगा जा रहा है। मैं पूछता हूं कि इस बात का ख्याल क्यों न आ सका कि by-election भी हो जाया करते हैं? खैर इस को भी छोड़िये। मगर इस बारे में एक खास बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस काम के लिये खाह कितना

[पंडित श्री राम शर्मा]

रुपया मांगे और किसी भी सूरत में मांगे मगर elections हर हालत में जमहूरियत के असूलों और Constitution के मुताबिक होने चाहियें। मैं किसी खास वाकिया का जिक्र नहीं करता क्योंकि मुमकिन है वह इस वक्त किसी election petition का subject हो लेकिन यह बात बिलकुल वाजया है कि elections में वज़ीर साहिबान ऐसे २ तरीकों से काम करते हैं जो सख्त नामुनासिब और नाजाइज़ होते हैं।

(एक आवाज़ : यह शिकायत कब से पैदा हुई है ?)

पंडित श्री राम शर्मा : शिकायत तो पहले भी मौजूद थी मगर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। पस वज़ीर साहिबान को यह मुतालिबात पेश करके इन्हें मनज़ूर करने की दरखास्त करने से पहले अपना रवैया ठीक करना चाहिये। Transport वालों और दूसरे लोगों पर कई ज़रायो से नाजाइज़ दबाओ डालने और ग़ैर जमहूरी unconstitutional तरीके इस्तेमाल करने के बाद यह उम्मीद रखना बिलकुल गलत है कि हम हर ऐसा मुतालिबा चुपचाप पास कर दें। ऐसा करना तो अपने सूबे के साथ और खुद अपने साथ बेइनसाफी होगी। इस बारे में हमारी गवर्नमेंट का रवैया काबिले मुज़म्मत है और सारे पंजाब में यह हकूमत elections में नाजाइज़ दबाओ डालने और ग़ैरजमहूरी sources से काम लेने के बारे में दिन दूनी रात चौगुनी बदनामी इकट्ठी कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह दो अफसरों की transport के खर्च का मामला है और आप General Discussion करने लग पड़े हैं Elections पर।

(The demand relates only to the expenditure on transport for two officers but the hon. Member has started a general discussion on Elections.)

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब, जब 19,000 रुपये का मुतालिबा किया जाए तो उसके मुतअल्लक कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : मगर आप उसे काबिले बर्दाश्त तो बना दें।

(But the hon. member should, at least, make it tolerable.)

पंडित श्री राम शर्मा: वह तो जरूर बनाऊंगा जनाब !

दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों में हमारी गवर्नमेंट ने अपनी होशियारी और काबिलियत से Agriculture के मातहत एक मद में 15 लाख रुपये का नुकसान कर दिया है। उस में से आधा तो Central Government को देना पड़ेगा क्योंकि वह इन की सरप्रस्त होने के बाइस इन की सब खामियों और गलतियों की ज़िम्मेदारी की हिस्सादार बनने पर मजबूर है। बात यह है कि जनाब पंजाब भर में बड़ा ही शोर मचाया गया था की हिंद और पंजाब में Mechanical cultivation की scheme चलाई जाएगी यानी बैलों की जगह मशीनों से काश्तकारी की जायेगी। चुनांचि लोगों से कहने की बजाए हकूमत ने खुद फार्म खोल कर यह काम शुरु किया ताकि सरकार नमूना पेश करे और लोग उसे देख कर उन ही lines पर काम करें। अब चूंकि यह इस काम को सूबे भर में चलाना चाहते थे इस लिये खूब सोच समझ कर बड़ी एहतयात से काम शुरु

किया और 15 लाख रुपये का घाटा निकाल दिखाया। (हंसी)। इस में से 7,08,380 रुपया हमारे सूबे को देने पड़ेंगे। अब यह कहते हैं कि इस रकम की मनजूरी दे दो। वह तो हो जायगी लेकिन अगर हमारी हकूमत यही तजरुबे करती और ऐसे ही मोजिजे दिखाती रही और यूंही पंद्रह पंद्रह लाख का नुकसान होता रहा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस से हमारे सूबे के लोग क्या फायदा उठा सकते हैं और उन के दिल में इस Scheme पर अमल करने की कितनी खाहिश पैदा होगी। मैं कहता हूं कि यह सिर्फ अंधापन ही नहीं बल्कि इस में बेईमानी का भी बहुत दखल है।

अध्यक्ष महोदय : आप अंधापन जैसे लफजों से गुरेज करें।

["The hon. member should avoid the use of words like 'Andhapan.']

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब, अगर ऐसे लफजों से भी गुरेज किया जाये तो फिर सिर्फ गवर्नमेंट को मुबारिकबाद देने का काम बाकी रह जायेगा और यह काम सामने की बेंचों वाले दोस्त बड़ी खूबी से अंजाम दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह गवर्नमेंट बिलकुल निकम्मी और नाकारा साबित हो चुकी है। मैं ने कोई भी unparliamentary लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। यह हुकूमत तो इस से बहुत ज्यादा सख्त अलफ़ाज की मुस्तहक है।

अध्यक्ष महोदय : अलफाज के parliamentary या unparliamentary होने का फैसला करना तो मेरा काम है मगर आप ने जो जबान इस्तेमाल की है वह in good taste नहीं है।

[It is for me to decide whether a word is parliamentary or otherwise but the language used by the hon. Member has not been in good taste.]

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब हम से जो रुपया आज मन्जूर करवाया जा रहा है इस के लिये नरम लफ्ज़ों में सरकार की जितनी ही बुराई की जाये कम है।

स्पीकर साहिब, इस के इलावा एक लाख 81 हजार रुपया टिडी मारने के लिये रखा है। पहले बन्दर मारे जाते थे अब टिडियों की बारी आई है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण खत्म करने की कोशिश कीजिये और मैम्बरों ने भी बोलना है। Please try to finish, as other hon. Members have also to speak.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं सिर्फ दो दो तीन २ मिंट एक एक demand पर बोलूंगा। मैं कह रहा था कि टिडी का मारना तो अच्छा है क्योंकि ऐसा करने से खेती बच जाती है। परन्तु यह काम गलत तरीका से किया जा रहा है। मेरे ज़िला में गनौर का एक इलाका है। गनौर की मंडी में जाकर Police के आदमियों ने पंचों को साथ ले जाकर रुपया महाजनों और जैनियों से मांगा और कहा कि वे रुपया दे दें तो यह जीव हत्या न होगी जब Deputy Commissioner साहिब वहां गये तो यह सब बातें उन को सुनाई गईं।

अध्यक्ष महोदय : इन कहानियों को जाने दीजिये। आप अपनी तकरीर को खत्म करने की कीजिये। Leave these stories alone. Kindly try to finish your speech.

पंडित श्री राम शर्मा : अगर यह कहानियां ही हैं तो मैं बैठ जाता हूं ।

श्री श्री चन्द (बहादुरगढ़) : साहिबे सदर ! मैं ने तो एक दो demands पर बोलना है । मैं यह नहीं चाहता कि हरेक demand पर दो दो तीन तीन मिंट बोलूं । एक तो मुझे police की बाबत कुछ कहना है । साहिबे सदर । लोगों को उम्मीद यह थी कि अपने राज आने के बाद जैसा कि और चीजों में सुधार होगा इसी तरह से police के महकमें में भी शायद सुधार हो । लेकिन आज पहले की निसबत police से ज्यादा लोग डरते हैं । पहले की निसबत आज police में रिशवत ज्यादा है । पहले की निसबत आज police लोगों पर ज्यादा मुकद्दमें बनाती है । फिर भी सारी बात को जानते हुए मुझे मालूम नहीं कि किस तरकीब से हमेशा ही आए साल और हर supplementary demand में police की तादाद पंजाब में बढ़ाई जा रही है । पिछले दिनों जो कुछ रोहतक में हुआ वह जनाब को मालूम है । इस House के सामने आ चुका है ।

श्री राम किशन : On a point of order, Sir........

अध्यक्ष महोदय : पहले देख लेने दीजिये कि इस point को माननीय सदस्य अपनी Speech से कैसे connect करते हैं । Let me see how the hon. Member connects this point with his speech.

श्री श्री चन्द : साहिबे सदर ! मैंने सुना नहीं कि मेरे दोस्त कहां connect करवाना चाहते हैं । (हंसी) अगर मुझे वे बता दे तो मैं वहीं connect कर दूंगा जहां वे connect करवाना चाहते हैं (हंसी) । मेरे दोस्त शायद यह चाहते हैं कि abducted women के बारे एक कमेटी बनाई जाये जिन के तमाम मैम्बर कांग्रेसी हों । मैं इस कमेटी की सखत मुखालफत करता हूं क्योंकि ऐसी कमेटी बनाने पर सरकार का खर्च आयेगा । हम कोई ऐसी कमेटी नहीं चाहते जिस पर सरकार का खर्च आए । क्यों साहिब, अब point जुड़ गया या कोई कसर बाकी है ।

यह तो रही police की हालत । अब मुझे agriculture के बारे अर्ज़ करना है । मैं देखता हूं कि कोई मंत्री साहिब या कोई शहरी माननीय सदस्य जिन का ज़मीन से कोई वास्ता ही नहीं होता और न ही कोई तजरुबा होता है उठ कर कह देते हैं कि consolidation के होने से पंजाब के ज़मींदारों पर बेहद एहसान किया गया है । मैं अर्ज़ करता हूं कि चार करोड़ 80 लाख रुपया इस consolidation के बहाने ज़मींदारों से वसूल किया गया है ।

Mr. Speaker: The hon. Member should try to be relevant.

श्री श्री चन्द : अर्ज़ यह है कि हमें अपना दुःख ही तो कहना है । मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि मैं कोई सखत बात नहीं कहूंगा । लेकिन मैं आपके notice में लाना चाहता हूं कि जिस तरह consolidation का काम हो रहा है उस से हरेक शख्स नालां है । आप को तअज्जुब होगा कि ज़िला रोहतक में इस की वजह से दो कतल हो चुके हैं और कई आदमी suicide कर चुके हैं । इस के इलावा जो बात मुझे बहुत pinch करती है यह है कि जब ही कोई महकमा बनता है इस के लिये police इलैहदा रखी जाती है ।

चीफ़ पार्लीमैंटरी सैक्रेटरी (श्री प्रबोध चन्द्र) (गुरदासपुर) जनाब स्पीकर साहिब ! मुखालिफ बैंचों से कई दोस्तों ने तकरीरें की हैं। एक साहिब तो उस party से ताअल्लुक रखते हैं जिस का विश्वास है कि किसी बात के बारे में बार बार गलत ब्यानी की जाय तो सुनने वाले सोचने लगते हैं कि इस में कुछ न कुछ सचाई जरूर होगी। उन्होंने by-elections का ज़िक्र करते हुए कहा कि transport सरकारी इस्तेमाल किया गया।

श्री श्री चन्द : On a point of order, Sir. यह बात irrelevant करार दी गई थी। irrelevant बात का जवाब भी तो irrrelevant है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने तो दें ताकि पता चले कि यह जवाब कैसे irrelevant है। Please let him speak, so that it may become clear how this reply is irrelevant.

चीफ़ पार्लीमैंटरी सैक्रेटरी : मैं by-elections के सिलसिले में अर्ज़ कर रहा था कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे मोहतरिम दोस्त ने कह दिया कि अच्छे माकूल आदमियों की हकूमत है जिस को यह पता नहीं लग सकता कि by-elections होने वाली हैं या नहीं। मैं उन्हें बता दूं कि अगर उन्होंने Supplementary Estimates को ग़ौर से पढ़ा होता तो उन्हें मालूम हो जाता कि यह by-elections इस लिये हुई कि एक जगह सरदार आत्मा सिंह पार्लीमैंण्ट के मैम्बर के स्वर्गवास हो जाने की वजह से खाली हुई और दो जगहें डाक्टर सत्यपाल और सरदार निधान सिंह की मौत की वजह से। मैं महसूस करता हूं कि शायद पंडित जी हमारी cabinet में रहते तो ज्योतिष के इल्म से यह जान लेते कि कौन कौन मैम्बर मरने वाला है तो हमें उन की मौजूदगी का ज़रूर फ़ायदा पहुंचता।

इस के इलावा मेरे कुछ कांग्रेसी भाइयों ने यह एतराज़ उठाया है कि मैं ने अलेक्शनों के दिनों में गवर्नमैण्ट की transport का इस्तेमाल किया। इस के साथ साथ यह भी कहा गया कि एक तरफ तो गवर्नमैण्ट सरकारी अफसरों को जनता से रिश्वत न लेने की सख्त हिदायतें जारी करती है मगर दूसरी तरफ सरकारी मोटरों का नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस सिलसिले में उन्हें साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि मैं ने उन दिनों सरकारी transport का कतअन इस्तेमाल नहीं किया ?

सरदार अच्छर सिंह छीना : On a point of Order, Sir. क्या माननीय मैम्बर बतायेंगे कि वह किस की मोटर कार इस्तेमाल करते रहे हैं ?

चीफ़ पार्लीमैंटरी सैक्रेटरी : मैं अपने दोस्तों को दावत देता हूं कि वह मेरी मोटर की log book मंगवा कर देख सकते हैं और अगर वह ज़ाहिर कर दें कि मैं ने by-elections के सिलसिले में एक मिनट के लिये भी अगर गवर्नमैण्ट transport का इस्तेमाल किया हो तो जो सज़ा हाऊस तजवीज़ करे मैं खुशी से बरदाश्त करने के लिये तैयार हूं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे सामने बैठे हुए भाई इस गवर्नमैण्ट के जमहूरियत के असूलों पर भी विश्वास नहीं रखते। असल में बात यह है कि इन मैम्बरों की नकेल हज़ारों

[चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी]
मील दूर बैठी हुई एक पार्टी के हाथों में है । उन्हें वहां से Instrument of Instructions आ जाता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में नाराज़गी का जज़बा पैदा कर के बदअमनी फैलाओ । वह इस काम की तकमील में हर मुमकिन कोशिश करते हैं चाहे उन्हें कितनी ही गलत ब्यानियां क्यों न करनी पड़ें । उन का यह अकीदा है कि गवर्नमैण्ट की हर अच्छी बात को बुरा कहा जाये ।

सरदार अच्छर सिंह छीना : स्पीकर साहिब ! क्या लगव कहना Parliamentary है ?

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : मैंने लग़व नहीं बल्कि गलत ब्यानी का शब्द इस्तेमाल किया था उसे भी वापस लेने के लिये तैयार हूं । मैं ने देखा है कि जब तक अपने दोस्तों को ईंट का जवाब पत्थर से न दिया जाये यह नहीं समझ सकते । मैं आपोज़ीशन के भाईयों से कहूंगा कि गलत ब्यानी करने से काम नहीं चलेगा लोग अच्छी तरह से आप के इन tactics को समझते हैं । जो लोग इस अलैकशन में Stalin और Lenin का नाम ले कर हम से मज़ाक करते थे उन को हम ने दस हज़ार वोटों पर शिकस्त दे कर पिछाड़ कर रख दिया ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मैं आप की ruling इस बात पर चाहता हूं कि क्या लग़व कहना Parliamentary है और दूसरा यह कि क्या माननीय मैम्बर relevant तकरीर कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर ने 'लगव' का शब्द इस्तेमाल नहीं किया था । उन्हों ने Opposition की allegations को contradict किया है और वह जो तकरीर कर रहे हैं वह relevant है ।

The hon. Member did not use the word "लगव". He has contradicted the allegations made by the Opposition and what he is saying is relevant.

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : मेरे दोस्त यहां ग़लत प्रापेगेंडा करके प्रेस के ज़रीये अवाम में ग़लतफहमी पैदा करना चाहते हैं और ऐसी बातों से अवाम के दिमाग़ में ग़लत एहसास होने का खतरा है । हम ने उस by-elections में शानदार जीत हासिल की है और इस election compaign में लोगों को कोई ग़लत झांसे नहीं दिये गये और न ही अवाम को गुमराह किया गया है । मैं ने उन की ग़लत ब्यानी की वजह से मुनासिब समझा है कि उन को जवाब दे दिया जाये ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. जो माननीय मैम्बर ने कहा है कि लोगों तक पहुंचाने के लिये उन्होंने हमारी गलत ब्यानियों का जवाब दिया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन का ऐसा जवाब देना relevant है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि उन बातों की contradiction हो जाये । (Is it intolerable for the hon. Member to hear the Contradiction of those things stated by the opposition ?

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि मेरे दिल में पंडित श्री राम शर्मा के लिये बहुत इज्ज़त है। अगर उन्हें ऐसी बातें सुन कर दुख हुआ है तो मैं नहीं कहूंगा। मैं सामने बैठे हुए भाईयों को challenge करता हूं कि मैं ने इस by-election में कोई गवर्नमेंट transport न इस्तेमाल की है न इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस हुई है और न अयिंदा होगी।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a point of order, Sir. ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ......

Chief Parliamentary Secretary : Sir, is this a point of order ? I do not give way.

Mr. Speaker : Let him state his point of order, please.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ election petition ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ।

अध्यक्ष महोदय : Please, resume your seat ! Point of order का यह मतलब नहीं कि जो दिल में बात आये वह point of order कह कर कह दी जाये।

[Please resume your seat. A Point of Order does not mean that one should speak out whatever he desires by taking shelter under this privilege.]

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : जनाब आली ! मैं ने इन बातों का वज़ाहत से इस लिये ज़िक्र किया है ताकि लोगों के दिलों में कोई गलत फहमी पैदा न हो।

इस के इलावा पंडित जी ने Tractor cultivation के सिलसिले में कहा कि गवर्नमेंट को इस में 7 लाख का घाटा पड़ा। मुझे अफसोस है कि गवर्नमेंट को इतना घाटा बरदाश्त करना पड़ा लेकिन पंडित जी को पता होगा कि यह घाटा उस वक्त हुआ जिस वक्त गवर्नर राज था और इस का मौजूदा वज़ारत से कोई ताल्लुक नहीं।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. क्या गवर्नमेंट की तरफ से यह सफाई दी जा सकती है कि सरकारी काम गवर्नर राज में हुआ इस लिये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है।

Mr. Speaker: Can the hon. Member quote any rule under which any member is not allowed to refer to such things.

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : इस सिलसिले में मैं वज़ाहत से ब्यान कर देना चाहता हूं कि यह ट्रैक्टर War के खत्म होने के फौरन बाद लिये गये। ५० per cent ट्रैक्टर जो Central Tractor Organization से लिये गये वे Working order में नहीं थे। उस वक्त ट्रैक्टरों की बहुत ज्यादा मांग थी ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन की cultivation की जाये।

Mr. Speaker: Please, wind up your speech now.

चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी : आप के हुक्म के मुताबिक मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सामने बैठे हुए भाईयों से अर्ज़ करूंगा कि वह इस एवान को गवर्नमेंट के खिलाफ प्रापेगेंडा करने के लिये इस्तेमाल न करें। उन्हें गवर्नमेंट के हर अच्छे काम की सराहना करनी चाहिये और बुरे काम की मुखालिफत। इस सिलसिले में मुझे एक बात याद आ गई है। एक बार एक प्रोफैस्सर ने कहा कि बच्चा और बूढ़ा एक बराबर होते हैं। उस ने कहा कि let me prove it by Binomial Theorem मैं कहूंगा कि यह मिसाल ज़ेर ग़ौर मसले पर सादक आती है।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ, ਜੋ ਤਿਨ ਗਲਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ supplementary grants ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁਤੱਲਕਾ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਸੀ, contingency fund ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹਾਸਉ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ recovery ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਬਸ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਇਕ human problem ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਲ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ non-official ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੁਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤਾਲੀਮ ਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ Information Bureau ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇਤਲਾਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ guide

ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ । ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ guidance ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ bureau ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਭ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥ-ਖਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਕਮਾਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਈ funds ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਪੜੇ, ਧੋਤੀਆਂ, ਖੇਸ, ਤੌਲੀਏ, tapestry ਆਦਿ, ਜਿਸਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ funds reserve ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਕੁਲ 16 ਡਿਪੋ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰਖੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ depot-holders ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਣ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ per cent ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੱਲਾ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਬੋ-ਦਬ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲਖ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧ ਵਧ ਕੇ 1952 ਵਿਚ 8 ਲਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 13, 14 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖਣੀ ਪਏਗੀ, Cabinet ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਫੇਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜਿਆਂ, ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ limit ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਏ (ਤਾੜੀਆਂ)। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 23 ਲਖ ਰੁਪੈ ਤਕਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ।

ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ । ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ notice ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Finance Department ਵਲੋਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਵਲੋਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਛ ਗਿਛ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।

ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ bye-election ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ supplementary demand ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ contingency fund ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ bye-election ਹੋਏਗੀ ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ Central Tractor Organisation ਸਾਡੇ ਥਲ ਸੀ ਏਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ, ਬੇਵਕੂਫ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ tractors ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ reclaim ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ charge ਵਿਚ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ 32,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ reclaim ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ Charges 75 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ mechanical cultivation ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਚ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ reclamation ਦਾ ਖਰਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦ Tractor Cultivation ਦਾ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ....

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ enquiry ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ enquiry ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਸਨ, surplus stores ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਉਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਡੇ ਵਡੇ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ cost of cultivation ਵਧ ਗਈ।

पंडित श्री राम शर्मा : इस में किसी की बेईमानी या किसी की बेवकूफी नहीं साबित हुई ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ locust ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ State ਵਿਚ ਟਿੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਨੇ ਦੋ ਤਿਨ ਹਮਲੇ ਕਿਨੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (*Interruptions* from Sardar Achhar Singh Chhina).

Mr. Speaker. The hon. Member should refrain from any such action which may interrupt the proceedings of the House.

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਐਸਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ demand ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। abducted women ਉਪਰ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ Government of India ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਹਨ ਉਹ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

Mr. Speaker: Now guillotine will be applied and all the motions regarding the Appropriation Bill will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Appropriation No.3 Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the clauses of the Bill will be put to the vote of the House.

CLAUSE 2

Mr. Speaker: Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker: Question is—

That the Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Appropriation No. 3 Bill be passed.

The motion was carried.

EXCESS DEMANDS

STAMPS

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 7,805 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 9-Stamps.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 7,805 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 9-Stamps.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a point of information, Sir. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਨ 1950-51 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ? ਇਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?

Mr. Speaker : I have allowed these cut motions with the idea that there may be a discussion on the demands.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਆਪ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਦਿਉ ।

Mr. Speaker : This is a demand of its own type. Even in Parliament, such a demand has not been discussed so far.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of information Sir. ਇਹ demand ਕਿਸ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਆਈਨੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ ।

Mr. Speaker: This excess demand has been moved to bring about a technical regularization of the accounts of the previous year. This is the purpose for which it has been brought forward.

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : Public Accounts Committee ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ demand ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ precedent ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ demands ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ within limits ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker: In this connection I would like to draw the attention of the House to Art. 205 of the Constitution of India. It is like this—

> 205. (1) The Governor shall—
>
> (a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or
>
> (b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be".

ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ put ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Public Accounts Committee ਨੇ ਇਸ ਦੀ suggestion ਕੀਤੀ ਹੈ।

[This demand has been put forward for the first time. The Public Accounts Committee has made this suggestion]

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह कायदे के मुताबिक है ? rules के मुताबिक है, इस के लिए procedure क्या है?

Mr. Speaker: Procedure is the same as for the Supplementary Estimates.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a point of order, Sir. Supplementary Estimates ਤਾਂ Estimates Committee ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ Public Accounts Committee ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

Mr. Speaker: The Article, which I have just now quoted, clarifies the whole position.

The Government would have requested the House to regularise this excessive expenditure even if the Public Accounts Committee had not pointed it out in its Report.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I draw your attention to Rule 167 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly. It reads like this—

> "Supplementary, Additional, Excess and Exceptional grants and Votes of Credit shall be regulated by the same procedure as is applicable in the case of demands for grants subject to such adaptations, whether by way of modifications, addition or omission as the Speaker may deem to be necessary or expedient".

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of information, Sir. ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ Excess demands ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰਖੀਏ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ Excess Demands ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਣ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ?

Mr. Speaker: The reasons have been given below each Demand. Anyhow, I would ask the Finance Minister to give a gist of those reasons to satisfy the hon. Members of the Opposition Party.

Pandit Shri Ram Sharma: He himself does not know the reasons.

Minister for Finance: The reasons are already there.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ position clear ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ excess Expenditure ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ Excess ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਏ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

श्री दौलत राम शर्मा : जो Article आप ने पढ़कर सुनाया है । इस में लिखा है— 'current ear' लेकिन यह तो सन् 1950-51 का खर्च है उस के बाद कई सालों का बजट बना Supplementary Demands आईं । यही चीज़ सन् 1952-53 में भी लाई जा सकती थी । जब इसको regularise नहीं किया गया तो मुतअल्लिका लोगों के खिलाफ़ क्या कोई action नहीं लिया जाएगा ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲ ਤੇ ਰਖ ਲਉ ।

पंडित श्री राम शर्मा : रूल 167 में है कि......

"Supplementary, Additional, Excess and Exceptional grants and Votes of Credit shall be regulated by the same procedure as is applicable in the case of demands for grants subject to such adaptations, whether by way of modifications, addition or omission as the Speaker may deem to be necessary or expedient".

तो क्या आप इस वक्त तक इस सिलसिला में कोई कायदा बना चुके हैं या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह पेश ही पहली दफ़ा किया गया है (This has been presented only for the first time)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं, जनाब, यह बताना चाहता हूं कि इस में यह लिखा है कि वह उसी तरीके से पेश होगी जैसे कि Demands for Grants होती हैं बशर्तेकि स्पीकर साहिब ने इस के मुतअल्लिक कोई रूल बना दिए हों । मालूम होता है कि रूल वगैरा बने नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : ज़रूरत ही नहीं पड़ी ।

(The need for this did not arise earlier)

पंडित श्री राम शर्मा : ज़ाहिर है कि यह उसी तरह पेश होगी जिस तरह demands for grants होती हैं। Demand for grants पर cut motions की जा सकती हैं । इसलिए यह तो रूल बना दिया होता कि इस तरह की excess demands पर cut motions न लाई जाएं । मगर अब जब इस बारे में कोई रूल नहीं बनाया गया तो आप को ये cut-motions admit करनी ही पड़ेंगी इस में लिखा है कि—

"Shall be regulated by the same procedure as is applicable in the case of demands for grants subject to such adaptations".

अध्यक्ष महोदय : इसी लिये तो मैंने यह cut motions admit की हैं । लेकिन चूंकि अभी तक रूल नहीं बनाए गए इस लिये इन्हें provisional तौर पर admit किया है Subject to later modifications.

[This is why I have admitted these cut motions of which notices have been given. Since the rules have not yet been framed, I have admitted them provisionally subject to later modifications].

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि हमारे rules यह provide करते हैं कि जिस तरीके से Demands for grants पेश होती हैं, उसी तरीके से ये Excess demands भी पेश होगीं सिवाए इस के कि........

अध्यक्ष महोदय : आप ज़रा समझने की कोशिश करें । जहां तक cut motions admit करने का सवाल है वह तो मैं ने मान लिया है । लेकिन जहां तक इन की particular motion का सवाल है कि सारी मद को delete कर दिया जाए that negatives the whole motion.

[Please try to understand the position. So far as the question of admitting the cut motions is concerned, I have acceded to that. But as regards his particular cut motion that the demand be deleted, it negatives the whole motion.]

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ Excess demands ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । Constitution ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ regularise ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਦੋਂ Finance ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਨਵੀਂ Constitution ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ Consolidated Fund ਵਿਚੋਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ regularisation ਲਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ 1950-51 ਦਾ ਖਰਚ ਜਦੋਂ Public Accounts Committee ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ excesses note ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ regularise ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Mr. Speaker: Question is—

That a grant of sum not exceeding Rs. 7,805 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 9-Stamps.

The motion was carried.

POLICE

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,84,733 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 29-Police.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,84,733 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 29-Police.

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब ! यह जो demand No. 2 जिस में 1950-51 की Administration of Justice से ताल्लुक है इस के बारे में मैं अर्ज़ करता हूं कि जो रुपया सरकार ने उस साल की Supplementary Demands में मन्जूर कराया था उस के बाद यह 83,382 रुपय ज़्यादा खर्च हुए हैं । तो यह जो पहली ही इस किस्म की.............

Mr. Speaker: Demand No.2 relates to pay of Officers (District Executive Force), Cost of Ordnance Stores and non-recovery of cost of Police Guard employed at Bhakra-Nangal Project.

The hon. Member should confine his speech only to these three items of expenditure.

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ Excess Demand No. 2 ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪਲਿਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਨੰਗਲ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਵਾਧੂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਿਚ provide ਕੀਤਾ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि Excess Demand No. 2 में मांगे गये 1,84,733 रुपये का खर्च 1950-51 में हुआ था । चूंकि यह हमारे हाऊस के लिये पहला मौका है कि पहले कई सालों में कोई खर्च हो गया हो और उसे अब मन्जूरी के लिये लाया जा रहा हो तो इसी वजह से मैम्बरान महसूस कर रहे हैं कि अगर इस चीज़ की खामोशी से मन्जूरी दे दीजिये तो गवर्नमेंट की आदत पड़ जावेगी और वह Supplementary Demands के बाद भी वह खर्च कर लिया करेगी और बाद में जो irregularities हो गई होंगी उन्हें इस तरह हाऊस में लाकर मन्जूर करा लिया करेगी ।

यह बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि इस तरह से 21 लाख रुपया की रकमों के खर्च को 3 या 4 साल गुज़र जाने के बाद हाऊस के सामने लाया जाए । इन की तफ़सील में भी इस वक्त नहीं जाया जा सकता । हमें तो इस से असूलन ही इख्तलाफ है । यह तरीका जहां तक मुम्किन हो नहीं अख्तियार किया जाना चाहिये और इसे बहुत ज्यादा exceptional cases में अपनाना चाहिये । क्योंकि हमारे rules हमें provide करते हैं कि इस तरह के हालात में जो रुपया खर्च हो गया हो तो उस की मन्जूरी ली जाती है तो यह बहुत exceptional cases में की जानी चाहिये । हम देख रहे हैं कि लाखों रुपये की रकम इन demands में पेश है । इन पर हम असूली तौर पर protest ज़ाहिर करते हैं । वरना हमें तनी late stage पर इन की तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं थी ।

ਸਰਦਾਰ ਚਨੰਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲਖ ਰੁਪਿਆ Supplementary Demands ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਹੁਣ 1,84,733 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਖੜ ਨੰਗਲ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ Excess Demands ਵਿਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ late ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 1951 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘਟ ਸੀ । ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ Demands ਨੂੰ Beneficiary

Departments ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਕੇ meet ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ Excess Demands ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ support ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਿਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਫ਼ਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ supplementary demands ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ Finance Minister ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ Finance Department ਨੂੰ ਦਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ Departments ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਧ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੜਕੇ repeat ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਫੇਰ, ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1950-51 ਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ supplementary Demands ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ Excess demands ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! मुझे Finance Minister साहिब की एक बात से इतफ़ाक है जो उन्होंने कहा है कि वह आइंदा के लिये इस के मुतअल्लिक ध्यान रखेंगे कि ऐसी excess demands न लाई जाएं और सारा खर्च supplementary demands में से ही पूरा कर लिया जाए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस महकमें को बिल्कुल उड़ा देना चाहिये । इस की जरूरत ही नहीं है । यह जो पुलिस abducted persons के लिये.......(हंसी)

अध्यक्ष महोदय : Order, order । देखिये इस वक्त abducted persons के लिये रखा गया staff under discussion. नहीं है ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : स्पीकर साहिब, मैम्बर साहिबान मेरी इस बात पर खुश हुए हैं कि पुलिस के महकमे को उड़ा दिया जाए तो मैं इस पर भी इक्तफ़ा नहीं करूंगा........

अध्यक्ष महोदय : यह जो excess demands इस वक्त हाऊस के सामने हैं यह सारा खर्च 1950-51 में हो गया था जिस वक्त यह मौजूदा सरकार न थी । यह तो उस को regularise करने का जो procedure होता है वह पूरा किया जा

[अध्यक्ष महोदय]
रहा है। आप अब यह बात नहीं कह सकते कि इस महकमे को बिल्कुल उड़ा देना चाहिये। यह आप और किसी मौके पर कह सकते हैं। The excess demands now before the House relate to the expenditure incurred by the Government during 1950-51 when the present Government was not in office. This procedure is being adopted to regularise old expenditures. The hon. Member cannot say now that this department be abolished. He can say so on some other occasions.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : स्पीकर साहिब, मैं यह इस लिये कह रहा हूं ताकि इन चीजों का future में repetition न हो।

पंडित श्री राम शर्मा : यह तो इस लिये कह रहे हैं ताकि न रहे बांस और न बजे बंसरी।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : हम चाहते हैं कि इस के हाथ में जितनी कम ताकत हो उतनी अच्छी होगी। इस लिये इस को उड़ा देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : 1950-51 में किए गए खर्च की demand को रोकने से उस वक्त की पुलिस तो हटने से रही। यह तो अब खर्च को regularise किया जा रहा है।

Mr. Speaker: You cannot now abolish the police which was kept during 1950-51 by refusing to accept the demand pertaining to the expenditure incurred on it at that time. This exeess demand is meant to regularise that expenditure.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : इस का एक ही मतलब है। यह मैं इस लिये कहता हूं.......

अध्यक्ष महोदय : आप समझे नहीं। यह एक technical सी बात है। Police के महकमे को उड़ाना चाहें तो बजट के वक्त इस मामले पर जितना time लेना चाहें लें। मगर अब यह जो demand है यह तो 4 साल पुराने खर्च से मुतअल्लिक है।

(You have not caught the point, which is of a technical nature. If you want to wind up the Police Department you can have ample time to speak on this subject during the general discussion of the Budget. But the present demand relate to an expenditure which was incurred 4 years ago).

पंडित श्री राम शर्मा : मगर वह यह argument तो दे सकते हैं ताकि फिर ऐसी बात न हो।

Mr. Speaker:,Why is the hon. Member advocating for him (Professor Mota Singh).

Professor Mota Singh Anandpuri : Sir, I will advocate my own case (*Laughter*).

I say that the Police is not serving any useful purpose. It is, on the other hand, harassing the people of the State. The Police Department should, therefore, be abolished forthwith.

This House is being asked to regularise the excess exenditure of Rs. 1,84,733 incurred by the Police Department during the year 1950-51. Sir, I am of the view that an expenditure of one pie over and above the amount voted by the Legislature for this Department is most inappropriate and unjustified. I would request the hon. Finance Minister to seriously consider this matter and see that irregularities of this type are not repeated in future.

It appears from the attitude of the Government that it is not worried about this just because the money is to be received from the Central Government. This attitude is not commendable. The Government should not have this consolation. I would remind it that it is the tax-payer's money which is being used by the Central Government.

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Member should try to be relevant. He is repeating his arguments.

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ (ਨੂਹ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ"। ਸੋ ਗਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Mr. Speaker: Question is—

> That a grant of a sum not exceeding **Rs. 1,84,733 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 29-Police.**

The motion was carried.

AGRICULTURE

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

> That a grant of sum not exceeding Rs. 2,63.661 **be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 40-Agriculture.**

Mr. Speaker: Motion moved—

> That a grant of a sum not exceeding **Rs. 2,63,661 be** made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951 in respect of 40-Agriculture.

ਸਰਦਾਰ ਚਨੰਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ Demand ਭੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 94,55,900 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ supplementary grant ਵਿਚ 18,52,020 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਭੀ ਉਪਰ 10,59,995 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ requisition ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਧ ਖਰਚ......

Mr. Speaker: Demand No. 3 regarding Agriculture is under consideration of the House.

(Sardar Chanan Singh Dhut then took his seat)

Mr. Speaker: Question is—

> That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,63,661 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 40-Agriculture.

The motion was carried.

CIVIL WORKS

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

> That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,50,995 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 50-Civil Works.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,50,995 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 50-Civil Works.

ਸਰਦਾਰ ਚਨੰਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ officers ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਕੇ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਜਗਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਮਕਾਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਵਾਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੀ ਕਈ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਤਨਾ ਜਿਆਦਾ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ accommodate ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ supplementary ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਭੀ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਿਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ demands ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੁਝ staff ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ staff ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚ ਉਸਤੋਂ ਭੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਸਤਰਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ । ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧੇ । ਨਵੇਂ staff ਨੂੰ ਰਖਣ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਹੋਰ tax ਲਾਏ ਜਾਣ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਹੋਰ ਭੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਣਗੇ । ਜੋ ਅਫਸਰ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਰਚ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ demand ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ) : ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਜੋ 10,50,995 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਭੀ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਜੋ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਦੀ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ requisition ਕਰਨੀਆ ਪਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਿਆ । ਕੁਝ miscellaneous ਖ਼ਰਚਾ ਭੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਭੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਇਸਤਰਾਂ ਵਧ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

Mr. Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,50,995 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 50-Civil Works.

The motion was carried.

BUILDINGS AND ROADS ESTABLISHMENT CHARGES.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,79,022 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of Buildings and Roads Establishment Charges.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,79,022 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of Buildings and Roads Establishment Charges.

Mr. Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,79,022 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of Buildings and Roads Establishment Charges.

The motion was carried.

TERRITORIAL AND POLITICAL PENSIONS, ETC.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,10,996 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of (i) 54-A Territorial and Political Pensions and (ii) 55-Superannuation Allowances and Pensions.

Mr. Speaker- Motion moved—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,10,996 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of (i) 54-A Territorial and Political Pensions and (ii) 55-Superannuation Allowances and Pensions.

Mr. Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,10,996 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of (i) 54-A Territorial and Political Pensions and (ii) 55-Superannuation Allowances and Pensions.

The motion was carried.

PAYMENTS OF COMMUTED PENSIONS, ETC.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,232 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March 1951, in respect of 83-Payments of commuted value of Pensions-Capital Expenditure.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,232 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 83-Payments of commuted value of Pensions-Capital Expenditure.

Mr. Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,232 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year ending 31st March, 1951, in respect of 33-Payments of commuted value of Pensions-Capital Expenditure.

The motion was carried.

RESUMPTION OF CONSIDERATION ON THE PUNJAB DISTRICT BOARDS (TEMPORARY CONSTITUTION) BILL, 1954.

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill. The other day, when the Assembly adjourned, Sardar Wazir Singh was in possession of the House. Since he is not in his Seat now, I call upon Sardar Harkishan Singh Surjit to make his speech.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ । ਇਹ ਬਿਲ ਜੋ ਸਭਾ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆ ਨੂੰ ਢੇਰ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਪਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ

ਥਰੂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਮਤਜ਼ਾਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕਢ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਥੇ ਅਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ordinance ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਮਨ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ justify ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ interim administration ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਨਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਗੀਆਂ, ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ।

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਾਸਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਦਾਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਂਬਰ ਸਮਾ ਸਕਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ Local-self Government ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸੇਲਫ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਗ਼ਰਜ਼ ਹੋਵੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਲ ਸੇਲਫ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਨ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸੇਲਫ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਿਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਅਗ਼ਰਾਜ਼ੋ-ਮਕਾਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ Administration ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਲ-ਸੇਲਫ ਗੌਰਮੇਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਂਬਰ ਸਿਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ anarchy ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰੇ।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ-ਸੇਲਫ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਨੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ।

ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਲ-ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਤਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਸੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਫੀ ਮੁਦਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਵਾਜਬ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਪਖ ਤੋਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀ ਆਈ।

ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਏਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਅਜੀਂ ਵੀ ਤੁਆਵਨ ਦੀ ਰਟ ਲਾਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਤੁਆਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਏਸ ਤਰਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ District Board ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਿਹਦ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ public life ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਂ ਇਹ District Board ਤੋੜ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ representative ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲ-ਬੋਤੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮਿਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾ ਕਰਾਣ ਅਤੇ District Boards ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਣ।

श्री देव राज सेठी (रोहतक शहर) : स्पीकर साहिब, आज भी और आज से पहले भी जिस दिन यह बिल पेश था मैं ने पूरे गौर और जिम्मेदारी से मेम्बर साहिबान की तकरीरों को सुना। मुझे सब से ज़्यादा हैरानी एक साबिक वज़ीर साहिब की तकरीर पर हुई है। वह आज अगर अपनी उसी जगह पर वज़ीर होते तो न सिर्फ यह कदम ही उठाते बल्कि District Boards का वजूद ही खत्म कर देने के हक में होते। हैरानी है कि कल तक तो वह District Boards का वजूद ही ख़त्म करना चाहते थे और आज इस अधूरे खातमे पर एतराज़ कर रहे हैं।

मौलवी अब्दुलगनी दार : सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाये तो उसे भूला नहीं कहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह interrupt करने की इजाज़त नहीं दूंगा, आप इन्हें तकरीर करने दें ।

I cannot allow such interruptions, the hon. Member should let him proceed with his speech.

श्री देव राज सेठी : फिर एक साहिब ने यह दलील पेश की है कि Upper House के चुनाव के सिलसिले में District Boards का रहना ज़रूरी है । मेरी गुज़ारिश यह है कि Legal Remembrancer साहिब इस मामले की छान बीन कर चुके हैं और उन्होंने बताया है कि District Boards तो ज़रूरी हैं मगर इसका यह मतलब नहीं कि 4 मेंबर हों या दस बीस हों या उन Boards की constitution क्या और कैसी हो । उन्होंने एक और ग़लत ब्यानी की है कि सिर्फ चुने हुए मेम्बर ही वोट दे कर Upper House के लिये नुमाइंदे चुन सकते हैं । यह गलत है । Upper House के चुनाव में मुंतख़िब, नामज़द, सरकारी सब मेम्बर हिस्सा ले सकते हैं । फिर जनाब, एक तरफ से जमहूरियत जमहूरियत का बड़ा शोर मचाया गया है । उन से मैं कहूंगा कि ज़रा यह भी तो देखिये कि आप के fatherland में क्या हो रहा है और फिर ....
(Interruptions from the Communist Members)

अध्यक्ष महोदय : Order, order मैं मेम्बर साहिबान से दरख़्वास्त करता हूं कि वह मुझे कोई ख़ास इकदाम करने पर मजबूर न करें ।

Order, order, I would request the hon. Members not to compel me to take some drastic steps.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of order, Sir, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ !

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir, क्या इस हाऊस में कोई remark करना unparliamentary है ? क्या दूसरी Legislatures और Parliament के Houses में ऐसा नहीं होता ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह बार बार interrupt करने की इजाज़त नहीं दूंगा ।

(I will not allow such constant interruptions).

श्री देव राज सेठी : स्पीकर साहिब, अगर इन मेंबर साहिबान को जमहूरियत का इतना ही ख्याल है तो मैं अर्ज़ करूंगा कि जमहूरियत का तकाज़ा तो यह था कि दो तीन या पांच साल के बाद Boards के मेंबर खुद ही कह देते कि नये चुनाव किये जायें । जो मेंबर 18 साल तक एक ही चुनाव पर वहां बैठे रहे उन्हें खुद ही हट जाना चाहिये था । बाकी रहा यह ख्याल कि हमारी गवर्नमेंट या Congress Party किसी वजह से electors को face करने से घबराती है तो अभी अभी इस House के लिये मेहना के हलके से चुनाव हो चुका है और उस से साबित हो गया है कि हमें electors को face करने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ।

फिर जनाब हमारे Leader साहिब ने यक़ीन दिला दिया है कि Budget session से पहले ढांचा तैयार हो जायेगा और उस के बाद बहुत जल्द elections करवा दिये जायेंगे। पिछले District Boards की बहादुरगढ़ के मेंबर साहिब ने बड़ी तारीफ की है और सड़कों, स्कूलों वगैरा का बड़े जोर शोर से जिक्र किया है। वह खुद Board के Senior Vice-President रह चुके हैं। उस वक्त लाखों का ग़बन हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आप Personal बातें न करें।

[The hon. Member should not be personal.]

श्री देव राज सेठी : मैं उन की Personal बात नहीं कर रहा, बल्कि रोहतक District Board के बारे में कह रहा हूं जिस में ग़बन हुआ और लोगों को सजायें भी हो चुकी हैं।

मुख्य मंत्री : On a point of order, Sir, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यह कह दूं कि........

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir, क्या एक तकरीर....

अध्यक्ष महोदय : मैं आप का मतलब समझ गया हूं। बात यह है कि उन की तकरीर तो जारी है मगर Chief Minister साहिब इस लिये कुछ बातों को साफ करना चाहते हैं कि जो बातें irrelevant हैं वह ज़ेरे बहस न आएं और House का वक्त बचाया जा सके।

I understand the hon. Member's objection, but Shri Dev Raj Sethi will continue to be in possession of the House. The Chief Minister is intervening simply to clarify some points so that the discussion of some irrelevant matters may be avoided and the time of the House may be saved.

मुख्य मंत्री : मैं कह चुका हूं कि यह step इस लिये लिया गया है बल्कि लेना पड़ा है कि further set up का अभी फैसला नहीं हो सका है। ग़बन वगैरा की बातें ग़ैर मुतअल्लिक हैं उन का इस step से कोई वास्ता नहीं है। इस लिये मैं दरखास्त करूंगा कि उन को बहस का subject न बनाया जाए।

श्री देव राज सेठी : स्पीकर साहिब ! इन District Boards का जो तोड़े गये हैं हाल बहुत ही बुरा था। स्कूलों का कोई इन्तज़ाम न था। Buildings बुरी हालत में थीं और पढ़ाई का मेयार न होने के बराबर था। सड़कों की बहुत बुरी हालत थी। हस्पतालों में न डाक्टर थे और न दवाइयां। जब District Boards की यह हालत हो तो जमहूरियत क्या करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अर्ज़ करता हूं कि यह बिल जो पहले Ordinance की शक्ल में हमारे सामने आया था अब इसे जल्द अज़ जल्द मनज़ूर किया जाये ताकि Budget Session से पहले पहले सब विधान बन जाये।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of personal explanation Sir, अभी जो रोहतक के माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने कहा है कि जब मैं Minister था उस वक्त मैं District Boards के उड़ाने के हक में था। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मेरा ऐसा ख्याल कभी भी नहीं हुआ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ: (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮਈ ਦੇ session ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ November ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਂ ਤੋਹਫੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇਕ record ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ House ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਾਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਐਸ ਵੇਲੇ Ordinance ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ House ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ordinances ਕਰਕੇ ਇਸ House ਦੀ functions ਵਿਚ ਨੁਮਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ House ਦੀ ਹਤੱਕ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ Ordinance ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ District Boards ਵਿਚ ਕੋਈ corruption ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Chief Minister : I had said that this point was not relevant.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ: ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ Point relevant ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ emergency ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ urgency ਸੀ ਕਿ District Boards ਨੂੰ suspend ਕੀਤਾ ਜਾਏ। District Boards Act ਦੇ section 14 ਦੀ ਵਰ੍ਹੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ District Board ਕਦੇ supersede ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ Ordinance ਦੀ ਰਾਹੀਂ elected members ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਹ ਨਾ ਦਸ ਸਕਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ basic ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ District Boards Electoral Colleges ਹਨ। District Boards upper House ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ District Boards ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ Upper House ਦੇ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨਗੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ nomination ਨਾਲ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੀ power ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਚੁਕਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ aim ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸਾ ਅਨਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਤੇ Local Government ਦੇ Minister ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ nominate ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ power ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ: ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਥ ਫੜਾ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਪੁਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ nomination ਦੇ ਪੇਸ਼ੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਜਿਤਨਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

प्रोफ़ैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! इस motion को पेश करके वुज़रा साहिबान की तरफ से एक bad precedent कायम किया गया है। सैंकड़ों बर्स के बाद यह पहला मौका है कि पंजाब असैम्बली के अन्दर इस किसम की चीज़ हमारी आंखों के सामने लाई गई है। Self-Government के लिये 1832 से लेकर 1861 तक पहली जद्दोजिहद हुई। इस में कामयाबी बहुत थोड़ी थी। 1884 के बाद फिर कोशिश शुरु हुई और 1893 में हमें कामयाबी हुई। उस वक्त Parliament की तरफ से एक Act pass किया गया और उस के ज़रीये हमें Local Self-Government दे दी गई।

पंडित श्री राम शर्मा : 1885 में Local Self-Government मिल गई थी।

प्रोफ़ैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : 1885 में नहीं 1893 में मिली थी जब जिनाह वगैरा England गये थे। यह सब कोशिश हमने nomination के खिलाफ इस लिये की कि मुल्क के सही नुमाइंदे Local Self-Government को चलाएं। इस में भी कोई शक नहीं कि किसी वक्त Veto power से कोई जमायत dissolve भी कर दी जा सकती है। लेकिन District Boards को dissolve करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। कांग्रेस ने खसूसीयत से बहुत कोशिश की थी कि District Boards के मैम्बर लोगों के नुमाइंदे हों और Deputy Commissioners की जगह लोगों के चुने हुए नुमाइंदे Presidents हों। कांग्रेस ऐसी चीज़ कायम करना चाहती थी। लेकिन एक दम इस चीज़ को उड़ा दिया गया है। यह एक बहुत बुरा precedent है। हिंदुस्तान की किसी असैम्बली में यह चीज़ नहीं आई। यह पंजाब में क्यों आई है। इस की वजह मैं बताता हूं। कुछ अरसा से जब पंचायतें बनीं तो यह देखने की कोशिश की गई कि लोग सरकार के साथ चलते हैं या नहीं। नियत सरकार की यह मालूम होती थी कि हो सके तो District Boards को उड़ा कर Panchayat Boards बना दिये जायें। इस बात में कोई बुराई नहीं थी। यह ठीक था। यह इनका हक था लेकिन जब इन्होंने देखा कि मौजूदा District Boards में इन के yes men नहीं रहे क्योंकि 12 District Boards में से 9 District Boards ऐसे हो गये थे जिन के Presidents Congressmen न थे।

बस इस चीज़ ने उन को परेशान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर छुरी चलाई गई। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को खत्म करने का विचार किया गया। मैं कहूंगा कि Democracy में सब को हक है कि किसी ideology को follow करे। कोई चीज़ जबरन नहीं होनी चाहिये। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि वह इस बिल पर अच्छी तरह से विचार करें और अगर सरकार ने यह बिल पास कर दिया तो हम बतौर protest के इस हाऊस से walk out कर जायेंगे। मैं फिर कहूंगा कि ऐसा कानून negation

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]
of democracy है । यह एक derogatory motion है और अगर इस बिल को पास कर दिया गया तो हम हाऊस से बाहिर चले जायेंगे ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ (हसनपुर) : अध्यक्ष महोदय ! मैंने इस बिल पर की गई बहस को पिछले दिन भी ग़ौर से सुना और आज भी सुना है । मेरे दोस्तों की हालत यहां तक पहुंच गई है कि अब कहने लगे हैं कि अगर यह बिल पास कर दिया गया तो वह हाऊस को छोड़ कर चले जायेंगे । मैं मिनिस्टर महोदय को यह बिल पेश करने पर बधाई देता हूं, बधाई क्यों देता हूं ? इस की वजह यह है कि आप ने देखा होगा कि हर साल राम लीला होती है । रावन बनाया जाता है और फिर दो भाई सज कर निकलते हैं उसे मारने के लिये । यहां अजीब बात हुई कि 17 वर्ष में इस को खिजर हयात भी न तोड़ सके, इस को डाक्टर भार्गव भी न तोड़ सके, पंडित श्री राम भी इस रावन को न मार सके इस लिये आज मैं ऐसा बिल पेश करने पर माननीय मंत्री-सरदार गुरबचन सिंह बाजवा को बधाई देता हूं । मेरे एक भाई ने कहा कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मैम्बर लोगों के नुमायंदे हैं, मैं इन की नुमायंदगी का नकशा आप के सामने रखना चाहता हूं ।

पहली बात यह है कि 1936-37 में जब यह लोग चुने गये मैं ने उन लिस्टों का अध्ययन किया है 5 प्रतिशत रायें पार्लीमेंट की थीं, 100 में से 12 State Legislature दे सकती थी और State Legislature की राय पर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव होता था । आज राये का अंदाजा यह है कि पंजाब में 126 लाख की आबादी है और उस में से 68 लाख वोटर हैं । उस वक्त बड़ी बड़ी जायदाद वालों को राये देने का हक हासिल था । अच्छे तालीम याफ्ता लोगों को जिन के पास यूनिवर्सिटी की डिग्रियां होती थीं वोट देने का अधिकार हुआ करता था आम आदमी को नहीं था । मेरा अंदाजा है कि उस वक्त 21 साल के आदमी को राये देने का हक था तो अब 17 साल के बाद वह 38 साल का हो गया जिस की उस वक्त राए पड़ी होगी । हिंदुस्तान में आदमी की औसत उम्र का अंदाजा 27 साल लगाया गया है । दो महीने हुए भारत सरकार की स्वास्थ्य मन्त्रानी राजकुमारी अमृतकौर ने घोषणा की थी जिस में उन्होंने बताया था कि देश में औसत उम्र पांच साल बढ़ गई है । सरकार ने शायद यह ख्याल किया है कि सब आदमियों की उम्र पांच साल बढ़ गई है इस लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भी उम्र दे दी जाये । मेरे भाईयों ने कहा है कि इलेकशन दोबारा कराये जायें इस सिलसिले में क्या क्या अड़चनें पेश आई हैं मैं उस के मुतअल्लिक थोड़ा बहुत अर्ज़ करना चाहता हूं । हमने यह भी Survey कराया था जैसे मैं ने अर्ज़ किया कि 38 साल के यह लोग हो गए हैं शायद कुदरती इलाज हो जायेगा फिर सरकार को क्या आवश्यकता है । हमने दो ज़िलों में Survey कराया पता लगा कि 85 फीसदी वह वोटर जिन्दा हैं । न यह इलाज कारगर हुआ और न भूत हम सिर से तोड़ सके । इस लिये यह आर्डीनैन्स आप के सामने लाना पड़ा । मुझे अपने दोस्त पंडित श्री राम शर्मा के बारे में जो उस वक्त मंत्री थे एक शेर याद आ गया है—

ज़िद की है और बात मगर खू बुरी नहीं
भूले से उस ने सैंकड़ों वायदे वफा किये ।।

मेरे दोस्त पार्टी में हैं उन्हें यह ख्याल है कि हकूमत के मेम्बरों का सिर से सिर नहीं जुड़ता इस लिये तोड़ रहे हैं मैं नहीं जानता कि वह भी अपनी पार्टी में सिर से सिर मिला सकेंगे या नहीं। दूसरे भाई ने कहा है कि पंडित जी ditto नहीं कर सकते थे। जो बड़े ज़मींदार हैं और जो 11 फीसदी आबादी के नुमायंदे थे उन से ditto करने की आशा भी नहीं की जा सकती।

बाकी की आम जनता है जिस में हरिजन 12 per cent की तादाद में है $1\frac{1}{2}$ per cent आबादी को भी वोट देने का हक नहीं था। वह उन की भी नुमायंदगी नहीं कर पाते हैं। फिर 12 per cent की नुमायंदगी तो 1937 में थी फिर अंदाजा लगाया गया है कि 50 प्रतिशत वोटरों में नहीं रहे क्योंकि वह उस वक्त 17 वर्ष के थे। इस लिये वह 6 per cent लोगों की नमायंदगी कर रहे हैं। अगर 6 per cent लोगों की नुमायंदगी रखनी है तो फिर उन की बात मानी जा सकती है।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि उन्होंने नई set up पर गौर नहीं फरमाया। पंचायतों की जो नई set up हुई है उस में development के programme के मुतअल्लिक जो District Development Councils बनी हैं उन सब का मतलब यह है स्पीकर साहिब! कि हकूमत decentralisation करना चाहती है। यह चीज सारी दुनिया में चाह वह अमरीका की तरह की Democracy हो या रूस की हकूमत हो कहीं भी decentralisation नहीं की जाती बल्कि Centralisation of power का ज़ोर है। यह पहला नमूना है कि गांधी जी के नारे पर decentralisation हो रही है। पंचायतें बन गई हैं और उन का advisory capacity का काम होगा और यह भी ज़ाहिर है कि Specialised Government agencies जो हैं यानी technical आदमी बड़ी बड़ी plans पर गौर कर रहे हैं।

आखिर में मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथी जो रोहतक से आये हैं उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तोड़ कर इन के अख्तियारात किस को दे रहे हो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम यह अख्तियारात उन्हों को दे रहे हैं जिन्हें २० साल से मुस्तकिल तौर पर दे रखे हैं। हमने पिछले सैशन में भी इस बात पर ज़ोर दिया कि इन के हकूक मौरूसी हो जायें जैसे occupancy tenants के होते हैं और इन का occupancy status हो। यह जो progressive step गवर्नमेंट ने लिया है पिछले दो तीन साल में एक ज़बर्दस्त काम किया है। मेरे opposition के भाई भी मुझ से इतफाक करेंगे कि 17 साल के पुराने मैम्बर जो अब लोगों की सही तौर पर नुमायंदगी नहीं कर रहे नहीं रहने चाहियें।

इन की term, इन की उम्र, इन का तजरूबा, इन की नुमाइंदगी सब खत्म हो चुकी हैं कोई वजह नहीं, इन्हें क्यों continue किया जाए।

मैं बाजवा साहिब को इस लिये मुबारकबाद देता हूं कि उन्हों ने उस काम को मुकम्मल किया है जिसे बड़े २ आदमी न कर पाये। (तालियां)।

मौलवी अब्दुल गनी दार (नूह) : स्पीकर साहिब, मुझे अफसोस है कि जितने शानदार आदमी वज़ीर मुतल्लिका हैं, उतना ही निकम्मा यह बिल है। जमहूरियत को खत्म करने पर

[मोलवी अब्दुल गनी दार]

कोई किसी को बधाई दे तो यही कहा जा सकता है कि हरेक की अपनी २ ऐनक है जिस से वह चीजों को देखता है। सच्ची बात यह है कि जिन २ भाइयों ने आजादी की जद्दोजेहद में हिस्सा लिया था उन्हें तो जमहूरियत का गला घुटते देख कर जरूर दुःख होता है। मैं तो कम अज़ कम ऐसा महसूस करता हूं और नहीं समझता कि मुख्य मंत्री जी और Opposition के भाई जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी मुल्क की आजादी के हसूल के लिये सर्फ की ऐसा महसूस न करते हों। जो जमहूरियत के नाम पर हकूमत करते हैं उन्हें यह हक हासिल नहीं कि वह कोई जमहूरियत कुश कदम उठाएं।।

प्रधान जी, मैं पूछता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी (जो पहले भी 6 महीने मुख्य मंत्री रह चुके हैं) के रास्ते में कौन सी रुकावट थी जिस की वजह से वह नए इन्तखाबात नहीं करवा सके। अवाम को उन का हक देने से इस Ministry को अब तक कौन रोकता रहा है। Opposition वाले तो ऐसा हुक्म नाफिज़ नहीं कर सकते थे। वह लोग तो फिर भी जमहूर न चाहे 6 per cent की नुमायंदगी करते थे, ये अफसरान किस की नुमायंदगी करेंगे।

एक मेम्बर साहिब ने बड़े गुस्से में आकर कहा है कि District Boards corrupt थे। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछता हूं, कि जहां उन्हों ने और scandals के cases में कार्यवाही की, District Boards के खिलाफ corruption के कितने मुकदमे चलवाए। कई Municipalities को supersede कर के, शहरियों के हकूक को कुचल कर, Administrators मुकर्रर किये गये, मगर कौन से Board के खिलाफ corruption के इलज़ामात की तफ़तीश करवाई गई है? यूंही कह दिया गया कि Boards बड़े corrupt हैं। ज़रा आगी आंख उठा कर देखें तो सही कि Ministerial powers को जो वज़ीरों को अवाम ने दी हैं, इस हाऊस के मैम्बरों ने दी हैं, किस तरह corrupt तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। किताबों की Nationalisation के सिलसिले में मैंने यह बात कही थी और सरकार को बोलने की जुरअत नहीं हुई थी। पंजाबी में एक कहावत है—

ਭਜ ਤਾਂ ਬੋਲ ਡਾਹਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ

Mr. Speaker : Is the hon Member speaking on the District Boards (Temporary Constitution) Bill. If you wish to discuss the conduct of a Minister, you should bring in a substantive motion.

मौलवी अब्दुल गनी दार : मैं आप का हुक्म मानता हूं। एक साहिब ने एक बात बड़े जोश से कही थी, मैंने उस सिलसिले में कहा था— (हंसी)।

ਭਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਡਾਹਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ।

जनाब, अगर Ministry के पास कोई ऐसी स्कीम होती जो मौजूदा District Boards से बेहतर होती तो मैं खुश होता। यह तो वही तरीका है जो अंग्रेजी सरकार ने बल्कि East India Company ने रायज किया था यानी तमाम इख्तियारात को District Magistrates और दूसरे अफसरों के हवाले कर देना। राष्ट्रपति जी ने बुराइयों को दूर करने के लिये गवर्नर द्वारा पंजाब में अपना

राज चलाया था। उस वक्त तो Elections में शायद हमारे दोस्तों का दाओ नहीं चला, अब चाहते हैं कि किसी तरह District Boards की organisation में अपने आदमियों को ले आयें।

बार २ Mehna Constituency की कामयाबी का ज़िक्र किया जाता है मगर वे यह भूल जाते हैं कि फतेहाबाद Constituency में इसी कांग्रेस को शिकस्ते फाश हुई थी। एक Constituency में कामयाबी हो जाने पर यह कहना कि हम यह कर सकते हैं, वह कर सकते हैं शेख चिल्ली की कबर पर लात मारने वाली बात नहीं तो और क्या है पहले कोई नई स्कीम बनती फिर मौजूदा Boards को तोड़ने के बारे में सोचते। Ordinance जारी करना था तो दो बरस पहले किया जा सकता था। उन्होंने क्यों इस वक्त तक लोगों के हकूक को, जिन का अब वे दर्द करते हैं, सल्ब होने दिया? हमें यह डर है कि District Boards को तोड़ कर उन के इख्तयारों को उसी तरह इस्तेमाल किया जायेगा जैसे पहले हकूक को इस्तेमाल किया गया है।

यह जमहूरियतकुश बिल न तो वज़ीर मुतल्लिका की ओर और न मुख्य मंत्री जी और न ही इस हाऊस की शान के शायां है जिस के ज़रिये उन्हें यह उहदे और शान मिली है।

श्री चान्द राम अहलावत (झज्जर) : प्रधान जी, इस बिल पर जो बहुत सारी तकरीरें हुई हैं उन में से ज्यादा में यही कहा गया है कि District Boards के मैम्बरों को छुट्टी देना एक जमहूरियत कुश कदम है। यह भी कहा गया है कि हकूमत देहात के आदमियों को खत्म करना चाहती है। इस हाऊस में जब भी कोई बात आती है, opposition की तरफ से बड़े ज़ोर के साथ देहाती और गैर-देहाती का सवाल सामने लाया जाता है। मैं नहीं समझ सका कि वे क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि केवल वही लोगों की नुमाईंदगी नहीं करते, केवल वही लोगों की votes से यहां नहीं आये।

जिन राय की बिना पर District Boards के यह पुराने मेम्बर चुने गये थे, उन के पुराने होने पर किसी को शक नहीं। वह रायें देहाती आबादी की एक बहुत थोड़ी percentage की थीं। जिस तरीके पर यह पुराने मेंबर काम कर रहे थे, उसे कौन नहीं जानता, इन के कारनामों से कौन वाकिफ़ नहीं, देहाती आबादी के लिये जिस के लिये अब ये आंसू बहाते हैं जो कुछ ये करते रहे हैं वह किस पर ज़ाहिर नहीं है। इन लोगों ने जिस तरह अपनी पोजीशन का नाजायज़ फायदा उठा कर गरीब लोगों को कुचला और दबाया, मैं उस की अपने ज़िला रोहतक से दो तीन मिसालें देना चाहता हूं। मुतअल्लिका वज़ीर साहिब ने उस दिन कहा था कि हम ने Professional Tax के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहा था—कि इसे उड़ा दिया जाये या रखा जाये। पहले तो इन के पास representation की गई कि District Board ने जो टैक्स लगाया है ज्यादा है, उस की assessment arbitrary तरीके पर की गई है और इस लिये गरीब लोगों का कचूमर निकल गया है। मैं उन्हें लिखी हुई चिट्ठियां दिखा सकता हूं।

[श्री चान्द राम अहलावत]

स्पीकर साहिब ! मेरे माननीय मित्र को याद होगा कि जब वे मंत्री थे तो उन को रोहतक जिला से एक Circular आया था कि District Board की ओर से जो Professional Tax गरीब लोगों पर लगाया जा रहा है वह Political basis पर है । जिन लोगों के नुमाइंदे District Boards में नहीं हैं उन लोगों की Political exploitation है। इसी वजह से उन्हों ने 2,3 वर्ष के Professional Tax को बिल्कुल मुआफ तो नहीं किया लेकिन उस की वसूली को मुअत्तल कर दिया था। Circular में यह साफ लिखा हुआ था कि District Board, Rohtak में गरीब हरिजनों और भूमिहीनों के नुमायंदे नहीं हैं बल्कि ऐसे लोगों का District Board, पर कब्जा है जो ज़मींदारों और दूसरे लोगों के नुमायंदे हैं। मेरे माननीय मित्र जब वहां जिला कांग्रेस के प्रधान थे जो जुल्म उन गरीब लोगों पर होते थे उन का उन को अच्छी तरह ज्ञान है। यदि वे उन गरीब लोगों की हमदर्दी का विचार कर के अपने हृदय पर हाथ रखें तो इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि गरीब हरिजन और दूसरे भूमिहीन लोग District Board, Rohtak के मुज़ालम के कारण कर्राह रहे थे। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमैण्ट ने यह step बहुत देर से उठाया है। वे दीन और दरिद्र लोग लगातार चीखते चिल्लाते रहे हैं उन्होंने हज़ारों कान्फ्रेंसज़ कीं और कई प्रस्ताव पास किये कि ये District Boards 17,18 वर्ष पुराने हैं। हम इन के नीचे पिस रहे हैं हमें मुक्ति दिलाई जाए। मैं तो समझता हूं कि सरदार गुरबचन सिंह बाजवा ने यह कदम उठा कर बहुत ही परोपकार का काम किया है। इस के लिये उन्हें जितनी दाद दी जाये कम है।

स्पीकर साहिब ! फिर कहा गया है कि District Boards को तोड़ने के लिये लोगों की राए ली जाए और इस बिल को Public opinion के लिये Circulate किया जाए। वे यह बात भूल जाते हैं कि जब हमारे चुनाव हुए थे तो दूसरी बातों के साथ District Boards की abolition का प्रोग्राम भी Electorate के सामने रखा गया था। और यदि $2\frac{1}{2}$, 3 साल के बाद गवर्नमैण्ट ने अब यह कदम उठाया है तो यह बिल्कुल लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ही है। स्पीकर साहिब ! जितनी कुन्बा परवरी, फिर्काप्रस्ती और भ्रष्टाचार District Boards में होता है और किसी संस्था में नहीं हो रहा। खास कर यदि आप रोहतक के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत स्वयं जा कर देखें तो मालूम होगा कि Services में कोई हरिजन क्लर्क या अफसर तो छोड़ चपड़ासी भी नहीं रखा हुआ। एक बार एक हरिजन चपड़ासी रखा गया था। उन का मतलब यह था कि उसे अफसर के साथ attach किया जायेगा ताकि वह हरिजनों को फुसला कर उन से Tax की वसूली कर सके। लेकिन जब वसूली की मुअत्तली का हुक्म आया तो बचारा हरिजन चपड़ासी भी अलग कर दिया गया। मेरे मित्र सेठी साहिब और श्री धर्म वीर वासिष्ठ ने बताया है कि District Boards के स्कूलों की कितनी दर्दनाक हालत है। मैं दूसरे माननीय सदस्यों की कही हुई बातों को repeat नहीं करना चाहता। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जो रुपया रफाहेआम के कार्यों पर खर्च होना था वही रुपया District Boards वालों ने शानदार कोठियों के निर्माण पर खर्च किया है।

कौन नहीं जानता कि District Boards के Chairman और Vice-Chairman बड़ी बड़ी शानदार कोठियों में रहते हैं। सड़कों पर जो वृक्ष लगे हुए हैं थे उन को कटवा दिया गया और ठेका अपने निजी आदमियों को दिया गया और इस प्रकार कुन्बा परवरी की गई। यही नहीं बल्कि Local Bodies के Rules में साफ तौर पर दर्ज होने के बावजूद मैम्बरों के साथियों और रिश्तेदारों को नौकर रखा गया और उन को ठेके दिये गये और दूसरे लोगों को नजर अन्दाज़ किया गया। District Boards में बदतरीन कुन्बापरवरी होती है। Favouritism का बोल बाला है। यह संस्था गरीब लोगों को नीचे दबाती है उस में गरीब हरिजनों की कोई voice नहीं है उन से भारी Professional Tax वसूल किये जाते हैं। इन को आज से बहुत पहले abolish कर देना चाहिये था। स्पीकर साहिब! Sir Chhotu Ram की हकूमत के समय Rohtak के District Board को professional taxes के ज़रिये आठ लाख रुपये की आमदनी होती थी। जब कांग्रेस का राज्य स्थापित हुआ है तो वर्ष 1949-50 में वही Tax बढ़ा कर 8 लाख रुपये से 36 लाख कर दिया गया पहले कुम्हार और दूसरे दूकानदारों पर 35 हज़ार रुपये टैक्स लगाया जाता था। आप अन्दाजा लगाइये कि वही टैक्स अपनी सरकार ने 35 हज़ार से बढ़ा कर 146 हजार कर दिया। स्पीकर साहिब! जब अंग्रेज़ों का राज्य था तो एक ज़िला से 35 हज़ार रुपये का टैक्स वसूल किया जाता तो इस से ज्यादा हैरानी की बात क्या हो सकती है कि वही टैक्स अपनी सरकार के वक्त बढ़ा कर 146 हजार कर दिया गया। अपनी सरकार के कायम होने से गरीब लोगों से 5 गुना ज्यादा टैक्स लिया गया। जो आदमी पहले 2 रुपये टैक्स देता था उसी से 25 रुपये तक टैक्स लिया गया। मैं एक उदाहरण देता हूं साम्बड़ी गांव का एक कुम्हार जो कि पहले केवल 3 रुपये टैक्स देता था अब 296 रुपये टैक्स देता है। आप अन्दाजा लगाएं कि किस प्रकार दरिद्र लोगों के खून को चूसा जा रहा है। और इस के उल्ट आप देखें तो District Boards के स्कूलों में मास्टरों के लिये कुर्सियां नहीं हैं उन को वक्त पर तन्खाहें नहीं मिलतीं। अस्पतालों में गरीब लोगों को दवाइयां नहीं मिलतीं। जिन सुविधाओं के लिये लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है वे उन्हें नहीं मिलतीं।

स्पीकर साहिब! मेरे मित्र कहते हैं कि इस बिल को public opinion के लिये circulate किया जाए। मैं आप के द्वारा मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे उन गरीब लोगों से निर्णय करवा लें उन की ज़्यादा तादाद इसी हक में होगी कि District Boards का नामोनिशान मिटा दिया जाये। यह बहुत बदनाम हो चुके हैं। मैं अर्ज करूंगा कि यदि इस में कोई Constitutional difficulty है और यदि नहीं कि तोड़े जा सकते हैं तो इन के मैम्बरों का चुनाव Direct election और adult franchise के सिद्धांत पर किया जाए। फिर वे देखेंगे कि जिस तरह इन लोगों (Opposition) को असैम्बली के general election और Parliament के Election में मुंह की खानी पड़ी। उसी तरह उन को District Boards में भी मुंह की खानी पड़ेगी। देहाती लोग उन के विपक्ष में vote देंगे। शीघ्र ही Election करवाएं। स्पीकर साहिब, मैं ज्यादा न कहता हुआ अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने वास्तव में गरीब लोगों के भले का काम किया है। जो कुछ गरीब लोग चाहते थे मंत्री महोदय ने उन के ख्यालात की

[श्री चान्द राम अहलावत]

तर्जमानी की है। मैं तो समझता हूं कि उन्हें यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिये था। मैं रोहतक के माननीय सदस्यों से एक बार कहना चाहता हूं कि वे अपने दिल को टटोलें। Elections के समय जो तकलीफें गरीब लोगों ने उन के संमुख रखी थीं उन्हें उन को नहीं भूलना चाहिये बेशक वे इस समय विपक्षीय बैंचों पर बैठे हैं।

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra): Sir, I beg to move—

That the Question be now put.

Mr. Speaker: Question is—

That the question be now put.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker, said, "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places, declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ: (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਟਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ introduce ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੁਸ਼ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ system ਨੂੰ ਮੁੜ revive ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਅਜੇ ਤੀਕਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਲੀਸੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ measures adopt

ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ । ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਹਾਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ । ਉਸ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤਕੁਸ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ supersede ਅਤੇ suspend ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ । ਸੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ mal-administration ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਛੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਛੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਟ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਛੋ ਉਨਾਂ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ! ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ? ਇਸ ਲਈ ਸਚ ਮੁਚ ਜੇ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਜਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ । ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ?

पंडित श्री राम शर्मा : आप का भी तो तजरबा है । Senior Vice-President रह चुके हो ।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਾਈਓਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ measure ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ Constitution ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ temporay ਹੈ permanent ਨਹੀਂ । ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਇੰਦਾ policy ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ।

[ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਸੰਨ 1935-36 ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ? ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

(**ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰ :** ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਪੈਣੀ ਸੀ ?)

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਤੋ .... (Interruptions)—Order, order. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ? ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ favourable ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ? ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ collective ਤੌਰ ਪਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ District Board ਇਕ ਅਜਿਹੀ institution ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਘੇਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੀਕਰ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ permanent inhabitants ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਤਰਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ District Boards ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਕਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ । ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ Local Bodies ਦੀ Constitution ਲਈ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਪੂਰਾ interest ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ । ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਥਾਂ । ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ । ਪਰ ਅਸਲ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਫਾਇਦਾ ਮੰਦ ਨਹੀਂ । ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ development schemes ਵਿਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ important unit ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ general welfare schemes ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ bodies ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ representative bodies ਹੋਣ । ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ permanently ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ representative character upset ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਈਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ policy ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ measure ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲੀਸੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਤਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ constitute ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪੁਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਇਹ constitution temporary ਹੈ permanent ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਦੇ ਹਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ।

[ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਹਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੁਲਾਨੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਲਾਨਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ powers ਨੂੰ misuse ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸਦੇ ਅਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ditto ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ electoral college ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ local bodies ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ council ਲਈ return ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ruling party ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ opposition parties ਦੇ ਕਿੰਨੇ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਕਈ ਆਦਮੀ Opposition ਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ government party ਦੇ ਹਨ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ Opposition ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲਓ। At the most ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ......

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਦੋ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੇ ਹਨ (*interruption*)

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਆਪ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਨੇ ਕੁ Opposition ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਆਪ chair ਨੂੰ address ਕਰੋ।

Mr. Speaker : The hon. Member is asking the Minister to do that thing which he himself does not do.

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ power ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਵੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ

ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ official ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪਾਲੀਸੀ ਤਹਿ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ Session ਤਕ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ Session ਵਿਚ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ elections ਕਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : तब जब कि जल्दी से जल्दी मिनिस्टरी खत्म हो जाएगी।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨ ਹੀ ਘਬਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਗੁਸਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ supersede ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਿਆਣੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਦੋ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਣੀ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਸੀ। Boards ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ Character ਸੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ election ਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਗਏ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ temporary measure ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Mr. Speaker: Question is—

> That the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill be referred to a Select Committee consisting of—

1. Sardar Gurbachan Singh Bajwa, Minister for Public Works.
2. Sardar Uttam Singh, M.L.A.
3. Rao Gajraj Singh, M.L.A.
4. Professor Sher Singh, M.L.A.
5. Shri Dev Raj Sethi, M.L.A.
6. Chaudhri Sri Chand, M.L.A.
7. Sardar Shamsher Singh, M.L.A.
8. Sardar Wazir Singh, M.L.A.
9. Sardar Achhar Singh Chhina, M.L.A.

10. Sardar Darbara Singh, M.L.A.

11. Principal Harbhajan Singh, M.L.A.

with a direction to make the report by the 28th of February, 1955.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 28th of February, 1955.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill, 1954, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

(*At this stage Chaudhri Sarup Singh, Deputy Speaker, occupied the Chair*)

Mr. Deputy Speaker: Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

(SUB-CLAUSES (2) AND (3) OF CLAUSE 1)

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That sub-clauses (2) and (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Deputy Speaker: Now the House will consider Clause 2. Sardar Achhar Singh Chhina and his friends have given notice of two amendments to this clause . Any one of them may move the amendments.

Sardar Achhar Singh Chhina (Ajnala): Sir, I beg to move—

At the end of sub-Clause 2, *add*—

" till fresh elections are held to the District Boards in accordance with the Punjab District Boards Act, 1883, not later than April 1955 ".

Add the following proviso to the clause:—

" Provided that these powers shall cease after fresh elections in accordance with the Punjab District Boards Act, 1883, to the District Boards which shall be held not later than April, 1955.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ powers, President ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, District Boards ਦੇ officers ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ amendment ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਤਕ elections ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋਏ Governor ਸਾਹਿਬ ਦੀ speech ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ elections ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਗਰ ਉਹ ਵਾਦਾ ਅਜ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ District Boards ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਸੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਗਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ elections ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਭੀ elections ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ elections ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ elections ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ Government ਹਿਸਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ District Boards ਦੀਆਂ elections ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ elections ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿਘ ਸਨ। District Boards ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ elections ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ majority ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ cancel ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕਰਾਂਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ District Boards ਬੋਸੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਜੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖੂਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੀ ਇਕ ਜੱਟ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ elections ਨੂੰ ਆਪੇ ਨਾ ਕਰਾਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ District Boards ਬੋਸੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੋਸੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੋ 'ਹਮਾਰੇ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ' ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ੨ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੨ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੰਮ ਭੀ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ Surcharge ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਿਲ ਰਖੇ ਅਤੇ ਆਖ ਦਿਤਾ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਭੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ।

Mr. Deputy Speaker : Please confine yourself to the amendment.

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਸ Session ਵਿਚ ਵੀ District Boards ਦਾ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲ ਆਇਆ ਪਰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਓ ਛੁਟੀ ਹੈ। ਜਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ Ordinance ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ੨ ਮਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਟੁਟ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕੀ ਇਤਨੇ ਮੋਟੇ 2 ਲਫਾਫੇ ਭੇਜ ਦਿਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ elections ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਥੇ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਥੇ 3, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲਗਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਛਤ ਢਹਿ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰਿਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੋ reason ਤੁਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ reason ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ Constituent Assembly, ਜਿਸ ਸਾਡੀ Constitution ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ representative ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਬੋਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸਨ 1946 ਵਿਚ ....

Mr Deputy Speaker : Please confine yourself to the amendment.

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਸੀਦਾ ਬਾਰੇ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ reason ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ Constituent Assembly 1946 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ Constitution ਬਣਾਈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫੀ ਸਦੀ representation ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ 9 ਫੀਸਦੀ representation ਵਾਲੀ Assembly Constitution ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ District Boards ਬੋਸੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਲਗਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੀ ਗਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ District Boards ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਿਚ ਕੇ ਅਗਲੀ elections ਤਕ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ District Boards ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦਸੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 1883 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਤਕ elections ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

At the end of sub-clause 2, *add*—

"till fresh elections are held to the District Boards in accordance with the Punjab District Boards Act, 1883 not later than April, 1955.

Add the following proviso to the clause:—

"Provided that these powers shall cease after fresh elections in accordance with the Punjab District Boards Act, 1883 to the District Boards which shall be held not later than April, 1955.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਰੋਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖੀਆਂ ਦਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ

ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਕਲ ਦੀ ਗਲ ਅਗੇ ਅਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਸ ਲਗ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਲ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚਲਣ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਹਨ ।

Mr. Deputy Speaker : The word "foolish" is unparliamentary. The hon. Member should withdraw it.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ । 'foolish' ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬੇਵਕੂਫ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ withdraw ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ amendment reasonable ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ordinance ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ? ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ । Legal Remembrancer ਹੈ । ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ indefinite ਅਰਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਸਤ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਗੀ । ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਵੇਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੋਲੇ ਜਹੇ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ "ਹਮ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਬਨਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ । ਹਮ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ elections ਕਰਾਏਂਗੇ".

ਅਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਫਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨ ਬਣਾਵੋ ਪਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਦਖਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ੩੦ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ strong assertions ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਪਰ ਅਜ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ amendment ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਰ ਵੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ definite date fix ਕਰ ਦੇਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Dooms Day ਤਕ defer ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ recoil ਕਰੇਗਾ ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ interference ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਕ ਮਾਸਟਰਾਨੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਾਰ ਖਤਮ......

Mr. Deputy Speaker: This is irrelevant and indefinite.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ order cancel ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਾਨੀ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ voice ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ majority ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਆਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਏ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ period ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ amendment ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ (ਨੂੰਹ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇ ਅਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨਿਸਟਰ concerned ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਅਛੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਗਲ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਦੀ ਮਯੂਨੀਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਐਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ । ਮਾਸਟਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਪਬਲਿਕ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ੪੩੩ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਲੈ ਰਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker : इसमें relevancy कहाँ है ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੌਜ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ nationalization ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਸਿਰਫ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसको छोड़िए ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੋਣਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਵੀ noes ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ Ayes ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵਾਂ ਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਥੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ Subordinate Services Selection Board ਵਾਂਗੂ ਇਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਸਾਏ ਜਾਣ । ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, clause 2 ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਥੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀ ਵੀ ਉਹੀਓ ਕਰੀਏ । ਉਥੇ ਕਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟੁਟੀ ਕਦੀ ਕੋਈ Ministry ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਏਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ District Board ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ electoral College ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜ਼ਿਹੜਾ Legislative Council ਵਾਸਤੇ ੪ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ suspend ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਰਮ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ fascist step ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ body politics ਨੂੰ ਧਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਮੂਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਟੋ ਘਟ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब ! यह तरमीम इस क्लाज के ताल्लुक में है जिस में सरकार चाहती है कि 16 जून सन 1945 से जब से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तोड़े गये या हटाए गए और नहीं भी हटाये गये यानी गैर सरकारी मैम्बर घरों को वापस भेज दिये गये मगर सरकारी वहीं बैठे हैं और कुछ बढ़ा भी दिये गये । और डिप्टी कमिश्नर उन का चेयरमैन होगा । आप को याद होगा कि बड़ी जद्दोजेहद के बाद अंग्रेज़ी राज में यूनियनिस्ट वज़ारत में कोशिश की गई कि डिप्टी कमिश्नर चैयरमैन न हुआ करे । अब कौमी हकूमत के ज़माने में तो डिप्टी कमिश्नर बिल्कुल ही चैयरमैन नहीं होना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि सरदार सरूप सिंह ने इस सिलसिले में पाकिस्तान से हमारी सरकार का मुकाबला कर के पाकिस्तान के साथ बेइन्साफी की है । वह लोग तो विधान सभा या वज़ारत को तोड़ते हैं और वज़ीरों पर मुकदमे चलाते हैं । मगर ये क्या करते हैं ? यहां किसी चपड़ासी को पकड़ लिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तोड़ दिये । हमारे डिप्टी स्पीकर जैसे वाईस चैयरमैन और ग़ैर सरकारी चैयरमैनों को वापिस भेज दिया और उन की जगह अफ़सर माल और डिप्टी कमिश्नर वगैरा बिठा दिये गये । यह पाकिस्तान का मुकाबला क्या कर सकते हैं ? वह शेरों का शिकार करते हैं और यह खरगोश पकड़ते फिरते हैं ।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब ! यह कहते हैं कि १६ जून से जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तोड़े गए, जहां जहां डिप्टी कमिश्नर उन के मैम्बर या चैयरमैन नहीं थे वहां उन को उस तारीख से चैयरमैन और मैम्बर समझा जाये । यह इन का जमहूरी और प्रगतिशील पग है । और शायद इसी का नाम प्रजातन्त्र है । इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि जिस सीढ़ी के ज़रिये यह छत पर चढ़े थे उस को तो चढ़ते ही ठोकर मार कर गिरा दिया मगर डिप्टी कमिश्नर को कब तक चैयरमन रखोगे ? तरमीम के लफ़ज ये हैं ।

" till fresh elctions are held to the District Boards in accordance with the Punjab District Boards Act, 1883 not later than April, 1955 ".

हम कहते हैं कि Deputy Commissioners को मैम्बर भी बना लो और वे Chairmen भी बने रहें। लेकिन सरकार उन की आखरी हद गौर के बाद अप्रैल 1955 मुकरर कर दे ।तब तक यह अपना राज कर के देख ले । अगर यह तरमीम भी सरकार मानने के लये तैयार नहीं तो इस का साफ मतलब यह है कि उन की नियत में खलल है । मैं यह बात इस लये कह रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि elections छः महीने के बाद भी न होंगे । Chief Minister साहिब ने District Boards तोड़ने की दलील यह दी कि वह फैसला न कर सकते थे कि District Boards किस तरीके से रखे जायें और उन क elections किस तरीके से करवाई जायें (विरोधी दल के बेंचों पर हंसी) । यह भी क्या दलील है । फिर आप ने बड़ी liberality (उदारता) का इज़हार करते हुए कहा कि मैं House को यकीन दिलाता हूं कि अगले Session तक हम इस बात का फैसला कर लेंगे कि District Boards किस शक्ल में हों और elections कैसे करवाने हैं । अगला Session कहीं मार्च में शुरु होगा और शायद अप्रैल के शुरु तक चलता रहे । उस वक्त तक सिर्फ यह फैसला होगा । मैं उन की पिछली speeches क records से ऐसे कई वादे दिखा सकता हूं जो पूरे नहीं किये गये । इस वादे का

क्या महत्व हो सकता है । यह वादा भी दूसरे वादों की तरह बेमानी और बेमकसद मालूम होता है । इस Ministry को काम संभाले 3 साल हो गये हैं । अगर 3 साल के अरसा में यह इस बात का फैसला नहीं कर पाई कि District Boards की क्या शक्ल हो और चुनाऊ किस तरीके से हों तो अब थोड़े से अरसा में इन से क्या उम्मीद की जा सकती है मैं यकीन से कह सकता हूं कि बाजवा साहिब अपनी तकरीर में सब कुछ कहेंगे लेकिन यह न कहेंगे कि elections कब करवाए जाने हैं । अगर Chief Minister साहिब भी इस वक्त यहां मौजूद होते हैं तो वह भी न कह सकते कि elections कब होंगे ।

स्पीकर साहिब कहा गया है कि District Boards corrupt थे और खराब थे । मैं पूछता हूं कि अगर ऐसी ही बात थी तो सरकार ने इन को तीन साल क्यों चलने दिया । इन पर कोई charge sheet क्यों नहीं लगाई गई । अगर District Boards में बेईमानी थी तो इन को पहले क्यों नहीं तोड़ा गया । ऐसे मालूम होता है कि या तो सरकार इन की बेईमानी में शरीक रही या यह कि इन को किसी बात की समझ तक न थी । मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि मैं District Boards का हिमायती हूं । मेरे बारे बहुत सी बातें की गई हैं और कहा गया है कि मैंने यह नहीं किया और वह नहीं किया । मैं इन में से किसी बात का notice नहीं लेना चाहता । मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो कुछ किया है अच्छा नहीं किया । यह बहादुरी का काम नहीं है । लेकिन इस कारगुजारी और कारकर्दगी की हद नियत करने के लिये छः महीने ले लिये जायें और हमारी इस तरमीम (संशोधन) को स्वीकृत किया जाये । अगर यह संशोधन स्वीकृत हो जाये तो ठीक है । मैं तो यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि अप्रैल तो क्या जून या जुलाई में भी elections हो जायें तो भी हम खुश हैं । लेकिन यह तरमीम मन्ज़ूर न हो और इस बुराई की हद अर्थात् nomination के सिलसिले की हद मुकरर न हो तो यह कहा जा सकेगा कि District Boards बोसीदा न थे । उन से ज्यादा यह सरकार बोसीदा थी और इस ने एक political चीज़ की है जिस से यह power grab करना चाहती है । लेकिन याद रहे कि unconstitutional चीज़ें करके पाकिस्तान में या यहां या कहीं भी कोई बहुत देर तक power में नहीं रह सकता ।

Shri Ranjit Singh Captain : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That the question be now put.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੋਸੀਦਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ "ਬੋਸੀਦਾ" ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਮਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ੧੬, ੧੭ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ੧੬, ੧੭ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ amendment ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ amendment ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ Constitution ਨਵੀ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ ਫਹਿਰਿਸਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ Constitution ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ reasonable amendments ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ Constitution ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਰਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ amendment ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਗੇ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

At the end of Sub-clause 2, *add*—

> "till fresh elections are held to the District Boards in accordance with the Punjab District Boards Act, 1883 not later than April, 1955".

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker, said, "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

Add the following proviso to the clause:—

"Provided that these powers shall cease after fresh elections in accordance with the Punjab District Boards Act, 1883 to the District Boards which shall be held not later than April, 1955".

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. speaker said, "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

पंडित **श्री राम** शर्मा : On a point of order, Sir. इस तरमीम की बहस के दौरान में कई मेंबरों ने ताईद की है और कई मैम्बरों ने इस की मुखालिफत की है। आप ने वोट लेने के लिये division नहीं कराई और हमें मौका नहीं दिया कि इस पर अपना वोट दे सकें। क्या यह कायदा के खिलाफ बात नहीं ?

Mr. Deputy Speaker : The division was challenged too late.

CLAUSE 3

Mr. Deputy Speaker: Shri Sri Chand has given notice of an amendment to Clause 3, which reads like this—

"Delete the Clause".

I rule this amendment out of order because it has the effect of a negative vote.

Shri Sri Chand (Bahadurgarh): But, Sir, I would like to oppose the clause.

साहिबे सदर, जितने भी बिल आज तक हमारे लायक दोस्त वज़ीर मुतअल्लिका की तरफ से आये हैं, हमने कभी उन की मुखालफत नहीं की। Opposition हमेशा उनसे co-operate करने की कोशिश करती रही है। यह बिल वह ऐसा ले आये हैं कि जिसे वह अपने दिल में खुद समझते होंगे कि ठीक नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने दिल में इस के पास किए जाने को एक गलत चीज़ मानते हैं। मैं उन से एक definite request करना चाहता हूं। वह जवाब देते वक्त बताएं कि इन के पास किस District Board के बारे में कोई दर्खास्त आई है कि वह ठीक तरीके पर काम नहीं कर रहा है। इस किस्म की कोई general शिकायत उन के पास आई है या कि उन लोगों ने शिकायत की है जो खुद nominate होना चाहते हैं। पिछले दिनों की बात है— Marketing Committee Act के मातहत District Boards को panel of names भेजने के लिये कहा गया था। वज़ीर साहिब ने rules की खिलाफवर्ज़ी करते हुए कुछ ऐसे लोगों को रोहतक की Marketing Committee का मेम्बर बना दिया जिन के नाम panel में शामिल नहीं थे।

Minister for Public Works: I never did it.

श्री श्री चन्द : आप ने नहीं, तो आपके किसी साथी ने ऐसा किया होगा, इन की गवर्नमेंट ने ऐसा किया होगा। दरअसल वे इस बिल के जरिए उन मैम्बरों को District Boards में जगह देकर खुश करना चाहते हैं जिन्हें कुछ नहीं दे सके।

मेरे ख्याल में Statement of Objects and Reasons में वज़ीर साहिब ने जो वजूहात दी हैं इस बिल को बिना पढ़े दी हैं वर्ना मैं हरगिज नहीं मान सकता कि इन जैसा समझदार आदमी यह कहे कि हम 'पुराने' बोसीदा मेम्बरों को जिन की representative capacity नहीं रही हटा कर उन की जगह पर Deputy Commissioner और माल अफसर को लगाना चाहते हैं।' क्या Deputy Commissioner और माल अफसर उन पुराने मेम्बरों की निसबत लोगों के ज़्यादा representatives हैं क्योंकि उन मेंबरों को चुने गये दस साल हो गए हैं। (हंसी) मेरी समझ में तो यह बात नहीं आ सकती कि Health Officer या माल अफसर लोगों की ज्यादा नुमायंदगी करते हैं। यह कहना कि वह मेंबर तो representatives नहीं रहे मगर उन की जगह नए मेंबर नहीं चुने जायेंगे बल्कि अफसरों को लगाया जायेगा अजीब मंतिक है। यह भी अजीब दलील है कि चूंकि गवर्नमैण्ट elections नहीं करवा सकी, इस लिये पुराने मेंबरों को हटाया जा रहा है। Budget Session में तो हमारे मंत्री दोस्त कहते रहे कि Boards को तोड़ कर कोई नई चीज़ लायेंगे। अगर ऐसा करते तो बात समझ में आ सकती थी। मगर न तो उन्हें तोड़ा जा रहा है और न रखा, बीच बिचौले वाली बात की जा रही है, कहते हैं कि District Boards तोड़ दिये हैं मगर वे मौजूद भी हैं। सारा पंजाब कम अज़ कम दिहाती पंजाब जानता है कि इस गवर्नमैण्ट ने District Boards की elections नहीं करवानी हैं। अब Upper House की elections होंगी, तो क्या Deputy Commissioner, माल अफसर और Health Officers राय देंगे? (हंसी)।

जनाब, यह तो बताया नहीं जाता कि कब तक elections करवाई जायेंगी क्या अच्छा Engineer है जो नये घर का नकशा तैयार करने से पहले ही पुराने घर को गिरा रहा है—बिना सोचे कि जाड़े में बाहर बैठना पड़ेगा। कौनसी मुसीबत आ गई है कि गवर्नमैण्ट बता नहीं सकती कि वह District Boards को असल में क्या शकल देना चाहती है। अभी तो उन के दिमाग में भी यह बात नहीं है कि District Boards की elections के लिये कौन सी Constituencies बनाई जायेंगी। फिर कहते हैं कि अभी voters की list बननी है। तो क्या Parliament और Assembly के voters की फैहरिस्त इन elections के लिये काम नहीं आ सकती? नई फैहरिस्त बनाने की क्या ज़रूरत है? Constituencies के बारे में अभी सोच विचार हो रहा है। Chief Minister साहिब कहते थे कि सोच रहे हैं "कि Thana Development Board बनाया जाए या Tehsil Development Board. हम फिर इन की co-ordination करना चाहते हैं" उन्हें अभी तक पता ही नहीं कि Boards थानावार होते हैं या तहसीलवार या जिलावार। असल बात यह है कि Upper House के

elections में उन्हें कई जगह disappointments हुई हैं—सरकारी कारों में कई हफ़्ते फिरने के बावजूद। अब अफ़सरों की votes से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं ताकि तमाम representative bodies का जिसे चाहें मेंबर बना सकें, पंचायतों, कमेटियों, District Boards, Upper House सब में अपने आदमी भर सकें और उन पर अपना control रख सकें। चूंकि District Boards जिस तरह गवर्नमेंट चलाना चाहती थी नहीं चले, इस लिये यह बिल लाया गया है।

स्पीकर साहिब! वज़ीर साहिब ने मुझे खुद बुला कर कहा था कि अगर Local Rates नहीं बढ़ाओगे तो हम District Boards को तोड़ देंगे। मैंने कहा आप की बात की समझ नहीं आई तो वे कहने लगे कि सीधी सी बात है या तो Local Rates बढ़ा दो या हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को तोड़ देंगे। मैंने फिर पूछा कि तोड़ने वाली बात मुझे समझ नहीं आई कि कोई तोप लगा कर तोड़ोगे किसी मेंबर को मारोगे क्या करोगे। साहिबे सदर! मैं जानता हूं कि वे District Boards को नहीं तोड़ेंगे अगर वे हकीकत में तोड़ना चाहते तो हम उन का साथ देते। असल बात यह है कि सरकार लोगों के लाखों रुपये को Deputy Commissioners, माल अफ़सरों और Health अफ़सरों के इख्तियार में देना चाहती है। Constitution के मातहत वे लोग इन रुपयों को नहीं खर्च कर सकते लेकिन मेरे दोस्त उन को यह powers देना चाहते हैं इसी लिये हम नाराज़ हैं। वज़ीर साहिब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को तोड़ना नहीं चाहते बल्कि उन को नवाबी ढंग के बनाना चाहते हैं। वज़ीर साहिबान के लिये नवाबी होगी, वे जाया करेंगे, address हुआ करेंगे, बड़ी बड़ी सैर होगी और शिकार खेले जाया करेंगे। हमें इसी बात का रंज है कि वे District Boards को तोड़ नहीं रहे। कांग्रेस 50 वर्ष से कहती आई है कि Deputy Commissioner लोगों का नुमाइंदा नहीं है इस को इख्तियार देना जमहूरियत नहीं है अब उसी पार्टी के लोग यह नई किस्म की जमहूरियत कायम कर रहे हैं। मुझे अफ़सोस होता है कि फिर यही लोग उठ कर कह देते हैं हाऊस में कि Opposition वालों ने तो कोई अच्छी दलील नहीं दी है, क्या जवाब देने के काबिल उन्होंने बात ही कोई नहीं की। यह नहीं कहते कि हमारे पास उन के argument का कोई जवाब नहीं है। सीधी बात नहीं करते। कहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को गिरा रहे हैं और हकीकत में वे नई दीवारें खड़ी कर रहे हैं। साहिबे सदर! मैं चाहता हूं कि वे बात को साफ कर दें कि वे क्या करना चाहते हैं। ठीक बात यह है कि दिहात के लोग जो District Boards में थे उन का कहना नहीं मानते थे इस लिये उन को सबक सिखाना चाहते हैं। उन का ख्याल है कि हम Deputy Commissioners से काम करवा लेंगे। इस लिये मैं बाजवा साहिब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि वे साफ साफ बता दें। कि वे क्या करना चाहते हैं, तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। वे मज़े लें रुपये किसी के भले के लिये खर्च करें या किसी के नुकसान के लिये खर्च करें हमें कोई सरोकार नहीं होगा लेकिन बात तो साफ करदें कि वे क्या करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि वे बात साफ नहीं करेंगे। मैं बताता हूं कि जब तक यह असेम्बली है वे District Boards के नये Election नहीं करेंगे। कहते हैं कि फहरिस्त नहीं बनी हुई। मुझे समझ नहीं आती कि कौनसी लिस्ट उन्हों ने तैयार करनी है। Constituencies

[श्री श्री चन्द]
तो पहले बनी हुई हैं। आप Constituency की लिस्ट बदल नहीं सकते। अपनी मरज़ी के मुताबिक मैम्बरों का नम्बर घटा और बढ़ा भी नहीं सकते। वे चाहते हैं कि 10 लाख आदमियों के नुमायंदे की तादाद तो 10 हो जाए और Municipal Committees में मैम्बरों की तादाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा लें यह नहीं हो सकता। साहिबे सदर ! सुन कर आप को ताज्जुब होगा कि यह पंजाब असैम्बली 262 ऐक्ट पास कर चुकी है यह मैं ने लायब्रेरी में पढ़ा है। उन को रात को खाब आता है और सुबह उठ कर वे बिल ले आते हैं। मुझे बतायें कि कौनसा Act है जो उन्होंने 10 बार amend नहीं किया ? जैसा घसड़ पसड़ लाते हैं वैसा ही पास कर लेते हैं। यह भी ले आवें इस में समय लगने की बात नहीं है। या साफ बात कह दें कि हमें दिहात के Elections रास नहीं आते। पंचायतों के Election भी रास नहीं बैठे इसी लिये हम Elections नहीं करवाना चाहते। अगली असैम्बली आएगी तो करवा लेगी अगर सीधी बात कर दें तो मुझे अफसोस न होगा। इन अलफ़ाज़ के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

दीवान जगदीश चंद्र (लुधियाना शहर, उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ! इस हाउस में District Boards की पुरानी और बोसीदा इमारत को गिराये जाने और एक नया ढांचा बनाए जाने के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा गया है। मेरे opposition वाले भाइयों ने अपने विचार ज़ाहिर फरमाए हैं। मुझे यह देख कर हैरानी होती है कि वही दलीलें जिन के खिलाफ Ministerial Benches से कई बार जवाब दिया जा चुका है, बार बार दुहराई जा रही हैं। Opposition की ओर से बार बार यह कहा जाता है कि हकूमत को इस बात से डर है कि दिहात वाले उन के साथ नहीं हैं और इस वजह से District Boards में कांग्रेसी सदस्य majority में नहीं आ सकते। साहिबे सदर ! इस बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज भी इस August House में देहाती मैम्बरान भारी तादाद में कांग्रेसी बेंचों पर बैठे हैं। इस के अतिरिक्त अभी अभी जो चुनाव पंचायतों के हुए हैं वहां भी कांग्रेस की majority है और पंचायतें बाकायदा तौर पर चल रही हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि जो संस्था आज से बहुत वर्ष पूर्व की बनी हुई है जब कि आम लोगों को राये देने का हक भी नहीं था मेरे opposition वाले भाई क्यों उस को कायम रखने की favour में हैं ? अभी अभी मेरे फाज़िल दोस्त ने कहा है कि अगर District Boards को बिल्कुल तोड़ने का बिल लाया जायगा तो वे support करेंगे। मैं उन से अर्ज़ करना चाहता हूं कि कोशिश तो इसी direction में हो रही है। पुराने ढांचे को बिल्कुल तोड़ा जा रहा है और जब तक नया बने उस interim period के लिये इख्तियार लिये गये हैं ताकि नई किस्म का ढांचा तैयार करके हाऊस के सामने लाया जाए और उसे पास करवाया जाए। एक नई चीज़ मेरे फ़ाज़िल दोस्तों के सामने लाई जाएगी ताकि वे उसे पास करें। वह कौनसी चीज़ है जिस की बिना पर वे कहते हैं कि गवर्नमैण्ट जमहूरियत के खिलाफ कदम उठा रही है ? मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। वे यह तो चाहते ही हैं कि सरकार decentralization की पालिसी पर अमल करे। सरकार भी यही चाहती है कि देहातों शहरों और ज़िलों का इन्तज़ाम लोग खुद करें और इसी ओर में यह भी एक कदम है आखिर यह कौन सी नई बात है माननीय मंत्री साहिब पहले

बता चुके हैं कि अगर किसी सूबा की असैम्बली को इस ख्याल से तोड़ना पड़ जाये कि वह लोगों की सही मानों में नुमाइंदा नहीं रही है तो कुछ अरसा के लिये caretaker Government बनानी पड़ती है। इसी तरह हमारे सूबे में भी हुआ था नये चुनावों के बाद यह असैम्बली बनी थी जो कि आज हाऊस की शोभा को बढ़ा रही है और लोग भी ख्याल करते हैं कि उन की सही नुमाइंदगी की जा रही है। और अगर इसी तरह District Boards का नया ढांचा तैयार करते समय तक यह व्यवस्था की जा रही है तो इस में कौन सी ताज्जुब की बात है ? इस के इलावा कहा गया है कि मिनिस्टिर लोग जा कर वहां शिकार खेला करेंगे और रुपये को बरबाद करेंगे। यह कैसे हो सकता है ? District Boards का बाकायदा हिसाब किताब होता है। Budget तैयार होता है और उस के मुताबिक ही रुपया खर्च होता है। इन हालात में वज़ीर साहिबान अपनी मर्जी के अनुसार कैसे खर्च कर सकेंगे ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जब किसी municipality का काम न चले तो उसे भी तोड़ा जाता है और जब किसी गवर्नमेंट का इन्तज़ाम ठीक न चल तो उसे भी तोड़ा जा सकता है।

The Assembly then adjourned till 2 p. m. on Friday, the 12th November, 1954

1520 PVS—284—23-2-55—C. P. and S., Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

12th November, 1954

Vol. III—No. 7

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, 12*th November,* 1954

CHANDIGARH:

Printed by ihe Controller of Printing and Stationery, Punjab.

1957

Price : Re

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, 12th November, 1954.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh at 2 p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

Mr. Speaker : The Question Hour is dispensed with.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या question hour dispense with कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उस कार्यक्रम के अनुसार, जो कि हाऊस ने परसों मंज़ूर किया था, हम ने आज २ बजे एक घंटे के लिये Excess Demands के बारे में Appropriation बिल पर विचार करना है । तीन बजे के बाद बाकी Legislative Business पर ग़ौर किया जायेगा । (According to the programme already approved by the House day before yesterday we have to consider Appropriation Bill in respect of Excess Demands at 2 p. m., for one hour. From 3 p. m., onwards other legislative business will be transacted).

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ session ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

अध्यक्ष महोदय : यह Friday को approve हुआ था । उस दिन तो Assembly in Session थी । (This was approved on Friday the 5th November and the Assembly was in session on that day).

ADJOURNMENT MOTIONS

Mr. Speaker : I have received notice of an adjournment motion from Pandit Shri Ram Sharma by which he wishes to discuss:

> "the collections of funds under official pressure in District Rohtak in the name of National Plan Loan now revealed to the people when they are required to sign away the bonds in the name of the Punjab National Bank......"

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वजह बता दूं कि जिस कर के यह notice दिया गया है । मतलब यह है कि पहले तो लोगों को कहा गया था कि कर्ज़ दो और लोगों ने कर्ज़ दे दिये पर अब उन को कहा जा रहा है कि पंजाब नैशनल बैंक के नाम........

अध्यक्ष महोदय : आप की जो motion है एक तो यह पहले लाई जानी चाहिये थी दूसरे यह vague है और clear नहीं । न ही यह किसी single specific matter of recent occurrence से ताल्लुक रखती है । Therefore, it is disallowed.

(The hon. Member should have given notice of this adjournment motion earlier. Besides, it is vague and not clear and does not relate to a single specific matter of recent occurrence. Therefore, it is disallowed.)

[Mr. Speaker]

There is a notice of another adjournment motion given by the same hon. Member. It relates to—

"Indiscriminate arrests under Section 9 of the Punjab Security of State Act in connection with the peaceful agitation for the transfer of......"

लगभग इसी विषय पर माननीय मैम्बर पहले भी एक adjournment motion ला चुके हैं। अब फिर वही reproduce की गई है। दूसरे आप को इस का नोटिस earliest opportunity पर देना चाहिये था।

(The hon. Member had previously given notice of an adjournment motion which practically related to an identical subject and the same has now been re-produced. He should have given notice of it at the earliest opportunity).

पंडित श्री राम शर्मा: स्पीकर साहिब, इस से पहले और क्या earliest opportunity हो सकती थी। परसों तो arrest हुई थी। तो यही मौका हो सकता था। Deputy Superintendent of Police की transfer के सिलसिले में वह peaceful तरीके से agitation कर रहे थे तो उन की गिरफ्तारी दफा 9 में की गई थी। उस के खिलाफ़ यह adjournment motion लाई गई है।

Chief Parliamentary Secretary : Sir, with your permission, I want to make one submission in this connection. The arrests took place many weeks ago and not two or three days back as stated by my hon. friend Pandit Shri Ram Sharma.

Mr. Speaker : He himself is not certain about the date on which arrests took place.

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I am sure about it.

Mr. Speaker : The Chief Parliamentary Secretary has stated that the arrests took place many weeks ago. This matter is, therefore, not urgent. I rule this adjournment motion out of order.

There is yet another notice of adjournment motion given by Pandit Shri Ram Sharma. It relates to—

"the discrimination in the charges of electricity units from the residents of Panipat, District Karnal, a section of whom are required to pay 0-4-0 per unit while the others are paying 0-2-0 per unit......"

माननीय मैम्बर तो बड़े पुराने parliamentarian हैं। क्या वह बतला सकते हैं कि इस में कौन सा single specific matter of recent occurrence है जो adjournment motion का मौजू बन सकता है ?

(The hon. Member is an old parliamentarian. Can he point out any single specific matter of recent occurrence involved in it, which could form the subject of this motion for adjournment?)

पंडित श्री राम शर्मा : इस में तो लिखा हुआ है कि कुछ लोगों से चार आने unit और कुछ लोगों से....

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर को जानना चाहिये कि ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिये adjournment motion नहीं लाई जा सकती। सरकार और महकमा मुतअल्लिका के नोटिस में ऐसी चीजें लाने के लिये आप और कदम उठा सकते हैं।

(The hon. Member should know that an adjournment motion cannot be allowed for remedying complaints of this nature. Other courses are open to the hon. Member for bringing such things to the notice of the Government and the department concerned.)

पंडित श्री राम शर्मा : Remedy तो हर बात के लिये कोई न कोई होती ही है ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन हर बात के लिये adjournment motion का नोटिस तो remedy नहीं होता ।

(But giving notice of an adjournment motion is not the only course to get complaints removed.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह Constitution के खिलाफ़ नहीं है कि एक ही चीज़ के दो अलहदा अलहदा rates लोगों से charge किये जा रहे हों ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਜ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Let us prcceed to the next item on the agenda.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I lay on the Table of the House the Appropriation Accounts of the Punjab Government for the year 1951-52 and the Audit Report, 1953, as required by Article 151 (2) of the Constitution.

EXEMPTION OF PROCEEDINGS FROM RULE 12 "SITTINGS OF THE ASSEMBLY"

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly."

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly."

(*Sardar Gopal Singh rose to speak.*)

Mr. Speaker. Under the rules, there cannot be any discussion on this motion.

(इस पर पंडित श्री राम शर्मा बोलने के लिये उठे ।)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ? (What does the hon. Member want ?)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं इस को oppose करना चाहता हूं ।

Mr. Speaker : Order please. In this connection, I will refer the hon. Member to rule 12 (3) (c) of our rules which reads—

> "12 (3)(c) a motion may be made by a Minister at the commencement of the business for the day to be decided without amendment or debate to the following effect:
>
> "That the proceedings on any specified item of business be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly".

पंडित श्री राम शर्मा : मैं तो precedents quote करता हूं । यह आप की मरज़ी है कि इस मोशन पर बोलने दें या न बोलनें दें ।

अध्यक्ष महोदय : इस में न आप की मरज़ी है न मेरी । रूल्ज़ की पाबन्दी है ।

(In this matter nobody's will prevails. We are bound by rules only.)

(*At this stage Members of the Opposition staged a walk out.*)

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for to-day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly."

The motion was carried.

ADJOURNMENT

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

The motion was carried.

THE PUNJAB APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1954.

Minister for Finanace (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I introduce the Punjab Appropriation (No. 4) Bill.

Minister for Finance: Sir, I beg to move—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir I beg to move—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 4) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB DISTRICT BOARDS (TEMPORARY CONSTITUTION) BILL, 1954 (RESUMPTION OF CONSIDERATION CLAUSE BY CLAUSE)

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Now I call upon Dewan Jagdish Chandra to continue his speech, which he was making when the House adjourned yesterday.

दिवान जगदीश चंद्र (लुधियाना शहर—उत्तरी) : स्पीकर साहिब, Opposition वालों की कुछ आदत सी हो गई है कि कोई भी बात क्यों न हो, शहरी और देहाती का सवाल खड़ा कर देते हैं । इसी तरह इन्होंने District Boards (Temporary Powers) Bill के बारे में भी किया। इन्होंने कहा कि यह बिल देहातियों से जो कि जम्हूरियत के स्तून हैं जम्हूरी हकूक छीनने के लिये लाया गया है । स्पीकर साहिब, आप जानते हैं और Opposition के मैम्बर भी जानते हैं कि इस Government ने देहातियों को देहात का इन्तज़ाम चलाने के लिये पूरे इख्तियारात दिये हैं और आज के बदले हुए हालात के मुताबिक पूरे २ इख्तियारात दिये जा रहे हैं.......

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : On a point of Order, Sir. अर्ज़ यह है कि यह बिल की तीसरी दफा पर बोल रहे हैं या बिल पर general discussion कर रहे हैं ? बिल की तीसरी दफा तो मैम्बर को appoint करने के मुतअल्लिक है......

Mr. Speaker : Please let him proceed.

दिवान जगदीश चंद्र : मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस बिल का मकसद District Boards की पुरानी इमारत की जगह पर नई इमारत बनाना है। पुराने ढांचे को बदल कर नया ढांचा temporary तौर पर, खड़ा करना है । नई इमारत तब ही खड़ी की जा सकती है जब हम पुराने ढांचे को गिरा लें । मेरे Opposition के दोस्तों को समझना चाहिए........

Mr. Speaker : Please confine yourself to clause no. 3 which is under discussion.

दिवान जगदीश चंद्र : श्रीमान जी, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि नामज़दगी के इख्तियार और यह सारा ढांचा Deputy Commissioner को सौंपना, District Board के इन्तज़ाम को interim period में चलाने के लिये है जब तक कि नए इन्तखाबात नहीं हो जाते । डिप्टी कमिश्नर को यह काम इस लिये सौंपा गया ताकि लोग उस तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें और ऐसे......

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a point of Order, Sir. ਅਜ ਬਹਿਸ clause 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ clause 2 ਦੀ sub-clause 3 ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : No. Clause 2 was carried and clause 3 is now under discussion.

दिवान जगदीश चंद्र : मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि Deputy Commissioner की मदद के लिये कुछ ऐसे आदमी भी नामज़द किये जायेंगे जो technical advice भी दे सकेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अर्ज़ करता हूं कि इस क्लाज़ को पास किया जाये ।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਿਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ clause ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕ ਦੇ ਦਿਉ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ । ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਭੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਸਨ । ਇਹ 1857 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਗੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਾਂਗੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਫਟ ਉਠੀ ਸੀ ਇਹ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਜੋ ਅਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਲੜਦੀ ਰਹੀ । ਅਜ ਜਦ ਖੁਦ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਘੋਲ ਵਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ chairmanship ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਅਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੋ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਉ । ਇਹ ਅਫਸਰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀ ਗਏ ਹਨ । ਭਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ? ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪਥੱਰ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਰਮ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਦਿਤੇ । ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਧੇ ਅਤੇ ਡਿੰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ discipline ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੜਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉੜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "yes men" ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਲ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕ

ਖੇਹੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਸਿਧੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਗ ਪਏ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲਗੇ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਈ ਮਿਉਨਿਸਪੈਲਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਉਥੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇਕ ਮਿਉਨਿਸਪੈਲਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਟਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਥੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਥੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਬਕਰੇ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਰਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਢੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜਿਤ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵਧ ਲਈਆਂ। ਅਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਜੇ ਕਰ ਏਹੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ election ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੰਜ ਬਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਏਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਹਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ Constitution ਦੇ Article 171 (a) ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਹਨ।

"(a) as nearly as may be, one third shall be selected by electorates consisting of members of municipalities, district boards and such other local authorities in the State as Parliament may by law specify....

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ Constitution ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮੁਦੱਾ ਸੀ ਕਿ Upper House ਵਿਚ indirect election ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਹ ਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ indirect election ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਖਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ power ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

श्री बाबू दयाल (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस लिये खड़ा हुआ हूं कि मेरे जो भाई यह कहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने Democracy का गला घूंट दिया है उन्हें बता दूं कि आप कहते हैं इन्हें Democracy का गला घूंट देने का हक नहीं इन्हें तो जान से मार देने का भी हक है । हमारी सरकार कांग्रेस की मुतबन्ना है और जो मुतबन्ना बनाया जाता है वह इस लिये कि इस का अन्तिम संस्कार इस के हाथों हो । मुतबन्ना का लालन पालन भी इसी कारण किया जाता है कि अन्तिम संस्कार करने वाला कोई हो । मैं तो यह भी कहूंगा कि अन्तिम संस्कार करने की मुतबन्ने की भी ख्वाहिश होती है । पिछले दिनों में मैं ने सुना कि एक वालिद का इन्तकाल हुआ उस के दो मुतबन्ने थे । उन में झगड़ा हो गया लाठियां चलीं और पुलिस बुलाई गई ।

अध्यक्ष महोदय : इस का क्लाज़ से क्या सम्बन्ध है ?
(How is that relevant to the clause under consideration?)

श्री बाबू दयाल : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, यह argument दे रहा हूं कि यह सरकार कांग्रेस की मुतबन्ना है और उस democracy को जिस को प्राप्त करने के लिये कांग्रेस 60 साल से जद्दोजहद करती रही उसे खत्म करने का इस सरकार को हक है । यह काम तो बेटों का होता है परन्तु कांग्रेस के सपूत कम हैं इस लिये मुतबन्नों को हक्क है कि वह उस का अन्तिम संस्कार करें । यही तो उन के वारिस हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप किस चीज़ पर बोल रहे हैं ? (On what motion is the hon. Member speaking ?)

श्री बाबू दयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर बोल रहा था कि यह कहते हैं कि Democracy का अन्तिम संस्कार नहीं किया जा रहा और दलीलें देते हैं । मुझे अफसोस आता है इन की दलीलों पर । यह Democracy के हक को छीन रहे हैं । कभी कहते हैं कि नामज़दगियों पर 25 फी सदी आदमी होंगे 10 फीसदी आदमी होंगे । इन्हें कौन रोक सकता है । अगर इन्हें democracy का पास हो तो यह 10 दिनों में elections करवा सकते हैं । Constitution के द्वारा तो केवल बालिगों को ही मत प्रदान

करने का हक प्राप्त है परन्तु यह यदि वह नाबालिगों को मत प्रदान करने का अधिकार भी दे दें तो भी लोगों का फैसला उन के खिलाफ जायगा। असल में यह elections से डरते हैं। और उन की दलीलें कमज़ोर हैं, इस के बारे में मेरे काबिल दोस्त ने जो बात कही है वह ठीक है कि जो यह चाहते हैं करते हैं। उन का यह हक्क है क्योंकि यह कांग्रेस के बड़े बड़े मुतबन्ने हैं।

हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े आदमी ने जगह जगह घूम कर लोगों से कहा कि इन पर एतराज़ न करो इन को हर बात का हक हासिल है क्योंकि यह Congress के मुतबन्ने हैं.....

अध्यक्ष महोदय: इस का यहां क्या ताल्लुक है ? आप पांच मिनट से बोल रहे हैं अब तक आप ने असल मामले के हक में या खिलाफ क्या कहा है ?

(How is all this relevant here? The hon. Member has been on his legs for full five minutes. May I know what he has said in support of or against the proposal under discussion up to this time?)

श्री बाबू दयाल : मैं तो यह बता रहा हूं कि यह Democracy का गला घूंट रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप कई बार कह चुके हैं। मैं आप को इसी तरह तकरीर करने की इजाज़त नहीं दे सकता। (The hon. Member has already repeated this argument several times. I cannot allow him to continue in this strain any longer.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, मैं इस की मुखालिफत के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से यह कहना चाहता हूं कि जिस नामज़दगी के खिलाफ हमने इतनी मुद्दत तक जद्दोजहद की आज उसी की हिमायत क्यों हो रही है ? आज़ादी मांगने वाला हर शख्स और जमाअत यही कहती थी कि हमें यह बात मंज़ूर नहीं कि सरकार अपने हज़ूरियों को आगे लाये और लोगों की कमाई का रुपया उन के हाथ में दे दें। हम ने Executive Councils की और District Boards में नामज़दगियों की डिप्टी कमिश्नरों के Chairmen बनाए जाने की कितनी मुखालिफत की और इस सिलसिले में कितनी जद्दो जहद हुई ! लेकिन आज यह देख कर कितना अफसोस होता है कि जो लोग यह जद्दो जहद करते थे उन्हीं में से एक वज़ीर इस House से कहता है कि हमें नामज़दगी की इजाज़त दी जाए ताकि हम जिस अफसर को चाहें लगा दें और पब्लिक का लाखों करोड़ों रुपया उस के हवाले कर दें और वह जिस तरह चाहे उसे इस्तेमाल करे। मैं अर्ज़ करता हूं कि District Boards के funds करोड़ों तक पहुंचते हैं और यह रुपया पब्लिक ने इस ख्याल से दिया है कि लोगों के नुमाइंदे वहां जायेंगे और हम लोगों का रुपया अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे।

सरकारी बेंचों पर से एक मेंबर ने फरमाया कि District Boards बहुत ही corrupt थे इस लिये उन्हें तोड़ देना ही ठीक था। मैं कहता हूं कि corruption का ऐसा ही ख्याल है तो खुद अपनी तरफ देखिये। किताबों की nationalisation के बारे में

[मौलवी अब्दुल ग़नी डार]

कहा गया था कि यह लोगों की भलाई और फायदे के लिये की जा रही है। मगर में पूछता हूं कि हिंद समाचार के सिवा इस से किस को फायदा हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह आप का pet subject है मगर इसे बे मौका और बेताल्लुक तो बीच में न लाया करें।

[I know that this is the hon. Member's pet subject but he should not bring it in unless there is relevancy or any occasion for it.]

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब, मैं ने आप के द्वारा जो इलज़ाम लगाया उस की Education Minister तो क्या किसी और को भी मुखालिफत या तरदीद की हिम्मत नहीं हुई ।

अध्यक्ष महोदय : इस का यहां कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ऐसी irrelevancies की इजाज़त नहीं दे सकता।

[It is not even remotely related to the matter under discussion. I cannot allow such irrelevancies.]

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : आप ने श्री देवराज सेठी को इजाज़त दी कि वह District Boards पर यह इलजाम लगाएं कि वह लाखों रुपये का गबन करते थे।

अध्यक्ष महोदय : मगर आप clause पर तो बोलें।

[But the hon. Member should say something on the clause under discussion.]

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं तो नामज़दगी के खिलाफ बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन ऐसी इधर उधर की बातों की इजाज़त नहीं दी जा सकती।

[But I cannot allow such digressions.]

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब आप के इख्तियारात बहुत वसीह हैं जो हुकम आप दें मुझे तामील करनी पड़ेगी। खैर मैं तो इन से यह कहना चाहता हूं कि "छाज तो बोले छलनी क्या बोले जिस में नौ सौ छेद"।

अब असल बात यह है कि जब हम ने नामज़दगियों के खिलाफ इतनी जद्दो जहद की तो फिर यह वही चीज क्यों मांगते हैं। इस की वजह सिर्फ यह है कि वह अपने आदमी वहां लाना चाहते हैं ताकि जिस अफसर को अपने मतलब का देखें उसे लगादें और आइंदा elections में अपने लिये मैदान तैयार हो जाए। आप जानते हैं कि caretaker हकूमत में भी पुराने वज़ीरों में से कुछ आदमियों को ले लिया जाता है या पब्लिक के ज़िम्मेदार आदमी लगाये जाते हैं। मगर यह अपने अफसरों को लगाना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि हमारा मकसद अपने आदमी लगाना नहीं है............

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो इस बारे में assurance दी थी।

[He gave an assurance on this point.]

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जी हां। लेकिन अगर सच मुच यही बात है तो फिर कोई ad hoc या caretaker बोर्ड बना देते और उन में पब्लिक के आदमी लेते जिन पर

लोगों को एतमाद होता । यह तो उन अफसरों को लगाना चाहते हैं जो इन के अपने आदमी हों। मैं अर्ज़ करता हूं कि यह चीज़ न सिर्फ़ Democracy के बल्कि हमारी तमाम जद्दो जहद के खिलाफ है जो हम पिछले 30 सालों में करते रहे। यह पब्लिक का ख्याल छोड़ कर अपने फ़ाइदे के लिये ऐसा कर रहे हैं। इस की वजह वही है जो श्री वधावा राम जी ने बयान की है यानी सामने की बैंचों पर 50 बल्कि 60 फी सदी ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने Congress की जद्दोजहद में कोई हिस्सा नहीं लिया और जो हमारी कुरबानियों, Chief Minister साहिब की कुरबानियों, और महात्मा गांधी जी की कुरबानियों की बदौलत यहां आ बैठे हैं। (*interruptions*)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ clause ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ Democracy ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ Chief Minister ਤਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ misuse ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦੀ car taxi ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का इस clause से क्या सम्बन्ध है ? (What has this to do with the clause ?)

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬੜੇ ਰੰਜ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ car ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात रहने दीजिए। मेरे पास car है। (You leave aside my case. I have got a car.)

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ : ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ।

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is —

That the question be now put.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it." This opinion was challenged and division was claimed Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ministers ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਹਲੇ ਵੇਲੇ ਆਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री साहिब सरदार सरुप सिंह जी की तसल्ली करा दें। (The hon. Minister should satisfy Sardar Sarup Singh.)

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ nominate ਕਰਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ District Boards Act ਵਿਚ ਵੀ provision ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ । Nominations ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ House ਵਿਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ nominate ਹੋਏ ਸਨ । ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ nominate ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ nomination ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਹਾਂ official designation ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਲਾਣ ਲਈ nominations ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Constitution ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Upper House ਦੀ constituency ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : On a point of Order, Sir. ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ constituency ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕੌਣ ਦੇਣਗੇ ? ਕੀ Deputy Commissioners ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ?

Mr. Speaker : Is this a point of Order ?

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ nominate ਕਰਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲੀ provision ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵਾਏ official designation ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ nomination ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । Nomination ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਅਸੀਂ ਕਲ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ nomination ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਨਵਾਂ Act ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : Sir, beg to move—

That the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill be passed.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ Constitution ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੈਂਬਰ meeting ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ democracy ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਰਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ-ਅਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਖੋਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਂਣਾ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਠੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ nomination ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡ੍ਰੈਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏਗੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਹਰ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਜਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਬਿਲ ਦੇ Statement of Objects and Reasons ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ stagnation ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ordinance ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । Statement ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ till the

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

future shape of the local self government is crystallised. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ temporary ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ temporary ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ-ਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸ-ਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ resolution ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਕਸ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਐਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾਣ ਤੋਂ ਇਨ-ਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ management ਲਈ ਇਕ Planning Committee ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ District Inspector of Schools ਨੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਦੇ Deputy Commissioner ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ development ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਣ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ private ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ constitute ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। Local rates ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ powers ਨੂੰ decentralise

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

मुख्य मंत्री : हां कर दिया है।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਦੀ ਤਕਰੱਰੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਮੁਕੱਰਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ decentralisation ਦੀ ਬਜਾਏ centralisation ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਬਿਲ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ nomination ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ nomination ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਐਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੀ by-election ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ (ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ?)

अध्यक्ष महोदय : आप relevant बातें कहिए और repetition न कीजिए। [Please avoid repetition and be relevant.]

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ; ਮੈਂ ਆਪਣੇ point ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker: Please resume your seat.

पण्डित श्री राम शर्मा: On a point of Order, Sir. क्या Chair को हक हासिल है कि वह किसी मैम्बर को किसी वक्त बैठ जाने के लिए कह दे ? क्या यह चीज़ unparliamentary नहीं ?

Mr. Speaker : I am here to judge whether what an hon. Member is saying is relevant or not.

पंडित श्री राम शर्मा : Rules इस बात का हमें इख्तियार देते हैं कि कोई मैम्बर उस वक्त तक बोलता चला जाए जब तक कि वह irrelevant न हो या repetition न करे।

Mr. Speaker : Please resume your seat. He was indulging in repetitions.

Pandit Shri Ram Sharma: On a point of order, Sir.

Mr. Speaker: Why are you unnecessarily interfering? I won't listen to any argument on this point. If any hon. Member indulges in repetition I won't allow him to proceed with his speech.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਉਪਰ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ Government ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ assurance ਦੇਵੇ, ਵਾਇਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ elections ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ reject ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਢੰਗ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲ ਦੀ spirit ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ Government ਕਦੇ ਵੀ election ਕਰਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਬਨ੍ਹ ਬਣਵਾਇਆ।

Mr. Speaker : Is it relevant ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।

अध्यक्ष महोदय : मगर इस का क्या सम्बन्ध है? (But how is this relevant?)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ Government ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ assurances ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ relevant ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ speech ਕਰੋ।

Mr. Speaker : This is irrelevant. ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਰ ਬਹਿਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? (This is irrelevant. What connection has it got with the Bill under discussion ?)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : Promises are not under discussion. The District Boards Bill is under discussion.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : Five-Year Plan ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ District Development Schemes ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ officials ਤੇ non-officials ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, District Boards ਦੇ elected members ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ development ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ development ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ । Government of India ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ development schemes ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ units ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ । ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਤਕ ਛਡਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰਖ ਕੇ Development Schemes ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ taxpayers ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ District Boards ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ development ਉਪਰ ਜਿਹੜੇ taxes ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

श्री रिज़क राम (राय) : साहिबे सदर, कल भी और आज भी इस बिल पर काफी बहस हुई है। Opposition की तरफ से इस की काफी मुखालिफत की गई है। लोगों के हकूक के नाते और जम्हूरियत के नाते इस पर एतराज़ात उठाए गए हैं ।

साहिबे सदर, कल की बहस में भी और पहले भी इस बात को अच्छी तरह वाज़िह किया गया था कि 1935-36 में elections हुए थे। उस वक्त मुश्किल से voters कुल आबादी का 10 या 12 फीसदी होते थे। पता नहीं किस वजह से इस की इतनी मुखालिफत की जा रही है। कुछ ऐसे मेम्बर हैं जिन का election 20 साल हुए हुआ था। उन में से कई तो आज जिन्दा ही नहीं हैं। बीच के वक्त में ज़माना ही बदल गया है, मुल्क आजाद हो गया है, पंजाब की तकसीम हो चुकी है। कुछ मैम्बर West Punjab चले गए, उन की जगह नए नामज़द किये गये । जिन मेंबरों को हटाया गया है उन की पोज़ीशन ऐसी थी कि वे electorate के आगे ज़िम्मेदार नहीं थे, जो nominated थे वे भी किसी के आगे जवाब देह नहीं थे। आइंदा elections में आने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। सवाल यह था कि उन के हाथों से इन्तज़ाम छुड़ाया जाये या न छुड़ाया जाये। अफसरों के ज़रिये इन्तज़ाम को चलाना सरकार के लिये खुशी की बात नही होती मगर बद इन्तजामी को खत्म करना और ऐसे आदमियों के हाथ में इन्तज़ाम देना जिन से गवर्नमेंट कम से कम पूछ ताछ तो कर सके कोई गलत बात नहीं है ।

स्पीकर साहिब, लेकिन अगर मैम्बरान के दिल में यह विचार हो कि हम ने कुछ अरसा के बाद फिर Electorate के सामने जाना है तो वे ज़रूरी तौर पर संभल कर चलेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे Opposition वाले भाइयों की यह कार्रवाई तो समझ में नहीं आती कि वे 2, 3 दिन से ऐसे मैम्बरों के पक्ष में बोल रहे हैं जो किसी के नुमाइंदे नहीं थे। उन का जो बोर्डों को चलाने का तरीका था वह सब को मालूम है उन के लिये इतना शिकवा शिकायत मेरी समझ में नहीं आता। District Boards के निज़ाम की एक लम्बी चौड़ी दास्तान है उस पर हाऊस में काफी रोशनी डाली जा चुकी है और मैं उसे दुहराना नहीं चाहता। Opposition वाले भाइयों की ओर से constitutional points raise किये गये-

[श्री रिज़क राम]

हैं। यह कहा गया है कि हमारे विधान की रू से ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विधान में लिखा है कि Council of States और Legislative Council के elections elected members की राय से होंगे और nominated members की राय से नहीं होंगे और इस लिये यह विधान के खिलाफ है, यह बिल पास नहीं किया जा सकता। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि विधान में ऐसे भी कोई दफात हैं जिन में यह सूरत वाज़िह की गई हो कि Upper House या Council of States के elections सिर्फ elected members की vote से ही हो सकते हैं। उस में तो लिखा है कि Members हों खाह elected हों खाह nominated हों खाह कैसे ही हों उन के vote से election हो सकते हैं। फिर गवर्नमैण्ट की तरफ से यकीन दिलाया गया है कि यह सिर्फ आर्ज़ी इन्तज़ाम है। जिन बोर्डों में खराबी बहुत हद तक पहुंच चुकी थी उस को समाप्त करने के लिये यह व्यवस्था ज़रूरी थी। तो यह शिकायत मेरे भाइयों की बेबुनियाद साबित हो जाती है। मैं उन से अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमैण्ट की यह ज़बरदस्त खाहिश है कि elections जल्दी से जल्दी करवाए जायें। एक नया ढांचा तैयार किया जायेगा कि नए निज़ाम को किस तरह चलाना है, क्या सूरत उस को दी जायेगी। उस के बाद नए elections किये जायेंगे। उस interim period के लिये यह आर्ज़ी इन्तज़ाम किया जा रहा है तो इस मामूली सी बात के लिये क्यों इतना वावेला मचाया जा रहा है, इतनी मुखालिफत क्यों की जा रही है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। जिन हालात के मातहत सरकार ने यह कदम उठाया है वह सब मैम्बर साहिबान और साहिबे सदर आपको भी मालूम है। पंजाब में District Boards के elections 1935-36 के करीब हुए थे। ये बीस वर्ष कुछ तो लड़ाई में बीत गये और कुछ देश की तकसीम में गुज़र गये हैं। नये elections नहीं हो सके। वहां का इन्तज़ाम खुश असलूबी से नहीं चल रहा था इसी कारण से यह आर्ज़ी इन्तज़ाम किया गया। इस में मैं Opposition वाले भाइयों के लिये किसी प्रकार की रंज या दिलशिकनी की बात नहीं देखता। Chief Minister साहिब और बाजवा साहिब ने यह यकीन दिलाया है कि elections जल्दी ही करवाए जायेंगे। इस लिये उन के लिये किसी किस्म की नुक्ताचीनी की गुंजाइश नहीं रह जाती। चुनांचि मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस के पास करने में मदद देंगे।

श्री माड़ सिंह मलिक (साम्पला) : स्पीकर साहिब, आज तीसरे दिन से इस बिल पर बहस हो रही है। सरकारी बैंचों की तरफ से इस बिल के हक में बड़ी दलीलें दी गई हैं कि नए District Boards बनाने के लिये यह temporary arrangement किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या नए इन्तज़ाम के मातहत यह District Boards कहलाये जाने के काबिल रहेंगे ? इस सम्बन्ध में मुझे एक मिसाल याद आई है। एक शख्स चारपाई बेच रहा था उस से पूछा गया कि कैसी चारपाई है तो कहने लगा कि न तो बाइयां हैं, न ही सेरू हैं और न ही बान है लेकिन चारपाई बहुत अच्छी है। इन बोर्डों के न तो Chairman होंगे, न Vice Chairman और न ही मैम्बर होंगे लेकिन बोर्ड ज़रूर होंगे। इन सब की जगह पर उन में सरकारी अफसर मौजूद होगा। यह बोर्ड उसी चारपाई की तरह के होंगे जिस में न तो बाइयां हों और न ही बान हो। हमारा हाऊस

ऐसे ही बोर्डों की मन्ज़ूरी दे रहा है। सरकारी बैंचों की तरफ से कहा गया है कि हम नया निज़ाम ला रहे हैं और बोसीदा निज़ाम को हटा रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह नया निज़ाम और भी तो ज़्यादा बोसीदा नहीं होगा? अगर पुराने मैम्बर जनता के सही नुमाइंदे नहीं थे तो सरकारी अफसर भी तो उन के नुमाइंदे नहीं हैं; वे तो सरकार के ही नुमाइंदे होंगे चाहे उस वक्त adult franchise नहीं था लेकिन फिर भी वे मैम्बर लोगों के तो चुने हुए थे। असल बात यह है कि District Boards में सरकार की मदाखलत हो रही है। कुछ District Board ऐसे थे और कुछ के Chairman ऐसे थे जो कि सरकार की मदाखलत पसंद नहीं करते थे। सरकार ने भी उन Chairmen और मैम्बरों को पसंद नहीं किया और फैसला किया है कि इन्हें बिल्कुल ही खत्म कर दो। मेरे पास मिसालें मौजूद हैं जहां पर कि वज़ीर साहिबान ने District Boards में मुदाखलत की। यहां तक कि उन्होंने चिट्ठी लिखी कि कुछ क्लर्कों को एक महकमे से दूसरे महकमे में बदल दिया जाए (एक आवाज़ : ऐसा नहीं हुआ) मुझे रोहतक की मिसाल याद है। मैं जानता हूं कि चिट्ठियां मौजूद हैं जो कि वज़ीर साहिब की लिखी हुई हैं। स्पीकर साहिब, नई Constitution के बनते ही local rate 4 आने की बजाये 8 आने कर दिया गया। पहले बार बार सरकार की ओर से दबाव डालने पर भी local rate नहीं बढ़ाया गया था क्योंकि मैम्बरों को डर था कि अगर local rate बढ़ा दिये तो लोगों के सामने किस मुंह से जायेंगे। इस के उल्ट अफसरों को किस का डर है? सरकार ने हुकम दिया और उन्होंने एक कलम से 4 आने से बढ़ा कर 8 आने कर दिये। पहले Professional Tax कम से कम तीन रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये होता था लेकिन अब तीन रुपये की जगह सात रुपये और 100 की जगह 300 रुपये कर दिया गया है। स्पीकर साहिब, इन हालात के अन्दर District Boards को reconstitute किया जा रहा है। और फिर Democracy का नारा लगाया जा रहा है, अगर यही Democracy है और सूबा में यही गवर्नमेंट रही तो लोग इसे बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। साहिबे सदर, कांग्रेस पार्टी को ऐसा बिल नहीं लाना चाहिये था। यह पार्टी खुद अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ लड़ाइयां लड़ती रही है, कुर्बानियां करती रही है। आज उसी पार्टी की सरकार की तरफ से ऐसा बिल लाना Democracy की जड़ों पर कुल्हाड़ा चलाने के बराबर है। इस से ज़्यादा निकम्मी बात और कोई नहीं हो सकती। इस लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि वज़ीर साहिब इस बिल को वापिस ले लेवें।

श्री राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तर-पश्चिम) : जनाब स्पीकर साहिब, मुझे इस बात की खुशी है कि ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म की सभी यादगारें एक एक करके खत्म की जा रही हैं। आज जिस ऐक्ट के मुतअल्लिक अपोज़ीशन के मेरे लायक दोस्तों ने काफी तकरीरें की हैं—किसी ने जम्हूरीयत का नाम लेकर, किसी ने विकास की स्कीमों का नाम लेकर और किसी ने Local Government का हवाला देकर—उस के लाने के लिये मैं पंजाब सरकार को मुबारकबाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सब से पहले, स्पीकर साहिब, मैं अपने इन दोस्तों से पूछता हूं कि वह बताएं कि 27 जून 1954 से पहले जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हमारे सूबा में चलते आये थे वह किन लोगों के ज़रिये

[श्री राम किशन]

constitute किये गये थे? मैं पूछना चाहता हूं कि वह बतायें कि उन के electorate कौन थे और कौन उन की नुमाइन्दगी करते थे? इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज उन के 50 प्रतिशत के करीब electorate गैर मुल्क के अन्दर चले गए हैं। कई तो constituencies भी खत्म हो गई हैं। जब गवर्नमेंट पर यह इलज़ाम लगाया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की मौजूदा Constitution को तोड़ कर और elected मैम्बरों को निकाल कर उन की जगह सरकारी अफ़सरों को तैनात कर के दिहातियों के साथ धक्का किया जा रहा है तो इस के साथ ज़रा इस बात की भी तशरीह कर दी होती कि आखिर वे electorate भी कौन थे? सन् 1935 के गवर्नमैण्ट आफ इंडिया ऐक्ट के मुताबिक असैम्बली का वोटर तो हर वह शख्स हो सकता था जो कि प्राइमरी पास हो या एक रुपया revenue देता हो। पर जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का ताल्लुक है उसके वोटर कौन हो सकते थे? उस के वोटर वे लोग थे जो गांव के अन्दर 8 रुपया माहवार एक मकान का किराया देते हों या 5 रुपया land revenue देते हों। तो जाहिर है कि इस Constitutional provision के मुताबिक पंजाब के अन्दर 12 प्रतिशत कहना तो ज़्यादती है— 2 या $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से ज़्यादा लोगों के representatives इन District Boards के अन्दर नहीं थे। इस लिये पुराने गन्दे set up को बदलने के लिये, उस की जगह एक representative body स्थापित करने के लिये पंजाब सरकार का यह पहला कदम है जिस की, मैं समझता हूं, कोई भी आदमी सराहना किये बिना नहीं रह सकता। मैं समझता हूं कि आज जब कि मुल्क के अन्दर reconstruction के aim को सामने रखते हुए rural set up में एक revolution लाया जा रहा है, इस बिल का लाया जाना भी निहायत ज़रूरी था।

District Boards का future set up क्या हो, यह सवाल सिर्फ पंजाब का ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का सवाल है। आप को याद होगा, स्पीकर साहिब, कि 27, 28 और 29 जून 1954, को शिमला में भारत की तमाम स्टेट्स के Local Self-Government के मिनिस्टरों की एक कान्फ्रेंस हुई थी। उस में इस बात पर संजीदगी के साथ विचार किया गया था कि अब आगे के लिये पंचायतों का क्या ढांचा होना चाहिये, पंचायतों को क्या इख्तियारात मिलने चाहिएं। इस के साथ ही इस बात पर भी काफी सोच विचार किया गया था कि पंचायतों और State के दरमियान जो Co-ordination Body हो वह ताल्लुका बोर्ड हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कोई और इसी तरह की institution। आज के हालात को मद्दे नज़र रखते हुए, आज के बदलते हुए administrative structure को सामने रखते हुए जिस में decentralisation के असूल को अपनाया गया है इस बात को अच्छी तरह से ज़ेरे बहस लाया गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। इन सभी पहलुओं को सामने रखते हुए हमारी भारत सरकार खुद इस बात के लिये anxious है कि कोई All-India policy adopt की जाए। जहां तक इस उद्देश्य को पूरा करने का सवाल है देहाती आबादी से पूरा तुआवन मांगा जाएगा। ऐसा Co-ordination Board indirect elections से बने या direct elections से

पंजाब की सरकार यानी कांग्रेस इस बात से डरने वाली नहीं। आखिर यह उसी पार्टी की गवर्नमेंट है जिस ने इन देहातियों का confidence हासिल किया। तो फिर वह इस किस्म की धमकियों से कैसे घबराने वाली है। कौन नहीं जानता कि मेहना के अन्दर चुनाव हुए तो Opposition ने किस तरह उन भोले भाले लोगों को भड़काने की कोशिशें कीं। कौन नहीं जानता कि उन लोगों ने इस सरकार को इस इलाके की elections लड़ने के लिये challenge किया था। कौन नहीं जानता कि उन्होंने उस पर दबाव डालने के लिये हर मुमकिन तरीके इस्तेमाल किये। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद कौन नहीं जानता कि उन लोगों ने सरकार के हक में ही अपना फतवा दिया।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is no point of Order.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਤਵੱਜੁਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप स्पीचें पढ़ेंगे तो आप को मालूम हो जायेगा कि असल में माननीय मैम्बर क्या कह रहे हैं।

(You will come to know what the hon. Member is actually saying when you go through the speeches.)

श्री राम किशन : जनाब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो कि इन Treasury Benches पर बैठी हुई है इन के दबाव या challenges से घबराने वाली नहीं।

मेरे एक दोस्त ने कहा था कि स्यासी मकासद के लिये ही इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को supersede किया गया है। आखिर स्यासी मकसद क्या और कैसे हो सकता है ? जब ये District Boards नये सिरे से constitute होंगे तो उन के लिये 55,000 के करीब पंचायतों के वोटर होंगे ? इन की elections तो पंचायतों के ज़रिये ही होंगी। हालांकि पंचायतों की elections में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जब इन District Boards के लिये नए elections होंगे तो मैं अपने मुखालिफ़ भाइयों को साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस इन से घबराने वाली नहीं। वह उन से अपील करेगी और आप को दिखा देगी कि उस का भी अपने सिद्धांतों के आधार पर वोटरों पर कितना hold है। तब यह लोग यानी अपोज़ीशन देखेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की नीति पर, भारत सरकार की नीति पर, किस उत्साह के साथ उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया है।

आखिर अब सवाल क्या है ? सवाल सिर्फ़ यही है कि अब हमें इस बात पर फैसला करना है कि आया ये District Boards इस मौजूदा शकल में ही जारी रहें या

[श्री राम किशन]

कि आइन्दा के लिये इन का कोई और यानी दूसरा रूप हो । हिंदुस्तान में आज काया पलट हो रही है । आज हिन्दुस्तान में जो जम्हूरी हुकूमत कायम है, जिस प्रजातन्त्र के सिद्धांत को इस मुल्क में अपनाया गया है उस ने जो इख्तियारात दिये हैं उन के मुताबिक हमें यह फैसला करना है कि हमें इन District Boards को पुराने तरीके पर ही जारी रखना है, professional taxes को उसी तरह रखना या कोई नया ढंग adopt करना है । हमें यह सोचना है कि बदले हुए ज़माने में इन institutions को चलाना कैसे है, उन के सुपुर्द क्या powers रखनी हैं । हमें इस बात का फैसला करना है कि पढ़ाई का ढंग कैसा हो, हस्पताल कहां बनें, कैसे बनें, sanitation कैसी होनी चहिये, वग़ैरा वग़ैरा । जहां तक स्कूलों का ताल्लुक है प्राइमरी स्कूलों का इन्तज़ाम पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के ज़िम्मे हुआ करता था । अब भारत सरकार की नीति के मुताबिक स्कूलों का सारा सिलसिला पंजाब गवर्नमैण्ट ने अपने हाथों में ले रखा है और single—teacher schools जारी कर दिये हैं..........

अध्यक्ष महोदय : ये सब कुछ कैसे relevant है ? मेहरबानी करके बिल तक ही अपने remarks महदूद रखें । (How is all this relevant ? Please confine your remarks to the Bill.)

श्री राम किशन : बहुत अच्छा जनाब, अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूं । यह कहा गया है कि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के मैम्बरों से डरती है । इसी लिये उन को suspend किया जा रहा है यह बिल्कुल ग़लत बात है । कौन नहीं जानता कि पंजाब लैजिस्लेटिव कौंसिल के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के ज़रिये चुने गये चार मैम्बरों में से तीन मैम्बर कांग्रेस के हैं ? इस से साफ जाहिर है कि अब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की नई elections होंगी तो लोग कांग्रेस का ही ज़्यादा साथ देंगे ।

इस के इलावा कहा गया है कि nominations किये जायेंगे । मुझे मजबूर हो कर कहना पड़ता है कि इस चीज़ को भी Opposition के भाई ग़लत interpret कर रहे हैं । हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने और मिनिस्टर इंचार्ज ने जब यह एलान कर दिया हुआ है कि जल्दी से जल्दी पालिसी बना कर एक नया बिल सामने लाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि nomination करने का सवाल ही पैदा नहीं होता । नई इलैक्शन होने से पहले इस transitory period के लिये जो सरकारी अफ़सर इन District Boards की administration को चलाएंगे वे तो ex-officio Members होंगे । आखिर इस का मतलब यह थोड़े ही है कि इस institution को बिल्कुल उड़ा दिया जायेगा । यह तो साफ तौर पर सब को मालूम ही है कि मौजूदा निज़ाम में पंचायतों को जो कि हमारी administration की एक बहुत मज़बूत और अहम इकाई होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात देने की हमारी गवर्नमैण्ट की पालिसी है । तब, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, गवर्नमैण्ट और पंचायतों के बीच co-ordination के लिये किसी body की ज़रूरत है । फिर वह body चाहे District Panchayat Councils हो चाहे District Boards उसे लोगों की राए से ही चुना जायेगा ।

स्पीकर साहिब, मेरे दोस्तों ने यह फरमाया है कि development की स्कीमों में उन की राए या सलाह नहीं ली जाती। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस बारे में भारत सरकार की यह नीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सलाह और सहयोग हासल किया जाए। चुनांचि इसी मकसद के लिये हरेक ज़िला में Five Year Plan पर सोचने और सफारिशें करने के लिये District Development Councils बनाई हुई हैं। उस की मीटिंगें होती हैं जिन में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के मैम्बरों और पंचायतों के सरपंचों को invite किया जाता है। इस लिये जहां तक development के प्रोग्राम का ताल्लुक है सारे के सारे rural areas का सहयोग हासिल किया जाता है। हां, अगर हमारे ये साथी उन meetings को attend ही न करें तो फिर कसूर कुदरती तौर पर उन का अपना है। लिहाज़ा उन का यह इलज़ाम कि Five Year Plan के सिलसिले में और national development के सिलसिले में आम लोगों का सहयोग हासिल नहीं किया जाता, निराधार और बेमानी है।

इस के अलावा यह कहा गया है कि Deputy Commissioners को Chairmen बना दिया गया है। इस लिये अब वे लोग अपनी मनमानी करेंगे और लोगों की आम ज़रूरियात और सहूलतों की परवाह नहीं की जाएगी। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि उन का ऐसा अन्दाज़ा लगाना गलत है। वह ज़माना गया जब कि ज़िला के अफसर उस bureaucratic regime को represent किया करते थे। वह ज़माना गया जब कि Deputy Commissioner गवर्नर के सामने जवाबदेह और गवर्नर जवाबदेह हुआ करता था Viceroy के सामने जो कि Crown का representative होता था। आज ये Deputy Commissioners पंचायतों की representative लोक सरकार के सामने जवाबदेह हैं— democratic regime को जवाबदेह हैं।

इस लिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है जो कि पंजाब की देहाती जनता को आगे ले जाने वाली साबत होगी। मैं यह दावे से कह सकता हूं कि यह देहातियों को दबाने वाला नहीं बल्कि जो नए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनेंगे वे 3 या 4 प्रतिशत की बजाए 60 या 70 प्रतिशत देहातियों के representatives होंगे। चूंकि इस कानून के ज़रिये British imperialism की इस निशानी को भी खत्म किया जा रहा है और उस के स्थान पर समाज को एक नये ढांचे पर खड़ा करने का प्रबन्ध किया जा रहा है इसलिये मैं इस की support करता हूं और अपने मुखालिफ भाइयों से अपील करता हूं कि वह भी इस काम में हकूमत को अपना सहयोग दें।

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

अध्यक्ष महोदय : Question put करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो साहिबान debate में हिस्सा लेना चाहें उन के लिये कोई टाइम allot कर दूं क्योंकि अभी बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। अगर राए हो तो time fix किया जाए वरना दो तीन साहिबान के और बोल लेने के बाद question put किया जाएगा।

[अध्यक्ष महोदय]

[Before having the question put I would like to fix some time limit for the hon. Members who wish to take part in the debate, because so many hon. Members wish to speak. If it be the desire of the House the time limit can be fixed. Otherwise the question will be put after two or three more hon. members have spoken .]

पंडित श्री राम शर्मा : 15 मिनट फी मैम्बर.....

चीफ् पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : 5 मिनट ।

Mr. Speaker : Well, carry on.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब, इस में कोई शक नहीं है कि इस motion पर काफ़ी बहस हो चुकी है । लेकिन बहस के दौरान में कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिन का जवाब देना Opposition के लिये निहायत ज़रूरी हो जाता है । एक बात खास है जिस की तरफ मैं हाऊस का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस वक्त सवाल पुराने मैम्बरान का नहीं है । उन की stagnation का नहीं है, बल्कि सवाल है उस तरीके का जिस से District Boards को dissolve किया जा रहा है । अगर Constitution के मुताबिक District Boards को dissolve करके नए elections कराए जाते तो यह सवाल पैदा न होता जिस तरह Constitution के under दूसरे bodies के लिये तरीका रखा गया है। लेकिन यहां तो एक ordinance जारी किया गया था और वह Constitution के Article 213 के खिलाफ जाता है । इस में जो nominations की provision रखी जा रही है वह बड़ी ज़बर्दस्त agitation की बात है । 1883 के बाद 1894 में मिस्टर पोलज़ ने British Parliament में इसे पेश किया था और District Boards की elections का हक लोगों को बड़ी कोशिश के बाद मिला था । जो चीज़ 1883 में थी वही अब की जा रही है । अब फिर District Boards Deputy Commissioners के सुपुर्द किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह for some time किया जा रहा है क्योंकि इस बिल की Statement of Objects and Reasons में दिया है "This will take some time in considering the fundamental issues involved." इस के लिये कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया । अगर कोई वक्त दिया भी होता तो उस वक्त के लिये जिस में यह नया pattern तैयार नहीं हो जाता इन District Boards को dissolve कर दिया जाता और Assembly की elections की तरह इन की दोबारा elections करा ली जातीं । असल में इस का cause और है जिस के लिये हम को शिकायत है । जो democracy का असूल है उस को तोड़ कर यह किया जा रहा है । अगर 20 साल पुराने मैम्बरों को निकालना है तो कौन कहता है कि उन्हें न निकाला जाए लेकिन नए elections कराए जाएं । असल में स्पीकर साहिब इस का cause और है । एक दो District Boards के Presidents non-congressmen हो गये थे और गवर्नमेंट इन के ज़रिये लोगों पर जो टैक्स लगाना चाहती थी वह उन्होंने लगाने नहीं दिया था । असल में यह

स्कीम थी। अगर इन्होंने नई स्कीम बनानी थी और District Boards का नया pattern तैयार करना था तो जब तक वह तैयार न हो जाता तब तक के लिये नए electoral rolls तैयार करा कर इन के नये elections करा लिये जाते। यह सारा procedure जो गवर्नमेंट अपना रही है गलत है। हम उन की नीयत पर शक नहीं करते। लेकिन जब हम इन चीज़ों को analyse करते हैं तो यह साफ हो जाता है कि किस नीयत से इन्होंने यह Ordinance जारी किया था और किस नीयत से इन्होंने यह बिल पेश किया है हम इन को challenge करते हैं और अगर यह हमारा challenge मन्ज़ूर। कर लें तो हम मानने को तैयार हैं कि हम ग़लती पर थे। क्योंकि यह हमारे challenge को मानने को तैयार नहीं इस लिये हमें यह शक पड़ता है और यह शक बढ़ता जा रहा है कि थोड़े समय के लिये Upper House के लिये जो वह clause है जिस के मातहत इस के मैम्बरों को District Boards और Municipal Committees के मेम्बर चुन कर भेजते थे वह अब Deputy Commissioner नामज़द कर के भेजा करेंगे। इस का मतलब यह हुआ कि अब Upper House जो इस हाऊस से ऊपर का हाऊस है उस को Deputy Commissioners बनाया करेंगे जो कि पहले District Boards और Municipalities के elected मैम्बर बनाया करते हैं। मैं इन से पूछता हूं कि ऐसा करने से इस हाऊस की dignity ही क्या रह जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : जब third reading की motion under discussion हो तो जो बातें first reading में या second reading में कही जा चुकी होती हैं उन्हें avoid किया जाना चाहिये। जब मैं third reading के वक्त कहता हूं कि आप repeat कर रहे हैं तो मेरा यह मतलब नहीं होता कि आप उसी reading में जो बातें कह चुके हैं वही दौहरा रहे हैं बल्कि जो चीजें आप पहिली दो readings में भी कह चुके होते हैं आप उन को repeat कर रहे होते हैं। इस लिये मैं मैम्बर साहिबान से अर्ज़ करता हूं कि वह third reading के मौके पर method of implementation of the Bill पर अपने विचार हाऊस के सामने रखा करें।

(Ordinarily repetition of arguments advanced during the first or second reading of a Bill should be avoided while speaking on its third reading. So when I point out that the hon. Member is making a repetition I don't mean that he is doing so during his speech on the third reading but he is repeating arguments which he put forward earlier during discussion on the first and second readings of the same Bill. I would, therefore, request the hon. Members that they should discuss briefly the manner and method in which they would like the Government to enforce the Bill when enacted into law.)

Professor Moti Singh Anandpuri : I agree with you, Sir, that there should be no repetition of arguments. But I would like to submit, Sir, that it usually happens that certain points raised or charges levelled by one party are not dealt with by the other party at the time of the first or second reading of the Bill. It, therefore, becomes indispensable for the party concerned to clarify its position in respect of those points or to give appropriate reply to the charges so levelled at the time of the third reading of the Bill.

[Professor Mota Singh Anandpuri]

Then some drafting mistakes are pointed out or constitutional points are raised at the time of the first or second reading of the Bill but the Minister concerned does not make any mention of them in his speech. It becomes necessary to bring those things again to the notice of the Minister at the time of the third reading of the Bill.

अध्यक्ष महोदय : आप तो वही तकरीर कर रहे हैं जो आपने इस बिल की पहली पढ़त के अवसर पर की थी पर जो बातें अब आप Treasury Benches के मुताल्लिक कह रहे हैं उन के कहने का यह मौका नहीं है । (You are saying the same things which you had said during the discussion on the first reading of this Bill. This is not the occasion to say these things.)

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : Anyhow, I want to be brief. Treasury Benches की तरफ से एक दो बातें ऐसी कही गई हैं जिन के बारे में कुछ कहना ज़रूरी है । एक बात तो यह है कि Upper House को जो चुनने वाले मैम्बर होंगे वह कौन होंगे । मैं मानता हूं कि इसमें repetition हो रहा है लेकिन अभी तक इस का कोई satisfactory reply नहीं आया । इस लिये मैं कहता हूं कि यह Democracy का खून किया गया है ।

श्री बनारसी दास गुप्ता (थानेसर) : स्पीकर साहिब, जिस वक्त यह ordinance जारी हुआ उस वक्त मुझे रंज भी हुआ और खुशी भी । रंज इस बात का, कि मैं खुद भी एक District Board का मैम्बर था और खुशी इस लिये कि सूबे के लोगों की यह पुरानी आवाज़ थी कि District Boards को इसी तरह से खत्म किया जाना चाहिये या फिर नए सिरे से elections कराए जाएं । रंज के वास्ते मेरे से हमदर्दी किसी ने ज़ाहिर न की मगर खुशी के मारे मुबारकबाद बहुतों ने दी । हर आदमी यह समझता था कि हर ज़िला में 16, 16 और 18, 18 साल के वह पुराने मैम्बर थे जिन्हें Unionist Party ने लगवाया था और जो उन दिनों Government के स्तून गिने जाते थे और देहात में बहुत बदनाम हुआ करते थे यानी जैलदार, नम्बरदार, वग़ैरा । यह लोग ग़रीबों को तंग किया करते थे और उन से ज़बरदस्ती राए लेकर मैम्बर बन जाया करते थे । (चौधरी श्रीचन्द : आप भी इसी तरह करते रहे होंगे ।) स्पीकर साहिब, आप को पता है कि मुसलमानों के चले जाने के बाद कुछ और ऐसे ही लोग District Boards में दाखिल हो गए थे । मुझे भी इस बात का तजरुबा है कि District Boards के अन्दर ही अन्दर एक बड़ी भारी कशमकश चली रहती थी । ज़्यादा तादाद पुराने मैम्बरान की थी जो Unionist Government के बल बोते District Boards में आए थे । इस लिये यह लोग उन चंद progressive ख्यालात के लोगों की, जो nomination या और किसी भी तरीके से District Boards पर आ जाते थे, दाल नहीं गलने देते थे । उन दिनों District Boards कुछ ऐसे लोगों के अड्डे बन गये थे कि Chairman समझता था कि हुकूमत अगर है तो मेरी ही है । वह आम तौर पर न तो Government की ही, बात मानता था और न ही किसी ऐसे मैम्बर

या दूसरे आदमी की बात मानता था जो progressive ख्यालात का हो। मैंने देखा कि यह लोग बड़ी २ अच्छी बातों को खामखाह रद्द कर दिया करते थे। कमेटियों पर नामुनासिब आदमियों को लगाया जाता था। एक तालीमी Sub-Committee बनी उस पर कुछ अनपढ़ मैम्बर लगाए गए जब कि जो पढ़े लिखे थे उन्हें नामजद न किया गया। आप को शायद पता होगा कि District Boards के Chairman सारी powers अपने हाथ में ले लेते थे और मैम्बरान के दखल की कोई गुंजायश नहीं रह जाती थी। चुनांचे हम ने देखा कि जब Marketing Committee के मैम्बरों की नामज़दगी की बात आई तो उन्होंने सारी powers अपने हाथों में ले लीं क्योंकि वह जानते थे कि अगर ऐसा न किया जाए तो उन की सारी बातें तश्त अज़ बाम हो जायेंगी और फिर उन की ऐसी मनमानियां चल न सकेंगी। Deputy Commissioner और दूसरे अफसरों को भी वह इन बातों के लिये राज़ी कर लिया करते थे। मुझे पता है कि पुन्डरी की एक छोटी सी सड़क थी। District Board के Chairman को बताया गया कि इस से लोगों को बड़ी तकलीफ है तो मुझे पता है कि कई सालों तक इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब Commissioner और Deputy Commissioner साहिबान से कहा गया तो भी उन्होंने बनवा कर नहीं दी यहां तक कि Commissioner साहिब को order देना पड़ा कि यह सड़क बनवा दी जाये और खर्च District Board से लिया जाए। स्पीकर साहिब, जितना District Board का मेरा तजरुबा है उस से मैं जानता हूं कि District Boards का ढांचा इतना बोदा और कमज़ोर हो गया था कि उस को या तो नई elections के ज़रिये replace किया जाता या इस किस्म के बिल द्वारा बदला जाता। और फिर जब Leader of the House ने वादा कर लिया है कि बहुत जल्दी ही सारे हिन्दुस्तान के सूबों के District Boards का ढांचा देख कर, जो कुछ मुनासिब होगा House के सामने लाया जायेगा तो मैं नहीं समझता कि दो चार महीनों में क्या नुकसान हो जाएगा। फिर Deputy Commissioner और दूसरे मैम्बर जो आज हैं, काफी dependable हैं और technical advice दे सकते हैं। और फिर जब सारी बातें महकमा House के सामने रखेगा तो मैं नहीं समझता कि इस में क्या बुराई है। सरकार का यह बिल्कुल इरादा नहीं कि नामज़दगी द्वारा interim period में अपने favourites को District Boards में लाया जाए। मुझे समझ नहीं आती कि अगर Minister साहिब इस अच्छे बिल को House में लाए हैं तो क्यों इस बिल के पास करने में Opposition के मैम्बरान ताखीर करते हैं। मैं तो Minister साहिब को मुबारकबाद देता हूं कि वह लोगों की आवाज़ को इस बिल के रूप में यहां लाये हैं। मैं समझता हूं कि यह आवाज़ अब बहुत मज़बूत हो गई थी और इस House में भी यह कहा गया था कि District Boards का ढांचा बदला जाए या replace किया जाए। मुझे उम्मीद है कि District Boards अब पहले से भी ज्यादा लोगों की खिदमत करेंगे। फिर टैक्सों की बात कही जाती है। मुझे पता है कि पहले District Boards ने इतने ज़्यादा टैक्स लगाये जितने वह लगा सकते थे। कहा जाता था कि District

[श्री बनारसी दास गुप्ता]

Boards ज़मींदारों की नुमायंदगी करते थे। लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने ज़मींदारों से कोई अच्छा सलूक नहीं किया। ग़रीबों पर कई तरह के टैक्स लगाये गये। Professional Tax बिना हिसाबकिताब देखे वसूल किया करते थे। इस तरह कई तरीकों से ग़रीबों को सताया करते थे और कोई शुनवाई नहीं थी। आज कम से कम Deputy Commissioner इस House के सामने जवाबदेह तो है। मुझे यकीन है कि सारी चीज़ इस तरीके से होगी कि इस interim थोड़े से periord में Boards के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आएगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को support करता हूं।

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill be passed.

The Assembly then divided.

Ayes : 56.
Noes. : 16.

The motion was declared carried.

AYES

S. No.	Names
1	Abhai Singh, Shri
2	Benarsi Dass Gupta, Shri
3	Bhim Sen Sachar, Shri
4	Bishna Ram, Shri
5	Chandan Lal Jaura, Shri
6	Chandi Ram Verma, Shri
7	Chuni Lal, Shri
8	Daulat Ram, Shri
9	Daulat Ram Sharma, Shri
10	Dev Raj Anand, Shri
11	Dev Raj Sethi, Shri
12	Dharam Vir Vasisht, Shri
13	Gopi Chand, Shri
14	Guran Dass Hans, Bhagat
15	Gurbanta Singh, Sardar
16	Gurbachan Singh Bajwa, Sardar
17	Gurdial Singh, Sardar
18	Gurmej Singh, Sardar
19	Harbhajan Singh, Principal
20	Jagdish Chander, Shri
21	Jagdish Chandra, Dewan
22	Kanhaya Lal Butail, Shri

S. No.	Names
23	Kartar Singh, Sardar
24	Kasturi Lal Goel, Shri
25	Kesho Das, Shri
26	Khem Singh, Sardar
27	Khushi Ram Gupta, Shri
28	Lahri Singh, Chaudhri
29	Lajpat Rai, Shri
30	Lal Chand Prarthi,Shri
31	Mam Raj, Shri
32	Mansa Ram Kuthiala, Shri
33	Mehar Singh, Shri
34	Mehar Singh, Thakur
35	Mohan Singh Jathedar, Sardar
36	Nand Lal, Shri
37	Nanhu Ram, Shri
38	Naranjan Dass Dhiman, Shri
39	Parkash Kaur, Shrimati
40	Partap Singh, Bakhshi
41	Partap Singh Rai, Sardar
42	Prabodh Chandra, Shri
43	Raghuvir Singh, Rai
44	Rala Ram, Shri
45	Ram Chandra Comrade, Shri
46	Ram Kishan, Shri
47	Ram Kumar Bidhat, Shri
48	Ram Parkash, Shri
49	Samar Singh, Shri
50	Sant Ram, Shri
51	Sarup Singh, Shri
52	Shanno Devi, Shrimati
53	Sohan Singh, Sardar
54	Teg Ram, Shri
55	Uttam Singh, Sardar
56	Waryam Singh, Sardar

NOES

1 Abdul Ghani Dar, Maulvi
2 Achhar Singh Chhina, Sardar
3 Babu Dayal, Shri
4 Balwant Singh, Thakore
5 Bhag Singh, Sardar
6 Chanan Singh Dhut, Sardar
7 Gopal Singh, Sardar
8 Harkishan Singh Surjit, Sardar
9 Kedar Nath Saigal,Shri
10 Mam Chand, Shri
11 Maru Singh Malik, Shri
12 Mota Singh Anandpuri, Professor
13 Sarup Singh, Sardar
14 Shri Ram Sharma, Pandit
15 Sri Chand, Shri
16 Wadhawa Ram, Shri

THE EAST PUNJAB HOLDINGS (CONSOLIDATION AND PREVENTION OF FRAGMENTATION) (SECOND AMENDMENT) BILL, 1954.

Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I introduce the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill.

Minister For Irrigation And Power : Sir, I beg to move—

> That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

साहिबे सदर, इस तरमीम की ज़रूरत इस लिये पड़ी है कि जब कहीं एक्ट की दफा 36 या 42 के मातहत order होने पर repartition को set aside कर दिया जाता है तो बाज़ लोग पुरानी ज़मीनों पर जबर्दस्ती जा कर कब्ज़ा कर लेते हैं। इसी तरह बाज़ partition के वक्त मिली हुई ज़मीन में ही बैठे रहते हैं। इस तरह गड़बड़ पैदा होती है और फसलों का भी बहुत नुकसान होता है। मुश्किल यह है कि कोई मामूली सी चीज़ भी set aside हो तो बाज़ लोग जबर्दस्ती सारी पुरानी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। कानून के मुताबिक तो ऐसा नहीं हो सकता मगर ऐसे हालात में Consolidation staff को कोई अख्तियार हासिल न था। अब एक तो यह तरमीम पेश की गई है कि अगर कोई fresh scheme लानी हो तो और बात है वरना दूसरी repartition तक वह लोग वहीं रहें और पुरानी ज़मीनों पर कब्जा न करें।

दूसरी तरमीम में Consolidation Officers को इस बारे में ज़रूरी अख्तियारात दिये गये हैं। आप देखते हैं कि मौजूदा हालात में कितना नुकसान और disorder हो रहा है और फसलें खामखाह बरबाद होती हैं। पस यह बिल smooth sailing की गर्ज़ से पेश किया गया है और मुझे उम्मीद है कि किसी को भी इस पर कोई एतराज़ न होगा।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਦੋ ਬਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕਰ copy ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ. . . .

अध्यक्ष महोदय : इस बिल का मज़मून कुछ और है और आप कुछ और कह रहे हैं। (The Bill under discussion relates to quite a different matter from what the hon. Member is talking about.)

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ. . . .

अध्यक्ष महोदय : यह एक खास मकसद का बिल है उसी के बारे में बोलिये ।

(The Bill relates to a specific matter and the hon. Member should confine his remarks to that alone.)

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ: ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੋਲੋ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਜਾਓ । (I have said that the Bill relates to a specific matter. Has the hon. Member read it at all ? He should confine his remarks to that matter and refrain from digression.)

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਹ ਬਿਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਨਸੂਖ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਲ ਉਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੋਲੋ ।

(This Bill relates to possession of the lands. Certain people go back and take possession of their previous lands when a re-partition is revised or cancelled and this results in a great loss. This Bill is designed to remove this trouble. The hon. Member should speak on this particular matter.)

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ: ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ copy ਮਿਲੇ । ਉਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਭੇ ਮਿਆਦਾਂ ਲੰਘ ਚੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ । ਉਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। (Bell rings) ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਗਜ਼......

Mr. Speaker: Order, order.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੀਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ (ਹਾਸਾ) । ਇਹ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ important ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : आप elections का ज़िक्र करेंगे तो दूसरी तरफ वाले इसका जवाब देंगे और इस पर आप एतराज़ करेंगे। (If you make a mention of elections the other side will reply and then you will object to that.)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਖੂਹ ਲਗ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ consolidation of holdings ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ orders ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Assistant Consolidation Officer ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ Consolidation Officer ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮੁਤਅਲਕਾ Minister ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ stages ਉਤੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ C.O. ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਛਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ 50 ਜਾਂ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਛੋੜਨੀ ਹੋਵੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਛੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 5 ਵਿਘੇ ਇਕ ਥਾਂ ਛੋੜ ਦਿਤੀ ਤੇ 10 ਵਿਘੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ। ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਡੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਚੀ ਪੱਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ

ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ਰਹੇ। ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿਲ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ।

श्री श्री चन्द (बहादुरगढ़) : साहिबे सदर, मुझे बहुत खुशी है कि भाई साहिब ने यह बिल पेश किया है क्योंकि उन्हें कम से कम हमारे ज़िला रोहतक की Consolidation का बहुत तजरुबा है। उन को मैं याद दिलाता हूं कि सिर्फ रोहतक के ज़िला में possession की वजह से कि कौन सी ज़मीन किस के पास हो और किस के पास न हो दो murder हो चुके हैं। कई एक और मुकद्दमे छोटे मोटे 30 के करीब हो चुके हैं। हमारे ज़िले में महज़ इस खराबी पर कि कौन सी जमीन किस को लगी है या नहीं झगड़े हुए हैं। यह इस लिये नहीं हुए कि Act में बहुत बड़ा नुक्स है। बल्कि यह इस लिये हुए हैं कि जो वहां इन्तज़ाम करने वाले हैं, जो इस जमीन के इस्तेमाल के ज़िम्मेवार हैं, खुद नहीं चाहते कि मालिकों को यह पता लगे कि उन की जमीन कहां है।

इस सारी स्कीम का ईश्वर पटवारी है। साहिबे सदर, इस ऐक्ट को पढ़ कर देख तो इसे जिस तरह मेरे लायक दोस्त बदलना चाहते हैं वैसे बदला नहीं जा सकता। इस की वजह यह है कि वह एक तरह का सारे गांव का नक्शा तैयार हो जाता है। सब आदमियों को लगा दिया जाता है और एक आदमी की ज़मीन को बदलने के लिये कई एक आदमियों को disturb करना होता है। एक आदमी की ज़मीन अगर गलत लगा दी है तो उस को अगर Settlement Officer ठीक करना चाहे तो एक की नहीं बल्कि कइयों की disturb करनी होती हैं। मुझे याद है और अपने तजरुबे की बिना पर कह सकता हूं कि Settlement Officer कई दफ़ा महसूस करता है कि पटवारी ने गलती की है लेकिन इस के बावजूद वह कहता है कि मैं दोबारा नहीं करता। बेशक मिनिस्टर साहिब ने तारीख मुकर्रर की हो कि फलां तारीख तक काम पूरा करना है मगर सारा काम उलट पुलट होता है और बावजूद गलती के पटवारी change नहीं करते। इस लिये मैं चौधरी साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह देखें कि जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वह लोगों के लिये नियामत नहीं बल्कि लानत के तौर पर साबित हो रहा है और इस से उन्हें बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जो पुराने रास्ते हैं, जो पुराने minors हैं, वह किसी ज़मीन में लगा दिये हैं और किसी को कह दिया कि यह minor भी तुम्हारा है।

इस के इलावा, साहिबे सदर, मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक महकमा दूसरे से co-operate नहीं करना चाहता बल्कि एक दूसरे से non-cooperate करता है। आज एक Anti-Corruption Enquiry Police वालों का स्टाफ मौजूद है और उसे

[श्री श्री चन्द]

गवर्नमैण्ट की तरफ से तनखाह दी जा रही है। मैं ने सुना है कि चौधरी साहिब ने भी अपने महकमे के लिये अलहदा कमेटी अफसरों की बनाई है कि वह उन के महकमे में corruption को दूर करें।

सिंचाई मन्त्री : माननीय मैम्बर relevant बात नहीं कर रहे।

श्री श्री चन्द : साहिबे सदर ! मैं बताने लगा था कि इस महकमे में क्या क्या होता है। इस महकमे में एक flying squad है जिसे तूफानी दस्ता कहते हैं। यह flying squad हमारे सारे ज़िले के लिये एक महान मुसीबत बना हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय मैम्बर अपनी तकरीर motion पर महदूद रखें तो हाऊस का काफी वक्त बच जायेगा। (If the hon. Member confines himself to the motion under consideration, then much of the time of the House will be saved.)

श्री श्री चन्द : साहिबे सदर ! मैं खुद चाहता हूं कि ज़्यादा लम्बी तकरीर न करूं। मैं कहूंगा कि आज तक पंजाब के ज़मींदारों को जिन की ज़मीन तबदील हो रही है पता नहीं कि flying squad के क्या क्या इख्तियारात हैं और वह ज़मीनों का possession दिलवा सकते हैं या नहीं। यह तूफानी दस्ता जहां जाता है ज़मीनों को इधर उधर करके तूफान ले आता है। लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि इस को क्या क्या इख्तियार हासिल हैं और कौन से कानून के तहत यह बनाया गया है।

सिंचाई मंत्री : यह 1942 में बनाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : तूफानी दस्ते का ज़िक्र यहां पर relevant नहीं। (Mention of a flying squad is not relevant here.)

श्री श्री चन्द : जैसे मेरे लायक दोस्त कहते हैं कि कब्ज़ा ठीक करने के लिये अफसर माल को अख्तियारात दिये जा रहे हैं। लेकिन तूफानी दस्ते को इतने वसीह अख्तियारात हैं कि अगर वह चाहे तो किसी को कब्ज़ा रात को दिलवा दे।

अध्यक्ष महोदय : तूफानी दस्ते का इस बहस से कोई ताल्लुक नहीं। (It is irrelevant to bring flying squads in the discussion.)

श्री श्री चन्द : मैं कतई ज़िद नहीं करता। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मेरे लायक दोस्त चाहते हैं कि कब्ज़े न बदले जायें जब तक दोबारा partition न हो मैं बता रहा हूं कि किसी कानून के मुताबिक जो तूफानी दस्ता है उस के अख्तियारात में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि वह किसी कानून के मुताबिक नहीं बनाया गया और न उस का provision इस बजट में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तूफानी दस्ता Director के ऊपर है और मिनिस्टर से नीचे है या मिनिस्टर से भी ऊपर है ? मैं समझता हूं कि गांव में consolidation के मुताल्लिक जो कुछ तूफानी दस्ता कर सकता है वह मिनिस्टर भी नहीं कर सकते। जहां जहां वह जाता है वहां हुक्म हो जाता है कि गांव को दोबारा उलट पुलट कर दिया जाये। मुझे समझ नहीं आती कि वह क्या चाहते हैं। एक तरफ तो Settlement Officer को इख्तियारात देते हैं और उस के साथ ही तूफानी दस्ते को इतने इख्तियार दे रखे हैं। मैं चौधरी साहिब को बताना चाहता हूं कि ज़िला रोहतक में resettlement और repartition की वजह से तीन आदमी suicide कर

गये हैं । लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती । वह पटवारी के पास जाते हैं तो वह कहता है कि इस बारे में पहले फैसला कर चुके हैं । गिरदावर के पास जाते हैं तो वहां से भी ऐसा ही जवाब मिलता है । जब असेम्बली की बैठक होती है तो सैंकड़ों आदमी यहां फिरते दिखाई देते हैं । अगर उन से पूछा जाये कि क्या करने आये हो तो जवाब मिलता है कि अर्ज़ी लाये हैं और सरदार प्रताप सिंह को मिलना है । उन को यह पता नहीं कि consolidation के बारे में क्या कानून है । इस लिये मैं अपने लायक दोस्त मिनिस्टर साहिब से पूछता हूं कि वह यह तो बता दें कि किस अफसर को कौन कौन से इख्तियारात हैं । कई लोग जो ज़मीनों का कब्ज़ा ले चुके हैं उन की ज़मीनों में रास्ते और minors हैं । कई आदमी ऐसे हैं जिन की ज़मीनों में पानी भी नहीं पहुंचता । इस लिये मैं मिनिस्टर साहिब से कहूंगा कि वह गांव के लोगों की तकलीफें दूर करने के लिये मुनासिब कारवाई करें ।

पण्डित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब ! हमारे पंजाब में कोई भी कानून मुकम्मल नहीं होता और उस के पास होने के बाद जल्दी ही उस में तरमीम करने की ज़रूरत महसूस होती है । ऐसी हुशियारी और तेज़रफ्तारी से कानूनों को पास करने के लिये हमारी गवर्नमैंट मुबारकबाद की मुस्तहिक है और मुझे ज़रा भी शक नहीं कि उधर के बैंचों से जो साहिब उठेंगे तो वह ज़रूर गवर्नमेंट को इस बिल और इस तरमीम पर मुबारकबाद देंगे । मामला यह है कि कानून consolidation का बन गया और अब गवर्नमेंट को पता लगा और पता लगने के बाद एक तरमीमी बिल लाया गया । जब एक दफा consolidation कर के दोबारा किसी एतराज़ पर re-partition हो और वह cancel हो जाये और कुछ करना पड़े तो यह मुश्किल आ जाती है कि उस अरसे में जो consolidation cancel हुई है जिस के मुताल्लिक अपील reject हुई है या मन्ज़ूर तो लोग अपना कब्ज़ा ले लेते हैं या छोड़ देते हैं और यह दिक्कत खड़ी हो जाती है कि कई आदमी तो अपने पिछले कब्ज़े पर चले जाते हैं जो cancel होने से पहले था और कुछ आदमी नहीं जाते ।

(*At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.*)

इस बिल के अगराज़ो मकासद बताते हुए कहा गया है कि कुछ आदमी ऐसे रह जाते हैं जिन को न पिछली ज़मीन मिल सकती है न अगली ।

सिंचाई मंत्री : अकेला यही reason नहीं है । यह तो है possession के बारे में ।

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं पढ़ के सुनाता हूं :—

> Some of the landowners are thus deprived of their entire lands and are left with none. A chaos is created. Under the existing provisions of the law, the members of the consolidation staff are quite helpless in the matter because they have no powers to enforce any order of repartition.

यह तो खुद यहां पर मान रहे हैं । कानून पहले पास किया जा चुका है मगर अब chaos create हो गया है । अब ज़रूरत पड़ी है इस chaos को दूर करने की । अब पता लगा है कि गलत कब्ज़े को ठीक करने के लिये Settlement Officers के पास कोई अधिकार नहीं । मैं पूछता हूं कि पिछले साल, डेढ़ साल में पंजाब में कोई ऐसा

[पंडित श्री राम शर्मा]

कानून था जिस की रू से हमारी सरकार के अफसर किसी गलत लिये गये या दिये गये कब्जे को ठीक करवा सकते थे ? अगर कोई ऐसा कानून या तरीका नहीं था तो मैं इसे सरकार के लिये मुबारकबाद की बात समझता हूं। यह कोई मामूली बात नहीं है कि इतना अरसा गुज़र जाए अफ़रातफ़री जारी रहे और सरकार के पास इस का कोई इलाज ही न हो ! मालूम होता है, कुछ न कुछ करते तो होंगे ताकि Consolidation Officers, Revenue Officers के अधिकारों को इस्तेमाल कर सकें। किसी तरह से तो ऐसा किया जाता होगा। गलत कब्ज़ा छुड़ाया जाना और हकदारों को दिलाया जाना अच्छी बात है। नाजायज़ तौर पर बैठे हुए लोगों को बेदखल करने का अधिकार गवर्नमैण्ट के पास होना ही चाहिए। मैं पूछता हूं कि अबूरी अरसा में नाजायज़ कब्ज़ों को तोड़ने के लिये सरकार के पास किसी कानून की रू से कोई अधिकार है या नहीं ? साफ ज़ाहिर है कि Consolidation Act में यह चीज़ नहीं है। Settlement Officers को Revenue Officers के अधिकार हासिल नहीं थे। इस लिये कब्ज़ों के मामले में दिक्कत पेश आई।

सब से बड़ी बात यह है जिसे सब जानते हैं कि इस महकमा के काम में दखलों के लेने देने में— इतनी रिश्वत ली जा रही है और बददियानती और ज़बरदस्त खराबियां हो रही हैं कि लोग आर्ज़ी तौर पर पुराने बदनाम महकमों को भी भूल गये हैं। Settlement Officers को बेशक अधिकार हो कि वे जब तक revision और appeal का फैसला न हो, गलत तौर पर किये गये कब्ज़े को पहले की तरह चलने दें मगर इस से लोगों की असल दिक्कत दूर होने वाली नहीं। जैसा कि मुझ से पहले बोलने वाले दोस्त ने कहा है और जैसा कि सवालों द्वारा पूछ ताछ में भी ज़ाहिर हो चुका है, flying squad की कार्यवाहियों की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं। मैं वज़ीरे मुतल्लिका से मालूम करना चाहता हूं कि इस के क्या अख्तियारात हैं, किस अफसर के यह नीचे हैं और किस के ऊपर ? मालूम तो ऐसा होता है कि इस के अख्तियारात unlimited हैं। Consolidation के मामले में जो अख्तियार पटवारी, गिरदावर, A.S.O., S.O. और Director को मिले हुए हैं, उन के बारे में तो लोग वकीलों से पूछ कर पता लगा लेते हैं मगर इस Flying Squad के अख्तयारों का किसी को पता नहीं। Sub-Divisional Officers तो इस के नाम से कांपते हैं। वज़ीर तरक्कियात ने खुद बताया था कि वे जिस stage पर चाहें उन को consolidation के काम के बारे में रिपोर्ट भेज सकते हैं जैसे उन के पास खुदाई अख्तियारात हैं।

इस तरमीमी बिल से भला ऐसी खराबियों को कैसे रोका जा सकता है। दरम्यानी अरसे के अन्दर कब्ज़े को कायम रखने के अधिकार लेने के साथ २ इन खराबियों को दूर करने के लिये भी कुछ किया जाए जिन की वजह से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। यह ठीक है कि Settlement Officers को Revenue Officers के अख्तियारात मिलने चाहियें ताकि नाजायज़ कब्ज़े ठीक किये जा सकें मगर गहरी निगाह के साथ लोगों की दिक्कतों को भी देखा जाए और उन का इलाज किया जाए। इस सिलसिले में जो amendments ज़रूरी समझी जायें, वे भी पेश की जायें ताकि कानून ऐसा

complete हो कि काम अच्छी तरह चले और लोगों को परेशानी न उठानी पड़े । आजकल पचासों आदमी M.L.As' के quarters की तरफ अर्जियां लिये दौड़े फिरते हैं और पूछते फिरते हैं कि Development Minister साहिब कहां मिलेंगे । हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से कुछ नहीं बनेगा ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਭੁਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹਫੜਾਤਫੜੀ ਤੇ ਊਧਮ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ Government ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਨਾਗੁਫਤਾਬਿਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ consolidation ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 10 ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ 107 ਤੇ 107—151 ਦਫਾ ਹੇਠ ਕਚੈਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਚਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਕੁਝ ਨਾਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਾਏਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਢਲੀ ਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ revoke ਜਾਂ revise ਕਰਨ ਬਾਰੇ favouritism ਜਾਂ corruption ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ corruption ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੀ favouritism ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ । Possession ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਚ ਖੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ Flying Squad ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਲਾਨਤ ਹੈ । ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Flying Squad ਕਿਸ ਨੇ appoint ਕੀਤਾ ਹੈ ? Public Service Commission ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Subordinate Services Selection Board ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ qualifications ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ powers ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ squad ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ squad ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ M.L.As ਦਾ squad ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ Public Service Commission ਨੇ appoint ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ Director ਦੇ ਨੀਚੇ ਹਨ ਜਾਂ S.O. ਦੇ ਨੀਚੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ functions ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ adjust ਕਰ

(ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ)

ਲੈਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री राम स्वरूप (बुटाना) : स्पीकर साहिब, हमारी हकूमत ने यह बिल लाकर बुराई को रोकने के लिये एक कदम आग बढ़ाया है इस लिये मैं उस को बधाई देता हूं। इश्तमाल अराज़ी देहात वालों के लिये एक नेमत है। मैं ने बहुत यत्न किया था कि मेरी तहसील में इश्तमाल का काम जल्दी सम्पूर्ण हो। हमारे इलाके में पहला Settlement Officer भी बहुत ईमानदार था और दूसरा भी। आजकल वहां पर Consolidation Officer भी निहायत ईमानदार आदमी है। वे लोग किसी से रिश्वत नहीं लेते और अपना काम तनदेही से करते हैं। फिर भी जनता को पूरा लाभ पहुंचाने के लिये इस ऐक्ट में सुधार की आवश्यकता है। मेरे माननीय मित्र ने M.L.As को भी Flying Squad से तशबीह दी है। मैं उन से अर्ज़ करना चाहता हूं कि M.L.As जब अपनी constituency में कोई अनुचित काम होता देखें या कोई जुल्म होता देखें तो उन का फ़र्ज़ हो जाता है कि वे तत्काल ही मैदान में निकलें और जुल्म करने वाले के खिलाफ आवाज़ बुलन्द करें। अगर M. L. As ऐसे मौकों पर दखल देते हैं तो यह उन के credit में जाता है। स्पीकर साहिब, इस एक्ट के दफात 21-A और 21-B के मातहत अगर कोई किसान निश्चित समय के अन्दर अपील नहीं करता तो उस का अपील करने का हक जाता रहता है। मेरी अर्ज़ है कि यह पाबन्दी उठा ली जानी चाहिये क्योंकि गरीब आदमी इन कायदों से वाकिफ ही नहीं होते। इस ऐक्ट में यह भी provision होनी चाहिये कि हर एक किसान को Naib Tehsildar या दूसरे अफसरों के आने की खबर ठीक समय पर दी जाए जिस से कि वह उस समय गांव में हाजिर रह कर अपनी ज़मीन की consolidation करवा सकें। जब तक ज़मीन की तकसीम नहीं होती कोई किसान शिकायत नहीं कर सकता और जब तकसीम हो जाती है तो वैसे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि शिकायत करने का नतीजा उन के हक में नहीं जाता बल्कि उल्टा पड़ता है। मेरे इलाके में श्री वधावा राम ने शिकायत की तो उसे उस का फल भुगतना पड़ा। पहले उस की ज़मीन गांव के बिल्कुल पास थी, सब एक जगह थी और वह अपनी छत पर बैठ कर अपनी ज़मीन को देख सकता था परन्तु अब उस की ज़मीन को 210 कर्म चौड़ी और 3 मील लम्बी शक्ल दे दी गई है। माननीय मित्र श्रीचन्द ने कहा है कि उन के ज़िला में लोग consolidation के काम से दुखी हो कर मर गये हैं। मैं उन से बिल्कुल सहमत हूं। मेरे ज़िला के लोग तो बहुत सारे पागल हो गये हैं। इस की वजह केवल इस ऐक्ट के defects हैं जिन को दूर करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इस में कोई न कोई तरमीम ऐसी होनी चाहिये जिस के ज़रिये मातहत अमले की ठीक ठीक जांच पड़ताल हो सके और इस काम का जनता को वास्तव में लाभ पहुंच सके। मज़दूर और गरीब लोग सुखी हो सकें। स्पीकर साहिब, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरे बताए हुए नुक्सों को दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। मैं आप के ज़रिये अपनी सरकार से नम्रतापूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं। इस का यह मतलब न लिया जाए कि मैं अपनी सरकार की मुखालिफत कर रहा हूं बल्कि नम्रता से suggest करता हूं कि इन नुक्सों का दूर करना अत्यन्त आवश्यक है।

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the question be now put.

The Assembly then divided :

Ayes 57

Noes 16

The motion was declared carried.

AYES

Serial No. *Name.*

1. Abhai Singh, Shri
2. Badlu Ram, Shri
3. Balwant Rai Tayal, Shri
4. Benarsi Dass Gupta, Shri
5. Bhim Sen Sachar, Shri
6. Bishna Ram, Shri
7. Chand Ram Ahlawat, Shri
8. Chandi Ram Varma, Shri
9. Chuni Lal, Shri
10. Daulat Ram, Shri
11. Daulat Ram Sharma, Shri
12. Dev Raj Anand, Shri
13. Guran Das Hans, Bhagat
14. Gurbachan Singh Bajwa, Sardar
15. Gurbanta Singh, Sardar
16. Gurmej Singh, Sardar
17. Jagdish Chander, Shri
18. Jagdish Chandra, Dewan
19. Kartar Singh, Sardar
20. Kasturi Lal Goel, Shri
21. Kesho Das, Shri
22. Khem Singh, Sardar
23. Khushi Ram Gupta, Shri
24. Lahri Singh, Chaudhri
25. Lajpat Rai, Shri
26. Lal Chand Prarthi, Shri
27. Mam Raj, Shri
28. Mansa Ram Kuthiala, Shri
29. Mehar Singh, Shri
30. Mehar Singh, Thakur
31. Mohan Singh Jathedar, Sardar
32. Mool Chand Jain, Shri
33. Nand Lal, Shri
34. Nanhu Ram, Shri
35. Naranjan Dass Dhiman, Shri
36. Parkash Kaur, Shrimati
37. Partap Singh, Bakhshi
38. Partap Singh Rai, Sardar
39. Partap Singh, Sardar (Ratta Khera)
40. Phaggu Ram, Shri
41. Prabodh Chandra, Shri
42. Raghuvir Singh, Rai

Serial No. *Name*

43. Rala Ram, Shri
44. Ram Chandra Comrade, Shri
45. Ram Dayal Vaid, Shri
46. Ram Kishan, Shri
47. Ram Kumar Bidhat, Shri
48. Ram Parkash, Shri
49. Ram Sarup, Shri
50. Ranjit Singh, Captain
51. Rizaq Ram, Shri
52. Samar Singh, Shri
53. Sant Ram, Shri
54. Shanno Devi, Shrimati
55. Sita Devi, Shrimati
56. Teg Ram, Shri
57. Uttam Singh, Sardar

NOES

Serial No. *Name*

1. Abdul Ghani Dar, Maulvi
2. Achhar Singh Chhina, Sardar
3. Babu Dayal, Shri
4. Bachan Singh, Sardar
5. Balwant Singh, Thakore
6. Chanan Singh Dhut, Sardar
7. Gopal Singh, Sardar
8. Harkishan Singh Surjit, Sardar
9. Kedar Nath Saigal, Shri
10. Maru Singh Malik, Shri
11. Mota Singh Anandpuri, Professor
12. Puran Singh, Sardar
13. Sarup Singh, Sardar
14. Shri Ram Sharma, Pandit
15. Sri Chand, Shri
16. Wadhawa Ram, Shri

सिचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह) : साहिबे सदर ! मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि बग़ैर ऐक्ट को पढ़े, बग़ैर उस के provisions देखे यह उज़र कर देना कि साहिब ! समझ नहीं आती कि कभी A.C.O. order कर देता है, कभी Consolidation Officer और कभी" S.O मेरे इन भाइयों को ज़ेब नहीं देता । मैं इन साहिबान की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि एक एक provision यहां पर provide है । The Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act की Section 21 में खास तौर से यह provide किया गया है कि कितने दिनों के बाद किस के पास अपील होगी । इस के अलावा और भी हर उज़र को meet करने के लिये वहां पर provisions embodied हैं । यह भी दिया हुआ है कि गवर्नमैण्ट खुद इस में interfere कर सकती है, उस को revise कर सकती है और cancel कर सकती है । पिछली बार भी इस में Amendment करवाई गई थी जिस में रिश्वतखोरी

और दूसरी खराबियों को दूर करने के लिये Government ने powers acquire की थीं। यह भी अख्तियारात हासिल किये गए थे कि अगर कोई खराबियां की गई हों तो गवर्नमैंट बगैर पार्टी के बुलाए उस partition को cancel कर सकेगी ।

यह ऐतराज किया गया है कि समझ नहीं आती कि कहां का यह pattern इस्तेमाल किया गया है consolidation के लिये। मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में, पंजाब में जिस ढंग से consolidation की जा रही है, उस की सराहना की जा रही है। यहां तक कि दूसरे सूबों से अफसर लोग यहां आकर training लेते हैं। इन हालात में जब यह कहते हैं कि फलां बात ऐसी की गई जिस के लिये ऐक्ट में कोई provision नहीं, फलां बात ऐसी की गई जो बिना कायदे के थी तो मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि वह इन चीजों के लिये ला-इल्मी का इज़हार कर रहे हैं। टाइम तो ज़रूर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मगर अगर आप मुनासिब समझें तो मैं पढ़ कर सुनाता हूं ....

"The Consolidation Officer shall after obtaining the advice of the landowners of the estate or estates concerned, carry out repartition in accordance with the scheme of consolidation of holdings confirmed under section 20 and the boundaries of the holdings as demarcated shall be shown on the shajra which shall be published in the prescribed manner in the estate or estates concerned.

(2) Any person aggrieved by the repartition may file a written objection within fifteen days of the publication before the Consolidation Officer who shall after hearing the objector pass such orders as he considers proper confirming or modifying the repartition.

(3) Any person aggrieved by the order of the Consolidation Officer under sub-section (2) may within one month of that order file an appeal before the Settlement Officer (Consolidation) who shall after hearing the appellant pass such order as he considers proper.

(4) Any person aggrieved by the order of the Settlement Officer (Consolidation) under subsection (3) may within sixty days of that order appeal to the Provincial Government."........

अब यह कह दें कि यह ठीक है।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜੁਮਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦੇਣ ।

सिंचाई मंत्री : इस का मतलब पटवारियों को नहीं समझ आ सकता बाकी सब को आ गया है। अब मैं Section 42 की तरफ हाऊस की attention draw करूंगा।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ।

सिंचाई मंत्री: Opposition को सबर करना चाहिये मैं इस का सारा मतलब समझा दूंगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. जब Chair की यह ruling यहां हो चुकी है कि जब कोई चीज़ यहां अंग्रेज़ी में कही जाए और अगर कोई मैम्बर उस का तरजुमा मांगे तो उस का तरजुमा किया जाये लेकिन अब यह तरजुमा करके क्यों नहीं बता रहे।

सिंचाई मन्त्री : मैं अभी बताता हूं मुझे पहले section 42 पढ़ कर सुना लेने दीजिये।

"The Provincial Government may at any time for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed by any officer under this Act call for and examine the record of any case pending before or disposed of by such officer and may pass such order in reference thereto as it thinks fit.

[सिंचाई मंत्री]

Provided that no order shall be varied or reversed without giving the parties interested notice to appear and opportunity to be heard except in cases where the State Government is satisfied that the proceedings have been vitiated by unlawful considerations."

इस में parties को appeal का हक दिया है और वह गवर्नमेंट तक जा सकती हैं। अगर वह न भी जाएं तो भी गवर्नमेंट खुद उन्हें तब्दील कर सकती है जब कि उसे पता चल जाये या उस के पास कोई शिकायत public की तरफ से आ जाए कि वहां रिश्वत ले ली गई है या किसी की favour की गई है और देखने पर वह शिकायत सच्ची निकले तो। मैं यह मानता हूं कि यह जो department है रिश्वत के लिये बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है अफसरों को रिश्वत लेने से और दूसरी खराबियां करने से रोकने के लिये यह जरूरी भी है कि वहां फौरन गवर्नमेंट की कोई न कोई agency पहुंच जाए। यह agency आप के सामने Flying Squads की शक्ल में बनी हुई है। Section 42 में खास तौर पर लिखा है—

"Except in cases where the State Government is satisfied that the proceedings have been vitiated by unlawful considerations."

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : On a point of Order, Sir. ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਰਜੁਮਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਦਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

Mr. Deputy Speaker : It is no point of order.

सिंचाई मंत्री : तो मैं बता रहा था कि unlawful consolidation के बारे में दरियाफत करने के लिये कि किसी पटवारी ने, या किसी Consolidation Officer ने या Settlement Officer ने कोई हेरा फेरी तो नहीं कर ली है मिनिस्टर साहिब ने उन चंद आदमियों का एक flying squad बनाया हुआ है जिन पर वह rely कर सकते हैं। वह जहां जहां consolidation का काम हो रहा है वहां वहां जा कर दरियाफत करते हैं और हर मुमकिन तरीके से यह ascertain करने की कोशिश करते हैं कि consolidation ठीक की गई है या नहीं। Flying Squad की provision Section 42 में की गई है।

Section 23 के नीचे अगर parties agree करती हैं तो वह possession ले सकती हैं और उसी हालत में Consolidation Officer उन्हें कब्जा दिला सकता है। यह कहा गया है कि पहले जब यह Act complete नहीं था तो उसे लागू करने का क्या फायदा था। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि यह Act बिल्कुल complete है। इस Act को अभी मैं ने यहां पढ़ कर सुनाया है। जो amendment इस में लाई जा रही है उस का असर सिरफ़ इतना ही होगा कि जब consolidation के बाद जमीनों की re-partition की जाती है और re-partition की हुई जमीन पर अगर किसी को शिकायत है या वह satisfied नहीं है तो वह अपनी पहली जमीन को नहीं छोड़ता और दूसरी party जिस को उस की पहली जमीन मिली है वह अपनी छोड़ देता है तो

उस के बग़ैर ज़मीन के रह जाने का अन्देशा होता है । इस के लिये यह amendment लाई गई है ताकि उस को ज़मीन का कब्ज़ा Consolidation Officer दिला सके । कब्ज़ा दिलाने की powers Revenue Officer को ही होती हैं । इसी लिये Revenue Officer का यह अख्तियार Consolidation Officer को भी दिया जा रहा है ताकि वह लोगों को कब्जा दिला सके । यह Act तो बिल्कुल complete है । एक progressive गवर्नमैण्ट के लिये यह ज़रूरी है कि जहां कहीं भी उसे काम में difficulties आएं तो उन्हें फौरन दूर कर ले । उसे ऐसा करने के लिये ऐसे Acts में फौरन ऐसी amendments लानी चाहियें ताकि वह दिक्कतें दूर हो सकें । इसी वजह से इस कानून में यह amendments लाई गई हैं । अगर यह न किया जाए तो Act incomplete बन जाता है । इस में यह कर दिया गया है कि जब भी consolidation स्कीम के मातहत ज़मीन re-partition कर दी जाये तो उस का कब्ज़ा parties को फौरन मिल जाये और वह कब्ज़ा तब तक नहीं बदला जायेगा जब तक नई स्कीम लागू नहीं की जाती चाहे इस दौरान में किसी पार्टी की अपील Settlement Officer मन्ज़ूर कर ले या गवर्नमेंट मन्ज़ूर कर ले । पहले जब किसी later stage पर भी हमारे विकास मंत्री सरदार प्रताप सिंह को पता लग जाता था कि फलां फलां जगह पर consolidation में हेरा फेरी हुई है तो वह वहां तहकीकात कर के उसे बदल देते थे तो इस से सारे के सारे possesssion में गड़बड़ी हो जाती थी । इन amendments से वह गड़बड़ी अब नहीं होगी और कोई आदमी ज़मीन के बगैर भी नहीं रहेगा ।

श्री श्री चन्द : यह सारी खराबियां flying squads की वजह से पैदा हो जाती हैं क्योंकि वे जिस वक्त भी उन की मर्ज़ी हो वह consolidation को आकर तोड़ देते हैं ।

सिंचाई मन्त्री : मेरे दोस्त चौधरी श्री चन्द कहते हैं कि यह सारी खराबी flying squads की वजह से होती है । मैं उन्हें बताता हूं कि flying squad तो facts के निकालने में बड़ा कामयाब हुआ है और हम उसी की मदद से खराबियां दूर करते हैं । इन हालात के कारण हम House में amendment लाए हैं और उम्मीद रखते हैं कि Opposition वाले और इस तरफ के मैम्बरान भी इसे मान लेंगे । अगर दो साल के बाद position बदल जाती है तो सारी possessions उल्ट जाती हैं । Settlement Officer कुछ नहीं कर सकता और काफी गड़बड़ी होती है जब तक कि सरकार नई स्कीम लागू नहीं करती । Amendment में यह साफ तौर पर कहा है :

> Such possession shall not be affected by any order passed under section 36 or 42 except when a fresh scheme is to be brought into force.

अगर शुरु से आखिर तक cancel कर दें तो ठीक है और possession बदल दें तो ठीक है । मगर जब तक ऐसा नहीं होता था तो लोग दूसरों की ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे और इस तरह काफी गड़बड़ होती थी । लोगों की इस grievance को दूर करने के लिये यह amendment लाए हैं, उम्मीद है कि हाऊस इसे मन्ज़ूर फरमायेगा ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ section ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

सिंचाई मन्त्री : Section 22 के नीचे। जमांबन्दियां partition पर record करदी जाती हैं और पर्ची तो बड़ी later stage पर बनाई जाती है। Section 22 (1) यूं है।

> The Consolidation Officer shall cause to be prepared a new record of rights in accordance with the provisions contained in Chapter 4 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 in so far as the provisions may be applicable for the area under consolidation, giving effect to the repartition as finally sanctioned under the preceding section.

मेरे ख्याल में अब कोई शक नहीं रह जाता और मामला बिल्कुल साफ हो जाता है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

> That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Deputy Speaker : Sardar Mohan Singh has given notice of an amendment to this clause. He may move it.

Sardar Mohan Singh (Tarn Taran) : Sir, I beg to move :—

For part (i), substitute—

> "(i) the existing section shall be renumbered as subsection (1) and will be read as follows —
>
> "As soon as the persons entitled to possession of holdings under this Act, have been shown their new holdings on the fields by the Consolidation staff and have entered into possession of holdings, respectively allotted to them, the scheme shall be deemed to have come into force. Such possessions shall not be affected by any order passed under section 36 or 42 except when a fresh scheme is to be brought into force ."

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਭੁਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਲਿਆਵੇਗੀ......

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ Minister ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ (21)(1) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ Department ਦਾ staff ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਜਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ (21)(1) ਮਾਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫੇਰ ਦਫਾ (21)(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਭੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਿ ਸ਼ਜਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਭੀ ਹੈ। Staff ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਚੰਗੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੰਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ "ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਰੀਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਮਾਪਦਾ ਨਹੀਂ" ਇਹ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਿਆਲ। ਸਾਡੇ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜੰਜ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ, ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਗੀ ਹੀ ਉਬਲਨੇ ਹਨ (ਹਾਸਾ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। C. O, ਅਤੇ A.C.O. ਠੀਕ ਹੋ ਭੀ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ $37\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ—ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਭੀ ਘਟ—ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਕ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਦਫਾ 21(1) ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਆਪ 23(1) ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Consolidation Staff ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਫਾ 23(1) ਹੇਠ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 23(2) ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦਫਾ 23(1) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ Consolidation Officer ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਗਰ ਜਦ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Consolidation Staff ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਬਦਲੋ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਬਮਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਕੱਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੀਤ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਆਬਾਦ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ਤੇ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੈ ਕਰ ਲਈ। ਬੈ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੁੜਵਾਈ ਅਤੇ

[ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ]

ਪਟਾ cancel ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਨਾਂ ਚਿਰ ਝਗੜਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ consolidation ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਨੀ ਸੀ ਉਹ ਲਭਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਧਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਹ ਇਕ ਸੁਕਾ ਹੋਇਆ ਤਲਾਬ ਤੇ ਇਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪਟਵਾਰੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ; ਫਿਰ ਕਈ writs ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਤ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ writ ਹੋਈ, ਮੁਰਲੀ ਕਲਾਂ ਦੀ writ ਹੋਈ, ਪੰਖ ਪੁਰ ਦੀ writ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ writ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਵਾਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ meeting ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਮੀਤ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ "ਜਟ ਦਾ ਵਢਿਆ ਤੇ ਨਾਈ ਦਾ ਸਿਖਿਆ" ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ consolidation ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਗਿਆਂ ਭਾਰੀ ਦਿਕੱਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜੋ ਤਰਮੀਮ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ support ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ amendment ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਜੋ ਦਿਕੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ amendment ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ amendment ਦੇ ਲਫਜ਼ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ amendment ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲ ਦੀ amendment ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

For part (i), substitute—

"(i) the existing section shall be renumbered as subsection (1) and will be read as follows—

" As soon as the persons entitled to possession of holdings under this Act, have been shown their new holdings on the fields by the consolidation staff and have entered into possession of holdings respectively allotted to them, the scheme shall be deemed to have come into force. Such possessions shall not be affected by any order passed under section 36 or 42 except when a fresh scheme is to be brought into force".

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 2 ਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਮੀਮ ਦੀ support ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਰਮੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਿਕੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ A.C.O. ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ C.O. ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਿੰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ । ਬਾਦ ਦੀਆਂ 21 (1) ਅਤੇ 21(2) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ । ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ । ਪਰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਜਦੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਜਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦਹੀ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਂਗਲ ਫੇਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Minister concerned ਤਾਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁੱਅਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰਮੀਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ Minister concerned ਨਹੀਂ ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ C. O. ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵੇਰ ਵੇਖਿਆ ਗਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਦਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਕੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਅਲੁੱਕ ਨਹੀਂ । ਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤਰਮੀਮ ਜੱਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਖੇਤ ਦਸੇ, ਨੰਬਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ adjustments ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ adjustment ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ C. O. ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਥੋਂ ਕਢ ਕੇ ਉਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਗਿਰਦਾਵਰ ਤੇ C. O. ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Flying squads ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਲਦੇ ਨੇ । ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਅਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Flying Squads ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਯਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ......

[*At this stage Mr. Speaker resumed the Chair.*]

ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਲ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी लहरी सिंह) : साहिबे सदर, मैं इस तरमीम को oppose करता हूं । इस की वजह यह है कि जो कुछ इस तरमीम में कहा गया है वह तो पहले ही कानून में मौजूद है ।

The amendment tabled by my friend Sardar Mohan Singh lays down :

> "As soon as the persons entitled to possession of holdings under this Act, have been shown their new holdings on the fields by the Consolidation staff and have entered into possession of holdings respectively allotted to them, the scheme shall be deemed to have come into force."

अब देखिये कि पहले ही Act में यह बात दी हुई है:—

Section 23 (2) lays down as under :—

> 23 (2). If all the owners and the tenants as aforesaid do not agree to enter into possession under subsection (1) they shall be entitled to possession of the holding and tenancy allotted to them from the commencement of the agricultural year next following the date of the publication of the scheme under subsection (4) of section 20 or, as the case may be, of the preparation of the new record of rights under subsection (1) of section 22 and the Consolidation Officer shall if necessary, put them in physical possession of the holding.......

पस जब यह चीज़ पहले ही Act में मौजूद है तो फिर इस तरमीम की क्या ज़रूरत है? अगर अफसर बेईमानी करे या कोई झूठी report कर दे तो और बात है लेकिन जो safeguard आप चाहते हैं जैसा कि आप ने कहा है कि 'actually put them in possession' तो मेरी अर्ज़ यह है कि वह चीज़ तो पहले ही मौजूद है। मैं फिर एक बार repeat कर देता हूं:—

> The Consolidation Officer, shall, if necessary, put them in physical possession of the holding to which they are entitled including etc. etc.,

पस अगर पहले ही Act में provision मौजूद न होती तो मैं तरमीम को मञ्जूर कर लेता। आप कहते हैं लोग शजरों बगैरा को नहीं समझ सकते और उन्हें सिर्फ़ नम्बर बता दिये जाते हैं हालांकि लिखे पढ़े लोग भी पटवारी के नम्बर और शजरे नहीं समझ सकते। मगर मैं कहता हूं कि जब provide कर दिया गया कि 'put them in physical possession' तो फिर आप के इस explanation से क्या फ़र्क पड़ेगा? वह उन से कहेगा, "Here are your fields; you are entitled to them and we deliver possession to you."

इस लिये मैं उन से कहूंगा कि the words, "it should be explained to them", are redundant, पस जो तरमीम उन्होंने पेश की है वह ग़ैर ज़रूरी है और उन्हें उस को वापस ले लेना चाहिये।

फिर कहा गया है कि गड़बड़ इतनी होती है कि हद्दों वग़ैरा का कुछ पता नहीं चलता। मैं उन की section 21 की तरफ तवज्जुह दिलाता हूं।

Section 21 (1) provides—

> The Consolidation Officer shall, after obtaining advice of the land owners in the estate or estates concerned, carry out repartition in accordance with the scheme of consolidation of holdings confirmed under section 20 and the boundaries of the holdings as demarcated shall be shown on the *Shajra* which shall be published in the prescribed manner in the estate or estates concerned.

इस का मतलब साफ ज़ाहिर है कि possession देने से पहले वह किस तरह repartition करेगा और हद्दें वगैरा शजरे पर दिखाएगा। उसे लोगों को consult करने के साथ ही सब कुछ explain भी करना पड़ेगा।

[सिचाई मंत्री]

In this connection I would like to refer to rules made under Section 46 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act. :—

> Rule 8. Repartition papers to be explained to the persons affected thereby. The contents of the statements mentioned in items 4 to 7 of the preceding Rule shall be read over and explained by the Consolidation Officer to the persons likely to be affected thereby specially collected for the purpose.

Further, Rule 10 lays down :—

> Rule 10. Eviction. The Consolidation Officer shall serve a notice on the person or persons liable to eviction under subsection 2 of the section 23 requiring him within fifteen days of the receipt of the notice to vacate the land. If such notice is not complied with within the time specified therein the Consolidation Officer may exercise the powers of a Revenue Officer under the Punjab Land Revenue Act, 1887 for purpose of putting in physical possession of the holdings the person entitled thereto.

पस किसी अफसर की शरारत या बदमाशी की तो और बात है लेकिन safeguards मौजूद हैं कि शजरा ऐसा होगा और सब कुछ मुत्तअल्लिका लोगों को explain किया जायेगा। Possession के बारे में भी साफ ज़ाहिर है कि वह ज़बानी ज़बानी नहीं दिया जाएगा बल्कि जिन को evict करना हो उन्हें नोटिस दिया जायेगा और अगर वह फिर भी खाली न करें तो forcibly निकाला जाएगा। फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि शजरा गलत पढ़ा जा सकता है ~~यह हो~~ सकता है कि समझ में न आए क्योंकि यहां साफ provide किया है कि physical possession दिया जाएगा।

Then we have provided safeguards. Rule 14.4 lays down :—

> All entries in the list mentioned in sub-rule above shall be checked by the Girdawar Kanungo and read over and explained to the persons, whose holdings are affected by the scheme of consolidation ; the Assistant Consolidation Officer shall check the entries in the list and the list duly signed on every page by the Patwari, Girdawar Kanungo and the Assistant Consolidation Officer in token of its correctness shall be forwarded to the Consolidation Officer who after counter-signing it shall return it to the Patwari after the Wasil Baqi Nawis has noted the consolidated demand in a register in form C. H. Q., maintained specially for the purpose.

जिस का मतलब यह है कि पटवारी कानूंगो, Assistant Consolidation officer और फिर Consolidation Officer सब इस को देखेंगे और सब के दस्तखत होंगे। यानी जहां तक record का ताल्लुक है नीचे से ऊपर तक सब अफसरों को record में लाने की provision मौजूद है। इस लिये इस तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं और मैं इसे oppose करता हूं।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਜਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਢੂੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤਦ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸ਼ਜਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਮ ਸਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਜਰਾ ਵਿਖਾਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗਲ ਨਹੀਂ।

सिंचाई मंत्री : कब्ज़ा देना तो आसान है।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। (इस समय सिंचाई मंत्री थोड़ी देर के लिए बाहर चले गये)। ਵੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੌੜ ਗਏ ਜੇ।

Mr. Speaker : You will also perhaps like to sit down.

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਜੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛਡਦੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਫਲਾਨੇ ਵਣ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ Assistant Consolidation Officers ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ Consolidation Officer ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਖ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਂਹ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, इस्तमाल अराज़ी का मसला ऐसा मसला है जिस के साथ पंजाब की तरक्की, पंजाब की शुहरत और पंजाब की इज़्ज़त वाबस्ता है। इस शानदार काम के लिये मैं अपने Development Minister साहिब को बधाई देता हूं। उन्होंने पंजाब की तरक्की के लिये यह कदम उठाया और बहुत अच्छी तरह से उठाया।

अध्यक्ष महोदय : Amendment पर बोलिये। (Kindly speak on the amendment.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : मैं amendment पर आता हूं। यह एक अहम मसला है। यह Amending Bill जो आया है सिर्फ नाकाफी ही नहीं बल्कि मुबहम है, साफ नहीं। इस लिये जत्थेदार मोहन सिंह जी ने जो तरमीम रखी है बहुत जरूरी है (एक माननीय सदस्य ने एक दूसरे माननीय सदस्य की तरफ उंगली से इशारा किया) और उंगली से इशारे करने वाले मेरे दोस्त को पता नहीं कि पंजाब सरकार यह बिल इस लिये लाई है कि जो पहले बिल बना था उस में कुछ कमियां रह गई थीं। जनाब सदर साहिब मैं नहीं कहता बल्कि official party के एक ज़िम्मेदार रूकन जत्थेदार मोहन सिंह ने यह तरमीम पेश की है। वे कहते हैं कि इतनी अंधेरगरदी है कि इस की इन्तहा ही नहीं। बहुत भाइयों के साथ बेइन्साफी

[मौलवी अब्दुल गनी डार]
हो चुकी है। कई भाइयों ने तो खुदकशी कर ली । कई दावे हो गये। जब सरदार प्रताप सिंह जी को पता लगा कि कई लोगों के साथ बेइन्साफी हुई है तो वे यह तरमीमी बिल लाये। अब जत्थेदार मोहन सिंह जी कहते हैं कि इतना तो कर दो कि पटवारी अमली तौर पर ज़मीन लोगों को दिखा दें । सिर्फ नक्शे ही न दिखाते रहें। मैं अर्ज़ करता हूं कि पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के पास एक पठान आया।

अध्यक्ष महोदय : महाराजों पर न आयें। (Don't bring in the Maharajas.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : आप यह बात सुनेंगे तो इसे पसन्द करेंगे। उस पठान ने महाराज से कहा कि मेरी कुछ मदद कीजिये। राजा साहिब ने फरमाया कि नौकरी कर लो। उस ने जवाब दिया "महाराज ! नहीं, अगर मैं नौकरी के काबिल होता तो मैं अर्ज़ क्यों करता।" इस पर राजा साहिब ने कहा जब तुम नौकरी के काबिल होगे तो आ जाना हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। इस पर उस ने अर्ज़ की कि "मैं बीमार हूं और आप से नौकरी के काबिल होने के लिये मदद चाहता हूं।"

सिंचाई मंत्री : On a point of Order, Sir. माननीय मैम्बर relevant तकरीर नहीं कर रहे।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह point of Order था ?

Mr. Speaker: Order please.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार . जनाब आली मैं ज़िक्र कर रहा था कि किस तरह उस आदमी ने राजा साहिब से मदद लेने की तजवीज़ सोची। उस ने राजा साहिब से कहा कि आप हुक्म दें कि जो आदमी मेरे लिये नुसखा तजवीज़ करे वह एक रुपया मुझे दे। इस तरह से गुलाम नबी पठान ने 13,000 रुपये इकट्ठे कर लिये और राजा साहिब को हज़ारों दुआएं दीं। यही हालत हमारे सूबे में पटवारियों की है। जिस तूफानी दस्ते का जिक्र किया गया है........

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर किस तरमीम पर बहस कर रहे हैं ? वह अब बैठ जायें। (May I know what amendment is the hon. Member discussing? He may please resume his seat.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस वक्त पटवारियों ने देहातियों से बेइन्साफी करनी शुरु कर रखी है इस लिये मैं गवर्नमैण्ट से दरखास्त करूंगा कि जत्थेदार मोहन सिंह की तरमीम को मन्जूर कर लिया जाये वरना मैं कहूंगा कि यहां तो यह हालत है कि Home Secretary, Chief Secretary की मार्फत Chief Minister को लिखते हैं कि फलां २ आदमी के ज़रिये Transport Minister ने बेईमानी की है।

Mr. Speaker : Order please.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

For part (i), substitute—

"(i) the existing section shall be renumbered as subsection (1) and will be read as follows—

As soon as the persons entitled to possession of holdings under this Act, have been shown their new holdings on the fields by the Consolidation staff and have entered into possession of holdings respectively allotted to them, the scheme shall be deemed to have come into force. Such possessions shall not be affected by any order passed under section 36 or 42 except when a fresh scheme is to be brought into force."

The Assembly then divided :—

Ayes	..	20
Noes	..	57

The motion was declared lost.

AYES

1 Abdul Ghani Dar, Maulvi.
2 Achhar Singh Chhina, Sardar.
3 Babu Dayal, Shri.
4 Bachan Singh, Sardar.
5 Balu, Shri.
6 Balwant Singh, Thakore.
7 Bhag Singh, Sardar.
8 Chanan Singh Dhut, Sardar.
9 Gopal Singh, Sardar.
10 Harkishan Singh Surjit, Sardar.
11 Kedar Nath Saigal, Shri.

12 Mam Chand, Shri.

13 Maru Singh Malik, Shri.

14 Mota Singh Anandpuri, Professor.

15 Partap Singh, Master.

16 Puran Singh, Sardar.

17 Sarup Singh, Sardar.

18 Shri Ram Sharma, Pandit.

19 Sri Chand, Shri.

20 Wadhawa Ram, Shri,

NOES;

1 Abhai Singh, Shri

2 Badlu Ram, Shri

3 Balwant Rai Tayal, Shri

4 Benarsi Dass Gupta, Shri

5 Bhim Sen Sachar, Shri

6 Bishna Ram, Shri

7 Chandan Lal Jaura, Shri

8 Chandi Ram Verma, Shri

9 Chuni Lal, Shri

10 Daulat Ram, Shri

11 Daulat Ram Sharma, Shri

12 Dev Raj Sethi, Shri

13 Guran Dass Hans, Bhagat

14 Gurbachan Singh Bajwa, Sardar

15 Gurbanta Singh, Sardar

16 Gurdial Singh, Sardar

17 Gurmej Singh, Sardar

18 Harbhajan Singh, Principal

19 Hari Ram, Shri

20 Jagdish Chander, Shri

21 Jagdish Chandra, Dewan

22 Kanahya Lal Butail, Shri

23 Kartar Singh, Sardar

24 Kasturi Lal Goel, Shri

25 Khem Singh, Sardar
26 Khushi Ram Gupta, Shri
27 Lahri Singh, Chaudhri
28 Lajpat Rai, Shri
29 Lal Chand Prarthi, Shri
30 Mam Raj, Shri
31 Mehar Singh, Shri
32 Mehar Singh, Thakur
33 Nand Lal, Shri
34 Nanhu Ram, Shri
35 Naranjan Dass Dhiman, Shri
36 Partap Singh, Bakhshi
37 Partap Singh Rai, Sardar
38 Partap Singh Sardar (Ratta-Khera)
39 Phaggu Ram, Shri
40 Prabodh Chandra, Shri
41 Raghuvir Singh, Rai
42 Rala Ram, Shri
43 Ram Chandra Comrade Shri
44 Ram Dayal Vaid, Shri
45 Ram Kishen, Shri
46 Ram Kumar Bidhat, Shri
47 Ram Parkash, Shri
48 Ram Sarup, Shri
49 Rizaq Ram, Shri
50 Sadhu Ram, Shri
51 Samar Singh, Shri
52 Shanno Devi, Shrimati
53 Sita Devi, Shrimati
54 Sohan Singh, Sardar
55 Teg Ram, Shri
56 Uttam Singh, Sardar
57 Waryam Singh, Sardar

(In the course of the Division, Pandit Shri Ram Sharma raised a point of order.)

पंडित श्री राम शर्मा: श्रीमान् जी, मैं आप की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि दरवाजे खुले हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। यह Rules के खिलाफ है।

Mr. Speaker : Whoever is responsible for this will not be spared.

(The Secretary pointed out that all the doors were closed.)

Pandit Shri Ram Sharma : I have seen the Members coming in and going out.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation (Second Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE SIKH GURDWARAS (THIRD AMENDMENT) BILL, 1954

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : Sir, I introduce the Sikh Gurdwaras (Third Amendment), Bill.

Minister for Public Works : Sir, I beg to move—

That the Sikh Gurdwaras (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ elections ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ elections ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ Electoral Offences ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। Electoral Offences ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ provision ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ Elections ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ provision ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਇਸ provision ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ Representation of People Act, 1951 ਦੇ ਜਿਹੜੇ electoral offences ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, 4, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ

Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਵਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇਕ ਗਲ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਲਫ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤਲਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹ ਹਨ। ਕਲ ਹੀ Upper House ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਨ 1953 ਵਿਚ ਕਿੱਨੇ ਕਿੱਨੇ ਦਿਨ Capital ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੀ information ਲਈ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Education Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 254 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। Development Minister ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਸਾਲ 231 ਦਿਨ ਬਾਹਿਰ ਰਹੇ, Chief Minister ਸਾਹਿਬ 151 ਦਿਨ ਬਾਹਿਰ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Irrigation Minister ਸਾਹਿਬ 168 ਦਿਨ, P. W. D. Minister ਸਾਹਿਬ 185 ਦਿਨ ਅਤੇ Labour Minister ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਸਾਲ 181 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੀ State ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਬਲ ਤਲਾਫੀ ਰੀਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ..

Shri Daulat Ram Sharma : On a point of Order. How is he relevant Sir ?

Mr. Speaker : It is not a point of Order,

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 254 ਦਿਨ Capital ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : I would ask the hon. Member to be relevant. Reference to Ministers' tours has nothing to do with the Bill under discussion.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰੀ influence ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : It has got nothing to do with the Bill before the House.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਕੂਮਤ ਵਸੀਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ offences cognizable ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐਡੇ ਭੱਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਨਾਜ਼ਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦਸਣ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦਿਹ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ Elections ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ Transport ਦਾ Elections ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ non-perennial ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ perennial ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

Mr. Speaker : How is the hon. Member going to link all these things with this debate? He should try to discuss the merits of the Bill.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ ਨੂੰ Elections ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਮਮਨੂਹ ਹੈ....

Mr. Speaker : The hon. Member should try to confine himself to the Bill under discussion. Any discussion beyond that will not be permitted.

Chief Parliamentary Secretary : On a point of Order, Sir. The Punjab Government is being run at present by the Ministers who are Members of the Congress Party. They have got a right to propagate its policies.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : Ministers ਨੂੰ propaganda ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਰੂਲਜ਼ ਚੂੰਕਿ elections ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਮਨੂਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ discussion relevant ਹੈ ।

Mr. Speaker : I would not allow any discussion beyond this. This is for me to judge whether you are relevant or not.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਦਅਨਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ elections ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹ ਬਦਅਨਵਾਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ...

Chief Parliamentary Secretary : Sir I would like to know if the word "badanwani" is parliamemtary or not ?

Mr. Speaker : This word has been used many times. It means irregularity or dishonesty.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਬਦ-ਅਨਵਾਨੀਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ opposition ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦ-ਅਨਵਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਨਿਹਾਇਤ ਖੁਸ਼ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ appeal ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਢਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਅਛੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਭੈੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ future ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ future ਤਾਰੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ election rules ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ pattern ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ rules ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ General Elections ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ elections ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ amendment ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ amendment ਉਨ੍ਹਾਂ offences ਨੂੰ cover ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਫਾ 156 ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ—

"If any person is guilty of any such corrupt practice in respect of illegal hiring or procuring of conveyance as is specified in the Sikh Gurdwaras Election Enquirics Rules.. ..

ਸਾਨੂੰ ਇਸ conveyance ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਤਲਖ ਤਜਰੁਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਬਲਿਕ vehicle ਨੂੰ hire ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ "public" ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ private ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ private vehicle ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ use ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ private vehicle hire ਕਰਨ ਦਾ offence cognizable ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਣਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ Deputy Commissioner ਅਤੇ Superintendent of Police....

Mr. Speaker : I would like the hon. Member to be brief and relevant. No such references please.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ refer ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕ general ਜਿਹੀ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : I have already told the hon. Member not to refer to anything which can form the subject of an election petition.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਪਰ ਆਪਣੇ argument ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਈ.....

अध्यक्ष महोदय : छीना साहिब, इस पर पहिले ही ऐतराज़ किया जा चुका है ! [Mr. Chhina, this has already been objected to.]

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : नकोदर की बात कर लें ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ । ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਅਫ਼ਸਰ ਇਨਚਾਰਜ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ interference ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ point out ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਲਾਣੀ ਲਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ.....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ, ਆਰਡਰ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ reference ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ? I would not tolerate it any more. (Order, order. Can't you do without making this reference ? I would not tolerate it any more.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ reference ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ naturally ਦੂਜੀ side retaliate ਕਰੇਗੀ । (If you continue to do so, naturally the other side will also retaliate.)

चीफ़ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : यह उस वक्त भाग जाएंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ! ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ action ਲਵੇ । ਪਰ ਇਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ point out ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਾਣੀ ਲਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ note ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ election petition ਕਰ ਲਵੋ । ਇਹ ਇਕ ਵਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Again the same arguments.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾਣ ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. क्या जो Punjab Assembly के लिए Election Rule हैं, वही गुरद्वारों की elections के लिए लागू किए जा रहे हैं ?

Mr. Speaker : This is no point of Order.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ cognizable offence ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ offence ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ! ਜਾਕੇ election petition ਕਰੋ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ cognizable offence ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ point out ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਤਾਂ lacuna ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਨੂੰ cognizable ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲਾਰੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ tyre ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ cognizable offence ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ machinery ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ canvassing ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਇਹ general ਜਿਹੀ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਜੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ .... (interruptions) ਖੈਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ free and fair elections ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ elections ਕੇਵਲ petition file ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਅਜਕਲ petition ਲੜਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਦੂਜੇ petition ਲੜਨਾ—ਦੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਲਾਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ petition ਕਰ ਦੇ । ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ? ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਕੋਈ petition ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲ ਬਨਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ।

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ duties ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ—ਇਕ executive ਅਤੇ ਦੂਜੇ parliamentary। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ । ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਾਈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ amendment ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ । ਹਾਂ; ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਦਸਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਉ । ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰੀ ਕਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਗਾਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਸਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਉ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ tactics ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । (*interruptions*) ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ (*laughter*) ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ general ਜਿਹੀ ਗਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਚੂੰਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹੀ ਰੂਲਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ executive authority ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ "ਮੋਰੀਆਂ, (ਮੋਘੇ) ਲਵਾ ਲਵੋ, ਨਹਿਰਾਂ ਕਢਵਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਵੋ" । ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ by-election ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ruling party ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਚੀਫ ਪਾਲਿਯਾਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ: यह जनरल elections नहीं ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ by-elections ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਹੋਰ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Yesterday, it was decided that this matter should not be discussed on the floor of the House. It was thought that the aggrieved party might file an election petition.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, conveyance ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ conveyance ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : As I have said earlier, this case might be referred to the Election Tribunal. The hon. Member should not try to discuss it on the floor of the House.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ interference elections ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ elections ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ districts ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ transport ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker. I will not be able to stop the other side from discussing this matter.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ।

Mr. Speaker : If the hon. Member discusses this case, I will not be able to stop the other side from doing so.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੋ irregular ਤਰੀਕੇ elections ਵੇਲੇ ruling party ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ amendment ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ elections ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ elections ਹੋਣ ਦੌਰੇ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਅਬ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ Bye-Elections ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ Director ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ rule ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ । ਦੂਜੇ transport ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ offence ਨੂੰ cognizable ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ elections fair ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ elections ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ offence ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ punishment ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ elections ਬੜੀਆਂ fair ਹੋਣ ਅਤੇ elections ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ undue influence ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ruling party ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ opposition ਵਲੋਂ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ elections ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ elections ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ grounds ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ offence ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ offence

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ offence ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇ ਜਾਂ ਸਤ amendments ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ Congress party ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ amendments ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੀ ਇਕ ਐਸੀ ਹੀ ਨੀਯਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ favour ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ amending Bill ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ favour ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ voter ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ Congress party ਵਲੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ elections ਵਿਚ interfere ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ provision ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ :—

> "No person shall convene, hold or attend any public meeting within any constituency on the date or dates on which a poll is taken for an election in that constituency."

ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ punishment ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ meeting ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ meeting hold ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਲੋਕ ਉਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ illiterate ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ punishment ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ Congressite ਸਿਖ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : I would like to draw the attention of the hon. Member to the Statement of Objects and Reasons. It reads like this—

> "In order to hold the Gurdwara elections on the pattern of Assembly/Parliamentary Elections, it is considered necessary to amend the Sikh Gurdawaras Act, 1925 for the purpose of adoption of electoral offences mentioned in Chapter III of Part VII of the Representation of the Peoples Act, 1951 for the said elections This Bill is designed to achieve that object."

I would like to know where do the parties come in. Why is the hon. Member imputing motives to certain individuals or parties ? I would request him to confine his speech to the Bill. He is at liberty to say that the amendments which this Bill seeks to make in the Gurdwaras Act of 1925, should not be accepted by the House.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ elections ਦੇ rule ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ elections ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਹ adoption ਹੈ । (This is an adoption).

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ: ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ guidance ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਜੋ Assembly ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ ?

Mr. Speaker : The hon. Member can suggest to the House that it should not accept them.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ rules ਇਸ ਕਰਕੇ adopt ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ elections fair ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕਾ adopt ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੁਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ corrupt ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ meeting ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ public meeting ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਛਡਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਂ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਲਾਂ 'ਵੋਟ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਉ, ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਉ', ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ offence ਹੈ । ਇਹ ਢੰਗ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ elections ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ elections ਤਦ ਤਕ fair ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਕਨ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Democracy ਦੀ definition ਹੈ Government of the people, by the people, for the people। ਮਗਰ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਥਲੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅਜ 'Government of the party, by the party and for the party' ਹੈ ਅਸੀਂ Government of the party ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ Government by the party ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮਗਰ Government for the party ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Government for the favourites ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, क्या यह relevant है ?

अध्यक्ष महोदय : No, he is not relevant. आप झट खड़े हो जाते हैं और बहस के लिए बहस करते हैं। अगर आप ऐसी बातें जारी रखेंगे तो आप को दूसरी तरफ से ऐसी ही बातें सुननी होंगी। (No, he is not relevant. It is a pity that the Member gets up immediately and begins to argue for the sake of arguments only. If he talks things like that then he should be prepared to hear such like things from the other side also.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਅਸੀਂ parliamentary ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਭੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ......

Mr. Speaker : But the pity of it is that if the hon. Member utters these words, then they are, in his view, parliamentary. But when they are uttered by Members of the other side of the House, they become unparliamentary in his view.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ unparliamentary ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਉ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ fair elections ਲਈ offences ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ministership ਦੇ influence ਜਾਂ public officers ਦੇ influence ਨਾਲ ਵੋਟਰਜ਼ ਤੇ ਦਬਾ ਨੂੰ ਭੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ harassment ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ favours ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ government ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ offences ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ motive ਜਾਂ intention ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ offences ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ opposite party ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਧੇ ਸਾਦੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ influence ਕਰਕੇ ਜਾਂ harass ਕਰਕੇ party in power ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। Elections ਹੀ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ cast ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸੋਚੇ ਕਿ offences ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੰਤ੍ਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ "ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਅਛੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਉ"। ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ fair election ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ offence ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ offences ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਕ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਜੀ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ । ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਮਹਿਣੇ ਦੀ ਚੋਣ । ਆਪ ਮਹਿਣੇ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੁਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ । ਮਗਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਥੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਥੋਂ ਨਹੀਂ । ਆਪ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿਚ. . . .

Mr. Speaker : The hon. Minister need not touch the points raised by the hon. Members which are not relevant to the Bill under discussion.

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : You will not become relevant by referring to irrelevant things said by them.

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ।

ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲ ਕਿਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ elections ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ Elections Commissioner ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਬਿਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ । Sudan ਵਿਚ ਸਾਡੇ Elections Commissioner ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਗਿਆ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਗੁਰਦਵਾਰਾ elections ਇਸੇ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ elections ਅਜ ਤੋਂ ਅਠ,ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹ elections ਵਡੀਆਂ elections ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ।

ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਲਾਣਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਅਫਸਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਵੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਰੋਅਬ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਦਫਾ 151 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਦਫਾ 151 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :—

"Officers etc., in elections not to act for candidates or to influence voting.

(1) No person who is a Returning Officer or a Presiding or Polling Officer at an election, or an officer or clerk appointed by the Returning Officer or the Presiding Officer to perform any duty in connection with an election shall in the conduct or the management of the election do any act (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

(2) No such person as aforesaid, and no member of a police force, shall endeavour—

(a) to persuade any person to give his vote at an election, or

(b) to dissuade any person from giving his vote at an election, or

(c) to influence the voting of any person at an election in any manner.

(3) Any person who contravenes the provisions of subsection (1) or subsection (2) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine or with both."

Sardar Ajmer Singh : It is a dead letter for your party.

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ Elections Rules ਨੂੰ contravene ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Contravene ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ elections ਐਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ।

ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ polling ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 25,30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਖੋਸੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਫ਼ਾ

ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ ਜਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ।

ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ secret voting ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ provision ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ details ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਚੋਣਾ ਨੂੰ fair ਬਨਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਚ slogans ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਫਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ elections ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ stake ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਣਾ ਦੀ elections ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਸਰ ਜਾਂ ਦਬਾ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ (ਪਰਸੰਸਾ)। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਲ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਖ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ slogans ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਦਬਾ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ fair ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ elections fair ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ rules ਦੀ contravention ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब, hon. Minister ने इस motion पर बोलते हुए एक चीज़ बड़े ज़ोर से कही है और वह यह कि यह बिल गुरुद्वारों की पवित्रता को कायम रखने के लिये

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]

लाया गया है और कांग्रेस और वज़ीर गुरुद्वारों की पवित्रता को कायम रखने के लिये यह बिल ला रहे हैं ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਗੁਰਦਵਾਰਾ elections ਨੂੰ fair ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਗੋਂ ਬਹੈਸੀਅਤ ਸਿਖ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਨਾ ਬਣਾਏ ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मैं समझता हूं कि यह इस बिल को पेश कर के अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके । अगर आप इस बिल के Objects and Reasons को देखें तो उस में जो Representation of Peoples Act, 1951 के Chapter III का Part VII दाखिल किया गया है इस पर स्पीकर साहिब ने अपने विचार पेश किये हैं उन्होंने कहा था कि इस पर बहस नहीं हो सकती क्योंकि यह आगे ही पास हो चुका है और कानून बन चुका है । पर, स्पीकर साहिब, मैं कहना चाहता हूं कि जो चीज़ कानून में आ गई है अगर उसे दोबारा consideration के लिये पेश किया जाये तो उस पर राएज़नी करने को मेंबरान को पूरा पूरा हक है ।

Mr. Speaker : No body denies it.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : हमें इस पर बोलने का हक है । मैं दो तीन बातों के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं । एक चीज़ यह है कि यह बिल बिल्कुल Chapter III Part VII of the Representation of the Peoples Act, 1951 के लफज़ बलफ़ज़ नहीं । मैं इन्हें खसूसियत से clear करना चाहता हूं ।

ज़रा article 150 के sub-section (3) को देखिये :

> "If any police officer reasonably suspects any person of committing an offence under subsection (1), he may, if requested....

इस में reasonably suspect को ग़ौर से देखिये कि इस तरह पुलिस को कितने अख्तियार दे दिये गये हैं । और फिर यही नहीं बल्कि आखिर में "may arrest without warrant" भी मौजूद है । इसका मतलब तो यह हुआ कि जिस किसी को जब भी चाहे गिरफ्तार किया जा सकता है । मेरी अर्ज़ यह है कि गुरुद्वारों के elections और आम elections में एक बहुत बड़ा फर्क है गुरुद्वारों के elections में मज़हबी जज़बात का भी दखल होता है । इस में यों ही बिला वारंट गिरफ्तारी बिलकुल ठीक नहीं । यह तो वही बात हुई कि न कोई सबूत न warrant जिस को चाहा reasonable suspicion का बहाना बना कर गिरफ्तार कर लिया । यह बहुत ही ग़लत चीज़ है ।

फिर इस के साथ ही सफा 9 पर section 160 का subsection (2) देखिए

> "No court should take cognizance of any offence punishable under section 152 or under section 157 ...."

आप ने section 152 पढ़ा और कहा कि अगर किसी पर ज्यादती या जुल्म हो तो वह Court में जा सकता है मगर यहां आप ने लिखा है कि no court should take cognizance of any offence punishable under section 152 यह चीज़ साफ़ contradictory है । उन्होंने ज़बानी तो यह कहा कि अदालतों का दरवज़ा खुला है मगर यहां आप देखते हैं कि वह दरवाजा बिलकुल बंद कर दिया गया है । फिर आखिर में section 161 में कहा है कि

"In the entry relating to section 171—G of the Indian Penal Code, in column 3, for the word "Ditto" the words "shall not arrest without warrant," be substituted

मगर इस से असल चीज़ में क्या फर्क पड़ा ? मैं तो कहता हूं कि यह तरीका यानी बिला वारंट गिरफ्तारी और फिर कोई अदालत cognizance न ले बिल्कुल गलत है। इस के ज़रिये जो elections हों वे गुरुद्वारों की पवित्रता के लिये नहीं हो सकते । अगर ऐसे ही elections कराने हैं तो जिस तरह हमारे वज़ीर कर रहे हैं कि एक वज़ीर को इसी duty पर लगा दिया और वह दौड़ता फिर रहा है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय : मगर इस का ....

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : वह खुद सिख.....

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात तो सुनें । सवाल यह है कि आप ने बिल के बारे में जो कुछ कहना था वह कह चुके । अब यह बातें इस बिल में कहां हैं ? (The hon. Member should first hear me. He has already stated what he wanted to say about the Bill. Now what have his present remarks to do with the Bill ?)

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : यह तो वज़ीर साहिब की commentary पर मैं कुछ अर्ज़ कर रहा था ।

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ; ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ spirit ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਊਣਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Cabinet ਨੇ Assembly ਅਤੇ Parliament ਦੀ elections ਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਕਾਇਦਾ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ election ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰ ਪਾਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ appeal ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਸਾਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ House ਦੇ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਮੇਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ election ਦਾ symbol ਪੱਖਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪੱਖੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ (ਹਾਸਾ)। ਫੇਰ ਇਸੇ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ

"ਪੱਖਾ ਫੇਰਾਂ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ" ।

[ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੋਣ stunt ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ stunt ਕਹਿਣਾ ਸਖਤ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੂਸ ਕਢਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ। (I have heard his remarks. There is nothing in them which needs to be withdrawn. He simply gave an instance that a certain procession was taken out and a particular "shabad" was recited there.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ stunt ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ religious sentiments hurt ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Sardar Ajmer Singh : On a point of Order, Sir. The hon. Member Jathedar Mohan Singh, has transgressed his limits. He has shown disrespect to *Gurubani.*

Mr. Speaker : He has not transgressed any limits. He has only said that..................................

Sardar Ajmer Singh : I would request you, Sir, to hear me first. After all, you too belong to the Sikh religion and I would request you, Sir..........

Mr. Speaker : The hon. Member should not appeal to my religious feelings.

Sardar Ajmer Singh : The recitation of the 'shabad' has been characterised by him as a "stunt" and thus the religious feelings of the Sikhs have been hurt. I would request you to direct him to withdraw this word.

Mr. Speaker : He did not mean to call reading of the "shabad" a stunt. He never meant that. He used the word "stunt" in respect of the manner in which a candidate had arranged the whole show.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ......

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. एक hon. Member की तरफ से कहा गया है कि इस सिलसिला में "stunt" का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगर record में यह लफ़ज आया है तो जत्थदार साहिब को इसे वापिस लेना चाहिये।

Mr. Speaker : The hon. Member has explained his position.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : On a point of Order, Sir. ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ record ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : The Reporter may read out the relevant portion of the speech.

(The Reporter read out the desired portion and the word "stunt" was found to have been used.)

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : On a point of Order, Sir, ਜੇ stunt ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ walk out ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ।

अध्यक्ष महोदय : जत्थेदार साहिब, अगर आप बुरा न मानें तो 'stunt' का लफज़ delete कर दिया जाये । (If you don't mind, Jathedar Sahib, the word 'stunt' may be deleted.)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. क्या यह जत्थेदार साहिब की मरज़ी पर है कि इस लफ़्ज़ को delete किया जाये या न किया जाये ? मैं आप की इस प ruling चाहता हूं कि किसी लफज का delete करवाना आप के इख्तियार में है या किसी मैम्बर के इख्तियार में ।

Mr. Speaker : Did you, Jathedar Sahib, say that the shabad was a stunt or that the shabad was used as an election stunt.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ stunt ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : He is withdrawing it.

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਅਸਾਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ Reporter ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "stunt" ਦਾ ਲਫਜ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਤਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੋ ਕੁਝ Reporter ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ stunt ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ stunt ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ election stunts ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ "stunt' ਦੇ ਲਫ਼ਜ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of Order, Sir. ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗਲ ਉਤੇ ruling ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ 'stunt' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । (Interruptions).

Mr. Speaker : Order, order. He has only said that the Shabad should not be used as an election stunt.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ election stunt ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

Mr. Speaker : If some hon. Members don't like it, I shall advise you to withdraw the word 'stunt'.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

(Voices from the Opposition Benches : He should withdraw it unconditionally.)

Mr. Speaker: Order, Order.

ਸਰਦਾਰ ਅਛੱਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ unconditionally ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਤੋਂ walk-out ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ।

Mr. Speaker ; You may take any step you like.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ stunt ਸਮਝਦੇ ਹੋ then we will walk out from the House.

(*The Sikh members of the Opposition then staged a walk-out.*)

Mr. Speaker: I do not want that this House should be used as an arena for election propaganda and that there should be dispute over small words.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਗਰੁਪ ਵਲੋਂ ਕਈ meetings ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

(*At this time the Sikh members of the Opposition who had staged a walk-out re-entered the Assembly Chamber and occupied their seats.*)

Mr. Speaker : It appears that the sentiments of my hon. friends have cooled down.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਿਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਗਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Propaganda Secretary

ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ, ਸਰਲੀ ਤੇ ਨੌਰੰਗਾ ਬਾਦ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ provision ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ add ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਹਾਦ 1920 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਸ ਗਰੁਪ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ (*Cheers from the Ministerial Benches*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर को चाहिये कि वह general discussion करें और किसी के नाम का ज़िक्र न करें। (The hon. Member would be well advised to discuss the matter in general terms and avoid mentioning names of particular individuals.)

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ provision ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਵ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ—

ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸਹੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੰਢਿਆਂ ਦਿਆਂ ਚੱਡਿਆਂ ਵਿਚ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਨ ?

Mr. Speaker: Although I think that the hon. Member should not have used this expression but it is not unparliamentary.

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੱਜਨ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ

[ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ private conveyance ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ candidate ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ conveyance ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ action ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ Polling Station ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮੀਲ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਟੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ?

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ official influence ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ ਇਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। (ਆਵਾਜ਼ਾਂ: ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।) ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ rules ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਾਕਈ free elections ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਉਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Rules ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ electoral offences ਨੂੰ cognizable ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ sections ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਦ arrest without warrant ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ offence ਜ਼ਰੂਰੀ cognizable ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ religious sentiments ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ offence ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ private conveyances ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ offence ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ elections ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਮਸਲਨ elections ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। Elections free ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਣ। ਬਿਲ ਦੇ ਇਸ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੁਪਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ limit ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਗੇ ਚਲਣ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ elections ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ elections ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਫਾ 152 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ elections ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ Consolidation Officers, ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ, ਗਿਰਦਾਵਰਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Government party ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ propaganda ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : Sir, that is permissible under the law.

Mr. Speaker : The hon. Member is giving his suggestions.

Chief Parliamentary Secretary : It is not for the House to do that. The Parliament can do it.

Mr. Speaker : He has got a right to give his suggestions.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ Government party ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Local Officers ਤਾਂ elections ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Conveyances ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ public vehicles ਤਾਂ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ private ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਕਰਾਇਆ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। Vote ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਲਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ commonsense ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ provision ਦੇ ਰਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ loophole ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ election ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ elections ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ executive authority ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਨਾਣ ਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਸੂਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ dramatic ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਆ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ elections ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਟਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਏਗਾ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ executive authority ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ elections free ਤੇ fair ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਸਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਵਾਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੱਪ ਤੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ executive authority ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ elections ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ 5 polling stations ਬਣੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਠ, ਦਸ ਮੀਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਸਲੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ general elections ਵਿਚ polling station ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇਕ ਇਕ, ਦੋ ਦੋ ਮੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ polling station ਉਪਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ vote ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਇਕ ਇਕ polling station ਉਪਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹੋ voter ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ candidate ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੀ ਤੁਅੱਲਕਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਦਸਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। polling station ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰੁਬਾ ਹੈ ਕਿ Presiding Officers ਅਤੇ Polling Agents ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Presiding Officer ruling party ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ vote ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ vote ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਕਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਖਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ Presiding Officer ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ vote ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਕਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਕਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਕੜ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ

ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗਲ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ vote ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । Abohar ਵਿਚ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 200 vote ਕੱਢੇ ਗਏ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ Presiding Officer ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ elections ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ irregularities ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਰੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤਕ Elections Commissioner ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ? ਚੂੰਕਿ ruling party ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Elections Commissoner ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੀ ੨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Deputy Commissioner ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ action ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹੋ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ election ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਨ ।

ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ elections ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ; ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ elections ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ illegal ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ influence ਵਰਤ ਕੇ elections ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ..

Mr. Speaker: The hon. Member is repeating his arguments.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਆਪਣੀ arguments repeat ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਬਕਸਾਂ ਨਾਲ interfere ਕਰਦੀ ਹੈ ......

Mr. Speaker: How does the question of boxes come in ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ elections ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ।

Mr. Speaker: These things can be given in the election petition.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਨਾਬ ! election ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਮੀਮ provide ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ।

Mr. Speaker : It has already been provided.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੀਆਂ ਇਕਠੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਕਸ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੋਣਗੇ । ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤ practice adopt ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ elections ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਉਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਪਣੀ executive authority ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ ਗਏ, C.Os ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬਦਲੇ ਗਏ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ elections ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ polling stations ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ; ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ elections ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਬਿਲ ਅਜ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ elections ਲੜਨੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਮੀਮ ਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Sikh Gurdwaras (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : Sir, I beg to move —

That the Sikh Gurdwaras (Third Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras (Third Amendment) Bill be passed.

(*Sardar Harkishan Singh Surjit rose to speak.*)

Mr. Speaker : Before the hon. Member begins to speak, I want to point out one thing. He should not repeat the arguments which have already been given at the time of the first or second reading of the Bill.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ free and fair ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਕਾਇਦੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾ ਉਪਰ ਅਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ fair and free ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ conditions ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਨ । ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਊਣਤਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ । ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕ ਵਾਰੀ rules ਵਿਚ provide ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਟਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਢੁਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ fair and free ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ensure ਹੋ ਸਕਣ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਛੋਟੀਆਂ ੨ amendments ਲਿਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਚਰ ਪਰਚੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਖੈਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ

ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਲਗ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ institutions ਉਪਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭਜਵਾ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਾਹਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਪਰ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਚਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਇਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗਹ ਉਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਤਕੜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ criterion ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ rules ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]
guarantee ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾਹਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ exploit ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਆਖਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੋਗੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘਟਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ parliamentary elections ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁਚਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਾਂਗੇ । ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ personality ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਬੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ . . . .

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ।

Mr. Speaker : Order, order.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ quote ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

Sardar Harkishan Singh Surjit : Sir, is the hon. Member within his rights to interrupt me ?

Mr. Speaker : He has got both rights. He can give his personal explanation. He has not spoken at the third reading stage of the Bill. He can, if he wants, speak on the Bill also.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ distort ਕਰਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ

ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ Opposition ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਉਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫੇਰ ਲੈ ਆਣ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ Assembly ਬੈਠੀ ਹੈ । ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ Assembly ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮਖੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : On a point of personal explanation, Sir. ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ personal explanation ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ?

Mr. Speaker : The hon. Member should resume his seat. He will be given time to give his personal explanation after the Member, who is speaking at present, has finished his speech.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਇਹ........

अध्यक्ष महोदय : माननीय मेम्बर से मैं यह कहूंगा कि आज जो उन के बारे में कहा गया है वह उसी के मुतअल्लिक कहें । (I would ask the hon. Member to confine his explanation only to what has been said about him today.)

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ । ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀ

(ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ)
ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਨਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕੇ । ਉਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ.......

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. तो क्या यह उन की personal explanation के मायने तकरीर नहीं होते ?

Mr. Speaker : Order, order.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ quote ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ stunt ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप को पता है तो आप को चाहिए कि आप carefully ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें । (When you know this, you should be careful in the use of such words.)

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ stunt ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ quote ਨਾ ਕਰਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) : ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੇ elections ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ spokesmen ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ religious

feelings ਵਿਚ ਮਦਾਖਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ । (interruptions from Treasury Benches) ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ । ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ । ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਉ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦ ਹਨ ਜੇ ਅਰਦਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੋਧਦੇ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੋ ਮਗਰ ਬਿਲਕੁਲ irrelevant ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੋ । Perhaps, (In saying these things the hon. Member may be to some extent within the bounds of relevancy but he should not try to be quite irrelevant.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ-ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

Minister for Finance : On a point of order, Sir. Is the hon. Member relevant?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ rules ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ elections ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ.........

(*Interruptions*)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ irrelevant ਹੈ । ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ elections propaganda ਲਈ arena ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ ।
(Whatever the hon. Member has stated, is quite irrelavent. I can not allow the Assembly to be used as an arena for elections Propaganda.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ.....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ।
(Yes, the hon. Member may not have the intention to do that but actually he is doing so.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ elections ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]
ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ । ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ religious sentiments ਵਿਚ ਮਦਾਖਲਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ elections ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । (What he said was that appeal for votes should not be made in the name of the Guru.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿਘ : ਇਹ ਗਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਚ belief ਰਖਦੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ elections ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ.......

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ attribute ਨਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀਆਂ (The hon. Member is a sensible person. He should not attribute anything to him which has not been said by him.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਆਪ speech ਪੜ੍ਹਾ ਲਉ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? (What useful purpose will it serve?)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ speech ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਵਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ elections ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇਕ offence ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ provide ਕੀਤਾ ਹੈ.... . . .

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ; ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ । ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ

ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ trust ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ. . . . . .

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Trusts ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਾਵੋ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੋ। (Trusts have nothing to do with this Bill. If the hon. Member has nothing subs-tantial to say, then he should resume his seat.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਦ ਤਕ religious sentiments ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ elections ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Sardar Ajmer Singh : I am not a candidate.

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਗਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ irrelevancy ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਤਾਂ relevancy ਦੀ ਹਦ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ irrelevancy ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। (They have of course crossed the limits of relevancy. But why should the hon. Minister indulge in irrelevancy?)

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ rules ਬਣਾਏ ਹਨ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲ ਇਨ੍ਹਾਂ rules ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਦ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। (interruptions) ਪਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ

[ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਸਕਦੀ । ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ rules ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ better rules ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਕੋਈ amendment ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ? ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ amendment ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਹ rules better ਬਨਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ । (ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਤੁਸੀਂ ਅਗੇ ਅਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ amendments ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ?) Amendments ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ better ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : On a point of Order, Sir. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਲ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ।

Mr. Speaker : There is no such rule which could permit us to adopt the procedure suggested by the hon. Member.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ Convention ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker : My difficulty is that I am bound by rules and there is no such rule under which this could be permissible.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, "I think the Ayes have it." This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the Sikh Gurdwaras (Third Amendment) Bill be passed.

The Assembly then divided—

Ayes. 41.

Noes. 12.

The motion was declared carried.

AYES

1 Badlu Ram, Shri
2 Benarsi Dass Gupta, Shri
3 Bhim Sen Sachar, Shri
4 Bishna Ram, Shri
5 Chand Ram Ahlawat, Shri
6 Chandi Ram Verma, Shri
7 Daulat Ram, Shri
8 Gopi Chand, Shri
9 Guran Das Hans, Bhagat
10 Gurbachan Singh Bajwa, Sardar
11 Gurmej Singh, Sardar
12 Hari Ram, Shri
13 Jagdish Chander, Shri
14 Kanhaya Lal Butail, Shri
15 Kartar Singh, Sardar
16 Khushi Ram Gupta, Shri
17 Lahri Singh, Chaudhri
18 Lajpat Rai, Shri
19 Lal Chand Prarthi, Shri
20 Mehar Singh, Shri
21 Mehar Singh, Thakur
22 Mohan Singh, Jathedar
23 Mool Chand Jain, Shri
24 Nand Lal, Shri
25 Nanhu Ram, Shri
26 Parkash Kaur, Shrimati
27 Partap Singh, Bakshi
28 Partap Singh Rai, Sardar
29 Phaggu Ram, Shri
30 Prabodh Chandra, Shri
31 Raghuvir Singh, Rai

32 Ram Chandra Comrade, Shri
33 Ram Kishan, Shri
34 Ram Kumar Bidhat, Shri
35 Ram Parkash, Shri
36 Rizaq Ram, Shri
37 Sant Ram, Shri
38 Shanno Devi, Shrimati
39 Sita Devi, Shrimati
40 Sohan Singh , Sardar
41 Uttam Singh, Sardar.

Noes

1 Achhar Singh Chhina, Sardar
2 Ajmer Singh, Sardar
3 Bachan Singh, Sardar
4 Balwant Singh, Thakore
5 Bhag Singh, Sardar
6 Chanan Singh Dhut, Sardar
7 Gopal Singh, Sardar
8 Harkishan Singh Surjit, Sardar
9 Mota Singh Anandpuri, Professor
10 Partap Singh, Master
11 Puran Singh, Sardar
12 Sarup Singh, Sardar

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब ने result तो declare कर दिया है लेकिन क्या कोई ऐसी convention है कि गुरद्वारों के मामले में सिर्फ सिक्ख मेम्बर ही vote करें ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । (No please.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਕ ਵਿਚ vote ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ?

THE SIKH GURDWARAS (FOURTH AMENDMENT) BILL 1954.

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : Sir, I beg to introduce the Sikh Gurdwaras (Fourth Amendment) Bill.

Minister for Public Works : Sir, I beg to move—

That the Sikh Gurdwaras (Fourth Amendment) Bill be taken into consideration at once.

(At this stage Shri Mool Chand Jain, a member of the Panel of Chairman, occupied the Chair).

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਦੇ schedule 4 ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ substitute ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ columns 4 and 5 of the schedule ਦਫਾ 44 (2) ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ schedule ਨੂੰ law ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ election petitions ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਮਕਾਨ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ elections postpone ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ।

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras (Fourth Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ।

Section 44 (2) of the Sikh Gurdwaras Act reads as follows :

"The State Government shall, from time to time and after such consultation with the Board as it considers proper. select seven constituencies from amongst the constituencies specified in Schedule 4, and the constituencies so selected shall be plural constituencies, each returning two members, of whom one shall be a Mazhabi Sikh, a Ramdasia Sikh or a Kabir Panthia Sikh, and the other shall be a Sikh who is neither a Mazhabi Sikh, a Ramdasia Sikh nor a Kabir Panthia Sikh".

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ amendment ਦੇ ਰਾਹੀਂ schedule 4 ਦੇ columns 4 and 5 ਨੂੰ delete ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ elections ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ elections ਦਾ illegal ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਗਲਬ ਹੈ । ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ columns 4 and 5 delete ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ section 44 ਨੂੰ amend ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ plural ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ section 44 (2) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ Scheduled Castes ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਜ ਕਲ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ Scheduled Caste Sikh ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ challenge

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]
ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ declare ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ serious ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ spirit ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਅਸੁਬ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ elections ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ political gerrymandering ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ intention ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ intentions ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਬਿਲ ਇਕ M.L.A. ਨੂੰ Official Receiver ਬਨਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਿਸ ਲਈ ?

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।

Mr. Chairman: May I ask the hon. Member to be relevant?

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਜਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਥੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ? ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣਾ House ਨੂੰ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਬਨਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ political gerrymandering ਨਾ ਹੋਵੇ।

मुख्य मन्त्री (श्री भीम सैन सच्चर) : स्पीकर साहिब, आप को और किसी भी मैम्बर को इस बात पर अचम्भा हुआ होगा कि मेरे फाज़िल दोस्त जो मेरे बिल्कुल diagonally opposite बैठे हैं उन्होंने यह तकरीर कैसे कर दी । बात दर असल यह है कि यह बिल सिर्फ दो कानूनी सवालों को ठीक करने के लिये लाया गया है और यह मुश्किल आसानी से समझी नहीं जा सकती । इस लिये में ज़रूरी समझता हूं कि थोड़ा सा explain कर दूं ताकि इस के बाद जो इस बिल पर बहस हो उस में कोई दिक्कत पेश न आये । एक फाज़िल दोस्त ने 1944 का ज़िक्र किया है । हम ने constituencies बनाने के लिये कानूनी राय भी ली थी और फिर constituencies Scheduled Castes के लिये भी reserve करनी हैं । वहां बनाते बनाते गलती हो गई । इस गलती को मैं मानता हूं क्योंकि अगर यह गलती न होती तो आप को तकलीफ देने की ज़रूरत न होती । जब schedule बनाया तो उस में ऐसा कर दिया जिस तरह plural constituencies का होता है । जो कानून वाली बात उन्होंने बताई है यह कानूनन सही चीज़ नहीं । गवर्नमेंट को यह करना है कि पहले constituencies बनानी हैं और फिर यह नोट करना है कि फलां फलां constituencies Scheduled Castes के लिए हैं । मैं gerrymandering में expert नहीं हूं । मेरे दोस्त हमें ज्यादा credit देते हैं जो असल में हमारा नहीं है । बात यह हुई है कि constituencies हम ने रखी थीं और जो ज़ैल हैं वह मुकम्मल होने चाहियें । अगर clerical गलती हो गई है कि जहां ज़ैल हैं वहां town का specifically ज़िक्र करना चाहिये था और इस oversight से वह ज़ैल दे दिया जाता था और कायदे के मुताबिक उसे बनना नहीं चाहिये था । मेरे दिल में छीना साहिब के लिये काफी consideration है । मैं उन्हें अर्ज़ करता हूं कि इस में से कुछ नहीं निकलेगा और शायद आप को कुछ दिखाई दे । इस में सिर्फ कानूनी बात है जिस के लिये आप को तकलीफ दी है ।

Mr. Chairman : Question is—

That the Sikh Gurdwaras (Fourth Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਪੂਰਬ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਭਾਰੀ legal ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਮੈਂ ਦੋ ਕਠਨਾਈਆਂ ਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਸੀ—ਇਕ ਤਾਂ plural seats ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ declare ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੰਦ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ । ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵਿਚ ਫੋੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਕਟਵਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੰਦ ਪੀੜ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ । ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿਤੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦ ਪੀੜ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ ।

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Gurdwaras Act ਦੇ section 44 ਨੂੰ amend ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ delimitation order ਦਾ Schedule ਗਲਤ ਮੁਰੱਤਬ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਜਿਹੜੀਆਂ plural constituencies ਹਨ ਉਥੇ ਸ਼ਬਦ "number of persons to be returned" delete ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ Gurdwaras Act ਦੇ Section 44 ਨੂੰ suitably amend ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ latest notification ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ Scheduled Caste Sikh ਟਕਰਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ Scheduled Caste Sikh ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ category ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ elect ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ declare ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਲਗੀ । ਇਸ ਵਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ upset ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕ ordinance ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ । Section 44 ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ Scheduled Caste Sikhs ਹਨ shall be Mazhabi Sikh, Ramdasia Sikh or Kabir Panthia Sikh, but this does not exist in the list of Scheduled Caste Sikhs.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ amend ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਇਹ Section amend ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ section 44(2) ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ latest Scheduled Caste Sikhs ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਇਸ Act ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

मुख्य मंत्री : इस की कोई ज़रूरत नहीं ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ Scheduled Caste Sikh ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ section 44 (2) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹਨੂੰ declare ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਲਗਾ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਕਲੀਗਰ plural constituency ਵਿਚੋਂ elect ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ section 44 (2) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ declare ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ elect ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Section 44 (2) ਨੂੰ amend ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

I again read out Section 44 (2) for the benefit of my hon. Friend Sardar Mohan Singh—

Section 44(2). The State Government shall, from time to time and after such consultation with the Board as it considers proper, select seven constituencies from among the constituencies specified in Schedule IV, and the constituencies so selected shall be plural constituencies, each returning two members, of whom one shall be a Mazhabi Sikh, Ramdasia Sikh or a Kabirpanthia Sikh and the other shall be a Sikh who is neither a Mazhabi Sikh, Ramdasia Sikh nor a Kabirpanthia Sikh.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੁਲਾਂ ਸੋਧੂ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ । ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਠਨਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਗੀ । Plural ਹਲਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ determine ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ notification ਦੀ ਰਾਹੀਂ determine ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ amendment ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

Sardar Sarup Singh : With your permission, Sir, I want to submit that seven constituencies are plural constituencies. Amendment ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ?

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਇਹਦੇ ਵਿਚ amendment ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ।

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Let me read out the amended section for the information of my hon. Friend. It is like this—

> The State Government shall from time to time and after such consultation with the Board as it considers proper select 15 constituencies from among the constituencies specified in Schedule IV, and the constituencies so selected shall be plural constituencies, each returning two members of whom one shall be a Sikh belonging to any of the Scheduled Castes notified as such under Article 341 of the Constitution of India and the other shall be a Sikh who does not belong to any of these Scheduled Castes.

यह amendment 1953 की है । फिर भी मैं अपने फाज़िल दोस्त का मशकूर हूं और इस बात को appreciate करता हूं कि उन्होंने मदद देने की कोशिश की है । यह अलग बात है कि उन की किताब में यह बात नहीं दी हुई । अब तो उन की तसल्ली हो गई होगी ।

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Chairman : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : Sir I beg to move—

That the Sikh Gurdwaras (Fourth Amendment) Bill be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras (Fourth Amendment) Bill be passed.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : जनाब चेयरमैन साहिब, मैं इस बिल की मुखालिफत के लिये खड़ा हुआ हूं । यह कोई पहला मौका नहीं कि जब सरकार ने महसूस किया हो कि उन्होंने गलती की है मगर अपनी अक्सरियत के बलबोते पर उसे तसलीम न किया हो । पंजाबी में यह बात मशहूर है कि जब बरात आ रही होती है तो ऐन उस वक्त लड़की के कान में बुन्दी डालने के लिये holes किये जाते हैं । हमारी गवर्नमैण्ट का भी यही हाल है । गुरद्वारा elections होने में पांच, सात दिन बाकी हैं । इस मौका पर यह बिल लाया गया है जिस का असर आने वाले चुनावों पर पड़ता है । फिर कहते हैं 'हमारी नियत बिल्कुल सीधी सादी है, यह एक छोटी सी amendment है' । अगर किसी गलती का अज़ाला करना होता तो यह बिल आज से बहुत पहले लाया जाता । अगर नियत साफ होती तो elections से सिर्फ पांच सात दिन पहले न लाया जाता । असलियत यह है कि उधर बैठे दोस्तों ने गुरद्वारा elections को जो कि धार्मिक सवाल है अपनी ज़िन्दगी और मौत का सवाल बना लिया है । सरकारी पार्टी बल्कि सारी कांग्रेस organisation का असर, और वज़ीर साहिबान की मोटरें इसी ज़िन्दगी और मौत की कशमकश में इस्तेमाल हो रही हैं ।(Cheers from Opposition Benches.) मैं क्या अर्ज़ करूं ? यह पहला मौका है दुनिया की तारीख में—किसी धर्म या पंथ के मामले में किसी गवर्नमैण्ट के पूरी हिम्मत और जोश के साथ हिस्सा लेने का । यह पहला मौका है कि गुरद्वारा elections हों, एक मज़हब का मामला चले और कांग्रेस उस में दखल दे । अपने elections तक postpone कर दे । क्या यह सब इस लिये जायज़ है क्योंकि आज कांग्रेस के हाथ में ताकत है और वह समझती है कि इस ताकत को इस वक्त इस्तेमाल न किया गया तो इस का फायदा ही क्या ?

Mr. Chairman : I am afraid the hon. Member is not relevant to the motion.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : यह तो बिल्कुल सीधी सादी बात है । हम ऐसी ग़लतियां करते हैं कि हमारी ताकत कमज़ोर हो जाती है । अब हम इस ताकत को फिर बनाना चाहते हैं, यह ख्याल है हमारे दोस्तों के दिलों में । वे इतने भोले नहीं हैं । उन्होंने खूब जांच, तोल लिया है कि अगर उन के आदमी इन elections में जीत गये तो गुरद्वारों का करोड़ों रुपया उन के disposal पर होगा । District Boards का करोड़ों रुपया पहले ही उन्होंने अपने control में ले लिया है । यह सब उन की बहुत बड़ी खुश किसमती है ।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੇਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ।

ਮੈਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ—ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹਕ ਹੈ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ—ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਨੂੰ ਭਾਈਕਟ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦਾ ਤੇ ਛੇਹਰਟਾ ਨੂੰ ਗਿਲਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦਾ ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ amendment ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ । ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ amendment ਦੀ ਰਾਹੀਂ clerical ਗਲਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ Chheharta Municipal Committee ਦੇ voters ਦੀ ਲਿਸਟ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਲਿਸਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ clerical mistake ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ Chheharta ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ Ordinance ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ordinance ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 'ਕੁੜੀ ਗੋਹੇ ਚੁਗਣ ਨਹੀਂ ਗਈ' ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ (हसनपुर) : चेयरमैन साहिब, मैं इस बिल के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मैम्बर जो कि इस समय मुझ से २ गज़ की दूरी पर हैं और पहले इतनें भी दूर नहीं थे कुछ कह रहे थे । वे कहते थे कि साहिब इतने सादा नहीं हैं । और इतनी सादगी से बिल नहीं लाया जा रहा है । सादगी तो इतनी नहीं है लेकिन जिस सादगी का वह ज़िक्र करते हैं उस का तो कमाल है—

इस सादगी पर कौन न मर जाए ऐ खुदा,
लड़ते है और हाथ में तलवार भी नहीं ।

House के लीडर ने उन के सामने साफ तौर पर constituency की तकमील के बारे में एक बात रखी थी । उन को ऐसा वैसा ख्याल नहीं करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिसाल याद आई है । एक बार एक फिलासफर एक किश्ती में जा रहा था । फिलासफर मल्लाह से बोले तुम कभी philosophy पढ़े हो ? वह कहने लगा 'नहीं' । तो philosopher बोला कि तुम्हारी आधी जिन्दगी खत्म हो गई । कुछ दूर आगे जा कर जब किश्ती भंवर में फंस गई तो मल्लाह बोला कि क्या तुम ने कभी तैरना सीखा है । फिलासफर बोला कि नहीं तो मल्लाह बोला कि तुम्हारी सारी जिंदगी खत्म समझो । (interruptions) मेरे माननीय मित्र पूछ रहे हैं कि किश्ती फिलासफर पर थी या फिलासफर किश्ती पर था । इस का जवाब तो वही बेहतर जानते हैं क्योंकि आम तौर पर तो लोग किश्ती पर होते हैं लेकिन इन के ऊपर किश्ती होती है । Constituency की तकमील को पूरा करने के लिये यह बिल है । इस लिये इस को जल्दी पास कर देना चाहिये ।

मुख्य मंत्री (श्री भीम सैन सच्चर) : चेयरमैन साहिब, मैं यह नहीं समझता कि शायद मैं उस को जगाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि सो नहीं रहा है। बल्कि मैं समझता हूं कि सोते को ही मैंने जगाना है। जब एक आदमी सोता है तो उस को जगाना मामूली सी बात होती है। लेकिन बात ज़रा मुश्किल है क्योंकि किताब सामने नहीं है इस लिये समझने में दिक्कत हो सकती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। Entry No. 73 को देखने से पता लगेगा कि गिदड़ बाह Town Committe उस में है। Entry 73 से गिदड़बाह को निकाल दो और डाल दो Entry 75 में। ऐसा क्यों किया जा रहा है। यह पता नहीं है इस लिये दिक्कत हो रही है। झुम्बा और गिदड़ बाह उसी ज़ैल के साथ हैं जो पहले माना गया है वह ठीक हो गया। अब गिदड़ बाह उस के साथ है और झुम्बा ज़ैल है 75 entry में। यह किताबत की गलती है। अब दूसरी बात छेहरटा वाली ज़ैल उस का हिस्सा है इस से इनकार नहीं किया जा सकता। यह लिखी हुई बात है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं यह छोड़ा भी जा सकता था। मगर इस का नतीजा क्या होता ? इस का नतीजा यही होता कि अगर छेहरटा में communists का ज़ोर है तो हमने यह नहीं किया कि communists के वोट निकाल दें। । वह ज़ैल है उसी ज़ैल में रहना है मगर हम ज़ैल को निकाल देते हैं तो और बात है।

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ candidate ਗਿਲਵਾਲੀ ਜ਼ੈਲ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (interruption)

मुख्य मंत्री : मैं उन का मशकूर हूं। चेयरमैन साहिब, वह तो उन का अपना ही candidate है उन की ही ज़ैल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह जो छेहरटा है उसी ज़ैल का हिस्सा है। क्यों कर रहे हैं ? स्पीकर साहिब, अगर इस की सिहत के लिए उन की खिदमत में हाज़िर न होते तो इस का नतीजा यह भी हो सकता था। मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा यह हो जाता है कि उन का candidate कामयाब हो जाता है तो उस से उन को नुकसान होता यह सारे electoral roll फिर से छापने पड़ते। उस में बहुत सा रुपया ज़ाया हो जाता।

इस के अन्दर कोई खतरनाक चीज़ नहीं। हां मुझे ऐसा मालूम होता है कि कुछ मैम्बर साहिबान काफी परेशान मालूम होते हैं कि यह गुरद्वारे की इलैक्शनज़ आ रही हैं इस में क्या होगा ? आखिर इस में घबराने की क्या ज़रूरत है ? यह तो आप को मालूम हो ही जायेगा। लेकिन इस बिल के अन्दर सिवाए कानूनी चीज़ के और कुछ नहीं।

Mr. Chairman : Question is—

That the Sikh Gurdwaras (Fourth Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a Opoint of Order, Sir. ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਦੀ ruling ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ challenge ਕੀਤਾ ਕਿ "Noes have it" ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ declare ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ "Ayes have it" ?

Mr. Chairman : Order, order. The motion was declared carried before the hon. Member challenged.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ objection raise ਕੀਤਾ ਕਿ "Noes have it" ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ Motion ਨੂੰ carried declare ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

Mr. Chairman : I say that it was challenged after I had declared the motion as carried.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of information, Sir. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ruling ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ challenge proceedings ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? Proceedings ਪੜ੍ਹਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ।

Mr. Chairman : As I have already stated the objection was raised after I had declared the motion carried. Next item please.

THE PUNJAB MUNICIPAL (SECOND AMENDMENT) BILL, 1954

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : Sir, I introduce the Punjab Municipal (Second Amendment) Bill.

Minister for Public Works : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ consequential changes ਕਰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ changes carry out ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ Amending Bill ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਉਨਿਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

Mr. Chairman : Motion moved—

> That the Punjab Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Small Town Committees ਨੂੰ 3rd Class Municipalities ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਸ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ Municipal Committees ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ Small Town Committees ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਥੇ

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਪਰ Municipal Committees ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ । ਚੂੰਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : चेयरमैन साहिब, यह जो बिल अभी अभी वज़ीर मुतअल्लिका ने पेश किया है इसकी Statement of Objects and Reasons में बताया गया है कि यह Amending Bill पिछले दिनों पास किया गया था और अब कुछ एक consequential changes को incorporate करने के लिये यह दूसरा Amending Bill पेश किया गया है । कहा गया है कि यह पास तो कर लिया गया था but it was, however, not enforced । मिनिस्टर साहिब ने भी बताया कि चूंकि कुछेक consequential changes करनी ज़रूरी थीं इसी लिये उस पिछले Amending Bill पर अमल नहीं किया जा सका और इसी लिये कई दिन तक इस की enforcement के लिये इन्तज़ार करना पड़ा । मेरे ख्याल में यह बात नहीं ।

पिछले दिनों गवर्नमैण्ट ने यह महसूस किया था कि अब जब कि जमहूरियत और नुमाइन्दा तरीके की हकूमत को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, तो Small Town Committees के लिये जो अलहदा ऐक्ट बना हुआ है उस की कोई ज़रूरत नहीं यह फैसला किया गया था लेकिन उन का क्या status हो ? यह बात भी ज़ेरे ग़ौर आई । सूबे के अन्दर 1st Class Municipalities हैं, 2nd Class Municipalities हैं जिन का दायरा भी काफी वसीह है । लेकिन Small Town Committees जिन के इख्तियारात भी Municipal Committees के मुकाबले में कम थे, जिन का काम भी ऐसा था गोया ज़िला में Municipal अफसर के मातहत कोई सब-कमेटी काम कर रही हो, जिस के बारे में Deputy Commissioner को सभी अधिकार हासिल थे, उन का मुस्तकबिल कैसा हो, क्या हो. इस पर विचार किया गया चुनांचि गवर्नमैण्ट ने यह चाहा कि इन Small Town Committees को खत्म कर दिया जाये लेकिन ऐसे नहीं जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्डज़ को खत्म कर दिया और फिर सोचा गया कि इन्हें क्या शक्ल देनी चाहिये । इस मकसद के लिये जो बिल पास किया गया उस में यह provide किया गया था कि जहां जहां Small Town Committees हैं उन को तीसरे दर्जे की Municipal Committees में बदल दिया जाये ।

लेकिन उस के बाद गवर्नमैण्ट ने क्या किया ? पास तो कर दिया और पास हुए भी साल

डेढ़ साल यानी कम से कम काफी अरसा गुज़र चुका पर उस पर अमल नहीं हुआ। अब यह जो clause 1 की Sub-clause 2 है इस में भी लिखा है—

"It shall come into force on such date as the State Government may, by notification appoint in this behalf"

यानी यह एक ऐसा ऐक्ट नहीं जो ज्यों ही पास हो कि लागू हो जाए। बल्कि गवर्नमैण्ट ने कोई तारीख मुकर्रर करनी है जिसे official gazette में notify किया जाएगा।

खैर, यह बात तो रही एक तरफ, मैं यह पूछता हूं कि इस पहले बिल पर क्यों नहीं अमलदरामद किया गया? बस एक दो लफ्ज़ी बात लिख दी है कि it was, however, not enforced. कोई जवाब देने वाला हो तो बताए कि आखिर यह क्या दिललगी है इस असैम्बली के साथ कि इस ने जो कानून पास किया उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? और अब जब आंखें खुली हैं तो कह दिया है कि चूंकि नतीजा के तौर पर जो मामूली सी changes होनी चाहिए थीं वे नहीं हुईं इस लिये इस को enforce न किया गया और उन तबदीलियों को carry out करने के लिये यह बिल लाया गया है। साफ ज़ाहिर है कि बात कुछ और ही थी। इस लिये मैं पूछना चाहता हूं कि असैम्बली ने जो पहला Amending Bill पास किया उसे ताक पर क्यों रख दिया गया? इस के लिये special reasons बताए जायें। इस के अलावा मैं चाहूंगा कि वज़ीर साहिब assurance दें कि इसे जल्दी ही लागू किया जाएगा और, जैसा कि पहले किया गया है, इस को महीनों टाला नहीं जायेगा। Small Town Committees को Municipal Committees में बदलने के लिये पहले ही इतनी देर इन्तज़ार करना पड़ा है। गवर्नमैण्ट ने इस पर अमल न करने पर बहुत भारी ज़बरदस्ती और ज़्यादती की है।

और अब जो यह कहते हैं कि वह अब इस बिल को कुछ तब्दीलियों के साथ, कुछ changes के साथ ला रहे हैं तो इस की कोई assurance होनी चाहिए कि वह अब इसे जल्दी लागू कर देंगे। पर ऐसी कोई assurance न तकरीर में, न तहरीर में दी गई है। मैं तो चाहता हूं कि Small Town Committees की कोई ज़रूरत नहीं, वह जल्दी Municipal Committees बन जानी चाहियें। सवाल यह है कि इस पर अमल करने की किस की ज़िमेवारी है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमैण्ट को अब इस कानून के लागू करने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिये।

(*At this stage, Mr. Speaker occupied the Chair.*)

श्री राम किशन (जालन्धर उत्तर पश्चिम): स्पीकर साहिब, यह जो छोटा सा बिल Amendment के सिलसिले में हाऊस के सामने आया है इस पर हमारे ex-Minister साहिब ने जो तकरीर की है उस से तो यह ज़ाहिर होता है कि यह बिल शायद इस लिये लाया जा रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ और इख्तियारात मिल जायें। इस के सिवाए और कुछ नहीं हालांकि असल वाकया यह है कि जो छोटी कमेटियां हैं उन को कुछ और अख्तियारात दिये जा रहे हैं। जैसे कि मेरे दोस्त पंडित श्री राम शर्मा ने बताया है कि पहले उन कमेटियों के पास कोई अख्तियारात

[श्री राम किशन]
नहीं थे जैसे कि वह कोई बिल पास करती थीं या resolution पास करती थीं तो उन्हें वह लागू करने से पहले मन्जूरी के लिये Deputy Commissioners और Commissioners के पास भेजना पड़ता था और उस के मन्जूर हो कर आने में तीन तीन, चार चार महीने लग जाया करते थे। लेकिन अब उन में से कई चीजों को Secretaries ही कर सकेंगे, कुछ को कमेटियां खुद कर सकेंगी। इस तरह उन के अख्तियारात बढ़ जायेंगे।

दूसरी बात जो में आप के द्वारा हाऊस को बाताना चाहता हूं वह यह है कि rules के मुताबिक पहले इस बात की notification जारी की जायेगी और वह Gazette शाया होगा कि फलां फलां Small Town Committees को 2nd Class Municipalities बना दिया गया है फिर उन के rules बनाये जायेंगे और फिर वह Gazette होंगे तो इन सब के लिये time चाहिए। इन सब formalities के लिये 10,10, या 15,15 दिन लगने मामूली बात होगी। पंडित जी की तो गवर्नमैण्ट की तरफ से की गई हर बात की मुखालिफत करने की आदत सी बन गई है। इस पर एतराज़ करने वाली कोई चीज़ भी नहीं थी।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਐਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮਸਲਨ ਕਿਧਰੇ comma ਪਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ full-stop ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ Legal Remembrancer ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ Assembly ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਨਾ ਜਾਏ । ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ Small Town Committees ਨੂੰ ਚੋਖੇ ਅਿਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੋ ਚਾਰ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਹਿਲੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਇਕ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ amending Bill ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਦੀਆਂ formalities ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 8

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 9

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 10

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : Sir I beg to move—

That the Punjab Municipal (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Municipal (Second Amendment) Bill be passed.

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, वज़ीर साहिब ने यह बतलाया है कि चूंकि Legal Remembrancer ने इन्हें यह मशविरा दिया था कि जब तक यह खामियां दूर नहीं की जातीं तब तक इस कानून पर अमल नहीं हो सकता था। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पहले इस बिल को पास कराये हुए कई महीने गुज़र गए हुए हैं तो जिस तरह गवर्नमैण्ट, अपना काम चलाने के लिये Ordinance जारी करा लेती है जैसा कि उन्होंने मालगुज़ारी बढ़ाने के सिलसिले में जारी कराया था जिस में कि जल्दी की कोई भी खास बात न थी तो उसी तरह अगर इस Amending Bill की जगह पर Ordinance जारी करा लिया होता और अब उस Ordinance को इस Amending Bill से replace करा लिया होता तो क्या इस में कोई हरज था। ? फिर स्पीकर साहिब, जब से यह original बिल पास हो चुका है उस अरसे के दौरान में Assembly के एक दो session भी हो चुके हैं। बजाए इस के कि वह इस कानून को जल्दी लागू करते इन्होंने Legal Remembrancer की राए लेते रहने में इतनी देर लगा दी है। तो मेरे ख्याल में मेरे इस इलज़ाम के जवाब में कि गवर्नमैण्ट ने सुस्ती और गैर ज़िम्मेवारी से काम लिया है जो argument दिया है कोई convincing नहीं है। कहने को तो कोई भी बात कही जा सकती है।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ) : ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੋ session ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ session ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ session ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Ordinance ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ Ordinance ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ Ordinance ਇਤਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Municipal (Second Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE SIKH GURDWARAS COMMITTEES ELECTION (VALIDATION) BILL, 1954.

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I introduce the Sikh Gurdwaras Committees Election (Validation) Bill.

Chief Minister : Sir, I beg to move—

That the Sikh Gurdwaras Committees Election (Validation) Bill be taken into consideration at once.

यह एक ऐसा बिल है जिस के बारे म शायद मेरे Opposition के दोस्त कुछ न कहें। इधर से मेरे एक साथी ने कहा है कि यह खाह मखाह नुक्स ढूंडेंगे। शायद यह गलत फहमी हो मगर मैं हाऊस को बताना चाहता हूं कि यह बिल एक सीधी सादी बात के बारे में है। जो 1925 के elections rules थे उन के मुताबिक ज़िले में Returning Officer, D.C. और ज़िले की तहसीलों में दूसरे अफसर मुकर्रर होते थे। इस के बाद elections rules amend हुए। यह इस गर्ज़ से नहीं कि कितनी seats हासिल की जा सकती हैं। उस के मुताबिक Returning Officer Additional District Magistrate होता था और उसे इख्तियार होता था कि तहसीलों के लिये दूसरे अफसर मुकर्रर कर सके। यह काम पहले Deputy Commissioner किया करता था। अब Additional District Magistrate करने लगेगा। बस इतनी सी बात है। अगर आप कहें कि पहला arrangement ही ठीक है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप कहें तो मैं इस बिल को वापिस ले लूं। इस बात का आप फैसला कर लें। मैं फिर समझा दूं कि Committees के जो आज nomination papers आए हैं तो वह उन Returning Officers के पास आए हैं जो 1925 के rules के मुताबिक बने हुए हैं। हमें यह मशविरा दिया गया है कि वह Returning Officers competent नहीं हैं nomination papers receive करने के लिये। इस लिये नए Returning Officers मुकर्रर करें। मैं ने समझा कि यह बात House के सामने रख दूं और अगर आप कहें तो मैं इस चीज़ को वापिस लेने को भी तैयार हूं। जिस तरह आप कहें, जहां चाहें आप के nomination papers जाएं। उन्हीं Returning Officers के पास जायेंगे। यह सारी चीज़ आप के हाथ में है।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras Committees Election (Validation) Bill be taken into consideration at once.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਬਿਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ clerical mistake ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ Secretary ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਵਕਤ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਕਰੀਏ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜੋ । ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ order ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ । ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੇ 1954 ਦਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ order ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ A. D. M. ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 1954 ਦਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਪਹਿਲਾਂ 1924 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ clerical mistake ਹੈ ਜਾਂ Secretary ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । Department concerned ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ mistake ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ mistake ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ Returning Officers ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਉ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । 1925 ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਨਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ । ਉਹ ਗਜ਼ਟ ਹੋ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਮਗਰ ਉਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਿਚ amendment ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇ । ਮਗਰ majority party ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ amendment ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਮਾਤੜ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਤਰਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ । ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੋ । ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਡੇ ਲਈ ।

मुख्य मंत्री (श्री भीम सैन सच्चर) : मैं Opposition से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी इस बिल के बारे में क्या राए है ? अगर आप इस बिल को पास न करना चाहें तो उसका मतलब यह होगा कि इन rules के मुतअल्लिक और तारीख रखनी पड़ेगी ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) : ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ over ਫਿਆਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਆਜ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 'no' ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਈਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਕਰਾ ਲੈਣ ।

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । (That mistake has already been mentioned by the Chief Minister.)

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ । (ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ।) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ rules ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ । ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਤਰੀਕ । ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ unopposed ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆ ਗਏ । ਇਹ ਬਿਲ 8 ਨਵੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

(ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਅਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ।)

मुख्य मन्त्री : इस से किसी पर असर नहीं पड़ा । Returning Officers भी थे और यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि दरखास्तें नहीं दी गईं । इस में तो एक interpretation यह थी कि कानून की interpretation क्या है और जो appointments की गई ह वह valid हैं या नहीं । यह था दूसरा point of view । इस लिए यह बिल appointments जो की गई हैं और उनसे जो काम किया गया उस को validate करने के लिए लाया गया है । इस बिल के पास हो जाने से जो इसके मातहत कार्रवाई की गई थी valid

[मुख्य मंत्री]
हो जाती है और जो खर्च किया गया था उसका उलटा असर नहीं पड़ेगा ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Sikh Gurdwaras Committees Election (Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE I

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move—

That the Sikh Gurdwaras Committees Election (Validation) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras Committees Election (Validation) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Sikh Gurdwaras Committees Election (Validation) Bill be passed.

The motion was carried.

THE EAST PUNJAB WAR AWARDS (AMENDMENT) BILL, 1954

Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I introduce the East Punjab War Awards (Amendment) Bill.

Minister for Irrigation and Power : Sir, I beg to move —

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, हमने 1948 में East Punjab War Awards Act पास किया था । उस में एक defect बाद में point out हुआ कि वह लोग जो 15-8-1947 से पहले undivided Punjab में रहते थे और इस तारीख के बाद

पैपसू में चले गए या जिन के fathers ने पैपसू forces में service कर ली और वह service ऐसी थी जिस में हर जगह जाना पड़ता था और जिन्होंने दूसरी World War में serve किया उन्हें war awards के लिये eligible persons में शामिल करने के लिये provision न था । उन्हें provide करने के लिये यह बिल पेश किया गया है । ऐसे लोगों के लड़के पढ़ते हैं और उन्हें debar नहीं करना चाहिये । इस लिये इस amendment में कोई dispute नहीं और इस बिल को पास कर देना चाहिए ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ੋਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਏਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੋਟਿਕਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ propaganda ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

Statement of Objects and Reasons ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ PEPSU ਦੀ ਫੌਜ਼ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਗਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ amendment ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ political ਮੁਖਾਲਿਫ਼ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਗਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਉ.....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਥੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ? (How is this relevant here ?)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।

Mr. Speaker : You need not touch them. Please discuss merits of the Bill.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮੈਂ demerits ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । (This cannot be allowed.)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜੇ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : आप जो मिसालें दे रहे हैं उन का इस बिल से क्या ताल्लुक है और यह बात किस तरह relevant है कि कइयों को pension नहीं मिली ?[How are the instances quoted by the hon. Member relevant to this Bill ? How is it relevant that certain persons have not been granted any pension ?]

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

Mr. Speaker : This is a very innocent Bill and aims at removing a particular defect. Then why bring in irrelevant matters ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ innocent ਬਿਲ ਤੋਂ ਵੀ elections ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Election ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । (It has become a habit with the hon. Member to bring in election, on every occasion.)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮੈਂ ਇਸ remark ਨੂੰ ਸਖਤ resent ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं । (The hon. Member should resume his seat.)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. आप किसी मेंबर को इस तरह नहीं बिठा सकते । मैं आप की तवज्जुह rule......

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी ruling discuss नहीं कर सकते । (The hon. Member cannot discuss my ruling.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं तो यह कहता हूं कि आप का ruling ही rules के खिलाफ़ है । आप इस तरह मैम्बर को बैठ जाने का हुक्म नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय : आप Chair के साथ argue नहीं कर सकते । (The hon. Member cannot argue with the Chair.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं अर्ज करता हूं कि इस बारे में rule यह है:—

"*Power to order withdrawal of members or suspend sittiug.* The Speaker, after having called the attention of the Assembly to the conduct of a member.... "

Mr. Speaker. This is not a point of Order. The hon. Member should resume his seat. He should not try to question the ruling of the Chair.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं नहीं बैठूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आप withdraw कर जायें । (Then he should withdraw.)

Pandit Shri Ram Sharma : I do not withdraw from the House. You can direct a Member whose conduct is, in your opinion, grossly disorderly to withdraw from the House.

Minister for Irrigation : Sir, I request you to enforce your ruling. He should be made to withdraw from the House.

Professor Mota Singh Anandpuri : On a point of Order, Sir. Autocracy cannot prevail in the House.

Mr. Speaker : Order, order. The hon. Member should resume his seat. The hon. Member, Pandit Shri Ram Sharma, was trying to argue with the Chair.

Maulvi Abdul Ghani Dar : Sir, he wanted to bring to your kind notice the relevant rule.

Mr. Speaker : I told the hon. Member, Sardar Chanan Singh Dhut, that he was persisting in irrelevance. Pandit Shri Ram Sharma rose and began to argue with me. He said that Sardar Chanan Singh Dhut was not irrelevant.

Sardar Ajmer Singh : Mr. Speaker, with due respect, I want to submit that the Chair is always at liberty to revise its opinion.

Mr. Speaker : Any way, it is a very difficult problem for me........

Sardar Ajmer Singh : And with your permission, a Member can quote rules and request the Chair to revise its ruling in order to make it consistent with those rules......

Mr. Speaker : What for was he quoting the rules ? When I said that the hon. Member, Sardar Chanan Singh Dhut, was irrelevant he got up and began to argue with me.

Sardar Ajmer Singh : If I mistake not, it was not a question of relevancy or irrelevancy. Sir, you said that you were not going to hear the hon. Member.

Mr. Speaker : I said that he was arguing with the Chair and trying to question its ruling.

Sardar Ajmer Singh : This was not the intention of the hon. Member. He wanted to quote some rule........

Mr. Speaker : He was arguing with the Chair.

Pandit Shri Ram Sharma : I was not arguing with the Chair. I wanted to draw its attention to the following Rule—

> "87. *Irrelevance or repetition.* The Speaker after having called the attention of the Assembly to the conduct of a Member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech".

Mr. Speaker : I pointed out to the hon. Member (Sardar Chanan Singh Dhut) twice that he was irrelevant. In spite of that, he persisted in irrelevance. Therefore, I had to tell him that if he persisted in irrelevance, I would be compelled to ask him to discontinue his speech.

Pandit Shri Ram Sharma : If this rule has been modified, then please correct me.

I wanted to know whether the attention of the House was drawn to the fact that the hon. Member, Sardar Chanan Singh Dhut was persisting in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate.

Mr. Speaker : I invited the attention of the House to the fact that such and such part of his speech was irrelevant. But Sardar Chanan Singh Dhut began to argue with me. Ultimately, I had to tell him that if he persisted in irrelevance, I would have to ask him to discontinue his speech.

Then the hon. Member, Pandit Shri Ram Sharma, got up and tried to question the ruling of the Chair. He began to quote some rule. I am sorry to see his behaviour. If he behaves like this again or tries to question the ruling of the Chair or shows disrespect to it, then I will have to ask him to withdraw from the House.

Pandit Shri Ram Sharma : I wanted to draw your attention to the relevant rule........

Mr. Speaker : This is very bad on the part of the hon. Member.

Pandit Shri Ram Sharma : Sir, I wanted to draw your attention to Rule 87 which lays down that the Speaker can after having called the attention of the Assembly to the conduct of a Member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, direct him to discontinue his speech.

I also wanted to know from you, Sir, whether the attention of the House was invited to the fact that the hon. Member (Sardar Chanan Singh Dhut) was persisting in irrelevance.

Mr. Speaker : What for was the hon. Member quoting this rule ? He should admit his mistake.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं तो सिर्फ़ जनाब की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता था कि इस बारे में हमारे rule क्या कहते हैं। मेरा हरगिज़ मन्शा यह न था कि आप के ruling को question करूं।

Mr. Speaker : I asked the hon. Member to withdraw from the House but he refused to do so. It amounts to disobedience of the ruling of the Chair.

He has now said that he did not want to question the ruling of the Chair. He only wanted to quote some rule. If his intention was bona-fide, then I will not take any action against him. If, on the other hand, he wanted to challenge the ruling, then I would ask him to withdraw from the House.

Pandit Shri Ram Sharma : I wanted to bring to your notice the relevant rule. If I have said anything which injures the dignity of the Chair......

Chief Parliamentary Secretary : There is no question of "ifs" and "buts". The hon. Member should withdraw his words unreservedly and unconditionally.

Mr. Speaker : As I have stated earlier, I asked the hon. Member to withdraw from the House but he refused to do so.

He said that his intention was to quote the rule and not to question the ruling of the Chair. If his intention was bona-fide, then I will not take any action against him.

Pandit Shri Ram Sharma : Sir, it was not my intention to question the ruling of the Chair.

लेकिन यह मेरा हक है कि अपनी मुश्किलात आप के सामने रखूं। अगर आप से न कहूं तो किस को कहूं ? मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता था कि आप House की attention इस तरफ draw करते तो ठीक था।

Mr. Speaker : I asked you to withdraw but you have not withdrawn. Then you are still supporting the hon. Member with a rule.

पंडित श्री राम शर्मा : इस लिये कि किसी मैम्बर को कहने से पहले......

Mr. Speaker : Are you not sorry for what you have done ?

Pandit Shri Ram Sharma : I never meant any insult to the Chair. I am really sorry if I have in any way offended you.

Mr. Speaker : It is all right if your regrets are *bona-fide.*

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ :(ਅਜਨਾਲਾ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਚੂੰਕਿ ਬਿਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, amendments ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ pensions ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ pensions ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ) : ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be passed.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖਤਰਾ ਮੁਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ political discrimination ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਨਾ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, । ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਾਇਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ political ਗਲਾਂ ਘਸੇੜਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ support ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab War Awards (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

AMENDMENTS MADE BY THE PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL IN THE PUNJAB CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL, 1954

Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

That the amendments made by the Punjab Legislative Council in the Punjab Co-operative Societies Bill which was passed by the Assembly on the 1st November, 1954, be taken into consideration.

साहिबे सदर, हमें तीन बड़ी amendments करनी हैं । जिन clauses में amendments होनी हैं वह हैं 20, 37 और 38 । Clause 20 की amendments के बारे में यह है कि असल बिल में Auditors, Registrar के control में थे । Select Committee ने उन्हें independent कर दिया था । लेकिन कुछ consequential चीजें रह गई थीं । वह अब point out की गई हैं । Clause 37 की amendment यह है कि "The funds may be divided" की जगह 'No funds may be divided" करना है । 'No' की बजाए 'the' गलती से छप गया है ।

तीसरी बात यह है कि clause 38 में जहां profits को तकसीम किया जाना है इन शब्दों की 'or any purpose of general public benefit not being a religious purpose,' की ज़रूरत नहीं । "Charitable purpose" Charitable Endowments Act में define हुआ है और इस बारे explanation देने की ज़रूरत नहीं ।

यह amendments consequential हैं । क्लाज़ 37 में "The" का शब्द लिखा हुआ था उसकी बजाए " No" का शब्द substitute कर दिया गया है । इसके अलावा क्लाज़ 38 में "or any purpose of general public benefit, not being a religious purpose" के शब्द उस में से हटा दिये गये हैं । क्लाज़ 37 में—

"The Funds of a registered society may be divided by way of bonus or dividend or otherwise among its members :

Provided that after at least one tenth of the net profits in any year have been carried to a reserve fund :

इन शब्दों की बजाये नीचे लिखे हुये शब्द substitute किये गए हैं —

"No part of the Funds of a registered Society shall be divided by way of bonus or dividend or otherwise among its members.

Provided that after at least one-tenth of the net profits in any year have been carried to a reserve fund, payments from the remainder of such profits and from any profits of past years available for such distribution may be made among the members to such extent and under such conditions as may be prescribed by the rules or by laws."

यह कोई controversial point नहीं हैं । इस के मुतअल्लिक हम काफी बहस कर चुके हैं कि Auditor, Registrar से बिल्कुल independent होगा और उस को गवर्नमेंट appoint करेगी । पहले Auditor, Registrar के मातहत होता था और वह मुनासिब बात नहीं थी क्योंकि administration की भी उस की जिम्मेदारी थी और Audit की

[सिचाई मंत्री]

भी । इन amendments में कोई ऐसी बात नहीं जिस पर कि कोई difference of opinion हो।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the amendments made by the Punjab Legislative Council in the Punjab Co-operative Societies Bill which was passed by the Assembly on the 1st November, 1954, be taken into consideration.

मोलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, मैं वैसे तो अपने मिनिस्टर साहिब को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं। उस रोज़ काफी उन से अर्ज़ किया गया कि खामखाह religion को क्यों इस में घसीटते हैं और इस के खिलाफ क्यों चर्चा करते हैं तो उन्होंने जोश में आ कर फरमाया कि religion ने मुल्क को तबाह किया, religion ने ही मुल्क के दो हिस्से किये, religion ने यह किया, religion ने वह किया। मैं उन्हें अब बधाई देता हूं क्योंकि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाये तो वह भूला हुआ नहीं कहलाता; religion के खिलाफ असैम्बली में चर्चा करना इतना ही बुरा है जैसे मुझे कहा जाये कि मैं religion के हक में बात कह रहा हूं। यह amendments हमें मन्जूर हैं, हम झगड़ा नहीं करते लेकिन मैं गवर्नमैण्ट से दरखास्त करूंगा कि वह पहले सोच समझ कर बिल पास किया करे ताकि बाद में कान पकड़ कर तोबा न करनी पड़े। Council ने suggest कर दिया कि इस बिल में यह amendments की जायें तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिये न माना कि हम से गलती हो गई थी। इस लिये मैं कहूंगा कि गवर्नमैण्ट पहले ही बिल को अच्छी तरह से देख भाल करके उसे पास किया करे। मैं आप के द्वारा मिनिस्टर साहिब को मुबारकबाद देता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ-ਇੰਚਾਰਜ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੀ authority ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ oppose ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ jeer ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ opposition ਵਾਲੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ suggest ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲ Council ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ।

Mr. Speaker : Question is—

That the amendments made by the Punjab Legislative Council in the Punjab Co-operative Societies Bill which was passed by the Assembly on the 1st November, 1954, be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now I will put the amendments made by the Punjab Legislative Council to the vote of the House.

CLAUSE 7

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (1), line 2, the words "to register" be omitted.

The motion was carried.

CLAUSE 13

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (4), part (ii) , line 3, for the signs "(ii)" the signs "(iii)" be substituted.

The motion was carried.

CLAUSE 14

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (1), line 6, for the word "subsection" the word "section" be sub stituted.

The motion was carried.

CLAUSE 20

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (3), part (a), lines 1-2, for the words "The Registrar.........by him", the words "The authority or agency appointed under section 20(1)" be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (3), part (b), line 2 the words "the Registrar or other" be omitted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (3), part (b), line 5, the words "the Registrar or" be omitted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (4), lines 1-2, for the words "The Registrar and every other person appointed by him", the words "The authority or agency prescribed under sub-section (1)" be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (5), lines 2-3, for the words "the Registrar or with his approval, the person authorised" the words "authority or agency prescribed under sub-section (1)" be substituted.

The motion was carried.

CLAUSE 37

Mr. Speaker : Question is—

That for the words—

"The funds of a registered society may be divided by way of bonus or dividend or otherwise among its members ;

Provided that after at least one-tenth of the net profits in any year have been carried to a reserve fund ;"

[Mr. Speaker]
the words—
"No part of the funds of a registered society shall be divided by way of bonus or dividend or otherwise among its members ;
Provided that after at least one-tenth of the net profits in any year have been carried to a reserve fund, payments from the remainder of such profits and from any profits of past years available for distribution may be made among the members to such extent and under such conditions as may be prescribed by the rules or by-laws"
be substituted.

The motion was carried.

CLAUSE 38

Mr. Speaker : Question is—

That in lines 7-8 , the words "or any purpose........a religious purpose" be deleted.

The motion was carried.

CLAUSE 50

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (1), line 23, after the word "arbitrator" the words "within one month of the service of the due notice" be added.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Co-operative Societies Bill, as amended by the Council, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Co-operative Societies Bill, as amended by the Council, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Co-operative Societies Bill, as amended by the Council, be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB LAND REVENUE (SURCHARGE) BILL, 1954

Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I introduce the Punjab Land Revenue (Surcharge) Bill.

Minister for Irrigation and Power : Sir, I beg to move—

That the Punjab Land Revenue (Surcharge) Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, यह बहुत simple Bill है और मैं समझता हूं कि जमींदार के मायने समझा दूं कि कौन ज़मींदार है । Land Revenue Act के मुताबिक partition से पहले और उसके बाद बहुत दिनों तक settlement नहीं हुई । Partition के बाद चूंकि rehabilitation problem थी इस लिये settlement न हो सका । उस के बाद Consolidation of Holdings का काम शुरु हो गया और revenue का staff इस काम के लिये लगाया गया ।

इस वजह से नए settlements करवाने के लिये staff available नहीं था । Consolidation of holdings हो जाने के साथ २ सारा land record बदलना पड़ता है । जब तक consolidation operations complete न हो जाएं, settlements दुरुस्त तरीके पर मुकम्मल नहीं हो सकते । Government का खर्च बढ़ता जा रहा

है, hospitals और roads और schools पर खर्च करने के लिये रुपये की बहुत ज़रूरत है। रुपया कोई ऊपर से तो नहीं बरसना है। पंजाब के revenues का major portion, Land Revenue से नहीं बल्कि और sources से आता है। Land Revenue की contribution उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिये। Value of the land बहुत बढ़ गई है। जब तक नए settlements नहीं हो सकते, Land Revenue को for the time being बढ़ाना ज़रूरी समझा गया है क्योंकि development schemes के लिये रुपये की ज़रूरत है। गवर्नमैण्ट Opposition के साथ इस बात पर मुतफिक है कि छोटे जमींदारों को मालगुज़ारी से मुआफ कर दिया जाये। हम भी चाहते हैं कि मालिया Income Tax के असूलों पर लगना चाहिए। यह मामला under consideration है। Surcharge भी जैसा कि Opposition वाले चाहते हैं sliding scale पर लगना है। Ordinance में exemption 5 एकड़ तक रखी गई थी। अब इस provision को हमने amend कर लिया है क्योंकि हमने महसूस किया कि पहाड़ी इलाके की या झज्जर तहसील के रेगस्तानी इलाके की 5 एकड़ ज़मीन और ऐसे इलाके की 5 एकड़ ज़मीन में जहां chillies और sugarcane पैदा होते हैं बड़ा फर्क होता है। अब यह फैसला किया गया है कि जो ज़मींदार 10 रुपये तक मालिया देता है, उस को surcharge नहीं देना पड़ेगा, जो 30 रुपये तक देता है उसे मालिये का 1/4 हिस्सा surcharge के तौर पर देना पड़ेगा and so on, पस surcharge sliding scale पर लगाया जायेगा।

Five Year Plan के लिये जिस पर इतना ज़ोर दिया जाता है सारा रुपया ऊपर से नहीं आना है। नए settlements हो नहीं सकते। State बड़ी prosperous है, value of the land बढ़ गई है। हर एक जानता है कि पिछले settlements के वक्त के मुकाबले में पैदावार की कीमत बहुत बढ़ गई है। गवर्नमेंट को Five-Year Plan और दूसरी स्कीमों को चलाने के लिये रुपये की बहुत ज़रूरत है। छोटे ज़मींदार जो 90 फीसदी के करीब हैं exempt कर दिये गये हैं। जैसा कि Communist भाई चाहते हैं हमने छोटे जमींदारों को exempt कर के बड़ों पर यह surcharge लगाना है ताकि उस रुपये को गरीबों की भलाई के लिये इस्तेमाल किया जा सके। ऊपर से direction आई है Five Year Plan को चलाने के लिये रुपये की ज़रूरत है। इस लिये यह बिल लाया गया है। इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिये।

Sardar Ajmer Singh : On a point of Order, Sir. I have to bring one fact to your kind notice and that is this. The matter which the House is going to discuss now is *sub judice.*

When both the Houses of the Legislature were not in session, the Governor exercised their powers under Article 213 (1) of the Constitution and promulgated the Punjab Land Revenue (Surcharge) Ordinance, 1954. The validity of this Ordinance has been recently challenged in the High Court. The legal point which has been raised in the High Court is this. Can the Government assess the land revenue or charge surcharge on land revenue in the manner detailed in the Ordinance from the zamindars without "Assessment" ?

[Sardar Ajmer Singh]

I think that the fact that the validity of this Ordinance has been challenged in the High Court must have come to the notice of the Punjab Government by this time.

Mr. Speaker : I will just read out the relevant portion from May's Parliamentary Practice. I think, the hon. Member would be satisfied.

> *Matters pending judicial decisions.*—A matter, whilst under adjudication by a court of law, should not be brought before the House by a motion or otherwise. This rule does not apply to bills.

Motion moved—

That the Punjab Land Revenue (Surcharge) Bill be taken into consideration at once.

श्री श्री चन्द (बहादुरगढ़) : साहिबे सदर, हमारी गवर्नमेंट का तरीके कार कुछ इस तरह का हो गया है कि इन्होंने उन कायदों के इस्तेमाल को जो खास मौकों पर emergencies के लिए होते हैं, और जिन का इस्तेमाल exception के तौर पर होता है, मामूल बना लिया है। मई के सैशन के बाद हमारी मेहरबान गवर्नमेंट ने 8 Ordinances गवर्नर साहिब से जारी करवाए । Ordinances जारी कराने का मतलब सिर्फ यह होता है कि मैम्बर साहिबान पर रोअब डाला जाए कि इन्हें Acts बनाने ही पड़ेंगे। Ordinances आम तौर पर उस वक्त जारी किए जाते हैं जब कोई खास मौका हो, कोई खास जरूरत पड़ जाए, Houses of Legislature सैशन में न हों, काम न चलता हो। जैसा कि जनाब को पता है इस हाऊस में शायद ही कोई ऐसा बिल आया हो जिसे पहले Ordinance की शक्ल में जारी न करवाया जा चुका हो।

इसी तरह से यह जो non-stop sitting का तरीका है यह खास 2 मौकों के लिए होता है। British Parliament की एक हज़ार साल की history में कुल 8 बार non-stop sitting हुई है। कल जब सारे हिन्दुस्तान में लोग अखबारों में इस non-stop sitting के बारे में पढ़ेंगे तो हैरान होंगे कि पंजाब में क्या हो रहा है, कौन सी मुसीबत आ गई है। सुबह से बग़ैर खाना खाए services के आदमी और पुलिस वाले भी duty पर खड़े हैं। क्या मुसीबत आ जाती, अगर कल को sitting कर लेते या सोमवार को बाकी काम कर लिया जाता ?

साहिबे सदर, जो इन्होंने rules बनाए हैं इन को मामूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। जहां तक non-stop sitting पर जोर देने का ताल्लुक है उन का ख्याल था कि Opposition के मैम्बरों को बाहर जाना है वे उठ कर चले जाएंगे और हम बैठ कर इस agenda को पास कर छोड़ेंगे । सब से पहले मैं अपने लायक दोस्त से यह पूछना चाहता हूं कि यह surcharge के नाम में land revenue बढ़ाया गया है या property पर टैक्स लगाया गया है। इस बिल से साफ मालूम नहीं होता कि land revenue बढ़ाया गया है या कि property पर टैक्स लगाया गया है। अगर यह property पर टैक्स है या income tax है

तो Constitution के मातहत यह सूबे का subject नहीं है। हमारी असैम्बली इस को पास नहीं कर सकती। यह Centre का subject है और वहां जाना चाहिए। अगर मेरे लायक दोस्त यह कहें कि हम ने land revenue बढ़ाया है तो में अर्ज करूंगा कि land revenue के बारे में law की बिल्कुल clear position यह है कि जब तक सरकार नया बन्दोबस्त नहीं करवाती उस वक्त तक land revenue नहीं बढ़ा सकती, तो उन्होंने land revenue को बढ़ा कर उस का नाम surcharge रख दिया है। साहिबे सदर, मुझे समझ नहीं आती कि surcharge के लफ्ज़ का क्या मतलब है। उन की मुश्किल यह है कि Constitution के मातहत Property Tax मेरे दोस्त नहीं लगा सकते, यह Centre का subject है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ज़िला गुड़गांवां, अमृतसर और कुल्लु की sub-division को इस से मुसतसना रखा। कोई भी टैक्स हमारी Constitution के मातहत किसी कायदे के मुताबिक भी discriminately नहीं लगाया जा सकता। यह भी एक difficulty है। कहते यह हैं कि "साहिब गुड़गांवां और अमृतसर में पहले बन्दोबस्त हुआ था इस लिए उन ज़िलों को छोड़ दिया गया है।" लेकिन यह कोई माकूल वजह नहीं है। असल वजह यह है कि एक ज़िला हमारे एक ऐसे वज़ीर साहिब का है जिन का आज की गवर्नमेंट में बोल बाला है। वे जानते थे कि हमें आखिरकार अपनी constituency के सामने जाना है, उन के सामने जवाब देही करनी पड़ेगी इस लिए उन्होंने बेहतर यही समझा कि surcharge वहां न लगाया जाए। अगर वे उसी रेशो (ratio) से हर जगह पर लगाना चाहते हैं तो Opposition की तरफ से हम लोग कहने के लिये तैयार हैं कि जिस ratio से गुड़गांवां का बढ़ाया है उसी रेशो से रोहतक और हिसार का भी बढ़ा दें। साहिबे सदर, आप को ताज्जुब होगा यह सुन कर कि गुड़गांवां के बन्दोबस्त में land revenue जितना पहले था उस से आधा हो गया है। उसी बिना पर आज मेरे दोस्त दूसरे ज़िलों का land revenue बढ़ा रहे हैं, मगर गुड़गांवां को मुआफ कर रहे हैं क्योंकि वहां पहले बन्दोबस्त हुआ था। अगर गुड़गांवां का land revenue आधा हो गया है तो कोई वजह नहीं है कि रोहतक और हिसार का बढ़ाया जाए। मुझे तमाम figures तो नहीं मिली हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि अमृतसर में भी land revenue बन्दोबस्त की वजह से नहीं बढ़ाया। 4 लाख एकड़ के करीब ज़मीन में पानी चढ़ गया है और water logging हो गई है। मेरे दोस्त ने उसे मुआफ करना होगा, और भी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होंगी जो मेरे दोस्त ने मुआफ करनी होंगी। कहते हैं कि अनाज की कीमतें बढ़ी हैं इस लिए बढ़ाया है। मेरे लायक दोस्त नहीं जानते कि अब तो अनाज की कीमतें नीचे गिर रही हैं। मेरे लायक दोस्त ने और कई वजूहात दी हैं कि हस्पताल खोलने हैं, नई सड़कें बनानी हैं और development के और बहुत सारे काम करने हैं। यह सब गलत बातें हैं। साहिबे-सदर, भाखड़े में 35 करोड़ रुपये का गबन है और यह बात कहने के लिये PEPSU का एक वजीर जिम्मेदार है। इस corruption के लिये उन के ठेकेदार और अफसर जिम्मेदार हैं... .....

Minister for Irrigation : On a point of Order, Sir. Is it relevant ? (*Interruption from the Opposition.*)

Mr. Speaker : The hon. Minister can contradict it afterwards in his own speech.

श्री श्री चन्द : मेरे लायक दोस्त ने खुद माना है कि यह बात ठीक है। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि भाखड़े की corruption को trace out करने के लिये उन्होंने क्या कदम उठाया है? सब लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि करोड़ों रुपये का गबन है, एक लाख का नहीं, दो लाख का नहीं, करोड़ों रुपये का है और अगर करोड़ों रुपये के ग़बन को गवर्नमेंट नहीं ढूंड सकती तो क्या गरीब लोगों पर यह surcharge लगा कर उस घाटे को पूरा करना चाहती है? यह घाटा तो सारी पंजाब स्टेट को बेच कर भी नहीं पूरा किया जा सकता। उन को चाहिये कि इस रुपये को corruption से बचाएं और development के कामों पर लगाएं। मैं उन से पूछता हूं कि उन्होंने कौन से हस्पतालों का प्रोग्राम बनाया हुआ है? गरीब किसानों से ले कर यह रुपया उन्होंने कौन से development के कामों पर लगाना है। वे लोग भूल जाते हैं कि इन गरीब किसानों पर जो टैक्स लगाया गया है वह बड़े बड़े करोड़ पति भी नहीं दे सकते। उन्होंने आब्याना डेढ़ गुना बढ़ा कर करोड़ों रुपये इन गरीबों से ज़्यादा लिये हैं। Land Betterment Charges के रूप में 78 करोड़ रुपया इन गरीब किसानों से वसूल किया है। 480 लाख रुपया इस्तेमाल अराज़ी का लिया है। साहिबे सदर, सरकार ने local rate दुगने कर दिये हैं, करोड़ों रुपये चौकीदारे के बढ़ा दिये हैं और पंचायतों के ज़रिए चूल्हा टैक्स और न जाने कितने कितने टैक्स वसूल कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या उन गरीबों के पास कोई कारूं का खज़ाना है जो वे उन से इतने टैक्स वसूल करते जाएंगे? कहां से देंगे वे गरीब लोग इतने टैक्स? गरीब दिहातियों पर तो आए दिन नए टैक्स लगाये जाते हैं लेकिन अमीर शहरियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाता। और अगर कभी ज़रा सा टैक्स उन पर बढ़ाया जाता है तो चारों तरफ से शोर मच जाता है और हमारे Minister for Finance भागे जाते हैं लुधियाने व्यापार-मण्डल से समझौता करने के लिये। मुझे अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट गरीब किसानों की हालत को सुधारने का कोई ख्याल नहीं करती। उन गरीबों के पास टैक्स देने के लिये इतना रुपया कहां से आए? साहिबे सदर! मैं अपने माननीय वज़ीर साहिब की, जो कि यह बिल लाए हैं, 1950 की एक स्पीच पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने यह तकरीर 1950 के बजट सैशन में की थी।

"I was saying, Sir, that whereas the contribution of the ruralites to the Government coffers is 75 per cent, the share they get out of it in the form of services is very meagre. I think it to be Government's paramount duty to reflect in a cool and dispassionate manner as to what it proposes to do for the benefit of the rural population, for their uplift and advancement. I ask the Hon. Finance Minister if he wants to keep the rural population alive or not? I remember very well how the present Finance Minister, when he was the Leader of Opposition in the united Punjab, used to hold out golden hopes and promises to the rural people, one of which was the exemption of small peasants from the payment of land revenue, since at that time he was of the view that these poor people could hardly eke out a living income from their land.

It now appears that the real motive of those who held such promises was not the thought of the good of the zamindars but just a desire to disturb Sir Sikandar Hyat Khan and Chaudhri Chhotu Ram in the execution of their programme of reforms and to mislead the zamindars into thinking that Congress was their greater well-wisher and sympathiser. Now that their sympathisers have come into power, the cat is out of the bag."

" Sir, I did not mean Congress but the Congress Government whose attitude towards rural classes is not only unhelpful but destructive."

" All this state of affairs shows that the Government is little interested in the welfare of rural class and whatever funds it has, these are being spent for providing facilities to the people living in cities. I would, therefore, warn the Government that if we fail by the rural class, India will go the way of China."

" Things have come to such a pass that people have started calling us Jats of Lala brand. When we do not allow the poor and backward sections even ordinary opportunities and amenities of civilized existence, why should we complain that they are misled by the lure of communism ? What have we done for them that they should remain aloof ? If they demand anything, they are put behind the prison bars. I must warn the Government that it will not be possible to befool them for all times to come. They were misled and hoodwinked in Russia and China for some time but ultimately they overthrew the Governments responsible for denying them their rights."

" The present level of top-heavy administration leaves little scope for all round achievement in the province. In the past people had pinned great hopes on the Congress Government but they have now realised that this Government has proved to be a Lala (Bania) Government. I call it a Lala Government as it has given no relief to the lower middle class."

साहिबे सदर, ये हैं ख्यालात मेरे लायक दोस्त के जो कि उन की speeches मे मिलते हैं ।

सिचाई मन्त्री : ये ख्यालात उस गवर्नमेंट के खिलाफ जाहिर किए गए थे जो कि बाद में बदलनी पड़ी ।

श्री श्री चन्द : जो कुछ भी हो, ये आप के ही ख्यालात हैं जो बदल नहीं सकते, झुठलाए नहीं जा सकते । यह बात अलग है कि बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से आप आज मेरी जगह पर नहीं बल्कि सामने treasury benches पर बैठे हैं ।

साहिबे सदर, इन की speeches को भी जाने दीजिए । खुद कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में लेने से पहले और आज़ादी की जद्दोजहद के वक्त कई वायदे गरीब काश्तकारों के साथ किए थे । इतना ही नहीं, पिछले दिनों इलैक्शन होने से पहले कांग्रेस के वायदों और इकरारों का प्रचार होता रहा । मैं ने खुद इन के उन इलफाज़ को सुना था जोकि मुझे अभी तक याद हैं । खुले लफज़ों में यह एलान किया जाता रहा था कि जब हमारा राज होगा, जब कांग्रेस का राज होगा तो ज़मींदारों को जो इतना ज़्यादा लगान का बोझ बरदाश्त करना पड़ता है, वह नहीं रहेगा । यह सब उन को मुआफ़ कर दिया जाएगा । दानों के हिसाब से लगान लिया जाएगा । इस को

[श्री श्री चन्द]

justify करने के लिए वे लोग खुद यह argument दिया करते थे कि जब वज़ीरों की तनख्वाह पांच सौ रुपया से ज़्यादा न होगी, जब आम सरकारी मुलाज़मों को तीस रुपए माहवार से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा तो इतने टैक्स और लगान लगाने की क्या ज़रूरत होगी ? ये हैं आप के पुराने इकरार । खैर, इन को भी जाने दीजिए क्योंकि शायद आप इन इलफाज़ को भी भूल चुके होंगे । पर मैं पूछता हूं कि क्या यह इन्साफ है कि उन गरीब लोगों पर जिन की कमर पहले ही कई किस्म के टैक्सों से झुकी पड़ी है, और टैक्स लगा कर बिल्कुल तोड़ दी जाए ?

जनाबे सदर ! यह फरमाते हैं कि गवर्नमेंट नए settlement न कर सकी क्योंकि बीच बीच ऐसे दूसरे काम आते रहे; यानी पहले लड़ाई रही उस के बाद पार्टीशन हो गया । इसी लिए पार्टीशन के बाद इश्तेमाल का काम शुरू किया जा रुका । मैं पूछता हूं कि क्या कभी लोगों ने आप के पास आकर कहा कि आप बन्दोबस्त करो या क्या कभी उन्होंने आप से दरखास्त की कि आप इश्तेमाल का काम शुरू न करें ? ज़ाहिर है कि जब अभी तक आप यह काम भी पूरा न कर सके तो आप की यह गवर्नमेंट नाअहल है और यह कि यह बड़े स्याने आदमियों की नहीं । जब बात ऐसी है तो इस के लिए लोगों को क्यों सज़ा देते हो ? दरअसल बात यह है कि आप जानते हैं कि बन्दोबस्त होने से लगान की आमदन बढ़ने की बजाए कम होगी । इसीलिए आप बन्दोबस्त नहीं करते । आखिर करें भी क्यों ? गवर्नमेंट है जो "बनिया ब्रांड" । लाला गवर्नमेंट जो हुई । इसलिए बग़ैर हिसाब के चले यह कैसे हो सकता है ? फिर चौधरी साहिब फ़रमाते हैं कि इन्होंने गरीब लोगों पर बड़ी मेहरबानी की है, बड़ी फ़य्याज़ी की है लेकिन असल बात यह है कि यह उन से मीठी मीठी बातें कर के उन का खून - भी चूस लेना चाहते हैं । इन का तो यह हिसाब है कि चार आदमियों को बुलाया । उन में से तीन को तो खूब जूत लगाए और चौथे को कह दिया कि देखो हम ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम्हें नहीं मारा यह थोड़ी मेहरबानी है कि तुम्हें छोड़ दिया ! ठीक इसी तरह ही इस बिल के मुताल्लिक कहा गया है । इन्होंने कहा है कि हम ने लगान की शरह नहीं बढ़ाई यह थोड़ी मेहरबानी है ! इन को तो चाहिए कि गवर्नमेंट के मशकूर हों । मेरे लायक दोस्त यह क्यों भूल जाते हैं कि हिन्दुस्तान में अमीर और तजारतपेशा लोगों को 4,200 रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगता ? जब उन बड़े २ लोगों को 4,200 रुपया पर कोई टैक्स नहीं, उस से कम पर टैक्स मुआफ़ है तो 10 रुपए मालगुज़ारी क्यों माफ नहीं की जा सकती ? क्या गवर्नमेंट यह समझती है कि जो 10 रुपए मालगुज़ारी देते हैं वह खूब भरपेट खाते हैं ? क्या आप यह ख्याल करते हो कि उन के पास खाने पीने को बहुत है और ऐशोआराम की ज़िन्दगी बसर करते हैं ? आप कहते हैं कि हम इतनी अच्छी २ बातें करते हैं पर आप हमारी बड़ाई नहीं करते । मैं तो कहता हूं कि हम तय्यार हैं आप की बड़ाई करने के लिए बशर्तेकि आप लगाएं उन बड़े बड़े अमीरों पर कोई टैक्स । हम आप की बड़ाई ज़रूर करते अगर आप ने इन गरीबों को कुछ मुआफ किया होता । फ़सलों

में कुछ पैदा हो या न हो, टिड्डी उन को खा जाए, पाला मार जाए, बीज पड़ा पड़ा सड़ जाये मगर आप ने यह surcharge वसूल करना ही है। जब आप एक पैसा मुआफ करने के लिये तैयार नहीं तो हम आप की बड़ाई कैसे करें ? मैं इस वक्त offer करता हूं आप को कि आइये कर लीजिये सौदा कि 10 रुपये तक मुआफ किया, फिर हम आप के साथ हैं। लेकिन मुआफ तो आप करते नहीं और यह कहते हैं कि यह थोड़ी बात है हम ने उन को जूते नहीं मारे।

मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो surcharge है इस की imposition कानूनन ही गलत है, Constitution के *ultra vires* है क्योंकि यह आमदनी पर टैक्स है। जब कि 4,200 रुपए पर टैक्स मुआफ है तो थोड़ी २ produce की कीमत पर क्यों टैक्स लगे ? यह बड़ी भारी discrimination है। आप को यह कोई हक नहीं कि कुछ आदमियों पर टैक्स लगाएं और कुछ पर न लगायें।

स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करूंगा कि पंजाब के काश्तकार के पास, पंजाब के ज़मींदार के पास खाने को अन्न नहीं है; उस के पास पैसा नहीं है; उस को ज़्यादा न दबाया जाए वरना चौधरी लहरी सिंह के कहने के मुताबिक यहां भी चाइना बन जायगा। यह उन का ख्याल है और दुरुस्त ख्याल है। उन के साथ व्यवहार में discrimination नहीं करनी चाहिये। उन की तादाद थोड़ी नहीं है। पंजाब की कुल आबादी का 80 या 85 फीसदी हिस्सा है। यह उन्हें तंग करते चले जायेंगे तो वह किस तरह बरदाश्त करते जायेंगे ? आखिर बरदाश्त की भी कुछ हद होती है। पंजाबी बड़े बहादुर हैं। स्पीकर साहिब, मैं इन्हें बतला देना चाहता हूं कि अगर वे उमड़ पड़े तो काबू में नहीं आयेंगे। इन को चाहिये कि अमीर आदमियों पर tax लगायें। लेकिन इन के सलाहकार जो सरमायेदार हैं उन्हें काश्तकार से कैसे हमदर्दी हो सकती है ? वह इन से ही टैक्स वसूल करेंगे। मुझे पता है कि इस का जवाब वह यह देंगे कि पहले गंदम पांच रुपए मन बिकती थी, चना सस्ता था अब इन की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इन्हें पता हो कि बैलों की कीमतें उस से भी ज़्यादा बढ़ी हैं, लोहे की कीमत उन के मुकाबिले में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और कपड़े की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हत्ताकि जिन चीज़ों की ज़रूरत काश्तकार को है उन की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं इन से अर्ज़ करता हूं कि वह इस के लिए यहां बैठ जाएं और अन्दाज़ा लगा लें कि कितना फायदा एक काश्तकार को हुआ है। गुड़गावां के बन्दोबस्त को ही देख लिया जाए और अगर वहां मालगुज़ारी बढ़ी है तो यहां भी बढ़ा दी जाए और अगर वहां कम हुई है तो कम की जाए। यह सब चीज़ें देख ली जायें। लोगों से सलाह कर ली जाए। मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि काश्तकार के पास अब और कुछ नहीं रहा। अगर उसे और तंग करने की कोशिश की गई तो यहां भी China बन जायेगा।

POINT OF ORDER REGARDING RESOLUTION DISAPPROVING THE PUNJAB LAND REVENUE (SURCHARGE) ORDINANCE, 1954

Sardar Ajmer Singh : On a point of Order, Sir. Article 213 (2) lays down that an Ordinance issued by the Governor under Article 213 (1) shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving

[Sardar Ajmer Singh]

it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council.

Sir, I gave notice under Article 213 (2) of a resolution to be moved during this Session disapproving the Punjab Land Revenue (Surcharge) Ordinance, 1954 promulgated by the Governor under Article 213 (1) and it has been admitted by you. According to the motion moved by the hon. Finance Minister and passed by the House earlier today, the Assembly will at this day's rising stand adjourned *sine die*. In other words, there will be no sitting of the Assembly after today's sitting. My resolution does not appear in the List of Business for today. May I know, Sir, what is the fate of my resolution ?

The Bill which is under discussion at present seeks to replace the Ordinance It will not be proper to discuss the resolution after the Bill has been passed. Any discussion on the resolution after the passage of the Bill will not be useful. I, therefore, request that my resolution should be allowed to be discussed and passed or rejected by the House before it discusses and passes the Bill. In other words, Sir, I want that the House should either disapprove or approve the Ordinance before it discusses and passes the Bill.

Mr. Speaker : Which Article has the hon. Member referred to ?

Sardar Ajmer Singh : Sir, I have referred to Article 213 (2). It reads like this—

> "(2) An Ordinance promulgated under this Article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor but every such Ordinance—
>
> (1) shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature, or if before expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution, being agreed to by the Council ; and
>
> (b) may be withdrawn at any time by the Governor."

It is quite clear, Sir, that any Member of the Legislature can give notice of a resolution under Article 213 (2) for disapproving an Ordinance issued by the Governor under Article 213 (1).

I have given notice of a Resolution to be moved during this Session disapproving the Punjab Land Revenue (Surcharge) Ordinance, 1954 and it has been admitted by you.

The Bill now under discussion seeks to replace this Ordinance. What I now want is this. My resolution should be allowed to be discussed at this stage so that the House can express its opinion on it. The Bill can be discussed and passed thereafter. It is my constitutional right.

Mr. Speaker : No body denies that. I admitted the Resolution given notice of by the hon. Member and his colleagues.

चीफ पार्लियामैण्टरी सेक्रेटरी (श्री प्रबोध चन्द्र) : जनाब स्पीकर साहिब अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस सिलसिले में कुछ submission करना चाहता हूं । इस motion के बारे में इरादा यह था कि हाऊस की राए ज़ाहिर हो और यहां मोशन resolution की बजाये बिल की शक्ल में हाऊस के सामने आ रही है तो इस resolution को लाने की ज़रूरत

नहीं समझी गई थी। यह बिल जो इस वक्त हाऊस के सामने पेश है उस resolution को over throw कर देता है if it is approved by the House। इस लिये गवर्नमेंट ने यह मुनासिब नहीं समझा कि इस resolution को भी हाऊस के सामने लाया जाए क्योंकि यह बिल आ रहा था और उसी मकसद के लिए था। उस Ordinance पर discussion का मौका दिया जा रहा है। अब उस resolution को लाने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। इसी लिये गवर्नमेंट ने इस Ordinance को इस बिल की शक्ल में हाऊस के सामने रखा है जो उस resolution को automatically throw out कर देता है।

अध्यक्ष महोदय : Position तो ठीक है। (The position is correct.)

Sardar Ajmer Singh. Sir, my resolution is not before the House at present. The Ordinance is separate from the Bill. What I want, Sir, is that the resolution, which seeks to disapprove the Ordinance, should be allowed to be moved and discussed. The opinion of the House as to whether it approves or disapproves the Ordinance should be taken.

Mr. Speaker. Well, I will permit the Members to refer to the resolution of the hon. Member when discussing the Bill.

Sardar Ajmer Singh. Sir, it is my statutory right. It is not for the Government to decide when this resolution should be brought forward and discussed in the House.

Mr. Speaker. What the hon. Member wants is that the Ordinance should be thrown out. The House can in effect do this either by passing the Bill or by throwing it out.

श्री श्री चन्द : जनाब यह Constitution की दफ़ा 213 में provide किया हुआ है और बिल्कुल clear है कि जब कोई Ordinance जारी किया जाए और अगर कोई मैम्बर उस को मन्सूख करने के लिये resolution का नोटिस देता है तो................

Mr. Speaker : The Bill is before the House. It is for the House to pass the Bill or to throw it out.

श्री श्री चन्द : जनाब, this is a statutory right. There is no question of discretion। अगर कोई मैम्बर यहां resolution लाता है कि जो Ordinance जारी किया गया है वह मन्सूख किया जाए तो हाऊस को हक हासिल है कि वह उसे approve करे या न करे।

Mr. Speaker : That resolution has nothing to do with this Bill.

श्री श्री चन्द : जैसा कि अभी मैंने आप से अर्ज़ किया था कि हमारी गवर्नमेंट को Ordinance जारी करने की आदत सी हो गई है। असल में Ordinance लाने के लिये कोई खास emergency होनी चाहिये। हमें तो आम तौर पर यह देख कर हंसी आने लगती है कि किस तरह हर बात के लिए Ordinance जारी किये जाते हैं। फिर यह हर एक मैम्बर को हक हासिल है कि वह इस पर राए दे सकता है कि जो Ordinance

[श्री श्री चन्द]

गवर्नर साहिब ने जारी किया था, वह ठीक है या गलत। He has got a statutory right to give notice of a resolution disapproving the Ordinance of the Governor under Article 213.

Mr. Speaker : The Speaker has got no discretionary powers in this connection. The contents of the Ordinance and Bill are identical. I can accommodate the hon. Members to this extent. I will not raise any objection if they discuss the Ordinance along with the Bill. They can speak against the Ordinance as well.

श्री श्री चन्द : अब तो last minutes हैं। 11 बज कर 10 मिनट हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि इस बिल का फैसला होने से पहले इस resolution पर हाऊस की राए ली जाए। यह बिल्कुल clear है कि अगर कोई मैम्बर हाऊस की राए लेना चाहता है कि जो Ordinance Governor साहिब ने जारी किया है वह उस के हक में है या नहीं तो वह ऐसा कर सकता है। This resolution should have been put before the Assembly adjourns.

अध्यक्ष महोदय : यह इस बिल की introduction stage पर एतराज करना चाहिये था। (This objection should have been raised at the introduction stage of this Bill.)

So far as the Bill is concerned this will continue to be discussed. The hon. Members can move the court to declare it *ultra vires*.

श्री श्री चन्द : अर्ज़ यह है कि इस resolution पर भी तो बहस होनी चाहिये।

Mr. Speaker : The debate on the Bill will continue. You can move the court to get it declared *ultra vires*.

श्री श्री चन्द : मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर और कोई objection न हो तो यह होना चाहिए। Before the Assembly adjourns it must discuss and pass or reject the resolution.

Mr. Speaker : The contents of the Ordinance and the Bill are identical.

श्री श्री चन्द : आप यह तो मानते हैं कि यह एक Member का राईट है कि वह House की opinion इस बात पर ले कि आया जो गवर्नर साहिब ने Ordinance जारी किया है वह ठीक है या नहीं, उन्हें जारी करना चाहिये था या नहीं। इस के मुताबिक एक Member का resolution जनाब के पास पहुंच गया है। अब आप यह बतलाएं कि आया यह Member का statutory right है कि नहीं कि उस का resolution House के सामने रखा जाए। आप जानते हैं कि आज इजलास का आखरी दिन है। हमें तो कभी इस बात का पता नहीं लगता कि आज non-stop sitting होगी। जहां हम समझते रहते हैं कि House में आ ही जाएगा वहां Government खड़ी हो कर कहती है कि यह दुरुस्त नहीं। तो चूंकि

आज इजलास खत्म हो जाना है आप से request की गई है कि इस resolution को House के सामने रखा जाए। बाकी Government की तो यह आदत बन गई है कि आए दिन, गलत या सही तौर पर, Ordinances लाती चली जाती है। हमें भी पता चलना चाहिए कि आया यह गलत है या सही। अब Chief Minister साहिब आ गए हैं उन से यह पूछा जाये कि आया यह हमारा right है या नहीं। बाकी हम मजबूर हैं; हमारे पास और कोई तरीका नहीं।

अध्यक्ष महोदय : Assembly आज की बैठक के खत्म होने पर sine die adjourn हो रही है।

(The Assembly at its rising this day will stand adjourned sine die.)

Sardar Ajmer Singh. But it has not adjourned now. I, therefore request that my resolution should be allowed to be discussed at this stage.

अध्यक्ष महोदय : (श्री श्री चन्द को सम्बोधन कर के) जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, आप अगर चाहें तो इसे Ordinance से अलहदा समझें। अगर आप समझते हैं कि बिल और Ordinance एक जैसे हैं तो फिर इस दलील में कोई जोर नहीं रह जाता कि Ordinance को approve किया जाए या रद कर दिया जाए क्योंकि इस सम्बन्ध में बिल पर जो फ़ैसला होगा वह हाउस का verdict होगा।

(So far as this Bill is concerned, you may, if you so wish, take it as something separate from the Ordinance. If you consider the Bill and the Ordinance as being identical, then there is no force in the agrument that the Ordinance should be approved or disapproved as the decision on the Bill will give the verdict of the House in this connection.)

श्री श्री चन्द : सवाल यह नहीं है। सवाल है कि जो Ordinances लाए जाते हैं उन पर House की राय लेना हमारा हक है या नहीं। आया जो गवर्नर साहिब ने Ordinances जारी किए वह मुनासिब थे या नहीं, इन्हें यह जारी करने चाहिये थे या नहीं। यह जो रोज़ २ Ordinances जारी किये जा रहे हैं उन की रोक थाम का right Constitution ने Members को दिया है या नहीं ? गवर्नर साहिब ने जो Ordinance जारी किया है वह in order था या नहीं, वह इसे जारी कर सकते थे या नहीं.........

अध्यक्ष महोदय : जारी कर सकते थे लेकिन आप जो बातें Ordinance के खिलाफ कहना चाहें इसी बहस में कह दें।

अगर आप Ordinance और इस को एक समझते हैं तो discussion हो सकती है। अगर आप Ordinance को अलहदा समझें तो भी जो आप ने एक के बारे में कहना है वही दूसरे के बारे में कह सकते हैं।

(An Ordinance can be promulgated. Whatever the hon. Member wishes to say against the Ordinance, he can say it during the discussion on

[अध्यक्ष महोदय]

the Bill. In case you take the Ordinance and the Bill as being identical then these can be discussed. If you consider the Ordinance as a separate thing even then whatever you may say in regard to one thing that can apply to to the other.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ resolution move ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਹਕ ਹੈ । ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗਲ ਹੈ । Session end ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਕ ਹੈ । ਬਿਲ ਦਾ ਇਸ resolution ਨਾਲ ਤੱਅਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ joint ਨ ਰਖੋ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ as it is ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ । Resolution ਨੂੰ Bill ਨਾਲ joint ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

(We are taking the resolution as it is and not combining it with the Bill. How can these be combined ?)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਆਪ ਨੇ resolution admit ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ circulate ਭੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੰਬੰਧਤ Section ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ।

Mr. Speaker: The hon. Member can speak on the Bill. I have placed before the House facts of the case. I have requested the hon. Members to bring to my notice the rule or article of the Constitution, if any, which can stop us from proceeding further with the Bill. A lengthy discussion has taken place on this point and no hon. Member has brought to my notice any such rule.

I, therefore, hold that neither the Constitution nor the Rules preclude the consideration of the Bill in the presence of the notice, nor is the Bill vitiated by an absence of discussion on the Resolution.

I will now request the hon. Member to speak on the Bill.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Ordinance throw out ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੇ move ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ discussion ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ Bill ਹੀ House ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, resolution ਨਹੀਂ ।

Mr. Speaker : If there is any rule which prevents us from proceeding further with the Bill in the presence of the notice, then it should be brought to my notice. Otherwise, the House will proceed to consider the Bill. When the resolution comes, I will allow it to be moved.

मुख्य मंत्री (श्री भीम सेन सच्चर) : मैं अर्ज़ कर दूं कि Article 213 (2) यह लिखा है :—

"(2) An Ordinance promulgated under this Article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor but every such Ordinance—

(a) shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council :

(ii) may be withdrawn at any time by the Governor."

अब आप देखें कि यह सीधी सादी बात है । (**पंडित श्री राम शर्मा** : आप के सब काम सीधे सादे होते हैं) हां ठीक है जिस दृष्टिकोण से आदमी किसी चीज को देखता है वह उस के लिये वैसी ही बन जाती है । इस में बतलाया गया है कि Ordinance की life असैम्बली शुरू होने के बाद 6 हफ्ते होती है । अगर उस के पहले असम्बली उसे approve न करे तो वह खुद बखुद खत्म हो जाती है । सवाल यह रह जाता है कि अगर कोई मैम्बर resolution पेश करे कि यह नहीं होना चाहिए तो ऐसा resolution पेश करने का क्या तरीका है ? आखिर एक resolution चीज क्या है ? Resolution की definition Rules of Procedure में मिलती है । उस में resolution admit करने का procedure lay down किया गया है । कोई भी motion, House में resolution की शक्ल में ही हो सकती है और किसी शक्ल में नहीं ।

इस लिये मेरी गुजारिश यह है कि यह ठीक है कि आप ने स्पीकर साहिब को इस resolution के बारे में communicate किया लेकिन आपने इस को इस तरह से word किया कि इस का admit हो जाना जरूरी था, मगर resolution लाने का आप का ढंग ठीक न था । With due respect to the Chair मैं यह कहना चाहता हूं कि Chair भी इस resolution को नहीं लाने दे सकती थी और नोटिस की मियाद में कमी नहीं होनी चाहिये थी ।

सरदार अजमेर सिंह : हमने rules के मुताबिक तीन clear days का नोटिस दिया था और यह मैम्बरों को circulate भी हो चुका है ।

मुख्य मन्त्री : मैंने rules को देखा है मेरा जो contention था कि resolution को ballot में आना चाहिए और इस के लिये 15 दिन का नोटिस होना चाहिये, वह contention गलत था ।

(आवाजें : बात तो सीधी सादी थी ।)

मगर फिर भी मेरी contention यह है कि यह जो procedure ऐसे resolution का है इसे उस वक्त काम में लाना चाहिए जब गवर्नमैण्ट Ordinance को enact करना चाहती हो और गवर्नमेंट हाऊस को opportunity नहीं देती और ऐसी legislation को discuss करने के right को deny कर देती है उस वक्त मैंबरान को right होता है कि वह तीन दिन का नोटिस देकर Ordinance को disapprove करने का resolution ला सकते हैं । और यह भी हो सकता है कि अगर गवर्नमैण्ट Ordinance की age को cut नहीं करना चाहती तो आप कम कर सकते हैं मगर अब Ordinance को replace करने के लिये बिल आता है तो उस वक्त गवर्नमैण्ट opportunity afford कर देती है । हम इस बिल पर debate को anticipate करते थे और हमने इस के लिये opportunity afford कर दी है इस लिये resolution का नौटिस infructuous हो जाता है । Resolution तब लाया जाता है जब गवर्नमेंट हाऊस को opportunity नहीं देती । अब क्योंकि opportunity दी गई है इस लिये इस बिल पर बहस की जा सकती है ।

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, मैं भी उन मेंबरों में से एक हूं जिन्होंने Ordinance को disapprove करने के लिये resolution लाने का नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह बतलायें कि ऐसा कोई rule है कि अगर resolution का नोटिस दे दिया जाये तो क्या यह बिल पेश नहीं हो सकता।

(Please let me know if there is any Rule under which the Bill cannot be proceeded with in case notice of a Resolution has been received.)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, नोटिस की वजह से हमें ख्याल आया कि तीन clear days का नोटिस दिया जाये। इस लिये हम मेंबरों ने नोटिस दिया कि हम Ordinance को disapprove करने के लिये resolution move करना चाहते हैं। यह बात आईन में भी है।

जहां तक हमारा ताल्लुक है जैसा कि जनाब ने देखा यह चीज़ Constitution में मौजूद है। Constitution मेंबरों को हक देता है कि वह किसी Ordinance के मुतअल्लिक disapproval का resolution पेश कर सकते हैं। हमने एक ऐसे resolution का नोटिस दिया। अब हम नहीं जानते यह गवर्नमेंट की सुस्ती है या किस की ग़लती है कि वह House के सामने नहीं आया। हम तो यही मालूम करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के Constitution ने हमें resolution पेश करने का जो हक दिया है और जिस के बारे में हम ने बाकाइदा नोटिस दे दिया अब वह कौन सी authority है जिस ने यह हक सलब कर लिया और अब यह interpretation दिया जा रहा है कि चूंकि बिल आ रहा है इस लिये resolution ग़ैर ज़रूरी हो गया है। मैं अर्ज करता हूं कि असल position यह है कि कोई Ordinance या तो 6 महीने तक जारी रह सकता है या Legislature का इजलास शुरु होने से 1 1/2 महीना बाद खुदबखुद खत्म हो जाता है और अगर इजलास में disapproval का resolution पेश हो कर मंज़ूर हो जाये तो वह Ordinance उसी दिन खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि आज हम को यह बिल House में लाना था मगर हम कहते हैं कि आप हमें तीन दिन पहले मौका दे देते और अगर House इसे disapprove कर देता तो मामला वहीं खत्म हो जाता। हमारे resolution का नोटिस ले कर बैठे रहना कि हम बिल ला रहे हैं Constitution के मुताबिक ठीक नहीं है। इस तरह तो गवर्नमेंट बैठे बिठाए Constitution के दिये हुए तमाम हकूक खत्म कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : position यह है कि क्या आप यह बात कह सकते हैं कि अगर resolution का नोटिस दिया हुआ हो तो यह बिल House के सामने नहीं आ सकता या पास होने पर vitiate हो जायेगा ? क्या वह इस किस्म की कोई provision विधान में से बतला सकते हैं।

(The position is this. Is the hon. Member in a position to say that in the presence of the notice of his resolution this Bill cannot be brought before the House or that it will be vitiated even if it is passed ? Can he point out any such provision in the Constitution ?)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं कहता हूं कि resolution को House में लाए जाने या न लाये जाने से बिल का कोई ताल्लुक नहीं है.......

अध्यक्ष महोदय : आप शिकायत कर रहे हैं कि आप को resolution move करने के हक से महरूम किया जा रहा है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप उन दो बातों पर जो मैं ने कहीं हैं, प्रकाश डालें। इस से सारा मामला तय हो जाएगा।

(But the hon. Member is complaining that he is being deprived of his right to move the resolution. I request him to throw light on the two points mentioned by me and that will settle the whole question.)

पंडित श्री राम शर्मा : इस के मुतअल्लिक अर्ज़ यह है कि हमारा......

Mr. Speaker : I shall be grateful if the hon. Member throws light on this point. Is there any rule which lays down that the House cannot proceed to consider the Bill in the presence of the notice of a resolution ?

पंडित श्री राम शर्मा : सरदार अजमेर सिंह अभी आप को पढ़ कर सुना चुके हैं कि हमें इस बात का हक है कि......

Mr. Speaker : The Constitution and our Rules of Procedure are quite clear on this point. If there is any article of the Constitution or Rule known to the Member which lays down that the Legislative Assembly cannot proceed to consider the Bill in the presence of the notice of the resolution, he should bring it to my notice.

पंडित श्री राम शर्मा : यह मामला बड़ा जरूरी है और इस का फैसला ....

अध्यक्ष महोदय : मगर क्या कोई चीज़ इस बिल को पास होने से रोकती है ?

(But does anything stand in the way of the passing of this Bill ?)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं कह रहा था कि अब चूंकि इस बिल पर बहस होने लगी है इस लिये हम यह बात आप के नोटिस में लाए हैं कि इस से पहले resolution पर बहस ज़रूर हो जानी चाहिये थी।

Mr. Speaker : At present, the Bill is before the House. When that resolution comes, I will allow it to be moved and discussed in the House. There is no question of its being disallowed.

पंडित श्री राम शर्मा : मगर ....

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर आप से यही कहूंगा कि इस बिल को चलने दें या फिर यह एतराज़ साबित करें कि resolution के होते हुए इस बिल पर बहस नहीं हो सकती।

(I would again point out to the hon. Member that he should either let the discussion on the Bill proceed or cite something in support of his contention that this Bill cannot be proceeded with in the presence of the resolution)

मुख्य मंत्री On a point of Order, Sir. मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि कोई debate किसी चीज़ पर हो हो सकती है। अब रहा इस resolution का House में न रखा जाना तो उस के मुतअल्लिक position यह है.... (*Interruption*)

पंडित श्री राम शर्मा : मगर हमें तो आज ही पता चला कि इजलास आज ही खत्म हो रहा है और इस के साथ ही हमारा resolution भी खत्म हो जाएगा।

Mr. Speaker : My Secretariat is willing to place the Resolution on the Agenda.

वित्त मंत्री : और अगर उस के बाद भी resolution की ज़रूरत रह गई तो देखा जाएगा ।

Mr. Speaker : Let us proceed with the Bill. As I have said more than once the hon. Member can bring to my notice any rule or article of the Constitution which lays down that the Assembly cannot proceed to consider the Bill in the presence of the notice of Resolution. If there is no such rule then the Resolution can be brought forward in the House later and I will give my ruling.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ..

अध्यक्ष महोदय : Order please. इस वक्त House के सामने यह बिल है । क्या कोई ऐसा rule या provision है जिस के कारण इस की consideration stop कर देनी चाहिये या जिस के कारण यह बिल पास हो कर भी vitiate हो जाता है । अगर नहीं है तो इस बिल को चलने देना चाहिये ।

(Order please. Now this Bill is before the House . Is there a rule or a provision which requires the consideration of this Bill to be stopped or which would vitiate it even when it is passed? In case there isn't any we should proceed with this Bill.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ resolution ਦੀ discussion Bill ਦੀ discussion ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने तो via media बताया था । (I had only suggested a via media.)

Sardar Ajmer Singh: It is a question of constitutional right. ਮੇਰਾ ਹਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਇਸੇ Session ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ । ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ Session ਵਿਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ । ਦੂਜੇ Session ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ।

Mr. Speaker: But you should not interrupt the consideration of this Bill.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤੇ objects ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਨ ।

Mr. Speaker : How ?

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ House ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ Ordinance ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ resolution ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ objects ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਨ ।

Mr. Speaker : Do you mean to suggest that this Bill makes the Ordinance defunct?

Sardar Sarup Singh: It defeats the object of the resolution.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ statutory right ਹੈ ਕਿ resolution ਦਾ notice ਦਵੇ ।

Mr. Speaker: As soon as this Bill is passed let the resolution come and I shall be prepared to give time.

Sardar Sarup Singh: This resolution has priority over the Bill.

Mr. Speaker: According to which Aιticle ?

Sardar Sarup Singh: I invite your attention to Article 213.

Mr. Speaker: It deals with Ordinances and not with procedure. So far as I am concerned I have an open mind whether or not we should proceed with this Bill, or whether it would be vitiated if passed. I would like to know the whole position.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ position ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ resolution ਉਤੇ । ਪਰ ਅਜ ਜਦੋਂ ਐਸੰਬਲੀ *sine die* adjourn ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ Constitution ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਾਨੂੰ Constitution ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਏਓਂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜ *Sine die* adjourn ਨਾ ਹੋਵੇ ।

अध्यक्ष महोदय : Sine die का तो motion pass हो गया है । जहां तक मेरी powers है, जब ही resolution आयेगा admit करूंगा । बिल को pass हो लेने दीजिये फिर देखेंगे क्या करना है ।

(Motion for the adjournment sine die of the Assembly has been carried. So far as my powers are concerned I shall admit resolution when it comes. Let the Bill be passed first; then we shall see what is to be done.)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਤੇ ruling ਦਿਓ ।

अध्यक्ष महोदय : Ruling तो दे दिया है ।

(The ruling has already been given).

पंडित श्री राम शर्मा: स्पीकर साहिब, मैं पूछता हूं कि किस कायदा से resolution खतम हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने resolution को खतम नहीं किया। There are no rules before me कि *sine die* होनी हो तो पहले resolution आये। (I haven't strangled the resolution. There are no rules before me that the resolution should have priorty if there has been a motion for adjourning the Assembly *sine die*.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछाना चाहता हूं कि जो Constitution ने हमें right दिया है वह हमें कब मिलेगा ?

मुख्य मंत्री : On a point of Order, Sir. मेरा ख्याल था कि मेरे बोलने की और यह कहने की ज़रूरत न होगी कि यह जो discussion हो रही है एक indulgence है । इस Resolution का आना और चीज़ है और यह कि हम इसे move करना चाहते हैं और चीज । Resolution का notice दे दिया गया । अब जब तक order paper पर न हो वह resolution move नहीं हो सकता । वह order paper पर नहीं आया तो आप सरकार को blame कर सकते हैं कि सरकार ने order paper पर नहीं आने दिया । सरकार जाने और आप जाने । अगर Rule 22 को देखा जाये तो पता लगेगा कि business जो Secretary arrange करता है ऐसे होती है जैसे Leader of the House permit करे । अगर Leader of the House ने नहीं permit किया तो Leader of the House के conduct को आप...........

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of Order, Sir.

Chief Minister : I am also on a point of order.

अध्यक्ष महोदय : Chief Minister साहिब की बात सुन लेने दीजिये । (Let us first listen to the Chief Minister.)

मुख्य मंत्री : मेरी अर्ज़ यह है कि इस वक्त House के सामने कोई motion नहीं जिस पर तकरीरें हो सकती हैं । और यह जो तकरीरें हैं सरकार के conduct को censure करने का एक indirect तरीका है । ऐसी तकरीरें सिर्फ substantive motion पर ही हो सकती हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of Order, Sir. ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ruling ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ rule ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈਨ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker: A right given by the Constitution cannot be taken away. But I say that I shall admit the resolution when it comes. Let us at present proceed with the Bill.

पंडित श्री राम शर्मा : इस House के मेम्बर अपने rights के लिये सिर्फ आप के पास जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते ।

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE PUNJAB LAND REVENUE (SURCHARGE) BILL, 1954

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ taxation policy ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਡ

1953-1954 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਚੇਚ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਰਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ set policy ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਝਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਭਾਣ ਦੇ ਅਹਿਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲੀਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਬਿਆਨੇ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਓਨਾਂ ਹੀ ਰਖਣ ਲਈ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ betterment charges ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁਛਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗੇ ਹੀ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ confidence ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ । ਇਸ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਟਬਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਤੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਉਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ 16 ਰੁਪਏ ਮਣ ਤੋਂ ਡਿਗ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ । ਵਾਢੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ 8 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ surcharge ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜ ਘੁਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਤੇ surcharge ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੁਮਾਂਵਾਂ ਦਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ surcharge ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਂਕੜੇ ਦਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ mislead ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ 100 ਵਿਚੋਂ 90 ਕਿਸਾਨ surcharge ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 25,73,3C0 ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,02,223 ਹੈ । ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 90 ਕਿਸਾਨ ਇਸ surcharge ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ misleading statement ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੈਂ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਇਹੋ surcharge Bill ਪਰਵਾਣ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢਕਵੰਜ ਰਚਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ revenue system ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕੜਕਦੀਆਂ ਲੋਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ

ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ Surcharge ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸਾਨੂੰ Government gazette ਰਾਹੀਂ Land Revenue Surcharge ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ Ordinance ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ । ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਲਾਨ ਕਰਿਆ ਕਿ Land Revenue system ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਢਾਲਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ Revenue system ਨੂੰ graded system ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਉਸ Committee ਨੂੰ function ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ।

POINT OF ORDER : WHETHER ASSEMBLY IS IN ORDER TO CONTINUE SITTING AFTER MID-NIGHT

Sardar Ajmer Singh: On a point of Order, Sir. The time now is a couple of minutes past mid-night. According to the motion passed by the Assembly yesterday, it now stands adjourned *sine die.*

Mr. Speaker : It cannot adjourn unless the business is finished.

Sardar Ajmer Singh : Let me explain my objection.

Mr. Speaker : I would like to know under what rule the Assembly now stands adjourned......

Sardar Ajmer Singh : I will quote the rule.

The Assembly passed the following motion yesterday—

> "That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly"

I would like to draw your attention to the words "this day's sitting". The Assembly, by passing this motion, agreed to the exemption of the proceedings at "this day's Sitting", i.e., yesterday's sitting (12th November's sitting) from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly'. In other words, on "this day" the Assembly instead of rising at 6.30 p.m. according to the afore-mentioned Rule, was to continue uninterrupted for the day. 'This day" has ended after midnight and the next day has started......

Mr. Speaker : No, that is not the correct interpretation. The meaning of the motion passed by the House is "that the proceedings which start with this day's sitting should be exempted from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly."

Sardar Ajmer Singh : Sir, let me complete my explanation. I would request you to give me a patient hearing.

The sitting of the Assembly beyond midnight will be illegal and unconstitutional for these reasons.

The following motion was passed by the House yesterday—

> "That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sittings from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly."

[Sardar Ajmer Singh]

The proceedings at "this day's sitting" i.e., 12th November's sitting, only were exempted from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly". "This day" has ended after midnight and the next day has started. The date to-day is the 13th November, and not 12th November. The provisions of the Rule "Sittings of the Assembly" were relaxed only for "this day"., i.e., yesterday (12th November, 1954). To-day's sitting can be held at the time specified in this rule.

So I want to bring to your notice that this sitting beyond mid-night is no longer constitutional or legal. If the Assembly sits beyond mid-night, it will violate the Rule "Sittings of the Assembly" as also its decision of yesterday.

It is a very important point and needs a very careful and dispassionate consideration. It should not be brushed aside lightly. The validity of the proceedings of the Assembly beyond mid-night can be questioned in a court of law.

पण्डित श्री राम शर्मा : कल के दिन शुरु ही हाऊस न यह motion पास की थी ' that the proceedings on the items of business fixed for today (now we may call it yesterday)......

इस प्रस्ताव के ज़रिय हाऊस ने उस business को जो अब तक चलती रही है Rule 12 से exempt किया था। वह business 12 तारीख की sitting की थी। 12 तारीख की sitting का मतलब 13 या 14 या 15 तारीख की sitting नहीं हो सकता। 12 तारीख के agenda को ही Rule 12 से exempt किया गया है न कि किसी और तारीख के agenda को।

अध्यक्ष महोदय : Extraordinary phenomena आजकल हो रहे हैं। (Extraordinary phenomena are occurring these days.)

पंडित श्री राम शर्मा : इस Assembly ने कल वाले agenda को, यानी 12 November की sitting के agenda को rule 12 की जद से exempt किया था, अब दूसरा दिन शुरु हो गया है। कायदे की रू से आज की sitting और इस के agenda के लिये fresh notice आना चाहिये था। अगर बगैर नोटिस के आज sitting हुई तो यह *ultra vires*, गैर कानूनी होगी। गवर्नमेंट के हज़ारों रुपये ज़ाया जायेंगे। इस मामले पर आपके फैसले का असर सारे हिंदुस्तान में पड़ेगा।

Mr. Speaker : This day's sitting का मतलब आप at the end of this day समझते हैं ?

(Do you suggest that the words "this day's sitting" mean at the end of this day?)

श्री श्री चन्द : साहिबे सदर, अगर कोई आदमी इस का मतलब 12 तारीख से रात के 12 बजे तक के सिवाए कुछ और निकाल दें तो मैं उसे challenge करता हूं। इस के सिवाये 12 नवम्बर का मतलब रात के 2 बजे, 4 बजे या परसों के 6 बजे तक तो नहीं निकाला जा सकता। अगर 12 तारीख की limitation 12 बजे रात तक नहीं है

तो और क्या हो सकती है ? 12 नवम्बर (this day) कहीं खत्म भी तो होगा। हमारी असैम्बली ने यह resolution unanimously पास किया था कि आज की sitting 6½ बजे शाम को खत्म होने वाले Rule से मुस्तसना की जाती है और 12 बजे तक यह चल सकती है। अगर कोई आदमी इस का मतलब कुछ और निकाल दे तो मैं उस को challenge करता हूं। This day के मायने और कुछ नहीं निकल सकते। इस लिये मैं उन को बताना चाहता हूं कि अब जो भी कार्रवाई हाऊस में होगी वह illegal और unconstitutional होगी। अगर इस के बावजूद भी Treasury Benches कुछ business transact करेंगे तो इस का मतलब यह होगा कि वे जान बूझ कर गलत तौर पर कर रहे हैं और उस के लिये Government party जिम्मेदार होगी। साहिबे सदर, 'This day' का अगर कुछ और interpretation हो तो वह बता दिया जाये। इस का मतलब यह नहीं हो सकता कि जब तक business खत्म नहीं होगा तब तक sitting चलती रहेगी। 'This day' का मतलब रात के बारह बजे तक का है।

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 'this day ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ 12 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 'This day' ਦਾ ਮਤਲਬ next day ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ complication ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਹ House *sine die* adjourned ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Interruptions from the Opposition.)

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, यह एक कानूनी नुक्ता है, इस के बारे में different राएं हो सकती हैं। मैं Rule 12 की तरफ आप की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। यह इस तरह है।

> The Assembly shall meet whilst in session on all days except Wednesdays and Sundays ; provided that if any day happens to be a holiday under the Negotiable Instruments Act, there shall be no meeting on that day.
>
> (2) The Assembly shall meet on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays at 2 P. M. and adjourn at 6-30 p. m. and shall meet on Saturdays at 9-30 a. m. and adjourn at 1. p. m.
>
> (3) At 6-30 P. M. on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays and at 1. p. m. on Saturdays or earlier if the business set down in the list of business for the day is completed, the Speaker shall adjourn the Assembly without question put ; and the proceedings on any business then under consideration shall be interrupted, provided that.......

जो operative बात है वह यह है कि Assembly shall meet on such and such day and shall adjourn on such and such time अब day वह day होता है जिस दिन Assembly meet करती है। अब नीचे जाकर यह लिखा है

> "(c) a motion may be made by a Minister at the commencement of the business for the day to be decided without amendment or debate to the following effect :
>
> That the proceedings on any specified item of business be exempted at this day's sitting from the provision of the rule 'Sittings of the Assembly", and if such a motion is agreed to the business so specified shall not be interrupted and if under discussion when a motion for adjournment under rule 51 is taken up, shall be resumed and proceeded with thereafter".

[मुख्य मंत्री]

अब गुज़ारिश यह है कि 'this day's sitting' जो है उस को rule apply करता है this day's sitting shall be adjourned at 6-30 p. m. on that very day ये rules उन के अपने बनाये हुए हैं। और जब वे यह कहते हैं कि "To the proceedings of this day's sitting" या उस sitting को जो कि Monday, Tuesday या Wednesday 2 p.m. से शुरु होती है उस को यह rule apply करेगा या Tuesday की sitting shall not be interrupted at 6—30 p. m.... This day's sitting shall not be interrupted आज की जो sitting है उस के मुतअल्लिक यह rule apply नहीं होगा। आप 6-30 p. m. पर sitting को interrupt नहीं कर सकते। और अगर यह चीज़ नहीं चलती तो मैं उन से पूछना चाहता हूं कि यह किस rule में लिखा है कि आज की sitting 12 बजे interrupt हो जाएगी। Today's sitting's proceedings are exempted from the operations of the rules, इस लिये इस को continuously चलना है जब तक कि agenda खत्म नहीं हो जाता चाहे कल तक या परसों तक चलती रहे। यह हाऊस तब तक बैठा रहेगा जब तक कि 12 तारीख की लिस्ट में जो business दर्ज है वह खत्म न हो जाये, चाहे उस को खत्म होने के लिये चार दिन लग जायें।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of Order, Sir, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ—

"List of business for the meeting of the Assembly to be held on 12th November, 1954—

ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 12 ਤਾਰੀਖ ਦੀ meeting ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ। ਅਗੇ ਫੇਰ 12 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

"A Minister to move that the Assembly, at its rising this day, shall stand adjourned *sine die.*"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 12 ਤਾਰੀਖ 12 ਬਜੇ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : On a point of Order, Sir, ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ proceedings ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ illegal ਹਨ।

श्री रिज़क राम (राये) : स्पीकर साहिब, यह point of Order कुछ अहमियत रखता है। जहां तक rules की interpretation का ताल्लुक है यह दुरुस्त है। यह लिखा है कि अगर इस किस्म की motion आ जाये तो उस दिन वह काम जो सुबह शुरु किया गया है इस motion के ज़रिये uninterrupted जारी रहेगा। उस के बीच में कोई दूसरा काम नहीं लिया जा सकता। खाह वह कोई adjournment motion हो और खाह और भी कोई ज़रूरी बात, वह इस दौरान में नहीं लाई जा सकती क्योंकि उस

rule की wording में साफ तौर पर लिखा है कि वह sitting adjournment motions से uninterrupted चलती रहेगी। उस में साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई adjournment motion भी हो वह काम के खत्म होने के बाद ही ली जा सकती हैं, पहले नहीं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि business of the House 12 तारीख को uninterrupted चलता रहे; इस में किसी किस्म की interruptions की गुंजाइश नहीं–उस के दौरान में कोई adjournment motion नहीं लाई जा सकती, इस में कोई दो राए नहीं हो सकतीं।

लेकिन जहां तक उस रेज़ोल्यूशन का ताल्लुक है जो पास किया गया है, मैं समझता हूं कि उस में भी contradiction है। Resolution जो पास किया गया वह यह था कि जो 12 तारीख की business थी उस को provision of the rule, "sitting of the Assembly" से exempt किया जाये। वह आप लाए और पास किया गया। Business uninterrupted चलता रहा और कोई रुकावट न हुई। इसमें यह कोई जिक्र नहीं कि 12 तारीख के बाद 13 तारीख तक भी उसे जारी रखा जायेगा। जो motion चीफ मिनिस्टर साहिब लाए वह यह थी––"The Assembly at its rising "this day" shall stand adjourned *sine die*" तो इसमें साफ तौर पर लफ़ज "This day' आया है। इस लिये जहां तक term 'this day' का ताल्लुक है यह वाकई सोचने की बात है कि आया इस के पेशे नज़र आप असैम्बली की sitting को अगले दिन तक ले जा सकते हैं या नहीं। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर ग़ौर फरमाने की ज़रूरत है। तो, मैं समझता हूं कि जहां तक चीफ मिनिस्टर साहिब की motion का ताल्लुक है वह एक तरफ़ तो बेशक यह मांग करता है कि proceedings को uninterrupted जारी रखा जाए लेकिन साथ ही इस sitting को आज के हाऊस की बर्खास्तगी के बाद अगले दिन तक ले जाया जा सकता है, इस के ज़रिये ही बन्द किया गया है। यानी जब इस में specifically यह लिखा गया है "at its rising this day" तो इसे "this day" ही खत्म किया जायेगा next day नहीं। हां, अगर इस resolution में यह लिखा होता कि आज का काम– सारा काम––खत्म होने के बाद ही Assembly rise करेगी और *sine die* adjourn होगी फिर तो कोई और बात थी। लेकिन अब जो सवाल पैदा हो गया है वह वाकई बड़ा complicated है और काबले गौर है। इस में शक की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन यह ज़ाहिर है कि term "this day" की मौजूदगी में इसे अगले दिन तक नहीं ले जाया जा सकता। अगर ऐसा करना ही था तो इस के लिये एक खास motion लाई जाती। इस लिये legal complications में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाऊस को कानूनन adjourn हो ही जाना चाहिये।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚ interpretation ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਕ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ?

श्रीमती शन्नो देवी : स्पीकर साहिब, अगर इतनी ही बात का फैसला हो जाय कि 12

[श्रीमती शन्नो देवी]

तारीख की रात के 12 बजे के बाद शुक्रवार ही रहता है या शनिवार शुरु हो जाता है तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा।

Sardar Ajmer Singh : Any lawyer from the other side please.

श्री धर्म वीर वासिष्ठ: On a point of Order, Sir. क्या मैं यह दरियाफ्त कर सकता हूं कि ग्राज की proceedings को continue रख कर उस rule को क्यों violate किया जा रहा है जिस में साफ तौर पर लिखा है कि शनिवार के दिन खास इस वक्त ग्रसैम्बली meet करेगी ?

श्री कन्हैया लाल बुटेल : मैं यह ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि पत्रियों ग्रौर जंत्रियों के मुताबिक जो दिन शुरु होता है वह सूर्य के उदय होने से होता है न कि रात के बारह बजे से (हंसी)।

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : जनाबे वाला, मैं ग्राप की तवज्जुह उस मोहतरिम दोस्त के बयान की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस में उन्होंने फरमाया कि ग्राज की proceedings unconstitutional होंगी ग्रौर यह कि गवर्नमैण्ट का बहुत सा रुपया ग्रौर वक्त ज़ाया किया जा रहा है। उन्होंने यह सवाल उठाया है कि वह इस को challenge करेंगे.....

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ challenge ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी: इस बात के पेशे नज़र मैं ग्राप की तवज्जुह सन् 1951 में शिमला में हुई उस sitting की तरफ दिलाना चाहता हूं जब कि हमारी ग्रानरेबल लेडी मैम्बर श्रीमती शन्नो देवी बतौर डिप्टी स्पीकर इस कुर्सी पर बैठी थीं। वह sitting रात के 2-30 बजे तक चलती रही ग्रौर उस वक्त भी यही motion लाई गई थी कि "The Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die*."

श्रीमती शन्नो देवी : यह ग्राप ही की मेहरबानी से हुग्रा था।

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : लेकिन सवाल ग्रब यह है कि क्या ग्राप इस बात से इनकार करती हैं कि रात को 12 बजे के बाद तक हाऊस रहा ग्रौर यह कि 'day' का मतलब उस खास दिन से नहीं बल्कि उस दिन होने वाली sitting से था ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਸਨ 1951 ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਸ irregularity ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं इस सवाल पर एक बात साफ कर देना चाहता हूं। जो motion लाई गई वह यह है कि "the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die*" मैं समझता हूं कि इस motion का यह मतलब है कि जब वह sitting commence हुई हो तो वह non-stop रहेगी ग्रौर business खत्म हो जाने पर *sine die* adjourn हो जायेगी फिर उस के साथ rule में यह भी provision है कि "if such a motion is agreed to, the business so specified shall not be interrupted." इसके ग्रलावा इसी हाऊस का एक पिछला precedent भी है। वह 2 ग्रप्रैल सन 1951 था। उस दिन हमारे हाऊस की एक ग्रानरेबल लेडी मैम्बर डिप्टी स्पीकर के तौर पर इस कुर्सी पर विराजमान थीं। वह sitting रात को 3.00 बजे तक

uninterrupted चलती रही । जहां तक motion का ताल्लुक है उस में तो बल्कि "this day की बजाए "today" लिखा था । इस लिये मैं समझता हूं कि.....(interruptions by Shrimati Shanno Devi)

आप अब डिप्टी स्पीकर नहीं । आप कृपया बैठ जाएं ।......

(I want to make one thing clear with regard to this question. The motion which was moved is that "This Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die*". I think that this motion purports to mean that the sitting shall continue uninterrupted and that the House will adjourn *sine die* only when the business on the agenda is completed. Apart from it, the rule provides that if such a motion is agreed to, the business so specified shall not be interrupted. Besides, there is a precedent set up by this very House. On the 2nd April, 1951, an hon. Lady Member of this House in her capacity as Deputy Speaker, was in the Chair and the sitting continued uninterrupted till 3.00 a. m. next day. So far as the motion is concerned, there the word is 'today' instead of 'this day'. I, therefore, feel.. (interruption from Shrimati Shanno Devi). The hon. Lady Member is not in the Chair now as Deputy Speaker. She may resume her seat.......)

श्रीमती शन्नो देवी : On a point of personal explanation, Sir. मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि वह तो party की dignity को maintain रखने के लिये किया गया था । पार्टी की इज्ज़त रखने के लिये किया गया था । इस लिये अगर एक दफ़ा एक पार्टी ने गलती करवाई तो उस पार्टी के लिये मुनासिब नहीं कि उस precedent को quote करके आगे के लिये भी ग़लती पर ग़लती कराए ।

Mr. Speaker : Order please. No reference to any party.

श्रीमती शन्नो देवी: मेरी अर्ज़ तो सिर्फ़ यह है कि अगर एक बार ग़लत precedent बना है तो उसे फिर repeat न किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : precedent और rule के होते हुए मेरे लिये कोई चारा नहीं सिवाए इस के कि House को continue रखूं ।

(In the presence of a precedent and a rule, I am left with no other alternative but to continue the sitting of the House).

Shri Sri Chand : Sir, with due respect, I want to inform the House that we, the Members of the Opposition, do not want to take part in the proceedings now because we think that the sitting of the Assembly beyond midnight will be illegal and unconstitutional. If the Assembly sits after midnight it will violate the rule "Sittings of the Assembly" and its decision of yesterday.

Mr. Speaker: I would like to invite the attention of the House to May's Parliamentary Practice page 312. The proceedings on any specified business are exempted either indefinitely or for a specified period after the hour of interruption. It will be seen that in our case they were not exempted for any specified period. The business, therefore, cannot be interrupted and we have to go on till we dispose it of.

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE PUNJAB LAND REVENUE (SURCHARGE) BILL 1954.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ point of Order ਤੋਂ ਪਹਿਲੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ taxation ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਤਿਆ ਮਿਤਿਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ revenue system ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੇ taxation ਦੇ ਢੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ revenue ਘਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧ revenue ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ । ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਵੀ ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ settlement ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੰਮ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ Ordinance ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲੀਏ ਉਤੇ surcharge ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ department ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਝੇੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ transport ਦੀ nationalization ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ surcharge ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ tax ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਟੁਟ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇ । ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਲੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਨ ਓਹ ਠੀਕ ਹਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ

ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਭਾਰ ਲਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਝਟ tax ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ industry ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਝਟ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝਟ tax ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ policy ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ tax ਤੇ surcharge ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ tax ਲਗਾਉਣ ਦੇ basic principles ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । Tax ਹਮੇਸ਼ਾਂ graded system ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ tax ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ tax ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ tax ਬਹੁਤ ਨਾ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ election ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿੱਤਾਂ elections ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗ ਡੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ । surcharge ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ industry ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਅਤੇ industry ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ industry ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ trade ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।

ਇਨ੍ਹਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕਪਾਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ । ਉਹ ਇਥੋਂ ਸਸਤੇ ਜੌਂ ਲੈ ਕੇ Quaker Oats ਦੇ ਡਬੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਬੜੀ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਉਤੇ surcharge ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ motor transport ਦੀ nationalization ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ nationalization ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਗ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਕਾ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਨਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹਨ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਹਨ । ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 5 ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਚਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਰਾਰ ਨਾ ਕਰੋ । ਉਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਓ । ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਕਰ ਲਓ । ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ 300 ਨਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲਗਾ ਹੈ ? ਸਾਨੂੰ ਦਸੋ ਜੋ ਆਖੋਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਇਸਰਾਰ ਨਾ ਕਰੋ । ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਭੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ । ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੀ ਰਖੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ । ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਇਸਰਾਰ ਨਾ ਕਰੋ । Revenue ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ tax ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ History ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ 30 ਲਖ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭੀ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਝਿਆਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ

ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ House ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੇਸ਼ਨ ਵਿਚ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ speech ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ settlement ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ 30 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ settlement ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ । ਅਜ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ settlement ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । Settlement ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਲਖ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ । ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਕੀ ਇਹ 30 ਲਖ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖਣਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ 30 ਲਖ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ । ਮਹਿਕਮੇਂ ਨਾਲ ਖਤੋ ਕਤਾਬਤ ਹੋਈ । ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ settlement ਸਬੰਧੀ 30 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਫੇਰ ਸੋਚਿਆ 30 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ income ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ surcharge ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ । 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ agenda ਤੇ ਇਹੀ ਬਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਦਿਨ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਕੇ, cost ਅਤੇ expenditure ਬਾਰੇ ਸੁਣਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ last day ਤੇ move ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ Ordinance ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ move ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ Assembly session ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ Ordinance ਕਿਸੇ emergency ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ revenue ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ Ordinance ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਕ unusual ਤੇ exceptional ਗੱਲ ਹੈ । ਹਾਂ ਅਗਰ Legislature ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਲ ਜੁਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ, ਮਾਮਲਾ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ fact ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਸੂਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲ House ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਮਖੌਲ ਹੈ ਇਸ House ਨਾਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੀ ਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ Grow-More-Food Campaign ਵਿਚ ਭੁਖੇ ਮਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੇਜਨ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਅਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਨਾਜ supply ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਜ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੱਲੇ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਦਿ ਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ facts and figures ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ । 1852 ਵਿਚ settlement ਕੀਤੀ, ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1882 ਅਤੇ 1910 ਵਿਚ ਵੀ settlement ਹੋਈ । ਕੀ ਹੁਣ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ settlement ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੀ ਜੋ Treasury Benches ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਵਲ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿਤਨੇ ਚੰਗੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਭੀ ਨੰਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਠੇ ਕੱਚੇ ਹਨ । ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ bank balance ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਅਜ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਭੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਕਚੀਆਂ ਹਨ, ਮੱਛਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ financial ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ । ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਾਤੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । Professional Tax 350 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਦਮੀ 4,200 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭੀ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 8,400 ਰੁਪਏ ਤਕ ਭੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਕੋ ਸਕਦਾ । ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ charge ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾਵੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਝਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਦਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਵਿਚ 20 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸੇਂਜੂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 25 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਹਦ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ।

(ਇਕ ਮੈਂਬਰ : ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਤੇ ਪਏ ਹਨ।)

ਇਹ ਅਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੋਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ limit ਦਸ ਏਕੜ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋ ਜਾਂ ਢਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ minimum limit ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਢਾਈ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਲਖ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀਹ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਣ, ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰਚਾਂ ਦੀ payment ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹੇ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਲਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ Sales Tax ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Marketing Committees ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡਜ਼ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ move ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਸ ਪਏ ਫੰਡਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ Treasury Benches ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੱਲੀ ਵੇਖਣ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੇਲ ਕਾਰ ਤੇ—ਰੇਲ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਾਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ?

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਜੇਕਰ ਅਜ ਇਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਲਾਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਨ । ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਵਧਾਏ, ਪਲਾਟ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਪੁਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ? ਅਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪੁਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੁਤ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਨਾ ਵਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ ਜਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ ਜਾਏਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥੰਨੇ । ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗੇ । ਤੁਸੀਂ services ਵਿਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ । Engineering College ਵਿਚ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ । I. C. S., P. C. S. ਅਤੇ I. A. S. ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੂੰਬਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ । ਇਹ ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ refugees ਦੀ ਕੀਤੀ । ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਚੋੜ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । Treasury Benches ਪਾਸ ਜੁਰੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ mandate ਲੈਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ return ਹੋਏ ਹੋ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ mandate ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ?

ਮੈਂ ਚੋਥੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਾਰ

ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ । ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ । ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ । ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ? ਪਾਣੀ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਬਿਆਨਾ ਵਧਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਗਲਾਂ ਆਖੀਆਂ । ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ । ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਪੱਈਆਂ । ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ breach of contract ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਸਨ 1910 ਦੀ settlement ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ contract ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ assess ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ । ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ average ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ । ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਤਦ ਵੀ ਓਹੀਓ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ । ਯਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਪਰ ਉਸ settlement ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਇਹ contract ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੀਕਰ ਏਹੋ assessment ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ revenue ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ breach of contract ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?

ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਲੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 40 ਲੱਖ ਦੀ figure ਕਿਸ ਕਿਆਸ ਤੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਮਦ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ basis ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ revenue ਵਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ assessment ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਓਥੇ ਜੋ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਤੁਸਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਤਨੀ ਮੁੱਦਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ surcharge ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਥੇ ਜੋ ਰੁਪਿਆ waste ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਣ, ਹਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 12½ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ Ordinance ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ property ਨੂੰ basis ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ High Court ਵਿਚ challenge ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ property ਦੇ basis ਤੇ Centre ਹੀ tax ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ Land Revenue Act ਨੂੰ ਦੇਖੋ। Section 48-A ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ :

> "48-A. The assessment of land revenue shall be based on an estimate of the average money value of the net assets of the estate or group of estates in which the land concerned is situated ...."

ਜਦੋਂ shall not exceed ਦੀ provision ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ settlement ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ settlement ਤੱਕ revenue ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ breach of contract ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ value ਵਧਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ revenue ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹਕ ਹੈ।

> "48—B. If the land revenue is assessed as a fixed annual charge the amount thereon and if it is assessed in the form of prescribed rate, the average amount which according to an estimate in writing approved by the Provincial Government will be leviable annually, shall not in the case of any assessment circle exceed one fourth of the estimated money value of the net assets of such assessment circle. . . . "
>
> "Provided that nothing contained in this section shall affect any assessment in force at the time of the commencement of the Punjab Land Revenue (Amendment) Act, 1928.
>
> 49. (1) Assessments of land revenue may be general or special.
>
> (2) A general re-assessment of the land revenue of any area shall not be undertaken without the previous sanction of the Provincial Government and notification of that sanction.
>
> (3) In granting such sanction, the Provincial Government may give such instructions consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder as it may deem fit."

ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ provision ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ land ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ

ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਜ਼ਰਾ spoon feeding ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ National Development Board ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ organisation ਤੋੜ ਦਿਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ cannon fodder ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ fodder ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 85% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ 15% ਵਿਚੋਂ ਵੀ $7\frac{1}{2}$% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ labour ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ $7\frac{1}{2}$% ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ $7\frac{1}{2}$% ਦੀ ਖਾਤਰ 85% ਬਲਕਿ $92\frac{1}{2}$% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ surplus money ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਤੇ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਵਲੰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕ ਸਪੀਚ ਲਿਅਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮਯਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮਯਾਰੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ business ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਸੂਦ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ Centre ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਰਚ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੂਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ tax ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਖ ਥੋੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ tax ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਢਣਾ ਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਇਨੇ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕਪੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 30 ਜਾਂ 40 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ Estimates Committee ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तर पश्चिमी) : स्पीकर साहिब, चौधरी लैहरी सिंह जी ने जो बिल पेश किया है मैं उसकी हिमायत के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं ने बड़े ग़ौर से चौधरी श्री चन्द साहिब, सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत और सरदार अजमेर सिंह जी के ख्यालात को सुना है। उन्होंने अपनी दलीलें देने से पेशतर कुछ taxation का सवाल उठाया, कुछ पंजाब के देहात का नकशा खींचा और कुछ देहातियों की माली मुश्किलात बयान कीं। मैं मुनासिब समझता हूं कि पंजाब के किसानों और जमींदारों के बारे, जिन पर यह surcharge लगने वाला है, कुछ आदादोशुमार House के सामने रखूं। सुरजीत साहिब ने कहा है कि taxation के बारे पंजाब सरकार की कोई policy नहीं क्योंकि उनके विचारानुसार इन्हें इस बात का पता नहीं कि कहां tax लगना चाहिये और कहां न लगना चाहिये। स्पीकर साहिब, मैं चाहता हूं कि पेशतर इस के कि मैं इस बात की तरफ आऊं मैं land-owners की जो land revenue देते हैं तादाद House के सामने रखना चाहता हूं। सरदार हरकिशन सिंह जी सुरजीत ने बताया है कि land owners की कुल तादाद पंजाब के अंदर 25,73,300 है। लेकिन जो land owners land revenue payers हैं उनकी तादाद 20,46,887 है। इन में अमृतसर और गुड़गांव के land owners जहां बंदोबस्त हो चुका है, शामिल नहीं। अब मैं साबित करूंगा कि पंजाब सरकार की taxation policy और नीति जो देहात के बारे है हिंदुस्तान की Constitution क मुताबिक है।

स्पीकर साहिब, बिल के मुताबिक 5 एकड़ के मालिक पर कोई surcharge न लगना था। अब चौधरी साहिब ने एलान किया है कि 10 रुपया land revenue देने वाले मालिक पर कोई surcharge न होगा। जैसे मैं ने पहले बताया है land revenue देने वाले land owners की कुल तादाद 20,46,887 है। जो 10 रुपये या इस से कम land revenue देते हैं उन की तादाद 16,72,182 है। जो लोग 10 रुपया से ज्यादा land revenue देते हैं उन की तादाद 3,74,705 है। यह लोग हैं जिन

पर surcharge लगना है और यह हैं वे लोग जो 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के मालिक हैं। इस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 82 फी सदी land owners पर यह surcharge नहीं लगना है। इस की ज़द में सिर्फ बड़े आदमी आयेंगे। यह है पंजाब सरकार की taxation policy जो ऐन हिंदुस्तान की Constitution के मुताबिक है और छोटे से छोटे किसान, middle man और poor man से poor man को ऊंचा उठाती है। फिर भी कहा जा रहा है कि ग़रीब किसान को दबाया जा रहा है। मालूम नहीं कि Opposition और Communist दोस्तों की dictionery में जो हमेशा किसान की हमदर्दी का दम भरते हैं बड़े आदमियों की definition ही क्या है।

स्पीकर साहिब, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि पंजाब के किसान पर नये नये टैक्स लगा कर गवर्नमैण्ट उसे बरबाद कर रही है। अगर वह Finance Commission की रिपोर्ट को पढ़ कर देखें और इस के मुताल्लिक आदादो शुमार देखें तो उन्हें पता चलेगा कि पंजाब सरकार ने एक किसान से 6 आने एक साल में land revenue के तौर पर वसूल किये और इन छः आनों के बदले किसान के ऊपर सरकार दो या 2-4-0 ख़र्च करती है। मैं दावे से कहता हूं कि अगर सारे हिंदुस्तान की taxation policy की तरफ देखा जाय तो पता चलेगा कि पंजाब सरकार ने अपनी taxation policy में कभी किसी के साथ discrimination नहीं किया। Urbanites को टैक्सों के मामले में छोड़ा नहीं गया और न ही ruralites पर टैक्सों का ज़्यादा बोझ डालने का ख्याल किया है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं कि पहले 1914 की लड़ाई में और फिर 1939-40 की लड़ाई में किसान की पैदावार की कीमतों में अज़ाफा हो जाने की वजह से उन्हें बहुत फायदा हुआ। 1937-38 के ज़माने में जहां तक गंदम का ताल्लुक है यह 2-0-0 या 2-8-0 या 3-0-0 मन बिक करती थी। कौन नहीं जानता कि लड़ाई के बाद और partition के बाद भी गंदम के निर्ख़ों में 8/10 गुणा अज़ाफा हुआ है। (आपोज़ीशन बैंचों की तरफ से आवाजें : ग़लत, बिल्कुल ग़लत) मेरे दोस्तों ने बार बार कहा कि किसान मर गया है, ज़मींदार की हालत बहुत बुरी है और उन्होंने देहात के लोगों के बड़े बड़े नक्शे खींचे। मैं निहायत अदब से उन्हें पूछना चाहता हूं कि अगर किसान की हालत बहुत खराब है तो हमारी deficit State अनाज में कैसे surplus हो गई ? जहां तक sugarcane का सम्बन्ध है हमारा प्रान्त सारे हिंदुस्तान में गन्ने की पैदावार के लिहाज़ से दूसरे दर्जे का प्रान्त कैसे बन गया। जहां तक पंजाब में कपास पैदा करने का ताल्लुक है पंजाब कैसे हिंदुस्तान भर में कपास की पैदावार के लिहाज़ से तीसरे चौथे दर्जे पर हो गया ? मेरे दोस्तों ने कई ज़िलों में stages लगाईं और कहा कि गवर्नमैण्ट ज़मींदारों का खून चूसने वाली है। आखिर में मैंने अपनी constituency के किसानों को बताया कि पंजाब सरकार पांच एकड़ से कम ज़मीन वालों पर किसी किस्म का surcharge नहीं लगा रही तो पंजाब सरकार की land revenue surcharge लगाने की नीति के ख़िलाफ फतवा देने वालों को शिकस्त हुई। मेरे दोस्तों ने चौधरी लहरी सिंह की तकरीरों का हवाला दिया जो उन्होंने 1950 में की थीं। हम मानते हैं कि उन्होंने तकरीरें कीं। मैं उन से कहूंगा कि वह 1950 के हालात का जायेज़ा लें और हमारी पंजाब सरकार की पिछले दो तीन साल की कारगुज़ारी का भी मुलाहिज़ा करें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि

[श्री राम किशन]

1950 और 1954 के हालात में बहुत भारी फर्क आ गया है। मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि भला land revenue खर्च कहां किया जा रहा है ? आखिर Community Projects और National Extension Schemes कहां खोली जा रही हैं ? पंजाब के 3,200 देहातों के अंदर 65,00,000 रुपया खर्च किया जा रहा है। यह एकदम ज़मींदारों को फायदा पहुंचाने वाली बातें नहीं तो और क्या हैं? स्पीकर साहिब, देहात में सड़कें बन जाने से, स्कूल, maternity hospitals और reading rooms खुल जाने से गांव की जिन्दगी में सचमुच इनकिलाब आ गया है। मेरे एक भाई ने बड़े तमतराक से कहा है कि पैप्सू के वज़ीर ने कहा था कि 35 करोड़ रुपया भाखड़ा डैम के कामों पर खर्च किया गया है। अगर आप पिछले चार पांच सालों के अदादो शुमार इकट्ठे करें तो आप को पता लगेगा कि इस में नंगल का power house भी शामिल है और भाखड़ा डैम भी शामिल है।

इस के इलावा मेरे माननीय मित्र सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत ने कहा कि हिसार में कहत पड़ रहा है और पता नहीं कि भाखड़ा डैम का पानी वहां पहुंचेगा या नहीं। भाखड़ा का पानी आया है या नहीं इस का पता इस बात से चल सकता है कि भाखड़ा की नहरें बेशक किसी और ज़िले को सैराब करें या न करें लेकिन हिसार को इस से सब से ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। इस से पहले हिसार ज़िले में monsoons fail हो जाती थीं और लोगों की नज़रें आसमान की तरफ बादल के इन्तज़ार में लगी रहती थीं और आये साल लोग कहतसाली का शिकार बन जाते थे। आज हिसार का इलाका पंजाब का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का Ukraine बनने वाला है। अहमदाबाद, बम्बई की textile mills की कपास की ज़रूरतें हिसार का ज़िला पूरा किया करेगा। मैं आप की विसातत से सरदार हरकिशन सिंह को बताना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था कि सरकार यूंही propaganda कर रही है, भाखड़ा का पानी नहीं आयेगा और नहरें सूख जायेंगी, कि दुनिया ने देखा, पंजाब ने देखा, भारत ने देखा कि ज़िला जालन्धर में Ferry Scheme के मुताबिक जहां 10,000 एकड़ ज़मीन को पानी दिया जाना था वहां 10,000 एकड़ की बजाये 50,000 एकड़ ज़मीन को पानी मिला। 50,000 एकड़ ज़मीन को पानी देना क्या किसानों को फायदा पहुंचाना है या उन्हें बरबाद करना ? मैं कहूंगा कि अगर मेरे दोस्त facts and figures को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि पंजाब का किसान दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मैं Opposition के भाइयों से कहना चाहता हूं कि हाल ही में थोड़े दिन हुए एक रिपोर्ट शाया हुई थी। पंजाब गवर्नमेंट के Mechanical Adviser ने पंजाब के अन्दर 20/21 फार्मों की माली हालत का पता करने के लिये enquiry बैठाई थी। मैं कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को पढ़ें तो पता चलेगा कि जिस किसान की ज़मीन 10 एकड़ है उसे पानी मिलता है। उस पर 40/45 रुपये मालिया लगता है और उस के मुकाबिले में 2,500 रुपये आमदन होती है। मैं उन्हें बता दूं कि किसान की आमदन के मुताबिक उस पर मालिये का बोझ पड़ता है। आखिर सरकार यह मालिया और कहां से ले, या तो सरकार देश के लोगों पर टैक्स लगाये या दूसरी सूरत यह हो सकती है कि भारत सरकार नासिक की Printing Press में करोड़ों की तादाद में नोट छपवाए और market में फैंक दे। मैं कहना चाहता हूं कि नोट छाप कर market में फैंक देने से हिंदुस्तान की वही हालत होगी जो हालत First World War के बाद Germany

की हुई थी । इस से inflation बहुत बढ़ जायेगी और चीज़ों की कीमतों में बहुत इज़ाफा हो जायेगा जिस का नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा । इस के खिलाफ अगर गवर्नमैंण्ट कोई टैक्स लगाती है तो देखना यह होता है कि वह रुपया किस ढंग से खर्च किया जाता है । मैं कह सकता हूं कि पंजाब सरकार ऐसे मामलों में हमेशा हक बजानब रही है । जो रुपया वह पब्लिक से वसूल करती है उसे जायज़ तौर पर इस्तेमाल करती है ।

मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वे इस बात को जांचें और तोलें कि पंजाब में जो इतनी development हो रही है उस के लिये रुपया कहां से और किस शक्ल में आना है । कौन नहीं जानता कि land revenue surcharge की proposal किस ने बनाई थी ? यह proposal उस सरकार ने बनाई थी जिस के अन्दर अकाली पार्टी के मेंबर और लीडर और ज़मींदारा पार्टी के लीडर काफी तादाद में शामिल थे । मेरे माननीय दोस्त चौधरी श्री चन्द और सरदार अजमेर सिंह ज़रा गौर से सुन लें । Finance Commission को पंजाब और पैप्सू की उस वक्त की सरकारों ने 1948 में जो memoranda पेश किये थे उन में यह proposal मौजूद थी । उस गवर्नमैंण्ट में अकाली भाई और ज़मींदारा लीग के मैम्बर भी शामिल थे । उन्होंने उस वक्त इस proposal की पूरी हिमायत की थी । West Punjab और दूसरी States की Governments के हवाले दिये गये थे और कहा गया था कि पंजाब अलहदा नहीं रह सकता । हमारे दोस्तों को इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिये । Transitional period के लिये taxation के बारे में जांच पड़ताल करने के लिये जो कमिशन बना था, उस ने land revenue surcharge के लगाये जाने की सिफारिश की थी । उस कमिशन ने देखा था कि सारे हिंदुस्तान के अन्दर, सब states के अन्दर taxation structure को transitional period के लिये कैसे बदलना है, कैसे गरीबों की आमदनी बढ़ानी है और बड़ों पर surcharge लगाना है, यह policy तो उन्होंने बनाई थी ।

फिर कौन नहीं जानता कि इस पंजाब सरकार ने 24 मेम्बरों की एक कमेटी बिठाई है जिसमें Opposition के मेंबर, अकाली और Communist मेंबर भी शामिल हैं। Council के मेंबर भी उस कमेटी में शामिल हैं । कांग्रेस की policy अब भी वही है जिस का एलान कराची सैशन में किया गया था यानी जब देश की माली हालत ठीक हो जाएगी तो मालिया उन्हीं असूलों पर लगाया जाएगा जिन पर Income-tax लगता है । मुमकिन है कि हम पंजाब के अन्दर वक्त आने पर पांच एकड़ तक ज़मीन का सारा मालिया मुआफ कर दें और बड़े ज़मींदारों पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डालें । कौन कह सकता है कि यह बात मुमकिन नहीं है ? भारत सरकार या इस सरकार की capitalist system को कायम रखने की बिल्कुल कोई नियत नहीं है । कौन नहीं जानता कि भारत सरकार socialist pattern की society कायम करना चाहती है ? फिर कहा जाता है कि factory owners और बड़े बड़े सरमायादारों पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है । मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि Estate Duty किस पर लगाई जा रही है ? कौन नहीं जानता कि बिरलों और टाटाओं के मरने के बाद उन की जायदाद केवल उन के तीन लड़कों में ही तकसीम होने वाली नहीं है, भारत सरकार उन का चौथा लड़का बनने वाली है ? हमारा taxation system rural

[श्री राम किशन]
population को बरबाद करने वाला नहीं बल्कि उन्हें ऊंचा उठाने और बड़ों २ पर बोझ डालने वाला है ।

हमारे दोस्तों ने जब अखबारों में पढ़ा कि यह Ordinance जारी किया गया है तो वे किसानों के अन्दर चीफ़मिनिस्टर साहिब और Development Minister साहिब के खिलाफ नफरत फैलाने लगे और propaganda करने लगे कि वे जहां जायेंगे उन का काली झंडियों के साथ इस्तकबाल किया जायेगा । वे मुझे एक जगह भी बतायें जहां से किसानों को इस मकसद के लिये इकट्ठा कर सके हों, और वहां पर वज़ीर साहिबान का पुरज़ोर--हज़ारों की तादाद में--इस्तकबाल न किया गया हो (तालियां) ।

आज मैं इस बात को दावे से कहता हूं कि 1961 तक वाघा से ले कर गुड़गांव तक इस पंजाब के अन्दर कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां Community Projects या National Extension Service Scheme न पहुंचे । आखिर यह development schemes किस तरह से चलनी हैं । हालात के मुताबिक सब को कुछ न कुछ बोझ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा । और देशों के लोगों को भी जब वे undeveloped थे ऐसे बोझ बर्दाश्त करने पड़े थे ।

फिर यह कहा जाता है कि बड़े २ अफसरों की तनखवाहें घटा दी जायें । मैं पूछता हूं कितनी बड़ी २ तनखाहें यहां पर दी जा रही हैं ? Prices के level को देखते हुए आजकल किसी की तनखाह 500 रुपये से ज़्यादा नहीं बनती । इस वक्त poverty की तकसीम करने का सवाल नहीं है । हम तो पंजाब की wealth को बढ़ा कर इसे तकसीम करना चाहते हैं । इसी असूल के मुताबिक सारी स्कीमें लाई गई हैं । जब भी पंजाब के अन्दर कोई बन्दोबस्त हुआ है ज़मींदार पर कभी बोझ नहीं डाला गया है । Consolidation की स्कीम पंजाब के ज़मींदारों को ऊंचा ले जाने वाली है या नीचे ? इन की ज़हनियत का पता इसी बात से चलता है कि वे कहते हैं कि पंचायती राज इस लिये कायम किया गया है ताकि पंचायतों के ज़रिये टैक्स वसूल किया जाये । सब जानते हैं कि पंचायतों के ज़रिये decentralization की गई है, लोगों को उन के हकूक दिये गये हैं, उन के हाथों में power transfer की गई है, मगर हमारे दोस्त आदत से मजबूर हो कर हर चीज़ पर नुक्ताचीनी करते हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of order, Sir. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏ।

श्री राम किशन : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करने लगा था कि हमने democratic तरीके पर यानी जिस तरीके पर सब चीज़ इस मुल्क में की जाती है, facts and figures सब के सामने रख कर, land revenue पर surcharge लगाने की इजाज़त मांगी है । हमने कोई ऐसी बात नहीं की जैसी हमारे दोस्तों के fatherland में revolution आने के बाद की गई थीं । कौन नहीं जानता कि वहां पर revolution होने के पांच साल बाद हज़ारों की तादाद में औरतों और मर्दों को दो चार घंटे राशन मिलता था और उस में से 60 फीसदी कट कर taxes में चला जाता था । हमें वह pattern पसन्द नहीं, हम न

हर चीज़ का फैसला लोक राज के असूलों के मुताबिक करना है । एक २ पैसा जो वसूल किया जाएगा—किसानों के गाढे पसीने की कमाई में से या गरीब दुकानदारों की कमाई में से—वह लोगों की बेहतरी और बहबूदी के लिये ही खर्च किया जायेगा ।

स्पीकर साहिब ! हमारा उद्देश्य पंजाब के अन्दर एक Welfare State कायम करने का है और उस के लिये अगर हमें थोड़े बहुत taxes लगाने भी पड़ें तो हम घबराने वाले नहीं हैं । (*Interruption*) मैं ने जो वाकियात पिछले 25, 30 वर्ष के बयान किये हैं उन के पेशेनज़र और जिन हालात से हमारे देश को गुज़रना पड़ा है उस transitional period से साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार छोटे २ किसानों को बड़े बड़े किसानों के स्तर पर लाने का यत्न कर रही है । मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हाऊस unanimously इस बिल को जल्दी ही मन्ज़ूर करेगा । इन शब्दों के साथ मैं surcharge वाले बिल की पुरज़ोर ताईद करता हूं ।

श्री बाबू दयाल (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सरकारी बैंचों के मैम्बरों की स्पीचें सुन कर एक बात याद आ गई है । एक शाइर का माकूला है (*Interruption*) । उस का मतलब मैं बयान करता हूं कि जिस के ज़बान है अर्थात् जो बयान करता है उस के आंखें नहीं हैं और जिस के आखें हैं अर्थात् जो देख सकता है वह बयान नहीं कर सकता । अब यह बिल उन लोगों के सम्बन्ध में है जिन की ज़बान वे exploit करने वाले लोग हैं जिन को उन्होंने नुमाइंदे बना कर भेजा है । जो नुमाइंदे हैं उन की लम्बी चौड़ी ज़बानें हैं । उन को मालूम होना चाहिये कि यह बिल उन दरिद्र लोगों की कमर तोड़ने वाला है जो बेचारे अपने कठोर परिश्रम से कमा कर रोटी खाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इतने लोगों में से, जो उन की तरफ से नुमाइंदे होने का दावा करते हैं, कितने आदमी ऐसे हैं, कि अगर उन को अपने रहम पर छोड़ दिया जाये, तो वे उन ग़रीब किसानों की तरह खेती कियारी करके अपनी रोटी कमा सकते हैं ? वे कहते हैं कि इस बिल के पास होने से उन ग़रीब किसानों की हालत बहुत बेहतर हो जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि यह हालत बेहतर बनाने वाला कानून किस कायदे कानून के मातहत लाया गया है ? Land Revenue Act में साफ लिखा है कि जब तक नया बन्दोबस्त न हो जाए तब तक मालगुज़ारी बढ़ाई नहीं जा सकती । ये लोग 40 प्रतिशत और 25 प्रतिशत ज़्यादती कर रहे हैं बग़ैर नए बन्दोबस्त के और दलील यह देते हैं कि उन जिलों का नया बन्दोबस्त नहीं हो सका । अंग्रेज़ों की हकूमत के वक्त यह कानून पंजाब की असैम्बली में पास हुआ था मालगुज़ारी के तरीके से लिया जाता है । उस तरीके से 25 प्रतिशत ज्यादा किया जाए । कुछ मैम्बरों की राय भी थी कि 40 फीसदी कम किया जाए । मेरे ज़िला गुड़गांव में बन्दोबस्त हुआ था जैसे मेरे लायक दोस्त श्री श्री चन्द ने बताया है कि वहां की मालगुजारी 40 फीसदी कम हो गई है । यह दलील देना कि बन्दोबस्त नहीं हो सका इस लिये हम मालगुज़ारी बढ़ा रहे हैं ठीक नहीं मालूम होता । मैं पूछना चाहता हूं कि बन्दोबस्त क्यों नहीं करवाया गया ? उन को बन्दोबस्त करवाना चाहिये था । अगर यही दलील है तो जहां और जिलों में मालगुज़ारी कम हुई है वहां दूसरों में भी कम की जाये । Surcharge लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । कहते हैं कि टैक्स लगाना ज़रूरी है इस लिये लगाया जा रहा है ।

[श्री बाबू दयाल]

मैं कहता हूं कि यह surcharge लगाना किसानों पर बड़ा जुल्म करना है, और अत्याचार करना है। और इस की मिसाल पेश कर के उन्होंने दुनिया की history को मात कर दिया है। अगर उन्होंने यह surcharge लगाना ही था तो उस वक्त लगाते जब कि किसानों की जिनसों के भाव 30,35 और 40 रुपये मन थे। उस वक्त उन्हें यह कमर तोड़ बोझ शायद मालूम न होता, अब तो उन की production की कीमतें घट रही हैं। (*Interruption*) मेरी अर्ज़ है कि जब टैक्स लगाने का समय था उस वक्त तो ये लोग सोये रहे और अब इन को टैक्स लगाना सूझा है जब कि भाव 50 प्रतिशत गिर चुके हैं। स्पीकर साहिब! हैरानी इस बात की है कि कहते यह हैं कि हम ने किसानों की हालत को सुधारना है। उन को गरीब किसानों की हालत का क्या पता है? एक एक घर के अन्दर 9,9 परिवार रहते हैं; एक एक परिवार के पास एक एक लिहाफ है और फिर उस में कई कई चीथड़े लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों को यह मालूम नहीं है कि उन बेचारों को किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उन की तकालीफ को यहां पर कौन बयान करे। उन का हमदर्द कौन यहां बैठा है? अगर मेरे जैसा कोई आदमी उन की हमदर्दी की बात करता है तो उसे पागल बनाने की कोशिश की जाती है। (*Laughter*) (*Interruption*) स्पीकर साहिब, मैं मानता हूं कि मेरे दोस्तों ने एक काम किया है Bhakra Dam तैयार करवाया है। लेकिन अगर इतना ही रुपया किसी तरीके से खर्च किया जाता तो बहुत ज्यादा काम हो सकता था। कहते हैं कि इस डैम के बनाते समय 35 करोड़ रुपये का गबन हो गया है लेकिन मेरे दोस्त उस इत्तलाह को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों में मिरचें डालने की कोशिश कर रहे हैं।

स्पीकर साहिब, आजकल Community Projects का बड़ा ढोंग रचा जा रहा है। इस के बारे में भी सुन लीजिये। मेरे ज़िला में 7 लाख रुपया Community Projects पर 5 वर्ष में खर्च करने के लिये रखा गया है। मेरा विचार है कि उस रकम में से 2,3 लाख रुपया तो मुलाज़मों की तनखाह पर ही खर्च हो जाएगा। चार लाख रुपया कर्ज़ लिया हुआ है जिस पर 6 प्रतिशत सूद होगा। यह है इन के पास किसानों की हालत सुधारने का नुसखा। फिर वज़ीर साहिबान टोकरी लेकर पहुंच जाते हैं सड़कें बनाने के लिये। दो तीन टोकरियां मिट्टी की खुद डालते हैं और बाकी मिट्टी बेचारे किसान डालते हैं। मिट्टी उन के घर की होती है। इस का नतीजा यह होता है कि हालत सुधरने की बजाए बिगड़ती है। जब बारिश का मौसम आता है तो मिट्टी बह कर नीचे चली जाती है। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। यह काम हैं इन लोगों के जो कि यह देहातों में जाकर करते हैं (*Interruption*)।

Mr. Speaker: I would ask the hon. Member to please confine himself to the motion under discussion.

श्री बाबू दयाल: मैं तो surcharge को ही बयान कर रहा हूं, जनाब। एक दोस्त ने कितनी बातें कहीं। आखिर उन का जवाब भी तो देना हुआ कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं जिन के यह राग अलापते हैं। तो, स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह surcharge इन्होंने ऐसे आदमियों पर लगाया है जिन के पास न खाने के लिये रोटी है, न पहनने के लिये कपड़ा, जिन के पास न रहने के लिये घर है और न बच्चों की पढ़ाई का प्रबन्ध करने के लिये चार पैसे।

मैं पूछता हूं इन से कि उन गरीब लोगों को, जिन से वोट मांग कर आप यहां बैठे हैं, क्या दिया है ? मैं पूछता हूं इन से कि हमें बताएं कि उन किसानों के, जिन से आप मालिया लेते हैं और आबयाना लेते हैं, दूसरे taxes लेते हैं और फिर surcharge, उन के कितने बच्चों को आप अपने चलाए हुए मदरिसों में तालीम दे रहे हैं ? बताइये तो ज़रा उन के figures ? पिछले दिनों किसानों की एक कान्फ्रैंन्स हुई जिस में उन्होंने मुतालबा किया कि चूंकि फसलें खराब हो जाने के कारण हमारे पास पैसा नहीं, इस लिये हमारे लड़कों की फीस मुआफ कर दी जाए । उन्होंने पुकार पुकार कर दुहाई दी कि चूंकि टिड्डीदल फसलों को खा गया है, चूंकि अगली फसल होने की भी कोई उम्मीद नहीं और चूंकि कहत से हम बेहाल हैं, इस लिये यह आबयाना और फीस मुआफ कर दी जाए । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस गवर्नमैण्ट से कि क्या किया उस इलाके में जाकर आपने ? रब्बी की फसल तो पहले ही छीन ली और अब खरीफ़ भी छीन लेना चाहते हो--और यह भी उस वक्त जब अभी वह उग ही नहीं पाई । यानी उन पर surcharge लगाया जा रहा है । यह surcharge उन लोगों पर लगाया जा रहा है जिन की पहले ही नागुफ़तावेह हालत है ।

अब, स्पीकर साहिब, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस surcharge का क्या मतलब होगा ? इस का मतलब यह होगा कि उन गरीब लोगों को एड़ी से ले कर सर तक charge कर लिया जायेगा । यानी जो कुछ वे लोग अपना खून पसीना कर के बीजेंगे और काटेंगे, वह सारे का सारा गवर्नमैण्ट ले लेगी और वे बेचारे मुंह ताकते रह जायेंगे । इस लिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्यों फिर इस बिल का गलत नाम रख कर लोगों को भुलावे में डाला जा रहा है ? जब आप इन लोगों के सिर के बाल तक भी उखाड़ लेना चाहते हो तो क्यों नहीं इस बिल का नाम "sircharge (सिरचार्ज)" रखा जाता ? जब इन लोगों के जिस्म को खरीद कर लिया, बिना कुछ दिए--तो अब इन का सिर ही तो तोड़ना बाकी रह गया था । सो वह रहीसही कसर अब पूरी की जा रही है । इस लिए इस बिल का नाम ही बदल देना चाहिए क्योंकि जब मैं बिल की spirit को सामने रखता हूं तो मुझे यह नाम समझ में नहीं आता ।.....

श्री मूल चंद जैन : आ भी नहीं सकता । कसूर समझ का है, आप का नहीं ।

श्री बाबू दयाल : आप की समझ में भी आ जायेगा । फिर, स्पीकर साहिब, मेरे एक काबिल दोस्त ने फरमाया--कहने लगे कि जिस के ऊपर 10 रुपए तक मालगुज़ारी है, उस पर यह टैक्स नहीं लगेगा । क्या आप ने कभी अन्दाजा लगाया कि जो 10 रुपए या इस से ज्यादा भी मालगुज़ारी देता है उस की आमदन कितनी है ? क्या आप ने कभी देखा कि वह किस हालत में अपने दिन काट रहा है ? एक काबिल दोस्त ने फरमाया कि जिस आदमी के पास 10 एकड़ ज़मीन है वह साल में 2,500 रुपए कमाता है । मैं उन से पूछता हूं कि क्या आप ने कभी उन की मज़दूरी का भी हिसाब लगाया जो वह सारे का सारा कुन्बा किसी और जगह काम कर के हासिल करता है उस खेत पर सारे का सारा परिवार दिन रात मेहनत कर के काम करता है तब भी जाकर 2,500 रुपए की आमदन नहीं होती । इन्होंने तो बड़े आराम से कह दिया कि यह इतनी आमदन करता है । जब उन बेचारों की यह हालत है तो उन पर टैक्स पर टैक्स लगाने वाली यह गवर्नमैण्ट "कफन खोस" नहीं तो और क्या कहला सकती है ? एक तरफ तो उन का खून चूसा

[श्री बाबू दयाल]

जा रहा है और दूसरी तरफ यहां असैम्बली में बैठ कर कहते हैं कि हम उन का उद्धार करना चाहते हैं, उन को ऊपर उठाना चाहते हैं !

अध्यक्ष महोदय : आप ने क्या कहा ? 'कफन खोर' ?
(What did you say? '*Kaphan Khore*' ?)

श्री बाबू दयाल : नहीं, जनाब मैंने कहा है "कफन खोस" यानी कफन को भी छीन लेने वाली। इतनी करतूतों के बावजूद भी यह डींगें मारते हैं कि हम तो दलितों का, गरीबों का, किसानों का और पसमान्दा लोगों का उद्धार करेंगे। उन की हालत को बेहतर बनायेंगे और उन को कुबेर के मुकाबिला पर ला कर बिठायेंगे। इन हालात में, जनाबे-वाला, यह तसलीम करना ही पड़ेगा कि ज़बान तो इन की मुंह के मुकाबिला में बड़ी लम्बी है। अगर आप चाहें तो दो चार आदमियों को उन के पास भेजें। फिर देखें कि उन का क्या हुलिया बनता है।

जनाबे वाला, मैं इन से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि ज़रा एक बार जाकर देखें तो सही कि बाहर देहातियों की क्या हालत है। और ज़िलों की बाबत तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे अपने ज़िला की यह हालत है कि बेचारे किसान भूखों मर रहे हैं। एक आदमी ने non-official तौर पर enquiries की हैं। पता यह लगा है कि बीस रुपया माहवार तक भी एक आदमी को labour नसीब नहीं होती। जब ऐसी हालत हो तो क्या उन पर surcharge लगाना सरासर अन्याय और अत्याचार नहीं ? जनाबे वाला ! यह ज़ुल्म नहीं तो फिर और क्या है ? इस लिये मैं कहता हूं कि यह सरचार्ज नहीं बल्कि "सिरचार्ज" है और अगर इस गवर्नमैण्ट ने इस...

अध्यक्ष महोदय : आप "सिर चार्ज" वाले argument को तीसरी बार repeat कर रहे हैं। कृपा कर के motion तक ही महदूद रहें। मैं repetition की इजाज़त नहीं दूंगा। (You have thrice repeated your argument about 'sircharge', please confine yourself to the motion. I would not allow any repetition.)

श्री बाबू दयाल : बहुत अच्छा जनाब। आप का हुक्म सिर आंखों पर। मैं repetition नहीं करूंगा।

अगली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि आज जिस पार्टी की गवर्नमैण्ट की तरफ से यह surcharge लगाया जा रहा है वही पार्टी इस असैम्बली में बैठ कर पता नहीं क्या क्या वायदे किया करती थी। क्या भूल गये वे सारे वायदे ? आप लोग इस असैम्बली में बैठ कर यह दावा किया करते थे कि यह अंग्रेज़ों और ज़मींदारों की गवर्नमैण्ट बहुत निकम्मी है–बहुत ज़ुल्म करती है कूवां बनाना हो तो भी तकावी कर्जे देती है, आबयाना लेती है, यह टैक्स लगाती है और वह टैक्स लगाती है। मैं कहता हूं कहां गये वह वायदे जिनमें आप कहा करते थे कि जब हमारा राज आयेगा तब यह सभी टैक्स माफ़ कर दिये जायेंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली नज़र आयेगी ? और तो और टैक्सों पर टैक्स लगाने के बाद अब यह नया नाम देकर "सिर चार्ज" लगाया जा रहा है। तो फिर आप ही बतलाइए, जनाब ! यह गवर्नमैण्ट "कफनखोर" नहीं तो और क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : बार बार repeat करना ठीक नहीं होगा ।

(It is not proper to make repetition over and over again).

श्री बाबू दयाल : अब repeat नहीं करूंगा--कतई repeat नहीं करूंगा। अब इस गवर्नमैण्ट के लिये कोई और नाम चुनना पड़ेगा। (*Laughter*) ।

देहातों में जब दौरे पर जाते हैं तो मिनिस्टर साहिबान न जाने क्या क्या वायदे कर के उन लोगों को खुश कर आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें पानी देंगे, नहर देंगे। इसी तरह हमारे वज़ीर साहिब ज़िला गुड़गांव के दौरे पर गये। 23 मई के दिन एक बड़ा लम्बा चौड़ा दरबार लगाया जहां बड़े बड़े इन्जीनियर बैठे थे। कहने लगे तुम्हारे लिये इतने tube-wells रखे हैं, बताओ कहां लगाना चाहते हो। इस पर वहां पर इकट्ठे हुए M.L.As आपस में लड़ मरे। एक कहने लगा "मेरी constituency में खोदो"। दूसरा कहने लगा "मेरी constituency में खोदो"। मैं ने कहा इन की constituency में ही खोदो। (हंसी) ।

जनाब आली ! मैं इस सम्बन्ध में गवर्नमैण्ट के कान खोल देना चाहता हूं कि कई सालों के बाद अभी पिछले महीने जो एक कांफ्रेंस हुई उस में कई expert Engineers मौजूद थे।

Mr. Speaker : How is it relevant to the motion ?

श्री बाबू दयाल : मैं यह बताना चाहता हूं कि किन लोगों पर यह surcharge लगेगा और उस का उन पर क्या असर होगा। मेरे दोस्त इसे बहुत जाइज़ करार देते हैं और बोलते हैं जैसे कोई फ़ोनोग्राम बोल रहा हो (हंसी) ......

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। कृपा कर के यह लफ़ज़ वापस लें और आइन्दा कोई भी ऐसा लफ़ज कहने से परहेज करें।

(Order, order. Please withdraw this word and refrain from using such words in future).

श्री बाबू दयाल : जनाब मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जनाब फरमाते हैं तो मैं इस "फोनोग्राम" के लफ़ज़ को वापस लेता हूं।

ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ : ਅਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

श्री बाबू दयाल : मैं अर्ज़ कर रहा था कि surcharge को यह खूब justify करते हैं। इधर उधर की बातें करते हैं। मैं आप की मारफत यह बताना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट किन हालात में बनी।

अध्यक्ष महोदय : आप ने बहुत कुछ कह दिया है। कृपा कर के अब आप बैठ जाइए।

(The hon. Member has spoken a good deal. He should now resume his seat.)

श्री बाबू दयाल : जनाब, आप हुकम करेंगे तो बैठ जाऊंगा; लेकिन बातें बहुत रह जायेंगी।

अब, स्पीकर साहिब, मैं उन हलकों की तालीम के बारे में कुछ कहूंगा जहां Community Project Schemes चालू हैं। वहां जो खर्च तालीम पर हो रहा है......

अध्यक्ष महोदय : Order, order. इस का surcharge के साथ क्या ताल्लुक है ?

(Order, order. What connection has it got with the surcharge ?)

श्री बाबू दयाल : जनाब स्पीकर साहिब, इस surcharge का ताल्लुक तालीम के साथ इस तरह है कि यह जो रुपया वसूल किया जायेगा वही तो तालीम पर खर्च किया जाना है। मैं दो सालों से देख रहा हूं कि वहां अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है और अंग्रेज़ी स्कूलों वाली फीस ली जा रही है। फिर, स्पीकर साहिब, इस surcharge का रुपया हस्पतालों पर भी तो खर्च होता है। हमारी तरफ अस्पतालों की कितनी बुरी दशा है। मेरे हल्के के गंधर्व पुरवास और धारवेहड़े गांवों में जो हस्पताल हैं वे बगैर डाक्टरों के चल रहे हैं।

Minister for Irrigation : Sir, there should be some time limit.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandar) : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह) : साहिबे सदर ! आज पंजाब के ज़मींदार या किसान slogans से बहकने वाले नहीं। उन के सामने तो दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर तो उन की ऐसी थी कि न उन के लिये मदरसे थे, न नहरें थीं, न अस्पताल थे और न बिजली का नामो निशान था। वह अंग्रेज़ गवर्नमैण्ट के सामने सलामें करते थे और recruits देते थे और उस वक्त की जो ज़मींदारा गवर्नमैण्ट थी वह लोगों को गुमराह करती थी और गुमराह कर के उन से अंग्रेज़ों के लिये recruits ले कर देती थी। मैं उस ज़मींदारा गवर्नमैण्ट के ज़माने की बात बता रहा हूं जब कि गरीब ज़मींदारों के पास पानी न था.........

श्री श्री चन्द : On a point of Order, Sir. जब श्री बाबू दयाल बोल रहे थे तो आपने फरमाया था कि वह relevant नहीं हैं तो क्या अब मिनिस्टर साहिब relevant हैं ?

Mr. Speaker : Order, order.

सिंचाई मंत्री : तो मैं बता रहा था उस ज़माने में जमींदारों के पास न पानी था, न बिजली थी और न मदरसे थे और उस वक्त की गवर्नमैण्ट ने ज़िला हिसार से recruits दिला दिला कर उस ज़िला को बरबाद कर दिया था और इस के इवज़ में उन लोगों को दिया क्या गया था, सिर्फ $2\frac{1}{2}$ महीने की नहर और उस के लिये भी बड़ा अहसान चढ़ाया जाता था। लोग नहरों के लिये रोते थे और वह गवर्नमैण्ट कहती थी कि भरती करवाओ तुम्हारी तरक्की हो जावेगी। तुम्हें मुरब्बे दिये जायेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि आज ज़मींदार जानते हैं कि उस वक्त उन के लिये क्या किया जा रहा था और अब क्या हो रहा है। उस वक्त दरबार किये जाते थे और उन्हें बताया जाता था कि तुम्हारे इलाके में नहरें आयेंगी। लेकिन, स्पीकर साहब, उन्हें $2\frac{1}{2}$ महीने की नहर देकर उन के साथ मज़ाक किया गया था। उस ज़मींदारा गवर्नमैण्ट की तरफ से ज़मींदारों का नाम ले ले कर लोगों को गुमराह किया जाता था। असल में सारी British Empire को recruits दे दे कर मज़बूत बनाया गया था। न उन के लिये सड़कें बनाई गईं थीं, न मदरसे खोले गये थे। उन की माली हालत इतनी गिर गई थी कि उन्हें कर्ज़ा बिल पास करना पड़ा था। वह कर्जा नहीं दे सकते थे इस लिये उन्होंने कह दिया कि कर्ज़ा बिल पास करवाओ वरना हम तबाह हो जायेंगे।

उन के पास कुछ नहीं था, वह मालगुज़ारी अदा नहीं कर सकते थे।उन्हें नक्शे दिखा दिखा कर उन के साथ मज़ाक किया जाता था। हिसार और रोहतक के इज़ला में से किसानों से भाखड़ा के नाम पर recruits की भरती ली जाती थी। इसी तरह से जालन्धर के खालसे को गुमराह किया गया था।

Sardar Ajmer Singh : Is he speaking on the Land Revenue (Surcharge) Bill ? If you allow him like this, then he can go on.

अध्यक्ष महोदय : जैसे आप ने पिछले दस साल की बातें बताई थीं उसी तरह वह भी कर रहे हैं। फिर भी मैं मंत्री महोदय से कहूंगा (सिंचाई मंत्री को) कि आप कोई ऐसी बात न करें जिस में किसी individual की तरफ इशारा हो। (As the hon. Member narrated things of the past ten years the hon. Minister is following suit. However, I will ask him not to refer to any individual.)

सिंचाई मंत्री : तो मैं बता रहा था कि किस तरह जालन्धर के सरदार का नाम ले ले कर लोगों को भरती कराया था और किसी किस्म की सहूलतें नहीं दी थीं। लोग पानी चाहते थे। गांवों में कूवें नहीं थे। ज़मींदारा हकूमत में किसी को इन चीजों का ख्याल तक भी नहीं था। नहरों का नामो निशान नहीं था। Tube-wells की शकल देखने में नहीं पड़ती थी। ऐसा ही हाल लुधियाना का भी था। लेकिन अब 22 करोड़ रुपया के बजट को देखिये, यह सारे का सारा गरीब और लाचार किसान के लिये खर्च किया जा रहा है। जिस जमींदार को गुमराह किया गया था, जिस को गुमराह ही नहीं बल्कि इतना खराब किया गया था कि उस के लिये उठना भी मुश्किल हो गया था अब यह सारे का सारा रुपया उस की बेहतरी पर खर्च किया जा रहा है। आप उन्हें अब मोटरों में देखिये, रेलों में देखिये, वह लोग कहते क्या हैं। मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि अब ज़मींदार इन speeches से गुमराह नहीं हो सकते। यह इनकी speeches elections के लिये घोटी हुई speeches हैं; अब भी इन की वही स्पीचिज़ और दिमाग चल रहा है।

अब लुधियाने के इलाके को देखिये, वहां अब क्या कुछ किया गया है। वहां नहरों से उस ज़िला का नक्शा बना दिया गया है। मेरे दोस्त कहते हैं कि speeches तो देनी पड़ती हैं पर काम तो शानदार है। फिर यह कहते हैं कि इन्हें रास्ते में कुछ ज़मींदार मिले थे जो वज़ारत को गालियां देते थे। मैं पूछता हूं कि यह कैसे ज़मीदारों के नुमाइन्दे हैं। इन का पेशा तो वकालत है ?

Sardar Ajmer Singh : On a point of order, Sir. He is becoming personal, Sir. I can also hit him back. I am a better representative than he is.

सिंचाई मंत्री : इन्होंने यह मिसाल दी है कि यह मोटर में जा रहे थे तो इन्हें कुछ ज़मींदार मिले थे। मैं पूछता हूं कि जिस के पास गवर्नमैण्ट का कोई इख्तियार नहीं, जिस की पार्टी नहीं और जिस की public में आवाज़ नहीं वह कैसे कहते हैं कि उन ज़मींदारों ने उन्हें कहा और गालियां दीं वज़ीरों को। मुझे तो यह सुन कर हंसी आती है। मैं इन से कहता हूं कि हिसार में जाकर देखें कि वहां क्या का क्या हो गया है। अमृतसर में जा कर हरीके Project को देखें। भाखड़ा और नंगल में किस शान से लोगों ने पंडित जवाहर लाल जी

[सिंचाई मंत्री]
नेहरू का स्वागत किया था । अभी जो World Bank के experts भाखड़ा नंगल देखने गये थे उन की अखबारों में निकली opinion को पढ़ें । वह क्या तारीफ वहां के काम की कर गए हैं । यह कहते हैं कि इन्होंने अखबार में पढ़ा है कि भाखड़ा के काम में 35 करोड़ रुपया की रकम खाई गई है । यह अजीब बात इन्होंने कह दी कि 69 करोड़ रुपया में से जो अभी तक भाखड़ा नंगल पर खर्च हो चुका है 35 करोड़ रुपया खाया गया है । तो मैं इन से पूछता हूं कि बाकी के रुपया से यह सारा काम कैसे हो गया है । यह अखबार कौन सा है; यह अखबार होगा Pepsu के उस वज़ीर का अखबार जो राड़ेवाला की वज़ारत से निकाला गया था ।

श्री श्री चन्द : On a point of order, Sir. क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह गालियां क्यों दी जा रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या गालियां दी हैं उन्होंने ? (What kind of vituperations have been made by him ?)

श्री श्री चन्द : यह कह रहे है कि वह राड़ेवाला होगा, यह होगा वह होगा । यह गालियां नहीं हैं तो क्या हैं । मैं कहता हूं इस State के किसी भी आदमी के लिये जो मर्ज़ी आए कह लें लेकिन एक दूसरी State के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए । यह अपने आप को क्या समझते हैं । वह वज़ीर क्या बन गए हैं । He has no right to criticise the Government of another State.

अध्यक्ष महोदय : मैं मिनिस्टर साहिब से कहूंगा कि वह इस तरह tauntingly कुछ न कहें ।

(I would request the hon. Minister not to say anything in a taunting manner).

सिंचाई मंत्री : साहिबे सदर ! यहां हाऊस में कहा गया है कि Pepsu के वज़ीर ने कहा था । (interruptions)

इन्होंने House के सामने दिल में बड़ी खुशी भर के कह दिया कि साहिब भाखड़ा पर तो 35 करोड़ रुपये का गबन हो गया । क्या कहने हैं आप की सूझ बूझ के ! 69 करोड़ का तो सारा खर्च और उस में से 35 करोड़ का गबन ! कह दिया कि किसी PEPSU के वज़ीर ने ऐसा कहा । तो शायद वज़ीर साहिब वही होंगे जो कभी रोहतक में गए थे । शायद खाब में ऐसी बात देखी हो वरना कोई वज़ीर ऐसी बात नहीं कह सकता । इतनी बड़ी गलत बयानी !

श्री श्री चन्द : On a point of Order, Sir. क्या यह कह सकते हैं कि मैंने गलत बयानी की है ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा कि शायद PEPSU के वज़ीर ने ऐसी गलत बयानी कर दी होगी ।

(What he said was that perhaps the Minister of the Pepsu State might have made a wrong statement.)

सिंचाई मंत्री : मेरे दोस्त बीच में interruptions क्यों करते हैं। बैठे २ मिन २ करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई गलत या irrelevant बात कही जाये तो आप मेरी attention draw करें।

(The hon. Member may draw my attention towards anything which may be irrelevant or wrong.)

सिंचाई मंत्री : साहिबे सदर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऐसी बातों पर पढ़े लिखे आदमी तो क्या अनपढ़ भी यकीन नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत facts and figures का ख्याल करें जो मैं ने House के सामने रखीं। मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का किसान बड़ा हुश्यार है और उसे आसानी से कोई गुमराह नहीं कर सकता। आप कितनी भी speeches करें, आप कुछ भी कहते रहें, उस सब का जवाब वह elections के वक्त देता है। और फिर जब देहात में जो हालात आज हैं उन का मुकाबला पहले से तो करें। 3 करोड़ रुपया रखा है। चाहे यह justified है या नहीं। मगर जब गांव में ज़बरदस्त बिजली की रोशनी की जगमगाहट होगी तो इन की speeches भी बन्द हो जायेंगी। हम जो देहात पर खर्च कर रहे हैं उस का नतीजा भी साथ २ निकल रहा है। अभी पिछले दिनों भाई मूल चन्द जी ने tube-wells के लिये बिजली खोली। आप को जुलाई का महीना तो याद होगा। अब दिसम्बर में उस से भी ज्यादा शानदार जलसा होगा और आप सब को invite करेंगे। जुलाई में हम ने तो इन सब को भी invite किया था मगर कुछ साहिबान गुस्से के मारे नहीं आए। 4 हज़ार आदमियों के खाने का इन्तजाम भी किया था। अब दिसम्बर में गंगुवाल में bulbs की जगमगाहट को देखना (**एक मैम्बर** : इस से देहात को क्या फायदा ?) इस का फायदा भी जल्दी होने वाला है आप देखने के लिए तैय्यार रहें और फिर देखें कि कितना फायदा देहात की public को होता है। अब शहर तो शायद ही कोई ऐसा रहा हो कि जिसे अब बिजली देनी बाकी हो। अब तो बारी गावों की ही है और गवर्नमेंट ने तहैय्या किया हुआ है कि सब को बिजली दी जायेगी। देहात से गरीबी दूर की जायेगी। इस का सबूत आज का यह बिल है। ज़मींदार का नाम ले कर यह कह देना कि उस पर ज़ुल्म हो रहा है ठीक नहीं है। मुझे पता है कि ज़मींदारों के नुमायंदों के दिनों में ज़िमींदारों की क्या हालत थी। उन को voting का इख्तियार नहीं था। पंजाब के छोटे ज़मींदारों की कोई बात नहीं सुनता था। उस को ryot का भी इख्तियार नहीं था। यहां तक तो करवा नहीं सके यह बड़े २ तुर्रे वाले ज़मींदार, बड़ी २ जायदादें बनाने वाले। और आज जब किसान की भलाई होती है तो इन्हें तकलीफ होती है उस का नाम ले ले कर। ज़रा facts and figures को तो देखें। उन दिनों गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं था। उसे कभी नौकरी में दाखिल होने की उम्मीद भी नहीं हो सकती थी। आज इस गवर्नमैण्ट ने जितने इख्तियार उन्हें दिये जा सकते थे दिये हैं। आज कोई भी आदमी, चाहे कितना ही गरीब क्यों न हो Superintendent of Police, Deputy Commissioner या और कुछ भी बन सकता है।

श्री श्री चन्द : On a point of Order, Sir. साहिबे सदर, आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि यह सब बातें irrelevant हैं, इन का surcharge से कोई ताल्लुक नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों की back ground तो वही है । (He is giving the back ground.)

सिंचाई मंत्री : देहातियों के लिये Community Project बनाए, Extension Blocks कायम किये । यह सब भूखे किसान के लिये नहीं हैं तो किस के लिये हैं ? उन दिनों इनके लिए स्कूल कहां थे ? 10, 10, कोस तक कोई Primary School नहीं था । आज जा कर गांव में देखें मदरसे हैं और जहां नहीं हैं जल्दी ही मुकम्मल होने वाले हैं । तरह २ की सहुलियात देहातियों को मुहैय्या की जा रही हैं । यूं ही ज़मींदार का नाम ले दिया और लगे कहने कि उस पर टैक्स लगा रहे हैं । आज गांव में Community Project, स्कूल और दूसरी सहूलतें दी जा रही हैं ।

स्पीकर साहिब, आप एक बार देहात में चले जायें और देखें कि हम ने Extension Blocks बनवाए हैं । आप लोगों से पूछें कि हमारे देश में हमारे गांवों में कैसे इन्कलाब हुआ है और हो रहा है । हमने गावों वालों के लिए क्या कुछ किया है । ज़मींदार समझते हैं कि हमारे लिए तो कांग्रेस एक महात्मा बन कर पैदा हुई है । हम इस काम को सन् 52 से कर रहे हैं । सब जानते हैं कि हमने किन मजबूरियों में काम किया। हमारे काम से तो हर ज़मींदार को तसल्ली हुई है। लेकिन मेरे भाई अब भी चिल्लाते हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया और यह कि कांग्रेस कोई काम नहीं कर सकती है । असल में मेरे इन भाइयों का Mehna constituency के election से पहले यह challenge था कि कांग्रेस ने किसानों के लिये कुछ नहीं किया और ९0 फीसदी किसान गवर्नमैण्ट के खिलाफ थे । और किसान कहते थे कि यह सरकार हम पर टैक्स लगाती है और फिर कहती है कि हमें वोट दो । पर इस election ने मेरे भाइयों को यह बता दिया कि मेरे किसान भाई गवर्नमेंट के खिलाफ हैं या हक्क में । खैर यह तो election fight थी ।

अब, स्पीकर साहिब, यह surcharge 20 लाख 40 हज़ार में से 16 लाख 73 हज़ार पर नहीं लगाया जायेगा । और इस टैक्स का इन किसानों पर ज़रा सा भी असर नहीं पड़ेगा । जब यह बात किसानों को मालूम हुई तो उन्होंने कांग्रेस के बक्से वोटों से भर दिये । मेरे भाइयों का कोई भी कहना इन किसानों पर असर न कर सका । फिर इन का किसानों को यह कहना कि तुम इस बात की मांग करो कि आप नहर लगा देंगे तो हम टैक्स देंगे, भी सफल न हुआ ।

फिर हमारे भाई कहते हैं कि कांग्रेस किसानों पर जुल्म कर रही है। अब आप ही देखें, पहले झगड़ा होने पर अदालत में जाना पड़ता था और फीस गरीब किसान की जेब से जाती थी । अब पंडित श्री राम शर्मा द्वारा पंचायत ऐक्ट बना दिया गया है । इस ऐक्ट के बनाने पर पंडित जी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं । इस ऐक्ट के बनने से गरीब किसान को आसानी से और बिना खर्च के इन्साफ़ मिल जाता है और अदालतों की परेशानी और खर्च बर्दाश्त नहीं करना पड़ता । पंचायत ऐक्ट पर भी मेरे भाई इतराज़ करते हैं कि गवर्नमेंट ने सारे इख्तियारात पंचायतों को दे दिये हैं, हम क्या करें, हम मारे गये हैं । अब इन को शिकायत है कि ज़मींदार फैसला नहीं

कराते । वकील को फीस नहीं देते । पहले किसान को फीस देनी पड़ती थी, अदालतों में जाना पड़ता था । अब गरीब किसान को उठाने के लिये पंचायत ऐक्ट पास कर दिया है और बिना फीस उन्हें इन्साफ दिया जाता है ।

फिर, स्पीकर साहिब, गरीब किसान को उठाने के लिए 80 लाख रुपये के fertilizer उस के घर भेजे गये हैं और वह Co-operative Societies बना कर उस का इस्तेमाल कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब किसान 2 करोड़ या इस से कम रुपया जो चारे के लिये खर्च करता था बचा लेगा । ट्रैक्टर उस के पास होगा, fertilizer होगा और हर तरह की सहुलियात होगी । अब गंगूवाल की opening से वह कांग्रेस राज ज़िन्दाबाद के नारे लगायेगा । ग़रीब किसान जानता है कि कांग्रेस सरकार उस के लिए क्या कुछ कर रही है । इस लिए मैं अपने भाईयों को सलाह दूंगा कि वह मोटे २ किसानों के सामने अपने आंसू बहाएं तो अच्छा रहेगा और हो सकता है वह मान भी जाएं लेकिन छोटे किसानों पर इन आंसुओं का कोई असर न पड़ेगा । आज 16 लाख छोटे किसानों की तादाद है । वह क्या सोचते हैं, यही कि कांग्रेस उन के लिये क्या कुछ कर रही है । वह सब खुश हैं और जानते हैं कि यह जो गवर्नमेंट आई है वह कैसी है ।

स्पीकर साहिब, हम Communist भाईयों के ख्याल सुनते रहे हैं, इन की बातें सुनी हैं, इन की बाबत किताबें पढ़ी हैं लेकिन मेरे भाई मुझे मुआफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि इन की बातें कुछ और हैं और अमल कुछ और है । यह अपनी बातों पर भी आप अमल नहीं करते । मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे finances develop हो रहे हैं और हम माल गुज़ारी में कमी कर रहे हैं । मैं ऐसा सिर्फ कहना ही नहीं चाहता बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि किसान इस बिल को खुशआमदीद कहेंगे और कभी मेरे भाईयों के कहने से गुमराह नहीं होंगे । किसान, मुझे खुशी है, यह समझता है कि सही कदम कौन उठा रहा है, कांग्रेस सरकार या मेरे भाई । मैं अपने भाईयों से भी यही कहूंगा कि आप गावों में जायें और किसानों से मिलना सीखें और आप देखें कि किसानों को किस तरह उठाया जा रहा है । इस लिए मैं उम्मीद करता हूं कि सारा हाऊस इस बिल की हिमायत करेगा और इसे पास कर देगा । (तालियां) ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Land Revenue (Surcharge) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSES (2) and (3) of

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clauses (2) and (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : There is an amendment by Sardar Chanan Singh Dhut and others. One of them may move it.

Sardar Chanan Singh Dhut (Tanda) : Sir, I beg to move—

> In sub-section (1), lines 6—10, for "five acres........more than thirty acres" *substitute* "twenty acres shall be liable to pay a surcharge on land revenue to the extent of one quarter of the land revenue if his total holding does not exceed forty acres, and equal to land revenue where such holding is fifty acres but does not exceed hundred acres and double the land revenue where such holding is more than hundred acres."

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ surcharge ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕੋਈ surcharge ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ facts and figures ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਇਲਾਕੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕੋ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀ position ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਹ surcharge ਕੋਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 4 ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ surcharge ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ surcharge ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੰਜ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਆਬਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 3 ਲਖ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੰਜਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਆਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦੀ income ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ income tax, net income ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ joint family ਵਿਚ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ gross income ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ

ਕਰ ਕੇ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਏਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ।

ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਣਾ ਦੀ election ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਅਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਅਸਾਡੇ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਜਲਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਣਾ ਦੀ election ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ditto ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ।

ਫਿਰ, ਜਨਾਬ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ Community Projects ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ । ਇਥੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਇਕ colonial ਮੁਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੱਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਬਜਟ ਦਾ ਚੌਥਾ item ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ points ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ।

ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੇਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ : ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ father-land ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ । ਮੈਥੋਂ ਆਪਣਾ record ਨਾ ਭੁਲਾਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ motherland ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਫੇਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ All India Congress Committee ਦਾ ਰੇਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 10 ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ, ਬੀਮਾਰੀ, ਤਾਲੀਮ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ । ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ । ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ । ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਖੜਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ ? ਇਹ ਜੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਔਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ।

सिंचाई मंत्री : काम शुरु हो गया है ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਅਜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਝੀਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ dam ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ : क्या हमने पानी दे नहीं दिया।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ betterment fee ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੰਗੂਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਿਸ ਉਤੇ $4\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੂਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ budget ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ picture ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉਤੇ ਕੋਈ surcharge ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ land owners ਤੇ surcharge ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਰੁਪਏ land revenue ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉਤੇ ਕੋਈ surcharge ਨਾ ਹੋਵੇ। 20 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਏਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਛਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉਤੇ 25 ਜਾਂ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਹੀ surcharge ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੋ ਏਕੜਾਂ ਉਤੇ surcharge ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਛੁੜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੁੜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਕ ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ tax ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 20 ਏਕੜ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Motion moved—

In sub-section (1), lines 6—10, for "five acres........more than thirty acres" *substitute* "twenty acres shall be liable to pay a surcharge on land revenue to the extent of one quarter of the land revenue if his total holding does not exceed forty acres, and equal to land revenue where such holding is fifty acres but does not exceed hundred acres and double the land revenue where such holding is more than hundred acres."

Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

For the existing sub-clause (1), and the explanation thereunder, *substitute*—

"(1) With effect from the Rabi harvest of the agricultural year 1953-54, and notwithstanding anything to the contrary contained in the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act XVII of 1887), every landowner who pays land revenue in the State of Punjab, in excess of ten rupees shall be liable to pay a surcharge thereon to the extent of one quarter of the land revenue if the amount payable by him as land revenue does not exceed thirty rupees, and two-fifths of the land revenue where the amount payable by him exceeds thirty rupees."

For the existing sub-clause (3), *substitute*—

"(3) A landowner, liable to pay the surcharge, whose land is situated within the jurisdiction of more than one Patwari, and who has not, before the commencement of this Act, given such information, shall within thirty days from the commencement thereof, give written information of the details of the total land revenue payable by him to the Patwari of every revenue estate in which any party of such holding is situate, and shall also submit a copy thereof to the Tahsildar having jurisdiction."

Mr. Speaker : Motions moved—

For the existing sub-clause (1), and the explanation thereunder, *substitute*—

"(1) With effect from the Rabi harvest of the agricultural year 1953-54, and notwithstanding anything to the contrary contained in the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act XVII of 1887), every landowner who pays land revenue in the State of Punjab in excess of ten rupees shall be liable to pay a surcharge thereon to the extent of one quarter of the land revenue if the amount payable by him as land revenue does not exceed thirty rupees, and two fifths of the land revenue where the amount payable by him exceeds thirty rupees ."

For the existing sub-clause (3), *substitute*—

"(3) A landowner, liable to pay the surcharge, whose land is situated within the jurisdiction of more than one Patwari, and who has not, before the commencement of this Act, given such information, shall within thirty days from the commencement thereof, give written information of the details of the total land revenue payable by him to the Patwari of every revenue estate in which any part of such holding is situate, and shall also submit a copy thereof to the Tahsildar having jurisdiction."

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, कलाज़ दो में दो तरमीमें पेश की गई हैं, एक चौधरी लहरी सिंह की तरफ से और दूसरी सरदार चन्नण सिंह की तरफ से । मैं दोनों की मुखालफ़ित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जनाबे आली, मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि आज इस हाऊस में इतना अहम और ज़रूरी बिल पेश है और इस महकमे के वज़ीर incharge मौजूद नहीं हैं । अगर वह होते तो इस बहस में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो सकती थी । अगर कोई ऐसी वजह है कि उन्हें इस बिल से भी कोई ज़्यादा अहम काम है तो समझ में आ सकता है । अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो किसी हद तक यह हाऊस का अपमान (disrespect) है कि किसी खास ज़रूरी काम के बिना ही वज़ीर साहिब तशरीफ नहीं ला सके हैं । जहां तक मैंने सुना है अगर उन की मसरूफ़ियत इन गुरद्वारा के अलैक्शनों से ताल्लुक रखती है तो यह और भी ज़्यादा अफसोस की बात है । उन की बजाये नहर और बिजली के वज़ीर साहिब ने ज़ाब्ता पूरा करने का ज़िम्मा लिया हुआ है । कुछ मैम्बरों ने surcharge टैक्स का ज़िक्र न करते हुए ज़्यादा तर पानी और बिजली की बरकतों का ही ज़िक्र किया है । और वैसे भी आम तौर पर जो तकरीरें हुई–Treasury Benches की तरफ से, क्या वज़ीर साहिब क्या और मैम्बर साहिब की उन में इस बात की कोई justification नहीं बतलाई कि क्यों surcharge बढ़ा दिया गया है । कहा गया कि गवर्नमेंट ने बढ़िया २ काम किये हैं, Community Projects का काम, भाखड़ा डैम का काम और जहां बहुत ज़्यादा काम गवर्नमेंट ने ज़मींदारों के लिये किये हैं तो उसे खुद बखुद surcharge लगा कर ज़मींदारों से टैक्स लेने का हक हो गया है । इस के इलावा कोई और दलील नहीं दी और न कोई facts and figures देकर इस बात को साबित करने की कोशिश की है । यह कहा कि जितनी तरक्कियां हो रही हैं लोगों की भलाई की जा रही है । सिर्फ यह दलील दी जा रही है कि वाहगा से लेकर गुड़गावां तक ज़मींदार और आम लोग गवर्नमेंट के गुण गा रहे हैं और कहते हैं कि elections भी इस लिये जीते गये हैं। मेहरबान गवर्नमैण्ट न surcharge टैक्स बढ़ा दिया है जिस से तीस चालीस लाख रुपये की आमदन के बढ़ जाने पर लोगों ने खुशी के मारे elections जितवा दिये हैं और वाहगा से गुड़गावां तक लोग गवर्नमैण्ट की जय बोल रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। नक्शे यह खैंचे जाते हैं कि यह यह तरक्कियां की हैं । General elections के बाद कोई दस बारह अलैक्शन हुए और उन में देहात के अन्दर नौ दस अलैक्शन हुए इस में कांग्रेस 2/3 अलैक्शनों में हारी और 1/3 में जीती है । (interruptions) । इस से पता चलता है कि अब तक 11 इलैक्शनें लड़ी गई, पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी को यह भी पता नहीं है ।

चीफ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : पहले कांग्रेस की क्या strength थी और अब क्या है !

पंडित श्री राम शर्मा : मेरे दोस्त दखल दर माकूलात से काम लेते हैं। मेरे पास इस बेअकली का जवाब नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि 11 by-elections लड़े गए, एक शहर में

[पंडित श्री राम शर्मा]

और 10 देहातों में जिन में ज़्यादातर गवर्नमेंट को हार हुई और मैं challenge करता हूं वरना वह कुछ अपनी आदत से मजबूर हो कर यह कह देंगे.......

श्री प्रबोध चन्द्र : कुर्सी के बदलने से दिमाग बदल जाता है।

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब आली, हम सिर्फ आप की और हाऊस की dignity का ख्याल करते हैं वरना जिस तरीके से वह दखल दर माकूलात करते हैं दिल चाहता है कि इन्हें खूब सुनाएं। पंजाब में 11 by-elections लड़े गए, एक शहर में और दस गांव में। उन का नतीजा यह हुआ कि काफी majority में गवर्नमेंट हारी। फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि वाहगा से गुड़गांवां तक लोग गवर्नमेंट की जय बोल रहे हैं और अलैकशनें भी हमने इसी basis पर जीती हैं। इस बात को जाने दीजिये। मैं गवर्नमेंट को खुला challenge पेश करता हूं कि पंजाब के किसी ज़िले में किसी तहसील में किसी गांव में दस पंद्रह दिन का नोटिस दे कर जलसे कर लें। यह दुगना वक्त ले कर तकरीरें कर लें हम आधा वक्त लेंगे और दस फीसदी ज़मींदार......

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर relevant होने की कोशिश करें।
(The hon. Member should try to be relevant.)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब! यह कहते हैं कि ज़मींदार इतने खुश हैं जिस की कोई हद नहीं। मैं पूछता हूं कि इस का पैमाना क्या है? मैं कहता हूं कि वह तो उन की जान को रो रहे हैं। महज़ ऐसी बातें कह देने से कुछ नहीं बनता है। मैं कहता हूं कि मेरे दोस्त किसी देहाती इलाके में लोग इकट्ठे कर लें, यह भी तकरीरें करें और हम भी तकरीरें करें और उस के बाद अगर 10 फीसदी ज़मींदार भी इस कानून के हक में वोट दे दें तो हम अपनी शिकस्त मान लेंगे। यह जो इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि लोग बहुत खुश हैं यह महज़ कहने की बातें हैं और इस में हकीकत कुछ भी नहीं।

मुख्य मंत्री : Bye-elections कौन कौन सी जगह हुए।

पंडित श्री राम शर्मा : एक by-election हुआ.........

अध्यक्ष महोदय : Bye-elections का इस वक्त कोई सवाल नहीं।
(By-elections are not under discussion at present.)

पंडित श्री राम शर्मा: जब मुख्य मंत्री कहते हैं तो क्या तामील न करूं? यह इब्तदाई बात मैंने इसलिये कही कि कहीं ऐसा न हो कि हाऊस को ग़लत impression पैदा हो जाये कि सचमुच इस measure के लाने से लोग खुश हैं। अब इस की तवारीख सुन लीजिये। यह मुख्तसिर सैशन था और यह बिल आखरी रोज़ रखा गया और यह हुक्म मिला कि जब तक यह बिल पास न हो जाये उतनी देर हाऊस की कार्रवाई जारी रहेगी। अगर यह ख्याल था कि popular Bill है और लोग बहुत खुश हैं तो इस किस्म की कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत थी?

हम बड़े खुश हुए कि गवर्नमेंट ने आखिरकार अपनी गलती को महसूस कर लिया है और Land Revenue Surcharge Bill agenda से हटा लिया है, और उसे पास करवाने का इरादा छोड़ दिया है। मगर हम मुश्किल से ही घर पहुंचे थे कि Ordinance के जारी होने की खबर सुनी। हम हैरान थे कि पता नहीं कौन सी खास आफत आ गई है, emergency हुई है,

क्या हो गया है, इजलास खत्म होते ही Ordinance जारी करना पड़ा मालगुज़ारी को बढ़ाने के लिये । और यह जो बढ़ोतरी हुई है यह न तो Land Revenue Act के कायदों के मुताबिक हुई है और न ही agricultural income के असूलों के मुताबिक कोई नया तरीका निकाला गया है बल्कि Surcharge के ज़रिये Land Revenue को बढ़ाया गया है ।

वज़ीर साहिब ने अपनी तकरीर का बहुत सारा हिस्सा Unionist वज़ारत के खिलाफ बोलने पर सर्फ किया है । उन्होंने कहा है कि वह हकूमत लोगों को बहकाती थी, फौज में भरती कराती थी और उन से झूठे वायदे करती थी । उन्होंने मालगुज़ारी को 100 फीसदी बढ़ाया । अगर यह भी कह देते कि हम उन मे आधी खरावी कर रहे हैं तो उन की argument समझ में आ सकती थी मगर उन का Unionist वज़ारत के खिलाफ इतने जोश के साथ बोलना और लोगों को बहका कर फौज में भरती कराने का इलजाम उन्हें कुछ ज़ेबा नहीं देता । मैंने तो Unionist Party वालों को कभी अच्छा नहीं कहा मगर चौधरी साहिब ने 1950 में एक तकरीर के दौरान किसी और राय का इज़हार फरमाया था । शायद जोश में आ कर ऐसा कह गये हों । बहर हाल उस वक्त Unionist Party के बारे में उन की यह राय थी ।

> Some of my honourable friends have remarked that the Unionist Government which had espoused the cause of the Zamindars in the Unionist Punjab did nothing substantial for them.

किसी ने 1950 में कहा होगा कि Unionist वज़ारत ने ज़मींदारों की भलाई के लिये कोई खास काम नहीं किया । यह बात शायद उन्हें नागवार गुज़री जिस पर उन्होंने यूं फरमाया:—

> But I would tell them that in the regime of the Unionist Government Sir Chhotu Ram had infused a new life in the villages.

कहते हैं कि सर छोटू राम ने देहाती लोगों में नई रूह फूंक दी थी । अब कहां उड़ गई है वह नई ज़िन्दगी ? आगे फरमाते हैं—

> What we see in this regime is that these Congressmen are making an all out effort to break the life of villages to fragments.

इस पर किसी ने उन्हें रोका होगा, तो वह बोले—

> I do not mean the Congress but the Congress Government whose attitude towards the rural classes is not only unhelpful but also destructive.

यह उस वक्त की बात है जब वह कांग्रेस गवर्नमेंट के supporter थे । जब उस गवर्नमैण्ट ने आबियाने को पच्चास फीसदी बढ़ाने का फैसला किया था तो हमारे मुख्य मंत्री, Development Minister साहिब, चौधरी साहिब बड़े जोश में थे और मुझे बड़ा गुस्सा आया था । जो साहिब इस वक्त वज़ारती बैंचों पर बैठे हैं, उन की उस वक्त की तकरीरों को पढ़ने से इस बात की तसदीक हो सकती है कि उन्होंने आबियाने के बढ़ाने को एक Sacrilegious act करार दिया था जिसके लिये गवर्नमेंट कभी मुआफ नहीं की जा सकती थी । उस वक्त के सूबा कांग्रेस के प्रधान ने खुलमखुला गांव २ में जा कर कहा था कि हम इस गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे । एक

[पंडित श्री राम शर्मा]

bye-election भी इसी सवाल पर लड़ा गया था कि गरीबों पर क्यों टैक्स लग रहे हैं।

फिर एक Sugar Factories Bill के मुताबिक cane growers पर एक दो लाख रुपये की रकम का बोझ पड़ता था। उस छोटे से tax की मुखालिफ़त करते हुए अपनी तकरीर में चौधरी साहिब ने ज़मीनो-आसमान सर पर उठा लिये थे। उस मामूली तजवीज़ को इस तरह की रंगत दी थी कि सब लोग घबरा गये थे। उस tax के खिलाफ conferences की गई थीं।

ज़मींदार को पानी की जिस कदर ज़रूरत होती है, उस से कोई बेखबर नहीं। नहर को तोड़ कर, छः गुना रुपया देना मन्ज़ूर कर के भी, वह अपना काम चला लेता है। आबियाना में पच्चास फीसदी इज़ाफा के खिलाफ कितने लैक्चर और तकरीरें हुई थीं। आज बैठे बिठाए उन्हीं लोगों पर 40 फीसदी surcharge लगा दिया है और argument यह दी जाती है कि Unionist Party वाले ज़मींदारों को गुमराह करते थे, और फौज में भरती कराते थे।

स्पीकर साहिब, इस पंजाब को तीन चार हुकूमतों से वास्ता पड़ा है। अंग्रेज़ों ने अपनी हकूमत के वक्त यह कायदा बनाया हुआ था कि हर 40 वर्ष के बाद लोगों की ज़मीन की जांच पड़ताल की जाए और अन्दाज़ा लगाया जाये कि खेती करने वाले लोगों की कितनी आमदनी बढ़ी घटी है, चीजों के भाव कितने बढ़े घटे हैं और उन को कितनी बचत होती है। वह हकूमत इस बात की proportion भी मुकर्रर कर देती थी कि अगर ज़मींदारों की net income इतनी होगी तो उन से मालगुज़ारी एक खास रकम से ज्यादा नहीं ली जायेगी और बिना नया बन्दोबस्त करवाये कोई मालगुज़ारी बढ़ाई नहीं जायेगी। उस हकूमत के बाद एक और दौर आया। हमारे मुख्य मंत्री उस समय हाऊस के मैम्बर होते थे। आजकल के वज़ीर तरक्कियात भी M. L. A. थे और record से मालूम होगा कि मैं भी मैम्बर था। लेकिन चौधरी लहरी सिंह का उस समय असैम्बली के आस पास पता भी नहीं था। उस वक्त यही लोग बड़े ज़ोर से हुकूमत से demand करते थे कि 25 बीघा ज़मीन तक मालिया मुआफ कर दिया जाए। हुकूमत के खिलाफ propaganda करने के लिये दूर दूर के देहातों में जा कर धूआं-धार तकरीरें किया करते थे। जो लोग आज surcharge लगा रहे हैं उन दिनों कहते थे कि 25 बीघा ज़मीन तक मालिया मुआफ कर दिया जाये। उस के ऊपर बिल्कुल कम मालिया हो और अगर बढ़ाना है तो जिन लोगों के पास हज़ारों बीघे ज़मीन है उन का बढ़ाया जाये। इस हाऊस के सिर्फ दो तीन मैम्बर ऐसे हैं जो कि उस वक्त की बहसों को याद कर सकते हैं। इन मैम्बरों ने कितना ज़ोर लगाया था कि 25 बीघा तक मालिया बिल्कुल मुआफ होना चाहिये। जब नहीं हुआ तो देहातों में जाकर कितनी तकरीरें कीं और अखबारों में बड़ी बड़ी सुरखियां दे दे कर मज़मून निकाले। ये लोग वही हैं जो ज़मींदारों के रखवाले बने बैठे थे और आज surcharge लगा रहे हैं। स्पीकर साहिब, उस दौर के बाद वह वक्त आया जब कि खिज़र वज़ारत कायम हुई। उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं की थी कि बाकायदा तरीके से मालिया बढ़ाया हो। उस दौर के बीत जाने के बाद कांग्रेस के नाम से वज़ारत कायम हुई। उस वज़ारत ने भी मालगुज़ारी नहीं बढ़ाई। उन लोगों

ने आबियाना बढ़ाया था और जनाब को मालूम है कि मेरे दोस्तों ने कैसा तूफान बरपा किया था और कौन सी कसर उठा रखी थी। अब हमारे दोस्तों की वज़ारत का ज़माना है। इन्होंने सोचा कि मालिया तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि Land Revenue के नाम से इतना बड़ा मोटा पोथा बना हुआ है और उस में Land Revenue के बारे में बाल की खाल निकाली हुई है। हालात ऐसे रहे कि बन्दोबस्त न हो सका। पहले War रही, independence आ गई और इस्तमाल का काम आ गया। उस के बाद नहरें निकालनी पड़ीं, भाकड़ा डैम तैयार करना पड़ा इस लिये बन्दोबस्त न हो सका। लेकिन इन्होंने मालगुज़ारी ज़रूर बढ़ानी थी। आप जानते हैं कि कानून के तो बड़े लम्बे चौड़े हाथ पांव होते हैं और काबिल आदमी दिमाग लगा कर काफी मसाला जमा कर लेते हैं। हाई कोर्ट बाद में चाहे कुछ फैसला देती रहे एक बार तो surcharge के नाम से पैसे बढ़ा लो। यह सरकार गैर तो नहीं है, है तो हमारी अपनी ही लेकिन इन्होंने वह वह कारनामें किये हैं जो कि इन सब वज़ारतों में से जो मैं ने गिनवाई हैं किसी ने नहीं किये। हमारे वज़ीर साहिब ने फरमाया था कि पंजाब में 25 लाख आदमी तो ऐसे हैं जो कि अपने आप को ज़मीनों के मालिक कहते हैं और 20 लाख ऐसे हैं जिन को कुछ देना नहीं पड़ता है.......

सिंचाई मंत्री : मैंने कांगड़ा और अमृतसर की figures 20 लाख दीं थीं।

पंडित श्री राम शर्मा : इन का मतलब है कि 20 लाख में से सिर्फ 4 लाख ऐसे लोग हैं जो कि 10 रुपये से ज्यादा मालिया देते हैं और उन को ही यह surcharge देना पड़ेगा। 4 लाख का नाम तो इन्होंने ऐसे ले दिया है कि जैसे $1\frac{1}{4}$ करोड़ की आबादी से दो चार की ही बात है। उस के बाद ज़ोर की तकरीर झाड़ दी कि सिर्फ तीस, चालीस लाख रुपया ले रहे हैं यह कौन सी बड़ी बात है। पहले इन्होंने 5 एकड़ तक की रियायत की शर्त लगाई थी लेकिन बाद में बदल कर 10 रु. की शर्त रख दी है। यह ठीक है कि पहाड़ी इलाकों में जहां पैदावार कम होती है उन को surcharge नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैदानों में जहां ज़मीनें बढ़िया हैं और लोगों को Land Revenue ज़्यादा देना पड़ता है $2\frac{1}{4}$ एकड़ वालों को भी surcharge देना पड़ेगा। अपने बचाव में यह दलील रखी गई है कि हम Bhakra Dam तैयार कर रहे हैं, नहरें बना रहे हैं, हुकूमत पर इतना कर्ज़ा है। क्या वह कर्ज़ा हुकूमत surcharge के ज़रिये उतारना चाहती है? पौने दो अरब रुपये सैण्टर से कर्ज़ा लिया है। बड़ा तीर मारा है इन्होंने कर्ज़ा ले कर! स्पीकर साहिब, इस के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जिस का नाम Dam है, Dam के नाम से तो वहां पर अभी तक कोई ईंट तक नहीं रखी गई, कंकर तक नहीं रखी। Dam अभी तक वजूद में भी नहीं आया। भाखड़ा डैम से यह मतलब था कि एक बड़ा भारी डैम तैयार होगा जिस से सतलुज का पानी रोक कर एक 50 मील लम्बी एक झील तैयार की जाएगी। जब वर्षा के दिनों के बाद लोगों को पानी की कमी होगी तो वह पानी नहरों में छोड़ा जाया करेगा। मेरा विचार है कि ऐसे डैम की तो अभी तक नींव भी नहीं खोदी गई। हां, नहरें ज़रूर खोदी गई हैं और माना जा सकता है कि हिसार और जालन्धर को फायदा हो जाएगा। ये बैठे हैं कि डैम बन रहा है लेकिन डैम के नाम पर अभी सिफर है। सब को मालूम है कि जब वर्षा होती है तो इतना पानी बरसता है कि बाढ़ आ जाती है। लेकिन यहां के दरिया इतने सैलाबी नहीं हैं जितने कि बिहार और आसाम के हैं। वे तो किसी का कहना ही

[पंडित श्री राम शर्मा]

नहीं मानते । यहां तो बांध लगाया जा सकता था । करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और अब तक Dam का नाम-ओ-निशान नहीं है । मैं कहता हूं कि जब नहरें खुद चुकी हैं तो अब डैम रहने ही दो ।

मैं भाखड़ा डैम के नाम को बार बार इस लिये दोहरा रहा हूं क्योंकि इस बिल को लान और इस क्लाज़ को पास कराने के सिलसिले में भी भाखड़ा, के नाम पर ढंडोरा पीटा जा रहा है । वह तो भला हो पंडित जवाहर लाल जी नेहरू का, कि जब यह उन्हें डैम दिखाने के लिये लाए तो उन्होंने भी साफ़ तौर पर बतला दिया कि भाई बातें तो सारी ठीक हैं पर डैम तो अभी बनना भी शुरू नहीं हुआ ।

फिर जनाब स्पीकर साहिब, एक अखबार में निकली पैप्सू के एक डिप्टी मिनिस्टर की statement जिस में उन्होंने फरमाया कि इस भाखड़ा में तीस, पैंतीस करोड़ रुपया का गबन हुआ है । मैं जानता हूं कि वह मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के मैम्बर और काफ़ी देर से कांग्रेस वर्कर रहे हैं जिन को शायद चौधरी साहिब भूल कर भी नहीं जानते होंगे । तभी तो contemptuously कह दिया कि होंगे राड़ेवाला मिनिस्टरी के कोई गये गुज़रे वज़ीर । तभी तो बड़े अन्दाज़ में इन्होंने फरमा दिया कि होंगे कोई छोटे मोटे वज़ीर, हमें तो पता नहीं । मैं कहता हूं कि यह statement पंजाब के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अखबारों में भी छपी थी । मगर कितनी अजीब बात है कि अगर यह बात झूठ होती तो यह इस की तरदीद न करते । स्पीकर साहिब, यह बात बिल्कुल सच है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पैप्सू के एक डिप्टी मिनिस्टर ने जो इसी कांग्रेस पार्टी का एक मैम्बर है यह कहा कि भाखड़ा में लूट मची हुई है, वहां पर रुपया खाया जाता है और यह कि तीस, पैंतीस करोड़ रुपया का गबन हुआ है । ज़रा सोचिये और मुझे बताइये तो कि उसे ऐसा कहने की नौबत क्यों आई ? बजाए इस पर शर्मिन्दा होने के या इसे contradict करने के उलटे यह कहा जाता है कि अगर बात ऐसी है तो सबूत लाइए । इन्हें उस आदमी का नाम भी याद नहीं कि कौन था और कहते हैं 'होगा कोई राड़ेवाला मिनिस्टरी का गया गुज़रा सा नाम ! फिर देखिये तो इन की दलील कहते हैं कि हमने 69 या 70 या 75 करोड़ रुपया तो सारा लगाया है, इस में से 35 करोड़ रुपया कैसे गबन हो गया ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : स्पीकर साहिब, कोई time limit भी है कि इतना वक्त कोई hon. Member बोल सकते हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : अब टाइम limit आ गई ? मुझे ही कह दिया होता । मैं बैठ जाता । स्पीकर साहिब तो आज पूरी तौर पर indulgence show कर रहे हैं । उन्होंने सोच लिया है कि जो आदमी सही बातें कहना चाहता हो.....

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : सही का नमूना तो आप की तकरीर......

पंडित श्री राम शर्मा : मैं सही नहीं कह रहा तो जनाब स्पीकर साहिब मुझे यों ही बोलने दिये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे बीच में मत लाएं । (Please do not bring me in.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं तो आप की तारीफ कर रहा था ।

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : On a point of Order, Sir. इसी हाऊस में आप ने यह फैसला किया था कि दस दस मिनट हर आनरेबल मैम्बर साहिब को बोलने के लिये दिये जायेंगे । क्या इस फैसले को revise किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह उस फैसले की हद में नहीं आते । (He does not come within the purview of that decision.)

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : मेरी अर्ज़ यह है कि चूंकि agenda पर अभी business बहुत है, इस लिये अच्छा होगा अगर अब भी कोई टाइम limit मुकर्रर कर ली जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में राय लेने के लिये तैयार हूं । (I am prepared to know the desire of the House regarding this point.)

पंडित श्री राम शर्मा : यह ठीक है कि आप ने यह हुकम दिया था कि हरेक मैम्बर दस मिनट तक बोल सकेगा । आज की तमाम कार्यवाही में कितने आनरेबल मैम्बर साहिबान कितनी कितनी देर बोले, यह कहने की ज़रुरत नहीं । आप को पता है कि इस limit पर किस तरह stick किया गया था । तो क्या वह दस मिनट वाली restriction याद आई अब जब कि मैं बोलने लगा हूं? वैसे भी वह तो general discussion पर होता है कि time limit मुकर्रर की जाती है । यह नहीं हो सकता कि हर sitting में दस मिनट से ज़्यादा नहीं बोला जा सकता ।

सो, जनाब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि बड़ी हैरत का इज़हार किया गया है कि जब सारा 60 या 70 करोड़ रुपया का खर्च किया है तो 30 या 35 करोड़ रुपया का ग़बन हो गया ! यह कैसे मुमकिन हो सकता है ? कहते हैं कि यह ग़लत है । मैं कहता हूं कि यह कोई हैरत की बात नहीं । महकमा नहर और P. W .D में तो यह एक मामूल बात है । आप किसी भी काम या किसी भी मामला में देख लें 40 प्रतिशत share के बग़ैर तो किसी बात का ठेका दिया ही नहीं जाता । मैं सारे अफसरों की बात नहीं करता......

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसी तरह general remarks बढ़ाते चले जायें फिर तो इस का कोई end ही नहीं होता । (If the hon. Member continues to make such general remarks then there will be no end to them.)

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह सब कुछ relevant है general नहीं । अगर आप इसे irrelevant समझते हैं तो मैं इसे relevant बनाने की कोशिश करूंगा । आखिर यह Surcharge Bill पर शुरू से ले कर आखिर तक भाखड़ा के नाम की दुहाई दे रहे हैं तो फिर इस महकमे को क्यों नहीं बहस में लाया जा सकता है ? इस लिये मैं समझता हूं कि मैं बिल्कुल relevant हूं ।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी आप अब wind up करने की कोशिश करें । (Even then please try to wind up.)

पंडित श्री राम शर्मा : वह तो जनाब खुद भी मेरी कोशिश रही है कि ज़रुरत से ज़्यादा न बोला जाये । हां, तो यह जो इन्होंने हैरत का इज़हार किया है मुझे खुद हैरत होती है कि इन के

[पंडित श्री राम शर्मा]

महकमा नहर और P.W.D. के working पर । जहां तक इन दो महकमों का ताल्लुक है आम आदमियों को पता है कि सारे के सारे अफसर--बहुत थोड़ों को छोड़ कर जो वाकई ईमानदार होंगे--सरकारी पैसे को खाते हैं और गबन करते हैं । कुछ एक होंगे ईमानदार, मगर उन की exception होगी । बाकी सब के हिस्से तो एक तरह से बन्धे हुए होते हैं ठेकेदारों के साथ जिन्हें contract दिये जाते हैं । भाखड़ा नहरों के भी तो ठेके दिये गये, भट्टों के ठेके दिये गये । इस तरह की जो अन्दर ही अन्दर deal होती है, उसे कौन नहीं जानता ? दूर जाने की क्या ज़रूरत है ? मिसालें मौजूद हैं । सोनीपत में एक के पास 30,000 रुपये के नोट पकड़े गये । वह भाखड़ा डैम के ऊपर एक ठेकेदार ही था । एक और ठेकेदार, सोनीपत के एक गांव का था, जिस का मैं नाम नहीं लेता--उस ने एक लाख रुपया गवर्नमैण्ट को कर्ज़ा दिया । उस के पास आमदनी का और कोई ज़रिया नहीं सिवाए इस के कि वह भाखड़ा पर ठेकेदार था ।

एक आवाज़ : बैंक की मार्फत दिये होंगे ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह कहता हूं कि यह कोई हैरत की बात नहीं कि गवर्नमैण्ट के 60 या 70 करोड़ रुपये में से 30 या 35 करोड़ रुपया खुर्दबुर्द हो जाए । इतना होने पर भी कोई गिरफ़्तारी नहीं की जाती, कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की जाती । मैं कहता हूं कि भाखड़ा डैम जिस मकसद के लिये बनाया जा रहा है उस की जितनी तारीफ की जाए कम है । मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर्चि उस के अन्दर इतनी लूट खसूट हो रही है, उस से इन मिनिस्टर साहिबान को रत्ती भर भी तकलीफ नहीं हो रही । मैं आप के ज़रिये इन से पूछता हूं कि क्या यह अपने सूबे के finance के custodian नहीं ? क्या आप सरकारी पैसे पर नज़र नहीं रख सकते ? क्या आप यह नहीं देख सकते कि रुपया सही तरीका से इस्तेमाल हो रहा है ?

फिर जनाब, इस बिल में क्या है ? बताया है कि जो 10 रुपये से ले कर 30 रुपये तक मालगुज़ारी देता हो उस पर 25 प्रतिशत और जो 30 या इस से ज़्यादा रुपये देता हो उस पर 40 प्रतिशत surcharge लगाया जायेगा । वह एकड़ों का सिलसिला भी छोड़ दिया और gradation पर आ गए । पर यह gradation भी क्या की है ? दस से लेकर 30 तक और तीस से लेकर आसमान तक ले गए हैं । यहां पर कोई बहुत भारी जमींदारियां तो हैं नहीं जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं । अगर वैसी ही जमींदारियां हों तो मैं कहता हूं कि आप बेशक जितना चाहें टैक्स लगाएं । मुझे ऐसे बड़े बड़े सरमायादारों से कोई हमदर्दी नहीं । लेकिन यह क्या इन्साफ और fairplay है कि 10, 11 या 12 रुपया मालगुजारी देने वालों को सरमायादारों में गिन लिया जाये ? जब इन की ऐसी हरकात पर एतराज़ किया जाए तो फिर इन्हें तकलीफ होती है--हैरत होती है ! इस लिये मैं पूछता हूं कि क्या 10 रुपये चार आने मालगुज़ारी देने वाला सरमायादार कहलाएगा ? शुरु में तो यों कहा करते थे कि 25 रुपये तक मालगुज़ारी देने वाले से एक पैसा भी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये । आज भी West Bengal में जहां कांग्रेस पार्टी की ही हुकूमत है 10 बीघे ज़मीन वाले मालिक से कोई मालगुजारी नहीं ली जाती । मगर 10 रुपये मालज़ारी वालों को छोड़ कर इस अन्दाज़ से बातें करते हैं गोया उन से मालगुज़ारी लेना भी मुआफ कर दिया हो ।

आज की बहस में उठाई गई तमाम बातों का मैंने एक एक करके जवाब दे दिया है । इस लिये अगर अब भी गवर्नमेंट को इस बात का मुगालता हो कि ज़मींदार इस के इस Act पर खुश हैं तो मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि वह एक बड़े भारी भ्रम में पड़ी हुई है। अगर आप का यह विश्वास सत्य है तो जब आप बाहर जाते हैं तो आप का प्रेम और उत्साह के साथ स्वागत क्यों नहीं होता ? हां, आप का स्वागत होता है ज़रूर पर काली झंडियों से । जहां तक स्वागत का सम्बन्ध है मिनिस्टर साहिब रोहतक से तशरीफ ले जा रहे हैं तो घंटों सड़क पर आमदोरफ़त बन्द कर दी जाती है । लन्दन में चर्चिल और Queen आम आमदोरफ़त में फिर सकते हैं । उन को देखने के लिये—उन के दर्शन करने के लिये—लोग queue में खड़े हो सकते हैं पर यहां का तो सिस्टम ही निराला है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सब कुछ Surcharge वाले बिल से relevant है ? (Is this all relevant to the Land Revenue (Surcharge) Bill?)

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब, मेरे कहने का मतलब यह है कि इन के आने पर एक घंटा नहीं बल्कि घंटों पहले रास्ते बन्द हो जाते हैं क्योंकि यह जनता के नुमाइंदे जो ठहरे ! फिर जनता के साथ इन की हमदर्दी के भी कुछ नमूने देखिये । इन के सामने फरियाद आती है—एक हरिजन लड़की की लाश इन के सामने रखी जाती है और कहा जाता है कि ज़रा मुलाहिज़ा तो फरमाइए अपनी पुलिस के कारनामों का ! मगर अफसोस !! कोई कार्यवाही नहीं की जाती, कोई magisterial enquiry नहीं की जाती । अगर ऐसा हुआ हो—अगर आप समझते हों कि मैं गलत कह रहा हूं तो एक आध केस का ही नाम लेकर बता दीजिये जहां पर आपने उन के कहने पर कोई action लिया हो ?

स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट उन ज़मींदारों से जो कि दस रुपया से ज्यादा मालगुज़ारी देते हैं, यह surcharge लेने तक ही चुप नहीं रहेगी, उन से कर्ज़े लेगी, उन पर और tax लगा देगी । यही surcharge बढ़ा देगी । मैं आप को बताता हूं कि किस तरह $3\frac{3}{4}$ लाख रुपया कर्ज़े का नाम ले कर उन लोगों से ज़िला रोहतक में official pressure डाल कर वसूल किया गया है और यह ज़्यादा तर consolidation staff ने लोगों पर ज़ोर डाल कर वसूल किया है । और फिर उन से यह रुपया Punjab National Bank में जमा करवा कर और उन से Bonds लिखवा कर सवा दो करोड़ रुपया National Plan Loan में दिया गया दिखाया गया है । यही वजह है कि ज़िला रोहतक ने सारे पंजाब के बाकी सब ज़िलों में से सब से ज्यादा कौमी कर्ज़े के लिये contribute किया है और इसी तरह तहसील सोनीपत रोहतक की बाकी तहसीलों में first रही है । मैं समझता हूं कि इन्होंने उन गरीबों से जबरदस्ती कर्जे लेकर उन पर डाके डाले हैं । मैं ने इस सिलसिले में श्री देशमुख जी को एक चिट्ठी लिखी थी ।

अध्यक्ष महोदय : आप कई कई irrelevant बातें कह कर हाऊस का ज्यादा time ले रहे हैं । (The hon. Member is taking much of the time of the House by referring to irrelevant things.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं ने तो यह कहा है कि यह उन जमींदारों से यही surcharge ले कर ही बस नहीं करेंगे । उन से कर्ज़ लेंगे । फिर यह उन से किसी ऐसी factory के share लेने को कहेंगे जो बाद में चाहे दिवालिया ही हो जाए । मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि अगर यह ऐसी ही चीजें करते रहे तो इन का East Bengal की तरह ही हशर होगा और इन का मुंह उसी तरह काला होगा ।

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : On a point of personal explanation, Sir, यह जो पंडित जी ने गलत बयानियों का पलन्दा हाऊस के सामने रखा है मैं उस बारे में ....

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. यह क्या उन का point of personal explanation हुआ कि जो मैं ने गलत बयानियों का पलन्दा रखा है उस पर..

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : पंडित जी ने अपनी स्पीच के दौरान में कहा है कि देहाती इलाके की by-election में पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने दो-तिहाई सीटें हारी हैं तो मैं इस बारे में.........

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. यह क्या personal explanation हुआ ? जहां तक मैं समझता हूं कि अगर किसी आदमी के बारे में कुछ कहा गया हो तो इस बारे में personal explanation देना जायज़ बात है; लेकिन अगर किसी ने किसी और चीज़ के बारे में कोई दलील दी हो तो उस के जवाब में क्या personal explanation दी जा सकती है ?

Mr. Speaker : Order, order.

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : यह पंडित जी का दखल दर माकूलात है । मैं ने अर्ज़ किया है कि मुझे बोलने का मौका दिया जाये ताकि मैं बता सकूं कि हमारी पार्टी के बारे में पंडित जी ने कहां तक गलत बयानी से काम लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस शकल में तो ठीक है । आप explanation दे सकते हैं । (It is right in this form. You can give an explanation.)

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : स्पीकर साहिब, जो by-election, पंजाब में हुई हैं मैं उन की सही position हाऊस के सामने रख देता हूं । यह बात मैम्बर साहिबान देख लेंगे कि आया मेरी तरफ से गलत बयानियां की गई हैं और दखल दर माकूलात किया गया है या पंडित जी की तरफ से ।

पहली by-election ज़िला कांगड़ा के देहाती हलक की हुई थी जो हम ने जीती थी । दूसरी, जनाबेवाला, गुरदासपुर ज़िला की हुई थी । यह election भी देहाती हलका की थी और वह भी हम ने जीती थी । तीसरी सीट अमृतसर के शहरी हलके की हम ने जीती थी । फिर नकोदर की देहाती सीट हम ने हारी थी । इस के बाद गुड़गांव ज़िले की by-election भी कांग्रेस ने जीती थी । इस के बाद डबवाली, ज़िला हिसार की सीट भी कांग्रेस ने जीती थी । फिर एक double seat मोगे की कांग्रेस ने हारी थी । इस के बाद खुइयां सर्वर की सीट हमने जीती थी । फिर रोपड़ की double seat में से एक कांग्रेस ने जीती थी और एक हारी थी । फिर Upper House की एक सीट की by-election जो हुई थी वह भी कांग्रेस ने जीती थी ।

इस के अलावा कांग्रेस ने Parliament की सीट भी जीती है जिस में सात देहाती हलके हैं। अगर यह दो-तिहाई हैं तो खुदा बचाये इन से।

Mr. Speaker : There was no occasion for counting these successes and defeats. I have given him an opportunity to explain the position. However, I will not allow such irrelevancies in future.

Chief Minister : Sir, may I request that both sides of the House be warned that in future no such irrelevancies be indulged in ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सिंचाई मंत्री से भी कहूंगा कि आप ऐसे लफ़्ज़ इस्तेमाल न किया करें जो खामखाह तलखी पैदा करने वाले हो (I would also request the Minister for Irrigation not to use any such words which may generate unnecessary heat.)

सिंचाई मंत्री : यह तो इन्होंने कहा था कि यहां भी East Bengal जैसा हश्र होगा और इसी पार्टी का मुंह काला होगा मगर अब तो यह ज़ाहिर है कि अभी तो मुंह इन का काला हुआ है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या आप इस बेहूदा बकवास को रोक नहीं सकते।

सिंचाई मंत्री : बकवास आप करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह लफ़्ज़ वापस लें। (Please withdraw these words).

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह लफ़्ज़ वापस लेता हूं लेकिन जो लफ़्ज़ मिनिस्टर साहिब ने इस्तेमाल किये हैं वह रहने दिए जायें और इन्हें वापस लेने को न कहा जाए क्योंकि वह मिनिस्टर हैं।

सिंचाई मंत्री : मैं अपने लफ़्ज़ वापस लेता हूं।

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion was challenged. The bells were then rung. The Speaker again ascertained the votes by voices and declared that the opinion was unnecessarily challenged.

The motion was declared carried

Mr. Speaker : Question is—

In sub-section (1) lines 6—10,—

for "five acres........................more than thirty acres" *substitute* "twenty acres shall be liable to pay a surcharge on land revenue to the extent of one-quarter of the land revenue if his total holding does not exceed forty acres, and equal to land revenue where such holding is fifty acres but does not exceed hundred acres and double the land revenue where such holding is more than hundred acres."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

For the existing sub-clause (1), and the explanation thereunder, *substitute*—

"(1) With effect from the Rabi harvest of the agricultural year 1953-54, and notwithstanding anything to the contrary contained in the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act XVII of 1887) every land owner who pays land revenue in the State of Punjab, in excess of ten rupees shall be liable to pay a surcharge thereon to the extent of one quarter of the land revenue if the amount payable by him as land revenue does not exceed thirty rupees, and two-fifths of the land revenue where the amount payable by him exceeds thirty rupees."

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it." This opinion was challenged. The bells were then rung. The Speaker again ascertained the votes by voice and declared that the opinion was unnecessarily challenged.

The motion was declared carried.

Mr. Speaker : Question is—

For the existing sub-clause (3) *substitute*—

"(3) A landowner, liable to pay the surcharge whose land is situated within the jurisdiction of more than one Patwari, and who has not, before the commencement of this Act, given such information, shall within thirty days from the commencement thereof, give written information of the details of the total land revenue payable by him to the Patwari of every revenue estate in which any part of such holding is situate and shall also submit a copy thereof to the Tahsildar having jurisdiction."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

After ascertaining the votes of the House by the voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it." This opinion was challenged. The bells were then rung. The Speaker again ascertained the votes by voices and declared that the opinion was unnecessarily challenged.

The motion was declared carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) *of Clause 1*

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Land Revenue (Surcharge) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Land Revenue (Surcharge) Bill, as amended, be passed.

Please be relevant and try to avoid repetition.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ repetition ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚਲਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਭੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਉ ਮਗਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੱਜਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਬਾਅਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਏਕੜਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ revenue ਨੂੰ basis ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ? Revenue ਨੂੰ basis ਬਣਾਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਏ ਤਕ ਮਾਫ਼ੀ ਰਖੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਏਕੜ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ clause ਮੁਤਾਬਕ 25 ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਏ ਤੱਕ ਬਰੀ ਸੀ ਮਗਰ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਮਾਲੀਆ ਹੈ । ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਬਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਏ ਤਕ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਏਕੜ ਤਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ । ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਜਾਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ M. L. As. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਨੇਹਾ ਲੈਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਭੱਤਾ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਇਹ amendment ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ; ਸੋਚ ਲਉ । ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਨੁਕਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਧਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਾਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਪਾਉ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ Ordinance ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਹੋਰ ਭੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਉ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ । ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ] ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਜੇਕਰ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ।

श्री समर सिंह (घरोंडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपनी सरकार से कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं । एक तो यह है कि इस सरकार द्वारा ज़मीदारों के साथ बेइन्साफी हुई है पिछले 40 साल से करनाल के ज़िले के अन्दर हालात बिगड़ रहे हैं । यह इलाका water logging का इलाका है । इस इलाके वालों ने कई दरखास्तें की कि इन का मालिया मुआफ करो परन्तु इन की दरखास्तों पर कोई विचार नहीं किया गया और जवाब यह दे दिया गया कि आप का मालिया अगली settlement में मुआफ करेंगे । यह हालत हमारे ज़िला की है । हम चाहते थे, कि इस इलाका की ज़मीन खराब है इस लिये इस की तरक्की हो लेकिन यहां वह कहते रहे कि आप का मामला अगली settlement में मुआफ करेंगे और अब surcharge ले आएं । यह तो वही बात है कि "गए थे नमाज़ बखशवाने रोज़े गले पड़ गये ।" हम तो इस इन्तज़ार में थे कि हमारी दरखास्त पर गौर होगा, टैक्स मुआफ होगा परन्तु अचानक surcharge का बिल ले आए । आप को करनाल के ज़िले में ऐसे ज़मींदार भी मिलेंगे जिन की ज़मीन का 3 प्रतिशत भी ज़मींदारी के लायक नहीं लेकिन कुछ ऐसी है जो 10 प्रतिशत अच्छी है या 25 प्रतिशत है । अब इन सब के साथ बेइन्साफी होगी अगर इस बिल को लागू करते वक्त इस ज़मीन की किस्म का ध्यान न रखा जाये । इस लिये मुझे आशा है कि इस टैक्स के लागू करते समय इन ज़मीनों की किस्म का ख्याल रखा जाएगा ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬੀ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ record ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 253 ਦਿਨ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ tax structure ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਹੀ ਨੱਸ ਭਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸਾਂ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਬਾਦ ਇਹ Ordinance ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ surcharge revenue ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ amendment ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ amendment ਨਾਲ ਉਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ basis ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ amendment ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਲਈ ਨਵੀਂ basis ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦੀ । ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ powers ਨੂੰ misuse ਕਰਦੀ ਹੈ । ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆਂ ਨਹੀਂ । ਸਪੀਕਰ

ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Land Revenue ਦਾ criterion ਹੈ produce. Land Revenue ਦਾ ਸੰਬੰਧ produce ਦੇ share ਨਾਲ ਹੈ । ਇਸ Land Revenue ਨੂੰ produce ਦੇ share ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ illegal ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ nullify ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ legislation ਨੂੰ rush through ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ unfortunate ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ cost of living ਕਿਤਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ index 400 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ net result ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਮਣ ਸੀ ।

ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੱਸੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਤਾਂ Capital Account ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, Revenue Account ਤੋਂ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 59 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ Capital Account ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਟੈਕਸ ਜੋ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ Revenue Account ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Revenue Account ਤੇ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ loans ਲਏ ਗਏ ਹਨ, Betterment Fee ਲਗਾਈ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਕੂਲ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ revaluation ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ illegal ਹੈ ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ (हसनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज आधी रात से बाद की की हुई स्पीचें सुनने का मौका मिला है और मालूम यह हुआ कि Opposition आधी रात को गरजती है । कोई साहिब गुड़गांव के बारे में गरज रहे थे कि इसका बन्दोबस्त नहीं हुआ और अगर वहां पर arbitrary surcharge लगाया जायेगा तो अच्छा न होगा । और फिर कहा गया कि इस के बन्दोबस्त पर पौने चार लाख रुपया खर्च हो गया ! मुझे इन सब बातों को सुन कर अचंभा हुआ । अचम्भा तो यह है कि मेरे एक गुड़गांव के साथी भी उठ खड़े हुए और कहने लगे कि वहां हस्पताल नहीं ....

श्री बाबू दयाल : मैंने कहा था मिट्टी डलवाई है (हंसी) ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : मैं और वह इकट्ठे रहे हैं। हम ने मिल कर काम किया है और अपने ज़िले के कामों के बारे में वज़ीरों के पीछे भागते रहे हैं। अब वह इस बात को भूल गये हैं।

खैर, जहां तक रोहतक का ताल्लुक है वह तो बंगाला है। यह लोग मिल के चलें तो एक वज़ीर मिल जाता है और अगर लड़ पड़ें तो दो वज़ीर हो जाते हैं। आज की सारी बहस को देख लीजिये। खाह 4 करोड़ की स्कीम हो, चाहे भाखड़ा डैम का ज़िक्र हो और चाहे पहले वज़ीर और मौजूदा वज़ीर में दो दो हाथ हों हर हालत में ज़िक्र रोहतक ही का रहा।

अब इस surcharge के बारे में हमें देखना यह है कि वह पैसा लगता कहां है। एक साहिब ने Revenue Account और Capital Account का सवाल उठाया है। उन्होंने यह नहीं समझा कि एक से बचा कर दूसरे पर लगा दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हर हालत में लोगों पर ही खर्च होता है।

Development Fund के बारे में अर्ज़ है कि partition से पहले भी एक Development Fund होता था। उस में काफी लूट मचती रही। यह Development Fund कैसे बनता था? बहुत से लोग जो राय साहिब और खां साहिब बनने के ख़ाहिशमन्द होते थे उनसे दस २ बीस २ हज़ार रुपया ले लेते थे। फिर दूसरा तरीका यह था कि.....

अध्यक्ष महोदय : मगर इन सब बातों का यहां क्या ताल्लुक है? (But how is all this relevant here?)

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : बहुत अच्छा, मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूं। Surcharge के बारे में अर्ज़ है कि फ़ायदों के मुकाबिले में यह मामूली चीज़ है। मुझे याद है कि जब हम लाहौर जाया करते थे तो सिर के बाल गर्द से भर जाया करते थे और बुरा हाल होता था। और अब दिल्ली जाते हैं तो हर तरफ बिजली के तार, नहरें, और सरसब्ज़ इलाका पाया जाता है। Community Projects वग़ैरा की वजह से अब वह पहला सा हाल नहीं रहा। इस वास्ते मैं कहता हूं कि एक साहिब ने तो Surcharge को "सर का चार्ज" बताया है लेकिन मैं इसे "जनता का सुरचार्ज" कहूंगा। इस लिये मेरा ख्याल है कि यह जल्दी से जल्दी होना चाहिये। हमारे हां गुड़गांव में तो यह पहले ही मौजूद है। जब हम इसे बरदाश्त कर रहे हैं तो आप भी कर लें।

Shri Mool Chand Jain : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Land Revenue (Surcharge) Bill, as amended, be passed.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim or a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

THE PUNJAB PREVENTION OF EJECTMENT BILL, 1954

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to introduce the Punjab Prevention of Ejectment Bill.

Chief Minister : Sir, with your permission, instead of moving the motion that the Punjab Prevention of Ejectment Bill be taken into consideration at once, I will move the following motion—

That the Punjab Prevention of Ejectment Bill be referred to a Select Committee consisting of—

(1) The Mover.

(2) Sardar Partap Singh Kairon, Minister for Development.

(3) Chaudhri Lahri Singh, Minister for Irrigation.

(4) Shri Devi Lal, M.L.A.

(5) Sardar Mohan Singh, M.L.A.

(6) Shri Mool Chand Jain, M.L.A.

(7) Shri Chand Ram Ahlawat, M.L.A.

(8) Shrimati Dr. Parkash Kaur, M.L.A.

(9) Sardar Ajmer Singh, M.L.A.

(10) Comrade Ram Kishan, M.L.A.

(11) Shri Daulat Ram Sharma, M.L.A.

(12) Sardar Partap Singh Rai, M.L.A.

(13) Sardar Harkishan Singh Surjit, M.L.A.

(14) Chaudhri Sri Chand, M.L.A.

(15) Thakur Mehar Singh, M.L.A.,

with a direction to report to the House by the 15th of December, 1954.

स्पीकर साहिब, मैं थोड़े वक्त के लिये House की तवज्जुह चाहता हूं । यह बिल एक बड़ा ज़रूरी बिल है । यह अहमियत वाला बिल है । इस House को याद होगा कि जब हमने Security of Land Tenure वाला Act पास किया था उस वक्त यह ख्याल ज़ाहिर किया गया था कि जो ज़मीन के मालिक हैं और जिन लोगों की ज़मीनों को लोग बतौर मुज़ारों के काश्त करते हैं वे उन हालात को जिन की बिना पर वह Act बनाया गया था कायम रहने देंगे यानी यह कि जो 30 standard acres से कम ज़मीनों पर मुज़ारे हैं वे एक मालिक की मरज़ी पर बेदखल न हो सकेंगे । उम्मीद ज़ाहिर की गई थी कि मालिक मुज़ारों को बेदखल करने का ख्याल न करेंगे सिवाए उन हालात के जिन का कि ज़िक्र Act में आया है । उस वक्त मैंने यह भी कहा था कि अगर यह बात कामयाब न हुई तो हमें कुछ और करना होगा । हम देखते हैं कि बावजूद ज़मीन के मालिकों को यकीन दिलाने के कि उन्हें किसी किस्म का खदशा न होना चाहिये और बावजूद पूरी कोशिश करने के कि मालिकों और मुज़ारों में राज़ीनामे हो जायें और मुज़ारे बेदखल न हों हमें कामयाबी तो हुई परन्तु काफी कामयाबी नहीं हुई । हमारी कोशिशों के बावजूद मुज़ारों को 60 हज़ार notices मिले । 29 हज़ार के करीब तो राज़ीनामे हो गये । 12 हज़ार के करीब cases contest हुए । इस का

[मुख्य मन्त्री]

नतीजा यह हुआ कि कुछ हालात पैदा हो गये जो परेशानी पैदा कर सकते हैं । चूंकि एक बुनियादी चीज़ है कि मुज़ारे की हिफाज़त हो और जब तक वे उन शर्तों को पूरा करता है जिनका ज़िक्र Act में है यानी लगान वगैरा देता है तो उसे तहफुज़ मिलना चाहिये और किसी आदमी को उसे बेदखल न कर सकना चाहिये । मगर बावजूद इस सारे कहने के और कोशिश के मुज़ारे बेदखल हुए और उन की बेदखली बग़ैर वजह के हुई और इस ख्याल से की गई कि जो मुज़ारे हैं उन्हें बेदखल कर लें क्योंकि अगर वह मुज़ारे रहे तो शायद ज़मीन मेरे हाथ से निकल जाये । इस किस्म का खदशा हो तो सारे समाज के इन्तज़ाम में गड़बड़ पैदा हो जाती है । अब जो गवर्नमैण्ट की basic policy है वह यह है कि मुज़ारे को हत्तलवस्साह बेदखल नहीं होना चाहिये जब तक कि वह बाकायदा तौर पर लगान देता हो और जो शर्तें इस एक्ट में तजवीज़ की गई हैं उस की खिलाफवर्ज़ी न करता हो । कोई वजह नहीं कि कोई आदमी खाह मखाह परेशान हो जाये और उसे इधर से उधर भटकाया जाये । इन्हीं बातों का ख्याल करते हुए हमें Ordinance जारी करना पड़ा । यह मुसल्लमा बात है कि land reforms की आखरी शक्ल अभी तक तय नहीं हो पाई और जो बुनियादी असूल है वह यह है कि काश्त करने वाले और गवर्नमैण्ट के दरमियान कोई intermediary नहीं होना चाहिये । जहां मुज़ारे हैं उन्हें पूरी पूरी security मिलनी चाहिये । अब इस के साथ एक चीज़ यहां आ जाती है कि एक 30 standard acres से नीचे वाली क्लास है और दूसरी 30 standard acres से ऊपर वाली । आज हालत यह है कि एक जगह में एक आदमी 30 standard acres से ज़्यादा ज़मीन अपने लिये नहीं रख सकता मगर उस के मुकाबले में दूसरा आदमी है जो 30 ही क्या 300 बल्कि 3,000 एकड़ ज़मीन अपने पास रख सकता है । अभी तक इस सवाल का हल कि किस के पास कितनी ज़मीन रहनी चाहिये, पंजाब में नहीं हुआ । बहुत सी ज़मीन ऐसे लोगों के पास इस कानून के मुताबिक हो सकती है जिस के पास पहले ही अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ज़मीन हो और उस के मुकाबले में वह लोग जो मुज़ारे हैं वह ज़मीन से बेदखल कर दिये जायें और बग़ैर किसी ज़मीन के बेरोज़गारी में पड़े रहें । यह हालात तसल्ली बख्श नहीं हैं और इन चीज़ों का हल हम ने निकालना है और इस के मुतअल्लिक फैसला करना है । इन फैसलों में मैं समझता हूं कि काफी वक्त लगेगा क्योंकि मुख्तलिफ जगहों में हालात मुख्तलिफ हैं इस लिये एक All-India Policy evolve करने में कुछ वक्त लगेगा । मैं समझता हूं कि इस बात का फैसला जल्दी हो जायेगा कि ceiling क्या मुकर्रर की जाये और इस बारे में क्या तरीके अमल अख्तियार किया जाये । इन चीज़ों की अहमियत को समझते हुए मैं ने यह समझा कि यह बिल Select Committee के सुपुर्द कर दिया जाये ताकि मैम्बर साहिबान Select Committee की बैठक में सारे हालात को मुख्तलिफ नुकता निगाह से अच्छी तरह से विचार कर के अपनी सिफारिश करें ताकि रोज़ रोज़ की परेशानी किसी को न हो । मैं समझता हूं कि यह दुरुस्त है कि पहले ceiling की हद 100 standard acres थी फिर 50 standard acres हुई और फिर 30 standard acres हुई । इस से लोगों में काफी परेशानी होती है । ज़मीन के छोटे मालिक को कोई अंदेशा नहीं होना चाहिये कि वह मुज़ारे को बेदखल करे । बावजूद इस के कई मुज़ारों को बेदखली के नोटिस मिले और वह बेदखल हो गये ।

20 standard acres से ऊपर वाले जिन्होंने ज़मीन reserve कराई थी उन की बेदखली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस से ज़्यादा ज़मीन के मालिक हैं और वह मुज़ारे हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई बहस तलब मामला नहीं है क्योंकि इस बिल के मुख्तलिफ पहलुओं पर ग़ौर Select Committee में हो जायेगा और वह कमेटी अपनी सिफारिशात कर देगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर वाज़ेह कर देना चाहता हूं और वह यह है कि मुज़ारों की खाहमखाह ऐसी बेदखलियों की कुछ वजूहात ऐक्ट में दी हुई हैं जो इस हाऊस ने पास किया हुआ है। असल में उस को बेदखल करने का जो ख्याल है वह ग़लत है और उस ख्याल की कामयाबी की कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं देती। अगर मजबूरन किसी वक्त करना पड़े तो कानून का सहारा लेना पड़ता है। और जहां ज़मीन के मालिक हैं उन को भी यह समझना चाहिये कि आजकल जो हालात हैं उन की रफ़्तार बिल्कुल मुख्तलिफ है।

यह जो पुराने ढंग का मुज़ारा सिस्टम है, यह उसी तरह नहीं चल सकता। इस को कायम रखने के लिये जो कोशिश की जा रही है वह बेसूद है। आज के ज़माने में कोई आदमी यह नहीं सोच सकता कि वह अपने मुज़ारे को जब चाहे निकाल दे और ज़मीन पर कब्ज़ा कर के बैठा रहे जब कि दूसरे लोग भूखे मर रहे हों।

दो चीज़ें हैं जिन का हमें ख्याल रखना चाहिए—एक तो produce बढ़नी चाहिए और दूसरा यह कि मुज़ारे अपने आप को महफूज़ समझें और बाइज़्ज़त शहरियों की तरह ज़िन्दगी व्यतीत कर सकें।

हमारे सामने एक और बड़ी समस्या भी है। वह है हरिजनों और दूसरे landless लोगों की। यह भी एक बड़ा problem है। इस के बारे में हमारी policy यह है कि हम ऐसे आदमियों से ज़मीन ले कर जिन से मिल सकती है इन लोगों को दें ताकि वे अपना गुज़ारा कर सकें।

अब मैं देहात के अन्दर रहने वाले भाइयों और खास तौर पर उन को जो ज़मीनों के मालिक हैं एक appeal करना चाहता हूं। देहातों में सिर्फ ज़मीनों के मालिक ही नहीं रहते बल्कि वह लोग भी काफी तादाद में बसते हैं जिन के पास ज़मीन नहीं है मगर जो ज़मींदारों को खेती के काम में मदद देते हैं। ज़मींदार लोग दूसरी किस्म के लोगों को खाहमखाह इस लिये बेदखल करते हैं कि कोई आदमी उन की ज़मीन पर मुसलसल ज़्यादा देर तक न बैठा रहे। ज़मींदार लोग उन्हें अपने जानवरों के लिये घास तक नहीं लेने देते। उन्हें सुबह रफाए हाजत करने के लिये कहीं जाने में भी दिक्कत होती है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि दोनों किस्म के लोग देहात की ज़िन्दगी का बराबर का हिस्सा हैं। एक के बग़ैर दूसरा ज़िन्दा ही नहीं रह सकता। अगर वह सारे साहिबान जिन का असरो रसूख है कोशिश करें तो देहाती ज़िन्दगी में से नफरत और लड़ाई झगड़े दूर हो जायेंगे और लोगों में पहले जैसा प्रेम और मुहब्बत आ जायेगी। यह एक ऐसी बात है जिस पर मेरे ख्याल में सब को इत्तफाक होगा, जिस पर किसी को इख्तलाफ राए नहीं हो सकता।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Prevention of Ejectment Bill be referred to a Select Committee consisting of—

(1) The Mover.

(2) Sardar Partap Singh Kairon, Minister for Development.

[Mr. Speaker]

(3) Chaudhri Lahri Singh, Minister for Irrigation.

(4) Shri Devi Lal, M.L.A.

(5) Sardar Mohan Singh, M.L.A.

(6) Shri Mool Chand Jain, M.L.A.

(7) Shri Chand Ram Ahlawat, M.L.A.

(8) Shrimati Dr. Parkash Kaur, M.L.A.

(9) Sardar Ajmer Singh, M.L.A.

(10) Comrade Ram Kishan, M.L.A.

(11) Shri Daulat Ram Sharma, M.L.A.

(12) Sardar Partap Singh Rai, M.L.A.

(13) Sardar Harkishan Singh Surjit, M.L.A.

(14) Chaudhri Sri Chand, M.L.A.

(15) Thakur Mehar Singh, M.L.A.

with a direction to report to the House by the 15th of December, 1954.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : Sir, as an amendment to the motion moved by the Chief Minister, I beg to move—

That the Punjab Prevention of Ejectment Bill be referred to a Joint Select Committee consisting of—

(1) Shri Bhim Sen Sachar, Chief Minister.

(2) Sardar Partap Singh Kairon, Minister for Development.

(3) Chaudhri Lahri Singh, Minister for Irrigation.

(4) Shri Devi Lal, M.L.A.

(5) Sardar Mohan Singh, M.L.A.

(6) Shri Mool Chand Jain, M.L.A.

(7) Shri Chand Ram Ahlawat, M.L.A.

(8) Shrimati Dr. Parkash Kaur, M.L.A.

(9) Sardar Ajmer Singh, M.L.A.

(10) Comrade Ram Kishan, M.L.A.

(11) Shri Daulat Ram Sharma, M.L.A.

(12) Sardar Partap Singh, Rai M.L.A.

(13) Sardar Harkishan Singh Surjit, M.L.A.

(14) Chaudhri Sri Chand, M.L.A.

(15) Thakur Mehar Singh, M.L.A.

(16) Shri Teg Ram, M.L.A.

(17) Shri Sadhu Ram, M.L.A.

(18) Shri Dharam Vir Vasisht, M.L.A.

and 7 Members of the Punjab Legislative Council with a direction to report by the 15th December, 1954.

Mr. Speaker : Motion under consideration; amendment moved—

That the Punjab Prevention of Ejectment Bill be referred to a Joint Select Committee consisting of—

(1) Shri Bhim Sen Sachar, Chief Minister.

(2) Sardar Partap Singh Kairon, Minister for Development.

(3) Chaudhri Lahri Singh, Minister for Irrigation.

(4) Shri Devi Lal, M.L.A.

(5) Sardar Mohan Singh, M.L.A.

(6) Shri Mool Chand Jain, M.L.A.

(7) Shri Chand Ram Ahlawat, M.L.A.

(8) Shrimati Dr. Parkash Kaur, M.L.A.

(9) Sardar Ajmer Singh, M.L.A.

(10) Comrade Ram Kishan, M.L.A.

(11) Shri Daulat Ram Sharma, M.L.A.

(12) Sardar Partap Singh Rai, M.L.A.

(13) Sardar Harkishan Singh Surjit, M.L.A.

(14) Chaudhri Sri Chand, M.L.A.

(15) Thakur Mehar Singh, M.L.A.

(16) Shri Teg Ram, M.L.A.

(17) Shri Sadhu Ram, M.L.A.

(18) Shri Dharam Vir Vasisht, M.L.A.,

and 7 Members of the Punjab Legislative Council with a direction to report by the 15th December, 1954.

श्री बाबू दयाल (सोहना): अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि यह बिल इस Select Committee के सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिये। यह बिल इस लिये इस Select Committee को भेजा जा रहा है ताकि इस पर अच्छी तरह बहस न हो और इस की खामियां हाऊस के सामने न आयें। इसी लिये Select Committee में किसानों के सही नुमाइंदों और Socialist viewpoint रखने वाले मैम्बरों को नहीं रखा गया। हरिजनों से हमदर्दी जाहिर की गई है मगर उन का कोई नुमाइंदा नहीं रखा गया।

(आवाजें : श्री चांद राम जो रखे गए हैं)

श्री बाबू दयाल : कोई M. A., LL. B. भी गरीबों की नुमाइंदगी कर सकता है ? उन का कोई गरीब नुमाइंदा रखा जाना चाहिए जो उन की तकलीफों को समझता हो।

An hon. Member : Should you be included in the Select Committee for this purpose ?

श्री बाबू दयाल : मैं हरिजन तो नहीं हूं मगर उन से मिलता जुलता हूं । मैं तो उन की नुमाइंदगी करने को फखर की बात समझता हूं । हिंदुस्तान का हर गरीब आदमी हरिजनों के बराबर है ।

स्पीकर साहिब, अब जो Select Committee यह लोग बना रहे हैं इसी नीयत और गरज़ से बना रहे हैं कि किसी तरह इस मामला को टाला जाये और एक तरफ तो यह मानते हैं कि बेचारे मुज़ारों को बड़ी तक्लीफ है और दूसरी तरफ इस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है । एक तरफ तो यह कहा जाता है कि जो मुजारे बिल्कुल खाली हैं जिन के पास कुछ भी ज़मीन नहीं है........(interruptions)

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो यह है कि यह बिल Joint Select Committee को refer किया जाये या न किया जाये ।

(The point at issue is whether this Bill be referred to a Joint Select Committee or not.)

श्री बाबू दयाल : मेरी गुज़ारिश है कि यह बिल हाऊस में अभी discuss होना चाहिये और Joint Select Committee को नहीं refer होना चाहिये ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, मैं माननीय मुख्य मंत्री की तजवीज़ की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आप जानते हैं यह मामला निहायत ही अहम है इसके साथ सारे सूबे के लोगों की ज़िन्दगी वाबस्ता है । जगह जगह पर मुज़ारे और Land-lords के बीच लड़ाइयां होती रही हैं, गोलियां चलती हैं और आये दिन नये से नये मुकदमात सुनने में आते हैं । जब से शानदार हाऊस कायम हुआ है तब से ही यह मसला इस के ज़ेरे ग़ौर है । कौन नहीं जानता कि इस मसले से न सिर्फ पंजाब के मुज़ारे, न सिर्फ पंजाब के ज़मींदार बल्कि देश के मुहज़्ज़ब नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू भी परेशान हैं । इतने परेशान हैं कि वह सारे पंजाब से उलझे, हकूमत से उलझे । उन्होंने पूछा कि इस अहम और उलझे हुए मसले को और क्यों उलझाया जा रहा है ? स्पीकर साहिब, मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं हकूमत कोई राह निकालती क्यों नहीं कोई फतवा देती ? अगर इस को हल करने की फोरी ज़रूरत ही न होती तो Ordinance न जारी किया जाता । Ordinance जारी किया गया और इसी सिलसिले में यह बिल लाया गया । लेकिन बाद में इन को ख्याल आया कि इस की बड़ी बड़ी implications हैं और बड़े बड़े नतीजे अख़ज़ होंगे । Ceiling का फैसला होने वाला है, यह होने वाला है और वह होने वाला है । हम से भूल हो गई है । स्पीकर साहिब, इनके दिमागों में बहुत सी उलझनें भरी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि—जब दिन बुरे होते हैं तो इनसान इस तरह बे सोचे समझे बहुत सारी बातें कर जाता है जिस तरह कि हमारे मुख्य मंत्री ने की है । जिस काम के लिए उन्होंने इतनी भारी publicity की, इतना रुपया ज़ाया किया और कहते रहे कि हम मुज़ारों की भलाई के लिये बिल ला रहे हैं अब उसी को खटाई में डालने की कोशिश कर रहे हैं । यह समझते हैं कि Ordinance अपनी मौत आप मर जाये—और झगड़े और ज़्यादा होंगे । लेकिन फिर भी इस को टाल रहे हैं । स्पीकर साहिब, यह मसला इस लिए

और भी ज़्यादा उलझा हुआ है कि कुछ भाई ऐसे थे जो कि partition के वक्त West Punjab से तबाह हो कर आये थे, बहू बेटियों की इज़्ज़त को गंवा कर आये थे और ज़मीन छोड़कर आये थे। उन में से बहुत सारे मुज़ारे थे और कुछ छोटे ज़मींदार भी थे। सब जानते हैं कि यह मसला मुज़ारों का भी है और छोटे २ ज़मींदारों का भी है। अब इसे Select Committee के हवाले किया जा रहा है। स्पीकर साहिब, न जाने उस कमेटी की meetings होंगी या न होंगी लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि इतने अहम मसले को क्यों postpone किया जा रहा है जिस के लिये पंडित जी खुद इतने anxious हैं। अगर यह लोग पहले ही सोच समझ कर और तमाम पहलुओं पर गौर कर के फैसला करते तो सरदार शमशेर सिंह का नाम Select Committee की motion के notice में न रखते। स्पीकर साहिब, मैं नहीं कहता कि यह सब बातें अपनी पार्टी के मैम्बरों को खुश करने की खातिर की जाती हैं। यह घटिया बातें हैं (interruptions) लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि इस से साफ ज़ाहिर होता है कि इन के कैम्प में काफी division है और ये लोग अभी तक अपनी पार्टी में फैसला नहीं कर सके कि मुज़ारों के हक में फैसला करना है या ज़मींदारों के हक में फैसला करना है। और हम यह बात पहले ही जानते थे कि यह लोग इसी तरह ही करेंगे जैसे इन्हों ने अब किया है। हम जानते थे कि इन में इतनी division है कि ये इस मसले को उलझाते ही चले जायेंगे। स्पीकर साहिब, हिसार और फिरोज़पुर में यह मसला ज़्यादा complicated था। हिसार में जहां सब से ज़्यादा मुज़ारे थे उन्होंने सरकार की पालिसी के खिलाफ फतवा दिया और सोशलिस्ट उम्मीदवारों को चुना। चुनांचे श्री मनी राम और श्री बालू राम को return किया। उनके नुमाइंदे हाऊस में बैठे हैं। फिरोज़पुर से 3 में से 2 को फतवा दिया और सरकार के फैसले की मुज़म्मत की। स्पीकर साहिब, ये लोग बड़े भोले भाले बन कर हाऊस में व्याख्यान दे रहे हैं। क्या ये समझते हैं कि लोग अन्धे हैं और वे इनकी चालों को नहीं समझते? मुज़ारों को तो कहेंगे कि सारी रात हम लोग बैठे रहे Opposition ने साथ न दिया और ज़मींदारों से कहेंगे "आप ने देखा किस तरह मक्खन से बाल निकाल कर फैंक दिया है अब session भी हटा दिया है Ordinance अपनी मौत आप मर जायेगा"। मैं उनसे पूछता हूं कि उस ज़माने में इतने सुन्दर दावे कर के, देश पिता महात्मा गांधी का नाम ले कर और पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम ले कर वोट लेने वाले लोग क्यों नहीं अपने वादों को पूरा करते और क्यों नहीं अपने देश को ऊंचा करते? वे लोग क्यों शशो पंज में पड़े हुए हैं क्यों जल्दी फैसला नहीं करते? स्पीकर साहिब, फिर देखिये कि Select Committee कैसे बनती है। मुख्य मंत्री साहिब कुछ कहते हैं और उन के चीफ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी कुछ कहते हैं—

मन चेह मे सरायम व तंबूराए मन चेह मे सरायद।

वे कभी किसी का नाम लेते हैं और कभी किसी मैम्बर का नाम लेते हैं। प्रधान जी से कहते हैं कि फलां आदमी का नाम भी लिखिये वे भी मुज़ारों के नाम का नारा बुलन्द करते हैं। मैं कहता हूं—

क़रीब है यार रोज़े महशर छपेगा कुश्तों का खून क्योंकर।
जो चुप रहेगी जबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीं का॥

आज तो वे लोग अपनी पार्टी की majority के बलबोते पर जो मरज़ी हो पास करवा लें। लेकिन

[मौलवी अब्दुल ग़नी डार]

न भूलें वे कि उन्होंने खुदा के सामने जवाब देना है। यह कैसे हो सकता है कि वे लोग मुज़ारों की ज़िन्दगी के साथ खेलते रहें, न सिर्फ मुज़ारों की ज़िन्दगी से बल्कि तबाह शुदा लोगों की ज़िन्दगी से खेलते रहें। उन को अपने भविष्य का फैसला करने का क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? उन्होंने हल चलाना है, खेती बाड़ी करनी है। एक तरफ ज़मींदारों को साथ मिलाने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ मुज़ारों को भी कहेंगे कि रात भर जागते रहे, हम ने अपनी पूरी कोशिश की बहुत सारी complications थीं इस लिये हम मजबूर हो गये, Opposition ने हमारी पेश नहीं जाने दी। बात दर असल यह है कि गुरद्वारा चुनाव उन के लिये ज़िन्दगी मौत का सवाल बने हुए हैं। कहते यह हैं कि हम इस मसले के सब पहलुओं पर ग़ौर करना चाहते हैं। मैं उन से request करना चाहता हूं कि ऐसे ओछे हथियारों पर न आएं। वे जंगे आज़ादी के सिपाही रहे हैं उन्होंने बहादुराना फैसले किये हैं। अब ऐसी बातें करने से उन की शान नहीं बनती......... *(Interruptions by Shri Prabodh Chandra)*

अज़ीज़े मन तुम तो.......

अध्यक्ष महोदय : अज़ीज़ेमन न कहें बल्कि hon. Member कहें। He should not address him as "Azize man" but as hon. Member.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : अच्छा जनाब। hon. Member तो ऐसी बातें करते ही रहेंगे क्योंकि उन को तनखाह इसी बात की मिलती है। जनाबे मन वह टलते नहीं हैं, hon. Member टलते नहीं हैं।

सरकारे वाला, इस आनरेबल मैम्बर ने डयूटी ही यह ले रखी है। इसे तनखाह ही इसी लिये मिलती है..... मैं क्यों कहूं, क्यों कहलवाते हो मुझ से कि आप क्या २ करते हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहिब के नाम पर कार ले कर उस को taxi के तौर पर इस्तेमाल करते हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मैम्बर से कहूंगा कि वह इस किस्म के अलफाज़ इस्तेमाल न करें। यह मौका नहीं ऐसा करने का। वह कृपा करके यह अलफ़ाज़ वापस लें। (I would ask the hon. Member to refrain from using such words. This is not the time to do like that. He should please writhdraw these words.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाबे वाला, अगर आप हुकम देते हैं तो मैं ऐसा कहना छोड़ देता हूं और इन अलफ़ाज़ को वापस ले लेता हूं। लेकिन आप खुद ही महसूस करें कि जब आप की मौजूदगी में यह नौजवान—नहीं, आनरेबल मेंम्बर—छेड़ने से बाज़ नहीं आता तो मैं क्या करूं? तब मुझे भी कहना ही पड़ता है कि यह अज़ीज़—मेरा मतलब आनरेबल मेंम्बर—ऐसा क्यों करता है।

तो, प्रधान जी, मैं यह कह रहा था कि अब जो तजवीज़ माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश की है इस की मैं इस लिये मुखालिफत करता हूं कि यह सूबे की ज़िन्दगी में खतरा पैदा करने वाली, सूबे की अमन की फ़िज़ा को डांवाडोल करने वाली और मुज़ारों की ज़िन्दगी के साथ खिलवाड़ करने वाली है। इसे मार्च के सैशन तक मुलतवी करके इस state of affairs को और कई महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। चाहिये तो यह था कि मुज़ारों के, जिन के वोटों के बलबूत पर आज यह इन गद्दियों पर बैठे हैं, फ़ायदे की कोई बात करते, उन की ज़िन्दगी को खुशहाल बनाने के लिये कोई कदम उठाते। लेकिन किया क्या गया है? ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं।

इस लिये आप के द्वारा, प्रधान जी, मैं दरखास्त करता हूं अपने सामने बैठे इन वज़ीर भाइयों से, कि ऐसी हरकात से बाज़ आ जायें नहीं तो इस का जो नतीजा निकलने वाला है उस की जिम्मेदारी सारी इन की होगी ।

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਤਲਾਹ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਸਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਤਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਉ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ problem ਨਹੀਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣਕੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ eject ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ 1,200 ਪਿੰਡ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ 2,001 ਨੋਟਸ ਮਿਲੇ ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਸਿਰਫ਼ 2,001 ?

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ: ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਜਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 2,001 ਨੋਟਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 296 ਨੋਟਸ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਹੋਈ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 2,01,769 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇਹ 2001 ਨੋਟਸ ਆਏ ਉਹ ਸਿਰਫ 5,435 ਏਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਥੇ 296 ਨੋਟਸਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ । ਸਿਰਫ 5,435 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ । ਇਹ ਗਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ]

ਫਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਲਿਕ ਵੀ। ਅਜ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲ ਉਹੀ ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ੨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਹਾਊਸ ਯਾਨੀ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ੨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ ਜੇਕਰ ਇਕ ਭਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲ ਉਹ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਬੈਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ refugees ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ refugees ਨੂੰ garden colonies ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Select Committee ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੁਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ—ਚੰਗੀਂ atmosphere ਵਿਚ ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ Select Committee ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ effect ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਵਢ ਅਤੇ ਚੁਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

श्री मूल चन्द जैन : यह गलत है। मुग्रावज़ा मिलने पर फौरन बेदखल किया जा सकता है।

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

प्रोफैसर मोता सिंह ग्रानन्दपुरी (ग्रादमपुर) : स्पीकर साहिब, tenants का जो मसला है यह बड़ी संजीदगी के साथ सोचने वाला मसला है। ग्रगर हमने इस के मुतग्रल्लिक कोई हल निकालना है ग्रौर सही हल निकालना है तो हमें इस के लिये सही यत्न करना होगा ग्रौर संजीदगी के साथ इस मसले पर गौर करना होगा। मैं इतना कहने पर मजबूर हूं कि बेशक गवर्नमैण्ट के इरादे ग्रच्छे हों लेकिन इस को इस मसले को हल करने के लिये तरीका नहीं ग्राया। यह मसला बड़ी ग्रासानी से हल किया जा सकता था। यह agricultural cultivators का मसला है। हमने उन के economic हालात को ऊंचा करना है। यह जो तरीका गवर्नमैण्ट ने सोचा है कि 30 standard acres से ज़यादा ज़मीन जिस किसी....

ग्रध्यक्ष महोदय : इस समय Bill के merits पर discussion नहीं हो रही है। ग्राप के सामने यह proposal है कि क्या यह बिल Joint Select Committee को भेजा जाये या न भेजा जाये। (The merits of the Bill are not under discussion. Now the proposal before the House is whether this Bill be referred to a Joint Select Committee or not.)

प्रोफैसर मोता सिंह ग्रानन्दपुरी : मैं समझता हूं कि इस मसले को हल करने के लिये co-operative cultivation का तरीका ही एक वाहद हल हो सकता है ग्रौर Select Committee को इस मसले का हल co-operative lines पर सोचना चाहिये।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप Joint Select Committee के guide न बनें। क्या उस का सारा काम ग्राप ही कर देंगे। (The hon. Member should not try to guide the Joint Select Committee. Does he want to do all its work?)

प्रोफैसर मोता सिंह ग्रानन्दपुरी : ग्रगर हम इसी बिल के तरीके पर ही चलें तो भी मैं गवर्नमैण्ट से बड़े ज़ोर से कहूंगा कि तमाम landless tenants को पांच पांच standard acres ज़मीन ज़रूर दी जाये।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप के सामने मोशन यह है कि क्या यह बिल Joint Select Committee के सुपुर्द किया जाये या न किया जाये। ग्राप इस मोशन पर बोलें। (The motion before the House is whether this Bill be referred to a Joint Select Committee or not. Please speak on the motion.)

प्रोफैसर मोता सिंह ग्रानन्दपुरी : मेरे ख्याल में ग्रगर इस मसला को इस तरह से हल किया जाता तो बहुत ग्रच्छा होता। इस मसले को यहीं हल करना चाहिये ग्रौर इसे सिलैक्ट कमेटी को नहीं भेजना चाहिये। ग्रगर यह इस का हल निकालना चाहते हैं तो ग्रभी निकालना चाहिये। हम ने इतनी रात भी ज़ाया कर दी ग्रौर यह जो सब से ज़रूरी चीज़ है ग्रगर इस का फैसला ग्रभी न किया गया ग्रौर इस बिल को Select Committee के सुपुर्द कर दिया गया तो ठीक न होगा। इस मसले को हल करने का जो तरीका पहले गवर्नमेंट ने निकाला था वह ग़लत साबत हुग्रा है।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप फिर irrelevant हो गये हैं। कृपया ग्रपनी स्पीच मोशन तक ही महदूद रखें। (You are again becoming irrelevant. Please confine your speech to the motion.)

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : स्पीकर साहिब, मुझे इस पर बोलना ही पड़ता है । मैं इन से फिर कहूंगा कि इस मसला को हल करने के लिये चाहिये कि हाऊस के उन मैम्बरों की सलाह ली जाये जो अराज़ियात के इल्म में अच्छे माहिर हों और economics से भी वाकफीयत रखते हों ।

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra): Sir, I beg to move That the question be now put.

अध्यक्ष महोदय : अभी एक दो मैम्बर और बोल लें । (Please let another few members speak.)

श्री तेग राम (खूइयां सर्वर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा ने किसानों की सुरक्षा के लिये यहां एक कानून बनाया था जिस के मुताबिक कहा गया था कि कोई मुज़ारा भी दस साल तक बेदखल नहीं हो सकेगा । उस कानून के रहते हुए पंजाब में पिछले साल में सरकार के कहने के मुताबिक 60 हज़ार मुजारों को बेदखलियों के नोटिस आये और सरकार का बयान है कि उन में से कोई दो हज़ार मुज़ारे ज़मीनों में से बेदखल हुए हैं । अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने बतलाया था कि उन में से करीब 20 हज़ार के तो समझौते हो गये हैं और बाकी के 40 हज़ार के करीब जो मुज़ारे रहे उन का पता नहीं कि उन का क्या हाल है । उन को ज़मीन मिली या नहीं मिली ।

अध्यक्ष महोदय : मसला ज़ेरे ग़ौर यह है कि आया यह बिल Joint Select Committee के सुपुर्द किया जाये या न किया जाये । आप मोशन पर बोलिये । (The motion before the House is whether this Bill be referred to a Joint Select Committee or not. Please speak on the motion.)

श्री तेग राम : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर आ रहा हूं । जब यह बेदखलियों का सिलसिला बहुत ब ़था तो पंजाब सरकार के लिये यह सिरदर्दी का बाइस बन गया और उस ने महसूस किया कि ़खलियों को रोकने के लिये कोई न कोई और कदम उठाया जाना चाहिये । तो उस ़ एक Ordinance पिछले महीने इस लिये जारी कर दिया कि यह पंजाब के किसानों की रक्षा करेगा और इस से उन्हें आगे के लिये भी हिफ़ाजत मिलेगी ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : On a point of Order, Sir, जनाब पिछले दिन आप ने हुक्म दिया था कि मैम्बर साहिबान यहां अच्छे तरीके से बैठा करें लेकिन आप देखिये हमारे वज़ीर साहिबान सर नीचा कर के सो रहे हैं । (हंसी) ।

Mr. Speaker : Order, order.

श्री तेग राम : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहिब ने जो Ordinance इस मतलब के लिये जारी किया है कि वह बेदखलियों को रोके वह एक छोटा सा Ordinance है। अब उस के बदले यह तीन दफ़ा वाला मामूली बिल लाया गया है । इस की दो दफ़ा तो नाम ही की है और एक दफा जो पिछली है असली मतलब की दफ़ा है । मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल इस समस्या को कुछ हद तक हल कर देगा लेकिन यह उस को पूरा हल नहीं कर सकेगा । जब 1953 का पिछला बिल हाऊस के सामने लाया गया था तो उस समय पंजाब में मुज़ारों की समस्या इतनी गंभीर नहीं थी जितनी कि उस के बाद में हो गई है । अगर हम बेदखलियों को जल्दी से जल्दी बन्द करना चाहते हैं तो हमें यह देखना होग

कि पंजाब का पुराना मुज़ारा कानून (Tenancy Act) ठीक है कि नहीं। मैं समझता हूं कि जब तक पंजाब में मुज़ारों का पुराना कानून मौजूद है जिस की एक धारा के अनुसार मालिक को मुज़ारे को बेदखली का नोटिस देने का हक है तब तक पंजाब में बेदखलियां बन्द न होंगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं बड़ी बेचैनी से इन्तज़ार कर रहा हूं कि आप कब उस मोशन पर बोलते हैं जो इस वक्त हाऊस के सामने है? (I am very anxiously waiting to see you speaking on the motion now before the House.)

श्री तेग राम : श्रीमान् प्रधान जी, मैं निवेदन करता हूं कि इस का सम्बन्ध काफी इस समस्या से है।

अध्यक्ष महोदय : काफी नाकाफ़ी की बात नहीं। इस समय तो मोशन यह है कि आया इस बिल को Joint Select Committee के सुपुर्द करना चाहिये या नहीं। आप इस के हक में या इस के खिलाफ बोल सकते हैं। (It is not a question of adequacy or inadequacy. The motion now before the House is whether this Bill should be committed to the Joint Select Committee or not. The hon. Member can speak in favour of or against this motion.)

श्री तेग राम : मैं कह रहा हूं कि मुज़ारों की मौजूदा समस्या को यह बिल हल नहीं कर सकता अत: इसको Joint Select Committee के सुपुर्द कर देना चाहिये ताकि इस पर पूरी। तरह से विचार किया जा सके कि जब तक पंजाब में यह पुराना मुज़ारा कानून मौजूद है जिस में इस बात की provision मौजूद है कि मुज़ारों को नोटिस दिये जा सकते हैं तो......

अध्यक्ष महोदय : जब आप की यह राए है तो बस ठीक है।
(If this is the opinion of the hon. Member, then it is alright.)

श्री तेग राम : मैं बतला रहा था कि प्रस्तुत बिल में क्या क्या कमियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस की कमियों का सवाल नहीं है। बस आप बैठ जाइए।
(There is no question of its short comings. The hon. Member may resume his seat.)

श्रीमती सीता देवी (जालन्धर नगर, दक्षिण-पूर्व): श्रीमान् प्रधान जी, हमारी Opposition के कुछ भाइयों ने इस मोशन की जो इस वक्त हाऊस के सामने है मुखालिफत की है और यह उन भाइयों ने की है जो इस बात का दम भरते हैं कि मुज़ारों की problem का उन को ज़्याद पता है। वह अपने आप को उन के ठेकेदार समझते हैं। वह अब इस बात की मुखालिफत कर रह हैं कि इस बिल पर ज़्यादा सोच विचार करने के लिये इसे Joint Select Committee के सुपुर्द न किया जाये। जैसा कि वह इस को उसी शक्ल में ही पास कर देना चाहते है जिस में यह यहां पेश हुआ है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहती हूं कि अगर इसे इसी तरह पास कर दिया जाए तो यह मुज़ारों की problem को अच्छी तरह हल नहीं कर सकेगा।

और मुख्य मंत्री जी ने जो इसे Select Committee के सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है मैं इस की ताईद करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं बड़ी हैरान हूं कि मेरे Opposition के भाई जिन्होंने दो तीन पहलुओं पर रोशनी डाली है, अब भी इस की मुखालिफत कर रहे हैं। सब से बड़ी बात यह है कि यह बिल Select Committee को जा रहा है। हमारा aim यह है कि जो

[श्रीमती सीता देवी]

मुज़ारे हैं उन्हें कोई तकलीफ न हो। कुछ हमारे भाई आज भी कुछ इस किसम के विचार अपने सामने रखते हैं जो ठीक नहीं। आज अगर यह बिल इसी तरह से पास हो जाता तो कई लोगों का बड़ा नुकसान हो जाना था। यह जो मसला है यह after partition का है। यह इन लोगों की समस्या है जो उधर से आए हैं। हमारे जो local भाई हैं, जो पहले ही यहां रहते हैं यहां उन का इतना झगड़ा नहीं है, मगर जो झगड़े पैदा हुए वह after partition हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कहां से कहां पहुंच गईं। (The hon. Lady Member has gone wide of the mark.)

श्रीमती सीता देवी : मैं तो इस की ताईद करना चाहती हूं कि इसे ज़रूर Select Committee को भेजना चाहिये। मैं यह कह रही थी कि नई allotments का असर शरणार्थियों पर पड़ा है। वह बेचारे वहां पर सब कुछ गंवा आए हैं और उन्हें जो ज़मीन मिली है वह अभी कागज़ पर ही है। Allotment के कागज लिये फिरते हैं कब्जा नहीं मिलता। अगर बिल इसी तरह से पास हो जाता तो हमारे शरणार्थी भाइयों को बहुत भारी तकलीफ होती। इस बिल का Select Committee को जाना लाज़मी है जिस में यह सारे भाई represented हों ताकि इस बिल पर अच्छी तरह विचार हो सके। इस तरह इस में कोई खामी न रहेगी और फिर इस House में आ कर पास होगा तो सब का भला होगा। Opposition के भाइयों की मनशा यह है कि अब इसे इसी तरह पास कर दें, फिर कहेंगे कि इस में यह बात ठीक नहीं है इसे amend किया जाये। फिर यह कह सकेंगे कि यह रोज़ २ amendments लाते हैं। इसी लिये अब इस motion के खिलाफ बोल रहे हैं। इस लिये यह बिल Select Committee को ज़रूर जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Prevention of Ejectment Bill be referred to a Joint Select Committee consisting of—

1. Shri Bhim Sen Sachar, Chief Minister.
2. Sardar Partap Singh Kairon, Minister for Development.
3. Chaudhri Lahri Singh, Minister for Irrigation.
4. Shri Devi Lal, M.L.A.
5. Sardar Mohan Singh, M.L.A.
6. Shri Mool Chand Jain, M.L.A.
7. Shri Chand Ram Ahlawat M.L.A.
8. Shrimati Dr. Parkash Kaur, M.L.A.
9. Sardar Ajmer Singh, M.L.A.
10. Comrade Ram Kishan, M.L.A.
11. Shri Dault Ram Sharma, M.L.A.
12. Sardar Partap Singh Rai, M.L.A.
13. Sardar Harkishen Singh Surjit, M.L.A.
14. Chaudhri Sri Chand, M.L.A.
15. Thakur Mehar Singh M.L.A.
16. Shri Teg Ram, M.L.A.
17. Shri Sadhu Ram, M.L.A.
18. Shri Dharam Vir Vasisht, M.L.A.

and 7 Members of the Punjab Legislative Council with direction to report by the 15th December, 1954.

The motion was carried.

(The Assembly then adjourned sine die)

1648 PVS—284—16-2-57—CP andS., Pb. Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

8th December, 1954
Vol. IV—No. 1
OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 8th December, 1954

CHANDIGARH :
Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab.
1956

Price :

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 8th December, 1954

The Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh, Capital at* 11 *a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair*

QUESTION HOUR(DISPENSED WITH)

Mr. Speaker : The Question Hour is dispensed with.

ADJOURNMENT MOTIONS

पंडित श्री राम शर्मा : मेरी दो adjournment motions हैं। एक सिरसा में दफा 144 लगाने के मुतअल्लिक और दूसरी यह कि ज़िला रोहतक में पुलिस लोगों को बुला कर जान से मार देती है । आप पहले मुझे किस की इजाज़त देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सिरसा वाली की। (Adjournment motion regarding Sirsa.)

पंडित श्री राम शर्मा : सिरसा वाली adjournment motion में लिखा है.....

अध्यक्ष महोदय : आप केवल gist ही दें ।

(The hon. Member may only give the gist of the motion.)

पंडित श्री राम शर्मा : मेरी adjournment motion इस बारे में है कि गवर्नमेंट ने ज़िला हिसार में दफा 144 लगा कर 15 रोज़ के लिये तमाम जलसे जलूस बन्द कर दिए हैं और यह बात बिल्कुल unwarranted है, ज़बरदस्ती है.....

Mr. Speaker : How is this connected with the Deputy Superintendent of Police at Sirsa?

पंडित श्री राम शर्मा : अगर आप मेरी adjournment motion की कापी पढ़ें तो आप देखेंगे कि यह दफा 144 के मुतअल्लिक है और उस में explain करते हुए यह बताया गया है कि चूंकि D.S.P. के खिलाफ agitation.........

Mr. Speaker : But how does the hon. Member connect this incident with the Deputy Superintendent of Police?

पंडित श्री राम शर्मा : गुज़ारिश यह है कि हम ने सिरसा में दूसरे सारे तरीके अख्तियार करने के बाद यह फैसला किया कि जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिये 3 तारीख को 'सिरसा दिवस' मनाया जाये ।

Mr. Speaker : The adjournment motion of the hon. Member mainly relates to promulgation of section 144 in the Hissar District.

पंडित श्री राम शर्मा : मेरी adjournment motion तो इस बारे में है :

> "The promulgation of section 144, Criminal Procedure Code, in the whole district of Hissar to suppress the voice of the people against the Police Raj perpetrated by the Government in not transferring the Deputy Superintendent of Police, Bahal Singh against the almost unanimous demand of the people of Sirsa and also by making indiscriminate arrests of the local leaders and workers of the Opposition Parties."

पंडित श्री राम शर्मा : मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरा मनशा तो clear है।

अध्यक्ष महोदय : आपने देखा होगा कि section 44 क्या है। तो जो ऐक्शन या proceedings इस के तहत हो वह judicial होती हैं। इस सिलसिले में मैं precedents भी quote कर सकता हूं। (You must know that the proceedings under section 144 are of a judicial nature. I can quote precedents too.)

पंडित श्री राम शर्मा : आप का ruling दुरुस्त है। गुज़ारिश यह है कि आप पंजाब असैम्बली की पुरानी proceedings देखें। दफा 144 पर adjournment motions आती रही हैं और उन पर बहस हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं precedents पुरानी proceedings से ही quote कर सकता हूं। कहें तो पढ़ दूं। (I can quote precedents from the old proceedings of the Assembly. If you like I can read them.)

पंडित श्री राम शर्मा : आप इस मामले को reconsider कर सकते हैं। यह कोई अदालती मामला तो नहीं कि कोई बाकायदा अपील हो सके। यह तो एक executive order है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी हमदर्दी आप के साथ है। दफा 144 का लगाना एक judicial proceeding है। यह क्यों हुआ, यह तो लगाने वाले ही जानें। इस का D.S.P. से क्या ताल्लुक है? (I am all sympathy for the hon. Member but the fact remains that the promulgation of section 144 is a judicial proceeding. Why was it promulgated, is best known to the authorities enforcing it. But how is it relevant to the Deputy Superintendent of Police?)

पंडित श्री राम शर्मा : D.S.P. से यह ताल्लुक है कि सिरसा के लोगों ने हड़तालें कीं और बताया कि उन में नाराज़गी है जिसे कि गवर्नमैंण्ट सुनना नहीं चाहती। तो अर्ज़ यह है कि यह कोई judicial कार्यवाही तो है नहीं जिस की अपील Sessions Judge के पास हो सके। यह तो Deputy Commissioner ने हुक्म जारी कर दिया है।

Mr. Speaker : Section 144 cannot be the subject of discussion by an adjournment motion.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं कहता हूं कि यह एक ऐसा executive order है जिस ने लोगों की civil liberties को बड़ा भारी धक्का पहुंचाया है......

Mr. Speaker : The High Courts have held that proceedings under section 144 are of a judicial nature and therefore, I am sorry I cannot allow discussion on this adjournment motion.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि जो हुक्म judicial proceedings के तहत किया जाये क्या वह जनाब के अख्तियार से बाहर निकल जाता है?

अध्यक्ष महोदय : मेरा तो यही ख्याल है। आप भी इतने पुराने मैम्बर हैं आप का क्या ख्याल है? (I think so. The hon. Member is an experienced parliamentarian. What is his opinion?)

पंडित श्री राम शर्मा : जी हां जरूर हो सकता है। (हंसी)। अगर आप की जगह में होता तो लाजमी तौर पर ऐसा होता।

Mr. Speaker : Now we come to the next adjournment motion given notice of by Pandit Shri Ram Sharma.

पंडित श्री राम शर्मा : मेरी adjournment motion यह है कि जिला रोहतक की 11 लाख आबादी में यह अफवाह फैली हुई है; बल्कि यकीन की हद तक पहुंच चुकी है कि पुलिस ने 3 आदमियों को बुलाया और बुला कर गोली मार दी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की adjournment motion पढ़ देता हूं। (I will read out your adjournment motion.)

पंडित श्री राम शर्मा : अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ही......

अध्यक्ष महोदय : आप यह कैसे कर सकते हैं? (How can the hon. Member do so?)

पंडित श्री राम शर्मा : आप मुझे इजाजत दें तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। (हंसी)।

अध्यक्ष महोदय : मैं ही आप का काम किये देता हूं। (I will do your work.)

* * * * *

"to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the mysterious chain of murders of Dharma Jat, of village Farmana, tehsil Rohtak; Dharma Jat, of village Jasia, tehsil Rohtak and Chandu Jat of village Rukhi, tehsil Gohana (Rohtak) in the recent past creating all sorts of suspicions in the public mind for the failure of the Police so far to trace out the culprits."

इस में दर्ज है कि चंद कत्ल हो गये हैं। कत्ल तो सारे सूबे में होते हैं और कुछ का पता चल जाता है कुछ का नहीं भी पता चलता। (The adjournment motion relates to certain murders. But murders are often committed throughout the State. Some are traced and others remain untraced. But how can this matter be treated as of urgent public importance ?)

पंडित श्री राम शर्मा : जब हम एक आजाद और जमहूरी मुल्क में रहते हैं और यहां पर कायदे कानून हैं तो अगर सरकार किसी आदमी को मार दे तो लोगों के दिलों में suspicion पैदा होना लाजमी है......

Mr. Speaker : There is no question of suspicion. Whenever any report about a murder is lodged with the Police, it becomes the duty of the police to investigate the matter whether there is any truth in it or not.

पंडित श्री राम शर्मा : गवर्नमैण्ट इनकार कर दे तो ?

Mr. Speaker : Is this a case of recent happening?

पंडित श्री राम शर्मा : Very recently. यह पिछले सैशन से शुरु हो कर कल परसों तक रहा है। और अभी तो यह सिलसिला चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह लोग कब मारे गए ? (When were these people murdered ?)

पंडित श्री राम शर्मा : कोई पांच छः दिन हुए । रात को 12 बजे एक को जगा कर ले गये और गोली मार दी ।

अध्यक्ष महोदय : अगर पांच छः दिन में पुलिस को पता नहीं चल सका तो क्या यह mysterious हो गये? (If the Police has failed to trace out the murderers within five or six days does it mean that the people were murdered mysteriously?)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं ने तो यह इस लिये ऐसा लिखा था कि Government को यह बात pinch न करे। दर असल यह तीनों आदमी पुलिस ने murder किए।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस बारे में पुलिस में report lodge की गई? (Was any report lodged with the police regarding this matter?)

पंडित श्री राम शर्मा : ऐसा करने नहीं दिया जाता। पुलिस उन के रिश्तेदारों को बैठाए रखती है.......

Mr. Speaker : Then legal remedies are open.

पंडित श्री राम शर्मा : आप मुझे बोलने दें तो मैं बताऊं कि पुलिस ने किस तरह legal remedies के सब रास्ते रोक दिये हैं। ज़िला रोहतक में एक गदर मचा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि उन के लिये कोई रास्ता पुलिस ने नहीं छोड़ा । पुलिस उन के रिश्तेदारों को कुछ कार्यवाही नहीं करने देती और तंग करती है। ज़िला रोहतक की 11 लाख आबादी से पूछें, Central C.I.D. से तहकीकात कराएं तो आप को पता चले कि पुलिस ने वहां पर reign of terror कायम कर रखा है।

फिर जनाबे वाला, इस तरह की एक Adjournment Motion मद्रास असैम्बली में भी आई थी। अगर आप मुझे बोलने की इजाज़त दें तो मैं आप को सारे हालात के मुतअल्लिक बता दूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह बतायें कि यह murders कब हुए। (The hon. Member should tell me as to when these murders were committed ?)

पंडित श्री राम शर्मा : एक murder सिर्फ पांच छः दिन पहले हुआ । इन के रिश्तेदार रोहतक में आये उन्होंने वकीलों को बताया कि इलाके में क्या हुआ है । वकील उन के लिये पेश हुए । अगर आप चाहें तो मैं उन वकीलों को पेश कर सकता हूं। एक वकील तो इस हाऊस में मौजूद हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तो इस में जाट भी interested हैं और ब्राह्मण भी । (It means that both the Jats and Brahmins are equally interested in it.)

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या इस में खत्री interested नहीं । (हंसी) ।

मुख्य मंत्री : वह भी आ जाते हैं । (हंसी) ।

पंडित श्री राम शर्मा : तो वह गवर्नमैण्ट gang होगा । जनाब मैं अर्ज़ कर रहा था कि यह कत्लों की chain चली आती है । यह October से.....

अध्यक्ष महोदय : आपने इसको recent happenings बनाने के लिये chain का लफज़ रख दिया है । (The hon. Member has used the word 'chain' in order to make these happenings recent.)

पंडित श्री राम शर्मा : माना कि वह लोग बदमाश होंगे । लेकिन बदमाशों को पकड़ना भी तो जाबते के अन्दर हो सकता है और कानून के अनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकता है ।

Mr. Speaker : I would like to hear the Minister-in-Charge before I give my ruling on this Adjournment Motion. Is it correct that these murders took place very recently ?

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : No Sir. Three deaths were reported to the Police between 21st October, 1954 and 3rd December, 1954, from different parts of Rohtak District. Two of these were cases relating to the murder of Dharma, son of Sis Ram, Jat, of Farmana, police station Sampla, District Rohtak and Chandu, Jat, of Rukhi and Dharma of village Jassia, Police Station Sadar Rohtak. Two cases, viz., F.I.R. No. 98, dated 21st October, 1954, under section 302, Indian Penal Code, Police Station Bahadurgarh and F.I.R. No. 76, dated 3rd December, 1954, under section 302, Indian Penal Code, Police Station Baroda were duly registered and investigated by senior police officers. The investigation of the first case was supervised by the Deputy Superintendent of Police, Headquarters, while that of the second case by the Superintendent of Police himself. According to the facts of the first case, a dead body was recovered from a deserted well at a distance of about 5 1/2 miles from Police Station Sampla towards village Thara on Jhajjar-Sampla Road, which was spotted by Amrao Singh, Sarpanch of village Thara, who informed the police about it. The body was subjected to post-mortem examination, which revealed three gun shot wounds on the person of the deceased. The deceased was a bad character on register No. 10. He was reported to have borrowed a cycle from Ram Chand, Lambardar, of village Thara and had left for some place on 16th October, 1954. He was not traced thereafter.

According to the Superintendent of Police, Rohtak, the deceased was undoubtedly a bad hat and it is quite probable that he might have fallen out with his associates in some criminal activity who finding a convenient opportunity, did away with him.

According to the facts of second murder case, three armed persons, dressed as policemen, took Chandu outside the village where they murdered him with rifle shot. When the information was lodged with the Police about this murder, three persons belonging to the faction opposed to the group of Chandu from the same village were mentioned as accused and this brought serious complications in the course of the investigation. The deceased in this case also was a notorious bad character and was borne on Register No. 10 of the Police Station. There is no definite clue of the culprits so far.

The bane of the police in the two cases has been the lack of public support and co-operation in tracing out these serious crimes. In fact in one case, the giving of misleading clue complicated the matter further. Nevertheless the Police are sparing no efforts to trace them and the investigation is not yet closed in either of these two cases.

[Chief Minister]

As regards the third case relating to the death of Dharma, of village Jassia, the post-mortem examination revealed that death was due to drowning. The dead body, which was in an advanced state of decomposition, was recovered from Bhiwani Canal Distributary near village Balamba, Police Station Mehm on 6th November, 1954. The enquiries revealed that it was a case of accidental death and in the absence of any foul play in the matter, no case was registered. Dharma also happened to be a bad character on Register No. 10.

Now, Sir, these are the facts. I do not know what else could the Government or the Police have done in these cases. Murders, unfortunately, do take place. It is a fact that two gangs known as "Jats' Gang" and "Brahamins' Gang"—the former representing the Jats and the latter representing the Brahamins—are working in the Rohtak District.

पंडित श्री राम शर्मा : लेकिन मैं अर्ज़ कर दूं कि इस मामले के लिये और कोई remedies नहीं हैं ।

Mr. Speaker : These cases of murders were duly registered and investigated by the senior police officers. The results of the investigations made by them have been conveyed to the hon. Member by the Chief Minister.

If the aggrieved party is not satisfied with the results of their investigations, it can resort to other legal remedies.

For this reason, I rule the second adjournment motion of the hon. Member out of order.

श्री श्री चन्द : आप की इजाज़त से एक गुज़ारिश करना चाहता हूं । जनाब, आज तक adjournment motion को पेश करने की कभी इजाज़त नहीं दी गई । अगर आज आप इस motion की इजाज़त दे दें तो हम इस अहम मामले को discuss कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है । मैं ने इस adjournment motion को disallow कर दिया है । इस पर चीफ मिनिस्टर साहिब ने सही हालात के बारे में काफी कुछ कहा है और पंडित जी भी कह चुके हैं । (Much has already been said about this Adjournment Motion and I have disallowed it. Besides the Chief Minister has fully explained the whole position and Panditji has also had his say.)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ Adjournment Motion ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

Mr. Speaker : This *Adjournment Motion is not in time. I am sorry, it cannot be moved. It is, therefore, disallowed.

---

*Sardar Chanan Singh Dhut, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the grave situation arising out of the arrest of 21 students of Khanna following their strike and the decision of the students to observe province-wide strike on 8th December in support of Khanna students.

ANNOUNCEMENTS BY SPEAKER

Mr. Speaker : Now I will make some announcements.

ARREST OF SHRI MANI RAM BAGRI, M.L.A.

Mr. Speaker : I have received an intimation to the effect that Shri Mani Ram Bagri, M.L.A., has been arrested on the 3rd December, 1954, under section 9 of the Punjab Security of the State Act, and is at present lodged in the Police lock-up at Hissar.

PANEL OF CHAIRMEN

Mr. Speaker : Under Rule 11(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I have nominated the following four members as members of the Panel of Chairmen:—

(1) Shrimati Shanno Devi.

(2) Dewan Jagdish Chandra.

(3) Shri Chand Ram.

(4) Shri Maru Singh Malik.

COMMITTEE ON PETITIONS

Mr. Speaker : Under Rule 177 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following members as members of the Committee on Petitions :—

(1) Chaudhri Sarup Singh, Deputy Speaker,—*Chairman*.

(2) Sardar Waryam Singh.

(3) Dewan Jagdish Chandra.

(4) Shrimati Sita Devi.

(5) Principal Iqbal Singh.

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY RE. CERTAIN BILLS

Secretary : Sir, I beg to lay on Table a *statement showing the Bills which were passed by the Punjab State Legislature during its 8th Session 1954 and assented to by the Governor or the President.

---

*(1) The East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, 1954.

(2) The Punjab Merged States (Laws) Amendment Bill, 1954.

(3) The Sikh Gurdwaras (Third Amendment) Bill, 1954.

(4) The Punjab Appropriation (No. 3) Bill, 1954.

(5) The Punjab Appropriation (No. 4) Bill, 1954.

POINT OF PRIVILEGE

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਮੈਂ ਇਕ point of privilege raise ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Assembly ਦੇ ਅਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ agenda issue ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ Assembly ਦੇ session ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਚ The Punjab Prevention of Ejectment Bill as reported on by the Joint Select Committee discuss ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ agenda ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप के सामने position पहले भी रख चुका हूं कि मेरे पास कोई ताकत नहीं जिस से मैं amended agenda को refuse कर सकूं। कई साल से precedent चला आता है कि agenda में amendment कर दी जाती है और final agenda वह होता है जो last circulate हो। अगर किसी चीज़ के add करने का फ़ैसला कल हुआ हो तो agenda उस हिसाब मे बदला ही जाना था। (On some other occasion I made this fact abundantly clear that I had no such power by which I could stop any change being made by the Leader of the House in the list of business scheduled for a particular sitting of the Assembly. This practice is being followed for the last so many years that if need be a change is made in the agenda and a revised agenda is circulated among the Members. As regards today's agenda, if the Leader of the House decided yesterday to add some other item to it, it had to be incorporated in it.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ routine session ਨਹੀਂ ਸੀ।

Mr. Speaker : I quite agree with you. But please guide me under what rules can I help you ? I can't do anything till rules are amended. You should tell me how I can help you.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਇਹੋ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲ ਤੇ discussion ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ session ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ।

मुख्य मंत्री (श्री भीम सेन सच्चर) : स्पीकर साहिब ! मैं अपने फ़ाज़िल दोस्त के एतराज़ से थोड़ा सा हैरान हूं। वह इस लिये कि मैं उन की बात समझ ही नहीं पाया। इस House ने एक Joint Select Committee मुकर्रर की थी और उस Joint Select Committee को हिदायत की गई थी कि वह अपनी report इस House के पास भेजे। चुनांचि उस कमेटी ने अपनी report भेजी और वह report इस House के सामने आनी है।

Mr. Speaker: The point raised is that the agenda circulated to the Members at their home addresses was different from the agenda they now have in the House. I have just told them that I cannot refuse any addendum to the agenda.

I would refer the hon. Member to Rule 22 of the Assembly Rules in this connection.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : Sir, the question is that we found this agenda on our tables only today ? We did not receive it at home. ਜਿਹੜਾ agenda ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ agenda ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਇਕ agenda ਮਿਲੇ ਤੇ table ਉਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ discussion ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : It was circulated.

श्रीमती शन्नो देवी : On a point of order, Sir. आप ने अभी सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत से पूछा था कि इस के बारे आप कैसे मदद कर सकते हैं। अगर आप की यह बात दूसरे मैम्बरों पर भी लागू हो सकती है तो मैं कुछ अर्ज़ करना चाहती हूं। आप ने कहा है कि मदद करने के लिये rules इजाज़त नहीं देते। कोई 15 साल से मैं भी इस House की मैम्बर हूं। इस तरह का emergent session कभी नहीं बुलाया गया। दो, चार, दस दिन session हमेशा रहता रहा है । परन्तु यह session एक important मसले के लिये बुलाया गया था और इस का agenda खास agenda था। जब कोई मामूली सभा भी अपनी meeting बुलाती है तो भी ठीक agenda भेजती है । यहां तो हज़ारों रुपया session पर खर्च आता है। यह ठीक है हम इस agenda को refuse नहीं कर सकते परन्तु आप इस में मदद ज़रूर कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर तो rules का पाबन्द है। (The Speaker is bound by the rules).

मुख्य मंत्री : समझ नहीं आती कि किस चीज़ से confusion पैदा हो रही है ! यह कह देना कि special session है, कोई मायने नहीं रखता। Session इस तरह से होता है। देखिये पहले तो मेरे फ़ाज़िल दोस्त तसलीम करेंगे कि agenda का constitute करना और उस का order determine करना Leader का privilege है। Agenda उस ढंग से तैयार होता है जैसे वह चाहता है । आप को पहली दिसम्बर वाले खत में लिखा गया था कि Punjab Prevention of Ejectment Bill as reported on by the Joint Select Committee एक item होगा। फिर आपको लिखा गया कि "I have the honour to inform you that the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Third Amendment) Bill, 1954, will also be taken up by the Assembly during its session commencing from the 8th December, 1954".

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਹ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਖਤ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : 7 दिसम्बर का ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : 7 ਤਰੀਖ ਦਾ ਖਤ ਸਾਨੂੰ ਅਜ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ।

मुख्य मंत्री: आप सिर्फ इस बात पर एतराज़ कर सकते हैं कि notice short था ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਹ ਚਿਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।

मुख्य मन्त्री : मुझे समझ नहीं आती कि मेरे फ़ाज़िल दोस्त को इस बात पर क्यों एतराज़ है कि agenda में एक item add किया गया है । इस के मुतअल्लिक मैं अर्ज़ करता हूं कि यह privilege of the Leader है कि agenda में किसी item को रखे या न रखे ।

Mr. Speaker: This has been the practice of this House.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕਿਹੜੇ rule ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ?

मुख्य मंत्री : Rule 22 के मुताबिक ।

अध्यक्ष महोदय : जब यह बिल हाऊस के सामने पेश हो तो उस वक्त यह एतराज़ उठायें ।
(When this Bill is brought before the House, then this objection may be raised.)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a point of order, Sir. ਜਿਥੇਂ ਤਕ rules ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ adjournment motion admit ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਇਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ admit ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : I am helpless in this matter. The relevant rule lays down that "the Secretary shall arrange the Government business in such order as the Leader of the House may intimate". There is no option left to me.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ time limit ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मेरी option पर हो तो आप मुझे कह सकते हैं । (The hon. Member could say so, if I had any option in the matter.)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मेरे ख्याल में आप को option है ।

मुख्य मंत्री · On a point of order, Sir. जब तक एजंडे की वह item हाऊस के सामने पेश न हो जाए उस के मुतअल्लिक कोई point of order नहीं उठाया जा सकता । आप कहें तो मैं पहले item move कर दूं ।

Mr. Speaker : Yes, please.

TRANSACTION OF GOVERNMENT BUSINESS ON THURSDAY, THE 9TH DECEMBER, 1954.

Chief Minister Shri Bhim Sen Sachar : Sir, I beg to move:

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 9th December, 1954.

यह तहरीक इस लिये पेश की गई है ताकि आज के एजंडे पर जो सरकारी बिल है अगर उन के सम्बन्ध में बहस लम्बी हो जाये तो यह कार्रवाई कल तक मुसलसल चल सके। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि यह बिल President के पास उन की consent के लिये जाना है और हमारे पास वक्त काफी नहीं रह जाता। वक्त को मद्दे नज़र रखते हुए यह जरूरी है कि इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रबन्ध किया जाये। मैं उम्मीद करता हूं कि हाऊस मेरी इस तजवीज़ को मान लेगा।

श्रीमती शन्नो देवी : On a point of order, Sir. यह ठीक है कि यह Leader of the House का privilege है कि वह List of Business तैयार करे लेकिन हाउस के मैम्बरों को यह बताया गया है कि एक दिन का सैशन होगा। अगर असैम्बली की बैठक एक दिन की बजाये दो दिन हो जाये तो इस में क्या हर्ज है।

Mr. Speaker : This is no point of order.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 9th December, 1954.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਹ practice ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ rules ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕ non-official day ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨੀਯਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ transact ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

अध्यक्ष महोदय : Just excuse me आप किस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं। (Just excuse me. On which motion is the hon. Member speaking ?)

ਸਰਦਾਰ ਚਨੰਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a point of order, Sir. ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ move ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਖ਼ਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਲ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ resolutions ਦਾ ballot ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਇਸ motion ਨੂੰ oppose ਕਰਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ oppose ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

अध्यक्ष महोदय : यह तब हो सकता है जब non-official day के लिये business हो लेकिन कल के लिये कोई business नहीं है। (But this is permissible only if any business is to be transacted on a non-official day. For tomorrow no business has been fixed.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਚੂੰਕਿ motion move ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ oppose ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Spea ker : You are at liberty to do so.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਜੇ motion ਨਾ move ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਅਲਹਿਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ practice ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ non-official day ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ usurp ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਬੁਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ promises ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕ Opposition ਨੂੰ rules ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ Leader of the House ਨੇ promise ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ promise ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਊਸ adjourn ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ suppress ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਆਪ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ rights ਨੂੰ protect ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ majority ਦੇ ਬਲ ਬੋਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗਾ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ motion ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸੂਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ non-official day ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ practice ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਾਊਸ ਦੀ dignity ਤੇ prestige ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ motion ਨੂੰ accept ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਲਕਿ reject ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ practice ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਜਿਹੜਾ ਹਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ rules ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ majority ਦੇ ਬਲ ਬੋਤੇ ਨਾਲ ਸਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਪੂਰਬ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 'non-stop sitting' ਦੀ motion ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ business transact ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਉਸ ਹਕ ਨੂੰ ਸਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਬਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਸ ਬਿਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰਖੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ

ਹੋਵੇਗਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ Leader of the House ਤੇ ਇਹ motion ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲ non-official day ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਕ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ dignity ਤੇ decorum ਨੂੰ maintain ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : जनाब स्पीकर साहिब, मैं अपने लीडर साहिब की तजवीज़ की मुखालिफत के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं सख्त हैरान हूं कि हमारे लीडर साहिब बार २ ऐसी बातें क्यों करते हैं । तजरुबा तो इनसान को काफी सियाना और होशियार बना देता है । वह तो जमहूरियत के इतने दिलदादा हैं, Opposition के हक को सलब करने की कोशिश क्यों करते हैं । अभी चंद दिन हुए सारे पंजाब ने उन के साथ एक "सौ फीसदी मज़ाक किया" हम समझते थे कि इतनी नाक कट जाने के बाद जब वे हाऊस में आयेंगे तो लोगों के नुमायंदों की कुछ तो परवाह करेंगे, मगर नहीं । 100 फीसदी शिकस्त कभी सुनने में नहीं आई थी । हमारे लिये तो हैरत की बात है । (Cheers from Opposition Benches).

अध्यक्ष महोदय : अभी इन बातों को छोड़िये । आगे चल कर काफी मौके आयेंगे । (Leave this matter for the present. You will be having numerous opportunities to refer to it later on.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : आखिर हम भी लाखों आदमियों के नुमाइंदे हैं, हमें भी जनता ने भेजा है ; हमारा हक हमें दिया जाना चाहिये । पहले तो ऐसी motions का लाया जाना समझ में आ सकता था क्योंकि उस वक्त इन की जिन्दगी और मौत की बाज़ी लगी हुई थी । मगर अब क्या बात है ? क्यों न सैशन परसों तक चले, चौथे तक चले ताकि सरकारी काम अच्छी तरह हो सके और Opposition को भी उस का हक मिले । हम इन के हैं, यह हमारे हैं (हंसी) । उस दिन तो कारें भागने के लिये तैयार खड़ी थीं और हमें 15,16 घंटे बैठना पड़ा था । वह बात तो गई । अब कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी है ?

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

Mr. Speaker : ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ? (First please let me know what the hon. Member is driving at ?)

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰਸਮੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਕਿਨੇ ਦਿਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ? ਇਹ

[ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ]

ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੇਂਡੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आप हाऊस का time फ़जूल waste कर रहे हैं। (I think the hon. Member is wasting the time of the House unnecessarily.)

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ motion ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 'ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ' ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ delegates ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। (ਹਾਸਾ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ motion ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਅਕਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Please withdraw the word 'beakali'.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ motion ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, इस बात पर काफी ज़ोर दिया गया है कि इस motion को लाने की क्या ज़रूरत थी। यह भी कहा गया है कि यह एक मामूली सी बात है, कोई ग़ैर सरकारी काम है ही नहीं, क्यों बहस में वक्त जाया किया जा रहा है। स्पीकर साहिब, मैं समझता हूं कि इस शानदार जगह का अपनी और दूसरों की नजरों में मज़ाक बनाना वक्त जाया करने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बुरी हरकत है। गवर्नमैण्ट यह समझने लगी है कि जब तक rules को exceptions और exceptions को rules न बना लिया जाए, जमहूरियत इस सूबे के अन्दर नहीं चल सकती। पिछले तीन सालों में खाह एक महीने का इजलास हुआ खाह एक दिन का, गवर्नमैण्ट यह कहने से नहीं रुकी कि गैर-सरकारी दिन को सरकारी काम के लिये लिया जाए। कोई ऐसा इजलास नहीं हुआ जिस में हर हफ्ते ऐसी तहरीक न की गई हो। असूली तौर पर हम इस चीज़ की मुखालफित करते हैं। गवर्नमैण्ट के हाथों इस से ज़्यादा हाऊस की बेकदरी नहीं हो सकती है, Opposition तादाद में कम है, इसी लिये वह Opposition कहलाती है। गवर्नमैण्ट तो इस लिये गवर्नमैण्ट है क्योंकि वह अकसरियत में है, मगर उस के लिये यह तो ठीक नहीं कि वह majority की बिना पर democracy की conventions को ठोकरें मारे, उन्हें पांव तले रोंदे, हाऊस के rules का मज़ाक उड़ाए। ऐसी तहरीक के लाने को गवर्नमैण्ट ने अपना शेवा बना लिया है, यह उन की nature का हिस्सा बन गया है। इस लिये हम इस की मुखालिफत कर रहे हैं। हम को रोज़ रोज़ इस की मुखालिफत करते हुए शर्म महसूस होने लगती है मगर इन के चेहरों पर ज़रा फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं देता ये ज़रा भी झिजक महसूस नहीं करते।

आखिर क्या मुसीबत आ गई है, कौन सी emergency है ? मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने अपने नाम पर दिए गए notices को जो pending थे revive करवा दिया है मगर ये आज ही भाग जाना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए इजलास बुलाया था, वह नहीं करना चाहते । अभी agenda को बदल दिए जाने के बारे में एक point of order भी हुआ था । ठीक है, स्पीकर साहिब, आप तो मजबूर हैं । Leader साहिब जैसा चाहते हैं सैक्रेटरी साहिब वैसा ही agenda बना देते हैं । गज़ट के अन्दर छपे हुए बीस बिल pending हैं मगर लीडर साहिब हर मिनट पर agenda बदलने के लिए तैयार हैं, फलां बिल रख दो फलां हटा दो ।

कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब कि वीरवार को जिस दिन rules के मुताबिक गैर-सरकारी काम होना चाहिए, सरकारी काम के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक न की जाती हो । हम असूली तौर पर इस चीज़ के खिलाफ ज़बर्दस्त protest करते हैं क्योंकि हमें डर है कि आगे भी इन्होंने ऐसा ही करना है । अंग्रेज़ों की conventions ऐसी हैं कि Rules से भी ज़्यादा मज़बूत हैं । यहां पर conventions तो दरकिनार Rules की provisions को भी पांव तले रौंदा जाता है ।

स्पीकर साहिब ! कहां वह democracy जहां कोई भी Rules नहीं हैं, सिर्फ conventions पर चल कर ही सारा business conduct किया जाता है और कहां यह democracy कि जहां हर तरह के Rules बने हुए हैं लेकिन फिर भी यह लोग कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते और हर मौके पर खड़े हो कर उन Rules की बेकदरी कर देते हैं । इस के खिलाफ जहां तक Opposition का ताल्लुक है हमें वक्त बे वक्त agenda मिलता है लेकिन फिर भी discussion के लिए तैयार हो जाते हैं । Rules में लिखा हुआ है कि हम को दो दिन का नोटिस मिलना चाहिये लेकिन हमें नोटिस नहीं मिलता । जनाब ! मैं अर्ज़ करता हूं कि आप की discretion जितनी ज़्यादा गवर्नमैन्ट के हक में इस्तेमाल होगी उतना ज़्यादा उन का दिमाग़ बिगड़ता चला जाएगा। आप हरगिज़ इन के साथ रियाइत न करें। गवर्नमैण्ट इन लोगों की है और अख्तियार भी इन के पास हैं और स्पीकर साहिब की discretion भी इन को मिल जाती है। मैं आप से यह appeal करनी चाहता हूं कि आप इस बात का मुसम्मम इरादा कर लें कि इन को हरगिज़ इस बात का मौका न देंगे कि यह लोग Rules में खेंचा तानी कर सकें ।

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : You cannot give direction to the Chair. स्पीकर साहिब ! इस हाऊस में बड़ी दिलचस्प बातें होती रही हैं। लेकिन मेरा विचार है कि आज की बहस सब बहसों से नम्बर अव्वल पर रहेगी । बात वही है कि सूत न कपास कोली से लट्ठम लट्ठा । मेरे दोस्त जो सामने बैठे हुए हैं वे जानते हैं कि इस हाऊस को बुलाने में कितना

[मुख्य मंत्री]

नोटिस हम लोगों को मिला है । वक्त की तंगी के कारण Resolution का नोटिस नहीं दे सकते थे और नहीं दिया गया । Questions के बारे में भी नोटिस नहीं दे सकते थे और न दिया गया । Thursday को लेने से जमहूरियत का जो खून होगा वह तो कुछ दिखाई नहीं देता है । कोई ऐसा मामला नहीं है जो वे कल रखना चाहते हैं । यह हो सकता है कि साहिबान कल के लिए तशरीफ ले जाएं फिर परसों आ जाएं । इस चीज़ को देख कर ही गवर्नमेण्ट ने समय का निश्चय इस तरह किया है कि काम करने के लिये मुसल्लसल तीन दिन मिल सकें—आज का, कल का और परसों का । कौंसिल के लिए बाद का वक्त रखा गया । यह सब क्यों किया गया ? मैं नहीं समझता था कि ऐसी वाज़ेह चीज़ को बयान करने के लिए कुछ कहना पड़ेगा । हाऊस को मालूम है कि Select Committee की रिपोर्ट आनी थी । रिपोर्ट आई को सिर्फ दो, तीन दिन ही हुए हैं । फिर Ordinance को बिल की शकल में बदल कर President के पास उस की consent के लिए जाना होता है । वहां जाने के लिए भी वक्त चाहिये । हम ने वह वक्त बचाना था । इस लिए Non-official Bills नहीं होने थे और न वे हो सकते थे । इस लिए मैं उन से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमें किसी और मौके पर इस बात के लिए लताड़ लीजिए । यह अच्छी बात नहीं लगती कि "तेरे सिर पर कोल्हू चाहे अच्छा लगे चाहे न लगे" । (*interruptions*) इस बात से हम इनकार कर नहीं सकते चाहे वे हमें लताड़ें या पछाड़ें । मेरे दोस्त....

श्री केदार नाथ सहगल : वे आप के दोस्त नहीं हैं ।

मुख्य मंत्री : सहगल साहिब को ज़्यादा पता है कि वे मेरे दोस्त नहीं हैं यह ठीक होगा । लेकिन मेरी अर्ज़ है कि इधर की बात उधर लगाने से कुछ फायदा नहीं है । अगर उन्हों ने चीफ मिनिस्टर को कुछ कहना है तो कई और मौके आएंगे । कहां गवर्नमेंट, कहां चीफ मिनिस्टर और कहां Gurdwara elections. जो elections हुए हैं उन का इस से भला क्या ताल्लुक है ? (*interruptions*).

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. आप ही फरमा दें कि उन elections से इनका कुछ ताल्लुक है या नहीं ।

मुख्य मंत्री : अगर किसी को कुछ कहना भी हो तो किसी ढंग से कहना चाहिये । ऐसा ढंग जो फबे । मेरे दोस्त सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत ने बबांगे दुहल कहा है कि Communist Party नहीं लड़ी । यह ठीक है कि Communist Party elections नहीं लड़ी । लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर यह कहा जाए कि जो भाई कांग्रेस के मैम्बर हैं वे अपने मज़हबी मामलात में हिस्सा नहीं ले सकते तो ठीक नहीं लगता या यह कहना कि वे आज़ाद नहीं हैं कोई माकूल बात नहीं है ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : **ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ** elections **ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ** ?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब ! यह बात एक से ज़्यादा बार कही जा चुकी है कि सरकारी मोटरें elections में इस्तेमाल नहीं होतीं । (*interruptions*).

Mr. Speaker : Order please. No interruptions.

मुख्य मंत्री : बजाए इस के कि वे इस बात को appreciate करते कि हम लोग वक्त की best utilization कर रहे हैं वे उलटा criticize कर रहे हैं । वरना मैम्बर साहिबान जाते फिर आते और गवर्नमैन्ट का रुपया ज़ाया होता । फायदा कुछ नहीं होना था । बात कुछ भी नहीं है जिस का इतना बड़ा हंगामा कर दिया गया हैं । मारे गए हैं, यह हो गया, वह हो गया । मैं पूछता हूं कौन मरा है ? कहां मरा है ? (*interruptions*) जब हकीकत में कोई चीज़ नहीं होती और उस को उभारने की कोशिश की जाती है तो वायुमण्डल कितना खराब हो जाता है ?

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मरे हुए को क्या मारना है ?

मुख्य मंत्री : मेरे दोस्त का ख्याल है कि हम उन को मार रहे हैं । हम उनको कुछ नहीं कहते । मैं सिर्फ यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि वे लोग खामखाह हाऊस का वक्त ले रहे हैं और उनका अपना वक्त भी लग रहा है । यह कहना कि जमहूरियत का खून हो गया है, जनाज़ा निकला और फातिह पढ़ने के लिए मेरे फाज़िल दोस्त मौलवी साहिब आए थे, यह सब ठीक नहीं लगता । इस लिए मेरी अर्ज़ है कि इस motion को जल्दी मन्ज़ूर किया जाए ।

Mr. Speaker : Question is :—

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 9th December, 1954.

The motion was carried.

THE PUNJAB PREVENTION OF EJECTMENT BILL, 1954 (RECOMMITTED TO THE SAME JOINT SELECT COMMITTEE).

Minister for Development (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I present the Report of the Joint Select Committee on the Punjab Prevention of Ejectment Bill.

Minister for Development : Sir, I beg to move :—

> That the Bill as reported on by the Joint Select Committee be recommitted to the same Joint Select Committee with a direction to report to the House by the 15th March, 1954.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of Order, Sir. ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ Joint Select Committee ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ discuss ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੁਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ consider ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਉਸ ਪੁਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ Joint Select Committee ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ motion

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 15 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸੇ Joint Select Committee ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ Select Committee ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਨੇ ਰਖਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਾਊਸ ਦੀ dignity ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ Joint Select Committee ਦੀ functioning ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮੁਕੱਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, disapprove ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ Joint Select Committee ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ precedent ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ Select Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ discuss ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਾ ਉਸ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁੜ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੀ Select Committee ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ । ਜਦ ਇਕ Select Committee ਨੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਉਸੇ Select Committee ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ Joint Select Committees function ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਨਗੀਆਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ function ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ— ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ summon ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ— 15 ਮਾਰਚ ਤੀਕਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ Select Committee ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੇਸ਼ਕ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਇਸ stage ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਵਿਰੁਧ ਹਾਂ ।

अध्यक्ष महोदय : आप के point of Order ने तो एक बाकायदा speech की शकल इख्तियार कर ली । आप के point of order से यह मालूम होता है कि आप इस motion के खिलाफ हैं । आप ने दो बातों को challenge किया है । एक तो यह कि इस बिल को दोबारा रिपोर्ट करने के लिए उसी Committee के सुपुर्द करना कहीं against the rules तो नहीं और दूसरा इस motion की propriety का. What is the position of the Government on this question ?

(Your point of Order has taken the shape of a regular speech. It indicates that you are against this motion. You challenge it on two

grounds, namely, the propriety of the motion and whether its recommittal to the Joint Select Committee for report is in order or against the rules. What is the position of the Government on this question ?)

मुख्य मंत्री (श्री भीम सेन सच्चर) : स्पीकर साहिब, मैं आप की इजाज़त से और अपने दोस्त से मुआफ़ी मांग कर यह कहना चाहता हूं कि आप से यह तवक्को नहीं की जा सकती थी कि आप rules की इस कदर ला-इल्मी ज़ाहिर करते। हां अगर कोई और दलील देते तो उसका जवाब भी मैं देता। यह तो एक सीधी सादी सी बात है। यह जो हमारे रूलज़ हैं, यानी, Rules of Procedure and Conduct of Business, इन की दफ़ा 107 में लिखा है कि—

> "After the presentation of the final report of a Select Committee on a Bill, the member-in-charge may move :—
>
> ......
>
> (b) that the Bill as reported by the Select Committee be recommitted to the same Select Committee.................."

अगर मेरे इस दोस्त ने जिन के लिए मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है, कदर है, यह रूल पढ़ा होता तो वह कभी भी यह बातें न कहते। उन की अपनी दलील ही इतनी कमज़ोर है कि मेरे फ़ाज़िल दोस्त, जो उन की बाईं तरफ बैठे हैं (पंडित श्री राम शर्मा) उन्हें यह समझा रहे हैं कि भाई यह बात कहने से पहले हम से भी पूछ लिया होता कि क्या position है।

Mr. Speaker : Under the rules, the hon. Minister can move this motion. The House is at liberty to accept or reject it.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ, ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप स्पीकर की राए नहीं मान सकते तो इस motion को defeat कर दें। (If the advice of the Speaker is not acceptable to the hon. Member, then he can defeat the motion.)

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ Joint Select Committee ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ; ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ challenge ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਹਾਊਸ ਨੂੰ challenge ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ improper ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ motion ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ propriety ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ੨ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਕਰ ਨ ਕਰੋ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਚੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਉ ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਵੀਰ ! ਉਹੀ ਗਲ ਨ ਕਰੋ ਕਿ "ਮਾਮੇ ਦੇ ਗਲ ਬੀਰ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਭਣੇਵਾਂ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰੇ" । ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ......

ਇਕ ਅਵਾਜ਼ : ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ President ਦੀ approval ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਓਪੁਰ ਇਕ Ordinance ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 1953 ਦਾ Security of Land Tenures Act ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉਪੁਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ Joint Select Committee ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਫ਼ ਆਏ । ਇਹ ਇਤਨਾ delicate ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰ ਬਿਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Select Committee ਦੇ ਪਾਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ economic ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੌਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਜ਼ਿਥੋਂ ਤੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ express ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ । (hear, hear).

ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ policy ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ । ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਔਕੜ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੜਚਨ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨ ਦਿਸਣ ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ landless tenants ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਡਰ ਥਲੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਢਿਆ ਕਿ ਕਢਿਆ ਜਾਂ ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਕਢ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਇਹ ਕੰਮ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ । Joint Select Committee ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸਜਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਲ ਕਢਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ final ਸ਼ਕਲ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ । ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਢਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਦਲਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿਣ । Joint Select Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਸ ਦਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ landless ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਦੇ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੋ ਕੇ ਬੜਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਕੇ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੀਏ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ Joint Select Committee ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਇਦਾਰ ਹਲ ਕਢ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ self-cultivation ਲਈ resume ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ landless tenants ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ । ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ landless tenants ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ । ਅਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕਢ ਲਵਾਂਗੇ । ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲ ਕਢੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ landless tenants ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਕ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ security ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਖ ਵਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਨ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਈਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ Joint Select ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਢੂੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਉਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ landless ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ interests ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ classes ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨ ਪਾ ਸਕੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

Mr. Speaker : Motion moved:—

That the Bill as reported on by the Joint Select Committee be recommitted to the same Joint Select Committee with a direction to report to the House by the 15th March, 1954.

श्री श्री चन्द (बहादुरगढ़) : प्रधान जी ! ज़मीन का मसला पंजाब की असल ज़िन्दगी का मसला है। इस Assembly में कई दफ़ा ज़मीन की बाबत कानून बनाने के लिये बिल आए। उन्हें ऐक्ट की शकल में पास किया गया लेकिन कोई ऐक्ट भी आज तक ऐसा तसल्ली बख्श साबित नहीं हुआ है जिस को यह कहा जा सके कि उस से मुज़ारों की तसल्ली हुई है या उस से मालिक ज़मीन की तसल्ली हुई है या उस ऐक्ट से हमारे सूबा की जो तसल्ली होनी चाहिये थी वह हुई है। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। वैसे तो यहां पंजाब में कई तरह

के मसले हैं। यहां कई तरह के मालिक जमीन हैं। इन सारी बातों को सोच समझ कर यह कानून मजारा बनाना चाहिये। रोज़ रोज़ कानून को बदलने से, रोज़ रोज़ मुज़ारों के कानून बनाने से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिन से खराबियां पैदा हो जाती हैं। लोगों को न गवर्नमैण्ट पर एतबार रहता है और न ही उन की तसल्ली होती है। उन्हें हर वक्त यही ख्याल रहने लगता है कि अगले तीन महीने में क्या होगा या अगले छः महीने में क्या हो जायेगा। साहिबे सदर जो मोशन हमारे Development मिनिस्टर साहिब ने पेश की है मैं उस की ओर से ताईद करता हूं। (तालियां)।

और मैं यह चाहता हूं कि इस मसले को अच्छी तरह सोच कर और इस को ज़्यादा से ज़्यादा time देकर इस तरह सुलझाना चाहिये जिस से कि मुज़ारों का, ज़मींदारों का मुल्क का और सब का फायदा हो और हमें एक ऐसा कानून बना देना चाहिये जिस से इसे रोज़ २ बदलने की ज़रूरत न पड़े। अभी हमें Planning Commission की तजवीज़ों को और Five-Year Plan की स्कीमों को देखना है। जैसा कि वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि आज बड़ी तबदीलियां हो रही हैं। इस सब का ख्याल रखना है और इस अरसे में यह देखना है कि लोगों की क्या राए है कि कितनी ceiling हो। इस से इस मसले के हल में बड़ी भारी मदद मिल सकेगी। इस लिये मैं अर्ज़ करता हूं कि जो उन्होंने यह तजवीज़ की है कि इस पर सोच विचार के लिये कुछ और वक्त दिया जाये मैं उस की ताईद करता हूं ताकि Joint Select Committee इस पर काफी वक्त लगा कर अच्छी तरह सोच कर एक ऐसा कानून बनाये जिसे बदलने की हमें रोज़ २ ख्वाहिश या ज़रूरत न हो।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ House ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਭੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਵਾਹੀ ਇਸ ਦੁਖੋਂ ਛਡ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਹੱਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਚੂੰਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਉਜਾੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ Joint Select Committee ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ Joint Select Committee ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ Joint Select Committee ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਭੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਤਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਦ ਭੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਗਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ betterment levies ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ development ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਦੂਸਰਾ ਤੌਖਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਲੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ Select Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 4 ਵਜ਼ੀਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਕ report ਮੁਰੱਤਬ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਾਲੇ House ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ report ਨੂੰ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਿਰਫ ਕਲ ਹੀ ਲਗਾ ਜਦ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਇਥੇ ਆਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉ ਪਾ ਕੇ ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਹਨ ਇਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 1953 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ

ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿਚ loopholes ਛਡ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹੱਫਜ਼ ਦੀਆਂ suggestion ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜ ਤੋਂ ਲਗ ਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਮੰਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਾਂ ਠੀਕ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਤਾਂ moral courage ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ; ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਠ ਅਠ ਨੌ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ serve ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ, Communist Party ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, Socialist Party ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ House ਵਿਚ Congress Assembly Party ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਧੜਾ ਧੜ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕੋਈ ordinance ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਉ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਕਰ ਨ ਕਰੋ; ਜਦੋ ਤਕ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ; ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕਢਾਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾ ਲਉ, ਕੁਲ 850 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 47 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਲਹਾੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਿਤ੍ਰ confident ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪੇ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਹੀ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਲਈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਗੇ ਵਢੇ ਵੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਤਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗਲਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਅ[illegible] ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ [illegible]ਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਜੋ reconstruction ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਰਥ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ordinance ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਰ ਅਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਠੀਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਕੇ ਭਾਕੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਕੜਾ ਡੈਮ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣ ਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ

ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਜੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ? ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਨੇ ਲਾਏ ਗਾ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, statements ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ordinance ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ੍ਹੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਲ ਜੁਲਾਈ—ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਗਸਤ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਾਟਜੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਸਨ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਸ ਗਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਵੀਹ੨ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ revenue receipts ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ revenues ਵਧਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਲੀਆਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦਸਣ ਕਿ ਇਸ ordinance ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਲਈ ਸਭ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਊਣਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ proceedings ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਕੀਤੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਿਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਰਖਕੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ Development Minister ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਤੂ ਦਸਦੇ ਹਨ, Session ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ Session attend ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਪਰਚੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ Session attend ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਕੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ Select Committee ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕਦੀ perfect ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਾਉਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪਾਣ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਬਿਲ ਬਣਾਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚ ਮੁਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੁਚਜਾ ਬਣਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ conflict ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ conflict ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗੇ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ report House ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ

ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਹਲਵਾਹਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ motion ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ । Report ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰ bona fide transfers ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ escape ਕਰ ਲੈਣਗੇ । ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ details ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਫੀਊਜੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਫੀਊਜੀ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ motion ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਵੇਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਜਦ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 25,000 ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1950, 1951 ਤੇ 1952 ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਨੇ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਦੇ notices ਮਿਲੇ । ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ 1950 ਵਿਚ 7,000 notices 1951 ਵਿਚ 8,000 notices ਤੇ 1952 ਵਿਚ 17,500 notices ਮਿਲੇ । ਫਿਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕਿਨੇ notices ਮਿਲੇ । ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ 54,500 notices । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ arithmetic ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ । ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ calculation ਤੇ ਇਕਠੀ calculation ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1951-52 ਤੇ 1952-53 ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 2,105 ਬੇਦਖਲੀਆਂ । ਫੇਰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 1953 ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ 3,000 ਹੋਈਆਂ । ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖ ਲਏ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਪਰ ਇੱਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾਣ । ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਨੇਂ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਬਿਆਨ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]
ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 25,000 ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਤੋਂ ਕਢ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ Ordinance ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਟਜੂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ 25,000 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਕ ਬਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਹਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਗ਼ਬਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਿਆਂ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬੇਇਨਤਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਭਾਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ "ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ"। 1914-15 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਦੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਣਾ ਇਕ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਐਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਭਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਤਸਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਰਾ ਵੇਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ economic development ਵਲ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀ man power ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਾਡੇ Development Minister ਗਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਿਆਂ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ (ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ : ਸੋਵਾਂ ਹਿੱਸਾ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ motion ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ meetings ਕਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ meetings ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫੇਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਫੇਰ Joint Select Committee ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਫੇਰ ਦਬਾ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਵੇਗੀ ਉਸਤੇ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ Confusion ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ Joint Select committee ਕੋਲ recommit ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25,000 ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ economic development ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ food production ਵਧਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਝੋਲੀ ਅਡ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨ ਉੜਾਨ ਬਲਕਿ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ motion ਨੂੰ reject ਕਰ ਦੇਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦੀ dignity ਤੇ honour ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਲਗਾ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ Joint Select Committee ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ Communist Party ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ motion ਦੀ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री राम चन्द्र कामरेड (नूरपुर) : स्पीकर साहिब ! हम एक अबूरी दौर में से गुज़र कर नये दौर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं । इस ज़माने में हमारा फर्ज़ है कि हम सब इकट्ठे हो कर ज़मीन को हम्वार करें तब हमारे मुल्क की बुनियाद दोबारा खड़ी हो सकती है । यह मसला जो हमारे सामने है यह भी एक नया निज़ाम पैदा करने से ताल्लुक रखता है । तीन साल से हम इस मसले से दो चार हो रहे हैं । तीन साल के अरसे में गवर्नमैण्ट ने कोशिश की कि मुज़ारों की इसलाह और बेहतरी के लिये कोई कानून बनाये जायें इस के बावजूद हम देख रहे हैं कि यह कोशिशें मकसद हासिल करने के लिये कारगर नहीं हुईं । यह जो हमारे सामने Joint Select Committee की रिपोर्ट पेश है यह भी इस मसले को हल नहीं करती । इस लिये यह ज़ाहिर है कि इस मसले पर ज़्यादा अच्छी तरह से ग़ौर करना चाहिये । इस दौरान में जो हम ने कानून बनाये उन कानूनों की कमज़ोरी इस बात से ज़ाहिर होती है कि यह मसला बार बार हमारे सामने आ रहा है इस लिये मैं कहूंगा कि यह आसान मसला नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है । जब मुल्क की किस्मत बनानी होती है तो उस मुल्क के मुश्किल मसले हल करने के लिये कुव्वते फैसला का होना ज़रूरी होता है । सोसायटी में जद्दो जहिद हो रही है और हम पुराने निज़ाम को बदलने और ग़रीबों और मुज़ारों की तकलीफों को दूर कर के निज़ाम को आगे लेजाने की कोशिश करते हैं । मैं समझता हूं कि आज तक की कोशिशों से मुज़ारों का मसला हल नहीं हुआ । जो लोग नया निज़ाम कायम करना चाहते हैं, मुल्क में नया आदर्श कायम करना चाहते हैं वह कमज़ोर हैं और उन की ज़बान असर नहीं डाल सकी है ।

श्री मूल चन्द जैन : वह mislead हो जाते हैं ।

श्री राम चन्द्र कामरेड : आप ऐसा कह सकते हैं । इस वक्त जो चीज़ हो रही है वह हमारी आज़माइश है । यह जो तहरीक पेश की गई है कि इस बिल को दोबारा मुंतखिब कमेटी के सुपुर्द किया जाये मैं इस की ताईद करता हूं लेकिन मैं इस यकीन के साथ ताईद करता हूं कि कोशिश की जायेगी कि इस कानून को ज़्यादा मुकम्मल किया जाये और इस के बाद जो नकशा हमारे सामने आयेगा वह आखरी हल होगा । मैं समझता हूं कि जितनी बार यह बिल हमारे सामने आता है लोगों के दिलों में मायूसी पैदा होती है और कशमकश भी बढ़ती है । इस लिये यह ज़रूरी है कि इस का आखरी हल निकालें । चीफ मिनिस्टर साहिब और Development Minister वाइदा कर रहे हैं कि इस मसले को हल किया जायेगा । इस Joint Select Committee में मुज़ारों के नुकता निगाह को पेश करने वाले मैम्बर मौजूद हैं जो progressive thinkers हैं । उन की मौजूदगी में अच्छा ही हल निकलेगा । अगर हम इस मसले का हल न निकाल सकें तो तारीख हमारे खिलाफ फतवा आयद करेगी ।

स्पीकर साहिब ! दो ज़रूरी मसले हैं जिन का हमने हल निकालना है, दोनों का ताल्लुक सामाजिक न्याय के साथ है । मेहनतकश लोगों के दो तबके हैं । देहातों में रहने वाले तबके में मुज़ारे, और बेज़मीन मजदूर (landless workers) शामिल हैं और शहरी तबके में (factory workers) यानी कारखाने के मज़दूर । मैं महसूस करता हूं कि हम इन मसलों का हल निकालने में कोई तरक्की नहीं कर पाये । दो सालों के बाद हमने मुज़ारों, भूमिहीन मजदूरों (landless labourers) और दूसरे लोगों के सामने जाना है इस लिये हमें फैसला करना होगा कि आखिरकार हम इन लोगों के लिये क्या करना चाहते हैं । पंडित जवाहर लाल जी ने कई दफ़ा कहा है कि हम इस देश में Socialist Society चाहते हैं । But the proof of the pudding is in the eating thereof यानी खीर का सबूत उस के खाने से ही मिलता है । अगर कांग्रेस ने इस सिलसिले में कोई ठोस कदम न उठाया तो वह उस मरतबे को जो उसे आज हासिल है खो बैठेगी । इकबाल ने कहा है :—

आईने नौ से डरना तरज़े कुहन पे अड़ना
मनज़िल यही कठिन है कौमों की जिन्दगी में ।।

हमें यह सोचना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मुज़ारों की क्या इमदाद कर रहे हैं या करना चाहते हैं । अगर हम इस मसले को हल करना चाहते हैं तो हमें टुक फैसला करना होगा, अगर नहीं करना चाहते तो और बात है ।

मैं आप के द्वारा वज़ीरे आज़म साहब से कहना चाहता हूं कि यह एक तारीखी मसला है जिस का हमने हल निकालना है, हमारी आज़मायश हो रही है, कांग्रेस और उस के असूलों की आज़मायश हो रही है । आये दिन कानून बनते हैं मगर मुज़ारों की बेदखलियां बन्द नहीं होतीं । किसी को जबर्दस्ती निकाल दिया जाता है ज़िमींदार बीस पचीस आदमी ले कर आता है, सिपाहियों और थानेदार की भी मदद ले लेता है और अपने मुज़ारे को बेदखल कर देता है । किसी पर झूठे मुकद्दमे चलाए जाते हैं, जिन्हें वह लड़ नहीं सकता और खुद ही निकल जाता है । ग़रीब मुज़ारा बेचारा कहां से कानूनी सबूत मुहैया करे ? यह मुज़ारे का काम नहीं, हकूमत का काम है । इतनी ज़्यादतियां हो रही हैं बेजा कार्रवाईयां हो रही हैं, आखिर यह हालत कितने अरसे तक चलेगी । इन्तजाम और कानून की machinery तो वज़ीर साहिबान के हाथ में है । अगर इन बेजा कार्यवाहियों को नहीं रोका जा सकता, तो वे किस बल बोते पर कह सकते हैं कि वह हकूमत के ऐहल हैं । हमारी नाक, आंख और मुंह के सामने ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर सबूत की क्या ज़रूरत है । हम खुद शहादत दे सकते हैं । क्यों नहीं ऐसी कार्यवाहियों को खत्म किया जाता ।

मैं इस तहरीक की ताईद करता हूं मगर मैं चाहता हूं कि वज़ीरे आज़म साहिब और विकास मंत्री जी इस मसले को अच्छी तरह समझ लें ताकि इस का जो हल निकाला जाए कामयाब साबित हो । मुज़ारों से जो वायदे किये गये हैं, मुल्क में जो विकास development हो रहा है और जो तबदीलियां आ रही हैं, उन सब को देख कर इस का सही हल निकाला जाना चाहिये ।

मैं उस के पाए लगज़श आशना की दाद देता हूं
समझ कर सोच कर जो मामिले इज़हार हो जाए ।

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

मैं Communist Party के तरीके कार से इख्तलाफ रखता हूं। मगर Joint Select Committee में वह तमाम मेंबर जो मुज़ारों को सहूलतें देने के हक में हैं, इत्तफाक राए के साथ इस मसले का हल निकाल सकेंगे, अगर कोई चीज़ उन की मर्ज़ी मुताबिक न हुई तो वे public को यह कह सकेंगे कि वह उन के कहने, बोलने के बावजूद हुई है और वे सुर्खरू रह सकेंगे।

मसला बड़ा नाज़ुक है, इस लिये जो तहरीक की गई है, मैं उस की ताईद करता हूं। मेरा ख्याल है कि जो उम्मीदें मैं ने ज़ाहिर की हैं पूरी होंगी।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ Assembly ਬਣੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਹਥ ਰਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਲਖ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 65,000 ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਫੇਰ Joint Select Committee ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ confidence ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ? ਦਰਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ Joint Select Committee ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਹੋ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਰੋਣਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ" ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਪੰਡਤ, ਨਹਿਰੂ ਪੁੱਛੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਪੁੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ whip issue ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ] ਇਹ ਬਿਲ

ਦੁਬਾਰਾ Joint Select Committee ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Ministry ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ cause ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਦਾ cause ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਹ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਹਨ ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ । ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ।

Mr. Speaker : The hon. Member should not make such remarks as "ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ" ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਿਨਾ court fee ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ appeals ਕਰ ਦੇਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 15, 15 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7, 8 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਦੋਸ਼ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਨੇ ਵੀ ਸਮਝੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹਕ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, transfer ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ reserve ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਊਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦਸੂਏ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਆਉ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹੋਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਊਨਾ ਦਸੂਆ ਅਤੇ ਪਰੇ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਨੇ ਹਰੀਜਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਯਾਦ ਹਨ। ਉਥੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚਾਹੇ

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣ । ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਦੁਬਾਰਾ Joint Select Committee ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿਉ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Government of India ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦੋਂ ਤਕ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । 1953 ਵਿਚ 53,000 ਮੁਕਦਮੇ 107/155 C.P.C. ਦੇ ਚਲੇ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਕ ਵੀ ਐਸੀ ਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਾਂ landlord ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 109 ਦਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 11,000 ਮੁਕਦਮੇ ਚਲੇ । 109 ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਉਸੇ ਦੇ ਉਪਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦਾ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਟਿਕਟ ਉਪਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿਤੇ । ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ M.L.C. ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ Legislature ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । Development Minister ਸਾਹਿਬ ਗਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਸਭ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਛਲੇ elections ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ੨ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ੨ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ Consolidation of Holdings ਹੀ ਕੋਈ ਤਹੱਫਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹੱਫਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਢੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੌਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਤਿਹਤ ਉਨ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਐਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ੨ ਰੁਪਿਆ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ transfer ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਨਤੀਜ਼ਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਆਦਾਦੋਸੁਮਾਰ ਹਨ । ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :—

1950	ਵਿਚ	5000
1951	,,	8,000
1952	,,	17,000
1953	,,	100,000 ਦੇ ਕਰੀਬ

ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ । ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿਚ development ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ protection ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ Joint Select Committee ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਕੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਵ ਪਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਵ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੀ functioning ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ consolidation ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ interference ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ । Favouritism ਦਾ ਤੇ ਇਥੇ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਕ Assistant Collector ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ Assistant Collector ਉਸੇ class ਨੂੰ belong ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ tenants ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਈ ਕਰਨ ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ 1/3 ਦਾ provision ਸੀ । ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 1/2 ਦਾ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਕੜਿਆ ਅਤੇ ਪੁਛ ਤਾਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਕ ਵੇਰ ਮੁੜ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਨੀ ਚਾਹਣ ਮਨ ਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਣ । ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਪ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ majority party ਦੀ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਵਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ figures ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣਗੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਰਾਇਮ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਸ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਲਗਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਹਤਰਿਮ ਦੋਸਤ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਦ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਂ ਮਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ Joint Select Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4-12-1954 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। constitutional procedure ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਧੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਜ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ Joint Select Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜੀ motion ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਬਿਲ ਨੂੰ Joint Select Committee ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਮੰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਾਰ ਪਈ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ Joint Select Committee ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲੀਸੀ ਦਾ ਏਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣਗੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਿਆਣਗੇ ; ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲੀਸੀ ਦੀ ਸੁਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਧੂੰਏਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ legislations ਇਥੇ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ । ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀਸੀ ਰਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ proprietors ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ holdings ਬੜੀਆਂ small ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਹਰ ਇਕ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਆਏ । ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ agricultural labour ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਅਜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਉਹਦਾ right secure ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਉਧਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦੰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਢਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਦੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ceiling ਜਿਤਨੀ low ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਗਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ figures ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ total number of land owners in the Punjab is 25,73,300 ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ—

The total number of land owners owning five acres or less........14,18,221

The total number of land owners owning more than 5 and less than 10 acres 5,86,250

The total number of land owners owning more than 10 and less than 20 acres 3,07,652

The total number of land owners owning more than 20 and less than 30 acres 1,38,663

The total number of land owners owning more than 30 and less than 50 acres 78,424

The total number of land owners owning more than 50 and less than 75 acres 34,019

The total number of land owners owning more than 75 and less than 100 acres 14,270

The total number of land owners owning more than 100 and less than 150 acres 6,228

The total number of land owners owning more than 150 and less than 200 acres 2,223

ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ total ਹੈ 135,164 ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ । 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 2,450,786 ਹੈ । ਇਹ ਘਟ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ problem ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ stunt ਦੀ ਖਾਤਰ Joint Select Committee ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਰਖਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਤਾ ਵੀ ਸੀ । ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਦੇ । ਇਸ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ । ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਦਰੀਆ ਦਾ ਪੁਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਪਏ । ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਦੇ tenants ਰੌਲਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ legislation ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ । ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ

ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ elections ਨੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਮੀਅਤ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘਰਿਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ light ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ stunt ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹਲ ਲਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ agrarian problem ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ self-cultivation ਦੀ unit ਨੂੰ ਜਿਨਾ ਨੀਂਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਜਿਹੜੀ legislation ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ whether it achieves your object or it will have the intended effect. ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ legislation, ill-advised, ill-timed ਤੇ absurd ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੁਲਝਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

श्री रला राम (मुकेरियां) : अध्यक्ष महोदय ! जो प्रस्ताव Development मिनिस्टर साहिब ने हाऊस के सामने रखा है मैं उस के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । Agrarian Legislation जितनी भी इस वक्त तक इस हाऊस ने पास की है उस का कुछ तो हिस्सा ऐसा है जिस का प्रभाव बहुत अच्छा रहा है । जैसे मौरूसी जो थे उन्हें मालक बना कर इस सूबा में जो उन का खासा झगड़ा था उस को खत्म कर दिया गया है । लेकिन जहां तक मुज़ारों का सम्बन्ध है जितने भी कानून बने हैं जिन का इन से ताल्लुक है हम यह कह सकते हैं कि हम जितना relief कानून के द्वारा देना चाहते थे वह उन को मिल नहीं पाया । यह मानने से हमें इनकार नहीं करना चाहिये । यह एक ऐसी बात है कि जब हम अपने हल्के के अन्दर जाते हैं तो यह नोटिस किये बिना नहीं रह सकते । इस के कारण हैं । जिन कारणों की ओर हमें ध्यान देना चाहिये । अध्यक्ष महोदय मैं आप के द्वारा Development मिनिस्टर साहिब का ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं । सब से पहली बात जो है वह मालिक ज़मीनों की है चाहे वे छोटे हों चाहे वे बड़े हों । बड़े मालिकों के साथ यह ठीक है कि शायद बड़े थोड़े आदमी हैं जो सहानुभूति रखते हों लेकिन सब यह चाहते हैं कि उन को खासा नीचे उतारा जाये ताकि मुजारों को relief मिल सके । बल्कि जो छोटे मालिक हैं उन के साथ हमारी सहानुभूति है । Peasant proprietors जो हों उन को अपने लिये काश्त करने के लिये जमीन से बेदखल कराने का अख्तियार हो । वह पहले कानून के मुताबिक मुजारों को बेदखल कर सकते थे । यदि हम यह चाहते हैं कि बेदखलियां बड़े पैमाने पर न हों जिस पैमाने पर पिछले साल हुई थीं या इस साल हुई हैं तो यह जो छोटे landlords हैं हमें उन्हें यह अधिकार देना चाहिये ताकि वह security feel करें । इस के लिये यह आवश्यक है कि एक हद मुकर्रर कर दी जाये जिसके अनुसार

[श्री रला राम]

जो peasant proprietors हैं वह उस हद तक अपने मुज़ारों को बेदखल करा सकेंगें। जो पहले कानून चला आता था उस के मुताबिक बेदखल करा सकते थे। अगर हम इस तरीका की बन्दशें लगाएंगे तो, अध्यक्ष महोदय, मुज़ारों को वह सहायता नहीं मिल सकेगी जो हम सच्चे मायनों में देना चाहते हैं।

फिर अगर बड़े Landlords से यह हक छीनें तो इस से कोई गड़ बड़ नहीं पैदा होती बल्कि मुज़ारों को relief मिलता है। जब आप peasant proprietor के अपने मुज़ारों को बेदखल करने के हकूक पर पाबन्दी लगा देते हैं तो वह अनुभव करता है कि वह ज़मीन का मालिक नहीं रहा। इस से खासी गड़बड पैदा होती है और मैं समझता हूं कि यह मुज़ारों के दिल में बेजा insecurity पैदा करता है। चाहे यह House या कोई और 10 या 15 standard acres की एक हद मुकर्रर करे कि जिस हद के अन्दर कोई भी peasant proprietor अगर चाहे तो अपने मुज़ारे को बेदखल कर सकता है। इस में उस पर कोई पाबन्दी न हो, कोई restriction न हो। यह सिर्फ उसी सूरत में हो कि जब वह ज़मीन self-cultivation के लिये लेना चाहे।

एक और बात जो छोटे मालिकों के अन्दर बेचैनी पैदा करती है वह है कानून का तेज़ी से बदलते रहना। इस का नतीजा मैं ने अपने ज़िले में देखा है। इस का फायदा अगर होता है तो वह पटवारी गिरदावर या तहसीलदार को होता है जो अपने लिये काफी बड़ी तादाद में रुपया पैदा कर लेते हैं और तकलीफ पहुंचती है छोटे ज़मींदार या मुज़ारे को। इस लिये जो भी कानून या legislation हम ज़मीन बारे बनाएं वह वाकई बड़ा सोच समझ कर बनाना चाहिए और फिर अगर कोई तबदीली की जाए तो भी बड़ी अच्छी तरह सोच समझ कर करनी चाहिए। अगर ऐसा न किया जाये तो जो कुछ भी इस legislation का purpose या मन्शा हो वह ज़ाया हो जाता है और फायदा जो होता है वह होता है सरकारी कर्मचारियों को। इस लिये मैं समझता हूं कि Development Minister साहिब ने जो तहरीक की है वह बड़ी अच्छी है और हमें इस पर और सोचना चाहिए और सोच कर हमें इस legislation को ऐसी शक्ल में पेश करना चाहिये कि मुज़ारों को इस से सच्चे मायनों में relief मिल सके और जो लोगों को तकलीफ होती है वह न हो। यह तजवीज़ बड़ी माकूल है और reasonable है इस लिये मैं इस की ताईद करता हूं और अध्यक्ष महोदय आप के द्वारा मैं Development Minister साहिब तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि इस मसले पर पूरा ध्यान दिया जाये और इसे पूरी तरह हल किया जाए। एक ऐसी limit मुकर्रर की जाए, जहां तक peasant proprietors, छोटे ज़मींदार, कानून के मुताबिक self-cultivation के लिये बेदखली कर सकें। अगर हम ने इस हक पर पाबन्दियां लगाईं तो इस से गड़बड़ पैदा होगी और वह समझेगा कि वह सच्चे मायनों में ज़मीन का मालिक नहीं है। इस लिये यह ज़रूरी है कि यह limit सोच समझ कर मुकर्रर कर दी जाए और उस से ऊपर, सिवाए उन दो सूरतों के जिन का कि Security of Land Tenures Act में ज़िक्र है, बेदखलियां बन्द कर दी जाएं। वैसे मेरी तो personal राए यह है कि यह 15 standard acres तक limit मुकर्रर की जाए मगर इस का फैसला जो भी House या Select Committee या कोई और भी करे मगर इस limit तक हर

peasant proprietor को यह हक होना चाहिये कि वह बेदखली करा सके मगर उस के बाद सिवाए उन दो सूरतों के बेदखलिएं कतई बन्द होनी चाहियें । मैं समझता हूं कि सिर्फ इसी तरह हम छोटे ज़मींदारों के मन से भय दूर कर सकते हैं । जितनी भी बेदखलियां आज से पहले हुई हैं मैं समझता हूं यह सारी भय के कारण हुई हैं, insecurity के कारण हुई हैं। इस भय को दूर करना legislation का काम है । मुज़ारे अब जाग चुके हैं और आज अगर कोई चाहे कि पुरानी बातें चलती रहें, वह पुरानी हालतों में संतुष्ट रहें या उन से बेगार ली जाए या और कोई नामुनासिब काम लिये जायें या पहले की तरह insecurity कायम रखी जाए तो ऐसी बातें आज नहीं चलेंगी । इस लिये मैं चाहता हूं कि 15 एकड़ की हद मुकर्रर कर दी जाए जिस के अन्दर self-cultivation के लिये वह कानून के मुताबिक बेदखली का नोटिस दे सके और उस के बाद बेदखलियां बिल्कुल बन्द कर दी जायें तो मैं समझता हूं कि मुज़ारों और छोटे ज़मींदारों में से भय और insecurity को दूर किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह move बड़ी अच्छी है । इस legislation को जल्द बाज़ी में पास नहीं किया जाना चाहिये इस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये और उन आंकड़ों के प्रकाश में जो गवर्नमैंट बड़ी आसानी से इकट्ठे कर सकती है हम ऐसा legislation बनाएं कि फिर कम से कम कुछ सालों तक उस में तबदीली की ज़रूरत न पड़े । आज तो ज़मींदार यही समझते हैं कि न जाने 6 महीने के बाद और कौन सा नया कानून बनने वाला है । जब तक यह भय लोगों के दिल से दूर न हो जाये तब तक इस मसले को हल नहीं किया जा सकता । इस लिये मैं Development Minister साहिब द्वारा पेश किये प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री बाबू दयाल (सोहना) : अध्यक्ष महोदय यह जो Prevention of Ejectment का बिल Joint Select Committee को 15 मार्च तक report करने के लिये मुलतवी किया जा रहा है मैं समझता हूं कि यह टालमटोल है और मेरा ख्याल है कि जब से कांग्रेस बरसरे इक्तदार आई है सब से ज्यादा नुकसान मुज़ारों को पहुंचा है । यही बात नहीं कि बड़े २ मालिकों ने मुज़ारों की बेदखलियां की हैं बल्कि यह समस्या खड़ी की गई है । कांग्रेस जब लोगों में प्रचार करती थी तो कहा करती थी कि बड़े २ ज़मींदार, जागीरदार, गरीब किसानों का exploitation, शोषण करते हैं। इस तरह लोगों को ख्याल हुआ कि जब कांग्रेस अंग्रेजों को निकाल देगी तो राजाओं, महाराजाओं, नवाबों और जागीरदारों द्वारा गरीबों का शोषण बन्द हो जायेगा । मगर जब कांग्रेस बरसिरेइक्तदार आई तो बड़े २ राजा, महाराजा तो जल्दी ही खत्म हो गये और जागीरदारों और बिसवेदारों को खतरा पैदा हुआ कि अब हमारी ज़मीन छिन जाएगी । नतीजा यह हुआ कि उन्होंने उन ज़मीनों को खुद जोतना शुरू कर दिया । Tractors ले आए मुज़ारे बेदखल हुए, लोगों में बेरोज़गारी बढ़ी । गवर्नमैंट ने बड़े २ ज़मींदारों की चालाकियों का कोई खयाल न किया कि वह क्या करेंगे बल्कि उन को और मौके दिये मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो arrears of land revenue न देगा उस को बेदखल कर दिया जायगा नतीजा यह हुआ कि अफसरान बड़े बड़े ज़मींदारों से मिल गये । बल्कि मैं तो कहूंगा कि वह है ही उन के मुलाज़िम सरकार के नहीं । वह उन के यहां रहते हैं खाते पीते हैं । मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर तहकीकात की जाए तो यह पता चलेगा कि ज्यादा बेदखलियां bogus हुई हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि land revenue के बकाया वाली बात का कई जगह

[श्री बाबू दयाल]
पर नाजायज फ़ायदा उठाया गया है । मैं चैलेंज कर के बता सकता हूं कि मेरे ज़िले में बहुत सारी बेदखलियां नाजायज़ तरीके से की गई हैं । Arrears of land revenue उन के जिम्मे लगाया गया ।

हालांकि उन्हें पहले बताया गया था कि उन के जिम्मे कोई arrears of land revenue नहीं । हमारे Development Minister को पता है कि मुज़ारे जब मामला अदा करते हैं तो उन्हें कोई रसीद नहीं दी जाती । इस का नतीजा यह होता है कि इसी बिना पर हज़ारों बेदखलियां हो जाती हैं । यह बड़े ताज्जुब की बात है कि आग और पानी का मेल किस तरह हो । ज़रा आप Basic बातों को सोचें कि ज़मीन की मलकियत किस की होगी । अंग्रेज़ के राज्य में और बात थी । वह चाहता था कि ऐसे कानून बनाये जायें जिस से ज़िमींदार से जितनी चाहें बटाई वसूल की जा सके । वह जितना चाहते थे लगान वसूल करते थे । मगर अब तो कांग्रेस सरकार है । यह भी उसी तरह कर रही है । इस को चाहिये था कि वह इन बातों को explain करती । इस बात को Prevention of Ejectment Bill में तय करती कि ज़मीन का मालिक कौन होगा । जैसे के काशमीर में शेख अब्दुल्ला ने explain किया था कि ज़मीन के tillers मालिक होंगे ।

फिर स्पीकर साहिब इन्होंने figures दिये हैं कि पंजाब state में 78,424 Landowners हैं जिन के पास 30 एकड़ से ज्यादा ज़मीन है मैं यह समझता हूं कि हमारे Development Minister को moral courage होनी चाहिये थी और उन्हें एलान करना चाहिए था कि इन 78,424 Landowners जिन के पास 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उन के मुज़ारे आज से बिसवेदार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह मसला ज़ेर बहस नहीं । आप किस के बारे में बोल रहे हैं ?

(This subject is not under discussion. What is the hon. Member discussing ?)

श्री बाबू दयाल : मैं यह बता रहा हूं कि क्या होना चाहिये और क्या किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : Order please सवाल तो यह है कि इस बिल को Select Committee को resubmit किया जाये । (The point at issue is that the Bill be recommitted to the same Joint Select Committee.)

श्री बाबू दयाल : मैं भी यही बता रहा हूं कि इस तरह इसे Joint Select Committee के सुपुर्द करके टाल मटोल किया जा रहा है और इस तरह पता नहीं यह कितने दिन टाल मटोल करेंगे ।

मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि यह फरमाया गया है कि इस को मार्च में पेश किया जायेगा । मैं पूछता हूं कि मार्च में क्या हो जायेगा । इस का अब भी अच्छी तरह से फैसला किया जा सकता है । अब असेम्बली इकट्ठी हो गई है । अब भी सोच विचार किया जा सकता है । और यह ज़रूरी है कि ज़मीनों के बारे में कोई फैसला किया जाये और यह economical भी ....

अध्यक्ष महोदय : Order please. इन बातों का motion से कोई ताल्लुक नहीं। Motion तो यह है कि इस बिल को कमेटी के सुपुर्द किया जाये या नहीं। (All this is irrelevant to the motion. The point is whether this Bill be recommitted to the same Joint Select Committee or not.)

श्री बाबू दयाल : मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि यह बिल Select Committee को पेश किया जा रहा है। यह वही Select Committee है। वही इन के दिमाग हैं तो मैं पूछता हूं कि क्या अब इन को कोई इलहाम होगा या ऊपर से कोई चीज़ आ जायेगी। मेरे ख्याल में तो Joint Select Committee का एक बहाना है। असल में गवर्नमैण्ट टाल मटोल करना चाहती है। मेरी अर्ज़ यह है कि इस बिल को इसी वक्त पास करना चाहिये क्योंकि मुज़ारों के हज़ारों मुकदमें पड़े हैं। उन्हें हर तरह से तंग किया जा रहा है। उन के ऊपर कई मुकदमें चलाए जा रहे हैं। मेरे अपने ज़िला गुड़गांव में भी कई ऐसे केस हैं जिन के ऊपर इस्तगासे चलाए जा रहे हैं हालांके बिस्वेदारों ने ज़मीने उन से छीनी हैं ऐसे बिसवेदार सैंकड़ों हैं पर इन बिचारे मुज़ारों पर दफा 447 के तहत मुकदमें चलाए जा रहे हैं। यह एक ज़रूरी बात है इस लिये इस बिल को अभी take up करना चाहिये। इस के न होने से मुज़ारों में बेचैनी बढ़ रही है। मुज़ारों पर अत्याचार हो रहा है। Production भी अच्छी तरह नहीं हो रही है बड़े बड़े ज़मींदार मुज़ारों को लूट रहे हैं यह बात Financial Commissioner के नोटिस में लाई गई। मौके पर ले जाया गया और बताया गया कि न सिर्फ बड़े ज़मींदार लूट रहे बल्कि इस लूट में डिप्टी कमिश्नर भी शामिल हैं। क्या गवर्नमैण्ट को यह मालूम नहीं?

दूसरी बात यह है कि यह बहुत ज़रूरी है कि मुज़ारों का मसला हल करने के लिये नेक अफसर रखे जायें।

अध्यक्ष महोदय : इस motion में ऐसी कोई बात नहीं आती।

(There is no such thing mentioned in the motion under consideration.)

श्री बाबू दयाल : जनाब यह सोच विचार का मामला है। इस में यह भी शामिल है और मैं चाहता हूं कि इन बातों का ख्याल रखा जाये। अगर इन बातों का ख्याल न रखा गया तो यह मसला अच्छी तरह से हल न हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर यह सवाल नहीं कि किस बात का ख्याल रखना है और किस का नहीं।

(The subject under discussion is not what should be kept in view and what should be avoided.)

श्री बाबू दयाल : मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इस बारे में सरकार ने कम से कम 10 एक्ट बना लिये हैं और सब का यही हशर है। अब इस बिल को दो महीनों के लिये postpone कर दिया फिर 4 महीनों के लिये postpone कर दिया और कहा कि गवर्नमेंट इसे फिर पेश करेगी। ऐसा करने से मुज़ारों को कोई relief नहीं मिलता। इस लिये इस बिल को Select Committee के सुपुर्द न किया जाए और इस हाऊस में इसे आज ही पास कर दिया जाये।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ । ਇਸ motion ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਨ ਬੋਲੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਦਿਆਲ ਬੋਲੇ ਨੇ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ Land Revenue ਦੇ arrears ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕੱਢੇ ਗਏ । ਇਸ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ Motion ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਤਾਂ exception ਹਨ । (He is an exception.)

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ Joint Select Committee ਦੀ ਪਹਿਲੀ report ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਊ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਲੁਕੀ ਰਹੇ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਇਕ ਲੱਖ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਇਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਧ ਨੋਟਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੋਂ issue ਹੋਏ ਹਨ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਧ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਦੇ party office ਵਿਚੋਂ issue ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਅਲਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਹਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ Joint Select Committee ਦੇ Report ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜੇ ਇਹੋ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਝੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਜੇ ਇਸੇ report ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤ੍ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਣਾ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਮਰਲੇ ਜਾਂ ਇਕ ਬਿਸਵੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੈ । ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹ definition ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ dictionary ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ । ਜੇ permissible limit ਅਰਥਾਤ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਹਿਨ ਤਦ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਫੇਰ 97 ਫੀ ਸਦੀ ਮਾਲਕ 30 ਏਕੜ ਤਕ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਲ ਕਢਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ exploit ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇਹ definition ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ । ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਕਿ mischief makers ਕਿੰਨੀ mischief ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਅੱਲੁਕਾਤ ਚੰਗੇ ਬਣਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹ ਲੈਣ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਨੇਕੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ ਕਿ evil forces atmosphere ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 25 ਲਖ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ 30 ਏਕੜ ਤਕ ਤੇ 1,34,000 ਮਾਲਿਕ 30 standard acres ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਆਲ 30 ਏਕੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਦਿਆਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹਲ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 30 ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ figures quote ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ courts ਨੇ ਕਢੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਬਟਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀਆਂ figures ਤੇ quote ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ 6 ਲਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਜਾਂ 10 ਲਖ ਤਕ ਐਸੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਜਿਹੜੇ 30 standard acres ਤਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ।

ਮੇਰੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਦੋਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25,000 ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਸਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ problem ਹਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 12,000 cases ਅਜੇ courts ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਦਖਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of order, Sir. ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ withdraw ਕਰਨ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਜਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ incorrect ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 25,000 ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ bogey ਜਿਹੜੀ raise ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 12,500 ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ cases ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 12/13 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ permanently ਹਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਲ ਢੂੰਡੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਉ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Joint Select Committee ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਢੂੰਡ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਵਾਂਗਾਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਖਾਸ radical steps ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਢਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ back bone ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ

ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਹਲ ਕਢਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਤ੍ਰ ਚੋਧਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅ ਨਾ ਲਗ ਸਕੇ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Joint Select Committee ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਲ ਦਸੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਤੇ ਜੇ ਹਲ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾਂ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਅਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਰੋਧਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ । ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ 10 ਮਿਨੰਟ ਬੋਲੇ ਸਨ । ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ । ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਕ ਪਹੀਆ ਵੀ ਡਿਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖਣੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of personal explanation, Sir. Development Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤੱਲਕ ਇਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ definition ਬਾਰੇ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ definition ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

Mr. Speaker : This is no point of personal explanation.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਜੇ ਉਸ ਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ personal explanation ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ personal explanation ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣ ਕਿ personal explanation ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : You can say that whatever has been attributed to you is incorrect.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ definition ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ । ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਇਹ definition ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ cultivation ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ manual labour ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਲ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

Mr. Speaker : Do you mean to say that jagirdars are those who do not till the land themselves ?

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : This is what I want to clarify. ਜਿਹੜੇ direct participation ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : This definition of jagirdars has been accepted by every one.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ definition ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill as reported on by the Joint Select Committee be recommitted to the same Joint Select Committee with a direction to report to the House by the 15th March, 1954.

The House divided :—

Ayes : 58

Noes : 13. *The motion was declared carried.*

Ayes

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan
2. Badlu Ram, Shri
3. Baloo Ram, Shri
4. Bhag Singh, Bawa
5. Bhim Sen Sachar, Shri
6. Chand Ram Ahlawat, Shri
7. Daulat Ram Sharma, Shri
8. Dev Raj Sethi, Shri
9. Dharam Vir Vasisht, Shri
10. Gopi Chand, Shri
11. Gurbachan Singh Bajwa, Sardar
12. Gurcharan Singh, Sardar
13. Gurdial Singh, Sardar
14. Harbhajan Singh, Principal
15. Hari Singh, Sardar
16. Iqbal Singh, Principal
17. Jagdish Chander, Shri

AYES—concl'd

18. Jagdish Chandra, Dewan
19. Joginder Singh, Sardar
20. Kasturi Lal Goel, Shri
21. Khem Singh, Sardar
22. Mam Raj, Shri
23. Mehar Singh, Shri
24. Mehar Singh, Thakur
25. Mohan Singh Jathedar, Sardar
26. Nand Lal, Shri
27. Nanhu Ram, Shri
28. Naurang Singh, Sardar
29. Partap Singh, Bakhshi
30. Partap Singh, Master
31. Partap Singh Kairon, Sardar
32. Partap Singh Rai, Sardar
33. Partap Singh, Sardar (Ratta Khera)
34. Phaggu Ram, Shri
35. Prabodh Chandra, Shri
36. Puran Singh, Sardar
37. Raghuvir Singh, Rai
38. Rajinder Singh Gyani, Sardar
39. Rala Ram, Shri
40. Ram Chandra Comrade, Shri
41. Ram Dayal Vaid, Shri
42. Ram Kishen, Shri
43. Ram Kumar Bidhat, Shri
44. Ram Parkash, Shri
45. Rattan Amol Singh, Captain
46. Sant Ram, Shri
47. Sarup Singh, Shri
48. Sher Singh, Professor
49. Shib Singh, Sardar
50. Sita Devi, Shrimati
51. Sohan Singh, Sardar
52. Som Dutt Bahri, Shri
53. Sri Chand, Shri
54. Sundar Singh, Chaudhri
55. Teg Ram, Shri
56. Uttam Singh, Sardar
57. Waryam Singh, Sardar
58. Wazir Singh, Sardar

Noes

1. Abdul Ghani Dar, Maulvi
2. Achhar Singh Chhina, Sardar
3. Babu Dayal, Shri
4. Bachan Singh, Sardar
5. Baloo, Shri
6. Chanan Singh Dhut, Sardar
7. Darshan Singh, Sardar
8. Harkishan Singh Surjit, Sardar
9. Mam Chand, Shri
10. Mota Singh Anandpuri, Professor
11. Mukhtiar Singh, Sardar
12. Shri Ram Sharma, Pandit
13. Wadhawa Ram, Shri

THE EAST PUNJAB HOLDINGS (CONSOLIDATION AND PREVENTION OF FRAGMENTATION) (THIRD AMENDMENT) BILL

Minister for Development (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I introduce the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Third Amendment) Bill.

Minister for Development : Sir, I beg to move :—

> That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Third Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ ਬਿਲ ਬੜਾ ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹਾ ਹੈ । ਅਜ ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Evacuee Property displaced persons ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ evacuee property non-displaced persons ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ non-evacuee property displaced persons ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ illegal ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ property ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ displaced persons ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਹ evacuee property ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ evacuee property non-displaced persons ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹ....

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ . On a point of order, Sir. ਇਹ ਬਿਲ ਤੇ introduce ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

Mr. Speaker : The hon. Member did not raise the objection at the proper time. The Bill has already been introduced and the hon. Minister is speaking to the motion.

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ evacuee property non-displaced persons ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ non-evacuee property ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਇਹ provision ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Motion moved.—

> That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर): स्पीकर साहिब ! Consolidation and Prevention of Fragmentation (Third Amendment) Bill, 1954, जो [illegible] से पास होना ज़रूरी है और मुझे इस बात से इत्तिफाक है। लेकिन इस बिल

के अन्दर अभी भी कमी है । बहुत से local आदमियों ने अपनी ज़मीनें दे कर उन के इवज़ evacuee lands ले ली हुई है चूंकि अभी Consolidation नहीं हुई इस लिये Consolidation के point of view से तो ठीक है लेकिन जो evacuee property local आदमियों ने रिश्वत दे कर हासिल कर ली है और जिस के बारे में प्रैस में भी कई बार आ चुका है उन local आदमियों को भी वही right मिल जायेगा जो कि उन को Rehabilitation Act के मातहत नहीं मिल सकता । इस वक्त displaced persons की एक बड़ी तादाद ने reserved land की स्कीम के under ज़मीनें ली हुई हैं । उन को ज़मीनें allot नहीं हुईं । लेकिन अब Consolidation हो रही है यह एक कमी है कि reserved land को भी change किया जा रहा है । इस के नतीजे के तौर पर भारी दिक्कत पेश आयेगी । बिल के अन्दर ज़िक्र किया गया है कि Rehabilitation Act के मातहत और compensation के मातहत जो ज़मीनें हैं उन पर भी यह लागू होगा । जब हम इस बात का विचार करते हैं तो दिक्कत पैदा हो जाती है कि जो displaced persons की reserved land है उस की भी consolidation हो जायेगी तो उस के कबज़े में नहीं रहेगी । मेरी suggestion है कि उस reserved land को excess करार दे दिया जाता । या जब तक Rehabilitation Department allotment का काम पूरी तरह खत्म न कर देता इस को पूरा न किया जाता । वरना complication पैदा होगी और खाह मखाह की परेशानी होगी । स्पीकर साहिब, इस लिए मेरी दरखास्त है कि जब तक यह बिल ऐसी शकल इख्तियार न कर जाये इस को operation में न लाया जाये । मेरा मतलब है कि जब तक महकमें की तरफ से पूरी allotment न हो जाए उस वक्त तक यह enforce न किया जाये ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਫ਼ਯੂਜੀ ਨੇ local ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫਯੂਜੀ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਾਣੇ । Custodian action ਲਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ reserve land ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ evacuee property ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ non-evacuee property ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ । ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ non-evacuee ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਦਾ Custodian ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ allotment ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ evacuee land ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ Custodian ਕਿਸੇ ਵਕਤ oust ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ local ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ local ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਜ਼ੋਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਬੇ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ revenue

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਦੇ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕ ਜਾਣੇ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ allotted land ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ reserved land ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕੇ ।

Mr. Speaker : Question is —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE I

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Development (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Third Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Third Amendment) Bill be passed.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈਆਂ complications ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਵਜਹ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ complications ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਯਾਨੀ evacuee ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹਕ refugee allottees ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ?

Shri Mool Chand Jain : This is irrelevant.

Mr. Speaker : Please study the Bill. It concerns the question of consolidation of holdings. The question of proprietary right does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ; ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । Security of Land Tenures Act ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ consolidation ਵੇਲੇ 8 ਆਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ [*interruptions*] ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । Evacuee property ਵਿਚ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ problem ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ complicated ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

Mr. Speaker : Order, Order, the hon. Member is irrelevant.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ clause 2 ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਹਨ....

Mr. Speaker : Clause 2 has already been passed. This is now the third reading stage.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ attention ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਲ draw ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

> "and the original evacuee land shall, as from such date, be deemed to have ceased to be evacuee property."

ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ Administration of Evacuee Property Act of 1950 ਵਿਚ corresponding amendment ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ....

Mr. Speaker : I would like to remind the hon. Member that it is the third reading stage of the bill.

Sardar Sarup Singh : I am coming to my argument, Sir.

Mr. Speaker : But Clause 2 has been passed.

Sardar Sarup Singh : If you allow me to speak, Sir, then I will be able to explain my objection. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ inconsistent ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ amendment Administration of Evacuee Property Act of 1950, ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ [ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ] : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ Custodian of evacuee property ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ permission ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ contradiction ਹੋਵੇ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Third Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : Sir, with your permission, I lay on the Table of the House amendments made in the Punjab Capital (Development and Regulation) Building Rules, 1952.

ADJOURNMENT OF THE ASSEMBLY (*Sine Die*)

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, with your permission I beg to move—

That the Assembly be adjourned *sine die.*

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly be adjourned *sine die.*

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly be adjourned *sine die.*

The motion was carried.

[*The Assembly then adjourned* sine die.]